सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908

(सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2002 एवं सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1999 द्वारा यथा संशोधित)

विषय-सूची

विवरण

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और विस्तार
2. परिभाषाएं
3. न्यायालयों की अधीनस्थता
4. व्यावृत्तियां
5. संहिता का राजस्व न्यायालयों को लागू-होना
6. धन-संबंधी अधिकारिता
7. प्रान्तीय लघुवाद न्यायालय
8. प्रेसिडेन्सी लघुवाद न्यायालय

भाग 1

साधारणत: वादो के विषय में

न्यायालयों की अधिकारिता और पूर्व-न्याय

9. जब तब कि वर्जित न हो, न्यायालय सभी सिविल वादों का विचारण करेगे
10. वाद का रोक दिया जाना
11. पूर्व-न्याय
12. अतिरिक्त वाद का वर्जन
13. विदेशी निर्णय कब निश्चायक नहीं होगा
14. विदेशी निर्णयों के बारे में उपधारणा

वाद करने का स्थान

15. वह न्यायालय जिसमें वाद संस्थित किया जाए
16. वादों का वहा संस्थित किया जाना जहां विषय-वस्तु स्थित है
17. विभिन्न न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर स्थित स्थावर संपत्ति के लिए वाद
18. जहां न्यायालयों की अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं अनिश्चित हैं वहां वाद के संस्थित किए जाने का स्था
19. शरीर या जंगमं सम्पत्ति के प्रति किए गए दोषों के लिए प्रतिकर के वाद
20. अन्य वाद वहां संस्थित किए जा सकेंगे जहां प्रतिवादी निवास करते हैं या वाद-हेतुक पैदा होता है
21. अधिकारिता के बारे में आक्षेप

21क. वाद लाने के स्थान के बारे में आक्षेप पर डिक्री को अपास्त करने के लिए वाद का वर्जन

22. जो वाद एक से अधिक न्यायालयों में संस्थित किए जा सक ते हैं उनको अन्तरित

करने की शक्ति
23. किस न्यायालय में आवेदन किया जाए
24. अन्तरण और प्रत्याहरण की साधारण शक्ति
25. वादों आदि के अन्तरण करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति

वादों का संस्थित किया जाना

26. वादों का संस्थित किया जाना समन और प्रकटीकरण

समन और प्रकटीकरण

27. प्रतिवादियो को समन
28. जहां प्रतिवादी किसी अन्य राज्य में निवास करता है वहां समन की तामील
29. विदेशी समनों की तामील
30. प्रकटीकरण और उसके सदृश बातो के लिए आदेश करने की शक्ति
31. साक्षी को समन
32. व्यक्तिक्रम के लिए शास्ति

निर्णय ओर डिक्री

33. निर्णय और डिक्री

ब्याज

34. ब्याज

खर्चे

35. खर्चे
35क. मिथ्या या तंग करने वाले दावों या प्रतिरक्षाओं के लिए प्रतिकारात्मक खर्चे
35ख. विलम्ब कारित करने के लिए खर्चो

भाग 2

निष्पादन

साधारण

36. आदेशों को लागू होना
37. डिक्री पारित करने वाले न्यायालय की परिभाषा

वे न्यायालय जिनके द्‌वारा डिक्रीया निष्पादित की जा सकेगी

38. वह न्यायालय जिसके द्‌वारा डिक्री निष्पादित की जा सकेगी
39. डिक्री का अन्तरण

40. किसी अन्य राज्य के न्यायालय को डिक्री का अन्तरण

41. निष्पादन कार्यवाहियों के परिणाम का प्रमाणित किया जाना

42. अन्तरित डिक्री के निष्पादन में न्यायालय की शक्तियां

43. जिन स्थानों पर इस संहिता का विस्तार नहीं है, वहां के सिविल न्यायालयों द्वारा पारित डिक्रियों का निष्पादन

44. जिन स्थानों पर इस संहिता का विस्तार नहीं है, वहां के राजस्व न्यायालयों द्वारा पारित डिक्रियों का निष्पादन

44क. व्यतिकारी राज्यक्षेत्रों के न्यायालयों द्वारा पारित डिक्रियों का निष्पादन

45. भारत के बाहर डिक्रियों का निष्पादन

46. आज्ञापत्र

प्रश्न जिनका अवधारण डिक्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय करेगा

47. प्रश्न जिनका अवधारण डिक्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय करेगा

निष्पादन के लिए समय की सीमा

48. (निरसित)

अंतरिती और विधिक प्रतिनिधि

49. अन्तरिती

50. विधिक प्रतिनिधि

निष्पादन-प्रक्रिय

51. निष्पादन कराने की न्यायालय की शक्तियां

52. विधिक प्रतिनिधि के विरूद्ध डिक्री का प्रवर्तन

53. पैतृक सम्पत्ति का दायित्व

54. सम्पदा का विभाजन या अंश का पृथक्करण

गिरफ्तारी और निरोध

55. गिरफ्तारी और निरोध

56. धन की डिक्री के निष्पादन में स्त्रियों की गिरफ्तारी या निरोध का निषेध

57. जीवन-निर्वाह भत्त

58. निरोध और छोडा जाना

59. रूग्णता के आधार पर छोडा जाना

कुर्की

60. वह सम्पत्ति, जो डिक्री के निष्पादन में कुर्क और विक्रय की जा सकेगी

61. कृषि-उपज को भागत: छूट

62. निवास-गृह में सम्पत्ति का अभिग्रहण

63. कई न्यायालयों की डिक्रियों के निष्पादन में कुर्क की गई सम्पत्ति
64. कुर्की के पश्चात् समपत्ति के प्राइवेट अन्य संक्रामण का शून्य होना

विक्रय

65. क्रेता का हक
66. [* * * * *]
धन के सदाय की डिक्रियों के निष्पादन में भूमि के विक्रय के बारे में नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति

स्थावर सम्पत्ति के विरुद्ध डिक्रियों का निष्पादन करने की शक्ति का कलेक्टर को प्रत्यायोजन

68 से 72 (.................... निरसित)

आस्तियों का वितरण

73. निष्पादन-विक्रय के आगमों का डिक्रीदारों के बीच आनुपातिक रूप से वितरित किया जाना

निष्पादन का प्रतिरोध

74. निष्पादन का प्रतिरोध

भाग 3

आनुषांगिक कार्यवाही

कमीशन

75. कमीशन निकालने की न्यायालय की शक्ति
76. अन्य न्यायालय को कमीशन
77. अनुरोध-पत्र
78. विदेशी न्यायालयो द्वारा निकाले गए कमीशन

भाग 4

विशिष्ट मामलों में वाद

सरकार दारा या उसके विरुद्ध वाद या अपनी पदीय हैसियत में लोक अधिकारी द्वारा या उसके विरुद्ध वाद

79. सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध वाद
80. सूचना
81. गिरफ्तारी और स्वीय उपसंजाति से छूट
82. डिक्री का निष्पादन

अन्य देशियों द्वारा और विदेशी शासकों, राजदूतों और दूतों द्वारा या उनके विरुद्ध वाद

83. अन्य देशीय कब वाद ला सकेंगे
84. विदेशी राज्य कब वाद ला सकेंगे
85. विदेशी शासकों की ओर से अभियोजन या प्रतिरक्षा करने के लिए सरकार द्वारा विशेष रूप से नियुक्त किए गए व्यक्ति
86. विदेशी राज्यों, राजदूतों और दूतों के विरुद्ध वाद
87. विदेशी शासकों का वादों के पक्षकारों के रूप में अभिधान
87क. "विदेशी राज्य" और "शासक" की परिभाषाएं

भूतपूर्व भारतीय राज्यों के शासकों के विरुद्ध वाद

87ख. भूतपूर्व भारतीय राज्यों के शासकों को धारा 85 और धारा 86 का लागू होना

अन्तराभिवाची

88. अन्तराभिवाची वाद कहां संस्थित किया जा सकेगा

भाग 5

विशेष कार्यवाहियां

माध्यस्थम

89. न्यायालय के बाहर विवादों का निपटारा

विशेष मामला

90. न्यायालय की राय के लिए मामले का कथन करने की शक्ति

लोक न्यूसेन्स और लोक पर प्रभाव डालने वाले अन्य दोषपूर्ण कार्य

91. लोक न्यूसेन्स और लोक पर प्रभाव डालने वाले अन्य दोषपूर्ण कार्य
92. लोक पूर्त कार्य
93. प्रेसिडेन्सी नगरों से बाहर महाधिवक्ता की शक्तियों का प्रयोग

भाग 6

अनुपूरक कार्यवाहियां

94. अनुपूरक कार्यवाहियां
95. अपर्याप्त आधारों पर गिरफ्तारी, कुर्की या व्यादेश अभिप्राप्त करने के लिए प्रतिकर

भाग 7

अपील

96. मूल डिक्री की अपील
97. जहाँ प्रारम्भिक डिक्री की अपील नहीं की गई है वहा अन्तिम डिक्री की अपील
98. जहां कोई अपील दो या अधिक न्यायाधीशों द्वारा सुनी जाए वहां विनिश्चय
99. कोई भी डिक्री ऐसी गलती या अनियमितता के कारण जिससे गुणागुण या अधिकारिता. न तो उलटी जाएगी और न उपान्तरित की जाएगी
99क. धारा 47 के अधीन तब तक किसी आदेश को पलटा न जाना या उपांतरित न किया

जाना जब तक मामले के विनिश्चय पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडता है

अपीलीय डिक्रियों की अपीलें

100. द्‌वितीय अपील
100क.कतिपय मामलों में आगे अपील का न होना
101. द्‌वितीय अपील का किसी भी अन्य आधार पर न होना
102. कतिपय मामलों में आगे द्धितीय अपील का न होना
103. तथ्य-विवाद्‌यकों का अवधारण करने की उच्च न्यायालय की शक्ति

आदेशों की अपील

104. वे आदेश जिनकी अपील होगी
105. अन्य आदेश
106. कौन से न्यायालय अपील सुनेंगे

अपील संबंधी साधारण उपबंध

107. अपील न्यायालय की शक्तियां
108. अपीलीय डिक्रियों और आदेशो की अपीलों में प्रक्रिया

उच्चतम न्यायालय में अपीले

109. उच्चतम न्यायालय में अपीले कब होंगी
110. से-111क. (निरसित)
112. व्यावृतियां

भाग 8

निर्देश, पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण

113. उच्च न्यायालय को निर्देश
114. पुनर्विलोकन
115. पुनरीक्षण

भाग 9

ऐसे उच्च न्यायालयों के संबंध में विशेष उपबंध जो न्यायिक आयुक्त के न्यायालय नही है

116. इस भाग का कुछ उच्च न्यायालयों को ही लागू होना
117. संहिता का उच्च न्यायालयों को लागू होना
118. खर्चों के अभिनिश्चय के पूर्व डिक्री का निष्पादन
119. अप्राधिकृत व्यक्ति न्यायालय को सम्बोधित नहीं कर सकेंगे
120. आरंभिक सिविल अधिकारिता में उच्च न्यायालयों को उपबधों का लागू न होना

भाग 10

नियम

121. प्रथम अनुसूवी में के नियमों का प्रभाव
122. नियम बनाने की कुछ उच्च न्यायालयों की शक्ति से बाहर है वहां प्रक्रिया

123. कुछ राज्यों में नियम-समितियों का गठन
124. समिति उच्च न्यायालय की रिपोर्ट करेगी
125. नियम बनाने की अन्य उच्च न्यायालयों की शक्ति
126. नियमों का अनुमोदन के अधीन होना
127. नियमों का प्रकाशन
128. वे विषय जिनके लिए नियम उपबन्ध कर सकेंगे
129. अपनी आरंभिक सिविल प्रक्रिया के संबंध में नियम बनाने की उच्च न्यायालयों की शक्ति
130. प्रक्रिया से भिन्न विषयों के संबंध में नियम बनाने की अन्य उच्च न्यायालयों की शक्ति
131. नियमों का प्रकाशन

भाग 11

132 कुछ स्त्रियों को स्वीय उपसंजाति से छूट
133 अन्य व्यक्तियों को छूट
134 डिक्री के निष्पादन में की जाने से अन्यथा गिरफ्तारी
135 सिविल आदेशिका के अधीन गिरफ्तारी से छूट
135क विधायी निकायों के सदस्यों को कसकवल आदेशिका के अधीन गिरफ्तारी किए जाने और निरूद्ध किए जाने से छूट
136 जहां गिरफ्तार किया जाने वाला व्यक्ति या कुर्क की जाने वाली सम्पत्ति जिले से बाहर है वहां प्रक्रिया
137. अधीनस्थ न्यायालयों की भाषा
138. साक्ष्य के अंग्रेजी में अभिलिखित किए जाने की अपेक्षा करने की उच्च न्यायालय की शक्ति
139. शपथ-पत्र के लिए शपथ किसके द्वारा दिलाई जाएगी
140. उद्धरण, आदि के मामलों में असेसर
141. प्रकीर्ण कार्यवाहियां
142. आदेशों और सूचनाओं का लिखित होना
143. डाक महसूल
144. प्रत्यास्थापन के लिए आवेदन
145. प्रतिभू के दायित्व का प्रवर्तन
146. प्रतिनिधियों द्वारा या उनके विरुद्ध कार्यवाहियां
147. निर्योग्यता के अधीन व्यक्तियों द्वारा सहमति या करार
148. समय का बढ़ाया जाना
148क. केवियट दायर करने का अधिकार
149 न्यायालय-फीस की कमी को पूरा करने की शक्ति
150. कारबार का अन्तरण
151. न्यायालय की अन्तर्निहित शक्तियों की व्यावृति
152. निर्णयों, डिक्रियों या आदेशों का संशोधन

153. संशोधन करने की साधारण शक्ति

153क. जहां अपील संक्षेपतः खारिज की जाती है वहा डिक्री या आदेश का संशोधन करने की शक्ति

153ख. विचारण के स्थान को खुला न्यायालय समझा जाना

154. 154 से 156. (निरसित)

157. निरसित अधिनियमितियों के अधीन आदेशों का चालू रहना

158. सिविल प्रक्रिया संहिता और अन्य विकसित अधिनियमितियों के प्रति निर्देश

आदेश

पहली अनुसूची
आदेश 1
वादों के पक्षकार

1. वादियों के रूप में कौन संयोजित किए जा सकेंगे
2. पृथक विचारण का आदेश करने की न्यायालय की शक्ति
3. प्रतिवादियों के रूप में कौन संयोजित किए जा सकेंगे

3क .जहाँ प्रतिवादियों के संयोजन से उलझन या विचारण में विलंब हो सकता है वहाँ पृथक विचारण का आदेश देने की शक्ति

4. न्यायालय, संयुक्त पक्षकारों में से एक या अधिक के पक्ष में या उनके विरुद्ध में निर्णय दे सकेगा
5. दावाकृत सम्पूर्ण अनुतोष में प्रतिवादी का हितबद्ध होना आवश्यक नहीं है
6. एक ही संविदा के आधार पर दायी पक्षकारों का संयोजन
7. जब वादी को संदेह है कि किससे प्रतितोष चाहा गया है
8. एक ही हित में सभी व्यक्तियों की ओर से एक व्यक्ति वाद ला सकेगा या प्रतिरक्षा कर सकेगा

8क. न्यायालय की कार्यवाही में राय देने या भाग लेने के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को अनुज्ञात करने की शक्ति

9. कुसंयोजन और असयोजन
10. गलत वादी के नाम से वाद
    न्यायालय पक्षकारों का नाम काट सकेगा या जोड़ सकेगा
    जहां प्रतिवादी जोड़ा जाए वहा वादपत्र का संशोधन किया जाना

10क. न्यायालय की उसको सम्बोधित करनेके लिए किसी प्लीडर से अनुरोध करने की शक्ति

11. वाद का संचालन
12. कई वादियों या प्रतिवादियों में से एक या अन्यों के लिए उपसंजात होना
13. असंयोजन या कुसंयोजन के बारे में आक्षेप

आदेश 2
वाद की विरचना

1. वाद की विरचना
2. वाद के अन्तर्गत सम्पूर्ण दावा होगा
   दावे के भाग का त्याग
   कई अनुतोषों में से एक के लिए वाद लाने का लोप
3. वाद-हेतुक का संयोजन
4. स्थावर सम्पत्ति के प्रत्युद्धरण के लिए केवल कुछ दावों का संयोजित किया जाना
5. निष्पादक, प्रशासक या वारिस द्वारा या उसके विरुद्ध दावे
6. पृथक विचारण का आदेश देने की न्यायालय की शक्ति
7. कुसंयोजन के बारे में आक्षेप

आदेश 3
मान्यता प्राप्त अभिकर्ता और प्लीडर

1. उपसंजातियां, आदि स्वंय या मान्यताप्राप्त अभिकर्ता द्वारा या प्लीडर द्वारा की जा सकेगी
2. मान्यताप्राप्त अभिकर्ता
3. मान्याप्राप्त अभिकर्ता पर आदेशिका की तामील
4. प्लीडर की नियुक्ति
5. प्लीडर पर आदेशिका की तामील
6. अभिकर्ता तामील का प्रतिग्रहण करेगा
   नियुक्ति लिखित में होगी और न्यायालय में फाइल की जाएगी

आदेश 4
वादों का संस्थित किया जाना

1. वादपत्र द्वारा वाद प्रारंभ होगा
2. वादों का रजिस्टर

आदेश 5
समनों का निकाला जाना और उनकी तामील

1. समन
2. समनों से उपाबद्ध वादपत्र की प्रति
3. न्यायालय प्रतिवादी या वादी को स्वंय उपसंजात होने के लिए आदेश दे सकेगा
4. किसी भी पक्षकार को स्वयं उपसंजात होने के लिए तब तक आदेश नहीं किया जाएगा जब तक कि वह किन्हीं निश्चित सीमाओं के भीतर निवासी न हो
5. समन या तो विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए या अन्तिम निपटारे के लिए होगा
6. प्रतिवादी की उपसंजाति के लिए दिन नियत किया जाना
7. समन प्रतिवादी को यह आदेश देगा कि वह वे दस्तावेजें पेश करे जिन पर वह

निर्भर करता हो

8. अंतिम निपटारे के लिए समन निकाले जाने पर प्रतिवादी को यह निदेश होगा कि वह अपने साक्षियों को पेश करे

समन की तामील

9. न्यायालय द्वारा समन का परिदान

9क. तामील के लिए वादी को समन का दिया जाना

10. तामील का ढंग

11. अनेक प्रतिवादियों पर तामील

12. जब साक्ष्य हो तब समन की तामील स्वंय प्रतिवादी पर, अन्यथा उसके अभिकर्ता पर की जाएगी

13. उस अभिकर्ता पर तामील जिसके द्वारा प्रतिवादी कारबार करता है

14. स्थावर सम्पत्ति के वादों में भारसाधक अभिकर्ता पर तामील

15. जहां तामील प्रतिवादी के कुटुम्ब के वयस्क सदस्य पर की जा सकेगी

16. वह व्यक्ति जिस पर तामील की गई है, अभिस्वीकृति हस्ताक्षरित करेगा

17. जब प्रतिवादी तामील का प्रतिग्रहण करने से इंकार करे या न पाया जाए, तब प्रक्रिया

18. तामील करने के समय और रीति का पृष्ठांकन

19. तामील करने वाले अधिकारी की परीक्षा

19क. [......... लुप्त]

20. प्रतिस्थापित तामील
प्रतिस्थापित तामील का प्रभाव
जहां तामील प्रतिस्थापित की गई हों वहां उपसंजाति के लिए समय का नियत किया जाना

20क. [निरसित]

21. जहां प्रतिवादी किसी अन्य न्यायालय की अधिकारिता के भीतर निवास करता है वहां समन की तामील

22. बाहर के न्यायालयों द्वारा निकाले गए समन की प्रेसिडेंसी नगरों में तामील

23. जिस न्यायालय को समन भेजा गया है उसका कर्तव्य

24. कारगार में प्रतिवादी पर तामील

25. वहां तामील, जहां प्रतिवादी भारत के बाहर निवास करता है और उसका कोई अभिकर्ता नहीं है

26. राजनीतिक अभिकर्ता या न्यायालय की मार्फत विदेशी राज्यक्षेत्र में तामील

26क. विदेशों के अधिकारियों को समन भेजा जाना

27. सिविल लोक अधिकारी पर या रेल कम्पनी या स्थानीय प्राधिकारी के सेवक पर तामील

28. सैनिकों, नौसैनिकों या वायुसैनिकों पर तामील

29. उस व्यक्ति का कर्तव्य जिसको समन तामील के लिए परिदत्त किया जाए या भेजा जाए

30. समन के बदले पत्र का प्रतिस्थापित किया जाना

आदेश 6

अभिवचन साधारणत:

1. अभिवचन
2. अभिवचन में तात्विक तथ्यों का, न कि साक्ष्य का, कथन होगा
3. अभिवचन का प्ररूप
4. जहा आवश्यक हो वहां विशिष्टियों का दिया जाना
5. [......... लुप्त]
6. पुरोभाव्य शर्त
7. फेरबदल
8. संविदा का प्रत्याख्यान
9. दस्तावेज के प्रभाव का कथन किया जाना
10. विद्वेष, ज्ञान, आदि
11. सूचना
12. विवक्षित संविदा या सम्बन्ध
13. विधि की उपधारणाएं
14. अभिवचन का हस्ताक्षरित किया जाना

14क. सूचना की तामील के लिए पता

15. अभिवचन का सत्यापन
16. अभिवचन का काट दिया जाना
17. अभिवचनों का संशोधन
18. आदेश के पश्चात् संशोधन करने में असफल रहना

आदेश 7

वादपत्र

1. वादपत्र में अन्तर्विष्ट की जाने वाली विशिष्टियां
2. धन के वादों में
3. जहां वाद की विषयवस्तु स्थावर सम्पत्ति है
4. जब वादी प्रतिवादी के रूप में वाद लाता है
5. प्रतिवादी के हित और दायित्व का दर्शित किया जाना
6. परिसीमा विधि से छूट के आधार
7. अनुतोष का विनिर्दिष्ट रूप से कथन
8. पृथक आधारों पर आधारित अनुतोष
9. वादपत्र ग्रहण करने पर प्रक्रिया
10. वादपत्र का लौटाया जाना
    वादपत्र के लौटाए जाने पर प्रक्रिया

10क. जहां वादपत्र उसके लौटाए जाने के पश्चात् फाइल किया जाना है वहां न्यायालय में

उपसंजाति के लिए तारीख नियत करने की न्यायालय की शाक्ति

10ख. समुचित न्यायालय को वाद अन्तरित करने की अपील न्यायालय की शाक्ति

11. वादपत्र का नामंजूर किया जाना

12. वादपत्र के नामंजूर किए जाने पर प्रक्रिया

13. जहां वादपत्र की नामंजूरी से नए वादपत्र का उपस्थित किया जाना प्रवारित नहीं होता

वे दस्तावेजे जिन पर वादपत्र में निर्भर किया गया है

14. उन दस्तावेजों की प्रस्तुति जिन पर वादी वाद लाता है या निर्भर करता है

15. [.................निरसित]

16. खोई हुई परक्राम्य लिखतों के आधार पर वाद

17. दुकान का बही खाता पेश करना

मूल प्रविष्टि का चिहाकित किया जाना और लौटाया जाना

18. [.................. निरसित]

आदेश 8

लिखित कथन, मुजरा और प्रतिदावा

1. लिखित कथन

1क. प्रतिवादी को वे दस्तावेज पेश करने का कर्तव्य जिन पर उसके द्वार्रा अनुतोष का दावा किया गया है या निर्भर किया गया है

2. नए तथ्यों का विशेष रूप से अभिवचन करना होगा

3. प्रत्याख्यान विनिर्दिष्टत: होगा

4. वाच्छलपूर्ण प्रत्याख्यान

5. विनिर्दिष्टत: प्रत्याख्यान

6. मुजरा की विशिष्टियां लिखित कथन में दी जाएंगी

मुजरा का प्रभाव

6क. प्रतिवादी द्वारा प्रतिदावा

6ख. प्रतिदावे का कथन किया जाना

6ग. प्रतिदावे का अपवर्जन

6घ. वाद के बन्द कर दिए जाने का प्रभाव

6ड. प्रतिदावे का उत्तर देने मे वादी द्वारा व्यतिक्रम

6च. जहां प्रतिदावा सफल होता है वहां प्रतिवादी को अनुतोष

6छ. लिखित कथन संबंधी नियमों का लागू होना

7. पृथक् आधारों पर आधारित प्रतिरक्षा या मुजरा

8. प्रतिरक्षा का नया आधार

8क. [.................निरसित]

9. पश्चातवर्ती अभिवचन

10. जब न्यायालय द्वारा अपेक्षित लिखित कथन को उपस्थित करने में पक्षकार असफल रहता है तब प्रक्रिया

आदेश 9

पक्षकारों की उपसंजाति और उनकी अनुपसंजाति का परिणाम

1. पक्षकार उस दिन उपसंजात होंगे जो प्रतिवादी के उपजात होने और उत्तर देने के लिए समन में नियत है
2. जहाँ समनों की तामील, खर्चे देने में वादी के असफल रहने के परिणामस्वरुप नहीं हुई है वहां वाद का खारिज किया जाना
3. जहां दोनों में से कोई भी पक्षकार उपसंजात नहीं होता है वहां वाद का खारिज किया जाना
4. वादी नया वाद ला सकेगा या न्यायालय वाद को फाइल पर प्रत्यावर्तित कर सकेगा
5. जहां वादी, समन तामील के बिना लौटने के पश्चात् एक मास तक नए समन के लिए आवेदन करने में असफल रहता है वहां वाद का खारिज किया जाना
6. जब केवल वादी उपसंजात होता है तब प्रक्रिया
   जब समन की तामील सम्यक रूप से की गई है
   जब समन की तामील सम्यक रूप से नहीं की गई है
   जब समन की तामील तो हुई हो, किन्तु सम्यक् समय में नहीं हुई हो
7. जहां प्रतिवादी स्थगित सुनवाई के दिन उपसंजात होता है और पूर्व अनुपसंजाति के लिए अच्छा हेतुक दिखाता है वहां प्रक्रिया
8. जहां केवल प्रतिवादी उपजात होता है वहां प्रक्रिया
9. व्यतिक्रम के कारण वादी के विरुद्ध पारित डिक्री नए वाद का वर्जन करती है
10. कई वादियों में से एक या अधिक की गैरहाजिरी की दशा में प्रक्रिया
11. कई प्रतिवादियों में से एक या अधिक की गैरहाजिरी की दशा में प्रक्रिया
12. स्वंय उपसंजात होने के लिए आदिष्ट पक्षकार के पर्याप्त हेतुक दर्शित किए बिना गैरहाजिर रहने का परिणाम

एकपक्षीय डिक्रियों को अपास्त करना

13. प्रतिवादी के विरुद्ध एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करना
14. कोई भी डिक्री विरोधी पक्षकार को सूचना के बिना अपास्त नहीं की जाएगी

आदेश 10

न्यायालय द्वारा पक्षकारों की परीक्षा

1. यह अभिनिश्चय करना कि अभिवचनों में के अभिकथन स्वीकृत हैं या प्रत्याख्यान हैं

1क. वैकल्पिक विवाद समाधान के किसी एक तरीके के लिए विकल्प देने के लिए न्यायालय का निदेश

1ख. सुलह मंच या प्राधिकरण के समक्ष उपसंजात होना

1ग. सुलह के प्रयासों के असफल रहने के परिणाम में न्यायालय के समक्ष उपसंजात होना

2. पक्षकार की या पक्षकार के साथी की मौखिक परीक्षा
3. परीक्षा का सार लिखा जाएगा
4. उत्तर देने से प्लीडर के इंकार का या उत्तर देने में उसकी असमर्थता का परिणाम

आदेश 11

प्रकटीकरण और निरीक्षण

1. परिप्रश्नों द्वारा प्रकटीकरण कराना
2. विशिष्ट परिप्रश्नों का दिया जाना
3. परिप्रश्नों के खर्चे
4. परिप्रश्नों का प्ररुप
5. निगम
6. परिप्रश्नों के संबंध में उत्तर द्वारा आक्षेप
7. परिप्रश्नों का अपास्त किया जाना और काट दिया जाना
8. उत्तर में दिए गए शपथपत्र का फाइल किया जाना
9. उत्तर में दिए गए शपथपत्र का प्ररूप
10. कोई आपेक्ष नहीं किया जाएगा
11. उत्तर देने के या अतिरिक्त उत्तर देने के लिए आदेश
12. दस्तोवेजों के प्रकटीकरण के लिए आवेदन
13. दस्तावेजों संबंधी शपथपत्र
14. दस्तावेजों का पेश किया जाना
15. अभिवचनों या शपथपत्रों में निर्दिष्ट दस्तावेजों का निरीक्षण
16. पेश करने की सूचना
17. जब सूचना दी गई है तब निरीक्षण के लिए समय
18. निरीक्षण के लिए आदेश
19. सत्यापित प्रतियां
20. समयपूर्व प्रकटीकरण
21. प्रकटीकरण के आदेश का अननुपालन
22. परिप्रश्नों के उत्तरों का विचारण में उपयोग
23. आदेश अवयस्क को लागू-होगा

आदेश 12

स्वीकृतियाँ

1. मामले की स्वीकृति की सूचना
2. दस्तावेजों की स्वीकृति के लिए सूचना

2क. यदि दस्तावेजों की स्वीकृति के लिए सूचना की तामील के पश्चात् उनसे इंकार नहीं किया जाता तो उन्हें स्वीकृत समझा जाना

3. सूचना का प्ररूप

3क. स्वीकृति के अभिलेखन की न्यायालय की शक्ति

4. तथ्यों को स्वीकृत करने की सूचना

5. स्वीकृतियों का प्ररूप
6. स्वीकृतियों पर निर्णय
7. हस्ताक्षर के बारे में शपथ-पत्र
8. दस्तावेजों को पेश करने के लिए सूचना
9. खर्चे

आदेश 13

दस्तावेजों का पेश किया जाना, परिबद्ध किया जाना और लौटाया जाना

1. मूल दस्तावेजों का विवाद्यकों के स्थिरीकरण के समय या उसके पूर्व पेश किया जाना
2. [............................ निरसित]
3. विसंगत या अग्राह्य दस्तावेजों का नामंजूर किया जाना
4. साक्ष्य में गृहीत दस्तावेजों पर पृष्ठांकन
5. बहियों, लेखाओं और अभिलेखों में की गृहीत प्रविष्टियों की प्रतियों पर पृष्ठांकन
6. साक्ष्य में अग्राह्य होने के कारण नामंजूर दस्तावेजों पर पृष्ठांकन
7. गृहीत दस्तावेजों का अभिलेख में सम्मिलित किया जाना और नामंजूर -की गई दस्तावेजों का लौटाया जाना
8. न्यायालय किसी दस्तावेज के परिबद्ध किए जाने का आदेश दे सकेगा
9. गृहीत दस्तावेजों का लौटाया जाना
10. न्यायालय स्वयं अपने अभिलेखों में से या अन्य न्यायालयों के अभिलेखों में से कागज मंगा सकेगा
11. दस्तावेजों से संबंधित उपबंधों का भौतिक पदार्थों को लागू-होना

आदेश 14

विवाद्यकों का स्थिरीकरण और विधि विवाद्यकों के आधार पर या उन विवाद्यकों के आधार पर जिन पर रजामंदी हो गई है वाद का
अवधारण

1. विवाद्यकों की विरचना
2. न्यायालय द्वारा सभी विवाद्यकों पर निर्णय सुनाया जाना
3. वह सामग्री जिससे विवाद्यकों की विरचना की जा सकेगी
4. न्यायालय विवाद्यकों की विरचना करने के पहले साक्षियों की या दस्तावेजों की परीक्षा कर सकेगा
5. विवाद्यकों का संशोधन और उन्हें काट देने की शक्ति
6. तथ्य के या विधि के प्रश्न करार द्वारा विवाद्यकों के रूप में कथित किए जा सकेंगे
7. यदि न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि करार का निष्पादन सद्भावनापूर्वक हुआ था तो वह निर्णय सुना सकेगा

आदेश 15

प्रथम सुनवाई में वाद का निपटारा

1. जब पक्षकारों में कोई विवाद नहीं है
2. जब कई प्रतिवादियों में से किसी का विवाद नहीं है
3. जब पक्षकारों में विवाद है
4. साक्ष्य पेश करने में असफलता

आदेश 16

साक्षियों को समन करना और उनकी हाजिरी

1. साक्षियों की सूची और साक्षियों को समन

1क. समन के बिना साक्षियों का पेश किया जाना

2. समन के लिए आवेदन करने पर, साक्षी के व्यय न्यायालय में जमा कर दिए जाएँगे
   विशेषज्ञ
   व्ययों का मापमान
   व्ययों का साक्षियों को सीधे संदाय किया जाना
3. साक्षी को व्ययों का निविदान
4. जहाँ अपर्याप्त राशि जमा की गई है वहाँ प्रक्रिया
   एक दिन से अधिक रोक जाने पर साक्षियों के व्यय
5. हाजिरी के समय, स्थान और प्रयोजन का समन में विनिर्दिष्ट किया जाना
6. दस्तावेज पेश करने के लिए समन
7. न्यायालय में उपस्थित व्यक्तियों को साक्ष्य देने या दस्तावेज पेश करने के लिए अपेक्षित करने की शक्ति

7क. तामील के लिए पक्षकार को समन का दिया जाना

8. समन की तामील कैसे होगी
9. समन की तामील के लिए समय
10. जहाँ साक्षी समन का अनुपालन करने में असफल रहता है वहाँ प्रक्रिया
11. यदि साक्षी उपसंजात हो जाता है ताँ कुर्की प्रत्याहृत की जा सकेगी
12. यदि साक्षी उपसंजात होने में असफल रहता है तो प्रक्रिया
13. कुर्की करने का ढंग
14. जो व्यक्ति वाद में परिव्यक्ति है, उन्हें न्यायालय साक्षियों के रूप में स्वप्रेरणा से समन कर सकेगा
15. उन व्यक्तियों का कर्तव्य जो साक्ष्य देने या दस्तावेज पेश करने के लिए समन किए गए हैं
16. वे कब प्रस्थान कर सकेंगे
17. नियम 10 से नियम 13 तक का लागू होना
18. जहाँ पकड़ा गया साक्षी साक्ष्य नहीं दे सकता या दस्तावेज पेश नहीं कर सकता वहाँ प्रक्रिया.
19. जब तक कि कोई साक्षी किन्हीं निश्चित सीमाओं के भीतर का निवासी न हो वह स्वयं हाजिर होने के लिए आदिष्ट नहीं किया जाएगा
20. न्यायालय द्वारा बुलाए जाने पर साक्ष्य देने से पक्षकार के इकार का परिणाम

21. साक्षियों विषयक नियम समनित पक्षकारों को लागू होंगे

आदेश 16क

कारागार में परिरुद्ध या निरुद्ध साक्षियों की हाजिरी

1. परिभाषाएँ
2. साक्ष्य देने के लिए बंदियों को हाजिर करने की अपेक्षा करने की शक्ति
3. न्यायालय में व्यय का संदत किया जाना
4. नियम 2 के प्रवर्तन से कुछ व्यक्तियों की अपवर्जित करने की राज्य सरकार की शक्ति
5. कारागार के भारसाधक अधिकारी का कुछ मामलों में आदेश को कार्यान्वित न करना
6. बंदी का न्यायालय में अभिरक्षा में लाया जाना
7. कारागार में साक्षी की परीक्षा के लिए कमीशन निकालने की शक्ति

आदेश 17

स्थगन

1. न्यायालय समय दे सकेगा और सुनवाई स्थगित कर सकेगा स्थगन के खर्चे
2. यदि पक्षकार नियत दिन पर उपसंजात होने में असफल रहते हैं तो प्रक्रिया
3. पक्षकारों में से किसी पक्षकार के साक्ष्य, आदि पेश करने में असफल रहने पर भी न्यायालय आगे कार्यवाही कर सकेगा ।

आदेश 18

वाद की सुनवाई और साक्षियों की परीक्षा

1. आरंभ करने का अधिकार
2. कथन और साक्ष्य का पेश किया जाना
3. जहाँ कई विवाद्यक हैं वहाँ साक्ष्य

3क. पक्षकार का अन्य साक्षियों से पहले उपसंजात होना

4. साक्ष्य का अभिलेखन
5. जिन मामलों की अपील हो सकती है उनमें साक्ष्य कैसा लिखा जाएगा
6. अभिसाक्ष्य का भाषांतर कब किया जाएगा
7. धारा 138 के अधीन साक्ष्य
8. जब साक्ष्य न्यायाधीश द्वारा स्वयं नहीं लिखा गया हो तब ज्ञापन
9. साक्ष्य अंग्रेजी में कब लिखा जा सकेगा
10. कोई विशिष्ट प्रश्न और उत्तर लिखा जा सकेगा
11. वे प्रश्न जिन पर आक्षेप किया गया है और जो न्यायालय द्वारा अनुज्ञात किए गए हैं
12. साक्षियों की भावभंगी के बारे में टिप्पणियाँ
13. जिन मामलों में अपील नहीं हो सकती है उन मामलों में साक्ष्य का ज्ञापन
14. [........... निरसित
15. किसी अन्य न्यायाधीश के सामने लिए गए साक्ष्य का उपयोग करने की शक्ति

16. साक्षी की तुरंत परीक्षा करने की शक्ति
17. न्यायालय साक्षी को पुन: बुला सकेगा और उसकीपरीक्षा कर सकेगा
17क. निरसित
18. निरीक्षण करने की न्यायालय की शक्ति
19. कथन को कमीशन द्वारा अभिलिखित कराने की शक्ति

आदेश 19

शपथपत्र

1. किसी बात के शपथपत्र द्वारा साबित किए जाने के लिए आदेश देने की शक्ति 2. अभिसाक्षी की हाजिरी प्रतिपरीक्षा के लिए कराने का आदेश देने की शक्ति
3. वे विषय जिन तक शपथपत्र सीमित होंगे

आदेश 20

निर्णय और डिक्री

1. निर्णय कब सुनाया जाएगा
2. न्यायाधीश के पूर्ववर्ती द्वारा लिखे गए निर्णय को सुनाने की शक्ति
3. निर्णय हस्ताक्षरित किया जाएगा
4. लघुवाद न्यायालयों के निर्णय
   अन्य न्यायालयों के निर्णय
5. न्यायालय हर एक विवाद्यक पर अपने विनिश्चय का कथन करेगा
5क. जिन मामलों में पक्षकारों का प्रतिनिधित्व प्लीडरों द्वारा न किया गया हो उनमें न्यायालय द्वारा पक्षकारों को इस बात की इत्तिला देना कि अपील कहां की जा सकेगी
6. डिक्री की अंतर्वस्तु
6क. डिक्री तैयार करना
6ख. निर्णयों की प्रतियाँ कब उपलब्ध करवाई जाएंगी
7. डिक्री की की तारीख
8. जहाँ न्यायाधीश ने डिक्री पर हस्ताक्षर करने से पूर्व अपना पद रिक्त कर दिया है वहाँ प्रक्रिया
9. स्थावर संपत्ति के प्रयुद्धरण के लिए डिक्री
10. जंगम संपत्ति के परिदान के लिए डिक्री
11. डिक्री किस्तों द्वारा संदाय के लिए निदेश दे सकेगी
   डिक्री के पश्चात् किस्तों मे संदाय का आदेश
12. कब्जा और अंतःकालीन लाभों के लिए डिक्री
12क. स्थावर संपत्ति के विक्रय या पट्टे के संविदा विनिर्दिष्ट पालन के लिए डिक्री
13. प्रशासन-वाद में डिक्री
14 शुफा के वाद में डिक्री
15 भागीदारी के विघटन के लिए वाद में डिक्री
16 मालिक और अभिकर्ता के बीच लेखा के लिए लाए गए वाद में डिक्री

17 लेखाओं के संबंध में विशेष निर्देश
18 संपत्ति के विभाजन के लिए या उनमें के अंश पर पृथक् कब्जे के लिए वाद में डिक्री
19 जब मुजरा या प्रतीपदावा अनुज्ञात किया जाए तब डिक्री
मुजरा या प्रतीपदावा संबंधी डिक्री की अपील
20 निर्णय और डिक्री की प्रमाणित प्रतियों का दिया जाना

आदेश 20क

खर्चे

1. कुछ मदों के बारे में उपबंध
2. उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार खर्चों का अधिनिर्णीत किया जाना

आदेश 21

डिक्रियों और आदेशों का निष्पादन

डिक्री के अधीन संदाय

1. डिक्री के अधीन धन के संदाय की रीतियां
2. डिक्रीदार को न्यायालय के बाहर संदाय

डिक्रियाँ निष्पादन करने वाले न्यायालय

3. एक से अधिक अधिकारिता में स्थित भूमि
4. लघुवाद न्यायालय को अंतरण
5. अंतरण की रीति.
6. जहाँ न्यायालय यह चाहता है कि उसकी अपनी डिक्री किसी अन्य न्यायालय द्वारा निष्पादित की जाए वहाँ प्रक्रिया
7. डिक्री आदि की प्रतियाँ प्राप्त करने वाला न्यायालय उन्हें सबूत के बिना फाइल कर लेगा
8. डिक्री या आदेश का उस न्यायालय द्वारा निष्पादन जिस वह भेजा गया है
9. अन्य न्यायालय द्वारा अंतरित डिक्री का उच्च न्यायालय द्वारा निष्पादन

निष्पादन के लिए आवेदन

10. निष्पादन के लिए आवेदन
11. मौखिक आवेदन
लिखित आवेदन
11क. गिरफ्तारी के लिए आवेदन में आधारों का कथित होना
12. ऐसी जंगम संपत्ति की कुर्की के लिए आवेदन जो निर्णीत-ऋणी के कब्जे में नहीं है
13. स्थावर संपत्ति की कुर्की के आवेदन में कुछ विशिष्टियों का अंतर्विष्ट होना
14. कलेक्टर के रजिस्टर में से प्रमाणित उद्धरणों की कुछ दशाओं में अपेक्षित करने की शक्ति
15. संयुक्त डिक्रीदार द्वारा निष्पादन के लिए आवेदन

16. डिक्री के अंतरिती द्‌वारा निष्पादन के लिए आवेदन
17. डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन प्राप्त होने पर प्रक्रिया
18. प्रति-डिक्रियों की दशा में निष्पादन
19. एक ही डिक्री के अधीन प्रतिदावों की दशा में निष्पादन
20. बंधक-वादों में प्रति-डिक्रियाँ और प्रतिदावे
21. एक साथ निष्पादन
22. कुछ दशाओं में निष्पादन के विरुद्‌ध हेतुक दर्शित करने की सूचना

22क. विक्रय से पूर्व किंतु विक्रय की उदघोषणा की तामील के पश्चात् निर्णीत- ऋणी की मृत्यु पर विक्रय का अपास्त न किया जाना

23. सूचना के निकाले जाने के पश्चात् प्रक्रिया

निष्पादन के लिए आदेशिका

24. निष्पादन के लिए आदेशिका
25. आदेशिका पर पृष्ठांकन

निष्पादन का रोका जाना

26. न्यायालय निष्पादन को कब रोक सकेगा
    निर्णीत-ऋणी से प्रतिभूति अपेक्षित करने या उस पर शर्तें अधिरोपित करने की शक्त
27. उन्मोचित निर्णीत-ऋणी का दायित्व
28. डिक्री पारित करने वाले न्यायालय का या अपील न्यायालय का आदेश उस न्यायालय के लिए आबद्‌धकर होगा जिससे आवेदन किया गया है
29. डिक्रीदार और निर्णीत-ऋणी के बीच वाद लंबित रहने तक निष्पादन का रोका जाना

निष्पादन की रीति

30. धन के संदाय की डिक्री
31. विनिर्दिष्ट जंगम संपत्ति के लिए डिक्री
32. विनिर्दिष्ट पालन के लिए दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए या व्यादेश के लिए डिक्री
33. दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन की डिक्रियों का निष्पादन करने में न्यायालय का विवेकाधिकार
34. दस्तावेज के निष्पादन या परक्राम्य लिखत के पृष्ठाकन के लिए डिक्री
35. स्थावर संपत्ति के लिए डिक्री
36. जब स्थावर संपत्ति अभिधारी के अधिभोग में है तब ऐसी संपत्ति के परिदान के लिए डिक्री

गिरफ्तारी और सिविल कारागार में निरोध

37. कारागार में निरुद्‌ध किए जाने के विरुद्‌ध हेतुक दर्शित करने के लिए निर्णीत- ऋणी को अनुज्ञा देने की वैवेविक शक्ति
38. गिरफतारी के वारण्ट में निर्णीत-ऋणी के लिए लाए जाने के लिए निदेश होगा

39. जीवन-निर्वाह भत्ता

40. सूचना के आज्ञानुवर्तन में या गिरफतारी के पश्चात् निर्णीत-ऋणी के उपसंजात होने पर कार्यवाहियाँ

संपत्ति की कुर्की

41. निर्णीत-ऋणी की अपनी संपत्ति के बारे में उसकी परीक्षाn

42. भाटक या अंतःकालीन लाभों या तत्पश्चात् अन्य बातों के लिए, जिसकी रकम वाद में अवधारित होनी है, डिक्री की दशा में कुर्की

43. निर्णीत-ऋणी के कब्जे में की ऐसी जंगम संपत्ति की कुर्की जो कृषि उपज से भिन्न है

43क. जंगम संपत्ति की अभिरक्षा

44. कृषि उपज की कुर्की

45. कुर्क की गई कृषि उपज के बारे में उपबंध

46. ऐसे ऋण, अंश या अन्य संपत्ति की कुर्की जो निर्णीत-ऋणी के कब्जे में नहीं

46क. गारनिशी को सूचना

46ख. गारनिशी के विरुद्ध आदेश

46ग. विवादग्रस्त प्रश्नों का विचारण

46घ. जहाँ ऋण अन्य व्यक्ति का हो वहाँ प्रक्रिया

46ड. अन्य व्यक्ति के बारे में आदेश

46च. गारनिशों द्वारा किया गया संदाय विधिमान्य उन्मोचन होगा

46छ. खर्च

46ज. अपीलें

46झ. परक्राम्य लिखतों को लागू होना

47. जंगम संपत्ति में अंश की कुर्की

48. सरकार या रेल कंपनी या स्थानीय प्राधिकारी के सेवक के वेतन या भत्तों की कुर्की

48क. प्राईवेट कर्मचारियों के वेतन या भतों की कुर्की

49. भागीदारी की संपत्ति की कुर्की

50. फर्म के विरुद्ध डिक्री का निष्पादन

51. परक्राम्य लिखतों की कुर्की

52. न्यायालय या लोक अधिकारी की अभिरक्षा में की संपत्ति की कुर्की

53. डिक्रियों की कुर्की

54. स्थावर संपत्ति की कुर्की

55. डिक्री की तुष्टि पर कुर्की का उठाया जाना

56. डिक्री के अधीन हकदार पक्षकार को सिक्के या करेंसी नोटों का संदाय किए जाने का आदेश

57. कुर्की का पर्यवसान

दावों और आक्षेपों का न्यायनिर्णयन

58. कुर्क की गई संपत्ति पर दावों का और ऐसी संपत्ति की कुर्की के बारे में आक्षेपों का

न्याय निर्णयन

59. विक्रय को रोकना

60 से 63 […….. निरसित]

विक्रय साधारणत:

64. कुर्क की गई संपत्ति के विक्रय किए जाने और उसके आगम हकदार व्यक्ति को दिए जाने के लिए आदेश करने की शाक्त

65. विक्रय किसके द्वारा संचालित किए जाएँ और कैसे दिए जाएँ

66. लोक नीलाम द्वारा किए जाने वाले विक्रयों की उद्घोषणा

67. उद्घोषणा करने की रीति

68. विक्रय का समय

69. विक्रय का स्थगन या रोका जाना

70. [………. निरसित]

71. व्यतिक्रम करने वाला क्रेता पुनर्विक्रय में हुई हानि के लिए उत्तरदायी होगा

72. अनुज्ञा के बिना डिक्रीदार संपत्ति के लिए न बोली लगाएगा और न उसका क्रय करेगा जहां डिक्रीदार क्रय करता है वहां डिक्री की रकम संदाय मानी जा सकेगी

72क. बंधकदार द्वारा न्यायालय की इजाजत के बिना विक्रय में बोली का न लगाया जाना

73. अधिकारियों द्वारा बोली लगाने या क्रय करने पर निर्बन्धन

जंगम संपत्ति का विक्रय

74. कृषि उपज का विक्रय

75. उगती फसलों के संबंध में विशेष उपबं

76. परकाम्य लिखतें और निगमों के अंश

77. लोक नीलाम द्वारा विक्रय

78. अनियमितता विक्रय को दूषित नहीं करेंगी किंतु कोई भी व्यक्ति जिसे क्षति हुई है वाद ला सकेगा ।

79. जंगम संपत्ति, ऋणों और अंशों का परिदान

80. परक्राम्य लिखतों और अंशों का अंतरण

81. अन्य संपत्ति की दशा में निहित करने वाला आदेश

स्थावर संपत्ति का विक्रय

82. कौन से न्यायालय विक्रयों के लिए आदेश कर सकेंगे

83. विक्रय का इसलिए मुल्तवी किया जाना कि निर्णीत-ऋणी डिक्री की रकम जुटा सके

84. क्रेता द्वारा निक्षेप और उसके व्यतिक्रम पर पुनर्विक्रय

85. क्रय धन के पूरे संदाय के लिए समय

86. संदाय में व्यतिक्रम होने पर प्रक्रिया

87. पुनर्विक्रय पर अधिसूचना

88. सह-अंशधारी की बोली को अधिमान प्राप्त होगा

89. निक्षेप करने पर विक्रय को अपास्त कराने के लिए आवेदन

90. विक्रय को अनियमितता या कपट के आधार पर अपास्त कराने के लिए आवेदन

91. विक्रय का इस आधार पर अपास्त कराने के लिए क्रेता द्वारा आवेदन कि उसमें निर्णीत-ऋणी का कोई विक्रय हित नहीं था

92. विक्रय कब आत्यंतिक हो जाएगा या अपास्त कर दिया जाएगा
93. कुछ दशाओं में क्रय धन की वापसी
94. क्रेता को प्रमाणपत्र
95. निर्णीत-ऋणी के अधिभोग में की संपत्ति का परिदान
96. अभिधारी के अधिभोग में की संपत्ति का परिदान

डिक्रीदार या क्रेता को कब्जा परिदत्त किए जाने में प्रतिरोध

97. स्थावर संपत्ति पर कब्जा करने में प्रतिरोध या बाधा
98. न्यायनिर्णयन के पश्चात् आदेश
99. डिक्रीदार या क्रेता द्वारा बेकब्जा किया जाना
100. बेकब्जा किए जाने का परिवाद करने वाले आवेदन पर पारित किया जाने वाला आदेश
101. अवधारित किए जाने वाले प्रश्न
102. वादकालीन अंतरिती को इन नियमों का लागू न होना
103. आदेशों को डिक्री माना जाना
104. नियम 101 या नियम 103 के अधीन आदेश लंबित वाद के परिणाम के अधीन होगा
105. आवेदन की सुनवाई
106. एकपक्षीय रूप से पारित आदेशों, आदि का अपास्त किया जाना

आदेश 22

पक्षकारों की मृत्यु. उनका विवाह और दिवाला

1. यदि वाद लाने का अधिकार बचा रहता है तो पक्षकार की मृत्यु से उसका उपशमन नहीं हो जाता
2. जहाँ कई वादियों या प्रतिवादियों में से एक की मृत्यु हो जाती है--और वाद लाने का अधिकार बचा रहता है वहाँ प्रक्रिया
3. कई वादियों में से एक या एकमात्र वादी की मृत्यु की दशा में प्रक्रिया
4. कई प्रतिवादियों में से एक या एकमात्र प्रतिवादी की मृत्यु की दशा में प्रक्रिया
4क. विधिक प्रतिनिधि न होने की दशा में प्रक्रिया
5. विधिक प्रतिनिधि के बारे में प्रश्न का अवधारण
6. सुनवाई के पश्चात् मृत्यु हो जाने से उपशमन न होना
7. स्त्री पक्षकार के विवाह के कारण वाद का उपशमन न होना
8. वादी का दिवाला कब वाद का वर्जन कर देता है.जहाँ समनुदेशिती वाद चालू रखने या प्रतिभूति देने में असफल..वहाँ प्रक्रिया
9. उपशमन या खारिज होने का प्रभाव
10. वाद में अंतिम आदेश होने के पूर्व समनुदेशन की दशा में प्रक्रिया
10क. न्यायालय को किसी पक्षकार की मृत्यु संसूचित करने के लिए प्लीडर का कर्तव्य

11. आदेश का अपीलों को लागू होना
12. आदेश का कार्यवाहियों को लागू होना

आदेश 23

वादों का प्रत्याहरण और समायोजन

1. वाद का प्रत्याहरण या दावे के भाग का परित्याग
1क. प्रतिवादियों का वादियों के रूप में पक्षांतरण करने की अनुज्ञा कब दी जाएगी
2 परिसीमा विधि पर पहले वाद का प्रभाव नहीं पडेगा
3. वाद में समझौता
3क. वाद का वर्जन
3ख. प्रतिनिधि वाद में कोई करार या समझौता न्यायालय की इजाजत के बिना प्रविष्ट न किया जाना
4. डिक्रियों के निष्पादन की कार्यवाहियों पर प्रभाव न पड़ना

आदेश 24

न्यायालय में जमा करना

1. दावे की तुष्टि में प्रतिवादी द्वारा रकम का निक्षेप
2. निक्षेप की सूचना
3. निक्षेप पर ब्याज सूचना के पश्चात् वादी को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा
4. जहाँ वादी निक्षेप को भागत: तुष्टि के तौर पर प्रतिगृहीत करता है वहाँ प्रक्रिया जहाँ वह उसे पूर्ण तुष्टि के तौर पर प्रतिगृहीत करता है वहाँ प्रक्रिया

आदेश 25

खर्चो के लिए प्रतिभूति

1. वादी से खर्चों के लिए प्रतिभूति कब अपेक्षित की जा सकती है
2. प्रतिभूति देने में असफल रहने का प्रभाव

आदेश 26

कमीशन

साक्षियों की परीक्षा करने के लिए कमीशन

1. वे मामले जिनमें न्यायालय साक्षी की परीक्षा करने के लिए कमीशन निकाल सकेगा
2. कमीशन के लिए आदेश
3. जहाँ साक्षी न्यायालय की अधिकारिता के भीतर निवास करता है
4. वे व्यक्ति जिनकी परीक्षा करने के लिए कमीशन निकाला जा सकेगा
4क. न्यायालय की स्थानीय सीमाओं के भीतर के निवास करने वाले किसी व्यक्ति की परीक्षा के लिए कमीशन
5. जो साक्षी भारत के भीतर नहीं है उसकी परीक्षा करने के लिए कमीशन या अनुरोध पत्र
6. कमीशन के अनुसरण में न्यायालय साक्षी की परीक्षा करेगा

7. साक्षियों के अभिसाक्ष्य के साथ कमीशन को लौटाया जाना
8. अभिसाक्ष्य कब साक्ष्य में ग्रहण किया जा सकेगा

स्थानीय अन्वेषणों के लिए कमीशन

9. स्थानीय अन्वेषण करने के लिए कमीशन
10. कमिश्नर के लिए प्रक्रिया
रिपोर्ट और अभिसाक्ष्य वाद में साक्ष्य होंगे कमिश्नर की वैयक्तिक रुप से परीक्षा की जा सकेगी

वैज्ञानिक अन्वेषण, अनुसचिवीय कार्य करने और जंगम सम्पत्ति के विक्रय के लिए कमीशन

10क. वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए कमीशन
10ख. अनुसचिवीय कार्य करने के लिए कमीशन
10ग. जंगम सम्पत्ति के विक्रय के लिए कमीशन

लेखाओं की परीक्षा करने के लिए कमीशन

11. लेखाओं की परीक्षा या समायोजन करने के लिए कमीशनn
12. न्यायालय कमिश्नर को आवश्यक अनुदेश देगा कार्यवाहियाँ और रिपोर्ट साक्ष्य होगी न्यायालय अतिरिक्त जाँच निदिष्ट कर सकेगा

विभाजन करने के लिए कमीशन

13. स्थावर सम्पत्ति का विभाजन करने के लिए कमीशन
14. कमिश्नर की प्रक्रिया

साधारण उपबंध

15. कमीशन के व्यय न्यायालय में जमा किए जाएँगे
16. कमिश्नरों की शक्तियों
16क. वे प्रश्न जिन पर कमिश्नर के समक्ष आक्षेप किया जाता है
17. कमिश्नर के समक्ष साक्षियों की हाजिरी और उनकी परीक्षा
18. पक्षकारों का कमिश्नर के समक्ष उपसंजात होना
18क. निष्पादन कार्यवाहियों को आदेश का लागू होना
18ख. न्यायालय द्वारा कमीशन के लौटाए जाने के लिए समय नियत किया जाना

विदेशी अधिकरणों की प्रेरणा पर निकाले गए कमीशन

19. वे मामले जिनमें उच्च न्यायालय साक्षी की परीक्षा करने के लिए कमीशन निकाल सकेगा
20. कमीशन निकलवाने के लिए आवेदन
21. कमीशन किसके नाम निकाला जा सकेगा
22. कमीशन का निकाला जाना, निष्पादन और लौटाया जाना और विदेशी न्यायालय को साक्ष्य का पारेषण

सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध या अपनी पदीय हैसियत में लोक अधिकारियों द्वारा या उनके विरुद्ध वाद

1. सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध वाद
2. सरकार के लिए कार्य करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति
3. सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध वादों में वादपत्र
4. आदेशिका प्राप्त करने के लिए सरकार का अभिकर्ता
5. सरकार की ओर से उपसंजाति के लिए दिन नियत किया जाना
5क. लोक अधिकारी के विरुद्ध वाद में सरकार को पक्षकार के रूप में संयोजित किया जाना
5ख. सरकार या लोक अधिकारी के विरुद्ध वादों में निपटारा कराने में सहायता करने के लिए न्यायालय का कर्तव्य
6. सरकार के विरुद्ध वाद से संबंध रखने वाले प्रश्नों का उत्तर देने योग्य व्यक्ति की हाजिरी
7. समय का इसलिए बढ़ाया जाना कि लोक अधिकारी सरकार से निर्देश करके पूछ सक
8. लोक अधिकारी के विरुद्ध वादों में प्रक्रिया
8क. कुछ मामलों में सरकार से या लोक अधिकारी से कोई प्रतिभूति अपेक्षित न की जाएगी
8ख. "सरकार" और "सरकारी प्लीडर" की परिभाषाएँ

आदेश 27क

वे वाद जिनमें संविधान के निर्वचन या किसी कानूनी लिखत की विधिमान्यता संबंधी कोई सारभूत विधि-प्रश्न अंतर्ग्रस्त हों

1. महान्यायवादी या महाधिवक्ता को सूचना
1क. उन वादों में प्रक्रिया जिनमें किसी कानूनी लिखत की विधिमान्यता अंतर्ग्रस्त है
2. न्यायालय सरकार को पक्षकार के रूप में जोड़ सकेगा
2क. किसी कानूनी लिखत की विधिमान्यता संबंधी वाद में सरकार या अन्य प्राधिकारी को प्रतिवादी के रुप में जोड़ने की न्यायालय की शक्ति
3. खर्चे
4. इस आदेश का अपीलों को लागू होना

आदेश 28

सैनिक या नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा या उनके विरुद्ध वाद

1. ऑफिसर, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक, जो छुट्टी अभिप्राप्त नहीं कर सकते अपनी ओर से वाद लाने या प्रतिरक्षा करने के लिए किसी व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकेंगे
2. इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति स्वयं कार्य कर सकेगा या प्लीडर नियुक्त कर सकेगा
3. इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति पर या उसके प्लीडर पर की गई तामील उचित तामील

होगी

आदेश 29

निगमों द्वारा या उनके विरुद्ध वाद

1. अभिवचन पर हस्ताक्षर किया जाना और उसका सत्यापन
2. निगम पर तामील
3. निगम के अधिकारी की स्वीय हाजिरी अपेक्षित करने की शक्ति

आदेश 30

फर्मों के या अपने नामों से भिन्न नामों में कारबार चलाने वाले व्यक्तियों द्वारा या उनके विरुद्ध वाद

1. भागीदारों का फर्म के नाम से वाद लाना
2. भागीदारों के नामों का प्रकट किया जाना
3. तामील
4. भागीदार की मृत्यु पर वाद का अधिकार
5. सूचना की तामील किस हैसियत में की जाएगी
6. भागीदारों की उपसंजाति
7. भागीदारों द्वारा ही उपसंजाति होगी अन्यथा नहीं
8. अभ्यापतिपूर्वक उपसंजाति
9. सहभागीदारों के बीच में वाद
10. स्वंय अपने नाम से भिन्न नाम से कारबार चलाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध वाद

आदेश 31

न्यासियों, निष्पादकों और प्रशासकों द्वारा या उनके विरुद्ध वाद

1. न्यासियों, आदि में निहित सम्पत्ति से सम्पृक्त वादों में हिताधिकारियों का प्रतिनिधित्व
2. न्यासियों, निष्पादकों और प्रशासकों का संयोजन
3. विवाहिता निष्पादिका का पति संयोजित नहीं होगा

आदेश 32

अवयस्कों और विकृतचित्त व्यक्तियों द्वारा या उनके विरुद्ध वाद

1. अवयस्क वाद-मित्र द्वारा वाद लाएगा
2. जहाँ वाद-मित्र के बिना वाद संस्थित किया जाए वहाँ वादपत्र फाइल से निकाल दिया जाएगा

2क. वाद-मित्र द्वारा प्रतिभूति का तब दिया जाना जब इस प्रकार आदिष्ट किया जाए

3. अवयस्क प्रतिवादी के लिए न्यायालय द्वारा वादार्थ संरक्षक की नियुक्ति

3क. अवयस्क के विरुद्ध डिक्री का तब तक अपास्त न किया जाना जब तक कि उसके हितों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ा हो

4. कौन वाद-मित्र की हैसियत में कार्य करेगा या वादार्थ संरक्षक नियुक्त किया जा सकेगा
5. वाद-मित्र या वादार्थ संरक्षक द्वारा अवयस्क का प्रतिनिधित्व
6. अवयस्क की ओर से वाद-मित्र या वादार्थ संरक्षक को डिक्री के अधीन सम्पत्ति की प्राप्ति
7. वाद-मित्र या वादार्थ संरक्षक द्वारा करार या समझौता
8. वाद-मित्र की निवृति
9. वाद-मित्र का हटाया जाना
10. वाद-मित्र के हटाए जाने, आदि पर कार्यवाहियों का रोका जाना
11. वादार्थ संरक्षक की निवृति, हटाया जाना या मृत्यु
12. अवयस्क वादी या आवेदक द्वारा वयस्क होने पर अनुसरण की जाने वाली चर्या
13. जहाँ अवयस्क सहवादी, वयस्या होने पर वाद का निराकरण करने की वांछा करता है
14. अयुक्तियुक्त या अनुचित वाद
15. नियम 1 से नियम 14 तक का (जिनमें नियम 2 (क) सम्मिलित नहीं है) विकृतचित्त वाले व्यक्तियों को लागूहोगा
16. व्यावृत्तियाँ

आदेश 32क

कुटुम्ब से संबंध रखने वाले विषयों से संबंधित वाद

1. आदेश का लागू-होना
2. कार्यवाहियों का बद कमरे में किया जाना
3. निपटारे के लिए प्रत्यन करने का न्यायालय का कर्तव्य
4. कल्याण विशेषज्ञ से सहायता
5. तथ्यों की जाँच करने का कर्तव्य
6. "कुटुम्ब" का अर्थ

आदेश 33

निर्धन व्यक्तियों द्वारा वाद

1. निर्धन व्यक्ति द्वारा वाद संस्थित किए जा सकेंगे
1क. निर्धन व्यक्तियों के साधनों की जाँच
2. आवेदन की विषय-वस्तु
3. आवेदन का उपर-थापन
4. आवेदक की परीक्षा
   यदि आवेदन अभिकर्ता द्वारा उपस्थापित,किया जाता है तो न्यायालय आदेश दे सकेगा कि आवेदक की परीक्षा कमीशन द्वारा की जाए
5. आवेदन का नामंजूर किया जाना
6. आवेदक की निर्धनता के बारे में साक्ष्य लेने के दिन की सूचना
7. सुनवाई में प्रक्रिया
8. यदि आवेदन ग्रहण कर लिया जाए तो प्रक्रिया
9. निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाने की अनुज्ञा का प्रत्याहरण
9क. जिस निर्धन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व न हो उसके लिए न्यायालय द्वारा प्लीडर नियत किया जाना
10. जहाँ निर्धन व्यक्ति सफल होता है वहाँ खर्चे
11. प्रक्रिया जहाँ निर्धन व्यक्ति असफल हो जाता है
11क. निर्धन व्यक्ति के वाद के उपशमन पर प्रक्रिया
12. राज्य सरकार न्यायालय - फीस के संदाय के लिए आवेदन कर सकेगी
13. राज्य सरकार का प क्षकार समझा जाना
14. न्यायालय फीस रकम की वसूली
15. निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाने के लिए आवेदन को अनुज्ञा देने से इंकार के कारण वैसी ही प्रकृति के पश्चात्वर्ती आवेदन का वर्जन
15क. न्यायालय-फीस के संदाय के लिए समय का दिया जाना
16. खर्चे
17. निर्धन व्यक्ति द्वारा प्रतिवाद
18. निर्धन व्यक्तियों के लिए मुपत विधिक सेवाओं की व्यवस्था करने की केंद्रीय सरकार की शक्ति

आदेश 34

स्थावर सम्पत्ति के बंधकों के संबंध में वाद

1. पुरोबंध, विक्रय और मोचन के वादों के पक्षकार
2. पुरोबंध वाद में प्रारंभिक डिक्री
3. पुरोबंध वाद में अंतिम डिक्री
4. विक्रय के वाद में प्रारंभिक डिक्री
   पुरोबंध वाद के विक्रय की डिक्री पारित करने की शकित
5. विक्रय के वाद में अंतिम डिक्री
6. विक्रय के वाद में बंधक पर शोध्य रकम की वसूली

7. मोचन वाद में प्रारंभिक डिक्री
8. मोचन के वाद में अंतिम डिक्री
8क. मोचन के वाद में बंधक पर शोध्य बाकी रकम की वसूली
9. डिक्री जहाँ कुछ भी शोध्य नहीं पाया जाए या जहाँ बंधकदार को अतिसंदाय कर दिया गया हो
10. बंधकदार के खर्चे जो डिक्री के पश्चात हुए हैं
10क. अंतःकालीन लाभ का संदाय करने के लिए बंधकदार को निदेश देने की न्यायालय की शक्ति
11. ब्याज का संदाय
12. पूर्विक बंधक के अधीन सम्पत्ति का विक्रय
13. आगमों का उपयोजन
14. बंधक सम्पत्ति का विक्रय कराने के लिए आवश्यक विक्रय का वाद
15. हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक और भार

आदेश 35
अंतराभिवाची

1. अंतराभिवाची वाद में वादपत्र
2. दावाकृत चीज का न्यायालय में जमा किया जाना
3. प्रक्रिया जहाँ प्रतिवादी वादी पर वाद चला रहा है
4. पहली सुनवाई में प्रक्रिया
5. अभिकर्ता और अभिधारी अंतराभिवाची वाद संस्थित नहीं कर सकेगा
6. वादी के खर्चों का भार

आदेश 36
विशेष मामला

1. न्यायालय की राय के लिए मामले का कथन करने की शक्ति
2. विषय-वस्तु का मूल्य कहाँ कथित करना होगा
3. करार वाद के रूप में फाइल किया जाएगा और रजिस्टर में चढ़ाया जाएगा
4. पक्षकार न्यायालय की अधिकारिता के अधीन होंगे
5. मामले की सुनवाई और निपटारा
6. नियम 5 के अधीन पारित डिक्री की अपील न होना

आदेश 37
संक्षिप्त प्रक्रिया

1. वे न्यायालय और वादों के वर्ग जिन्हें यह आदेश लागू होना है
2. संक्षिप्त वादों का संस्थित किया जाना

3. प्रतिवादी की उपसंजाति के लिए प्रक्रिया
4. डिक्री को अपास्त करने की शक्ति
5. विनिमय-पत्र, आदि को न्यायालय के अधिकारी के पास जमा करने का आदेश देने की शक्ति
6. अनादृत विनिमय-पत्र या वचन-पत्र के अप्रतिग्रहण का टिप्पण करने के खर्च की वसूली
7. वादों में प्रक्रिया

आदेश 38

निर्णय के पहले गिरफ्तारी और कुर्की

निर्णय के पहले गिरफ्तारी

1. उपसंजाति के लिए प्रतिभूति देने की माँग प्रतिवादी से कब की जा सकेगा
2. प्रतिभूति
3. उन्मोचित किए जाने के लिए प्रतिभूके आवेदन पर प्रक्रिया
4. जहाँ प्रतिवादी प्रतिभूति देने में या नई प्रतिभूति लाने में असफल रहता है वहाँ प्रक्रिया

निर्णय के पहले कुर्की

5. सम्पत्ति पेश करने के लिए प्रतिभूति देने की अपेक्षा प्रतिवादी से कब की जा सकेगी
6. जहाँ हेतुक दर्शित नहीं किया जाता या प्रतिभूति नहीं दी जाती वहाँ कुर्की
7. कुर्की करने की रीति
8. निर्णय के पूर्व कुर्क की गई संपत्ति के दावे का न्याय निर्णयन
9. प्रतिभूति दे दी जाने पर या वाद खारिज कर दिए जाने पर कुर्की का हटा लिया जाना
10. निर्णय से पहले की गई कुर्की से न तो पर-व्यक्तियों के अधिकार प्रभावित होंगे और न विक्रय के लिए आवेदन करने से डिक्रीदार वर्जित होगा
11. निर्णय से पहले कुर्क की गई संपत्ति डिक्री के निष्पादन में पुन: कुर्क नहीं की जाएगी

11क. कुर्की को लागू-होने वाले उपबंध

12. कृषि उपज निर्णय के पूर्व कुर्क नहीं होगी
13. लघुवाद न्यायालय स्थावर संपत्ति को कुर्क नहीं करेगा

आदेश 39

अस्थायी व्यादेश और अंतर्वर्ती आदेश अस्थायी व्यादेश

1. वे दशाएँ जिनमें अस्थायी व्यादेश दिया जा सकेगा
2. भंग की पुनरावृत्ति या जारी रखना अवरूद्ध करने के लिए व्यादेश

2क. व्यादेश की अवज्ञा या भंग का परिणाम

3. व्यादेश देने से पहले न्यायालय निदेश देगा कि विरोधी पक्षकार को सूचना दे दी

जाए

3क. व्यादेश के लिए आवेदन का न्यायालय द्‌वारा तीस दिन के भीतर निपटाया जाना

4. व्यादेश के आदेश को प्रभावोमुक्त, उसमें फेरफार या उसे अपास्त किया जा सकेगा

5. निगम को निदिष्ट व्यादेश उसके अधिकारियों पर आबद्‌धकर होगा

अंतर्वर्ती आदेश

6. अंतरिम विक्रय का आदेश देने की शक्ति

7. वाद की विषय-वस्तु का निरोध, परिरक्षण, निरीक्षण आदि

8. ऐसे आदेशों के लिए आवेदन सूचना के पश्चात् किया जाएगा

9. जो भूमि वाद की विषय-वस्तु है उस पर पक्षकार का तुरंत कब्जा कब कराया जा सकेगा

10. न्यायालय में धन, आदि का जमा किया जाना

आदेश 40

रिसीवरों की नियुक्ति

1. रिसीवरों की नियुक्ति
2. पारिश्रमिक
3. कर्तव्य
4. रिसीवर के कर्तव्यों को प्रवर्तित कराना
5. कलक्टर कब रिसीवर नियुक्त किया जा सकेगा

आदेश 41

मूल डिक्रियों की अपीलें

1. अपील का प्ररूप/ज्ञापन के साथ क्या-क्या दिया जाएगा
   ज्ञापन की अंतर्वस्तु
2. आधार जो अपील में लिए जा सकेंगे
3. ज्ञापन का नामंजूर किया जाना या संशोधन

3क. विलंब की माफी के लिए आवेदन

4. कई वादियों या प्रतिवादियों में से एक पूरी डिक्री को उलटवा सकेगा जहाँ वह ऐसे आधार पर दी गई है जो उन सभी के लिए सामान्य है

कार्यवाहियों का और निष्पादन का रोका जाना

5. अपील न्यायालय द्‌वारा रोका जाना
   जिस न्यायालय ने डिक्री पारित की थी उसके द्‌वारा रोका जाना
6. डिक्री के निष्पादन के लिए आदेश की दशा में प्रतिभूति
7. कुछ मामलों में सरकार से या लोक अधिकारी से कोई प्रतिभूति अपेक्षित न की जाए
8. डिक्री के निष्पादन में किए गए आदेश की अपील में शक्तियों का प्रयोग

अपील के ग्रहण पर प्रक्रिया

9. अपीलों के ज्ञापन का रजिस्टर में चढाया जाना
10. अपील न्यायालय अपीलार्थी से खर्चों के लिए प्रतिभूति देने की अपेक्षा कर सकेगा
11. निचले न्यायालय सूचना भेजे बिना अपील खारिज करने की शक्ति
11क. जिसके भीतर नियम 11 के अधीन सुनवाई समाप्त हो जानी चाहिए
12. अपील की सुनवाई के दिन
13. [................ निरसित]
14. अपील की सुनवाई के दीन की सूचना का प्रकाशन और तामील
    अपील न्यायालय स्वयं सूचना की तामील करवा सकेगा
15. [................ निरसित]

सुनवाई की प्रक्रिया

16. शुरू करने का अधिकार
17. अपीलार्थी के व्यतिक्रम के लिए अपील का खारिज किया जाना
    अपील की एकपक्षीय सुनवाई
18. [................ निरसित]
19. व्यतिक्रम के लिए खारिज की गई अपील को पुन: ग्रहण करना
20. सुनवाई को स्थगित करने और ऐसे व्यक्तियों को जो हितबद्ध प्रतीत होते हों, प्रत्यर्थी बनाए जाने के लिए निर्दिष्ट करने की शक्ति
21. उस प्रत्यर्थी के आवेदन पर पुन: सुनवाई जिसके विरुद्ध एकपक्षीय डिक्री की गई है
22. सुनवाई में प्रत्यर्थी डिक्री के विरुद्ध ऐसे आक्षेप कर सकेगा मानो उसने पृथक अपील की हो
    आक्षेप का प्ररूप और उसको लागू होने वाले उपबंध
23. मामले का अपील न्यायालय द्वारा प्रतिप्रेषण
23क. अन्य मामलों में प्रतिप्रेषण
24. जहाँ अभिलेख में का साक्ष्य पर्याप्त है वहाँ अपील न्यायालय मामले का अंतिम रूप से अवधारण कर सकेगा
25. अपील न्यायालय कहां विवाद्यकों की विरचना कर सकेगा और उन्हें उस न्यायालय को विचारण के लिए निर्दिष्ट कर सकेगा जिसकी डिक्री की अपील की गई है
26. निष्कर्ष और साक्ष्य का अभिलेख में सम्मिलित किया जाना निष्कर्ष पर आक्षेप
    अपील का अवधारण
26क. प्रतिप्रेषण के आदेश में अगली सुनवाई का उल्लेख किया जाना
27. अपील न्यायालय में अतिरिक्त साक्ष्य का पेश किया जाना
28. अतिरिक्त साक्ष्य लेने की रीति
29. विषय-बिन्दुओं का परिभाषित और लेखबद्ध किया जाना

अपील का निर्णय

30. निर्णय कब और कहाँ सुनाया जाएगा
31. निर्णय की अंतर्वस्तु, तारीख और हस्ताक्षर

32. निर्णय क्या निदेश दे सकेगा

33. अपील न्यायालय की शक्ति

34. विसम्मति का लेखबद्ध किया जाना

अपील में की डिक्री

35. डिक्री की तारीख और अंतर्वस्तु
निर्णय से विसम्मत न्यायाधीश के लिए डिक्री पर हस्ताक्षर करना आवश्यक नहीं

36. पक्षकारों को निर्णय और डिक्री की प्रतियों का दिया जाना

37. डिक्री की प्रमाणित प्रति उस न्यायालय को भेजी जाएगी जिसकी डिक्री की अपील की गई थी

आदेश 42

अपीली डिक्रियों को अपीलें

1. प्रक्रिया

2. न्यायालय की यह निदेश देने की शक्ति कि उसके द्वारा बनाए गए प्रश्न पर अपील सुनी जाए

3. आदेश 41 के नियम 14 का लागू होना

आदेश 43

आदेशों की अपीलें

1. आदशों की अपीलें

1क. डिक्रियों के विरुद्ध अपील में के ऐसे आदशों पर आक्षेप करने का अधिकार जिनकी अपील नहीं की जा सकती

2. प्रक्रिया

आदेश 44

निर्धन व्यक्तियों द्वारा अपीलें

1. निर्धन व्यक्ति के रूप में कौन अपील कर सकेगा

2. न्यायालय फीस के संदाय के लिए समय दिया जाना

3. इस प्रश्न के बारे में जाँच कि आवेदक निर्धन व्यक्ति है या नहीं

आदेश 45
उच्चतम न्यायालय में अपीलें

1. “डिक्री की परिभाषा”
2. उस न्यायालय से आवेदन जिसकी डिक्री परिवादित है
3. मूल्य या औचित्य के बारे में प्रमाण-पत्र
4. [............निरसित]
5. [.........निरसित]
6. प्रमाण-पत्र देने से इंकार का प्रभाव
7. प्रमाण-पत्र दिए जाने पर अपेक्षित प्रतिभूति और निक्षेप
8. अपील का ग्रहण और उस पर प्रक्रिया
9. प्रतिभूति के प्रतिग्रहण का प्रतिसहरण

9क. मृत पक्षकारों की दशा में सूचना दिए जाने से अभिमुक्ति देने की शक्ति

10. अतिरिक्त प्रतिभूति या संदाय का आदेश देने की शक्ति
11. आदेश का अनुपालन करने में असफलता का प्रभाव
12. निक्षेप की बाकी की वापसी
13. अपील लंबित रहने तक न्यायालय की शक्तियाँ
14. अपर्याप्त पाए जाने पर प्रतिभूति का बढ़ाया जाना
    न्यायालय द्वारा तथा अपेक्षित अतिरिक्त प्रतिभूति के दिए जाने में व्यतिक्रम होने पर
15. उच्चतम न्यायालय के आदेशों को प्रवृत्त कराने की प्रक्रिया
16. निष्पादन संबंधी आदेश की अपील
17. [..........निरसित]

आदेश 46
निर्देश

1. उच्च न्यायालय को प्रश्न का निर्देश
2. न्यायालय ऐसी डिक्री पारित कर सकेगा जो उच न्यायालय के विनिश्चय पर समाश्रित है
3. उच्च न्यायालय का निर्णय पारेषित किया जाएगा और मामला तदनुसार निपटाया जाएगा
4. उच्च न्यायालय को किए गए निर्देश के खर्चे

4क. धारा 113 के परंतुक के अधीन उच्च न्यायालय को निर्देश

5. निर्देशकरने वाले न्यायालय की डिक्री को परिवर्तित करने आदि की शक्ति
6. लघुवादों में अधिकारिता संबंधी प्रश्नों को उच्च न्यायालय को निर्देशित करने की शक्ति
7. लघुवादों में अधिकारिता संबंधी भूल के अधीन की गई कार्यवाहियों को पुनरीक्षण के लिए निवेदित करने की जिला न्यायालय की शक्ति

आदेश 47

पुनर्विलोकन

1. निर्णय के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन
2. [..............निरसित]
3. पुनर्विलोकन के आवेदनों का प्ररुप
4. आवेदन कब नामंजूर किया जाएगा
   आवेदन कब मंजूर किया जाएगा
5. दो या अधिक न्यायाधीशों से गठित न्यायालय में पुनर्विलोकन का आवेदन
6. आवेदन कब नामंजूर किया जाएगा
7. नामंजूरी का आदेश अपीलनीय न होगा। आवेदन की मंजूर के आदेश पर आक्षेप
8. मंजूर किए गए आवेदन का रजिस्टर में चढाया जाना और फिर से सुनवाई के लिए आदेश
9. कुछ आवेदनों का वर्जन

आदेश 48

प्रकीर्ण

1. आदेशिका की तामील उसे निकलवाने वाले पक्षकार के व्यय पर की जाएगी
   तामील के खर्चे
2. आदेशों और सूचनाओं की तामील कैसे की जाएगी
3. परिशिष्टों में दिए गए प्ररूपों का उपयोग

आदेश 49

चार्टरित उच्च न्यायालय

1. उच्च न्यायालय की आदेशिकाओं की तामील कौन कर सकेगा
2. चार्टरित उच न्यायालय के बारे में व्यावृत्ति
3. नियमों का लागू होना

आदेश 50

प्रांतीय लघुवाद न्यायालय

1. प्रांतीय लघुवाद न्यायालय

आदेश 51

प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय

1. प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय

पहली अनुसूची के परिशिष्ट

प्ररूप

परिशिष्ट क. अभिवचन

परिशिष्ट ख. आदेशिका

परिशिष्ट ग. प्रकटीकरण, निरीक्षण और स्वीकृति

परिशिष्ट घ. डिक्रियाँ

परिशिष्ट ङ: निष्पादन

परिशिष्ट च. अनुपूरक कार्यवाहियाँ

परिशिष्ट छ. अपील, निर्देश और पुनर्विलोकन

परिशिष्ट ज. प्रकीर्ण

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908

(सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1999 एवं 2002 द्वारा यथा संशोधित)

(1908 का अधिनियम संख्यांक 5)

[21 मार्च, 1908]

सिविल न्यायालयों की प्रक्रिया से सम्बन्धित विधियों का समेकन और संशोधन करने के अधिनियम

यह समीचीन है कि सिविल न्यायालयों की प्रक्रिया से सम्बन्धित विधियों का समेकन और संशोधन किया जाए अत: एतदद्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित किया जाता हैं-

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम प्रारम्भ और विस्तार- (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 है ।

(2) यह सन् 1909 की जनवरी के प्रथम दिन को प्रवृत्त होगा ।

[1][(3) इसका विस्तार-

(क)जम्मू - कश्मीर राज्य;

(ख) नागालैण्ड राज्य और जनजाति क्षेत्रों

के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है :

परन्तु संबंधित राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस सहिता के उपबंधो का या उनमें से किसी का विस्तार, यथास्थिति, सम्पूर्ण नागालैण्ड राज्य या ऐसे जनजाति क्षेत्रों या उनके किसी भाग पर ऐसे अनुपूरक, आनुषंगिक या पारिणामिक उपान्तरों सहित कर सकेगी जो अधिसूचना मे विनिर्दिष्ट किए जाए ।

स्पष्टीकरण- इस खण्ड में "जनजाति क्षेत्र" से वे राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है जो 21 जनवरी, 1972 के ठीक पहले संविधान की छठी अनुसूची के पैरा 20 में यथानिर्दिष्ट असम के जनजाति क्षेत्र में सम्मिलित थे ।

(4) अमीनदीवी द्वीपसमूह और आन्ध्रप्रदेश राज्य मे पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी और विशाखापत्तनम् अभिकरणों और लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र के सम्बन्ध में, इस संहिता के लागू होने का कोई प्रतिकूल प्रभाव, यथास्थिति ऐसे द्वीपसमूह, अभिकरणों या ऐसे संघ राज्यक्षेत्र में इस संहिता के लागू होने के सम्बन्ध में तत्समय प्रवृत्त किसी नियम या विनियम के लागू होने पर नही पडेगा ।]

2. **परिभाषाएँ-** इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात विरुद्ध न हो -

(1) **"संहिता"** के अन्तर्गत नियम आते हैं;

(2) **"डिक्री"** से ऐसे न्यायनिर्णयन की प्ररुपिक अभिव्यक्ति अभिप्रेत है जो, जहां तक कि वह उसे अभिव्यक्त करने वाले न्यायलय से सम्बन्धित है, वाद में के सभी या किन्ही विवादग्रस्त विषयों के सम्बन्ध में पक्षकारों के अधिकारों का निश्चायक रुप से अवधारण करता है और वह या तो प्रारम्भिक या अन्तिम हो सकेगी । यह समझा जाएगा कि इसके अन्तर्गत वादपत्र का नामंजूर किया जाना और [1]***धारा 144 के भीतर के किसी प्रश्न का अवधारण आता है किन्तु इसके अन्तर्गत-

(क) न तो कोई ऐसा न्यायनिर्णयन आएगा जिसकी अपील, आदेश की अपील की भांति होती हैं; और

(ख) न व्यतिक्रम के लिए खारिज करने का कोई आदेश आएगा ।

स्पष्टीकरण- डिक्री तब प्रारम्भिक होती है जब वाद के पूर्ण रुप से निपटा दिए जा सकने से पहले आगे और कार्यवाहियां की जानी है । वह तब अंतिम होती है जब कि ऐसा न्यायनिर्णयन वाद के पूर्ण रूप से निपटा देता है वह भागत: प्रारम्भिक और भागत: अंतिम हो सकेगी;

(3)**"डिक्रीदार"**से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पक्ष मे कोई डिक्री पारित की है या कोई निष्पादन -योग्य आदेश किया गया है;

(4) **"जिला"** से आरम्भिक अधिकारिता वाले प्रधान सिविल न्यायालय की (जिसे इसमें इसके पश्चात् "जिला न्यायालय" कहा गया है) अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं अभिप्रेत हैं और इसके अन्तर्गत उच्च न्यायालय की मामूली आरम्भिक सिविल अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं आती है;

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 3 द्वारा (1.2.1977 से) " धारा 47 या" शब्दों और अंको का लोप ।

[1]**[(5) "विदेशी न्यायालय"** से ऐसा न्यायालय अभिप्रेत है जो भारत के बाहर स्थित है और केन्द्रीय सरकार के प्राधिकार से न तो स्थापित किया गया है और न चालू रखा गया है;]

(6) **"विदेशी निर्णय"** से किसी विदेशी न्यायालय का निर्णय अभिप्रेत है;

(7) **"सरकार प्लीडर"** के अन्तर्गत ऐसा कोई अधिकारी आता है जो सरकारी प्लीडर पर इस संहिता द्वारा अभिव्यक्त रूप से अधिरोपित कृत्यों का या उनमें से किन्हीं का पालन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है और ऐसा कोई प्लीडर भी आता है जो सरकारी प्लीडर के निदेशों के अधीन कार्य करता है;

[2][(7क) अंदमान और, निकोबार द्वीपसमूह के सम्बन्ध मे **"उच्च न्यायालय"** से कलकत्ता उच्च न्यायालय अभिप्रेत है;

(7ख धारा 1, 29, 43, 44 [3][44क], 78, 79, 82, 83 और 87- क में के सिवाय **"भारत"** से जम्मू -कश्मीर राज्य के सिवाय भारत का राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है;]

(8) **"न्यायाधीश"** से सिविल न्यायालय का पीठासीन अधिकारी अभिप्रेत है;

(9) **"निर्णय"** से न्यायाधीश द्वारा डिक्री या आदेश के आधारों का कथन अभिप्रेत है;

(10) **"निर्णीत ऋणी"** से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके विरुद्ध कोई डिक्री पारित की गई है या निष्पादन-योग्य कोई आदेश किया गया है

(11) **"विधिक प्रतिनिधि"** से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो मृत व्यक्ति की सम्पदा का विधि की दृष्टि से प्रतिनिधित्व करता है और इसके अन्तर्गत कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो मृतक की सम्पदा में दखलंदाजी करता है और जहा कोई पक्षकार प्रतिनिधि रूप में वाद लाता है या जहां किसी पक्षकार पर प्रतिनिधि रूप में वाद लाया जाता है वहा वह व्यक्ति इसके अन्तर्गत आता है जिसे वह सम्पदा उस पक्षकार के मरने पर न्यागत होती है जो इस प्रकार वाद लाया है या जिस पर इस प्रकार वाद लाया गया है;

(12) सम्पत्ति के **"अन्तःकालीन लाभ"** से ऐसे लाभों पर ब्याज सहित वे लाभ अभिप्रेत है जो ऐसी सम्पत्ति पर सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति को उससे वस्तुत: प्राप्त हुए हों या जिन्हें वह मामूली तत्परता से उससे प्राप्त कर सकता था, किन्तु सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा की गई अभिवृद्धियों के कारण हुए लाभ इसके अन्तर्गत नहीं आएंगे;

(13) **"जंगम सम्पत्ति"** के अन्तर्गत उगती फसलें आती हैं;

(14) **"आदेश"** से सिविल न्यायलय के किसी विनिश्चय की प्ररुपिक अभिव्यक्ति अभिप्रेत है जो डिक्री नहीं है;

(15) **"प्लीडर"** से न्यायालय में किसी अन्य व्यक्ति के लिए उपसजात होने और अभिवचन करने का हकदार कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत अधिवक्ता, वकील और किसी उच्च न्यायलय का अटर्नी आता है;

1. 1951 के अधिनियम सं. 2 की धारा 4 द्वारा मूल खण्ड के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया
2. 1951 के अधिनियम स. 2 की धारा 4 द्वारा अन्तःस्थापित किया गुया ।
3. 1953 के अधिनियम सं 42 की धारा 4 और अनुसूची 3 द्वारा अन्तःस्थापित किया गया ।

(16) **"विहित"** से नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(17) **"लोक अधिकारी"** से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो निम्नलिखित वर्णनों में से किस वर्णन के अधीन आता है अर्थात---

(क) हर न्यायधीश

(ख)[1][अखिल भारतीय सेवा] का हर सदस्य;

(ग) [2][संघ] की सेना, [3][नौसेना या वायु सेना का] [4]**** हर आयुक्त आफिसर या राजपत्रित आफिसर, जब तक कि वह सरकार के अधीन सेवा करता रहे;

(घ)न्यायालय का हर अधिकारी जिसका ऐसे अधिकारी के नाते यह कर्तव्य है कि वह विधि या तथ्य के किसी मामले में अन्वेषण या रिपोर्ट करे या कोई दस्तावेज बनाए अधिप्रमाणित करे, या रखे या किसी सम्पत्ति का भार सम्भाले या उस सम्पत्ति का व्ययन करे या किसी न्यायिक आदेशिका का निष्पादन करे, या कोई शपथ ग्रहण कराए या निर्वचन करे या न्यायालय मे व्यवस्था बनाए रखे और हर व्यक्ति, जिसे ऐसे कर्तव्यों में से किन्हीं का पालन करने का प्राधिकार न्यायालय द्वारा विशेष रूप से दिया गया है

(ड.) हर व्यक्ति जो किसी ऐसे पद को धारण करता है जिसके आधार पर वह किसी व्यक्ति को परिरोध में करने या रखने के लिए सशक्त है;

(च) सरकार का हर अधिकारी जिसका ऐसे अधिकारी के नाते यह कर्तव्य है कि वह अपराधों का निवारण करे, अपराधों की इत्तिला दे अपराधियों को न्याय के लिए उपस्थित करे या लोक के स्वारथ्य क्षेत्र या सुविधा की संरक्षा करे

(छ) हर अधिकारी जिसका ऐसे अधिकारी के नाते यह कर्तव्य है कि वह सरकार की ओर से किसी सम्पत्ति को ग्रहण करे, प्राप्त करे, रखे या व्यय करे या सरकार की ओर से कोई सर्वेक्षण निर्धारण या संविदा करे या किसी राजस्व आदेशिका का निष्पादन करे या सरकार के धन-संबंधी हितों पर प्रभाव डालने वाले किसी मामले में अन्वेषण या रिपोर्ट करे या सरकार के धन-संबंधी हितों से सम्बन्धित किसी दस्तावेज को बनाए, अधिप्रमाणित करे या रखे या सरकार के धन- सम्बन्धी हितों की सरक्षा के लिए किसी विधि के व्यतिक्रम को रोके; तथा

(ज) हर अधिकारी, जो सरकार की सेवा में है या उससे वेतन प्राप्त करता है या किसी लोक कर्तव्य के पालन के लिए फीस या कमीशन के रूप में पारिश्रमिक पाता है

(18) **"नियम"** से पहली अनुसूची में अन्तर्विष्ट अथवा धारा 122 या धारा 125 के अधीन निर्मित नियम और प्ररूप अभिप्रेत है;

(19) **"नियम-अंश"** के बारे समझा जाएगा कि उसके अन्तर्गत स्टाक डिबेंचर या बंधपत्र आते है; तथा

(20) निर्णय या डिक्री की दशा के सिवाय “हस्ताक्षरित” एक अंतर्गत स्ताम्पित बंधपत्र आते है; तथा

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 3 द्वारा (1.2.1977 से) “भारतीय सिविल सेवा” के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।
2. विधि अनुकूलन आदेश, 1935 द्वारा “हिज मैजेस्टी” के स्थान पर पर प्रतिस्थापित किया गया|
3. 1934 के अधिनियम सं. 35 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा “या नौसेना” के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया |
4. 1934 के अधिनियम सं. 35 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा "जिनमे हिज मैजेस्टी की भारतीय समुद्री सेवा भी सम्मिलित है”, शब्दो का लोप ।

1. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा अंत:स्थापित खण्ड (21) का 1951 के अधिनियम सं. 2 की धारा 4 द्वारा लोप |

3. न्यायालयों की अधीनस्थता- इस संहिता के प्रयोजनों के लिए, जिला न्यायालय उच्च न्यायालय के अधीनस्थ है और जिला न्यायालय से अवर श्रेणी का हर सिविल न्यायालय और हर लघुवाद न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय के अधीनस्थ है।

4. व्यावृत्तियां- (1) इसके प्रतिकूल किसी विनिर्दिष्ट उपबन्ध के अभाव में, इस संहिता की किसी भी बात के बारे में यह नही समझा जाएगा कि वह किसी विशेष या स्थानीय विधि को, जो अब प्रवृत है या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त किसी विशेष अधिकारिता या शक्ति को या विहित प्रक्रिया के किसी विशेष रूप को परिसीमित करती है या उस पर अन्यथा प्रभाव डालती है।

(2) विशिष्टतया और उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट प्रतिपादना की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस संहिता की किसी भी बात के बारे में यह नही समझा जाएगा कि वह किसी ऐसे उपचार को परिसीमित करती है या उस पर अन्यथा प्रभाव डालती है, जिसे भू-धारक या भू-स्वामी कृषि-भूमि के भाटक की वसूली ऐसी भूमि की उपज से करने के लिए तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन रखता है।

5. संहिता का राजस्व न्यायालयों को लागू होना- (1) जहां कोई राजस्व न्यायालय प्रक्रिया संबंधी ऐसी बातों मे जिन पर ऐसे न्यायलयों को लागू कोई विशेष अधिनियमिति मौन है, इस संहिता के उपबन्धों द्वारा शासित हैं वहा राज्य सरकार [1]*** राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह घोषणा कर सकेगी कि उन उपबन्धों के कोई भी प्रभाग, जो इस संहिता द्वारा अभिव्यक्त रूप से लागू नहीं किए गए हैं, उन न्यायालयों को लागू नही होंगे या उन्हें केवल ऐसे उपान्तरो के साथ लागू होंगे जैसे राज्य सरकार [2]*** विहित करे।

(2) उपधारा (1) में "राजस्व न्यायालय" से ऐसा न्यायालय अभिप्रेत है जो कृषि प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त भूमि के भाटक, राजस्व या लाभों से सम्बन्धित वादों या अन्य कार्यवाहियों को ग्रहण करने की अधिकारिता किसी स्थानीय विधि के अधीन रखता है किन्तु ऐसे वादों या कार्यवाहियों का विचारण सिविल प्रकृति के वादों या कार्यवाहियों के रुप में करने के लिए इस संहिता के अधीन आरम्भिक अधिकारिता रखने वाला सिविल न्यायालय इसके अन्तर्गत नहीं आता है।

6. धन-संबंधी अधिकारिता- अभिव्यक्त रुप से जैसा उपबन्धित है उसके सिवाय, इसकी किसी बात का प्रभाव ऐसा नहीं होगा कि वह किसी न्यायालय को उन वादों पर अधिकारिता दे दे जिनकी रकम या जिनकी विषय-वस्तु का मूल्य उसकी मामूली अधिकारिता की धन संबंधी सीमाओं से (यदि कोई हो) अधिक है।

1. 1920 के अधिनियम और अनुसूची 1 के भाग 1 द्वारा "सपरिषद् गवर्नर जनरल की पूर्व मंजूरी से" शब्दों का लोप ।
2. 1920 के अधिनियम सं. 38 की धारा 2 और अनुसूची 1 के भाग 1 द्वारा “पूर्वोक्त मंजूरी से” शब्दो का लोप ।

7. प्रांतीय लघुवाद न्यायालय- उन न्यायालयों पर, जो प्रांतीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम, 1887 (1887 का 9) के अधीन [1][या बरार लघुवाद न्यायालय विधि, 1905 के अधीन] गठित है, या उन न्यायालयों पर, जो लघुवाद न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग [2][उक्त अधिनियम या विधि के अधीन] करते हैं [3][या [4][भारत के किसी ऐसे भाग] के [5][जिस पर उक्त अधिनियम का विस्तार नहीं है] उन न्यायालयों पर, जो समरूपी अधिकारिता का प्रयोग करते हैं]

निम्नलिखित उपबंधों का विस्तार नहीं होगा, अर्थात्-

(क) इस संहिता के पाठ के उतने अंश का, जो-

(i) उन वादों से संबंधित है जो लघुवाद न्यायालय के संज्ञान से अपवादित है,

(ii) ऐसे वादों में की डिक्रियों के निष्पादन से संबंधित है

(iii) स्थावर संपत्ति के विरुद्ध डिक्रियों के निष्पादन से संबंधित है, तथा

(ख) निम्नलिखित धाराओं का, अर्थात्-

धारा 9 का,

धारा 91 और धारा 92 का,

धारा 94 और धारा 95 का जहाँ तक कि वे-

(i) स्थावर संपत्ति की कुर्की के लिए आदेशों

(ii) व्यादेशों,

(iii) स्थावर संपत्ति के रिसीवर की नियुक्ति अथवा

(iv) धारा 94 के खण्ड (ड.) में निर्दिष्ट अंतर्वर्ती आदेशों, को प्राधिकृत करती है या उनसे संबंधित है], तथा धारा 96 से धारा 112 तक की धाराओं और धारा 115 का।

1. 1941 के अधिनियम सं. 4 की धारा 2 और अनुसूची 3 द्वारा अत: स्थापित किया गया ।
2. 1941 के अधिनियम सं. 4 की धारा 2 और अनुसूची 3 द्वारा "उस अधिनियम के अधीन" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया
3. 1951 के अधिनियम सं. 2 की धारा 5 द्वारा अत: स्थापित किया गया ।
4. विधि अनुकूलन (सं 2) आदेश, 1956 द्वारा "भाग ख राज्यो" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।
5. विधि अनुकूलन (सं.2) आदेश, 1956 द्वारा "भाग ख राज्यो" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।
6. 1926 के अधिनियम सं. 1 की धारा 3 द्वारा “जहाँ तक कि वे आदेशो और अतर्वर्ती आदेशो से संबंधित है" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया |

8. प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय- धारा 24, धारा 38 से धारा 41 तक की धाराओं, धारा 75 के खण्ड (क), (ख) और, (ग) धारा 76, [1][धारा 77, धारा 157 और धारा 158] में तथा प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय अधिनियम, 1882 (1882 का 15) द्वारा यथा उपबंधित के सिवाय, इस संहिता के पाठ के उपबंधों का

विस्तार कलकत्ता, मद्रास और मुम्बई नगरों में स्थापित किसी लघुवाद न्यायालय में के किसी भी वाद या कार्यवाही पर नहीं होगा:

[2][परन्तु-

(1) यथास्थिति, फोर्ट विलियम, मद्रास और मुम्बई के उच्च न्यायालय समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निदेश[3] दे सकेंगे कि ऐसे किन्हीं भी उपबंधों का विस्तार, जो प्रेसिडेन्सी लघुवाद न्यायालय अधिनियम, 1882 (1882 का 15) के अभिव्यक्त उपबंधों से असगत न हों और ऐसे उपांतरों और अनुकूलनों सहित, जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएँ, ऐसे न्यायालय में के वादों या कार्यवाहियों पर या वादों या कार्यवाहियों के किसी वर्ग पर होगा।

(2) उक्त उच्च न्यायालयों में से किसी के भी द्वारा प्रेसिडेन्सी लघुवाद न्यायालय अधिनियम, 1882 (1882 का 15) की धारा 9 के अधीन इसके पहले बनाए गए सभी नियम विधिमान्यत: बनाए गए समझे जाएँगे।

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 4 द्वारा (1.2.1977 से) "धारा 77 और 155 से लेकर 158 तक की धाराओ" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।
2. 1914 के अधिनियम सं. 1 की धारा 2 द्वारा जोड़ा ।

भाग 1

साधारणत: वादों के विषय में

न्यायालयों की अधिकारिता और पूर्व -न्याय

9. जब तक कि वर्जित न हो, न्यायालय सभी सिविल वादों का विचरण करेंगे - न्यायालयों को (इसमें अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए) उन वादों के सिवाय, जिनका उनके द्वारा संज्ञान अभिव्यक्त या विवक्षित रुप से वर्जित है, सिविल प्रकृति के सभी वादों के विचारण की अधिकारिता होगी ।

[1]**[स्पष्टीकरण 1]** - वह वाद, जिसमें संपत्ति-संबंधी या पद-संबंधी अधिकार प्रतिपादित है, इस बात के होते हुए भी कि ऐसा अधिकार धार्मिक कृत्यों या कर्मो संबंधी प्रश्नों के विनिश्चय पर पूर्ण रुप से अवलंबित है, सिविल प्रकृति का वाद है ।

[2]**[स्पष्टीकरण 2-** इस धारा के प्रयोजनों के लिए, यह बात तात्विक नहीं है कि स्पष्टीकरण 1 में निर्दिष्ट पद के लिए कोई फीस है या नहीं अथवा ऐसा पद किसी विशिष्ट स्थान से जुडा है या नहीं।]

1. 1967 के अधिनियम सं. 104 की धारा 5 द्वारा (1.2.1977 से) स्पष्टीकरण को स्पष्टीकरण 1 के रुप मे पुन: संख्यांकित |
2. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 5 द्वारा (.12.1977 से) अन्तःस्थापित किया गया ।

10. वाद का रोक दिया जाना- कोई न्यायालय ऐसे किसी भी वाद के विचारण में जिसमें विवाद्य-विषय उसी के अधीन मुकदमा करने वाले किन्हीं पक्षकारों के बीच के या ऐसे पक्षकारों के बीच के, जिनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते हैं, किसी पूर्वतन संस्थित वाद में भी प्रत्यक्षत: और सारत; विवाद्य है, आगे कार्यवाही नहीं करेगा जहाँ ऐसा वाद उसी न्यायालय में या [1][भारत] में के किसी अन्य ऐसे न्यायालय में, जो दावा किया गया अनुतोष देने की अधिकारिता रखता है या [2][भारत] की सीमाओं के परे वाले किसी ऐसे न्यायालय में, जो [3][केन्द्रीय सरकार 4***] द्वारा स्थापित किया गया है या चालू रखा गया है और, वैसी ही अधिकारिता रखता है, या [5][उच्चतम न्यायालय] के समक्ष लंबित है।

स्पष्टीकरण- विदेशी न्यायालय में किसी वाद का लंबित होना उसी वाद-हेतुक पर आधारित किसी वाद का विचारण करने से [6][भारत] में के न्यायालयों को प्रवारित नहीं करता ।

1. 1951 के अधिनियम सं. 2 की धारा 3 द्वारा "राज्यो" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।
2. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 5 द्वारा (1.2.1977 से) अतःस्थापित किया गया ।
3. भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "सपरिषद गवर्नर जनरल" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
4. भारतीय स्वतंत्रता (केन्द्रीय अधिनियम और अध्यादेश अनुकूलन) आदेश, 1948 द्वारा "या क्राउन रिप्रजेन्टेटिव" शब्दो का लोप |
5. विधि अनुकूलन आदेश, 1960 द्वारा "हिज मैजेस्टी इन काउन्सिल" के स्थान पर प्रतिस्थापितकिया गया ।
6. 1951 के अधिनियम सं. 2 की धारा 3 द्वारा "राज्यों" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।

11. पूर्व -न्याय- कोई भी न्यायालय किसी ऐसे वाद या विवाद्यक का विचारण नहीं करेगा जिसमें प्रत्यक्षत: और सारत: विवाद्य-विषय उसी हक के अधीन मुकदमा करने वाले उन्हीं पक्षकारों के बीच के या ऐसे पक्षकारों के बीच के, जिनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते हैं, किसी पूर्ववर्ती वाद में भी ऐसे न्यायालय में प्रत्यक्षत: और सारत: विवाद्य रहा है, जो ऐसे पश्चात्वर्ती वाद का या उस वाद का, जिसमें ऐसा विवाद्यक वाद में उठाया गया है, विचारण करने के लिए सक्षम था और ऐसे न्यायालय द्वारा सुना जा चुका है और अंतिम रुप से विनिश्चित किया जा चुका है ।

स्पष्टीकरण 1 - "पूर्ववर्ती वाद" पद ऐसे वाद का द्योतक है जो प्रश्नगत वाद के पूर्व ही विनिश्चित किया जा चुका है चाहे वह उससे पूर्व संस्थित किया गया हो या नहीं ।

स्पष्टीकरण 2- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, न्यायालय की सक्षमता का अवधारण ऐसे न्यायालय के विनिश्चय से अपील करने के अधिकार विषयक किन्हीं उपबंधों का विचार किए बिना किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण 3- ऊपर निर्देशित विषय का पूर्ववर्ती वाद में एक पक्षकार द्वारा अभिकथन और दूसरे द्वारा अभिव्यक्त का विवक्षित रुप से प्रत्याख्यान या स्वीकृति आवश्यक है ।

स्पष्टीकरण 4- ऐसे किसी भी विषय के बारे में, जो ऐसे पूर्ववर्ती वाद में प्रतिरक्षा या आक्रमण का आधार बनाया जा सकता था और बनाया जाना चाहिए था, यह समझा जाएगा कि वह से वाद में प्रत्यक्षत: और सारत: विवाद्य रहा है |

स्पष्टीकरण 5- वाद-पत्र में दावा किया गया कोई अनुतोष, जो डिक्री द्वारा अभिव्यक्त रुप से नहीं दिया गया है, इस धारा के प्रयोजनों के लिए नामंजूर कर दिया गया समझा जाएगा ।

स्पष्टीकरण 6- जहाँ कोई व्यक्ति किसी लोक अधिकार के या किसी ऐसे प्राइवेट अधिकार के लिए सदभावपूर्वक मुकदमा करते हैं जिसका वे अपने लिए और अन्य व्यक्तियों के लिए सामान्यत: दावा करते हैं वहाँ ऐसे अधिकार से हितबद्ध सभी व्यक्तियों के बारे में इस धारा के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि वे ऐसे मुकदमा करने वाले व्यक्तियों से व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करते हैं ।

[1]**[स्पष्टीकरण 7**- इस धारा के उपबंध किसी डिक्री के निष्पादन के लिए कार्यवाही को लागू होंगे और इस धारा में किसी वाद, विवाद्यक या पूर्ववर्ती वाद के प्रति निर्देशों का अर्थ क्रमश: उस डिक्री के निष्पादन के लिए कार्यवाही, ऐसी कार्यवाही में उठने वाले प्रश्न और उस डिक्री के निष्पादन के लिए पूर्ववर्ती कार्यवाही के प्रति निर्देशों के रुप में लगाया जाएगा ।

स्पष्टीकरण 8- कोई विवाद्यक जो सीमित अधिकारिता वाले किसी न्यायालय द्वारा, जो ऐसा

विवाद्यक विनिश्चित करने के लिए सक्षम है, सुना गया है और अंतिम रुप से विनिश्चित किया जा चुका है, किसी पश्चातवर्ती वाद में पूर्व-न्याय के रुप में इस बात के होते हुए भी प्रवृत्त होगा कि सीमित अधिकारिता वाला ऐसा न्यायालय ऐसे पश्चातवर्ती वाद का या उस वाद का जिसमें ऐसा विवाद्यक वाद में उठाया गया है, विचारण करने के लिए, सक्षम नहीं था ।]

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 6 द्वारा (1.2.1977 से) अंत: स्थापित किया गया ।

12. अतिरिक्त वाद का वर्जन- जहाँ वादी किसी विशिष्ट वाद-हेतुक के संबध में अतिरिक्त वाद संस्थित करने से नियमों द्वारा प्रवारित है वहाँ वह किसी ऐसे न्यायालय में जिसे यह संहिता लागू है, कोई वाद ऐसे वाद-हेतुक के संबंध में संस्थित करने का हकदार नहीं होगा ।

13. विदेशी निर्णय कब निश्चायक नहीं होगा - विदेशी निर्णय उसके डरा उन्हीं पक्षकारों के बीच या उसी हक के अधीन मुकदमा करने वाले ऐसे पक्षकारों के बीच, जिनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते है, प्रत्यक्षत: न्यायानिर्णीत किसी विषय के बारे में वहाँ के सिवाय निश्चयात्मक होगा जहाँ -

(क) वह सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा नहीं सुनाया गया है,

(ख) वह मामले के गुणागुण के आधार पर नहीं दिया गया,

(ग) कार्यवाहियों के सकृत दर्शने स्पष्ट है कि वह अंतरराष्ट्रीय विधि के अशुद्ध बोध पर या [1][भारत] की विधि को उन मामलों में जिनको वह लागू है, मान्यता देने से इंकार करने पर आधारित है/वह कपट द्वारा अभिप्राप्त किया गया है ।

(घ) वे कार्यवाहियों, जिनमें वह निर्णय अभिप्राप्त किया गया था, नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध है,

(ड.) वह [2][भारत] में प्रवृत्त किसी विधि के भंग पर आधारित दावे को ठीक ठहराता है |

14. विदेशी निर्णयों के बारे में उपधारणा- न्यायालय किसी ऐसे दस्तावेज के पेश किए जाने पर जो विदेशी निर्णय की प्रमाणित प्रति होना तात्पर्यित है यदि अभिलेख से इसके प्रतिकूल प्रतीत नहीं होता है तो यह उपधारणा करेगा कि ऐसा निर्णय सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा सुनाया गया था किन्तु ऐसी उपधारणा को अधिकारिता का अभाव साबित करके विस्थापित किया जा सकेगा ।

1. 1951 के अधिनियम सं. 2 की धारा 3 द्वारा "राज्यों" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।
2. 1951 के अधिनियम सं. 2 की धारा 3 द्वारा "राज्यों" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।

वाद करने का स्थान

15. वह न्यायालय जिसमें वाद संस्थित किया जाए- हर वाद उस निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में संस्थित किया जाएगा जो उसका विचारण करने के लिए सक्षम है ।

16. वादों का वहाँ संस्थित किया जाना जहाँ विषय-वस्तु स्थित है- किसी विधि द्वारा विहित धन-संबंधी या अन्य परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, वे वाद जो-

(क) भाटक या लाभों के सहित या रहित स्थावर संपत्ति के प्रत्युद्धरण के लिए,

(ख) स्थावर संपत्ति के विभाजन के लिए,

(ग) स्थावर संपत्ति के बंधक की या उस पर के भार की दशा में पुरोबंध, विक्रय या मोचन के लिए,

(घ) स्थावर संपत्ति में के किसी अन्य अधिकार या हित के अवधारण के लिए,

(ड) स्थावर संपत्ति के प्रति किए गए दोष के लिए प्रतिकर के लिए,

(च) करस्थम् या कुर्की के वस्तुत; अधीन जगम संपत्ति के प्रत्युद्धरण के लिए,

हैं, उस न्यायालय में संस्थित किए जाएँगे जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर वह संपत्ति स्थित है :

परन्तु प्रतिवादी के द्वारा या निमित्त धारित स्थावर संपत्ति के सबध में अनुतोष की या ऐसी संपत्ति के प्रति किए गए दोष के लिए प्रतिकर की अभिप्राप्ति के लिए वाद, जहाँ चाहा गया अनुतोष उसके स्वीय आज्ञानुवर्तन के द्वारा पूर्ण रुप से अभिप्राप्त किया जा सकता है, उस न्यायालय में जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर संपत्ति स्थित है या उस न्यायालय में जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर प्रतिवादी वास्तव में और स्वेच्छा से निवास करता है या कारबार करता है या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता है, संस्थित किया जा सकेगा ।

स्पष्टीकरण- इस धारा में “संपत्ति” से [1][भारत] में स्थित संपत्ति अभिप्रेत है।

1. 1951 के अधिनियम सं. 2 की धारा 3 द्वारा "राज्यों" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया |

17. विभिन्न न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर स्थित स्थावर संपत्ति के लिए वाद- जहाँ वाद विभिन्न न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर स्थित स्थावर संपत्ति के संबंध में अनुतोष की या ऐसी संपत्ति के प्रति किए गए दोष के लिए प्रतिकर की अभिप्राप्ति के लिए है वहाँ वह वाद किसी भी ऐसे न्यायालय में संस्थित किया जा सकेगा जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर संपत्ति का कोई भाग स्थित है :

परन्तु यह तब जबकि पूरा दावा उस वाद की विषय-वस्तु के मूल्य की दृष्टि से ऐसे न्यायालय द्वारा संज्ञेय है ।

18. जहाँ न्यायालयों की अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं-अनिश्चित है वहाँ वाद के संस्थित किए जाने का स्थान- (1) जहाँ यह अभिकथन किया जाता है कि यह अनिश्चित है कि कोई स्थावर संपत्ति दो या अधिक न्यायालयों में से किस न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थित है वहाँ उन न्यायालयों में से कोई भी एक न्यायालय, यदि उसका समाधान हो जाता है कि अभिकथित अनिश्चितता के लिए आधार है, उस भाव का कथन अभिलिखित कर सकेगा और तब उस संपत्ति से संबंधित किसी भी वाद को ग्रहण करने और उसका निपटारा करने के लिए आगे कार्यवाही कर सकेगा, और उस वाद में उसकी डिक्री का वही प्रभाव होगा मानो वह संपत्ति उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थित हो :

परन्तु यह तब जबकि वह वाद ऐसा है जिसके सबध में न्यायालय उस वाद की प्रकृति और मूल्य की दृष्टि से अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए सक्षम है।

(2) जहाँ कथन उपधारा (1) के अधीन अभिलिखित नहीं किया गया है और किसी अपील या पुनरीक्षण न्यायालय के सामने यह आक्षेप किया जाता है कि ऐसी संपत्ति से संबंधित वाद में डिक्री या आदेश ऐसे न्यायालय द्वारा किया गया था जिसकी वहाँ अधिकारिता नहीं थी जहाँ संपत्ति स्थित है वही अपील या पुनरीक्षण न्यायालय उस आक्षेप को तब तक अनुज्ञात नहीं करेगा जब तक कि उसकी राय न हो कि वाद के संस्थित किए जाने के समय उसके संबंध में अधिकारिता रखने वाले न्यायालय के बारे में अनिश्चितता के लिए कोई युक्तियुक्त आधार नहीं था उसके परिणामस्वरूप न्याय की निष्फलता हुई है।

19. शरीर या जंगम संपत्ति के प्रति किए गए दोषों के लिए प्रतिकर के लिए वाद - जहाँ वाद शरीर या जंगम संपत्ति के प्रति किए गए दोष के लिए प्रतिकर के लिए है वहाँ यदि दोष एक न्यायालय की

अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर किया गया था और प्रतिवादी किसी अन्य न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय समाओं के भीरत निवास करता है या कारबार करता है या अभिलाभ के लिए स्वंय काम करता है तो वाद वादी के विकल्प पर उक्त न्यायालयों में से किसी भी न्यायालय में संस्थित किया जा सकेगा |

20. अन्य वाद वहाँ संस्थित किए जा सकेंगे जहाँ प्रतिवादी निवास करते हैं या वाद- हेतुक पैदा होता है- पूर्वोक्त परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, हर वाद ऐसे न्यायालय में संस्थित किया जाएगा जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर-

(क) प्रतिवादी या जहाँ एक से अधिक प्रतिवादी है वहाँ प्रतिवादियों मे से हर एक वाद के प्रारंभ के समय वास्तव में और स्वेच्छा से निवास करता है या कारबार करता है या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता है, अथवा

(ख) जहाँ एक से अधिक प्रतिवादी है वहाँ प्रतिवादियों में से कोई भी प्रतिवादी वाद के प्रारंभ के समय वास्तव में और स्वेच्छा से निवास करता है या कारबार करता है या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता है, परंतु यह तब जबकि ऐसी अवस्था में या तो न्यायालय की इजाजत दे दी गई है या जो प्रतिवादी पूर्वोक्त रूप में निवास नहीं करने या कारबार नहीं करते या अभिलाभ के लिए स्वयं काम नहीं करते, वे ऐसे संस्थित किए जाने के लिए उपगत हो गए है; अथवा

(ग) वाद-हेतुक पूर्णत: या भागत: पैदा होता है :

[1]* * * * *

[2]**[स्पष्टीकरण]** - निगम के बारे में यह समझा जाएगा कि यह [3][भारत] में के अपने एकमात्र या प्रधान कार्यालय में या किसी ऐसे वाद-हेतुक की बाबत, जो ऐसे किसी स्थान में पैदा हुआ है जहाँ उसका अधीनस्थ कार्यालय भी है, ऐसे स्थान में कारबार करता है ।

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 7 द्वारा (1.2.1977 से) स्पष्टीकरण 1 का लोप ।
2. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 7 द्वारा (1.2.1977 से) "स्पष्टीकरण 2" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।
3. 1961 के अधिनियम सं. 2 की धारा 3 द्वारा "राज्यो" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।

21. अधिकारिता के बारे में आक्षेप - [1][(1)] वाद लाने के स्थान के संबंध में कोई भी आक्षेप किसी भी अपील या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा तब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक जब तक कि ऐसा आक्षेप प्रथम बार के न्यायालय में यथासंभव सर्वप्रथम अवसर पर और उन सभी मामलों में, जिनमें विवाद्क स्थिर किए जाते है, ऐसे स्थिरीकरण के समय या उसके पहले न किया गया हो और जब तक कि उसके परिणामस्वरूप न्याय की निष्फलता न हुई हो ।

[2][(2)] किसी न्यायालय की अधिकारिता की धन - संबंधी परिसीमा के आधार पर उसकी सक्षमता के बारे में कोई आक्षेप किसी अपील या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा तब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसा आक्षेप प्रथम बार के न्यायालय में यथासंभव सर्वप्रथम अवसर पर और उन सभी मामलो में, जिनमें विवाद्यक स्थिर किए जाते हैं, ऐसे स्थिरीकरण के समय या उसके पहले न किया गया हो और जब तक कि उसके परिणामस्वरूप न्याय की निष्फलता न हुई हो ।

(3) किसी निष्पादन -न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के आधार पर उसकी सक्षमता के बारे में कोई आक्षेप अपील या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा तब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसा आक्षेप निष्पादन न्यायालय में यथासंभव सर्वप्रथम अवसर पर न किया गया हो और जब तक कि

उसके परिणाम स्वरूप न्याय की निष्फलता न हुई हो ।]

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 8 द्वारा (1.2.1977 से) धारा 21 उसकी उपधारा (1) के रूप मे पुन: संख्याकित किया गया |
2. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 8 द्वारा (1.2.1977 से) अत: स्थापित किया गया |

[1][**21क. वाद लाने के स्थान के बारे में आक्षेप पर डिक्री को अपास्त करने के लिए वाद का वर्जन-** उसी हक के अधीन मुकदमा करने वाले उन्हीं पक्षकारों के बीच या ऐसे पक्षकारों के बीच जिनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते है, किसी पूर्ववर्ती वाद में पारित डिक्री की विधिमान्यता को वाद लाने के स्थान के बारे में किसी आक्षेप के आधार पर प्रश्नगत करने वाला कोई वाद नहीं लाया जाएगा ।

स्पष्टीकरण- "पूर्ववर्ती वाद" पद से वह वाद अभिप्रेत है जो उस वाद के विनिश्चय के पहले विनिश्चित हो चुका है जिसमें डिक्री की विधिमान्यता का प्रश्न उठाया गया है,चाहे पूर्वतन विनिश्चित वाद उस वाद से पहले संस्थित किया गया हो या बाद में जिसमें डिक्री की विधिमान्यता का प्रश्न उठाया गया है ।

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 9द्वरा (1.2.1977 से) अत: स्थापित किया गया ।

22. जो वाद एक से अधिक न्यायालयों में संस्थित किए जा सकते है उनको अन्तरित करने की शक्ति- जहां कोई वाद दो या अधिक न्यायालयों में से किसी एक में संस्थित किया जा सकता है और ऐसे न्यायलयों में से किसी एक में संस्थित किया गया है वहां कोई भी प्रतिवादी अन्य पक्षकारों की सूचना देने के पश्चात् यथासंभवव सर्वप्रथम अवसर पर और उन सब मामलों में, जिनमें विवाद्यक स्थिर किए जाते है, ऐसे स्थिरीकरण के समय या उसके पहले किसी अन्य न्यायालय को वाद अन्तरित किए जाने के लिए आवेदन कर सकेगा और वह न्यायालय जिससे ऐसा आवेदन किया गया है, अन्य पक्षक परों के (यदि कोई हों) आक्षेपों पर विचार करनेके पश्चात् यह अवधारित करेगा कि अधिकारिता रखने वाले कई न्यायालयों में से किस न्यायालय में वाद चलेगा ।

23. किस न्यायलय में आवेदन किया जाए- (1) जहां अधिकारिता रखने वाले कई न्यायालय एक ही अपील न्यायालय के अधीनस्थ है वहां धारा 22 के अधीन आवेदन अपील न्यायालय में किया जाएगा ।

(2) जहां ऐसे न्यायालय विभिन्न अपील न्यायालयों के अधीन होते हुए भी एक ही उच्च न्यायालय के अधीनस्थ है वहां वह आवेदन उक्त उच्च न्यायालय में किया जाएगा ।

(3) जहां ऐसे न्यायालय विभिन्न उच्च न्यायालयों के अधीनस्थ है वहां आवेदन उस उच्च न्यायालय में किया जाएगा जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर वह न्यायालय स्थित है जिसमें वाद लाया गया है ।

24. अन्तरण और प्रत्याहरण की साधारण शक्ति- (1) किसी भी पक्षकार के आवेदन पर और पक्षकारों को सूचना देने के पश्चात् और उनमें से जो सुनवाई के इच्छुक हों उनको सुनने के पश्चात् या ऐसी सूचना दिए बिना स्वप्रेरणा से, उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय किसी भी प्रक्रम में-

(क) ऐसे किसी वाद, अपील या अन्य कार्यवाही को, जो उसके सामने विचारण या निपटारे के लिए लम्बित है, अपने अधीनस्थ ऐसे किसी न्यायालय को अन्तरित कर सकेगा जो उसका विचारण करने या उसे निपटाने के लिए सक्षम है, अथवा

(ख) अपने अधीनस्थ किसी न्यायालय में लम्बित किसी वाद, अपील या अन्य कार्यवाही का प्रत्याहरण कर सकेगा तथा-

(i) उसका विचारण या निपटारा कर सकेगा; अथवा

(ii) अपने अधीनस्थ ऐसे किसी न्यायालय को उसका विचारण या निपटारा करने के लिए अन्तरित कर सकेगा, जो उसका विचारण करने या उसे निपटाने के लिए सक्षम है; अथवा

(iii) विचारण या निपटारा करने के लिए उसी न्यायालय को उसका प्रत्यन्तरण कर सकेगा, जिससे उसका प्रत्याहरण किया गया था ।

(2) जहां किसी वाद या कार्यवाही का अन्तरण या प्रत्याहरण उपधारा (1) के अधीन किया गया है वहा वह न्यायालय, जिसे [1][ऐसे वाद या कार्यवाही का तत्पश्चात् विचारण करना है या उसे निपटाना है] अन्तरण आदेश में दिए गए विशेष निदेशों के अधीन रहते हुए या तो उसका पुन: विचारण कर सकेगा या उस प्रक्रम से आगे कार्यवाही करेगा जहां से उसका अन्तरण या प्रत्याहरण किया गया था ।

[2][(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, -

(क) अपर और सहायक न्यायाधीशों के न्यायालय, जिला न्यायालय के अधीनस्थ समझे जाएगें;

(ख) "कार्यवाही" के अन्तर्गत किसी डिक्री या आदेश के निष्पादन के लिए कार्यवाही भी है |]

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 10 द्वारा (1.2.1977 से) "ऐसे वाद का तत्पश्चात् विचारण करना है" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।
2. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 10 द्वारा (1.2.1977 से) उपधारा (3) के स्थान पर प्रतिस्थापित किया ।

(4) किसी लघुवाद न्यायालय से इस धारा के अधीन अन्तरित या प्रत्याहृत किसी वाद का विचारण करने वाला न्यायालय ऐसे वाद के प्रयोजनों के लिए लघुवाद न्यायालय समझा जाएगा ।

[1][(5) कोई वाद या कार्यवाही उस न्यायालय से इस धारा के अधीन अन्तरित की जा सकेगी जिसे उसका विचारण करने की अधिकारिता नहीं है ।)

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 10 द्वारा (1-2-1977 से) अन्तःस्थापित किया गया ।

[1][25. वादों आदि के अंतरण करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति - (1) किसी पक्षकार के आवेदन पर और पक्षकारों को सूचित करने के पश्चात् और उनमें से जो सुनवाई के इन्व्छुक हों उनको सुनने के पश्चात् यदि उच्चतम न्यायालय का किसी भी प्रक्रम पर यह समाधान हो जाता है कि न्याय की प्राप्ति के लिए इस धारा के अधीन आदेश देना समीचीन है तो वह यह निदेश दे सकेगा कि किसी राज्य के किसी उच्च न्यायालय या अन्य सिविल न्यायालय से किसी अन्य राज्य के किसी उच्च न्यायालय या अन्य सिविल न्यायालय को कोई वाद, अपील या अन्य कार्यवाही अन्तरित कर दी जाए।

(2) इस धारा के अधीन प्रत्येक आवेदन समावेदन के द्वारा किया जाएगा और उसके अनुसमर्थन में एक शपथपत्र होगा।

(3) वह न्यायालय जिसको ऐसा वाद, अपील या अन्य कार्यवाही अन्तरित की गई है, अन्तरण आदेश में दिए गए विशेष निदेशों के अधीन रहते हुए, या तो उसका पुन:विचारण करेगा या उस प्रक्रम से आगे कार्यवाही करेगा जिस पर वह उसे अंतरित किया गया था।

(4) इस धारा के अधीन आवेदन को खारिज करते हुए यदि उच्चतम न्यायालय की यह राय है कि

आवेदन तुच्छ था या तंग करने वाला था तो वह आवेदक को यह आदेश दे सकेगा कि वह उस व्यक्ति को जिसने आवेदन का विरोध किया है, प्रतिकर के रूप में दो हजार रुपए से अनधिक ऐसी राशि संदत्त करे जो न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उचित समझे |

(5) इस धारा के अधीन अन्तरित वाद, अपील या अन्य कार्यवाही को लागू होने वाली विधि वह विधि होगी जो वह न्यायालय जिसमें वह वाद, अपील या अन्य कार्यवाही मूलत: संस्थित की गई थी, ऐसे वाद अपील या अन्य कार्यवाही को लागू करता।

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 11 द्वारा (1-2-1977 से धारा 25 के स्थान पर प्रतिस्थापित किया |

वादों का संस्थित किया जाना

26.वादों का संस्थित किया जाना - [1][(1)] - हर वाद वादपत्र को उपस्थित करके, या ऐसे अन्य प्रकार ऐसे प्रकार से, जैसा विहित किया जाए, संस्थित किया जाएगा ।

[2][(2)] प्रत्येक वादपत्र में तथ्य शपथपत्र द्वारा साबित किए जाएंगे ।]

समन और प्रकटीकरण

27. प्रतिवादियों को समन- जहां कोई वाद सम्यक् रुप से संस्थित किया जा चुका है वहां उपसंजात होने और दावे का उत्तर देने के लिए समन प्रतिवादी के नाम निकाला जा सकेगा [3][और उसकी तामील ऐसे दिन को, जो वाद के संस्थापन की तारीख से तीस दिन के बाद का न हो, विहित रीति से की जा सकेगी ।]

28. जहां प्रतिवादी किसी अन्य राज्य में निवास करता है वहां समन की तामील- (1) समन अन्य राज्य में तामील किए जाने के लिए ऐसे न्यायालय को और ऐसी रीति से भेजा जा सकेगा जो उस राज्य में प्रवृत्त नियमों द्वारा विहित की जाए।

(2) वह न्यायालय जिसे ऐसा समन भेजा जाता है, उसकी प्राप्ति पर आगे ऐसे कार्यवाही करेगा मानो वह उस न्यायालय द्वारा ही निकाला गया हो और तब वह उस समन को तथा उसके बारे में अपनी कार्यवाहियों के अभिलेख को (यदि कोई हो) उसे निकालने वाले न्यायालय को लौटाएगा |

1. 1999 के अधिनियम सं. 46 की धारा 2 द्वारा (1-7-2002 से) धारा 26 को उसकी उपधारा (1) के रुप मे पुन: संख्याकित किया गया ।
2. 1999 के अधिनियम सं. 46 की धारा 3 द्वारा (1-7-2002 से) अंत:स्थापित ।
3. 1999 के अधिनियम सं. 46 की धारा 3 द्वारा (1-7-2002 से) अंत:स्थापित ।

[1][(3) जहां किसी दूसरे राज्य में तामील के लिए भेजे गए समन की भाषा उपधारा (2) में निर्दिष्ट अभिलेख की भाषा से भिन्न है वहां उस उपधारा के अधीन भेजे गए अभिलेख के साथ उसके साथ उसका--

(क) यदि समन जारी करने वाले न्यायालय की भाषा हिन्दी है तो, हिन्दी में, या

(ख) यदि ऐसे अभिलेख कीं भाषा हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न है तो, हिन्दी या अंग्रेजी में,

अनुवाद भी भेजा जाएगा।

[2][29. विदेशी समनों की तामील- वे समन और अन्य आदेशिकाएं जो -

(क) भारत के किसी भी ऐसे भाग में स्थापित किसी सिविल या राजस्व न्यायालय द्वारा जिस पर इस संहिता के उपबन्धों का विस्तार नहीं है; अथवा

(ख) किसी ऐसे सिविल या राजस्व न्यायालय द्वारा जो केन्द्रीय सरकार के प्राधिकार से भारत के बाहर स्थापित किया गया है या चालू रखा गया है; अथवा

(ग) भारत के बाहर के किसी अन्य ऐसे सिविल या राजस्व न्यायालय द्वारा जिसके बारे में केन्द्रीय सरकार ने राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह घोषित किया है कि उसे इस धारा के उपबन्ध लागू है,

निकाली गई है, उन राज्यक्षेत्रो में के न्यायालयों को भेजी जा सकेगी जिन पर इस संहिता का विस्तार है और उनकी तामील ऐसे की जा सकेगी मानो वे ऐसे न्यायालयों द्वारा निकाले गए समन हो।]

1.1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 12 द्वारा (1-5-1977 से) अन्तःस्थापित किया गया|

2.1951 के अधिनियम सं. 2 की धारा 6 द्वारा पूर्ववर्ती धारा के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया|

30. प्रकटीकरण और उसके सदृश बातों के लिए आदेश करने की शक्ति- ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए जो विहित की जाएं, न्यायालय किसी भी समय या तो स्वप्रेरणा से या किसी भी पक्षकार के आवेदन पर-

(क) ऐसे आदेश कर सकेगा जो परिप्रश्नों के परिदान और उनका उत्तर देने से, दस्तावेजों और तथ्यों की स्वीकृति से और दस्तावेजों या अन्य भौतिक पदार्थों के जो साक्ष्य के रुप में पेश किए जाने योग्य हों, प्रकटीकरण, निरीक्षण, पेश किए जाने, परिबद्ध किए जाने और लौटाए जाने से सम्बन्धित सभी विषयों के बारे में आवश्यक या युक्तियुक्त है;

(ख) ऐसे व्यक्तियों के नाम समन निकाल सकेगा जिनकी हाजिरी या तो साक्ष्य देने या दस्तावेजें पेश करने या पूर्वोक्त जैसे अन्य पदार्थों को पेश करने के लिए अपेक्षित है;

(ग) यह आदेश दे सकेगा कि कोई तथ्य शपथपत्र द्वारा साबित किया जाए।

31. साक्षी को समन- धारा 27, धारा 28 और धारा 29 के उपबन्ध साक्ष्य देने या दस्तावेजों या अन्य भौतिक पदार्थों के पेश करने के लिए समनों को लागू होंगे।

32. व्यतिक्रम के लिए शक्ति- न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके नाम धारा 30 के अधीन समन निकाला गया है, हाजिर होने के लिए विवश कर सकेगा और उस प्रयोजन के लिए-

(क) उसकी गिरफतारी के लिए वारंट निकाल सकेगा;

(ख) उसकी सम्पत्ति को कुर्क कर सकेगा और उसका विक्रय कर सकेगा;

(ग) उसके ऊपर [1][पांच हजार रुपए से अनधिक] जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा;

(घ) उसे आदेश दे सकेगा कि वह अपनी उपसंजाति के लिए प्रतिभूति दे और व्यतिक्रम करने पर उसको सिविल कारागार को सुपर्द कर सकेगा ।

1. 1999 के अधिनियम सं. 46 की धारा 4 द्वारा (1-7-2002 से) कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

निर्णय और डिक्री

33. निर्णय और डिक्री- न्यायालय मामले की सुनवाई हो चुकने के पश्चात् निर्णय सुनाएगा और ऐसे निर्णय के अनुसरण में डिक्री होगी।

ब्याज

34. ब्याज-(1) जहां और जहां तक कि डिक्री धन के संदाय के लिए है, न्यायालय डिक्री में यह आदेश दे सकेगा कि न्यायनिर्णीत मूल राशि पर किसी ऐसे ब्याज के अतिरिक्त जो ऐसी मूल राशि पर वाद संस्थित किए जाने से पूर्व कि किसी अवधि के लिए न्यायनिर्णीत हुआ है, वाद की तारीख से डिक्री की तारीख तक ब्याज, ऐसी दर से जो न्यायालय युक्तियुक्त समझे, [1][ऐसी मूल राशि पर] डिक्री की तारीख से संदाय की तारीख तक या ऐसी पूर्वतर तारीख तक जो न्यायालय ठीक समझे, [2][छह प्रतिशत प्रति वर्ष से अनधिक ऐसी दर से जो न्यायालय युक्तियुक्त समझे, आगे के ब्याज सहित,] दिया जाए:

[3][परन्तु जहां इस प्रकार न्यायनिर्णीत राशि के संबंध में दायित्व किसी वाणिज्यिक संव्यवहार से उदभूत हुआ था वहां ऐसे आगे के ब्याज की दर छह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से अधिक हो सकती है, किन्तु ऐसी दर ब्याज की संविदात्मक दर से जहां कोई संविदात्मक दर नहीं है वहां उस दर से अधिक नहीं होगी जिस पर वाणिज्यिक संव्यवहार के संबंध में राष्ट्रीयकृत बैंक धन उधार या अग्रिम देते है।

स्पष्टीकरण 1- इस उपधारा में **"राष्ट्रीयकृत बैंक"** से बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) में यथापरिभाषित तत्स्थानी नया बैंक अभिप्रेत है ।

1. 1956 के अधिनियम सं. 66 की धारा 2 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित किया
2. 1956 के अधिनियम सं. 66 की धारा 2 द्वारा कुछ शब्दो के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया
3. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 13 द्वारा (1-7-1977 से) जोडा ।

स्पष्टीकरण 2- इस धारा के प्रयोजनो के लिए, कोई संव्यवहार वाणिज्यिक संव्यवहार है, यदि वह दायित्व उपगत करने वाले पक्षकार के उद्योग, व्यापार या कारबार से सम्बन्धित है ।)

(2) [1][जहां ऐसी मूल राशि पर] डिक्री की तारीख से संदाय की तारीख तक या अन्य पूर्वतर तारीख तक आगे के ब्याज के संदाय के संबंध में ऐसी डिक्री मौन है वहा यह समझा जाएगा कि न्यायालय ने ऐसा ब्याज दिलाने से इन्कार कर दिया है और उसके लिए पृथक वाद नहीं होगा ।

1. 1956 के अधिनियम सं. 66 की धारा 2 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया |

खर्चे

35. खर्चे- (1) ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के जो विहित की जाएं और तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सभी वादों के और उनसे आनुषंगिक खर्चों का दिलाना न्यायालय के विवेकाधिकार में होगा और न्यायालय को यह अवधारणा करने की कि ऐसे खर्चे किसके द्वारा या किस सम्पत्ति में से और कितने तक दिए जाने हैं, और पूर्वोक्त प्रयोजनो के लिए सभी आवश्यक निदेश देने की पूरी शक्ति होगी । यह तथ्य कि न्यायालय को वाद का विचारण करने की अधिकारिता नहीं है, ऐसी शक्तियों के प्रयोग के लिए वर्जन नहीं होगा।

(2) जहां न्यायालय यह निदेश देता है कि खर्चे परिणाम के अनुसार नहीं दिए जाएगें वहां न्यायालय अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा ।

[2][35क. मिथ्या या तंग करने वाले दावों या प्रतिरक्षाओं के लिए प्रतिकरात्मक खर्चे- (1) यदि किसी वाद में या अन्य कार्यवाही में [3][जिसके अन्तर्गत निष्पादन कार्यवाही आती है किन्तु [4][अपील या पुनरीक्षण

नहीं आती है] कोई पक्षकार दावे या प्रतिरक्षा के बारे में इस आधार पर आक्षेप करता है कि दावा या प्रतिरक्षा या उसका कोई भाग, जहां तक वह आक्षेपकर्ता के विरुद्ध है, वहां तक उस पक्षकार के ज्ञान के मिथ्या या तंग करने वाला है, जिसके द्वारा वह किया गया है, और तत्पश्चात् यदि ऐसा दावा या ऐसी प्रतिरक्षा वहा तक पूर्णत: या भागत: नामजूर, परित्यक्त या प्रत्याहृत की जाती है जहां तक वह आक्षेपकर्ता के विरुद्ध है, तो न्यायालय,

[1][यदि वह ठीक समझे तो,] ऐसे दावे या प्रतिरक्षा को मिथ्या या तंग करने वाली ठहराने के लिए अपने कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात् यह आदेश कर सकेगा कि आक्षेपकर्ता को प्रतिकर के रुप में खर्चे का संदाय वह पक्षकार करे जिसके द्वारा ऐसा दावा या प्रतिरक्षा की गई है ।

1. 1956 के अधिनियम सं. 66 की धारा 3 द्वारा उपधारा (3) का लोप ।
2. 1922 के अधिनियम सं. 9 की धारा 2 द्वारा धारा 35क का अन्तःस्थापन किया गया था, जिसे उसकी धारा 1(2) के अधीन किसी भी राज्य मे किसी विनिर्दिष्ट तारीख को राज्य सरकार द्वारा प्रवृत किया जा सकेगा । इसे मुम्बई, बंगाल, संयुक्त प्रान्त, पंजाब, बिहार, मध्य प्रान्त, असम, उडीसा और तमिलनाडु मे इस प्रकार प्रवृत किया ।
3. 1956 के अधिनियम सं. 66 की धारा 4 द्वारा "जो अपील नहीं है" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।
4. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 14 द्वारा (1-2-1977 से) "जिसमें से अपील अपवर्जित है" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।

(2) कोई भी न्यायालय [2][तीन हजार रुपए] की रकम और अपनी धन-संबंधी अधिकारिता की परिसीमा तक की रकम में से जो भी रकम कम हो, उससे अधिक रकम के सदाय के लिए ऐसा कोई आदेश नहीं करेगा:

परन्तु जहां किसी ऐसी न्यायालय की जो प्रान्तीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम, 1887 (1887का 9) [3][या [4][भारत के किसी ऐसे भाग] में, [5][जिस पर उक्त अधिनियम का विस्तार नहें है,] प्रवृत्त तस्तमान विधि के अधीन]] लघुवाद न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करता है और जो [6][ऐसे अधिनियम या विधि के अधीन] गठित न्यायालय नहीं है, अधिकारिता की धन-संबंधी परिसीमाऐ दो सौ पचास रुपए से कम है वहां उच्च न्यायालय ऐसी रकम, जो दो सौ पचास रुपए से अनधिक हो, और उन परिसीमाओं से एक सौ रुपए से अधिक न हो, खर्चे के रूप में इस धारा के अधीन अधिनिर्णीत करने की शक्ति उस न्यायालय को दे सकेगा:

परन्तु यह और कि उच्च न्यायालय ऐसी रकम को परिसीमित कर सकेगा, जिसे कोई न्यायालय या न्यायालयों का वर्ग इस धारा के अधीन खर्च के रूप में अधिनिर्णीत करने के लिए सशक्त है |

(3) कोई भी व्यक्ति, जिसके विरुद्ध जिसके इस धारा के अधीन आदेश किया गया है, इस कारण से कोई छूट किसी ऐसे आपराधिक दायित्व से नहीं पाएगा, जो उसके द्वारा किए गए किसी दावे या प्रतिरक्षा के संबंध में हैं ।

(4) किसी मिथ्या या तंग करने वाले दावे या प्रतिरक्षा के संबंध में इस धारा के अधीन अधिनिर्णीत किसी प्रतिकर की रकम को ऐसे दावे या प्रतिरक्षा के संबंध में नुकसानी या प्रतिकर के लिए किए गए किसी पश्चात्वर्ती वाद में हिसाब में लिया जाएगा ।

1. 1956 के अधिनियम सं. 66 की धारा 4 द्वारा कुछ शब्दो के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया|

2. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 14 द्वारा (1-2-1977 से) "एक हजार रुपए" के स्थान

पर प्रतिस्थापित किया गया |

3. 1951 के अधिनियम सं. 2 की धारा 7 द्वारा अन्तःस्थापित किया गया ।
4. विधि अनुकूलन (सं. 2) आदेश, 1966 द्वारा "भाग ख राज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।
5. विधि अनुकूलन (सं. 2) आदेश, 1956 द्वारा "भाग ख राज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।
6. 1961 के अधिनियम सं. 2 की धारा 7 द्वारा "उस अधिनियम के अधीन" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।

राज्य संशोधन

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा संशोधन- उत्तरप्रदेश सिविल विधि (सुधार एवं संशोधन) अधिनियम (1954 का 24 दिनांक 30-11-1964 से प्रभावी) के द्वारा उत्तरप्रदेश में प्रयोज्य होने के लिए अस्तित्वयुक्त उपधारा (1) के स्थान पर निम्न को प्रतिस्थापित किया गया-

"(1) यदि किसी वाद अथवा कार्रवाई निष्पादन कार्रवाई को शामिल करते हुए परंतु अपील अथवा पुनरीक्षण न होने वाली में, यदि न्यायालय यह पाता है कि दावा अथवा प्रतिरक्षा अथवा इसका कोई भाग उस पक्षकार की जानकारी जिसने कि इसे अग्रेषित किया है मिथ्या अथवा तंग करने वाला था एवं यदि ऐसा दावा अथवा प्रतिरक्षा अथवा इसका कोई भाग संपूर्ण तौर पर अथवा आंशिक तौर पर अस्वीकृत कर दिया जाता है, त्यक्त कर दिया जाता है अथवा वापिस ले लिया जाता है तो न्यायालय ऐसे दावे अथवा प्रतिरक्षा को मिथ्या या तंग करने वाला मानने के कारणों को अभिलिखित करने के उपरांत सफल पक्षकार को मामले में अन्य विवाद्यकों पर निर्णय होने के बावजूद भी प्रतिकर के रूप में खर्चे को भुगतान करने का आदेश दे सकेगा।

1976 के संशोधन अधिनियम क्र. 57 के द्वारा उत्तर प्रदेश में धारा 35 (1- क) को अंतःस्थापित किया गया है जो इस प्रकार है-

"35 (1- क) उपधारा (1) के प्रावधान यथावश्यक परिवर्तन सहित अपील को प्रयोज्य होंगे जहां अपीलीय न्यायालय विचारण न्यायालय के निर्णय को पुष्ट करता है और विचारण न्यायालय ने उस उपधारा के अधीन प्रतिकरात्मक कास्ट प्रदान नहीं की है अथवा असमुचित प्रदान की है ।"

[1][**35 ख. विलम्ब कारित करने के लिए खर्चा-** (1) यदि किसी वाद की सुनवाई के लिए या उसमें कोई कार्यवाही करने के लिए नियत किसी तारीख को, वाद का कोई पक्षकार-

(क) कार्यवाही करने में, जो वह उस तारीख को इस संहिता द्वारा या इसके अधीन करने के लिए अपेक्षित था, असफल रहता है; अथवा

(ख) ऐसी कार्यवाही करने के लिए या साक्ष्य पेश करने के लिए या किसी अन्य आधार पर स्थगन अभिप्राप्त करता है, तो न्यायालय ऐसे कारणों के आधार पर जो लेखबद्ध किए जाएगें, ऐसे पक्षकार से दूसरे पक्षकार को ऐसे खर्चों का, जो न्यायालय की राय में दूसरे पक्षकार को उसके द्वारा उस तारीख को न्यायालय में हाजिर होने में उपगत व्ययों की बाबत प्रतिपूर्ति करने के लिए युक्तियुक्त रुप मे पर्याप्त हों, संदाय करने की अपेक्षा करने वाला आदेश कर सकेगा और ऐसे आदेश की तारीख के ठीक बाद की तारीख को ऐसे खर्चों का संदाय-

(क) यदि वादी को ऐसे खर्चों का संदाय करने का आदेश दिया गया था तो वादी द्वारा वाद;

(ख) यदि प्रतिवादी को ऐसे खर्चों का संदाय करने के लिए आदेश दिया गया था तो प्रतिवादी द्वारा

प्रतिरक्षा, में आगे कार्यवाही करने के लिए पुरोभाव्य शर्त होगी।

स्पष्टीकरण- जहां प्रतिवादियों या प्रतिवादियों के समूहों द्वारा पृथक-पृथक प्रतिरक्षाएं की गई हैं वहां ऐसे खर्चा का संदाय, ऐसे प्रतिवादियों या प्रतिवादियों के समूहों द्वारा, जिन्हें न्यायालय द्वारा ऐसे खर्चों का संदाय करने का आदेश दिया गया है, प्रतिरक्षा में आगे कार्यवाही करने के लिए पुरोभाव्य शर्त होगी।

(2) ऐसे खर्चे, जिनका उपधारा (1) के अधीन संदाय किए जाने का आदेश किया गया है यदि उनका संदाय कर दिया गया है तो, उस वाद में पारित डिक्री में अधिनिर्णीत किए गए खर्चों में सम्मिलित नही किए जाएंगे; किन्तु यदि ऐसे खर्चों का संदाय नहीं किया गया है तो, ऐसे खर्चों की रकम और उन व्यक्तियों के नाम और पते, जिनके द्वारा ऐसे खर्चे संदेय है, उपदर्शित करने वाला पृथक आदेश किया जाएगा और ऐसे तैयार किए गए आदेश का ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध निष्पादन किया जा सकेगा।

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 15 द्वारा (1-2-1977 से) अन्त: स्थापित किया गया|

भाग 2

निष्पादन

साधारण

[1]**[36. आदेशों को लागू होना-** इस संहिता के डिक्रियों के निष्पादन से सम्बन्धित उपबन्धों के बारे में (जिनके अन्तर्गत डिक्री के अधीन संदाय से संबंधित उपबन्ध भी है) यह समझा जाएगा कि वे आदेशो के निष्पादन को (जिनके अन्तर्गत आदेश के अधीन संदाय भी हैं) वहां तक लागू हैं जहां तक कि वे उन्हें लागू किए जा सकेंगे।]

37. डिक्री पारित करने वाले न्यायालय की परिभाषा- जब तक कि कोई बात, विषय या संदर्भ में विरुद्ध में न हो, डिक्रियों के निष्पादन के सम्बन्ध मे "डिक्री पारित करने वाला न्यायालय" पद के या उस प्रभाव वाले शब्द के बारे में यह समझा जाएगा कि उसके या उनके अन्तर्गत-

(क) जहां निष्पादित की जाने वाली डिक्री अपीली अधिकारिता के प्रयोग में पारित की गई है वहा प्रथम बार का न्यायालय आता है, तथा

(ख) जहां प्रथम बार का न्यायालय विद्यमान नहीं रह गया है या उसे निष्पादित करने की अधिकारिता उसे नहीं रह गई है वहा वह न्यायालय आता है जो, यदि वह वाद जिसमें डिक्री पारित की गई है, डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन देने के समय संस्थित किया जाता तो ऐसे वाद का विचारण करने की अधिकारिता रखता। विचारण करने की अधिकारिता रखता |

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 16 द्वारा (1-2-1977 से) धारा 36 के स्थान पर प्रतिस्थापित किया ।

[1]**[स्पष्टीकरण--** प्रथम बार के न्यायालय की डिक्री का निष्पादन करनेकी अधिकारिता केवल इस आधार पर समाप्त नहीं हो जाती कि उस वाद के संस्थित किए जाने के पश्चात् जिसमें डिक्री पारित की गई थी या डिक्री पारित किए जाने के पश्चात् उस न्यायालय की अधिकारिता से कोई क्षेत्र किसी अन्य न्यायालय की अधिकारिता में अन्तरित कर दिया गया है किन्तु ऐसे प्रत्येक मामले में, ऐसे अन्य न्यायालय को भी डिक्री के निष्पादन की अधिकारिता होगी यदि डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन करने के समय, उसे उक्त वाद का विचारण करने की अधिकारिता होती।]

वे न्यायालय जिनके द्वारा डिक्रिया निष्पादित की जा सकेंगी

38.वह न्यायालय जिसके द्वारा डिक्री निष्पादित की जा सकेगी- डिक्री या तो उसे पारित करने वाले न्यायालय द्वारा या उस न्यायालय द्वारा, जिसे वह निष्पादन के लिए भेजी गई है, निष्पादित की जा सकेगी।

39. डिक्री का अन्तरण–(1) डिक्री पारित करने वाला न्यायालय डिक्रीदार के आवेदन पर उसे [2][सक्षम अधिकारिता वाले अन्य न्यायालय को] निष्पादन के लिए भेजेगा-

(क) यदि वह व्यक्ति, जिसके विरुद्ध डिक्री पारित की गई है, ऐसे अन्य न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर वास्तव में और स्वेच्छा से निवास करता है या कारबार करता है या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता है; अथवा

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 17 द्वारा (1-2-1977 से) अन्तःस्थापित किया गया ।
2. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 8 द्वारा (1-2-1977 से कुछ शब्दो के स्थान पर प्रतिस्थापित किया |

(ख) यदि ऐसे व्यक्ति की सम्पत्ति जो ऐसी डिक्री की तुष्टि के लिए पर्याप्त हो डिक्री पारित करने वाले न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर नहीं है और ऐसे अन्य न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर है; अथवा

(ग) यदि डिक्री उसे पारित करने वाले न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के बाहर स्थित स्थावर सम्पत्ति के विक्रय या परिदान का निदेश देती है; अथवा

(घ) यदि डिक्री पारित करने वाला न्यायालय किसी अन्य कारण से जिसे वह लेखबद्ध करेगा, यह विचार करता है कि डिक्री का निष्पादन ऐसे अन्य न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए।

(2) डिक्री पारित करने वाला न्यायालय प्रेरणा से उसे सक्षम अधिकारिता वाले किसी भी अधीनस्थ न्यायालय को निष्पादन के लिए भेज सकेगा।

[1][(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, किसी न्यायालय को सक्षम अधिकारिता वाला न्यायालय समझा जाएगा यदि, उस न्यायालय को डिक्री के अन्तरण के लिए आवेदन करने के समय, ऐसे न्यायालय को उस वाद का विचारण करने की अधिकारिता होती जिसमें ऐसे डिक्री पारित की गई थी |]

[2][(4) इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि वह उस न्यायालय को, जिसने डिक्री पारित की है, अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के बाहर ऐसी डिक्री को, किसी व्यक्ति या सम्पत्ति के विरुद्ध निष्पादन के लिए प्राधिकृत करती है ।]

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 18 द्वारा (1-2-1977 से) अन्तःस्थापित किया गया ।
2. 2002 के अधिनियम सं. 22 की धारा 2 द्वारा (1-7-2002 से) अतःस्थापित ।

राज्य संशोधन

उत्तरप्रदेश राज्य संशोधन–उ.प्र. अधिनियम (1978 का 31) जो कि दिनांक 1-8-1978 से प्रभावी हुआ के द्वारा उत्तरप्रदेश राज्य में उपधारा (3) के स्थान पर निम्न को प्रतिस्थापित किया गया-

"(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए किसी न्यायालय को जिसमें की डिक्री पारित की गई थी सक्षम अधिकारता वाला न्यायालय माना जाएगा यदि डिक्री को अंतरण करने के लिए आवेदन करने के समय वाद की विषय वस्तु की राशि अथवा मूल्य इसकी मूल अधिकारता, यदि कोई हो की आर्थिक सीमाओं से अधिक

नहीं होता है, इस बात के होते हुए भी उसे वाद का विचारण करने की अधिकारिता नहीं थी। "

40. किसी अन्य राज्य के न्यायालय को डिक्री का अन्तरण- जहां डिक्री किसी अन्य राज्य में निष्पादन के लिए भेजी जाती है वहां वह ऐसे न्यायालय को भेजी जाएगी, और ऐसी रीति से निष्पादित की जाएगी जो उस राज्य में प्रवृत्त नियमों द्वारा विहित की जाए।

41. निष्पादन कार्यवाहियों के परिणाम का प्रमाणित किया जाना- वह न्यायालय, जिसे डिक्री को ऐसे निष्पादन का तथ्य या जहां पूर्व कथित न्यायालय उसे निष्पादित करने में असफल रहता है वहां ऐसी असफलता की परिस्थितियां प्रमाणित करेगा ।

42. अन्तरित डिक्री के निष्पादन में न्यायालय की शक्तियां- [1][(1)] अपने को भेजी गई डिक्री का निष्पादन करने वाले न्यायालय को ऐसी डिक्री के निष्पादन में वे ही शक्तियां होगी जो उसकी होंती यदि वह उसके ही द्वारा पारित की गई होती। वे सभी व्यक्ति, जो डिक्री की अवज्ञा करते है या उसके निष्पादन में बाधा डालते है, ऐसे न्यायालय द्वारा उसी रीति से दण्डनीय होंगे मानों डिक्री उसने ही पारित की हो और ऐसी डिक्री के निष्पादन में उसका आदेश अपील के बारे में उन्ही नियमो के अधीन रहेगा मानो डिक्री उसके ही द्वारा पारित की गई हो ।

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 19 द्वारा (1-2-1977 से) धारा 42 उसकी उपधारा (1) के रुप मे पुनःसख्याकित किया गया।

[1][(2) उपंधारा (1) उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उस उपधारा के अधीन न्यायालय की शक्तियों के अन्तर्गत डिक्री पारित करने वाले न्यायालय की निम्नलिखित शक्तियां होंगी अर्थात-

(क) धारा 39 के अधीन किसी अन्य न्यायालय को निष्पादन के लिए डिक्री भेजने की शक्ति;

(ख) धारा 50 के अधीन मृत निर्णीत-ऋणी के विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध डिक्री का निष्पादन करने की शक्ति;

(ग) डिक्री को कुर्क करने का आदेश देने की शक्ति।

(3) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट शक्तियो के प्रयोग मे आदेश पारित करने वाला न्यायालय उसकी एक प्रति डिक्री पारित करने वाले न्यायालय को भेजेगा।

(4) इस धारा की किसी बात से यह नही समझा जाएगा कि वह उस न्यायालय को जिसकी डिक्री निष्पादन के लिए भेजी गई है, निम्नलिखित शक्तियो मे से कोई शक्ति प्रदान करती है, अर्थात-

(क) डिक्री के अन्तरिती की प्रेरणा से निष्पादन का आदेश देने की शक्ति;

(ख) किसी फर्म के विरुद्ध पारित डिक्री की दशा में, आदेश 21 के नियम 50 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी डिक्री के निष्पादन की इजाजत देनेकी शक्ति]

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 19 द्वारा (1-2-1977 से) अन्तःस्थापित किया गया ।

राज्य संशोधन

उ. प्र. राज्य द्वारा संशोधन- उ.प्र. अधिनियम (1970 का 14) जो कि दिनांक 8-4-1970 से प्रभावी

हुआ के द्वारा उत्तरप्रदेश में प्रयोज्य होने के लिए धारा 42 को इस प्रकार प्रतिस्थापित किया गया-

"42. अंतरित डिक्री के निष्पादन में न्यायालय की शक्तियाँ- (1) अपने को भेजी गई डिक्री का निष्पादन करने वाले न्यायालय को ऐसी डिक्री के निष्पादन में वे ही शक्तियाँ होंगी जो उसकी होतीं यदि वह उसके द्वारा ही पारित की गई होतीं । वे सभी व्यक्ति, जो डिक्री की अवज्ञा करते हैं या उसके निष्पादन में बाधा डालते हैं ऐसी न्यायालय द्वारा उसी रीति से दण्डनीय होंगे मानो डिक्री उसने ही पारित की हो, और ऐसी डिक्री के निष्पादन में उसका आदेश अपील के बारे में उन्हीं नियमों के अधीन रहेगा मानो डिक्री उसके ही द्वारा पारित की गई है ।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उस उपधारा के अधीन न्यायालय की शक्तियों के अंतर्गत डिक्री पारित करने वाले न्यायालय की निम्नलिखित शक्तियाँ होगी अर्थात-

(क) धारा 39 के अधीन किसी अन्य न्यायालय को निष्पादन के लिए डिक्री भेजने की शक्ति;

(ख) धारा 50 के अधीन मृत निर्णीत - ऋणी के विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध डिक्री का निष्पादन करने की शक्ति;

(ग) डिक्री को कुर्क करने का आदेश देने की शक्ति ।

(घ) डिक्री की निष्पादनता को लेकर परिसीमा से वर्जित किसी प्रश्न को निराकृत करने की शक्ति;

(ड.) आदेश 21 नियम 2 के अंतर्गत भुगतान अथवा समायोजन अभिलिखित करने की शक्ति;

(च) आदेश 21 नियम 29 के अंतर्गत निष्पादन को स्थगित करने के आदेश की शक्ति;

(छ) फर्म की विरुद्ध डिक्री पारित किए जाने के मामले में, आदेश 21 के नियम 50 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) अथवा खण्ड (ग) में निर्दिष्ट व्यक्ति के अलावा किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी डिक्री को निष्पादित करने के लिए अनुमति को प्रदान करने की शक्ति ।

(3) उपधारा (2) मे विनिर्दिष्ट शक्तियों को प्रयोग में आदेश पारित करने वाला न्यायालय इसकी प्रतिलिपि उस न्यायालय को भेजेगा जिसने डिक्री पारित की थी ।

(4) इस धारा की कोई बात न्यायालय को जिसको कि डिक्री निष्पादन के लिए भेजी जाती है डिक्री के अंतरिती के आग्रह पर निष्पादन का आदेश करने की शक्ति प्रदान करने वाली नहीं समझी जाएगी ।

[1][**43. जिन स्थानों पर इस संहिता का विस्तार नहें है. वहां के सिविल न्यायालयों द्वारा पारित डिक्रियों का निष्पादन-** यदि कोई डिक्री, जो किसी ऐसे सिविल न्यायालय द्वारा पारित की गई है, जो भारत के किसी ऐसे भाग में स्थापित है जिस पर इस संहिता के उपबन्धों का विस्तार नही है या किसी ऐसे न्यायालय द्वारा पारित की गई है जो केन्द्रीय सरकार के प्राधिकार द्वारा भारत के बाहर स्थापित किया गया है या चालू रखा गया है, उसे पारित करने वाले न्यायालय की अधिकारिता के भीतर, निष्पादित नहें की जा सकती, तो इसमें उपबधिंत रीति से वह उन राज्यक्षेत्रो के, जिन पर इस संहिता का विस्तार है, किसी भी न्यायालय की अधिकारिता के भीतर निष्पादित की जा सकेगी ।]

1. 1951 के अधिनियम सं. 2 की धारा 8 द्वारा पूर्ववर्ती धारा के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया|

[1][**44जिन स्थानों पर इस संहिता का विस्तार नहीं है, वहां के राजस्व न्यायालयों द्वारा पारित डिक्रियों का निष्पादन-** राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह घोषित कर सकेगी कि भारत के ऐसे किसी भाग के, जिस पर इस संहिता के उपबन्धों का विस्तार नहीं है, किसी राजस्व न्यायालय की डिक्रियों

का या ऐसी डिक्रियों के किसी वर्ग का राज्य में ऐसे निष्पादन किया जा सकेगा मानो वे उस राज्य में के न्यायालय द्वारा पारित की गई थी ।]

[[2]44क. व्यतिकारी राज्यक्षेत्रों के न्यायालयों द्वारा पारित डिक्रियों का निष्पादन- (1) जहा [3]***किसी व्यतिकारी राज्यक्षेत्र के वरिष्ठ न्यायालयों में से किसी की डिक्री की प्रमाणित प्रति किसी जिला न्यायालय में फाइल की गई है वहां उस डिक्री का [4][भारत] में निष्पादन ऐसे किया जा सकेगा मानो वह उस जिला न्यायालय द्वारा पारित की गई थी।

(2) डिक्री की प्रमाणित प्रति के साथ ऐसे वरिष्ठ न्यायालय का ऐसा प्रमाणपत्र फाइल किया जाएगा जिसमें उस विस्तार का, यदि कोई हो, उल्लेख होगा जिस तक वह डिक्री तुष्ट या समायोजित की गई है, और ऐसा प्रमाणपत्र इस धारा के अधीन की कार्यवाहियों के प्रयोजनो के लिए ऐसी तुष्टि या समायोजन के विस्तार का निश्चायक सबूत होगा।

(3) धारा 47 के उपबन्ध इस धारा के अधीन डिक्री का निष्पादन करने वाले जिला न्यायालय की कार्यवाहियोंको उस डिक्री की प्रमाणित प्रति के फाइल किए जाने के समय से लागु होंगे और यदि जिला न्यायालय को समाधानप्रद रुप में यह दर्शित कर दिया जाता है कि डिक्री धारा 13 के खण्ड (क) से खण्ड (च) तक में विनिर्दिष्ट अपवादों मे से किसी में आती है तो वह न्यायालय ऐसी डिक्री का निष्पादन करने से इन्कार कर देगा।

[5][स्पष्टीकरण 1 - "व्यतिकारी राज्यक्षेत्रों" से भारत के बाहर का ऐसा देश या राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है, जिसे केन्द्रीय सरकार इस धारा के प्रयोजनो के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा व्यतिकारी राज्यक्षेत्र घोषित करे और ऐसे किसी राज्यक्षेत्र के प्रति निर्देश से "वरिष्ठ न्यायालय" से ऐसे न्यायालय अभिप्रेत है जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

स्पष्टीकरण 2- वरिष्ठ न्यायालय के प्रति निर्देश से प्रयुक्त "डिक्री" शब्द से ऐसे न्यायालय की ऐसी डिक्री या निर्णय अभिप्रेत है, जिसके अधीन ऐसी धनराशि संदेय है जो करों या समान प्रकृति के अन्य प्रभारों के लिए अथवा जुर्माने या अन्य शास्ति के बारे मे संदेय राशि नहीं है, किन्तु किसी भी दशा में इसके अन्तर्गत माध्यस्थम् पंचाट नहीं होगा, यद्यपि ऐसा पंचाट डिक्री या निर्णय के रूप में प्रवर्तनीय है |

1. 1951 के अधिनियम सं. 2 की धारा 9 द्वारा पूर्ववर्ती धारा के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया|
2. 1937 के अधिनियम सं. 8 की धारा 2 द्वारा अन्तःस्थापित किया गया ।
3. 1952 के अधिनियम सं. 71 की धारा 2 द्वारा "यूनाइटेड किंगडम या" शब्दों का लोप ।
4. 1951 के अधिनियम सं. 2 की धारा 3 द्वारा "राज्यो" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।
5. 1952 के अधिनियम सं. 71 की धारा 2 द्वारा स्पष्टीकरण 1 से 3 के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।

[1][45. भारत के बाहर डिक्रियो का निष्पादन- इस भाग की पूर्वगामी धाराओं में से उतनी धाराओ का, जितनी न्यायालय को किसी अन्य न्यायालय में निष्पादन के लिए डिक्री भेजने के लिए सशक्त करती है, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह किसी राज्य में के न्यायालय को केन्द्रीय सरकार के प्राधिकार द्वारा [2][भारत के बाहर] स्थापित [3]***किसी ऐसे न्यायालय में निष्पादन के लिए डिक्री भेजने के लिए सशक्त करती है, जिसके बारे में उस राज्य सरकार ने राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह घोषित किया है कि उसे यह धारा लागू होगी ।]

46. आज्ञापत्र- (1) जब कभी डिक्री पारित करने वाला न्यायालय डिक्रीदार के आवेदन पर ठीक समझे तब वह किसी ऐसे अन्य न्यायालय को जो उस डिक्री के निष्पादन के लिए सक्षम है, यह आज्ञापत्र निकाल सकेगा कि वह निर्णीत-ऋणी की उसी आज्ञापत्र में विनिर्दिष्ट कोई भी सम्पत्ति कुर्क कर ले।

1. भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा मूल धारा 45 के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।
2. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "किसी भारतीय राज्य मे" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया |
3. भारतीय स्वतंत्रता (केन्द्रीय अधिनियमो और अध्यादेशो का अनुकूलन) आदेश, 1948 द्वारा "या बनाए रखे गए" शब्दो का लोप |

(2) वह न्यायालय, जिसे आज्ञापत्र भेजा जाता है, उस सम्पत्ति को ऐसी रीति से कुर्क करने के लिए कार्यवाही करेगा जो डिक्री के निष्पादन में सम्पत्ति की कुर्की के लिए विहित है :

परन्तु जब तक कि कुर्की की अवधि डिक्री पारित करने वाले न्यायालय के आदेश द्वारा बढा न दी गई हो या जब तक कि कुर्की के अवसान के पूर्व डिक्री कुर्की करने वाले न्यायालय को अन्तरित न कर दी गई हो और डिक्रीदार ने ऐसी सम्पत्ति के विक्रय के आदेश के लिए आवेदन न कर दिया हो, आज्ञापत्र के अधीन कोई भी कुर्की दो मास से अधिक चालू न रहेगी।

प्रश्न जिनका अवधारण डिक्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय करेगा

47. प्रश्न जिनका अवधारण डिक्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय करेगा–(1) वे सभी प्रश्न, जो उस वाद के पक्षकारों के या उनके प्रतिनिधियों के बीच पैदा होते है, जिसमें डिक्री पारित की गई थी और जो डिक्री के निष्पादन, उन्मोचन या तुष्टि से संबंधित है, डिक्री का निष्पादन करने वाले न्यायालय द्वारा, न कि पृथक वाद द्वारा, अवधारित किए जाएगें।

[1]* * * * *

(3) जहा यह प्रश्न पैदा होता है कि कोई व्यक्ति किसी पक्षकार का प्रतिनिधि है या नहीं है वहां ऐसा प्रश्न उस न्यायालय द्वारा इस धारा के प्रयोजनो के लिए अवधारित किया जाएगा।

[2][**स्पष्टीकरण 1-** वह वादी जिसका वाद खारिज हो चुका हो और वह प्रतिवादी जिसके विरुद्ध वाद खारिज हो चुका है इस धारा के प्रयोजनो के लिए वाद के पक्षकार है।

स्पष्टीकरण 2- (क) डिक्री के निष्पादन के लिए विक्रय में सम्पत्ति का क्रेता इस धारा के प्रयोजनों के लिए उस वाद का पक्षकार समझा जाएगा जिसमें वह डिक्री पारित की गई है; और

(ख) ऐसी सम्पत्ति के क्रेता को या उसके प्रतिनिधियों को कब्जा देने से संबंधित सभी प्रश्न इस धारा के अर्थ में डिक्री के निष्पादन, उन्मोचन या उसकी तुष्टि से सबंधित प्रश्न समझे जाएगें।]

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 20 द्वारा (1-2-1977 से) उपधारा (2) का लोप ।
2. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 20 द्वारा (1-2-1977 से) पूर्ववर्ती स्पष्टीकरण के स्थान पर प्रतिस्थापित |

राज्य संशोधन

उ.प्र. राज्य द्वारा संशोधन- उ.प्र. के अधिनियम क्र. 54 वर्ष 1954 के द्वारा धारा 47 में जो स्पष्टीकरण क्र. 2 जोडा गया था उसको उ.प्र. अधिनियम क्रमांक 57 वर्ष 1976 के द्वारा विलोपित किया गया।

निष्पादन के लिए समय की सीमा

48. [कुछ मामलों में निष्पादन वर्जित ।] परिसीमा अधिनियम, 1963(1963 का 36) की धारा 28 द्वारा (1 जनवरी, 1964 से) निरसित ।

अन्तरिती और विधिक प्रतिनिधि

49. अन्तरिती- डिक्री का हर अन्तरिती, उसे उन साम्याओं के (यदि कोई हो) अधीन रहते हुए धारण करेगा जिन्हें निर्णीत-ऋणी मूल डिक्रीदार के विरुद्ध प्रवर्तित करा सकता था ।

50. विधिक प्रतिनिधि- (1) जहां डिक्री के पूर्णत: तुष्ट किए जाने से पहले निर्णीत- ऋणी की मृत्यु हो जाती है वहां डिक्री का धारक डिक्री पारित करने वाले न्यायालय में आवेदन कर सकेगा कि वह उनका निष्पादन मृतक के विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध करे ।

(2) जहां डिक्री ऐसे विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध निष्पादित की जाती है वहां वह मृतक की सम्पत्ति क उस परिमाण तक ही दायी होगा जितने परिमाण तक वह सम्पत्ति उसके हाथ में आई है और सम्यक् रुप से व्ययनित नहीं कर दी गई है और डिक्री निष्पादित करने वाला न्यायालय ऐसा दायित्व अभिनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए स्वप्रेरणा से या डिक्रीदार के आवेदन पर ऐसे लेखाओं को, जो वह न्यायालय ठीक समझे, पेश करनेके लिए ऐसे विधिक प्रतिनिधि को विवश कर सकेगा ।

निष्पादन-प्रक्रिया

51. निष्पादन कराने की न्यायालय की शक्तियां- ऐसी शर्तो और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाए, न्यायालय डिक्रीदार के आवेदन पर आदेश दे सकेगा कि डिक्री का निष्पादन-

(क) विनिर्दिष्ट रुप से डिक्रीत किसी सम्पत्ति के परिदान द्वारा किया जाए;

(ख) किसी सम्पत्ति की कुर्की और विक्रय द्वारा या उसकी कुर्की के बिना विक्रय द्वारा की जाए;

(ग) [1][जहां धारा 58 के अधीन गिरफ्तारी और निरोध अनुज्ञेय है वहा गिरफ्तारी और ऐसी अवधि के लिए जो उस धारा में विनिर्दिष्ट अवधि से अधिक न हो,] कारागार में निरोध द्वारा किया जाए;

(घ) रिसीवर की नियुक्ति द्वारा किया जाए; अथवा

(ड.) ऐसी अन्य रीति से किया जाए जिसकी दिए गए अनुतोष की प्रकृति अपेक्षा करे :

[2][परन्तु जहां डिक्री धन के संदाय के लिए है वहां कारागार में निरोध द्वारा निष्पादन के लिए आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा तब तक कि निर्णीत-ऋणी को इसके लिए हेतुक दर्शित करने का अवसर देने के पश्चात् कि उसे कारागार को क्यों न सुपुर्द किया जाए, न्यायालय का अभिलिखित कारणों से यह समाधान नहीं हो जाता कि -

(क) निर्णीत-ऋणी इस उद्देश्य से या यह परिणाम पैदा करने के लिए डिक्री के निष्पादन में बाधा या विलम्ब हो,-

(i) न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं से फरार होने वाला है या उन्हें छोड़ने वाला है,अथवा

(ii)उस वाद के संस्थित किए जाने के पश्चात् जिसमें वह डिक्री पारित की गई थी अपनी सम्पत्ति के किसी भाग को बेईमानी से अन्तरित कर चुका है, छिपा चुका है या हटा चुका है अथवा अपनी सम्पत्ति के

सम्बन्ध मे असद्भावपूर्ण कोई अन्य कार्य कर चुका है, अथवा

(ख) डिक्री की रकम या उसके पर्याप्त भाग का संदाय करने के साधन निर्णीत-ऋणी के पास है या डिक्री की तारीख के पश्चात् रह चुके है और वह उसे सदत्त करने से इकार या संदत करने में उपेक्षा करता है या कर चुका है,

(ग) डिक्री उस राशि के लिए है, जिसका लेखा देने के लिए निर्णीत-ऋणी वैश्वासिक हैसियत में आबद्ध था ।

स्पष्टीकरण- खण्ड (ख) के प्रयोजनों के लिए, निर्णीत-ऋणी के साधनों की गणना करने में, ऐसी सम्पत्ति गणना में छोड़ दी जाएगी, जो डिक्री के निष्पादन में कुर्क किए जाने से तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या विधि का बल रखने वाली रूढ़ि द्वारा या उसके अधीन छूट-प्राप्त है ।

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 21 द्वारा (1-2-1977 से) अन्तःस्थापित किया गया 2. 1936 के अधिनियम सं. 21 की धारा 2 द्वारा अन्तःस्थापित किया गया ।

राज्य संशोधन

उ.प्र. राज्य द्वारा संशोधन–उ.प्र. राज्य के अधिनियम क्र. 24 वर्ष 1954 के द्वारा खण्ड (ख) के उपरांत निम्न खंड (खख)को जोडा गया है -

"(खख) विक्रय के अलावा अंतरण द्वारा, कुर्की द्वारा अथवा किसी संपत्ति की बिना कुर्की के द्वारा"

(इस संशोधन को दिनांक 30-11-1954 से प्रभावी किया गया ।)

52. विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध डिक्री का प्रवर्तन- (1) जहां किसी मृत व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधि के रूप में किसी पक्षकार के विरुद्ध कोई डिक्री पारित की गई है और डिक्री मृतक की सम्पत्ति में से धन संदत्त किए जाने के लिए है और वहा ऐसी किसी भी सम्पत्ति की कुर्की और विक्रय द्वारा निष्पादित की जा सकेगी ।

(2) जहां निर्णीत-ऋणी के कब्जे में ऐसी कोई सम्पत्ति बाकी न बची हो और वह न्यायालय का यह समाधान करने में असफल रहता है कि उसने मृतक की उस सम्पत्ति का सम्यक् रुप से उपयोजन कर दिया है जिसका उसके कब्जे में आना साबित कर दिया गया है वहां डिक्री निर्णीत- ऋणी के विरुद्ध उस सम्पत्ति के परिमाण तक, जिसके सम्बन्ध में वह न्यायालय का समाधान करने में असफल रहा है, उसी रीति से निष्पादित की जा सकेगी मानो वह डिक्री वैयक्तिक रूप से उसके विरुद्ध पारित की गई थी ।

53. पैतृक सम्पत्ति का दायित्व- पुत्र या अन्य वंशज के हाथ में की ऐसी सम्पत्ति के बारे में, जो मृत पूर्वज के ऐसे ऋण के चुकाने के लिए हिन्दू विधि के अधीन दायी है, जिसके लिए डिक्री पारित की जा चुकी है, धारा 50 और धारा 52 के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि वह मृतक की ऐसी सम्पत्ति है जो उसके विधिक प्रतिनिधि के रुप में पुत्र या अन्य वंशज के हाथ में आई है ।

54. सम्पदा का विभाजन या अंश का पृथक्करण- जहां डिक्री किसी ऐसी अविभक्त सम्पदा के विभाजन के लिए है, जिस पर सरकार को दिए जाने के लिए राजस्व निर्धारित है, या ऐसी सम्पदा के अंश के पृथक कब्जे के लिए है वहां सम्पदा का विभाजन या अंश का पृथक्करण कलक्टर या कलक्टर के ऐसे किसी राजपत्रित अधीनस्थ द्वारा, जिसे उसने इस निमित्त प्रतिनियुक्त किया हो, ऐसी सम्पदाओं के विभाजन या अंशों के पृथक कब्जे से सम्बन्धित तत्समय प्रवृत विधि (यदि कोई हो) के अनुसार किया

जाएगा ।

गिरफ्तारी और निरोध

55. गिरफ्तारी और निरोध- (1) निर्णीत-ऋणी डिक्री के निष्पादन में किसी भी समय और किसी भी दिन गिरफ्तार किया जा सकेगा और यथासाक्ष्य शीघ्रता से न्यायालय के समक्ष लाया जाएगा और वह उस जिले के सिविल कारागार में, जिसमें निरोध का आदेश देने वाला न्यायालय स्थित है या जहां ऐसे सिविल कारागार में उपयुक्त वास-सुविधा नहीं है वहां ऐसे किसी अन्य स्थान में, जिसे राज्य सरकार ने ऐसे व्यक्तियों के निरोध के लिए नियत किया हो, जिनके विरुद्ध किए जाने का आदेश ऐसे जिले के न्यायालयों द्वारा दिया जाए, निरुद्ध किया जा सकेगा :

परन्तु प्रथमत: इस धारा के अधीन गिरफ्तारी करने के प्रयोजन के लिए किसी भी निवास- गृह में सूर्यास्त के पश्चात् और सूर्योदय के पूर्व प्रवेश नहीं किया जाएगा:

परन्तु द्वितीयत: निवास-गृह का कोई भी बाहरी द्वार तब तक तोड़कर नहीं खोला जाएगा तब तक कि ऐसा निवास-गृह निर्णीत-ऋणी के अधिभोग में न हो और वह उस तक पहुंच होने देने से मना न करता हो या पहुंच होने देना किसी भांति निवारित न करता हो, किन्तु जबकि गिरफ्तार करने के लिए प्रधिकृत अधिकारी ने किसी निवास-गृह में सम्यक् रुप से प्रवेश कर लिया है, तब वह किसी ऐसे कमरे का द्वार तोड सकेगा जिसके बारे में उसे यह विश्वास करनेका कारण है कि उसमें निर्णीत- ऋणी है :

परन्तु तृतीयत: यदि कमरा किसी ऐसे स्त्री के वास्तविक अधिभोग में है जो निर्णीत-ऋणी नहीं है और जो देश की रुढ़ियों के अनुसार लोगों के सामने नहीं आती है तो गिरफ्तारी करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी उसे यह सूचना देगा कि वह वहां से हट जाने के लिए स्वतंत्र है और उसे हट जाने के लिए युक्तियुक्त समय अनुज्ञात करने और हट जाने के लिए उसे युक्तियुक्त सुविधा देने के पश्चात् वह गिरफ्तारी करने के प्रयोजन से कमरे में प्रवेश कर सकेगा :

परन्तु चतुर्थत: जहां वह डिक्री, जिसके निष्पादन में निर्णीत-ऋणी को गिरफतार किया गया है, धन के संदाय के लिए डिक्री है और निर्णीत-ऋणी डिक्री की रकम और गिरफतारी का खर्चा उस अधिकारी को संदत्त कर देता है, जिसने उसे गिरपतार किया है वहां ऐसे अधिकारी उसे तुरन्त छोड देगा ।

(2) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह घोषणा कर सकेगी कि ऐसा कोई भी व्यक्ति या ऐसे व्यक्तियों का वर्ग, जिसकी गिरफ्तारी से लोगों को खतरा या असुविधा पैदा हो सकती है, डिक्री के निष्पादन में ऐसी प्रकिया से भिन्न प्रकिया के अनुसार जो राज्य सरकार इस निमित्त विहित करे, गिरफ्तारी किए जाने के दायित्व के अधीन नहीं होगा ।

(3) जहां निर्णीत-ऋणी धन के संदाय के लिए डिक्री कि निष्पादन में गिरफ्तार किया जाता है और न्यायालय के समक्ष लाया जाता है वहां न्यायालय उसे यह बताएगा कि वह दिवालिया घोषित किए जाने के लिए आवेदन कर सकता है और यदि उसने आवेदन की विषय-वस्तु के संबंध मे कोई असद्भावपूर्ण कार्य नहीं किया है और यदि वह तत्समय प्रवृत्त दिवाला-विधि के उपबन्धों का अनुपालन करता है तो वह [1][उन्मोचित किया जा सकेगा] ।

(4) जहां निर्णीत-ऋणी दिवालिया घोषित किए जाने के लिए आवेदन का अपना आशय प्रकट करता है और न्यायालय को समाधानप्रद प्रतिभूति इस बात के लिए दे देता है कि वह ऐसा आवेदन एक मास के भीतर करेगा और वह आवेदन-संबंधी या उस डिक्री-संबंधी जिसके निष्पादन में वह गिरफतार किया गया था, किसी कार्यवाही में बुलाए जाने पर उपंसजात होगा वहां न्यायालय उसे गिरफ्तारी से [2][छोड़ सकेगा] और यदि वह ऐसे आवेदन करने और उपसंजात होने में असफल रहता है तो न्यायालय डिक्री के निष्पादन में या तो प्रतिभूति प्राप्त करने का या उस व्यक्ति को सिविल कारागार को सुपुर्द किए जाने का निर्देश दे सकेगा ।

1. 1921 के अधिनियम सं. 3 की धारा 2 द्वारा "उन्मोचित किया जाएगा" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया |

2. 1921 के अधिनियम सं. 3 की धारा 2 द्वारा "निर्मुक्त कर देगा" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।

56. धन की डिक्री के निष्पादन में स्त्रियों की गिरफ्तारी या निरोध का निषेध- इस भाग में किसी बात के होते हुए भी, न्यायालय धन के संदाय की डिक्री के निष्पादन में स्त्री को गिरफ्तार करने और सिविल कारागार में निरुद्ध करने के लिए आदेश नहीं देगा ।

57. जीवन-निर्वाह भत्ता- राज्य सरकार निर्णीत-ऋणियों के जीवन-निर्वाह के लिए संदेय मासिक भत्तों के मापमान, उनकी पंक्ति, मूलवंश और राष्ट्रिकता के अनुसार श्रेणीबद्ध करके नियत कर सकेगी ।

58. निरोध और छोड़ा जाना- (1) डिक्री के निष्पादन में सिविल कारागार में निरुद्ध हर व्यक्ति,-

(क) जहां डिक्री को [1][[2]पांच हजार रुपए]] से अधिक धनराशि का संदाय करने के लिए है [3][वहां तीन मास से अनधिक अवधि के लिए, और]

[4][(ख) जहां डिक्री दो हजार रुपए से अधिक किंतु पांच हजार रुपए से अनधिक धनराशि का संदाय करने के लिए है वहां छह सप्ताह से अनधिक अवधि के लिए];

[5][(1क) शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि जहा डिक्री की कुल रकम [1][दो हजार रुपए] से अधिक नहीं है वहां धन के संदाय की डिक्री के निष्पादन में निर्णीत-ऋणी को सिविल कारागार में निरुद्ध करने के लिए कोई आदेश नहीं किया जाएगा ।

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 22 द्वारा (1-2-1977 से) कुछ शब्दो के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
2. 1999 के अधिनियम सं. 46 की धारा 5 द्वारा (1-7-2002 से) कुछ शब्दो के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
3. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 22 द्वारा (1-2-1977 से) कुछ शब्दो के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
4. 1999 के अधिनियम सं. 46 की धारा 5 द्वारा (1-7-2002 से) खंड (ख) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
5. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 22 द्वारा (1-2-1977 से) अंतःस्थापित |

(2) इस धारा के अधीन निरोध में से छोड़ा गया निर्णीत-ऋणी अपने छोडे जाने के कारण ही अपने ऋण से उन्मोचित नहीं हो जाएगा, किंतु वह जिस डिक्री के निष्पादन में सिविल कारागार में निरुद्ध किया गया था, उसके निष्पादन में पुन: गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा ।

1. 1999 के अधिनियम सं. 46 की धारा 5 द्वारा (1-7-2002 से) "पांच सौ रुपए" के स्थान पर प्रतिस्थापित |

59. रुग्णता के आधार पर छोड़ा जाना- (1) न्यायालय निर्णीत-ऋणी की गिरफतारी के लिए वारण्ट निकाले जाने के पश्चात् किसी भी समय उसकी गंभीर रुग्णता के आधार पर उस वारण्ट को रद्द कर सकेगा ।

(2) जहां निर्णीत-ऋणी गिरफतार किया जा चुका है वहां, यदि न्यायालय की यह राय है कि उसका स्वास्थ्य इतना ठीक नहीं है कि उसे सिविल कारागार में निरुद्ध किया जाए तो, वह उसे छोड सकेगा ।

(3) यदि निर्णीत-ऋणी को सिविल कारागार के सुपुर्द कर दिया गया तो उसको वहां से-

(क) राज्य सरकार किसी संक्रामक या सांसर्गिक रोग होने के आधार पर छोड सकेगी, अथवा

(ख) सुपुर्द करने वाला न्यायालय या ऐसा कोई, न्यायालय जिसके अधीनस्थ वह न्यायालय है, उस निर्णीत-ऋणी के किसी गंभीर रुग्णता से पीड़ित होने के आधार पर छोड़ सकेगा ।

(4) इस धारा के अधीन छोड़ा गया निर्णीत-ऋणी पुन: गिरफ्तार किया जा सकेगा, किन्तु सिविल कारागार में उसके निरोध की कुल अवधि धारा 58 द्वारा विहित अवधि से अधिक नहीं होगी ।

कुर्की

[1]**60. वह सम्पत्ति, जो डिक्री के निष्पादन में कुर्क और विक्रय की जा सकेगी-** (1) निम्नलिखित सम्पत्ति डिक्री के निष्पादन में कुर्क और विक्रय की जा सकेगी अर्थात् भूमि, गृह या अन्य निर्माण, माल, धन, बैंक-नोट, चैक, विनिमय पत्र, हुंडी, वचनपत्र, सरकारी प्रतिभूतियां, धन के लिए बंधपत्र या अन्य प्रतिभूतियां ऋण, निगम- अंश और उसके सिवाय जैसा इसमें इसके पश्चात् वर्णित है, विक्रय की जा सकने वाली अन्य ऐसी सभी जंगम या स्थावर सम्पत्ति, जो निर्णीत-ऋणी की है या जिस पर या जिसके लाभों पर वह ऐसी व्ययन शक्ति रखता है जिसे वह अपने फायदे के लिए प्रयोग कर सकता हो, चाहे वह निर्णीत-ऋणी के नाम में धारित हो या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसके लिए न्यास में या उसकी ओर से धारित हो:

1. पूर्वी पंजाब को लागू होने में धारा 60 के संशोधनों के लिए देखिए 1940 के पंजाब अधिनियम सं. 12 और 1942 के पंजाब अधिनियम सं. 6 द्वारा यथासंशोधित पंजाब रिलीफ ऑफ इंडेटेडनेस ऐक्ट, 1934 (1934 का पंजाब अधिनियम सं. 7) की धारा 35 |

परंतु निम्नलिखित विशिष्ट वस्तुएं, ऐसे कुर्क और विक्रय नहीं की जा सकेगी, अर्थात्

(क) निर्णीत-ऋणी, उसकी पत्नी और उसके बच्चों के पहनने के आवश्यक वस्त्र, भोजन पकाने के बर्तन, चारपाई और बिछौने और ऐसे निजी, आभूषण जिन्हें कोई स्त्री धार्मिक प्रथा के अनुसार अपने से अलग नहीं कर सकती;

(ख) शिल्पी के औजार, और जहां निर्णीत-ऋणी कृषक है वहां उसके खेती के उपकरण और ऐसे पशु और बीज, जो न्यायालय की राय में उसे वैसी हैसियत में अपनी जीविका का उपार्जन करने के लिए समर्थ बनाने के लिए आवश्यक है और कृषि-उपज का या कृषि-उपज के किसी वर्ग का ऐसा भाग जो ठीक अगली धारा के उपबंधों के अधीन दायित्व से मुक्त घोषित कर दिया गया है;

(ग) वे गृह और अन्य निर्माण (उनके मलबों और आस्थानों के तथा उनसे अव्यवहित रुप से अनुलग्न और उनके उपभोग के लिए आवश्यक भूमि के सहित) जो [1][कृषक या श्रमिक या घरेलू नौकर के हैं और उसके] अधिभोग में हैं;

(घ) लेखा बहियां;

(ड.) नुकसानी के लिए वाद लाने का अधिकारमात्र;

(च) वैयक्तिक सेवा कराने का कोई अधिकार;

(छ) वे वृतिकाएं और उपदान जो सरकार के [2][या किसी स्थानीय प्राधिकारी के या किसी अन्य नियोजक के] पेंशन भोगियों को अनुज्ञात हैं या ऐसी किसी सेवा कुटुम्ब पेंशन निधि में से, जो [3][केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार] द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित अधिसूचित की गई है, सदेय है और राजनैतिक पेंशनें;

[5](ज) श्रमिकों और घरेलू नौकरों की मजदूरी चाहे वह धन में या वस्तु के रुप में संदेय हो [6]***

[7][(झ) [8][भरणपोषण की डिक्री से भिन्न किसी डिक्री के निष्पादन में] वेतन के प्रथम [1][एक हजार रूपए] और बाकी का दो-तिहाई]:

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 23 द्वारा (1-2-1977 से) "कृषक के या उसके" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
2. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 23 द्वारा (1-2-1977 से) अतःस्थापित ।
3. भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "सपरिषद् गवर्नर जनरल" के स्थान पर प्रतिस्थापित |
4. उक्त अधिसूचना के लिए, भारत का राजपत्र (अग्रेजी), 1909 भाग 1, पृ. 5 देखिए ।
5. 1937 के अधिनियम सं. 9 की धारा 2 द्वारा खंड (ज) और (झ) के स्थान पर प्रतिस्थापित । 1 जून, 1937 के पहले संस्थित वाद से उद्भूत किन्हीं कार्यवाहियो के बारे मे उस धारा द्वारा किए गए संशोधन का कोई प्रभाव नहीं होगा, 1937 के अधिनियम सं. 9 की धारा 3 देखिए ।
6. 1943 के अधिनियम सं. 5 की धारा 2 द्वारा "तथा वेतन के प्रथम एक सौ रुपए और ऐसे वेतन के बाकी का आधा" शब्दो का लोप किया गया ।
7. 1943 के अधिनियम सं. 5 की धारा 2 द्वारा खंड (झ) और परंतुक के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
8. 1956 के अधिनियम सं. 66 की धारा 6 द्वारा अतःस्थापित ।
9. 1963 के अधिनियम सं. 26 की धारा 2 द्वारा "प्रथम सौ रुपए" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2][परंतु जहां ऐसे वेतन के प्रभाग का जो कुर्क किया जा सकता है, कोई भाग, कुल मिलाकर चौबीस मास की अवधि तक लगातार या आंतरायिक रुप से कुर्क रहा है वहां जब तक आगे की बाहर मास की अवधि समाप्त न हो जाए तब तक ऐसे भाग को कुर्की से छूट प्राप्त होगी और जहां ऐसी कुर्की एक ही डिक्री के निष्पादन में की गई है वहां कुल मिलाकर चौबीस मास की अवधि तक कुर्की चालू रहने के पश्चात्, ऐसे भाग को उस डिक्री के निष्पादन में कुर्की से अंतिम रुप से छूट प्राप्त होगी ।]

[3][(झक) भरणपोषण की डिक्री के निष्पादन में वेतन का एक-तिहाई;]

[4][(ञ) ऐसे व्यक्तियों के वेतन और भत्ते जिन्हें वायु सेना अधिनियम, 1960 (1950 का 45) या सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 46) या नौसेना अधिनियम, 1957 (1957 का 62) लागू है;]

(ट) किसी भी ऐसी निधि में के या उससे व्युत्पन्न जिसे लोक भविष्य-निधि अधिनियम, [5][1925] (1925 का 19) तत्समय लागू है, सभी अनिवार्य निक्षेप और अन्य राशियां, जहां तक कि उनके बारे में उक्त अधिनियम द्वारा यह घोषित किया गया है कि वे कुर्क नहीं की जा सकेंगी;

[6][(टक) किसी ऐसी निधि में के या उससे व्यूत्पन्न जिसे लोक भविष्य-निधि अधिनियम, 1968 (1968 का 23) तत्समय लागू है, सभी निक्षेप और अन्य राशियां जहा तक कि उनके बारे में उक्त अधिनियम द्वारा यह घोषित किया गया है कि वे कुर्क नहीं की जा सकेंगी ।

(टख) निर्णीत-ऋणी के जीवन पर बीमा पालिसी के अधीन संदेय सभी धन;

(टग) किसी ऐसे निवास भवन के पट्टेदार का हित जिसको भाटक और वास-सुविधा के नियंत्रण से संबंधित तत्समय प्रवृत किसी विधि के उपबंध लागू हैं;

[7][(ठ) [8][सरकार के किसी सेवक] की या रेल कम्पनी या स्थानीय प्राधिकारी के सेवक की उपलब्धियों का भागरुप ऐसा कोई भत्ता, जिसके बारे में [9][समुचित सरकार] राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित करे कि वह कुर्की से छूट प्राप्त है और [10][ऐसे किसी सेवक] को उसके निलंबन-काल में दिया गया कोई जीवन-निर्वाह अनुदान या भत्ता;]

(ड) उत्तरजीविता द्वारा उत्तराधिकार की प्रत्याशा अथवा अन्य केवल समाश्रित या सम्भव अधिकार या हित;

(ढ) भावी भरणपोषण का अधिकार;

1. 1999 के अधिनियम सं. 46 की धारा 6 द्वारा (1-7-2002 से) “चार सौ रुपए” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
2. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 23 द्वारा (1-2-1977 से) परंतुक के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
3. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 23 द्वारा (1-2-1977 से) खंड (त्र) के स्थान पर प्रतिस्थापित
4. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 23 द्वारा (1-2-1977 से) खंड (त्र के स्थान पर प्रतिस्थापित
5. 1937 के अधिनियम सं. 9 की धारा 2 द्वारा "1897" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
6. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 23 द्वारा (1-2-1977 से) अतःस्थापित ।
7. 1937 के अधिनियम सं. 9 की धारा 2 द्वारा खंड (ठ) के स्थान पर प्रतिस्थापित, पाद टिप्पण 3 भी देखिए ।
8. 1943 के अधिनियम सं. 5 की धारा 2 दारा "लोक अधिकारी" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
9. भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "सपरिषद् गवर्नर जरनल" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
10. 1943 के अधिनियम सं. 5 की धारा 2 द्वारा "ऐसे किसी अधिकारी या सेवक" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(ण) ऐसा भत्ता, जिसके बारे में [1][किसी भारतीय विधि] ने यह घोषित किया है कि वह डिक्री के निष्पादन में कुर्की या विक्रय के दायित्व से छूट-प्राप्त है; तथा

(त) जहां निर्णीत-ऋणी कोई ऐसा व्यक्ति है जो भू-राजस्व के संदाय के लिए दायी है वहां कोई ऐसी जंगम सम्पत्ति, जो ऐसे राजस्व की बकाया की वसूली के लिए विक्रय से ऐसी विधि के अधीन छूट -प्राप्त है जो उसे ततसमय लागू है ।

[2]**[स्पष्टीकरण 1** - खंड (छ), (ज), (झ), (झक), (ञ), (ठ) और (ण) में वर्णित वस्तुओं के संबंध में संदेय धन को, उनके वस्तुत: संदेय होने के पहले या उसके पश्चात् कुर्की या विक्रय से छूट-प्राप्त है और वेतन की दशा में उसका कुर्की योग्य प्रभाग, उसके वस्तुत: संदेय होने के पहले या उसके पश्चात् कुर्क किया जा सकता है ।

[3]**[**[4]**[स्पष्टीकरण 2-** खंड (झ) और (झक) में] वेतन में से, ऐसे भत्तों को छोडकर जो खंड (ठ) के उपबंधों के अधीन कुर्की से छूट प्राप्त घोषित किए गए हैं, वे समस्त मासिक उपलब्धियां अभिप्रेत हैं जो किसी व्यक्ति को उसके नियोजन से, चाहे वह कर्तव्यारुढ हो या छुट्टी पर हो, व्युत्पन्न होती है ।]

[5]**[स्पष्टीकरण** [6]**(3**) - खंड (ठ) में समुचित सरकार से अभिप्रेत है-

(i) केंद्रीय सरकार की सेवा में के किसी [7][व्यक्ति] अथवा [8][रेल प्रशासन] के या छावनी प्राधिकारी के या महापत्तन के पत्तन प्राधिकारी के किसी सेवक के बारे में केंद्रीय सरकार;

[9]* * * *

(iii) [10][सरकार के किसी अन्य सेवक] या किसी अन्य [11]***स्थानीय प्राधिकारी के सेवक के बारे में, राज्य सरकार ।]

[12][**स्पष्टीकरण 4**- इस परंतुक के प्रयोजनों के लिए, "मजदूरी" के अंतर्गत बोनस है और "श्रमिक" के अंतर्गत कुशल, अकुशल या अर्धकुशल श्रमिक है ।

स्पष्टीकरण 5- इस परंतुक के प्रयोजनों के लिए, कृषक से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो स्वयं खेती करता है और जो अपनी जीविका के लिए मुख्यत: कृषि- भूमि की आय पर निर्भर है चाहे स्वामी के रूप में या अभिधारी, भागीदारी या कृषि श्रमिक के रूप में |

1. भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "इंडियन काउंसिलर ऐक्ट्स, 1861 और 1892 के अधीन पारित किसी विधि" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
2. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 23 द्वारा (1-2-1977 से) स्पष्टीकरण 1 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
3. 1937 के अधिनियम सं. 9 की धारा 2 द्वारा खंड (ज) और (झ) के स्थान पर प्रतिस्थापित । 1 जून, 1937 के पहले संस्थित वाद से उद्भूत किन्हीं कार्यवाहियों के बारे में उस धारा द्वारा किए गए संशोधन का कोई प्रभाव नही होगा; 1937 के अधिनियम स 9 की धारा 3 देखिए ।
4. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 23 द्वारा (1-2-1977 से) "स्पष्टीकरण 2 -खंड (ज) और (झ) में" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
5. भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा अंतःस्थापित ।
6. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 23 द्वारा (1-2-1977 से) "3" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
7. 1973 के अधिनियम सं. 5 की धारा 2 द्वारा "लोक अधिकारी" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
8. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "फेडरल रेल" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
9. भारतीय स्वतंत्रता (केंद्रीय अधिनियमो और अध्यादेशों का अनुकूलन) आदेश, 1948 द्वारा खंड (ii) का लोप किया गया ।
10. 1973 के अधिनियम सं. 5 की धारा 2 द्वारा "लोक अधिकारी" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
11. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 23 द्वारा (1-2- 1977 से) अतःस्थापित ।
12. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 23 द्वारा (1- 2-1977 से) अतःस्थापित ।

स्पष्टीकरण 6- स्पष्टीकरण 5 के प्रयोजनों के लिए, कोई कृषक स्वयं खेती करने वाला समझा जाएगा, यदि वह

(क) अपने श्रम द्वारा; अथवा

(ख) अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य के श्रम द्वारा; अथवा

(ग) नगद या वस्तु के रुप में (जो उपज का अंश न हो) या दोनों में संदेय मजदूरियों पर सेवकों या श्रमिकों द्वारा, खेती करता है ।

[1][1(क) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, वह करार, जिसके द्वारा वह व्यक्ति इस धारा के अधीन छूट के फायदे का अधित्यजन करने का करार करता है, शून्य होगा ।]

(2) इस धारा की किसी भी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह [2]*** किन्हीं ऐसे गृहों या अन्य निर्माणों को (उनके मलबों ओर आस्थानों के तथा उनसे अव्यवहित रुप से अनुलग्न और उनके

उपभोग के लिए आवश्यक भूमि के सहित) ऐसे किसी गृह, निर्माण, आस्थान या भूमि के भाटक के लिए डिक्रियों के निष्पादन में कुर्की या विक्रय से छूट देती है । [3]***

1. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "रेल या" शब्दो का लोप किया गया ।

2. 1914 के अधिनियम सं. 10 की धारा 3 और अनुसूची 2 द्वारा अक्षर और कोष्ठक “(क)” शब्द "या" और खंड (ख) निरसित ।

3. 1914 के अधिनियम सं. 10 की धारा 3 और अनुसूची 2 द्वारा अक्षर और कोष्टक "(क)" शब्द “या” और खंड (ख) निरसित ।

4. 1914 के अधिनियम सं. 10 की धारा 3 और अनुसूची 2 द्वारा अक्षर और कोष्ठक "(क)" शब्द "या" और खंड (ख) निरसित ।

राज्य संशोधन

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा संशोधन - उत्तर प्रदेश के अधिनियम क्र. 35 सन् 1948 के द्वारा उपधारा (1) में स्पष्टीकरण क्र. 1 के उपरांत निम्न स्पष्टीकरण क्रमांक (1- क) अंतःस्थापित किया गया है -

"स्पष्टीकरण (1- क)- खंड (ग) में वर्णित ब्यौरे डिक्री चाहे सि.प्र संहिता (यूनाइटेड प्रोविन्सेज ए. एक्ट, 1948 के आरंभ के उपरांत अथवा उसके उपरांत पारित की गयी हो, इस पर होने वाले बंधक के प्रभार के प्रभावी किये जाने बाबत होने वाले निष्पादन में विक्रय से अभिमुक्त है । "

राजस्थान राज्य द्वारा संशोधन- राजस्थान के अधिनियम क्र. 16 वर्ष 1957 जो कि दिनांक

6-6- 1957 से प्रभावी किया गया है के द्वारा संहिता की धारा 60 में निम्न संशोधन किया गया है-

(1) धारा 60 की उपधारा (1) के परंतुक में-

(1) खंड (ख) में शब्द 'कृषक' के उपरांत ' उसके दुग्ध पशु एवं वे जो कि 2 वर्षो के भीतर गाय के बछडे या बछियें होने वाले हैं 'शब्दों को जोड़ा जाएगा ।

(2) खंड (ट/k) के उपरांत निम्नानुसार खंड (टट/kk) जोडा जाएगा-

(टट/kk)राजस्थान शासकीय सेवक बीमा नियम, 1953 के अनुसरण में जारी जीवन बीमा प्रमाणपत्रों के अन्तर्गत भुगतानयोग्य राशियां "

(3) स्पष्टीकरण क्र. 3 के उपरांत निम्न स्पष्टीकरण क्र.4 को जोडा जाएगा-

"स्पष्टीकरण 4- जहां खंड (टट) के अन्तर्निहित प्रावधानों के अधीन राज्य के शासकीय सेवक को भुगतानयोग्य कोई राशि कुर्की से मुक्त है, ऐसी राशि कुर्की से मुक्त रहेगी इस तथ्य के बावजूद भी कि शासकीय सेवक की मृत्यु के कारण यह किसी अन्य व्यक्ति को भुगतान योग्य है । "

61. कृषि-उपज को भागत: छूट- [1]***राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित साधारण या विशेष आदेश द्वारा यह घोषणा कर सकेगी कि कृषि-उपज या कृषि के किसी वर्ग के ऐसे प्रभाग को जिसकी बाबत् राज्य सरकार को यह प्रतीत होता है कि वह उस आगामी फसल तक उस भूमि पर सम्यक् खेती करने के लिए तथा निर्णीत-ऋणी और उसके कुटुम्ब के निर्वाह के लिए उपबंध करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक है, सभी कृषकों या कृषकों के किसी वर्ग की दशा में डिक्री के निष्पादन में कुर्की या विक्रय के दायित्व से छूट होगी ।

1. 1920 के अधिनियम सं. 38 की धारा 2 और अनुसूची 1 के भाग 1 द्वारा "सपरिषद् गवर्नर जनरल की पूर्व मंजूरी से” शब्दो का लोप ।

62. निवास-गृह में संपत्ति का अभिग्रहण - (1) कोई भी व्यक्ति इस संहिता के अधीन जंगम सम्पत्ति का अभिग्रहण निर्दिष्ट या प्राधिकृत करने वाली किसी आदेशिका का निष्पादन करते हुए किसी निवास-गृह में सूर्यास्त के पश्चात् और सूर्योदय के पूर्व प्रवेश नहीं करेगा ।

(2) निवास-गृह का कोई भी बाहरी द्वारा तब तक तोडकर नहीं खोला जाएगा जब तक कि ऐसा निवास-गृह निर्णीत-ऋणों के अधिभोग में न हो और वह उस तक पहुंच होने देने से मना न करता हो या पहुंच होने देना किसी भांति निवारित न करता हो, किन्तु जबकि ऐसी किसी आदेशिका का निष्पादन करने वाले व्यक्ति ने किसी निवास-गृह में सम्यक् रूप से प्रवेश कर लिया है, तब वह किसी ऐसे कमरे का द्वार तोड सकेगा जिसके बारे में उसे यह विश्वास करने का कारण है कि उसमें ऐसी कोई सम्पत्ति है ।

(3) जहां निवास-गृह का कमरा किसी ऐसी स्त्री के वास्तविक अधिभोग में है जो देश की रूढ़ियों के अनुसार लोगों के सामने नहीं आती है वहां आदेशिका का निष्पादन करने वाला व्यक्ति ऐसी स्त्री को यह सूचना देगा कि वह वहां से हट जाने के लिए स्वतंत्र है और उसे हट जाने के लिए युक्तियुक्त समय अनुज्ञात करने और हट जाने के लिए उसे युक्तियुक्त सुविधा देने के पश्चात् और साथ ही उस सम्पत्ति के छिपा कर हटाए जाने का निवारण करने के लिए ऐसी हर एक पूर्वावधानी बरत करके, जो इन उपबंधों से संगत है, वह सम्पत्ति के अभिग्रहण के प्रयोजन से ऐसे कमरे में प्रवेश कर सकेगा ।

63.कई न्यायालयों की डिक्रियों के निष्पादन में कुर्क की गई सम्पत्ति- (1) जहां वह सम्पत्ति, जो किसी न्यायालय की अभिरक्षा में नहीं है, एक से अधिक न्यायालयों की डिक्रियों के निष्पादन में कुर्क की हुई है वहां वह न्यायालय, जो ऐसी सम्पत्ति को प्राप्त या आप्त करेगा और उसके संबंध में किसी दावे का या उसकी कुर्की के संबंध में किसी आक्षेप का अवधारण करेगा, वह न्यायालय होगा जो सबसे ऊंची श्रेणी का है या जहा ऐसे न्यायालयों के बीच में श्रेणी का कोई अन्तर नहीं है वहां वह न्यायालय होगा, जिसकी डिक्री के अधीन सम्पत्ति सबसे पहले कुर्क की गई थी ।

(2) इस धारा की कोई भी बात ऐसी डिक्रियों में से एक का निष्पादन करने वाले न्यायालय द्वारा की गई किसी कार्यवाही को अविधिमान्य करने वाली नहीं समझी जाएगी ।

[1]**[स्पष्टीकरण-** उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए, "न्यायालय द्वारा की गई किसी कार्यवाही" के अन्तर्गत ऐसी डिक्रीदार को जिसने डिक्री के निष्पादन में किए गए विक्रय में सम्पत्ति का क्रय किया है, उसके द्वारा संदेय क्रय कीमत के बराबर मुजरा अनुज्ञात करने का आदेश नहीं है ।

64. कुर्की के पश्चात् सम्पत्ति के प्राइवेट अन्य संक्रामण का शून्य होना- [2][(1) जहां कुर्की की जा चुकी है वहां कुर्क की गई सम्पत्ति या उसमें कि किसी हित का ऐसी कुर्की के प्रतिकूल प्राइवेट अंतरण या परिदान और किसी ऋण, लाभांश या अन्य धन का ऐसी कुर्की के प्रतिकूल निर्णीत-ऋणी को सदाय कुर्की के अधीन प्रवर्तनीय सभी दावों के मुकाबले में शून्य होगा ।

[3][(2) इस धारा की कोई बात, कुर्क की गई सम्पत्ति या उसमें किसी हित के किसी ऐसे प्राइवेट अंतरण या परिदान को लागू नहीं होगी, जो कुर्की से पहले ऐसे अंतरण या परिदान की संविदा के अनुसरण में किया गया हो और रजिस्ट्रीकृत हो ।]

स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, कुर्की के अधीन प्रवर्तनीय सभी दावों के अन्तर्गत आस्तियों के आनुपातिक वितरण के दावें भी है ।

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 24 द्वारा (1-2-1977 से) अन्तःस्थापित किया गया ।
2. 2002 के अधिनियम सं. 22 की धारा 3 द्वारा (1-7-2002 से) धारा 64 को उसकी उपधारा (1) के रुप मे पुनःसख्यांकित किया गया ।
3. 2002 के अधिनियम सं. 22 की धारा 3 द्वारा (1-7-2002 से) अंतःस्थापित ।

विक्रय

65. क्रेता का हक - जहां किसी डिक्री के निष्पादन में स्थावर सम्पत्ति का विक्रय किया गया है और ऐसा विक्रय आत्यन्तिक हो गया है वहां यह समझा जाएगा कि सम्पत्ति उस समय से, जब उसका विक्रय किया गया है, न कि उस समय से, जब विक्रय आत्यन्तिक हुआ है, क्रेता में निहित हो गई है ।

[1]**[66.** *****]

67. धन के संदाय की डिक्रियों के निष्पादन में भूमि के विक्रय के बारे में नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति- [2][(1)][3]*** राज्य सरकार किसी भी स्थानीय क्षेत्र के लिए ऐसे नियम, जो धन के संदाय की डिक्रियों के निष्पादन में भूमि में के हितों के किसी वर्ग के विक्रय की बाबत् शर्त अधिरोपित करते हों, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकेगी यदि ऐसे हित इतने अनिश्चित या अनवधारित हों कि उनका मूल्य नियत करना राज्य सरकार की राय में असंभव हो ।

[4][(2) यदि उस तारीख को, जिस तारीख को यह संहिता किसी स्थानीय क्षेत्र में प्रवर्तन में आई थी, डिक्रियों के निष्पादन में भूमि के विक्रय के बारे में कोई विशेष नियम वहां प्रवृत थे तो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे नियमों के बारे में यह घोषित कर सकेगी कि वे प्रवृत हैं या [5]*** वैसे ही अधिसूचना द्वारा उन्हे उपांतरित कर सकेगी ।

ऐसे चालू रखे गए या ऐसे उपांतरित नियम, इस उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में निकाली गई हर अधिसूचना में उपवर्णित होंगे ।]

[6][(3) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखा जाएगा ।

1. 1988 के अधिनियम सं. 45 की धारा 7 द्वारा (19-5-1988 से) लोप ।
2. 1914 के अधिनियम सं. 1 की धारा 3 द्वारा धारा 67 को उस धारा की उपधारा (1) के रुप में पुनःसंख्यांकित किया गया ।
3. 1920 के अधिनियम सं 38 की धारा 2 और अनुसूची के भाग 1 द्वारा "सपरिषद् गवर्नर जनरल की पूर्व मंजूरी से" शब्दो का लोप ।
4. 1914 के अधिनियम सं. 1 की धारा 3 द्वारा जोडा ।
5. 1920 के अधिनियम और अनुसूची के भाग 1 द्वारा "सपरिषद् गवर्नर जनरल की पूर्व मंजूरी से" शब्दो का लोप ।
6. 1983 के अधिनियम सं. 20 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा (15-3-1984 से) अन्तःस्थापित किया गया ।

स्थावर सम्पत्ति के विरुद्ध डिक्रियों का निष्पादन करने की शक्ति का कलक्टर का प्रत्यायोजन

68- 72. सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1966 (1966 का 66) की धारा 7 द्वारा निरसित ।

अस्तियों का वितरण

73. निष्पादन-विक्रय के आगमों का डिक्रीदारों के बीच आनुपातिक रुप से वितरित किया जाना- (1) जहां आस्तियां न्यायालय द्वारा धारित हैं और ऐसी आस्तियों की अभिप्राप्ति के पूर्व एक से अधिक व्यक्तियों ने धन के संदाय की ऐसी डिक्रियों के, जो एक ही निर्णीत-ऋणी के विरुद्ध पारित है, निष्पादन के लिए आवेदन न्यायालस से किए हैं और उनकी तुष्टि अभिप्राप्त नहीं की है, वहां आपन के खर्चों को काट

लेने के पश्चात् वे आस्तियां ऐसे सभी व्यक्तियों के बीच आनुपातिक रूप से वितरित की जाएंगी:

परन्तु-

(क) जहां कोई सम्पत्ति बंधक या भार के अधीन विक्रय की गई है वहां बंधकदार या विल्लगन्दार ऐसे विक्रय से पैदा किसी अधिशेष में से अंश पाने के हकदार नहीं होंगे;

(ख) जहां डिक्री के निष्पादन में विक्रय के दायित्वाधीन कोई सम्पत्ति बन्धक या भार के अधीन है वहां न्यायालय बन्धकदार या विल्लगम्दार की सहमति से और बन्धकदारया विल्लगम्दार को विक्रय के आगमों में वहीं हित देते हुए, जो उसका विक्रीत सम्पत्ति में था, सम्पत्ति को बन्धक या भार से मुक्त रुप में विक्रय करने के लिए आदेश दे सकेगा;

(ग) जहां कोई स्थावर सम्पत्ति ऐसी डिक्री के निष्पादन में विक्रय की जाती है जो उस पर विल्लगम के उन्मोचन के लिए उसके विक्रय किए जाने का आदेश देती है वहां विक्रय के आगम निम्नलिखित के अनुसार उपयोजित किए जाएंगे-

प्रथमत: विक्रय के व्ययों को चुकाने में;

द्वितीयत: डिक्री के अधीन शोध्य रकम के उन्मोचन में;

तृतीयत: पाश्चिक विल्लंगमों पर (यदि कोई हों) शोध्य ब्याज और मूलधन के उन्मोचन में, तथा

चतुर्थत: निर्णीतऋणी के विरुद्ध धन के संदाय की डिक्रियों के ऐसे धारकों के बीच अनुपातिक रुप में, जिन्होंने ऐसे विक्रय का आदेश देने वाली डिक्री पारित करने वाले न्यायालय से, सम्पत्ति के विक्रय के पूर्व ऐसी डिक्रियों के निष्पादन के लिए आवेदन कर दिया है और उनकी तुष्टि अभिप्राप्त नहीं की है ।

(2) जहां वे सभी या कोई आस्तियां जो इस धारा के अधीन आनुपातिक रुप से वितरित किए जाने के लिए दायी हैं, ऐसे व्यक्ति को दे दी जाती है जो उन्हें प्राप्त करने का हकदार नहीं है वहां ऐसा हकदार कोई भी व्यक्ति उन आस्तियों का प्रतिदाय विवश करने के लिए ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध वाद ला सकेगा ।

(3) इस धारा की कोई भी बात सरकार के किसी भी अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी ।

निष्पादन का प्रतिरोध

74. निष्पादन का प्रतिरोध- जहां न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि स्थावर सम्पत्ति के कब्जे के लिए डिक्री के निष्पादन में विक्रीत स्थावर सम्पत्ति का क्रेता सम्पत्ति पर कब्जा अभिप्राप्त करने में निर्णीत-ऋणी या उसकी ओर से किसी व्यक्ति के द्वारा प्रतिरुद्ध या बाधित किया गया है और ऐसा प्रतिरोध या बाधा किसी न्यायसंगत हेतुक के बिना है, वहां डिक्रीदार या क्रेता की प्रेरणा से न्यायालय निर्णीत-ऋणी या ऐसे अन्य व्यक्ति को ऐसी अवधि के लिए सिविल कारागार में निरुद्ध करने का आदेश दे सकेगा, जो तीस दिन तक की हो सकेगी और यह अतिरिक्त निर्देश दे सकेगा कि डिक्रीदार या विक्रेता को सम्पत्ति का कब्जा दिलाया जाए ।

भाग 3

आनुषंगिक कार्यवाहियां

कमीशन

75. कमीशन निकालने कीं न्यायालय की शक्ति--ऐसी शर्तो और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, न्यायालय-

(क) किसी व्यक्ति की परीक्षा करने के लिए;

(ख) स्थानीय अन्वेषण करने के लिए;

(ग) लेखाओं की परीक्षा या उनका समायोजन करने के लिए; अथवा

(घ) विभाजन करने के लिए;

[1][(ड.) कोई वैज्ञानिक, तकनीकी या विशेषज्ञ अन्वेषण करने के लिए;

1. 1976 के अधिनिमय सं. 104 की धारा 26 द्वारा (1-2-1977 से) अन्त: स्थापित किया गया

(च) ऐसी सम्पत्ति का विक्रय करने के लिए जो शीघ्र और प्रकृत्या क्षयशील है और जो वाद का अवधारण लम्बित रहने तक न्यायालय की अभिरक्षा में है;

(छ) कोई अनसचिवीय कार्य करने के लिए;

कमीशन निकाल सकेगा ।

76. अन्य न्यायालय को कमीशन- (1) किसी व्यक्ति की परीक्षा करने के लिए कमीशन उस राज्य से, जिसमें उसे निकालने वाला न्यायालय स्थित है, भिन्न राज्य में स्थित किसी, ऐसे न्यायालय को निकाला जा सकेगा (जो उच्च न्यायालय नहीं है और) जो उस स्थान में अधिकारिता रखता है जिसमें वह व्यक्ति निवास करता है जिसकी परीक्षा की जानी है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति की परीक्षा करने के लिए कमीशन को प्राप्त करने वाला हर न्यायालय उसके अनुसरण में उस व्यक्ति की परीक्षा करेगा या कराएगा और जब कमीशन सम्यक रुप से निष्पादित किया गया है तब वह, उसके अधीन लिए गए साक्ष्य सहित, उस न्यायालय को लौटा दिया जाएगा जिसने उसे निकाला था, किन्तु यदि कमीशन निकालने के आदेश द्वारा अन्यथा निदिष्ट किया गया है तो कमीशन ऐसे आदेश के निबन्धनों के अनुसार लौटाया जाएगा ।

77. अनुरोध पत्र- कमीशन निकालने के बदले न्यायालय ऐसे व्यक्ति की परीक्षा करने के लिए अनुरोध-पत्र निकाल सकेगा जो ऐसे स्थान में निवास करता है जो 1[भारत] के भीतर नहीं है

1. 1951 के अधिनियम सं. 2 की धारा 3 द्वारा "राज्यो" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।

[1]**[78. विदेशी न्यायालयों द्वारा निकाले गए कमीशन**---ऐसी शर्तो और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए जो विहित की जाएं,साक्षियों की परीक्षा करनेके लिए कमीशनों के निष्पादन और लौटाने से सम्बन्ध रखने वाले उपबन्ध उन कमीशनों को लागू होंगे जो,-

(क) भारत के उन भागों में जन पर इस संहिता का विस्तार नहीं है, स्थित न्यायालयों द्वारा या उनकी प्रेरणा से निकाले गए हों; अथवा

(ख) केन्द्रीय सरकार के प्राधिकार द्वारा भारत से बाहर स्थापित या चालू रखे गए न्यायालयों द्वारा या उनकी प्रेरणा से निकाले गए हों; अथवा

(ग) भारत से बाहर के किसी राज्य या देश में के न्यायालयों द्वारा या उनकी प्रेरणा से निकाले गए हों ।]

भाग 4

विशिष्ट मामलों में वाद

सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध वाद या अपनी पदीय हैसियत में लोक अधिकारी द्वारा या उसके विरुद्ध वाद

[2]**[79. सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध वाद-** सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध वाद में, यथास्थिति,

वादी के प्रतिवादी के रुप में नामित किया जाने वाला प्राधिकारी,-

(क)केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध वाद की दशा में, [3][भारत संघ] होगा; तथा

(ख) किसी राज्य सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध वाद की दशा में, वह राज्य होगा ।]

80. सूचना- [4][(1)] [5][उसके सिवाय जैसा उपधारा (2) में उपबन्धित है, [1][सरकार के (जिसके अन्तर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य की सरकार भी आती है) विरुद्ध] या ऐसे कार्य करने की बाबत जिसके बारे में यह तात्पर्यित है कि वह ऐसे लोक अधिकारी द्वारा अपनी पदीय हैसियत में किया गया है लोक अधिकारी के विरुद्ध [2][कोई वाद तब तक] [3][संस्थित नहीं किया जाएगा] जब तक वाद-हेतुक का, वादी के नाम, वर्णन और निवास-स्थान का और जिस अनुतोष का वह दावा करता है उसका कथन करने वाली लिखित सूचना--

1. 1951 के अधिनियम सं. 2 कीं धारा 11 द्वारा पूर्ववर्ती धारा के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया
2. भारतीय स्वतंत्रता (केन्द्रीय अधिनियमों और अध्यादेशो का अनुकूलन) आदेश, 1948 द्वारा पूर्ववर्ती धारा के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।
3. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "भारत डोमिनियन" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।
4. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 27 द्वारा धारा 30 को उस धारा की उपधारा (1) के रुप में पुनःसख्याकित ।
5. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 27 द्वारा (1-2-1977 से) "कोई वाद तब तक संस्थित नही किया जाएगा" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।

[1][सरकार के (जिसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य की सरकार भी आती है) विरुद्ध] या ऐसे कार्य करने की बाबत जिसके बारे में यह तात्पर्यित है कि वह ऐसे लोक अधिकारी द्वारा अपनी पदीय हैसियत में किया गया है, लोक अधिकारी के विरुद्ध [2][कोई वाद तब तक] [3][संस्थित नहि किया जाएगा] जब तक वाद-हेतुक का, वादी का नाम, वर्णन और निवास-स्थान का और जिस अनुतोष का वह दावा करता है उसका, कथन करने वाली लिखित सूचना -

(क) केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध वाद की दशा में, [4][वहां के सिवाय जहां वह रेल से सम्बन्धित है], उस सरकार के सचिव को;

[5][[6][(ख) केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध वाद की दशा में, जहां वह रेल से संबंधित है, उस रेल के प्रधान प्रबन्धक को;]

7* * * * * *

[8][(खख) जम्मू-कश्मीर राज्य की सरकार के विरुद्ध वाद की दशा में, उस सरकार के मुख्य सचिव को या उस सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को;]

(ग) [9][किसी अन्य राज्य सरकार] के विरुद्ध वाद की दशा में, उस सरकार के सचिव को या जिले के कलेक्टर को, [10]***

[11][* * *

[12][परिदत्त किए जाने या उसके कार्यालय में छोड़े जाने के,] और लोक अधिकारी की दशा में उसे परिदत्त किए जाने या उसके कार्यालय में छोड़े जाने के पश्चात्, दो मास का अवसान न हो गया हो, और वादपत्र में यह कथन अन्तर्विष्ट होगा कि ऐसी सूचना ऐसे परिदत कर दी गई है या छोड दी गई है ।

1. 1963 के अधिनियम सं. 26 द्वारा "सरकार के विरुद्ध संस्थित नहीं किया जाएगा" के स्थान पर प्रतिस्थापित | रेखाकित शब्द विधि अनुकूलन आदेश, 1948 द्वारा "क्राउन के विरुद्ध संस्थित" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
2. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 27 द्वारा (1-2-1977 से) "कोई वाद तब तक संस्थित नहीं किया जाएगा" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।
3. 1963 के अधिनियम सं. 26 की धारा 3 द्वारा (5-8-1964 से) "सरकार के विरुद्ध सस्थित नहीं किया जाएगा" के स्थान पर प्रतिस्थापित । रेखांकित शब्द विधि अनुकूलन आदेश, 1948 द्वारा
"क्राउन के विरुद्ध संस्थित" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।
4. 1948 के अधिनियम सं. 6 की धारा 2 द्वारा अन्तःस्थापित किया गया ।
5. 1948 के अधिनियम सं. 6 की धारा 2 द्वारा खण्ड (कक) के रुप मे अन्तःस्थापित किया गया ।
6. भारतीय स्वतंत्रता (केन्द्रीय अधिनियम और अध्यादेश अनुकूलन) आदेश, 1948 द्वार खण्ड (कक) को खण्ड (ख) के रुप में पुन: अक्षराकित किया गया और खण्ड (ख) का लोप ।
7. 1948 के अधिनियम सं. 6 की धारा 2 द्वारा खण्ड (कक) के रुप मे अन्तःस्थापित किया गया ।
8. 1963 के अधिनियम सं. 26 की धारा 3 द्वारा (5-6-1964 से) अन्तःस्थापित किया गया ।
9. 1963 के अधिनियम सं. 26 की धारा 3 द्वारा (5-6-1964 से) "राज्य सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।
10. भारतीय स्वतंत्रता (केन्द्रीय अधिनियमों और अध्यादेशों का अनुकूलन) आदेश, 1948 द्वारा “और” शब्द तथा खण्ड (घ) का लोप ।
11. भारतीय स्वतत्रता (केन्द्रीय अधिनियमों और अध्यादेशो का अनुकूलन) आदेश, 1948 द्वारा "और" शब्द तथा खण्ड (घ) का लोप ।
12. भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश 1937 द्वारा “सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउन्सिल की दशा मे, स्थानीय

[1][(2) सरकार के (जिसके अन्तर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य की सरकार भी आती है,) विरुद्ध या ऐसे कार्य की बाबत जिसके बारे में यह तात्पर्यित है कि वह ऐसे लोक अधिकारी द्वारा अपनी पदीय हैसियत में किया गया है, लोक अधिकारी के विरुद्ध, कोई अत्यावश्यक या तुरन्त अनुतोष अभिप्राप्त करने के लिए कोई वाद, न्यायालय की इजाजत से, उपधारा (1) द्वारा यथाअपेक्षित किसी सूचना की तामील किए बिना, संस्थित किया जा सकेगा; किन्तु न्यायालय वाद में अनुतोष, चाहे अन्तरिम या अन्यथा, यथास्थिति, सरकार या लोक अधिकारी को वाद में आवेदित अनुतोष की बाबत हेतुक दर्शित करने का उचित अवसर देने के पश्चात् ही प्रदान करेगा, अन्यथा नहीं:

परन्तु यदि न्यायालय का पक्षकारों को सुनने के पश्चात्, यह समाधान हो जाता है कि वाद में कोई अत्यावश्यक या तुरन्त अनुतोष प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है तो वह वाद पत्र को वापस कर देगा कि उसे उपधारा (1) की अपेक्षाओं का पालन करने के पश्चात् प्रस्तुत किया जाए ।

(3) सरकार के विरुद्ध या ऐसे कार्य की बाबत जिसके बारे में यह तात्पर्यित है कि वह ऐसे लोक अधिकारी द्वारा अपनी पदीय हैसियत में किया गया है, लोक अधिकारी के विरुद्ध संस्थित किया गया कोई वाद केवल इस कारण खारिज नहीं किया जाएगा कि उपधारा (1) मे निर्दिष्ट सूचना में कोई त्रुटि या दोष है,

यदि ऐसा सूचना में-

(क) वादी का नाम, वर्णन और निवास-स्थान इस प्रकार दिया गया है जो सूचना की तामील करने वाले व्यक्ति की शिनाख्त करने में समुचित प्राधिकारी या लोक अधिकारी को समर्थ करें और ऐसी सूचना उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट समुचित प्राधिकारी के कार्यालय में परिदत कर दी गई है या छोड दी गई है, तथा

(ख) वाद-हेतुक और वादी द्वारा दावा किया गया अनुतोष सारत; उपदर्शित किया गया है]

सरकार के सचिव को या जिले के कलक्टर को परिदत्त किए जाने या उसके कार्यालय मे छोड जाने के" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 27 द्वारा (1-2-1977 से) अन्तःस्थापित किया गया ।

राज्य संशोधन

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा संशोधन- सिविल प्रक्रिया संहिता (मध्य प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1984 वर्ष 1984 का अधिनियम संख्यांक 29 के द्वारा संहिता की धारा 80 में निम्न संशोधन किया गया है-

मूल अधिनियम की धारा 80 में-

(एक) उपधारा (1) में, शब्द, कोष्ठक तथा अंक "उपधारा (2)" के स्थान पर शब्द, कोष्ठक, तथा अंक” उपधारा (2) या उपधारा (4)" स्थापित किये जाएं;

(दो)उपधारा (3) के पश्चात, निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाय, अर्थात-

"(4) जहां आदेश 1 के नियम 3-ख में निर्दिष्ट किसी वाद या कार्यवाही में, राज्य को प्रतिवादी या अनावेदक के रुप में संयोजित किया गया है या जहां न्यायालय आदेश 1 के नियम 10 के उपनियम (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य को प्रतिवादी या अनावेदक के रुप में संयोजित करने का आदेश दे, वहां ऐसे वाद या कार्यवाही को इस कारण खारिज नहीं किया जाएगा कि वादी या आवेदक की ओर से उपधारा (1) के अधीन सूचना जारी करने में लोप हुआ है । "

(संशोधन को म.प्र. राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 14-8-84 को प्रकाशित किया गया ।)

81. गिरफ्तारी और स्वीय उपसंजाति से छूट-- ऐसे किसी भी कार्य के लिए, जो लोक अधिकारी द्वारा उसकी पदीय हैसियत में किया गया तात्पर्यित है, उसके विरुद्ध संस्थित किए गए वाद में-

(क) डिक्री के निष्पादन में से अन्यथा न तो गिरफ्तार किए जाने का दायित्व प्रतिवादी पर और न कुर्क किए जाने का दायित्व उसकी सम्पत्ति पर होगा; तथा

(ख) जहां न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि प्रतिवादी लोक सेवा का उपाय किए बिना अपने कर्तव्य से अनुपस्थित नहीं हो सकता वहां, वह उसे स्वीय उपसंजाति से छूट दे देगा ।

82. डिक्री का निष्पादन- [1][(1) जहां सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध या ऐसे कार्य की बाबत जिसके बारे में यह तात्पर्यित है कि वह ऐसे लोक अधिकारी द्वारा अपनी पदीय हैसियत में किया गया है, उसके द्वारा या उसके विरुद्ध किसी वाद में, यथास्थिति, भारत संघ या किसी राज्य या लोक अधिकारी के विरुद्ध डिक्री पारित की जाती है वहां ऐसी डिक्री उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार ही निष्पादित की जाएगी, अन्यथा नहीं ।]

(2) [2][ऐसी डिक्री] तारीख के संगणित तीन मास की अवधि तक उस डिक्री के तुष्ट न होन पर ही किसी ऐसी डिक्री के निष्पादन का आदेश निकाला जाएगा ।

[3][(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) के उपबन्ध किसी आदेश या पंचाट के संबंध में ऐसे लागू होंगे

जैसे वे डिक्री के सम्बन्ध में लागू होते है, यदि वह आदेश या पंचाट-

(क) [4][भारत संघ] किसी राज्य के या यथापूर्वोक्त किसी कार्यके बारे में किसी लोक अधिकारी के विरुद्ध, चाहे न्यायालय द्वारा या चाहे किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा, दिया गया हो, तथा

(ख) इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अधीन ऐसे निष्पादित किए जाने के योग्य हो मानो वह डिक्री हो ।]

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 28 द्वारा (1-2-1977 से) उपधारा (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।
2. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 28 द्वारा (1-2-1977 से) "ऐसी रिपोर्ट" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।
3. 1949 के अधिनियम सं. 32 की धारा 2 द्वारा अन्तःस्थापित किया गया ।
4. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "भारत के डोमिनियन" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।

[1][अन्य देशियों द्वारा विदेशी शासकों, राजदूतों और दूतों द्वारा या उनके विरुद्ध वाद

83. अन्यदेशीय कब वाद ला सकेंगे- अन्यदेशीय शत्रु, जो केन्द्रीय सरकार की अनुज्ञा से भारत में निवास कर रहे है, और अन्य देशीय मित्र किसी भी ऐसे न्यायालय में, जो वाद का विचारण करने के लिए अन्यथा सक्षम है, इस प्रकार वाद ला सकेंगे मानो वे भारत के नागरिक हों, किन्तु अन्य देशीय शत्रु, जो ऐसी अनुज्ञा के बिना भारत में निवास कर रहे है या जो विदेश में निवास कर रहे है ऐसे किसी भी न्यायालय में वाद नही लाएंगे ।

स्पष्टीकरण- ऐसे हर व्यक्ति के बारे में जो ऐसे विदेश में निवास कर रहा है जिसकी सरकार भारत से युद्ध स्थिति में है और जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त दी गई अनुज्ञप्ति के बिना उस देश में कारबार कर रहा है, इस धारा के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि वह ऐसी अन्य देशीय शत्रु है जो विदेश में निवास कर रहा है ।

84. विदेशी राज्य कब वाद ला सकेंगे- -कोई विदेशी राज्य किसी भी सक्षम न्यायालय में वाद ला सकेगा:

परन्तु यह तब जब कि वाद का उद्देश्य ऐसे राज्य के शासक में या ऐसे राज्य किसी अधिकारी में उसकी लोक हैसियत में निहित प्राइवेट अधिकार का प्रवर्तन कराना हो ।

1. 1951 के अधिनिमय सं. 2 की धारा 12 द्वारा पूर्ववर्ती शीर्ष और धारा 83 से 87 तक के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया |

85. विदेशी शासकों की ओर से अभियोजन या प्रतिरक्षा करने के लिए सरकार द्वारा विशेष रुप से नियुक्त किए गए व्यक्ति- (1) विदेशी राज्य के शासक के अनुरोध पर या ऐसे शासक की ओर से कार्य करने की केन्द्रीय सरकार की राय में सक्षम किसी व्यक्ति के अनुरोध पर, केन्द्रीय सरकार ऐसे शासक की ओर से किसी वाद का अभियोजन करने या प्रतिरक्षा करने के लिए किन्हीं व्यक्तियों को आदेश द्वारा नियुक्त कर सकेगी और ऐसे नियुक्त किए गए कोई भी व्यक्ति ऐसे मान्यताप्राप्त अभिकर्ता समझे जाएंगे जो ऐसे शासकों की ओर से इस संहिता के अधीन उपसंजात हो सकेंगे और कार्य और आवेदन कर सकेंगे

(2) इस धारा के अधीन नियुक्त किसी विनिर्दिष्ट वाद के या अनेक विनिर्दिष्ट वादों के प्रयोजन के लिए या ऐसे सभी वादो के प्रयोजनों के लिए की जा सकेगी जिनका ऐसे शासक की ओर से अभियोजन या

प्रतिरक्षा करना समय-समय पर आवश्यक हो ।

(3) इस धारा के अधीन नियुक्त व्यक्ति ऐसे किसी वाद या किन्हीं वादों में उपसंजात होने तथा आवेदन और कार्य करने के लिए किन्हीं अन्य व्यक्तियों को ऐसे प्राधिकृत या नियुक्त कर सकेगा मानो वह स्वंय ही उसका या उनका पक्षकार हो ।

86. विदेशी राज्यों,राजदूतों और दूतों के विरुद्ध वाद- (1) विदेशी राज्य [1]***पर कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में,जो अन्यथा ऐसे वाद का विचारण करने के लिए सक्षम है, केन्द्रीय सरकार की ऐसी सहमति के बिना नहीं लाया जा सकेगा जो उस सरकार के किसी सचिव द्वारा लिखित रूप में प्रमाणित की गई हो :

परन्तु वह व्यक्ति, जो स्थावर सम्पत्ति के अभिधारी के तौर पर ऐसे [2][विदेशी राज्य] पर, जिससे वह सम्पत्ति को धारण करता है या धारण करने का दावा करता है, यथापूर्वोक्त सहमति के बिना वाद ला सकेगा ।

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 29 द्वारा (1-2-1977 से) " के किसी भी शासक " शब्दो का लोप ।
2. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 29 द्वारा (1-2-1977 से शासक " के स्थान पर प्रतिस्थापित किया ।

(2) ऐसी सहमति विनिर्दिष्ट वाद या अनेक विनिर्दिष्ट वादों या किसी या किन्हीं विनिर्दिष्ट वर्ग या वर्गो के समस्त वादों के बारे में दी जा सकेगी और वह किसी वाद या वादों के वर्ग की दशा में उस न्यायालय को भी विनिर्दिष्ट कर सकेगी जिसमें उस [1][विदेशी राज्य] के विरुद्ध वाद लाया जा सकेगा, किन्तु वह तब तक नहीं दी जाएगी जब तक केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत नहीं होता है कि वह [2][विदेशी राज्य] -

(क) उस व्यक्ति के विरुद्ध जो उस पर वाद लाने की वांछा करता है, उस न्यायालय में वाद संस्थित कर चुका है अथवा

(ख) स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उस न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर व्यापार करता है, अथवा

(ग) उन सीमाओं के भीतर स्थित स्थावर सम्पत्ति पर कब्जा रखता है और उसके विरुद्ध ऐसी सम्पत्ति के बारे में या उस धन के बारे में जिसका भार उस सम्पत्ति पर है, वाद लाया जाना है, अथवा

(घ) इस धारा द्वारा उसे दिए गए विशेषाधिकार का अधित्यजन अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से कर चुका है ।

[3][(3) केन्द्रीय सरकार के सचिव द्वारा लिखित रूप में प्रमाणित कोई डिक्री विदेशी राज्य की सम्पत्ति के विरुद्ध केन्द्रीय सरकार की सहमति से ही निष्पादित की जाएगी अन्यथा नहीं ।

(4) इस धारा के पूर्ववर्ती उपबन्ध निम्नलिखित के सम्बन्ध में वैसे ही लागू होंगे [4][जैसे वे विदेशी राज्य के सम्बन्ध में लागू होते हैं-]

[5][(क) विदेशी राज्य का कोई शासक;]

[6][(कक)] विदेशी राज्य का कोई भी राजदूत या दूत;

(ख) कामनवेल्थ देश का कोई भी उच्चायुक्त; तथा

(ग) [7][विदेशी राज्य के कर्मचारिवृन्द का या विदेशी राज्य के राजदूत या दूत के] या कामनवेल्थ देश के उच्चायुक्त के कर्मचारिवृन्द या अनुचर वर्ग का कोई भी ऐसा सदस्य जिसे केन्द्रीय सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे ।

[8][(5) इस संहिता के अधीन निम्नलिखित व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किए जाएंगे, अर्थात:-

(क) विदेशी राज्य का कोई शासक;

(ख) विदेशी राज्य का कोई राजदूत या दूत;

1. 1976के अधिनियम सं. 104 की धारा 29 द्वारा (1-2-1977 से) "शासक" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया 1
2. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 29 द्वारा (1-2-1977 से) "शासक" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया ।
3. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 29 द्वारा (1-2-1977 से) उपधारा (3) के स्थान पर प्रतिस्थापित किया ।
4. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 29 द्वारा (1.2.1977 से) कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित किया ।
5. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 29 द्वारा (1.2.1977 से) अन्तःस्थापित किया ।
6. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 29 द्वारा (1.2.1977 से) खंड (क) को खंड (कक) के रुप मे पुन : अक्षरांकित ।
7. 1976 केअधिनियम सं. 104 की धारा 29 द्वारा (1.2.1977 से) कुछ शब्दो के स्थान पर प्रतिस्थापित किया ।
8. 1976 के अधिनिमय सं. 104 की धारा 29 द्वारा (1.2.1977 से) अन्त: स्थापित किया ।

(ग) कामनवेल्थ देश का कोई उच्चायुक्त;

(घ) विदेशी राज्य के कर्मचारिवृन्द का या विदेशी राज्य के शासक, राजदूत या दूत के या कामनवेल्थ देश के उच्चायुक्त के कर्मचारिवृन्द या अनुचर वर्ग का कोई भी ऐसा सदस्य जिसे केन्द्रीय सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे ।

(6) जहां केन्द्रीय सरकार को उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट सहमति देने का अनुरोध किया जाता है वहां केन्द्रीय सरकार ऐसे अनुरोध का स्वीकार करने से पूर्णत: या भागत: इंकार करने से पहले अनुरोध करने वाले व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर देगी ।]

87. विदेशी शासकों का वादों के पक्षकारों के रुप में अभिधान- विदेशी राज्य शासक अपने राज्य के नाम से वाद ला सकेगा और उसके विरुद्ध वाद उसके राज्य के नाम से लाया जाएगा :

परन्तु धारा 86 में निर्दिष्ट सहमति देने में केन्द्रीय सरकार शासक के विरुद्ध वाद किसी अभिकर्ता के नाम से या किसी अन्य नाम से लाए जाने का निदेश दे सकेगी ।

87क. "विदेशी राज्य" और "शासक" की परिभाषाएं- (1) इस भाग में-

(क) "विदेशी राज्य" से भारत से बाहर का ऐसा कोई राज्य अभिप्रेत है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त है; तथा

(ख) विदेशी राज्य के सम्बन्ध में “शासक” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो उस राज्य के अधिपति के रूप में केन्द्रीय सरकार द्वारा तत्समय मान्यता प्राप्त है ।

(2) हर न्यायालय इस तथ्य की न्यायिक अवेक्षा करेगा कि-

(क) कोई राज्य केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है या नहीं '

(ख) कोई व्यक्ति राज्य के अधिपति के रुप में केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है या नहीं|

भूतपूर्व भारतीय राज्यों के शासकों के विरुद्ध वाद

87ख. भूतपूर्व भारतीय राज्यों के शासकों को धारा 85 और धारा 86 का लागू होना

[1][(1) किसी भूतपूर्व भारतीय राज्य के शासक द्वारा या उसके विरुद्ध किसी वाद की दशा में जो पूर्णत: या भागत: ऐसे वाद हेतुक पर आधारित है जो संविधान के प्रारम्भ से पूर्व उद्भूत हुआ है या ऐसे वाद से उद्भूत होने वाली किसी कार्यवाही की दशा में धारा 85 और धारा 86 की उपधारा (1) और (3) के उपबन्ध ऐसे शासक के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे किसी विदेशी राज्य के शासक के सम्बन्ध में लागू होते हैं ।]

(2) इस धारा में-

(क) "भूतपूर्व भारतीय राज्य" से वह भारतीय राज्य अभिप्रेत है जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस धारा के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करें, [2]***

[3][(ख) “संविधान का प्रारम्भ” से 26 जनवरी, 1950 अभिप्रेत है; और

(ग) किसी भूतपूर्व भारतीय राज्य के सम्बन्ध में "शासक" का वही अर्थ है जो संविधान के अनुच्छेद 363 में है ।]

अन्तराभिवाची

88. अन्तराभिवाची वाद कहां संस्थित किया जा सकेगा- जहां दो या अधिक व्यक्ति उसी ऋण, धनराशि या अन्य जगंम या स्थावर सम्पत्ति के बारे में एक दूसरे के प्रतिकूल दावा किसी ऐसे अन्य व्यक्ति से करते है जो प्रभारों या खर्चों से भिन्न किसी हित का उसमें दावा नहीं करता है और जो अधिकारवान दावेदार को उसे देने या परिदत्त करने के लिए तैयार है वहां ऐसा अन्य व्यक्ति समस्त ऐसे दावेदारों के विरुद्ध अन्तराभिवाची वाद उस व्यक्ति के बारे में जिसे संदाय या परिदान किया जाएगा, विनिश्चय अभिप्राप्त करने और अपने लिए परित्राण अभिप्राप्त करने के प्रयोजन से संस्थित कर सकेगा:

परन्तु जहां ऐसा कोई वाद लम्बित है जिसमें सभी पक्षकारों के अधिकार उचित रूप से विनिश्चित किए जा सकते हैं वहां ऐसे कोई अन्तराभिवाची वाद संस्थित नहीं किया जाएगा ।

1. 1972 के अधिनियम सं. 64 की धारा 3 द्वारा उपधारा (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित किया ।
2. 1972 के अधिनियम सं. 54 की धारा 3 द्वारा "और" शब्द का लोप |
3. 1972 के अधिनियम सं. 54 की धारा 3 द्वारा खण्ड (ख) के स्थान पर प्रतिस्थापित किया ।

भाग 5

विशेष कार्यवाहियां

माध्यस्थम्

[1]**[89 न्यायालय के बाहर विवादों का निपटारा-** (1) जहां न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि किसी समझौते के ऐसे तत्व विद्यमान हैं, जो पक्षकारों को स्वीकार्य हो सकते हैं वहां न्यायालय समझौते के निबंधन बनाएगा और उन्हें पक्षकारों को उनकी टीका-टिप्पणी के लिए देगा और पक्षकारों की टीका-टिप्पणी प्राप्त करने के पश्चात् न्यायालय संभव समझौते के निबंधन पुन: बना सकेगा और उन्हें:-

(क) माध्यस्थम्;

(ख) सुलह;

(ग) न्यायिक समझौते जिसके अंतर्गत लोक अदालत के माध्यम से समझौता भी है; या

(घ) बीच बचाव के लिए निर्दिष्ट करेगा ।

(2) जहा कोई विवाद-

(क) माध्यस्थम् या सुलह के लिए निर्दिष्ट किया गया है वहां माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26) के उपबंध ऐसे लागू होंगे मानो माध्यस्थम् या सुलह के लिए कार्यवाहियां उस अधिनियम के उपबंधों के अधीन समझौते के लिए निर्दिष्ट की गई थीं;

(ख) लोक अदालत को निर्दिष्ट किया गया है, वहां न्यायालय उसे विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) की धारा 20 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार लोक अदालत को निर्दिष्ट करेगा और उस अधिनियम के सभी अन्य उपबंध लोक अदालत को इस प्रकार निर्दिष्ट किए गए विवाद के संबंध में लागू होंगे;

(ग) न्यायिक समझौता के लिए निर्दिष्ट किया गया है, वहां न्यायालय उसे किसी उपयुक्त संस्था या व्यक्ति को निर्दिष्ट करेगा और ऐसी संस्था या व्यक्ति को लोक अदालत समझा जाएगा तथा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) के सभी उपबंध ऐसे लागू होंगे मानो वह विवाद लोक अदालत को उस अधिनियम के उपबंधों के अधीन निर्दिष्ट किया गया था;

(घ) बीच-बचाव के लिए निर्दिष्ट किया गया है वहा न्यायालय पक्षकारों के बीच समझौता कराएगा और ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो विहित की जाएं ।

1. 1999 के अधिनियम सं. 46 की धारा 7 द्वारा (1-7-2002 से) अत: स्थापित ।

विशेष मामला

90. न्यायालय की राय के लिए मामले का कथन करने की शक्ति- जहां कोई व्यक्ति न्यायालय की राय के लिए किसी मामले का कथन करने के लिए लिखित करार कर ले वहां न्यायालय विहित रीति से उसका विचारण और अवधारण करेगा ।

[1][लोक न्यूसेंस और लोक पर प्रभाव डालने वाले अन्य दोषपूर्ण कार्य]

91. लोक न्यूसेंस और लोक पर प्रभाव डालने वाले अन्य दोषपूर्ण कार्य- [2][(1) लोक न्यूसेंस या अन्य ऐसे दोषपूर्ण कार्य की दशा में जिससे लोक पर प्रभाव पडता है या प्रभाव पड़ना संभव है, घोषणा और व्यादेश के लिए या ऐसे अन्य अनुतोष के लिए जो मामले की परिस्थितियों में समुचित हो वाद,-

(क) महाधिवक्ता द्वारा, या

(ख) दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा, ऐसे लोक न्यूसेंस या अन्य दोषपूर्ण कार्य के कारण ऐसे व्यक्तियों को विशेष नुकसान न होने पर भी न्यायालय की इजाजत से,

संस्थित किया जा सकेगा ।

(2) इस धारा की कोई भी बात वाद के किसी ऐसे अधिकार को परिसीमित करने वाली या उस पर अन्यथा प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी, जिसका अस्तित्व इसके उपबन्धों से स्वतंत्र है |

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 30 द्वारा (1.2.1977 से) पूर्ववर्ती शीर्ष के स्थान पर प्रतिस्थापित किया ।
2. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 30 द्वारा (1.2.1977 से) उपधारा (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित किया ।

[1]**92. लोक पूर्त कार्य---** (1) पूर्त या धार्मिक प्रकृति के लोक प्रयोजनों के लिए सृष्ट किसी अभिव्यक्त या आन्वयिक न्यास के किसी अभिकथित भंग के मामले में, या जहा ऐसे किसी न्यास के

प्रशासन के लिए न्यायालय का निदेश आवश्यक समझा जाता है वहां महाधिवक्ता या न्यास में हित रखने वाले ऐसे दो या अधिक व्यक्ति, जिन्होंने [2][न्यायालय की इजाजत] अभिप्राप्त कर ली है, ऐसा वाद, चाहे वह प्रतिविरोधात्मक हो या नहीं, आरम्भिक अधिकारिता वाले प्रधान सिविल न्यायालय में या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त किए गए किसी अन्य न्यायालय में जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर न्यास की सम्पूर्ण विषय-वस्तु या उसका कोई भाग स्थित है, निम्नलिखित डिक्री अभिप्राप्त करने के लिए संस्थित कर सकेंगे--

(क) किसी न्यासी को हटाने की डिक्री;

(ख) नए न्यासी को नियुक्त करने की डिक्री;

(ग) न्यासी में किसी सम्पति को निहित करने की डिक्री;

[3][(गग) ऐसे न्यास को जो हटाया जा चुका है या ऐसे व्यक्ति को जो न्यासी नहीं रह गया है, अपने कब्जे में की किसी न्यास-सम्पति का कब्जा उस व्यक्ति को जो उस सम्पत्ति के कब्जे का हकदार है, परिदत्त करने का निदेश देने की डिक्री;]

(घ) लेखाओं और जांचों को निर्दिष्ट करने की डिक्री;

(ड.) यह घोषणा करने की डिक्री कि न्यास-सम्पति का या उसमें के हित का कौन सा अनुपात न्यास के किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए आबंटित होगा;

(च) सम्पूर्ण न्यास-सम्पत्ति या उसके किसी भाग का पटटे पर उठाया जाना, विक्रय किया जाना, बन्धक किया जाना या विनिमय किया जाना प्राधिकृत करने की डिक्री;

(छ) स्कीम स्थिर करने की डिक्री; अथवा

(ज) ऐसा अतिरिक्त या अन्य अनुतोष अनुदात्त करने की डिक्री जो मामले की प्रकृति से अपेक्षित हो|

1. धारा 92 बिहार के किसी धार्मिक न्यास को लागू नहीं होगी । देखिए 1951 का बिहार अधिनियम सं. 1 ।
2. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 31 द्वारा (1-2-1977 से) "महाधिवक्ता की लिखित सम्पत्ति" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।
3. 1956 के अधिनियम सं. 66 की धारा 9 द्वारा अन्त स्थापित किया ।

(2) उसके सिवाय जैसा धार्मिक विन्यास अधिनियम, 1863 (1863 का 20) द्वारा [1][या [2][उन राज्यक्षेत्रों] में, [3][जो 1 नबम्बर, 1956 के ठीक पूर्व भाग ख राज्यों में समाविष्ट,] थे प्रवृत तत्समान किसी विधि द्वारा] उपबन्धित है, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अनुतोषों मे से किसी के लिए दावा करने वाला कोई भी वाद ऐसे किसी न्यास के सम्बन्ध में जो उसमें निर्दिष्ट है, उस उपधारा के उपबन्धों के अनुरूप ही संस्थित किया जाएगा, अन्यथा नहीं ।

[4][(3) न्यायालय, पूर्त या धार्मिक प्रकृति के लोक प्रयोजनों के लिए सृष्ट किसी अभिव्यक्त या आन्वयिक न्यास के मूल प्रयोजनों में परिवर्तन कर सकेगा और ऐसे न्यास की सम्पत्ति या आय को अथवा उसके किसी भाग को निम्नलिखित में से एक या अधिक परिस्थितियों में समान उद्देश्य के लिए उपयोजित कर सकेगा अर्थात:

(क) जहां न्यास के मूल प्रयोजन पूर्णत: या भागत:, -

(I) जहां तक हो सके पूरे हो गए हैं, अथवा

(II) क्रियान्वित किए ही नहीं जा सकते हैं या न्यास को सृष्ट करने वाले लिखत में दिए गए निदेशों

के अनुसार या जहां ऐसी कोई लिखत नहीं है वहां, न्यास की भावना के अनुसार क्रियाविन्त नहीं किए जा सकते हैं, अथवा

(ख) जहां न्यास के मूल प्रयोजनों में, न्यास के आधार पर उपलब्ध सम्पत्ति के केवल एक भाग के उपयोग के लिए ही उपबन्ध है; अथवा

(ग) जहां न्यास के आधार पर उपलब्ध सम्पत्ति और समान प्रयोजन के लिए उपयोजित की जा सकने वाली अन्य सम्पत्ति का न्यास की भावना और सामान्य प्रयोजनों के लिए उसके उपयोजन को ध्यान में रखते हुए, किसी अन्य प्रयोजनों के साथ-साथ अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है और वह उस उद्देश्य से किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयुक्त रीति से उपयोजित की जा सकती है; अथवा

(घ) जहां मूल प्रयोजन पूर्णत: या भागत: किसी ऐसे क्षेत्र के बारे में बनाए गए थे जो ऐसे प्रयोजनों के लिए उस समय एक इकाई था किन्तु अब नहीं रह गया है; अथवा

(ड.) जहां,-

(I) मूल प्रयोजनों को बनाए जाने के पश्चात्, पूर्णत: या भागत: अन्य साधनों से पर्याप्त रुप से व्यवस्था कर दी है; अथवा

(II) मूल प्रयोजन बनाए जाने के पश्चात्, पूर्णत: या भागत:, समाज के लिए अनुपयोगी या अपहानिकर होने के कारण समाप्त हो गए है; अथवा

(III) मूल प्रयोजन बनाए जाने के पश्चात, पूर्णत: या भागत: विधि के अनुसार पूर्त नहीं रह गए हैं; अथवा

(IV) मूल प्रयोजन बनाए जाने के पश्चात्, पूर्णत: या भागत: न्यास की भावना को ध्यान में रखते हुए, न्यास के आधार पर उपलब्ध सम्पत्ति के उपयुक्त और प्रभावी उपयोग के लिए किसी अन्य रीति से उपबन्ध नहीं करते हैं ।

1. 1951 के अधिनियम सं. 2 की धारा 13 द्वारा अंत: स्थापित किया |

2. विधि अनुकूलन (सं. 2) आदेश 1956 द्वारा “भाग ‘ख’ राज्य” के स्थान पर प्रतिस्थापित किया|

3. विधि अनुकूलन (सं. 2) आदेश 1956 द्वारा " भाग 'ख' राज्य " के स्थान पर प्रतिस्थापित किया| 4. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 31 द्वारा (1-2-1977 से) अन्त: स्थापित किया ।

राज्य संशोधन

उ.प्र. राज्य द्वारा संशोधन- उ.प्र. सिविल विधि (सुधार व संशोधन) अधिनियम, 1954 (1954 का 24) के द्वारा जो कि दिनांक 30.11.1954 से प्रभावी की गई उपधारा (1) के खंड (ख) के उपरांत खंड (खख) को जोडा गया-

" (खख) किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जो कि न्यासी होना समाप्त हो गया है अथवा हटा दिया गया है किसी न्यास संपत्ति के आधिपत्य को परिदान करने के लिए । "

93. प्रेसिडेंसी नगरों से बाहर महाधिवक्ता की शक्तियों का प्रयोग- महाधिवक्ता को धारा 91 और धारा 92 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग प्रेसिडेंसी नगरों से बाहर राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से कलक्टर या ऐसा अधिकारी भी कर सकेगा जिसे राज्य सरकार इस निमित्त नियुक्त करे ।

भाग 6

अनुपूरक कार्यवाहियां

94. अनुपूरक कार्यवहियां- न्यायालय न्यास के उद्‌देश्यों का विफल किया जाना निवारित करने के लिए उस दशा में जिसमें ऐसा करना विहित हो-

(क) प्रतिवादी को गिरफ्तार करने के लिए और न्यायालय के सामने उसको इस बात का हेतुक दर्शित करने के लिए लाए जाने के लिए कि उसे अपने उपसंजात होने के लिए प्रतिभूति क्यों नहीं देनी चाहिए, वारण्ट निकाल सकेगा और यदि वह प्रतिभूति के लिए दिए गए किसी आदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है तो उसे सिविल कारागार को सुर्पुद कर सकेगा;

(ख) प्रतिवादी को अपनी कोई सम्पत्ति पेश करने के लिए प्रतिभूति देने का और उस सम्पत्ति को न्यायालय के नियंत्रणाधीन रखने का निदेश दे सकेगा या किसी सम्पत्ति की कुक्री आदिष्ट कर सकेगा;

(ग) अस्थायी व्यादेश अनुदत कर सकेगा और अवज्ञा की दशा में उसके दोषी व्यक्ति को सिविल कारागार को सुपुर्द कर सकेगा और आदेश दे सकेगा कि उसकी सम्पत्ति कुर्क की जाए और उसका विक्रय किया जाए;

(घ) किसी सम्पत्ति का रिसीवर नियुक्त कर सकेगा और उसकी सम्पत्ति को कुर्क करके और उसका विक्रय करके उसके कर्तव्यों का पालन करा सकेगा;

(ङः) ऐसे अन्य अन्तर्वर्ती आदेश कर सकेगा जो न्यायालय को न्यायसंगत और सुविधापूर्ण प्रतीत हों ।

95. अपर्याप्त आधारों पर गिरफ्तारी, कुर्की या व्यादेश अभिप्राप्त करने के लिए प्रतिकर- (1) जहां किसी वाद में, जिसमें इसके ठीक पहले की धारा के अधीन कोई गिरफतारी या कुर्की कर ली गई है या अस्थायी व्यादेश दिया गया है-

(क) न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि ऐसी गिरफ्तारी, कुर्की या व्यादेश के लिए आवेदन अपर्याप्त आधारों पर दिया गया था, अथवा

(ख) वादी का वाद असफल हो जाता है और न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि उसके संस्थित किए जाने के लिए कोई युक्तियुक्त या अधिसंभाव्य आधार नहीं था,

वहां प्रतिवादी न्यायालय से आवेदन कर सकेगा और न्यायालय ऐसे आवेदन पर अपने आदेश द्‌वारा [1][पचास हजार रुपए से अनधिक] इतनी रकम वादी के विरुद्‌ध अधिनिर्णीत कर सकेगा जितना वह प्रतिवादी के लिए [2][उसके द्‌वारा किए गए व्यय के लिए या उसे हुई क्षति के लिए (जिसके अंतर्गत प्रतिष्ठा की हुई क्षति भी है)] युक्तियुक्त प्रतिकर समझे:

परंतु न्यायालय, अपनी धन-संबंधी अधिकारिता की परिसीमाओं से अधिक रकम इस धारा के अधीन अधिनिर्णीत नहीं करेगा ।

(2) ऐसे किसी आवेदन का अवधारण करने वाला आदेश ऐसी गिरफ्तारी, कुर्की या व्यादेश के संबंध में प्रतिकर के लिए किसी भी वाद का वर्जन करेगा ।

भाग 7

अपीलें

मूल डिक्रियों की अपीलें

96. मूल डिक्री की अपील- (1) वहां के सिवाय जहां इस संहिता के पाठ में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्‌वारा अभिव्यक्त रुप से अन्यथा उपबंधित है, ऐसी हर डिक्री की, जो आरंभिक अधिकारिता का प्रयोग करने वाले किसी न्यायालय द्‌वारा पारित की गई है, अपील उस न्यायालय में होगी जो ऐसे न्यायालय के विनिश्चयों की अपीलों को सुनने के लिए प्राधिकृत है ।

1. 1999 के अधिनियम सं. 46 की धारा 8 द्वारा (1-7-2002 से) कतिपय शब्दो के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

2. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 32 द्वारा (1-2-1977 से) "उसके द्वारा किए गए व्यय या उसे हुई क्षति के लिए" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(2) एकपक्षीय पारित मूल डिक्री की अपील हो सकेगी ।

(3) पक्षकारों की सहमति से जो डिक्री न्यायालय ने पारित की है उसकी कोई अपील नहीं होगी ।

[1][(4) लघुवाद न्यायालयों द्वारा संज्ञेय वाद में किसी डिक्री से कोई अपील, यदि ऐसी डिक्री की रकम या उसका मूल्य [2][दस हजार रुपए से अधिक नहीं है तो, केवल विधि के प्रश्न के संबंध में ही होगी ।]

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 33 द्वारा (1-2-1977 से) अतःस्थापित ।

2. 1999 के अधिनियम सं. 46 की धारा 9 द्वारा (1-7-2002 से) "तीन हजार रुपए" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

97. जहां प्रारम्भिक डिक्री की अपील नहीं की गई है वहां अन्तिम डिक्री की अपील- जहां इस संहिता के प्रारम्भ के पश्चात् पारित प्रारम्भिक डिक्री से व्यथित कोई पक्षकार ऐसी डिक्री की अपील नहीं करता है वहां वह उसकी शुद्धता के बारे में अंतिम डिक्री के विरुद्ध की गई अपील में विवाद करने से प्रवारित रहेगा ।

98. जहां कोई अपील दो या अधिक न्यायाधीशों द्वारा सुनी जाए वहां विनिश्चय- (1) जहां कोई अपील दो या अधिक न्यायधीशों के न्यायपीठ द्वारा सुनी जाती है वहां अपील का विनिश्चय ऐसे न्यायाधीशों की या ऐसे न्यायाधीशों की बहुसंख्या की (यदि कोई हो) राय के अनुसार होगा ।

(2) जहां ऐसी बहुसंख्या नहीं है जो अपीलित डिक्री में फेरफार करने या उसे उलटने वाले निर्णय के बारे में सहमत है, वहां ऐसी डिक्री पुष्ट कर दी जाएगी:

परन्तु जहा [1][अपील सुनने वाले न्यायपीठ में दो या किसी अन्य समसंख्या में न्यायाधीश हैं और वे न्यायाधीश ऐसे न्यायालय के है जिस न्यायालय में उस न्यायपीठ के न्यायाधीशों से अधिक संख्या में न्यायाधीश हैं] और न्यायपीठ के न्यायाधीशों में किसी विधि के प्रश्न पर मतभेद है वहां वे उस विधि के प्रश्न का कथन करेंगे जिसके बारे में उनमें मतभेद है और तब अपील को अन्य न्यायाधीशों में से कोई एक या अधिक केवल उस प्रश्न के बारे में सुनेंगे और तब उस प्रश्न का विनिश्चय अपील सुनने वाले न्यायाधीशों की बहुसंख्या की, (यदि कोई हो), जिनके अन्तर्गत वे न्यायाधीश भी है जिन्होंने वह अपील सर्वप्रथम सुनी थी राय के अनुसार किया जाएगा ।

[2][(3) इस धारा की कोई भी बात किसी भी उच्च न्यायालय के लेटर्स पेटेन्ट के किसी भी उपबन्ध का परिवर्तन करने वाली या अन्यथा उस पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी ।]

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 34 द्वारा (1-2-1977 से) कुछ शब्दो के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।
2. 1928 के अधिनियम सं. 18 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा अन्तःस्थापित किया गया ।

99. कोई भी डिक्री ऐसी गलती या अनियमितता के कारण जिससे गुणागुण या अधिकारिता पर

प्रभाव नहीं पड़ता है न तो उलटी जाएगी और न उपान्तरित की जाएगी - पक्षकारों या वाद हेतुकों के ऐसे कुसंयोजन [1][या असंयोजन] के या वाद की किन्हीं भी कार्यवाहियों में ऐसी गलती, त्रुटी या अनियमितता के कारण जिससे मामले के गुणागुण या न्यायालय की अधिकारिता पर प्रभाव नहीं पडता है कोई भी डिक्री अपील में न तो उलटी जाएगी और न उसमें सारभूत फेरफार किया जाएगा और न कोई मामला अपील में प्रतिप्रेषित किया जाएगा:

[2][परन्तु इस धारा की कोई भी बात किसी आवश्यक पक्षकार के संयोजन को लागू नहीं होगी ।]

[3][99क. धारा 47 के अधीन तब तक किसी आदेश को उलटा न जाना या उपांतरित न किया जाना जब तक मामले के विनिश्चय पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है - धारा 99 के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, धारा 47 के अधीन कोई भी आदेश, ऐसे आदेश से संबंधित किसी कार्यवाही में किसी गलती, त्रुटी या नियमितता के कारण तब तक न तो उलटा जाएगा और न उसमें सारभूत फेरफार किया जाएगा तब तक ऐसी गलती, त्रुटी या अनियमितता का मामले के विनिश्चय पर प्रतिकूल प्रभाव नही पडता है ।]

1. 1976के अधिनियम सं. 104 की धारा 35 द्वारा (1-2-1977 से) अंत:स्थापित किया गया ।
2. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 35 द्वारा (1-2-1977 से) अन्तःस्थापित किया गया |
3. 1976 के अधिनियम रन 1०4 की धारा 36 द्वारा (1 -2- 1977 से) अन्तःस्थापित किया गया ।

अपीली डिक्रियों की अपीलें

[1][100. द्वितीय अपील- (1) उसके सिवाय जैसा इस संहिता के पाठ में या तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि में अभिव्यक्त रूप से उपबंधित है, उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी न्यायालय द्वारा अपील में पारित प्रत्येक डिक्री की उच्च न्यायालय में अपील हो सकेगी, यदि उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि उस मामले में विधि का कोई सारवान् प्रश्न अन्तर्वलित है |

(2) एकपक्षीय पारित अपीली डिक्री की अपील इस धारा के अधीन हो सकेगी ।

(3) इस धारा के अधीन अपील में अन्तर्वलित विधि के उस सारवान् प्रश्न का अपील के ज्ञापन में प्रमितत: कथन किया जाएगा ।

(4) जहां उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि किसी मामले में सारवान् विधि का प्रश्न अन्तर्वलित है तो वह उस प्रश्न को बनाएगा ।

(5) अपील इस प्रकार बनाए गए प्रश्न पर सुनी जाएगी और प्रतिवादी को अपील की सुनवाई में यह तर्क करने की अनुज्ञा दी जाएगी कि ऐसे मामले में ऐसा प्रश्न अन्तर्वलित नहीं है:

परन्तु इस धारा की किसी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह, विधि के किसी अन्य ऐसे सारवान् प्रश्न पर जो न्यायालय के द्वारा नहीं बनाया गया है, न्यायालय का यह समाधान हो जाने पर कि उस मामले में ऐसा प्रश्न अन्तर्वलित है, न्यायालय की कारणों को लेखबद्ध करके अपील सुनने की शक्ति वापस लेती है या उसे न्यून करती है ।]

1. 1976 के अधिनियिम सं. 104 की धारा 37 द्वारा (1-2-1977 से) धारा 100 के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।

[1][(**100क. कतिपय मामलों में आगे अपील का न होना -** किसी उच्च न्यायालय के लिए किसी लेटर्स पेटेंट में या विधि का बल रखने वाली किसी लिखत में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी मूल या अपीली डिक्री या आदेश से अपील की सुनवाई और उसका विनिश्चय किसी उच्च न्यायालय के किसी एकल न्यायाधीश द्वारा किया जाता है वहाँ ऐसे एकल न्यायाधीश ने निर्णय और डिक्री से आगे कोई अपील नहीं होगी ।]

1. 2002 के अधिनियम सं. 22 की धारा 4 द्वारा (1-7- 2002 से) धारा 100क के स्थान पर अंत: स्थापित ।

101. द्वितीय अपील का किसी भी अन्य आधार पर न होना - कोई भी द्वितीय अपील धारा 100 में वर्णित आधारों पर होगी, अन्यथा नहीं ।

[1][**102. कतिपय मामलों में आगे द्वितीय अपील का न होना -** किसी डिक्री से कोई द्वितीय अपील नहीं होगी जब मूल वाद की विषय वस्तु पच्चीस हजार रुपए से अधिक धन की वसूली के लिए नहीं हे ।]

[2][**103. तथ्य-विवाद्यकों का अवधारण करने की उच्च न्यायालय की शक्ति -** यदि अभिलेख में का साक्ष्य पर्याप्त हो तो किसी भी द्वितीय अपील में उच्च न्यायालय ऐसी अपील के निपटारे के लिए आवश्यक कोई विवाद्यक अवधारित कर सकेगा, जो-

(क) निचले अपील न्यायालय द्वारा या प्रथम बार के न्यायालय और निचले अपील न्यायालय दोनों द्वारा अवधारित नहीं किया गया है, अथवा

(ख) धारा 100 में यथानिर्दिष्ट विधि के ऐसे प्रश्न के विनिश्चय के कारण ऐसे न्यायालय या न्यायालयों द्वारा गलत तौर पर अवधारित किया गया है ।]

1. 2002 के अधिनियम सं. 22 की धारा 5 द्वारा (1-7-2002 से) धारा 102 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
2. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 40 द्वारा (1-2-1977 से) धारा 103 के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।

आदेशों की अपील

104. वे आदेश जिनकी अपील होगी - (1) निम्नलिखित आदेशों की अपील होगी -

[1]* * * * * *

[2][(चच) धारा 35क के अधीन आदेश;]

[3][(चचक) धारा 91 या धारा 92 के अधीन, यथास्थिति, धारा 91 या धारा 92 में निर्दिष्ट प्रकृति के वाद को संस्थित करने के लिए इजाजत देने से इंकार करने वाला आदेश;]

(छ) धारा 95 के अधीन आदेश;

(ज) इस संहिता के उपबन्धों में से किसी के भी अधीन ऐसा आदेश, जो जुर्माना अधिरोपित करता है या किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी या सिविल कारागार में निरोध निर्दिष्ट करता है, वहां के सिवाय जहां कि ऐसी गिरफ्तारी या निरोध किसी डिक्री के निष्पादन में है;

(झ) नियमों के अधीन किया गया कोई ऐसा आदेश जिसकी अपील नियमों द्वारा अभिव्यक्त रूप से

अनुज्ञात है,

और इस संहिता के पाठ में या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि दारा अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबन्धित के सिवाय किन्हीं भी अन्य आदेशों की अपील नहीं होगी :

[4][परन्तु खण्ड (चच) में विनिर्दिष्ट किसी भी आदेश की कोई भी अपील केवल इस आधार पर ही होगी कि कोई आदेश किया ही नहीं जाना चाहिए था या आदेश कम रकम के संदाय के लिए किया जाना चाहिए था ।]

(2) इस धारा के अधीन अपील में पारित किसी भी आदेश की कोई भी अपील नहीं होगी ।

1. 1940 के अधिनियम सं. 10 की धारा 49 और अनुसूची 3 द्वारा खण्ड (क) से (च) तक का लोप ।

2. 1922 के अधिनियिम सं. 9 की धारा 3 द्वारा अन्त: स्थापित । पूर्वोक्त धारा 35क का पाद - टिप्पण भी देखें ।

3. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 41 द्वारा (1-2-1977 से) अन्त: स्थापित किया गया

4. 1922 के अधिनियम सं. 9 की धारा 3 द्वारा अन्तःस्थापित । पूर्वोक्त धारा 35क का पाद- टिप्पण भी देखें ।

105. अन्य आदेश- (1) अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, किसी न्यायालय द्वारा अपनी आरम्भिक या अपीली अधिकारिता के प्रयोग में किए गए किसी भी आदेश की कोई भी अपील नहीं होगी, किन्तु जहां डिक्री की अपील की जाती है वहां किसी आदेश में की ऐसी गलती, त्रुटि या अनियमितता, जिससे मामले के विनिश्चय पर प्रभाव पड़ता है, अपील ज्ञापन में आक्षेप के आधार के रूप में उपवर्णित की जा सकेगी ।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां [1]***प्रतिप्रेषण के ऐसे आदेश से, जिसकी अपील होती है, व्यथित कोई पक्षकार अपील नहीं करता है वहां वह उसके पश्चात् उसकी शुद्धता पर विवाद करने से प्रवारित रहेगा ।

106. कौन से न्यायालय अपील सुनेंगे - जहां किसी आदेश की अपील अनुज्ञात है, वहां वह उस न्यायालय में होगी, जिसमें उस वाद की डिक्री की अपील होती है जिसमें ऐसा आदेश किया गया था, या जहां ऐसा आदेश अपीली अधिकारिता के प्रयोग में किसी न्यायालय द्वारा (जो उच्च न्यायालय नहीं है) किया जाता है वहां वह उच्च न्यायालय में होगी ।

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 42 द्वारा (1-2-1977 से) कुछ शब्दों का लोप किया गया|

अपील सम्बन्धी साधारण उपबन्ध

107. अपील न्यायालय की शक्तियां--- (1) ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, अपील न्यायालय को यह शक्ति होगी कि वह-

(क) मामले का अंतिम रूप से अवधारण करे;

(ख) मामले का प्रतिप्रेषण करे;

(ग) विवाद्यक विरचित करे और उन्हें विचारण के लिए निर्देशित करे;

(घ) अतिरिक्त साक्ष्य ले या ऐसे साक्ष्य का लिया जाना अपेक्षित करे;

(2) पूर्वोक्त के अधीन रहते हुए, अपील न्यायालय को वे ही शक्तियां होंगी और वह जहां तक हो सके उन्हीं कर्तव्यों का पालन करेगा, जो आरंभिक अधिकारिता वाले न्यायालयों में संस्थित वादों के बारे में इस संहिता द्वारा उन्हें प्रदत्त और उन पर अधिरोपित किए गए हैं ।

108. अपीली डिक्रियों और आदेशों की अपीलों में प्रक्रिया - मूल डिक्रियों की अपीलों से सम्बन्धित इस भाग के उपबन्ध जहां तक हो सके,-

(क) अपीली डिक्रियों की अपीलों को लागू होंगे, तथा

(ख) उन आदेशों की अपीलों को लागू होंगे जो इस संहिता के अधीन या ऐसी किसी विशेष या स्थानीय विधि के अधीन किए गए हैं जिसमें कोई भिन्न प्रक्रिया उपबन्धित नहीं की गई है ।

उच्चतम न्यायालय में अपीलें

[1]**[109. उच्चतम न्यायालय में अपीलें कब होंगी -** संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 के उपबंधो के और ऐसे नियमों के जो भारत के न्यायालयों से अपीलों के संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा समय - समय पर बनाए जाएं और इसमें इसके पश्चात् अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी उच्च न्यायालय की सिविल कार्यवाही में के किसी निर्णय, डिक्री या अन्तिम आदेश की अपील उच्च न्यायालय में

होगी यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर देता है कि---

(I) मामले में व्यापक महत्व का कोई सारवान् विधिक प्रश्न अन्तर्वलित है; तथा

(II) उच्च न्यायालय की राय में उस प्रश्न का उच्चतम न्यायायल द्वारा विनिश्चय आवश्यक है ।

110. [विषय - वस्तु का मूल्य ।] - सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1973 (1973 का 49) की धारा 3 द्वारा निरसित ।

111. [कुछ अपीलों का वर्जन । - विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा निरसित ।

[2]**[111क. [फेडरल न्यायालयों की अपीलें] -** फेडरल न्यायालय अधिनियम, 1941 (1941 का 21) की धारा 2 द्वारा निरसित ।

112. व्यावृत्तियां- [3][(1) इस संहिता में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह-

(क) संविधान के अनुच्छेद 136 या अन्य किसी उपबन्ध के अधीन उच्चतम न्यायालय की शाक्तियों पर प्रभाव डालती है, अथवा

(ख) उच्चतम न्यायालय में अपीलों को उपस्थित करने के लिए या उसके सामने उनके संचालन के लिए उस न्यायालय द्वारा बनाए गए और तत्समय प्रवृत किन्हीं नियमों में हस्तक्षेप करती है ।]

1. 1973 के अधिनियम सं. 49 की धारा 2 द्वारा धारा 109 के स्थान पर प्रतिस्थापित किया ।
2. भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा अन्तःस्थापित किया गया ।
3. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा पूर्ववर्ती उपधारा (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।

(2) इसमें अन्तर्विष्ट कोई भी बात किसी भी दाण्डिक या नावधिकरण विषयक या उपनावधिकरण विषयक अधिकारिता के विषय को अथवा प्राइल न्यायालयों के आदेशों और डिक्रियों की अपीलों को लागू नहीं होती ।

भाग 8

निर्देश, पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण

113. उच्च न्यायालय को निर्देश - उन शर्तो और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, कोई भी न्यायालय मामले का कथन करके उसे उच्च न्यायालय की राय के लिए निर्देशित कर सकेगा और उच्च न्यायालय उस पर ऐसा आदेश कर सकेगा जो वह ठीक समझे:

[1][परन्तु जहां न्यायालय का यह सामधान हो जाता है कि उसके समक्ष लंबित मामले में किसी अधिनियम, अध्यादेश या विनियम अथवा किसी अधिनियम, अध्यादेश या विनियम में अन्तर्विष्ट किसी उपबन्ध की विधिमान्यता के बारें में ऐसा प्रश्न अन्तवर्लित है, जिसका अवधारण उस मामले को निपटाने के लिए आवश्यक है और उसकी यह राय है कि ऐसा अधिनियम, अध्यादेश, विनियम या उपबंध अविधिमान्य या अप्रवर्तनशील है, किन्तु उस उच्च न्यायालय द्वारा जिसके वह न्यायालय अधीनस्थ है, या उच्चतम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित नहीं किया गया है, वहां न्यायालय अपनी राय और उसके कारणों को उपवर्णित करते हुए मामले का कथन करेगा और उसे उच्च न्यायालय की राय के लिए निर्देशित करेगा ।

स्पष्टीकरण- इस धारा में "विनियम" से बंगाल, मुम्बई या मद्रास संहिता का कोई विनियम या

साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) में या किसी राज्य के साधारण खंड अधिनियम में परिभाषित कोई भी विनियम अभिप्रेत है ।]

1. 1951 के अधिनियम सं. 24 की धारा 2 द्वारा जोडा गया ।

114. पुनर्विलोकन- पूर्वोक्त के अधीन रहते हुए कोई व्यक्ति, जो-

(क) किसी ऐसी डिक्री या आदेश से जिसकी इस संहिता द्वारा अपील अनुज्ञात है, किन्तु जिसकी कोई अपील नहीं की गई है,

(ख) किसी ऐसी डिक्री या आदेश से जिसकी इस संहिता द्वारा अपील अनुज्ञात नहीं है, अथवा

(ग) ऐसे विनिश्चय से जो लघुवाद न्यायालय के निर्देश पर किया गया है,

अपने को व्यथित मानता है वह डिक्री पारित करने वाले या आदेश करने वाले न्यायालय से निर्णय के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन कर सकेगा और न्यायालय उस पर ऐसा आदेश कर सकेगा जो वह ठीक समझे ।

115. पुनरीक्षण- [1][(1) उच्च न्यायालय किसी भी ऐसे मामले के अभिलेख को मंगवा सकेगा जिसका ऐसे उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी न्यायालय से विनिश्चय किया है और जिसकी कोई भी अपील नहीं होती है और यदि यह प्रतीत होता है कि-

(क) ऐसे अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो उसमें विधि द्वारा निहित नहीं है अथवा

(ख) ऐसी अधीनस्थ न्यायालय ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करने में असफल रहा है जो इस प्रकार निहित है, अथवा

(ग) ऐसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने में अवैध रूप से या तात्विक अनियमितता से कार्य किया है,

तो उच्च न्यायालय उस मामले में ऐसा आदेश कर सकेगा जो वह ठीक समझे:

[2][परंतु उच्च न्यायालय, किसी वाद या अन्य कार्यवाही के अनुक्रम में इस धारा के अधीन किए गए किसी आदेश में या कोई विवाद्यक विनिश्चित करने वाले किसी आदेश में तभी फेरफार करेगा या उसे उलटेगा जब ऐसा आदेश यदि वह पुनरीक्षण के लिए आवेदन करने वाले पक्षकार के पक्ष में किया गया होता तो वाद या अन्य कार्यवाही का अंतिम रूप से निपटारा कर देता ।]

[3][(2) उच्च न्यायालय इस धारा के अधीन किसी ऐसे डिक्री या आदेश में, जिसके विरुद्ध या तो उच्च न्यायालय में या उसके अधीनस्थ किसी न्यायालय में अपील होती है, फेरफार नहीं करेगा अथवा उसे नहीं उलटेगा ।]

[4][(3) न्यायालय के समक्ष वाद या अन्य कार्यवाही में कोई पुनरीक्षण रोक के रूप में प्रभावी नहीं होगी सिवाय वहां के जहां ऐसे वाद या अन्य कार्यवाही को उच्च न्यायालय द्वारा रोका गया है ।]

स्पष्टीकरण- इस धारा में “ऐसे मामले के अभिलेख को मंगवा सकेगा जिसका ऐसे उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी न्यायालय ने विनिश्चयक किया है” अभिव्यक्ति के अंतर्गत किसी वाद या अन्य कार्यवाही के अनुकम में किया गया कोई आदेश या कोई विवाद्यक विनिश्चित करने वाला कोई आदेश भी है ।]

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 43 द्वारा (1-2-1977 से) धारा 115 को उपधारा (1) के

रूप मे पुन: संख्यांकित किया गया ।

2. 1999 के अधिनियम सं. 46 की धारा 12 द्वारा (1-7-2002 से) परंतुक के स्थान पर प्रतिस्थापित|

3. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 43 द्वारा (1-2-1977 से) अंतःस्थापित ।

4. 1999 के अधिनियम सं. 46 की धारा 12 द्वारा (1-7-2002 से) अंतःस्थापित ।

राज्य संशोधन

मध्य प्रदेश राज्य संशोधन- मध्य प्रदेश राज्य में म.प्र. के अधिनियम क्रमांक 4 सन 1994 के द्वारा निम्न आशय का संशोधन किया गया है-

मूल अधिनियम की धारा 115 के स्थान पर निम्नलिखित धारा स्थापित की जाये, अर्थात-

"115. पुनरीक्षण- (1) उच्च न्यायालय किसी भी ऐसे मामले के अभिलेख को मंगा सकेगा जिसका ऐसे उच्च न्यायालयों के अधीनस्थ किसी न्यायालय ने विनिश्चय किया है और जिसकी कोई भी अपील नहीं होती है और यदि यह प्रतीत होता है कि-

(क) ऐसे अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया है, जो उसमें विधि द्वारा निहित नहीं है, अथवा

(ख) ऐसा न्यायालय ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करने में असफल रहा है जो इस प्रकार निहित नहीं है; अथवा

(ग) ऐसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने में अवैध रुप से या तात्विक अनियमितता से कार्य किया है, तो उच्च न्यायालय उस मामले में ऐसा आदेश कर सकेगा जो वह ठीक समझे:

परन्तु उच्च न्यायालय किसी वाद या अनरु काय्रवाही के अनुक्रम में इस धारा के अधीन किए गए किसी आदेश में या कोई विवाद्यक विनिश्चित करने वाले किसी आदेश में तभी फेरफार करेगा या उसे उलटेगा जब-

(क) ऐसा आदेश यदि वह पुनरीक्षण के लिए आवेदन करने वाले पक्षकार के पक्ष में किया गया होता तो वाद की उस कार्यवाही का अंतिम रूप से निपटारा कर देता; अथवा

(ख) ऐसा आदेश यदि रहने दिया गया तो न्याय नहीं हो पाएगा अथवा ऐसे पक्षकार को जिसके विरुद्ध वह किया गया होता, क्षति पहुंचेगी जिसकी हानिपूर्ति नहीं हो सकेगी ।

(2) उच्च न्यायालय इस आधार के अधीन किसी ऐसी डिक्री या आदेश में, जिसके विरुद्ध या तो उच्च न्यायालय में या उसके अधीनस्थ किसी न्यायालय में अपील होती है, फेरफार नहीं करेगा अथवा उसके नहीं उलटेगा ।

स्पष्टीकरण- इस धारा में "ऐसे मामले के अभिलेख को मंगवा सकेगा जिसका ऐस उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी न्यायालय ने विनिश्चय किया है " अभिव्यक्ति के अन्तर्गत किसी वाद या अन्य कार्यवाही के अनुक्रम में दिया गया कोई आदेश विवाद्यक विनिश्चित करने वाला कोई आदेश भी है ।

(उक्त संशोधन बाबत राज्यपाल की अनुमति दिनांक 15-3-1994 को प्राप्त हुई व दिनांक 16-3-1994 को इसे म.प्र. राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित किया गया ।)

उत्तर प्रदेश राज्य संशोधन- उत्तर प्रदेश राज्य में इसकी प्रयोज्यता के लिए धारा 115 के लिए निम्न को प्रतिस्थापित कीजिए-

"115 .पुनरीक्षण- उच्च न्यायालय, मूल वाद या अन्य कार्यवाहियों (एक लाख रुपयों या पांच लाख से अनाधिक ऐसी राशि जो कि उच्च न्यायालय समय समय पर, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा नियत करे, उ.प्र. सिविल विधि (संशोधन) अधिनियम, 1991 या ऐसी अधिसूचना के आरंभ की तारीख, जैसा भी मामला हो के पूर्व संस्थित ऐसे वादों या अन्य कार्यवाहियों को शामिल करते हुए) और जिला न्यायालय ऐसी दिनांक के पूर्व मूल वाद या अन्य कार्यवाहियों से उत्पन्न होने वाले संस्थित किसी मामले जैसा भी मामला हो, उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय किसी भी ऐसे मामले के अभिलेख को मंगा सकेगा जिसका ऐसे उच्च न्यायालयों के अधीनस्थ किसी न्यायालय ने विनिश्चय किया है और जिसकी कोई भी अपील नहीं होती है और यदि यह प्रतीत होता है कि-

(क) ऐसे अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया है, जो उसमें विधि द्वारा निहित नहीं है; अथवा

(ख) ऐसा न्यायालय ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करने में असफल रहा है जो इस प्रकार निहित नहीं है; अथवा

(ग) ऐसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने में अवैध रूप से या तात्विक अनियमितता से कार्य किया है,

तो जैसा भी मामला हो, उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय उस मामले में ऐसा आदेश कर सकेगा जो वह ठीक समझे:

परन्तु यह कि जिला न्यायालय द्वारा निराकृत किसी भी मूल्यांकन के मूल वाद या अन्य कार्यवाही से उत्पन्न मामलों के संबंध में अकेला उच्च न्यायालय इस धारा के अन्तर्गत आदेश करने के लिए सक्षम होगा:

परन्तु अन्यथा यह कि उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय किसी वाद या अन्य कार्यवाही के अनुक्रम में इस धारा के अधीन किये गये किसी आदेश में या कोई विवाद्यक विनिश्चित करने वाले किसी आदेश में तभी फेरफार करेगा या उसे उलटेगा जब-

(क) आदेश यदि इस प्रकार फेरफार किया जाता या उलटा जाता तो वाद या अन्य कार्यवाही का अंतिम रूप से निपटारा कर देता, अथवा

(ख) ऐसा आदेश यदि रहने दिया गया तो, न्याय नहीं हो पायेगा अथवा उन पक्षकारों को जिनके विरुद्ध वह किया गया था,ऐसी क्षति पहुंचेगी जिसकी हानिपूर्ति नहीं हो सकती है ।

[परन्तु यह भी कि जहां कार्यवाही की प्रकृति जिसमें जिला न्यायालय इस धारा के अन्तर्गत अभिलेख बुला सकता है और आदेशों को पारित कर सकता है, ऊपर निर्दिष्ट आरंभ की सुसंगत तारीख के पूर्व, उच्च न्यायालय मे लंबित थी, ऐसा न्यायालय इसको निराकृत करने की कार्यवाही करेगा ।]

स्पष्टीकरण- इस धारा में " ऐसे मामले जिनका विनिश्चय किया जा चुका है" अभिव्यक्ति के अन्तर्गत किसी वाद या अन्य कार्यवाही के अनुक्रम में कोई विवाद्यक विनिश्चित करने वाला आदेश भी है ।

(उ.प्र. अधिनियम 1978 का 31 व 1991 का 17 के द्वारा संशोधन)

भाग 9

[1][ऐसे उच्च न्यायालयों] के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध जो [2][न्यायिक आयुक्त के न्यायालय नही।] है

116. इस भाग का कुछ उच्च न्यायालयों को ही लागू होना- यह भाग ऐसे उच्च न्यायालयों को ही लागू होगा जो [3][न्यायिक आयुक्त के न्यायालय नहीं] हैं ।

1. 1951 के अधिनियम सं. 2 की धारा 14 द्वारा "चार्टर्ड उच्च न्यायालयों" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।

2. विधि अनुकूलन (सं. 2) आदेश, 1956 द्वारा " भाग क राज्यों और भाग ख राज्यों के लिए " के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।

3. विधि अनुकूलन (सं. 2) आदेश, 1966 द्वारा " भाग क राज्यों और भाग ख राज्यों के लिए " के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।

117. संहिता का उच्च न्यायालयों को लागू होना- उसके सिवाय जैसा इस भाग में या भाग 10 में या नियमों में उपबन्धित है, इस संहिता के उपबन्ध ऐसे उच्च न्यायालयों को लागू होंगे ।

118. खर्चो के अभिनिश्चय के पूर्व डिक्री का निष्पादन- जहां ऐसा कोई उच्च न्यायालय यह आवश्यक समझता है कि उसकी अपनी आरंभिक सिविल अधिकारिता के प्रयोग में पारित कोई डिक्री वाद में के खर्चों की राशि का विनिर्धारण द्वारा अभिनिश्चय किए जाने के पूर्व निष्पादित की जानी चाहिए वहां वह न्यायालय यह आदेश दे सकेगा कि डिक्री के उतने भाग के सिवाय जितना खर्चों से सम्बन्धित है, उस डिक्री का निष्पादन तुरन्त किया जाए;

और उसके उतने भाग के बारे में जिसका खर्चों से सम्बन्ध है, यह आदेश दे सकेगा कि जैसे ही खर्चे विनिर्धारण द्वारा अभिनिश्चित हो जाएं, वह डिक्री वैसे ही निष्पादित की जा सकेगी ।

119. अप्राधिकृत व्यात्न न्यायालय को संबोधित नहीं कर सकेगे- इस संहिता की किसी भी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह किसी व्यक्ति को वहां के सिवाय जहा कि न्यायालय ने अपने चार्टर द्वारा प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में उस व्यक्ति को ऐसा करने के लिए प्राधिकृत कर दिया है, दूसरे व्यक्ति की ओर से उस न्यायालय को उसकी आरम्भिक सिविल अधिकारिता के प्रयोग में संबोधित करने को या साक्षियों की परीक्षा करने को प्राधिकृत करती है, या अधिवक्ताओं, वकीलों और अटर्नियों के संबंध में नियम बनाने की उस उच्च न्यायालय की शक्ति में हस्तक्षेप करती है |

120. आरंभिक सिविल अधिकारिता में उच्च न्यायालयों को उपबन्धों का लागू न होना- (1) निम्नलिखित उपबन्ध, अर्थात धारा 16, धारा 17 और धारा 20 उच्च न्यायालय को उसकी आरम्भिक सिविल अधिकारिता का प्रयोग करने में लागू नहीं होंगे ।

[1]* * * *

1. 1909 के अधिनियम सं. 3 की धारा 127 और अनुसूची 3 द्वारा उपधारा (2) निरसित ।

भाग 10

नियम

121. प्रथम अनुसूची में के नियमों का प्रभाव- प्रथम अनुसूची में के नियम, जब तक कि वे इस भाग के उपबन्धों के अनुसार बातिल या परिवर्तित न कर दिए जाएं, ऐसे प्रभावशील होंगे, मानो वे इस संहिता के पाठ में अधिनियमित हों ।

122. नियम बनाने की कुछ उच्च न्यायालयों की शक्ति- [1][ऐसा उच्च न्यायालय, जो [2][न्यायिक

आयुक्त के न्यायालय नहीं] हैं,] [3]***अपनी स्वयं की प्रक्रिया और अपने अधीक्षण के अधीन आने वाले सिविल न्यायालयों की प्रक्रिया का विनियमन करने के लिए नियम, पूर्व प्रकाशन के पश्चात् समय-समय पर बना सकेंगे और वे ऐसे नियमों द्वारा प्रथम अनुसूची में के सभी नियमों को या उनमें से किसी को बातिल या परिवर्तित कर सकेंगे अथवा उन सभी में या उनमें से किसी में परिवर्धन कर सकेंगे ।

123. कुछ राज्यों में नियम-समितियों का गठन- (1) [4][ऐसा नगर में, जो धारा 122 में निर्दिष्ट उच्च न्यायालयों [5]***में से हर एक की बैठक का प्रायिक स्थान है,] एक समिति गठित की जाएगी जिसका नाम नियम-समिति होगा ।

(2) ऐसी हर एक समिति निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर गठित होगी, अर्थात्: -

1. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "ऐसे न्यायालय जो भारत शासन अधिनियम, 1935 के प्रयोजनों के लिए उच्च न्यायालय है" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।
2. विधि अनु आदेश 1966 द्वारा **"भाग क राज्यों और भाग ख राज्यों के लिए"** के स्थान पर प्रतिस्थापित 1951 के अधिनियम सं. 2 की धारा 15 द्वारा अंतःस्थापित किए गए थे ।
3. 1923 के अधिनियम और अनुसूची 2 द्वारा " और लोअर बर्मा का मुख्य न्यायालय" शब्द निरसित ।
4. 1916 के अधिनियम सं. 13 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा "कलकता, मद्रास, मुम्बई, इलाहाबाद, लाहौर और रंगून के नगरी मे से प्रत्येक नगर, " के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।
5. 1923 के अधिनियम सं. 11 की धारा 3 और अनुसूची 2 द्वारा "और मुख्य न्यायालय" शब्दों का लोप । 1925 के अधिनियम सं. 32 द्वारा इन शब्दों का पुनःअन्तःस्थापन किया गया था और तत्पश्चात् इनका भारतीय स्वतंत्रता (केन्द्रीय अधिनियमों और अध्यादेशों का अनुकूकलन आदेश, 1948 द्वारा लोप ।

(क) ऐसे नगर में, जहां ऐसी समिति का गठन हुआ है, स्थापित उच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीश, जिनमें से कम से कम एक ऐसा होगा जिसने जिला न्यायाधीश या[1]*** खण्ड न्यायाधीश के रुप में तीन वर्ष सेवा की है,

[2][(ख) दो विधि-व्यवसायी, जिनके नाम उस न्यायालय में दर्ज हों,]

[3][(ग) उस उच्च न्यायालय के अधीनस्थ सिविल न्यायालय का एक न्यायाधीश,[4]***

[5]* * * *

(3) ऐसी हर समिति के सदस्य [6][उच्च न्यायालय] द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, जो उनके सदस्यों में से एक को सभापति भी नामनिर्देशित करेगा

[7]* * * *

(4) किसी ऐसी समिति का हर एक सदस्य ऐसी अवधि के लिए पद धारण करेगा जो [8][उच्च न्यायालय] द्वारा इस निमित्त विहित की जाए और जब कभी कोई सदस्य सेवा-निवृत हो जाए, पदत्याग कर दे, उसकी मृत्यु हो जाए या वह उस राज्य में जिसमें समिति का गठन हुआ है, निवास करना छोड़ दे या समिति के सदस्य के रुप में कार्य करने के लिए असमर्थ हो जाए, तब उक्त [9][उच्च न्यायालय] उसके स्थान पर अन्य व्यक्ति को सदस्य नियुक्त कर सकेगा ।

(5) हर एक ऐसी समिति का एक सचिव होगा जो [10][उच्च न्यायालय] द्वारा नियुक्त किया जाएगा और ऐसा पारिश्रमिक पाएगा, जो [11][राज्य सरकार द्वारा] इस निमित्त उपबन्धित किया जाए ।

1. 1923 के अधिनियम सं. 11 की धारा 3 और अनुसूची 2 द्वारा "(बर्मा में)" कोष्ठक और शब्द निरसित |
2. 1951 के अधिनियम सं. 2 की धारा 16 द्वारा मूल खण्ड (ख) और (ग) के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।
3. 1951 के अधिनियम सं. 2 की धारा 16 द्वारा खण्ड (घ) को (ग) के रुप मे पुन: अक्षरांकित किया गया ।
4. 1978 के अधिनियम सं. 38 की धारा 3 और दूसरी अनुसूची द्वारा अन्त में आने वाले शब्द " तथा " का लोप ।
5. 1978 के अधिनियम सं. 38 की धारा 3 और दूसरी अनुसूची द्वारा खण्ड (घ) का लोप ।
6. 1976 के अधिनियिम सं. 104 की धारा 44 द्वारा (1-2-1977 से) "मुख्य न्यायमूर्ति या मुख्य न्यायाधीश " के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।
7. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 44 द्वारा (1-2-1977 से) परन्तुक का लोप ।
8. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 44 दारा (1-2-1977 से) "मुख्य न्यायमूर्ति या मुख्य न्यायाधीश" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।
9. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 44 द्वारा (1.2.1977 से) "मुख्य न्यायमूर्ति या मुख्य न्यायाधीश" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।
10. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 44 दारा (1.2.1977 से) "मुख्य न्यायमूर्ति या मुख्य न्यायाधीश" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।
11. भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 दारा "यथास्थिति, सपरिषद् गवर्नर जनरल द्वारा या स्थानीय स्वशासन द्वारा" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।

124. समिति उच्च न्यायालय की रिपोर्ट करेगी- हर एक नियम-समिति, उस नगर में जहां उसका गठन हुआ है, स्थापित उच्च न्यायालय को प्रथम अनुसूची में के नियमों को बातिल, परिवर्तित या परिवर्धित करने की या नए नियम बनाने की किसी भी प्रस्थापना के बारे में रिपोर्ट करेगी और धारा 122 के अधीन किन्हीं भी नियमों को बनाने से पूर्व वह उच्च न्यायालय ऐसी रिपोर्ट पर विचार करेगा ।

125. नियम बनाने की अन्य उच्च न्यायालयों की शक्ति- धारा 122 में विनिर्दिष्ट न्यायालयों से भिन्न उच्च न्यायालय उस धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग ऐसी रीति से और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए कर सकेंगे [1][जो [2][राज्य सरकार] अवधारित करें:

परन्तु ऐसा कोई भी उच्च न्यायालय ऐसे किन्हीं भी नियमों का जो किसी अन्य उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए हैं, अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर विस्तारण करने के लिए नियम, पूर्व प्रकाशन के पश्चात् बना सकेगा ।

1. 1920 के अधिनियम सं. 38 की धारा 2 और अनुसूची 1 के भाग 1 द्वारा "जैसी सपरिषद् गवर्नर जनरल अवधारित करे" के स्थान पर प्रति स्थापित किया गया ।
2. भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा “कुर्ग के न्यायिक आयुक्त के न्यायलय की दशा में, सपरिषद् गवर्नर जनरल और अन्य दशाओं में स्थानीय स्वशासन” के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।

[1][**126. नियमों का अनुमोदन के अधीन होना-** पूर्वगामी उपबन्धों के अधीन बनाए गए नियम उस राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के, जिसमें वह न्यायालय जिसकी प्रक्रिया का विनियमन वे नियम करते है, स्थित है या यदि वह न्यायालय किसी राज्य में स्थित नहीं है तो, [2][केन्द्रीय सरकार] के पूर्व अनुमोदन के अधीन रहेंगे ।]

127. नियमों का प्रकाशन- इस प्रकार बनाए गए और [3][अनुमोदित किए गए] नियम [4][राजपत्र] में प्रकाशित किए जाएंगे और प्रकाशन की तारीख से या ऐसी अन्य तारीख से जो विनिर्दिष्ट की जाए, उस उच्च न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर जिसने उन्हें बनाया है, वही बल और प्रभाव रखेंगे मानो वे प्रथम अनुसूची में अन्तर्विष्ट थे ।

128. वे विषय जिनके लिए नियम उपबन्ध कर सकेंगे- (1) ऐसे नियम इस संहिता के पाठ में के उपबन्धों से असंगत नहीं होंगे किन्तु उनके अधीन रहते हुए, सिविल न्यायालयों की प्रक्रिया से सम्बन्धित किन्हीं भी विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे ।

(2) विशिष्टतया और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी विषयों या उनमें से किसी के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:-

(क) समनों, सूचनाओं और अन्य आदेशिकाओं की साधारणत: या किन्हीं विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में डाक द्वारा या किसी अन्य प्रकार से तामील और ऐसी तामील का सबूत;

(ख) जितने समय पशु-धन और अन्य जंगम सम्पत्ति कुर्की के अधीन रहे, उतने समय उनका भरण-पोषण और अभिरक्षा, ऐसे भरण-पोषण और अभिरक्षा के लिए फीस और ऐसे पशु-धन और सम्पत्ति का विक्रय और ऐसे विक्रय के आगम;

(ग) प्रतिदावे के रूप में किए गए वादों में की प्रक्रिया और अधिकारिता के प्रयोजनों के लिए ऐसे वादों का मूल्यांकन;

(घ) ऋणों की कुर्की और विक्रय के अतिरिक्त या बदले में गारनिशी आदेशों और भारण आदेशों की प्रक्रिया;

1. भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा पूर्ववर्ती धारा के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।
2. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "गवर्नर जनरल" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।
3. 1918 के अधिनियम सं. 24 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा “मंजूर किए गए” के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।
4. भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "यथास्थिति, भारत के राजपत्र या स्थानीय राजपत्र" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया । सही अर्थ में यह प्रतिस्थापन “यथास्थिति, राजपत्र या राजपत्र” पढा जाएगा, किन्तु पश्चात्वर्ती शब्दों को अनावश्यक समझकर उनका लोप कर दिया गया है ।

(ड.)जहां प्रतिवादी किसी व्यक्ति के विरुद्ध चाहे वह वाद का पक्षकार हो या नहें, अभिदाय या क्षतिपूर्ति के लिए हकदार होने का दावा करे वहां प्रक्रिया;

(च) उन वादों में संक्षिप्त प्रक्रिया-

(i) जिनमें वादी किसी अभिव्यक्त या विवक्षित संविदा से अथवा किसी अधिनियमिति से उस दशा में जिसमें वह राशि, जिसकी वसूली चाही गई है नियत धनराशि है या शास्ति से भिन्न कोई ऋण है, अथवा

किसी प्रत्याभूति से उस दशा में जिसमें मूल ऋणी के विरुद्ध दावा किसी ऋण या परिनिर्धारित मांग के लिए ही है, अथवा किसी न्यास से उद्भूत ऋण या परिनिर्धारित मांग को, जो प्रतिवादी द्वारा धन के रूप में संदेय है, ब्याज सहित या बिना ब्याज के वसूल करना चाहता है अथवा

(ii)जो भाटक या अन्तःकालीन लाभों के लिए दावों के सहित या बिना स्थावर सम्पत्ति के प्रत्युद्धरण के लिए भूस्वामी द्वारा ऐसे अभिधारी के विरुद्ध है, जिसकी अवधि का अवसान हो गया है, या जिसकी अवधि का पर्यवसान खाली कर देने की सूचना द्वारा सम्यक् रूप से कर दिया गया है या जिसकी अवधि भाटक के असंदाय के कारण समपहरणीय हो गई है, अथवा ऐसे अभिधारी से व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध है;

(छ) ओरिजिनेटिंग समन के रुप में प्रक्रिया;

(ज) वादों, अपीलों और अन्य कार्यवाहियों का समेकन;

(झ) न्यायालय के किसी रजिस्ट्रार, प्रोथोनोटरी, मास्टर या अन्य पदधारी को किन्हीं न्यायिक-कल्प या न्यायिकेतर कर्तव्यों का प्रत्यायोजन; तथा

(त्र) ऐसे सभी प्ररूप, रजिस्टर, पुस्तकें, प्रविष्टियां और लेखे, जो सिविल न्यायालयों के कारबार के संव्यवहार के लिए आवश्यक या वांछनीय हों ।

129. अपनी आरम्भिक सिविल प्रक्रिया के सम्बन्ध में नियम बनाने की उच्च न्यायालयों की शक्ति- इस संहिता में किसी बात के होते हुए भी, कोई ऐसा उच्च न्यायालय [1][जो न्यायिक आयुक्त का न्यायालय नहीं है] ऐसे नियम बना सकेगा जो उसकी स्थापना करने वाले लेटर्स पेटेन्ट [2][या आदेश] [3][या अन्य विधि] से असंगत न हो और जो वह अपनी आरम्भिक सिविल अधिकारिता के प्रयोग में अपनी प्रक्रिया का विनियमन करने के लिए ठीक समझे और इसमें अन्तर्विष्ट कोई भी बात किन्हीं ऐसे नियमों की विधिमान्यता पर प्रभाव नहीं डालेगी जो इस संहिता के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त है |

[4][**130. प्रकिया से भिन्न विषयों के सम्बन्ध में नियम बनाने की उच्च न्यायालयों की शक्ति-** वह उच्च न्यायालय [5][जो ऐसा उच्च न्यायालय नहीं है जिसे धारा 129 लागू होती है,] प्रक्रिया से भिन्न किसी भी विषय के संबंध में कोई ऐसा नियम राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से बना सकेगा जिसे [1][किसी [2]*** राज्य का] उच्च न्यायालय अपनी अधिकारिता के अधीन राज्यक्षेत्रों के किसी ऐसे भाग के लिए, जो प्रेसिडेन्सी नगर की सीमाओं के अन्तर्गत नहीं है, [3][संविधान के अनुच्छेद 227] के अधीन ऐसे किसी विषय के लिए बना सकता है ।

1. विधि अनुकूलन (सं. 2) आदेश, 1956 करा " भाग क राज्य या भाग ख राज्य के लिए" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।
2. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा अन्तःस्थापित किया गया ।
3. 1951 के अधिनियम सं. 2 की धारा 17 द्वारा अन्तःस्थापित किया गया ।
4. भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 दारा पूर्ववर्ती धारा के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।
5. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "जो लेटर्स पेटेन्ट दारा हिज मजेस्टी दारा गठित नहीं हैं" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।

131. नियमों का प्रकाशन- धारा 129 या धारा 130 के अनुसार बनाए गए नियम [4][राजपत्र] में

प्रकाशित किए जाएंगे और प्रकाशन की तारीख से या ऐसी अन्य तारीख से जो विनिर्दिष्ट की जाए, विधि का बल रखेंगे ।

भाग 11

प्रकीर्ण

132. कुछ स्त्रियों को स्वीय उपसंजाति से छूट- (1) जो स्त्रियां देश की रूढ़ियों और रीतियों के अनुसार लोगों के सामने आने के लिए विवश नहीं की जानी चाहिएं उन्हें न्यायालय में स्वीय उपसंजाति से छूट होगी ।

(2) इसमें अन्तर्विष्ट कोई भी बात ऐसे किसी मामले में जिसमें स्त्री की गिरफ्तारी इस संहिता द्वारा निषिद्ध नहीं है, सिविल आदेशिका के निष्पादन में किसी स्त्री को गिरफ्तारी से छूट देने वाली नहीं समझी जाएगी ।

1. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "इस प्रकार गठित" शब्दो के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।
2. विधि अनुकूलन (सं. 2) आदेश, 1956 द्वारा " भाग क " शब्द और अक्षर का लोप ।
3. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा " भारत शासन अधिनियम, 1935 की धारा 224 " के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया |
4. भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा " यथास्थिति, भारत के राजपत्र या स्थानीय राजपत्र " के स्थान पर प्रतिस्थापित । सही अर्थ में, यह प्रतिस्थापन "यथास्थिति, राजपत्र या राजपत्र " पढा जाएगा, किन्तु कुछ शब्दो को अनावश्यक समझकर उनका लोप ।
5. 1956 के अधिनियम सं. 66 की धारा 12 दारा उपधारा (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया|

133. अन्य व्यक्तियों को छूट- (1) निम्नलिखित व्यक्ति न्यायालय में स्वीय उपसंजाति से छूट पाने के हकदार होंगे, अर्थात्:-

(i) भारत का राष्ट्रपति;

(ii) भारत का उपराष्ट्रपति;

(iii) लोक सभा का अध्यक्ष;

(iv) संघ के मंत्री;

(v) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश;

(vi) राज्यों के राज्यपाल और संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासक;

(vii) राज्य विधान सभाओं के अध्यक्ष;

(viii)राज्य विधान परिषदो के सभापति;

(ix)राज्यों के मंत्री;

(x) उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश; तथा

(xi)वे व्यक्ति जिन्हें धारा 87ख लागू होती है ।]

[1]* * * *

(3) जहां [2]***यदि कोई व्यक्ति ऐसी छूट के विशेषाधिकार का दावा करता है और उसके परिणामस्वरुप उसकी परीक्षा कमीशन द्वारा करना आवश्यक है वहां यदि उसके साक्ष्य की अपेक्षा करने

वाले पक्षकार ने कमीशन का खर्चा नहीं दिया है तो वह व्यक्ति उसका खर्चा देगा ।

134. डिक्री के निष्पादन में की जाने से अन्यथा गिरफ्तारी- धारा 55, धारा 57 और धारा 59 के उपबन्ध इस संहिता के अधीन गिरपतार किए गए सभी व्यक्तियों को, जहां तक हो सके लागू होंगे |

1. 1956 के अधिनियम सं. 66 की धारा 12 द्वारा उपधारा (2) का लोप ।

2. 1956 के अधिनियम सं. 66 की धारा 12 द्वारा "इस प्रकार छूट प्राप्त" शब्दों का लोप ।

135. सिविल आदेशिका के अधीन गिरफ्तारी से छूट- (1) कोई भी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट या अन्य न्यायिक अधिकारी उस समय सिविल आदेशिका के अधीन गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा जब वह अपने न्यायालय को जा रहा हो, उसमें पीठासीन हो या वहां से लौट रहा हो ।

(2) जहां कोई मामला किसी ऐसे अधिकरण के समक्ष लंबित है जिसकी उसमें अधिकारिता है, या जिसके बारे में यह सदभाव-पूर्वक यह विश्वास करता है कि उसमें उसकी ऐसी अधिकारिता है वहां उस मामले के पक्षकार, उनके प्लीडर, मुख्तार, राजस्व अभिकर्ता और मान्यताप्राप्त अभिकर्ता और उनके वे साक्षी जो समन के आज्ञानुवर्तन में कार्य कर रहे है, ऐसी आदेशिका से, जो ऐसे अधिकरण ने न्यायालय के अवमान के लिए निकाली है भिन्न सिविल आदेशिका के अधीन गिरफ्तार किए जाने से उस समय छूट-प्राप्त रहेंगे जब वे ऐसे मामले के प्रयोजन के लिए ऐसे अधिकरण को जा रहे हों या उसमें हाजिर हों और जब वे ऐसे अधिकरण से लौट रहे हों ।

(3) उपधारा (2) की कोई भी बात निर्णीत-ऋणी को तुरंत निष्पादन के आदेश के अधीन या जहां ऐसा निर्णीत-ऋणी इस बात का हेतुक दर्शित करने के लिए हाजिर हुआ है कि डिक्री के निष्पादन में उसे कारागार में क्यों न सुपुर्द किया जाए वहा गिरफ्तारी से छूट का दावा करने के लिए समर्थ नहीं बनाएगी ।

[1]**[135क. विधायी निकायों के सदस्यों को सिविल आदेशिका के अधीन गिरफ्तार किए जाने और निरुद्ध किए जाने से छूट-**

[2][(1) कोई व्यक्ति---

(क) यदि वह-

(i) संसद के किसी सदन की, या

(ii) किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद का, या

1. 1926 के अधिनियम सं. 23 की धारा 3 दारा अन्तःस्थापित किया गया ।

2. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 45 द्वारा (1.2.1977 से) उपधारा (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।

(ii)किसी संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा का,

सदस्य है तो, यथास्थिति, संसद, के किसी सदन के अथवा विधान सभा या विधान परिषद के किसी अधिवेशन के चालू रहने के दौरान;

(ख) यदि वह-

(i) संसद के किसी सदन की,या

(ii)किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा की,या

(iii)किसी राज्य की विधान परिषद की,

किसी समिति का सदस्य है तो ऐसी समिति के किसी अधिवेशन के चालू रहने के दौरान;

(ग) यदि वह-

(i) संसद के किसी सदन का,या

(ii) किसी ऐसे राज्य की विधान सभा या विधान परिषद् का जिसमें ऐसे दोनों सदन हैं,

सदस्य है तो, यथास्थिति, संसद के सदनों या राज्य विधान मण्डल के सदनों की संयुक्त बैठक, अधिवेशन, सम्मेलन या संयुक्त समिति के चालू रहने के दौरान, और ऐसे अधिवेशन, बैठक या सम्मेलन के चालीस दिन पूर्व और पश्चात् सिविल आदेशिका के अधीन गिरफ्तार या कारागार में निरुद्ध नहीं किया जा सकेगा ।]

(2) उपधारा (1) के अधीन निरोध से छोड़ा गया व्यक्ति, उक्त उपधारा के उपबन्धों के अधीन रहते हुए पुन: गिरफ्तारी और उतनी अतिरिक्त अवधि के लिए निरुद्ध किया जा सकेगा जितनी अवधि के लिए वह निरुद्ध रहता यदि वह उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन छोड़ा नहीं गया होता ।

136. जहां गिरफ्तार किया जाने वाला व्यक्ति या कुर्क की जाने वाली सम्पत्ति जिले से बाहर है वहां प्रक्रिया- (1) जहां यह आवेदन किया जाता है कि इस संहिता के किसी ऐसे उपबन्ध के अधीन, जो डिक्रियों के निष्पादन से सम्बन्धित नहीं है, कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाए या कोई सम्पत्ति कुर्क की जाए और जिस न्यायालय से ऐसा आवेदन किया जाए, उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं से बाहर ऐसा व्यक्ति निवास करता है या ऐसी सम्पत्ति स्थित है वहां न्यायालय स्वविवेकानुसार गिरफ्तारी का वांरट निकाल सकेगा या कुर्की का आदेश कर सकेगा और जिले के उस न्यायालय को, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर ऐसा व्यक्ति निवास करता है या ऐसी सम्पत्ति स्थित है वारंट या आदेश की एक प्रति गिरफ्तार या कुर्की के खर्चों की अधिसंभाव्य रकम के सहित भेज सकेगा ।

(2) जिला न्यायालय ऐसी प्रति और रकम की प्राप्तिने पर अपने अधिकारियों द्वारा या अपने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी या कुर्की करवाएगा, और जिस न्यायालय ने गिरफ्तारी या कुर्की का ऐसा वांरट निकाला था या आदेश किया था उसको इत्तिला भेजेगा ।

(3) इस धारा के अधीन गिरफ्तारी करने वाला न्यायालय गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उस न्यायालय को भेजेगा, जिसने गिरफ्तारी का वारंट निकाला था, किन्तु यदि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति पूर्वकथित न्यायालय को समाधान प्रदान करने वाला हेतुक इस बात के लिए दर्शित कर दे कि उसे पश्चात् कथित न्यायालय को क्यों न भेजा जाए अथवा पश्चात् कथित न्यायालय के समक्ष अपनी उपसंजाति के लिए या ऐसी किसी डिक्री की तुष्टि के लिए, जो उस न्यायालय द्वारा उसके विरुद्ध पारित की जाए, पर्याप्त प्रतिभूति दे दे तो इन दोनों दशाओं में से हर एक में वह न्यायालय, जिसने गिरपतारी की है, उसे छोड़ देगा ।

(4) जहां इस धारा के अधीन गिरफ्तार किया जाने वाला व्यक्ति या कुर्क की जाने वाली जंगम सम्पत्ति बंगाल के फोर्ट विलयम, या मद्रास के या मुम्बई के उच्च न्यायालय की [1]***मामूली आरम्भिक सिविल अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर है वहां गिरफ्तारी के वारंट की या कुर्की के आदेश की प्रति और गिरफ्तारी या कुर्की के खर्चों की अधिसंभाव्य रकम, यथास्थिति, कलकत्ता, मद्रास [2][या मुम्बई] के लघुवाद न्यायालय को भेजी जाएगी और वह न्यायालय उस प्रति और उस रकम के प्राप्त होने पर ऐसे अग्रसर होगा मानो वह जिला न्यायालय हो ।

1. भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 दारा "या लोअर बर्मा के मुख्य न्यायालय को" शब्दो का लोप ।
2. भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "मुम्बई या रंगून" के स्थान पर प्रतिस्थापित |

137. अधीनस्थ न्यायालयों की भाषा–(1) वह भाषा जो इस संहिता के प्रारंभ पर उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी न्यायालय की भाषा है, उस अधीनस्थ न्यायालय की भाषा तब तक बनी रहेगी जब तक राज्य सरकार अन्यथा निदेश न दे ।

(2) राज्य सरकार यह घोषणा कर सकती है कि किसी भी ऐसे न्यायालय की भाषा क्या होगी और किस लिपि में ऐसे न्यायालयों को आवेदन और उनमें की कार्यवाहियां लिखी जाएंगी ।

(3) जहां यह संहिता साक्ष्य के अभिलेखन से भिन्न किसी बात का किसी ऐसे न्यायालय में लिखत रुप में किया जाना अपेक्षित या अनुज्ञात करती है वहां ऐसा लेखन अंग्रेजी में किया जा सकेगा, किन्तु यदि कोई पक्षकार या उसका प्लीडर अंग्रेजी नहीं जानता है तो न्यायालय की भाषा में अनुवाद उसकी प्रार्थना पर उसे दिया जाएगा और न्यायालय ऐसे अनुवाद के खर्चों के संदाय के सम्बन्ध में ऐसा आदेश करेगा जो वह ठीक समझे ।

राज्य संशोधन

उत्तर प्रदेश राज्य दारा संशोधन- उत्तर प्रदेश में अधिनियम क्रमांक 17 वर्ष 1970 के द्वारा जो कि दिनांक 8.4.1970 से प्रभावी किया गया है, धारा 137 (3) में निम्नानुसार परंतुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, नामत:-

"परन्तु यह कि ऐसी दिनांक से प्रभावी जिसे कि राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श करने के उपरांत राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा नियत करे नियत करे, ऐसे न्यायालयों द्वारा या उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों के वर्गो के द्वारा और प्रकरणों के ऐसे वर्ग जो कि विनिर्दिष्ट किये जाएं में किये गये या पारित प्रत्येक निर्णय,डिक्री अथवा आदेश की भाषा मात्र हिन्दी देवनागरी लिपि भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय प्ररूप में साथ होगी ।

राजस्थान राज्य दारा संशोधन- दिनांक 16.5.1983 से प्रभावी होने वाले राजस्थान अधिनियम क्रमांक 7 वर्ष 1983 के द्वारा संहिता की धारा 137 में निम्न संशोधन किया गया है । धारा 137 की उपधारा (3) में निम्न उपधारा को प्रतिस्थापित किया जाएगा-

"(3) जब यह संहिता ऐसे किसी न्यायालय में, लिखित में साक्ष्य अभिलिखित करने के अलावा किसी बात को लिखने की अपेक्षा करती है अथवा अनुज्ञात करती है, तो ऐसी लिखित हिन्दी देवनागरी लिपि में भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय प्ररूप में साथ होगी । "

[1]**138. साक्ष्य के अंग्रेजी में अभिलिखित किए जाने की अपेक्षा करने की उच्च न्यायालय की शक्ति-** (1) [2][उच्च न्यायालय], राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट या उसमें दिए हुए वर्णन वाले किसी न्यायाधीश के बारे में निदेश दे सकेगा कि उन मामलों में, जिनमें अपील अनुज्ञात है, साक्ष्य अंग्रेजी भाषा में और विहित रीति से उसके द्वारा लिखा जाएगा ।

(2) जहां न्यायाधीश उपधारा (1) के अधीन निदेश का अनुपालन करने से किसी पर्याप्त कारण से निवारित हो जाता है वहां वह उस कारण को अभिलिखित करेगा और खुले न्यायालय में बोलकर साक्ष्य लिखवाएगा ।

139. शपथ-पत्र के लिए शपथ किसके द्वारा दिलाई जाएगी- इस संहिता के अधीन किसी भी शपथ-पत्र की दशा में,-

1. असम को यथा लागू धारा 138 के लिए देखिए सिविल प्रोसीजर (असम अमेडमेंट) एक्ट, 1941 (1941 का असम अधिनियम सं. 2) की धारा 2 ।

2. 1914 के अधिनियम सं. 4 की धारा 2 और अनुसूची के भाग 1 द्वारा "स्थानीय स्वशासन" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।

(क) कोई भी न्यायालय या मजिस्ट्रेट, अथवा

[1][(कक) नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) के अधीन नियुक्त नोटरी, अथवा]

(ख) ऐसा कोई भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति, जिसे उच्च न्यायालय इस निमित्त नियुक्त करे, अथवा

(ग) किसी अन्य न्यायालय द्वारा, जिसे राज्य सरकार ने इस निमित्त साधारणतया या विशेष रुप से सशक्त किया है, नियुक्त किया गया कोई भी अधिकारी अभिसाक्षी को शपथ दिला सकेगा ।

राज्य संशोधन

उ.प्र. राज्य द्वारा संशोधन- उ.प्र. राज्य में उ.प्र. अधिनियम (1981 का 11) के द्वारा खंड (ख) व (ग) के स्थान पर निम्न खंडों को प्रतिस्थापित किया गया-

“(ख) कोई भी व्यक्ति जिसे उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय इस निमित्त नियुक्त किया गया हो; या

(ग) कोई भी व्यक्ति जिसे ऐसे अन्य न्यायालय के दारा जिसे कि राज्य सरकार इस संबंध में सामान्य या विशेष आदेश के द्वारा सशक्त किया गया हो इस निमित्त नियुक्त किया गया हो ।"

140. उद्धारण. आदि के मामलों में असेसर- (1) नावधिकरण या उपनावधिकरण विषयक ऐसे मामले में जो उद्धारण, अनुकर्षण या टक्कर का है, न्यायालय चाहे वह अपनी आरम्भिक अधिकारिता का प्रयोग कर रहा हो या अपीली अधिकारिता का, अपनी सहायता के लिए ऐसी रीति से, जो वह निर्दिष्ट करे या जो विहित की जाए, दो सक्षम असेसरो को, यदि वह ठीक समझे, समन कर सकेगा और ऐसे मामले में के पक्षकारों में से किसी के निवेदन पर समन करेगा और तदनुसार ऐसे असेसर हाजिर होंगे और सहायता करेंगे ।

(2) हर ऐसा असेसर अपनी हाजिरी के लिए ऐसी फीस पाएगा जो पक्षकारों में से ऐसे पक्षकार द्वारा संदत्त की जाएगी जो न्यायालय निर्दिष्ट करे या जो विहित की जाए ।

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 46 दारा (1. 2.1977 से) अन्त: स्थापित किया गया ।

141. प्रकीर्ण कार्यवाहियां- उस प्रक्रिया का जो वादों के विषय में इस संहिता में उपबन्धित है, सिविल अधिकारिता वाले किसी भी न्यायालय में भी सभी कार्यवाहियों में वहां तक अनुसरण किया जाएगा जहां तक वह लागूकी जा सके ।

[1]**[स्पष्टीकरण---** इस धारा में, "कार्यवाही" शब्द के अन्तर्गत आदेश 9 के अधीन कार्यवाही है, किन्तु इसके अन्तर्गत संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन कार्यवाही नहीं है ।]

142. आदेशों और सूचनाओं का लिखित होना- वे सभी आदेश और सूचनाएं, जिनकी तामील इस संहिता के अधीन किसी व्यक्ति पर की जाएया जो उसे दी जाएं, लिखित रुप में होगी ।

143. डाक महसूल- जहां इस संहिता के अधीन निकाली गई और डाक द्वारा प्रेषित किसी सूचना,

समन या पत्र पर डाक महसूस प्रभार्य है वहां ऐसा डाक महसूल और उनके रजिस्ट्रीकरण की फीस उस समय के भीतर संदत्त की जाएगी जो उस पत्र-व्यवहार के लिए किए जाने के पूर्व नियम किया जाएगा-परन्तु राज्य सरकार [2]***ऐसे डाक महसूस या फीस रो या दोनों से छूट दे सकेगी या उसके बदले में उद्ग्रहणीय न्यायालय फीस का मापमान विहित कर सकेगी ।

144. प्रत्यास्थापन के लिए आवेदन- (1) जहां कि और जहां तक कि किसी डिक्री [3][या आदेश] में [4][किसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाही में फेरफार किया जाए या उसे उलटा जाए अथवा उसको इस प्रयोजन के लिए संस्थित किसी वाद में अपास्त किया जाए या उपान्तरित किया जाए वहां और वहां तक वह न्यायालय जिसने डिक्री या आदेश पारित किया था,] उस पक्षकार के आवेदन पर जो प्रत्यास्थापन द्वारा या अन्यथा कोई फायदा पाने का हकदार है, ऐसा प्रत्यास्थापन कराएगा जिससे पक्षकार, जहां तक हो सके, उस स्थिति में हो जाएगें जिसमें वे होते यदि वह डिक्री [[1]या आदेश] या [2][उसका वह भाग जिसमें फेरफार किया गया है या जिसे उलटा गया है या अपास्त किया गया है या उपातरित किया गया है,] न दिया गया होता और न्यायालय इस प्रयोजन से कोई ऐसे आदेश जिनके अन्तर्गत खर्चों के प्रतिदाय के लिए और ब्याज, नुकसानी, प्रतिकर और अन्तःकालीन लाभों के संदाय के लिए आदेश होंगे, कर सकेगा जो [3][उस डिक्री या आदेश को ऐसे फेरफार करने, उलटने, अपास्त करने या उपान्तरण के उचित रूप में पारिणामिक है ।]

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 47 न द्वारा (1.2.1977 से) अन्तःस्थापित किया गया
2. 1920 के अधिनियम सं. 38 की धारा 2 और अनुसूची 1 के भाग 1 द्वारा " सपरिषद् गवर्नर जनरल की मंजूरी से" शब्दो का लोप
3. 1966 के अधिनियम सं. 66 की धारा 13 द्वारा अन्त स्थापित किया गया ।
4. 197 त के अधिनियम सं 104 की धारा 48 द्वारा (1.2.1977 से) कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।

[4]**[स्पष्टीकरण-** इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "वह न्यायालय जिसने डिक्री या आदेश पारित किया था' ' पद के बारे में यह समझा जाएगा कि उरपके अन्तर्गत निम्नलिखित है:-

(क) जहां डिक्री या आदेश में फेरफार या उलटाव अपीली या पुनरीक्षण अधिकारिता के प्रयोग में किया गया है वहां प्रथम बार का न्यायालय,

(ख) जहां डिक्री या आदेश पृथक वाद में अपास्त किया गया है वहां प्रथम बार का वह न्यायालय जिसने ऐसी डिक्री या आदेश पारित किया था;

(ग) जहां प्रथम बार का न्यायालय विद्यमान नहीं रहा है या उसकी उसे निष्पादित करने की अधिकारिता नहें रही है वहां वह न्यायालय जिसे ऐसे वाद का विचारण करने की अधिकारिता होती यदि वह वाद में जिसमें डिक्री या आदेश पारित किया गया था, इस धारा के अधीन प्रत्यास्थापन के लिए आवेदन किए जाने के समय संस्थित किया गया होता ।

(2) कोई भी वाद कोई ऐसा प्रत्यास्थापन या अन्य अनुतोष अभिप्राप्त करने के प्रयोजन से संस्थित नहीं किया जाएगा जो उपधारा (1) के अधीन आवेदन द्वारा अभिप्राप्त किया जा सकता था ।

1. 1956 के अधिनियम सं. 66 की धारा 13 द्वारा अन्तःस्थापित किया गया ।
2. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 48 द्वारा (1.2.1977 से) कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।

3. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 48 द्वारा (1.2.1977 से) कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।
4. 1976 के अधिनियम सं 104 की धारा 48 द्वारा (1.2.1977 से) अन्तःस्थापित किया गया ।

राज्य संशोधन

उ.प्र. राज्य द्वारा संशोधन- उ.प्र अधिनियम (1954 का 24 के द्वारा जो कि दिनांक 30.11.1954 से प्रभावी किया गया, धारा 144 की उपधारा (1) को निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया गया-

" (1) जहां कि और जहां तक कि किसी डिक्री या आदेश में किसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाही में फेरफार किया जाए तो प्रथम बार का न्यायालय उस पक्षकार के आवेदन पर जो प्रत्यास्थापन द्वारा या अन्यथा कोई फायदा पाने का हकदार है, ऐसा प्रत्यास्थापन कराएगा जिससे पक्षकार, जहां तक हो सके, उस स्थिति में हो जाएगें जिसमें वे होते यदि वह डिक्री या आदेश] या उसका वह भाग जिसमें फेरफार किया गया है या जिसे उलटा गया है

और न्यायालय इस प्रयोजन से कोई ऐसे आदेश जिनके अन्तर्गत खर्चों के प्रतिदाय के लिए और ब्याज, नुकसानी, प्रतिकर और अन्तःकालीन लाभों के संदाय के लिए आदेश होंगे, कर सकेगा जो [1][उस डिक्री या आदेश को ऐसे फेरफार करने, उलटने, के उचित रूप में पारिणामिक है ।]

145. प्रतिभू के दायित्व का प्रवर्तन- 2[जहां किसी व्यक्ति ने] -

(क) किसी डिक्री या उसके किसी भाग के पालन के लिए, अथवा

(ख) डिक्री के निष्पादन में ली गई किसी सम्पत्ति के प्रत्यास्थापन के लिए, अथवा

(ग) किसी वाद में या उसके परिणामस्वरूप किसी कार्यवाही में न्यायालय के किसी आदेश के अधीन किसी धन के संदाय के लिए या किसी व्यक्ति पर उसके अधीन अधिरोपित किसी शर्त की पूर्ति के लिए,

1. 1967 के अधिनियम सं. 104 की धारा 48 द्वारा (1.2.1977 से) कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।
2. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 49 द्वारा (1.2.1977 से) कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।

[1][प्रतिभूति या प्रत्याभूति दे दी है वहां वह डिक्री या आदेश, डिक्रियों के निष्पादन के लिए इसमें उपबन्धित रीति से निष्पादित किया जाएगा, अर्थात्:-

(i) यदि उसने अपने को व्यक्तिगत रुप से दायी बनाया है तो उसके विरुद्ध उस विस्तार तक;

(ii) यदि उसने प्रतिभूति के रुप में कोई सम्पत्ति दी है तो ऐसी प्रतिभूति के विस्तार तक उस सम्पत्ति के विक्रय द्वारा;

(iii) यदि मामला खण्ड (i) और खण्ड (ii) दोनों के अधीन आता है तो उन खण्डों के विनिर्दिष्ट विस्तार तक;

और ऐसे व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि वह धारा 47 के अर्थ में पक्षकार है:]

परन्तु यह तब जब कि ऐसी सूचना, जो न्यायालय हर एक मामले में पर्याप्त समझे, प्रतिभू को दी जा चुकी हो ।

राज्य संशोधन

उ.प्र. राज्य द्वारा संशोधन- उ.प्र. अधिनियम क्र. 54 वर्ष 1954 जो कि दिनांक 30.11.1954 के द्वारा प्रभावी किया गया, धारा 145 के स्थान पर निम्न धारा 145 को प्रतिस्थापित किया गया है-

"145. जहां कोई व्यक्ति प्रतिभू के रुप में दायी हो गया है उसने प्रतिभूति के रूप में कोई संपत्ति दी है या-

(क) किसी डिक्री या उसके किसी भाग के पालन के लिए, अथवा

(ख) डिक्री के निष्पादन में ली गई किसी सम्पत्ति के प्रत्यास्थापन के लिए, अथवा

(ग) किसी वाद में या उसके परिणामस्वरुप किसी कार्यवाही में न्यायालय के किसी आदेश के

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 49 द्वारा (1.2.1977 से) कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।

(ख) डिक्री के निष्पादन में ली गई किसीसम्पत्ति के प्रत्यास्थापन के लिए, अथवा

(ग) किसी वाद में या उसके परिणामस्वरूप किसी कार्यवाही में न्यायालय के किसी आदेश के अधीन किसी धन के संदाय के लिए या किसी व्यक्ति पर उसके अधीन अधिरोपित किसी शर्त की पूर्ति के लिए

प्रतिभूति या प्रत्याभूति दे दी है वहां वह डिक्री या आदेश, डिक्रियों के निष्पादन के लिए इसमें उपबंधित रीति से निष्पादित किया जाएगा,-

(i)यदि उसने अपने को व्यक्तिगत रूप से दायी बनाया है तो उसके विरुद्ध उस विस्तार तक;

(ii)यदि उसने प्रतिभूति के रुप में कोई सम्पत्ति दी है तो ऐसी प्रतिभूति के विस्तार तक उस सम्पत्ति के विक्रय द्वारा;

(iii) यदि मामला खण्ड (i) और खण्ड (ii) दोनों के अधीन आता है तो उन खण्डों के विनिर्दिष्ट विस्तार तक,

और ऐसे व्यक्ति के बारे में अपील के प्रयोजन के लिए यह समझा जाएगा कि वह धारा 47 के अर्थ में पक्षकार है

परन्तु यह तब जब कि ऐसी सूचना, जो न्यायालय हर एक मामले में पर्याप्त समझे, प्रतिभूको दी जा चुकी हो ।

स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजन के लिए न्यायालय द्वारा किसी डिक्री या आदेश के निष्पादन में कुर्क की गयी किसी संपत्ति की अभिरक्षा के साथ न्यसित किसी व्यक्ति के बारे में यह माना जावेगा कि वह खंड (ख) के आशय के अधीन किसी संपत्ति के प्रत्यास्थापन के लिए प्रतिभू के रूप में दायी हो गया है ।"

146. प्रतिनिधियों द्वारा या उनके विरुद्ध कार्यवाहियां- उसके सिवाय जैसा इस संहिता द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा अन्यथा उपबन्धित है, जहां किसी व्यक्ति द्वारा या उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही की जा सकती है या आवेदन किया जा सकता है वहां उससे त्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा या उसके विरुद्ध वह कार्यवाही की जा सकेगी या आवेदन किया जा सकेगा ।

147. निर्योग्यता के अधीन व्यक्तियों द्वारा सहमति या करार- उन सभी वादों में, जिनमें निर्योग्यता के अधीन कोई व्यक्ति पक्षकार है किसी भी कार्यवाही के सम्बन्ध मे कोई भी सहमति या करार, यदि वह उसके वाद-मित्र या वादार्थ संरक्षक द्वारा न्यायालय की अभिव्यक्त इजाजत से दी जाए या किया जाए तो वह ऐसा ही बल या प्रभाव रखेगी या रखेगा मानो ऐसा व्यक्ति किसी निर्योग्यता के अधीन नहीं था

और उसने ऐसी सहमति दी थी या ऐसा करार किया था ।

148. समय का बढ़ाया जाना- जहां न्यायालय ने इसे संहिता द्वारा विहित या अनुज्ञात कोई कार्य करने के लिए कोई अवधि नियत या अनुदत्त की है वहां न्यायालय ऐसी अवधि को स्वविवेकानुसार समय-समय पर बढा सकेगा, [1][जो कुल मिलाकर तीस दिन से अधिक न हो], यद्यपि पहले नियत या अनुदत्त अवधि का अवसान हो चुका हो ।

[2]**[148क. केवियट दायर करने का अधिकार-** (1) जहां किसी न्यायालय में संस्थित या शीघ्र ही संस्थित होने वाली किसी वाद या कार्यवाही में किसी आवेदन का किया जाना प्रत्याशित है या कोई आवेदन किया गया है वहा कोई व्यक्ति जो ऐसे आवेदन की सुनवाई में न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के अधिकार का दावा करता है उसके बारें में केवियट दायर कर सकेगा ।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई केवियट दायर किया गया है वहां वह व्यक्ति जिसके द्वारा केवियट दायर किया गया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् केवियटकर्ता कहा गया है), उस व्यक्ति पर जिसके द्वारा उपधारा (1) के अधीन आवेदन किया गया है या किए जाने की प्रत्याशा है, केवियट की सूचना की तामील रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा करेगा ।

(3) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई केवियट दायर किऐ जाने के पश्चात् किसी वाद या कार्यवाही में कोई आवेदन फाइल किया जाता है वहां न्यायालय आवेदन की सूचना केवियटकर्ता को देगा ।

(4) जहां आवेदक पर किसी केवियट की सूचना की तामील की गई है वहां वह उसके द्वारा किए गए आवेदन की और उस आवेदन के समर्थन में उसके द्वारा फाइल किए गए या फाइल किए जाने वाले किसी कागज या दस्तावेज की प्रतियां केवियटकर्ता के खर्चे पर केवियटकर्ता को तुरन्त देगा ।

(5) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई केवियट दायर किया गया है वहां ऐसा केवियट उस तारीख से जिसको वह दायर किया गया था, नब्बे दिन के अवसान के पश्चात् प्रवृत नहीं रहेगा जब तक कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट आवेदन उक्त अवधि के अवसान के पूर्व नहीं किया गया हो ।]

1. 1999 के अधिनियम सं. 46 की धारा 13 द्वारा (1-7-2002 से) अंत: स्थापित ।
2. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 50 द्वारा (1.5.1977 से) अन्त: स्थापित किया गया

149. न्यायालय-फीस की कमी को पूरा करने की शक्ति- जहां न्यायालय-फीस से सम्बन्धित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा किसी दस्तावेज के लिए विहित पूरी फीस या उसका कोई भाग संदत्त नहीं किया गया है वहां जिस व्यक्ति द्वारा ऐसी फीस संदेय है उसे न्यायालय किसी भी प्रक्रम में स्वविवेकानुसार अनुज्ञात कर सकेगा कि वह, यथास्थिति, ऐसी पूरी न्यायालय-फीस या उसका वह भाग संदत्त करे और ऐसा संदेय किए जाने पर उस दस्तावेज का, जिसकी बाबत वह फीस संदेय है, वहीं बल और प्रभाव होगा मानो ऐसी फीस पहली बार ही संदत्त कर दी गई हो ।

150. कारबार का अन्तरण- उसके सिवाय जैसा अन्यथा उपबंधित है, जहां किसी न्यायालय का कारबार किसी अन्य न्यायालय को अन्तरित कर दिया गया है वहां जिस न्यायालय को कारबार इस प्रकार अन्तरित किया गया है उसकी वे ही शक्तियां होंगी और वह उन्हीं कर्तव्यों का पालन करेगा जो उस न्यायालय को और उस पर इस संहिता द्वारा या इसके अधीन क्रमश: प्रदत्त और अधिरोपित थे जिससे कारबार इस प्रकार अन्तरित किया गया था ।

151. न्यायालय की अन्तर्निहित शक्तियों की व्यावृत्ति- इस संहिता की किसी भी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह ऐसे आदेशों के देने की न्यायालय की अन्तर्निहित शक्ति को परिसीमित या

अन्यथा प्रभावित करती है, जो न्याय के उद्देश्यों के लिए या न्यायालय की आदेशिका के दुरुपयोग का निवारण करने के लिए आवश्यक है ।

152. निर्णयों. डिक्रियों या आदेशों का संशोधन- निर्णयों डिक्रियों या आदेशों में की लेखन या गणित सम्बन्धी भूलें या किसी आकस्मिक भूल या लोप से उसमें हुई गलतियां न्यायालय द्वारा स्वप्रेरणा से या पक्षकारों में से किसी के आवेदन पर किसी भी समय शुद्ध की जा सकेंगी ।

153. संशोधन करने की साधारण शक्ति- न्यायालय किसी भी समय और खर्च- सम्बन्धी ऐसी शर्तो पर या अन्यथा जो वह ठीक समझे, वाद की किसी भी कार्यवाही में की किसी भी त्रुटि या गलती को संशोधित कर सकेगा, और ऐसी कार्यवाही द्वारा उठाए गए या उस पर अवलंबित वास्तविक प्रश्न या विवाद्यक के अवधारण के प्रयोजन के लिए सभी आवश्यक संशोधन किए जाएंगे ।

[1]**[153क. जहां अपील संक्षेपतः खारिज की जाती है वहां डिक्री या आदेश का संशोधन करने की शक्ति-** जहां अपील न्यायालय आदेश 41 के नियम 11 के अधीन कोई अपील खारिज करता है वहां धारा 152 के अधीन उस न्यायालय की उस डिक्री या आदेश को जिसके विरुद्ध अपील की गई है, संशोधित करने की शक्ति का प्रयोग उस न्यायालय द्वारा जिसने प्रथम बार डिक्री या आदेश पारित किया है, इस बात के होते हुए भी किया जा सकेगा कि अपील के खारिज किए जाने का प्रभाव, प्रथम बार के न्यायालय द्वारा पारित, यथास्थिति, डिक्री या आदेश की पुष्टि में हुआ है ।

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 51 द्वारा (1-2-1977 से) अन्त: स्थापित किया गया

153ख. विचारण के स्थान को खुला न्यायालय समझा जाना- वह स्थान जहां किसी वाद के विचारण के प्रयोजन के लिए कोई सिविल न्यायालय लगता है, खुला न्यायालय समझा जाएगा और उसमें साधारणत: जनता की वहां तक पहुंच होगी जहां तक जनता इसमें सुविधापूर्वक समा सके;

परन्तु यदि पीठासीन न्यायाधीश ठीक समझे तो वह किसी विशिष्ट मामले की जांच या विचारण के किसी भी प्रक्रम पर यह आदेश दे सक ता है कि साधारणत: जनता या किसी विशिष्ट व्यक्ति की न्यायालय द्वारा प्रयुक्त कमरे या भवन तक पहुच नहीं होगी या यह उसमें नहीं आएगा या वह नहीं रहेगा ।]

154. [अपील के वर्तमान आधिकार की व्यावृत्ति ।] --निरसन और संशोधन अधिनियम, 1952 (1952 का 48) की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा निरसित ।

155. [कुछ अधिनियमों का संशोधन ।] --निरसन और संशोधन अधिनियम, 1952 (1952 का 48 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा निरसित।

156. [निरसन ।] -- द्वितीय निरसन और संशोधन अधिनियम, 1914 (1914 का 17) की धारा 3 और अनुसूची 2 द्वारा निरसित ।

157. निरसित अधिनियमितियों के अधीन आदेशों का चालू रहना-- 1859 के अधिनियम 8 या किसी भी सिविल प्रक्रिया संहिता या उसका संशोधन करने वाले किसी भी अधिनियम या एतदद्वारा निरसित किसी भी अन्य अधिनियमिति के अधीन प्रकाशित अधिसूचनाएं, की गई घोषणाएं और बनाए गए नियम,

नियत किए गए स्थान, फाइल किए गए करार, विहित मापमान, विरचित प्ररुप, की गई नियुक्तियां और प्रदत्त शक्तियां जहां तक वे इस संहिता से संगत हैं, वही बल और प्रभाव रखेंगी मानो वे इस संहिता के अधीन और इसके द्वारा इस निमित्त सशक्त प्राधिकारी द्वारा क्रमश: प्रकाशित की गई, बनाए गए, नियत किए गए, फाइल किए गए, विहित किए गए, विरचित किए गए और प्रदत्त की गई हों ।

158. सिविल प्रक्रिया संहिता और अन्य विकसित अधिनियमितियों के प्रति निर्देश- इस संहिता के प्रारम्भ के पूर्व पारित या निकाली गई ऐसी हर एक अधिनियमिति या अधिसूचना में, जिसमें 1859 के अधिनियम 8 या किसी भी सिविल प्रक्रिया संहिता या उसका संशोधन करने वाले किसी भी अधिनियम का एतदद्वारा निरसित किसी भी अन्य अधिनियमिति के प्रति या उसके किसी भी अध्याय या धारा के प्रति निर्देश किया गया है, ऐसे निर्देश को, जहां तक हो सके, इस संहिता या इसके तत्स्थानी भाग, आदेश, धारा या नियम के प्रति निर्देश माना जाएगा ।

पहली अनुसूची
आदेश 1
वादों के पक्षकार

[1][**1. वादियों के रुप में कौन संयोजित किए जा सकेंगे-** वे सभी व्यक्ति वादियों के रुप में एक वाद में संयोजित किए जा सकेंगे जहां,-

(क) एक ही कार्य या संव्यवहार या कार्यो या संव्यवहारों की आवली के बारे में या उससे पैदा होने वाले अनुतोष पाने का अधिकार उनमें संयुक्ततः या पृथकत: या अनुकल्पत: वर्तमान होना अभिकथित है; और

(ख) यदि ऐसे व्यक्ति पृथक-पृथक वाद लाते तो, विधि या तथ्य का सामान्य प्रश्न पैदा होता है ।]

1. 1976 के अनिधिमय सं. 104 की धारा 52 द्वारा (1-2-1977 से) पूर्ववर्ती नियम के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।

2. पृथक विचारण का आदेश करने की न्यायालय की शक्ति- जहां न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि वादियों के किसी संयोजन के वाद के विचारण, उलझन या विलंब हो सकता है वहां न्यायालय वादियों से निर्वाचन करने को कह सकेगा या पृथक विचारण का या ऐसा अन्य आदेश दे सकेगा जो समीचीन हो ।

[1][**3. प्रतिवादियों के रुप में कौन संयोजित किए जा सकेंगे-** वे सभी व्यक्ति प्रतिवादियों के रूप में एक वाद में संयोजित किए जा सकेंगे जहां,-

(क) एक ही कार्य या संव्यवहार या कार्यो या संव्यवहारों की आवली के बारें में या उससे पैदा होने वाले अनुतोष पाने का कोई अधिकार उनके विरुद्ध संयुक्ततः या पृथक्तः या अनुकल्पत: वर्तमान होना अभिकथित है; और

(ख) यदि ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध पृथक-पृथक वाद लाए जाते तो, विधि या तथ्य का सामान्य प्रश्न पैदा होता है ।]

राज्य संशोधन

बिहार राज्य द्वारा संशोधन- दिनांक 8-2-1969 के बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियमन 1969 का 1, धारा 3 व अनूसूची के द्वारा अनुसूचित क्षेत्र में प्रयोज्य होने के लिए निम्नानुसार परन्तुक को अंतःस्थापित

किया गया -

"परन्तु यह कि संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 के अनुसूची के भाग 3 में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति के सदस्य की अचल संपत्ति के संबंधित हक घोषणा या आधिपत्य के लिए वादों में संबंधित उपायुक्त को भी प्रतिवादी के रुप में जोड़ा जाएगा ।"

1. 1976 के अनिधिमय सं. 104 की धारा 52 द्वारा (1-2-1977 से) पूर्ववर्ती नियम के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।

[1][**3क. जहां प्रतिवादियों के संयोजन से उलझन या विचारण में विलम्ब हो सकता है वहां पृथक् विचारण का आदेश देने की शक्ति---** जहां न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि प्रतिवादियों के संयोजन से वाद के विचारण में उलझन या विलम्ब हो सकता है वहां न्यायालय पृथक विचारण या आदेश या ऐसा अन्य आदेश दे सकेगा जो न्याय के हित में समीचीन हो ।]

राज्य संशोधन

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा संशोधन- सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1984 जो कि दिनांक 14-8-1984 से प्रयोज्य हुआ नियम 3-क के पश्चात निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया गया है-

"3-ख. वादों को ग्रहण किये जाने के लिए शर्तें- (1) कोई भी ऐसा वाद या कार्यवाही, जो-

(क)किसी कृषि भूमि पर हक या किसी अधिकार की घोषणा के लिए किसी अन्य अनुतोष के साथ या उसके बिना है ,अथवा

(ख)किसी कृषि भूमि के अन्तरण की किसी संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए किसी अन्य अनुतोष के साथ या उसके बिना है,

किसी भी न्यायालय द्वारा तब ही ग्रहण की जाएगी जब कि यथास्थिति वादी या आवेदक, यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि उपरोक्त भूमि के संबंध में मध्य प्रदेश कृषिक जोत उच्चतम सीमा अधिनियम, 1960 (क्रमांक 20 सन 1960) की धारा 9 के अधीन उसके द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा एक विवरणी उस अधिनियम के अधीन नियुक्त किये गये सक्षम प्राधिकारी के समक्ष फाइल कर दी गई है या ऐसी विवरणी फाइल करने की उससे या किसी अन्य व्यक्ति से अपेक्षा की गयी है, ऐसे वाद या कार्यवाही में मध्यप्रदेश राज्य को यथास्थिति प्रतिवादियों में से या अनावेदकों में से एक प्रतिवादी या अनावेदक के रूप में पक्षकार बना दे ।

(2) कोई भी न्यायालय उप-नियम (1)में निर्दिष्ट किये गये लंबित वाद या कार्यवाही में तब तक अग्रसर नहीं होगा जब तक कि यथा संभव शीध्र, राज्य सरकार को इस प्रकार प्रतिवादी या अनावेदक के रूप में पक्षकार न बना दिया जाय ।

स्पष्टीकरण- इस अधिनियम में उपयोग में लायी गयी अभिव्यक्ति "वाद या कार्यवाही" के अन्तर्गत अपील, निर्देश या पुनरीक्षण आता है किन्तु ऐसे वाद या ऐसी कार्यवाही में पारित की गयी किसी डिक्री या अंतिम आदेश के निष्पादन के लिए या निष्पादन से संबंधित कोई कार्यवाही नहीं आती है |"

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 52 द्वारा (1-2-1977 से) अन्त: स्थापित किया गया

4. न्यायालय, संयुक्त पक्षकारों में से एक या अधिक के पक्ष में या उनके विरुद्ध में निर्णय डे

सकेगा-

(क) वादियों में से जो एक या अधिक वादी अनुतोष के हकदार पाए जाएं उसके पक्ष में, उस अनुतोष के लिए, जिसके वह या वे हकदार हों;

(ख) प्रतिवादियों में से जो एक या अधिक प्रतिवादी दाई पाए जाएं उसके या उनके विरुद्ध उनके अपने-अपने दायित्वों के अनुसार, निर्णय किसी संशोधन के बिना दिया जा सकेगा |

5. दावाकृत सम्पूर्ण अनुतोष में प्रतिवादी का हितबद्ध होना आवश्यक नहीं है- यह आवश्यक नहीं होगा कि हर प्रतिवादी अपने विरुद्ध किसी वाद में दावाकृत सम्पूर्ण अनुतोष के बारे में हितबद्ध हो |

6. एक ही संविदा के आधार पर दायी पक्षकारों का संयोजन- वादी किसी भी एक संविदा के आधार पर पृथक्त: या संयुक्तत: और पृथक्त: दायी सभी या किन्हीं व्यक्तियों को, जिनके अंतर्गत विनियम- पत्रों, हुंडियों और वचनपत्रों के पक्षकार भी है, एक ही वाद के पक्षकारों के तौर पर अपने विकल्प के अनुसार संयोजित कर सकेगा |

7. जब वादी को संदेह है कि किससे प्रतितोष चाहा गया है- जहां वादी को इस बारे में संदेह है कि वह व्यक्ति कौन है, जिससे प्रतितोष अभिप्राप्त करने का वह हकदार है वहाँ वह दो या अधिक प्रतिवादियों को इसलिए संयोजित कर सकेगा कि सभी पक्षकारों के बीच इस प्रश्न के बारे में अवधारित किया जा सके कि प्रतिवादियों में से कौन और किस विस्तार तक दायी है |

[1][**8. एक ही हित में सभी व्यक्तियों की ओर से एक व्यक्ति वाद ला सकेगा या प्रतिरक्षा कर सकेगा–** (1) जहां एक ही वाद में एक ही हित में रखने वाले बहुत से व्यक्ति हैं वहां,-

(क) इस प्रकार हितबद्ध सभी व्यक्तियों की ओर से या उनके फायदे के लिए न्यायालय की अनुज्ञा से ऐसे व्यक्तियों में से एक या अधिक व्यक्ति वाद ला सकेंगे या उनके विरुद्ध वाद लाया जा सकेगा या वे ऐसे वाद में प्रतिरक्षा कर सकेंगे;

(ख) न्यायालय यह निदेश दे सकेगा कि इस प्रकार हितबद्ध सभी व्यक्तियों की ओर से या उनके फायदे के लिए ऐसे व्यक्तियों में से एक या अधिक व्यक्ति वाद ला सकेंगे या उनके विरुद्ध वाद लाए जा सकेंगे या वे ऐसे वाद में प्रतिरक्षा कर सकेंगे ।

(2) न्यायालय ऐसे प्रत्येक मामले में जहां उपनियम (1) के अधीन अनुज्ञा या निदेश दिया गया है, इस प्रकार हितबद्ध सभी व्यक्तियों को या तो वैयक्तिक तामील कराकर या जहां व्यक्तियों की संख्या या किसी अन्य कारण से ऐसी तामील युक्तियुक्त रूप से साक्ष्य नहीं है वहां लोक विज्ञापन द्वारा, जैसा भी न्यायालय हर एक मामले में निदिष्ट करे, वाद के संस्थित किए जाने की सूचना वादी के खर्चे पर देगा ।

(3) कोई व्यक्ति जिसकी ओर से या जिसके फायदे के लिए उपनियम (1) के अधीन कोई वाद संस्थित किया जाता है या ऐसे वाद में प्रतिरक्षा की जाती है, उस वाद में पक्षकार बनाएंजाने के लिए न्यायालय को आवेदन कर सकेगा ।

(4) आदेश 23 के नियम 1 के उपनियम (1) के अधीन ऐसे वाद में दावे के किसी भाग का परित्याग नहीं किया जाएगा और उस आदेश के नियम 1 के उपनियम (3) के अधीन ऐसे वाद का प्रत्याहरण नहीं किया जाएगा और उस आदेश के नियम 3 के अधीन ऐसे वाद में कोई करार, समझौता या तुष्टि अभिलिखित नहीं की जाएगी जब तक कि न्यायालय ने इस प्रकार हितबद्ध सभी व्यक्तियों को उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट रीति से सूचना वादी के खर्चे पर न दे दी हो ।

(5) जहां ऐसे वाद में वाद लाने वाला या प्रतिरक्षा करने वाला कोई व्यक्ति वाद या प्रतिरक्षा के सम्यक तत्परता से कार्यवाही नहीं करता है वहां न्यायालय उस वाद में वैसा ही हित रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उसके स्थान पर रख सकेगा ।

(6) इस नियम के अधीन वाद में पारित डिक्री उन सभी व्यक्तियों पर आबद्धकर होगी जिनकी ओर से या जिनके फायदे के लिए, यथास्थिति, वाद संस्थित किया गया है या ऐसे वाद में प्रतिरक्षा की गई है |

1. 1976 के अधिनिमय सं. 104 की धारा 52 द्वारा (1-2-1977 से) पूर्ववर्ती नियम के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।

स्पष्टीकरण- इस बात का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए कि वे व्यक्ति जो वाद ला रहे है या जिनके विरुद्ध वाद लाया गया है या जो ऐसे वाद में प्रतिरक्षा कर रहे है, किसी एक वाद में वैसा ही हित रखते है या नहीं, यह साबित करना आवश्यक नहीं है कि ऐसे व्यक्तियों का बही वाद हेतुक है जो उन व्यक्तियों का है जिनकी और से या जिनके फायदे के लिए, यथास्थिति, वे वाद ला रहे हैं या उनके विरुद्ध वाद लाया जा रहा है या वे ऐसे वाद में प्रतिरक्षा कर रहे हैं ।

[1][**8क न्यायालय की कार्यवाही में राय देने या भाग लेने के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को अनुज्ञात करने की शक्ति-** यदि वाद का विचारण करते समय न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय किसी ऐसी विधि के प्रश्न में हितबद्ध है जो किसी वाद में प्रत्यक्षत: और सारत: विवाद्य है और ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को उस विधि के प्रश्न पर अपनी राय देने के लिए अनुज्ञात करना लोकहित में आवश्यक है तो वह ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को ऐसी राय देने के लिए और वाद की कार्यवाहियों में ऐसे भाग लेने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा जो न्यायालय विनिर्दिष्ट करे।

9. कुसंयोजन और असंयोजन- कोई भी वाद पक्षकारों के कुसंयोजन या असंयोजन के कारण विफल नहीं होगा और न्यायालय हर वाद में विवादग्रस्त विषय का निपटारा वहां तक कर सकेगा जहां तक उन पक्षकारों के, जो उसके वस्तुत: समक्ष है, अधिकारों और हितों का सम्बन्ध है: परन्तु इस नियम की कोई बात किसी आवश्यक पक्षकार के असंयोजन को लागू नहीं होगी।

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 52 द्वारा (1-2-1977 से) अन्त: स्थापित किया गया
2. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 52 द्वारा (1-2-1977 से) अन्त: स्थापित किया गया

10. गलत वादी के नाम से वाद- (1) जहां कोई वाद वादी के रुप में गलत व्यक्ति के नाम से संस्थित किया गया है, या जहा यह संदेहपूर्ण है कि क्या वह सही वादी के नाम में संस्थित किया गया है वहां यदि वाद के किसी भी प्रक्रम में न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि सद्भाविक भूल से संस्थित किया गया है और विवाद में के वास्तविक विषय के अवधारण के लिए ऐसा करना आवश्यक है तो, वह ऐसे निबन्धनों पर, जो वह न्यायासंगत समझे, वाद के किसी भी प्रक्रम में किसी अन्य व्यक्ति को वादी के रूप में प्रतिस्थापित किए जाने या जोड़े जाने का आदेश दे सकेगा।

(2) न्यायालय पक्षकारों का नाम काट सकेगा या जोड़ सकेगा- न्यायालय कार्यवाहियों के किसी भी

प्रक्रम में या तो दोनों पक्षकारों में से किसी के आवेदन पर या उसके बिना और ऐसे निबन्धनों पर जो न्यायालय को न्यायसंगत प्रतीत हों, यह आदेश दे सकेगा कि वादी के रूप में या प्रतिवादी के रुप में अनुचित तौर पर संयोजित किसी भी पक्षकार का नाम काट दिया जाए और किसी व्यक्ति का नाम जिसे वादी या प्रतिवादी के रूप में ऐसे संयोजित किया जाना चाहिए था या न्यायालय के सामने जिसकी उपस्थिति वाद में अन्तर्वलित सभी प्रश्नों का प्रभावी तौर पर और पूरी तरह न्यायनिर्णयन और निपटारा करने के लिए न्यायालय को समर्थ बनाने की दृष्टि से आवश्यक हो, जोड़ दिया जाए।

(3) कोई भी व्यक्ति, वाद-मित्र के बिना वाद लाने वाले वादी के रूप में अथवा उस वादी के, जो किसी निर्योग्यता के अधीन है, वाद-मित्र के रुप में उसकी सहमति के बिना नहीं जोडा जाएगा।

(4) जहां प्रतिवादी जोड़ा जाए वहां वादपत्र का संशोधन किया जाना- जहां कोई प्रतिवादी जोड़ा जाता है वहां जब तक न्यायालय अन्यथा निदिष्ट न करे वादपत्र का इस प्रकार संशोधन किया जाएगा, जैसा आवश्यक हो, और समन की और वादपत्र की संशोधित प्रतियों की तामील नए प्रतिवादी पर, और यदि न्यायालय ठीक समझे तो मूल प्रतिवादी पर की जाएगी।

(5) [1]इण्डियन लिमिटेशन ऐक्ट, 1877(1877 का 15) की धारा 22 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रतिवादी के रूप में जोड़े गए किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही समन की तामील पर ही प्रांरभ की गई समझी जाएगी।

1. अब परिसीमा अधिनियम, 1963 (1963 का 36) की धारा 21 देखिए ।

[1][10क. न्यायालय की उसको संबोधित करने के लिए किसी प्लीडर से अनुरोध करने की शक्ति-- यदि किसी वाद या कार्यवाही में विवाद्य विषय पर न्यायालय के विनिश्चय का किसी हित पर प्रभाव पड़ना संभव है और उस पक्षकार का जो ऐसा हित रखता है जिसका इस प्रकार प्रभावित होना संभव है, किसी प्लीडर द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं किया जाता है तो न्यायालय, स्वविवेकानुसार प्लीडर से यह अनुरोध कर सकेगा कि वह ऐसे हित के बारे में उसे सम्बोधित करें ।

11. वाद का संचालन- न्यायालय [2][किसी वाद] का संचालन ऐसे व्यक्ति को सौंप सकेगा जिसे वह ठीक समझे ।

12. कई वादियों या प्रतिवादियों में से एक का अन्यों के लिए उपसंजात होना- (1) जहां एक से अधिक वादी हैं वहां उनमें से किसी एक या अधिक को उनमें से कोई अन्य वादी किसी भी कार्यवाही में उस अन्य के लिए उपसंजात होने, अभिवचन करने या कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा और उसी प्रकार से, जहां एक से अधिक प्रतिवादी है वहां उनमें से एक या अधिक को उनमें से कोई अन्य प्रतिवादी किसी भी कार्यवाही में उस अन्य के लिए उपसंजात होने, अभिवचन करने या कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा ।

(2) वह प्राधिकार लिखित रुप में होगा और उसे देने वाले पक्षकार द्वारा हस्ताक्षरित होगा और न्यायालय में फाइल किया जाएगा ।

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 52 करा (1-2-1977 से) अन्त: स्थापित किया गया ।
2. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 52 द्वारा (1-2-1977 से) "वाद" के स्थान पर

प्रतिस्थापित किया गया ।

13. असंयोजन या कुसंयोजन के बारे में आक्षेप- पक्षकारों के असंयोजन या कुसंयोजन के आधार पर सभी आक्षेप यथासंभव शीघ्रतम अवसर पर किए जाएंगे और सभी मामलों में जिनमें विवाद्य स्थिर किए जाते है, ऐसे स्थिरीकरण के समय या उससे पहले किए जाएंगे, जब तक कि आक्षेप का आधार पीछे पैदा न हुआ हो और यदि आक्षेप ऐसे नहीं किया जाता है तो वह आक्षेप अधित्यक्त कर दिया गया समझा जाएगा ।

आदेश 2

वाद की विरचना

1. वाद की विरचना- हर वाद की विरचना यावत्साध्य ऐसे की जाएगी कि विवादग्रस्त विषयों पर अंतिम विनिश्चय करने के लिए आधार प्राप्त हो जाए और उनसे सम्पृक्त अतिरिक्त मुकदमेबाजी का भी निवारण हो जाएं।

2. वाद के अन्तर्गत संपूर्ण दावा होगा- (1) हर वाद के अन्तर्गत वह पूरा दावा होगा जिसे उस वाद-हेतुक के विषय में करने का वादी हकदार है, किन्तु वादी वाद को किसी न्यायालय की अधिकारिता के भीतर लाने की दृष्टि से अपने दावे के किसी भाग का त्याग कर सकेगा ।

(2) दावे के भाग का त्याग- जहां वादी अपने दावे के किसी भाग के बारे में वाद लाने का लोप करता है या उसे साशय त्याग देता है वहां उसके पश्चात् वह इस प्रकार लोप किए गए या त्यक्त भाग के बारें में वाद नहीं लाएगा ।

(3) कई अनुतोषों में से एक के लिए वाद लाने का लोप- एक ही वाद-हेतुक के बारे में एक से अधिक अनुतोष पाने का हकदार व्यक्ति ऐसे सभी अनुतोषों या उनमें से किसी के लिए वाद ला सकेगा, किन्तु यदि वह ऐसे सभी अनुतोषों के लिए वाद लाने का लोप न्यायालय की इजाजत के बिना करता है तो उसके पश्चात् वह इस प्रकार लोप किए गए किसी भी अनुतोष के लिए वाद नहीं लाएगा ।

स्पष्टीकरण- इस नियम के प्रयोजनों के लिए, कोई बाध्यता और उसके पालन के लिए सांपार्शिवक प्रतिभूति और उसी बाध्यता के अधीन उद्भूत उत्तरोत्तर दावों के बारे में यह समझा जाएगा कि वे क्रमश: एक ही वाद-हेतुक गठित करते हैं ।

राज्य संशोधन

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा संशोधन- आदेश 2 नियम 2 में उत्तर प्रदेश राज्य में इसकी प्रयोज्यता में-

(क) अस्तित्वयुक्त स्पष्टीकरण को स्पष्टीकरण 1 के कप में क्रमांकित किया जाएगा और इस प्रकार क्रमांकित स्पष्टीकरण 1 के उपरांत निम्नानुसार स्पष्टीकरण 2 को अंतस्थापित किया जाएगा-

"स्पष्टीकरण 2- इस नियम के प्रयोजन के लिए अचल संपत्ति से उसे किराये पर दी गयी अचल संपत्ति से निष्कासन का दावा या उस संपत्ति के उपयोग एवं अधिवास के लिए भाड़ा या प्रतिकर के रुप में देय राशि का दावा को सुभिन्न वादकारणौ संबंध मे दावों को होने के रूप में समझा जावेगा | "

(ख) उदाहरण के लिए निम्नानुसार उदाहरण को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

3. वाद-हेतुक का संयोजन–(1) उसके सिवाय जैसा अन्यथा उपबन्धित है, वादी उसी प्रतिवादी या संयुक्तत: उन्हीं प्रतिवादियों के विरुद्ध कई वाद-हेतुक एक ही वाद में संयोजित कर सकेगा और ऐसे वाद-हेतुक रखने वाले कोई भी वादी जिनमें वे उसी प्रतिवादी या संयुक्ततः उन्हीं प्रतिवादियों के विरुद्ध संयुक्ततः हितबद्ध हों, ऐसे वाद-हेतुकों को एक ही वाद में संयोजित कर सकेंगे ।

(2) जहां वाद-हेतुक संयोजित किए जाते है,वहां वाद के सम्बन्ध में न्यायालय की अधिकारिता संकलित विषय-वस्तुओं की उस रकम या मूल्य पर निर्भर होगी जो वाद के संस्थित किए जाने की तारीख पर है ।

4. स्थावर सम्पत्ति के प्रत्युद्धरण के लिए केवल कुछ दावों का संयोजित किया जाना- जब तक कि न्यायालय की इजाजत न हो स्थावर सम्पत्ति के प्रत्युद्धरण के लिए वाद में निम्नलिखित के सिवाय कोई भी वाद-हेतुक संयोजित नहीं किया जाएगा-

(क) उस दावाकृत सम्पत्ति या उसके किसी भाग के अन्तःकालीन लाभों या भाटक की बकाया के लिए दावे;

(ख) जिस संविदा में अधीन वह सम्पत्ति या उसका कोई भाग धारित है उसके भंग के लिए नुकसानी के लिए दावे; तथा

(ग) वे दावे जिनमें चाहा गया अनुतोष उसी वाद-हेतुक पर आधारित है :

परन्तु इस नियम की किसी भी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि यह पुरोबन्ध या मोचन के किसी वाद में के किसी भी पक्षकार को यह मांग करने से निवारित करती है कि बन्धक- सम्पत्ति का उसे कब्जा दिलाया जाए ।

5. निष्पादक, प्रशासक या वारिस दारा या उसके विरुद्ध दावे-- किसी निष्पादक, प्रशासक या वारिस द्वारा या उसके विरुद्ध उसका उस हैसियत में लाया गया कोई भी दावा वैयक्तिक रुप से उसके द्वारा या उसके विरुद्ध लाए गए उन दावों से तब तक संयोजित नहें किया जाएगा जब तक कि अन्तिम वर्णित दावों के बारे में यह अभिकथन न किया गया हो कि वे उस सम्पदा के बारे में पैदा हुए है या जिनके बारे में निष्पादक, प्रशासक या वारिस की हैसियत में वादी वाद लाया है या प्रतिवादी पर वाद लाया गया है या जब तक कि अन्तिम वर्णित दावे ऐसे न हों जिनके लिए वह उस मृत व्यक्ति के साथ, जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है, संयुक्ततः हकदार या दायी था ।

[1]**[6. पृथक् विचारण का आदेश देने की न्यायालय की शक्ति-** जहां न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि एक ही वाद में वाद-हेतुकों के संयोजन से विचारण में उलझन या विलम्ब हो जाएगा या ऐसा करना अन्यथा असुविधाजनक होगा वहां न्यायालय पृथक विचारण का आदेश दे सकेगा या ऐसा अन्य आदेश दे सकेगा जो न्याय के हित में समीचीन हो ।

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 53 द्वारा (1-2-1977 से) नियम 6 के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।

7. कुसंयोजन के बारे में आक्षेप- वाद-हेतुकों के कुसंयोजन के आधार पर सभी आक्षेप यथा संभव शीघ्रतम अवसर पर किए जाएंगे और ऐसे सभी मामलों में जिनमें विवाद्यक स्थिर किए जाते है, ऐसे स्थिरीकरण के समय या उससे पहले किए जाएंगे, जब तक कि आक्षेप का आधार पीछे पैदा न हुआ हो और यदि ऐसे आक्षेप किया जाता है तो वह आक्षेप अधित्यक्त कर दिया गया समझा जाएगा |

उच्च न्यायालय संशोधन

राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- दिनांक 14-8-1964 की अधिसूचना क्रमांक 33 एस.आर.ओ. के द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 2 में निम्नानुसार नियम 8 को अन्तःस्थापित किया गया है -

"8(1) जहां न्यायालय द्वारा ऐसी आपत्ति अनुज्ञात कर दी गयी है तो वादी को उस वाद कारण को चयन करना अनुज्ञात किया जाएगा जिस पर वह कार्यवाही करेगा और न्यायालय द्वारा नियत किये गये समय के भीतर शेष वाद कारण को समाप्त करते हुए वादपत्र को संशोधित करेगा।

(2) जब वादी ने उस वाद कारण को चयन कर लिया हो जिस पर वह कार्यवाही करेगा तो न्यायालय उसके आवेदन पर ऐसा समय देते हुए जिसके भीतर वह शेष वादकारणों के संबंध में संशोधित वादपत्रों को प्रस्तुत कर सके और न्यायशुल्क दे सके आदेश कर सकेगा,यदि वादी न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करता है तो न्यायालय आदेश 6 के नियम 18 में यथा प्रावधानित व न्यायालय फीस अधिनियम के प्रावधानों द्वारा यथाअपेक्षानुसार कार्यवाही करेगा ।

पंजाब उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- दिनांक 12-5-19090 की अधिसूचना क्रमांक 2212- जी के द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 2 में निम्नानुसार नियम 8 को अन्तःस्थापित किया गया है -

"8 (1) जहां न्यायालय द्वारा ऐसी सम्यक रूप से ली गयी आपत्ति अनुज्ञात कर दी गयी है तो वादी को उस वाद कारण को चयन करना अनुज्ञात किया जाएगा जिस पर वह कार्यवाही करेगा और न्यायालय द्वारा नियत किये गये समय के भीतर शेष वाद कारण को समाप्त करते हुए वादपत्र को संशोधित करेगा ।

(2) जब वादी ने उस वाद का रण को चयन कर लिया हो जिस पर वह कार्यवाही करेगा तो न्यायालय उसके आवेदन पर ऐसा समय देते हुए जिसके भीतर वह शेष वादकारणों के संबंध में संशोधित वादपत्रों को प्रस्तुत कर सके और न्यायशुल्क दे सके आदेश करेगा,यदि वादी न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करता है तो न्यायालय आदेश 6 के नियम 18 में यथा प्रावधानित व न्यायालय फीस अधिनियम के प्रावधानों द्वारा यथाअपेक्षानुसार कार्यवाही करेगा ।"

दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- देहली में पंजाब की तरह ही संशोधन किया गया है ।

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय दारा संशोधन- हिमाचल प्रदेश में भी पंजाब की तरह संशोधन किया गया है ।

निर्णयज विधि

संहिता का आदेश 1 एवं आदेश 2 आवश्यक पक्षकारों को एवं वादकारण को व्यवहत करता है । संहिता के आदेश 1 नियम 13 में यह प्रावधानित किया गया है कि पक्षकारों के असंयोजन अथवा कुसंयोजन के आधार पर होने वाली सभी आपत्तियों को यथासंभव आरंभिक अवसर पर लिया जाना चाहिए । समान तौर
पर संहिता के आदेश 2 नियम 7 में यह प्रावधानित किया गया है कि कुसंयोजन के आधार पर अथवा वादकारण के आधार पर होने वाली सभी आपत्तियों को संभव आरंभिक अवसर पर उठाया जाना अपेक्षित होता है । इस प्रावधान के पीछे निहित विचार यह है कि वादी को संरक्षित किया जा सके और उसे विचारण के अंत में आश्चर्य का सामना न करना पड़े और इस आधार पर परास्त होना न पड़े । इसीलिए विधायिका ने यह प्रावधानिक करना उपयुक्त समझा था कि ऐसी आपत्ति को यथासंभव शीघ्र अवसर पर लिया जाना चाहिए । यदि ऐसा नहीं किया जाता तो यह माना जाएगा कि इन्हें अधित्यजित कर दिया गया है ।

आदेश 3

मान्यता प्राप्त अभिकर्ता और प्लीडर

1. उपसंजातियां, आदि स्वयं या मान्यताप्राप्त अभिकर्ता वारा या प्लीडर द्वारा की जा सकेंगी- किसी भी न्यायालय में या उससे कोई भी ऐसी उपसंजाति, आवेदन या कार्य, जिसे ऐसे न्यायालय में करने के लिए कोई पक्षकार विधि द्वारा अपेक्षित या प्राधिकृत है, वहां के सिवाय जहां तत्समय प्रवृत्त किसी विधि

द्वारा अभिव्यक्त रुप से अन्यथा उपबन्धित हो, पक्षकार द्वारा स्वयं या उसके मान्यता प्राप्त अभिकर्ता द्वारा या उसकी ओर से, [1][यथास्थिति, उपसंजात होने वाले, आवेदन करने वाले या कार्य करने वाले] उसके प्लीडर द्वारा किया जा सकेगा :

परन्तु यदि न्यायालय ऐसा निदिष्ट करे तो ऐसी उपसंजाति स्वयं पक्षकार द्वारा की जाएगी ।

1. 1926 के अधिनियम सं. 22 की धारा 2 द्वारा "कार्य करने के लिए सम्यक् रुप से नियुक्त" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।

2. मान्यताप्राप्त अभिकर्ता- पक्षकारों के जिन मान्यताप्राप्त अभिकर्ता द्वारा ऐसी उपसंजातियां, आवेदन और कार्य किए जा सकेंगे वे निम्नलिखित है:-

(क) ऐसे मुख्तारनामे धारित करने वाले व्यक्ति जिनमें उन्हें ऐसे पक्षकारों की ओर से ऐसी उपसंजातियां, आवेदन और कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया गया है;

(ख) जहां का कोई भी अन्य अभिकर्ता ऐसी उपसंजातियों, आवेदनों और कार्यो को करने के लिए अभिव्यक्त रुप से प्राधिकृत नहीं है वहां ऐसे व्यक्ति जो उन पक्षकारों के लिए और उनके नाम से व्यापार या कारबार करते है, जो पक्षकार उस न्यायालय की अधिकारिता की उन स्थानीय सीमाओं में निवास नहीं करते है जिन सीमाओं के भीतर ऐसी उपरपंजाति, आवेदन या कार्य ऐसे व्यापार या कारबार की ही बाबत किया जाता है ।

उच्च न्यायालय संशोधन

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय संशोधन- मध्य प्रदेश में खंड (क) को निम्नानुसार संशोधित किया गया है-

"(क) ऐसे पक्षकारों की ओर से (1) या तो सामान्य मुख्त्यारनामा, या (2) उच्च न्यायालय में कार्यवाही की दशा में, मध्यप्रेश उच्च न्यायालय में उस उच्च न्यायालय का अधिवक्ता और किसी जिले में कार्यवाही के मामले में अधिवक्ता या प्लीडर जिसको जिले के लिए सनद जारी की गयी है ऐसे पक्षकारों से जो न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के जिसके भीतर उपस्थित होना है या आवेदन दिया जाना है या कार्य किया जाना है निवासी न हो, ऐसी उपस्थिति, ऐसे पक्षकारों की ओर से आवेदन देने या कार्य करने के लिए उसे या उन्हें प्राधिकृत करने वाले अपेक्षित मुख्त्यारनामा को धारण करते हों ।"

(इस बाबत म.प्र. राजपत्र, भाग 4 (ग) दिनांक 16.9.1960 अवलोकनीय है ।)

गुजरात उच्च न्यायालय संशोधन- गुजरात में खंड (क) को निम्नानुसार संशोधित किया गया है-

"(क) ऐसे पक्षकारों की ओर से (1) या तो सामान्य मुख्त्यारनामा, या (2) उच्च न्यायालय में कार्यवाही की दशा में, गुजरात उच्च न्यायालय में अधिवक्ता और किसी जिले में कार्यवाही के मामले में अधिवक्ता या प्लीडर जिसको जिले के लिए सनद जारी की गयी है ऐसे पक्षकारों से जो न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के जिसके भीतर उपस्थित होना है या आवेदन दिया जाना है या कार्य किया जाना है निवासी न हो, ऐसी उपस्थिति, ऐसे पक्षकारों की ओर से आवेदन देने या कार्य करने के लिए उसे या उन्हें प्राधिकृत करने वाले अपेक्षित मुख्त्यारनामा को धारण करते हों ।"

3. मान्यताप्राप्त अभिकर्ता पर आदेशिका की तामील–(1) जब तक न्यायालय अन्यथा निदिष्ट नहीं करता, किसी पक्षकार के मान्यताप्राप्त अभिकर्ता पर तामील की गई आदेशिकाएं वैसे ही प्रभावी होंगी मानों उनकी तामील स्वयं पक्षकार पर की गई हो ।

(2) जो उपबन्ध वाद के किसी पक्षकार पर आदेशिका की तामील के लिए है वे उसके मान्यताप्राप्त अभिकर्ता पर आदेशिका की तामील को लागू होंगे ।

[1][4. **प्लीडर की नियुक्ति---** (1) कोई भी प्लीडर किसी भी न्यायालय में किसी भी व्यक्ति के लिए कार्य नहीं करेगा जब तक कि वह उस व्यक्ति द्वारा ऐसी लिखित दस्तावेज द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त न किया गया हो जो उस व्यक्ति द्वारा या उसके मान्यताप्राप्त अभिकर्ता द्वारा या ऐसी नियुक्ति करने के लिए मुख्तारनामे द्वारा या उसके अधीन सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित है ।

(2) हर ऐसी नियुक्ति [1][न्यायालय में फाइल की जाएगी और उपनियम (1) के प्रयोजनों के लिए] तब तक प्रवृत्त समझी जाएगी जब तक वह न्यायालय की इजाजत से ऐसे लेख द्वारा पर्यवसित न कर दी गई हो जो, यथास्थिति, मुवक्किल या प्लीडर द्वारा हस्ताक्षरित है और न्यायालय में फाइल कर दिया गया है या जब तक मुवक्किल या प्लीडर की मृत्यु न हो गई हो या जब तक वाद में की उस मुवक्किल से संबंधित समस्त कार्यवाहियों का अन्त न हो गया हो ।

स्पष्टीकरण- इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित को वाद में की कार्यवाही समझा जाएगा,-

(क) वाद में डिक्री या आदेश के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन;

(ख) वाद में की गई किसी डिक्री या आदेश के सम्बन्ध में इस संहिता की धारा 144 या धारा 152 के अधीन आवेदन;

(ग) वाद में की किसी डिक्री या आदेश की अपील; और

(घ) वाद में पेश की गई या फाइल की गई दस्तावेजों की प्रतियां या उन दस्तावेजों की वापसी अभिप्राप्त करने या वाद के सम्बन्ध में न्यायालय में जमा किए गए धनों का प्रतिदाय अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए आवेदन या कार्य ।]

[4][(3) उपनियम (2) की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह-

(क) प्लीडर और उसके मुवक्किल के बीच उस अवधि का विस्तार करती है जिसके लिए प्लीडर मुकर्रर किया गया है, या

(ख) उस न्यायालय से भिन्न जिसके लिए प्लीडर मुकर्रर किया गया था, किसी न्यायालय द्वारा जारी की गई किसी सूचना या दस्तावेज को प्लीडर पर उस दशा को छोड़कर तामील करना प्राधिकृत करती है जिसमें मुवक्किल उपनियम (1) में निर्दिष्ट दस्तावेज में ऐसी तामील के लिए अभिव्यक्त रुप से सहमत हो गया है ।]

1. 1926 के अधिनियम सं. 22 की धारा 2 द्वारा मूल नियम 4 के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।
2. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 54 द्वारा (1-2-1977 से) कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।
3. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 54 द्वारा (1-2-1977 से) अन्तःस्थापित किया गया ।
4. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 54 द्वारा (1-2-1977 से) उपनियम (3) के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।

(4) उच्च न्यायालय साधारण आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगा कि जहां वह व्यक्ति जिसके द्वारा प्लीडर नियुक्त किया जाता है, अपना नाम लिखने में असमर्थ है वहा प्लीडर को नियुक्त करने वाली दस्तावेज पर उसका चिह्न ऐसे व्यक्ति के द्वारा और ऐसी रीति से अनुप्रमाणित किया जाएगा जो उस आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

(5) जो कोई प्लीडर केवल अभिवचन करने के प्रयोजन से मुकर्रर किया गया है वह किसी पक्षकार की ओर से तब तक अभिवचन नहीं करेगा जब तक उसने स्वहस्ताक्षरित और निम्नलिखित का कथन करने वाला उपसंजाति का ज्ञापन न्यायालय में फाइल न कर दिया हो-

(क) वाद के पक्षकारों के नाम,

(ख) उस पक्षकार का नाम, जिसके लिए वह उपसंजात हो रहा है, तथा

(ग) उस व्यक्ति का नाम जिसके द्वारा वह उपसंजात होने के लिए प्राधिकृत किया गया है:

परन्तु इस उपनियम की कोई भी बात ऐसे किसी प्लीडर को लागू नहीं होगी जो किसी पक्षकार की ओर से अभिवचन करनेके लिए ऐसे किसी अन्य प्लीडर द्वारा मुकर्रर किया गया है जिसे ऐसे पक्षकार की ओर से न्यायालय में कार्य करने के लिए सम्यक् रूप से नियुक्त किया गया है ।

उच्च न्यायालय संशोधन

1. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय दारा संशोधन- म.प्र. में उपनियम (3) निम्नानुसार रुप में प्रतिस्थापित किया गया है-

(3) उपनियम (3) के प्रयोजन के लिए-

(i) इस संहिता की धारा 22,24 या 25 के अंतर्गत अंतरण की कार्यवाही या आवेदन-पत्र ।

(ii) इस संहिता के आदेश 9 के नियम 4 या नियम 9 या नियम 13 के अंतर्गत आवेदन ।

(iii) इस संहिता के आदेश 37 नियम 4 के अंतर्गत आवेदन ।

(iv) निर्णय के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन ।

(v) वाद से या उसके बाहर से उत्पन्न निर्देश ।

(Vi) वाद की डिक्री या आदेश या अभिलेख या वाद से या बाहर से उत्पन्न अपील या निर्देश या पुनरीक्षण में संशोधन के लिए आवेदन ।

(vii) वाद में किसी डिक्री या आदेश के निष्पादन के लिए आवेदन ।

(viii) इस संहिता की धारा 144 या धारा 151 के अंतर्गत प्रत्यास्थापना के लिए आवेदन ।

(ix) इस संहिता की धारा 151 के अंतर्गत आवेदन ।

(x) इस संहिता की धारा 152 के अंतर्गत आवेदन ।

(xi) कोई अपील (उच्च न्यायालय के लेटर्स पेटेन्ट के अंतर्गत अपील को शामिल करते हुए) या पुनरीक्षण आवेदन वाद या वाद से उत्पन्न अपील में किसी डिक्री या आदेश से ।

(xii) वाद से या (उच्च न्यायालय के लेटर्स पेटेन्ट के अंतर्गत अपील की अनुमति अथवा सर्वोच्च न्यायालय को अपील की अनुमति के आवेदन को शामिल करते हुए) उत्पन्न ऐसी अपील या पुनरीक्षण निर्देश से संबंधित या उत्पन्न होने वाला कोई आवेदन ।

(xiii) किसी वाद या वर्णित किसी कार्यवाही या उत्पन्न अपील या पुनरीक्षण या ऐसे आवेदन या कार्यवाही में या से पारित किसी आदेश से उत्पन्न पुनरीक्षण से संबंधित दण्ड प्रक्रिया संहिता 1898 के अध्याय 35 के अंतर्गत अभियोजन के लिए निर्देशित करने के लिए आवेदन या कार्यवाही ।

(xiv) वाद या यहाँ पूर्व में वर्णित किसी कार्यवाही पेश या प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों या दस्तावेजों के रिटर्न की प्रतिलिपियाँ प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए कोई आवेदन या कृत्य ।

(xv) वाद या यहाँ के पूर्व वर्णित किसी कार्यवाही के संबंध में न्यायालय में भुगतान या जमा की गई राशि में रा रिफण्ड या भुगतान निकालने या प्राप्त करने के लिए आवेदन कॉस्ट की

प्रतिभूति के रूप में जमा या सर्वोच्च न्यायालय को अपील के अभिलेख के तैयार करने या मुद्रण करने की लागत से आच्छादित राशि को निकालने रिफण्ड या भुगतान करने को शामिल करते हुए) ।

(xvi) किसी वाद या वाद में या से उत्पन्न किसी! अपील पुनरीक्षण निर्देश पुनर्विलोकन में दिए गए निर्णय में या अभिलेख की टिप्पणी या अभिनिर्धारण को निकालने के लिए आवेदन ।

(xvii) वाद से उत्पन्न सर्वोच्च न्यायालय की अपील में वारिसों को प्रतिस्थापित करने के संबंध में प्रमाण पत्र के लिए आवेदन |

(xviii) संहिता के आदेश 44 नियम 45 के अंतर्गत किसी आवेदन को वाद में कार्यवाही होना समझा जावेगा ।

2. **इलाहबाद उच्च न्यायलय डरा संशोधन-** (1) उपनियम (2) में स्पष्टीकरण में खंड (क) के उपरांत निम्नानुसार खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा - "(क)" वाद में आदेश के पुनरीक्षण की कार्यवाही (21-3-1981)

(2) उपनियम (2) में अस्तित्व्युक्त खंड (घ) के उपरांत निम्न नवीन खंड (ड.) को जोड़ें-

"(ड.) संहिता की धारा 22,24 या 25 के अंतर्गत अंतरण हेतु आवेदन या कार्यवाही;

(च) इस संहिता के आदेश 9 के नियम 4 या नियम 9 या नियम 13 के अंतर्गत आवेदन ।

(छ) इस संहिता के आदेश 37 नियम 4 के अंतर्गत आवेदन

(ज) वाद से उत्पन्न कोई निदेश

(झ) वाद में किसी डिक्री था आदेश के निष्पादन का आवेदन

(त्र) इस उपनियम के खान (क) से (झ) में निर्दिष्ट किसी कार्यवाही से संबंधित या आनुषंगिक या उत्पन्न कोई आवेदन (उच्चतम न्यायलय को अपील करने की अनुमति के लिए आवेदन को शामिल करते हुए) परन्तु यह कि जहां वाद या कार्यवाही का स्थल एक न्यायालय (अधीनस्थ या अन्यथा) से अन्य स्थल पर स्थित अन्य को परिवर्तित हो जाता है तो पूर्व के न्यायालय में उपनियम (2) में निर्दिष्ट नियुक्ति प्रस्तुत करने वाला प्लीडर पश्चातवर्ती न्यायालय में उपस्थित होनेकार्य करने,प्लीड करने के लिए आबद्ध नहीं होगा जब तक कि वह उसके द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन कि उसे उसके मुवक्किल से उस न्यायालय में उपस्थित होने, कार्य करने या प्लीड करने के निर्देश हैं प्रस्तुत नहीं करता है अथवा इसे पूर्व में ही प्रस्तुत न कर दिया गया हो । "

3. राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- अधिसूचना क्रमांक 33 एस. आर. ओ 21.7.1954 के द्वारा राजस्थान में निम्न संशोधन किया गया है-

(क) पुराने उपनियम (3) में शब्दों "वाद में आदेश" और "कोई आवेदन या कृत्य" के बीच शब्दों या "ऐसी अपील के संबंध में कोई आवेदन" अंतःस्थापित किया गया है ।

(ख) निम्नानुसार उपनियम (5) अंतःस्थापित किया गया है-

" (6) आदेश 27 नियम 8 (ख) के आशय के अधीन कोई शासकीय अधिवक्ता से कार्य करने के लिए उसे सशक्त किए जाने वाले किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी परंतु ऐसा प्लीडर उसके स्वयं के द्वारा हस्ताक्षरित एवं उपनियम (6) में वर्णित विवरण बताते हुए प्रस्तुत करेगा ।"

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि पुराने उपनियम (3) के उपबंध, 8 उपनियम (2) के स्पष्टीकरण में पुन: विरचित किए गए हैं ।

4. पटना उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- पटना के उच्च न्यायालय द्वारा निम्नानुसार उपनियम (4) प्रतिस्थापित किया गया है-

"(4) सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की प्रथम अनुसूची के आदेश 3 नियम 4 (3) में अंतर्निहित किसी

बात के होते हुए भी किसी व्यक्ति के लिए उपस्थित होने आवेदन देने या कार्य करने के लिए हकदार नहीं होगा जब तक कि वह ऐसे व्यक्ति या उसके मान्यता प्राप्त अभिकर्ता या उसकी ओर से मुख्तारनामे के द्वारा कार्य करने के लिए सम्यक रुप में प्राधिकृत अन्य अभिकर्ता द्वारा सम्यक् रूप से हस्जाक्षरीत लिखित में नियुक्ति पत्र प्रस्तुत नहीं करता है अथवा जब तक कि उसे ऐसे व्यक्ति की ओर से कार्य करने के लिए प्राधिकृत अटार्नी या प्लीडर द्वारा निर्देशित नहीं कियाजाता है । "

5. 1976 के अधिनियम द्वारा संशोधन- 1976 के संशोधन अधिनियम क्रमांक 104 के द्वारा उपनियम (2) के अंत में स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया गया है ।

5. प्लीडर पर आदेशिका की तामील- [1][किसी आदेशिका के बारे में, जिसकी तामील ऐसे प्लीडर पर कर दी गई है जिसे किसी पक्षकार की ओर से न्यायालय में कार्य करने के लिए सम्यक् रूप से नियुक्त किया गया है] या जो ऐसे प्लीडर के कार्यालय में या उस स्थान में जहां वह मामूली तौर से निवास करता है छोड़ दी गई है चाहे वह पक्षकार की स्वीय उपसंजाति के लिए हो या नहीं, यह उपधारणा की जाएगी कि वह उस पक्षकार को सम्यक् रुप से संसूचित कर दी गई है और ज्ञात करा दी गई है जिसका प्रतिनिधित्व वह प्लीडर करता है और जब तक न्यायालय अन्यथा निर्दिष्ट न करे तब तक वह समस्त प्रयोजनों के लिए वैसे ही प्रभावी होगी मानों स्वयं पक्षकार को वह दी गई थी या स्वंय पक्षकार पर उसकी तामील की गई है |

1. 1976 के अधिनियम सन. 104 की धारा 54 द्वारा (1-2-1977 से) कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।

उच्च न्यायालय संशोधन

पटना उच्च न्यायालय वारा संशोधन- अधिसूचना दिनांक 26-7-1948 के द्वारा निम्नानुसारनवीन नियम 5-ख जोड़ा गया है-

“5-ख. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की प्रथम अनुसूची के आदेश 3 के नियम 4 के उपनियम (2) व (3) में अन्तर्निहित किसी बात के होते हुए भी कोई भी प्लीडर किसी व्यक्ति के लिए उच्च न्यायालय में कार्य नहीं करेगा जब तक कि वह इस प्रयोजन के लिए उपनियम (1) में विहित रीति में नियुक्त न किया गया हो और नियुक्ति को उच्च न्यायालय में प्रस्तुत न किया गया हो ।"

राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- अधिसूचना क्रमांक 33 एस.आर.ओ. दिनांक 21-7-1954 के द्वारा राजस्थान में नियम 3 के उपरांत निम्न उपनियम (6) को जोडा गया है -

“(6) आदेश 27 नियम 8-ख के आशय के लिए किसी शासकीय अधिवक्ता से उसे कार्य करने के लिए सशक्त करने वाले किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी परन्तु ऐसा अधिवक्ता उसके द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन जिसमें उपनियम(5)में वर्णित विवरण हो, दे सकेगा ।

6. अभिकर्ता तामील का प्रतिग्रहण करेगा–(1) नियम 2 में वर्णित मान्यताप्राप्त अभिकर्ताओं के अतिरिक्त ऐसा कोई व्यक्ति जो न्यायालय की अधिकारिता के भीतर निवारन करता है, आदेशिका की तामील का प्रतिग्रहण करने के लिए अभिकर्ता नियुक्त किया जा सकेगा ।

(2) नियुक्ति लिखित में होगी और न्यायालय में फाइल की जाएगी-- ऐसी नियुक्ति विशेष या साधारण हो सकेगी और ऐसी लिखत द्वारा की जाएगी जो मालिक द्वारा हस्ताक्षरित हो और ऐसी लिखत या यदि नियुक्ति साधारण है तो उसकी प्रमाणित प्रति न्यायालय में फाइल की जाएगी ।

[1][(3) न्यायालय, वाद के किसी ऐसे पक्षकार को जिसका कोई ऐसा मान्यताप्राप्त अभिकर्ता नहीं है

जो न्यायालय की अधिकारिता के भीतर निवास करता है अथवा जिसका कोई ऐसा प्लीडर नहीं है जो उसकी ओर से न्यायालय में कार्य करने के लिए सम्यक् रूप से नियुक्त किया गया है, वाद के किसी भी प्रक्रम पर यह आदेश दे सकेगा कि वह अपनी ओर से आदेशिका की तामील का प्रतिग्रहण करने के लिए विनिर्दिष्ट समय के भीतर ऐसा अभिकर्ता नियुक्त करे जो न्यायालय की अधिकारिता के भीतर निवास करता है ।]

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 54 द्‌वारा (1-2-1977 से) अन्त: स्थापित किया गया ।

आदेश 4

वादों का संस्थित किया जाना

1. वादपत्र द्‌वारा वाद प्रारंभ होगा- (1) हर वाद न्यायालय को या उसके द्‌वारा इस निर्मित्त नियुक्त किसी अधिकारी को [1][दो प्रतियों में वादपत्र उपस्थित करके] संस्थित किया जाएगा ।

(2) हर वादपत्र आदेश 6 और 7 में अंतर्विष्ट नियमों का वहां तक अनुपालन करेगा जहा तक वह लागू किए जा सकते हैं ।

[2][(3) वादपत्र तब तक सम्यक् रुप से संस्थित किया गया नहीं समझा जाएगा जब तक वह उपनियम (1) और उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट अपे क्षाओं का अनुपालन नहीं करता है ।]

उच्च न्यायालय संशोधन

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय संशोधन- अधिसूचना क्रमांक 4084/ 35 (ए) - 3 (7) दिनांक 24-7-1926 के द्‌वारा संहिता के मूल नियम 1 (1) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया गया है -

"1 (1) प्रत्येक वाद को वादपत्र की साधारण कागज पर इतनी सत्यप्रतिलिपियों के साथ जितने कि प्रतिवादी हैं प्रत्येक प्रतिवादी को समन के साथ निर्वाहित किये जाने के लिए न्यायालय में या ऐसे अधिकारी को जिसे कि इस संबंध मे नियुक्त किया जाए को प्रस्तुत करने के द्‌वारा संस्थित किया जाएगा जब तक कि न्यायालय अच्छे दर्शित कारणों से ऐसी प्रतिलिपियों को प्रस्तुत करने के लिए समय को अनुज्ञात नहीं करे

(2) ऐसी तामीली के लिए प्रभारयोग्य न्यायालय फीस वादों के मामले में उस समय प्रस्तुत की जाएगी जबकि वादपत्र प्रस्तुत किया जाता है और अन्य कार्यवाही के मामले में जबकि आदेशिका के लिए आवेदन किया जाता है । "

इलाहाबाद उच्च न्यायालय संशोधन-- अधिसूचना क्रमांक 4084/35 (ए) - 3 (7) दिनांक 24-7-1926 के द्‌वारा संहिता के मूल नियम 1 (1) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया गया है-

1. 1999 के अधिनियम सं. 46 की धारा 14 द्‌वारा (1-7-2002 से) कतिपय शब्दो के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
2. 1999 के अधिनियम सं. 46 की धारा 14 द्‌वारा (1-7-2002 से) अंतःस्थापित ।

" 1(1) प्रत्येक वाद को प्रत्येक प्रतिवादी को समन के साथ निर्वाहित की जाने वाली सत्य प्रतिलिपि के साथ न्यायालय में या ऐसे अधिकारी को जिसे कि इस संबंध मे नियुक्त किया जाए को प्रस्तुत करने के द्‌वारा संस्थित किया जाएगा, जब तक कि न्यायालय अच्छे दर्शित कारणों से ऐसी प्रतिलिपियों को प्रस्तुत करने के लिए समय को अनुज्ञात नहीं करे

(2) ऐसी तामीली के लिए प्रभारयोग्य न्यायालय फीस वादों के मामले में उस समय प्रस्तुत की जाएगी जबकि वादपत्र प्रस्तुत किया जाता है और अन्य कार्यवाही के मामले में जबकि आदेशिका के लिए आवेदन किया जाता है । "

राजस्थान उच्च न्यायालय संशोधन- अधिसूचना क्रमांक 33/ एस.न.आर.ओ. 21-7-1954 के द्वारा- संहिता के मूल नियम 1 (1) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया गया है -

"1(1) प्रत्येक वाद को वादपत्र की साधारण कागज पर इतनी सत्यप्रतिलिपियों के साथ जितने कि प्रतिवादी हैं प्रत्येक प्रतिवादी को समन के साथ निर्वाहित किये जाने के लिए न्यायालय में या ऐसे अधिकारी को जिसे कि इस संबंध मे नियुक्त किया जाए को प्रस्तुत करने के द्वारा संस्थित किया जाएगा, जब तक कि न्यायालय अच्छे दर्शित कारणों से ऐसी प्रतिलिपियों को प्रस्तुत करने के लिए समय को अनुज्ञात नहीं करे

(2) ऐसी तामीली के लिए प्रभारयोग्य न्यायालय फीस वादों के मामले में उस समय प्रस्तुत की जाएगी जबकि वादपत्र प्रस्तुत किया जाता है और अन्य कार्यवाही के मामले में जबकि आदेशिका के लिए आवेदन किया जाता है । "

2. वादों का रजिस्टर- न्यायालय हर वाद की विशिष्टियों को, उस प्रयोजन के लिए रखी गई में जो सिविल वादों का रजिस्टर कहलाएगी, प्रविष्ट कराएगा । ऐसी प्रविष्टियां हर वर्ष उसी क्रम में संख्यांकित होगी जिसमें वादपत्र ग्रहण किए गए हैं ।

राज्य संशोधन

उत्तर प्रदेश राज्य संशोधन- उत्तर प्रदेश राज्य में इसकी प्रयोज्यता में आदेश 4 के उपरांत निम्नानुसार आदेश को अंतःस्थापित किया जाएगा-

"आदेश 4क

मामलों का समेकन

1. वादों और कार्यवाहियों का समेकन- जहाँ दो या अधिक वाद या कार्यवाहियाँ समान न्यायालय में लंबित हैं, और न्यायालय की यह राय है कि न्यायहित में यह समीचीन है कि, तो यह निर्देश कोई है आदेश द्वारा उनके संयुक्त विचारण का निर्देश दे सकेगा, जिस पर ऐसे सभी वाद एवं कार्यवाहियाँ सभी अथवा ऐसे किन्हीं वाद या कार्यवाही में की साक्ष्य के आधार पर निराकृत की जा सकेंगी ।"

(उत्तर प्रदेश अधिनियम (1976 का 57) (1.1.1977)

1. 2002 के अधिनियम सं. 22 की धारा 6 द्वारा (1-7-2002 से) उपनियम (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

आदेश 5

समनों का निकाला जाना और उनकी तामील

समनों का निकाला जाना

1. समन- [1][(1) जब वाद सम्यक् किया जा चुका हो तब, उस प्रतिवादी पर, समन के तामील की

तारीख से तीस दिन के भीतर उपसंजात होने और दावे का उत्तर देने तथा अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन, यदि कोई हो, फाइल करने के लिए, समन निकाला जा सकेगा:

परंतु जब प्रतिवादी, वाद-पत्र के उपस्थित किए जाने पर ही उपजात हो जाए और वादी का दावा स्वीकार कर ले तब कोई समन नहीं निकाला जाएगा:

परंतु यह और कि जहां प्रतिवादी, तीस दिन की उक्त अवधि के भीतर लिखित कथन फाइल करने में असफल रहता है, वहां उसे ऐसे किसी अन्य दिन को फाइल करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा जो न्यायालय द्वारा उसके लिए कारणों को लेखबद्ध करके, विनिर्दिष्ट किया जाए, किंतु जो समन के तामील की तारीख से नब्बे दिन के वाद का नहीं होगा]।

(2) वह प्रतिवादी, जिसके नाम उपनियम (1) के अधीन समन निकाला गया है-

(क) स्वयं, अथवा

(ख) ऐसे प्लीडर द्वारा, जो सम्यक् रूप से अनुदिष्ट हो और वाद से संबंधित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर देने के लिए समर्थ हो, अथवा

(ग) ऐसे प्लीडर द्वारा, जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति है जो ऐसे सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए समर्थ है, उपसंजात हो सकेगा ।

(3) हर ऐसा समन न्यायाधीश या ऐसे अधिकारी द्वारा, जो वाद नियुक्त करे, हस्ताक्षरित होगा और उस पर न्यायालय की मुद्रा लगी होगी ।

उच्च न्यायालय संशोधन

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- अधिसूचना दिनांक 24-7-1926 के द्वारा " या यदि ऐसा अनुज्ञात किया गया हो तो एक संक्षिप्त कथन होगा " शब्दों को विलोपित किया गया है ।

राजस्थान उच्च न्यायालय दारा संशोधन- अधिसूचना क्रमांक 33/ एस. आर. ओ. दिनांक
21-7-1954 के द्वारा " या यदि ऐसा अनुज्ञात किया गया हो तो एक संक्षिप्त कथन होगा" शब्दों को विलोपित किया गया है ।

3. न्यायालय प्रतिवादी या वादी को स्वयं उपसंजात होने के लिए आदेश दे सकेगा- (1) जहां न्यायालय के पास प्रतिवादी की स्वीय उपसंजाति अपेक्षित करने के लिए कारण हो वहां समन द्वारा यह आदेश किया जाएगा कि समन में विनिर्दिष्ट तारीख को वह न्यायालय में स्वंय उपसंजात हो ।

(2) जहां न्यायालय के पास वादी की उसी दिन स्वीय उपसंजाति अपेक्षित करने के लिए कारण हो वहां वह ऐसी उपसंजाति के लिए आदेश करेगा ।

1. 1999 के अधिनियम सं. 48 की धारा 14 द्वारा (1-7-2002 से) उपनियम (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

4. किसी भी पक्षकार को स्वयं उपसंजात होने के लिए तब तक आदेश नहीं किया जाएगा जब तक कि वह किन्हीं निश्चित सीमाओं के भीतर निवासी न हो- किसी भी पक्षकार को स्वयं उपसंजात होने के लिए केवल तभी आदेश किया जाएगा जब वह-

(क) न्यायालय की मामूली आरंभिक अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर निवास करता है, अथवा

(ख) ऐसी सीमाओं के बाहर किंतु ऐसे स्थान में निवास करता है जो न्यायसदन से पचास मील से

कम या (जहां उस स्थान के जहां वह निवास करता है और उस स्थान के जहां न्यायालय स्थित है, बीच पंचषष्ठाश दूरी तक रेल या स्टीमर संचार या अन्य स्थापित लोक प्रवहण है वहां) दो सौ मील से कम दूर है ।

उच्च न्यायालय संशोधन

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- अधिसूचना दिनांक 24-7-1926 के द्वारा निम्नानुसार नियम 4- क जोड़ा गया है-

"4-क अन्यथा प्रावधानित किया गया है उसके सिवाय, प्रत्येक अन्तवर्तीय कार्यवाही में और विचारण न्यायालय मे डिक्री के उपरांत प्रत्येक कार्यवाही में, न्यायालय या तो किसी पक्ष के आवेदन पर या उसकी स्वप्रेरणा से किसी प्रतिवादी पर जो कि उपस्थित नहीं हुआ है या किसी ऐसे प्रतिवादी पर जिसने कि लिखित कथन प्रस्तुत नहीं किया है,तामील को अभिमुक्त कर सकेगा ।"

5. समन या तो विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए या अंतिम निपटारे के लिए होगा- न्यायालय समन निकालने के समय यह अवधारित करेगा कि क्या वह केवल विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए होगा या वाद के अंतिम निपटारे के लिए होगा और समन में तदनुसार निदेश अंतर्विष्ट होगा:

परंतु लघुवाद न्यायालय द्वारा सुने जाने वाले हर वाद में समन वाद के अंतिम निपटारे के लिए होगा ।

6.प्रतिवादी की उपसंजाति के लिए दिन नियत किया जाना- [1][नियम 1 के उपनियम (1) के अधीन] दिन, न्यायालय के चालू कारबार, प्रतिवादी के निवास-स्थान और समन की तामील के लिए आवश्यक समय के प्रति निर्देश से नियत किया जाएगा और वह दिन ऐसे नियत किया जाएगा कि प्रतिवादी को ऐसे दिन उपसंजात होने और उत्तर देने को समर्थ होने के लिए पर्याप्त समय मिल जाए ।

1. 1999 के अधिनियम सं. 46 की धारा 15 द्वारा (1-7-2002 से) कतिपय शब्दो के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

7. समन प्रतिवादी को यह आदेश देगा कि वह वे दस्तावेजें पेश करें जिन पर वह निर्भर करता है- उपसंजाति और उत्तर के लिए समन में प्रतिवादी को आदेश होगा कि वह अपने कब्जे या शक्ति में की ऐसी [1][आदेश 8 के नियम 1क में विनिर्दिष्ट सब दस्तावेजों या उनकी प्रतियों] को पेश करे जिन पर अपने मामले के समर्थन में निर्भर करने का उसका आशय है ।

8. अंतिम निपटारे के लिए समन निकाले जाने पर प्रतिवादी को यह निदेश होगा कि वह अपने साक्षियों को पेश करे- जहाँ समन वाद के अंतिम निपटारे के लिए है वहां उसमें प्रतिवादी को यह निदेश भी होगा कि जिन साक्षियों के साक्ष्य पर अपने मामले के समर्थन में निर्भर करने का उसका आशय है उन सब को उसी दिन पेश करे जो उसकी उपसंजाति के लिए नियत है ।

समन की तामील

[2]**[9. न्यायालय द्वारा समय का परिदान-** (1) जहां प्रतिवादी उस न्यायालय की अधिकारिता के भीतर निवास करता है, जिसमें वाद संस्थित किया गया है या उस अधिकारिता के भीतर निवास करने वाला उसका ऐसा अभिकर्ता है, जो समन की तामील का प्रतिग्रहण करने के लिए सशक्त है, वहां समन जब तक

कि न्यायालय अन्यथा निदेश न करे उचित अधिकारी को, उसके द्‌वारा या उसके अधीनस्थों में से एक या ऐसी कूरियर सेवा द्‌वारा, जो न्यायालय अनुमोदित हो तामील किए जाने के लिए परिदत्त किया या भेजा जाएगा ।

1. 1999 के अधिनियम सं. 46 की धारा 15 द्‌वारा (1-7-2002 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
2. 2002 के अधिनियम सं. 22 की धारा 6 द्‌वारा (1-7-2002 से) नियम 9 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(2) उचित अधिकारी उस न्यायालय से भिन्न, जिसमें वाद संस्थित किया गया है, किसी न्यायालय का अधिकारी हो सकेगा और जहां वह ऐसा अधिकारी है वहां समन उसे ऐसी रीति से भेजा जा सकेगा जो न्यायालय निदेश दे ।

(3) समन की तामील, प्रतिवादी या तामील का प्रतिग्रहण करने के लिए सशक्त किए गए उसके किसी अभिकर्ता का संबांधित रसीदी रजिस्ट्री डाक द्‌वारा अथवा स्पीड पोस्ट द्‌वारा अथवा ऐसी कूरियर सेवा द्‌वारा, जो उच न्यायालय या उपनियम (1) में निर्दिष्ट न्यायालय द्‌वारा अनुमोदित हो, अथवा उच्च न्यायालय द्‌वारा बनाए गए नियमों में यथा उपबंधित दस्तावेजों (जिसके अंतर्गत फैक्स संदेश या इलेक्ट्रानिक डाक सेवा भी है) के पारेषण के किसी अन्य साधन द्‌वारा उसकी एक प्रति के प्रतिदान या पारेषण द्‌वारा की जा सकेगी:

परंतु यह कि इस उपनियम के अधीन समन की तामील वादी के खर्च पर की जाएगी ।

(4) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई प्रतिवादी उस न्यायालय की अधिकारिता के बाहर निवास करता है, जिसमें वाद संस्थित किया गया है और न्यायालय यह निदेश देता है कि उस प्रतिवादी को समनों की तामील ऐसे माध्यम से की जाए, जैसा कि उपनियम (3) में निर्दिष्ट है (रसीदी रजिस्ट्रीकृत डाक से भिन्न), वहां नियम 21 के उपबंध लागू नहीं होंगे ।

(5) जब कोई अभिस्वीकृति या अन्य पावती, जिस पर प्रतिवादी या उसके अभिकर्ता द्‌वारा हस्ताक्षर होने तात्पर्यित हैं, न्यायालय द्‌वारा प्राप्त की जाती है अथवा डाक वस्तु, जिसमें समन अंतर्विष्ट है, न्यायालय द्‌वारा वापस प्राप्त किए जाते हैं जिस पर डाक कर्मचारी या कूरियर सेवा द्‌वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्‌वारा किया गया इस आशय का पृष्ठांकन तात्पर्यित है कि प्रतिवादी या उसके अभिकर्ता ने जब समन उसे भेजे गए या पारेषित किए गए थे तो उस डाक वस्तु का परिदान लेने से इकार कर दिया है । जिसमें समन अंतर्विष्ट थे अथवा उपनियम (3) में विनिर्दिष्ट किसी अन्य साधन से लेने से इंकार कर दिया है, तो समन निकालने वाला न्यायालय यह घोषणा करेगा कि समन सम्यक् रूप से प्रतिवादी पर तामील कर दिए गए हैं:

परंतु जहां समन उचित रुप में पता लिखकर, उस पर पूर्व संदाय करके और रसीदी रजिस्ट्री डाक द्‌वारा सम्यक् रुप से भेजा गया था, वहां इस उपनियम में निर्दिष्ट घोषणा इस तथ्य के होते हुए भी की जाएगी कि अभिस्वीकृति खो जाने या इधर-उधर हो जाने या किसी अन्य कारण से समन निकालने की तारीख से तीस दिन के भीतर न्यायालय द्‌वारा प्राप्त नहीं हुई है ।

(6) यथास्थिति, उच्च न्यायालय या जिला न्यायाधीश, उपनियम (1) के प्रयोजनों के लिए कूरियर अभिकरणों का एक पैनल तैयार करेगा ।

9क. तामील के लिए वादी को समन का दिया जाना- (1) न्यायालय, नियम 9 के अधीन समन की तामील के अतिरिक्त, वादी के आवेदन पर, प्रतिवादी के उपसंजात होने के लिए समन जारी करने के लिए

ऐसे वादी को ऐसे प्रतिवादी पर ऐसे समनों को तामील करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा और ऐसे मामले में ऐसे वादी को तामील के लिए समन का परिदान करेगा ।

(2) न्यायालय के न्यायाधीश या ऐसे अधिकारी द्वारा, जो वह इस निमित्त नियुक्त करे, हस्ताक्षरित और न्यायालय की मुद्रा से मुद्रांकित ऐसे समनों की तामील, ऐसे वादी द्वारा या उसकी ओर से उसकी एक प्रति वैयक्तिक रूप से प्रतिवादी को देकर या निविदान करके की जाएगी या तामील की ऐसी पद्धति से की जाएगी जो नियम 9 के उपनियम (3) में उल्लिखित है ।

(3) नियम 16 और नियम 18 के उपबंध इस नियम के अधीन वैयक्तिक रुप से तामील किए समनों पर उसकी प्रकार लागू होंगे मानो तामील करने वाला व्यक्ति एक तामील करने वाला अधिकारी था ।

(4) यदि ऐसे समनों को, उनके निविदत्त किए जाने पर, प्राप्त करने से इंकार किया जाता है या तामील किया गया व्यक्ति तामील की अभिस्वीकृति पर हस्ताक्षर करने से इंकार करता है या किसी कारणवश ऐसा समन व्यक्तिगत रूप से तामील नहीं किया जा सकता है या तो न्यायालय, पक्षकार के आवेदन पर, न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को तामील की जाने वाली रीति से तामील किएजाने के लिए समना को पुन: जारी करेगा ।

उच्च न्यायालय संशोधन

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- नियम 9 के उपनियम (3) के रुप में निम्नानुसार को जोड़िए--

"उपनियम 1 में इंगित प्रक्रिया के बजाए, अथवा इसके अलावा, ऐसे समन प्रतिवादी को ऐसे स्थान पर जहाँ वह निवास करता है अथवा कारबार करता है अथवा लाभ के लिए कार्य करता है अथवा अभिकर्ता को जहाँ कि वह रहता है को संबोधित रजिस्टर्ड डाक के द्वारा निर्वाहित किया जा सकता है । जब तक कि आवरण उचित पता के अभाव में अथवा अन्य किसी समुचित कारण से पोस्ट फिर द्वारा बिना परिदान के वापिस नहीं आता है तो समन को पाने वाले को उस समय जबकि इसे सामान्य अनुक्रम में उसके पास पहुँच जाना चाहिए था परिदान होना समझा जाएगा । "

10. तामील का ढंग- समन की तामील उसकी ऐसी प्रति के परिदान या निविदान द्वारा की जाएगी जो न्यायाधीश या ऐसे अधिकारी द्वारा जो वह इस निमित्त नियुक्त करे, हस्ताक्षरित हो और जिस पर न्यायालय की मुद्रा लगी हो ।

उच्च न्यायालय संशोधन

पटना उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- परंतु यह कि किसी मामले में न्यायालय, इसकी स्वप्रेरणा से, अथवा वादी के आवेदन पर, प्रतिवादी को इस नियम में प्रतिवादी निर्वहन की रीति के अलावा डाक द्वारा समन भेज सकेगा। प्रतिवादी द्वारा हस्ताक्षरित होने के लिए आशयित अभिस्वीकृति अथवा पोस्टल सेवक के द्वारा किया गया पृष्ठांकन कि प्रतिवादी ने परिदान प्राप्त करने से इंकार किया था को समन जारी करने वाले न्यायालय द्वारा तामील के प्रथम दृष्टया के रूप में समझा जाएगा ।

राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- निम्नानुसार परंतुक जोड़िए--

"परंतु यह किसी मामले में न्यायालय इसके विवेक पर प्रतिवादी को इस नियम में प्रतिपादित निर्वहन की रीति के अलावा रजिस्टर्ड डाक द्वारा समन भेज सकेगा । प्रतिवादी द्वारा हस्ताक्षरित होने के लिए आशयित अभिस्वीकृति अथवा पोस्टल सेवक के द्वारा किया गया पृष्ठांकन कि प्रतिवादी ने परिदान प्राप्त करने से इंकार किया था को समन जारी करने वाले न्यायालय द्वारा तामील के प्रथम दृष्टया के रूप में समझा जाएगा ।" (14.8.1954)

11. अनेक प्रतिवादियों पर तामील- अन्यथा विहित के सिवाय जहां एक से अधिक प्रतिवादी हैं, वहां समन को तामील हर एक प्रतिवादी पर की जाएगी ।

12. जब साक्ष्य हो तब समन की तामील स्वयं प्रतिवादी पर, अन्यथा उसके अभिकर्ता पर की जाएगी- जहां कहीं भी वह साक्ष्य हो वहा तामील स्वयं प्रतिवादी पर की जाएगी किंतु यदि तामील का प्रतिग्रहण करने के लिए सशक्त उसका कोई अभिकर्ता है तो उस पर उसकी तामील पर्याप्त होगी ।

13. उस अभिकर्ता पर तामील जिसके दारा प्रतिवादी कारबार करता है- (1) किसी कारबार या काम से संबंधित किसी ऐसे वाद में जो किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध है, जो उस न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर निवास नहीं करता है जिसने समन निकाला है, किसी भी ऐसे प्रबंधक या अभिकर्ता पर तामील या अभिकर्ता पर तामील ठीक तामील समझी जाएगी जो तामील के समय ऐसी सीमाओं के भीतर ऐसे व्यक्ति के लिए स्वय ऐसा कारबार या काम करता है ।

(2) पोत के मास्टर के बारे में इस नियम के प्रयोजन के लिए यह समझा जाएगा कि वह स्वामी या भाड़े पर लेने वाले व्यक्ति का अभिकर्ता है ।

14. स्थावर सम्पत्ति के वादों में भारसाधक अभिकर्ता पर तामील- जहां स्थावर सम्पत्ति की बाबत अनुतोष या उसके प्रति किए गए दोष के लिए प्रतिकर अभिप्राप्त करने के बाद में तामील स्वयं प्रतिवादी पर नहीं की जा सकती और प्रतिवादी का उस तामील का प्रतिग्रहण करने के लिए सशक्त कोई अभिकर्ता नहीं है वहां तामील प्रतिवादी के किसी ऐसे अभिकर्ता पर की जा सकेगी जो उस सम्पत्ति का भारसाधक है

[1][**15. जहां तामील प्रतिवादी के कुटुम्ब के वयस्क सदस्य पर की जा सकेगी-** जहां किसी वाद में प्रतिवादी अपने निवास-स्थान में उस समय अनुपस्थित है जब उस पर समन की तामील उसके निवास-स्थान पर की जानी है और युक्तियुक्त समय के भीतर उसके निवास-स्थान पर पाए जाने की संभावना नहीं है और समन की तामील का उसकी ओर से प्रतिग्रहण करने के लिए सशक्त उसका कोई अभिकर्ता नहीं है वहां तामील प्रतिवादी के कुटुम्ब के ऐसे किसी वयस्क सदस्य पर, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, की जा सकेगी जो उसके साथ निवास कर रहा है ।

स्पष्टीकरण- इस नियम के अर्थ में सेवक कुटुम्ब का सदस्य नहीं है ।]

16. वह व्यक्ति जिस पर तामील की गई है, अभिस्वीकृति हस्ताक्षरित करेगा- जहां तामील करने वाला अधिकारी समन की प्रति स्वयं प्रतिवादी को, या उसके निमित्त अभिकर्ता को या किसी अन्य व्यक्ति को, परिदत्त करता है या निविदत्त करता है वहां जिस व्यक्ति को ऐसे प्रति ऐसे परिदत्त या निविदत्त की गई है उससे वह अपेक्षा करेगा कि वह मूल समय पर पृष्ठांकित तामील की अभिस्वीकृति पर अपने हस्ताक्षर करे ।

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 55 द्वारा (1-2-1977 से) नियम 15 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

17. जब प्रतिवादी तामील का प्रतिग्रहण करने से इंकार करे या न पाया जाएं तब प्रक्रिया- जहां

प्रतिवादी या उसका अभिकर्ता या उपरोक्त जैसा अन्य व्यक्ति अभिस्वीकृति पर हस्ताक्षर करने से इंकार करता है, या जहां तामील करने वाला अधिकारी सभी सम्यक् और युक्तियुक्त तत्परता बरतने के पश्चात् ऐसे प्रतिवादी को न पा सके, [1][जो अपने निवास-स्थान से उस समय अनुपस्थित है, जब उस पर समन की तामील उसके निवास-स्थान पर की जानी है और युक्तियुक्त समय के भीतर उसके निवास-स्थान पर पाए जाने की संभावना नहीं है] और ऐसा कोई अभिकर्ता नहीं है जो समन की तामील का प्रतिग्रहण उसकी ओर से करने के लिए सशक्त है और न कोई ऐसा अन्य व्यक्ति है या कारबार करता है या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता है, बाहरी द्वार पर या किसी अन्य सहजदृश्य भाग पर समन की एक प्रति लगाएगा और तब वह मूल प्रति को उस पर पृष्ठांकित या उससे उपाबद्ध ऐसी रिपोर्ट के साथ, जिसमें यह कथित होगा कि उसने प्रति को ऐसे लगा दिया है और वे कौन सी परिस्थितियाँ थीं जिनमें उसने ऐसा किया, कथित होंगी और जिसमें उस व्यक्ति का (यदि कोई हो) नाम और पता कथित होगा जिसने गृह पहचाना था और जिसकी उपस्थिति में प्रति लगाई गई थी, उस न्यायालय को लौटाएगा जिसने समन निकाला था ।

उच्च न्यायालय संशोधन

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- अधिसूचना 16.9.1960 के द्वारा नियम के अंत में निम्नानुसार परंतुक जोडा गया है -

"परन्तु यह कि जहां विशेष तामील जारी की गयी है और प्रतिवादी अभिस्वीकृति पर हस्ताक्षर करने से इंकार करता है, तो यहां के पूर्व में यथा निर्देशित प्रतिलिपि को चस्पा करना आवश्यक नहीं होगा ।

"18. तामील करने के समय और और रीति का पृष्ठांकन- तामील करने वाला अधिकारी उन सभी दशाओं में, जिनमें समन की तामील नियम 16 के अधीन की गई है उस समय को जब और उस रीति को जिससे समन की तामील की गई थी और यदि ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने उस व्यक्ति को, जिस पर तामील की गई है, पहचाना था और जो समन के परिदान या निविदान का साक्षी रहा था तो उसका नाम और पता कथित करने वाली विवरणी मूल समन पर पृष्ठांकित करेगा या कराएगा या मूल समन से उपाबद्ध करेगा या कराएगा ।

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 55 द्वारा (1-2-1977 से) अंतःस्थापित ।

19. तामील करने वाले अधिकारी की परीक्षा- जहां समन नियम 17 के अधीन लौटा दिया गया है वहां तामील करने वाले अधिकारी की परीक्षा उसकी अपनी कार्यवाहियों की बाबत न्यायालय स्वंय या किसी अन्य न्यायालय द्वारा उस दशा में करेगा या कराएगा जिसमें उस नियम के अधीन विवरणी तामील करने वाले अधिकारी द्वारा शपथपत्र द्वारा सत्यापित नहीं की गई है और उस दशा मेंकर सकेगा या करा सकेगा जिसमें वह ऐसे सत्यापित की गई है और उस मामले में ऐसी अतिरिक्त जाँच कर सकेगा जो वह ठीक समझे और या तो वह घोषित करेगा कि समन की तामील समन रुप से हो गई है या ऐसी तामील का आदेश करेगा जो वह ठीक समझे ।

19क. [1][.................... लुप्त]

20. प्रतिस्थापित तामील- (1) जहां न्यायालय का समाधान हो जाता है कि यह विश्वास करने के लिए कारण है कि प्रतिवादी इस प्रयोजन से कि उस पर तामील न होने पाए, सामने आने से बचता है या समन की तामील मामूली प्रकार से किसी अन्य कारण से नहीं की जा सकती वहां न्यायालय आदेश देगा कि समन की तामील उसकी एक प्रति न्यास-सदन के किसी सहजदृश्य स्थान में लगाकर और (यदि ऐसा कोई

गृह हो) तो उस गृह के, जिसमें प्रतिवादी का अंतिम बार निवास करना या कारबार या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करना ज्ञात है, किसी सहजदृश्य भाग पर भी लगा कर या ऐसी रीति से, जो न्यायालय ठीक समझे, की जाए ।

[2][(1) क जहां उपनियम (1) के अधीन कार्य करने वाला न्यायालय समाचारपत्र में विज्ञापन द्वारा तामील का आदेश करता है वहां वह समाचारपत्र ऐसा दैनिक समाचारपत्र होगा जिसका परिचालन उस स्थानीय क्षेत्र में होता है, जिसमें प्रतिवादी का अंतिम बार वास्तव में और स्वेच्छा से निवास करना या कारबार करना या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करना ज्ञात है ।

1. सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1999 के द्वारा नियम 19- क यथा लुप्त ।
2. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 55 द्वारा (1-2-1977 से) अंतःस्थापित ।

(2) प्रतिस्थापित तामील का प्रभाव- न्यायालय के आदेश द्वारा प्रतिस्थापित तामील इस प्रकार प्रभावी होगी मानो वह स्वयं प्रतिवादी पर की गई हो ।

(3) जहां तामील प्रतिस्थापित की गई हो वहां उपसंजाति के लिए समय का नियत किया जाना- जहां तामील न्यायालय के आदेश द्वारा प्रतिस्थापित की गई है वहां न्यायालय प्रतिवादी को उपसंजाति के लिए ऐसा नियत करेगा जो उस मामले में अपेक्षित हो ।

[1]**[20क. डाक द्वारा समन की तामील]-** सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का 104) की धारा 55 द्वारा (1-2-1977 से) निरसित ।

21. जहां प्रतिवादी किसी अन्य न्यायालय की अधिकारिता के भीतर निवास करता है वहां समन की तामील- समन को वह न्यायालय, जिसने उसे निकाला है, अपने अधिकारियों में से किसी द्वारा [2][या डाक द्वारा या ऐसी कूरियर सेवा द्वारा जो उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित हो, फैक्स संदेश द्वारा या इलेक्ट्रानिक डाक सेवा या ऐसे किन्हीं अन्य साधन द्वारा जिसका उपबंध उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा किया जाएगा] राज्य के भीतर या बाहर ऐसे किसी न्यायालय को भेज सकेगा (जो उच्च न्यायालय न हो) जिसकी उस स्थान में अधिकारिता है जहां प्रतिवादी निवास करता है ।

1. 1956 के अधिनियम सं. 66 की धारा 14 द्वारा अंतःस्थापित ।
2. 1999 के अधिनियम सं. 46 की धारा 15 द्वारा (1-7-2002 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

उच्च न्यायालय संशोधन

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- अधिसूचना क्रमांक 6634 व 6635 दिनांक 23.9.1932 के द्वारा नियम 21- क के रुप में निम्न नियम को शामिल किया गया है -

"21 क- पूर्वाक्त नियमों मे अन्तर्निहित किसी बात के होते हुए भी, प्रतिवादी को संबोधित इसके स्वयं के न्यायालय की अथवा भारत में के अन्य किसी भी न्यायालय के तामील को ऐसे स्थान पर जहां कि वह सामान्य तौर पर निवास करता है या कारबार करता है करायेगा और उसे अभिस्वीकृति के लिए पूर्व भुगतान की गयी रजिस्टर्ड डाक भेजेगा वशर्त कि ऐसा स्थान अकोला रेवेन्यू तालूक में कस्बा या ग्राम हो । प्रतिवादी द्वारा हस्ताक्षरित होना आशयित अभिस्वीकृति अथवा पोस्टल सेवक का इस आशय का पृष्ठांकन

कि प्रतिवादी ने तामील करने से इंकार कर दिया को तामील जारी करने वाले न्यायालय के द्वारा तामील का प्रथमदृष्टया प्रमाण होना माना जावेगा ।"

इलाहाबाद उच्च न्यायालय दारा संशोधन- अधिसूचना क्रमांक 43/7 -डी -29 दिनांक 1.6.1957 के द्वारा आदेश 5 के मूल नियम 21 को, उपनियम (1) के रुप में क्रमांकित किया गया और निम्नानुसार उपनियम (2) को जोडा गया-

"(2) उपनियम (1) में इंगित की गयी प्रक्रिया के स्थान पर या इसके अलावा, ऐसी तामील को इसे प्रतिवादी को संबोधित रजिस्टर्ड डाक के द्वारा ऐसे स्थान पर भेजकर भी जहां कि वह साधारण तौर पर निवास करता है या कारबार चलाता है या लाभ के लिए कार्य करता है, निर्वाहित कराया जा सकता है । जब तक कि उचित पता अभाव के कारण अथवा अन्य समान कारण से पोस्ट आफिस से कवर वापिस नहीं आता है तो समन संबोधिती को ऐसे समय पर जबकि इसे सामान्य अनुक्रम में पहुंच जान चाहिए था,परिदान हो जाना माना जावेगा ।

22. बाहर के न्यायालयों द्वारा निकाले गए समन की प्रेसिडेंसी नगरों में तामील- जहां कलकत्ता, मद्रास, [1][और मुम्बई] नगरों की सीमाओं से परे स्थापित किसी न्यायालय द्वारा निकाले गऐ समन की तामील ऐसी सीमाओं में से किसी सीमा के भीतर की जानी है वहा वह उस लघुवाद न्यायालय को भेजा जाएगा जिसकी अधिकारिता के भीतर उसकी तामील की जाती है ।

उच्च न्यायालय संशोधन

राजस्थान उच्च न्यायालय दारा संशोधन- यहां अधिसूचना क्रमांक 10/एस.आर.ओ. दिनांक 29.6.1957 के द्वारा नियम 22 में निम्नानुसार परंतुक जोडा गया है-

"परन्तु यह कि ऐसी तामील प्रतिवादी को ऐसे स्थान पर संबोधित की जा सकेगी जहां कि प्रतिवादी निवास कर रहा है एवं उसे न्यायालय के द्वारा अभिस्वीकृति के लिए रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजा जा सकेगा । प्रतिवादी द्वारा हस्ताक्षरित होना आशयित अभिस्वीकृति अथवा पोस्टल सेवक का इस आशय का पृष्ठांकन कि प्रतिवादी ने तामील करने से इंकार कर दिया को तामील जारी करने वाले न्यायालय के द्वारा तामील का प्रथम दृष्टया प्रमाण होना माना जावेगा अन्य सभी मामलों में न्यायालय ऐसी जांच करेगा जो कि वह उचित समझे और या तो तामील का सम्यक् तौर पर निर्वाहित होना घोषित करेगा या ऐसी अन्य तामील का आदेश करेगा जो उसकी राय में आवश्यक हो "

1. भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "मुम्बई और रंगून" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

बंबई उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- यहां अधिसूचना दिनांक 1.11.1966 के द्वारा नियम 22 में निम्नानुसार परंतुक जोडा गया है-

"परन्तु यह कि जहां ऐसी कोई तामील ग्रेटर बाम्बे की सीमाओं के भीतर की जानी हो, इसे प्रतिवादी को ऐसे स्थान पर संबोधित किया जाएगा जिसकी सीमाओं के भीतर वह निवास कर रहा है (अथवा जहां साधारण तौर पर कारबार करता है) एवं उसे न्यायालय के द्वारा अभिस्वीकृति के लिए रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजा जा सकेगा । प्रतिवादी द्वारा हस्ताक्षरित होना आशयित अभिस्वीकृति अथवा पोस्टल सेवक का इस आशय का पृष्ठांकन कि प्रतिवादी ने तामील करने से इंकार कर दिया को तामील जारी करने वाले न्यायालय

के द्वारा तामील का प्रथमदृष्टया प्रमाण होना माना जावेगा । अन्य सभी मामलों में न्यायालय ऐसी जांच करेगा जो कि वह उचित समझे और या तो तामील समन तौर पर निर्वाहित होना घोषित करेगा या ऐसी अन्य तामील का आदेश करेगा जो उसकी राय में आवश्यक हो "

23. जिस न्यायालय को समन भेजा गया है उसका कर्तव्य- वह न्यायालय, जिसको समन नियम 21 या नियम 22 के अधीन भेजा गया है, उसकी प्राप्ति पर इस भांति असर होगा मानो वह उसी न्यायालय द्वारा निकाला गया था और तब वह उससे संबंधित अपनी कार्यवाहियों के अभिलेख के (यदि कोई हो) सहित समन उसे निकालने वाले न्यायालय को वापस भेज देगा ।

24, कारागार में प्रतिवादी पर तामील- जहां प्रतिवादी जहां प्रतिवादी कारगार में परिरुद्ध है वहां समन भारसाधक अधिकारी को प्रतिवादी पर तामील के लिए परिदत्त किया जाएगा या [1][डाक द्वारा या ऐसी कूरियर सेवा द्वारा जो उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित हो, फैक्स संदेश द्वारा या इलेक्ट्रानिक डाक सेवा द्वारा या किसी अन्य साधन द्वारा जिसका उपबंध उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा] किया जाए भेजा जाएगा ।

25. वहां तामील, जहां प्रतिवादी भारत के बाहर निवास करता है और उसका कोई अभिकर्ता नहीं है- जहां प्रतिवादी [2][भारत] के बाहर निवास करता है और उसका [3][भारत] में ऐसा कोई अभिकर्ता नहीं है जो तामील प्रतिगृहीत करने के लिए सशक्त है वहां, यदि ऐसे स्थान और उस स्थान के बीच जहां न्यायालय स्थित है, डाक द्वारा संचार है तो, समन उस प्रतिवादी को उस स्थान के पते पर, जहां वह निवास कर रहा है या डाक द्वारा या ऐसी कूरियर सेवा द्वारा जो उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित हो, फैक्स संदेश द्वारा या इलेक्ट्रानिक डाक सेवा या किसी अन्य साधन द्वारा जिसका उपबंध उच न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा किया जाए :]

1. 1999 के अधिनियम सं. 46 की धारा 15 द्वारा (1-7-2002 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
2. 1951 के अधिनियम सं. 2 की धारा 3 द्वारा “राज्यो” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
3. 1951 के अधिनियम सं. 2 की धारा 3 द्वारा "राज्यों" के स्थान पर प्रतिस्थापित |
4. 1999 के अधिनियम सं. 46 की धारा 15 द्वारा (1-7-2002 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[1][परंतु जहां ऐसा प्रतिवादी [2][बंगलादेश या पाकिस्तान में निवास करता है] वहां समन उसकी एक प्रति के सहित, प्रतिवादीपर तामील के लिए उस देश के किसी ऐसे न्यायालय कों भेजा जा सकेगा (जो उच्च न्यायालय न हो) जिसकी उस स्थान में अधिकारिता है जहां प्रतिवादी निवास करता है:

परंतु यह और कि जहां ऐसा कोई प्रतिवादी [3][बंगलादेश या पाकिस्तान में को लोक अधिकार है (जो, यथास्थिति, बंगलादेश या पाकिस्तान की सेना, नौसेना या वायु सेना का नहीं है) या उस देश में की रेल कम्पनी या स्थानीय प्राधिकारी का सेवक है वहा समन उसकी एक प्रति के सहित, उस प्रतिवादी पर तामील के लिए उस देश के ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी को भेजा जा सकेगा जिसे केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे ।]

उच्च न्यायालय संशोधन

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- अधिसूचना 16-9-1960 के द्वारा निम्न संशोधन किया गया-

(क) पद 1 में शब्द 'करेगा' को 'कर सकेगा' किया गया है ।

(ख) निम्नानुसार नवीन नियम 25-क को जोडा गया है-

“25-क. वहां तामील जहां प्रतिवादी भारत के बाहर निवास करता है- जहां प्रतिवादी भारत के भीतर निवास करता है न्यायालय तामील की अन्य रीति के अलावा रजिस्टर्ड डाक से प्रतिवादी को ऐसे स्थान पर जहां वह निवास कर रहा है और व्यापार कर रहा है तामील भेज सकेगा प्रतिवादी द्वारा हस्ताक्षरित होना आशयित अभिस्वीकृति अथवा पोस्टल सेवक का इस आशय का पृष्ठांकन कि प्रतिवादी ने तामील करने से इंकार कर दिया को तामील जारी करने वाले न्यायालय के द्वारा तामील का प्रथमदृष्टया प्रमाण होना माना जावेगा । "

1. 1951 के अधिनियम सं. 19 की धारा 2 द्वारा अंतः स्थापित ।

2. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 55 द्वारा (1-2-1977 से) "पाकिस्तान मे निवास करता है" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

3. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 55 द्वारा (1-2-1977 से) कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय दारा संशोधन- अधिसूचना क्रमांक 8/VII-डी- 29 दिनांक 29 -3-1958 जिसे कि बाद में अधिसूचना क्रमांक 69/- - 24-6-1961 के द्वारा संशोधित किया गया इस अस्तित्व्युक्त नियम में निम्नानुसार संशोधन किया गया

"25. वहां तामील, जहां प्रतिवादी भारत से बाहर निवास करता है और उसका कोई अभिकर्ता नहीं है- जहां प्रतिवादी [1][भारत] के बाहर निवास करता है और उसका [2][भारत] में ऐसा कोई अभिकर्ता नहीं है जो तामील प्रतिगृहीत करने के लिए सशक्त है वहां, यदि ऐसे स्थान और उस स्थान के बीच जहां न्यायालय पीठासीन है, डाक द्वारा संचार है तो, समन, जब तक कि न्यायालय अन्यथा निर्देशित नहीं करे, उस प्रतिवादी को उस स्थान के पते पर, जहां वह निवास कर रहा है, रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजा जा सकेगा जब तक कि कवर पोस्ट आफिस से उचित पते अभाव के कारण या अन्य किसी समुचित कारण से अनिर्वाहित नहीं आता है संबोधिती को ऐसे समय पर जबकि इसे सामान्य तौर पर उसे सामान्य अनुक्रम में पहुंच जाना चाहिए था,तामील होना माना जा सकेगा | "

[3]**[26. राजनीतिक अभिकर्ता या न्यायालय की मार्फत विदेशी राज्यक्षेत्र में तामील-** जहां

(क) केंद्रीय सरकार में निहित किसी वैदेशिक अधिकारिता के प्रयोग में किसी ऐसे विदेशी राज्यक्षेत्र में जिसमें प्रतिवादी वास्तव में और स्वैच्छा से निवास करता है, कारबार करता है या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता है, ऐसा राजनीतिक अभिकर्ता नियुक्त किया गया है या न्यायालय स्थापित किया गया है या चालू रखा गया है जिसे उस समन की तामील करने की शक्ति है, जो इस संहिता के अधीन न्यायालय द्वारा निकाला जाए, अथवा

(ख) केंद्रीय सरकार ने किसी ऐसे न्यायालय के बारे में जो किसी ऐसे राज्यक्षेत्र में स्थित है और पूर्वोक्त जैसी किसी अधिकारिता के प्रयोग में स्थापित नहीं किया गया या चालू नहीं रखा गया है, राजपत्र

में अधिसूचना द्वारा घोषणा की है कि न्यायालय द्वारा इस संहिता के अधीन निकाले गए समन की ऐसे न्यायालय द्वारा तामील विधिमान्य तामील समझी जाएगी,
वहां समन ऐसे राजनीतिक अभिकर्ता या न्यायालय को प्रतिवादी पर तामील किए जाने के प्रयोजन के लिए डाक द्वारा या अन्यथा या यदि केंद्रीय सरकार द्वारा इस प्रकार निदेश दिया जाए तो उस सरकार के विदेशी मामलों से संबंधित मंत्रालय की मार्फत या ऐसी अन्य रीति से जो केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए भेजा जा सकेगा और यदि राजनीतिक अभिकर्ता या न्यायालय समन को ऐसे राजनीतिक अभिकर्ता द्वारा या उस न्यायालय के न्यायाधीश या अन्य प्राधिकारी द्वारा किए गए तात्पर्यित इस आशय के पृष्ठांकन के सहित लौटा देता है कि समन कीं तामील प्रतिवादी पर इसमें इसके पूर्व निर्दिष्ट रीति से की जा चुकी है तो ऐसा पृष्ठांकन तामील का साक्ष्य समझा जाएगा ।

1. 1951 के अधिनियम सं. 2 की धारा 3 द्वारा “राज्यों” के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।
2. 1951 के अधिनियम सं. 2 की धारा 3 द्वारा "राज्यों" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।
3. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 55 दारा (1-2-1977 से) नियम 26 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

उच्च न्यायालय संशोधन

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- अधिसूचना दिनांक 26.9.1943 के द्वारा निम्न संशोधन किया गया-

अंतिम पद में शब्द "समन" के उपरांत शब्द "नियम 25 द्वारा अनुज्ञेय रीति के अलावा या इसके स्थान पर " को जोड़ा गया है । इस प्रकार संशोधित रुप इस प्रकार हो गया है-

"वहां समन नियम 25 द्वारा अनुज्ञय रीति के अलावा या इसके स्थान पर, ऐसे राजनीतिक अभिकर्ता या न्यायालय को प्रतिवादी पर तामील किए जाने के लिए डाक द्वारा या अन्यथा या यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रकार निदेश दिया जाए तो उस सरकार के विदेशी मामलो से सम्बन्धित मंत्रालय की मार्फत या ऐसी अन्य रीति से जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, भेजा जा सकेगा और यदि राजनीतिक अभिकर्ता या न्यायालय समन को ऐसे राजनीतिक अभिकर्ता द्वारा या उस न्यायालय के न्यायाधीश या अन्य प्राधिकारी द्वारा किए गए तात्पर्यित इस आशय के पृष्ठांकन के सहित लौटा देता है कि समन की तामील प्रतिवादी पर इसमें इसके पूर्व निदिष्ट रीति से की जा चुकी है तो ऐसा पृष्ठांकन तामील का साक्ष्य समझा जाएगा । "

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- अधिसूचना दिनांक 24.7.1926 के द्वारा निम्न संशोधन किया गया-

अंतिम पद में शब्द "समन" के उपरांत शब्द "नियम 26 द्वारा अनुज्ञेय रीति के अलावा या इसके स्थान पर " को जोडा गया है । इस प्रकार संशोधित रूप इस प्रकार हो गया है-

"वहां समन नियम 25 द्वारा अनुडोय रीति के अलावा या इसके स्थान पर, ऐसे राजनीतिक अभिकर्ता या न्यायालय को प्रतिवादी पर तामील किए जाने के लिए डाक द्वारा या अन्यथा या यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रकार निदेश दिया जाए तो उस सरकार के विदेशी मामलो से सम्बन्धित मत्रालय की मार्फत या ऐसी अन्य रीति से जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, भेजा जा सकेगा और यदि राजनीतिक अभिकर्ता या न्यायालय समन को ऐसे राजनीतिक अभिकर्ता द्वारा या उस न्यायालय के न्यायाधीश या अन्य प्राधिकारी द्वारा किए गए तात्पर्यित इस आशय के पृष्ठांकन के सहित लौटा देता है

कि समन की तामील प्रतिवादी पर इसमें इसके पूर्व निदिष्ट रीति से की जा चुकी है तो ऐसा पृष्ठांकन तामील का साक्ष्य समझा जाएगा ।"

राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- अधिसूचना एस.आर.ओ. क्रमांक 8 जोधपुर दिनांक 23.12.1964 के द्वारा नियम 26 में निम्न परन्तुक अंतःस्थापित किया गया है-

"परन्तु यह कि समन जारी करने वाला न्यायालय, यदि राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन के द्वारा यह निर्देशित करती है कि विदेशी क्षेत्र जिसमें वह न्यायालय स्थित है जिसके संबंध में खंड(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा घोषणा की गयी है एवं जिसमे प्रतिवादी निवास करता है की सरकार या इस संबंध में विनिर्दिष्ट अधिकारी को विदेशी मामलों से संबंधित मंत्रालय अथवा ऐसे प्राधिकारी के मार्फत जिसे कि कथित अधिसूचना में इस संबंध में उपरोक्त कथित ऐसे न्यायालय या विदेशी मंत्रालय के प्राधिकारी द्वारा प्रतिवादी पर तामील कराने के लिए विनिर्दिष्ट किया गया है, समन भेजेगा और यदि ऐसा न्यायालय या अधिकारी समन को ऐसे न्यायालय के न्यायाधीश या अन्य प्राधिकारी या विदेश मंत्रालय के उपरोक्त कथित प्राधिकारी द्वारा किए गए तात्पर्यित इस आशय के पृष्ठांकन के सहित लौटा देता है कि समन की तामील प्रतिवादी पर इसमें इसके पूर्व निदिष्ट रीति से की जा चुकी है तो ऐसा पृष्ठांकन तामील का साक्ष्य समझा जाएगा । "

26क. विदेशों के अधिकारियों को समन का भेजा जाना- जहां केंद्रीय सरकार ने राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी विदेशी राज्यक्षेत्र के बारे में यह घोषणा की है कि उस विदेशी राज्यक्षेत्र में वास्तव में और स्वेच्छा से निवास करने वाले या कारबार करने वाले या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करने वाले प्रतिवादियों पर तामील किए जाने वाले समन विदेशी राज्यक्षेत्र की सरकार के ऐसे अधिकारी को जो केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, भेजे जा सकेंगे वहां समन ऐसे अधिकारी को भारत सरकार के विदेशी मामलों से संबंधित मंत्रालय की मार्फत या ऐसी अन्य रीति से जो केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, भेजे जा सकेंगे और यदि ऐसा अधिकारी किसी ऐसे समन को उसके द्वारा किए गए तात्पर्यित इस पृष्ठांकन के सहित लौटा देता है कि समन की तामील प्रतिवादी पर की जा चुकी है तो ऐसा पृष्ठांकन तामील का साक्ष्य समझा जाएगा ।

1. विधि अनुकूलन आदेश, 1960 द्वारा “हिज मजेस्टी की” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
2. 1927 के अधिनियम सं. 10 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा "नौसेना" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

27. सिविल लोक अधिकारी पर या रेल कम्पनी या स्थानीय प्राधिकारी के सेवक पर तामील- जहां प्रतिवादी लोक अधिकारी है (जो [1][भारतीय] सेना [2][नौसेना या वायुसेना] [1]*** का नहीं है) या रेल कम्पनी या स्थानीय प्राधिकारी का सेवक है वहां, यदि न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि समन की तामील अत्यंत सुविधापूर्वक ऐसे की जा सकती है तो वह उसे उसकी उस प्रति के सहित जो प्रतिवादी द्वारा रख ली जानी हैं । उस कार्यालय के प्रधान को जिसमें प्रतिवादी नियोजित है प्रतिवादी पर तामील के लिए भेज सकेगा ।

उच्च न्यायालय संशोधन

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- इस न्यायालय के द्वारा नियम 27 में टीप के रुप में निम्न जोडा गया है-

“टीप 1. उन सभी प्रधानों की सूची जिन्हें कि दिये गये इन राज्यों के संपूर्ण या भाग में कार्यरत

रेलवे कंपनियों के सेवकों पर तामील के लिए भेजा जाएगा सामान्य नियम सिविल के परिशिष्ट में दी गयी है ।

टीप 2. प्रत्येक मामलों में जहां कि न्यायालय नियम 16 के अन्तर्गत सोलीडर के अलावा अन्य किसी लोक सेवक को तामील जारी करने के लिए उपयुक्त होना देखती है, तो तामील जारी करने के साथ-साथ उस कार्यालय के प्रधान को सूचनापत्र भेजा जाएगा जिसमें कि संबंधित व्यक्ति नियोजित किया गया है ताकि ऐसे व्यक्तियों के कर्तव्यों के संबंध में व्यवस्था की जा सके ।

यदि न्यायालय कानूनगो या पटवारी को समन जारी करना उपयुक्त होना देखती है यह जिले के कलेक्टर को सूचित करेगा और यदि उपपंजीयक को तो जिला पंजीयक जिसके अधीनस्थ वह उपपंजीयक है सूचित करेगा

28 सैनिकों, नौसैनिकों या वायुसैनिकों पर तामील- जहां प्रतिवादी सैनिक, [2][नौसैनिक] या [3][वायुसैनिक] है वहां न्यायालय समन को, उसकी उस प्रति के सहित जो प्रतिवादी द्वारा रख ली जानी है उसके कमान आफिसर को तामील के लिए भेजेगा ।

उच्च न्यायालय संशोधन

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन-- अधिसूचना क्रमांक 1442/59 दिनांक 9.3.1927 के द्वारा वर्तमान नियम 28 को 28 (1) किया है और निम्नानुसार उपनियम (2) (3) (4) (5) जोडे गये हैं-

"(2) जहां ऐसे कमान अधिकारी का पता ज्ञात नहीं है, तो न्यायालय उस स्टेशन के कमान अधिकारी जिसमें कि प्रतिवादी उस समय जबकि वाद कारण उत्पन्न हुआ था, सेवारत था को ऐसा पता प्रदाय करने के लिए, इस नियम के उपनियम (4) में यथाविहित रीति में, आवेदन कर सकेगा ।

1. 1934 के अधिनियम सं. 35 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा "या हिज मजेस्टी की भारतीय समुद्री सेवा" शब्दो का लोप किया गया ।
2. 1934 के अधिनियम सं. 35 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा अंतःस्थापित ।
3. 1927 के अधिनियम सं. 10 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा अंतःस्थापित ।

(3) जहां कि प्रतिवादी भारतीय सैन्य बल का अधिकारी है, जब व्यवहार्य हो तो तामील प्रतिवादी पर व्यक्तिशः की जाएगी ।

(4) यदि ऐसा प्रतिवादी उस न्यायालय की अधिकारिता के बाहर जिसमें कि वाद संस्थित किया गया है या भारत के बाहर निवास करता है तो न्यायालय के मुद्रा व हस्ताक्षर पर न्यायालय उस स्टेशन के कमान अधिकारी जिसमें कि प्रतिवादी उस समय जबकि वादकारण उत्पन्न हुआ था निवास करता था को ऐसे प्रतिवादी का पता देने के लिए आवेदन कर सकेगा और कमांडिग अधिकारी जिसको कि ऐसा आवेदन किया गया है प्रतिवादी का पता अथवा ऐसी सभी जानकारी जो कि देने के लिए उसकी शक्ति के अधीन है जो उसके पते की खोज कर सकती है, देगा ।

(5) जहां व्यक्तिशः तामील संभव नहीं है, तो न्यायालय प्रतिवादी पर इस प्रकार प्रदान किये गये पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा समन जारी करेगा ।

29. उस व्यक्ति का कर्तव्य जिसको समन तामील के लिए परिदत्त किया जाए या भेजा जाए-

(1) जहां समन तामील के लिए किसी व्यक्ति को नियम 24, नियम 27 या नियम 28 के अधीन

परिदत्त किया गया है या भेजा गया है वहां ऐसा व्यक्ति, उसकी तामील, यदि संभव हो, करने के लिए और अपने हस्ताक्षर करके प्रतिवादी की लिखित अभिस्वीकृति के साथ लौटाने के लिए आबद्ध होगा और ऐसे हस्ताक्षर तामील के साक्ष्य समझे जाएंगे ।

(2) जहां किसी कारण से तामील असंभव हो वहा समन ऐसे कारण के और तामील करने के लिए की गई कार्यवाहियों के पूर्ण कथन के साथ न्यायालय को लौटा दिया जाएगा और ऐसा कथन तामील न होने का साक्ष्य समझा जाएगा ।

उच्च न्यायालय संशोधन

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- अधिसूचना क्रमांक 1442/59 दिनांक 5.3.1927 के द्वारा यह संशोधन किया गया है कि "नियम 28" के स्थान पर "नियम 28 (1)" पढा जावे ।

30. समन के बदले पत्र का प्रतिस्थापित किया जाना- (1) इसमें इसके पूर्व अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां न्यायालय की यह राय है कि प्रतिवादी ऐसी पंक्ति का है जो इस बात का हकदार बनाती है कि उसके प्रति ऐसा सम्मानपूर्ण बर्ताव किया जाए वहां वह समन के बदले ऐसा पत्र, प्रतिस्थापित कर सकेगा जो न्यायाधीश द्वारा या ऐसे अधिकारी द्वारा, जो वह इस निमित्त नियुक्त करे, हस्ताक्षरित होगा ।

(2) उपनियम (1) के अधीन प्रतिस्थापित पत्र में वे सब विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी जिसका समन में कथित होना अपेक्षित है और उपनियम (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए वह हर तरह से समन माना जाएगा ।

(3) ऐसा प्रतिस्थापित पत्र प्रतिवादी को डाक द्वारा या न्यायालय द्वारा चुने गए विशेष संदेश-वाहक द्वारा या किसी ऐसी अन्य रीति से जो न्यायालय ठीक समझे, भेजा जा सकेगा और जहां प्रतिवादी का ऐसा अभिकर्ता हो जो तामील प्रतिगृहीत करने के लिए सशक्त है वहां वह पत्र ऐसे अभिकर्ता को परिदत्त किया जा सकेगा या भेजा जा सकेगा ।

उच्च न्यायालय संशोधन

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- अधिसूचना क्रमांक 1953/35(a) - 1 (16) दिनांक 19.3.1921 के द्वारा नियम 30 के उपरांत निम्न नवीन नियम 31 व 32 को जोडा गया है-

“31. पक्षकार या साक्षी को आहूत करने के लिए आवेदन इस प्रयोजन के लिए विहित प्ररूप में किया जाएगा-न्यायालय के द्वारा अन्य कोई प्ररूप ग्रहण नहीं किया जाएगा

32. सामान्यत: प्रत्येक आदेशिका, उसके सिवाय जो कि यूरोपियन पर निर्वाहित होना है, को न्यायालय भाषा में लिखा जाएगा । परन्तु जहां कि जिले जहां कि सामान्यत: भिन्न भाषा उपयोग की जाती है को निष्पादन के लिए आदेशिका भेजी जाना है इसे अंग्रेजी में लिखा जाएगा और निष्पादन की प्रार्थना करने वाले अंग्रेजी के पत्र के साथ संलग्र किया जाएगा ।

उस दशा में जहां कि तामील की वापिसी उस जिले से भिन्न जिसमे से इसे जारी किया गया है है तो यह अंग्रेजी अनुवाद के द्वारा संलग्र होगी ।"

आदेश 6

अभिवचन साधारणत:

1. अभिवचन- "अभिवचन" से वादपत्र या लिखित कथन अभिप्रेत होगा ।

[1]**[2. अभिवचन में तात्त्विक तथ्यों का, न कि साक्ष्य का, कथन होगा-** (1) हर अभिवचन में उन

तात्त्विक तथ्यों का, जिन पर अभिवचन करने वाला पक्षकार, यथास्थिति, अपने दावे या अपनी प्रतिरक्षा के लिए निर्भर करता है और केवल उन तथ्यों का, न कि उस साक्ष्य का जिसके द्वारा वे साबित किए जाने हैं, संक्षिप्त कथन अंतर्विष्ट होगा ।

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 56 द्वारा (1-2-1977 से) नियम 2 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(2) हर अभिवचन आवश्यकतानुसार पैराओं में विभक्त किया जाएगा, जो यथाक्रम संख्यांकित किए जाएंगे । हर अभिकथन सुविधानुसार पृथक् पैरा में किया जाएगा ।

(3) अभिवचन में तारीखें, राशियां और सख्याएं अंकों और शब्दों में भी अभिव्यक्त की जाएंगी ।]

3. अभिवचन का प्ररूप-- जब वे लागू होने योग्य हों तब परिशिष्ट क में के प्ररूप और जहां वे लागू होने योग्य न हों वहा जहां तक हो सके लगभग वैसे ही प्ररूप सभी अभिवचनों के लिए प्रयुक्त किए जाएंगे ।

4. जहां आवश्यक हो वहां विशिष्टियों का दिया जाना- उन सभी मामलों में जिनमें अभिवचन करने वाला पक्षकार किसी दुर्व्यपदेशन, कपट, न्यास - भंग, जानबूझकर किए गए व्यतिक्रम या असम्यक असर के अभिवाक पर निर्भर करता है और अनय सभी मामलों में जिनके उन विशिष्टियों के अलावा विविष्टियां जो पूर्वोक्त प्ररूपों में उदाहरणस्वरूप दर्शित की गई हैं आवश्यक हों अभिवचन में वे विशिष्टियां (यदि आवश्यक हो तो तारीखें और मदों के सहित) कथित की जाएंगी ।

राज्य संशोधन

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा संशोधन- सिविल प्रक्रिया संहिता (मध्य प्रदेश संशोधन) अधिनियम 1984 (1984 का अधिनियम संख्यांक 29) के द्वारा आदेश 6 नियम 4 के पश्चात निम्नलिखित नियम अन्त: स्थापित किया गया-

"4 - क. कृषि भूमि के संबंध में अभिवचन की विशिष्टियां--- आदेश 1 के नियम 3 -ख के अधीन अनुध्यात किसी वाद या कार्यवाही में वे पक्षकार जो राज्य सरकार से भिन्न हों उस कुल कृषि भूमि की जो उनके स्वामित्व की हो या जिस पर वे दावा करते हैं या जो किसी भी अधिकार के कारण उनके द्वारा धारित है विशिष्टियों का अभिवचन करेगा तथा यह और भी घोषित करेगा कि क्या वाद या कार्यवाही की विषयवस्तु मध्यप्रदेश कृषिक जोत उच्चतम सीमा अधिनियम, 1960 (क्रमांक 20 सन 1960) के अन्तर्गत आती है या नहीं आती है और क्या ऐसी विषय वस्तु के संबंध में कोई कार्यवाहियां उसकी जानकारी में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष लंबित हे या नहीं । "

(इसका प्रकाशन म.प्र. राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 14-8-1984 को किया गया ।)

5. 1[............... लुप्त]

"5. अतिरिक्त और अधिक अच्छा कथन या विशिष्टियां- दावे या प्रतिरक्षा की प्रकृति का अतिरिक्त और अधिक अच्छा कथन करने या किसी अभिवचन में कथित किसी बात की अतिरिक्त और अधिक अच्छी विशिष्टियां देने का आदेश खर्चों और अन्य बातों के बारे में ऐसे निबंधनों पर दिया जा सकेगा जो न्यायासंगत हों ।"

1. सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1999 के द्वारा लुप्त ।

6. पुरोभाव्य शर्त- जिस किसी पुरोभाव्य शर्त के पालन का या घटित होने का प्रतिवाद करना आशयित हो वह, यथास्थिति, वादी या प्रतिवादी द्वारा अपने अभिवचन में स्पष्टत: विनिर्दिष्ट की जाएगी और उसके अधीन रहते हुए वादी या प्रतिवादी के पक्ष के लिए आवश्यक सभी पुरोभाव्य शर्तों के पालन या घटित होने का प्रकथन उसके अभिवचन में विवक्षित होगा ।

7. फेरबदल- किसी भी अभिवचन में दावे का कोई नया आधार या तथ्य का कोई अभिकथन, जो उसका अभिवचन करने वाले पक्षकार के पूर्वतन अभिवचनों से असंगत हो, बिना संशोधन किए न तो उठाया जाएगा और न अंतर्विष्ट होगा ।

8. संविदा का प्रत्याख्यान- जहां किसी अभिवचन में किसी संविदा का अभिकथन है वहां विरोधी पक्षकार द्वारा किए गए उसके कोरे प्रत्याख्यान का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह केवल अभिव्यक्त संविदा का, जो अभिकथित की गई है, या उन तथ्यों की बातों का, जिनसे वह संविदा विवक्षित की जा सके, प्रत्याख्यान है, न कि ऐसी संविदा की सवैधता या विधि की दृष्टि में पर्याप्तता का प्रत्याख्यान ।

9. दस्तावेज के प्रभाव का कथन किया जाना- जहां कहीं किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु तात्विक है वहा उसे संस्कृति या उसके किसी भाग को उपवर्णित किए बिना उसके प्रभाव को यथासंभव संक्षिप्त रुप में अभिवचन में कथित कर देना पर्याप्त होगा, जब तक कि दस्तावेज के या उसके किसी भाग के यथावत् शब्द ही तात्विक न हों ।

10. विद्वेष, ज्ञान, आदि- जहां कहीं किसी व्यक्ति के विद्वेष, कपटपूर्ण आशय, ज्ञान या चित्त की अन्य दशा का अभिकथन करना तात्विक है, वहां उन परिस्थितियों को उपवर्णित किए बिना जिनसे उसका अनुमान किया जाना है, उसे तथ्य के रुप में अभिकथित करना पर्याप्त होगा ।

11. सूचना- जहां कहीं यह अभिकथन करना तात्विक है कि किसी तथ्य, बात या वस्तु की सूचना किस व्यक्ति की थी वहा जब तक कि ऐसी सूचना का प्ररुप या उसके यथावत् शब्द या वे परिस्थितियां, जिनसे ऐसी सूचना का अनुमान किया जाना है, तात्विक न हों, ऐसी सूचना को तथ्य के रूप में अभिकथित करना पर्याप्त होगा ।

12. विवक्षित संविदा या संबंध- जब कभी पत्रों की या वार्तालापों की आवली से या अन्यथा कई परिस्थितियों से किन्हीं व्यक्तियों के बीच में की कोई संविदा या अन्य संबंध विवक्षित किया जाना है तब ऐसी संविदा या संबंध को तथ्य के रुप में अभिकथित करना और ऐसे पत्रों, वार्तालापों या परिस्थितियों को व्यौरेवार उपवर्णित किए बिना उसके प्रति साधारणतया निर्देश करना पर्याप्त होगा और ऐसी दशा में यदि ऐसे अभिवचन करने वाला व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों से विवक्षित की जाने वाली एक संविदा या संबंध से अधिक संविदाओं या संबंधों पर अनुकल्पत: निर्भर करना चाहता है तो वह उनका कथन अनुकल्पत: कर सकेगा ।

13. विधि की उपधारणाएं- किसी तथ्य की बात को, जिसकी विधि किसी पक्षकार के पक्ष में करती है या जिसके सबूत का भार प्रतिपक्ष पर है, पक्षकारों में से किसी के द्वारा किसी भी अभिवचन में अभिकथित करना तब तक आवश्यक न होगा जब तक कि पहले ही उसका प्रत्याख्यान विनिर्दिष्ट रूप से न

कर दिया गया हो । (उदाहरणार्थ जहां वादी दावे के सारभूत आधार के रूप में विनिमय-पत्र पर न कि उसके प्रतिफल के लिए वाद लाता है वहां विनिमय-पत्र का प्रतिफल) ।

14. अभिवचन का हस्ताक्षरित किया जाना- हर अभिवचन पक्षकार द्वारा और यदि उसका कोई प्लीडर है तो उसके द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा: परंतु जहां अभिवचन करने वाला पक्षकार अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य अच्छे हेतुक से अभिवचन पर हस्ताक्षर करने में असमर्थ है वहां वह ऐसे व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जा सकेगा उसकी ओर से उसे हस्ताक्षरित करने के लिए या वाद लाने या प्रतिरक्षा करने के लिए उसके द्वारा सम्यक् रुप से प्राधिकृत है ।

[1][**14 क. सूचना की तामील के लिए पता-** (1) पक्षकार द्वारा फाइल किए जाने वाले हर अभिवचन के साथ पक्षकार के पते के बारे में विहित प्ररुप में कथन, नियम 14 में उपबंधित रुप में हस्ताक्षरित करके देना होगा ।

(2) ऐसे पते को, न्यायालय में सम्यक् रूप से भरे गए प्ररूप और सत्यापित याचिका के साथ पक्षकार के नए पते का कथन दाखिल करके, समय-समय पर परिवर्तित किया जा सकेगा ।

(3) उपनियम (1) के अधीन किए गए कथन में दिए गए पते को पक्षकार का "रजिस्ट्रीकृत पता" कहा जाएगा और जब तक पूर्वोक्त रुप में सम्यक्त: परिवर्तित न किया गया हो तब तक वह वाद में या उसमें दी गई किसी डिक्री या किए गए किसी आदेश को किसी अपील में सभी आदेशिकाओं की तामील के प्रयोजनों के लिए और निष्पादन के प्रयोजन के लिए पक्षकार का पता समझा जाएगा और पूर्वोक्त के अधीन रहते हुए इस मामले या विषय के अंतिम निर्धारण के पश्चात् दो वर्षों की अवधि के लिए वही पता माना जाएगा ।

(4) किसी आदेशिका की तामील पक्षकार पर सभी बातों के बारे में उसके रजिस्ट्रीकृत पते पर इस प्रकार की जा सकेगी मानो वह पक्षकार वहा निवास करता रहा हो ।

(6) जहां न्यायालय को यह पता चलता है कि किसी पक्षकार का रजिस्ट्रीकृत पता अधूरा, मिथ्या या काल्पनिक है वहां न्यायालय या तो स्वप्रेरणा से या किसी पक्षकार के आवेदन पर,-

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 56 द्वारा (1-2-1977 से) अंत: स्थापित ।

(क) ऐसे मामले में जहां ऐसा रजिस्ट्रीकृत पता वादी द्वारा दिया गया था वहां वाद के रोके जाने का आदेश दे सकेगा, अथवा

(ख) ऐसे मामले में जहां ऐसा रजिस्ट्रीकृत पता प्रतिवादी द्वारा दिया गया था वहां उसकी प्रतिरक्षा काट दी जाएगी और वह उसी स्थिति में रखा जाएगा मानो उसने कोई प्रतिरक्षा पेश नहीं की हो ।

(6) जहां उपनियम (5) के अधीन किसी वाद को रोक दिया जाता है या प्रतिरक्षा काट दी जाती है, वहा, यथास्थिति, वादी या प्रतिवादी अपना सही पता देने के पश्चात् न्यायालय से, यथास्थिति, रोक-आदेश या प्रतिरक्षा काटने के आदेश को अपास्त करने वाले आदेश के लिए आवेदन कर सकेगा ।

(7) यदि न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि पक्षकार उचित समय पर अपना सही पता फाइल करने में किसी पर्याप्त कारण से रोक दिया गया था, तो वह रोक-आदेश या प्रतिरक्षा काटाने के आदेश को खर्चों और अन्य बातों के बारे में ऐसे निबंधनों पर जो वह ठीक समझे, अपास्त कर सकेगा और, यथास्थिति, वाद या प्रतिरक्षा की कार्यवाही के लिए दिन नियत करेगा ।

(8) इस नियम की कोई बात न्यायालय को आदेशिका की तामील किसी अन्य पते पर किए जाने

का निदेश देने से, यदि वह किसी कारण से ऐसा करना ठीक समझे तो, नहीं रोकेगी ।

15. अभिवचन का सत्यापन- (1) उसके सिवाय जैसा कि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा अन्यथा उपबंधित है, हर अभिवचन उसे करने वाले पक्षकार द्वारा या पक्षकारों में से एक के द्वारा या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा, जिसके बारे में न्यायालय को समाधानप्रद रुप में साबित कर दिया गया है कि वह मामले के तथ्यों से परिचित है, उसके पाद-भाग में सत्यापित किया जाएगा ।

(2) सत्यापन करने वाला व्यक्ति अभिवचन के संख्याकित पैराओं का निर्देश करते हुए यह विनिर्दिष्ट करेगा कि कौन-सा पैरा वह अपने निजी ज्ञान के आधार पर सत्यापित करता है और कौन- सा पैरा वह ऐसी जानकारी के आधार पर सत्यापित करता है जो उसे मिली है और जिसके बारे में उसका यह विश्वास है कि वह सत्य है ।

(3) सत्यापन करने वाले व्यक्ति द्वारा वह सत्यापन हस्ताक्षरित किया जएगा और उसमें उस तारीख का जिसको और उस स्थान का जहां वह हस्ताक्षरित किया गया था कथन किया जाएगा ।

[1][(4) अभिवचनों का सत्यापन करने वाला व्यक्ति अपने अभिवचनों के समर्थन में शपथपत्र भी प्रस्तुत करेगा ।

1. 1999 के अधिनियम सं. 46 की धारा 16 द्वारा (1-7-2002 से) अंत : स्थापित ।

उच्च न्यायालय संशोधन

पटना उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- अधिसूचना दिनांक 27-9-1967 के द्वारा उपनियम (1) को प्रतिस्थापित किया गया है-

" (1) तत्समय प्रवृत: किसी विधि द्वारा प्रावधानित के सिवाय, प्रत्येक अभिवचन में बताये गये तथ्यों को सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान के द्वारा अथवा पक्षकार के या पक्षकारों में से एक के द्वारा या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति के द्वारा जिसके बारे में न्यायालय को समाधानप्रद रुप में साबित कर दिया गया है कि वह मामले के तथ्यों से परिचित है के शपथ पर संहिता की धारा 139 के अन्तर्गत शपथ दिलाने के लिए सशक्त किसी अधिकारी के पूर्व सत्यापित किया जाएगा "

राज्य संशोधन

उ.प्र. राज्य द्वारा संशोधन- उ.प्र. के अधिनियम संख्यांक 57 वर्ष 1976 व क्रमांक 31 सन 1978 के द्वारा उपनियम (1) को निम्न रुप में संशोधित कर प्रतिस्थापित किया गया है -

" (1) उसके सिवाय जैसा कि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा अन्यथा उपबन्धित है, हर अभिवचन उसे करने वाले पक्षकार द्वारा या पक्षकारों में से एक के द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, जिसके बारे में न्यायालय को सामाधानप्रद रुप में साबित कर दिया गया है कि वह मामले के तथ्यों से परिचित है, संहिता की धारा 139के अन्तर्गत शपथ दिलाने के लिए सशक्त किसी अधिकारी द्वारा शासित शपथ पर सत्यापित किया जाएगा ।"

[1][16 अभिवचन का काट दिया जाना- न्यायालय कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम में आदेश दे सकेगा कि किसी भी अभिवचन में की कोई भी ऐसी बात काट दी जाए या संशोधित कर दी जाए,-

(क) जो अनावश्यक, कलंकात्मक, तुच्छ या तंग करने वाली है, अथवा

(ख) जो वाद के ऋजु विचारण पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली या उसमें उलझन डालने वाली या

विलंब करने वाली है, अथवा

(ग) जो अन्यथा न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है ।

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 56 द्वारा (1-2-1977 से) नियम 16 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[1][**17. अभिवचनों का संशोधन-** न्यायालय कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम पर, किसी भी पक्षकार को, ऐसी रीति से और ऐसे निबंधनों पर, जो न्यायसंगत हों, अपने अभिवचनों को परिवर्तित या संशोधित करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा और वे सभी संशोधन किए जाएंगे जो दोनों पक्षकारों के बीच विवाद के वास्तविक प्रश्नों के अवधारण के प्रयोजन के लिए आवश्यक हों:

परंतु विचारण प्रारंभ होने के पश्चात् संशोधन के लिए किसी आवेदन को तब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक कि न्यायालय इस निर्णय पर न पहुंचे कि सम्यक् तत्परता बरतने पर भी वह पक्षकार, विचारण प्रारंभ होने से पूर्व वह विषय नहीं उठा सकता था ।

1. 2002 के अधिनियम सं. 22 की धारा 7 द्वारा (1-7-2002 से) नियम 17 और 18 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

18. आदेश के पश्चात् संशोधन करने में असफल रहना- यदि कोई पक्षकार, जिसने संशोधन करने की इजाजत के लिए आदेश प्राप्त कर लिया है, उस आदेश द्वारा उस प्रयोजन के लिए परिसीमित समय के भीतर या यदि उसके द्वारा कोई समय परिसीमित नहीं किया गया है तो आदेश की तारीख से चौदह दिन के भीतर तदनुसार संशोधन नहीं करता है तो उसे यथास्थिति यथापूर्वोक्त परिसीमित समय के या ऐसे चौदह दिन के अवसान के पश्चात् संशोधन करने के लिए तब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक कि न्यायालय द्वारा समय न बढ़ाया जाए ।

आदेश 7

वादपत्र

1. वादपत्र में अंतर्विष्ट की जाने वाली विशिष्टियां- वादपत्र में निम्नलिखित विशिष्टियां होगी-

(क) उस न्यायालय का नाम जिसमें वाद लाया गया है;

(ख) वादी का नाम, वर्णन और निवास-स्थान;

(ग) जहां तक अभिनिश्चित किए जा सके, प्रतिवादी का नाम, वर्णन और निवास-स्थान;

(घ) जहां वादी या प्रतिवादी अवयस्क या विकृत-चित्त व्यक्ति है वहां उस भाव का कथन;

(ड.) वे तथ्य जिनसे वाद-हेतुक गठित है और वह कब पैदा हुआ;

(च) यह दर्शित करने वाले तथ्य कि न्यायालय को अधिकारिता है;

(छ) वह अनुतोष जिसका वादी दावा करता है;

(ज) जहां वादी ने कोई मुजरा अनुज्ञात किया है या अपने दावे का कोई भाग त्याग दिया है वहां ऐसी अनुज्ञात की गई या त्यागी गई रकम, तथा

(झ) अधिकारिता के और न्यायालय-फीस के प्रयोजनों के लिए वाद की विषय-वस्तु के मूल्य का ऐसा कथन उस मामले में किया जा सकता है ।

2. धन के वादों में- जहां वादी धन की वसूली चाहता है वहां दावा की गई ठीक रकम वादपत्र में

कथित की जाएगी:

किंतु जहां वादी अंतःकालीन लाभों के लिए या ऐसी रकम के लिए जो उसके और प्रतिवादी के बीच हिसाब किए जाने पर उसको शोध्य पाई जाए [1][या प्रतिवादी के कब्जे में की जंगम वस्तुओं के लिए या ऐसे ऋणों के लिए जिनका मूल्य वह युक्तियुक्त तत्परता पर भी प्राक्कलित नहीं कर सकता है वाद लाता है वहां दावाकृत रकम या मूल्य वादपत्र में लगभग मात्रा में कथित किया जाएगा]।

3. जहां वाद की विषय-वस्तु स्थावर सम्पत्ति है- जहां वाद की विषय-वस्तु स्थावर सम्पत्ति है वहां वादपत्र में सम्पत्ति का ऐसा वर्णन होगा जो उसकी पहचान कराने के लिए पर्याप्त है और उस दशा में जिसमें ऐसी सम्पत्ति की पहचान भू-व्यवस्थापन या सर्वेक्षण संबंधी अभिलेख में की सीमाओं या संख्यांकों द्वारा की जा सकती है, वादपत्र में ऐसी सीमाएं या संख्यांक विनिर्दिष्ट होंगे ।

4. जब वादी प्रतिनिधि के रुप में वाद लाता है- जहां वादी प्रतिनिधि की हैसियत में वाद लाता है वहां वादपत्र में न केवल यह दर्शित होगा कि उसका विषय-वस्तु में वास्तविक विद्यमान हित है, वरन् यह भी दर्शित होगा कि उससे समपृक्त वाद के संस्थित करने के लिए उसको समर्थ बनाने के लिए आवश्यक कदम (यदि कोई हो) वह उठा चुका है ।

5. प्रतिवादी के हित और दायित्व का दर्शित किया जाना- वादपत्र में यह दर्शित किया जाएगा कि प्रतिवादी विषय-वस्तु हित रखता है या रखने का दावा करता है और वह वादी की मांग पर उत्तर देने के लिए अपेक्षित किए जाने का दायी है ।

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 57 द्वारा (1-2-1977 से) कुछ शब्दो के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

6. परिसीमा विधि से छूट के आधार- जहां वाद परिसीमा विधि द्वारा विहित अवधि के अवसान के पश्चात् संस्थित किया जाता है वहां वादपत्र में वह आधार दर्शित किया जाएगा जिस पर ऐसी विधि से छूट पाने का दावा किया गया है:

[1][परंतु न्यायालय वादी को वाद में न दिए गए किसी आधार पर, यदि ऐसा आधार वाद में उपवर्णित आधारों से असंगत नहीं है परिसीमा विधि से छूट का दावा करने की अनुमति दे सकेगा ।

7. अनुतोष का विनिर्दिष्ट रुप से कथन- हर वादपत्र में उस अनुतोष का विनिर्दिष्ट रूप से कथन होगा जिसके लिए वादी सामान्यत: या अनुकल्पत: दावा करता है और यह आवश्यक नहीं होगा कि ऐसा कोई साधारण या अन्य अनुतोष मांगा जाए, जो न्यायालय न्यायसंगत समझे जो सर्वदा ही उसी विस्तार तक ऐसे दिया जा सकेगा मानो वह मांगा गया हो, और यही नियम प्रतिवादी द्वारा अपने लिखित कथन में दावा किए गए किसी अनुतोष को भी लागू होगा ।

8. पृथक् आधारों पर आधारित अनुतोष- जहां वादी कई सुभिन्न दावों या वाद-हेतुकों के बारे में जो पृथक और सुभिन्न आधारों पर आधारित है, अनुतोष चाहता है वहां वे जहां तक हो सके पृथकत: और सुभिन्नत: कथित किए जाएंगे ।

[2][9. **वादपत्र ग्रहण करने पर प्रक्रिया-** जहां न्यायालय यह आदेश करता है कि प्रतिवादियों पर समनों की तामील आदेश 5 के नियम 9 में उपबंधित रीति से की जाए वहां वह, वादी को ऐसे आदेश की तारीख से सात दिन के भीतर सादा कागज पर वाद पत्र की उतनी प्रतियां, जितने कि प्रतिवादी हैं, प्रतिवादियों पर समनों की तामील के लिए अपेक्षित फीस के साथ प्रस्तुत करने का निदेश दे सकेगा ।

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 57 द्वारा (1-2-1977 से) जोडा गया ।
2. 2002 के अधिनियम सं. 22 की धारा 8 द्वारा (1-7-2002 से) नियम 9 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

उच्च न्यायालय संशोधन

म.प्र. उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन (16.9.1960)- नियम 9 को इस प्रकार प्रतिस्थापित किया गया-

" 9(1) वादी दस्तावेजों (यदि कोई हों) की सूची वादपत्र पर पृष्ठांकित करेगा या इससे उपाबंध करेगा जो कि उसने इसके साथ प्रस्तुत किये हैं ।

(2) मुख्य लिपिकीय अधिकारी ऐसी सूची व आदेश 4 के नियम 4 के अन्तर्गत प्रस्तुत वादपत्र की प्रतिलिपियों को हस्ताक्षरित करेगा, यदि परीक्षण पर वह उन्हें सही होना पाता है ।"

इलाहाबाद उच्च न्यायालय संशोधन- विद्यमान नियम 9 को इस प्रकार प्रतिस्थापित किया गया-

" 9(1) वादी दस्तावेजों (यदि कोई हों) की सूची वादपत्र पर पृष्ठांकित करेगा या इससे उपाबंध करेगा जो कि उसने इसके साथ प्रस्तुत किये हैं ।

(2) मुख्य लिपिकीय अधिकारी ऐसी सूची व प्रतिलिपियों या कथनों को हस्ताक्षरित क रेगा, यदि परीक्षण पर वह उन्हें सही होना पाता है ।"

(अधिसूचना दिनांक 1.10.1983 टिप्पणी)

1. यह नियम छोटा नागपुर टेनेसी ऐक्ट, 1908 (1908 का बंगाल अन्नियम सं. 6) की धारा 265 के अधीन भाटक की वसूली के लिए वाद को लागू किया गया है ।
2. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 57 द्वारा (1-7-1977 से) कुछ शब्दो के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[1]**10. वादपत्र का लौटाया जाना-** (1) [2][नियम 10क के उपबंधों के अधीन रहते हुए, वादपत्र] वाद के किसी भी प्रक्रम में उस न्यायालय में उपस्थित किए जाने के लिए लौटा दिया जाएगा जिसमें वाद संस्थित किया जाना चाहिए था ।

[1][**स्पष्टीकरण-** शंकाओं को दूर करने के लिए इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि अपील या पुनरीक्षण न्यायालय, वाद में पारित डिक्री को अपास्त करने के पश्चात् इस उपनियम के अधीन वादपत्र के लौटाए जाने का निदेश दे सकेगा ।

(2) वादपत्र के लौटाए जाने पर प्रक्रिया- न्यायाधीश वादपत्र के लौटाए जाने पर, उस पर उसके उपस्थित किए जाने की और लौटाए जाने की तारीख, उपस्थित करने वाले पक्षकार का नाम और उसके लौटाए जाने के कारणों का संक्षिप्त कथन पृष्ठांकित करेगा ।

[2][**10क. जहां वादपत्र उसके लौटाए जाने के पश्चात् फाइल किया जाना है वहां न्यायालय में उपसंजाति के लिए तारीख नियत करने की न्यायालय की शक्ति-** (1) जहां किसी वाद में प्रतिवादी के उपसंजात होने के पश्चात् न्यायालय की यह राय है कि वादपत्र लौटाया जाना चाहिए वहा वह ऐसा करने के पूर्व वादी को अपने विनिश्चय की सूचना देगा ।

(2) जहां वादी को उपनियम (1) के अधीन सूचना दी गई हो वहां वादी न्यायालय से-

(क) उस न्यायालय को विनिर्दिष्ट करते हुए जिसमें वह वादपत्र के लौटाए जाने के पश्चात् वादपत्र प्रस्तुत करने की प्रस्थापना करता है,

(ख) यह प्रार्थना करते हुए कि न्यायालय उक्त न्यायालय में पक्षकारों की उपसंजाति के लिए तारीख नियत करे, और

(ग) यह अनुरोध करते हुए कि इस प्रकार नियत तारीख की सूचना उसे और प्रतिवादी को दी जाए, आवेदन कर सकेगा ।

(3) जहां वादी द्वारा उपनियम (2) के अधीन आवेदन किया जाता है वहां न्यायालय वादपत्र लौटाए जाने के पूर्व और इस बात के होते हुए भी कि उसके द्वारा वादपत्र के लौटाए जाने का आदेश इस आधार पर किया गया था कि उसे वाद का विचारण करने की अधिकारिता नहीं थी,-

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 57 द्वारा (1-2-1977 से) अंतःस्थापित ।
2. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 57 द्वारा (1-2-1977 से) अतःस्थापित ।

(क) उस न्यायालय में जिसमें वादपत्र के उपस्थित किए जाने की प्रस्थापना है, पक्षकारों की उपसंजाति के लिए तारीख नियत करेगा, और

(ख) उपसंजाति की ऐसी तारीख की सूचना वादी और प्रतिवादी को देगा ।

(4) जहां उपनियम (3) के अधीन उपसंजाति की तारीख की सूचना दी जाती है वहां-

(क) उस न्यायालय के लिए जिसमें वादपत्र उसके लौटाए जाने के पश्चात् उपस्थित किया जाता है, तब तक यह आवश्यक नहीं होगा कि वह बाद में उपसंजाति के लिए समन प्रतिवादी पर तामील करे, जब तक कि वह न्यायालय, अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, अन्यथा निदेश न दे और

(ख) उक्त सूचना, उस न्यायालय में जिसमें वादपत्र को लौटाने वाले न्यायालय द्वारा इस प्रकार नियत तारीख को वादपत्र उपस्थित किया जाता है, प्रतिवादी की उपसंजाति के लिए समन समझी जाएगी ।

(5) जहां न्यायालय वादी द्वारा उपनियम (2) के अधीन किए गए आवेदन को मंजूर कर लेता है वहां वादी वादपत्र लौटाए जाने के आदेश के विरुद्ध अपील करने का हकदार नहीं होगा ।

10ख. समुचित न्यायालय को वाद अंतरित करने की अपील न्यायालय की शक्ति- (1) जहां वादपत्र के लौटाए जाने के आदेश के विरुद्ध अपील में अपील की सुनवाई करने वाला न्यायालय ऐसे आदेश की पुष्टि करता है वहां अपील न्यायालय, यदि वादी आवेदन द्वारा ऐसी वांछा करे तो वादपत्र लौटाते समय वादी को यह निदेश दे सकेगा कि वह वादपत्र को उस न्यायालय में जिसमें वाद संस्थित किया जाना चाहिए था (चाहे ऐसा न्यायालय उस राज्य के भीतर हो या बाहर जिसमें अपील की सुनवाई करने वाला न्यायालय स्थित है) परिसीमा अधिनियम, 1963 (1963 का 36) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, फाइल करे और उस न्यायालय में जिसमें वादपत्र फाइल किए जाने का निदेश दिया जाता है, पक्षकारों की उपसंजाति के लिए तारीख नियत कर सकेगा और जब इस प्रकार तारीख नियत कर दी जाती है तब उस न्यायालय के लिए जिसमें वादपत्र फाइल किया गया है, वाद में उपसंजाति के लिए समन प्रतिवादी पर तामील करना तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि वह न्यायालय जिसमें वादपत्र फाइल किया गया है, अभिलिखित किए

जाने वाले कारणों से, अन्यथा निदेश न दे ।

(2) न्यायालय द्वारा उपनियम (1) के अधीन किए गए किसी निदेश से पक्षकारों के उन अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा जो उस न्यायालय की जिसमें वादपत्र फाइल किया गया है वाद का विचारण करने की अधिकारिता को प्रश्नगत करने के संबंध में हें ।

11. वादपत्र का नामंजूर किया जाना- वादपत्र निम्नलिखित दशाओं में नामंजूर कर दिया जाएगा-

(क) जहां वह वाद-हेतुक प्रकट नहीं करता है;

(ख) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है;

(ग) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प-पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प-पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर, जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है;

(घ) जहां वादपत्र में के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है:

[1][(ड.) जहां यह दो प्रतियों में फाइल नहीं किया जाता है;]

[2][(च) जहां वादी नियम 9 के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहता है:]

[3][परन्तु मूल्यांकन की शुद्धि के लिए या अपेक्षित स्टाम्प-पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा नियत समय तब तक नहीं बढ़ाया जाएगा जब तक कि न्यायालय का अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से यह समाधान नहीं हो जाता है कि वादी किसी असाधारण कारण से, न्यायालय द्वारा नियत समय के भीतर, यथास्थिति, मूल्याकन की शद्धि करने या अपेक्षित स्टाम्प-पत्र के देने से रोक दिया गया था और ऐसे समय के बढ़ाने से इकार किए जाने से वादी के प्रति गंभीर अन्याय होगा ।

1. 1999 के अधिनियम सं. 46 की धारा 17 द्वारा (1-7-2002 से) अत : स्थापित |
2. 2002 के अधिनियम सं. 22 की धारा 8 द्वारा (1-7-2002 से) उपखंड (च) और (छ) के स्थान पर प्रतिस्थापित |
3. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 57 द्वारा (1-2-1977 से) जोड़ा गया ।

12. वादपत्र के नामंजूर किए जाने पर प्रक्रिया- जहां वादपत्र नामंजूर किया जाता है वहां न्यायालय इस भाव का आदेश कारणों सहित अभिलिखित करेगा ।

13. जहां वादपत्र की नामंजूरी से नए वादपत्र का उपस्थित किया जाना प्रवारित नहीं होता- इसमें इसके पूर्व वर्णित आधारों में से किसी पर भी वादपत्र के नामंजूर किए जाने पर केवल नामंजूरी के ही कारण वादी उसी वाद - हेतुक के बारे में नया वादपत्र उपकस्थित करने से प्रवारित नहीं हो जाएगा |

[1]**[14. उन दस्तावेजों की प्रस्तुति जिन परवादी वाद लाता है या निर्भर करता है-** (1) जहां वादी किसी दस्तावेज के आधार पर वाद लाता है या अपने दावे के समर्थन में अपने कब्जे या शक्ति में की दस्तावेज पर निर्भर करता है वहां वह उन दस्तावेजों को एक सूची में प्रविष्ट करेगा और उसके द्वारा वादपत्र उपस्थित किए जाने के समय वह उसे न्यायालय में पेश करेगा और उसी समय दस्तावेज और उसकी प्रति को वादपत्र के साथ फाइल किए जाने के लिए परिदत्त करेगा ।

(2) जहां ऐसी कोई दस्तावेज वादी के कब्जे या शक्ति में नहीं है वहां वह जहां तक संभव हो सके यह कथन करेगा कि वह किसके कब्जे में या शक्ति में है ।

(3) ऐसा दस्तावेज जिसे वादी द्वारा न्यायालय में तब प्रस्तुत किया जाना चाहिए जब वादपत्र प्रस्तुत किया जाता है, या वादपत्र में जोडी जाने वाली या उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट किया जाना है, किंतु तद्नुसार, प्रस्तुत या प्रविष्ट नहीं किया जाता है तो उसे न्यायालय की अनुमति के बिना वाद की सुनवाई के समय उसकी ओर से साक्ष्य में ग्रहण नहीं किया जाएगा ।

(4) इस नियम की कोई बात ऐसी दस्तावेजों को लागू नहीं होगी जो साक्षियों की प्रतिपरीक्षा के लिए पेश किए गए हों या किसी साक्षी को केवल उसकी स्मृति को ताजा करने के लिए दिए गए हों ।]

1. 1999 के अधिनियम सं. 46 की धारा 17 द्वारा (1-7-2002 से) नियम 14 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
2. 2002 के अधिनियम सं. 22 की धारा 8 द्वारा (1-7-2002 से) उपनियम (3) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

15 . 1[................ लुप्त]

16. खोई हुई परक्राम्य लिखतों के आधार पर वाद- जहां वाद परक्राम्य लिखत पर आधारित है और यह साबित कर दिया जाता है कि लिखत खो गई है और वादी लिखत पर आधारित किसी अन्य व्यक्ति के दावों के लिए क्षतिपूर्ति, न्यायालय को समाधानप्रद रूप में कर देता है वहां न्यायालय ऐसी डिक्री पारित कर सकेगा- जो वह पारित करता यदि वादी ने उस समय जब वादपत्र उपस्थित किया गया था, उस लिखत को पेश किया होता और उस लिखत की प्रति वादपत्र के साथ फाइल किए जाने के लिए उसी समय परिदत्त कर दी होती ।

1. सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1999 के द्वारा निरसित ।

17. दुकान का बही खाता पेश करना- (1) वहां तक के सिवाय जहां तक कि बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम, 1891 (1891 का 18) द्वारा अन्यथा उपबंधित है, उस दशा में जिसमें कि वह दस्तावेज जिसके आधार पर वादी वाद लाता है दुकान के बही खाते या अन्य लेखे में की जो उसके अपने कब्जे या शक्ति में है, प्रविष्टि है, वादी उस प्रविष्टि को जिस पर वह निर्भर करता है, प्रति के सहित उस बही खाते या लेखे को वादपत्र के फाइल किए जाने के समय पेश करेगा ।

मूल प्रविष्टि का चिन्हांकित किया जाना और लौटाया जाना- (2) न्यायालय या ऐसा अधिकारी जिसे वह इस निमित्त नियुक्त करे तत्क्षण उसके दस्तावेज को उसकी पहिचान के प्रयोजन के लिए चिन्हांकित करेगा और प्रति की परीक्षा और मूल से तुलना करने के पश्चात् यदि वह सही पाई जाए तो यह प्रमाणित करेगा कि वह ऐसी है और बहीखाता वादी को लोटाएगा और प्रति को फाइल कराएगा ।

उच्च न्यायालय संशोधन

इलाहाबाद उच्च न्यायालय दारा संशोधन- अधिसूचना क्रमांक 268/44-5(1) दिनांक 29.1.1972 व अधिसूचना क्रमांक 6112/45(a) दिनांक 10.12.1982 के द्वारा नियम 17 के उपरांत निम्न परन्तुक जोडा गया है-

"परन्तु यह कि यदि प्रतिलिपि अंग्रेजी में नहीं लिखी गयी है अथवा उपयोग में होने वाले सामान्य

फारसी या नागरी लिपि के अलावा लिपि में लिखी गयी है तो सत्यापन बाबत आदेश 13 नियम 12 में प्रतिपादित प्रक्रिया को अनुसरित किया जाएगा और उस दशा में न्यायालय अथवा इसके अधिकारी को प्रतिलिपि को मूल से परीक्षित अथवा मिलान करने की आवश्यकता नहीं है 1"

18...............[1][लुप्त

उच्च न्यायालय संशोधन

म.प्र उच्च न्यायालय दारा संशोधन- निम्नानुसार नियमों को जोड़ा जाएगा-

"19 रजिस्ट्री पता- प्रत्येक वाद पत्र या मूल याचिका पता जिस पर वादी या याचिकाकार पर आदेशिका की तामील की जा से देते हुए ज्ञापन द्वारा संलग्र किया जाएगा । पता उस सिविल जिले की स्थानीय सीमाओं के अधीन होगा जिसके भीतर वाद पत्र या मूल याचिका फाइल की गई है अथवा, यदि ऐसे सिविल जिले के भीतर पता सुविधापूर्वक नहीं दिया जा सकता तो ऐसे सिविल जिले की स्थानीय सीमाओं के भीतर जिसमें पक्षकार साधारण तौर पर निवास करता है ।

इस पते को "रजिस्टर पता" पुकारा जाएगा और संपूर्ण अंतवर्तीय कार्यवाही अपीलों और अंतिम निर्णय होने से दो वर्षों की अन्यथा अवधि के भीतर भी और निष्पादन समेत सभी प्रयोजनों के लिए ठीक बने रहने के रूप में रहेगा ।

20. बाद में वादी या याचिकाकार के रुप में जोड़े गए पक्ष द्वारा रजिस्टर्ड पता- वादी या याचिकाकार के रूप में बाद में जोडा गया कोई पक्ष समान रीति में वादी या याचिकाकार के कप में जोड़े जाने का आवेदन करते समय या सहमति देते समय रजिस्ट्री पता फाइल करेगा ।

21. रजिस्ट्री पता फाइल न करने के परिणाम- (1) यदि वादी या याचिकाकार नियम 19 या 20 द्वारा यथा अपेक्षित रजिस्ट्री पता फाइल करने में विफल रहता है तो न्यायालय के विवेक पर उसका वाद निरस्त किए जाने या उसकी याचिका निरस्त किए जाने के लिए दायी होगी । इस नियम के अंतर्गत न्यायालय द्वारा स्वप्रेरणा से या किसी पक्ष के आवेदन पर आदेश पारित किया जा सकेगा ।

22. आदेशिका चस्पा करना और इसकी विधिमान्यता- जहाँ वादी या याचिकाकार उसके रजिस्ट्री पते पर नहीं पाया जाता है एवं न कोई अभिकर्ता या उसके परिवार का वयस्क पुरुष सदस्य जिस पर कि आदेशिका का निर्वाह किया जा सके, उपस्थित है तो आदेशिका की एक प्रति घर के दरवाजे के बाहर चस्पा की जाएगी और ऐसी तामील को उस रुप में प्रभावी होना माना जाएगा मानो व्यक्तिगत तौर पर तामील हो गई हो ।

23. रजिस्टर्ड पते का परिवर्तन- वादी या याचिकाकार जो कि उसके रजिस्टर्ड पते को परिवर्तित करने की इच्छा रखता है संशोधित याचिकार प्रस्तुत करेगा और न्यायालय अभिलेख में तदनुसार संशोधन करने को निर्देशित करेगा । ऐसी याचिकार का सूचना पत्र वाद या कार्यवाही के ऐसे अन्य पक्ष को दिया जाएगा जिसे न्यायालय सूचित करना आवश्यक समझे । "

1. सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2002 की धारा 8 (iv) के द्वारा नियम 18 (जिसे कि सिविल प्रक्रिया सहिता (संशाधेन) अधिनियम, 1999 के द्वारा यथासंशोधित किया गया था लुप्त ।

2. सिविल प्रक्रिया सहिता संशोधन अधिनियम, 1999 के द्वारा शब्द " न्यायालय की इजाजत के बिना " यथा लुप्त ।

आदेश 8

[1][लिखित कथन, मुजरा और प्रतिदावा]

[2][**1. लिखित कथन-** प्रतिवादी, उस पर समन तामील किए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर, अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करेगा;

परंतु जहां प्रतिवादी उक्त तीस दिन की अवधि के भीतर लिखित कथन फाइल करने में असफल रहता है, वहां उसे ऐसे किसी अन्य दिन को जो न्यायालय द्वारा ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, विनिर्दिष्ट किया जाए, फाइल करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, किंतु जो समन की तामील की तारीख से नब्बे दिन के पश्चात् का नहीं होगा ।]

उच्च न्यायालय संशोधन

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- पूर्ण विराम को विलोपित किया जाएगा और निम्नानसार जोड़ा जाएगा-

"और उसके लिखित कथन के साथ संपूर्ण दस्तावेजों (चाहे उसके आधिपत्य या शक्ति में हों या नहीं) जिन पर वह उसकी प्रतिरक्षा के समर्थन में साक्ष्य के रुप मे निर्भरता व्यक्त करता है की सूची फाइल करेगा ।"

पटना उच्च न्यायालय दारा संशोधन- पटना में नियम 1 को इस प्रकार प्रतिस्थापित किया गया है-

"1 (1) प्रतिवादी उसकी प्रतिरक्षा का लिखित कथन, प्रथम सुनवाई पर या उसके पूर्व अथवा ऐसे समय के भीतर जो कि न्यायालय अनुज्ञात करे प्रस्तुत कर सकेगा और यदि ऐसा करने की अपेक्षा न्यायालय द्वारा की जाए तो करेगा और ऐसे लिखित कथन के साथ और यदि लिखित कथन नहीं है तो प्रथम सुनवाई पर उसके आधिपत्य या शक्ति के सभी दस्तावेजों जिन पर वह उसकी प्रतिरक्षा या मुजरे के किसी दावे को आधारित करता है प्रस्तुत करेगा ।

(2) जहां वह उसकी प्रतिरक्षा के समर्थन में साक्ष्य के रुप में अन्य किन्हीं दस्तावेजो पर निर्भरता व्यक्त करता है, वह ऐसे दस्तावेजों को लिखित कथन के साथ जोड़े जाने वाली अथवा उपाबंध की जाने वाली, या जहां कोई लिखित कथन नहीं है वहां प्रथम सुनवाई पर सूची में प्रविष्ट करेगा । यदि ऐसी कोई सूची उपाबंध नहीं की जाती है या प्रस्तुत नहीं की जाती है तो प्रतिवादी को दस्तावेजों की सूची को प्रस्तुत करने वाली, या जहां कोई लिखित कथन नहीं है वहां प्रथम सुनवाई पर सूची में प्रविष्ट करेगा । यदि ऐसी कोई रखी उपाबंध नहीं की जाती है या प्रस्तुत नहीं की जाती है तो प्रतिवादी को दस्तावेजों की सूची को प्रस्तुत करने के लिए दस दिवसों का समय अनुज्ञात किया जाएगा।

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 58 द्वारा (1.2.1977 से) पूर्ववर्ती शीर्ष के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।
2. 2002 के अधिनियम सं. 22 की धारा 9 द्वारा (1-7-2002 से) नियम 1 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(3) दस्तावेज जिसे कि उपखंड (2) में निर्दिष्ट सूची में प्रविष्ट होना चाहिए था परन्तु जिसे इस प्रकार प्रविष्ट नहीं किया गया है, को न्यायालय की अनुमति के बिना वाद की सुनवाई पर प्रतिवादी की और से साक्ष्य में प्राप्त नहीं किया जाएगा।

(4) इस नियम की कोई बात वादीगण के साक्षीगण के प्रतिपरीक्षण के लिए प्रस्तुत दस्तावेजों अथवा साक्षी को उसकी स्मृति को ताजा करने मात्र के लिए सुपुर्द किये गये दस्तावेजों पर प्रयोज्य नहीं होगी।

[1][1 क. **प्रतिवादी को वे दस्तावेज पेश करने का कर्तव्य जिन पर उसके द्वारा अनुतोष का दावा किया गया है या निर्भर किया गया है-** (1) जहां प्रतिवादी अपनी प्रतिरक्षा अपनी प्रतिरक्षा का आधार किसी ऐसे दस्तावेज को बनाता है या मुजरा या प्रतिदावा के लिए अपनी प्रतिरक्षा या दावे का समर्थन किसी ऐसे दस्तावेज पर निर्भर करता है जो उसके कब्जे या शक्ति में है, वहां वह ऐसे दस्तावेज को सूची में प्रविष्ट करेगा और उसे वह उसके लिखित कथन उपस्थापित किए जाने के समय न्यायालय में पेश करेगा उसी समय दस्तावेज और उसकी एक प्रति वह लिखित कथन के साथ फाइल किए जाने के लिए परिदत्त करेगा ।

(2) जहां ऐसी कोई दस्तावेज प्रतिवादी के कब्जे या शक्ति में नहीं है वहां वह, जहां तक सम्भव हो सके यह कथन करेगा कि वह किसके कब्जे में या शक्ति में है ।

[2][(3) ऐसा दस्तावेज जिसे इस नियम के अधीन प्रतिवादी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, किंतु इस प्रकार प्रस्तुत नहीं किया जाता है, न्यायालय की इजाजत के बिना, वाद की सुनवाई के समय उसकी ओर से साक्ष्य में ग्रहण नहीं किया जाएगा ।]

1. 1999 के अधिनियम सं. 46 की धारा 18 द्वारा (1-7- 2002 से) अंतःस्थापित ।
2. 2002 के अधिनियम सं. 22 की धारा 9 द्वारा (1-7-2002 से) उपनियम (3) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(4) इस नियम की कोई बात ऐसे दस्तावेजों को लागू नहीं होगी जो-

(क) वादी के साक्षियों की प्रतिपरीक्षा के लिए पेश किए जाएं; या

(ख) साक्षी को केवल अपनी स्मृति ताजा करने के लिए सौंपे जाएं ।]

2. नए तथ्यों का विशेष रूप से अभिवचन करना होगा- प्रतिवादी को अपने अभिवचन द्वारा वे सब बातें उठानी होंगी जिनसे यह दर्शित होता है कि वाद या विधि की दृष्टि से वह व्यवहार शून्य है या शून्यकरणीय है और प्रतिरक्षा के सब ऐसे आधार उठाने होंगे जो ऐसे हैं कि यदि वे न उठाए गए तो यह संभाव्य है कि उनके सहसा सामने आने से विरोधी पक्षकार चकित हो जाएगा या जिनसे तथ्य के ऐसे विवाद्यक पैदा हो जाएंगे जो वादपत्र से पैदा नहीं होते है। उदाहरणार्थ कपट, परिसीमा निर्मुक्ति, संदाय, पालन या अवैधता दर्शित करने वाले तथ्य।

3. प्रत्याख्यान विनिर्दिष्टतः होगा- प्रतिवादी के लिए यह पर्याप्त नहीं होगा वह अपने लिखित कथन में उन आधारों का साधारणतः प्रत्याख्यान कर दे जो वादी द्वारा अभिकथित है, किन्तु प्रतिवादी के लिए यह आवश्यक है कि वह नुकसानी के सिवाय ऐसे तथ्य संबंधी हर एक अभिकथन का विनिर्दिष्टतः विवेचन करे जिसकी सत्यता वह स्वीकार नहीं करता है।

4. वाच्छलपूर्ण प्रत्याख्यान- जहां प्रतिवादी वाद में के किसी तथ्य के अभिकथन का प्रत्याख्यान करता है वहां उसे वैसा वाग्लछपूर्ण तौर पर नहीं करना चाहिए, वरन् सार की बात का उतर देना चाहिए। उदाहरणार्थ, यदि यह अभिकथित किया जाता है कि उसने एक निश्चित धन की राशि प्राप्त की तो यह प्रत्याख्यान कि उसने वह विशिष्ट राशि प्राप्त नहीं की पर्याप्त नहीं होगा वरन् उसे यह चाहिए कि वह प्रत्याख्यान करे कि उसने वह राशि या उसका कोई भाग प्राप्त नहीं किया या फिर यह उपर्वणित करना चाहिए कि उसने कितनी राशि प्राप्त की और यदि अभिकथन विभिन्न परिस्थितयों सहित किया गया है तो उन परिस्थितियों सहित उस अभिकथन का प्रत्याख्यान कर देना पर्याप्त नहीं होगा ।

5. विनिर्दिष्टत: प्रत्याख्यान- [1][(1)] यदि वादपत्र में के तथ्य संबंधी हर अभिकथन का विनिर्दिष्टत: यह आवश्यक विवक्षा से प्रत्याख्यान नहीं किया जाता है या प्रतिवादी के अभिवचन में यह कथन कि वह स्वीकार नहीं किया जाता तो जहां तक निर्योग्यताधीन व्यक्ति को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति का सम्बन्ध है वह स्वीकार कर लिया गया माना जाएगा:

परन्तु ऐसे स्वीकार किए गए किसी की तथ्य के ऐसी स्वीकृति के अलावा अन्य प्रकार से साबित किए जाने की अपेक्षा न्यायालय स्वविवेकानुसार कर सकेगा।

[2][(2) जहां प्रतिवादी ने अभिवचन फाइल नहीं किया है वहां न्यायालय के लिए वादपत्र में अन्तर्विष्ट तथ्यों के आधार पर निर्णय सुनाना, जहां तक निर्योग्यताधीन व्यक्ति को छोडकर किसी अन्य व्यक्ति का सम्बन्ध है, विधिपूर्ण होगा, किन्तु न्यायालय किसी ऐसे तथ्य को साबित किए जाने कीं अपेक्षा स्वविवेकानुसार कर सकेगा ।

(3) न्यायालय उपनियम (1) के परन्तुक के अधीन या उपनियम (2) के अधीन अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करने में इस तथ्य पर सम्यक ध्यान देगा कि क्या वादी किसी प्लीडर को नियुक्त कर सकता था या उसने किसी प्लीडर को नियुक्त किया है।

(4) इस नियम के अधीन जब कभी निर्णय सुनाया जाता है तब ऐसे निर्णय के अनुसार डिक्री तैयार की जाएगी और ऐसी डिक्री पर वही तारीख दी जाएगी जिस तारीख को निर्णय सुनाया गया था।

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 38 द्वारा (1-2-1977 से) नियम 5 को उस नियम के उपनियम (1) के रुप मे पुनःसख्यांकित किया गया ।

2. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 58 द्वारा (1-2-1977 से) अन्त: स्थापित किया गया ।

6. मुजरा की विशिष्टियां लिखित कथन में दी जाएंगी- (1) जहां धन की वसूली के वाद में प्रतिवादी न्यायालय की अधिकारिता की धन-संबंधी सीमाओं से अनधिक धन की कोई अभिनिश्चित राशि जो वह वादी से वैध रुप से वसूल कर सकता है वादी की मार्ग के विरुद्ध मुजरा करने का दावा करता है और दोनों पक्षकार वही हैसियत रखते है जो वादी के वाद में उनकी है वहां प्रतिवादी मुजरा के लिए चाही गई ऋण की विशिष्टियां देते हुए लिखित कथन वाद की पहली सुनवाई पर उपस्थित कर सकेगा, किन्तु उसके पश्चात् तब तक उपस्थित नहीं कर सकेगा जब तक कि न्यायालय द्वारा उसे अनुज्ञा नहीं दे दी गई हो ।

(2) मुजरा का प्रभाव- लिखित कथन का प्रभाव प्रतीपवाद में के वादपत्र के प्रभाव के समान ही होगा जिसे न्यायालय मूल दावे और मुजरा दोनों के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय सुनाने के लिए समर्थ हो जाए, किन्तु डिक्रीत रकम पर प्लीडर को डिक्री के अधीन देय खर्चों के बारे में उसके धारणाधिकार पर इससे प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(3) प्रतिवादी द्वारा दिए गए लिखित कथन सम्बन्धी नियम मुजरा के दावे के उत्तर में दिए गए लिखित कथन को भी लागू होते हैं ।

उच्च न्यायालय संशोधन

पटना उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- इस उच्च न्यायालय के द्वारा उपनियम (1) के अन्त में निम्नानुसार जोडा गया है-

"और आदेश 6 नियम 14 के प्रावधान यथावश्यक परिवर्तन सहित मुजरे का दावा करने वाले प्रतिवादी पर इस प्रकार लागू होंगे मानों वह वादी हो।"

[1][6क. प्रतिवादी द्वारा प्रतिदावा- (1) वाद में प्रतिवादी नियम 6 के अधीन मुजरा के अभिवचन के

अपने अधिकार के अतिरिक्त वादी के दावे के विरुद्ध प्रतिदावे के रूप में किसी ऐसे अधिकारी या दावे को, जो वादी के विरुद्ध प्रतिवादी को, वाद फाइल किए जाने के पूर्व या पश्चात् किन्तु प्रतिवादी द्वारा अपनी प्रतिरक्षा परित किए जाने के पूर्व या अपनी प्रतिरक्षा परिदत्त किए जाने के लिए परिसीमित समय का अवसान हो जाने के पूर्व, किसी वाद-हेतुक के बारे में प्रोद्भूत हुआ हो, उठा सकेगा चाहे ऐसा प्रतिदावा नुकसानी के दावे के रुप में हो या नहीं :

परन्तु ऐसा प्रतिदावा न्यायालय की अधिकारिता की धन-संबंधी सीमाओं से अधिक नहीं होगा।

(2) ऐसे प्रतिदावे का प्रभाव प्रतीपवाद के प्रभाव के समान ही होगा जिससे न्यायालय एक ही वाद में मूल दावे और प्रतिदावे दोनों के संबंध में अंतिम निर्णय सुनाने के लिए समर्थ हो जाए।

(3) वादी को इस बात की स्वतंत्रता होगी कि वह प्रतिवादी के प्रतिदावे के उत्तर में लिखित कथन ऐसी अवधि के भीतर जो न्यायालय द्वारा नियत की जाए, फाइल करे।

(4) प्रतिदावे को वादपत्र के रूप में माना जाएगा और उसे वही नियम लाए-होंगे जो वादपत्रों को लागू-होते हैं।

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 58 द्वारा (1-2-1977 से) अन्तःस्थापित किया गया ।

6ख. प्रतिदावे का कथन किया जाना- जहाँ कोई प्रतिवादी, प्रतिदावे के अधिकार का समर्थन करने वाले किसी आधार पर निर्भर करता है वहाँ वह अपने लिखित कथन में यह विनिर्दिष्टत: कथन करेगा कि वह ऐसा प्रतिदावे के रुप में कर रहा है ।

6ग. प्रतिदावे का अपवर्जन- जहाँ प्रतिवादी कोई प्रतिदावा उठाता है और वादी यह दलील देता है कि उसके द्वारा उठाए गए दावे का निपटारा प्रतिदावे के रुप में नहीं वरन् स्वतंत्र वाद में किया जाना चाहिए, वहाँ वादी प्रतिवादी के संबंध में विवाद्यकों के तय किए जाने के पूर्व किसी भी समय न्यायालय से इस आदेश के लिए आवेदन कर सकेगा कि ऐसे प्रतिदावे का अपवर्जन किया जाए और न्यायालय ऐसे आवेदन की सुनवाई करने पर ऐसा आदेश कर सकेगा जो वह ठीक समझे ।

6घ. वाद के बंद कर दिए जाने का प्रभाव- यदि किसी ऐसे मामले में जिसमें प्रतिवादी कोई प्रतिदावा उठाता है, वादी का वाद रोक दिया जाता है, बंद या खारिज कर दिया जाता है तो ऐसा होने पर भी प्रतिदावे पर कार्यवाही की जा सकेगी।

6ड. प्रतिदावे का उत्तर देने में वादी द्वारा व्यतिक्रम- यदि वादी प्रतिवादी द्वारा किए गए प्रतिदावे का उत्तर प्रस्तुत करने में व्यतिक्रम करता है तो न्यायालय वादी के विरुद्ध उस प्रतिदावे के सम्बन्ध में जो उसके विरुद्ध किया गया है, निर्णय सुना सकेगा या प्रतिदावे के सम्बन्ध में ऐसा आदेश कर सकेगा जो वह ठीक समझे।

6च. जहां प्रतिदावा सफल होता है वहां प्रतिवादी को अनुतोष- जहां किसी वाद में वादी के दावे के विरुद्ध प्रतिरक्षा के रूप में मुजरा या प्रतिदावा सिद्ध कर दिया जाता है और कोई ऐसा अतिशेष पाया जाता है जो, यथास्थिति, वादी या प्रतिवादी को शोध्य है वहां न्यायालय ऐसे पक्षकार के पक्ष में जो ऐसे अतिशेष के लिए हकदार हो, निर्णय दे सकेगा ।

6छ. लिखित कथन से संबंधित नियमों का लागू होना- प्रतिवादी द्वारा दिए गए लिखित कथन से सम्बन्धित नियम प्रतिदावे के उत्तर में फाइल किए गए लिखित कथन को भी लागू होंगे ।]

7. पृथक् आधारों पर आधारित प्रतिरक्षा या मुजरा- जहां प्रतिवादी पृथक और सुभिन्न तथ्यों पर आधारित प्रतिरक्षा के या मुजरा के [1][या प्रतिदावे के] कई सुभिन्न आधारों पर निर्भर करता है वहां उनका कथन जहां तक हो सके, पृथकतः और सुभिन्नतः किया जाएगा ।

8. प्रतिरक्षा का नया आधार- प्रतिरक्षा का कोई भी ऐसा आधार जो वाद के संस्थित किए जाने के या मुजरा का दावा करने वाले लिखित कथन के या प्रतिदावे के उपस्थित किए जाने के पश्चात् पैदा हुआ है, यथास्थिति, प्रतिवादी या वादी द्वारा अपने लिखित कथन में उठाया जा सकेगा।

[3][8क. .... निरसित

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 58 द्वारा (1-2-1977 से) अन्तःस्थापित किया गया
2. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 58 द्वारा (1-2-1977 से) अन्त: स्थापित किया गया
3. सिविल प्रक्रिया संहिता! संशोधन अधिनियम 1999 के द्वारा नियम 8क निरसित ।
4. 2002 के अधिनियम सं. 22 की धारा 9 द्वारा (1-7-2002 से) नियम 9 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[1]**[9. पश्चातवर्ती अभिवचन-** प्रतिवादी के लिखित कथन के पश्चात कोई भी अभिवचन, जो मुजरा के या प्रतिदावे के विरुद्ध प्रतिरक्षा से भिन्न हो, न्यायालय की इजाजत से ही और ऐसे निबंधनों पर, जो न्यायालय ठीक समझे, उपस्थित किया जाएगा, अन्यथा नहीं, किंतु न्यायालय, पक्षकारों में किसी से भी लिखित कथन या अतिरिक्त लिखित कथन किसी भी समय अपेक्षित कर सकेगा और उसे उपस्थित करने के लिए तीस दिन से अनधिक का समय नियत कर सकेगा ।

[1]**[10. जब न्यायालय द्वारा अपेक्षित लिखित कथन को उपस्थित करने में पक्षकार असफल रहता है तब प्रक्रिया-** जहां ऐसा कोई पक्षकार, जिससे नियम 1 या नियम 9 के अधीन लिखित कथन अपेक्षित है, उसे, न्यायालय द्वारा, यथास्थिति, अनुज्ञात या नियत समय के भीतर उपस्थित करने में असफल रहता है वहां न्यायालय, उसके विरुद्ध निर्णय सुनाएगा या वाद के संबंध में ऐसा आदेश करेगा जो वह ठीक समझे और ऐसा निर्णय सुनाए जाने के पश्चात् डिक्री तैयार की जाएगी ।

उच्च न्यायालय संशोधन

म.प्र. उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- अधिसूचना दिनांक 16.9.1960 के द्वारा निम्नानुसार नियमों को जोडा गया है-

11. रजिस्टर्ड पता- प्रत्येक वाद में प्रतिवादी या किसी अन्य कार्यवाही में प्रतिपक्ष न्यायालय में उसकी उपस्थिति की प्रथम दिनांक को उस पर किसी पश्चातवर्ती कार्यवाही की तामील का पता देते एक ज्ञापन फाइल करेगा। पता सिविल जिले की स्थानीय सीमाओं के अन्तर्गत होगा जिसमें वाद या याचिका को नियत किया गया है और यदि ऐसे सिविल जिले की सीमाओं के भीतर का पता सुविधापूर्वक न दिया न दिया जा सकता हो तो उस सिविल जिले की स्थानीय सीमाओं के भीतर का जिसमें वह सामान्यत: निवास करता है होगा।

इस पते को "रजिस्टर्ड पता" कहा जाएगा और इसे संपूर्ण अन्तर्वर्तीय कार्यवाही एवं अपील में व

अंतिम निर्णय से दो वर्षों की अन्यथा अवधि के लिए भी व सभी प्रयोजनों निष्पादन को शामिल करते हुए मान्य होगा।

12. रजिस्टर्ड पता फाइल न करने का परिणाम- (1) यदि नियम 11 द्वारा अपेक्षित रजिस्टर्ड पता को प्रस्तुत करने में प्रतिवादी या प्रतिपक्ष विफल रहता है तो, न्यायालय के विवेक पर, उसकी प्रतिरक्षा,यदि कोई हो, समाप्ति के लिए दायीं हो जाएगी और वह उस स्थिति में हो जाएगा मानों उसने प्रतिरक्षा न की हो ।

1. 2002 के अधिनियम सं. 22 की धारा 9 द्वारा (1-7-2002 से) नियम 10 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

इस संबंध में न्यायालय स्वप्रेरणा से या किसी पक्ष के आवेदन पर आदेश कर सकेगी ।

(2) जहां उपनियम (1) के अन्तर्गत न्यायालय ने प्रतिरक्षा समाप्त कर दी है और वाद या कार्यवाही की सुनवाई को स्थगित कर दिया है और जहां प्रतिवादी या प्रतिपक्ष ऐसी सुनवाई या उसके पूर्व उपस्थित होता है और उसके द्वारा रजिस्टर्ड पता प्रस्तुति में विफल होने का समुचित कारण दर्शाता है तो न्यायालय उसके विरुद्ध पारित डिक्री या आदेश को कास्ट या अन्यथा ऐसे निबंधनों पर जो कि वह उपयुक्त समझता है वाद या कार्यवाही के उत्तर में सुने जाने के लिए निर्देशित कर सकेगा मानों उसकी प्रतिरक्षा समाप्त न हुई हो ।

(3) जहां उपनियम (1) के अन्तर्गत न्यायालय ने प्रतिरक्षा समाप्त कर दी है और बाद में डिक्री या आदेश पारित कर दिया है तो जैसा भी मामला हो, प्रतिवादी या प्रतिपक्ष, ऐसे न्यायालय को जिसके द्वारा डिक्री या आदेश पारित किया गया था, डिक्री या आदेश को अपास्त करने के लिए आवेदन कर सकेगा और यदि वह रजिस्टर्ड पता फाइल करता है और न्यायालय की यह संतुष्टि कर देता है कि वह पता प्रस्तुत करने से किसी समुचित कारणवश प्रवारित कर दिया गया था, तो न्यायालय उसके विरुद्ध पारित डिक्री या आदेश को कास्ट या अन्यथा ऐसे निबंधनों पर जो कि वह उपयुक्त समझता है, अपास्त करने के लिए आदेश पारित कर सकेगा और वह वाद या कार्यवाही के लिए दिनांक नियत करेगा । मानों उसकी प्रतिरक्षा समाप्त न हुई हो ।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- अधिसूचना दिनांक 1.6.1918 के द्वारा आदेश 8 में निम्नानुसार नियमों को जोडा गया है-

"11. प्रत्येक पक्षकार चाहे वह मूल हो जोड़ा गया हो अथवा प्रतिस्थापित किया गया हो जो कि वाद या कार्यवाही में उपस्थित होता है, तामील या सूचनापत्र मे सुनवाई के लिए नियत की गयी तारीख को या उसके पूर्व न्यायालय में हिन्दी देवनागरी लिपि में लिखित तामील के लिए उसके पते को बताते हुए उसे फाइल करने की कार्यवाही करेगा और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो वह उसकी प्रतिरक्षा, यदि कोई हो, समाप्ति के लिए दायी हो जाएगा और उस स्थिति में हो जाएगा मानों उसने प्रतिरक्षा न की हो । इस संबंध में न्यायालय स्वप्रेरणा से या किसी पक्ष के आवेदन पर इस प्रभाव का कृत्य कर सकेगी और न्यायालय ऐसा आदेश कर सकेगी जो कि वह उचित समझे ।

12. आदेश 7 के नियम 20, 22, 23, 24 व 25 यथाशक्य पूर्ववर्ती नियम के अन्तर्गत तामील के पते के लिए लागू होंगे ।

पटना उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- निम्नानुसार नियमों को जोड़िए--

"11. प्रत्येक पक्षकार चाहे वह मूल हो, जोडा गया हो अथवा प्रतिस्थापित किया गया हो जो कि वाद या कार्यवाही में उपस्थित होता है तामील, सूचनापत्र या उस पर निर्वाहित अन्य आदेशिका में सुनवाई में

प्रविष्ट होने के समय तामील हेतु उसके पते को बताते हुए एक विवरण फाइल करेगा और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो वह उसकी प्रतिरक्षा, यदि कोई हो, सम्पति के लिए दायी हो जाएगा और उस स्थिति में हो जाएगा मानों उसने प्रतिरक्षा न की हो । इस संबंध में न्यायालय स्वप्रेरणा से या किसी पक्ष के आवेदन पर इस प्रभाव का कृत्य कर सकेगी और न्यायालय ऐसा आदेश कर सकेगी जो कि वह उचित समझे ।

12. आदेश 7 के नियम 20 व 22 यथाशक्य पूर्ववर्ती नियम के अन्तर्गत तामील के पते के लिए लागू होंगे । "

आदेश 9

पक्षकारों की उपसंजाति और उनकी अनुपसंजाति का परिणाम

1. पक्षकार उस दिन उपसंजात होंगे जो प्रतिवादी के उपसंजात होने और उत्तर देने के लिए समन में नियत हैं- जो दिन प्रतिवादी के उपसंजात होने और उत्तर देने के लिए समन में नियत है उस दिन पक्षकार स्वयं या अपने-अपने प्लीडरों द्वारा न्याय सदन में हाजिर रहेंगे और, तब के सिवाय जबकि सुनवाई न्यायालय द्वारा नियत किसी भविष्यवर्ती दिन के लिए स्थगित कर दी जाएगी वाद उस दिन सुना जाएगा।

[1][**2. जहां समनों की तामील. खर्चे देने में वादी के असफल रहने के परिणामस्वरुप नहीं हुई है वहां वाद का खारिज किया जाना-** जहां ऐसे नियत दिन को यह पाया जाए कि प्रतिवादी पर समन की तामील इसलिए नहीं हुई है कि न्यायालय फीस या डाक महसूल, यदि कोई हो, जो ऐसी तामील के लिए प्रभार्य है, देने में या आदेश 7 के नियम 9 द्वारा अपेक्षित वाद-पत्र की प्रतियां उपस्थित करने में वादी असफल रहा है वहां न्यायालय यह आदेश कर सकेगा कि वाद खारिज कर दिया जाए:

परंतु ऐसी असफलता के होते हुए भी, यदि प्रतिवादी उस दिन, जो उसके उपसंजात होने और उत्तर देने के लिए नियत है, स्वयं पर जब वह अभिकर्ता के द्वारा उपसंजात होने के लिए अनुज्ञात है, अभिकर्ता के द्वारा उपसंजात हो जाता है तो ऐसा कोई आदेश नहीं किया जाएगा ।

1. 2002 के अधिनियम सं. 22 की धारा 10 द्वारा (1-7-2002 से) नियम 2 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

उच्च न्यायालय संशोधन

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- नियम 2 में शब्दों "न्यायालय फीस या डाक महसूल" के स्थान पर शब्दों "न्यायालय फीस या डाक महसूल या अन्य व्यय" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

3. जहां दोनों में से कोई भी पक्षकार उपसंजात नहीं होती है वहां वाद का खारिज किया जाना- जहां वाद की सुनवाई के लिए पुकार होने पर कोई भी पक्षकार उपसंजात नहीं होता है वहा न्यायालय यह आदेश दे सकेगा कि वाद खारिज कर दिया जाए।

4. वादी नया वाद ला सकेगा या न्यायालय वाद को फाइल पर प्रत्यावर्तित कर सकेगा- जहां वाद नियम 2 या नियम 3 के अधीन खारिज कर दिया जाता है वहां वादी नया वाद (परिसीमा विधि के अधीन रहते हुए) ला सकेगा या वह उस खारिजी को अपास्त कराने के आदेश के लिए आवेदन कर सकेगा और यदि वह न्यायालय का समाधान कर देता है कि, [1][यथास्थिति, नियम 2 में निर्दिष्ट असफलता के लिए] या उसकी अपनी अनुपसंजाति के लिए पर्याप्त हेतुक था तो न्यायालय खारिजों को अपास्त करने के लिए आदेश करेगा और वाद में आगे कार्यवाही करने के लिए दिन नियत करेगा ।

उच्च न्यायालय संशोधन

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के द्वारा मूल नियम 4 को 4(1) कर दिया है व उसके उपरांत निम्न नियम 4(2) जोडा गया है-

"(2) परिसीमा अधिनियम, 1908 के प्रावधान इस नियम के अन्तर्गत आवेदन को भी प्रयोज्य होंगे।"

गुजरात उच्च न्यायालय दारा संशोधन- गुजरात उच्च न्यायालय के द्वारा मूल नियम 4 को 4(1) कर दिया है व उसके उपरांत निम्न नियम 4(2) जोडा गया है-

"(2) परिसीमा अधिनियम, 1908 के प्रावधान इस नियम के अन्तर्गत आवेदन को भी प्रयोज्य होंगे |"

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 19 द्वारा (1-2-1977 से) कुछ शब्दी के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

5. जहां वादी, समन तामील के बिना लौटने के पश्चात् एक मास तक समन के लिए आवेदन करने में असफल रहता है वहां वाद का खारिज किया जाना- [1][(1) जहां समन प्रतिवादी या कई प्रतिवादियों में से एक के नाम निकाले जाने और तामील के बिना लौटाए जाने के पश्चात् उस तारीख से [2][सात दिन] की अवधि तक, जिसकी न्यायालय को उस अधिकारी ने विवरणी दी है, जो तामील करने वाले अधिकारियों द्वारा दी जाने वाली विवरणियों को न्यायालय को मामूली तौर से प्रमाणित करता है, वादी न्यायालय से नए समन निकालने के लिए आवेदन करने में असफल रहता है वहां न्यायालय यह आदेश करेगा कि वाद ऐसे प्रतिवादी के विरुद्ध खारिज कर दिया जाए किंतु यदि वादी ने न्यायालय का यह समाधान उक्त अवधि के भीतर कर दिया है कि-

(क) जिस प्रतिवादी पर तामील नहीं हुई है उसके निवास-स्थान का पता चलाने में वह अपने सर्वोत्तम प्रयास करने के पश्चात् असफल रहा है, अथवा

(ख) ऐसा प्रतिवादी आदेशिका की तामील होने देने से अपने को बचा रहा है, अथवा

(ग) समय को बढाने के लिए कोई अन्य पर्याप्त कारण है,

तो ऐसा आवेदन करने के लिए समय को न्यायालय इतनी अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा सकेगा जितनी वह ठीक समझे।]

(2) ऐसी दशा में वादी (परिसीमा विधि के अधीन रहते हुए) नया वाद ला सकेगा ।

1. 1920 के अधिनियम सं. 24 की धारा 2 द्वारा उपनियम (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
2. 1999 के अधिनियम सं. 46 की धारा 19 द्वारा (1-7-2002 से) "एक मास" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

6. जब केवल वादी उपसंजात होता है तब प्रक्रिया- (1) जहां वादी की सुनवाई के लिए पुकार होने पर वादी उपसंजात होता है और प्रतिवादी उपसंजात नहीं होता है वहां-

[1][(क) जब समन की तामील सम्यक् रुप से की गई है- यदि यह साबित हो जाता है कि समन की तामील सम्यक् रुप से की गई थी तो न्यायालय आदेश कर सकेगा कि वाद की एकपक्षीय सुनवाई की जाए,

(ख) जब समन की तामील सम्यक् रुप से नहीं की गई है- यदि यह साबित नहीं होता है कि समन की तामील सम्यक रुप से की गई थी तो न्यायालय आदेश देगा कि दूसरा समन निकाला जाए और उसकी तामील प्रतिवादी पर की जाए,

(ग) जब समन की तामील तो हुई हो किन्तु सम्यक् रुप से नहीं हुई हो- यदि यह साबित हो जाता है कि समन की तामील तो प्रतिवादी पर हुई थी किन्तु ऐसे समय पर नहीं हुई थी कि समन में नियत दिन को उपसंजात होने और उत्तर देने को उसे समर्थ करने के लिए उसे पर्याप्त समय मिल जाता,

तो न्यायालय वाद की सुनवाई को न्यायालय द्वारा नियत किए जाने वाले किसी भविष्यवर्ती दिन के लिए मुल्तवी करेगा और निदेश देगा कि ऐसे दिन की सूचना प्रतिवादी को दी जाए।

(2) जहां समन की सम्यक् रुप से तामील या पर्याप्त समय के भीतर तामील वादी के व्यतिक्रम के कारण नहीं हुई है वहां न्यायालय वादी को आदेश देगा कि मुल्तवी होने के कारण होने वाले खर्चों को वह दे ।

उच्च न्यायालय संशोधन

पटना उच्च न्यायालय दारा संशोधन- अधिसूचना दिनांक 6.5.1947 के द्वारा नियम 6(1) (ग) में शब्दों "और निदेश देगा कि ऐसे दिन की सूचना प्रतिवादी को दी जाए।" को विलोपित कर दिया गया है।

1. 1976 के अधिनियम सं. द्वारा (1-2-1977 से) खण्ड (क) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- अधिसूचना दिनांक 30-6-1956 के द्वारा नियम

6(1) (क) में शब्दों " न्यायालय आदेश कर सकेगा कि वाद की एकपक्षीय सुनवाई की जाए " के स्थान पर शब्दों " न्यायालय एक पक्षीय कार्यवाही कर सकेगा "

7. जहां प्रतिवादी स्थगित सुनवाई के दिन उपसंजात होता है और पूर्व अनुपसंजाति के लिए अच्छा हेतुक दिखाता है वहां प्रक्रिया- जहाँ न्यायालय ने एकपक्षीय रुप में वाद की सुनवाई स्थगित कर दी है और प्रतिवादी ऐसी सुनवाई के दिन या पहले उपसंजात होता है और अपनी पूर्व अनुपसंजाति के लिए अच्छा हेतुक दिखाता है वहां ऐसे निबन्धनों पर जो न्यायालय खर्चों और अन्य बातों के बारे में निदिष्ट करे उसे वाद के उत्तर में उसी भांति सुना जा सकेगा मानो वह अपनी उपसंजाति के लिए नियत किए गए दिन को उपसंजात हुआ था ।

उच्च न्यायालय संशोधन

राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- अधिसूचना दिनांक 30.6.1956 के द्वारा नियम 7 के स्थान पर निम्न नियम 7 को प्रतिस्थापित किया गया है-

"7 जहां न्यायालय ने एक पक्षीय सुनवाई का आदेश करने के उपरांत एकपक्षीय रूप में वाद की सनुवाई स्थगित कर दी है और प्रतिवादी ऐसी सुनवाई के दिन या पहले उपसंजात होता है और अपनी पूर्व अनुपसंजाति के लिए अच्छा हेतुक दिखाता है वहां ऐसे निबन्धनों पर जो न्यायालय खर्चों और अन्य बातों के बारे में निदिष्ट करे वाद को एकपक्षीय रुप में सुनने के आदेश को अपास्त कर सकेगा और उसे वाद के उत्तर में उसी भांति सुना जा सकेगा मानो वह अपनी उपसंजाति के लिए नियत किए गए दिन को उपसंजात हुआ था ।"

8. जहां केवल प्रतिवादी उपसंजात होता है वहां प्रक्रिया- जहां वाद की सुनवाई के लिए पुकार होने पर प्रतिवादी उपसंजात होता है और वादी उपसंजात नहीं होता है वहां न्यायालय यह आदेश करेगा कि वाद को खारिज किया जाए । किन्तु यदि प्रतिवादी दावे या उसके भाग को स्वीकार कर लेता है तो न्यायालय ऐसी स्वीकृति कर प्रतिवादी के विरुद्ध डिक्री पारित करेगा और जहा दावे का केवल भाग ही स्वीकार किया गया हो वहा वह वाद को वहां तक खारिज करेगा जहां तक उसका सम्बन्ध अवशिष्ट दावे से है ।

9. व्यतिक्रम के कारण वादी के विरुद्ध पारित डिक्री नए वाद का वर्जन करती है- (1) जहां वाद नियम 8 के अधीन पूर्णत: या भागत: खारिज कर दिया जाता है वहां वादी उसी वाद हेतुक के लिए नया

वाद लाने से प्रवारित हो जाएगा । किन्तु वह खारिजी को अपास्त करने के आदेश के लिए आवेदन कर सकेगा और यदि वह न्यायालय का समाधान कर देता है कि जब वाद की सुनवाई के लिए पुकार पड़ी थी उस समय उसकी अनुपसंजाति के लिए पर्याप्त हेतुक था तो न्यायालय खर्चों या अन्य बातों के बारे में ऐसे निबन्धनों पर जो वह ठीक समझे, खारिजी को अपास्त करने का आदेश करेगा और वाद में आगे कार्यवाही करने के लिए दिन नियत करेगा ।

(2) इस नियम के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदन की सूचना की तामील विरोधी पक्षकार पर न कर दी गई हो ।

10. कई वादियों में से एक या अधिक की गैरहाजिरी की दशा में प्रक्रिया- जहां एक से अधिक वादी है और उनमें से एक या अधिक उपसंजात होते हैं और अन्य उपसंजात नहीं होते हैं वहां न्यायालय उपसंजात होने वाले वादी या वादियों की प्रेरणा पर वाद को ऐसे आगे चलने दे सकेगा मानो सभी वादी उपसंजात हुए हों, या ऐसा आदेश कर सकेगा जो वह ठीक समझे ।

11. कई प्रतिवादियों में से एक या अधिक की गैरहाजिरी की दशा में प्रक्रिया- जहां एक से अधिक प्रतिवादी हैं और उनमें से एक या अधिक उपसंजात होते हैं और अन्य उपसंजात नहीं होते हैं वहां वाद आगे चलेगा और न्यायालय निर्णय सुनाने के समय उन प्रतिवादियों के सम्बन्ध में जो उपसंजात नहीं हुए हैं, ऐसा आदेश करेगा जो वह ठीक समझे ।

12. स्वयं उपसंजात होने के लिए आदिष्ट पक्षकार के पर्याप्त हेतुक दर्शित किए बिना गैरहाजिर रहने का परिणाम- जहां कोई वादी या प्रतिवादी, जिसे स्वयं उपसंजात होने के लिए आदेश किया गया है, स्वयं उपसंजात नहीं होता है या ऐसे उपजात होने से असफल रहने के लिए पर्याप्त हेतुक न्यायालय को समाधानप्रद रूप में दर्शित नहीं करता है वहां वह पूर्वगामी नियमों के उन सभी उपबन्धों के अधीन होगा जो ऐसे वादियों और प्रतिवादियों को जो उपसंजात नहीं होते हैं यथास्थिति लागू होते हैं ।

एकपक्षीय डिक्रियों को अपास्त करना

18. प्रतिवादी के विरुद्ध एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करना- किसी ऐसे मामले में जिसमें डिक्री किसी प्रतिवादी के विरुद्ध एकपक्षीय पारित की गई है, वह प्रतिवादी उसे अपास्त करने के आदेश के लिए आवेदन उस न्यायालय में कर सकेगा जिसके द्वारा वह डिक्री पारित की गई थी और यदि वह न्यायालय का यह समाधान कर देता है कि समन की तामील सम्यक् रुप से नहीं की गई थी या वह वाद की सुनवाई के लिए पुकार होने पर उपसंजात होने से किसी पर्याप्त हेतुक से निवारित कर रहा था तो खर्चों के बारे में, न्यायालय में जमा करने के या अन्यथा ऐसे निबन्धनों पर जो वह ठीक समझे, न्यायालय यह आदेश करेगा कि जहां तक डिक्री उस प्रतिवादी के विरुद्ध है वहा तक वह अपास्त कर दी जाए, और वाद में आगे कार्यवाही करने के लिए दिन नियत करेगा:

परन्तु जहां डिक्री ऐसी है कि केवल ऐसे प्रतिवादी के विरुद्ध अपास्त नहीं की जा सकती वहां वह अन्य सभी प्रतिवादियों या उनमें से किसी या किन्हीं के विरुद्ध भी अपास्त की जा सकेगी :

[1][परन्तु यह और कि यदि किसी न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि प्रतिवादी को सुनवाई की तारीख की सूचना थी और उपसंजात होने के लिए और वादी के दावे का उत्तर देने के लिए पर्याप्त समय था तो वह एकपक्षीय पारित डिक्री को केवल इस आधार पर अपास्त नहीं करेगा कि समन की तामील में अनियमितता हुई थी ।]

[2]**[स्पष्टीकरण-** जहां इस नियम के अधीन एकपक्षीय पारित डिक्री के विरुद्ध अपील की गई है और

अपील का निपटारा इस आधार पर भिन्न किसी आधार पर कर दिया गया है कि अपीलार्थी ने अपील वापस ले ली है वहां उस एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करने के लिए इस नियम के अधीन कोई आवेदन नहीं होगा ।]

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 59 द्वारा (1-2-1977 से) जोडा गया ।

2. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 59 द्वारा (1-2-1977 से) अतःस्थापित किया गया ।

उच्च न्यायलय संशोधन

मध्य प्रदेश उच्च न्यायलय द्वारा संशोधन- अधिसूचना दिनांक 16.9.1960 के द्वारा निम्न संशोधन किये गये-

(1) अस्तित्वयुक्त नियम 13 को उपनियम (1) के रूप में पुनर्क्रमंकित किया जाएगा और शब्दों "वह वाद की सुनवाई के लिए पुकार होने उपसंजात होने से किसी पर्याप्त हेतुक से निवारित रहा था" के स्थान पर शब्दों "उपस्थित होने में उसकी विफलता का समुचित कारण था" को प्रतिस्थापित किया जाएगा |

(2) निम्नानुसार अतिरिक्त परंतुक व स्पष्टीकरण जोड़ा गया-

"परन्तु यह भी कि ऐसी कोई डिक्री मात्र तामील में अनियमितता के आधार पर अपास्त नहीं की जाएगी कि यदि न्यायलय की यह संतुष्टि हो जाती है कि प्रतिवादी को तारीख के जानकारी थी अथवा उसके जानबूझकर आचरण से समुचित समय में ताकी उपसंजात होने में और वादी के दावे के उत्तर देने में समर्थ हो सके |

स्पष्टीकरण- जहाँ आदेश 5 नियम 15 के अंतर्गत वाद की विषय वस्तु में उस प्रतिवादी पर प्रतिकूल रखने वाले वयस्क पुरुष सदस्य पर तामील निर्वाहित की जाती है,तो इस नियम के आशय के अधीन इसे सम्यक तौर पर निर्वाहित होना नहीं समझा जावेगा"|

इलाहबाद उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- संशोधन के द्वारा निम्नानुसार अन्य परंतुक भी जोड़ा गया है-

"परन्तु यह भी ऐसी कोई डिक्री मात्र तामील में अनियमितता के आधार पर अपास्त नहीं कि जाएगी कि यदि न्यायलय की यह संतुष्टि हो जाती है कि प्रतिवादी को तारीख की जानकारी थी अथवा उसके जानबूझकर आचरण से समुचित समय में ताकि उपसंजात होने में और वादी के दावे के उत्तर देने में समर्थ हो सके |"

14. कोई भी डिक्री विरोधी पक्षकार को सूचना के बिना अपास्त नहीं की जाएगी- कोई भी डिक्री पूर्वोक्त जैसे किसी भी आवेदन पर तब तक अपास्त नहीं की जाएगी जब तक कि उसकी सूचना की तामील विरोधी पक्षकार पर न क र दी गई हो ।

आदेश 10

न्यायालय द्वारा पक्षकारों की परीक्षा

1. यह अभिनिश्चय करना कि अभिवचनों में के अभिकथन स्वीकृत हैं या प्रत्याख्यात हैं- न्यायालय हर एक पक्षकार से या उसके प्लीडर से वाद की प्रथम सुनवाई में यह अभिनिश्चित करेगा कि क्या वह तथ्य के उन अभिकथनों को जो वादपत्र में या यदि विरोधी पक्षकार का कोई लिखित कथन है तो उसमें किए गए हैं और जो उस पक्षकार द्वारा जिसके विरुद्ध वे किए गए हैं, अभिव्यक्त रूप से या आवश्यक

विवक्षा से स्वीकार या प्रत्याख्यात नहीं किए गए हैं, स्वीकार करता है या प्रत्याख्यात करता है । न्यायालय ऐसी स्वीकृतियों और प्रत्याख्यानों को लेखबद्ध करेगा ।

[1][**1क. वैकल्पिक विवाद समाधान के किसी एक तरीके के लिए विकल्प देने के लिए न्यायालय का निदेश-** स्वीकृतियों और प्रत्याख्यानों को अभिलिखित करने के पश्चात् न्यायालय वाद के पक्षकारों को धारा 89 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट रुप से न्यायालय के बाहर समझौते के किसी भी तरीके का विकल्प देने के लिए निदेश देगा । पक्षकारों के विकल्प पर न्यायालय ऐसे मंच या प्राधिकारी के समक्ष, जो पक्षकारों द्वारा विकल्प दिया जाए, उपसंजात होने की तारीख नियत करेगा ।

1ख. सुलह मंच या प्राधिकरण के समक्ष उपसंजात होना होना- जहां कोई वाद नियम 1क के अधीन विनिर्दिष्ट किया जाता है वहां पक्षकार वाद के सुलह के लिए ऐसे मच या प्राधिकरण के समक्ष उपसंजात होंगे ।

1ग. सुलह के प्रयासों के असफल होने के परिणामस्वरुप न्यायालय के समक्ष उपसंजात होना- जहां कोई वाद नियम 1क के अधीन निर्दिष्ट किया जाता है और सुलह मंच या प्राधिकरण के पीठासीन अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि मामले में आगे कार्यवाही करना न्याय के हित में उचित नहीं होगा तो वह न्यायालय को पुन: मामला निर्दिष्ट करेगा और पक्षकारों को उसके द्वारा नियत तारीख को न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने के लिए निदेश देगा ।]।

1. 1999 के अधिनियम सं. 46 की धारा 20 द्वारा (1-7-2002 से) अंत : स्थापित ।

[1][**2. पक्षकार की या पक्षकार के साथी की मौखिक परीक्षा-** (1) न्यायालय वाद की प्रथम सुनवाई में-

(क) पक्षकारों में से ऐसे पक्षकारों की जो न्यायालय में स्वयं उपसंजात हैं या उपस्थित हैं, वाद में विवादग्रस्त बातों के विशदीकरण की दृष्टि से मौखिक परीक्षा करेगा जो वह ठीक समझे; और

(ख) वाद से संबंधित किन्हीं तात्विक प्रश्नों के उत्तर देने में समर्थ ऐसे किसी व्यक्ति की, जो न्यायलय में स्वयं उपसंजात याउपस्थित पक्षकार या उसके प्लीडर के साथ है, मौखिक परीक्षा कर सकेगा |

(2) न्यायालय किसी पश्चात्वर्ती सुनवाई में, न्यायालय में स्वय उपसंजात या उपस्थित पक्षकार की या वाद से संबंधित किन्हीं तात्विक प्रश्नों के उत्तर देने में समर्थ ऐसे किसी व्यक्ति की, जो ऐसे पक्षकार या उसके प्लीडर के साथ है, मौखिक परीक्षा कर सकेगा ।

(3) यदि न्यायालय ठीक समझे तो वह दोनों पक्षकारों में से किसी के भी द्वारा सुझाए गए प्रश्नों को इस नियम के अधीन किसी परीक्षा के दौरान पूछ सकेगा ।]

[2]**3. परीक्षा का सार लिखा जाएगा-** परीक्षा का सार न्यायधीश द्वारा लिखा जाएगा और वह अभिलेख का भाग होगा ।

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 60 द्वारा (1-2-1977 से) नियम 2 के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।
2. यह नियम अवध के मुख्य न्यायालय को लागू नहीं होता है । देखिए अवध कोर्ट्स ऐक्ट, 1925 (1925 का यूपी. अधिनियम सं. 4) की धारा 16 (2) ।

4. उत्तर देने से प्लीडर के इंकार का या उत्तर देने में उसकी असमर्थता का परिणाम- (1) जहां प्लीडर द्वारा उपसंजात होने वाले पक्षकार का प्लीडर या प्लीडर के साथ वाला ऐसा व्यक्ति जो नियम 2 में निर्दिष्ट है, वाद से संबंधित किसी ऐसे तात्विक प्रश्न का उत्तर देने से इंकार करता है या उत्तर देने में असमर्थ रहता है, जिसके बारे में न्यायालय की राय है कि उसका उत्तर उस पक्षकार को देना चाहिए जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है और यह संभव है कि यदि स्वयं पक्षकार से परिप्रश्न किया जाए तो वह उसका उत्तर देने में समर्थ होगा, वहां न्यायालय [1][वाद की सुनवाई किसी ऐसे दिन के लिए जो पहली सुनवाई की तारीख से सात दिन से पश्चात् का न हो, मुल्तवी कर सकेगा] और निदेश दे सकेगा कि ऐसा पक्षकार उस दिन स्वय उपसंजात हो ।

(2) यदि ऐसे नियत दिन पर ऐसा पक्षकार विधिपूर्ण प्रतिहेतू के बिना स्वयं उपसंजात होने में असफल रहता है तो न्यायालय उसके विरुद्ध निर्णय सुना सकेगा या वाद के सम्बन्ध में ऐसा आदेश कर सकेगा जो वह ठीक समझे ।

आदेश 11

प्रकटीकरण और निरीक्षण

1. परिप्रश्नों द्वारा प्रकटीकरण कराना- किसी भी वाद में वादी या प्रतिवादी विरोधी पक्षकारों या ऐसे पक्षकारों में से किसी एक या अधिक की परीक्षा करने के लिए लिखित परिप्रश्न न्यायालय की इजाजत से परिदत्त कर सकेगा और परिदत्त किए जाते समय परिप्रश्नों में यह पाद टिप्पण होगा कि ऐसे व्यक्तियों में से हर एक ऐसे परिप्रश्नों में सें किनका उत्तर देने के लिए अपेक्षित है : परन्तु कोई भी प क्षकार एक ही पक्षकार को परिप्रश्न के एक संवर्ग से अधिक उस प्रयोजन के लिए आदेश के बिना परिदत्त नहीं करेगा : परन्तु यह और भी कि वे परिप्रश्न जो वाद में प्रश्नगत किन्हीं विषयों से संबंधित नहीं है इस बात के होते हुए भी विसंगत समझे जाएंगे कि सा क्षी की मौखिक प्रतिपरीक्षा करने में वे ग्राह्य होते ।

1. 1999 के अधिनियम सं. 46 की धारा 20 द्वारा (1-7-2002 से) कतिपय शब्दो के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

2. विशिष्ट परिप्रश्नों का दिया जाना- परिप्रश्नों के परिदान के लिए इजाजात के लिए आवेदन पर वे विशिष्ट परिप्रश्न जिनका परिदान किए जाने की प्रस्थापना है, न्यायालय के समक्ष रखे जाएंगे [1][और वह न्यायालय उक्त आवेदन के फाइल किए जाने के दिन से सात दिन के भीतर विनिश्चय करेगा] ऐसे आवेदन पर विनिश्चय करने में न्यायालय किसी ऐसी प्रस्थापना पर भी विचार करेगा जो उस पक्षकार ने जिससे परिप्रश्न किया जाता है प्रश्नगत बातों या उनमें सेकिसी से संबंधित विशिष्टियों को परिदत्त करने या स्वीकृतियां करने या दस्तावेजें पेश करने के लिए की हों और उसके समक्ष रखे गए परिप्रश्नों में से केवल ऐसे परिप्रश्नों के संबंध में इजाजत दी जाएगी जिन्हें न्यायालय या तो वाद के ऋजु निपटारे के लिए या खर्चों में बचत करने के लिए आवश्यक समझे ।

3. परिप्रश्नों के खर्चे- वाद के खर्चों का समायोजन करने में ऐसे परिप्रश्नों के प्रदर्शन के औचित्य के सम्बन्ध में जांच किसी पक्षकार की प्रेरणा पर की जाएगी और यदि विनिर्धारक अधिकारी या न्यायालय की राय जांच के लिए आवेदन पर या ऐसे आवेदन के बिना यह हो कि ऐसे परिप्रश्न अयुक्तियुक्तत: तग करने के लिए या अनुचित विस्तार के साथ प्रदर्शित किए गए हैं तो उक्त परिप्रश्नों और उनके उत्तरों के कारण हुए खर्चे हर हालत में उस पक्षकार द्वारा दिए जाएंगे जिसने यह कसूर किया है ।

4. परिप्रश्नों का प्ररूप- परिप्रश्न परिशिष्ट ग के प्ररुप संख्यांक 2 में ऐसे फेरफार के साथ होंगे जो परिस्थितियों में अपेक्षित हों ।

1. 1999 के अधिनियम सं. 48 की धारा 21 द्वारा (1-7-2002 से) अंतःस्थापित ।

5. निगम- जहां वाद का कोई पक्षकार निगम या व्यक्तियों का ऐसा निकाय है, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जो विधि द्वारा सशक्त है कि स्वयं अपने नाम से या किसी अधिकारी के या अन्य व्यक्ति के नाम से वाद ला सके या उस पर वाद लाया जा सके वहां कोई भी विरोधी पक्षकार ऐसे निगम या निकाय के किसी भी सदस्य या अधिकारी को परिप्रश्न परिदत्त करने के लिए अपने को अनुज्ञा देने वाले आदेश के लिए आवेदन कर सकेगा और आदेश तदनुसार किया जा सकेगा ।

6. परिप्रश्नों के सम्बन्ध में उत्तर बारा आक्षेप- किसी भी परिप्रश्न का उतर देने की बाबत इस आधार पर कि वह परिप्रश्न कलंकात्मक या विसंगत है या वाद के प्रयोजन के लिए सदभावपूर्वक प्रदर्शित नहीं किया गया है या वे विषय जिनके बारे में पूछताछ की गई है, उस प्रक्रम में पर्याप्त रुप से तात्विक नहीं हैं [1][या विशेषाधिकार के आधार पर या किसी अन्य आधार पर] कोई भी आक्षेप उत्तर में दिए गए शपथपत्र में किया जा सकेगा ।

7. परिप्रश्नों का अपास्त किया जाना और काट दिया जाना- कोई भी परिप्रश्न इस आधार पर अपास्त किए जा सकेंगे कि वे अयुक्तियुक्ततः या तंग करने के लिए प्रदर्शित किए गए हैं या इस आधार पर काट दिए जा सकेंगे कि वे अतिविस्तृत, पीड़ा पहुंचाने वाले, अनावश्यक या कलंकात्मक हैं और इस प्रयोजन के लिए कोई भी आवेदन परिप्रश्नों की तामील के पश्चात् सात दिन के भीतर किया जा सकेगा ।

8. उत्तर में दिए गए शपथ-पत्र का फाइल किया जाना- परिप्रश्नों का उतर शपथपत्र द्वारा दिया जाएगा जो दस दिन के भीतर या ऐसे अन्य समय के भीतर जो न्यायालय अनुज्ञात करे, फाइल किया जाएगा ।

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 61 द्वारा (1-2-1977 से) प्रतिस्थापित किया गया ।

9. उत्तर में दिए गए शपथ-पत्र का प्ररुप- परिप्रश्नों के उतर में दिया गया शपथपत्र परिशिष्ट ग के प्ररूप संख्यांक 3 में ऐसे फेरफार के साथ होगा जो परिस्थितियों में अपेक्षित हो ।

10. कोई आक्षेप नहीं किया जाएगा- उत्तर में दिए गए किसी शपथपत्र पर कोई भी आक्षेप नहीं किया जाएंगे । किन्तु किसी शपथपत्र के अपर्याप्त होने का आक्षेप किए जाने पर उसका अपर्याप्त होना या न होना न्यायालय द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

11. उत्तर देने के या अतिरिक्त उत्तर देने के लिए आदेश- जहां-जहां कोई व्यक्ति जिससे परिप्रश्न किया गया है उतर देने का लोप करता है या अपर्याप्त उत्तर देता है वहां परिप्रश्न करने वाला पक्षकार न्यायालय से इस आदेश के लिए आवेदन कर सकेगा कि उस पक्षकार से यह अपेक्षा की जाए कि वह, यथास्थिति, उत्तर दे या अतिरिक्त उत्तर दे और उससे यह अपेक्षा करने वाला आदेश लिया जा सकेगा कि

वह, न्यायालय द्वारा जैसा भी निदेश दिया जाए, या तो शपथपत्र द्वारा या मौखिक परीक्षा द्वारा उत्तर दे या अतिरिक्त उत्तर दे ।

12. दस्तावेजों के प्रकटीकरण के लिए आवेदन- कोई भी पक्षकार कोई भी शपथपत्र फाइल किए बिना न्यायालय से ऐसे आदेश के लिए आवेदन कर सकेगा जो किसी वाद के किसी अन्य पक्षकार को निदेश करता हो कि वह उसमें प्रश्नगत किसी बात से संबंधित ऐसी दस्तावेजों का, जो उसके कब्जे या शक्ति में हों या रही हों, शपथपत्र पर प्रकटीकरण करे । ऐसे आवेदन की सुनवाई के पश्चात् यदि न्यायालय का समाधान हो जाता है कि ऐसा प्रकटीकरण आवश्यक नहीं है या वाद के उस प्रक्रम में आवश्यक नहीं है तो वह उसे नामंजूर कर सकेगा या स्थगित कर सकेगा अथवा या तो साधारणत; या दस्तावेजों के कुछ वर्गो तक ही सीमित ऐसा आदेश कर सकेगा जो स्वविवेक में वह ठीक समझे :

परन्तु जब और जहां तक न्यायालय की यह राय है कि वाद के ऋजु निपटारे के लिए या खर्चो में बचत करने के लिए यह आवश्यक नहीं है तब और वहां तक प्रकटीकरण के लिए आदेश नहीं दिया जाएगा |

13. दस्तावेजों सम्बन्धी शपथपत्र- जिस पक्षकार के विरुद्ध ऐसा आदेश किया गया है जो अन्तिम पूर्ववर्ती नियम में वर्णित है, उस पक्षकार द्वारा दिए जाने वाले शपथपत्र में यह विनिर्दिष्ट होगा कि उसमें वर्णित दस्तावेजों में से किसको (यदि कोई हो) पेश करने पर वह आक्षेप करता है और यह परिशिष्ट ग के प्ररुप संख्यांक 5 में ऐसे फेरफार के साथ होगा जो परिस्थितियों से अपेक्षित हो ।

14. दस्तावेजों का पेश किया जाना- न्यायालय के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह किसी भी वाद के लंबित रहने के दौरान किसी भी समय उसमें के किसी भी पक्षकार को यह आदेश दे कि वह शपथ पर, अपने कब्जे या शक्ति में की और ऐसे वाद में प्रश्नगत किसी विषय से सम्बन्धित दस्तावेजों में से ऐसी दस्तावेजें पेश करे जो न्यायालय ठीक समझे और जब ऐसी दस्तावेजें पेश की जाएं तब न्यायालय उनका इस प्रकार उपयोग कर सकेगा जो न्यायसंगत प्रतीत हो ।

15. अभिवचनों या शपथपत्र में निर्दिष्ट दस्तावेजों का निरीक्षण- वाद का हर पक्षकार किसी भी ऐसे अन्य पक्षकार को, जिसके अभिवचनों या शपथपत्रों में किसी दस्तावेज के प्रति निर्देश किया गया है या जिसने अपने अभिवचनों से उपाबद्ध किसी सूची में किसी दस्तावेज की प्रविष्टि की है, [1][विवाद्यकों के स्थिरीकरण के समय या उसके पूर्व] यह सूचना देने का हकदार होगा कि वह कोई ऐसी दस्तावेज ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार या उसके प्लीडर के निरीक्षण के लिए पेश करे और उसे या उन्हें उसकी प्रति लेने दे और ऐसी सूचना का अनुपालन न करने वाला कोई भी पक्षकार उसके पश्चात् ऐसी किसी भी दस्तावेज को ऐसे वाद में अपनी ओर से साक्ष्य में देने के लिए तब तक स्वतंत्र नहीं होगा जब तक कि वह न्यायालय का समाधान न कर दे कि वह वाद में प्रतिवादी है और ऐसे दस्तावेज का संबंध केवल उसके अपने हक से है या उसके पास कोई अन्य हेतुक या प्रतिहेतु था जिससे न्यायालय ऐसी सूचना का अनुपालन न करने के लिए पर्याप्त समझे, जिस दशा में न्यायालय खर्चों और अन्य बातों में ऐसे निबंधनों पर जो न्यायालय ठीक समझे, उसे साक्ष्य में रखे जाने के लिए अनुज्ञा सकेगा |

1. 1999 के अधिनियम सं. 46 की धारा 21 द्वारा (1-7-2002 से) "किसी भी समय" के स्थान पर प्रतिस्थापित |

16. पेश करने की सूचना- किसी पक्षकार को उसके अभिवचन या शपथपत्रों में निर्दिष्ट किन्हीं

दस्तावेजों को पेश करने की सूचना परिशिष्ट ग के प्ररूप संख्यांक 7 में ऐसे फेरफार के साथ होगी जो परिस्थितियों से अपेक्षित हो ।

17. जब सूचना दी गई है तब निरीक्षण के लिए समय- जिस पक्षकार को ऐसी सूचना दी गई है वह ऐसी सूचना के प्राप्त होने से दस दिन के भीतर उस पक्षकार को जिसने वह सूचना दी थी, ऐसी सूचना परिदत्त करेगा जिसमें उसके परिदान से तीन दिन के भीतर आने वाला वह समय कथित होगा जब उन दस्तावेजो का या उनमें से ऐसी का जिनके पेश करने के बारे में वह आक्षेप नहीं करता है, उसके प्लीडर के कार्यालय में या बैंककार बहियों या अन्य लेखा बहियों या ऐसी बहियों की, जो किसी व्यापार या कारबार के प्रयोजन के लिए निरंतर उपयोग में रहती है, दशा में उनकी अभिरक्षा के प्रायिक स्थान में निरीक्षण किया जा सकेगा और यह कथन होगा कि वे कौन सी दस्तावेजें हैं (यदि कोई हों) जिनके पेश करने के बारे में और किस आधार पर वह आक्षेप करता है । ऐसी सूचना परिशिष्ट ग में के प्ररुप संख्यांक 8 में ऐसे फेरफार के साथ होगी जो परिस्थितियों से अपेक्षित हो ।

18. निरीक्षण के लिए आदेश- (1) जहां वह पक्षकार जिस पर नियम 15 के अधीन सूचना की तामील की गई है, निरीक्षण के लिए समय की ऐसी सूचना देने का लोप करता है या निरीक्षण कर देने पर आक्षेप करता है या अपने प्लीडर के कार्यालय से भिन्न स्थान पर निरीक्षण कराने की प्रस्थापना करता है वहां न्यायालय निरीक्षण चाहने वाले पक्षकार के आवेदन पर ऐसे स्थान में और इस प्रकार जो न्यायालय ठीक समझे, निरीक्षण के लिए आदेश कर सकेगा :

परन्तु जब और जहां तक न्यायालय की यह राय है कि वाद के ऋजु निपटारे के लिए या खर्चों में बचत करने के लिए यह आवश्यक नहीं है तब और वहां तक ऐसा आदेश नहीं किया जाएगा ।

(2) उन दस्तावेजों को छोड़कर जो उस पक्षकार के अभिवचनों, विशिष्टियों या शपथपत्रों में निर्दिष्ट हों जिसके विरुद्ध आवेदन किया गया है या उसके दस्तावेजो सम्बन्धी शपथपत्र में प्रकट की गई हों, दस्तावेजों निरीक्षण के लिए कोई भी आवेदन ऐसे शपथपत्र पर आधारित होगा जो यह दर्शित करता हो कि वे दस्तावेजें कौन सी हैं जिनका निरीक्षण किया जाना है, यह कि आवेदन करने वाला पक्षकार उनका निरीक्षण करने के लिए हकदार है और यह कि वह दूसरे पक्षकार के कब्जे या शक्ति में है । जब और जहा तक न्यायालय की यह राय है कि वाद के ऋजु निपटारे के लिए या खर्चों में बचत करने के लिए यह आवश्यक नहीं है तब और वहां तक न्यायालय ऐसी दस्तावेजों के निरीक्षण के लिए ऐसा आदेश नहीं करेगा ।

19. सत्यापित प्रतियां- (1) जहां किन्हीं कारबार की बहियों के निरीक्षण के लिए आवेदन किया गया है वहां यदि न्यायालय यह ठीक समझे तो वह मूल बहियों के निरीक्षण का आदेश देने के बजाय उनमें की किन्हीं प्रविष्टियों की प्रति देने के लिए और किसी ऐसे व्यक्ति के, जिसने मूल प्रविष्टियों से प्रति की तुलना कर ली है, शपथपत्र द्वारा उन प्रविष्टियों के सत्यापित किए जाने के लिए आदेश दे सकेगा और ऐसे शपथपत्र में यह कथन होगा कि मूल बही में कोई उद्घर्षण, अन्तरालेखन या परिवर्तन हैं या नहीं और हैं तो कोन से है : परन्तु ऐसी प्रति के दिए जाने पर भी न्यायालय उस बही के निरीक्षण के लिए आदेश दे सकेगा जिससे प्रति तैयार की गई थी ।

(2) जहां निरीक्षण के आदेश के लिए आवेदन पर किसी दस्तावेज के बारे में विशेषाधिकार का दावा किया जाता है वहां न्यायालय के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह विशेषाधिकार के दावे की विधिमान्यता का विनिश्चय करने के प्रयोजन से [1][दस्तावेज का, यदि वह राज्य के विषयों से सम्बन्धित दस्तावेज न हों तो

निरीक्षण करे]|

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 61 द्वारा (1-2-1977 से) अन्तःस्थापित किया गया ।

(3) न्यायालय वाद के किसी पक्षकार के आवेदन पर किसी भी समय और चाहे दस्तावेजों के शपथपत्र का पहले ही आदेश किया या दिया जा चुका हो या नहीं, किसी भी अन्य पक्षकार को शपथपत्र द्वारा यह कथन करने की उससे अपेक्षा करने वाला आदेश कर सकेगा कि विनिर्दिष्ट एक या अधिक दस्तावेज जिसे आवेदन-पत्र में विनिर्दिष्ट किया जाएगा, उसके कब्जे या शक्ति में है या हैं, किसी समय रही है या रही हैं और यदि अब उसके कब्जे में नहीं है तो उसे या उन्हें उसने कब अलग किया और उसका या उनका क्या हुआ । ऐसा आवेदन यह कथित करने वाले शपथपत्र द्वारा किया जाएगा कि अभिसाक्षी को विश्वास है कि जिस पक्षकार के विरुद्ध आवेदन किया गया है उसके कब्जे या शक्ति में वह दस्तावेज है या वे दस्तावेजें हैं या किसी समय थी या थीं जो आवेदन में विनिर्दिष्ट की गई है या की गई हैं, और वाद में प्रश्नगत बातों से या उनमें से कुछ से वह या वे सम्बन्धित है या है |

20. समयपूर्व प्रकटीकरण- जहां कोई पक्षकार जिससे किसी प्रकार का प्रकटीकरण या निरीक्षण चाहा गया है, उसके या उनके किसी भाग के बारे में आक्षेप करता है, वहां यदि न्यायालय का समाधान हो जाता है कि चाहे गए प्रकटीकरण या निरीक्षण का अधिकार वाद में विवादास्पद किसी विवाद्यक या प्रश्न के अवधारण पर निर्भर करता है या किसी अन्य कारण से यह वांछनीय है कि वाद में विवादग्रस्त किसी विवाद्यक या प्रश्न का अवधारण प्रकटीकरण या निरीक्षण केअधिकार का विनिश्चय करने से पहले किया जाना चाहिए तो वह आदेश दे सकेगा कि ऐसे विवाद्यक या प्रश्न का अवधारण पहले किया जाए और प्रकटीकरण तथा निरीक्षण के प्रश्न को आरक्षित रख सकेगा ।

21. प्रकटीकरण के आदेश का अनुपालन- [1][(1) जहां कोई पक्षकार परिप्रश्नों का उत्तर देने या दस्तावेजों के प्रकटीकरण या निरीक्षण के किसी आदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है वहां यदि वह वादी है तो वह इस बात के लिए दायी होगा कि उसका वाद अभियोजन के अभाव में खारिज कर दिया जाए, और यदि वह प्रतिवादी है तो वह इस बात के लिए दायी होगा कि यदि उसने कोई प्रतिरक्षा की है तो वह काट दी जाए और वह ऐसी स्थिति में रख दिया जाए मानो उसकी प्रतिरक्षा न की गई हो और परिप्रश्न करने वाला या प्रकटीकरण या निरीक्षण चाहने वाला पक्षकार न्यायालय से उस भाव के आदेश के लिए आवेदन कर सकेगा और [2][पक्षकारों को सूचना देने के पश्चात् और उनको सुनवाई के लिए युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात ऐसा आदेश ऐसे आवेदन पर तदनुसार किया जा सकेगा ।]

[3][(2) जहां किसी वाद को खारिज करने का कोई आदेश उपनियम (1) के अधीन किया जाता है वहां वादी उसी वाद-हेतुक पर नया वाद लाने से प्रवारित किया जाएगा ।

22. परिप्रश्नों के उत्तरों का विचारण में उपयोग- कोई भी पक्षकार परिप्रश्नों के लिए दिए गए विरोधी पक्षकार के उत्तरों में से किसी एक या अधिक का या उत्तर के किसी भाग का, अन्य उत्तरों या ऐसे पूरे उत्तर को पेश किए बिना, वाद के विचारण में साक्ष्य में उपयोग कर सकेगा : परन्तु सदा ही यह कि ऐसी दशा में न्यायालय उन उत्तरों को पूर्णत: देख सकेगा और यदि उसकी यह राय है कि उनमें से कोई अन्य उत्तर, पेश किए गए उत्तरों से ऐसे संसक्त हैं कि अन्तिम वर्णित उत्तरों का उनके बिना उपयोग नहीं करना चाहिए तो वह उनके पेश किए जाने के लिए निदेश दे सकेगा ।

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 61 द्वारा (1-2-1977 से) नियम 21 को उस नियम के उपनियम (1) के रुप मे पुन: संख्यांकित किया गया ।
2. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 61 द्वारा (1-2-1977 से) " तदनुसार आदेश किया जा सकेगा " शब्दो के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।
3. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 61 द्वारा (1-2-1977 से) अन्तःस्थापित किया गया ।

23. आदेश अवयस्क को लागू होगा- यह आदेश अवयस्क वादियों और प्रतिवादियों को और निर्योग्यताधीन व्यक्तियों के वाद-मित्रों और वादार्थ संरक्षकों को लागू होगा ।

आदेश 12
स्वीकृतियां

1. मामले की स्वीकृति की सूचना- वाद का कोई भी पक्षकार अपने लिखित अभिवचन द्वारा या अन्यथा लिखित रुप में सूचना दे सकेगा कि वह किसी अन्य पक्षकार के पूरे मामले की या उसके किसी भाग की सत्यता को स्वीकार करता है ।

2. दस्तावेजों की स्वीकृति के लिए सूचना- दोनों पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार दूसरे पक्षकार से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह किसी दस्तावेज को सभी न्यायसंगत अपवादों को छोडकर सूचना की तामील की तारीख से [1][सात] दिन के भीतर स्वीकार कर ले] और ऐसी सूचना के पश्चात् स्वीकृत करने से इंकार या उपेक्षा करने की दशा में, जब तक कि न्यायालय अन्यथा निदेश न करे, किसी भी ऐसी दस्तावेज को साबित करने के खर्च ऐसी उपेक्षा या इंकार करने वाले पक्षकार द्वारा दिए जाएंगे चाहे वाद का परिणाम कुछ भी हो और जब तक कि ऐसी सूचना नहीं दे दी गई हो किसी दस्तावेज को साबित करने का कोई भी खर्च केवल तभी अनुज्ञात किया जाएगा जब ऐसी सूचना न देना न्यायालय की राय में व्यय की बचत है ।

1. 1999 के अधिनियम सं. 46 की धारा 22 द्वारा (1-7- 2002 से) "पंद्रह" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

उच्च न्यायालय संशोधन

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- अधिसूचना दिनांक 1.6.1957 के तहत इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा किये गये संशोधन के उपरांत, इसका संशोधित रुप इस प्रकार है-

"2. दस्तावेजों की स्वीकृति के लिए सूचना- दोनो पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार दूसरे पक्षकार से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह [1][किसी दस्तावेज को सभी न्यायसंगत अपवादों को छोड़कर सूचना की तामील की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर स्वीकार कर ले] और ऐसी सूचना के पश्चात् स्वीकृत करने से इन्कार या बिना समुचित कारण के उपेक्षा करने की दशा में किसी भी ऐसी दस्तावेज को साबित करने के ऐसे विशेष खर्च जो कि प्रति दस्तावेज पचास रुपये से अनाधिक न्यायालय द्वारा नियत किये जाएं ऐसी उपेक्षा या इंकार करने वाले पक्षकार द्वारा दिए जाएंगे चाहे वाद का परिणाम कुछ भी हो और तब तक कि ऐसी सूचना नहीं दे दी गई हो किसी दस्तावेज को साबित करने का कोई भी खर्च केवल तभी अनुज्ञात किया जाएगा जब ऐसी सूचना न देना न्यायालय की राय में व्यय की बचत है ।"

पटना उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- नियम 2 के अंत में निम्नानुसार खण्ड जोड़े--

"न्यायालय दस्तावेजों को स्वीकार करने से दोषपूर्ण अथवा अयुक्तियुक्त इंकारी के मामले में दांडिक खर्च लगा सकेगा चाहे मुकदमे का परिणाम कुछ भी हो ।" (26.7.1972)

[2][**2क. यदि दस्तावेजों की स्वीकृति के लिए सूचना की तामील के पश्चात् उनसे इंकार नहीं किया जाता तो उन्हें स्वीकृत समझा जाना-** (1) ऐसी हर दस्तावेज, जिसको स्वीकार करने की मांग पक्षकार से की जाती है, उस पक्षकार द्वारा अभिवचन में या दस्तावेजों की स्वीकृति की सूचना के अपने उत्तर में विनिर्दिष्टत: या आवश्यक विवक्षा से प्रत्याख्यात नहीं की जाती है या उसको स्वीकार न किए जाने का कथन नहीं किया जाता है, सिवाय ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जो निर्योग्यताधीन है, स्वीकृत समझी जाएगी:

परन्तु न्यायालय स्वविवेकानुसार और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से यह अपेक्षा कर सकेगा कि इस प्रकार स्वीकृत कोई दस्तावेज ऐसी स्वीकृति से भिन्न रुप से साबित की जाए ।

(2) जहां पक्षकार दस्तावेजों की स्वीकृत की सूचना की तामील अपने पर किए जाने के पश्चात् किसी दस्तावेज को स्वीकार करने में अयुक्तियुक्त रूप से उपेक्षा करता है या इंकार करता है वहां न्यायालय उसे दूसरे पक्षकार को प्रतिकर के रुप में खर्चा देने का निदेश दे सकेगा ।

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 62 द्वारा (1-2-1977 से)" किसी दस्तावेज को स्वीकार कर ले " शब्दो के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।
2. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 62 द्वारा (1-2-1977 से) अन्त: स्थापित किया गया ।

3. सूचना का प्ररुप- दस्तावेजों को स्वीकृत करने की सूचना परिशिष्ट ग में प्ररूप संख्यांक 9 में ऐसे फेरफार के साथ होगी जो परिस्थितियों से अपेक्षित हो ।

[1][**3क. स्वीकृति के अभिलेखन की न्यायालय की शक्ति-** दस्तावेजों को स्वीकार करने के लिए सूचना नियम 2 के अधीन न दी जाने पर भी न्यायालय अपने समक्ष वाली कार्यवाही के किसी भी प्रकम में स्वयं अपनी प्रेरणा से किसी भी पक्षकार से कोई दस्तावेज स्वीकार करने की अपेक्षा कर सकेगा और ऐसी दशा में यह अभिलेखन करेगा कि क्या पक्षकार ऐसी दस्तावेज को स्वीकार करता है या स्वीकार करने से इंकार करता है या स्वीकार करने की उपेक्षा करता है ।

4. तथ्यों को स्वीकृत करने की सूचना- कोई भी पक्षकार किसी भी अन्य प्रकार से सुनवाई के लिए नियत दिन से कम से कम नौ दिन पहले किसी भी समय लिखित सूचना द्वारा अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसी सूचना मे वर्णित किसी या किन्हीं विनिर्दिष्ट तथ्य या तथ्यों को केवल वाद के प्रयोजनों के लिए स्वीकार कर ले । और ऐसी सूचना की तामील में पश्चात् छह दिन के भीतर या ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर जो न्यायालय द्वारा अनुज्ञात किया जाए उसको या उनको स्वीकृत करने से इंकार करने या उपेक्षा करने की दशा में तथ्य या तथ्यों के साबित करने का खर्चा जब तक कि न्यायालय अन्यथा निदेश न करें, इस प्रकार उपेक्षा करने या इंकार करने वाले पक्षकार द्वारा दिया जाएगा चाहे वाद का परिणाम कुछ भी क्यों न हो :

परन्तु ऐसी सूचना के अनुसरण में की गई किसी भी स्वीकृति के बारे में यह समझा जाएगा कि वह उस विशिष्ट वाद के प्रयोजनों के लिए ही की गई है और वह ऐसी स्वीकृति नहीं समझी जाएगी जिसका उस पक्षकार के विरुद्ध किसी अन्य अवसर पर या सूचना देने वाले पक्षकार से भिन्न किसी व्यक्ति के पक्ष में उपयोग किया जा सकता है:

2[................]

1. 1956 के अधिनियम सं. 66 की धारा 14 द्वारा अन्तःस्थापित किया गया ।
2. सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1999 के द्वारा द्वतीय परंतुक लुप्त । यह इस प्रकार था- "परन्तु यह और भी कि न्यायालय इस प्रकार की गई किसी भी स्वीकृति को ऐसे निबन्धनों पर जो न्यायसंगत हो, संशोधित करने या प्रत्याहृत कर लेने के लिए किसी भी पक्षकार को किसी भी समय अनुज्ञा दे सकेगा ।"

5. स्वीकृतियों का प्ररुप- तथ्यों को स्वीकार करने के लिए सूचना परिशिष्ट ग के प्ररुप संख्यांक 10 में और तथ्यों की स्वीकृतियां परिशिष्ट ग के प्ररूप संख्यांक 11 में ऐसे फेरफार के साथ होंगी जो परिस्थितियों से अपेक्षित हो ।

[1]**[6. स्वीकृतियों के आधार पर निर्णय-** (1) जहां अभिवचन में यहां अन्यथा, चाहे मौखिक रुप से या लिखित रुप में तथ्य की स्वीकृतियां की जा चुकी हैं वहां न्यायालय वाद के किसी प्रक्रम में या तो किसी पक्षकार के आवेदन पर या स्वप्रेरणा से और पक्षकारों के बीच किसी अन्य प्रश्न के अवधारण की प्रतीक्षा किए बिना ऐसी स्वीकृतियों को ध्यान में रखते हुए ऐसा आदेश या ऐसा निर्णय कर सकेगा जो वह ठीक समझे ।

(2) जब कभी उपनियम (1) के अधीन निर्णय सुनाया जाता है तब निर्णय के अनुसार डिक्री तैयार की जाएगी और डिक्री में वही तारीख दी जाएगी जिस तारीख को उक्त निर्णय सुनाया गया था ।

उच्च न्यायालय संशोधन

पटना उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- नियम 6 के स्थान पर निम्न नियम प्रतिस्थापित किया गया-

"जहाँ अभिवचन द्वारा या अन्यथा तथ्य की स्वीकृति हो चुकी है तो न्यायालय किसी पक्षकार के आवेदन पर या स्वप्रेरणा से वाद के किसी भी प्रक्रम पर व पक्षकारों के मध्य किसी अन्य प्रश्न के अवधारण का इंतजार किए बिना ठीक समझे जाने वाला कोई आदेश या निर्णय कर सकेगा ।"

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 62 द्वारा (1-2-1977 से) नियम 6 के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।

7. हस्ताक्षर के बारे में शपथपत्र- यदि दस्तावेजों या तथ्यों को स्वीकार करने की किसी सूचना के अनुसरण में की गई स्वीकृतियों के सम्यक् हस्ताक्षरण की बाबत साक्ष्य की अपेक्षा की जाती है तो प्लीडर या उसके लिपिक या ऐसी स्वीकृतियों के बारे में शपथपत्र पर्याप्त साक्ष्य होगा ।

8. दस्तावेजों को पेश करने के लिए सूचना- दस्तावेजों को पेश करने के लिए सूचना परिशिष्ट ग के प्ररूप संख्यांक 12 में ऐसे फेरफार के साथ होगी जो परिस्थितयों से अपेक्षित हो । पेश करने के लिए किसी सूचना की तामील के बारे में और उस समय के बारे में जब उसकी तामील की गई थी, प्लीडर या उसके लिपिक का शपथपत्र उसे पेश करने की सूचना की प्रति के सहित सभी दशाओं में सूचना की तामील के बारे में और उस समय के बारे में जब उसकी तामील की गई थी पर्याप्त साक्ष्य होगा ।

9. खर्चे- यदि स्वीकृति या पेश करने की सूचना ऐसी दस्तावेजों को विनिर्दिष्ट करती है जो आवश्यक नहीं है तो उसके कारण हुए खर्चे ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार द्वारा वहन किए जाएंगे ।

आदेश 13

दस्तावेजों का पेश किया जाना, परिबद्ध किया जाना और लौटाया जाना

[1]**[1. मूल दस्तावेजों का विवाद्यकों के स्थिरीकरण के समय या उसके पूर्व पेश किया जाना-** (1) पक्षकार या उनके प्लीडर मूल सभी दस्तावेजी साक्ष्य जहां उनकी प्रतियां वादपत्र या लिखित कथन के साथ फाइल की गई हैं, विवाद्यकों के स्थिरीकरण के समय या उसके पूर्व पेश करेगा ।

(2) न्यायालय इस प्रकार पेश की गई दस्तावेजों को ले लेगा:

परंतु यह तब जब कि उनके साथ ऐसे प्ररूप में तैयार की गई एक सही-सही सूची हो जो उच्च न्यायालय ने निर्दिष्ट किया हो ।

(3) उपनियम (1) की कोई भी बात ऐसे दस्तावेजों को लागू नहीं होगी, जो-

(क) दूसरे पक्षकारों के साक्षियों की प्रतिपरीक्षा करने के लिए पेश किए गए हैं, अथवा

(ख) किसी साक्षी को केवल उसकी स्मृति को ताजा करने के लिए दिए गए हैं ।] ।

उच्च न्यायालय संशोधन

पटना उच्च न्यायालय संशोधन- पटना उच्च न्यायालय वारा निम्न संशोधन किया गया-

1. 1999 के अधिनियम सं. 46 की धारा 23 द्वारा (1-7-2002 से) नियम 1 और 2 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

2. दस्तावेजों को पेश न करने का प्रभाव- लुप्त.... (सि. प्र. सं. (संशोधन) अधिनियम, 1999 (1999 का 46) द्वारा लुप्त)

3. विसंगत या अग्राही दस्तावेजों का नामंजूर किया जाना- न्यायालय वाद के किसी भी प्रकम में ऐसी किसी भी दस्तावेज को जिसे वह विसंगत या अन्यथा अग्राह समझता है ऐसे नामंजूर करने के आधारों को अभिलिखित करके नामंजूर कर सकेगा |

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 63 द्वारा (1-2-1977 से) कुछ शब्दो के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।

4. साक्ष्य में गृहीत दस्तावेजों पर पृष्ठांकन- (1) ठीक आगामी उपनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, हर ऐसी दस्तावेज पर, जो वाद में साक्ष्य में ग्रहण कर ली गई है निम्नलिखित विशिष्टियां पृष्ठांकित की जाएंगी अर्थात् : -

(क) वाद का संख्यांक और शीर्षक;

(ख) दस्तावेज को पे श करने वाले व्यक्ति का नाम;

(ग) वह तारीख जिसको वह पेश की गई थी; तथा

(घ) उसके इस प्रकार ग्रहण किए जा चुकने का कथन,

और पृष्ठांकन न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षरित या आद्यक्षरित किया जाएगा

(2) जहां इस प्रकार गृहीत दस्तावेज किसी बही, लेखा या अभिलेख में की प्रविष्टि है और ठीक आगामी नियम के अधीन मूल प्रति के स्थान में उसकी एक प्रति रख दी गई है वहां पूर्वोक्त विशिष्टियों का पुष्ठांकन उस प्रति पर किया जाएगा और उस पर का पृष्ठांकन न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षरित आद्यक्षरित किया जाएगा ।

उच्च न्यायालय संशोधन

पटना उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- अधिसूचना दिनांकित 5.12.1971 के द्वारा उपनियम 1 व उपनियम 2 में " न्यायाधीश " के उपरांत निम्नानुसार जोडा जाएगा-

"अथवा उच्च न्यायालय के मामले में न्यायाधीश या न्यायाधीशों में से किसी के आदेश के अधीन न्यायालय में अधिकारी द्वारा "

5. बहियों. लेखाओं और अभिलेखों में की गृहीत प्रविष्टियों की प्रतियों पर पृष्ठांकन- (1) वहां तक के सिवाय जहां तक कि बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम 1891 (1891 का 18) द्वारा अन्यथा उपबन्धित है, उस दशा में जिसमें वाद के साक्ष्य में गृहीत दस्तावेज डाकबही या दुकानबही या अन्य लेखा में की जो चालू उपयोग में रहता है, प्रविष्टि है वह पक्षकार, जिसकी ओर से वह बही या लेखा पेश किया गया है उस प्रविष्टि की प्रति दे सकेगा ।

(2) जहां ऐसी दस्तावेज लोक कार्यालय में से या लोक अधिकारी द्वारा पे श किए गए लोक अभिलेख में की प्रविष्टि है या जिस पक्षकार की ओर से वह बही या लेखा पेश किया गया है उससे भिन्न व्यक्ति की बही या लेखा में की प्रविष्टि है वहां न्यायालय अपेक्षा कर सकेगा कि उस प्रविष्टि की प्रति-

(क) जहां वह अभिलेख, बही या लेखापक्षकार की ओर से पेश किया गया है वहां उस पक्षकार द्वारा दी जाए, अथवा

(ख) जहां वह अभिलेख, बही या लेखा ऐसे आदेश के अनुपालन में पेश किया गया है जो स्वप्रेरणा पर कार्य करते हुए न्यायालय ने दिया है वहां दोंनों पक्षकारों या किसी भी पक्षकार द्वारा दी जाए |

(3) जहां प्रविष्टि के प्रति इस नियम के पूर्वगामी उपबन्धों के अधीन दे दी गई है वहां न्यायालय आदेश 7 के नियम 17 में वर्णित रीति से प्रति की परीक्षा और तुलना और प्रति को प्रमाणित कराने के पश्चात् प्रविष्टि को चिहित करेगा और उस बही, लेखा या अभिलेख को जिसमें वह है, उसे पेश करने वाले व्यक्ति को लौटवा देगा ।

6. साक्ष्य में अग्राह्य होने के कारण नामंजूर दस्तावेजों पर पृष्ठांकन- जहां उस दस्तावेज को जिस पर साक्ष्य के रुप में दोनों पक्षकारों में से कोई निर्भर करता है, न्यायालय साक्ष्य में अग्राह्य ठहरा देता है वहां नियम 4 के उपनियम (1) के खंड (क), (ख) और (ग) में वर्णित विशिष्टियां इस कथन के सहित की वे नामंजूर कर दी गई हैं, उस पर पृष्ठांकित की जाएंगी और पृष्ठाकन न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षरित या आद्यक्षरित किया जाएगा ।

7. गृहीत दस्तावेजों का अभिलेख में सम्मिलित किया जाना और नामंजूर की गई दस्तावेजों का लौटाया जाना- (1) हर ऐसी दस्तावेज जो साक्ष्य में ग्रहण कर ली गई है या जहां नियम 5 के अधीन मूल प्रति के स्थान में उसकी प्रति रखी गई है वहां उसकी प्रति, वाद के अभिलेख का भाग होगी |

(2) दस्तावेजें जो साक्ष्य में ग्रहण नहीं की गई हैं, अभिलेख का भाग नहीं होंगी और वे, यथास्थिति, उन व्यक्तियों को लौटा दी जाएंगी जिन्होंने उन्हें पेश किया था ।

उच्च न्यायालय संशोधन

म.प्र. उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- अधिसूचना दिनांक 16.2.1990 के द्वारा उपनियम (3) के द्वारा निम्नानुसार जोडा गया-

"(3) साक्ष्य में प्रस्तुत प्रत्येक दस्तावेज जो कि न्यायालयीन भाषा अथवा अंग्रेजी में नहीं लिखा गया है को अंग्रेजी के सही अनुवाद के द्वारा संलग्र किया जाएगा एवं प्रत्येक दस्तावेज जो कि न्यायालयीन भाषा में लिखा गया है परंतु देवनागरी के अलावा अन्य लिपि में है को देवनागरी लिपि के सही लिप्यंतरण द्वारा संलग्र किया जाएगा । यदि दस्तावेज को साक्ष्य में ग्राहय किया जाता है तो प्रतिपक्ष या तो अनुवाद अथवा लिप्यंतरण की शुद्धता को मंजूर कर सकेगा अथवा उसका स्वयं का अनुवाद अथवा लिप्यंतरण प्रस्तुत कर सकेगा ।

8. न्यायालय किसी दस्तावेज के परिबद्ध किए जाने का आदेश दे सकेगा- यदि न्यायालय को इस बात के लिए पर्याप्त हेतुक दिखाई दे तो वह किसी वाद में अपने समक्ष पेश की गई किसी भी दस्तावेज या बही के, इस आदेश के नियम 5 या 7 में या आदेश 7 के नियम 17 में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी अवधि के लिए और ऐसी शर्तो के अधीन जो न्यायालय ठीक समझे, परिबद्ध किए जाने और न्यायालय के किसी अधिकारी की अभिरक्षा में रखे जाने के लिए निर्देश दे सकेगा ।

9. गृहीत दस्तावेजों का लौटाया जाना– (1) वाद में अपने द्वारा पेश की गई और अभिलेख में सम्मिलित की गई किसी दस्तावेज को वापस लेने की वांछा करने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे वह वाद का पक्षकार हो या न हो, उस दस्तावेज को, जब तक कि वह नियम 8 के अधीन परिबद्ध न कर दी गई हो, वापस प्राप्त करने का हकदार-

(क) जहां वाद ऐसा है जिसमें अपील अनुज्ञात नहीं है वहां उस समय होगा जब वाद का निपटारा हो गया है, तथा

(ख) जहां वाद ऐसा है कि उसमें अपील अनुज्ञात है वहां उस समय होगा जब न्यायालय का समाधान हो जाता है कि अपील करने का समय बीत चुका है और अपील नहीं की गई है या अपील की गई है तो उस समय होगा जब अपील निपटा दी गई हो :

[1][परन्तु इस नियम द्वारा विहित समय से पूर्वतर किसी भी समय दस्तावेज लौटाया जा सकेगा यदि उसकी वापसी के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति-

(क) समुचित अधिकारी हो-

(I) वाद के पक्षकार की दशा में मूल के स्थान पर रखने के लिए प्रमाणित प्रति परिदत्त करता है, और

(II) किसी अन्य व्यक्ति की दशा में ऐसी मामूली प्रति परिदत्त करता है, जो आदेश 7 के नियम 17 के उपनियम (2) में वर्णित रीति से परीक्षित, मिलान की गई और प्रमाणित है, और

(ख) यह वचन देता है कि यदि उससे ऐसी अपेक्षा की गई तो वह मूल को पेश कर देगा:]

परन्तु यह और भी कि ऐसी कोई दस्तावेज नहीं लौटाई जाएगी जो डिक्री के बल से पूर्णतया शून्य या निरुपयोगी हो गई है ।

(2) साक्ष्य में गृहीत दस्तावेज की वापसी पर उसे प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा रसीद दी जायेगी।

उच्च न्यायालय संशोधन

म.प्र. उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- अधिसूचना दिनांक 16.9.1960 के द्वारा निम्नानुसार को उपनियम (2) के रुप में अंतःस्थापित किया गया और वर्तमान उपनियम (2) को उपनियम (3) के रुप में पुर्नसंख्यांकित किया गया-

"(2) जहाँ दस्तावेज ऐसे व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत किया गया है जो कि वाद का पक्षकार नहीं है, तो न्यायालय, दस्तावेज वापस करने के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति की प्रार्थना पर आदेश करेगा कि पक्षकार जिसके आग्रह पर दस्तावेजों को प्रस्तुत किया गया था वह प्रमाणित प्रतिलिपि तैयार करने के खर्चों का भुगतान करे ।

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 63 द्वारा (1-2-1977 से) परन्तुक के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।

पटना उच्च न्यायालय दारा संशोधन- आदेश 13 नियम 9 में में निम्नानुसार उपनियम (1 - क) को जोड़ा जाएगा-

"(1 - क) जहाँ दस्तावेज ऐसे व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो कार्यवाही में पक्षकार नहीं है तो न्यायालय उस पक्षकार से जिसकी ओर से दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है यहाँ के पूर्व यथा प्रावधानित मूल की प्रमाणित प्रतिलिपि को प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा "

10. न्यायालय स्वयं अपने अभिलेखों में से या अन्य न्यायालयों के अभिलेख में से कागज मंगा सकेगा- (1) न्यायालय स्वप्रेरणा से या वाद के पक्षकारों में से किसी के आवेदन पर स्वविवेकानुसार अपने अभिलेखों में से या किसी अन्य न्यायालय के अभिलेखों में से किसी अन्य वाद या कार्यवाही का अभिलेख मंगा सकेगा और उसका निरीक्षण कर सकेगा ।

(2) इस नियम के अधीन किया गया हर आवेदन का (जब तक कि न्यायालय अन्यथा निर्देश न करे) एक ऐसे शपथपत्र द्वारा समर्थन किया जाएगा जिसमें यह दर्शित होगा कि उस वाद में, जिसमें आवेदन किया गया है, वह अभिलेख कैसे तात्विक है और यह कि आवेदक अयुक्तियुक्त विलम्ब या व्यय के बिना उस अभिलेख की या उसके ऐसे भाग की जिसकी उसे आवश्यकता है, सम्यक् रुप से अधिप्रमाण कृत प्रति अभिप्राप्त नहीं कर सकता है या यह कि मूल की पेशीं न्याय के प्रयोजनों के लिए आवश्यक है ।

(3) इस नियम की कोई भी बात किसी भी ऐसी दस्तावेज को, जो वाद में साक्ष्य की विधि के अधीन अग्राह्य होती, साक्ष्य में उपयोग करने के लिए न्यायालय को समर्थ बनाने वाली नहीं समझी जाएगी ।

11. दस्तावेजों से सम्बंधित उपबन्धों का भौतिक पदार्थो को लागू होना- दस्तावेजों के सम्बन्ध में इसमें अन्तर्विष्ट उपबन्ध साक्ष्य के रुप में पेश किए जाने योग्य सभी अन्य भौतिक पदार्थो को जहां तक हो सके, लागू होंगे ।

संख्यांक 5

														निर्णय			अपील			निष्पादन						
													प्रतिवादी	तारीख	किसके पक्ष में दिया गया	किस बात के लिए या किस रकम के लिए ये दिया गया	अपील विनिश्चय की तारीख	अपील का निर्णय	आवेदन कीतारीख	आदेश की तारीख	किसके विरुद्ध	किस बात के लिये या यदि धन के लिए है तो किस रकम के लिये				

संख्यांक 15

अपीलों का रजिस्टर

(आदेश 41 का नियम 9)

.... स्थित न्यायलय (या उच्च न्यायालय)

वर्ष 19........ डिक्रियों की अपीलों का रजिस्टर

		अपीलार्थी			प्रत्यर्थी			डिक्री जिसकी अपील की गई है				**उपसंजाति**			**निर्णय**		
ज्ञपन की तारीख	अपील का संख्यांक	नाम	वर्णन	निवास-स्थान	नाम	वर्णन	निवास-स्थान	किस न्यायालय की है	मूल वाद का संख्यांक	विशिष्टियां	रकम का मूल्य	पक्षकारों के उपसंजाहोने का दिन	अपीलार्थी	प्रत्यर्थी	तारीख	पुष्ट किया गया,उलट दिया गया या उसमें फेरफार किया गया	किस बात या रकम के लिए

उच्च न्यायालय संशोधन

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- निम्नानुसार नियम 12 व 13 को अंतः स्थापित किया गया-

"12. न्यायालयीन भाषा अथवा अंग्रेजी में लिखा न होने वाली प्रत्येक दस्तावेज जो कि (क) वाद पत्र के साथ, अथवा (ख) प्रथम सुनवाई पर अथवा (ग) अन्य किसी समय पर किसी वाद, अपील अथवा कार्यवाही में साक्ष्य में प्रस्तुत किया जाता है, को न्यायालयीन भाषा में दस्तावेज के सही अनुवाद के द्वारा संलग्र किया जाएगा । यदि ऐसा कोई दस्तावेज न्यायालयीन भाषा में लिखा जाता है परंतु सामान्य फारसी अथवा उपयोग में होने वाली नागरी लिपि के अलावा तो इसे इसकी अंतर्वस्तु के फारसी अथवा नागरी लिपि में के सही लिप्यंतरण के द्वारा संलग्र किया जाएगा (22.5.1915)

अनुवाद अथवा लिप्यंतरण करने वाला व्यक्ति उसका नाम और पता देगा एवं सत्यापित करेगा कि अनुवाद अथवा लिप्यंतरण सही है । यदि दस्तावेज ऐसी लिपि अथवा भाषा में है जो कि अनुवादक अथवा लिप्यंतरण करने वाले व्यक्ति को ज्ञात नहीं है तो व्यक्ति जो कि अनुवादक अथवा लिप्यंतरण करने वाले व्यक्ति के फायदों के लिए मूल दस्तावेज से पडता है, भी उसका-नाम एवं पता देते हुए व यह बताते हुए कि उसने मूल दस्तावेज से सही पढा है सत्यापित करेगा" (10.12.1932)

"13. जहाँ नियम (1) द्वारा विहित सूची में शामिल दस्तावेज को साक्ष्य में मंजूर किया गया है तो न्यायालय नियम 4 (1) में विहित पृष्ठांकन करने के अलावा, वादी के लिए साक्ष्य के रुप में स्वीकार दस्तावेजों के मामले में क्रमबद्ध अंकों के साथ ऐसे दस्तावेज को चिन्हित करेगा एवं प्रतिवादी के लिए साक्ष्य में मंजूर दस्तावेजों के मामलों में क्रमबद्ध अक्षरों के साथ चिन्हित करेगा एवं ऐसे प्रत्येक क्रमांक अथवा अक्षर पर आद्यक्षर करेगा । जहाँ दो या अधिक पक्षकारगण प्रतिवादीगण हैं तो प्रथम पक्ष प्रतिवादी के दस्तावेजों को ए- 1, ए- 2, ए- 3 आदि चिन्हित किया जा सकेगा और द्वितीय पक्ष के लिए बी- 1, बी- 2, बी- 3 आदि | जब समान प्रकृति के दस्तावेजों की सख्या को मंजूर किया जाता है, उदाहरण के लिए भाडे की रसीदों की सीरीज को तो संपूर्ण सीरीज एक अंक अथवा केपिटल लेटर अथवा अक्षर एवं छोटे अंक अथवा छोटे अक्षर को सीरीज के प्रत्येक कागजात को सुभिन्न करने के लिए जोडा जाएगा । (22.5.1915 एवं 11.4.1936)

आदेश 14

विवाद्यकों का स्थिरीकरण और विधि विवाद्यकों के आधार पर या उन विवाद्यों के आधार पर जिन पर रजामन्दी हो गई है वाद का अवधारण

1. विवाद्यकों की विरचना- (1) विवाद्यक तब पैदा होते है जब कि तथ्य या विधि की कोई तात्विक प्रतिपादना एक पक्षकार द्वारा प्रतिज्ञात और दूसरे पक्षकार द्वारा प्रत्याख्यात की जाती है |

(2) तात्विक प्रतिपादनाएं विधि या तथ्य की वे प्रतिपादनाएं हैं जिन्हें वाद लाने का अपना अधिकार दर्शित करने के लिए वादी को अभिकथित करना होगा या अपनी प्रतिरक्षा गठित करने के लिए प्रतिवादी को अभिकथित करना होगा ।

(3) एक पक्षकार द्वारा प्रतिज्ञात और दूसरे पक्षकार द्वारा प्रत्याख्यात हर एक तात्विक प्रतिपादना

एक सुभिन्न विवाद्यक का विषय होगी ।

(4) विवाद्यक दो किस्म के होते है:-

(क) तथ्य विवाद्यक,

(ख) विधि विवाद्यक ।

(5) न्यायालय वाद की प्रथम सुनवाई में वादपत्र को और यदि कोई लिखित कथन हो तो उसे पढ़ने के पश्चात् और [1][आदेश 10 के नियम 2 के अधीन परीक्षा करने के पश्चात् तथा पक्षकारों या उनके प्लीडरों की सुनवाई करने के पश्चात्] यह अभिनिश्चित करेगा कि तथ्य की या विधि की किन तात्विक प्रतिपादनाओं के बारे में पक्षकारों में मतभेद है और तब वह उन विवाद्यक ओं की विरचना और अभिलेखन करने के लिए अग्रसर होगा जिनके बारे में यह प्रतीत होता है कि मामले का ठीक विनिश्चय उन पर निर्भर करता है ।

(6) इस नियम की कोई भी बात न्यायालय से यह अपेक्षा नहीं करती कि वह उस दशा में विवाद्यक विरचित और अभिलिखित करे जब प्रतिवादी वाद की पहली सुनवाई में कोई प्रतिरक्षा नहीं करता |

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 64 द्वारा (1-2-1977 से) कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।

[1]**[2. न्यायालय द्वारा सभी विवाद्यकों पर निर्णय सुनाया जाना-** (1) इस बात के होते हुए भी कि वाद का निपटारा प्रारम्भिक विवाद्यक पर किया जा सकेगा, न्यायालय उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए सभी विवाद्यकों पर निर्णय सुनाएगा ।

(2) जहां विधि विवाद्यक और तथ्य विवाद्यक दोनों एक ही वाद में पैदा हुए हैं और न्यायालय की यह राय है कि मामले या उसके किसी भाग का निपटारा केवल विधि विवाद्यक के आधार पर किया जा सकता है वहां यदि वह विवाद्यक-

(क) न्यायालय की अधिकारिता अथवा

(ख) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा सृष्ट वाद के वर्जन,

से सम्बन्धित है तो वह पहले उस विवाद्यक का विचारण करेगा और उस प्रयोजन के लिए यदि वह ठीक समझे तो, वह अन्य विवाद्यकों का निपटारा तब तक के लिए मुल्तवी कर सकेगा जब तक कि उस विवाद्यक का अवधारण न कर दिया गया हो और उस वाद की कार्यवाही उस विवाद्यक के विनिश्चय के अनुसार कर सकेगा ।

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 64 द्वारा (1-2-1977 से) नियम 2 के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।

3. वह सामग्री जिससे विवाद्यकों की विरचना की जा सकेगी- न्यायालय निम्नलिखित सभी सामग्री से या उसमें से किसी से विवाद्यकों की विरचना कर सकेगा-

(क) पक्षकारों द्वारा या उनकी ओर से उपस्थित किन्हीं व्यक्तियों द्वारा या ऐसे पक्षकारों के प्लीडरों द्वारा शपथ पर किए गए अभिकथन;

(ख) अभिवचनों या वाद में परिदत्त परिप्रश्नों के उत्तरों में किए गए अभिकथन;

(ग) दोनों पक्षकारों में से किसी के द्वारा पेश की गई दस्तावेजों की अन्तर्वस्तु ।

4. न्यायालय विवाद्यकों की विरचना करने के पहले साक्षियों की या दस्तावेजों की परीक्षा कर सकेगा- जहां न्यायालय की यह राय है कि किसी ऐसे व्यक्ति की परीक्षा किए बिना जो न्यायालय के सामने नहीं है, या किसी ऐसी दस्तावेज का निरीक्षण किए बिना जो वाद में पेश नहीं की गई है, विवाद्यकों को ठीक-ठीक विरचना नहीं की जा सकती है वहां वह विवाद्यकों की विरचना किसी ऐसे दिन के लिए स्थगित कर सकेगा जो सात दिन के पश्चात् का न हो। और (तत्समय प्रवृत विधि के अधीन रहते हुए) समन या अन्य आदेशिका द्वारा विवश करके किसी व्यक्ति की हाजिरी करा सकेगा या उस व्यक्ति द्वारा किसी दस्तावेज को पेश करा सकेगा जिसके कब्जे या शक्ति में वह दस्तावेज है ।

5. विवाद्यकों का संशोधन और उन्हें काट देने की शक्ति- (1) न्यायालय डिक्री पारित करने के पूर्व किसी भी समय ऐसे निबंधनों पर जो वह ठीक समझे, विवाद्यकों में संशोधन कर सकेगा या अतिरिक्त विवाद्यकों की विरचना कर सकेगा और सभी ऐसे संशोधन या अतिरिक्त विवाद्यक जो पक्षकारों के बीच विवादग्रस्त बातों के अवधारण के लिए आवश्यक हों, इस प्रकार संशोधित किए जाएंगे या विरचित किए जाएंगे ।

(2) न्यायालय डिक्री पारित करने के पूर्व किमी भी समय किन्हीं विवाद्यकों को काट सकेगा जिनके बारे में उसे प्रतीत होता है कि वे गलत तौर पर विरचित तया पुर:स्थापित किए गए हैं ।

6. तथ्य के या विधि के प्रश्न करार द्वारा विवाद्यकों के रुप में कथित किए जा सकेंगे- जहां वाद के पक्षकार तथ्य के या विधि के ऐसे प्रश्न के बारे में रजामंद हो गए हैं जो उनके बीच विनिश्चित किया जाना है वहा वे उसका विवाद्यक के रुप में कथन कर सकेंगे और लिखित रुप में यह करार कर सकेंगे कि ऐसे विवाद्यक पर न्यायालय के सकारात्मक या नकारात्मक निष्कर्ष पर-

(क) ऐसी धनराशि जो करार में विनिर्दिष्ट है या न्यायालय द्वारा या ऐसी रीति से न्यायालय निदेश क रे, अभिनिश्चित की जानी है, पक्षकारों में से एक द्वारा उनमें से दूसरे को संदत्त की जाएगी या उनमें से एक पक्षकार ऐसे किसी अधिकार का हकदार या ऐसे किसी दायित्व के अधीन घोषित किया जाएगा जो करार में विनिर्दिष्ट है;

1. 1999 के अधिनियम सं. 46 की धारा 24 द्वारा (1-7-2002 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
2. 2002 के अधिनियम सं. 22 की धारा 11 द्वारा (1-7-2002 से) नियम 5 के स्थान पर प्रतिस्थापित |

(ख) कोई सम्पत्ति जो करार में विनिर्दिष्ट है और वाद में विवादग्रस्त है, पक्षकारों में से एक द्वारा उनमें से दूसरे को या ऐसे परिदत्त की जाएंगी जैसे कि वह दूसरा निदेश करे, अथवा

(ग) पक्षकारों में से एक या अधिक पक्षकार करार में विनिर्दिष्ट और विवादग्रस्त बात से सम्बन्धित कोई विशिष्ट कार्य करेंगे या करने से विरत रहेंगे ।

7. यदि न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि करार का निष्पादन सद्भावनापूर्वक हुआ था तो वह निर्णय सुना सकेगा- जहां न्यायालय का ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह उचित समझे, यह समाधान हो जाता है कि---

(क) करार पक्षकारों द्वारा सम्यक् रुप से निष्पादित किया गया था;

(ख) पूर्वोक्त प्रश्न के विनिश्चय में उनका सारवान हित है, तथा

(ग) वह इस योग्य है कि उसका विचारण और विनिश्चिय किया जाए,

वहां वह उस विवाद्यक को अभिलिखित करने और उसका विचारण करने के लिए अग्रसर होगा,

और उस पर अपने निष्कर्ष या विनिश्चिय का उसी रीति से कथन करेगा मानो उस विवाद्यक की विरचना न्यायालय द्वारा की गई हो; और ऐसे विवाद्यक के निष्कर्ष या विनिश्चिय के आधार पर वह करार के निबन्धनों के अनुसार निर्णय सुनाएगा और इस प्रकार सुनाए गए निर्णय के अनुसरण में डिक्री होगी ।

आदेश 15
प्रथम सुनवाई में वाद का निपटारा

1. जब पक्षकारों में कोई विवाद नहीं है- जहां वाद की प्रथम सुनवाई में यह प्रतीत होता है कि विधि के या तथ्य के किसी प्रश्न पर पक्षकारों में विवाद नहीं है वहां न्यायालय तुरन्त ही निर्णय सुना सकेगा ।

2. जब कई प्रतिवादियों में से किसी एक का विवाद नहीं है- [1][(1) जहां एक से अधिक प्रतिवादी है और प्रतिवादियों में से किसी एक का विधि के या तथ्य के किसी प्रश्न पर वादी से विवाद नहीं है वहां न्यायालय ऐसे प्रतिवादी के पक्ष में या उसके विरुद्ध निर्णय तुरन्त ही सुना सकेगा और वाद केवल अन्य प्रतिवादियों के विरुद्ध चलेगा ।

[2][(2) जब कभी इस नियम के अधीन निर्णय सुनाया जाता है तब ऐसे निर्णय के अनुसार डिक्री तैयार की जाएगी और डिक्री में वही तारीख दी जाएगी जिस तारीख को निर्णय सुनाया गया थी ।।

3. जब पक्षकारों में विवाद है- (1) जहां पक्षकारों में विधि के या तथ्य के किसी प्रश्न पर विवाद है और न्यायालय ने इसमें इसके पूर्व उपबन्धित रुप में विवाद्यकों की विरचना कर ली है वहां यदि न्यायालय का यह समा धान हो जाता है कि विवाद्यकों में से ऐसे विवाद्यकों के लिए जो वाद के विनिश्चय के लिए पर्याप्त है जो तर्क या साक्ष्य पक्षकार तुरन्त ही दे सकते हैं उसके सिवाय कोई अतिरिक्त तर्क या साक्ष्य अपेक्षित नहीं है और वाद में तुरन्त ही आगे कार्यवाही करने से कोई अन्याय नहीं होगा तो न्यायालय ऐसे विवाद्यकों के अवधारण के लिए अग्रसर हो सकेगा और यदि उनसे सम्बन्धित निष्कर्ष विनिश्चय के लिए

पर्याप्त है तो वह तदनुसार निर्णय सुन सकेगा चाहे समन केवल विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए निकाला गया हो या वाद के अन्तिम निपटारे के लिए :

परन्तु जहां समन केवल विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए ही निकाला गया है वहां वह तब किया गया जाएगा जब पक्षकार या उनके प्लीडर उपस्थित हों और उनमें से कोई आक्षेप न करता

(2) जहां निष्कर्ष विनिश्चय के लिए पर्याप्त नहीं है वहां न्यायालय वाद की आगे की सुनवाई मुल्तवी करेगा और ऐसे अतिरिक्त साक्ष्य को पेश करने के लिए या ऐसे अतिरिक्त तर्क के लिए दिन नियत करेगा जो मामले में अपेक्षित हो ।

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 65 द्वारा (1-2-1977 से) नियम 2 क उस नियम के उपनियम (1) के रुप में पुन-संख्यांकित किया गया ।
2. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 65 द्वारा (1-2-1977 से) अन्तःस्थापित किया गया ।

4. साक्ष्य पेश करने में असफलता- जहां समन वाद के अन्तिम निपटारे के लिए निकाला गया है और दोनों में से कोई भी पक्षकार वह साक्ष्य पेश करने में पर्याप्त हेतुक के बिना असफल रहता है जिस पर वह निर्भर करता है वहां न्यायालय तुरन्त ही निर्णय सुना सकेगा या यदि वह ठीक समझता है तो विवाद्यकों की विरचना और अभिलेखन के पश्चात् वाद को ऐसे साक्ष्य पेश किए जाने के लिए स्थगित कर सकेगा जो ऐसे विवाद्यकों पर उसके विनिश्चय के लिए आवश्यक है ।

राज्य संशोधन

उत्तर प्रदेश राज्य संशोधन- उत्तर प्रदेश में प्रयोज्य होने वाला निम्नानुसार नियम को अंतःस्थापित किया गया-

"5. स्वीकृत भाड़े आदि को जमा करने में विफलता पर प्रतिरक्षा की समाप्ति- (1) पट्टाकर्ता द्वारा उसके पट्टे के अवसान के उपरांत पट्टेदार के निष्कासन के लिए एवं उससे भाड़ा अथवा उपयोग व अधिवास के लिए भाडा अथवा प्रतिकर किसी वाद में प्रतिवादी वाद की प्रथम सुनवाई पर या उसके पूर्व उसके द्वारा मंजूर संपूर्ण राशि मय 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के जमा करेगा एवं चाहे वह किसी राशि को देय होना मंजूर करता हो अथवा न करता हो वह वाद की निरंतरता के दौरान वह नियमित तौर पर मासिक भाडा उसके उपगत होने के एक सप्ताह के भीतर जमा करेगा और और उसके द्वारा देय होना मंजूर वाली संपूर्ण राशि को या उपरोक्त कथित देय मासिक राशि को जमा कराने में कोई चूक करने पर, न्यायालय उपनियम

(2) के प्रावधानों के अध्यधीन उसकी प्रतिरक्षा समाप्त कर सकेगा । "

स्पष्टीकरण 1- वाक्यांश " प्रथम सुनवाई ' 'तामील में वर्णित सुनवाई के लिए लिखित कथन प्रस्तुत करने की तारीखे और जहां एक से अधिक ऐसी दिनांकें वर्णित की गयीं हों तो वर्णित अंतिम दिनांक से

आशयित है ।

स्पष्टीकरण 2- वाक्यांश " उसके द्वारा मंजूर होना देय संपूर्ण राशि" से उपयोग या अधिवास के लिए चाहे भाडे के रुप में या प्रतिकर के कप में स्वीकृत भाडे की दर से स्वीकृत बकाया अवधि के लिए गणना की गयी, पट्टाकर्ता के एकाउण्ट पर भवन के संबंध में स्थानीय प्राधिकारी को देय करों व पदटाकर्ता द्वारा लिखित में हस्ताक्षरित अभिस्वीकृति की गयी पदटाकर्ता को भुगतान की गयी राशि, यदि कोई हो, व उ.प्र. शहरी भवन (पटटे पर देने भाडा व निष्कासन) अधिनियम, 1972 की धारा 30 के अन्तर्गत किसी न्यायालय मे जमा की गयी राशि यदि कोई हो के अलावा अन्य कोई कटौती न की गयी संपूर्ण सकल राशि से है |

स्पष्टीकरण 3- (1) वाक्यांश "मासिक देय राशि" से उपयोग या अधिवास के लिए चाहे यह भाडे के रूप में हो या प्रतिकर के रुप में हो, मंजूर भाडे की दर पर, स्थानीय प्राधिकारी को पदटाकर्ता के एकाउण्ट पर भवन के संबंध में भुगतान किये गये करों-यदि कोई हों, के अलावा बिना अन्य कोई कटौती किये प्रत्येक माह की देय राशि अभिप्रेत है ।

(2) प्रतिरक्षा समाप्ति का आदेश करने के पूर्व, न्यायालय इस संबंध में प्रतिवादी द्वारा किये जाने वाले अभ्यावेदन पर विचार कर सकता है वशर्त कि ऐसा अभ्यावेदन प्रथम सुनवाई के 10 दिवसों के भीतर या उपनियम (1) निर्दिष्ट सप्ताह के अवसान के उपरांत, जैसा भी मामला हो, दिया जाता है ।

(3) इस नियम के अन्तर्गत जमा की गयी राशि किसी भी समय वादी द्वारा आहरित की जा सकेगी । :

परन्तु यह कि ऐसा आहरण वादी के जमा की गयी राशि की शुद्धता को विवादित करने के वादी के किसी दावे को प्रतिकूलता कारित करने का प्रभाव नहीं रखेगी ।

परन्तु अन्यथा यह भी कि यदि जमा की गयी में जमाकर्ता द्वारा किसी की कारण से कटौतीयोग्य होने का दावा की जाने वाली कोई राशि भी शामिल है तो न्यायालय वादी से ऐसी राशि के संबंध में प्रतिभूति की उसके द्वारा इसे निकालने के पूर्व प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा ।

(यह संशोधन 1.1.1977 से किया गया जो कि दिनांक 3.10.1980 से प्रभावी किया गया ।)

आदेश 16
साक्षियों को समन करना और उनकी हाजिरी

[1]**[1. साक्षियों की सूची और साक्षियों को समन-** (1) ऐसी तारीख को या इसके पूर्व जो न्यायालय नियत करे और जो विवाद्यकों का निपटारा कर दिए जाने से पन्द्रह दिन पश्चात् न हो, पक्षकार न्यायालय में ऐसे साक्षियों की सूची पेश करेंगे जिन्हें वे या तो साक्ष्य देने के लिए या दस्तावेजों को पेश करने के लिए बुलाने की प्रस्थापना करते हैं और न्यायालय में ऐसे व्यक्तियों की हाजिरी के लिए उनके नाम समन अभिप्राप्त करेंगे ।

(2) यदि कोई पक्षकार किसी व्यक्ति की हाजिरी के लिए कोई समन अभिप्राप्त करना चाहता है तो वह पक्षकार न्यायालय में आवेदन उसके उस प्रयोजन का कथन करते हुए फाइल करेगा जिसके लिए साक्षी

को समन किया जाना प्रस्थापित है ।

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 66 द्वारा (1-2-1977 से) नियम 1 के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।

(3) न्यायालय कारण अभिलिखित करते हुए पक्षकार को किसी ऐसे साक्षी की जो उपनियम (1) में निर्दिष्ट सूची में वर्णित नामों से भिन्न हो, चाहे न्यायालय की मार्फत समन द्वारा या अन्यथा बुलाने की अनुमति केवल तभी दे सकेगा जब ऐसा पक्षकार उक्त सूची में ऐसे साक्षी के नाम का वर्णन करने में लोप के लिए पर्याप्त कारण दर्शित कर दे ।

(4) उपनियम (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, इस नियम में निर्दिष्ट समन पक्षकारों द्वारा न्यायालय से या ऐसे अधिकारी से जो [1][उपनियम (1) के अधीन साक्षियों की सूची प्रस्तुत करने के पांच दिन के भीतर न्यायालय द्वारा इस निमित्त नियुक्त किया जाए, आवेदन करके अभिप्राप्त किए जा सकेंगे ।

1. 1999 के अधिनियम सं. 46 की धारा 25 द्वारा (1-7-2002 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[1]**[1 क समन के बिना साक्षियों का पेश किया जाना-** नियम 1 उपनियम (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए वाद का कोई पक्षकार नियम 1 के अधीन समन के लिए आवेदन किए बिना किसी साक्षी को साक्ष्य देने या दस्तावेजें पेश करने के लिए ला सकेगा ।

2. समन के लिए आवेदन करने पर, साक्षी के व्यय न्यायालय में जमा कर दिए जाएंगे- (1) समन के लिए आवेदन करने वाला पक्षकार समन के अनुदत किए जाने के पहले और उस अवधि के भीतर जो नियत की जाए [2][जो नियम 1 के उपनियम (4) के अधीन आवेदन करने की तारीख से सात दिन के पश्चात् की न हो] ऐसी राशि न्यायालय में जमा करेगा जो समनित व्यक्ति के उस न्यायालय तक जिसमें हाजिर होन की उपेक्षा उससे की गई है आने और वहा से जाने के यात्रा संबंधी और अन्य व्ययों और एक दिन की हाजिरी के व्ययों को चुकाने के लिए न्यायालय को पर्याप्त प्रतीत हो ।

(2) विशेषज्ञ-- इस नियम के अधीन देय रकम या अवधारण करने में न्यायालय विशेषज्ञ के नाते साक्ष्य देने के लिए समनित किसी व्यक्ति की दशा में उस समय के लिए युक्तियुक्त पारिश्रमिक अनुज्ञात करेगा जो साक्ष्य देने में और मामले के लिए आवश्यक विशेषज्ञीय स्वरुप के किसी कार्य के करने में लगा हो ।

(3) व्ययों का मापमान- जहां न्यायालय उच्च न्यायालय के अधीनस्थ है वहा ऐसे व्ययों का मापमान नियत करने में उन नियमों का ध्यान रखा जाएगा जो उस निमित्त बनाए गए है ।

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 66 द्वारा (1-2-1977 से) नियम 1क के स्थान पर

प्रतिस्थापित किया गया |

2. 1999 के अधिनियम सं. 46 की धारा 25 द्वारा (1-7-2002 से) अंतःस्थापित ।

(4) व्ययों का साक्षियों को सीधे संदाय किया जाना- जहां पक्षकार द्वारा समन साक्षी पर सीधे तामील किया जाता है वहां उपनियम (1) में निर्दिष्ट व्यय साक्षी को पक्षकार या उसके अभिकर्ता द्वारा संदत्त किया जाएगा ।

उच्च न्यायालय संशोधन

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- अधिसूचना दिनांक 16.9.1960 के द्वारा उपनियम (1) में निम्नानुसार परतुंक जोडा गया है-

"अपवाद- इसके स्वयं के अधिकारियों में किसी को समन के लिए आवेदन करने में, शासकीय एवं राज्य रेलवे प्रशासन उपनियम (1) के क्रियान्वन से अभिमुक्त होगा ।"

पटना उच्च न्यायालय दारा संशोधन- आदेश 18 नियम 2(1) में निम्नानुसार परंतुक जोडा गया-

"परन्तु यह कि इस नियम के अन्तर्गत सरकार से न्यायालय में कोई व्यय भुगतान करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी जबकि यह समन को आवेदन करने वाला पक्ष हो, एवं आहूत किया जाने वाला अधिकारी सरकार के अधीन सेवारत है जिसे कि ऐसे तथ्यों की साक्ष्य देने के लिए आहूत किया गया है जिसकी उसे उसकी लोक क्षमता मे या इस कप में विषय को व्यवहत करने कारण जानकारी है ।"

राज्य संशोधन

उत्तर प्रदेश राज्य संशोधन- उ.प्र. के अधिनियम क्र. 57 वर्ष 1976 (1.11.1977) के द्वारा इस राज्य में निम्न संशोधन किया गया-

(1) नियम 2 के उपनियम (1) में अंत में निम्न परंतुक जोडा गया-

"परन्तु यह कि जहां शासकीय सेवक को आहूत करने के लिए आवेदन करने वाला पक्ष सरकार है तो न्यायालय को ऐसा कोई भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी ।"

(2) उपनियम (4) के उपरांत निम्न (उपनियम 4 - क) को जोड़ा गया है-

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 66 द्वारा (1-2-1977 से) अन्त : स्थापित किया गया|

“(4 - क) खर्च के रुप में शासकीय सेवक साक्षीगण के भत्ते आदि- कोई शासकीय सेवक जो कि न्यायालय में साक्ष्य देने के लिए अथवा दस्तावेज को प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित होता है कोई यात्रा अथवा दैनिक भत्ते एवं वेतन को ऐसे साक्षी के द्वारा प्रमाणित होने पर खर्चे के रुप में कराधेय किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण 1- यात्रा भत्ता व दैनिक भत्ते प्रश्नगत शासकीय सेवक को प्रयोज्य ऐसे भत्तों को प्रयोज्य होने वाले नियमों के अनुसार होंगे ।

स्पष्टीकरण 2.- शासकीय सेवक का दैनिक भत्ता व वेतन न्यायालय द्वारा अपेक्षित उसकी उपस्थिति के दिवसों की संख्या के अनुपात में होंगे ।"

3. साक्षी को व्ययों का निविदान- यदि समन की तामील समनित व्याकृत पर वैयक्तिक रुप में से की जा सकती है तो समन की तामील करते समय वह राशि जो न्यायालय में ऐसे जमा की गई है, समनित व्यक्ति को निविदत्त की जाएगी ।

उच्च न्यायालय संशोधन

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन (16.9.1960)- नियम 3 के स्थान निम्न नियम 3 प्रतिस्थापित किया गया है-

"3 (1) न्यायालय में इस प्रकार भुगतान की गयी राशि शासकीय सेवक या राज्य रेलवे कर्मचारी के मामले के अलावा, आहूत किये जाने वाले व्यक्ति को तामील निर्वाहित होने के समय दी जाएगी, यदि उस पर व्यक्तिश; तामील की जा सकती है ।"

(2) जहां शासन के अलावा वाद का अन्य पक्ष न्यायालय से शासकीय सेवक या रेलवे कर्मचारी को साक्षी के रूप में अथवा कार्यालीन दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए आहूत करने की प्रार्थना करता है तो पक्षकार न्यायालय में ऐसी राशि जमा करेगा जो कि न्यायालय की राय में जो कि, जैसा भी मामला हो, शासकीय सेवक या रेलवे कर्मचारी को भ्रमण पर यात्रा हेतु यात्रा व अन्य भत्ते के लिए समुचित होगी और इस प्रकार जमा की गयी राशि से शासकीय सेवक अथवा रेलवे कर्मचारी को उसे अनुज्ञेय भ्रमण पर यात्रा के रूप में यात्रा व अन्य भत्तों का भुगतान करेगा ।"

पटना उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- नियम 3 में निम्न परंतुक जोडा गया-

"परन्तु यह कि आहूत किया जाने वाला व्यक्ति शासकीय सेवक है जिसे कि न्यायालय में उस प्रकरण में जिसमें कि शासन पक्षकार है ऐसे तथ्यों की साक्ष्य देने के लिए आहूत किया गया है जिसकी उसे उसकी लोक क्षमता मे या इस रुप में विषय को व्यवहत करने कारण जानकारी है, तो-

(1) यदि आधिकारी का वेतन 10 रूपये मासिक से अनाधिक है तो न्यायालय तामील के निर्वहन के समय उसे नियम 2 द्वारा अवधारित उसे उसके व्ययों को भुगतान करेगा और ट्रेजरी से राशि को आहरित करेगा;

(2) यदि आधिकारी का वेतन 10 रुपये मासिक से आधिक है और न्यायालय उसके मुख्यालय से 5 मील से अधिक दूरी पर स्थित नहीं है तो न्यायालय उसके विवेक पर, उसकी उपस्थिति पर उपगत वास्तविक व्यय का भुगतान कर सकेगा ।

3. यदि आधिकारी का वेतन 10 रुपये मासिक से अधिक है और न्यायालय उसके मुख्यालय से 5 मील से अधिक दूरी पर स्थित है तो न्यायालय द्वारा उसे कोई भुगतान नहीं किया जाएगा ऐसी दशा में नियम 2 के अन्तर्गत भुगतान किये गये व्ययों को शासन में जमा किया जाएगा ।"

राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन (24.7.1954)- उपनियम 3 इस प्रकार प्रतिस्थापित किया गया है-

"न्यायालय में इस प्रकार भुगतान की गयी राशि को यदि आहूत किये जाने वाले व्यक्ति के द्वारा उस पर तामील निर्वाहित होने के समय भुगतान करने की अपेक्षा की जाए परिदत्त किया जा सकेगा, यदि उस पर व्यक्तिशः तामील हो सकती है ।"

4. जहां अपर्याप्त राशि जमा की गई है वहां प्रक्रिया- (1) जहां न्यायालय को या ऐसे अधिकारी को जिसे वह इस निमित्त नियुक्त करता है यह प्रतीत होता है कि न्यायालय में जमा की गई राशि ऐसे व्ययों या युक्तियुक्त पारिश्रमिक को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है वहा न्यायालय समनित व्यक्ति को ऐसी अतिरिक्त राशि के दिए जाने के लिए निदेश दे सकेगा जो उस मद्धे आवश्यक प्रतीत होती हो और सदाय करने में व्यतिक्रम की दशा में यह आदेश दे सकेगा कि ऐसी राशि समन करने वाले पक्षकार की जंगम संपत्ति की कुर्की और विक्रय के द्वारा उद्गृहीत की जाए या न्यायालय समनित व्यक्ति से साक्ष्य देने की अपेक्षा किए बिना उसे उन्मोचित कर सकेगा या ऐसे उद्ग्रहण का और ऐसे व्यक्ति के यथापूर्वोक्त उन्मोचन दोनों का आदेश दे सकेगा ।

(2) एक दिन से अधिक रोके जाने पर साक्षियों के व्यय- जहां समनित व्यक्ति को एक दिन से अधिक अवधि के लिए रोक रखना आवश्यक है वहां न्यायालय समय-समय पर उस पक्षकार को जिसकी प्रेरणा से वह समनित किया गया था, न्यायालय में ऐसी राशि जमा करने का आदेश दे सकेगा जो ऐसी अतिरिक्त अवधि के लिए उसके रोक रखने के व्ययों को चुकाने के लिए पर्याप्त हो और ऐसे निक्षेप करने में व्यतिक्रम होने पर आदेश दे सकेगा कि ऐसी राशि ऐसे पक्षकार की जगम संपत्ति की कुर्की और विक्रय के द्वारा उद्गृहीत की जाए या न्यायालय समनित व्यक्ति से साक्ष्य देने की अपेक्षा किए बिना उसे उन्मोचित कर सकेगा या ऐसे उद्ग्रहण का और ऐसे व्यक्ति के यथापूर्वोक्त उन्मोचन दोनों का आदेश दे सकेगा ।

उच्च न्यायालय संशोधन

म.प्र. उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन (16.9.1960)- नियम 4 में उपनियम (1) में प्रथम स्थान पर दर्शित "समनित व्यक्ति" के उपरांत इन शब्दों को जोड़ा गया है- "अथवा जबकि ऐसा व्यक्ति न्यायलय में भुगतान किया जाने वाला शासकीय सेवक या राज्य रेलवे कर्मचारी है"

राज्य संशोधन

उत्तर प्रदेश राज्य संशोधन (1.1.1977)- उत्तर प्रदेश राज्य में आदेश 14 नियम 4 मे निम्न परंतुक जोडा गया है -

"परन्तु यह कि इस नियम की कोई बात ऐसे मामले में प्रयोज्य नहीं होगी जहां साक्षी शासकीय सेवक है और पक्षकार के रुप में शासन होने पर उसके आग्रह पर उसे आहूत किया गया है ।"

5. हाजिरी के समय, स्थान और प्रयोजन का समन में विनिर्दिष्ट किया जाना- साक्ष्य देने या दस्तावेज पेश करने को किसी व्यक्ति की हाजिरी के लिए हर समन में वह समय और स्थान विनिर्दिष्ट होगा जिसमें वह हाजिर होने के लिए अपेक्षित है और यह भी विनिर्दिष्ट होगा कि उसकी हाजिरी साक्ष्य देने के प्रयोजन के लिए या दस्तावेज पेश करने के प्रयोजन के लिए या दोनों प्रयोजनों के लिए अपेक्षित है और ऐसी कोई विशिष्ट दस्तावेज जिसे पेश करने की समनित व्यक्ति से अपेक्षा की गई है, समन में युक्तियुक्त शुद्धता के साथ वर्णित होगी ।

6. दस्तावेज पेश करने के लिए समन- कोई भी व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए समन किए बिना, दस्तावेज पेश करने के लिए समन किया जा सकेगा और केवल दस्तावेज पेश करने के लिए ही समनित कोई व्यक्ति, यदि उसे पेश करने के लिए स्वयं हाजिर होने के बदले ऐसी दस्तावेज को पेश करवा देता है तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने समन का अनुपालन कर दिया है ।

7. न्यायालय में उपस्थित व्यक्तियों को साक्ष्य देने या दस्तावेज पेश करने के लिए अपेक्षित करने की शाक्त- न्यायालय में उपस्थित किसी भी व्यक्ति से न्यायालय यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह व्यक्ति साक्ष्य दे या ऐसी कोई दस्तावेज पेश करे, जो उस समय और वहां उसके कब्जे या शक्ति में है ।

[1]**[7क. तामील के लिए पक्षकार को समन का दिया जाना–**(1) न्यायालय किसी व्यक्ति की हाजिरी के लिए समन निकालने के लिए किसी पक्षकार के आवेदन पर, ऐसे पक्षकार को उस व्यक्ति पर समन की तामील करने के लिए अनुज्ञा दे सकेगा और ऐसी दशा में उस पक्षकार को तामील के लिए समन परिदत्त करेगा ।

(2) ऐसे समन की तामील ऐसे पक्षकार द्वारा या उसकी ओर से साक्षी को वैयक्तिक रुप से उसकी प्रति जो न्यायाधीश द्वारा या न्यायालय के ऐसे अधिकारी द्वारा जिसे वह इस निमित्त नियुक्त करे, हस्ताक्षरित हो और जो न्यायालय की मुद्रा से मुद्रांकित हो, परिदत्त या निविदत्त करके की जाएगी ।

(3) आदेश 5के नियम16 और नियम 18 के उपबन्ध कर अधिनियम के अधीन वैयक्तिक रुप से तामील किए गए समन को इस प्रकार लागू होंगे मानो तामील करने वाला व्यक्ति तामील करने वाला अधिकारी हो ।

(4) यदि ऐसा समन निविदत्त किए जाने के समय अगृहीत कर दिया जाता है या वह व्यक्ति जिस पर तामील की गई है, तामील भी अभिस्वीकृति पर हस्ताक्षर करके से इंकार कर देता है या किसी कारण से ऐसा समन वैयक्तिक रुप से तामील नहीं किया जा सकता है तो न्यायालय पक्षकार के आवेदन पर ऐसा समन उसी रीति से न्यायालय द्वारा तामील किए जाने के लिए जिससे प्रतिवादी को समन तामील किया जाता है, पुन: निकालेगा ।

(5) जहां इस नियम के अधीन पक्षकार द्वारा समन तामील किया जाता है वहां पक्षकार से ऐसी फीस संदत्त करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी जो समन की तामील के लिए अन्यथा प्रभार्य होती ।]

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 68 द्वारा (1-2-1977 से) अन्त: स्थापित किया गया ।

8. समन की तामील कैसे होगी- [1][इस आदेश के अधीन हर समन की तामील जो नियम 7 के अधीन पक्षकार को तामील के लिए परिदत्त समन नहीं है, जहां तक संभव हो सके, वैसी ही रीति से की जाएगी जैसी प्रतिवादी के नाम निकाले गए समन की तामील की जाती है और आदेश 5 के वे नियम जो तामील के सबूत से सम्बन्धित हैं, उन सभी समनों की दशा में लागू होंगे जिनकी तामील इस नियम के अधीन की गई है ।

उच्च न्यायालय संशोधन

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन (24.7.1926)-- नियम 8 में शब्दों " समन नहीं है के उपरांत निम्न शब्दों को जोडा गया है- "इस आदेश के अन्तर्गत, न्यायालय की अनुमति से इसके लिए आवेदन करने वाले पक्षकार या उसके अभिकर्ता द्वारा व्यक्तिश: तामील द्वारा, की जा सकेगी और ऐसी तामील में विफल रहने पर "

पटना उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- नियम 8 में निम्न परंतुक को जोड़ा गया-

"परन्तु यह कि इस आदेश के अन्तर्गत, न्यायालय की अनुमति से इसके लिए आवेदन करने वाले पक्षकार या उसके अभिकर्ता द्वारा व्यक्तिश: तामील द्वारा, की जा सकेगी और ऐसी तामील प्रभावी नहीं हो पाती है तो और न्यायालय की यह संतुष्टि हो जाती है कि पक्षकार या उसके अभिकर्ता के द्वारा ऐसी तामील को प्रभावी करने में सम्यक सतर्कता उपयोगित की गयी थी तो न्यायालय द्वारा सामान्य रीति में तामील का निर्वाह कराया जाएगा ।"

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 66 द्वारा (1-2-1977 से) कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।

राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन (24.7.1954 से)- नियम 8 में निम्न परंतुक जोडा गया-

"परन्तु यह कि कोई भी पक्ष न्यायालय की अनुमति से स्वयं या उसके अभिकर्ता के द्वारा उसके साक्षीगण या किसी साक्षी पर व्यक्तिश: तामील करवा सकेगा ।"

9. समन की तामील के लिए समय- सभी दशाओं में तामील उस समय से पर्याप्त समय पूर्व की जाएगी जो समनित व्यक्ति की हाजिरी के लिए समन में विनिर्दिष्ट हो, जिससे उसे तैयारी करने के लिए और उस स्थान तक जहां पर उसकी हाजिरी अपेक्षित है, यात्रा करने के लिए युक्तियुक्त समय मिल सके ।

10. जहां साक्षी समन का अनुपालन करने में असफल रहता है वहां प्रक्रिया- [1][(1) जहां वह व्यक्ति जिसके नाम साक्ष्य देने को हाजिर होने के लिए या दस्तावेज पेश करने के लिए समन निकाला गया है, ऐसे समन के अनुपालन में हाजिर होने या दस्तावेज पेश करने में असफल रहता है वहां न्यायालय-

(क) यदि तामील करने वाले अधिकारी का प्रमाणपत्र शपथपत्र द्वारा सत्यापित नहीं किया गया है या यदि समन की तामील पक्षकार या उसके अभिकर्ता द्वारा कराई गई है तो, यथास्थिति, तामील करने

वाले ऐसे अधिकारी या पक्षकार या उसके अभिकर्ता की जिसने शपथपत्र की तामील कराई थी, समन की तामील होने या न होने के बारे में शपथपत्र परीक्षा करेगा या किसी न्यायालय द्वारा उसकी इस प्रकार परीक्षा कराएगा; अथवा

(ख) यदि तामील करने वाले अधिकारी का प्रमाणपत्र इस प्रकार सत्यापित किया गया है तो, यथास्थिति, तामील करने वाले ऐसे अधिकारी या पक्षकार या उसके अभिकर्ता की जिसने शपथपत्र की तामील कराई थी, समन की तामील होने या न होने के बारे में शपथपत्र पर परीक्षा कर सकेगा या किसी न्यायालय द्वारा उसकी इस प्रकार परीक्षा करा सकेगा ।]

(2) जहां न्यायालय को यह विश्वास करने के लिए कारण दिखाई देता है कि साक्ष्य या ऐसा पेश किया जाना तात्विक है और ऐसे समन के अनुपालन में हाजिर होने या ऐसी दस्तावेज पेश करने में ऐसा व्यक्ति विधिपूर्ण प्रतिहेतु के बिना असफल रहा है या उसने तामील से अपने को साशय बचाया है वहां वह उससे यह अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा निकाल सकेगा कि वह उसमें नामित समय और स्थान में साक्ष्य देने या दस्तावेज पेश करने के लिए हाजिर हो और ऐसी उद्घोषणा की प्रति उस गृह के बाहर द्वार पर या अन्य सहजदृश्य भाग पर लगाई जाएगी जिसमें वह मामूली तौर से निवास करता है ।

(3) न्यायालय ऐसे व्यक्ति की गिरफतारी के लिए वांरट प्रतिभूति के सहित या बिना ऐसी उद्घोषणा के बदले में या उसे निकालने के समय या तत्पश्चात् किसी भी समय, स्वविवेकानुसार निकाल सकेगा और उसकी सम्पत्ति की कुर्की के लिए आदेश ऐसी कुर्की के खर्चों की और नियम 12 के अधीन अधिरोपित किए जाने वाले किसी जुर्माने की रकम से अनधिक ऐसी रकम के लिए कर सकेगा जो वह ठीक समझे:

परन्तु कोई भी लघुवाद न्यायालय स्थावर सम्पत्ति की कुर्की के लिए आदेश नहीं करेगा ।

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 66 द्वारा (1-2-1977 से) उपनियम (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।

उच्च न्यायालय संशोधन

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन (17.9.1938)- निम्न संशोधन किये गये-

(1) उपनियम (1) में "परीक्षा करा सकेगा" शब्दों के उपरांत पूर्ण विराम के स्थान पर कोलन प्रतिस्थापित कीजिए और परंतुक जोड़िये-

"परन्तु यह कि न्यायालय को तामील का निर्वाह कराने वाले अधिकारी के परीक्षण की आवश्यकता नहीं है यदिआहूत व्यक्ति को मात्र दस्तावेज को प्रस्तुत करने के आहूत किया गया है और उसने तामील होना मंजूर की है परन्तु दस्तावेज को लाने में विफलता की है ।"

(2) उपनियम (2) में

(क) शब्द “उद्घोषणा” के उपरांत व शब्द "अथवा यदि वह उपस्थित है तो उसके द्वारा लिखित में हस्ताक्षरित आदेश" शब्दों को अन्तःस्थापित किया गया है ।

(ख) शब्द "उद्घोषणा की प्रति" के स्थान पर शब्द " उद्घोषणा की प्रति, यदि जारी हुई हो" शब्दों को प्रतिस्थापित किया गया ।

(3) उपनियम 3 में शब्दों " उद्घोषणा के बदलें में या उसे निकालने के समय" के उपरांत "या लिखित में आदेश " शब्दों को जोडा गया है ।

11. यदि साक्षी उपसंजात हो जाता है तो कुर्की प्रत्याहृत की जा सकेगी- जहां ऐसा व्यक्ति अपनी सम्पत्ति की कुर्की के पश्चात् किसी समय उपसंजात हो जाता है और-

(क) न्यायालय का समाधान कर देता है कि समन का अनुपालन करने में वह विधिपूर्ण प्रतिहेतु के बिना असफल नहीं रहा है या उसने तामील से अपने को साशय नहीं बचाया है, तथा

(ख) जहां वह अन्तिम पूर्ववर्ती नियम के अधीन निकाली गई उद्घोषणा में नामित समय और स्थान में हाजिर होने में असफल रहा है वहां न्यायालय का समाधान कर देता है कि ऐसी उद्घोषणा की कोई सूचना उसे ऐसे समय पर नहीं हुई थी कि वह हाजिर हो सकता,

वहां न्यायालय यह निदेश देगा कि सम्पत्ति कुर्की से निर्मुक्त की जाए और कुर्की के खर्चों के सम्बन्ध में वह ऐसा आदेश करेगा जो वह ठीक समझे ।

12. यदि साक्षी उपसंजात होने में असफल रहता है तो प्रक्रिया- [1][(1) जहां ऐसा व्यक्ति उपसंजात नहीं होता है या उपसंजात तो होता है किन्तु न्यायालय का समाधान करने मे असफल रहता है वहां न्यायालय उसकी सांसरिक स्थिति और मामले की सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पांच सौ रुपए से अनधिक ऐसा जुर्माना उस पर अधिरोपित कर सकेगा जो वह ठीक समझे और इस प्रयोजन से कि यदि कोई युक्त जुर्माना हो तो उस जुर्माने की रकम के सहित ऐसी कुर्की के सभी खर्चों को चुकाया जा सके यह आदेश दे सकेगा कि उसकी सम्पत्ति या उसका कोई भाग कुर्क किया जाए और उसका विक्रय किया जाए या यदि वह पहले ही नियम 10 के अधीन कुर्क किया जा चुका है तो उसका विक्रय किया जाए :

परन्तु यदि वह व्यक्ति जिसकी हाजिरी अपेक्षित है उक्त खर्चों और जुर्माने को न्यायालय में जमा कर देता है तो न्यायालय सम्पत्ति को कुर्की से निर्मुक्त किए जाने का आदेश देगा ।

[2][(2) इस बात के होते हुए भी कि न्यायालय ने न तो नियम 10 के उपनियम (2) के अधीन उद्घोषणा निकाली है, और न उस नियम के उपनियम (3) के अधीन वांरट निकाला है और न कुर्की का आदेश किया है, न्यायालय ऐसे व्यक्ति को यह हेतुक दर्शित करने के लिए सूचना देने के पश्चात् कि जुर्माना क्यों नहीं अधिरोपित किया जाना चाहिए, इस नियम के उपनियम (1) के अधीन जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा ।]

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 66 द्वारा (1-2-1977 से) नियम 12 को उस नियम के उपनियम (1) के रुप में पुनःसख्याक्ति किया गया ।

2. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 66 द्वारा (1-2-1977 से) अन्तःस्थापित किया गया

13. कुर्की करने का ढंग- डिक्री के निष्पादन में सम्पत्ति की कुर्की और विक्रय के बारे में उपबन्ध जहां तक कि वे लागू होने योग्य हों, इस आदेश के अधीन किसी कुर्की और विक्रय को उसी प्रकार लागू समझे जाएंगे मानों वह व्यक्ति जिसकी सम्पत्ति इस प्रकार कुर्की की गई है, निर्णीत ऋणी हो ।

14. जो व्यक्ति वाद में परव्यक्ति है उन्हें न्यायालय साक्षियों के रुप में स्वप्रेरणा से समन कर सकेगा- हाजिरी और उपस्थिति के बारे में इस संहिता के उपबन्धों और तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन रहते हुए, जहा न्यायालय किसी भी समय यह आवश्यक समझता है कि [1][किसी ऐसे व्यक्ति की परीक्षा की जाए जिसके अन्तर्गत वाद का पक्षकार भी है] और जो वाद के पक्षकार द्वारा साक्षी के रुप में नहीं बुलाया गया है वहां न्यायालय स्वप्रेरणा से ऐसे व्यक्ति को, ऐसे दिन जो नियत किया जाएगा, साक्ष्य देने के लिए या अपने कब्जे में की कोई दस्तावेज पेश करने के लिए साक्षी के रुप में समन करवा सकेगा और साक्षी के रुप में उसकी परीक्षा कर सकेगा या उससे ऐसी दस्तावेज पेश करने केलिए अपेक्षा कर सकेगा

15. उन व्यक्तियों का कर्तव्य जो साक्ष्य देने या दस्तावेज पेश करने के लिए समन किए गए है- ठीक ऊपर वाले नियम के अधीन रहते हुए कोई व्यक्ति जो किसी वाद में उपसंजात होने और साक्ष्य देने के लिए समन किया जाता है वह उस प्रयोजन के लिए समन में नामित समय और स्थान में हाजिर होगा और कोई व्यक्ति जो दस्तावेज पेश करने के लिए समन किया जाता है वह ऐसे समयपर और ऐसे स्थान में या तो उसे पेश करने के लिए हाजिर हो गया उसे पेश कराएगा ।

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 66 द्वारा (1-2-1977 से) कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।

16. वे कब प्रस्थान कर सकेंगे- (1) इस प्रकार समनिऔर हाजिर होने वाला व्यक्ति जब तक कि न्यायालय अन्यथा निदेश न करे हर एक सुनवाई में तब तक हाजिर होता रहेगा जब तक कि वाद का निपटारा न हो जाए ।

(2) दोनों पक्षकारों में से किसी भी आवेदन पर और न्यायालय की मार्फत समस्त आवश्यक व्ययों के (यदि कोई हो) सदत्त किए जाने पर, न्यायालय इस प्रकार समनित और हाजिर होने वाले किसी भी व्यक्ति से अपेक्षा कर सकेगा कि वह अगली या किसी अन्य सुनवाई में या तब तक जब तक कि वाद का निपटारा न हो जाए हाजिर होने के लिए प्रतिभूति दे और ऐसी प्रतिभूति देने में उसके व्यतिक्रम करने पर आदेश कर सकेगा कि उसे सिविल कारागर में निरुद्ध किया जाए ।

17. नियम 10 से नियम 13 तक का लागू होना- नियम 10 से नियम 13 तक के उपबन्धों के बारे में जहां तक कि वे लागू होने योग्य हैं यह समझा जाएगा कि वे किसी भी ऐसे व्यक्ति को लागू होते हैं जो समन के अनुपालन में हाजिर होने पर नियम 16 के उल्लंघन में विधिपूर्ण प्रतिहेतु के बिना प्रस्थान कर गया है ।

18. जहां पकड़ा गया साक्षी साक्ष्य नहीं दे सकता या दस्तावेज पेश नहीं कर सकता वहां प्रक्रिया- जहां वारंट के अधीन गिरफ्तार किया गया कोई व्यक्ति न्यायालय के समक्ष अभिरक्षा में लाया जाता है और पक्षकारों की या उनमें से किसी भी अनुपस्थिति के कारण वह ऐसा साक्ष्य नहीं दे सकता है या ऐसी

दस्तावेज पेश नहीं कर सकता है जिसे देने या पेश करने के लिए वह समन किया गया है वहा न्यायालय उससे यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसे समय और ऐसे स्थान में जो न्यायालय ठीक समझे अपनी उपसंजाति के लिए युक्तियुक्त जमानत या अन्य प्रतिभूति दे और ऐसी जमानत या प्रतिभूति के दिए जाने पर उसे निर्मुक्त कर सकेगा और उसके ऐसी जमानत या प्रतिभूति देने में व्यतिक्रम करने पर आदेश दे सकेगा कि उसे सिविल कारागार में निरुद्ध किया जाए ।

19. जब तक कि कोई साक्षी किन्हीं निश्चित सीमाओं के भीतर का निवासी न हो वह स्वयं हाजिर होने के लिए आदिष्ट नहीं किया जाएगा- किसी भी व्यक्ति को स्वयं हाजिर होने के लिए केवल तभी आदेश किया जाएगा जब वह-

(क) न्यायालय की मामूली आरम्भिक अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर, अथवा

(ख) ऐसी दशाओं के बाहर किन्तु ऐसे स्थान में जो न्याय-सदन से [1][एक सौ किलोमीटर] से कम या (जहां उस स्थान के जहां वह निवास करता है और उस स्थान के जहां न्यायालय स्थित है, बीच पंचषष्टाश दूरी तक रेल या स्टीमर संचार या अन्य स्थापित लोक प्रवहण है वहां) [2][पांच सौ किलोमीटर] से कम दूर है **निवास करता है:**

[2][परन्तु जहां इस नियम में वर्णित दोनों स्थानों के बीच वायु मार्ग द्वारा यातायात उपलब्ध है और साक्षी को वायु मार्ग का यात्री भाड़ा संदत्त किया गया है, वहां उसे स्वयं हाजिर होने का आदेश किया जा सके गा ।]

उच्च न्यायालय संशोधन

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- आदेश 16 नियम 19 के खण्ड ख) में "लोक प्रवहण" के उपरांत व "वहाँ पाँच सौ किलोमीटर" के पूर्व या किराए पर चलने वाले निजी प्रवहण" और अंतःस्थापित किया गया है । [देखें अधिसूचना क्रमांक 24/VII-डी-154,4.4.1959]

20. न्यायालय द्वारा बुलाए जाने पर साक्ष्य देने से पक्षकार इंकार का परिणाम- जहां वाद का ऐसा क कोई पक्षकार जो न्यायालय में उपस्थित है, न्यायालय द्वारा अपेक्षा किए जाने पर, साक्ष्य देने से या ऐसे दस्तावेज को जो उस समय और वहीं उसके कब्जे या शक्ति में है, पेश करने से इकार विधिपूर्ण प्रतिहेतु के बिना करता है वहां न्यायालय उसके विरुद्ध निर्णय सुना सकेगा या वाद के सम्बन्ध में ऐसा आदेश कर सकेगा जो वह ठीक सकझे ।

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 66 द्वारा (1-2-1977 से) "पचास मील" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।
2. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 66 द्वारा (1-2-1999 से) "दो सौ मील" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।
3. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 66 द्वारा (1-2-1977 से) अन्तःस्थापित किया गया

21. साक्षियों विषयक नियम समनित पक्षकारों को लागू होंगे- जहां वाद के किसी पक्षकार से साक्ष्य

देने या दस्तावेज पेश करने के लिए अपेक्षा की गई है वहां उसे साक्षियों विषयक उपबन्ध वहां तक लागू होंगे जहां तक कि वे लागू होने योग्य हों ।

उच्च न्यायालय संशोधन

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा आदेश 16 में नियम 22 व 23 और जोडे गए हैं । नियम 22 अधिसूचना क्रमांक 1953/35 (क)' दिनांक 22.5.1915 और नियम 23 अधिसूचना क्रमांक 359/35 (क) (1), (1) दिनांक 7.2.1920 के द्वारा जोडे गए हैं ।

[1][आदेश 16क

कारागार में परिरुद्ध या निरुद्ध साक्षियों की हाजिरी

1. परिभाषाएं- इस आदेश में,-

(क) **“निरुद्ध”** के अन्तर्गत निवारक निरोध के लिए उपबन्ध करने वाली किसी विधि के अधीन निरुद्ध भी है;

(ख) **"कारागार"** के अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं:-

(i) ऐसा कोई स्थान जिसे राज्य सरकार ने साधारण या विशेष आदेश द्वारा अतिरिक्त जेल घोषित किया है, और

(ii) कोई सुधारालय, बोर्स्टल संस्था या इसी प्रकार की कोई अन्य संस्था ।

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 67 द्वारा (1-2-1977 से) अन्त: स्थापित किया गया

2. साक्ष्य देने के लिए बंदियों को हाजिर करने की अपेक्षा करने की शक्ति- जहां न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि राज्य के भीतर कारागार में परिबद्ध या निरुद्ध व्यक्ति का साक्ष्य वाद में तात्विक है वहां न्यायालय कारागार के भारसाधक अधिकारी से यह अपेक्षा करने वाला आदेश कर सकेगा कि वह उस व्यक्ति को साक्ष्य देने के लिए न्यायालय के समक्ष पेश करे:

परन्तु यदि कारागार' से न्याय-सदन की दूरी पच्चीस किलोमीटर से अधिक है तो ऐसा आदेश तब तक नहें किया जाएगा जब तक न्यायालय का यह समाधान नहीं हो जाता है कि कमीशन द्वारा ऐसे व्यक्ति की परीक्षा पर्याप्त नहीं होगी ।

3. न्यायालय में व्यय का संदत्त किया जाना–(1) न्यायालय नियम (2) के अधीन कोई आदेश करने से पूर्व उस पक्षकार से, जिसकी प्रेरणा पर या जिसके फायदे के लिए आदेश निकाला जाना है, यह अपेक्षा करेगा कि वह न्यायालय में ऐसी धनराशि संदत्त करे जो न्यायालय को आदेश के निष्पादन के व्ययों को चुकाने के लिए जिसके अन्तर्गत साक्षी को दिए गए अनुरक्षक के यात्रा व्यय और अन्य व्यय भी हैं, पर्याप्त प्रतीत होती है ।

(2) जहां न्यायालय उच्च न्यायालय के अधीनस्थ है वहां ऐसे व्ययों का मापमान नियत करने में, इस निमित्त उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए किन्हीं नियमों को ध्यान में रखा जाएगा ।

4. नियम 2 के प्रवर्तन से कुछ व्यक्तियों की अपवर्जित करने की राज्य सरकार की शक्ति–(1) राज्य सरकार उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट बातों को ध्यान में रखते हुए किसी भी समय साधारण या विशेष आदेश द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि किसी व्यक्ति या वर्ग के व्यक्तियों को ऐसे कारागार से नहीं हटाया जाएगा जिसमें उसे या उन्हें परिरुद्ध या निरुद्ध किया गया है और जब तक आदेश प्रवृत्त रहता है तब तक नियम 2 के अधीन किया गया कोई आदेश, चाहे वह राज्य सरकार द्वारा किए गए आदेश की तारीख के पूर्व या उससे पश्चात् किया गया हो, ऐसे व्यक्ति या ऐसे वर्ग के व्यक्तियों के बारे में प्रभावी नहीं होगा ।

(2) राज्य सरकार उपनियम (1) के अधीन आदेश करने से पूर्व निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगी, अर्थात् है:--

(क) उस अपराध का स्वरुप जिसके लिए या वे आधार जिन पर उस व्यक्ति को या वर्ग के व्यक्तियों को कारागार में परिरुद्ध या निरुद्ध करने का आदेश दिया गया हैर

(ख) यदि उस व्यक्ति को या उस वर्ग के व्यक्तियों को कारागार से हटाने की अनुज्ञा दी जाती है तो लोक व्यवस्था में विध्न की संभाव्यता; और

(ग) साधारणतया लोकहित ।

5. कारागार के भारसाधक अधिकारी का कुछ मामलों में आदेश को कार्यान्वित न करना- जहां वह व्यक्ति जिसके सम्बन्ध में नियम 2 के अधीन आदेश किया गया है,-

(क) ऐसा व्यक्ति है जिसकी बाबत कारागार से सम्बद्ध चिकित्साअधिकारी ने यह प्रमाणित किया है कि वह बीमारी या अंगशैथिल्य के कारण कारागार से हटाए जाने के योग्य नहीं है, अथवा

(ख) विचारण के लिए सुपुर्दगी के अधीन है या विचारण के लम्बित रहने तक के लिए या प्रारम्भिक अन्वेषण के लम्बित रहने तक के लिए प्रतिप्रेक्षण के अधीन है, अथवा

(ग) ऐसी अवधि के लिए अभिरक्षा में है जो आदेश का अनुपालन करने के लिए और उस कारागार में जिसमें वह परिरुद्ध या निरुद्ध है वापस ले आने के लिए अपेक्षित समय के समाप्त होने के पूर्व समाप्त हो जाएगी, अथवा

(घ) ऐसा व्यक्ति है जिसको राज्य सरकार द्वारा नियम 4 के अधीन किया गया आदेश लागू होता है,

वहां कारागार का भारसाधक अधिकारी न्यायालय के आदेश को कार्यन्वित नहीं करेगा और ऐसा न करने के कारणों का विवरण न्यायालय को भेजेगा ।

6. बन्दी का न्यायालय में अभिरक्षा में लाया जाना- कारागार का भारसाधक अधिकारी, किसी अन्य मामले में, न्यायालय का आदेश परिदत्त किए जाने पर उसमें नामित व्यक्ति को न्यायालय में भिजवाएगा जिससे वह उस आदेश में उल्लिखित समय पर उपस्थित हो सके और उसे न्यायालय में या उसके पास अभिरक्षा में तब तक रखवाएगा जब तक उसकी परीक्षा न कर ली जाए या जब तक न्यायालय उसको उस कारागार में जिसमें वह परिरुद्ध या निरुद्ध है, वापस ले जाने के लिए उसे प्राधिकृत न करे ।

7. कारागार में साक्षी की परीक्षा के लिए कमीशन निकालने की शक्ति- (1) जहां न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि कारागार में, चाहे वह राज्य के भीतर हो या भारत में अन्यत्र हो, परिरूद्ध या निरुद्ध व्यक्ति का साक्ष्य वाद में तात्विक है, किन्तु ऐसे व्यक्ति की हाजिरी इस आदेश के पूर्ववर्ती उपबन्धों के अधीन सुनिश्चित नहीं की जा सकती है वहा न्यायालय उस व्यक्ति की परीक्षा उस कारागार में जिसमें वह परिरूद्ध या निरुद्ध है, करने के लिए कमीशन निकाल सकेगा ।

(2) आदेश 26 के उपबन्ध जहा तक हो सके कारागार में ऐसे व्यक्ति की कमीशन द्वारा परीक्षा के सम्बन्ध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे किसी अन्य व्यक्ति की कमीशन द्वारा परीक्षा के सम्बन्ध में लागू होते हैं ।

1. 1999 के अधिनियम सं. 46 की धारा 26 द्वारा (1-7-2002 से) उपनियम (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

आदेश 17

स्थगन

1. न्यायालय समय दे सकेगा अऐर सुनवाई स्थगित कर सकेगा- [1][(1) यदि वाद के किसी भी प्रक्रम में पर्याप्त हेतुक दर्शित किया जाता है तो न्यायालय ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे पक्षकारों या उनमें से किसी को भी समय दे सकेगा और वाद की सुनवाई को समय-समय पर स्थगित कर सकेगा:

परंतु ऐसा कोई स्थगन वाद की सुनवाई के दौरान किसी पक्षकार को तीन बार से अधिक अनुदत नहीं किया जाएगा ।

(2) स्थगन के खर्चे- न्यायालय ऐसे हर मामले में वाद की आगे की सुनवाई के लिए दिन नियत करेगा और [1][ऐसे स्थगन के कारण हुए खर्चों या ऐसे उपचार खर्चों के संबंध में जिन्हें न्यायालय ठीक समझे, ऐसे आदेश करेगा:]

[2][परन्तु-

(क) यदि वाद की सुनवाई प्रारम्भ हो गई है तो जब तक न्यायालय उन असाधारण कारणों से जो उसके द्वारा लेखबद्ध किए जाएंगे, सुनवाई का स्थगन अगले दिन से परे के लिए करना आवश्यक न समझे, वाद की सुनवाई दिन-प्रतिदिन तब तक जारी रहेगी जब तक सभी हाजिर साक्षियों की परीक्षा न कर ली जाए;

(ख) किसी पक्षकार के अनुरोध पर कोई स्थगन ऐसी परिस्थितियों को छोड़कर जो उस पक्षकार के नियंत्रण के बाहर हो, मंजूर नहीं किया जाएगा;

(ग) यह तथ्य स्थगन के लिए आधार नहीं माना जाएगा कि किसी पक्षकार का प्लीडर दूसरे न्यायालय में व्यस्त है;

(घ) जहां प्लीडर की रूग्णता या दूसरे न्यायालय में उसके व्यस्त होने से भिन्न कारण से मुकदमे का संचालन करने में उसकी असमर्थता को स्थगन के लिए एक आधार के रूप में पेश किया जाता है वहां

न्यायालय तब तक स्थगन मंजूर नहीं करेगा जब तक उसका यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसे स्थगन के लिए आवेदन करने वाला पक्षकार समय पर दूसरा प्लीडर मुकर्रर नहीं कर सकता था;

(ड.) जहां कोई साक्षी न्यायालय में उपस्थित है किन्तु पक्षकार या उसका प्लीडर उपस्थित नहीं है अथवा पक्षकार या प्लीडर न्यायालय में उपस्थित होने पर भी किसी साक्षी की परीक्षा या प्रतिपरीक्षा करने के लिए तैयार नहीं है वहां न्यायालय, यदि वह ठीक समझोतों, साक्षी का कथन अभिलिखित कर सकेगा और, यथास्थिति, पक्षकार या उसके प्लीडर द्वारा जो उपस्थित न हो अथवा पूर्वोक्त रूप में तैयार न हो, साक्षी की मुख्य परीक्षा या प्रतिपरीक्षा करने को अभिमुक्त करते हुए ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जो वह ठीक समझे ।]

1. 1999 के अधिनियम सं. 46 की धारा 26 द्वारा (1-7-2002 से) कतिपय शब्दो के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
2. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 68 द्वारा (1-2-1977 से) पूर्व परन्तुक के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया |

उच्च न्यायालय संशोधन

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- यह परंतुक जोडे- "परंतु अन्यथा ऐसा कोई स्थगन ऐसे साक्षी को जो कि पूर्व में आहूत अथवा नामित नहीं किया गया हो को बुलाने के प्रयोजन के लिए नहीं दिया जाएगा, न ऐसे प्रयोजन के लिए किसी पक्ष द्वारा किसी स्थगन का उपयोग किया जाएगा जब तक कि न्यायाधीश आदेश 16 नियम 1 के परंतुक के अधीन लिखित में आदेश न करे ।" (24.7.1926)

2. यदि पक्षकार नियत दिन पर उपसजांत होने में असफल रहते हैं तो प्रक्रिया- वाद की सुनवाई जिस दिन के लिए स्थगित हुई है यदि उस दिन पक्षकार या उनमें से कोई उपसंजात होने में असफल रहते हैं तो न्यायालय आदेश 9 द्वारा उस निमित्त निदिष्ट ढंगों में से एक से वाद का निपटारा करने के लिए अग्रसर हो सकेगा या ऐसा अन्य आदेश कर सकेगा जो वह ठीक समझे ।

[1]**[स्पष्टीकरण--** जहां किसी पक्षकार का साक्ष्य या साक्ष्य का पर्याप्त भाग पहले ही अभिलिखित किया जा चुका है और ऐसा पक्षकार किसी ऐसे दिन जिस दिन के लिए वाद की सुनवाई स्थगित की गई है उपसजांत होने में असफल रहता है वहां न्यायालय स्वविवेकानुसार उस मामले में इस प्रकार अग्रसर हो सकेगा मानो ऐसा पक्षकार उपस्थित हो ।]

उच्च न्यायालय संशोधन

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- आदेश 17 नियम 2 में निम्न और जोड़ा गया है-

"जहाँ पक्षकार की साक्ष्य या सारवान भाग पूर्व में ही अभिलिखित हो चुका है और ऐसा पक्ष ऐसी दिनांक पर उपस्थित होने में विफल रहता है । न्यायालय इसके विवेक से इस प्रकार कार्यवाही कर सकती है

मानों ऐसा पक्षकार उपस्थित था और इसे गुणागुण पर निराकृत कर सकती है ।

स्पष्टीकरण- कोई पक्ष उपस्थित होने में विफल होना नहीं माना जाएगा यदि वह स्वयं उपस्थित है या न्यायालय में अभिकर्ता या प्लीडर यद्यपि आवेदन देने के प्रयोजन के लिए नियोजित, के द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है ।"

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 68 द्वारा (1-2-1977 से) अन्तः स्थापित किया गया

3. पक्षकारों में से किसी पक्षकार के साक्ष्य, आदि पेश करने में असफल रहने पर भी न्यायालय आगे कार्यवाही कर सकेगा- जहां वाद का कोई ऐसा पक्षकार जिसे समय अनुदत किया गया है, अपना साक्ष्य पेश करने में या अपने साक्षियों को हाजिर कराने में या वाद की आगे प्रगति के लिए आवश्यक कोई ऐसा अन्य कार्य करने में जिसके लिए समय अनुज्ञात किया गया है, असफल रहता है [1][वहां न्यायालय ऐसे व्यतिक्रम के होते हुए भी,-

(क) यदि पक्षकार, उपस्थित हों तो वाद को तत्क्षण विनिश्चित करने के लिए अग्रसर हो सकेगा, अथवा

(ख) यदि पक्षकार या उनमें से कोई अनुपस्थित हों तो नियम 2 के अधीन कार्यवाही कर सकेगा ।]

उच्च न्यायालय संशोधन

म.प्र. उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- नियम के अंत में निम्न परंतुक अंतस्थापित-

"परंतु यह कि जहाँ इस नियम के तहत व नियम 2 के तहत उपस्थिति में असफलता होती है तो उस मामले में न्यायालय नियम 2 के अधीन कार्यवाही करेगा । (अधिसूचना दिनांक 27.8.1976)

इलाहाबाद उच्च न्यायालय संशोधन 17.1.1953.-- इस संशोधन के द्वारा प्रावधान में प्रथम बार आए शब्द "जहाँ" के उपरांत शब्दों "ऐसे मामले में जिसको नियम 2 प्रयोज्य नहीं होता है" को जोडा गया है |

आदेश 18
वाद की सुनवाई और साक्षियों की परीक्षा

1. आरंभ करने का अधिकार- आरम्भ करने का अधिकार वादी को तब के सिवाय है जब कि वादी द्वारा अधिकथित तथ्यों को प्रतिवादी स्वीकार कर लेता है और यह तर्क करता है कि वादी जिस अनुतोष को चाहता है, उसके किसी भाग को पाने का वह हकदार या तो विधि के प्रश्न के कारण या प्रतिवादी द्वारा अधिकथित कुछ अतिरिक्त तथ्यों के कारण नहीं है और उस दशा में आरम्भ करने का अधिकार प्रतिवादी को होता है |

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 68 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

2. कथन और साक्ष्य का पेश किया जाना- (1) उस दिन जो वाद की सुनवाई के लिए नियत किया गया हो, या किसी अन्य दिन जिस दिन के लिए सुनवाई स्थगित की गई हो, वह पक्षकार जिसे आरम्भ करने का अधिकार है, अपने मामले का कथन करेगा और उन विवाद्यकों के समर्थन में अपना साक्ष्य पेश करेगा जिन्हें साबित करने के लिए वह आबद्ध है ।

(2) तब दूसरा पक्षकार अपने मामले का कथन करेगा और अपना साक्ष्य (यदि कोई हो) पेश करेगा और तब पूरे मामले के बारे में साधारणतया न्यायालय को सम्बोधित कर सकेगा ।

(3) तब आरम्भ करने वाला पक्षकार साधारणतया पूरे मामले के बारे में उत्तर दे सकेगा ।

[1][(3क) कोई पक्षकार किसी मामले में मौखिक बहस कर सकेगा और वह मौखिक बहस, यदि कोई हो, समाप्त करने के पहले न्यायालय को यदि न्यायालय ऐसा अनुज्ञात करे, अपने मामले के समर्थन में संक्षिप्त रूप में और सुस्पष्ट शीर्षों के अधीन लिखित बहस प्रस्तुत कर सकेगा अऐर ऐसी लिखित बहस अभिलेख का भाग होगी ।

(3ख) ऐसी लिखित बहस की एक प्रति विरोधी पक्षकार को भी साथ ही साथ दी जाएगी ।

(3ग) लिखित बहस फाइल करने के प्रयोजन के लिए कोई स्थगन तब तक मंजूर नहीं किया जाएगा जब तक न्यायालय, ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किए जाएं, ऐसा स्थगन मंजूर करना आवश्यक न समझे ।

(3घ) न्यायालय, किसी मामले में दोनों पक्षकारों में से किसी पक्षकार द्वारा मौखिक बहस के लिए ऐसी समय सीमाएं नियत करेगा जैसी वह ठीक समझे ।

[2][(4)............. लुप्त]

1. 2002 के अधिनियम सं. 22 की धारा 12 द्वारा (1-7-2002 से) अंतःस्थापित ।
2. सिविल प्रक्रिया सहिता (संशोधन) अधिनियम 1999 के द्वारा उपनियम (4) छुपा ।

उच्च न्यायालय संशोधन

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन (16.9.1960) - नियम 4 के उपनियम (2) के रुप में निम्नानुसार जोड़ा जाएगा-

"(4) इस नियम में अंतर्निहित किसी बात के होते हुए भी न्यायालय यह आदेश कर सकेगा कि साक्ष्य की प्रस्तुति या न्यायालय को संबोधन किसी भी क्रम में उपयुक्त माना जाए हो सकेगा"

इलाहाबाद उच्च न्यायालय दारा संशो धन (20.6.1936)- नियम 2 के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया गया है-

"2(1) वाद की सुनवाई के लिए नियत दिन अथवा अन्य किसी दिन जिसको सुनवाई स्थगित की गई है आरंभ करने का अधिकार रखने वाला पक्षकार उसके द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक दस्तावेजों की सुसंगतता

को एवं उस मौखिक साक्ष्य की प्रकृति जिसको वह प्रस्तुत करना प्रस्तावित करता है. को इंगित करते हुए उसके मामले को बताएगा और तब उन विवाद्यकों के समर्थन में जो कि उसे प्रमाणित करता है उसके साक्षीगण को बुलाएगा ।

(2) फिर अन्य पक्ष उपरोक्त कथित रीति में उसके मामले को बताएगा और उसकी साक्ष्य प्रस्तुत करेगा (यदि कोई हो) ।

राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन (25.7.1957) - नियम 2 में निम्नानुसार उपनियम (4) जोडा गया है-

"(4) जहाँ कोई पक्ष स्वयं साक्षी के रुप में उपस्थित होने की वांछा रखता है तो वह स्वयं इस रुप में उसकी ओर से अन्य साक्षीगण की उपस्थिति के पूर्व उपस्थित होगा । परंतु यह कि इस संबंध में आवेदन देने पर व अभिलिखित कारणों से पश्चातवर्ती प्रक्रम पर उसके स्वयं के साक्षी के रुप में उपस्थित होने को अनुज्ञेय कर सकेगा । "

3. जहां कई विवाद्यक हैं वहां साक्ष्य- जहां कई विवाद्यक हैं जिनमें से कुछ को साबित करने का भार दूसरे पक्षकार पर है वहां आरम्भ करने वाला पक्षकार अपने विकल्प पर या तो उन विवाद्यकों के बारे में अपना साक्ष्य पेश कर सकेगा या दूसरे पक्षकार द्वारा पेश किए गए साक्ष्य के उत्तर के रुप में पेश करने के लिए उसे आरक्षित रख सकेगा और पश्चात्-कथित दशा में, आरम्भ करने वाला पक्षकार दूसरे पक्षकार द्वारा उसका समस्त साक्ष्य पेश किए जाने के पश्चात् उन विवाद्यकों पर अपना साक्ष्य पेश कर सकेगा और तब दूसरा पक्षकार आरम्भ करने वाले पक्षकार के द्वारा इस प्रकार पेश किए गए साक्ष्य का विशेषतया उत्तर दे सकेगा, किंतु तब आरम्भ करने वाला पक्षकार पूरे मामले के बारे में साधारणतया उत्तर देने का हकदार होगा ।

उच्च न्यायालय संशोधन

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन (20.6.1936)- वर्तनाम नियम के स्थान पर निम्न नियम 3 को प्रतिस्थापित किया गया है-

“3(1) जहां कई विवाद्यक हैं जिनमें से कतिपय विवाद्यक को प्रमाणित करने का भार अन्य पक्ष पर है तो आरंभ करने वाला पक्ष, उसके विकल्प पर या तो उपरोक्त कथित रीति में उसके मामले को बताएगा और उन विवाद्यकों पर उसकी साक्ष्य प्रस्तुत करेगा या उसके मामले के कथन व अन्य पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के उत्तर में उन विवाद्यकों पर साक्ष्य प्रस्तुत करने को आरक्षित रखेगा और पश्चातवर्ती मामले में, आरंभ करने वाला पक्ष उपरोक्त कथित रीति में उसके मामले को बताएगा और अन्य पक्ष द्वारा उसकी संपूर्ण साक्ष्य देने के उपरात उसकी साक्ष्य प्रस्तुत करेगा ।

(2) उभय पक्ष के द्वारा उनकी साक्ष्य प्रस्तुत करने पर, आरंभ करने वाला पक्ष न्यायालय को संपूर्ण मामले पर संबोधित करेगा, फिर अन्य पक्ष संपूर्ण मामले पर संबोधित करेगा और आरंभ करने वाला पक्ष

संपूर्ण मामले पर साधारणतौर पर उत्तर दे सकेगा परन्तु यह कि ऐसा करने में वह न्यायालय की अनुमति के बिना वह ऐसे प्रश्नों को नहीं उठायेगा जो कि संबोधन आरंभ करने के पूर्व उठाये जाने चाहिए थे ।

[1][**3क. पक्षकार का अन्य साक्षियों से पहले उपसजांत होना-** जहां कोई पक्षकार स्वयं कोई साक्षी के रूप में उपसंजात होना चाहता है वहां वह उसकी ओर से किसी अन्य साक्षी की परीक्षा किए जाने के पहले उपसजांत होगा, किन्तु यदि न्यायालय ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, उसे पश्चात्वर्ती प्रक्रम में स्वयं अपने साक्षी के रूप में उपसजांत होने के लिए अनुज्ञात करे तो वह वाद में उपस्थित हो सकेगा ।]

[2][**4. साक्ष्य का अभिलेखन-** (1) प्रत्येक मामले में किसी साक्षी की मुख्य परीक्षा का साक्ष्य शपथ-पत्र पर लिया जाएगा और उसकी प्रतियां उस पक्षकार द्वारा, जो उसे साक्ष्य के लिए बुलाती हैं, विरोधी पक्षकार को दी जाएंगी:

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 69 द्वारा (1-2-1977 से) अन्त: स्थापित किया गया ।
2. 2002 के अधिनियम सं. 22 की धारा 12 द्वारा (1-7-2002 से) नियम 4 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

परंतु जहा दस्तावेज फाइल किए गए हों और पक्षकार उन दस्तावेजों पर निर्भर करते हों, वहां शपथ-पत्र के साथ फाइल किए गए ऐसे दस्तावेजों का सबूत और ग्राहयता न्यायालयों के आदेश के अधीन रहते हुए होगी ।

(2) हाजिर साक्षी का साक्ष्य (प्रति परीक्षा और पुन:परीक्षा), जिसका साक्ष्य (मुख्य परीक्षा) न्यायालय को शपथ-पत्र द्वारा दिया गया है या तो न्यायालय द्वारा या उसके द्वारा नियुक्त कमिश्नर द्वारा अभिलिखित किया जाएगा:

परंतु न्यायालय, इस उपनियम के अधीन कमीशन नियुक्त करते समय ऐसे सुसंगत कारणों को, जो वह ठीक समझे, गणना में लेने पर विचार करेगा ।

(3) यथास्थिति, न्यायालय या कमिश्नर साक्ष्य को, यथास्थिति, न्यायाधीश या कमिश्नर की उपस्थिति में या तो लिखित रुप से या यांत्रिक रुप से अभिलिखित करेगा और जहां ऐसा साक्ष्य कमिश्नर द्वारा अभिलिखित किया जाता है, तो वह ऐसे साक्ष्य को अपनी लिखित और हस्ताक्षरित रिपोर्ट सहित उसे नियुक्त करने वाले न्यायालय को वापस करेगा और उसके अधीन लिया गया साक्ष्य वाद के अभिलेख का भाग होगा ।

(4) कमिश्नर परीक्षा के समय किसी साक्षी की भावभंगी की बाबत ऐसे टिप्पण लेखबद्ध करेगा जो वह तात्विक समझे:

पंरतु कमिश्नर के समक्ष साक्ष्य लेखबद्ध किए जाने के दौरान उठाए गए कोई आक्षेप उसके द्वारा लेखबद्ध किए जाएंगे और न्यायालय द्वारा बसह के प्रक्रम पर विनिश्चित किए जाएंगे ।

(5) कमिश्नर की रिपोर्ट, कमीशन निकाले जाने की तारीख से साल दिन के भीतर कमीशन नियुक्त करने वाले न्यायालय को प्रस्तुत की जाएगी सिवाय तब के जब न्यायालय लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों के समय का विस्तार कर दे ।

(6) यथास्थिति, उच्च न्यायालय या जिला न्यायाधीश इस नियम के अधीन साक्ष्य लेखबद्ध करने के लिए कमिश्नरों का एक पैनल तैयार करेगा ।

(7) न्यायालय साधारण या विशेष आदेश द्वारा कमिश्नर की सेवाओं के लिए पारिश्रमिक के रुप में संदत्त की जाने वाली रकम नियत कर सकेगा ।

(8) आदेश 26 के नियम 16, 16क, 17 और 18 के उपबंध, वहा तक जहां तक वे लागू होते हैं, इस नियम के अधीन उस कमीशन को निकालने, निष्पादन और वापसी को लागू होंगे ।]

उच्च न्यायालय संशोधन

राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन (25.7.1957)- इस निरसित आदेश 18 के नियम 4 के आरंभ में निम्न शब्दों को जोडा गया था- "आदेश 16 के नियम 1 के प्रावधानों के अध्यधीन"

[1][[2]**5. जिन मामलों की अपील हो सकती है उनमें साक्ष्य कैसे लिखा जाएगा-** जिन मामलों में अपील अनुज्ञात की जाती है उन मामलों में हर एक साक्षी का साक्ष्य-

(क) न्यायालय की भाषा में,-

(i) न्यायाधीश द्वारा या उसकी उपस्थिति में और उसके वैयक्तिक निदेशन और अधीक्षण में लिखा जाएगा, या

(ii) न्यायाधीश के बोलने के साथ ही टाइपराईटर पर टाईप किया जाएगा; या

(ख) यदि न्यायाधीश अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से ऐसा निदेश दे तो न्यायाधीश की उपस्थिति में न्यायालय की भाषा में यंत्र द्वारा अभिलिखित किया जाएगा ।]

[3]**6. अभिसाक्ष्य का भाषान्तर कब किया जाएगा-** जहां साक्ष्य उस भाषा से भिन्न भाषा में लिखा गया है जिसमें वह दिया गया है और साक्षी उस भाषा को नहीं समझता जिसमें वह लिखा गया है वहां उस साक्ष्य का, जैसा कि वह लिखा गया है, उस भाषा में भाषान्तर उसे सुनाया जाएगा जिसमें वह दिया गया था ।

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 69 द्वारा (1-2-1977 से) पूर्ववर्ती नियम के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।
2. नियम 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15 और 16 के उपबंध, जहां तक वे साक्ष्य लेने की रीति से संबंधित हैं, अवध के मुख्य न्यायालय को लागू नहीं होते हैं देखिए अवध कोटर्स ऐक्ट, 1925 (1925 का यू.पी. अधिनियम सं. 4) की धारा 16 (2) ।
3. नियम 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15 और 16 के उपबंध, जहां तक वे साक्ष्य लेने की रीति से

सबंधित हैं, अवध के मुख्य न्यायालय को लागू नहीं होते हैं देखिए अवध कोटर्स ऐक्ट, 1925 (1925 का यू.पी. अधिनियम सं. 4) की धारा 16 (2) |

[1]**7. धारा 138 के अधीन साक्ष्य-** धारा 138 के अधीन लिखा गया साक्ष्य नियम 5 द्वारा विहित प्ररूप में होगा और वह पढ़कर सुनाया जाएगा और हस्ताक्षरित किया जाएगा और यदि अवसर से ऐसा अपेक्षित हो तो उसका भाषान्तर और शोधन उसी प्रकार किया जाएगा मानो वह उस नियम की अधीन लिखा गया हो ।

[2]**8. जब साक्ष्य न्यायाधीश द्वारा स्वयं नहीं लिखा गया हो तब ज्ञापन-** जहां साक्ष्य न्यायाधीश द्वारा नहीं लिखा गया है [3][या खुले न्यायालय में उसके द्वारा बोलकर नहीं लिखवाया गया है या उसकी उपस्थिति में यंत्र द्वारा अभिलिखित नहीं किया गया है] वहां जैसे-जैसे हर एक साक्षी की परीक्षा होती जाती है वैसे-वैसे हर एक साक्ष्य के अभिसाक्ष्य के सांराश का ज्ञापन बनाने के लिए न्यायाधीश आबद्ध होगा और ऐसा ज्ञापन न्यायाधीश द्वारा लिखा जाएगा और हस्ताक्षरित किया जाएगा और अभिलेख का भाग होगा ।

उच्च न्यायालय संशोधन

म.प्र. उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- आदेश 18 के नियम 8 में शब्द "या खुले न्यायालय में उसके द्वारा बोलने पर " को तत्समय प्रभावी उपबंध में " न्यायाधीश " व “कोमा” के बीच जोडा गया था । (27.7.1956)

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन (19.5.1956)- इस प्रावधान अर्थात आदेश 18 नियम 8 में -

(क) शब्द "न्यायाधीश द्वारा" के उपरांत शब्द "या उसके श्रुतलेख पर" जोड़ा गया है ।

1. नियम 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15 और 16 के उपबंध, जहां तक वे साक्ष्य लेने की रीति से सबंधित हैं, अवध के मुख्य न्यायालय को लागू नहीं होते है ।
2. नियम 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15 और 16 के उपबंध, जहां तक वे साक्ष्य लेने की रीति से सबधित हैं, अवध के मुख्य न्यायालय को लागू नहीं होते हैं ।
3. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 69 द्वारा (1-2-1977 से) अन्तःस्थापित किया गया ।

(ख) शब्द" और हस्ताक्षरित किया जाएगा" के उपरांत शब्दों " न्यायाधीश के द्वारा या उसके श्रतलेख पर टंकित को उसके द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा ।" को जोड़ा जाए ।

[1][[2]**9. साक्ष्य अंग्रेजी में कब लिखा जा सकेगा-** (1) जहां न्यायालय की भाषा अंग्रेजी नहीं है किन्तु वाद के वे सभी पक्षकार जो स्वयं उपसंजात है और उन पक्षकारों के जो प्लीडरों के द्वारा उपसंजात है, प्लीडर ऐसे साक्ष्य के जो अंग्रेजी में दिया जाता है, अंग्रेजी में लिखे जाने पर आक्षेप नहीं करते है वहां न्यायाधीश उसे उसी रुप में लिख सकेगा या लिखवा सकेगा ।

(2) जहां साक्ष्य अंग्रेजी मे नहीं दिया जाता है किन्तु वे सभी पक्षकार जो स्वयं उपसंजात है और उन पक्षकारों के जो प्लीडरों के द्वारा उपसंजात है, प्लीडर ऐसे साक्ष्य के अंग्रेजी में लिखे जाने पर आक्षेप नहीं करते है वहां न्यायाधीश ऐसा साक्ष्य अंग्रेजी में लिख सकेगा या लिखवा सकेगा ।

10. कोई विशिष्ट प्रश्न और उत्तर लिखा जा सकेगा- यदि ऐसा करने के लिए कोई विशेष कारण प्रतीत होता है तो न्यायलय किसी विशिष्ट प्रश्न और उतर क या किसी प्रश्न के सम्बन्ध में किसी आक्षेप को स्वप्रेरणा से या किसी पक्षकार या उसके प्लीडर के आवेदन पर लिख सकेगा ।

[3]**11. वे प्रश्न जिन पर आक्षेप किया गया है और जो न्यायालय द्वारा अनुज्ञात किए गए है-** जहां किसी साक्षी से किए गए किसी प्रश्न पर किसी पक्षकार या उसके प्लीडर द्वारा आक्षेप किया गया है और न्यायालय उसका पूछा जाना अनुज्ञात करता है वहां न्यायाधीश उस प्रश्न, उत्तर, आक्षेप और उसे करने वाले व्यक्ति के नाम को उस पर न्यायालय के विनिश्चय के सहित लिखेगा ।

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 69 द्वारा (1-2-1977 से) नियम 9 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
2. नियम 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15 और 16 के उपबंध. जहां तक वे साक्ष्य लेने की रीति से सबंधित हैं, अवध के मुख्य न्यायालय को लागू नहीं ।
3. नियम 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15 और 16 के उपबंध, जहां तक वे साक्ष्य लेने की रीति से संबधित हैं, अवध के मुख्य न्यायालय को लागू नहीं होते है । देखिए अवध कोटर्स ऐक्ट, 1925 (1925 का यू.पी. अधिनियम सं. 4) की धारा 16 (2) ।

12. साक्षियों की भावभंगी के बारे में टिप्पणियां- न्यायालय साक्षी की परीक्षा किए जाते समय उसकी भावभंगी के बारे में टिप्पणियां, जिन्हें वह तात्त्विक समझता हो, अभिलिखित कर सकेगा ।

[1][[2]**13. जिन मामलों में अपील नहें हो सकती है उन मामलों में साक्ष्य का ज्ञापन---** ऐसे मामले में, जिनमें अपील अनुज्ञात नहीं है, यह आवश्यक नहीं होगा कि साक्षियों का साक्ष्य विस्तार सहित लिखा जाए या बोलकर लिखवाया जाए या अभिलिखित किया जाए किन्तु न्यायाधीश, जैसे- जैसे हर एक साक्षी की परीक्षा होती है वैसे-वैसे, उसके अभिसाक्ष्य के सार का ज्ञापन लिखेगा या बोलने के साथ ही टाईपराईटर पर टाईप कराएगा या यत्र द्वारा अभिलिखित कराएगा और ऐसा ज्ञापन न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा या अन्यथा अधिप्रमाणित किया जाएगा और अभिलेख का भाग होगा]

उच्च न्यायालय संशोधन

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- "या उसके श्रुतलेख से हस्ताक्षरित टंकित किया जाएगा, न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा । " शब्दों को नियम 13 के इन शब्दों " तथा हस्ताक्षरित किया जाएगा" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया । (अधिसूचना दिनांक 19.5.1956)

[3]**14. [ऐसा ज्ञापन बनाने में असमर्थ न्यायाधीश अपनी असमर्थता के कारण अभिलिखित करेगा ।]** - सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का 104) की धारा 69 द्वारा (1.2.1977) से निरसित ।

[4]**15. किसी अन्य न्यायाधीश के सामने लिए गए साक्ष्य का उपयोग करने की शक्ति–**(1) जहां मृत्यु, स्थानान्तरण या अन्य कारण से न्यायाधीश वाद के विचारण की समाप्ति करने से निवारित हो जाता है वहां उसका उत्तरवर्ती, पूर्वगामी नियमों के अधीन लिए गए किसी भी साक्ष्य या बनाए गए किसी भी ज्ञापन का उसी प्रकार उपयोग कर सकेगा मानों ऐसा साक्ष्य या ज्ञापन उक्त नियमों के अधीन उसी के द्वारा या उसके निदेश के अधीन लिया गया था या बनाया गया था, और वह वाद में उस प्रक्रम से अग्रसर हो सकेगा जिसमें उसे उसके पूर्ववर्ती ने छोडा था ।

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 69 द्वारा (1-2-1977 से) पूर्ववर्ती नियम के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया |
2. नियम 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15 और 16 के उपबध, जहां तक वे साक्ष्य लेने की रीति से संबधित हैं, अवध के मुख्य न्यायालय को लागू नहीं होते है । देखिए अवध कोटर्रा ऐक्ट, 1925 (1925 का यू.पी. अधिनियम सं. 4) की धारा 16 (2) ।
3. नियम 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15 और 16 के उपबध, जहां तक वे साक्ष्य लेने की रीति से सबंधित हैं, अवध के मुख्य न्यायालय को लागू नहीं होते है ।
4. नियम 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15 और 16 के उपबध, जहां तक वे साक्ष्य लेने की रीति से संबंधित हैं, अवध के मुख्य न्यायालय को लागू नहीं होते है ।

(2) उपनियम (1) के उपबन्ध धारा 24 के अधीन अन्तरित वाद में किए गए साक्ष्य को वही तक लागू समझे जाएंगे जहां तक वे लागू किए जा सकते है ।

[1]**16. साक्षी की तुरन्त परीक्षा करने की शक्ति–**(1) जहां साक्षी न्यायालय की अधिकारिता से बाहर जाने वाला है या इस बात का पर्याप्त कारण न्यायालय को समाधानप्रद रुप में दर्शित कर दिया जाता है कि उसका साक्ष्य तुरन्त क्यों लिया जाना चाहिए वहा न्यायालय वाद के संस्थित किए जाने के पश्चात् किसी भी समय ऐसे साक्षी का साक्ष्य किसी भी पक्षकार या उस साक्षी के आवेदन पर उसी रीति से ले सकेगा जो इसमें इसके पूर्व उपबन्धित है ।

(2) जहां ऐसा साक्ष्य तत्क्षण ही और पक्षकारों की उपस्थिति में न लिया जाए वहा परीक्षा के लिए नियत दिन की ऐसी सूचना, जो न्यायालय पर्याप्त समझे, पक्षकारों को दी जाएगी ।

(3) ऐसे लिया गया साथ साक्षी को पढ़कर सुनाया जाएगा और यदि वह स्वीकार करता है कि वह शुद्ध है तो वह उसके द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और न्यायाधीश उसे यदि आवश्यक हो तो शुद्ध करेगा और हस्ताक्षरित करेगा और तब उस वाद की किसी भी सुनवाई में वह पढ़ा जा सकेगा ।

1. नियम 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15 और 16 के उपबंध, जहां तक वे साक्ष्य लेने की

रीति से संबधित हैं, अवध के मुख्य न्यायालय को लागू नहीं होते है । देखिए अवध कोट्र्स ऐक्ट, 1925 (1925 का यू.पी. अधिनियम सं. 4) की धारा 16 (2) ।

17. न्यायालय साक्षी को पुन: बुला सकेगा और उसकी परीक्षा कर सकेगा- न्यायालय वाद के किसी भी प्रक्रम में ऐसे किसी भी साक्षी को पुन: बुला सकेगा जिसकी परीक्षा की जा चुकी है और (तत्समय प्रवृत्त साक्ष्य की विधि के अधीन रहते हुए) उससे ऐसे प्रश्न पूछ सकेगा जो न्यायालय ठीक समझे ।

[1]**[17क**. ....निरसित

18. निरीक्षण करने की न्यायालय की शक्ति- न्यायालय ऐसी किसी भी सम्पत्ति या वस्तु का निरीक्षण वाद के किसी भी प्रक्रम में कर सकेगा जिसके सम्बन्ध में कोई प्रश्न पैदा हो और वहां न्यायालय किसी सम्पत्ति या वस्तु का निरीक्षण करता है वहां वह यथा साक्ष्य शीघ्र, ऐसे निरीक्षण में देखे गए किन्हीं सुसंगत तथ्यों का ज्ञापन बनाएगा और ऐसा ज्ञापन वाद के अभिलेख का भाग होगा ।

1. सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1999 के दारा नियम 17क निरसित ।
2. 1978 के अधिनियम सं. 104 की धारा 69 द्वारा (1-2-1977 से) अन्तःस्थापित किया गया ।

उच्च न्यायालय संशोधन

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन (17.3.23)- इलाहाबाद में निम्नानुसार नियम 19 स्थापित किया गया-

" 19(1) न्यायाधीश उसके स्वयं के हाथ से अंग्रेजी [1][या हिन्दी] में आवेदनों पर सभी आदेश उन आदेशों के अलावा जो कि जो पूर्णरुपेण नैत्यिक प्रकृति के हैं ।

(2) न्यायाधीश उसके स्वयं के हाथों अंग्रेजी [2][या हिन्दी] में दस्तावेजों की सभी स्वीकृतियों या इंकार को अभिलिखित करेगा एवं 3[न्यायाधीशों की टीपों] से यह दर्शित होगा कि साक्ष्य में प्रस्तुत किये गये सभी दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की तारीख से साक्ष्य में उन्हें मंजूर करने या इंकार करने के अंतिम आदेश तक किस प्रकार व्यवहत किया गया हैं ।

(3) न्यायाधीश उसके स्वयं के हाथों अंग्रेजी [4][या हिन्दी] में विवाद्यकों को अभिलिखित करेगा और विवाद्यकों को न्यायाधीश के द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और [5][न्यायाधीशों की टीपों] का भाग होगा ।

स्पष्टीकरण- " न्यायाधीशों की टीपों " से न्यायाधीश द्वारा दिन- प्रतिदिन की कार्यवाही की स्वयं के हाथों रखे जाने वाली टीपों से है अभिप्रेत है । (22. 10. 1994)

राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन (1.12.1973)- यहां निम्नानुसार नियम 19 निम्न प्रकार जोडा गया है-

"19. कमीशन पर कथन अभिलिखित करवाने की शक्ति- इन नियमों में अन्तर्निहित किसी बात के

होते हुए भी न्यायालय खुले न्यायालय में साक्षीगण का परीक्षण करने के बजाए निर्देशित कर सकेगा कि उनके कथन आदेश 26 नियम 4 -क के अन्तर्गत कमीशन पर कथन अभिलिखित किये जाएं । "

[6][**19. कथन को कमीशन द्वारा अभिलिखित कराने की शक्ति-** इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी न्यायालय खुले न्यायालय में साक्षियों की परीक्षा करने के बजाए आदेश 26 के नियम 4क के अधीन उनके कथन को कमीशन द्वारा अभिलिखित किए जाने के लिए निदेश दे सकेगा ।

.

आदेश 19

शपथ - पत्र

1. किसी बात के शपथपत्र वारा साबित किए जाने के लिए आदेश देने की शक्ति- कोई भी न्यायालय किसी भी समय पर्याप्त कारण से आदेश दे सकेगा कि किसी भी विशिष्ट तथ्य या किन्हीं भी विशिष्ट तथ्यों को शपथपत्र द्वारा साबित किया जाए या किसी साक्षी का शपथपत्र सुनवाई में ऐसी शर्तो पर पढ़ा जाए जो न्यायालय युक्तियुक्त समझे :

1. 22.10.94 से प्रभावी कर जोडा गया |
2. 22.10.94 से प्रभावी कर जोड़ा गया ।
3. 22.10.94 से प्रभावी कर शब्द " अग्रेजी कार्यवाही" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।
4. 22.10.94 से प्रभावी कर जोडा गया ।
5. 22.10.94 से प्रभावी कर शब्द " अंग्रेजी कार्यवाही" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।
6. 1999 के अधिनियम सं. 46 की धारा 27 द्वारा (1-7-2002 से) अंतःस्थापित ।

परन्तु जहां न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि दोनों में से कोई भी पक्षकार सद्भाव से यह चाहता है कि प्रतिपरीक्षा के लिए साक्षी को पेश किया जाए और ऐसा साक्षी पेश किया जा सकता है वहा ऐसी साक्षी का साक्ष्य शपथपत्र द्वारा किए जाने का प्राधिकार देने वाला आदेश नहीं किया जाएगा ।

राज्य संशोधन

उतर प्रदेश राज्य संशोधन (1.1.1977)- उ.प्र. अधिनियम क्र. 57 वर्ष 1976 के द्वारा नियम 1 में जो परंतुक था उसके स्थान पर निम्न परंतुक स्थापित किया गया-

" परन्तु यह कि यदि न्यायालय को चाहे किसी पक्ष के आवेदन पर या अन्य था और चाहे ऐसे शपथपत्र को प्रस्तुत करने के पूर्व या बाद में यह प्रतीत होता है कि ऐसे साक्षी की प्रस्तुति प्रतिपरीक्षण के लिए आवश्यक है और उसकी उपस्थिति को हासिल किया जा सकता है तो न्यायालय ऐसे साक्षी की उपस्थिति का आदेश करेगी जिस पर साक्षी का परीक्षण प्रतिपरीक्षण एव पुन: परीक्षण किया जा सके ।"

आदेश 19 नियम 1 - क

राज्य संशोधन

मध्य प्रदेश, संशोधन (14.8.1984) - सिविल प्रक्रिया संहिता (मध्य प्रदेश संशोधन) अधिनियम 1984 के द्वारा मूल अधिनियम की पहली अनुसूची के आदेश 19 में नियम 1 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्त: स्थापित किया गया-

"1 - क. कतिपय मामलों में तथ्य का शपथपत्र से साबित किया जाना- आदेश 1 के नियम 3 - ख में निर्दिष्ट किये गये किसी वाद या कार्यवाही में न्यायालय नियम 1 में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी और मध्यप्रदेश कृषिक जोत उच्चतम सीमा अधिनियम, 1960 (क्रमांक 20 सन् 1960) के अधीन कोई कार्यवाही उस अधीन के अधीन नियुक्त किये गये सक्षम अधिकारी के समक्ष चाहे लंबित हो अथवा न हो पक्षकारों से यह अपेक्षा करेगा कि किसी विशिष्ट तथ्य या तथ्यों को जैसा कि वह निदेश दे शपथपत्र द्वारा साबित करे जब तक कि वाद या कार्यवाही की प्रकृति तथा जटिलता को देखते हुए और लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से न्यायालय किसी तथ्य को शपथपत्र द्वारा साबित करने अभिमुक्त देना उचित एवं समीचीन न समझे । "

उच्च न्यायालय संशोधन

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन (3.10.1981 से प्रभावी)- उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयोज्य होने के लिए आदेश 19 नियम 1 के उपरांत निम्न नियम 1 - क जोडा गया है-

"1 - क शपथपत्र पर एकपक्षीय साक्ष्य को अनुज्ञेय करने की शक्ति--- जहां प्रकरण मे एकपक्षीय कार्यवाही हो जाती है तो न्यायालय वादी की साक्ष्य को शपथपत्र पर देने को अनुज्ञेय कर सकेगा ।"

2. अभिसाक्षी की प्रतिपरीक्षा के लिए हाजिर कराने का आदेश देने की शक्ति–(1) किसी भी आवेदन पर साक्ष्य शपथपत्र द्वारा दिया जा सकेगा, किन्तु न्यायालय दोनों पक्षकारों में से किसी की भी प्रेरणा पर अभिसाक्षी को आदेश दे सकेगा कि वह प्रतिरपरीक्षा के लिए हाजिर हो ।

(2) जब तक कि अभिसाक्षी न्यायालय में स्वीय उपसंजाति से छूट न पाया हुआ हो या न्यायालय अन्यथा निदेश न करे, ऐसी हाजिरी न्यायालय में होगी ।

3. वे विषय जिन तक शपथपत्र सीमित होंगे–(1) शपथपत्र ऐसे तथ्यों तक ही सीमित होगे जिनको अभिसाक्षी अपने निजी ज्ञान से साबित करने में समर्थ है, किन्तु अन्तर्वर्ती आवेदनों के शपथपत्रों में उसके विश्वास पर आधारित कथन ग्राहय हो सकेंगे :

परन्तु यह तब जब कि उनके लिए आधारों का कथन किया गया हो ।

(2) जिस शपथपत्र मे अनुश्रुत या तार्किक बातें या दस्तावेजों की प्रतियां या दस्तावेजों के उद्धरण अनावश्यक रूप से दर्ज किए गए है, ऐसे हर एक शपथपत्र के खर्चे (जब तक कि न्यायालय अन्यथा निदेश न करे) उन्हें फाइल करने वाले पक्षकार द्वारा दिए जाएंगे ।

आदेश 20
निर्णय और डिक्री

1. निर्णय कब सुनाया जाएगा- [1][(1) न्यायालय, मामले की सुनवाई कर लेने के पश्चात् निर्णय खुले न्यायालय में या तो तुरंत या इसके तत्पश्चात् यथासाध्य शीघ्र सुनाएगा और जब निर्णय किसी भविष्यवर्ती दिन को सुनाया जाना है तब न्यायालय उस प्रयोजन के लिए कोई दिन नियत करेगा जिसकी सम्यक् सूचना पक्षकारों या उनके प्लीडरों को दी जाएगी:

परंतु जहा निर्णय तुरंत नहीं सुनाया जाता वहां न्यायालय, निर्णय, उस तारीख से, जिसको मामले की सुनवाई समाप्त हुई थी, तीस दिन के भीतर सुनाने का पूरा प्रयास करेगा किंतु जहा मामले की आपवादिक और असाधारण परिस्थितियों के आधार पर ऐसा करना साध्य नहीं है वहां न्यायालय निर्णय सुनाने के लिए कोई भविष्यवर्ती दिन नियत करेगा और ऐसा दिन साधारणत: उस तारीख से, जिसको मामले की सुनवाई समाप्त हुई थी, साठ दिन के बाद का नहीं होगा और इस प्रकार नियत किए गए दिन की सम्यक् सूचना पक्षकारों या उनके प्लीडरों को दी जाएगी ।]

(2) जहां लिखित निर्णय सुनाया जाना है वहां यदि प्रत्येक विवाद्यक पर न्यायालय के निष्कर्षों को और मामले में पारित अंतिम आदेश को पड़ दिया जाता है तो वह पर्याप्त होगा और न्यायालय के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह सम्पूर्ण निर्णय को पढ़कर सुनाए][2]****

(3) निर्णय खुले न्यायालय में आशुलिपिक को बोलकर लिखाते हुए केवल तभी सुनाया जा सकेगा जब न्यायाधीश उच्च न्यायालय द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से सशक्त किया गया है:

1. 2002 के अधिनियम सं. 22 की धारा 13 द्वारा (1-7-2002 से) उपनियम (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
2. 1999 के अधिनियम सं. 46 की धारा 28 के द्वारा (1-7-2002 से) कतिपय शब्दो का लोप ।

परंतु जहां निर्णय खुले न्यायालय में बोलकर लिखाते हुए सुनाया जाता है वहां इस प्रकार सुनाए गए निर्णय की अनुलिपि उसमें ऐसी शुद्धियां करने के पश्चात्, जो आवश्यक हों, न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी, उस पर वह तारीख लिखी जाएगी जिसको निर्णय सुनाया गया था और वह अभिलेख का भाग होगी ।

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 70 द्वारा (1-2-1977 से) अन्तःस्थापित किया गया ।

2. न्यायाधीश के पूर्ववर्ती दारा लिखे गए निर्णय को सुनाने की शक्ति-- न्यायाधीश ऐसे निर्णय को सुनाएगा जो उसके पूर्ववर्ती ने लिखा तो है किन्तु सुनाया नहीं है ।

[3]**3. निर्णय हस्ताक्षरित किया जाएगा-** निर्णय सुनाए जाने के समय न्यायाधीश उस पर खुले न्यायालय में तारीख डालेगा और हस्ताक्षर करेगा और जब उस पर एक बार हस्ताक्षर कर दिया गया है तब धारा 152 द्वारा उपबन्धित के सिवाय या पुनर्विलोकन के सिवाय उसके पश्चात् उसमें न तो कोई परिवर्तन किया जाएगा और न कोई परिवर्धन किया जाएगा ।

उच्च न्यायालय संशोधन

राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन (अधिसूचना दिनांक (23.12.1964)- आदेश 20 के आस्तितव्युक्त नियम 3 को उपनियम (1) के रुप में क्रमांकित किया जाएगा और निम्नानुसार उपनियमों को प्रतिस्थापित किया गया-

" (2) जहां खुले न्यायालय में आशुलिपिक को किये गये श्रृतलेखन पर निर्णय उद्घोषित किया जाता है तो इस प्रकार उद्घोषित निर्णय की अनुलिपि को ऐसे पुनरीक्षण के उपरांत जो कि आवश्यक समझा जाए, न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और इस पर इसके उद्घोषणा की दिनांक होगी ।

(3) उन मामलों में जहां कि निर्णय को न्यायाधीश के द्वारा उसके स्वयं के हाथों से नहीं लिखा जाता है व श्रृतलेखन किया जाता है व अक्षरशःअन्य व्यक्ति लिखा जाता है तो निर्णय के प्रत्येक पृष्ठ को न्यायाधीश द्वारा आद्यक्षरित किया जाएगा ।"

[4]**4. लघुवाद न्यायालयों के निर्णय-** (1) लघुवाद न्यायालयों के निर्णयों में अवधार्य प्रश्नों और उनके विनिश्चय से अधिक और कुछ अन्तर्विष्ट होना आवश्यक नहीं है ।

1. 1999 के अधिनियम सं. 46 की धारा 28 द्वारा (1-7-2002 से) कतिपय शब्दों का लोप किया गया ।
2. 1999 के अधिनियम सं. 46 की धारा 28 द्वारा (1-7-2002 से) कतिपय शब्दो का लोप किया गया ।
3. नियम 1, 3, 4 और 5 के उपबंध अवध के मुख्य न्यायालय को लागू नहीं होते है । देखिए अवध कोटर्स ऐक्ट, 1925 (1925 का यू.पी. अधिनियम सं. 4) की धारा 16(2) ।
4. नियम 1, 3, 4 और 5 के उपबंध अवध के मुख्य न्यायालय को लागू नहीं होते है । देखिए अवध कोटर्स ऐक्ट, 1925

(2) अन्य न्यायालयों के निर्णय- अन्य न्यायालयों के निर्णयों के मामले का संक्षिप्त कथन, अवधार्य प्रश्न, उनका विनिश्चय और ऐसे विनिश्चय के कारण अन्तर्विष्ट होंगे ।

[1]**5. न्यायालय हर एक विवाद्यक पर अपने विनिश्चय का कथन करेगा-** उन वादों में, जिनमें विवाद्यक की विरचना की गई है, जब तक कि विवाद्यकों में से किसी एक या अधिक का निष्कर्ष वाद के विनिश्चय के लिए पर्याप्त न हो, न्यायालय हर एक पृथक विवाद्यक पर अपना निष्कर्ष या विनिश्चय उस निमित्त कारणों के सहित देगा ।

[2][**5क. जिन मामलों में पक्षकारों का प्रतिनिधित्व प्लीडरों द्वारा न किया गया हो उनमें न्यायालय द्वारा पक्षकारों को इस बात की इत्तिला दिया जाना कि अपील कहां की जा सकेगी-** उस दशा के सिवाय जिसमें दोनों पक्षकारों का प्रतिनिधित्व प्लीडरों द्वारा किया गया है, न्यायालय ऐसे मामलों में जिनकी अपील हो सकती है, अपना निर्णय सुनाते समय न्यायालय में उपस्थित पक्षकारों को यह इत्तिला देगा कि किस न्यायालय मे अपील की जा सकती है और ऐसी अपील फाइल करने के लिए परिसीमा काल कितना है और पक्षकारों को इस प्रकार दी गई इत्तिला को अभिलेख में रखेगा ।]

6. डिक्री की अन्तर्वस्तु- (1) डिक्री निर्णय के अनुरुप होगी, उसमें वाद का संख्यांक, [3][पक्षकारों के नाम और वर्णन, उनके रजिस्ट्रकृत पते] और दावे की विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी और अनुदत्त अनुतोष या वाद का अन्य अवधारण उसमें स्पष्टतया विनिर्दिष्ट होगा ।

(2) वाद में उपगत प्रश्नों की रकम भी और यह बात भी कि ऐसे खर्चे किसके द्वारा या किस सम्पत्ति में से और किस अनुपात में संदत किए जाने है, डिक्री में कथित होगी ।

3) न्यायालय निदेश दे सकेगा कि एक पक्षकार को दूसरे पक्षकार द्वारा देय खर्चे किसी ऐसी राशि के विरुद्ध मुजरा किए जाएं जिसके बारे में यह स्वीकार किया गया है या पाया गया है कि वह एक से दूसरे को शोध्य है ।

(1926 का यू.पी. अधिनियम सं. 4) की धारा 16 (2) ।

1. नियम 1, 3, 4 और 5 के उपबंध अवध के मुख्य न्यायालय को लागू नहीं होते है । देखिए अवध कोटर्स ऐक्ट 1925 (1926 का यू.पी. अधिनियम सं. 4) की धारा 16 (2) ।
2. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 70 द्वारा (1-2-1977 से) अन्तःस्थापित किया गया ।
3. 1976 के अधिनियम द्वारा (1-2-1977 से) "पक्षकारों के नाम और पते " के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[1][**6क. डिक्री तैयार करना-** (1) यह सुनिश्चित करने के लिए हर प्रयास किया जाएगा कि डिक्री जहां तक संभव हो शीघ्रता से और किसी भी दशा में उस तारीख से पंद्रह दिन के भीतर जिसको निर्णय सुनाया जाता है, तैयार की जाए ।

(2) अपील डिक्री की प्रतिलिपि को प्रस्तुत किए बिना डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत की जा सकती है और ऐसे मामले में पक्षकार को उपलब्ध प्रतिलिपि को न्यायालय द्वारा आदेश 41 नियम 1 के प्रयोजन के लिए डिक्री के रूप में व्यवहत किया जाएगा । परंतु जैसे ही डिक्री को तैयार किया जाता है तो निर्णय का निष्पादन के प्रयोजन के लिए अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिए डिक्री के रुप में प्रभावी होना समाप्त हो जाएगा ।

6ख. निर्णयों की प्रतिलिपियों को कब उपलब्ध कराया जाना- जहाँ निर्णय उद्घोषित कर दिया जाता है तो निर्णय की प्रतिलिपि को ऐसे प्रभारों को भुगतान करने पर जो कि उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट किए जाएँ, अपील प्रस्तुत करने के लिए निर्णय उद्घोषित होने के तत्काल उपरात

उपलब्ध कराई जाएगी ।

1. 1999 के अधिनियम सं. 46 की धारा 28 द्वारा (1-7-2002से) नियम 6क और 6ख के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

7. डिक्री की तारीख- डिक्री में उस दिन की तारीख होगी जिस दिन निर्णय सुनाया गया था और न्यायाधीश अपना समाधान कर लेने पर कि डिक्री निर्णय के अनुसार तैयार की गई है डिक्री पर हस्ताक्षर करेगा ।

आदेश 20 नियम 7-क

उच्च न्यायालय संशोधन

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन (3.10.1981)- नियम 7 के उपरांत निम्न नियम 7-क अंतःस्थापित किया गया-

"7-क औपचारिक आदेश- जिला न्यायालय के अधीनस्थ दिवालिया अधिकारिता का उपयोग करने वाले किसी न्यायालय के अलावा धारा 144 के अथवा ऐसा आदेश जिसके विरुद्ध धारा 104 या आदेश 43 नियम 1 के अंतर्गत अपील अनुज्ञात की जाती है या किसी मामले में कोई आदेश जिसके विरुद्ध विधि में अपील अनुज्ञात किया गया है आदेश पारित करने वाला कोई न्यायालय, यदि पक्षकार औपचारिक आदेश का आवेदन करे अथवा न्यायालय इस प्रकार निर्देशित करे तो औपचारिक आदेश उसके न्यायनिर्णयन व पक्षकारों द्वारा उपगत खर्चों के ज्ञापन को सन्निहित करते हुए तैयार करेगा ।"

8. जहां न्यायाधीश ने डिक्री पर हस्ताक्षर करने से पूर्व अपना पद रिक्त कर दिया है वहां प्रक्रिया- जहाँ न्यायाधीश ने निर्णय सुनाने के पश्चात् किन्तु डिक्री पर हस्ताक्षर किए बिना अपना पद रिक्त कर दिया है वहा ऐसे निर्णय के अनुसार तैयार की गई है डिक्री पर उसका उत्तरवर्ती या यदि उस न्यायालय का अस्तित्व ही समाप्त हो गया है तो ऐसे किसी न्यायालय का न्यायाधीश जिसके अधीनस्थ ऐसा न्यायालय था, हस्ताक्षर करेगा ।

9. स्थावर सम्पत्ति के प्रत्युद्धरण के लिए डिक्री- जहां वाद की विषयवस्तु स्थावर सम्पत्ति है वहा डिक्री में ऐसी सम्पत्ति का ऐसा वर्णन अन्तर्विष्ट होगा जो उसकी पहचान करने के लिए पर्याप्त हो और जहां ऐसी सम्पत्ति सीमाओं द्वारा या भू-व्यवस्थापन या सर्वेक्षण के अभिलेख के संख्यांकों द्वारा पहचानी जा सके वहा डिक्री में ऐसी सीमाएं या संख्यांक विनिर्दिष्ट होंगे ।

10. जंगम सम्पत्ति के परिदान के लिए डिक्री- जहां वाद जंगम सम्पत्ति के लिए है और डिक्री ऐसी सम्पत्ति के परिदान के लिए है वहां यदि परिदान नहीं कराया जा सकता है तो डिक्री में धन के उस परिणाम का भी कथन किया जाएगा जो अनुकल्पत: दिया जाएगा ।

11. डिक्री किस्तो द्वारा संदाय के लिए निदेश दे सकेगी- (1) यदि और जहां तक कोई डिक्री धन के संदाय के लिए है तो और वहां तक न्यायालय उस संविदा में, जिसके अधीन धन संदेय है, अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी [1][उन पक्षकारों को जो अंतिम सुनवाई में स्वयं या प्लीडर द्वारा उपसंजात थे, सुनने के पश्चात्, निर्णय के पूर्व डिक्री में किसी पर्याप्त कारण से यह आदेश सम्मिलित कर सकेगा] कि डिक्रीत रकम का संदाय ब्याज के सहित या बिना, मुल्तवी किया जाए या किस्तों में किया जाए ।

(2) डिक्री के पश्चात् किस्तों में संदाय का आदेश- ऐसी किसी डिक्री के पारित किए जाने के पश्चात् न्यायालय निर्णीत-ऋणी के आवेदन पर और डिक्रीदार की अनुमति से आदेश दे सकेगा कि ब्याज के संदाय संबंधी, निर्णीत-ऋणी की सम्पत्ति की कुर्की-सम्बन्धी, उससे प्रतिभूति लेने सम्बन्धी या अन्य ऐसे निबन्धनों पर जो वह ठीक समझे, डिक्रीत रकम का संदाय मुल्तवी किया जाए या किस्तों में किया जाए ।

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 70 द्वारा (1-2-1977 से) कुछ शब्दो के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया |

उच्च न्यायालय संशोधन

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन (16.9.1960)- शब्द "और डिक्रीदार की अनुमति से" के स्थान पर शब्द "और डिक्रीदार को सूचना के उपरांत" प्रतिस्थापित किये गये ।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन-- आदेश 21 नियम 11 के उपनियम (2) के खण्ड (च) को निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया गया है-

"अंतिम आवेदन की दिनांक, यदि कोई हो"

उपनियम (2) में अंत में निम्न परंतुक जोड़ा गया है-

“परंतुक जब आवेदक उसका आवेदन डिक्री की प्रमाणित प्रतिलिपि कके साथ प्रस्तुत करता है तो खण्ड (ख), (ग) और (ज) के विवरण को आवेदन में दिए जाने की आवश्यकता नहीं है ।" 1

निम्न उपनियम (4) जोड़ा गया है–

“(4) जहाँ उपनियम (2) के अंतर्गत धन की डिक्री निर्णीत-ऋणी को गिरफ्तार कर निरोध द्वारा निष्पादन चाहा जाता है, आवेदन में यह भी बताया जावेगा कि धारा 51 के परंतुक में वर्णित किन आधारों पर निरुद्ध किए जाने का दावा किया गया है ।"

पटना उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- आदेश 21 नियम 11 में निम्न उपनियम (क) जोडा गया है-

" (1) जहाँ धारा 39 के अंतर्गत धन भुगतान की डिक्री के निष्पादन के लिए उस न्यायालय में अंतरण करने का आदेश पारित किया जाता है जिसकी स्थानीय सीमाओं में निर्णीत-ऋणी निवास करता है ऐसा न्यायालय डिक्री होल्डर द्वारा डिक्री की प्रमाणित प्रतिलिपि और संतुष्टि न होने के शपथ-पत्र की प्रस्तुति पर तत्काल निर्णीत-ऋणी की गिरफ्तारी द्वारा निष्पादन कर सकेगा ।"

नियम 11 के उपनियम (2) में शब्द व अंक "उपनियम (1)" को "उपनियम (1) और (1 -क)" किया गया है ।

1. अधिसूचना क्रमांक 4048/35 (क)-3- (7), दिनांक 24.7.1926 ।
2. अधिसूचना क्रमांक 92/x - 14, दिनांक -19.05.1956।

12. कब्जा और अन्तःकालीन लाभों के लिए डिक्री- (1) जहां वाद स्थावर सम्पत्ति के कब्जे का प्रत्युद्धरण करने और भाटक या अन्तःकालीन लाभों के लिए है वहां न्यायालय ऐसी डिक्री पारित कर सकेगा जो-

(क) सम्पत्ति के कब्जे के लिए हो;

[1][(ख) ऐसे भाटको के लिए हो जो वाद के संस्थित किए जाने के पूर्व की किसी अवधि में सम्पत्ति पर प्रोद्भूत हुए हों या ऐसे भाटक के बारे में जांच करने का निदेश देती हो;

(खक) अन्त:कालीन लाभों के लिए हों या ऐसे अन्तःकालीन लाभों के बारे में जांच करने का निदेश देती हो,

(ग) वाद के संस्थित किए जाने से लेकर निम्नलिखित में से, अर्थात्:-

(i) डिक्रीदार को कब्जे का परिदान;

(ii) डिक्रीदार को न्यायालय की मार्फत सूचना सहित निर्णीत-ऋणी द्वारा कब्जे का त्याग, अथवा

(iii) डिक्री की तारीख से तीन वर्षो की समाप्ति,

इनमें से जो भी कोई घटना पहले घटित हो या उस तक के भाटक या अन्त:कालीन लाभों के बारें मे जांच का निदेश देती हो ।

(2) जहां खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन जांच का निदेश दिया गया है वहां भाटक या अन्त:कालीन लाभों के सम्बन्ध में अन्तिम डिक्री ऐसी जांच के परिणाम के अनुसार पारित की जाएगी ।

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 70 द्वारा (1.2.1977 से) खण्ड ख के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।

[1][12 क. स्थावर संपत्ति के विक्रय या पटटे की संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए डिक्री- जहां स्थावर सम्पत्ति के विक्रय या पट्टे की किसी संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए किसी डिक्री में यह आदेश है कि क्रय-धन या अन्य राशि क्रेता या पट्टेदार द्वारा संदत्त की जाए वहा उसमें वह अवधि विनिर्दिष्ट की जाएगी जिसके भीतर संदाय करना होगा ।

13. प्रशासन-वाद में डिक्री- (1) जहां वाद किसी सम्पत्ति के लेखा के लिए और न्यायालय की डिक्री के अधीन उसके सम्यक् प्रशासन के लिए है वहां न्यायालय अन्तिम डिक्री पारित करने के पूर्व ऐसे लेखाओं के लिए जाने और जांचों के लिए जाने का आदेश देने वाली और ऐसे अन्य निदेश देने वाली जो न्यायालय ठीक समझे, प्रारम्भिक डिक्री पारित करेगा ।

(2) किसी मृत व्यक्ति की सम्पत्ति का न्यायालय द्वारा प्रशासन किए जाने में, यदि ऐसी सम्पत्ति उसके ऋणों और दायित्वों के पूरे संदाय के लिए अपर्याप्त साबित हो तो, प्रतिभूत और अप्रतिभूत लेनदारों के अपने-अपने अधिकारों के बारे में और ऐसे ऋणों और दायित्वों के बारे में जो साबित किए जा सकते है और

वार्षिकियों के और भावी और समाश्रित दायित्वों के मूल्यांकन के बारे में क्रमश : उन्हीं नियमों का अनुपालन किया जाएगा जो न्यायनिर्णीत या घोषित दिवालिया व्यक्तियों की सम्पदाओं के बारे में उस न्यायालय की स्थानीय सीमाओं के भीतर तत्समय प्रवृत्त हों जिनमें प्रशासन - वाद लम्बित है और वे सभी व्यक्ति जो ऐसे किसी मामले में ऐसी सम्पत्ति में से संदाय पाने का हकदार होंगे प्रारम्भिक डिक्री के अधीन आ सकेंगे और उस सम्पत्ति के विरुद्ध ऐसे दावे कर सकेंगे जिनके लिए वे इस संहिता के आधार पर क्रमश : हकदार हैं ।

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 70 दास (1.2.1977 से) अन्त : स्थापित किया गया ।

14. शुफा के दावे में डिक्री- (1) जहां न्यायालय सम्पत्ति के किसी विशिष्ट विक्रय के बारे में शुफा के दावे की डिक्री देता है और क्रय - धन ऐसे न्यायालय में जमा नहीं किया गया है वहा डिक्री में-

(क) ऐसा दिन विनिर्दिष्ट होगा जिस दिन या जिसके पूर्व क्रय - धन ऐसे जमा किया जाएगा, तथा

(ख) यह निदेश होगा कि वादी के विरुद्ध डिक्रीत खर्चों के सहित (यदि कोई हों) ऐसे क्रय - धन को न्यायालय में उस दिन या उस दिन के पूर्व जो खण्ड (क) में निर्दिष्ट किया गया है जमा कर दिये जाने पर प्रतिवादी सम्पत्ति का कब्जा वादी को परिदत्त कर देगा जिसका हक ऐसे जमा करने की तारीख से उस पर प्रोद्भूत हुआ समझा जाएगा; किन्तु यदि क्रय - धन और खर्चे (यदि कोई हो) ऐसे जमा नहीं किए जाएंगे तो वाद खर्चों के सहित खारिज कर दिया जाएगा ।

(2) जहां न्यायालय ने शुफा के परस्पर विरो धी दावों का न्यायनिर्णयन कर दिया है वहां डिक्री में यह निर्दिष्ट होगा कि-

(क) यदि और जहां तक डिक्रीत दावे समान कोटि के है तो और वहां तक उपनियम (1) के उपबन्धों का अनुपालन करने वाले हर एक शुफाधिकारी का दावा उस सम्पत्ति के आनुपातिक अश के बारे में प्रभावी होगा जिस सम्पत्ति के अन्तर्गत ऐसा कोई आनुपातिक अश भी होगा जिसके बारे में किसी ऐसे शुफाधिकारी का जो उक्त उपबन्धों का अनुपालन करने में असफल रहा है दावा ऐसा व्यतिक्रम न होने पर प्रभावी होता; तथा

(ख) यदि और जहां तक डिक्रीत दावे विभिन्न कोटि के है तो और वहां तक अवर शुफाधिकारी का दावा तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक वरिष्ठ शुफाधिकारी उक्त उपबंधों का अनुपालन करने में असफल न हो गया हो |

उच्च न्यायालय संशोधन

"म.प्र. उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन (सी.पी.एण्ड बरार गजट 1947 पार्ट 3 पेज 526)- परन्तु यह कि यदि संपत्ति पर फसल खडी हुई है तो संपत्ति का आधिपत्य वादी को प्रदान नहीं किया जाएगा जब तक कि फसल न कट जाए । यद्यपि वादी न्यायालय के विवेक पर, 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष से अनाधिक न होने वाले साधारण ब्याज को उसके द्वारा न्यायालय मे जमा की गयी राशि पर उस अवधि के दौरान जो कि क्रयधन व खर्चे (यदि कोई हो)उसके द्वारा न्यायालय में भुगतान करने की तारीख से एवं तारीख जिस पर कि प्रतिवादी द्वारा उसे आधिपत्य प्रदान किया जाता है के मध्य की हो हकदार हो सकेगा । "

15. भागीदारी के विघटन के लिए वाद में डिक्री- जहां तक वाद भागीदारी के विघटन के लिए या भागीदारी के लेखाओं के लिए जाने के लिए है वहा न्यायालय अन्तिम डिक्री देने के पूर्व ऐसी प्रारम्भिक डिक्री पारित कर सकेगा जिसमें पक्षकारों के आनुपातिक अंश घोषित होंगे, वह दिन नियत होगा जिसको भागीदारी विघटित हो जाएगी या विघटित हुई समझी जाएगी, और ऐसे लेखाओं के लिए जाने का और अन्य ऐसे कार्य के, जो वह न्यायालय ठीक समझे, किए जाने का निदेश होगा ।

16. मालिक और अभिकर्ता के बीच लेखा के लिए लाए गए वाद में डिक्री- मालिक और अभिकर्ता के बीच धन-संबंधी संव्यवहारों की बाबत लेखा के लिए वाद में, और ऐसे किसी अन्य वाद में, जिसके लिए इसमें इसके पूर्व उपबन्ध नहीं किया गया है, जहां यह आवश्यक हो कि उस धन की रकम को, जो किसी पक्षकार को या पक्षकार से शोध्य है, अभिनिश्चित करने के लिए लेखा लिया जाना चाहिए, न्यायालय अपनी अन्तिम डिक्री पारित करने के पूर्व ऐसी प्रारम्भिक डिक्री पारित कर सकेगा जिसमें ऐसे लेखाओं के लिए जाने का निदेश होगा जिनका लिया जाना वह ठीक समझे ।

17. लेखाओं के सम्बन्ध में विशेष निदेश- न्यायालय या तो लेखा लिए जाने के लिए निदेश देने वाली डिक्री द्वारा या किसी पश्चात्वर्ती आदेश द्वारा उस ढंग के बारे में विशेष निदेश दे सकेगा जिसमें लेखा लिया जाना है या प्रमाणित किया जाना है और विशिष्टत: यह निदेश दे सकेगा कि लेखा लेने में उन लेखा बहियों को, जिनमें प्रश्नगत लेखा रखे गए हों, उन बातों की सत्यता के प्रथम दृष्टया साक्ष्य के रूप में लिया जाएगा जो उनमें अन्तर्विष्ट है । किन्तु हितबद्ध पक्षकारों क यह स्वतत्रता होगी कि वे उन पर ऐसे आक्षेप कर सकेंगे जो वे ठीक समझे ।

18. सम्पति के विभाजन के लिए या उनमें के अंश पर पृथक कब्जे के लिए वाद मे डिक्री- जब न्यायालय सम्पत्ति के विभाजन के लिए या उसमें के अंश पर पृथक कब्जे के लिए डिक्री पारित करता है तब-

(1) यदि और जहां तक डिक्री ऐसी सम्पदा से सम्बन्धित है जिस पर सरकार को संदेय राजस्व निर्धारित है तो और वहां तक डिक्री सम्पत्ति के हितबद्ध विभिन्न पक्षकारों के अधिकारों की घोषणा करेगी, किन्तु वह यह निदेश देगी कि ऐसा विभाजन या पृथक्करण ऐसी घोषणा और धारा 54 के उपबन्धों के अनुसार कलक्टर द्वारा या उसके द्वारा इरम निमित प्रतिनियुक्त उसके किसी ऐसे अधीनस्थ द्वारा किया जाए जो राजपत्रित हो,

(2) यदि और जहां तक ऐसी डिक्री किसी अन्य स्थावर सम्पत्ति से या जंगम संपत्ति से सम्बन्धित है तो और वहां तक न्यायालय यदि विभाजन या पृथक्करण अतिरिक्त जांच के बिना सुविधापूर्वक नहीं किया जा सकता तो सम्पत्ति में हितबद्ध विभिन्न पक्षकारों के अधिकारों की घोषणा करने वाली और ऐसे अतिरिक्त निदेश देने वाली जो अपेक्षित हो, प्रारम्भिक डिक्री पारित कर सकेगा |

19. जब मुजरा या प्रतीपदावा अनुज्ञात किया जाए तब डिक्री–(1) जहां प्रतिवाद का वादी के दावे के विरुद्ध मुजरा [1][या प्रतीपदावा] अनुज्ञात किया गया है वहां डिक्री में यह कथन होगा कि वादी को कितनी

रकम शोध्य है और वह किसी ऐसी राशि की वसूली के लिए होगी जो दोनों पक्षकारों में से किसी को शोध्य प्रतीत हो ।

(2) मुजरा या प्रतीपदावा सम्बन्धी डिक्री की अपील- किसी ऐसे वाद में, जिसमें मुद्रा का दावा [2][या प्रतीपदावा] किया गया है पारित कोई भी डिक्री अपील के बारे में उन्हीं उपबन्धों के अधीन होगी जिनके अधीन वह होती यदि किसी मुजरा का दावा [2][या प्रतीपदावा] न किया गया होता ।

(3) इस नियम के उपबन्ध लागू होंगे चाहे मुजरा, आदेश 8 के नियम 6 के अधीन या अन्यथा अनुज्ञेय हो ।

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 70 (1-2-1977 से) अन्त: स्थापित किया गया ।
2. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 70 (1-2-1977 से) अन्त: स्थापित किया गया ।
3. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 70 (1-2-1977 से) अन्त: स्थापित किया गया ।

उच्च न्यायालय संशोधन

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा सं शो धन (21.3.1936)- उपनियम (1) के अंत में पूर्ण विराम को विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर कोमा अंकित किया गया और निम्न और जोडा गया-

" परन्तु वादी के विरुद्ध कोई डिक्री पारित नहीं की जाएगी जब तक कि मुजरा का दावा उस तारीख को जबकि लिखित कथन प्रस्तुत किया गया था समयावधि के भीतर था । "

20. निर्णय और डिक्री की प्रमाणित प्रतियों का दिया जाना- निर्णय और डिक्री की प्रमाणित प्रतियां प क्षकारों को न्यायालय से आवेदन करने पर और उनके खर्च पर दी जाएंगी ।

उच्च न्यायालय संशोधन

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन (16.9.1960) - नियम 20 के स्थान पर निम्न नियम 20 को प्रतिस्थापित किया गया है-

" 20. निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रतिलिपियां पक्षकारों को आवेदन पर व उनके खर्चों पर प्रदान की जाएंगी- प्रतिलिपियों के लिए आवेदन या तो व्यक्तिश : या अभिकर्ता द्वारा या प्लीडर के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकेगा या कार्यालय के मुख्या प्रतिलिपिकार को डाक द्वारा भेजा जा सकेगा तथा ऐसे स्थान पर जहां कि अभिलेख जिससे आवेदन की गयी प्रतिलिपि दिया गया है सुरक्षित अन्तत: सुरक्षित अभिरक्षा में जमा किया जाएगा । जब प्रतिलिपि ऐसे अभिलेख से प्राप्त करना अपेक्षित है जो न्यायालय की अस्थाई अभिरक्षा में ऐसे स्थान पर है जहां कि अभिलेख कक्ष नहीं है तो आवेदनपत्र व्यक्तिश: अथवा अभिकर्ता द्वारा अथवा प्लीडर उस स्थान के वरिष्ठ न्यायाधीश को दिया जा सकेगा ।"

आदेश 20 नियम 21
उच्च न्यायालय संशोधन

इलाहाबाद संशोधन (22.5.1915)- नियम 20 के उपरांत निम्न नियम 21 जोडा गया-

" 21 (1) लघुवाद न्यायालय या लघुवाद न्यायालय की अधिकारिता प्रयोग करने वाले न्यायालय की डिक्री या आदेश के अलावा धारा 2 मे परिभाषित प्रत्येक डिक्री या आदेश को न्यायालीन भाषा या अंग्रेजी में यदि न्यायालय ऐसा आदेश करता है तैयार किया जाएगा । जैसे ही ऐसी डिक्री या आदेश तैयार हो जाता है तो इस पर हस्ताक्षर करने के पूर्व मुंसरिम यह बताते हुए कि डिक्री या आदेश तैयार हो गया है और यह कि कोई पक्ष या किसी पक्ष का कोई प्लीडर ऐसी सूचना के 6 कार्यकारी दिवसों के भीतर तक ड्राफ्ट ड्रिकी या आदेश देख सकेगा सूचना पटल पर चस्पा करायेगा और इस पर हस्ताक्षर कर सकेगा अथवा मुंसरिम को इस बाबत इस आधार पर आपति कर सकेगा कि निर्णय में मौखिक त्रुटि अथवा निर्णय के सारवान भाग को प्रभावित न करने वाली कतिपय आकस्मिक त्रुटि है अथवा ऐसी डिक्री या आदेश निर्णय से भिन्न है अथवा कतिपय लिपिकीय या अंकगणितीय त्रुटि अन्तर्निहित है । ऐसी आपत्ति में स्पष्टत: बताया जाएगा, क्या अभिकथित गलती,दोष, या भिन्नता है और इसको करने वाले व्यक्ति के द्वारा इसे हस्ताक्षरित व दिनांकित किया जाएगा । (22.05.1915 व 1.11.1941)

(2) यदि ऐसी कोई आपत्ति सूचनापटल मे विनिर्दिष्ट दिनांक पर या उसके पूर्व की जाती है तो मुंसरिम आरंभिक व्यवहार्य होने वाली साप्ताहिक सूची में मामले को प्रविष्ट करेगा और नियत दिनांक पर उस न्यायाधीश के समक्ष जिसने निर्णय उद्घोषित किया था आपत्ति को अभिलेख के साथ रखा जाएगा और यदि ऐसा न्यायाधीश न्यायालय का न्यायाधीश न रह गया हो तो ऐसे न्यायाधीश के समक्ष जो कि पीठासीन हो । (22.6.1915)

(3) यदि सूचना में वर्णित दिनांक पर या उसके पूर्व कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की जाती है अथवा यदि आपत्ति प्रस्तुत की गयी हो और निरस्त कर दी गयी हो तो मुंसरिम डिक्री पर उस दिन के रुप में जबकि निर्णय उद्घोषित किया गया था दिनांक अंकित करेगा और इसे न्यायाधीश के समक्ष नियम 7 व 8 के प्रावधानों के अनुसार न्यायाधीश के समक्ष हस्ताक्षर के लिए रखा जाएगा | (22.5.1915)

(4) यदि कोई आपत्ति सम्यक तौर पर प्रस्तुत की गयी है और मंज़ूर की गयी है तो न्यायालय द्वारा निर्देशित दुरुस्ती या परिवर्तन किया जाएगा । निर्णय में ऐसी प्रत्येक दुरस्ती या परिवर्तन न्यायाधीश द्वारा स्वयं उसके हस्तलेख में किया जाएगा । न्यायाधीश द्वारा निर्देशित दुरास्ती व परिवर्तन के अनुसार संशोधित डिक्री को तैयार किया जाएगा और मुंसरिम डिक्री पर उस दिन के रूप में जबकि निर्णय उद्घोषित किया गया था दिनांक अंकित करेगा और इसे न्यायाधीश के समक्ष नियम 7 व 8 के प्रावधानों के अनुसार न्यायाधीश के समक्ष हस्ताक्षर के लिए रखा जाएगा । (22.05.1915)

(6) जबकि न्यायाधीश डिक्री पर हस्ताक्षर करता है वह एक आटोग्राफ टीप यह बताते हुए कि किस तारीख को डिक्री को हस्ताक्षरित किया गया था । (22.05.1915)

[1][आदेश 20क
खर्चे

1. कुछ मदों के बारे में उपबन्ध- खर्चों के बारे में इस संहिता के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना न्यायालय निम्नलिखित के सम्बन्ध में खर्चे अधिनिर्णीत कर सकेगा अर्थात-

(क) वाद संस्थित करने से पूर्व किसी ऐसी सूचना के, जो विधि द्वारा दी जाने के लिए अपेक्षित है दिए जाने के लिए उपगत व्यय,

(ख) किसी ऐसी सूचना पर उपगत व्यय जो विधि द्वारा दी जाने के लिए अपेक्षित न होने पर भी वाद के किसी पक्षकार द्वारा किसी दूसरे पक्षकार को वाद संस्थित करने से पूर्व दी गई हो;

(ग) किसी पक्षकार द्वारा फाइल किए गए अभिवचनों को टाइप कराने लिखने या मुद्रित कराने पर उपगत व्यय;

(घ) वाद के प्रयोजनों के लिए न्यायालय के अभिलेखों के निरीक्षण के लिए किसी पक्षकार द्वारा संदत्त प्रभार;

(ड) किसी पक्षकार द्वारा साक्षियों को पेश करने के लिए उपगत व्यय चाहे वे न्यायालय के माध्यम से समन न किए गए हो; और

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 71 द्वारा (1-2-1977 से) अन्त: स्थापित किया गया |

(च) अपीलों की दशा में किसी पक्षकार द्वारा निर्णयों और डिक्रियों की प्रतियां प्राप्त करने में उपगत प्रभार, जो अपील के ज्ञापन के साथ फाइल की जाने के लिए अपेक्षित है ।

2. उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार खर्चों का अधिनिर्णीत किया जाना- इस नियम के अधीन खर्चे ऐसे नियमों के अनुसार अधिनिर्णीत किए जाएंगे जो उच्च न्यायालय द्वारा इस निमित्त बनाए जाएं ।

आदेश 21

डिक्रियों और आदेशों का निष्पादन
डिक्री के अधीन संदाय

[1]**[1. डिक्री के अधीन धन के संदाय की रीतियां-** (1) डिक्री के अधीन संदेय सभी धन का निम्नलिखित रीति से सदाय किया जाएगा, अर्थात-

(क) उस न्यायालय में, जिसका कर्तव्य उस डिक्री का निष्पादन करना है, जमा करके या उस न्यायालय को मनीआर्डर द्वारा अथवा बैंक के माध्यम से भेजकर; या

(ख) न्यायालय के बाहर डिक्रीदार को मनीआर्डर द्वारा या किसी बैंक के माध्यम से या किसी अन्य रीति से जिसमें संदाय का लिखित साक्ष्य हो या

(ग) अन्य रीति से जो वह न्यायालय जिसने डिक्री दी, निदेश दे ।

(2) जहां संदाय उपनियम (1) के खण्ड बक या खण्ड (ग) के अधीन किया जाता है

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 72 द्वारा (1-2-1977 से) नियम 1 के स्थान पर प्रतिस्थापिन किया गया ।

वहां निर्णीत ऋणी डिक्रीदार को उसकी सूचना न्यायालय के माध्यम से देगा या रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा सीधे देगा ।

(3) जहां धन का सदाय उपनियम (1) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन मनीआर्डर द्वारा या बैंक के माध्यम से किया जाता है वहा, यथास्थिति, मनीआर्डर में या बैंक के माध्यम से किए गए सदाय में निम्नलिखित विशिष्टियों का स्पष्ट रुप से कथन होगा, अर्थात-

(क) मूल वाद का संख्यांक;

(ख) पक्षकारों के या जहां दो से अधिक वादी या दो से अधिक प्रतिवादी है वहां, यथास्थिति, पहले दो वादियों और दो प्रतिवादियों के नाम;

(ग) प्रेषित धन का समायोजन किस प्रकार किया जाना है, अर्थात वह संदाय मूल के प्रति, ब्याज के प्रति या खर्चो के प्रति है;

(घ) न्यायालय के निष्पादन मामले का सख्यांक जहां ऐसा मामला लंबित है; और

(ड) संदाय कर्ता का नाम और पता ।

(5) उपनियम (1) के खण्ड (क) या खण्ड (ग) के अधीन संदत्त किसी रकम पर ब्याज, यदि कोई हो, उपनियम (2) में निर्दिष्ट सूचना की तामील की तारीख से नहीं लगेगा ।

(6) उपनियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन संदत्त किसी रकम पर ब्याज, यदि कोई हो, ऐसे संदाय की तारीख से नहीं लगेगा:

परन्तु जहां डिक्रीदार मनीआर्डर या बैंक के माध्यम से सदाय स्वीकार करने से इंकार करता है वहां ब्याज, उस तारीख से, जिसको धन उसे निविदत्त किया गया था, नहीं लगेगा अथवा जहां वह मनीआर्डर या बैंक के माध्यम से किए गए सदाय को स्वीकार करने से बचता है, वहा ब्याज उस तारीख से, जिसको धन उसे, यथास्थिति, डाक प्राधिकारियों के या बैंक के कारबार के मामूली अनुक्रम में दिया गया होता, नहीं लगेगा ।]

उच्च न्यायालय संशोधन

म.प्र. उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- निम्नानुसार को प्रतिस्थापित किया गया-

" (क) नियम व मार्जिनल नोट में जहां भी “डिक्री या आदेश” शब्द हों वहां शब्द “डिक्री” को प्रतिस्थापित किया जाए ।

(ख) “उप-नियम (2) के खंड (क) में शब्द " में" के स्थान पर इसमें या इसको पोस्टल आर्डर द्वारा जमा कर " शब्दों को प्रतिस्थापित किया गया है ।

(ग) शब्द “डिक्रीदार को देगा” के स्थान पर शब्दों " निर्णीतऋणी डिक्रीदार को उसकी सूचना

न्यायालय के माध्यम से या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा सीधे देगा " को प्रतिस्थापित किया गया । (16.9.1960)

अब मूल प्रावधान में ही इस आशय का संशोधन 1976 के सि.प्र.स. के संशोधन संबंधी अधिनियम सं. 104 के द्वारा समाविष्ट किया जा चुका है ।

2. डिक्रीदार को न्यायालय के बाहर संदाय- (1) जहां किसी प्रकार की डिक्री के अधीन संदेय कोई धन न्यायालय के बाहर सदत्त किया गया है या किसी प्रकार की पूरी डिक्री [1][या उसके किसी भाग का समायोजन डिक्रीदार को समाधानप्रद रुप में अन्यथा कर दिया गया है] वहां डिक्रीदार उस न्यायालय को, जिसका कर्तव्य डिक्री का निष्पादन करना है, यह प्रमाणित करेगा कि ऐसा सदाय या समायोजन कर दिया गया है और न्यायालय उसे तदनुसार अभिलिखित करेगा ।

(2) निर्णीतऋणी या कोई ऐसा व्यक्ति भी जो निर्णीतऋणी के लिए प्रतिभू है, ऐसे संदाय या समायोजन की इत्तिला न्यायालय को दे सकेगा और न्यायालय से आवेदन कर सकेगा कि न्यायालय अपने द्वारा नियत किए जाने वाले दिन को वह हेतुक दर्शित करने के लिए सूचना डिक्रीदार के नाम निकाले कि ऐसे संदाय या समायोजन के बारे में यह क्यों न अभिलिखित कर लिया जाए कि वह प्रमाणित है, और यदि डिक्रीदार ऐसी सूचना की तामील के पश्चात् यह हेतुक दर्शित करने में असफल रहता है कि संदाय या समायोजन के बारे में यह अभिलिखित नहीं किया जाना चाहिए कि वह प्रमाणित है तो न्यायालय उसे तदनुसार अभिलिखित करेगा ।

[3][(2क) निर्णीतऋणी की प्रेरणा पर कोई भी संदाय या समायोजन तब तक अभिलिखित नहीं किया जाएगा जब तक--

(क) वह संदाय नियम 1 में उपबन्धित रीति से न किया गया हो; या

(ख) वह संदाय या समायोजन दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा साबित न हो; या

(ग) वह संदाय या समायोजन डिक्रीदार द्वारा या उसकी ओर से उस सूचना के उसके उत्तर में जो नियम 1 के उपनियम (2) के अधीन दी गई है या न्यायालय के समक्ष स्वीकार न किया गया हो ।]

[4](3) वह संदाय या समायोजन जो पूर्वोक्त रीति से प्रमाणित या अभिलिखित नहीं किया गया है, डिक्री निष्पादन करने वाले किसी न्यायालय द्वारा मान्य नहीं किया जाएगा ।

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 72 द्वारा (1-2-1977 से) कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।
2. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 72 द्वारा (1-2-1977 से) अन्त: स्थापित किया गया ।
3. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 72 द्वारा (1-2-1977 से) अन्त: स्थापित किया गया ।
4. अधिनियम के पंजाब को लागू करने के लिए पंजाब रिलीफ आफ इन्डटिडनेस ऐक्ट, 1934 (1934 का पजाब अधिनियम सं. (7) की धारा 36 द्वारा उपनियम (3) निरसित किया गया

उच्च न्यायालय संशोधन

पटना उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- (1) उपनियम (2) में आए शब्दों " डिक्रीधारी को ऐसी सूचना की तामील के पश्चात् " के लिए निम्न को प्रतिस्थापित किया गया-

" और जहाँ न्यायालय द्वारा आदेशिका जारी करने पर डिक्रीहोल्डर द्वारा अथवा इस संबंध में उसके द्वार प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसे भुगतान अथवा समायोजन बाबत् पृष्ठांकन द्वारा अधिप्रमाणन किया गया है तो न्यायालय उसकी स्वप्रेरणा से ऐसे सूचना पत्र की तामील के उपरांत "

(2) अस्तित्वयुक्त नियम 2 का उपनियम (3) लुप्त (5.4.1961)

डिक्रियां निष्पादन करने वाले न्यायालय

3. एक से अधिक अधिकारिता में स्थित भूमि- जहां स्थावर सम्पत्ति दो या अधिक न्यायालयों की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थित एक सम्पदा या भूधृति के रुप में है वहा पूरी सम्पदा या भूधृति को ऐसे न्यायालयों में से कोई भी एक न्यायालय कुर्क कर सकेगा और उसका विक्रय कर सकेगा ।

4. लघुवाद न्यायालय को अन्तरण- जहां डिक्री किसी ऐसे वाद में पारित की गई है, जिसका वादपत्र में उपवर्णित दो हजार रूपये से अधिक नहीं है और जहां तक उसकी विषय- वस्तु का सम्बन्ध है वह या तो प्रेसीडेंसी या प्रान्तीय लघुवाद न्यायालयों के संज्ञान से तत्समय प्रवृत विधि द्वारा अपवादित नहीं है और वह न्यायालय जिसने उसे पारित किया था यह चाहता है कि वह कलकत्ता, मद्रास [1][या मुम्बई] में निष्पादित की जाएं वहां ऐसा न्यायालय, यथास्थिति कलकत्ता, मद्रास [1][या मुम्बई] में के लघुवाद न्यायालय को नियम 6 में वर्णित प्रतियां और प्रमाणपत्र भेज सकेगा और तब ऐसा लघुवाद न्यायालय उस डिक्री का निष्पादन ऐसे करेगा मानो वह स्वयं उसके द्वारा पारित की गई हो ।

[3]**[5. अन्तरण की रीति-** जहां डिक्री निष्पादन के लिए दूसरे न्यायालय को भेजी जानी है वहां वह न्यायालय जिसने ऐसी डिक्री पारित की है डिक्री को सीधे ऐसे दूसरे न्यायालय को भेजेगा चाहे ऐसा दूसरा न्यायालय उसी राज्य में स्थित हो या नहीं, किन्तु वह न्यायालय जिसको डिक्री निष्पादन के लिए भेजी गई है उस दशा में जिसमें उसे डिक्री को निष्पादित करने की अधिकारिता नहीं है ऐसे न्यायालय को भेजेगा जिसे ऐसी अधिकारिता है ।]

1. भारत शासन (भारतीय विधि अनूकूलन) आदेश, 1937 द्वारा " मुम्बई या रंगून " के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।
2. भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा " मुम्बई या रंगून" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।
3. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 72 द्वारा (1-2-1977 से) नियम 5 के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।

6. जहां न्यायालय यह चाहता है कि उसकी अपनी डिग्री किसी अन्य न्यायालय द्वारा निष्पादित की जाए वहां प्रक्रिया- डिक्री को निष्पादन के लिए भेजने वाला न्यायालय निम्नलिखित भेजेगा, अर्थात-

(क) डिक्री की प्रति,

(ख) यह उपवर्णित करने वाला प्रमाणपत्र कि डिक्री की तुष्टि उस न्यायालय की अधिकारिता के भीतर जिसने उसे पारित किया था निष्पादन द्वारा अभिप्राप्त नहीं की गई है या जहां डिक्री का निष्पादन भागत: हुआ है वहां वह विस्तार जिस तक तुष्टि अभिप्राप्त कर ली गई है और डिक्री का जो भाग अतुष्ट रहा है वह भाग उपवर्णित करने वाला प्रमाणपत्र; तथा

(ग) डिक्री के निष्पादन के किसी आदेश की प्रति या यदि ऐसा कोई भी आदेश नही किया गया है तो उस भाव का प्रमाणपत्र ।

उच्च न्यायालय संशोधन

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- नियम 6 को नियम 6(1) के रुप में पुनर्क्रमांकित किया गया व उपनियम (2) के रुप में निम्न जोड़ा गया-

" (2) ऐसी प्रतिलिपियाँ एवं प्रमाण पत्र, डिक्री होल्डर की प्रार्थना पर, उसे अथवा ऐसे व्यक्ति को जिसे वह नियुक्त करता है, उस न्यायालय द्वारा प्राप्त किए जाने के लिए जिसको वे भेजी जाती हैं सीलबन्द आवरण में, सुपुर्द की जाएँगी । " (24.7.1926)

पटना उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- खण्ड (क) में “डिक्री” शब्द के उपरांत निम्नानुसार शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा-

"और वाद जिसमें कि डिक्री पारित की गई थी से संबंधित वाद रजिस्टर की प्रतिलिपि एवं डिक्री पारित होने के परिणामस्वरुप डिक्री होल्डर को अनुज्ञात खर्चों को दर्शित करते हुए ज्ञापन"

7. डिक्री आदि की प्रतियां प्राप्त करने वाला न्यायालय उन्हें सबूत के बिना फाइल कर लेगा- वह न्यायालय जिसे डिक्री ऐसे भेजी गई है, ऐसी प्रतियों और प्रमाणपत्रों को उस डिक्री या आदेश के जो निष्पादन के लिए है या उसकी प्रतियों के किसी अतिरिक्त सबूत के बिना, फाइल कर लेगा यदि वह उन विशेष कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे और जिन पर न्यायाधीश के हस्ताक्षर होंगे, ऐसे सबूत की अपेक्षा न करे ।

8. डिक्री या आदेश का उस न्यायालय द्वारा निष्पादन जिसे वह भेजा गया है- जहां ऐसी प्रतियां इस प्रकार फाइल कर ली गई हैं वहां यदि वह न्यायालय जिसे वह डिक्री या आदेश भेजा गया है, जिला न्यायालय है तो वह ऐसे न्यायालय द्वारा निष्पादित किया जा सकेगा या सक्षम अधिकारिता वाले किसी अधीनस्थ न्यायालय को निष्पादन के लिए अन्तरित किया जा सकेगा ।

9. अन्य न्यायालय द्वारा अन्तरित डिक्री का उच्च न्यायालय द्वारा निष्पादन- जहां वह न्यायालय जिसे डिक्री निष्पादन के लिए भेजी गई है उच्च न्यायालय है वहा डिक्री ऐसे न्यायालय द्वारा उसी रीति से

निष्पादित की जाएगी मानो वह ऐसे न्यायालय द्‌वारा अपनी मामूली आरम्भिक सिविल अधिकारिता के प्रयोग में पारित की गई थी ।

निष्पादन के लिए आवेदन

10. निष्पादन के लिए आवेदन- जहां डिक्री का धारक उसका निष्पादन कराना चाहता है वहां वह डिक्री पारित करने वाले न्यायालय से या इस निमित्त नियुक्त अधिकारी से (यदि कोई हो) या यदि डिक्री किसी अन्य न्यायालय को इसमें इसके पूर्व अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अधीन भेजी गई है तो उस न्यायालय से या उसके उचित अधिकारी से आवेदन करेगा ।

11. मौखिक आवेदन- (1) जहां डिक्री धन के संदाय के लिए वहां, यदि निर्णीतऋणी न्यायालय की परिसीमाओं के भीतर है तो, न्यायालय डिक्री पारित करने के समय डिक्रीदार द्‌वारा किए गए मौखिक आवेदन पर आदेश दे सकेगा कि वारण्ट की तैयारी के पूर्व ही डिक्री का अविलम्ब निष्पादन निर्णीत ऋणी की गिरफतारी द्‌वारा किया जाए ।

(2) लिखित आवेदन- उसके सिवाय जैसा उपनियम (1) द्‌वारा उपबन्धित है, डिक्री के निष्पादन के लिए हर आवेदन लिखा हुआ और आवेदक या किसी अन्य ऐसे व्यक्ति द्‌वारा, जिसके बारे में न्यायालय को समाधानप्रद रूप में साबित कर दिया गया है कि वह मामले के तथ्यों से परिचित है, हस्ताक्षरित और सत्यापित होगा और उसमें सारणीबद्‌ध रुप में निम्न विशिष्टियां होगी, अर्थात-

(क) वाद का संख्यांक;

(ख) पक्षकारों के नाम;

(ग) डिक्री की तारीख;

(घ) क्या डिक्री के विरुद्‌ध कोई अपील की गई है;

(ड) क्या डिक्री के पश्चात् पक्षकारों के बीच कोई संदाय या विवादग्रस्त बात का कोई अन्य समायोजन हुआ है और (यदि कोई हुआ है तो) कितना या क्या,

(च) क्या डिक्री के निष्पादन के लिए कोई आवेदन पहले किए गए हैं और (यदि कोई किए गए हें तो) कौन से हैं और ऐसे आवेदनों की तारीखें और उनके परिणाम;

(छ) डिक्री मद्‌धे शोध्य रकम, यदि कोई ब्याज हो तो उसके सहित, या उसके द्‌वारा अनुदत अन्य अनुतोष, किसी प्रति-डिक्री की विशिष्टियों के सहित चाहे वह उस डिक्री की तारीख के पूर्व या पश्चात् पारित की गई हो जिसका निष्पादन चाहा गया है;

(ज) अधिनिर्णीत खर्चो की (यदि कोई हों) रकम;

(झ) उस व्यक्ति का नाम जिसके विरुद्‌ध डिक्री का निष्पादन चाहा गया है; तथा

(ञ) वह ढंग जिसमें न्यायालय की सहायता अपेक्षित है अर्थात् क्या-

(i) किसी विनिर्दिष्टत: डिक्री सम्पत्ति के परिदान द्‌वारा;

[1][(ii) किसी सम्पत्ति की कुर्की द्‌वारा या कुर्की और विक्रय द्‌वारा या कुर्की के बिना विक्रय द्‌वारा;]

(iii) किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी और कारागार में निरोध द्‌वारा;

(iv) रिसीवर की नियुक्ति द्‌वारा;

(v) अन्यथा, जो अनुदत्त अनुतोष की प्रकृति से अपेक्षित है ।

(3) जिस न्यायालय से उपनियम (2) के अधीन आवेदन किया गया है, वह आवेदक से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह डिक्री की एक प्रमाणित प्रति पेश करे ।

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 72 द्वारा (1-2-1977 से) उपखण्ड (ii) के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।

उच्च न्यायालय संशोधन

म.प्र. उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन (16.9.1960)- नियम 11 के उपनियम (2) के खड (ञ) के उपखंड (v) के उपरात निम्नानुसार परतुक जोड़ा जाएगा-

"परन्तु यह कि जब आवेदक उसके आवेदन के साथा डिक्री की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करता है तो खंड (ख) (ग) एवं (ज) में दिये जाने वाले विवरणों को आवेदन में दिये जाने की आवश्यकता नहीं है ।

[1][**11क. गिरफ्तारी के लिए आवेदन मे आधारों का कथित होना-** जहां निर्णीतऋणी की गिरफ्तारी और कारागार में निरोध के लिए आवेदन किया जाता है वहां उसमें उन आधारों का जिन पर गिरफ्तारी के लिए आवेदन किया गया है, कथन होगा या उसके साथ एक शपथपत्र होगा जिसमें उन आधारों का जिन पर गिरफतारी के लिए आवेदन किया गया है, कथन होगा ।

12. ऐसी जंगम सम्पत्ति की कुर्की के लिए आवेदन जो निर्णीतऋणी के कब्जे में नहीं हैं- जहां किसी ऐसी जगम सम्पत्ति की कुर्की के लिए आवेदन किया गया है जो निर्णीतऋणी की है किन्तु उसके कब्जे में नहीं है वहा डिक्रीदार उस सम्पत्ति का जिसकी कुर्की की जानी है युक्तियुक्त रुप से यथार्थ वर्णन अन्तर्विष्ट करने वाली एक सम्पत्ति तालिका आवेदन के साथ उपाबद्ध करेगा ।

13. स्थावर सम्पत्ति की कुर्की के आवेदन में कुछ विशिष्टियों का अन्तर्विष्ट होना- जहां निर्णीतऋणी की किसी स्थावर सम्पत्ति की कुर्की के लिए आवेदन किया जाता है वहां उस आवेदन के पाद-भाग में निम्नलिखित बातें अन्तर्विष्ट होंगी, अर्थात-

(क) ऐसी सम्पत्ति का ऐसा वर्णन जो उसे पहचानने के लिए पर्याप्त है और उस दशा में जिसमें ऐसी सम्पति सीमाओं द्वारा या भू-व्यवस्थापन या सर्वेक्षण के अभिलेख के संख्याको के द्वारा पहचानी जा सकती है, ऐसी सीमाओं या संख्यांकों का विनिर्देश; तथा

(ख) निर्णीतऋणी का ऐसी सम्पत्ति में, जो अशं या हित आवेदक के सर्वोत्तम विश्वास के अनुसार है और जहां तक वह उसका अभिनिश्चय कर पाया हो वहां तक उस अंश या हित का विनिर्देश ।

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 72 द्वारा (1-2-1977 से) अन्त: स्थापित किया गया ।

14. कलेक्टर के रजिस्टर में से प्रमाणित उद्धरणों की कुछ दशाओं में अपेक्षा करने की शक्ति- जहां किसी ऐसी भूमि की कुर्की के लिए आवेदन किया जाता है जो कलक्टर के कार्यालय में रजिस्ट्रीकृत है वहा

न्यायालय आवेदक से अपेक्षा कर सकेगा कि वह उस भूमि के स्वत्वधारी के रूप में या उस भूमि में या उसके राजस्व में कोई अन्तरणीय हित रखने वाले के रुप में या उस भूमि के लिए राजस्व देने के दायी के रुप में रजिस्टर में दर्ज व्यक्तियों का और रजिस्टर में दर्ज स्वत्वधारियों के अशों को विनिर्दिष्ट करने वाला प्रमाणित उद्धरण ऐसे कार्यालय के रजिस्टर में से पेश करे ।

15. संयुक्त डिक्रीदार द्वारा निष्पादन के लिए आवेदन- (1) जहां डिक्री एक से अधिक व्यक्तियों के पक्ष में सयुक्त रुप से पारित की गई है वहा, जब तक कि डिक्री में इसके प्रतिकूल कोई शर्त अधिरोपित न हो, पूरी डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन ऐसे व्यक्तियों में से कोई एक या अधिक अपने सभी के फायदे के लिए या जहा उनमें से किसी की मृत्यु हो गई है वहा मृतक के उत्तरजीवियों और विधिक प्रतिनिधियों के फायदे के लिए कर सकेगा ।

(2) जहां न्यायालय डिक्री का निष्पादन इस नियम के अधीन किए गए आवेदन पर अनुज्ञात करने के लिए पर्याप्त हेतुक देखे वहां वह ऐसा आदेश करेगा जो वह उन व्यक्तियों के जो आवेदन करने में सम्मिलित नहीं हुए है, हितों के सरक्षण के लिए आवश्यक समझे ।

16. डिक्री के अन्तरिती दारा निष्पादन के लिए आवेदन- जहां किसी डक्री का या, यदि कोई डिक्री दो या अधिक व्यक्तियों के पक्ष में संयुक्त रुप से पारित की गई है तो डक्री में किसी डिक्रीदार के हित का अन्तरण लिखित समनुदेशन द्वारा या विधि की क्रिया द्वारा हो गया है वहा अन्तरिती उस न्यायालय से, जिसने डिक्री पारित की थी डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन कर सकेगा और डिक्री उसी रीति से और उन्हीं शर्तो के अधीन रहते हुए इस प्रकार निष्पादित की जा सकेगी मानो आवेदन ऐसे डिक्रीदार के द्वारा किया गया हो :

परन्तु जहां डिक्री के पूर्वोक्त जैसे हित का अन्तरण समनुदेशन द्वारा किया गया है वहां ऐसे आवेदन की सूचना अन्तरक और निर्णीतऋणी को दी जाएगी और जब तक न्यायालय ने डिक्री के निष्पादन के बारे में उनके आक्षेपों को (यदि कोई हो) न सुन लिया हो तब तक वह निष्पादित नहीं की जाएगी :

परन्तु यह और भी कि जहा दो या अधिक व्यक्तियों के विरुद्ध धन के सदाय की डिक्री उनमें से एक को अन्तरित की गई है, वहां वह अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध निष्पादित नहीं की जाएगी ।

[1]**[स्पष्टीकरण-** इस नियम की कोई बात धारा 146 के उपबन्धों पर प्रभाव नहीं डालेगी और उस सम्पत्ति में जो वाद की विषयवस्तु है, अधिकारों का कोई अन्तरिती डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन, इस नियम द्वारा यथा अपेक्षित डिक्री के पृथक समनुदेशन के बिना, कर सकेगा ।

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 72 द्वारा (1.2.1977 से) अन्त: स्थापित किया गया

उच्च न्यायालय संशोधन

म.प्र.उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन (16.9.1960)- नियम 16 मे शब्द “जिसने इसे पारित किया” के उपरांत शब्दों "या ऐसे न्यायालय को जिसको यह निष्पादन के लिए भेजी गयी है" को अतःस्थापित किया गया ।

पटना उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- नियम 16 में-

(1) इन शब्दों को "अथवा न्यायालय को जिसको कि डिक्री निष्पादन के लिए भेजी गई है जैसा भी मामला हो" शब्द “उस न्यायालय, जिसने डिक्री पारित की थी” के उपरांत जोडे ।

(2) प्रथम परंतुक से शब्दों "और निर्णीत ऋणी" को लुप्त करें एवं द्वितीय परंतुक में शब्द "अंतरक" के उपरांत इन शब्दों को अंतःस्थापित करें-

"जब तक कि अंतरक द्वारा अंतरण को मंजूर करते हुए एक शपथ पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत नहीं किया जाता है" व शब्द "उसके" के स्थान पर शब्द "उनके" व शब्द "आक्षेप" के स्थान पर शब्द "आक्षेपों" को करे ।

17. डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन प्राप्त होने पर प्रक्रिया- (1) डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन नियम 11 के उपनियम (2) द्वारा उपबन्धित रुप से प्राप्त होने पर न्यायालय यह अभिनिश्चित करेगा कि क्या नियम 11 से 14 तक की अपेक्षाओं में से उनका जो उस मामले में लागू है अनुपालन किया जा चुका है और यदि उनका अनुपालन किया गया है [1][तो न्यायालय त्रुटि का तभी और वहां ही या उस समय के भीतर जो उसके द्वारा नियत किया जाएगा दूर किया जाना अनुज्ञात करेगा ।]

[2][(1क) यदि त्रुटि इस प्रकार दूर नहीं कि जाती है तो न्यायालय आवेदन को नामजूर करेगा:

परन्तु जहां न्यायालय की राय में, नियम 11 के उपनियम (2) के खण्ड (छ) और (ज) में निर्दिष्ट रकम के बारे में कोई अशुद्धिके हो वहां न्यायालय आवेदन को नामजूर करने के बजाय (कार्यवाहियों के दौरान रकम को अन्तिम रुप से विनिश्चित कराने के पक्षकारों के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना) अनन्तिम रुप से रकम विनिश्चित करेगा और इस प्रकार अनन्तिम रुप से विनिश्चित रकम वाली डिक्री के निष्पादन के लिए आदेश करेगा ।

(2) जहां आवेदन उपनियम (1) के उपबन्धों के अधीन संशोधित किया जाता है वहा वह विधि के अनुसार और उस तारीख को जिसको वह पेश किया गया था पेश किया गया समझा जाएगा ।

(3) इस नियम के अधीन किया गया हर संशोधन न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षरित या आद्यक्षरित किया जागा ।

(4) जब आदेश ग्रहण कर लिया जाए तब न्यायालय उचित रजिस्टर मे आवेदन का टिप्पण और वह तारीख जिस दिन वह दिया गया था प्रविष्ट करेगा और इसमें इसके पश्चात् अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अधीन रहते हुए आवेदन की प्रकृति के अनुसार डिक्री के निष्पादन के लिए आदेश देगा:

परन्तु धन के संदाय के लिए डिक्री की दशा में कुर्क की गई सम्पति का, मूल्य डिक्री के अधीन शोध्य रकम के यथाशक्य लगभग बराबर होगा ।

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 72 द्वारा (1.2.1977 से) कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।
2. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 72 द्वारा (1.2.1977 से) अन्त: स्थापित किया गया ।

उच्च न्यायालय संशोधन

म.प्र. उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन (16.9.1960)- उपनियम (1) प्रतिस्थापित किये गये शब्द इस प्रकार है- "न्यायालय आवेदन को नामंजूर कर सकेगा या त्रुटि का तभी और वहां ही या उस समय के भीतर,

जो उसके द्वारा नियत किया जाएगा, दूर किया जाना अनुज्ञात करेगा"

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- शब्दों "अनुपालन किया जा चुका है" एवं "और यदि उनका अनुपालन नहीं किया गया है" के मध्य इन शब्दों को अंतःस्थापित कीजिए "और यदि डिक्री होल्डर न्यायालय द्वारा नियत किए गए समय के भीतर दोष के उपचार करने में विफल रहता है ।"

पटना उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- नियम 17(1) में शब्दों "न्यायालय आवेदन को नामंजूर करेगा" के स्थान पर निम्न को उपनियम के अंत में प्रतिस्थापित करें-

"न्यायालय दोष को तभी अथवा इसके द्वारा नियत किए गए समय के भीतर उपचारित किया जाना अनुज्ञात करेगा, यदि डिक्री होल्डर ऐसे समय के भीतर दोष का उपचार करने में विफल रहता है, तो न्यायालय आवेदन निरस्त कर सकेगा ।"

18. प्रति-डिक्रियों की दशा में निष्पादन- (1) जहां न्यायालय से आवेदन ऐसी प्रति- डिक्रियों के निष्पादन के लिए किए जाते है जो दो राशियों के संदाय के लिए पृथक-पृथक वादों में उन्हीं पक्षकारों के बीच पारित की गई है और ऐसे न्यायालय द्वारा एक ही समय निष्पादनीय हैं,

वहां-

(क) यदि दोनों राशियां बराबर है तो दोनों डिक्रि यों मे तुष्टि की प्रविष्टि कर दी जाएगी तथा

(ख) यदि दोनों राशियां बराबर नहीं है तो बडी राशि वाली डिक्री के धारक द्वारा ही और केवल उतनी ही राशि के लिए जो छोटी राशि को घटाने के पश्चात् शेष रहती है, निष्पादन कराया जा सकेगा और बडी राशि वाली डिक्री मे छोटी राशि की तुष्टि की प्रविष्टि कर दी जाएगी और साथ ही छोटी राशि वाली डिक्री में भी तुष्टि की प्रविष्टि कर दी जाएगी ।

(2) इस नियम के बारे में यह समझा जाएगा कि ये वहां लागू है जहां दोनों में से कोई पक्षकार उन डिक्रियों में से एक का समनुदेशिती है और मूल समनुदेशन द्वारा शोध्य निर्णीत ऋणों के बारे में भी वैसे ही लागू है जैसे स्वंय समनुदेशिती द्वारा शोध्य निर्णीत-ऋणों को ।

(3) इस नियम के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि यह लागू है जब तक कि-

(क) उन वादों में से, जिनमें डिक्रियां की गई है एक में का डिक्रीदार दूसरे में का निर्णीतऋणी न हो और हर एक पक्षकार दोनों वादों में एक सी ही हैसियत न रखता हो; तथा

(ख) डिक्रियों के अधीन शोध्य रशियां निश्चित न हों ।

(4) कई व्यक्तियों के विरुद्ध संयुक्ततः और पृथक्तः पारित डिक्री का धारक अपनी डिक्री को ऐसी डिक्री के सम्बन्ध में जो ऐसे व्यक्तियों में एक या अधिक के पक्ष में अकेले उसके विरुद्ध पारित की गई हों प्रति-डिक्री के रूप में बरत सकेगा ।

उच्च न्यायालय संशोधन

म.प्र. उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- अधिसूचना क्रमांक 3409 दिनांक 26.6.1943 के द्वारा आ. 21 नियम 18 के स्थान पर निम्नानुसार नियम 18 प्रतिस्थापित किया गया है-

"8(1) जहाँ डिक्री होल्डर न्यायालय से आवेदन ऐसी प्रति-डिक्रियों के निष्पादन के लिए किए जाने हैं जो दो राशियों के संदाय के लिए पृथक-पृथक दावों में उन्हीं पक्षकारों के बीच पारित की गई और ऐसे न्यायालय द्वारा एक ही समय में निष्पादनीय है, तथा-

(1) यदि दोनों राशियाँ बराबर हैं तो दोनों डिक्रियों की तुष्टि में प्रविष्टि कर दी जाएगी, तथा

(2) यदि दोनों राशियाँ बराबर नहीं हैं तो बडी राशि के डिक्री के धारक के द्वारा ही और केवल उतनी ही राशि के लिए जो छोटी राशि को घटाने के पश्चात शेष रहती है, निष्पादन कराया जा सकेगा और बडी राशि वाली डिक्री में छोटी राशि की तुष्टि की प्रविष्टि कर दी जाएगी और साथ ही साथ छोटी राशि वाली डिक्री में भी तुष्टि की प्रविष्टि कर दी जाएगी ।

परंतु यह कि----

(I) प्रत्येक पक्षकार का दोनों वादों में समान चरित्र है, और

(II) डिक्री के अधीन देय राशि निश्चिंत है ।

(2) इस नियम के बारे में यह समझा जावेगा कि यह यहाँ लागू है, जहाँ दोनों में से कोई पक्षकार उन डिक्रियों में से एक का समानुदेशिती है और मूल समनुदेशक द्वारा शोध्य निर्णीत ऋणों के बारे में वैसे ही लागू हैं जैसे स्वयं समानुदेशिती द्वारा शोध्य निर्णीत ऋणों को ।

परंतु यह कि-

(I) जहाँ समान पक्षकारों के मध्य डिक्रियों पारित की गई थीं, प्रत्येक पक्षकार ने समान हैसियत प्रत्येक वाद में भरी थी ।

(II) जहाँ डिक्रियाँ समान पक्षकारों के मध्य पारित नहीं की गई थी, वादों में से एक में डिक्री होल्डर अन्य वाद में निर्णीत ऋणी है और दोनों वादों में समान हैसियत भरता है, और

(III) डिक्रियों के अधीन देय रकम निश्चित है ।

(3) कई व्यक्तियों के विरुद्ध संयुक्त: और पृथकत: पारित डिक्री का धारक अपनी डिक्री को ऐसी डिक्री के संबंध में जो उसे व्यक्तियों में एक या अधिक के पक्ष में अकेले उसके विरुद्ध पारित की गई हो प्रति डिक्री के रुप में बरत सकेगा ।"

19. एक ही डिक्री के अधीन प्रतिदावों की दशा में निष्पादन- जहां न्यायालय से आवेदन ऐसी डिक्री के निष्पादन के लिए किया गया है जिसके अधीन दो पक्षकार एक दूसरे से धन की राशियां वसूल करने के हकदार हैं, वहां-

(क) यदि दोनों राशियां बराबर हैं तो दोनों के लिए तुष्टि की प्रविष्टि डिक्री मे कर दी जाएगी; तथा

(ख) यदि दोनों राशियां बराबर नहीं है तो बड़ी राशि के हकदार पक्षकार द्वारा ही और केवल उतनी ही राशि के लिए जो छोटी राशि के घटाने के पश्चात् शेष रहती है, निष्पादन कराया जा सकेगा, और छोटी राशि की तुष्टि की प्रविष्ट डिक्री में कर दी जाएगी ।

20. बंधक-वादों में प्रति-डिक्रिया और प्रतिदावे--- नियम 18 और नियम 19 में अन्तर्विष्ट उपबन्ध, बन्धक या भार का प्रवर्तन कराने में विक्रय की डिक्रियों को लागू होंगे ।

21. एक साथ निष्पादन- न्यायालय निर्णीतऋणी के शरीर और सम्पत्ति के विरुद्ध एक साथ निष्पादन करने से इंकार स्वविवेकानुसार कर सकेगा ।

22. कुछ दशाओं में निष्पादन के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने की सूचना- (1) जहां निष्पादन के लिए आवेदन-

(क) डिक्री की तारीख के [1][दो वर्ष] के, पश्चात् किया गया हैं, अथवा

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 72 द्वारा (1.2.1977 से) "एक वर्ष" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।

(ख) डिक्री के पक्षकार के विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध किया गया है, [1][अथवा जहा धारा 44क के उपबन्धों के अधीन फाइल की गई डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन किया गया है], [2][अथवा]

(ग) जहां डिक्री का पक्षकार दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है वहां दिवाले में समनुदेशिती या रिसीवर के विरुद्ध किया गया है,

वहां डिक्री निष्पादन करने वाला न्यायालय उस व्यक्ति के प्रति, जिसके विरुद्ध निष्पादन के लिए आवेदन किया गया है, यह अपेक्षा करने वाली सूचना निकालेगा कि वह उस तारीख को जो नियत की जाएगी, हेतुक दर्शित करे कि डिक्री उसके विरुद्ध निष्पादित क्यों न की जाए :

परन्तु ऐसी कोई सूचना न तो डिक्री की तारीख और निष्पादन के लिए आवेदन की तारीख के बीच [4][दो वर्ष] से अधिक बीत जाने के परिणामस्वरुप उस दशा में आवश्यक होगी जिसमें कि निष्पादन के लिए किसी पूर्वतन आवेदन पर उस पक्षकार के विरुद्ध, जिसके विरुद्ध निष्पादन के लिए आवेदन किया गया है, किए गए अन्तिम आदेश की तारीख से [5][दो वर्ष] के भीतर ही निष्पादन के लिए आवेदन कर दिया गया है और न निर्णीतऋणी के विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध आवेदन किए जाने के परिणामस्वरूप उस दशा में आवश्यक होगी जिसमें कि उसी व्याकृत के विरुद्ध निष्पादन के लिए पूर्वतन आवेदन पर न्यायालय उसके विरुद्ध निष्पादन चालू करने का आदेश दे चुका है ।

(2) पूर्वगामी उपनियम की कोई भी बात उस उपनियम द्वारा विहित सूचना निकाले बिना डिक्री के निष्पादन में कोई आदेशिका निकालने से न्यायालय को प्रवारित करने वाले नहीं समझी जाएगी, यदि उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, उसका विचार हो कि ऐसी सूचना निकालने से अयुक्तियुक्त विलम्ब होगा या न्याय के उद्देश्य विफल हो जाएंगे ।

1. 1937 के अधिनियम सं. 8 की धारा 3 द्वारा अन्तःस्थापित किया गया ।
2. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 72 द्वारा (1.2.1977 से) अन्तःस्थापित किया गया ।
3. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 72 द्वारा (1.2.1977 से) अन्तःस्थापित किया गया ।

4. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 72 द्वारा (1.2.1977 से) "एक वर्ष" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।
5. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 72 द्वारा (1-2-1977 से) "एक वर्ष" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।

उच्च न्यायालय संशोधन

म.प्र. उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- अधिसूचना क्रमांक 3409 दिनांक 29.6.1943 के द्वारा उपनियम (2) में परंतुक समाविष्ट किया गया है-

परन्तु डिक्री के निष्पादन का कोई आदेश इस नियम के अंतर्गत सूचना पत्र जारी करने की लोपता के कारण अविधिमान्य नहीं हो जाएगा जब तक कि ऐसी लोपता के कारण निर्णीत ऋणी को सारवान क्षति कारित न हुई हो |"

इलाहबाद उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- आदेश 21 नियम 22 के उपनियम (2) में निम्न परंतुक जोड़ा गया है-

"परन्तु डिक्री निष्पादन काश्तकार कोई आदेश इस कारण अविधिमान्य नहीं होगा कि इस नियम के अंतर्गत सूचना जारी करने में लोपता हुई जब तक कि निर्णीत ऋणी को ऐसी लोपता के कारण सारवान क्षति न हुई हो |

पटना उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- उपनियम (1) निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया गया है-

"(1) जहाँ नियम 11 (2) के अंतर्गत लिखित में निष्पादन के लिए आवेदन किया जाता है डिक्री निष्पादन करने वाला न्यायलय उस व्यक्ति को जारी करेगा जिसके विरुद्ध निष्पादन के लिए आवेदन किया गया हो, उस नियत दिनांक पर दर्शित करने के लिए कि उसके विरुद्ध, डिक्री का निष्पादन क्यों नहीं किया जाना चाहिए |" 2

[3][**22क. विक्रय से पूर्व किन्तु की उद्घोषणा की तामील के पश्चात् निर्णीत ऋणी की मृत्यु पर विक्रय का अपास्त न किया जाना-** जहां किसी संपत्ति का किसी डिक्री के निष्पादन में विक्रय किया जाता है वहां केवल इस कारण कि विक्रय की उद्घोषणा के जारी किए जाने की तारीख और विक्रय की तारीख के बीच निर्णीतऋणी की मृत्यु हो गयी है और इस बात के होते हुआ भी विक्रय अपास्त नहीं किया जाएगा कि डिक्रीदर ऐसे मृत निर्णीतऋणी के विधिक प्रतिनिधि को उसके स्थान पर रखने में असफल रहा है, किन्तु ऐसी असफलता की दशा में अपास्त कर सकेगा जिसमें उसका समाधान हो जाता है कि विक्रय काश्तकार मृत निर्णीतऋणी के विधिक प्रतिनिधि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है |]

1. अधिसूचना क्रमांक 408/35 (क)-3(7), दिनांक 24.7.1926 |
2. अधिसूचना क्रमांक 89-वी/III-6-47 दिनांक 8.5.1947 |
3. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 72 द्वारा (1-2-1977 से) अंत:स्थापित किया गया |

उच्च न्यायालय संशोधन

म.प्र. उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन (16.9.1960)- उपनियम (2) में निम्नानुसार परंतुक जोड़ा गया-

" परन्तु यह कि डिक्री के निष्पादन का कोई आदेश इस नियम के अन्तर्गत सूचना जारी किये जाने में लोप के कारण अविधिमान्य नहीं होगा, जब तक कि निर्णीतऋणी को ऐसी लोपता के कारण सारवान क्षति न हुई हो ।"

पटना उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- नियम 22 (क) को निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया गया-

"22क. किसी डिक्री के निष्पादन बाबत् जहाँ कोई संपत्ति बेची जाती है, तो विक्रय उद्घोषणा जारी की जाने की दिनांक एवं विक्रय की दिनांक के मध्य मात्र निर्णीत ऋणी की मृत्यु हो जाने पर ही व ऐसा होने पर भी विक्रय निरस्त नहीं होगा कि उसके विधिक वारिसों को डिक्री धारक ने उसके स्थान पर प्रतिस्थापित करने में विफलता की है, किन्तु यदि न्यायालय की संतुष्टि हो जाती है कि इस विफलता के कारण निर्णीत ऋणी के विधिक वारिसों पर प्रतिकूल प्रभाव हुआ है तो वह विक्रय निरस्त कर सकेगा ।"

23. सूचना के निकाले जाने के पश्चात् प्रक्रिया- (1) जहां वह व्यक्ति, जिसके नाम [1][नियम 22] के अधीन सूचना निकाली गई है, उपसंजात नहीं होता है या न्यायालय को समाधानप्रद रूप में हेतुक दर्शित नहीं करता है कि डिक्री का निष्पादन क्यों न किया जाए वहां न्यायालय आदेश देगा कि डिक्री का निष्पादन किया जाए ।

(2) जहां ऐसा व्यक्ति डिक्री के निष्पादन के विराद्ध कोई आक्षेप पेश करता है वहा न्यायालय ऐसे आक्षेप पर विचार करेगा और ऐसा आदेश करेगा जो वह ठीक समझे ।

निष्पादन के लिए आदेशिका

24. निष्पादन के लिए आदेशिका- (1) जब पूर्वगामी नियमों द्वारा अपेक्षित प्रारम्भिक उपाय (यदि कोई हो) किए जा चुके हों तब, जब तक कि न्यायालय को इसके प्रतिकूल हेतुक दिखाई न दे, वह उस डिक्री के निष्पादन के लिए अपनी आदेशिका निकालेगा ।

(2) हर ऐसी आदेशिका में उस दिन की तारीख लिखी जाएगी जिस दिन वह निकाली गई उपाय (यदि कोई हो) किए जा चुके हों तब, जब तक कि न्यायालय को इसके प्रतिकूल हेतुक दिखाई न दे, वह उस डिक्री के निष्पादन के लिए अपनी आदेशिका निकालेगा ।

1. 1978 के अधिनियम सं. 38 की धारा 3 और दूसरी अनुसूची द्वारा "इसके ठीक पहले के नियम" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।

(2) हर ऐसी आदेशिका में उस दिन की तारीख लिखी जाएगी जिस दिन वह निकाली गई है और वह न्यायाधीश द्वारा या ऐसे अधिकारी द्वारा जो न्यायालय इस निमित्त नियुक्त करे, हस्ताक्षरित की जाएगी और न्यायालय की मुद्रा से मुद्रांकित की जाएगी और निष्पादित किए जाने के लिए उचित अधिकारी

को परिदत्त की जाएगी ।

[1][(3) हर ऐसी आदेशिका में वह दिन विनिर्दिष्ट किया जाएगा जिस दिन या जिसके पूर्व वह निष्पादित की जाएगी और वह दिन भी विनिर्दिष्ट किया जाएगा जिस दिन या जिसके पूर्व वह न्यायालय को वापस की जाएगी, किन्तु कोई की आदेशिका उस दशा में शून्य नहीं समझी जाएगी जिसमें उसके लौटाए जाने के लिए कोई दिन उसमें विनिर्दिष्ट नहीं किया गया हो ।

उच्च न्यायालय संशोधन

म.प्र. उच्च न्यायालय संशोधन (16.9.1950)-- उपनियम (3) में आये शब्द "निष्पादित की जाएगी" को शब्दों " न्यायालय को वापिस कर दिया जाएगा" से प्रतिस्थापित कर दें ।

25. आदेशिका पर पृष्ठांकन–(1) वह अधिकारी जिसे आदेशिका का निष्पादन सौंपा गया है, उस पर वह दिन जब, और वह रीति, जिससे वह निष्पादित की गई है, और यदि उसके लौटाए जाने के लिए आदेशिका में विनिर्दिष्ट अन्तिम दिन से अधिक समय निकल गया है तो विलम्ब का कारण या यदि वह निष्पादित नहीं की गई थी तो वह कारण जिससे उसका निष्पादन नहीं किया गया, पृष्ठांकित करेगा और उस आदेशिका को ऐसे पृष्ठांकन के साथ न्यायालय को लौटाएगा ।

(2) जहां पृष्ठांकन इस भाव का है कि ऐसा अधिकारी आदेशिका का निष्पादन करने में असमर्थ है वहां न्यायालय उसकी अधिकथित असमर्थता के बारे में उसकी परीक्षा करेगा और यदि वह ऐसा करना ठीक समझे तो ऐसी असमर्थता के बारे में साक्षियों को समन और उनकी परीक्षा कर सकेगा और परिणाम को अभिलिखित करेगा ।

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 72 द्वारा (1.2.1977 से) उपनियम (3) के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।

उच्च न्यायालय संशोधन

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- आदेश 21 नियम 25 के उपनियम (2) में इन शब्दों "उसका परीक्षण करेगा" के स्थान पर इन शब्दों "उसे व्यक्तिगत तौर पर या शपथ पक्ष पर परीक्षित कर सकेगा" किया गया है । 1

निष्पादन का रोका जाना

26. न्यायालय निष्पादन को कब रोक सकेगा- (1) वह न्यायालय, जिसे डिक्री निष्पादन के लिए भेजी गई है, ऐसी डिक्री का निष्पादन पर्याप्त हेतुक दर्शित किए जाने पर युक्तियुक्त समय के लिए इसलिए रोकेगा कि निर्णीतऋणी समर्थ हो सके कि वह डिक्री पारित करने वाले न्यायालय से या डिक्री के या उसके निष्पादन के बारे में अपीली अधिकारिता रखने वाले किसी न्यायालय से निष्पादन रोक देने के आदेश के लिए आवेदन कर ले या डिक्री या निष्पादन से सम्बन्धित किसी ऐसे अन्य आदेश के लिए आवेदन कर ले जो प्रथम बार के न्यायालय द्वारा या अपील न्यायालय द्वारा किया जाता यदि निष्पादन उसके द्वारा जारी किया गया होता या यदि निष्पादन के लिए आवेदन उससे किया गया होता ।

(2) जहां निर्णीतऋणी की सम्पत्ति या शरीर निष्पादन के अधीन अभिगृहीत कर लिया गया है वहां वह न्यायालय, जिसने निष्पादन जारी किया है, ऐसे आवेदन का परिणाम लम्बित रहने तक ऐसी सम्पत्ति के प्रत्यास्थापन या ऐसे व्यक्ति के उन्मोचन के लिए आदेश कर सकेगा ।

(3) निर्णीतऋणी से प्रतिभूति अपेक्षित करने या उस पर शर्तें अधिरोपित करने की शक्ति--- न्यायालय निष्पादन को रोकने के लिए या सम्पत्ति के प्रत्यास्थापन के लिए निर्णीतऋणी के उन्मोचन के लिए आदेश करने से पहले निर्णीतऋणी से [2][ऐसी प्रतिभूति अपेक्षित करेगा या उस पर ऐसी शर्तें अधिरोपित करेगा जो वह ठीक समझे] ।

1. अधिसूचना क्रमांक 2381/35 (क)-8-(3); दिनांक 7.9.1918 ।
2. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 72 द्वारा (1-2-1977 से) कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।

उच्च न्यायालय संशोधन

म.प्र. उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन (16.9.1960)- उपनियम (3) में कतिपय शब्दों को इन शब्दों "करेगा जब तक कि इसके विपरीत कोई अच्छा कारण न दर्शाया जाए" को प्रतिस्थापित किया गया

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन (24.7.1926)- उपनियम (3) में कतिपय शब्दों को इन शब्दों "करेगा जब तक कि इसके विपरीत कोई अच्छा कारण न दर्शाया जाए" को प्रतिस्थापित किया गया

पटना उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- उपनियम (3) में कतिपय शब्दों को इन शब्दों "करेगा जब तक कि इसके विपरीत कोई अच्छा कारण न दर्शाया जाए" को प्रतिस्थापित किया गया ।

27. उन्मोचित निर्णीतऋणी का दायित्व- नियम 26 के अधीन प्रत्यास्थापन या उन्मोचन का कोई भी आदेश निष्पादन के लिए भेजी गई डिक्री के निष्पादन में निर्णीतऋणी की सम्पत्ति या शरीर को फिर से अभिगृहीत किए जाने से निवारित नहीं करेगा ।

28. डिक्री पारित करने वाले न्यायालय का या अपील न्यायालय का आदेश उस न्यायालय के लिए आबद्धकर होगा जिससे आवेदन किया गया है- डिक्री पारित करने वाले न्यायालय का या पूर्वोक्त जैसी अपील न्यायालय का ऐसी डिक्री के निष्पादन के संबंध में कोई आदेश उस न्यायालय के लिए आबद्धकर होगा जिसे डिक्री निष्पादन के लिए भेजी गई है ।

29. डिक्रीदार और निर्णीतऋणी के बीच वाद लाम्बित रहने तक निष्पादन का रोका जाना- जहां उस व्यक्ति की ओर से, जिसके विरुद्ध डिक्री पारित की गई थी, कोई वाद ऐसे न्यायालय की डिक्री के धारक

के [1][या ऐसी डिक्री के जो ऐसे न्यायालय द्वारा निष्पादित की जा रही है धारक के] विरुद्ध किसी न्यायालय में लम्बित है वहा न्यायालय प्रतिभूति के बारे में या अन्यथा ऐसे निबन्धनों पर, जो वह ठीक समझे, डिक्री के निष्पादन क तब तक के लिए रोक सकेगा जब तक लम्बित वाद का विनिश्चय न हो जाए :

[2][परन्तु यदि डिक्री धन के सदाय के लिए है तो न्यायालय उस दशा में जिसमें वह प्रतिभूति अपेक्षित किए बिना उसका रोकना मजूर करता है, ऐसा करने के अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा ।]

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 क धारा 72 द्वारा (1.2.1977 से) अन्तःस्थापित किया गया |
2. 1976 के अधिनियम सं. 104 क धारा 72 द्वारा (1.2.1977 से) अन्तःस्थापित किया गया

उच्च न्यायालय संशोधन

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- अधिसूचना क्रमांक 43/0-29; दिनांक 1.6.1957 के द्वारा आदेश 21 नियम 29 में निम्न संशोधन किया गया है-

(1) इन शब्दों के उपरांत "जहाँ उस व्यक्ति की ओर से जिसके विरुद्ध डिक्री पारित की गई" निम्न शब्दों को और अंतःस्थापित किया गया है-

"या कोई व्यक्ति जिसके हित डिक्री से या इसके निष्पादन में किए गए किसी आदेश से प्रभावित हुए हैं"

(2) शब्दों 'प्रतिभूति के बारे में या अन्यथा' विलोपित किए गए हैं ।

(3) "जो वह ठीक समझे" के स्थान पर "यदि वह ठीक समझे" किया गया है ।

(4) निम्न परंतुक जोड़ा गया है-

"परंतु उन सभी मामलों में जहाँ डिक्री का निष्पादन इस नियम के अंतर्गत स्थगित किया गया हो न्यायालय ऐसे स्थगन चाहने वाले व्यक्ति से ऐसी प्रतिभूति देने की अपेक्षा कर सकेगा, जो वह उपयुक्त समझे ।"

निष्पादन की रीति

30. धन के संदाय की डिक्री- धन के संदाय की हर डिक्री, जिसके अन्तर्गत किसी अन्य अनुतोष के अनुकल्प के रूप में धन के संदाय की डिक्री भी आती है, निर्णीतऋणी से सिविल कारागार में निरोध द्वारा या उसकी सम्पति की कुर्की और विक्रय द्वारा या दोनों रीति से निष्पादित की जा सकेगी ।

उच्च न्यायालय संशोधन

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- आदेश 21 नियम 30 में शब्दों "विक्रय द्वारा" के स्थान पर "विक्रय द्वारा या अन्य किसी प्रकार के अंतरण द्वारा" किया गया है । 1

31. विनिर्दिष्ट जंगम सम्पत्ति के लिए डिक्री- (1) जहां डिक्री किसी विनिर्दिष्ट जंगम वस्तु के, या किसी विनिर्दिष्ट जंगम वस्तु में के अंश के लिए है वहां यदि जंगम वस्तु या अंश का अभिग्रहण साध्य हो

तो उस जंगम वस्तु के या अंश के अभिग्रहण द्वारा और उस पक्षकार को जिसके पक्ष में वह न्यायनिर्णीत किया गया है या ऐसे व्यक्ति को, जिसे वह अपनी ओर से परिदान प्राप्त करने के लिए नियुक्त करे, परिदान द्वारा या निर्णीतऋणी के सिविल कारागार में निरोध द्वारा या उसकी सम्पत्ति को कुर्की द्वारा या दोनों रीति से निष्पादित की जा सकेगी ।

1. अधिसूचना क्रमांक 2/-29; दिनांक 5.1.60 ।

(2) जहां उपनियम (1) के अधीन की गई कोई कुर्की [1][तीन मास] के लिए प्रवृत्त रह चुकी है वहां यदि निर्णीतऋणी ने डिक्री का आज्ञानुवर्तन नहीं किया है और डिक्रीदार ने कुर्क की गई सम्पत्ति के विक्रय किए जाने के लिए आवेदन किया है तो ऐसी सम्पत्ति का विक्रय किया जा सकेगा और आगमों में से न्यायालय डिक्रीदार को उन दशाओं में, जहां जंगम सम्पत्ति के परिदान के अनुकल्पस्वरूप दिए जाने के लिए कोई रकम डिक्री द्वारा निश्चित की गई है, ऐसी रकम और अन्य दशाओं में ऐसा प्रतिकर, जो वह ठीक समझे, दे सकेगा और बाकी (यदि कोई हो) निर्णीतऋणी के आवेदन पर उसे देगा ।

(3) जहां निर्णीतऋणी ने डिक्री का आज्ञानुवर्तन कर दिया गया है और उसका निष्पादन करने के लिए सभी खर्चों का संदाय कर दिया गया है जिनका संदाय करने के लिए वह आबद्ध है या जहां कुर्की की तारीख से [2][तीन मास] का अन्त होने तक सम्पत्ति के विक्रय किए जाने के लिए कोई आवेदन नहीं किया गया है या यदि किया गया है तो नामंजूर कर दिया गया है वहां कुर्की समाप्त हो जाएगी ।

उच्च न्यायालय संशोधन

म.प्र. उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन (16.9.1960)- नियम 31 के उप नियम (2) व (3) में जहां जहां " "छह माह" शब्द हो उसके स्थान पर शब्द "तीन माह या ऐसा अन्य समय जो कि न्यायालय किसी विशेष प्रकरण में दर्शित अच्छे कारण से निर्देशित करे ।" प्रतिस्थापित किए गए ।

पटना उच्च न्यायालय दारा संशोधन- आदेश 21 नियम 31 में उपनियम (4) के रुप में निम्न विवरण जोडा गया-

" (4) न्यायालय समुचित कारण से, उपनियम, (2) और ((3) में वर्णित तीन माहों की अवधि को संपूर्ण तौर पर छह माह से अनाधिक होने वाली ऐसी अवधि मे विस्तार कर सकेगा जो यह उपयुक्त समझे । "

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 72 द्वारा (1.2.1977 से) "छह मास" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
2. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 72 द्वारा (1.2.1977 से) "छह मास" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- अधिसूचना क्रमांक 3084/35(क)-3(7) दिनांक 24.7.1926 के द्वारा उपनियम (2) व (3) आए शब्दों "छह माह" को "तीन माह या ऐसी विस्तारित अवधि जो न्यायालय अच्छे कारणों से निर्देशित करे" किया गया है ।

नोट- उक्त संशोधन के समय मूल उपबंध में "छह माह" शब्द थे परंतु 1976 के संशोधन द्वारा छह

माह को "तीन माह" किया गया है ।

32. विनिर्दिष्ट पालन के लिए दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए या व्यादेश के लिए डिक्री-

(1) जहां उस पक्षकार को, जिसके विरुद्‌ध संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए, या दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए या व्यादेश के लिए कोई डिक्री पारित की गई है उस डिक्री के आज्ञानुवर्तन के लिए अवसर मिल चुका है और उसका आज्ञानुवर्तन करने में वह जानबूझकर असफल रहा है वहा वह डिक्री [1][दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए डिक्री की दशा में उसकी सम्पत्ति की कुर्की के द्‌वारा या संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए या व्यादेश के लिए डिक्री की दशा में सिविल कारागार में उसके निरोध द्‌वारा या उसकी सम्पत्ति की कुर्की द्‌वारा, या दोनों रीति से प्रवृत की जा सकेगी ।

(2) जहां वह पक्षकार जिसके विरुद्‌ध विनिर्दिष्ट पालन के लिए या व्यादेश के लिए डिक्री पारित की गई है, कोई निगम है वहा डिक्री उस निगम की सम्पत्ति की कुर्की द्‌वारा या न्यायालय की इजाजत से उसके निदेशकों या अन्य प्रधान अधिकारियों के सिविल कारागार में निरोध द्‌वारा या कुर्की और निरोध दोनों रीति से प्रवृत्त की जा सकेगी ।

(3) जहां उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन की गई कोई कुर्की [2][छह मास] के लिए प्रवृत रह चुकी है वहां यदि निर्णीतऋणी ने डिक्री का आज्ञानुवर्तन नहीं किया है और डिक्रीदार ने कुर्क की गई सम्पत्ति के विक्रय किए जाने के लिए आवेदन किया है तो ऐसी सम्पत्ति का विक्रय किए जाने के लिए आवेदन किया है तो ऐसी सम्पत्ति का विक्रय किया जा सकेगा और आगमों में से न्यायालय डिक्रीदार को ऐसा प्रतिकर दे सकेगा जो वह ठीक समझे और बाकी (यदि कोई हो) निर्णीतऋणी के आवेदन पर उसे देगा ।

(4) जहां निर्णीतऋणी ने डिक्री का आज्ञानुवर्तन कर दिया है और उसका निष्पादन करने के लिए सभी खर्चों का संदाय करने के लिए वह आबद्‌ध है या जहां कुर्की की तारीख से [3][छह मास] का अन्त होने तक सम्पत्ति के विक्रय किए जाने के लिए कोई आवेदन नही किया गया है या यदि किया गया है तो नामंजूर कर दिया गया है वहां कुर्की नहीं रह जाएगी ।

(5) जहां संविदा के विनिर्दिष्ट पालन की या व्यादेश की किसी डिक्री का आज्ञानुवर्तन नहीं किया गया है वहा न्यायालय पूर्वोक्त सभी आदेशिकाओं के या उनमें से किसी के भी बदले में या उनके साथ-साथ निदेश दे सकेगा कि वह कार्य जिसके किए जाने की अपेक्षा की गई थी, जहां तक हो सके, डिक्रीदार या न्यायालय द्‌वारा नियुक्त किए गए किसी अन्य व्यक्ति द्‌वारा निर्णीतऋणी के खर्चे पर किया जा सकेगा और कार्य कर दिए जाने पर जो वह उपगत हुए हों वे ऐसी रीति से अभिनिश्चित किए जा सकेंगे जो न्यायालय निदिष्ट करे और इस प्रकार वसूल किए जा सकेंगे मानो वे डिक्री में ही सम्मिलित हों ।

1. 1923 के अधिनियम सं. 29 की धारा 2 द्‌वारा अन्तःस्थापित किया गया ।
2. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 72 द्‌वारा (1.2.1977 से) " एक वर्ष" के स्थान पर प्रतिस्थापित |
3. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 72 द्‌वारा (1.2.1977 से) "एक वर्ष" के स्थान पर प्रतिस्थापित गया ।

[1]**[स्पष्टीकरण-** शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषणा की जाती है कि "वह कार्य जिसके किए जाने की अपेक्षा की गई थी" के अंतर्गत प्रतिषेधात्मक तथा आज्ञापक आदेश आते हैं ।]

1. 2002 के अधिनियम सं. 22 की धारा 14 द्वारा (1-7-2002 से) अंत स्थापित ।

उच्च न्यायालय संशोधन

म. प्र. उच्च न्यायालय दारा संशोधन (16.9.1980)- नियम 32 के उपनियम (3) में (1) शब्द " एक वर्ष " को शब्द " तीन माहों " से प्रतिस्थापित किया गया ।

(2) शब्दों " और न्यायालय भी अच्छे दर्शित कारण से एक वर्ष से अनधिक कुर्की प्रभाव में बने रहने के लिए समय का विस्तार कर सकेगा । " को अंतस्थापित किया गया ।

(3) उपनियम (4) में शब्दों " एक वर्ष " को शब्द " तीन माहों या ऐसा अन्य समय जो उपनियम (3) के अन्तर्गत न्यायालय द्वारा नियत किया जा सके " से प्रतिस्थापित कीजिए ।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- आदेश 21 नियम 32 के उपनियम (3) में इन शब्दों को बढ़ाया गया है " न्यायालय अच्छे कारण से समय विस्तार कर सकेगा " ।

[अधिसूचना क्रमांक 4084/35(क)-3(7) दिनांक 24.7.1926 ।]

पटना उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- आदेश 21 नियम 32 में उपनियम (3) में " एक वर्ष के लिए " के स्थान पर " छह माह अथवा ऐसी अन्य अवधि संपूर्ण तौर पर एक वर्ष से अनाधिक होने वाली जो समुचित कारणों पर दर्शित हो न्यायालय द्वारा नियत की जा सकेगी' ' किया गया है ।

" (4) न्यायालय समुचित कारण से, उपनियम (2) और ((3) में वर्णित तीन माहों की अवधि को संपूर्ण तौर पर छह माह से अनाधिक होने वाली ऐसी अवधि मे विस्तार कर सकेगा जो यह उपयुक्त समझे” ।

33. दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन की डिक्रियों का निष्पादन करने में न्यायालय का विवेकाधिकार- (1) नियम 32 में किसी बात के होते हुए भी, न्यायालय दाम्पत्य अधिकार के प्रत्यास्थापन की डिक्री [1][पति के विरुद्ध] पारित करते समय या तत्पश्चात् किसी भी समय, यह आदेश कर सकेगा कि डिक्री [2][इस नियम में उपबन्धित रीति से निष्पादित की जाएगी] ।

(2) जहां न्यायालय ने उपनियम (1) के अधीन कोई आदेश किया है[3]*** वहां यह आदेश कर सकेगा कि डिक्री या आज्ञानुवर्तन ऐसी अवधि के भीतर न किए जाने की दशा में जो इस निमित्त नियत की जाए, निर्णीतऋणी डिक्रीदार को ऐसे कालिक संदाय करेगा जो न्यायसंगत हों और यदि न्यायालय यह ठीक समझे तो वह निर्णीतऋणी से अपेक्षा करेगा कि वह न्यायालय के समाधानप्रद रूप में डिक्रीदार को ऐसे कालिक संदाय प्रतिभूत करे ।

(3) न्यायालय धन के कालिक संदाय के लिए उपनियम (2) के अधीन किए गए किसी भी आदेश में फेरफार या उपान्तर संदाय के समयों को परिवर्तित करके या रकम को बढा या घटा करके समय-समय पर कर सकेगा या इस प्रकार संदाय किए जाने के लिए आदिष्ट पूरे धन या उसके किसी भी भाग की बाबत

उसे अस्थायी रुप से निलम्बित कर सकेगा और उसे पूर्णत: या भागत: ऐसे पुन: प्रवर्तित कर सकेगा जो वह न्यायसंगत समझे ।

(4) इस नियम के अधीन संदत्त किए जाने के लिए आदिष्ट कोई भी धन इस प्रकार वसूल किया जा सकेगा मानो वह धन के सदाय की डिक्री के अधीन संदेय हो ।

1. 1923 के अधिनियम सं. 29 की धारा 3 द्वारा अन्तःस्थापित किया गया ।
2. 1923 के अधिनियम सं. 29 की धारा 3 द्वारा "कारागार में निरोध दारा निष्पादित नहीं की जाएगी" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।
3. 1923 के अधिनियम सं. 29 की धारा 3 द्वारा "और डिक्रीदार पत्नी है" शब्दो का लोप ।

34. दस्तावेज के निष्पादन या परक्राम्य लिखत के पृष्ठांकन के लिए डिक्री- (1) जहां डिक्री किसी दस्तावेज के निष्पादन के लिए या किसी परक्राम्य लिखत के पृष्ठांकन के लिए है और निर्णीतऋणी डिक्री का आज्ञानुवर्तन करने में उपेक्षा करता है या उसका आज्ञानुवर्तन करने से इकार करता है वहा डिक्रीदार डिक्री के निबन्धनों के अनुसार दस्तावेज या पृष्ठांकन का प्रारूप तैयार कर सकेगा और उसे न्यायालय को परिदत्त कर सकेगा ।

(2) तब न्यायालय निर्णीतऋणी से यह अपेक्षा करने वाली सूचना के साथ प्रारुप की तामील निर्णीतऋणी पर कराएगा कि वह अपने आक्षेप (यदि कोई हो) इतने समय के भीतर करे जितना न्यायालय इस निमित्त नियत करे ।

(3) जहां निर्णीतऋणी प्रारूप के सम्बन्ध में आक्षेप करता है वहा उसके आक्षेप ऐसे समय के भीतर लिखित रूप में कथित किए जाएंगे और न्यायालय प्रारूप को अनुमोदित या परिवर्तित करने वाला ऐसा आदेश करेगा जो वह ठीक समझे ।

(4) डिक्रीदार प्रारूप की एक प्रति ऐसे परिवर्तनों सहित (यदि कोई हो), जो न्यायालय ने निर्दिष्ट किए हों, उचित स्टाम्प-पत्र पर, यदि तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा ऐसा स्टाम्प अपेक्षित हो, न्यायालय को परिदत्त करेगा, और न्यायाधीश या ऐसा अधिकारी जो इस निमित्त नियुक्त किया जाए, ऐसे परिदत्त दस्तावेज को निष्पादित करेगा ।

(5) इस नियम के अधीन दस्तावेज का निष्पादन या परक्राम्य लिखत का पृष्ठांकन निम्नलिखित प्ररुप में हो सकेगा, अर्थात है---

“ङ च द्वारा क ख के विरुद्ध वाद में क ख, की ओर से .... न्यायालय का न्यायाधीश (या यथास्थिति) ग घ" और उसका वही प्रभाव होगा जो उसे निष्पादन करने या पृष्ठांकन करने के लिए आदिष्ट पक्षकार द्वारा दस्तावेज के निष्पादन या पराक्राम्य लिखत के पृष्ठांकन का होता ।

[1][(6) (क) जहां दस्तावेज का रजिस्ट्रीकरण तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन अपेक्षित है वहां न्यायालय या न्यायालय का ऐसा अधिकारी जो न्यायालय द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए, ऐसी विधि के अनुसार दस्तावेज का रजिस्ट्रीकरण कराएगा ।

(ख) जहां दस्तावेज का रजिस्ट्रीकरण इस प्रकार अपेक्षित नहीं है किन्तु डिक्रीदार उसका रजिस्ट्रीकरण कराना चाहता है वहा न्यायालय ऐसा आदेश कर सकेगा जो वह ठीक समझे ।

(ग) जहां न्यायालय किसी दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई आदेश करता है वहां वह रजिस्ट्रीकरण के व्ययों के बारे में ऐसा आदेश कर सकेगा जो वह ठीक समझे ।

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 72 द्वारा (1.2.1977 से) उपनियम (6) के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।

35. स्थावर सम्पत्ति के लिए डिक्री- (1) जहां डिक्री किसी स्थावर सम्पत्ति के परिदान के लिए है वहां उसका कब्जा उस पक्षकार को जिसे वह न्यायनिर्णीत किया गया है या ऐसे व्यक्ति को जिसे वह अपनी ओर से परिदान प्राप्त करने के लिए नियुक्त करे, और यदि आवश्यक हो तो डिक्री द्वारा आबद्ध किसी ऐसे व्यक्ति को जो सम्पत्ति को खाली करने से इंकार करता है, हटा करके परिदत्त किया जाएगा ।

(2) जहाँ डिक्री स्थावर सम्पत्ति के संयुक्त कब्जे के लिए है वहां सम्पत्ति में के किसी सहजदृश्य स्थान पर वारण्ट की प्रति को लगाकर और डिक्री के सार को किसी सुविधाजनक स्थान पर डोंडी पिटवा कर या अन्य रूढिक ढंग से उद्घोषित करके ऐसे कब्जे का परिदान किया जाएगा ।

(3) जहां किसी निर्माण या अहाते के कब्जे का परिदान किया जाना है और कब्जा रखने वाला व्यक्ति डिक्री द्वारा आबद्ध होते हुए वहां तक अबाध पहुंच नहीं होने देता है वहां न्यायालय देश की रूढ़ियों के अनुसार लोगों के सामने न आने वाली स्त्री को युक्तियुक्त चेतावनी देकर और हट जाने की सुविधा देने के पश्चात् अपने अधिकारियों के माध्यम से किसी ताले या चटकनी को हटा सकेगा या खोल सकेगा या किसी द्वार को तोड़ कर खोल सकेगा या डिक्रीदार को कब्जा देने के लिए आवश्यक किसी भी अन्य कार्य को कर सकेगा ।

36. जब स्थावर सम्पत्ति अभिधारी के अधिभोग में है तब ऐसी सम्पत्ति के परिदान के लिए डिक्री- जहां डिक्री किसी ऐसी स्थावर सम्पत्ति के परिदान के लिए है जो ऐसे अभिधारी या अन्य व्यक्ति के अधिभोग में है जो उस पर अधिभोग रखने का हकदार है और डिक्री द्वारा इस बात के लिए आबद्ध नहीं है कि ऐसा अधिभोग त्याग दे वहां न्यायालय यह आदेश देगा कि सम्पत्ति में के किसी सहजदृश्य स्थान पर वारण्ट की प्रति को लगाकर और सम्पत्ति के सम्बन्ध में डिक्री के सार को किसी सुविधाजनक स्थान पर डोंडी पिटवा कर या अन्य रूढिक ढंग से अधिभोगी को उदघोषित करके परिदान किया जाए ।

गिरफ्तारी और सिविल कारागार में निरोध

कारागार में निरुद्ध किए जाने के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने के लिए निर्णीतऋणी को अनुज्ञा देने की वैवेविक शक्ति- (1) इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, जहां धन के सदाय के लिए डिक्री का निष्पादन ऐसे निर्णीतऋणी की जो आवेदन के अनुसरण में गिरफ्तार किए जाने के दायित्व के अधीन है, गिरफतारी और सिविल कारागार में निरोध के द्वारा करने के लिए आवेदन है वहां न्यायालय उसकी गिरफ्तारी के लिए वारण्ट निकालने के बदले उससे यह अपेक्षा करने वाली सूचना उसके नाम निकालेगा कि उस दिन को जो उस सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाएगा, वह न्यायालय में उपसजात हो और हेतुक दर्शित करे कि सिविल कारागार को उसे क्यों न सुपुर्द कर दिया जाए :

[1][परन्तु यदि न्यायालय का शपथ पत्र द्वारा या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि यह सम्भाव्यता है कि निर्णीतऋणी डिक्री के निष्पादन में विलम्ब करने के उददेश्य से फरार हो जाए या न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं को छोड़ दे या उसके ऐसा करने का परिणाम यह होगा कि डिक्री के निष्पादन में विलम्ब होगा तो ऐसी सूचना देना आवश्यक नहीं होगा ।]

(2) जहां सूचना के आशानुवर्तन में उपसंजाति न की जाए वहां यदि डिक्रीदार ऐसा अपेक्षित करे तो न्यायालय निर्णीतऋणी की गिरफ्तारी के लिए वारण्ट निकालेगा ।

1936 के अधिनियम सं. 21 की धारा 3 द्वारा अन्त: स्थापित किया गया ।

उच्च न्यायालय संशोधन

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- आदेश 21 नियम 37 में उपनियम (1) मे "सकेगा' को "कर सकेगा" किया गया है व परंतुक हटाया है । (अधिसूचना क्रमांक 43/29 दिनांक 1.6.1957 |]

पटना उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- पटना उच्च न्यायालय द्वारा भी "सकेगा" के स्थान पर "कर सकेगा" किया है । (यह संशोधन दिनांक 5.4.1961 से किया गया है ।

38. गिरफ्तारी के वारण्ट में निर्णीतऋणी के लाए जाने के लिए निदेश होगा- निर्णीतऋणी की गिरफ्तारी के वारण्ट में उस अधिकारी को जिसे उसका निष्पादन न्यस्त किया गया है, यह निदेश होगा कि वह उसे न्यायालय के समक्ष सुविधानुसार पूर्ण शीघ्रता से लाए यदि निर्णीतऋणी वह रकम जिसे देने के लिए वह आदिष्ट किया गया है, उस पर ऐसे ब्याज के और यदि कोई खर्चा हो तो ऐसे खर्चे के सहित, जिसके लिए वह दायी है, पहले ही संदत्त नहीं कर देता है ।

39. जीवन-निर्वाह भत्ता-- (1) जब तक और जिस समय तक डिक्रीदार ने न्यायालय में ऐसी राशि जमा न कर दी हो, जो न्यायाधीश निर्णीतऋणी की गिरफ्तारी से लेकर उसके न्यायालय के समक्ष लाए जा सकने तक उसके जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त समझता है, तब तक कोई निर्णीतऋणी डिक्री के निष्पादन में गिरफतार नहीं किया जाएगा |

(2) जहां निर्णीतऋणी डिक्री के निष्पादन में सिविल कारागार को सुपुर्द किया जाता है वहा न्यायालय उसके जीवन-निर्वाह के लिए ऐसा मासिक भत्ता नियत करेगा जितने के लिए वह धारा 57 के अधीन नियतमापमानों के अनुसार हकदार है या जहां ऐसे कोई मापमान नियत नहीं किए गए हैं वहां जितना उसके विचार में उस वर्ग के बारे में पर्याप्त हो जिस वर्ग का निर्णीतऋणी है ।

(3) न्यायालय द्वारा नियत किया गया मासिक भत्ता उस पक्षकार द्वारा, जिसके आवेदन पर निर्णीतऋणी गिरफ्तार किया गया है, अग्रिम मासिक संदायों द्वारा हर एक मास में प्रथम दिन के पूर्व दिया जाएगा ।

(4) पहला संदाय न्यायालय के उचित अधिकारी को चालूमास के ऐसे भाग के लिए किया जाएगा जो निर्णीतऋणी के सिविल कारागार को सुपुर्द किए जाने के पूर्व शेष है और पश्चात्वर्ती संदाय (यदि कोई हो) सिविल कारागार के भारसाधक अधिकारी को किए जाएंगे ।

(5) सिविल कारागार में निर्णीतऋणी के जीवन-निर्वाह के लिए डिक्रीदार द्वारा संवितरित की गई राशियां वाद के खर्चे समझी जाएगी:

परन्तु निर्णीतऋणी ऐसे संवितरित की गई किसी भी राशि के लिए न तो सिविल कारागार में निरुद्ध किया जाएगा और न गिरफतार किया जाएगा ।

उच्च न्यायालय संशोधन

म.प्र. उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- आदेश 21 नियम 39 में निम्नानुसार संशोधन किए गए (1) उपनियम (1) के अंत में निम्नानुसार और जोडा गया-

"और निर्णत ऋण के प्रवहन की कास्ट उसके निरुद्ध स्थल से न्यायालय भवन तक की"

(2) उपनियम (4) के स्थान पर निम्न उपनियम (4) प्रतिस्थापित किया गया है-

" (4) ऐसी राशि (यदि कोई हो) जो न्यायालय निर्णीत ऋणी न्यायालय भवन से सिविल निरोध में और उसकी नियुक्ति पर सिविल निरोध से उसके सामान्य निवास स्थान पर निर्णीत ऋणी के प्रवहन व्यय और जीवन निर्वाह के लिए समुचित हो, चालू माह के ऐसे भाग के लिए जो अव्यतीत रहता है, के उपनियम

(3) के अंतर्गत भुगतान के साथ, निर्णीत ऋणी को सिविल निरोध भेजने के पूर्व न्यायालय के उचित अधिकारी को भुगतान की जावेगी और पश्चात्वर्ती भुगतान (यदि कोई हो) सिविल निरोध के प्रभार में होने वाले अधिकारी को भुगतान किया जाएगा ।"

(3) उपनियम 5 के स्थान पर निम्न उपनियम (5) प्रतिस्थापित किया गया है-

" (5) सिविल कारागार में निर्णीत ऋणी के जीवन-निर्वाह व प्रवहण के खर्चे (यदि कोई हो) के लिए डिक्रीदार द्वारा संवितरित की गई राशियाँ बाद के खर्चे समझी जावेंगी ।

परंतु निर्णीत ऋणी ऐसे संवितरित की गई किसी भी राशि केलिए न तो सिविल कारागार मे निरुद्ध किया जाएगा और न गिरफ्तार किया जाएगा ।"

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- आदेश 21 नियम 39 में उपनियम (5) में के शब्दों "सिविल कारागार" को विलोपित किया गया है । [अधिसूचना क्रमांक 4084/35 (क)-3-(7), 24.7.1926]

पटना उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- आदेश 21 नियम 39 के उपनियम (6) में प्रथम पंक्ति में आए शब्द "सिविल कारागार" को विलोपित किया गया है ।

[1]**[40. सूचना के आज्ञानुवर्तन में या गिरफ्तारी के पश्चात् निर्णीतऋणी के उपसंजात होने पर कार्यवाहियां-** (1) जब निर्णीतऋणी नियम 37 के अधीन निकाली गई सूचना के आज्ञानुवर्तन में न्यायालय के सामने उपसंजात होता है या धन के संदाय की डिक्री के निष्पादन में गिरफ्तार किए जाने के पश्चात् न्यायालय के सामने लाया जाता है तब न्यायालय डिक्रीदार को सुनने के लिए अग्रसर होगा और ऐसी सभी साक्ष्य लेगा जो निष्पादन के लिए अपने आवेदन के समर्थन में उसके द्वारा पेश किया जाए और तब निर्णीतऋणी को हेतुक दर्शित करने का अवसर देगा कि वह सिविल कारागार को क्यों न सुपुर्द कर दिया जाए ।

(2) उपनियम (1) के अधीन या तो जाच की समाप्ति लम्बित रहने तक न्यायालय स्वविवेकानुसार आदेश कर सकेगा कि निर्णीतऋणी न्यायालय के अधिकारी की अभिरक्षा में निरुद्ध किया जाए या उसके द्वारा न्यायालय को समाधानप्रद रूप में इस बात की प्रतिभूति दिए जाने पर कि अपेक्षित किए जाने पर वह उपसंजात होगा न्यायालय उसे छोड सकेगा ।

(3) उपनियम (1) के अधीन जांच की समाप्ति पर न्यायालय धारा 51 के उपबन्धों और इस संहिता के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए निर्णीतऋणी के सिविल कारागार मे निरुद्ध किए जाने का आदेश कर सकेगा और उस दशा में जब वह पहले से ही गिरफ्तार में नहीं है उसे गिरफ्तार कराएगा:

परन्तु निर्णीतऋणी को डिक्री की तुष्टि करने का अवसर देने के लिए न्यायालय निरोध का आदेश करने के पहले निर्णीतऋणी को न्यायालय के अधिकारी की अभिरक्षा में पन्द्रह दिन से अनधिक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए रहने दे सकेगा या उसके विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान पर उपसंजात होने के लिए, यदि डिक्री की तुष्टि उसने पहले ही न कर दी गई हो तो, उसके द्वारा न्यायालय को समाधानप्रद रूप में प्रतिभूति दिए जाने पर उसे छोड़ सकेगा ।

(4) इस नियम के अधीन छोड़ा गया निर्णीतऋणी पुन: गिरफतार किया जा सकेगा ।

(5) जब न्यायालय उपनियम (3) के अधीन निरोध का आदेश न करे तब वह आवेदन को नामंजूर करेगा और यदि निर्णीतऋणी गिरफ्तारी में हो तो उसको छोड़े जाने का निदेश देगा ।]

1. 1936 के अधिनियम सं. 21 की धारा 4 द्वारा मूल नियम 40 के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।

उच्च न्यायालय संशोधन

म.प्र. उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- अधिसूचना क्रमांक 3409 दिनांक 29.6.43 के द्वारा उपनियम (6), (7), (8) अंतःस्थापित किए गए हैं, जो निम्नानुसार है-

" (6) जब निर्णीत ऋणी उपनियम (2) या उपनियम (3) के परंतुक के अंतर्गत न्यायालय के अधिकारी की अभिरक्षा में बनाए रखने का आदेश दिया जाता है, न्यायालय डिक्री होल्डर को निरुद्ध की विनिर्दिष्ट या संभाव्य लंबाई के संबंध में ऐसी राशि जो इस बाबत उपबंध करे, जमा करने का निर्देश देगा-

(क) निर्णीत ऋणी के आजीविका-निर्वाह के लिए उस दर से जिसके लिए वह धारा 57 के अंतर्गत नियम मानकों पर हकदार है, और

(ख) न्यायालय अधिकारी जिसकी अभिरक्षा में निर्णीत ऋणी को रखा जाना है ऐसी शुल्क (लाजिंग व्ययों को शामिल करते हुए) जो इस बाबत न्यायालय नियत करे, को भुगतान करने के लिए :

परंतु (I) आजीवन-निर्वाह भत्ता और न्यायालय अधिकारी को संदाय योग्य शुल्क एक समय में एक माह से अधिक को वसूल नहीं की जाएगी, और

यह कि न्यायालय समय-समय पर डिक्री होल्डर से ऐसी अन्य राशि जमा करने की अपेक्षा कर सकेगा, जो यह आवश्यक मानता है ।

(7) यदि डिक्री होल्डर उपरोक्त उपनियम (6) के अंतर्गत यथा अपेक्षित कोई राशि जमा करने में विफल रहता है, न्यायालय आवेदन को अस्वीकृत कर सकता है और निर्णीत ऋणी को निर्मुक्त करने का आदेश दे सकता है ।

(8) उपनियम (6) के अंतर्गत डिक्री होल्डर द्वारा संवितरित राशि वाद का खर्च मानी जावेगी । परंतु निर्णीत ऋणी इस प्रकार संवितरित किसी राशि के कारण सिविल निरोध में नहीं रखा जाएगा या गिरफ्तार नहीं किया जाएगा ।"

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 72 द्वारा (1.2.1977 से) नियम 41 को उस नियम के उपनियम (1) के रूप में

सम्पत्ति की कुर्की

41. निर्णीतऋणी की अपनी सम्पत्ति के बारे में उसकी परीक्षा- [1][(1) जहां डिक्री धन के संदाय के लिए है वहां डिक्रीदार न्यायालय से इस आदेश के लिए आवेदन कर सकेगा कि-

(क) निर्णीतऋणी की, अथवा

(ख) उस दशा में [1][जिसमें निर्णीतऋणी निगम हो] उसके किसी अधिकारी की, अथवा

(ग) किसी भी अन्य व्यक्ति की,

यह मौखिक परीक्षा की जाए कि क्या निर्णीतऋणी को कोई ऋण शोध्य हैं और हैं तो कौन से हैं और क्या निर्णीतऋणी की ऐसी कोई अन्य संपत्ति या साधन हैं जिनसे डिक्री की तुष्टि की जा सके और हैं तो कौन से हैं और न्यायालय ऐसे निर्णीतऋणी या अधिकारी या अन्य व्यक्ति की हाजिरी और उसकी परीक्षा के लिए और किन्हीं बहियों या दस्तावेजों के पेश किए जाने के लिए आदेश कर सकेगा ।

[2][(2) जहां धन के संदाय के लिए कोई डिक्री तीस दिन की अवधि तक अतुष्ट रही है वहां न्यायालय, डिक्रीदार के आवेदन और उपनियम (1) के अधीन अपनी शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आदेश द्वारा, निर्णीतऋणी से या जहां निर्णीतऋणी निगम है वहां उसके किसी अधिकारी से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह निर्णीतऋणी की आस्तियों की विशिष्टियों का कथन करने वाला एक शपथ-पत्र दें ।

(3) उपनियम (2) के अधीन दिए गए किसी आदेश की अवज्ञा की दशा में, आदेश देने वाला न्यायालय या कोई ऐसा न्यायालय जिसे कार्यवाही अन्तरित की गई है, निदेश दे सकेगा कि आदेश की अवज्ञा करने वाले व्यक्ति को सिविल कारागार में उतनी अवधि के लिए जो तीन मास से अनधिक की हो सकेगी, तब तक निरुद्ध किया जाए जब तक कि ऐसी अवधि के अवसान से पूर्व न्यायालय उसको छोड़े जाने का निदेश न दे ।

पुनःसंख्यांकित किया गया ।

1. 1976 के अधिनियम द्वारा (1.2.1977 से) "निगम की दशा मे" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।
2. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 72 द्वारा (1-2-1977 से अन्तःस्थापित किया गया

42. भाटक या अन्तःकालीन लाभों या तत्पश्चात् अन्य बातों के लिए, जिसकी रकम वाद में अवधारित होनी है, डिक्री की दशा में कुर्की-- जहां डिक्री भाटक या अन्तःकालीन लाभों या किसी अन्य बात के लिए जांच निर्दिष्ट करती है वहां निर्णीतऋणी की सम्पत्ति इसके पूर्व कि निर्णीतऋणी द्वारा शोध्य रकम अभिनिश्चित कर ली गई हो ऐसे कुर्क की जा सकेगी जैसे धन के संदाय की मामूली डिक्री की दशा में कुर्क की जा

सकती है ।

43. निर्णीतऋणी के कब्जे में की ऐसी जंगम सम्पत्ति की कुर्की जो कृषि उपज से भिन्न है- जहां कुर्क की जाने वाली सम्पत्ति निर्णीतऋणी के कब्जे में की कृषि उपज से भिन्न जंगम सम्पत्ति है वहा कुक्री वास्तविक अभिग्रहण के द्वारा की जाएगी और कुर्की करने वाला अधिकारी सम्पत्ति को स्वयं अपनी अभिरक्षा में या अपने अधीनस्थों में से एक की अभिरक्षा में रखेगा और उसकी सम्यक् अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा ।

परन्तु जब अभिगृहीत सम्पत्ति शीध्रतया और प्रकृत्या क्षयशील है या जब उसे अभिरक्षा में रखने का व्यय उसके मूल्य से ज्यादा होना संभाव्य है तब कुर्क करने वाला अधिकारी उसका तुरन्त ही विक्रय कर सकेगा ।

उच्च न्यायालय संशोधन

म.प्र. उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- निम्न रुप में नियम 43 को प्रतिस्थापित किया गया-

पटना उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- आदेश 21 नियम 43 में आए इन शब्दों "संपत्ति को स्वयं अपनी अभिरक्षा मे या अपने अधीनस्थों में से एक की अभिरक्षा में" विलोपित किया गया है ।

उपरोक्त संशोधन के अलावा पटना में नवीन नियम 43-क भी जोड़ा गया है ।

[1]**[43क. जंगम सम्पत्ति की अभिरक्षा-** (1) जहां कुर्क की गई सम्पत्ति पशुधन, कृषि उपकरण या अन्य ऐसी चीजें है जो सुविधापूर्वक हटाई नहीं जा सकती और कुर्क करने वाला अधिकारी नियम 43 के परन्तुक के अधीन कार्य नहीं कर सकता है वहां वह, निर्णीतऋणी की या डिक्रीदार की या ऐसी सम्पत्ति में हितबद्ध होने का दावा करने वाले किसी अन्य व्याक्ति की प्रेरणा पर उसे उस गांव या स्थान में जहां उसकी कुर्की की गई है, किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति की अभिरक्षा में (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अभिरक्षक" कहा गया है) छोड़ सकेगा ।

(2) यदि अभिरक्षक, सम्यक् सूचना के पश्चात् ऐसी सम्पत्ति को न्यायालय द्वारा बताए गए स्थान पर उस अधिकारी के समक्ष जो उस प्रयोजन के लिए प्रतिनियुक्त किया जाए, पेश करने में या उसे उस व्यक्ति को, जिसके पक्ष में न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तन का आदेश किया गया है, प्रत्यावर्तित करने में असफल रहता है या यदि वह सम्पत्ति इस प्रकार पेश या प्रत्यावर्तित किए जाने पर वैसी ही दशा में नहीं है जिस दशा में वह न्यस्त किए जाने के समय थी तो-

(क) अभिरक्षक उस हानि या नुकसान के लिए जो उसके व्यतिक्रम से हुआ हो, डिक्रीदार, निर्णीतऋणी या किसी अन्य व्यक्ति को जो उसके प्रत्यावर्तन का हकदार पाया जाए, प्रतिकर संदत करने के दायित्व के अधीन होगा, और

(ख) ऐसे दायित्व का प्रवर्तन-

(i) डिक्रीदार की प्रेरणा पर इस प्रकार किया जा सकेगा मानों अभिरक्षक धारा 145 के अधीन प्रतिभू हो;

(ii) निर्णीतऋणी या ऐसे अन्य व्यक्ति की प्रेरणा पर, निष्पादन के लिए आवेदन किए जाने पर, किया जा सकेगा; तथा

(ग) ऐसे दायित्व का अवधारण करने वाला कोई आदेश डिक्री की तरह अपीलनीय होगा ।]

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 72 द्वारा (1-2-1977 से) अन्तःस्थापित किया गया

उच्च न्यायालय संशोधन

म.प्र. उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- निम्न रुप में 43-क अंतःस्थापित की गई-

43-क. पशुधन की कुर्की- जब पशुधन की कुर्की के लिए आवेदन दिया जाता है तो न्यायालय अर्द्धवार्षिक तौर पर नियत किए गए दरों पर, या प्राय: यदि आवश्यक हो तो जिला जज की मंजूरी से, रकम को कुर्की के संभाव्य समय से विक्रय के संभाव्य समय तक के संभाव्य समय के लिए पशुधन के रखरखाब के लिए अपेक्षित राशि को अग्रिम तौर पर नगद देने की मांग कर सकेगा अथवा इसके विवेक पर ऐसी अवधि के भागों के लिए उत्तरवर्ती मांगे कर सकेगा । दरों में खिलाने का व्यय, लाने ले जाने का व्यय एवं अन्य सभी प्रभार जो कि पशुधन के रख-रखाब के लिए अपेक्षित हों शामिल होंगे ।

(2) यदि निर्णीतऋणी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को न्यसित किया जाता है तो डिक्री होल्डर द्वारा पशु के रख-रखाब के लिए भुगतान की गई राशि या इसका कोई भाग, न्यायालय के विवेक पर, पशुधन के संरक्षक को रखरखाब के लिए भुगतान किया जाएगा । दूध, अण्डे, आदि, यदि कोई हो, को निर्णीत ऋणी के लाभ के लिए या तो यथासंभव शीध्रता से विक्रय किया जा सकेगा या न्यायालय के विवेक पर पशुधन के खर्च के लिए मुजरा किया जा सकेगा । (16.9.1960)

पटना उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- नियम 43 के उपरांत निम्न रुप में 43-क समाविष्ट किया गया-

44. कृषि उपज की कुर्की- जहां कुर्क की जाने वाली सम्पत्ति कृषि उपज है वहां कुर्की के वारण्ट की एक प्रति-

(क) उस दशा में, जिसमें ऐसी उपज उगती फसल है, उस भूमि पर लगाकर जिसमें ऐसी फसल उगी है, अथवा

(ख) उस दशा में, जिसमें ऐसी उपज काटी जा चुकी है या इकटठी की जा चुकी है, खलियान में या अनाज गाहने के स्थान में या तदूप स्थान में या चारे के ढेर पर, जिस पर या जिसमें वह निक्षिप्त की गई है,

लगाकर और एक अन्य प्रति उस गृह के, जिसमें निर्णीतऋणी मामूली तौर से निवास करता है, बाहरी द्वार पर या किसी अन्य सहजदृश्य भाग पर लगाकर, या न्यायालय की इजाजत से उस गृह के, जिसमें वह कारबार करता है या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता है या जिसके बारे में यह ज्ञात है कि वहा वह अन्तिम बार निवास करता था या कारबार करता था या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता था, बाहरी द्वार पर या उसके किसी अन्य सहजदृश्य भाग पर लगाकर कुर्क की जाएगी और तब यह समझा जाएगा कि उपज न्यायालय के कब्जे में आ गई है ।

45. कुर्क की गई कृषि उपज के बारे में उपबन्ध–(1) जहां कृषि उपज की कुक्री की गई है वहां न्यायालय उसकी अभिरक्षा के लिए ऐसा इन्तजाम करेगा जो वह पर्याप्त समझे और उगती फसल की कुक्री के लिए हर आवेदन में न्यायालय को ऐसे इन्तजाम करने के लिए समर्थ करने के प्रयोजन से वह समय विनिर्दिष्ट होगा जब यह संभाव्यता है कि काटे जाने या इकटटी की जाने के योग्य हो जाएगी ।

(2) ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए जो कुर्की के आदेश में या किसी पश्चात्‌वर्ती आदेश में न्यायालय द्‌वारा इस निमित्त अधिरोपित की जाए, निर्णीतऋणी उपज की देखभाल कर सकेगा, उसे काट सकेगा, इकदठी कर सकेगा, भण्डार में रख सकेगा और उसके पकाने या परिरक्षण के लिए आवश्यक कोई अन्य कार्य कर सकेगा और यदि निर्णीतऋणी ऐसे सभी कार्यो को या उनमें से किसी को करने में असफल रहता है तो डिक्रीदार न्यायालय की अनुज्ञा से और ऐसी ही शर्तो के अधीन रहते हुए सभी कार्यो या उनमें से किसी को या तो स्वयं कर सकेगा या अपने द्‌वारा इस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति द्‌वारा करा सकेगा और डिक्रीदार द्‌वारा उपगत खर्चे निर्णीतऋणी से ऐसे वसूल किए जा सकेंगे मानों वे डिक्री के अन्तर्गत हों या उसके भागरुप हों ।

(3) उगती फसल के रुप में कुर्क की गई उपज के बारे में केवल इस कारण कि वह काट कर धरती से अलग कर ली गई है यह न समझा जाएगा कि वह कुर्की के अधीन नहीं रह गई है और न उसके बारें में यह समझा जाएगा कि उसकी पुन: कुर्की करना अपेक्षित है ।

(4) जहां उगती फसल की कुर्की के लिए आदेश फसल के काटे जाने या इकटठे किए जाने के योग्य होने की संभाव्यता के बहुत समय पूर्व दिया गया है वहां न्यायालय आदेश का निष्पादन ऐसे समय के लिए निलम्बित कर सकेगा जो वह ठीक समझे और कुर्की के आदेश के निष्पादन के लम्बित रहने तक फसल के हटाने को प्रतिषिद्‌ध करने वाला अतिरिक्त आदेश स्वविवेकानुसार कर सकेगा ।

(5) वह उगती फसल जो अपनी प्रकृति के कारण भण्डार में रखने योग्य नहीं है, किसी ऐसे समय पर इस नियम के अधीन कुर्क नहीं की जाएगी जो उस समय से पूर्व बीस दिन से कम का हो जिस समय पर उसके काटे जाने या इकट्‌ठी किए जाने के योग्य होने की संभाव्यता है ।

उच्च न्यायालय संशोधन

पटना उच्च न्यायालय द्‌वारा संशोधन- आदेश 21 नियम 46 के उपनियम (1) के अंत के पूर्ण विराम को हटाकर निम्न और जोडा गया है- "और आवेदक न्यायालय में ऐसी राशि देगा जो समय-समय पर न्यायालय द्‌वारा ऐसी व्यवस्थाओं के खर्च अदा करने के लिए अपेक्षित हो" ।

46. ऐसे ऋण, अंश या अन्य सम्पत्ति की कुर्की जो निर्णीत ऋणी के कब्जे में नहीं है- (1) (क) ऐसे ऋण की दशा में जो परक्राम्य लिखत के द्‌वारा प्रतिभूत नहीं है,

(ख) किसी निगम की पूर्जी में के अंश की दशा में,

(ग) किसी न्यायालय में निक्षिप्त या उसकी अभिरक्षा में की सम्पत्ति के सिवाय किसी अन्य ऐसी जंगम सम्पत्ति की दशा में जो निर्णीतऋणी के कब्जे में नहीं है,

कुर्की-

(i) ऋण की दशा में जब तक कि न्यायालय का अतिरिक्त आदेश न हों, तब तक लेनदार को ऋण

की वसूली करने से और ऋणी को उस ऋण को चुकाने से; ,

(ii) अंश की दशा में उस व्यक्ति को, जिसके नाम में अंश उस समय दर्ज है उसे अन्तरित करने से या उस पर के किसी लाभांश को प्राप्त करने से-,

(iii) पूर्वोक्त को छोड़कर अन्य जंगम सम्पत्ति की दशा में उस पर कब्जा रखने वाले व्यक्ति को उसे निर्णीतऋणी को देने से, प्रतिषिद्ध करने वाले लिखित आदेश द्वारा की जाएगी ।

(2) ऐसे आदेश की एक प्रति न्याय-सदन के किसी सहजदृश्य भाग पर लगाई जाएगी और एक अन्य प्रति ऋण की दशा में ऋणी को अंश को दशा में निगम के उचित अधिकारी को, और (पूर्वोक्त को छोड़कर) अन्य जगम सम्पत्ति की दशा में उस पर कब्जा रखने वाले व्यक्ति को भेजी जाएगी ।

(3) उपनियम (1) के खण्ड (i) के अधीन प्रतिषिद्ध ऋणी अपने ऋण की रकम न्यायालय में जमा कर सकेगा और ऐसे जमा करने से वह वैसे ही प्रभावी तौर पर उन्मोचित हो जाएगा जैसे वह उसे पाने का हकदार पक्षकार को संदाय करने से उन्मोचित हो जाता है ।

[1][**46क. गारनिशी को सूचना-** (1) न्यायालय (बन्धक या प्रभार द्वारा प्रतिभूत ऋण से भिन्न) ऐसे ऋण की दशा में, जिसकी नियम 46 के अधीन कुर्की की गई है, कुर्क कराने वाले लेनदार के आवेदन पर ऐसे ऋण का संदाय करने के दायित्वाधीन गारनिशी को सूचना दे सकेगा जिसमें उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह निर्णीतऋणी को उसके द्वारा शोध्य ऋण या उसका इतना भाग जितना डिक्री और निष्पादन के खर्चों को चुकाने के लिए पर्याप्त हो, न्यायालय में जमा करे या उपसंजात हो तथा कारण दर्शित करे कि उसे वैसा क्यों नहीं करना चाहिए ।

(2) उपनियम (1) के अधीन कोई आवेदन शपथपत्र पर किया जाएगा जिसमें अभिकथित तथ्य सत्यापित होंगे और यह कथित होगा कि अभिसाक्षी को विश्वास है कि गारनिशी निर्णीतऋणी का ऋणी है ।

(3) जहां गारनिशी निर्णीतऋणी को उसके द्वारा शोध्य रकम या उसका इतना भाग जितना डिक्री और निष्पादन के खर्चों को चुकाने के लिए पर्याप्त है, न्यायालय में जमा कर देता है वहां न्यायालय निदेश दे सकेगा कि वह रकम डिक्री की तुष्टि और निष्पादन के खर्चों को चुकाने के लिए डिक्रीदार को संदत्त कर दी जाए ।

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 क धारा 72 द्वारा (1.2.1977 से) नियम 46क से 46झ तक अन्त स्थापित किया गया ।

46ख. गारनिशी के विरुद्ध आदेश- जहां गारनिशी निर्णीतऋणी को उसके द्वारा शोध्य रकम या उसका इतना भाग जितना डिक्री की तुष्टि और निष्पादन के खर्चों को चुकाने के लिए पर्याप्त है तुरन्त न्यायालय में जमा नहीं करता है और उपसंजात नहीं होता है तथा सूचना के अनुसरण में कारण दर्शित नहीं करता है वहां न्यायालय गारनिशी को आदेश दे सकेगा कि वह ऐसी सूचना के निबन्धनों का अनुपालन करे और ऐसे आदेश पर निष्पादन इस प्रकार किया जा सकेगा मानो ऐसा आदेश उसके विरुद्ध डिक्री हों ।

46ग. विवादग्रस्त प्रश्नों का विचारण- जहां गारनिशी दायित्व के बारे में विवाद करता है वहां

न्यायालय आदेश का सकेगा कि दायित्व के अवधारण के लिए किसी विवाद्यक या आवश्यक प्रश्न का विचारण इस प्रकार किया जाएगा मानो वह वाद में का विवाद्यक हो और ऐसे विवाद्यक के अवधारण पर ऐसा आदे श या ऐसे आदेश करेगा जो वह ठीक समझे :

परन्तु यदि वह ऋण जिसके सम्बन्ध मे 46क के अधीन आवेदन किया गया है इतनी धनराशि के बारे में है जो न्यायालय की धन सबंधी अधिकारिता के बाहर है तो न्यायालय निष्पादन के मामले को उस जिला न्यायाधीश के न्यायालय को भेजेगा जिसके उक्त न्यायालय अधीनस्थ है और तब जिला न्यायाधीश का न्यायालय या कोई अन्य सक्षम न्यायालय जिसे वह जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किया जाए उसे उसी प्रकार निपटाएगा मानो वह मामला प्रारम्भ में उसी न्यायालय में संस्थित किया गया हो ।

46घ. जहां ऋण अन्य व्यक्ति का हो वहां प्रक्रिया- जहां यह सुझाया जाता है या सं भाव्य प्रतीत होता है कि ऋण किसी अन्य व्यक्ति का है या ऐसे ऋण पर किसी अन्य व्यक्ति का धारणाधिकार या प्रभार अथवा उसमें अन्य हित है वहां न्यायलय ऐसे अन्य व्यक्ति को आदेश दे सकेगा कि वह उपसंजात हो और ऐसे ऋण के बारे में अपने दावे की प्रकृति और विशिष्टियां यदि कोई हो कथित करे और उसे साबित करे ।

46ड. अन्य व्यक्ति के बारे में आदेश- ऐसे अन्य व्यक्ति और किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को जिन्हें तत्पश्चात् उपसंजात होने का आदेश दिया जाए या जहा ऐसे अन्य या दूसरा व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति ऐसा आदेश, दिए जाने पर उपसंजात नहीं होते है वहा न्यायालय ऐसा आदेश कर सकेगा जो इसमें इसके पूर्व उपबन्धित है या ऐसे अन्य अथवा दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के यथास्थिति, धारणाधिकार, प्रभार या हित के सम्बन्ध में ऐसे निबन्धनों पर यदि कोई हों ऐसा अन्य आदेश या ऐसे अन्य आदेश दे सकेगा जो वह ठीक और उचित समझे ।

46च. गारर्निशों द्वारा किया गया संदाय विधिमान्य उन्मोचन होगा- नियम 46क के अधीन सूचना पर या पूर्वाक्त किसी आदेश के अधीन गारनि शो द्वारा किया गया सदाय निर्णीतऋणी और पूर्वोक्त रुप से उपसंजात होने के लिए आदिष्ट किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध उस रकम के लिए जो सदत्त की गई हो या उद्गृहीत की गई हो उसका विधिमान्य उन्मोचन होगा चाहे वह डिक्री जिसके निष्पादन में नियम 46क के अधीन आवेदन किया गया था या ऐसे आवेदन पर की गई कार्यवाहियों में पारित आदेश अपास्त कर दिया जाए या उलट दिया जाए ।

46छ. खर्चे- नियम 46क के अधीन किए गए किसी आवेदन के और उससे होने वाली किसी कार्यवाही के अथवा उसके आनुषंगिक खर्चे न्यायालय के विवेक के अधीन होंगे ।

46ज. अपीलें- नियम 46ख, नियम 46ग या नियम 46ड. के अधीन किया गया कोई आदेश डिक्री के रुप में अपीलनीय होगा ।

46झ. परक्राम्य लिखतों को लागू होना- नियम 46क से 46झ तक के (जिनके अन्तर्गत ये दोनों नियम भी हैं) उपबन्ध नियम 51 के अधीन कुर्क की गई परक्राम्य लिखतों के सम्बन्ध में जहां तक हो सके वैसे ही लागू होंगे जैसे वे ऋणों के सम्बन्ध में लागू होते है ।]

47. जंगम सम्पत्ति में अंश की कुर्की- जहां कुर्क की जाने वाली सम्पत्ति ऐसी जंगम सम्पत्ति में निर्णीतऋणी के अंश या हित के रुप में है जो सहस्वामियों के रुप में उसकी और किसी अन्य की है वहां कुर्की निर्णीतऋणी को अपने अंश या हित का अन्तरण करने से या उसे किसी भी रूप में भारित करने से प्रतिषिद्ध करने वाली सूचना द्वारा की जाएगी ।

48. सरकार या रेल कम्पनी या स्थानीय प्राधिकारी के सेवक के वेतन या भत्तों की कुर्की- (1) जहां कुर्क की जाने वाली सम्पत्ति सरकार के सेवक या रेल कम्पनी या स्थानीय प्राधिकारी के सेवक का [2][या किसी व्यापार या उद्योग में लगे किसी निगम के जो केन्द्रीय, प्रान्तीय या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया हो, सेवक का या कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 617 में यथापरिभाषित किसी-सरकारी कम्पनी के सेवक का] वेतन या भत्ता है वहां न्यायालय, चाहे निर्णीतऋणी या संवितरक अधिकारी ऐसे न्यायालय के अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर हो या नहीं, या आदेश कर सकेगा कि वह रकम, धारा 60 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, ऐसे वेतन या भत्तों में से या तो एक संदाय में या मासिक किस्तों में जैसा न्यायालय निर्दिष्ट करे, विधारित की जाएगी और ऐसे अधिकारी को, जो [3][समुचित सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा,] [4][इस निमित्त] नियुक्त करें, इस आदेश की सूचना हो जाने पर-

[5][(क) जहां ऐसा वेतन या भत्ते उन स्थानीय सीमाओं के भीतर संवितरित किए जाने हैं, जिन पर इस संहिता का तत्समय विस्तार है वहां वह अधिकारी या अन्य व्यक्ति जिसका कर्तव्य उसका संवितरण करना है, यथास्थिति, आदेश के अधीन शोध्य रकम या मासिक किस्तें विधारित करेगा और न्यायालय के पास भेजेगा,

(ख) जहां ऐसा वेतन या ऐसे भत्ते उक्त सीमाओं से परे संवितरित किए जाने हैं वहां उन सीमाओं के भीतर वाला वह अधिकारी या अन्य व्यक्ति, जिसका कर्तव्य संवितरित किए जाने वाले वेतन या भत्तों की रकम की बाबत संवितरक प्राधिकारी को देना हो, यथास्थिति, आदेश के अधीन शोध्य रकम या मासिक किस्तें न्यायालय के पास भेजेगा और संवितरक प्राधिकारी को निदेश देगा कि वह समय-समय पर संवितरित की जाने वाली रकमों के योग में से उन रकमों के योग को घटा दे जो न्यायालय के पास समय-समय पर भेजी गई हों ।]

(2) जहां ऐसे वेतन या भत्तों का कुर्की योग्य भाग कुर्की के किसी पूर्वतन और अतुष्ट आदेश के अनुसरण में पहले से ही विधारित किया जा रहा है और किसी न्यायालय के पास भेजा जा रहा है वहां [6][समुचित सरकार] द्वारा इस निमित नियुक्त अधिकारी पश्चात्वर्ती आदेश को तत्काल उस न्यायालय को जिसने उसे निकाला है, विद्यमान कुर्की की सभी विशिष्टियों के पूरे कथन के सहित लौटा देगा ।

1. 1943 के अधिनियम सं. 5 की धारा 3 द्वारा "लोक अधिकारी" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।

2. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 72 द्वारा (1-2-1977 से) अन्तःस्थापित किया गया ।
3. 1942 के अधिनियम सं. 25 की धारा 3 और अनुसूची 2 द्वारा "केन्द्रीय सरकार या प्रान्तीय सरकार उनके राजपत्र मे अधिसूचना द्वारा" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।
4. 1939 के अधिनियम सं. 26 की धारा 2 द्वारा कुछ मूल शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।
5. 1939 के अधिनियम सं. 26 की धारा 2 द्वारा कुछ मूल शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।
6. 1942 के अधिनियम सं. 25 की धारा 3 और अनुसूची 2 द्वारा "यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या प्रान्तीय सरकार" के

[1][(3) इस नियम के अधीन किया गया हर आदेश, जब तक कि वह उपनियम (2) के उपबन्धों के अनुसरण मे लौटा न दिया जाए, अतिरिक्त सूचना या अन्य आदेशिका के बिना, उस समय तब जब तक कि निर्णीतऋणी उन स्थानीय सीमाओं के भीतर है जिन पर इस संहिता का तत्समय विस्तार है और यदि वह भारत की संचित निधि में से या राज्य की संचित निधि में से या भारत में किसी रेल कम्पनी या स्थानीय प्राधिकारी या निगम या सरकारी कम्पनी की निधि में से संदेय कोई वेतन या भत्ते पा रहा है तो उस समय तक भी, जब तक कि वह उन सीमाओं के परे है, यथास्थिति, समुचित सरकार या रेल कम्पनी या स्थानीय प्राधिकारी या निगम या सरकारी कम्पनी को आबद्ध करेगा और, यथास्थिति, समुचित सरकार या रेल कम्पनी या स्थानीय प्राधिकारी या निगम या सरकारी कम्पनी इस नियम के उल्लघन में सदत्त की गई किसी भी राशि के लिए दायी होगी ।

स्पष्टीकरण- इस नियम में "समुचित सरकार" से अभिप्रेत है,-

(i) केन्द्रीय सरकार की सेवा में के किसी व्यक्ति के या रेल प्रशासन के या छावनी प्राधिकारी के या महापत्तन के पत्तन प्राधिकारी के किसी सेवक के या किसी व्यापार या उद्योग में लगे किसी निगम के जो केन्द्रीय अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया हो, किसी सेवक के या ऐसी सरकारी कम्पनी के जिसमें शेयर पूंजी का कोई भाग केन्द्रीय सरकार द्वारा या एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा या भागत: केन्द्रीय सरकार और भागत: एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा धारित हो किसी सेवक के सम्बन्ध में, केन्द्रीय सरकार,

(ii) सरकार के किसी अन्य सेवक के या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी के किसी सेवक के या किसी व्यापार या उद्योग में लगे किसी निगम के जो प्रान्तीय या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया हो, किसी सेवक के या किसी अन्य सरकारी कम्पनी के किसी सेवक के सम्बन्ध में, राज्य सरकार । स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।]

1. 1976 के अधिनियम संख्याक 104 की धारा 72 द्वारा (1-2-1977 से) उपनियम (3) के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया |
2. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 72 द्वारा (1-2-1977 से) स्पष्टीकरण के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।

[1][**48क. प्राइवेट कर्मचारियों के वेतन या भत्तों की कुर्की–**(1) जहां कुर्क की जाने वाली सम्पत्ति ऐसे सेवक से जिसको नियम 48 लागू होता है, भिन्न किसी सेवक का वेतन या भत्ता है वहां न्यायालय उस दशा में जिसमें उस कर्मचारी का संवितरक अधिकारी न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर है, यह आदेश कर सकेगा कि वह रकम, धारा 60 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, ऐसे वेतन या भत्तों में से या तो संदाय में या मासिक किस्तों में, जैसा न्यायालय निदिष्ट करे, विधारित की जाएगी और ऐसे संवितरक अधिकारी को इस आदेश की सूचना हो जाने पर, ऐसा संवितरक अधिकारी, यथास्थिति, आदेश के अधीन शोध्य रकम या मासिक किस्तें न्यायालय के पास भेजेगा |

(2) जहां ऐसे वेतन या भत्तों का कुर्की योग्य भाग कुर्की के किसी पूर्वतन और अतुष्ट आदेश के अनुसरण में पहले से ही विधारित किया जा रहा है या न्यायालय के पास भेजा जा रहा है वहां संवितरक अधिकारी पश्चात्वर्ती आदेश को तत्काल उस न्यायालय को जिसने उसे निकाला है, विद्यमान कुर्की की सभी विशिष्टियों के पूरे कथन के सहित लौटा देगा ।

(3) इस नियम के अधीन किया गया हर आदेश जब तक कि वह उपनियम (2) के उपबन्धों के अनुसरण में लौटा न दिया जाए, अतिरिक्त सूचना या अन्य आदेशिका के बिना, उस समय तक जब तक कि निर्णीतऋणी उन स्थानीय सीमाओं के भीतर है जिन पर इस संहिता का तत्समय विस्तार है और यदि वह भारत के किसी भाग में के किसी नियोजक की निधि में से संदेय कोई वेतन या भते पा रहा है तो उस समय तक भी जब तक कि वह उन सीमाओं से परे है, नियोजक को आबद्ध करेगा और नियोजक इस नियम के उल्लघंन में संदत्त की गई किसी भी राशि के लिए दायी होगा ।

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 72 द्वारा (1-2-1977 से) अन्त: स्थापित किया गया ।

49. भागीदारी की सम्पति कीं कुर्की- (1) इस नियम द्वारा अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, किसी भागीदारी की सम्पत्ति उस फर्म के विरुद्ध या उस फर्म के भागीदारी के विरुद्ध उनकी उस हैसियत में पारित डिक्री से भिन्न डिक्री के निष्पादन में कुर्क नहीं की जाएगी और न उसका विक्रय किया जाएगा ।

(2) न्यायालय किसी भागीदार के विरुद्ध डिक्री के धारक के आवेदन पर आदेश कर सकेगा कि डिक्री के अधीन शोध्य रकम के सदाय का भार भागीदारी की सम्पत्ति में ऐसे भागीदार के हित और लाभ पर डाल दिया जाए और उसी या पश्चात्वर्ती आदेश से उन लाभों में (चाहे वे पहले से ही घोषित किए जा चुके हों या प्रोद्भूत हो रहे हों) ऐसे भागीदार के अंश का और ऐसे किसी अन्य धन का, जो भागीदारी महद्दे उसे मिलता हो, रिसीवर नियुक्त कर सकेगा और लेखाओं और जांचों के लिए निदेश दे सकेगा और ऐसे हित के विक्रय के लिए आदेश कर सकेगा या ऐसे अन्य आदेश कर सकेगा जो किए जाते या निदिष्ट किए जाते यदि ऐसे भागीदार ने अपने हित को डिक्रीदार के पक्ष में भारित कर दिया होता या जैसे मामले की परिस्थितयां अपेक्षित करें ।

(3) अन्य भागीदार या भागीदारों को यह स्वतंत्रता होगी कि वे भारित हित का मोचन किसी भी समय पर लें या विक्रय के लिए निदेशित किए जाने की दशा में उसे क्रय कर लें ।

(4) उपनियम (2) के अधीन आदेश के लिए हर आवेदन की तामील निर्णीतऋणी पर और उसके

भागीदारों पर या उनमें से ऐसों पर, जो [1][भारत] के भीतर हों, की जाएगी ।

(5) निर्णीतऋणी के किसी भी भागीदार द्वारा उपनियम (3) के अधीन किए गए हर आवेदन की तामील डिक्रीदार पर और निर्णीतऋणी पर और अन्य भागीदारों में से ऐसों पर, जो आवेदन में सम्मिलित नहीं हुए हों और जो [2][भारत] के भीतर हों, की जाएगी ।

(6) उपनियम (4) या उपनियम (5) के अधीन की गई तामील सभी भागीदारों पर तामील समझी जाएगी और ऐसे आवेदनों पर किए गए सभी आदेशों की तामील उसी प्रकार होगी ।

1. 1951 के अधिनियम से. 2 की धारा 3 द्वारा "राज्यो" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया
2. 1951 के अधिनियम से 2 की धारा 3 द्वारा "राज्यो" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया

50. फर्म के विरुद्ध डिक्री का निष्पादन- (1) जहां डिक्री किसी फर्म के विरुद्ध पारित की गई है वहां निष्पादन-

(क) भागीदारी की किसी सम्पत्ति के विरुद्ध;

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जो आदेश 30 के नियम 6 या नियम 7 के अधीन स्वयं अपने नाम में उपसंजात हुआ है या जिसने अपने अभिवचन में यह स्वीकार किया है कि यह भागीदार है या जो भागीदार न्यायनिर्णीत किया जा चुका है,;

(ग) किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जिस पर समन द्वारा भागीदार के रुप में व्यक्तिगत तामील की गई है और जो उपसंजात होने में असफल रहा है,

अनुदत्त किया जा सकेगा :

परन्तु इस उपनियम की कोई भी बात [1][भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) की धारा 30] के उपबन्धों को परिसीमित करने वाली या उन पर अन्यथा प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी ।

(2) जहां डिक्रीदार डिक्री का निष्पादन किसी ऐसे व्यक्ति से भिन्न जो उपनियम (1) के खण्ड (ख) और (ग) में निर्दिष्ट है, किसी व्यक्ति के विरुद्ध उसके फर्म में भागीदार होने के नाते कराने का हकदार होने का दावा करता है वहां वह डिक्री पारित करने वाले न्यायालय से इस इजाजत के लिए आवेदन कर सकेगा और जहां ऐसे दायित्व के बारे में विवाद नहीं किया जाता है वहां ऐसा न्यायालय ऐसी इजाजत दे सकेगा या जहां ऐसे दायित्व के बारे में विवाद किया जाता है वहां आदेश कर सकेगा कि ऐसे व्यक्ति के दायित्व का विचारण और अवधारणा किसी ऐसी रीति से किया जाए जिससे वाद का कोई विवाद्यक विचारित और अवधारित किया जा सकता है ।

(3) जहां किसी व्यक्ति के दायित्व का विचारण और अवधारण उपनियम (2) के अधीन किया गया है वहां उस पर किए गए आदेश का वही बल होगा और वह अपील के बारे में या अन्यथा उन्हीं शर्तों के अधीन रहेगा मानो वह डिक्री हो ।

(4) भागीदार की किसी सम्पत्ति के विरुद्ध हुई डिक्री को छोड़कर, किसी फर्म के विरुद्ध डिक्री उस फर्म में के किसी भागीदार को तभी निर्मुक्त करेगी, दायी बनाएगी, या उसमें के किसी भागीदार पर प्रभाव

डालेगी जब कि उपसंजात होने और उत्तर देने के लिए समन की तामील उस पर हो चुकी हो |

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 72 द्वारा (1-2-1977 से) कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया |

[1][(5) इस नियम की कोई बात आदेश 30 के नियम 10 के उपबन्धों के आधार पर किसी हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब के विरुद्ध पारित किसी डिक्री को लागू नहीं होगी ।]

उच्च न्यायालय संशोधन

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- उपनियम (2) में इन शब्दों को "अथवा उसको जिसको कि डिक्री निष्पादन के लिए अंतरित की गयी है " को शब्द “डिक्री पारित करने वाले न्यायालय से” व शब्द "इस इजाजत के लिए" के मध्य जोड़िए । (1.6.1957)

पटना उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- नियम 50 के उपनियम (2) में शब्दों "या उस न्यायालय को जिसको कि निष्पादन के लिए भेजा जाता है" को शब्द "डिक्री पारित करने वाले न्यायालय से" व शब्द "इस इजाजत के लिए" के मध्य जोडा गया ।

51. परक्राम्य लिखतों की कुर्की- जहां सम्पत्ति ऐसी परक्राम्य लिखत है जो न्यायालय में निक्षिप्त नहीं है और न लोक अधिकारी की अभिरक्षा में है वहा कुर्की वास्तविक अभिग्रहण द्वारा की जाएगी और लिखत न्यायालय में लाई जाएगी और आगे न्यायालय जो आदेश करे उसके अधीन धारण की जाएगी ।

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 72 द्वारा (1-2-1977 से) अन्त: स्थापित किया गया |

उच्च न्यायालय संशोधन

इलाहाबाद उच्च न्यायालय संशोधन- निम्नानुसार नियम 51 कोप्रतिस्थापित किया गया-

“51 जहां डिक्री के निष्पादन मे कोई संपत्ति कुर्क की गयी है और न्यायालय किसी कारण से निष्पादन आवेदन को निरस्त करने का आदेश पारित करता है तो न्यायालय द्वारा पारित किसी आदेश के अभाव मे कुर्की निष्पादन के आवेदन की निरस्ती के उपरांत पन्द्रह दिवसो की अवधि के लिए अस्तित्व में होना मानी जायेगी और समान संपत्ति के लिए कोई नवीन कुर्की आवश्यक नहीं होगी यदि निष्पादन के लिए नवीन आवेदन ऐसे पन्द्रह दिवसों की अवधि के भीतर प्रस्तुत कर दिया जाता है यदि ऐसा कोई आवेदन नहीं दिया जाता है तो कुर्की समाप्त हो जाएगी

परन्तु यह कि चल सपत्ति के मामले में निष्पादन आवेदन की निरस्ती के आदेश के उपरांत जारी नहीं रहेगी जब तक कि डिक्रीहोल्डर ने लिखित मे उसकी सहमति और विस्तारित अवधि में कुर्की के व्ययों को पूरा करने के लिए समुचित राशि न्यायालय में जमा न कर दी हो "

52. न्यायालय या लोक अधिकारी की अभिरक्षा में की सम्पत्ति की कुर्की- जहां कुर्क की जाने वाली

सम्पत्ति किसी न्यायालय या लोक अधिकारी की अभिरक्षा में है वहां वह कुर्की ऐसे न्यायालय या अधिकारी से यह अनुरोध करने वाली सूचना द्वारा की जाएगी कि ऐसी सम्पत्ति और उस पर संदेय होने वाला कोई ब्याज या लाभांश उस न्यायालय के जिसने वह सूचना निकाली है आगे किए जाने वाले आदेशों के अधीन धारण की जाए :

परन्तु जहां ऐसी सम्पत्ति किसी न्यायालय की अभिरक्षा में है वहां हक या पूर्विकता के बारे में कोई ऐसा प्रश्न जो डिक्रीदार के और किसी समनुदेशन के या कुर्की के आधार पर या अन्यथा ऐसी सम्पत्ति में हितबद्ध होने का दावा करने वाले किसी ऐसे अन्य व्यक्ति के बीच पैदा हो जो निर्णीतऋणी नहीं है, ऐसे न्यायालय द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

53. डिक्रियों की कुर्की–(1) जहां कुर्क की जाने वाली सम्पत्ति या तो धन के संदाय की या बंन्धक या भार के प्रवर्तन में विक्रय की डिक्री है वहां कुर्की-

(क) यदि डिक्रीयां उसी न्यायालय के द्वारा पारित की गई थी तो, ऐसे न्यायालय के आदेश द्वारा की जाएगी, तथा

(ख) यदि वह डिक्री जिसकी कुर्की चाही गई है, किसी अन्य न्यायालय द्वारा पारित की गई थी तो उस डिक्री को जिसका निष्पादन चाहा गया है, पारित करने वाले अन्य न्यायालय द्वारा ऐसे न्यायालय को यह अनुरोध करने वाली सूचना देकर की जाएगी कि वह अपनी डिक्री का निष्पादन तब तक के लिए रोक दे जब तक कि-

(i) जिस डिक्री का निष्पादन चाहा गया है उस डिक्री को पारित करने वाला न्यायालय सूचना को रद्द न कर दे, अथवा

[1][(ii) (क) जिस डिक्री का निष्पादन चाहा गया है उस डिक्री का धारक, या

(ख) ऐसे डिक्रीदार की लिखित पूर्व सहमति से या कुर्क करने वाले न्यायालय की अनुज्ञा से उसका निर्णीतऋणी, ऐसी सूचना प्राप्त करने वाले न्यायालय से यह आवेदन न करे कि वह कुर्क की गई डिक्री का निष्पादन करे ।

(2) जहां न्यायालय उपनियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन आदेश करता है या उक्त उपनियम के खण्ड ख) के उपशीर्ष (ii) के अधीन आवेदन प्राप्त करता है वहां उस लेनदार के जिसने डिक्री कुर्क कराई है या उसके निर्णीतऋणी के आवेदन पर वह कुर्क की गई डिर्की का निष्पादन करने के लिए अग्रसर होगा और शुद्ध आगमों को उस डिक्री की तुष्टि में लगाएगा जिसका निष्पादन चाहा गया है ।

(3) जिस डिक्री का निष्पादन उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट प्रकृति की किसी अन्य डिक्री की कुर्की द्वारा चाहा गया है उस डिक्री के धारक के बारे में यह समझा जाएगा कि वह कुर्क की गई डिक्री के धारक का प्रतिनिधि है और कुर्क की गई ऐसी डिक्री का निष्पादन ऐसी किसी भी रीति से कराने का हकदार है जो उस डिक्री के धारक के लिए विधिपूर्ण हो ।

(4) जहां डिक्री के निष्पादन में कुर्क की जाने वाली सम्पत्ति उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रकृति की डिक्री से भिन्न डिक्री, है वहां कुर्की, उस डिक्री को जिसका निष्पादन चाहा गया है, पारित करने वाले न्यायालय द्वारा उस डिक्री के धारक को जिसकी कुर्की चाही गई है, ऐसी सूचना देकर कि वह उसे किसी भी प्रकार अन्तरित या भारित न करे और जहां ऐसी डिक्री किसी अन्य न्यायालय द्वारा पारित की गई वहां

ऐसे अन्य न्यायालय को भी यह सूचना भेजकर कि वह उस डिक्री का जिसकी कुर्की चाही गई है, निष्पादन करने से तब तक प्रविरत रहे जब तक ऐसी सूचना को वह न्यायालय रद्द न कर दे जिसने उसे भेजा है, की जाएगी ।

(5) इस नियम के अधीन कुर्क की गई डिक्री का धारक डिक्री का निष्पादन करने वाले न्यायालय को ऐसी जानकारी और सहायता देगा जो युक्तियुक्त रुप से अपेक्षित की जाए ।

(6) जिस डिक्री का निष्पादन किसी अन्य डिक्री की कुर्की द्वारा चाहा गया है उस डिक्री के धारक के आवेदन पर वह न्यायालय जो इस नियम के अधीन कुर्की का आदेश करे, ऐसे आदेश की सूचना उस निर्णीतऋणी को देगा जो कुर्क की गई डिक्री से आबद्ध है, और कुर्क की गई डिक्री का कोई भी ऐसा संदाय या समायोजन जो ऐसे आदेश का उल्लंघन करके निर्णीतऋणी [2][उसकी जानकारी रखते हुए या] ऐसे आदेश की सूचना की प्राप्ति के पश्चात् या तो न्यायालय की मार्फत या अन्यथा करता है, किसी भी न्यायालय द्वारा उस समय तक मान्य नहीं किया जाएगा जब तक कुर्की प्रवृत रहती है ।

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 72 द्वारा (1.2.1977 से) उपखण्ड (ii) के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।
2. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 72 द्वारा (1.2.1977 से) अन्तःस्थापित किया गया ।

उच्च न्यायालय संशोधन

म.प्र. उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- उपनियम (1) के खण्ड (ख) और उपनियम (4) में शब्द "ऐसे न्यायालय" के उपरांत इन शब्दों "और किसी अन्य न्यायालय को जिसको डिक्री निष्पादन के लिए अंतरित की गई है" अंतःस्थापित किया गया है ।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- आदेश 21 नियम 53 के उपनियम 1 (ख) में "न्यायालय को" के उपरांत इन शब्दों को जोडा गया है "और किसी अन्य न्यायालय को जिसको डिक्री निष्पादन के लिए अंतरित की गई है" किया गया है ।

इसी प्रकार उपनियम (4) में आए शब्द "ऐसे अन्य न्यायालय को" के उपरांत भी इन्हीं शब्दों अर्थात "और किसी अन्य न्यायालय को जिसको डिक्री निष्पादन के लिए अंतरित की गई है" जोडा गया है । [अधिसूचना क्रमांक 4084(35)(क)-3(7); दिनांक 24.7.1926 ।]

पटना उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- आदेश 21 नियम 53 के उपनियम 1 (ख) को निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया गया है-

" 1(ख) यदि यह डिक्री जिसकी कुर्की चाही गई है किसी अन्य न्यायालय द्वारा पारित की गई है तो उस डिक्री को जिसका निष्पादन चाहा गया है, पारित करने वाले न्यायालय द्वारा ऐसे अन्य न्यायालय को या न्यायालय जिसको डिक्री निष्पादन के लिए अंतरित की गई है, को यह अनुरोध करने वाली सूचना दी जाएगी कि वह अपनी डिक्री का निष्पादन तब तक के लिए रोक दे जब तक कि-

(1) जिस डिक्री का निष्पादन चाहा गया है उस डिक्री को पारित करने वाला न्यायालय सूचना को रद्द न कर दे अथवा

(2) जिस डिक्री का निष्पादन चाहा जा रहा है, डिक्री का धारक या ऐसे डिक्री होल्डर की लिखित में व्यक्त सहमति से उसका निर्णीत ऋणी या कुर्क करने वाले न्यायालय की अनुज्ञा से ऐसे अन्य न्यायालय या वह न्यायालय जिसको डिक्री निष्पादन के लिए अंतरित की जा सकती हो कुर्क की गई डिक्री के निष्पादन को आवेदन करता है । "

54. स्थावर सम्पत्ति की कुर्की–(1) जहां सम्पत्ति स्थावर है, वहां कुर्की ऐसे आदेश द्वारा की जाएगी जो सम्पत्ति को किसी भी प्रकार से अन्तरित या भारित करने से निर्णीतऋणी को और ऐसे अन्तरण या भार से कोई भी फायदा उठाने से सभी व्यक्तियों को प्रतिषिद्ध करता है |

[1][(1क) आदेश में निर्णीतऋणी से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह विक्रय की उदघोषणा के निबन्धनों को तय करने के लिए नियत की जाने वाली तारीख की सूचना प्राप्त करने के लिए किसी विनिर्दिष्ट तारीख को न्यायालय में हाजिर हो ।]

(2) वह आदेश ऐसी सम्पत्ति में के या उसके पार्श्वस्थ किसी स्थान पर डोंडी पिटवा कर या अन्य रूढिक ढंग से उद्घोषित किया जाएगा और ऐसे आदेश की प्रति सम्पत्ति के किसी सहजदृश्य भाग और तब न्यायसदन के किसी सहजदृश्य भाग पर और जहां सम्पत्ति सरकार को राजस्व देने वाली भूमि है वहां उस जिले के जिसमें वह भूमि स्थित है, कलक्टर के कार्यालय में भी लगाई जाएगी [2][और जहां सम्पत्ति किसी गांव में स्थित भूमि है वहां उस गांव पर अधिकारिता रखने वाली ग्राम पंचायत के, यदि कोई हो, कार्यालय में भी लगाई जाएगी ।]

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 72 द्वारा (1-2-1977 से) अन्त: स्थापित किया गया |
2. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 72 द्वारा (1-2-1977 से) अन्त: स्थापित किया गया ।

उच्च न्यायालय संशोधन

म.प्र. उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- उपनियम (2) के अंत में पूर्ण विराम हटाकर निम्न शब्दों को जोडा गया-

"और वहां भी जहां कि संबंधित लोकल केन्टूंमेंट बोर्ड एवं मिलेट्री इस्टेट आफिसर के कार्यालय में केटून्मेंट सीमाओं के भीतर संपत्ति स्थित है ।"

उपनियम के उपरात निम्न उपनियम (3) को अंतःस्थापित किया गया-

" (3) सद्भाविक मूल्य पर क्रेता होने के मामले में आदेश संपत्ति पर आदेश की प्रतिलिपि चस्पा किये जाने की तारीख से प्रभावी होगा और निर्णीत ऋणी के अन्य सभी अंतरितियों के विरुद्ध ऐसी तारीख से जबकि आदेश किया गया था ।"

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- आदेश 21 नियम 54 के उपनियम (2) के अंत में अंकित पूर्ण विराम हटाकर निम्न और अंतःस्थापित किया गया है-

"और जहाँ संपत्ति चाहे सरकार को राजस्व देय हो या अन्यथा, केन्टूनमेन्ट सीमाओं में स्थानीय केन्टूनमेन्ट बोर्ड या संबंधित मिलेट्री संपदा अधिकारी के कार्यालय में स्थित है । " [अधिसूचना क्रमांक

5691 /35 (क)-3 (9) दिनांक 29.9.1941 |]

उपनियम (3) के रूप में निम्न जोड़ा गया-

" (3) सद्भावना में मूल्य पर के क्रेता के विरुद्ध आदेश उस दिनांक से जबकि आदेश की प्रतिलिपि संपत्ति पर चस्पा की जाती है, प्रभावी होगा और निर्णीत ऋणी से अन्य सभी अंतरितियों के विरुद्ध उस दिनांक से जबकि आदेश किया गया हो" ।

पटना उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- पटना उच्च न्यायालय ने म.प्र. उच्च न्यायालय की तरह ही संशोधन किया है । [अधिसूचना क्रमांक 21-आर- दिनांक 28.1.1941 ।]

55. डिक्री की तुष्टि पर कुर्की का उठाया जाना- जहां-

(क) डिक्रीत रकम खर्चों और किसी सम्पत्ति की कुर्की के पारिणामिक प्रभारों और व्ययों के साथ न्यायालय में जमा कर दी जाती है, अथवा

(ख) डिक्री की तुष्टि अन्यथा न्यायालय की मार्फत कर दी जाती है या न्यायालय को प्रमाणित कर दी जाती है, अथवा

(ग) डिक्री अपार कर दी जाती है या उलट दी जाती है,

वहां कुर्की प्रत्याहृत समझी जाएगी और स्थावर सम्पत्ति की दशा में यदि निर्णीतऋणी ऐसा चाहे तो प्रत्याहरण उसके व्यय पर उद्घोषित किया जाएगा और उद्घोषणा की एक प्रति अन्तिम पूर्ववर्ती नियम द्वारा विहित रीति से लगाई जाएगी ।

उच्च न्यायालय संशोधन

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- आदेश 21 नियम 55 को निम्न प्रकार संशोधन स्वरुप में प्रतिस्थापित किया गया है-

“55(1) उस डिक्री के निष्पादन के लिए जिसके लिए मूल आदेश पारित किया गया था, के धारक के अलावा अन्य व्यक्ति द्वारा समान निर्णीत की संपत्ति के संबंध में धारा 73 (1) के अंतर्गत संपत्तियों के आनुपातिक वितरण के लिए सभी आवेदनों की सूचना डिक्री निष्पादन करने वाले विक्रय अधिकारी को भेजी जावेगी ।

(2) जहाँ-

(क) डिक्रीत राशि, जो समान के विरुद्ध पारित किसी का राशि जिसकी सूचना उपधारा (1) के अंतर्गत भेजी गई है शामिल करेगी । न्यायालय में किसी संपत्ति को कुर्क करने के परिणाम में भुगतान किए गए खर्चे और सभी प्रभारों और व्ययो समेत,

(ख) डिक्री की संतुष्टि समान निर्णीत ऋणी के विरुद्ध पारित किसी डिक्री को शामिल करते हुए जिसकी सूचना उपधारा (1) के अंतर्गत विक्रय अधिकारी को भेजी गई है । यदि न्यायालय द्वारा अन्यथा की गई है या न्यायालय को प्रमाणित की गई है, या

(ग) डिक्री (समान निर्णीत ऋणी के विरुद्ध पारित किसी डिक्री को शामिल करते हुए जिसकी सूचना

उपधारा (1) के अंतर्गत विक्रय अधिकारी को भेजी गई है) अपास्त हो गई है, उलट दी गई है, कुर्की वापिस लेना समझा जावेगा और अचल संपत्ति के मामले में वापिसी को यदि निर्णीत ऋणी ऐसी वांछा करता है उसके व्यय पर उद्घोषित किया जाएगा और अंतिम पूर्ववर्ती नियम में विहित रीति में उद्घोषणा चस्पा किया जाएगा ।

[अधिसूचना क्रमांक 1477/35 (क)-3(3) दिनांक 1.6.1918 ।]

56. डिक्री के अधीन हकदार पक्षकार को सिक्के या करेन्सी नोटों का संदाय किए जाने का आदेश- जहां कुर्क की गई सम्पत्ति चालू सिक्का है या करेन्सी नोट है वहां न्यायालय कुर्की के चालू रहने के दौरान किसी भी समय निदेश दे सकेगा कि ऐसा सिक्का या ऐसे नोट या उनका उतना भाग जितना डिक्री की तुष्टि के लिए पर्याप्त हो, उस पक्षकार को दे दिया जाए जो डिक्री के अधीन उसे पाने का हकदार है ।

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 72 द्वारा (1.2.1977 से) नियम 57 के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।

[1]**[57. कुर्की का पर्यवसान–**(1) जहां कोई सम्पत्ति किसी डिक्री के निष्पादन में कुर्क कर ली गई है और न्यायालय किसी कारण से डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन को खारिज करने का आदेश पारित करता है वहां न्यायालय यह निदेश देगा कि कुर्की जारी रहेगी या समाप्त हो जाएगी और वह अवधि जिस तक ऐसी कुर्की जारी रहेगी और वह तारीख जिसको कुर्की समाप्त हो जाएगी भी उपर्दिशत करेगा ।

(2) यदि न्यायालय ऐसा निदेश देने में लोप करता है तो यह समझा जाएगा कि कुर्की समाप्त हो गई है ।]

उच्च न्यायालय संशोधन

म प्र. उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- नियम 57 के स्थान पर निम्न नियम को प्रतिस्थापित किया गया-

" 57. जहाँ कोई सम्पत्ति डिक्री के निष्पादन में कुर्क की गई है, और न्यायालय किसी भी कारण से निष्पादन आवेदन को निरस्त करने का आदेश पारित करता है तो न्यायालय यह निर्देश देगा कि क्या कुर्की को जारी रखा जाए अथवा समाप्त कर दिया जाए । यदि न्यायालय ऐसा कोई निर्देश देने में लोभ करे तो यह माना जाएगा कि कुर्की अस्तित्व में रहना समाप्त हो जाएगी ।" (16-9-1960)

पटना उच्च न्यायालय करा संशोधन- नियम 57 के उपनियम (1) को लुप्त कर निम्न को अंत : स्थापित किया गया ।

" कुर्की निष्पादन का प्रकरण निरस्त कर देने पर जिसमें की कुर्की कर दी गई है न्यायालय द्वारा अन्यथा निर्देशित न करने पर समाप्त हो जाएगी । " (7.1.1936)

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- निम्नानुसार नियम 57 को प्रतिस्थापित किया गया-

" 57 जहां डिक्री के निष्पादन में कोई संपत्ति कुर्क की गयी है और न्यायालय किसी कारण से निष्पादन आवेदन को निरस्त करने का आदेश पारित करता है तो न्यायालय द्वारा पारित किसी आदेश के अभाव में कुर्की निष्पादन के आवेदन की निरस्ती के उपरांत पन्द्रह दिवसों की अवधि के लिए अस्तित्व में होना मानी जावेगी और समान सपत्ति के लिए कोई नवीन कुर्की आवश्यक नहीं होगी यदि निष्पादन के लिए नवीन आवेदन ऐसे पन्द्रह दिवसों की अवधि के भीतर प्रस्तुत कर दिया जाता है । यदि ऐसा कोई आवेदन नहीं दिया जाता है तो कुर्की समाप्त हो जाएगी

परन्तु यह कि चल संपत्ति के मामले मे निष्पादन आवेदन की निरस्ती के आदेश के उपरांत जारी नहीं रहेगी जब तक कि डिक्रीहोल्डर ने लिखित में उसकी सहमति और विस्तारित अवधि में कुर्की के व्ययों को पूरा करने के लिए समुचित राशि न्यायालय में जमा न कर दी हो " (1.6.1957)

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 72 द्वारा (1.2.1977 से) शीर्ष और नियम 58से 63 तक के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।

[1][दावों और आक्षेपों का न्यायनिर्णयन

58. कुर्क की गई सम्पत्ति पर दावों का और ऐसी सम्पत्ति की कुर्की के बारे में आक्षेपों का न्याय निर्णयन- (1) जहां डिक्री के निष्पादन में कुर्क की गई किसी सम्पत्ति पर कोई दावा या उसकी कुर्की के बारे में कोई आक्षेप इस आधार पर किया जाता है कि ऐसी सम्पत्ति ऐसे कुर्क किए जाने के दायित्व के अधीन नहीं है वहां न्यायालय ऐसे दावेया आक्षेप का न्यायनिर्णयन करने के लिए इसमें अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार अग्रसर होगा :

परन्तु कोई ऐसा दावा या आक्षेप उस दशा में ग्रहण नहीं किया जाएगा जिसमें-

(क) दावा या आक्षेप करने से पूर्व कुर्क की गई सम्पत्ति का विक्रय कर दिया गया है; या

(ख) न्यायालय का यह विचार है कि दावा या आक्षेप करने में परिकल्पनापूर्वक या अनावश्यक रुप से विलम्ब किया गया है ।

(2) इस नियम के अधीन कार्यवाही के पक्षकारों के बीच या उनके प्रतिनिधियों के बीच पैदा होने वाले तथा दावे या आक्षेप न्याय निर्णयन से सुसंगत सभी प्रश्न (जिनके अन्तर्गत कुर्क की गई सम्पत्ति में अधिकार, हक या हित से सम्बन्धित प्रश्न भी हैं) दावे या आक्षेप के सम्बन्ध में कार्यवाहियाँ करने वाले न्यायालय द्वारा अवधारित किए जाएंगे, न कि पृथक वाद द्वारा ।

(3) उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट प्रश्नों के अवधारण पर, न्यायालय ऐसे अवधारण के अनुसार--

(क) दावे या आक्षेप को अनुज्ञात करेगा और सम्पत्ति या तो पूर्णत: या उस विस्तार तक जो वह ठीक समझे, कुर्की से निर्मुक्त कर देगा; या

(ख) दावे या आक्षेप को अनुज्ञात करेगा; या

(ग) कुर्की को किसी व्यक्ति के पक्ष में किसी बन्धक, भार या अन्य हित के अधीन जारी रखेगा; या

(घ) ऐसा आदेश पारित करेगा जो वह मामले की परिस्थितियों में ठीक समझे ।

(4) जहां किसी दावे या आक्षेप पर न्यायनिर्णयन इस नियम के अधीन किया गया है वहां उस पर किए गए आदेश का वही बल होगा और वह अपील या अन्य बातों के बारे में वैसी ही शर्तों के अधीन होना मानो वह डिक्री हो ।

(5) जहां कोई दावा या आक्षेप किया जाता है और न्यायालय उपनियम (1) के परन्तुक के अधीन उसे ग्रहण करने से इंकार करता है वहा वह पक्षकार जिसके विरुद्ध ऐसा आदेश किया जाता है उस अधिकार को सिद्ध करने के लिए जिसके लिए वह विवादग्रस्त सम्पत्ति में दावा करता है, वाद संस्थित कर सके गा; किन्तु ऐसे वाद के, यदि कोई हो, परिणाम के अधीन रहते हुए दावे या आक्षेप को ग्रहण करने से इस प्रकार इन्कार करने वाला आदेश निश्चायक होगा ।

59. विक्रय को रोकना- जहां कुर्क की गई सम्पत्ति दावे या आक्षेप के किए जाने से पूर्व विक्रय के लिए विज्ञापित की जा चुकी है वहां न्यायालय-

(क) यदि सम्पत्ति जंगम है तो दावे का आक्षेप न्यायनिर्णयन तक के लिए विक्रय को मुल्तवी करने का आदेश दे सकेगा, या

(ख) यदि सम्पत्ति स्थावर है तो यह आदेश दे सकेगा कि दावे या आक्षेप के न्यायनिर्णयन तक सम्पत्ति का विक्रय नहीं किया जाएगा या ऐसे न्यायनिर्णयन तक सम्पत्ति का विक्रय किया जा सकता है किन्तु विक्रय को पुष्ट नहीं किया जाएगा,

और ऐसा कोई आदेश प्रतिभूति या अन्य बातों के बारे में ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अधीन किया जा सकेगा जो न्यायालय ठीक समझे ।

नियम 60 से 64 निरसित (क्र. अधिनियम 104 सन् 1976 द्वारा)

विक्रय साधारणत:

64. कुर्क की गई सम्पत्ति के विक्रय किए जाने और उसके आगम हकदार व्यक्ति क दिए जाने के लिए आदेश करने की शक्ति- डिक्री का निष्पादन करने वाला कोई भी न्यायालय आदेश कर सकेगा कि उसके द्वारा कुर्क की गई और विक्रय के दायित्व के अधीन किसी भी सम्पत्ति या उसके ऐसे भाग का जो डिक्री की तुष्टि के लिए आवश्यक प्रतीत हो, विक्रय किया जाए और ऐसे विक्रय के आगम या उनका पर्याप्त भाग उस पक्षकार को दे दिया जाए जो डिक्री के अधीन उन्हें पाने का हकदार है ।

उच्च न्यायालय संशोधन

पटना उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- शब्दों "इसके द्वारा कुर्क" के स्थान पर शब्दों "जिसके संबंध में इसने कुर्क का आदेश किया है" को आदेश 21 नियम 66 में किया गया है ।

शब्दों "और विक्रय के दायित्व के अधीन" के स्थान पर "और जो विक्रय के दायित्व के अधीन है" किया गया है ।

65. विक्रय किसके द्वारा संचालित किए जाएं और कैसे किए जाएं- जैसा अन्यथा विहित है उसे छोड़कर, डिक्री के निष्पादन में किया जाने वाला हर विक्रय न्यायालय के अधिकारी द्वारा या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा जिसे न्यायालय इस निमित्त करे, संचालित किया जाएगा और विहित रीति से लोक निलाम द्वारा किया जाएगा ।

उच्च न्यायालय संशोधन

म.प्र. उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- नियम 65 में निम्न को जोड़ा गया-

"ऐसा अधिकारी या व्यक्ति विक्रय पर उच्चतम बोली लगाने वाले को क्रेता के रूप में घोषित करने के लिए सक्षम होगा परन्तु यह कि जहां कि न्यायालीन कक्ष में अथवा उसकी प्रसीमाओं के भीतर विक्रय किया जाता है तो ऐसी घोषणा न्यायालय की अनुमति के बिना की जाएगी ।"

पटना उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- आदेश 21 नियम 68 के उपनियम (2) में इन शब्दों को विलोपित किया गया है-

“डिक्रीदार और निर्णीत ऋणी को सूचना दिए जाने के पश्चात् तैयार की जाएगी ।"

66. लोक नीलाम द्वारा किए जाने वाले विक्रयों की उद्घोषणा- (1) जहां किसी सम्पत्ति का किसी डिक्री के निष्पादन में लोक निलाम द्वारा विक्रय किए जाने का आदेश किया गया है वहां न्यायालय आशयित विक्रय की उद्घोषणा उस न्यायालय की भाषा में कराएगा ।

(2) ऐसी उद्घोषणा डिक्रीदार और निर्णीतऋणी को सूचना दिए जाने के पश्चात् तैयार की जाएगी और उसमें विक्रय का समय और स्थान कथित होगा और निम्नलिखित बातें यथासंभव ऋजुता और यथार्थता से विनिर्दिष्ट होंगी-

(क) वह सम्पत्ति जिसका विक्रय किया जाना है [1][या जहां सम्पत्ति का कोई भाग डिक्री की तुष्टि के लिए पर्याप्त होगा वहां वह भाग];

(ख) जहां वह सम्पत्ति जिसका विक्रय किया जाना है, सरकार को राजस्व देने वाली किसी सम्पदा में या सम्पदा के भाग में कोई हित है वहा उस सम्पदा पर या सम्पदा के भाग पर निर्धारित राजस्व;

(ग) कोई विल्लगम जिसके लिए वह सम्पत्ति दायी हो;

(घ) वह रकम जिसकी वसूली के लिए विक्रय आदिष्ट किया गया है; तथा

(ड.) हर अन्य बात जिसके बारे में न्यायालय का विचार है कि सम्पत्ति की प्रकृति और मूल्य का निर्णय करने के लिए उसकी जानकारी क्रेता के लिए तात्विक है:

[2][परन्तु जहां उद्घोषणा के निबन्धनों को तय करने की तारीख की सूचना नियम 54 के अधीन किसी आदेश के माध्यम से निर्णीतऋणी को दी गई है वहां जब तक कि न्यायालय अन्यथा निदेश न दे निर्णीतऋणी को इस नियम के अधीन सूचना देना आवश्यक नहीं होगा :

परन्तु यह और कि इस नियम की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह न्यायालय

से यह अपेक्षा करती है कि वह विक्रय की उद्घोषणा में सम्पत्ति के मूल्य की बाबत अपने प्राक्कलन प्रविष्ट करें किन्तु उद्घोषणा के अन्तर्गत दोनों पक्षकारों या उनमें से किसी के द्वारा दिया गया प्राक्कलन यदि कोई हो होगा ।

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 72 द्वारा (1-2-1977 से) अन्तःस्थापित किया गया ।
2. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 72 द्वारा (1-2-1977 से) अन्तःस्थापित किया गया |

(3) इस नियम के अधीन विक्रय के आदेश के लिए हर आवेदन के साथ एक ऐसा कथन होगा अभिवचनों के हस्ताक्षर और सत्यापन के लिए इसमें इसके पूर्व विहित रीति से हस्ताक्षरित और सत्यापित किया गया हो और उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट किए जाने के लिए उपनियम (2) द्वारा अपेक्षित बातें उसमें वहां तक अन्तर्विष्ट होंगी जहां तक कि सत्यापन करने वाले व्यक्ति को वे ज्ञात हों या उसके द्वारा अभिनिश्चित की जा सकती हों ।

(4) न्यायालय उन बातों को अभिनिश्चित करने के प्रयोजन से जो उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट की जानी है, किसी भी ऐसे व्यक्ति को समन कर सकेगा जिसे वह समन करना आवश्यक समझे और वैसी किन्हीं बातों के बारे में उसकी परीक्षा कर सकेगा और उससे अपेक्षा कर सकेगा कि वह उससे सम्बन्धित अपने कब्जे या शक्ति में की किसी दस्तावेज को पेश करे ।

'

उच्च न्यायालय संशोधन

म. प्र. उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- नियम 66 में उपनियम (2) मे खंड (ड.) में निम्न शब्दों को जोड़ा गया-

" डिक्री होल्डर के प्राक्कलित अनुमानित बाजारु मूल्य "

67. उद्घोषणा करने की रीति- (1) हर उद्घोषणा जहां तक हो सके ऐसी रीति से की जाएगी और प्रकाशित की जाएगी जो नियम 54 के उपनियम (2) द्वारा विहित है ।

(2) जहां न्यायालय ऐसा निदेश देता है वहां ऐसी उद्घोषणा राजपत्र या स्थानीय समाचार पत्र में भी या दोनों में प्रकाशित का जाएगी और ऐसे प्रकाशन के खर्चे विक्रय के खर्चे समझे जाएंगे |

(3) जहां सम्पत्ति पृथक रूप से विक्रय किए जाने के प्रयोजन से लाटों में विभाजित की गई है वहा पर हर एक लाट के लिए पृथक् उद्घोषणा करना तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि न्यायालय की यह राय न हो कि विक्रय की उचित सूचना अन्यथा नहीं दी जा सकती ।

उच्च न्यायालय संशोधन

पटना उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- नियम 67 (1) के अंत में पूर्णविराम को लुप्त कर निम्नानुसार शब्दों को प्रतिस्थापित करे-

और यदि न्यायालय ऐसा निर्देश करता है तो डिक्रीधारी के आवेदन कुर्की आदेश के साथ - साथ उद्घोषणा की जाए और प्रकाशित की जाए ।

68. विक्रय का समय- नियम 43 के परन्तुक में वर्णित किस्म की सम्पत्ति की दशा में के सिवाय इसके अधीन कोई भी विक्रय निर्णीतऋणी की लिखित सहमति के बिना तब तक न होगा जब तक कि उस तारीख से जिसको उद्‌घोषणा की प्रति विक्रय का आदेश देने वाले न्यायधीश के न्याय - सदन में लगाई गई है गणना करके स्थावर सम्पति की दशा में कम से कम [1][पन्द्रह दिन] का और जंगम सम्पत्ति की दशा में कम से कम [2][सात दिन] का अवसान न हो गया हो ।

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 72 द्वारा (1.2.1977 से) "तीस दिन" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया |
2. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 72 द्वारा (1.2.1977 से) "पन्द्रह दिन" के स्तन पर प्रतिस्थापित किया गया |

69. विक्रय का स्थगन या रोका जाना–(1) न्यायालय इसके अधीन विक्रय को किसी भी विनिर्दिष्ट दिन और घण्टे तक के लिए स्वविवेकानुसार स्थगित कर सकेगा और ऐसे किसी विक्रय का सचालन करने वाला अधिकारी स्थगन के अपने कारणों को लेखबद्‌ध करते हुए विक्रय को स्वविवेकानुसार स्थागित कर सकेगा:

परन्तु जहां विक्रय न्याय-सदन में या उसकी प्रसीमाओं के भीतर किया जाता है वहां ऐसा कोई भी स्थगन न्यायालय की इजाजत के बिना नहीं किया जाएगा ।

(2) जहां विक्रय [1][तीस दिन] से अधिक की अवधि के लिए उपनियम (1) के अधीन स्थगित किया जाता है वहां, तब के सिवाय जब कि निर्णीतऋणी उसका अधित्यजन करने के लिए अपनी सहमति दे दे, नियम 67 के अधीन नई उद्‌घोषणा की जाएगी ।

(3) यदि लाट के लिए बोली के समाप्त होने से पहले ही ऋण और खर्चे (विक्रय के खर्चों के सहित) विक्रय का संचालन करने वाले अधिकारी को निविदत्त कर दिए जाते हैं या उसको समाधानप्रद रुप में यह सबूत दे दिया जाता है कि ऐसे ऋण की रकम और खर्चे उस न्यायालय में जमा करा दिए गए हैं जिसने विक्रय के लिए आदेश दिया था तो ऐसा हर विक्रय रोक दिया जाएगा ।

उच्च न्यायालय संशोधन

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्‌वारा संशोधन- नियम 69 (2) के स्थान पर निम्नानुसार को प्रतिस्थापित करें-

" (2) जहाँ उपनियम (1) के अंतर्गत एक बार विक्रय स्थगित कर दिया गया है, तो 67 नियम 67 के अंतर्गत नवीन उद्‌घोषणा की जाएगी, जब तक कि निर्णीतऋर्णी इसको अधित्यजित करने की सहमति नहीं देता है :

परन्तु यह कि जहाँ मूल तौर पर विक्रय की गई तारीख से 30 दिवसों से अनाधिक अवधि के लिए स्थगन नहीं किया गया है, तो नवीन उदघोषणा आवश्यक नहीं होगी :

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 72 द्‌वारा (1.2.1977 से) " सात दिन " के स्थान पर

प्रतिस्थापित किया गया ।

परन्तु यह भी कि न्यायालय किसी निर्णीतऋर्णी जो कि नियम 66 के अंतर्गत जारी सूचना का उत्तरदेने के लिए उपस्थित होने में विफलता रहा है, की सहमति से अभिमुक्ति भी दे सकेगा ।

पटना उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- आदेश 21 के नियम 69 में उपनियम (2) में निम्न परंतुक जोड़ा गयाहै-

"परंतुक न्यायालय किसी निर्णीत ऋणी की सहमति से जो कार्यवाही में उपस्थित नहीं हुआ है"

70. [कुछ विक्रयों की व्यावृत्ति ।]- सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1956 (1956 का 66) की धारा 14 द्वारा निरसित ।

71. व्यतिक्रम करने वाला क्रेता पुनर्विक्रय में हुई हानि के लिए उत्तरदायी होगा- क्रेता के व्यतिक्रम के कारण होने वाले पुनर्विक्रय में जो कमी कीमत में हो जाए, वह और ऐसे पुनर्विक्रय में हुए सब व्यय उस अधिकारी या अन्य व्यक्ति द्वारा जो विक्रय करता है, न्यायालय [1]*** को प्रमाणित किए जाएंगे और वह व्यतिक्रम करने वाले क्रेता से या तो डिक्रीदार या निर्णीतऋणी की प्रेरणा पर उन उपबन्धों के अधीन वसूलीय होंगे जो धन के संदाय की डिक्री के निष्पादन से सम्बन्धित हैं ।

72. अनुज्ञा के बिना डिक्रीदार सम्पत्ति के लिए न बोली लगायेगा और न उसका क्रय करेगा–(1) जिस डिक्री के निष्पादन में सम्पत्ति का विक्रय किया जाता है उस डिक्री का कोई भी धारक न्यायालय की अभिव्यक्त अनुज्ञा के बिना सम्पत्ति के लिए न तो बोली लगाएगा और न उसका क्रय करेगा ।

(2) जहां डिक्रीदार क्रय करता है वहां डिक्री की रकम संदाय मानी जा सकेगी- जहां डिक्रीदार ऐसी अनुज्ञा से क्रय करता है वहां क्रयधन और डिक्री मद्धे शोध्य राशि, धारा 73 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, एक दूसरे के विरुद्ध गुजरा की जा सकेगी और डिक्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय डिक्री की पूर्णत: या भागत: तुष्टि की प्रविष्टि तदनुसार करेगा ।

(3) जहां डिक्रीदार ऐसी अनुज्ञा के बिना स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से क्रय करता है वहां यदि न्यायालय निर्णीतऋणी के या किसी अन्य व्यक्ति के जिसके हित विक्रय से प्रभावित होते हैं आवेदन पर ऐसा करना ठीक समझे तो वह विक्रय को आदेश द्वारा अपास्त कर सकेगा और ऐसे आवेदन और आदेश के खर्चे और कीमत में की कोई कमी जो पुनर्विक्रय पर हो, और ऐसे पुनर्विक्रय में हुए सभी व्यय डिक्रीदार द्वारा दिए जाएंगे ।

1. 1956 के अधिनियम सं. 66 की धारा 14 द्वारा "या, यथास्थिति, कलेक्टर या कलेक्टर के अधीनस्थ अधिकारी" शब्दो का लोप |

उच्च न्यायालय संशोधन

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- आदेश 21 नियम 72 में निम्न संशोधन किए गए हैं-

(1) उपनियम (1) व (3) को विलोपित कर दिया गया है ।

(2) उपनियम (2) को नियम 72 के रुप में कर दिया है, परंतु इसके शब्दों "ऐसी अनुज्ञा के साथ" को "विक्रीत संपत्ति" कर दिया गया है । [अधिसूचना क्रमांक 4084/35 (क)-3(7) दिनांक 24.7.1926 ।]

पटना उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- (1) उपनियम (1) को निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया गया है-

" (1) कोई डिक्री होल्डर जिसकी संपत्ति निष्पादन में विक्रय की गई है, बोली लगाने से या क्रय करेन से प्रविरत नहीं होगा, जब तक कि इस आशय का व्यक्त आदेश न्यायालय द्वारा पारित न किया गया हो "

(2) उपनियम (2) को संशोधित किया गया है । इसमें शब्दों "ऐसी अनुज्ञा के साथ" को हटाकर इसके स्थान पर शब्द “संपत्ति” किया गया है |

(3) उपनियम (3) को भी प्रतिस्थापित किया गया है-

“(3) उपनियम (1) के अंतर्गत किए आदेश के होते हुए भी जहाँ डिक्री होल्डर स्वयं के लिए संपत्ति क्रय करता है, न्यायालय निर्णीत ऋणी या किसी अन्य व्यक्ति के आवेदन पर जिसके हित विक्रय से प्रभावित हुए हैं, के आवेदन पर आदेश द्वारा विक्रय अपास्त कर सकेगा और ऐसे आवेदन का खर्च और आदेश और मूल्य की कोई कमी जो कि पुनर्विक्रय के कारण हो सकती है और सभी व्ययों जो इसका देखभाल करने में हो न्यायालय के विवेक पर होगा । "

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 72 द्वारा (1-2-1977 से) अन्त: स्थापित किया गया ।

[1]**[72क. बंधकदार द्वारा न्यायालय की इजाजत के बिना विक्रय में बोली का न लगाया जाना-** (1) नियम 72 में किसी बात के होते हुए भी, स्थावर सम्पत्ति का कोई बंधकदार बन्धक पर डिक्री के निष्पादन में विक्रित सम्पत्ति के लिए बोली नहीं लगाएगा या उसे क्रय नहीं करेगा जब तक कि न्यायालय उसे उस सम्पत्ति के लिए बोली लगाने या उसे क्रय करने की इजाजत न दे दे;

(2) यदि ऐसे बन्धकदार को बोली लगाने की इजाजत दी जाती है तो न्यायालय बन्धकदार के सम्बन्ध में कोई आरक्षित कीमत नियत करेगा और जब तक कि न्यायालय अन्यथा निदेश न दे आरक्षित कीमत-

(क) यदि सम्पत्ति का विक्रय एक लाट में किया जाता है तो बंधक के संबंध में मूलधन ब्याज और खर्चे मद्धे उस समय शोध्य रकम से कम नहीं होगी; और

(ख) किसी सम्पत्ति का विक्रय लाटों में किए जाने की दशा में उतनी राशि से कम नहीं होगी जितनी प्रत्येक लाट के सम्बन्ध में न्यायालय को यह प्रतीत हो कि वह बन्धक पर मूल धन ब्याज और खर्चे मद्धे उस समय शाध्य रकम के सम्बन्ध में उस लाट के लिए उचित मानी जा सकती है |

(3) अन्य मामलों में, नियम 72 के उपनियम (2) और (3) के उपबन्ध उस नियम के अधीन डिक्रीदार द्वारा क्रय के सम्बन्ध में लागू होंगे ।

73. अधिकारियों द्वारा बोली लगाने या क्रय करने का निर्बन्धन- कोई भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति जिसे किसी विक्रय के सम्बन्ध में किसी कर्तव्य का पालन करना हो विक्रय की गई सम्पत्ति में के किसी हित के लिए न तो प्रत्य क्ष और न अप्रत्यक्ष रूप से बोली लगाएगा और न उसे अर्जित करेगा और न अर्जित करने का प्रयत्न करेगा |

जंगम सम्पत्ति का विक्रय

74. कृषि उपज का विक्रय- (1) जहां विक्रय की जाने वाली सम्पत्ति कृषि उपज है वहां विक्रय-

(क) यदि ऐसी उपज उगती फसल है तो उस भूमि पर या उसके पास किया जाएगा जिसमें ऐसी फसल उगी है अथवा

(ख) यदि ऐसी उपज काटी जा चुकी है या इकटठी की जा चुकी है तो उस खलिहान पर या अनाज गाहने के स्थान या तदुप स्थान या चारे के ढेर पर या उसके पास जिस पर या जिसमें वह निक्षिप्त की गई है किया जाएगा :

परन्तु यदि न्यायालय की यह राय है कि वैसा करने से उपज का अधिक फायदे पर विक्रय किया जा सकता है तो वह यह निदेश दे सकेगा कि विक्रय लोक समागम के निकटतम स्थान पर किया जाए ।

(2) जहां उपज विक्रय के लिए पुरोधृत किए जाने पर-

(क) विक्रय करने वाले व्यक्ति के अनुमान से उसके लिए ऋजु मूल्य की बोली नहीं लगाई गई है, तथा

(ख) उस उपज का स्वामी या उसकी ओर से कार्य करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति विक्रय को आगामी दिन तक या यदि विक्रय के स्थान पर हाट लगती हो तो अगली हाट के दिन तक के लिए मुल्तवी करने के लिए आवेदन करता है,

वहां विक्रय तदनुसार मुल्तवी कर दिया जाएगा और तत्पश्चात उपज के लिए चाहे कोई भी कीमत लगे विक्रय पूरा कर दिया जाएगा |

75. उगती फसलों के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध- (1) जहां विक्रय की जाने वाली सम्पत्ति उगती फसल है और फसल अपनी प्रकृति से ऐसी है जो भण्डार में रखने के योग्य है किन्तु तब तक भण्डार में नहीं रखी गई है वहां विक्रय का दिन ऐसे नियत किया जाएगा कि उस दिन के आने से पहले वह भण्डार में रखने के योग्य हो जाए और विक्रय तब तक नहीं किया जाएगा जब तक फसल काट नहीं ली गई है या इकटठी नहीं कर ली गई है और भण्डार में रखने के योग्य नहीं हो गई है |

(2) जहां फसल अपनी प्रकृति से ऐसी नहीं है जो भण्डार में रखने के योग्य है वहां उसका काटी जाने और इकदठी की जाने से पहले विक्रय किया जा सकेगा और क्रेता भूमि पर प्रवेश करने और उसकी देखभाल करने और काटने या इकरत करने के प्रयोजन से सभी आवश्यक बातें करने का हकदार होगा ।

उच्च न्यायालय संशोधन

म.प्र. उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- नियम 76 के उपनियम (2) मे आये शब्द " " के उपरांत शब्द "जहां न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि फसल को बिना पकी दशा में अधिक फायदे में विक्रय किया जा सकता है ।"

पटना उच्च न्यायालय वारा संशोधन- अधिसूचना क्रमांक 1 -आर दिनांक 7.1.1936 के द्वारा आदेश 21 नियम 75 निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया गया है-

"75 जहाँ विक्रय की जाने वाली संपत्ति में खड़ी फसल है जो गैर कटी या अपरिपक्व दशा में अधिक लाभ से विक्रय की जा सकती है, इसे बिना फसल के विक्रय किया जाएगा और क्रेता भूमि पर वह सभी करने का अधिकारी होगा जो इसे देने काटने और मरम्मत करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो । अन्य सभी मामलों में विक्रय का दिन ऐसा नियत किया जाएगा कि फसल काटने को विक्रय के पूर्व मान्य किया जा सके ।"

76. परक्राम्य लिखतें और निगमों के अंश- जहां विक्रय की जाने वाली सम्पत्ति परक्राम्य लिखत या निगम-अंश है वहां न्यायालय लोक नीलाम द्वारा विक्रय किए जाने के लिए निदेश देने के बजाय यह प्राधिकृत कर सकेगा कि ऐसी लिखत या अंश का विक्रय किसी दलाल की मार्फत किया जाए ।

77. लोक नीलाम द्वारा विक्रय–(1) जहां जंगम सम्पत्ति को लोक नीलाम द्वारा विक्रय किया जाता है वहां हर एक लाट का मूल्य विक्रय के समय पर संदत्त किया जाएगा या उसके पश्चात् शीघ्र ही ऐसे समय पर संदत्त किया जाएगा जो वह अधिकारी या अन्य व्यक्ति निर्दिष्ट करे जो विक्रय कर रहा है, और संदाय में व्यतिक्रम होने पर सम्पत्ति का तत्क्षण ही फिर विक्रय किया जाएगा ।

(2) क्रयधन का संदाय कर दिए जाने पर उसके लिए रसीद वह अधिकारी या अन्य व्यक्ति देगा जो विक्रय कर रहा है और विक्रय आत्यन्तिक हो जाएगा ।

(3) जहां विक्र य की जाने वाली जंगम सम्पत्ति ऐसे माल में अंश है जो माल निर्णीतऋणी और किसी सह-स्वामी का है, और दो या अधिक व्यक्ति जिनमें से एक ऐसा सह-स्वामी है, क्रमश: ऐसी सम्पत्ति या उसके किसी लाट के लिए एक सी ही राशि की बोली लगाते हैं वह बोली उस सह- स्वामी की बोली समझी जाएगी ।

78 अनियमितता विक्रय को दूषित नहें करेगी किन्तु कोई भी व्यक्ति, जिसे क्षति हुई है, वाद ला सकेगा-- जंगम सम्पत्ति के विक्रय के प्रकाशन या संचालन में की कोई भी अनियमितता विक्रय को दूषित नहीं करेगी किन्तु जिस किसी व्यक्ति को कोई क्षति ऐसी अनियमितता के कारण किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हुई है वह उसके विरुद्ध प्रतिकर के लिए था (यदि वह अन्य व्यक्ति क्रेता है) तो उसी विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के प्रत्युद्धरण के लिए और ऐसे प्रत्युद्धरण में व्यतिक्रम होने पर प्रतिकर के लिए वाद ला सकेगा ।

79. जंगम सम्पति-ऋणी और अंशों का परिदान- (1) जहां विक्रय की गई सम्पत्ति ऐसी जंगम सम्पत्ति है जिसका वास्तविक अभिग्रहणकर लिया गया है वहां वह क्रेता को परिदत्त की जाएगी ।

(2) जहां विक्रय की गई सम्पत्ति निर्णीतऋणी से भिन्न किसी व्यक्ति के कब्जे में की जंगम सम्पत्ति है वहां क्रेता को उसका परिदान कब्जा रखने वाले व्यक्ति को यह प्रतिषेध करने वाली सूचना देकर किया जाएगा कि वह उस पर कब्जा क्रेता के सिवाय किसी अन्य व्यक्ति को न दे ।

(3) जहां विक्रय की गई सम्पत्ति ऐसा ऋण है जो किसी परक्राम्य लिखत द्वारा प्रतिभूत नहीं है या निगम-अंश है वहां उसका परिदान न्यायालय के ऐसे लिखित आदेश द्वारा किया जाएगा जो उस ऋण को या उस मद्धे किसी ब्याज को लेने से लेनदार को और उसका संदाय क्रेता को करने के सिवाय किसी अन्य व्यक्ति को करने से ऋणी को प्रतिषिद्ध करता है या जो उस व्यक्ति को जिसके नाम वह अंश उस समय है, अंश का कोई भी अन्तरण क्रेता को करने के सिवाय किसी अन्य व्यक्ति को करने से या उस मद्धे किसी भी लाभांश या ब्याज का संदाय प्राप्त करने से और उस निगम के प्रबंधक, सचिव या अन्य उचित अधिकारी को ऐसे किसी भी अन्तरण के लिए अनुज्ञा या ऐसा कोई भी संदाय क्रे ता को देने या करने के सिवाय किसी भी अन्य व्यक्ति को देने या करने से प्रतिषिद्ध करता है ।

80. परक्राम्य लिखतों और अंशों का अन्तरण- (1) जहां दस्तावेज का निष्पादन या उस पक्षकार द्वारा पृष्ठांकन जिसके नाम में वह परक्राम्य लिखत या निगम-अंश उस समय है, ऐसी परक्राम्य लिखत के या अंश के अन्तरण के लिए अपेक्षित है वहां न्यायाधीश या ऐसा अधिकारी जिसे वह इस निमित्त नियुक्त करें, ऐसी दस्तावजे का निष्पादन कर सकेगा या ऐसा पृष्ठांकन कर सकेगा जो आवश्यक हो और ऐसे निष्पादन या पृष्ठांकन का वही प्रभाव होगा जो पक्षकार द्वारा किए गए निष्पादन या पृष्ठांकन का होता है

(2) ऐसा निष्पादन या पृष्ठांकन निम्नलिखित प्ररुप में किया जा सकेगा, अर्थात्:-

क ख, के विरुद्ध ङ च द्वारा लाए गए वाद में क ख की ओर से........ न्यायालय का न्यायाधीश (या यथास्थिति ग घ ।

(3) न्यायालय ऐसी परक्राम्य लिखत या ऐसे अंश का अन्तरण होने तक आदेश द्वारा किसी व्यक्ति को इसलिए नियुक्त कर सकेगा कि वह उस पर शोध्य किसी ब्याज या लाभांश को प्राप्त करे और उसके लिए रसीद पर हस्ताक्षर करे और इस प्रकार हस्ताक्षरित कोई भी रसीद सभी प्रयोजनों के लिए ऐसे ही मान्य और प्रभावी होगी मानो स्वयं पक्षकार ने उस पर हस्ताक्षर किए हों ।

81. अन्य सम्पत्ति की दशा में निहित करने वाला आदेश- किसी ऐसी जंगम सम्पत्ति की दशा में जिसके लिए इसमें इसके पूर्व उपबन्ध नहीं किया गया है, न्यायालय ऐसी सम्पत्ति को क्रेता में या जैसा निदेश क्रेता दे उसके अनुसार निहित करने वाला आदेश कर सकेगा और ऐसी सम्पत्ति तदनुसार निहित होगी

स्थावर संपत्ति का विक्रय

82. कौन से न्यायालय विक्रयों के लिए आदेश कर सकेंगे- डिक्रियों का निष्पादन करने में स्थावर सम्पत्ति के विक्रयों के लिए आदेश लधुवाद न्यायालय से भिन्न किसी भी न्यायालय द्वारा किया जा सके गा ।

83. विक्रय का इसलिए मुल्तवी किया जाना कि निर्णीतऋणी डिक्री की रकम जुटा सके- (1) जहां स्थावर सम्पत्ति के विक्रय के लिए आदेश किया जा चुका है वहां यदि निर्णीतऋणी न्यायालय का समाधान कर सके कि यह विश्वास करने के लिए कारण है कि डिक्री का धन ऐसी सम्पत्ति या उसके भाग के, या निर्णीत-ऋणी की किसी अन्य स्थावर सम्पत्ति के, बंधक या पट्टे या प्राइवेट विक्रय द्वारा जुटाया जा सकता है तो उसके आवेदन पर न्यायालय विक्रय के आदेश में समाविष्ट सम्पत्ति के विक्रय को ऐसे निबन्धनों पर और ऐसी अवधि के लिए जो वह उचित समझे, इसलिए मुल्तवी कर सकेगा कि उस रकम को जुटाने में वह समर्थ हो जाए ।

(2) ऐसी दशा में न्यायालय निर्णीतऋणी को ऐसा प्रमाणपत्र देगा जो उसमें वर्णित अवधि के भीतर और धारा 64 में किसी बात के होते हुए भी प्रस्थापित बन्धक, पट्टा या विक्रय करने के लिए उसे प्राधिकृत करता है:

परन्तु ऐसे बन्धक-पड़े या विक्रय के अधीन संदेय सभी धन वहां तक के सिवाय जहां तक कि डिक्रीदार ऐसे धन के नियम 72 के उपबन्धों के अधीन मुजरा करने का हकदार है न्यायालय को दिए जाएंगे, न कि निर्णीतऋणी को:

परन्तु यह और भी कि इस नियम के अधीन कोई भी बन्धक, पट्टा या विक्रय तब तक आत्यन्तिक नहीं होगा जब तक कि वह न्यायालय द्वारा पुष्ट न कर दिया जाए ।

(3) इस नियम की किसी भी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह ऐसी सम्पत्ति के विक्रय को लागू होती है जिसके बारे में ऐसी सम्पत्ति के बन्धक या उस सम्पत्ति पर के भार का प्रवर्तन कराने के लिए विक्रय की डिक्री के निष्पादन में विक्रय किए जाने का निदेश दिया गया है |

84. क्रेता द्वारा निक्षेप और उसके व्यतिक्रम पर पुनर्विक्रय–(1) स्थावर सम्पत्ति के हर विक्रय पर वह व्यक्ति जिसका क्रेता होना घोषित किया गया है, अपने क्रयधन की रकम के पच्चीस प्रतिशत का निक्षेप विक्रय का सचालन करने वाले अधिकारी या अन्य व्यक्ति को ऐसी घोषणा के तुरन्त पश्चात् देगा और ऐसा निक्षेप करने में व्यतिक्रम होने पर उस सम्पत्ति का तत्क्षण फिर विक्रय किया जाएगा ।

(2) जहां डिक्रीदार क्रेता है और क्रयधन को नियम 72 के अधीन मुजरा करने का हकदार है वहां न्यायालय इस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्ति दे सकेगा ।

उच्च न्यायालय संशोधन

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- आदेश 21 नियम 84 के उपनियम (2) मे निम्न और जोड़ा गया है-

"न्यायालय उस मामले में इस नियम की अपेक्षाओं से मुक्ति प्रदान नहीं करेगा जिसमें संपत्तियों के आनुपातिक वितरण का आवेदन हो" । [अधिसूचना क्रमांक 16699-एच दिनांक 17.1.1953 ।)

85. क्रयधन के पूरे संदाय के लिए समय- क्रयधन की संदेय पूरी रकम को क्रेता इसके पूर्व कि सम्पत्ति के विक्रय से पन्द्रहवें दिन न्यायालय बन्द हो, न्यायालय में जमा कर देगा:

परन्तु न्यायालय में ऐसे जमा की जाने वाली रकम की गणना करने में क्रेता किसी भी ऐसे मुजरा

का फायदा उठा सकेगा जिसका वह नियम 72 के अधीन हकदार हो ।

उच्च न्यायालय संशोधन

म.प्र. उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- म.प्र. में आदेश 21 नियम 85 में निम्नानुसार स्पष्टीकरण जोड़ा गया-

"स्पष्टीकरण- जब कोई राशि दिन के 1 बजे के उपरांत दी जाती है परंतु न्यायालय में अगले कार्य दिवस में दिन के 11 बजे से 1 बजे के मध्य भुगतान की जाती है तो भुगतान उस दिनांक को होना माना जाएगा जिस दिवस को भुगतान किया गया था ।"

86. संदाय में व्यतिक्रम होने पर प्रक्रिया---- अन्तिम पूर्ववर्ती नियम में वर्णित अवधि के भीतर संदाय करने में व्यतिक्रम होने पर निक्षेप, यदि न्यायालय ठीक समझे तो विक्रय के व्ययों को काटने के पश्चात् सरकार को समपहत किया जा सकेगा और सम्पत्ति का फिर से विक्रय किया जाएगा और उस सम्पत्ति पर या जिस राशि के लिए उसका तत्पश्चात् विक्रय किया जाए उसके किसी भाग पर व्यतिक्रम करने वाले क्रेता के सभी दावे समप्रहत हो जाएंगे ।

87. पुनर्विक्रय पर अधिसूचना- स्थावर सम्पत्ति का हर पुनर्विक्रय जो क्रयधन का संदाय उस अवधि के भीतर करने में जो ऐसे संदाय के लिए अनुज्ञात है, व्यतिक्रम के कारण होना हो, ऐसी रीति से और ऐसी अवधि के लिए जो विक्रय के लिए इसमें इसके पूर्व विहित की गई है, नई उद्घोषणा निकालने के पश्चात् किया जाएगा ।

88. सह-अंशधारी की बोली को अधिमान प्राप्त होगा- जहां विक्रीत सम्पत्ति अविभक्त स्थावर सम्पत्ति का अंश है, और दो या अधिक व्यक्ति जिनमें से एक ऐसा सह-अंशधारी है, क्रमश: ऐसी सम्पत्ति या उसके किसी लाट के लिए एक सी ही राशि की बोली लगाते है वहां वह बोली उस सह-अंशधारी की बोली समझी जाएगी ।

89. निक्षेप करने पर विक्रय को अपास्त कराने के लिए आवेदन- (1) जहां स्थावर सम्पत्ति का किसी डिक्री के निष्पादन में विक्रय किया गया है [1][वहां विक्रीत सम्पत्ति में विक्रय के समय या आवेदन करने के समय किसी हित का दावा करने वाला अथवा ऐसे व्यक्ति के लिए या उसके हित में कार्य करने वाला कोई व्यक्ति]-

(क) क्रयधन के पांच प्रतिशत के बराबर रकम क्रेता को संदत्त किए जाने के लिए, तथा

(ख) विक्रय की उदघोषणा में ऐसी रकम के रूप में जिसकी वसूली के लिए विक्रय का आदेश दिया गया था, विनिर्दिष्ट रकम उसमें से वह रकम घटाकर जो विक्रय की उद्घोषणा की तारीख से लेकर तब तक डिक्रीदार को प्राप्त हो चुकी है, डिक्रीदार को संदत्त किए जाने के लिए,

न्यायालय में निक्षिप्त करने पर विक्रय को अपास्त कराने के लिए आवेदन कर सकेगा ।

(2) जहां कोई व्यक्ति अपनी स्थावर सम्पत्ति के विक्रय को अपास्त कराने के लिए आवेदन नियम

90 के अधीन करता है वहां, जब तक कि वह अपना आवेदन लौटा न ले, वह इस नियम के अधीन आवेदन देने का या उसको आगे चलाने का हकदार नहीं होगा ।

(3) इस नियम की कोई भी बात निर्णीतऋणी को ऐसे किसी दायित्व से अवमुक्त नहीं करेगी जिसके अधीन वह उन खर्चा और ब्याज के सम्बन्ध में हो जो विक्रय की उद्घोषणा के अन्तर्गत नहीं आते ।

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 72 द्वारा (1.2.1977 से) कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित किया ।

उच्च न्यायालय संशोधन

म.प्र. उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन (16.9.1960)- नियम 89 के उपनियम में आये शब्दो "जहां विक्रीत संपत्ति .... कोई व्यक्ति" के स्थान पर शब्दों "जहां व्यक्ति जो कि निर्णीतऋर्णी से हित हासिल करता है या संपत्ति में हित रखने वाला कोई व्यक्ति" को प्रतिस्थापित किया गया |

पटना उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- उपनियम (1) के पद 1 में शब्दों "किसी हित का दावा करने वाला.............. कोई व्यक्ति" के स्थान पर इन शब्दों को प्रतिस्थापित किया गया-

"निर्णीतऋर्णी अथवा निर्णीतऋर्णी की ओर से हक हासिल करने वाला कोई व्यक्ति अथवा इस नियम के अंतर्गत आवेदन की दिनाँक पर सम्पत्ति में हित रखने वाला कोई व्यक्ति ।"

[1][**90. विक्रय को अनियमितता या कपट के आधार पर अपास्त कराने के लिए आवेदन-** (1) जहां किसी डिक्री के निष्पादन में किसी स्थावर सम्पत्ति क विक्रय किया गया है वहां डिक्रीदार या क्रे ता या ऐसा कोई अन्य व्यक्ति जो आस्तियों के आनुपातिक वितरण में अंश पाने का हकदार है या जिसके हित विक्रय के द्वारा प्रभावित हुए हैं विक्रय को उसके प्रकाशन या संचालन में हुई तात्विक अनियमितता या कपट के आधार पर अपास्त कराने के लिए न्यायालय से आवेदन कर सकेगा ।

(2) उसके प्रकाशन या संचालन में हुई अनियमितता या कपट के आधार पर कोई भी विक्रय तब तक अपास्त नहीं किया जाएगा जब तक साबित किए गए तथ्यों के आधार पर न्यायालय का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी अनियमितता या कपट के कारण आवेदक को सारवान् क्षति हुई है ।

(3) इस नियम के अधीन विक्रय को अपास्त कराने के लिए कोई आवेदन ऐसे किसी आधार पर ग्रहण नहीं किया जाएगा जिसे आवेदक उस तारीख को या उससे पूर्व आधार मान सकता था जिसक कि विक्रय की उद्घोषणा तैयार की गई थी ।

स्पष्टीकरण--- विक्रीत सम्पति की कुर्की का न होना या कुर्की में त्रुटि अपने आप में इस नियम के अधीन किसी विक्रय को अपास्त करने के लिए कोई आधार नहीं होगी ।

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 72 द्वारा (1.2.1977 से) नियम 90 के स्थान पर

प्रतिस्थापित किया ।

उच्च न्यायालय संशोधन

म. प्र. उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन (16.9.1960)- नियम 90 के उपनियम (1) के उपरांत निम्न परंतुक को प्रतिस्थापित किया जाएगा-

" परन्तु यह भी कि विक्रय को अपास्त करने के लिए कोई आवेदन ऐसे किसी आधार पर ग्रहण नहीं किया जाएगा आवेदक द्वारा विक्रय आरंभ होने के पूर्व रखा जा सकता था परन्तु नहीं रखा गया । "

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- आदेश 21 नियम 90 के वर्तमान नियम को उपनियम (1) कर दिया गया और इस उपनियम (1) में निम्न परंतुक जोडा गया-

" परंतु विक्रय अपास्त करने के लिए कोई आवेदन ग्रहण नहीं किया जाएगा-

(क) ऐसे किसी आधार पर जो कि आवेदक द्वारा इस दिनांक पर या उसके पूर्व लिया जा सकता था जबकि विक्रय या उद्घोषणा तैयार की गई थी ।

(ख) जब तक आवेदक विक्रय द्वारा वसूल होने वाली राशि के 12. 5 प्रतिशत से अनाधिक ऐसी राशि जमा नहीं करता है या ऐसी प्रतिभूति नहीं देता है जो न्यायालय उसके विवेक से नियत करता है सिवाय उसके जबकि अभिलिखित कारणों से इस खण्ड की अपेक्षाओं से मुक्ति देता है । "

उपनियम (2) के रुप में निम्न सामग्री जोड़ी गई है-

" (2) जहाँ ऐसा आवेदन निरस्त कर दिया जाता है न्यायालय डिक्री होल्डर या नीलामी क्रेता या दोनों को ऐसे खर्च दिला सकेगा जो यह उचित समझे और ऐसे खर्च खण्ड (ख) के परंतुक में निर्टिष्ट प्रतिभूति यदि कोई हो पर प्रथम प्रभार होंगे । "

[अधिसूचना क्रमांक 43/VIID/29 दिनांक 1.6.1957 ।]

पटना उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- आदेश 21 नियम 90 (1) में निम्न परंतुक जोडा गया है-

" (1) परंतु विक्रय अपास्त करने के लिए कोई आवेदन ग्रहण नहीं किया जाएगा-

(क) [***]

(ख) जब तक आवेदक ऐसे विक्रय से वसूल राशि का 12.5 प्रतिशत से अनाधिक ऐसी राशि जमा नहीं करता है या ऐसी अन्य प्रतिभूति जो कि न्यायालय इसके विवेक से नियत करे जब तक कि न्यायालय अभिलिखित कारणों से जमा से निर्मुक्त नहीं देता है । "

उपनियम (2) के रुप में निम्न अंत : स्थापित किया गया है-

" (2) आवेदन विफल होने की दशा में विपरीत पक्षकार के खर्च (1) और के परंतुक मे निर्दिष्ट जमा पर प्रथम प्रभार होगा"

[अधिसूचना क्रमांक 136 - आर दिनांक 11.9.1941 व 290 - आर दिनांक 20.3.1942 ।]

91. विक्रय का इस आधार पर अपास्त कराने के लिए क्रेता द्वारा आवेदन कि उसमें निर्णीतऋणी का कोई विक्रय हित नहीं था- डिक्री के निष्पादन में ऐसे किसी भी विक्रय में का क्रेता विक्रय को अपास्त कराने के लिए आवेदन न्यायालय से इस आधार पर कर सकेगा कि विक्रय की गई सम्पत्ति में निर्णीतऋणी का कोई विक्रय हित नहीं था ।

92. विक्रय कब आत्यंतिक हो जाएगा या अपास्त कर दिया जाएगा- (1) जहां नियम 89, नियम 90 या नियम 91 के अधीन कोई भी आवेदन नहीं किया गया है या जहां ऐसा आवेदन किया गया है और अननुज्ञात कर दिया गया है वहां न्यायालय विक्रय को पुष्ट करने वाला आदेश करेगा और तब विक्रय आत्यंतिक हो जाएगा :

परंतु जहा किसी सम्पत्ति का ऐसी सम्पत्ति के किसी दावे का अंतिम निपटारा होने तक या उसकी कुर्की के लिए आक्षेप के लंबित रहने तक डिक्री के निष्पादन में विक्रय किया गया है वहा न्यायालय ऐसे विक्रय को ऐसे दावे या आक्षेप के अंतिम निपटारे तक पुष्ट नहीं करेगा ।

(2) जहां ऐसा आवेदन किया गया है और अनुज्ञात कर दिया गया है और जहां नियम 89 के अधीन आवेदन की दशा में वह निक्षेप जो उस नियम द्वारा अपेक्षित है विक्रय की तारीख से [1][साठ दिन] के भीतर कर दिया गया है या उस दशा में जिसमें नियम 89 के अधीन निक्षिप्त रकम निक्षेपकर्ता की ओर से हुई किसी लिपिकीय या गणित संबंधी भूल के कारण कम पाई जाती है और ऐसी कमी इतने समय के भीतर पूरी कर दी जाती है जितना न्यायालय द्वारा नियत किया जाए वहां न्यायालय विक्रय को अपास्त करने वाला आदेश करेगा :

पंरतु जब तक कि आवेदन कीं सूचना उसके द्वारा प्रभावित सभी व्यक्तियों को न दे दी गई हो ऐसा कोई आदेश नहीं किया जाएगा ।

[2][परंतु यह और कि इस उपनियम के अधीन निक्षेप उन सभी मामलों में साठ दिन के भीतर किया जा सकेगा जहा तीस दिन की अवधि जिसके भीतर निक्षेप किया जाना था सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2002 के प्रारभ के पहले समाप्त नहीं हुई है ।

1. 2002 के अधिनियम सं. 22 की धारा 14 द्वारा (1-7-2002 से) "तीस दिन" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
2. 2002 के अधिनियम सं. 22 की धारा 14 द्वारा (1-7-2002 से) अतःस्थापित ।

(3) इस नियम के अधीन किए गए आदेश को अपास्त कराने के लिए कोई भी वाद ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा नहीं लाया जाएगा जिसके विरुद्ध ऐसा आदेश किया गया है ।

(4) जहां कोई अन्य पक्षकार नीलाम-क्रेता के विरुद्ध वाद फाइल करके निर्णीतऋणी के हक को चुनौती देता है वहां डिक्रीदार और निर्णीतऋणी वाद के आवश्यक पक्षकार होंगे ।

(5) यदि उपनियम (4) में निर्दिष्ट वाद की डिक्री दे दी जाती है तो न्यायालय डिक्रीदार को निदेश देगा कि वह नीलाम-क्रेता को धन वापस कर दे और जहां ऐसा आदेश पारित किया जाता है वहां निष्पादन की कार्यवाहियां जिनमें विक्रय किया गया था, उस दशा के सिवाय जिसमें न्यायालय अन्यथा निदेश देता है, उस प्रक्रम पर पुन: प्रवर्तित की जाएंगी जिस पर विक्रय का आदेश किया गया था ।]

उच्च न्यायालय संशोधन

म. प्र. उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन (16.9.1960)- नियम 92 के उपनियम (1) में आये शब्दों

"जहां ऐसा आवेदन किया गया हैं ।" के स्थान पर शब्दों "जहां ऐसा आवेदन नियम 58(2) के प्रावधानों के अध्यधीन किया गया है" को प्रतिस्थापित कीजिए ।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- नियम 92 (1) में आए शब्दों वहाँ न्यायालय .... आदेश करेगा, के मध्य निम्नानुसार को जोडा गया- "नियम 58 (2) के प्रावधानों के अध्यधीन" । (24.7.1926)

पटना उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- नियम 92 (1) में आए शब्दों वहाँ न्यायालय .... आदेश करेगा, के मध्य निम्नानुसार को जोड़ा गया- "नियम 58 (2) के प्रावधानों के अध्यधीन" ।

93. कुछ दशाओं में क्रयधन की वापसी- जहां स्थावर सम्पत्ति का विक्रय नियम 92 के अधीन अपास्त कर दिया जाता है वहा क्रेता अपना क्रयधन ब्याज के सहित या रहित, जैसे भी न्यायालय निदिष्ट करे, वापस पाने का आदेश उस व्यक्ति के विरुद्ध प्राप्त करने का हकदार होगा जिसे क्रयधन दे दिया गया है ।

94. क्रेता को प्रमाणपत्र- जहां स्थावर सम्पत्ति का विक्रय आत्यन्तिक हो गया है वहा न्यायालय विक्रीत सम्पत्ति को और विक्रय के समय जिस व्यक्ति को क्रेता घोषित किया गया है उसके नाम को विनिर्दिष्ट करने वाला प्रमाणपत्र देगा । ऐसे प्रमाणपत्र में उस दिन की तारीख होगी जिस दिन विक्रय आत्यन्तिक हुआ था ।

उच्च न्यायालय संशोधन

म.प्र. उच्च न्यायालय संशोधन (18.9.1960)- नियम 94 को म.प्र. मे निम्न रुप में संशोधित किया गया-

94 क्रे ता को प्रमाण पत्र- जहां स्थावर सम्पत्ति का विक्रय आत्यन्तिक हो गया है वहां न्यायालय विक्रीत सम्पत्ति को और विक्रय के समय जिस व्यक्ति को क्रेता घोषित किया गया है उसके नाम को विनिर्दिष्ट करने वाला प्रमाणपत्र देगा । ऐसे प्रमाणपत्र में उस दिन की तारीख होगी जिस दिन विक्रय आत्यान्तक हुआ था ।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- वर्तमान आदेश 21 नियम 94 को नियम 94 (1) कर दिया गया है ।

उपनियम (2) के रुप में निम्न शामिल किया गया है-

" (2) जहाँ अचल संपत्ति विक्रय के अलावा अन्यथा अंतरित की जाती है अंतरण का एक प्रमाण पत्र न्यायालय द्वारा यह विनिर्दिष्ट करते हुए व्यक्ति का नाम जिसको यह अंतरित की गई और निर्बन्धन जिन पर अंतरण किया गया । ऐसा दस्तावेज दिनांक दिवस जिस पर अंतरण आदेशित किया गया अंकित होगा ।

[अधिसूचना क्रमांक 2/VIId-29; दिनांक 5.1.1960।]

पटना उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- आदेश 21 नियम 94 में शब्दों "विक्रय आत्यंतिक हो गया है" के उपरांत निम्न और जोडा गया है-

"नीलामी क्रेता विक्रय प्रमाण पत्र, मुद्रांक विक्रय पुष्टि से 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत करेगा"

आदेश 21 नियम 94 के अंत में निम्न और जोडा गया है-

"यदि विहित अवधि के भीतर विक्रय प्रमाण पत्र के लिए मुद्रांक प्रस्तुत नहीं किए गए विक्रय, यदि न्यायालय उपयुक्त समझे, अपास्त कर सकेगा" ।

"95. निर्णीतऋणी के अधिभोग में की सम्पत्ति का परिदान- जहां विक्रीत स्थावर सम्पत्ति निर्णीतऋणी के या उसकी ओर से किसी व्यक्ति के या ऐसे हक के अधीन जिसे निर्णीतऋणी ने ऐसी सम्पत्ति की कुर्की हो जाने के पश्चात् सृष्ट किया है, दावा करने वाले किसी व्यक्ति के अधिभोग में है और उसके बारे में प्रमाणपत्र नियम 94 के अधीन दिया गया है वहां न्यायालय क्रेता के आवेदन पर यह आदेश करेगा कि उस सम्पत्ति पर ऐसे क्रेता का या ऐसे किसी व्यक्ति का जिसे क्रेता अपनी ओर से परिदान पाने के लिए नियुक्त करे, कब्जा करा कर और यदि आवश्यक हो तो ऐसे व्यक्ति को हटाकर जो उस सम्पत्ति को रिक्त करने से इंकार करता है, परिदान किया जाए ।

96. अभिधारी के अधिभोग में की सम्पत्ति का परिदान- जहां विक्रीत सम्पत्ति अभिधारी के या उस पर अधिभोग रखने के हकदार अन्य व्यक्ति के अधिभोग में है और उसके सम्बन्ध में प्रमाणपत्र नियम 94 के अधीन दिया गया है वहां न्यायालय क्रेता के आवेदन पर आदेश करेगा कि विक्रय के प्रमाणपत्र की एक प्रति सम्पत्ति के किसी सहजदृश्य स्थान पर लगा कर और किसी सुविधापूर्ण स्थान पर डोंडी पिटवा कर या अन्य रुढिक ढंग से यह बात अधिभोगी को उद्घोषित करके कि निर्णीतऋणी का हित क्रेता को अंतरित हो गया है, परिदान किया जाए ।

आदेश 21 नियम 96क

उच्च न्यायालय संशोधन

इलाहाबाद उच्च न्यायालय संशोधन- निम्नानुसार नियम 96क का अंतःस्थापित करें ।

“96क (1) डिक्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय, इसकी स्वप्रेरणा से अथवा आवेदन पर एवं ऐसे निबंधनों पर जो कि प्रकरण की परिस्थितियों में ठीक व युक्तियुक्त प्रतीत हो सके एवं जो कि अंतरिती को स्वीकार योग्य हों, आदेश करेगा कि उसके द्वारा निर्णीतऋर्णी की कुर्क की गई कोई सम्पत्ति डिक्री होल्डर अथवा डिक्री में पक्षकार न होने वाला अन्य कोई व्यक्ति के पक्ष में, डिक्री अथवा इसके भाग की संतुष्टि के प्रयोजन के लिए, विक्रय के अलावा अन्यथा अंतरित करने का आदेश कर सकेगा ।

(2) इस आदेश के नियम 64 से 103 के प्रावधान इस नियम के अंतर्गत किए गए विक्रय के अलावा अंतरण पर सिवाय उस दशा के जबकि न्यायालय उसके विवेक के तहत उद्घोषणा जारी करने के उपरांत अथवा न्यायालय के अधिकारी द्वारा अंतरण संचालित किए जाने अथवा लोक नीलामी द्वारा अथवा उद्घोषणा जारी होने के उपरांत होने से इसकी आवश्यकता से अभिमुक्ति दे दे, साथ-साथ लागू होंगे । (5.1.1960)

डिक्रीदार या क्रेता क कब्जा परिदत्त किए जाने में प्रतिरोध

97. स्थावर सम्पत्ति पर कब्जा करने में प्रतिरोध या बाधा–(1) जहां स्थावर सम्पत्ति के कब्जे की डिक्री के धारक का या डिक्री के निष्पादन में विक्रय की गई ऐसी किसी सम्पत्ति के क्रेता का ऐसी सम्पत्ति पर कब्जा अभिप्राप्त करने में किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिरोध किया जाता है या उसे बाधा डाली जाती है वहां वह ऐसे प्रतिरोध या बाधा का परिवाद करते हुए आवेदन न्यायालय से कर सकेगा ।

[1][(2) जहां कोई आवेदन उपनियम (1) के अधीन किया जाता है वहा न्यायालय उस आवेदन पर न्यायनिर्णयन इसमें अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार करने के लिए अग्रसर होगा ।

उच्च न्यायालय संशोधन

पटना उच्च न्यायालय संशोधन- नियम 97 में उपनियम (3) के रुप में निम्नानुसार जोडे---

" (3) इस नियम के अंतर्गत आवेदन पर परिसीमा अधिनिमय, 1908 की धारा 6 के प्रावधान प्रयोज्य होंगे 1 "

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 72 द्वारा (1-2-1977 से) उपनियम (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।

[1]**[98. न्यायनिर्णयन के पश्चात् आदेश-** (1) नियम 101 में निर्दिष्ट प्रश्नों के अवधारण पर, न्यायालय ऐसे अवधारण के अनुसार और उपनियम (2) के उपबधों के अधीन रहते हुए,-

(क) आवेदन को मंजूर करते हुए और यह निदेश देते हुए कि आवेदक को सम्पत्ति का कब्जा दे दिया जाए या आवेदन को खारिज करते हुए, आदेश करेगा; या

(ख) ऐसा अन्य आदेश पारित करेगा जो यह मामले की परिस्थितियों में ठीक समझे ।

(2) जहाँ ऐसे अवधारण पर, न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि निर्णीतऋणी उसके उकसाने पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से या किसी अन्तरिती द्वारा, उस दशा में जिसमें ऐसा अन्तरण वाद या निष्पादन की कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान किया गया था, प्रतिरोध किया गया था या बाधा डाली गई थी वहां वह निदेश देगा कि आवेदक को सम्पत्ति पर कब्जा दिलाया जाए और जहां इस पर भी कब्जा अभिप्राप्त करने में आवेदक का प्रतिरोध किया जाता है या उसे बाधा डाली जाती है वहा न्यायालय निर्णीतऋणी को या उसके उकसाने पर या उसकी ओर से कार्य करने वाले व्यक्ति को ऐसी अवधि के लिए, जो तीस दिन तक की हो सकेगी, सिविल कारागार में निरुद्ध किए जाने का आदेश भी आवेदक की प्रेरणा पर दे सकेगा ।

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 72 द्वारा (1-2-1977 से) नियम 98 से 103 के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया |

99. डिक्रीदार या क्रेता द्वारा बेकब्जा किया जाना- (1) जहां निर्णीतऋणी से भिन्न कोई व्यक्ति

स्थावर सम्पत्ति पर कब्जे की डिक्री के धारक द्वारा या जहां ऐसी सम्पत्ति। का डिक्री के निष्पादन में विक्रय किया गया है वहां, उसके क्रेता द्वारा ऐसी सम्पत्ति पर से बेकब्जा कर दिया गया हो वही वह ऐसे बेकब्जा किए जाने का परिवाद करते हुए न्यायालय से आवेदन कर सकेगा ।

(2) जहां ऐसा क ओई आवेदन किया जाता है वहां न्यायालय उस आवेदन पर न्यायनिर्णयन इसमें अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार करने के लिए अग्रसर होगा ।

100. बेकब्जा किए जाने का परिवाद करने वाले आवेदन पर पारित किया जाने वाला आदेश- नियम 101 के निर्दिष्ट प्रश्नों के अवधारण पर, न्यायालय ऐसे अवधारण के अनुसार–

(क) आवेदन को मंजूर करते हुए और यह निदेश देते हुए कि आवेदक को सम्पत्ति का कब्जा दे दिया जाए या आवेदन को खारिज करते हुए, आदेश करेगा या

(ख) ऐसा अन्य आदेश पारित करेगा जो वह मामले की परिस्थितियों में ठीक समझे ।

101. अवधारित किए जाने वाले प्रश्न- नियम 97 या नियम 99 के अधीन किसी आवेदन पर किसी कार्यवाही के पक्षकारों के बीच या उनके प्रतिनिधियों के बीच पैदा होने वाले और आवेदन के न्यायनिर्णयन से सुसंगत सभी प्रश्न (जिनके अन्तर्गत सम्पत्ति में अधिकार, हक या हित से संबंधित प्रश्न भी हैं) आवेदन के संबंध में कार्यवाही करने वाले न्यायालय द्वारा अवधारित किए जाएंगे, न कि पृथक वाद द्वारा और इस प्रयोजन के लिए न्यायालय, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, ऐसे प्रश्नों का विनिश्चय करने की अधिकारिता रखने वाला समझा जाएगा ।

102. वादकालीन अंतरिती को इन नियमों का लागू न होना- नियम 98 और नियम 100 में की कोई भी बात स्थावर सम्पत्ति के कब्जे की डिक्री के निष्पादन में उस व्यक्ति द्वारा किए गए प्रतिरोध या डाली गई बाधा को या किसी व्यक्ति के बेकब्जा किए जाने को लागू नहीं होगी जिसे निर्णीतऋणी ने वह सम्पत्ति उस वाद के जिसमें डिक्री पारित की गई थी, संस्थित किए जाने के पश्चात् अन्तरित की है ।

स्पष्टीकरण- इस नियम में, "अन्तरण" के अन्तर्गत विधि के प्रवर्तन द्वारा अन्तरण भी है ।

103. आदेशों को डिक्री माना जाना- जहां किसी आवेदन पर न्यायनिर्णयन नियम 98 या नियम 100 के अधीन किया गया है वहां उस पर किए गए आदेश का वही बल होगा और वह अपील या अन्य बातों के बारे में वैसी ही शर्तों के अधीन होगा मानो वह डिक्री हो ।]

[1]**[104 नियम 101 या नियम 103 के अधीन आदेश लम्बित वाद के परिणाम के अधीन होगा-** नियम 101 या नियम 103 के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश उस कार्यवाही के जिसमें ऐसा आदेश किया जाता है प्रारम्भ की तारीख को लम्बित किसी वाद के परिणाम के अधीन उस दशा में होगा जिसमें उस वाद में ऐसे पक्षकार द्वारा जिसके विरुद्ध नियम 101 या नियम 103 के अधीन आदे श किया जाता है ऐसा अधिकार स्थापित करना चाहा गया है जिसका कि वह उस सम्पत्ति के वर्तमान कब्जे की बाबत दावा करता है ।

105. आवेदन की सुनवाई- (1) वह न्यायालय जिसके सम क्ष इस आदेश के पूर्वगामी नियमों में से किसी नियम के अधीन कोई लंबित है उसकी सुनवाई के लिए दिन नियत कर सकेगा ।

(2) जहां नियत दिन या किसी अन्य दिन जिस तक सुनवाई स्थगित की जाए मामले की सुनवाई के लिए पुकार होने पर आवेदक उपसंजात नहीं होता है वहां न्यायालय आदेश कर सकेगा कि आवेदन खारिज कर दिया जाए ।

(3) जहां आवेदक उपसंजात होता है और विरोधी पक्षकार जिसको न्यायालय द्वारा सूचना दी गई है, उपसंजात नहीं होता है वहां न्यायालय आवेदन को एकपक्षीय रुप से सुन सकेगा और ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह ठीक समझे ।

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 72 द्वारा (1-2-1977 से) अन्त: स्थापित किया गया ।

स्पष्टीकरण- उपनियम (1) में निर्दिष्ट किसी आवेदन के अन्तर्गत नियम 58 के अधीन किया गया कोई दावा या आक्षेप भी है ।

106. एकपक्षीय रुप से पारित आदेशों, आदि का अपास्त किया जाना– (1) आवेदक जिसके विरुद्ध नियम 105 के उपनियम (2) के अधीन कोई आदेश किया जाता है अथवा विरोधी पक्षकार जिसके विरुद्ध उस नियम के उपनियम (3) के अधीन या नियम 23 के उपनियम (1) के अधीन कोई एकपक्षीय आदेश पारित किया जाता है, उस आदेश को अपास्त करने के लिए न्यायालय से आवेदन कर सकेगा और यदि वह न्यायालय का समाधान कर देता है कि आवेदन की सुनवाई के लिए होने पर उसके उपसंजात न होने के लिए पर्याप्त कारण था तो न्यायालय खर्चों या अन्य बातों के बारे में ऐसे निबन्धनों पर जो वह ठीक समझे, आदेश अपास्त करेगा और आवेदन की आगे सुनवाई के लिए दिन नियत करेगा ।

(2) उपनियम (1) के अधीन आवेदन पर कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक उस आवेदन की सूचना की तामील दूसरे पक्षकार पर न कर दी गई हो ।

(3) उपनियम (1) के अधीन आवेदन की तारीख से तीस दिन के भीतर किया जाएगा या जहां एकपक्षीय आदेश की दशा में की सम्यक् रूप से तामील नहीं हुई थी वहां उस तारीख से जब आवेदक को आदेश की जानकारी हुई थी, तीस दिन के भीतर किया जाएगा ।]

उच्च न्यायालय संशोधन

आदेश 21 नियम 106-क से 140

इलाहाबाद उच्च न्यायालय संशोधन - निम्नानुसार नियम आदेश 21 में जोडें -

"106- A When the certificate prescribed by section 41 is received by the court which sent the decree for execution, it shall cause the necessary details as to the result to be entered in its register of civil suits before the papers are transmitted to the record room.

*106-B. Every attachment of movable property under rule 43, of negotiable instruments under rule 51,

and of immovable property under rule 54, shall be made through a Civil Court Amin, or Bailiff, unless special reasons render it necessary that any other agency should be employed; in which case those reasons shall be stated in the handwriting of the presiding judge himself in the order for attachment.

*106-C When the ptoperty which it is sought to bring to sale is immovable property within the definition of the same contained in the law for the time being in force relating to the registration of documents, the decree holder shall file with his application for an order for sale a certificate from the sub-Registrar with in whose sub-district such property is situated showing that the Sub-Registrar has searched his Book Nos. I and II and their indices for the twelve years preceding the mortgage or attachment, as the case may be, and stating encumbrance, if any, which he has found on the property – (22.7.1918 and 5.6.1937)

107. When an application is made for the sale of land or of any interest in land, the Court shall, before ordering sale therof call upon the parties to state whether such land is or ia not ancestral land within the meaning of Notification No. 1887-1-238-10, dated 7th October, 1911, of the Local Government, and shall fix a date for determining the said question.

On the day so fixed, or on any date to which the enquiry may has been adjouned, the court may take such evidence, by affidavit or otherwise, as it may deem necessary, and may also call for a report from the collector of the District as to whether such land or any protion threr of is ancestral land.

After considering the evidence and the report, if any, the Court shall determine whether such land, or any, and what part of it, is ancestral land.

The result of the enquiry shall be noted in an order made for the purpose by the presiding jugge in his own handwriting.

108. When th property which it is sought to bring to sale is revenue-paying revenue-free land or any interest in suct land, and the decree is not sent to the Collector for execution under section 68, the Court, before ordering sale, shall also call upon the Collector in whose district such property is situate to report whether the property is subject to any (and, if so, to what) outstanding claims on the part of Government.

109. The certificate of the Sub-Registrar and the report of the Collector Shall be open to inspection of the parties or their pleaders, free of charge, between the time of the receipt by the Court and the declaration of the result of the enquiry.

No fees are payable in respect of the report by Collector.

110. the result of the enquiry under rule 66 shall be noted in an order made for the purpose by the presiding Judge in his own handwriting. The Court may, in its discretion, adjourn the inquiry, provided that the reasons for the sdjournment are stated in writing, and that no more adjournment are made than are necessary for the purposes of the enquiry.

111. If after proclamation of the intended sale has been made, any matter is brought to the notice of the Court which it considers material for purchasers to know, the Court shall cause the same to be notified to intending purchasers when the property is put up for sale.

112. The costs of the proceeding under rules 66, 106 and 108 shall be paid in the first instance by the decree-holder, but they shall be charged as part of the costs of the execution, unless the court, for reasons to be specified in writing, shall consider that they shall either wholly or in part be omitted therefrom.

113. Whenever any Civil Court has sold, in execution of a decree or order, any house or other building situated within the limits of a military cantonment or station, it shall, as soon as the sale has been confirmed, forward to the Commanding Officer of such cantonment or station for his information and for record in the Brigade or other proper office, a written notice that such sale has taken place; and such notice shall contain full particulars of the property sold and the name and address of the purchaser – (22.5.1915)

114. Whenever guns or other arms in respect of which licenece have to be taken by purchasers under the

Indians Arms Act (XI of 1878) are sold by public auction in execution of decrees by order of a Civil Court, the Court directing the sale shall give due notice to the Magistrate of the district of the names and addresses of the purchasers, and of the time and place of the intended delivery to the purchasers of such arms, so that proper steps amy be taken by the police to enforce the requirement of the Indian Arms Act.

115. When an application is made for the attachment of livestock or other movable property, the decree-holder shall pay into Court in cash such sum as will cover the costs of the maintenance and custody of the property for fifteen days. If within three clear days before the expity of any such period of fifteen days, the amount of such costs for such further period as the Court may direct be not paid into Court, the Court, on receiving a report thereof from the proper officer, may issue an order for the withdrawal of the attachment and direct by whom the costs of the attachment are to be paid – (22.5.1915)

116. Livestock which has been attached in execution of a decree shall ordinarily be left at the place where the attachment is made either in custody of the judgment-debtor on his furnishing security, or in that of some land-holder or other respectable person willing to undertake the responsibility of its custody and to produce it when required by the Court – (22.5.1915)

117. If the custody of livestock cannot be provided for in the manner described in the last preceding rule, the animals attached shall be removed to the nearest pound established under the Cattle Trespass Act, 1871, and committed to the custody of thepound-keeper, who shall enter in a register- (a) the number and description of the animals; (b) the day and hour on and at which they were committed to his custody; (c) the name of the attaching officer of his suborfinate by whom they were committed to his custody; and shall give such attaching officer or subordinate a copy of the entry – (22.5.1915)

118. For every animal committed to the custody of the pound-keeper as aforesaid, a charge shall be levied as rent for the use of the pound for each fifteen or part of fifteen days during which such custody continues, according to the scale prescribed under section 12 of Act 1 of 1871 – (22.5.1915)

And the sums so levied shall be sent to the Municipal or District Board, or the Notified area, as the case may be under whose jurisdiction the pound is – (21.11.1942)

119. The pound-keeper shall take charge of, feed and water animals attached and committed as aforesaid, until they are withdrawn from his coutody as hereinafter provided and he shall be entitled to be paid for their maintenance at such rates as may be, from time to time, prescribed under proper authority. Such rates shall, for animals specified in the section mentioned in the last preceding rule, not exceed the rates for the time beingfixed under section 5 of the same Act. In any case, for special reasons to be recorded in writing, the Court may require payment to be made for maintenance at higher rates than those prescribed – (22.05.1915)

120. The charges herein authorised for the maintenance of livestock shall be paid to the pound-keeper by the attaching officer for the first fifteen days at the time the animals are committed to his custody, and thereafter for such further period as the court may direct, at the commencement of such period. Payments for such maintenance so made in excess of the sum due for the number of days during which the animals may be in the custody of the pound-keeper shall be refunded by him to the attaching officer-(22.5.1915)

121. Animals attached and committed as aforesaid shall not be released from custody by the pound-keeper except on the written order of the Court, or of the attaching officer, or of the officer appointed to conduct the sale, the person receiving the animals, on their being so released, shall sign a receipt for them in the register mentioned in rule 117- (22.5.1915)

122. For the safe custody of monable property other than livestock, while under attachment, the attaching officer shall, subject to approval by the Court, make such arrangement as may be most convenient and economical- (22.5.1915)

123. With the permission of the Court the attaching officer may place one or more persons in special charge of such property – (22.5.1915)

124. The fee for the services of each such person shall be payable in the manner prescribed in rule 115. It shall not be less than twenty-five naye paise, and shall ordinarily not be more than thirty-seven naye paise per diem. The Court may, at its discretion, allow a higher-fee; but if it dose so, it shall state in writing its reasons for allowing an exceptional rate- (22.5.1915)

125. When the services of such person are no longer required, the attaching officer shall give him a certificate on a counterfoil form of the number of days he has served and of the amount due to him; and on the presentation of such certificate to the Court which ordered the attachment, the amount shall be paid to him in the presence of the presiding judge:

Provided that, where the amount does not exceed Rs. 5, it may be paid to the sahana by money order on requisition by the Amin, and the Presentation of the certificate may be dispensed with- (1. 3.1913)

126. When in consequence of an order of attachment being withdrawn or for some other reason, the person has not been employed or has remained in charge of the property for a shorter time than for which payment has been made in respect of his services, the fee paid shall be refunded in whole or in part, as the case may be- (22.5.1915).

127. Fee paid into Court under the foregoing rules shall be entered inthe Register of Petty Receipts and Repayments-(22.5.1915)

128. When any sum levied under rule 118 is remitted to the Treasury, it shall be accompanied by an order in triplicate (in the form given as Form 9 of the Municipal Account Code), of which on part will be forearded by the Treasury Officials to the District or Municipal Board, as the case may be. A note that the same has been paid into the Treasury as rent for the use of the pound, will be recorded on the extract from the pass book – (22.5.1915)

129. The cost of preparing attached property for sale, or of conveying it to the place where it is to be kept or sold, shall be payable by the decree-holder to the attaching officer. In the event of the decree-holder failing to provide the necessary funds, the attaching officer shall report his default to the Court, and the Court may thereupon issue an order for the withdrawal of the attachment and direct by whom the costs of the attachment are to be paid – (22.5.1915)

130. Nothing in these rules shall be deemed to prevent the Court form issuing and serving on the judgment-debtor simultaneously the notices required by Order 21, rules 22, 66 and 107- (24.3.1923)

Garnishee Order

131. The Court may, in the case of any debt due to the judgment-debtor (other than a debt secured by a mortgage or a charge or a negotiable instrument, or a debt recoverable only in a Revenue Court), or any movable property not in the possession of the judgment-debtor, which has been attached under rule 46 of this Order, issue a notice to anyperson (hereinafter called the garnishee) liable to pay such debt, or to deliver or account for such movable property calling upon hi to appear before the Court and show cause way he should not pay or deliver into Court the debt due from or the property deliverable by him to such judgment-debtor, or so much thereof as may be sufficient to satisfy the decree and the cost of the execution- (24.7.1926 and 30.04.1949)

(For form of notice under this rule see infra)

The following form shall be used under the provision of rule 131 of order 21 :-

Suit No .... of 19 ....

.... Plaintiff

versus

....Defendant

To

Wheras it is alleged that a debt of Rs .... is due from you to .... the judgment-debtor:

Or that you are liable to deliver to the above-named judgment-debto, the property set forth in the Schedule hereto attached; take notice that you are hereby required on or before the day of .... 19........ to pay into this Court the said sum of Rs..............

Or to deliver, or account to the Amin of this Court for the movable property detailed in the attached Schedule or otherwise to appear in person or by advocate, vakil oa authorise agent in this Court at 10.30 in the forenoon of the day aforesaid and show cause to the coutrary, in default whether and order for the payment of the said sum, or for the delivery of the said property may be passed against you.

Dated this .... day of .... 19 ....

Munsiff/subordinate Judge,
at...................

132. If the garnishee dose not forthwith oe within such time as the Court amy allow, pay or deliver into Court the amount due from or the property deliverable by him to the judgment-debtor, or so much as may be sufficient to satisfy the decree and the cost of execution, and does not dispute his liability to pay such debt or deliver such movable property, or if he does not appear in answer to the notice, then the Court may order the garnishee ro comply with the terms of such notice and on such order execution may issue as though such order were a decree against him- (24.7.1926)

133. If the garnishee disputes his liability the Court, instead of making such order, may order that nay issue or question necessary for determining his liability be tried as though it were an issue in a suit; and upon determination of such issue shall pass such order as shall be just –(24.7.1926)

134. Whenever in any proceeding under these rules it is alleged, or apperrs to the Court to be probable, that the debt or property attached belongs to some third person or that any third has a lien or charge upon, or an interest in it, the Court may order such third person to appear and state the nature of his claim, if any upon such debt or property and prove the same, if necessary- (24.7.1926)

135. After tearing such third person, and any other person, who may subsequently be orered to appear, or in the case of such third or other person not appearing when ordered, the Court may pass such order as is hereinbefore provided or make such other order as it shall think fit, upon such terms in all cases with respect to the lien, charge or interest, if any of such third or other person as to such Court shall seem just and reasonable- (24.7.1926)

136. Payment or delivery made by the garnishee whether in execution of an order under these rules or otherwise shall be a valid discharge to him as against the judgment-debtor, or any othe person ordered to appear as aforesaid, for the amount paid, delivered or realised although such order or the judgment may be set aside or reversed- (24.7.1926)

137. Debts owing from a firm carrying on business within the jurisdicition of the Court may be attached under these rules, although one or more members of such firm may be resident out of the jurisdiction :

Provided that any person having the control or management of the partnership businee or any member of the firm within the jurisdiction is served with the garnishee order. An appearance by any member pursuant to an order shall be sufficient appearance by the firm –(24.7.1926)

138. The cost of any application under these rules, and of any proceedings arising therefrom or

incidental thereto, or any order made thereon, shall be in the discretion of the Court- (24.7,1926)

139. (1) Where thw liability of any garnishee has been tried and dertermined under these rules, the order shall have the same force and be subject to the same conditions as to appeal or otherwise as if it were a decree.

(2) Orders not covered by clause (1) shall be appealable as orders made in execution.

Illustration – An application for a dgarnishee order is dismissed either on the ground that the debt is secured by a charge of that there is no Prima Facie evidence of debt due. This order is appealable as an order in execution –(24.7.1926)

140. All the rules in this Code relating to service upon either plaintiffs or defendants at the address filed or subsequently altered under Order 7 or Order 8, shall apply to all proceedings taken under order 21, or section 47." – (24.7.1926)

The Following form shall be used the provision of rule 131 of Order 21:

Suit No ……………………….. of 19 …………………………..

…………………………………………………………………. Plaintiff

Versus

…………………………………………………………………... Defendant

Whereas it is alleged that a debt of Rs……. Is due from you to ……….. the judgment-debtor:

Or that you are liable to deliver to the above mentioned judgment-debtor the property set forth in the Schedule hereto attached:

Take notice that your are hereby required on or before the ………… day of …..... 19 ..…… to pay into this Court the said sum of Rs ……… or to deliver, or account to the Amin of this Court for the movable property detailed in the attached schedule, or otherwise to appear in person or by sdvocate, vakil or authorised agent in this Court at 10.30 in the forenoon of the day aforesaid and show cause to the coutrary, in default whereof an order for the payment of the said sum, or for the delivery of the said property may be passed against you.

Dated this ……………. Day of ……19 ……………..

Munsiff/sub-judge
at ……………

(24.7.1926)

आदेश 22

पक्षकारों की मृत्यु, उनका विवाह और दिवाला

1. यदि वाद लाने का अधिकार बचा रहता है तो पक्षकार की मृत्यु से उसका उपशमन नहीं हो जाता-- यदि वाद लाने का अधिकार बचा रहता है तो वादी या प्रतिवादी की मृत्यु से वाद का उपशमन नहीं होगा ।

उच्च न्यायालय संशोधन

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- नियम 1 के अंत में निम्न जोडे-

" अथवा प्रारंभिक डिक्री पारित होने के उपरांत मूल न्यायालय में की गई कार्यवाही को जहाँ कि वाद

की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अंतिम डिक्री पारित करना भी अपेक्षित है । "

2. जहां कई वादियों या प्रतिवादियों मे से एक की मृत्यु हो जाती है और वाद लाने का अधिकार बचा रहता है वहां प्रक्रिया- जहां एक से अधिक वादी या प्रतिवादी है और उनमें से किसी की मृत्यु हो जाती है और जहा वाद लाने का अधिकार अकेले उत्तरजीवी वादी या वादियों को या अकेले उत्तरजीवी प्रतिवादी या प्रतिवादियों के विरुद्‌ध बचा रहता है वहां न्यायालय अभिलेख में उस भाग की एक प्रविष्टि कराएगा और वाद उत्तरजीवी वादी या वादियों की प्रेरणा पर या उत्तरजीवी प्रतिवादी या प्रतिवादियों के विरुद्‌ध आगे चलेगा ।

3. कई वादियों में से एक या एकमात्र वादी की मृत्यु की दशा में प्रक्रिया–(1) जहां दो या अधिक वादियों में से एक की मृत्यु हो जाती है और वाद लाने का अधिकार अकेले उत्तरजीवी वादी को या अकेले उत्तरजीवी वादियों को बचा नहीं रहता है, या एकमात्र वादी या एकमात्र उत्तरजीवी वादी की मृत्यु हो जाती है, और वाद लाने का अधिकार बचा रहता है वहा इस निमित्त आवेदन किए जाने पर न्यायालय मृत वादी के विधिक प्रतिनिधि को पक्षकार बनवाएगा और वाद में अग्रसर होगा ।

(2) जहां विधि द्‌वारा परिसीमित समय के भीतर कोई आवेदन उपनियम (1) के अधीन नहीं किया जाता है वहा वाद का उपशमन वहां तक हो जाएगा जहां तक मृत वादी का सबंध है और प्रतिवादी के आवेदन पर न्यायालय उन खर्चो को उसके पक्ष में अधिनिर्णीत कर सकेगा जो उसने वाद की प्रतिरक्षा में उपगत किए हों और वे मृत वादी की सम्पदा से वसूल किए जाएंगे ।

4. कई प्रतिवादियों में से एक या एकमात्र प्रतिवादी की मृत्यु की दशा में प्रक्रिया–(1) जहां दो या अधिक प्रतिवादियों में से एक की मृत्यु हो जाती है और वाद लाने का अधिकार अकेले उत्तरजीवी प्रतिवादी के या अकेले उत्तरजीवी प्रतिवादियों के विरुद्‌ध बचा नहीं रहता है या एकमात्र प्रतिवादी या एकमात्र उत्तरजीवी प्रतिवादी की मृत्यु हो जाती है और वाद लाने का अधिकार बचा रहता है वहा उस निमित्त किए गए आवेदन पर न्यायालय मृत प्रतिवादी के विधिक प्रतिनिधि को प क्षकार बनवाएगा और वाद में अग्रसर होगा ।

(2) इस प्रकार पक्षकार बनाया गया कोई भी व्यक्ति जो मृत प्रतिवादी के विधिक प्रतिनिधि के नाते अपनी हैसियत के लिए समुचित प्रतिरक्षा कर सकेगा ।

(3) जहां विधि द्‌वारा परिसीमित समय के भीतर कोई आवेदन उपनियम (1) के अधीन नहीं किया जाता है वहां वाद का जहां तक वह मृत प्रतिवादी के विरुद्‌ध है उपशमन हो जाएगा ।

[1][(4) जब कभी वह ठीक समझे, वादी को किसी ऐसे प्रतिवादी के जो लिखित कथन फाइल करने में असफल रहा है या जो उसे फाइल कर देने पर सुनवाई के समय उपसंजात होने में और प्रतिवाद करने में असफल रहा है विधिक प्रतिनिधि को प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता से छूट दे सकेगा और ऐसे मामले में निर्णय उक्त प्रतिवादी के विरुद्‌ध उस प्रतिवादी की मृत्यु हो जाने पर भी सुनाया जा सकेगा और उसका वही बल और प्रभाव होगा मानो वह मृत्यु होने के पूर्व सुनाया गया हो ।

(5) जहां-

(क) वादी, प्रतिवादी की मृत्यु से अनभिज्ञ था और उस कारण से वह इस नियम के अधीन प्रतिवादी

के विधिक प्रतिनिधि का प्रतिस्थापन करने के लिए आवेदन परिसीमा अधिनियम, 1963 (1963 का 36) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं कर सकता था और जिसके परिणामस्वरूप वाद का उपशमन हो गया है; और

(ख) वादी, परिसीमा अधिनिमय, 1963 (1963 का 36) में इसके लिए विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान के प श्चात् उपशमन अपास्त करने के लिए आवेदन करता है और उस अधिनियम की धारा 5 के अधीन उस आवेदन को इस आधार पर ग्रहण किए जाने के लिए भी आवेदन करता है कि ऐसी अनभिज्ञता के कारण उक्त अधिनियम में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उसके आवेदन न करने के लिए उसके पास पर्याप्त कारण था,

वहां न्यायालय उक्त धारा 5 के अधीन आवेदन पर विचार करते समय ऐसी अनभिज्ञता के तथ्य पर यदि साबित हो जाता है तो सम्यक् ध्यान देगा ।]

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 73 द्वारा (1-2-1977 से) अन्त : स्थापित किया गया ।

[1][**4क. विधिक प्रतिनिधि न होने की दशा में प्रक्रिया–**(1) यदि किसी वाद में न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि ऐसे किसी पक्षकार का जिसकी मृत्यु वाद के लंबित रहने के दौरान ही गई है कोई विधिक प्रतिनिधि नहीं है तो न्यायालय वाद के किसी पक्षकार के आवेदन पर, मृत व्यक्ति की सम्पदा का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति की अनुपस्थिति में कार्यवाही कर सकेगा या आदेश द्वारा महाप्रशासक या न्यायालय के किसी अधिकारी या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को जिसको वह मृत व्यक्ति की सम्पदा का प्रतिनिधित्व करने के लिए ठीक समझता है वाद के प्रयोजन के लिए नियुक्त कर सकेगा और वाद में तत्पश्चात् दिया गया कोई निर्णय या किया गया कोई आदेश मृत व्यक्ति की सम्पदा को उसी सीमा तक आबद्ध क रेगा जितना कि वह तब करता जब मृत व्यक्ति का निजी प्रतिनिधि वाद में पक्षकार रहा होता ।

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 73 द्वारा (1-2-1977 से) अन्त: स्थापित किया गया ।

(2) न्यायालय इस अधिनियम के अधीन आदेश करने के पूर्व,-

(क) यह अपेक्षा कर सकेगा कि मृत व्यक्ति की सम्पदा में हित रखने वाले ऐसे व्यक्तियों को (यदि कोई हो) जिनको न्यायालय ठीक समझता है, आदेश के लिए आवेदन की सूचना दी जाए;

(ख) यह अभिनिश्चित करेगा कि जिस व्यक्ति को मृत व्यक्ति की सम्पदा का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया जाना प्रस्थापित है, वह इस प्रकार नियुक्त किए जाने के लिए रजामंद है और वह मृत व्यक्ति के हित के प्रतिकूल कोई हित नहीं रखता है ।]

5. विधिक प्रतिनिधि के बारे में प्रश्न का अवधारण- जहां इस सम्बन्ध में प्रश्न उदभूत होता है कि कोई व्यक्ति मृत वादी या मृत प्रतिवादी का विधिक प्रतिनिधि है या नहीं वहां ऐसे प्रश्न का अवधारण न्यायालय द्वारा किया जाएगा:

[1][परन्तु जहां ऐसा प्रश्न अपील न्यालय के समक्ष उद्भूत होता है वहां वह न्यायालय प्रश्न का अवधारण करने के पूर्व किसी अधीनस्थ न्यायालय को यह निदेश दे सकेगा कि वह उस प्रश्न का विचारण करे और अभिलेखों को, जो ऐसे विचारण के समय अभिलिखित किए गए साक्ष्य के, यदि कोई हो, अपने निष्कर्ष के और उसके कारणों के साथ वापस करे, और अपील न्यायालय उस प्रश्न का अवधारण करने में उन्हें ध्यान में रख सकेगा ।

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 73 द्वारा (1-2-1977 से अन्त: स्थापित किया गया ।

6. सुनवाई के पश्चात् मृत्यु हो जाने से उपशमन न होना- पूर्वगामी नियमों में किसी बात के होते हुए भी, चाहे वाद हेतुक बचा हो या न बचा हो, सुनवाई की समाप्ति और निर्णय के सुनाने के बीच वाले समय में किसी भी पक्षकार की मृत्यु के कारण कोई भी उपशमन नहीं होगा, किन्तु ऐसी दशा में मृत्यु हो जाने पर भी, निर्णय सुनाया जा सकेगा और उसका वही बल और प्रभाव होगा मानो वह मृत्यु होने के पूर्व सुनाया गया हो ।

7. स्त्री पक्षकार के विवाह के कारण वाद का उपशमन न होना- (1) स्त्री वादी या स्त्री प्रतिवादी का विवाह वाद क उपशमन नहीं करेगा, किन्तु ऐसा हो जाने पर भी वाद निर्णय तक अग्रसर किया जा सकेगा और जहां स्त्री प्रतिवादी के विरुद्ध डिक्री है वहां वह उस अकेली के विरुद्ध निष्पादित की जा सकेगी ।

(2) जहां पति अपनी पत्नी के ऋणों के लिए विधि द्वारा दायी है वहा डिक्री न्यायालय की अनुज्ञा से पति के विरुद्ध भी निष्पादित की जा सकेगी और पत्नी के पक्ष में हुए निर्णय की दशा में डिक्री का निष्पादन उस दशा में जिसमें कि पति डिक्री की विषयवस्तु के लिए विधि द्वारा हकदार है, ऐसी अनुज्ञा से पति के आवेदन पर किया जा सकेगा ।

8. वादी का दिवाला कब वाद का वर्जन कर देता है- (1) किसी ऐसे वाद में जिसे समनुदेशिती या रिसीवर वादी के लेनदारों के फायदे के लिए चला सकता है, वाद का उपशमन वादी के दिवाले से उस दशा में के सिवाय नहीं होगा जिसमें कि ऐसा समनुदेशिती या रिसीवर ऐसे वाद को चालू रखने से इंकार कर दे या (जब तक कि न्यायालय किसी विशेष कारण से अन्यथा निदिष्ट न करे) उस वाद के खर्चों के लिए प्रतिभूति ऐसे समय के भीतर जो न्यायालय निदिष्ट करे, देने से इंकार कर दे ।

(2) जहां समनुदेशिती वाद चालू रखने या प्रतिभूति देने में असफल रहता है वहां प्रक्रिया- जहां समनुदेशिती या रिसीवर वाद चालू रखने और ऐसे आदिष्ट समय के भीतर ऐसी प्रतिभूति देने की उपेक्षा करता है या देने से इंकार करता है वहां प्रतिवादी वाद को वादी के दिवाले के आधार पर खारिज कराने के लिए आवेदन कर सकेगा और न्यायालय वाद को खारिज करने वाला और प्रतिवादी को वे खर्चे जिन्हें उसने अपनी प्रतिरक्षा करने में उपगत किया है, अधिनिर्णीत करने वाला आदेश कर सकेगा और ये खर्चे ऋण के तौर पर वादी सम्पदा के विरुद्ध साबित किए जाएंगे ।

9. उपशमन या खारिज होने का प्रभाव–(1) जहां वाद का इस आदेश के अधीन उपशमन हो जाता है या वह खारिज किया जाता है वहां कोई भी नया वाद, उसी वाद हेतुक पर नहीं लाया जाएगा ।

(2) वादी या मृत वादी का विधिक प्रतिनिधि होने का दावा करने वाला व्यक्ति या दिवालिया वादी की दशा में उसका समनुदेशिती या रिसीवर, उपशमन या खारिजी अपास्त करने वाले आदेश के लिए आवेदन कर सकेगा और यदि यह साबित कर दिया जाता है कि वाद चालू रखने से वह किसी पर्याप्त हेतुक से निवारित रहा था तो न्यायालय खर्चे के बारे में ऐसे निबन्धनों पर या अन्यथा जो वह ठीक समझे, उपशमन या खारिजी अपास्त करेगा ।

(3) [1][इन्डियन लिमिटेशन ऐक्ट, 1877 (1877 का 15) की धारा 5 के उपबन्ध उपनियम (2) के अधीन आवेदनों को लागू होंगे ।

[2]**[स्पष्टीकरण-** इस नियम की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी पश्चात्वर्ती वाद में ऐसे तथ्यों पर आधारित प्रतिरक्षा का वर्जन करती है जो उस वाद में वाद हेतुक बनते थे जिसका इस आदेश के अधीन उपशमन हो गया है या जो खारिज कर दिया गया है ।

1. अब परिसीमा अधिनियम, 1963(1963 का 36) की धारा 4 और 5 देखिए ।
2. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 73 द्वारा (1-2-1977 से) अन्तःस्थापित किया गया ।

10. वाद में अन्तिम आदेश होने के पूर्व समनुदेशन की दशा में प्रक्रिया–(1) वाद के लंबित रहने को दौरान किसी हित के समनुदेशन-सृजन या न्यागमन की अन्य दशाओं में, वाद न्यायालय की इजाजत से उस व्यक्ति द्वारा या उसके विरुद्ध चालू रखा जा सकेगा जिसको ऐसा हित प्राप्त या न्यागत हुआ है ।

(2) किसी डिक्री की अपील के लम्बित रहने के दौरान उस डिक्री की कुर्की के बारे में यह समझा जाएगा कि वह ऐसा हित है जिससे वह व्यक्ति जिसने ऐसी कु र्की कराई थी, उपनियम (1) का फायदा उठाने का हकदार हो गया है ।

[1]**[(10क. न्यायालय को किसी पक्षकार की मृत्यु संसूचित करने के लिए प्लीडर का कर्तव्य---** वाद में पक्षकार की ओर से उपसंजात होने वाले प्लीडर को जब कभी यह जानकारी प्राप्त हो कि उस पक्षकार की मृत्यु हो गई है तो वह न्यायालय को इसकी इत्तिला देगा और तब न्यायालय ऐसी मृत्यु की सूचना दूसरे पक्षकार को देगा और इस प्रयोजन के लिए प्लीडर और मृत पक्षकार के बीच हुई संविदा अस्तित्व में मानी जाएगी ।

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 73 द्वारा (1-2-1977 से) अन्तःस्थापित किया गया ।

11. आदेश का अपीलों को लागू होना- इस आदेश को अपीलों को लागू करने में जहां तक हो सके, "वादी" शब्द के, अन्तर्गत अपीलार्थी, "प्रतिवादी" शब्द के अन्तर्गत प्रत्यर्थी और "वाद" शब्द के अंतर्गत अपील समझी जाएगी ।

12. आदेश का कार्यवाहियों को लागू होना- नियम 3 नियम 4 और नियम 8 की कोई भी बात किसी डिक्री या आदेश के निष्पादन की कार्यवाहियों को लागू नहीं होगी ।

उच्च न्यायालयसंशोधन

इलाहाबाद उन्न्व न्यायालय संशोधन (7.2.1931)- नियम 12 के अंत में निम्न और जोडा गया है-

"अथवा प्रारंभिक डिक्री पारित होने के उपरांत मूल न्यायालय में की गयी कार्यवाही के लिए जहां कि वाद की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अंतिम डिक्री पारित किये जाना भी अपेक्षित है ।"

आदेश 23

वादों का प्रत्याहरण और समायोजन

[1]**[1. वाद का प्रत्याहरण या दावे के भाग का परित्याग-** (1) वाद संस्थित किए जाने के पश्चात् किसी भी समय वादी सभी प्रतिवादियों या उनमें से किसी के विरुद्ध अपने वाद का परित्याग या अपने दावे के भाग का परित्याग कर सकेगा :

परन्तु जहां वादी अवयस्क है या ऐसा व्यक्ति है जिसे आदेश 32 के नियम 1 से नियम 14 तक के उपबन्ध लागू होते है वहां न्यायालय की इजाजत बिना न तो वाद का और न दावे के किसी भाग का परित्याग किया जाएगा ।

(2) उपनियम (1) के परन्तुक के अधीन इजाजत के लिए आवेदन के साथ वाद-मित्र का शपथपत्र देना होगा और यदि अवयस्क या ऐसे अन्य व्यक्ति का प्रतिनिधित्व प्लीडर द्वारा दिया जाता है तो प्लीडर को इस आशय का प्रमाणपत्र भी देना होगा कि प्रस्थापित परित्याग उसकी राय में अवयस्क या ऐसे अन्य व्यक्ति के फायदे के लिए है ।

(3) जहां न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि-

(क) वाद किसी प्ररूपिक त्रुटि के कारण विफल हो जाएगा, अथवा

(ख) वाद की विषय-वस्तु या दावे के भाग के लिए नया वाद संस्थित करने के लिए वादी अनुज्ञात करने पर्याप्त आधार है,

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 74 द्वारा (1-2-1977 से) नियम 1 के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया |

वहां वह ऐसे निबन्धनों पर जिन्हें वह ठीक समझे, वादी को ऐसे वाद की विषय-वस्तु या दावे के ऐसे भाग के सम्बन्ध में नया वाद संस्थित करने की स्वतत्रता रखते हुए ऐसे वाद से या दावे के ऐसे भाग से अपने प्रत्याहृत करने की अनुज्ञा दे सकेगा ।

(4) जहां वादी,-

(क) उपनियम (1) के अधीन किसी वाद का या दावे के भाग का परित्याग करता है, अथवा

(ख) उपनियम (3) में निर्दिष्ट अनुज्ञा के बिना वाद से या दावे के भाग से प्रत्याहृत कर लेता है,

वहां वह ऐसे खर्चे के लिए दायी होगा जो न्यायालय अधिनिर्णीत करे और वह ऐसी विषय-वस्तु या दावे के ऐसे भाग के बारे में कोई नया वाद संस्थित करने से प्रवारित होगा ।

(5) इस नियम की किसी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह न्यायालय को अनेक वादियों में से एक वाद को उपनियम (1) के अधीन वाद या दावे के किसी भाग का परित्याग करने या किसी वाद या दावे का अन्य वादियों की सहमति के बिना उपनियम (3) के अधीन प्रत्याहरण करने की अनुज्ञा देने के लिए प्राधिकृत करती है ।

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 74 द्वारा (1-2-1977 से) अन्त स्थापित किया गया ।

[1]**[1क. प्रतिवादियों का वादियों के रुप में पक्षान्तरण करने की अनुज्ञा कब दी जाएगी-** जहां नियम 1 के अधीन वादी द्वारा वाद का प्रत्याहरण या परित्याग किया जाता है और प्रतिवादी आदेश 1 के नियम 10 से अधीन वादी के रूप में पक्षान्तरित किए जाने के लिए आवेदन करता है वहां न्यायालय, ऐसे आवेदन पर विचार करते समय इस प्रश्न पर सम्यक् ध्यान देगा कि क्या आवेदन का कोई ऐसा सारवान् प्रश्न है जो अन्य प्रतिवादियों में से किसी के विरूध विनिश्चय किया जाना है ।

2. परिसीमा विधि पर पहले वाद का प्रभाव नही पडेगा - अन्तिम पूर्ववर्ती नियम के अधीन दी गई अनुज्ञा पर संस्थित किसी भी नए वाद में वादी परिसीमा विधि द्वारा उसी रीति से आवद्ध होगा मानो प्रथम वाद संस्थित नही किया गया हो ।

3. वाद में समझौता - जहां न्यायालय को समाधानप्रद रूप में यह साबित कर दिया जाता है कि वाद [1][पक्षकारो द्वारा निखित और हस्ताक्षरित किसी विधिपूर्ण करार या समझौते के द्वारा] पूर्णत: या भागत: समायोजित किया जा चुका है या जहां प्रतिवादी वाद की पूरी विषय-वस्तु के या उसके किसी भाग के संबंध में वादी की तुष्टि कर देता है वहां न्यायालय ऐसे करार, समझौते या तुष्टि के अभिलिखित किए जाने का आदेश करेगा और [2][जहां तक कि वह वाद के पक्षकारों से संबंधित है, चाहे कराररु समझौते या तुष्टि की विषय-वस्तु वही हो या न हो जो कि वाद की विषय-वस्तु वहां तक तदनुसार डिक्री पारित करेगा:]

[3][परन्तु जहां एक पक्षकार द्वारा यह अभिकथन किया जाता है और दूसरे पक्षकार द्वारा यह इन्कार किया जाता है कि कोई समायोजन या तुष्टि तय हुई थी वहां न्यायालय इस प्रश्न का विनिश्चय करेगा, किन्तु इस प्रश्न के विनिश्चय के प्रयोजन के लिए किसी स्थगत की मंजूरी तब तक नहीं दी जाएगी तब तक कि न्यायालय, ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, ऐसा स्थगनमंजूर करना ठीक न समझे ।]

[4][**स्पष्टीकरण-** कोई ऐसा करार या समझौता जो भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (1872 का 9) के अधीन शून्य या शून्यकरणीय है, इस नियम के अर्थ में विधिपूर्ण नहीं समझा जाएगा ।]

उच्च न्यायालय संशोधन

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन (31.8.1974) - नियम 3 में शब्द ''और'' व ''हस्ताक्षरित'' के मध्य शब्द ''सम्यक रूप से'' शब्दों को अन्त: स्थापित गया है ।

''तुष्टि करता है'' व ''वहां न्यायालय'' शब्दों के बीच ''और वादी द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित लिखित में लिखत प्राप्त करता है'' शब्दों को अतं: स्थापित किया जाए ।

(2)नियम 3 के अंत में निम्नानुसार जोडा जाए -

''परन्तु यह कि इस नियम के प्रावधान आदेश 34 नियम 3, 5 व 8 के प्रावधानों को प्रयोज्य नहीं होंगे अथवा किसी रूप में प्रभावित नहीं करेंगे ।

स्पष्टीकरण- वाक्यांश ''करार'' व ''समझौता'' में न्यायालय द्वारा अभिलिखित संबंधित पक्षकारों अथवा उनके अधिवक्ताओं का संयुक्त कथन शामिल होता है, और वाक्यांश ''लिखित'' में न्यायालय द्वारा अभिलिखित वादीया उसके अधिवक्ता का कथन शामिल होता है ।''

[1][3क. वाद का वर्जन - कोई डिक्री अपास्त करने के लिए कोई वाद इस आधार पर नही लाया जाएगा कि वह समझौता जिस पर डिक्री आधारित है, विधिपूर्ण नहीं था ।]

3ख. प्रतिनिधि वाद में कोई करार या समझौता न्यायालय की इजाजत के बिना प्रविष्ट न किया जाना - (1) प्रतिनिधि वाद में कोई करार या समझौता न्यायालय की ऐसी इजाजत के बिना जो कार्यवाही में अभिव्यक्त रूप से अभिलिखित हो, नही किया जाएगा और न्यायालय की इस प्रकार से अभिलिखित इजाजत के बिना किया गया एसा कोई करार या समझौता शून्य होगा ।

(2) ऐसी इजाजत मंजूर करने के पूर्व न्यायालय ऐसी रीति से सूचना जिसे वह ठीक समझे, ऐसे व्यक्तियों को देगा जिनके बारे में उसे यह प्रतीत हो कि वे वाद में हितबद्ध हैं ।

स्पष्टीकरण - इस नियम में ''प्रतिनिधि वाद'' से अभिप्रेत है,-

(क) धारा 91 या धारा 92 के अधीन वाद,

(ख) आदेश 1 के नियम 8 के अधीन वाद,

(ग) वह वाद जिसे हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब का कर्ता, कुटुम्ब के अन्य सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते हुए चलाता है उसके विरूद्ध चलाया जाता है,

(घ) कोई अन्य वाद जिसमें पारित डिक्री इस संहिता के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबेन्धों के आधार पर किसी ऐसे व्यक्ति को, जो वाद में पक्षकार के रूप में नामित नहीं है, आबद्ध करती हो ।

4. डिक्रीयों के निष्पादन की कार्यवाहियों पर प्रभाव न पडता - इस आदेश की कोई भी बात डिक्री या आदेश निष्पादन की कार्यवाहियों को लागू नही होगी ।

आदेश 24

न्यायालय में जमा करना

1. दावे की तुष्टि में प्रतिवादी द्वारा रकम का निक्षेप -ऋण या नुकसानी की वसूली के किसी भी वाद में प्रतिवादी वाद के किसी भी प्रक्रम में न्यायालय में धन की ऐसी राशि का निक्षेप कर सकेगा जो उसके विचार में दावे की पूर्ण तुष्टि हो ।

2. निक्षेप की सूचना - निक्षेप की सूचना प्रतिवादी न्यायालय के मार्फत वादी को देगा और निक्षेप की रकम (जब तक कि न्यायालय अन्यथा निदिष्ट न करें) वादी को उसके आवेदन पर दी जाएगी ।

3. निक्षेप पर ब्याज सूचना के पश्चात् वादी को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा- प्रतिवादी द्वारा निक्षिप्त की गई किसी भी राशि पर वादी को कोई भी ब्याज ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से अनुज्ञात नहीं किया जाएगा चाहे निक्षिप्त की गई राशि दावे की पूर्ण तुष्टि करती हो या उससे कम हो |

4. जहां वादी निक्षेप को भागत: तुष्टि के तौर पर प्रतिगृहीत करता है वहां प्रक्रिया–(1) जहां वादी ऐसी रकम को अपने दावे के केवल भाग की तुष्टि के तौर पर प्रतिगृहीत करता है वहां वह बाकी के लिए अपना वाद आगे चला सकेगा और यदि न्यायालय यह विनिश्चय करता है कि प्रतिवादी द्वारा किया गया निक्षेप वादी के दावे की पूर्ण तुष्टि करता था तो निक्षेप के पश्चात वाद में उपगत खर्चो को और उससे पूर्व उपगत खर्चा को वहां तक वादी देगा जहां तक कि वे वादी वे दावे में आधिक्य के कारण हुए हैं ।

(2) जहां वह उसे पूर्ण तुष्टि के तौर पर प्रतिगृहीत करता है वहां प्रक्रिया- जहां वादी ऐसी रकम को अपने दावे की पूर्ण तुष्टि के तौर पर प्रतिगृहीत करता है वहां वह न्यायालय के समक्ष उस भाव का कथन उपस्थित करेगा और ऐसा कथन फाइल किया जाएगा और न्यायालय तदनुसार निर्णय सुनाएगा और यह निर्दिष्ट करने में कि हर एक पक्षकार के खर्चे किसके द्वारा दिए जाने हैं न्यायालय इस पर विचार करेगा कि पक्षकारों में से कौन सा पक्षकार मुकदमे के लिए सर्वाधिक दोष का भागी है ।

आदेश 25
खर्चो के लिए प्रतिभूति

[1][**1. वादी से खर्चो के लिए प्रतिभूति कब अपेक्षित की जा सकती है–**(1) वाद के किसी प्रक्रम में न्यायालय या तो स्वयं अपनी प्रेरणा से या किसी प्रतिवादी के आवेदन पर, ऐसे कारणों सेजो लेखबद्ध किए जाएंगे, या आदेश वादी को दे सकेगा कि वह किसी भी प्रतिवादी द्वारा उपगत और संभवत: उपगत किए जाने वाले सभी खर्चों के संदाय के लिए प्रतिभूति न्यायालय द्वारा निश्चिंत समय के भीतर दे : ।

1. 1956 के अधिनियम सं. 66 की धारा 14 द्वारा मूल नियम 1 के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।

परन्तु ऐसा आदेश उन सभी मामलों में किया जाएगा जिसमें न्यायालय को यह प्रतीत हो कि एकमात्र वादी या(जहां एक से अधिक वादी हों वहां) सभी वादी भारत के बाहर निवास करते हैं और ऐसे वादी के पास या वादियों में से किसी के भी पास भारत के भीतर वादान्तर्गत संपत्ति से भिन्न कोई भी पर्याप्त स्थावर संपत्ति नहीं है ।

(2) जो कोई भारत से ऐसी परिस्थितियों में चला जाता है जिनसे यह युक्तियुक्त अधिसंभाव्यता है कि जब कभी उसे खर्चे देने के लिए बुलाया जाएगा वह नहीं मिलेगा तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि वह उपनियम (1) के परन्तुक के अर्थ में भारत के बाहर निवास करता है ।

उच्च न्यायालय संशोधन

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन (16.9.1960)- उपनियम (1) के परंतुक के अंत में शब्दों "अथवा यह कि किसी वादी को वाद का पक्ष न होने वाले व्यक्ति के द्वारा वित्त पोषण किया जा रहा है ।"

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन (5.2.1983)- आदेश 25 के अस्तित्वयुक्त नियम 1 के स्थान पर निम्न नियम 1 को प्रतिस्थापित किया गया है-

" 1 कब वादी से खर्चों के लिए प्रतिभूति की अपेक्षा की जा सकती है- (1) वाद के किसी प्रक्रम पर न्यायालय उसके द्वारा नियत किये गये समय के भीतर अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से या तो इसकी स्वप्रेरणा से या किसी प्रतिवादी के आवेदन पर वादी को किसी प्रतिवादी द्वारा उपगत सभी व्ययों अथवा उपगत होना प्रतीत होने वाले व्ययों के भुगतान के लिए प्रतिभूति हेतु आदेशित कर सकेगा :

परन्तु यह कि ऐसा आदेश ऐसे सभी मामलों में किया जाएगा जिसमें न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि एकल वादी है या (जहां एक से अधिक वादीगण हैं तो सभी वादीगण राज्य के बाहर निवास कर रहे हैं और ऐसा वादी अथवा ऐसे वादियों मे से कोई भी वादी राज्य के भीतर कोई समुचित अचल संपत्ति वादग्रस्त संपत्ति के अलावा आधिपत्य में नहीं रखता है अथवा वादी को किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा वित्तपोषण किया जा रहा है ।

(2) जो कोई ऐसी परिस्थितियों में राज्य छोडता है जिससे यह युक्तियुक्त आशंका हो जाए कि वह उस समय जबकि उसे व्ययों का भुगतान करने के लिए बुलाया जाएगा वह उपलब्ध नहीं होगा तो उसे उपनियम (1) के परंतुक के आशय के अधीन राज्य के बाहर निवास करने वाला माना जाएगा । "

2. प्रतिभूति देने में असफल रहने का प्रभाव–(1) उस दशा में, जिसमें कि नियत समय के भीतर ऐसी प्रतिभूति नहीं दी जाती है, न्यायालय वाद को खारिज करने वाला आदेश करेगा, जब जक कि वादी या वादियों को उससे प्रत्याहृत हो जाने के लिए अनुज्ञा न दे दी गई हो ।

(2) जहां वाद इस नियम के अधीन खारिज कर दिया गया है वहा वादी खारिजी अपास्त कराने के आदेश के लिए आवेदन कर सकेगा और यदि न्यायालय को समाधानप्रद रुप में यह साबित कर दिया जाता है कि वह अनुज्ञात समय के भीतर प्रतिभूति देने से किसी पर्याप्त हेतुक से निवारित रहा है तो न्यायालय प्रतिभूति और खर्चे संबंधी ऐसे निबन्धनों पर या अन्यथा, जो वह ठीक समझे, खारिजी अपास्त करेगा और वाद में अग्रसर होने के लिए दिन नियत करेगा ।

(3) जब तक कि ऐसे आवेदन की सूचना की तामील प्रतिवादी पर न कर दी गई हो खारिजी अपास्त नहीं की जाएगी ।

उच्च न्यायालय संशोधन

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय संशोधन- नियम 2 के उपरांत निम्नानुसार नवीन नियम 3 को जोडा गया-

" 3. मुकदमेंबाजी में वित्तपोषण करने वाले पर-व्यक्ति को जोड़ने और प्रतिभूति की मांग करने की शक्ति- (1) जहां कोई वादी वाद में वित्तपोषण किये जाने के कारण वादग्रस्त संपत्ति में किसी अंश या हित को ऐसे व्यक्ति को जो कि वाद में पूर्व में पक्षकार नहीं है अंतरित कर दिया है अथवा अंतरण करने के लिए सहमत हो गया है तो न्यायालय ऐसे व्यक्ति को वाद में वादी बनाये जाने के संबंध में आदेश कर सकेगा यदि वह सहमति देता है और या तो स्वप्रेरणा से अथवा किसी प्रतिवादी के आवेदन करने पर आदेश कर सकेगा कि ऐसा व्यक्ति उसके द्वारा नियत किये गये समय के भीतर किसी प्रतिवादी द्वारा उपगत व

उपगत होना प्रतीत होने वाले सभी सभी व्ययों के बाबत प्रतिभूति दे । नियत किये गये समय के भीतर ऐसी प्रतिभूति भुगतान न दिये जाने के मामले में न्यायालय जहां तक वादग्रस्त संपत्ति में उसके अधिकार या हित का संबंध है वाद को निरस्त करने का आदेश कर सकेगा अथवा घोषित कर सकेगा कि वह वादग्रस्त संपत्ति में किसी अधिकार या हित को दावित करने से वर्जित हो जाएगा ।

(2) यदि ऐसा व्यक्ति वादी बनाये जाने में अनिच्छा व्यक्त करता है तो न्यायालय उसे प्रतिवादी के रूप मे जोड सकेगा और उसे उसके द्वारा नियत किये गये समय के भीतर अन्य किसी प्रतिवादी द्वारा उपगत सभी या उपगत किये जाने वाले व्ययो के भुगतान के लिए प्रतिभूति देने का आदेश कर सकेगा नियत किये गये समय के भीतर ऐसी प्रतिभूति भुगतान न दिये जाने के मामले में न्यायालय घोषित कर सकेगा कि वह वादग्रस्त सपत्ति मे किसी अधिकार या हित को दावित करने से वर्जित हो जाएगा ।

(3) कोई भी वादी या प्रतिवादी जिसके विरुद्ध इस नियम के अन्तर्गत आदेश किया गया है इसे अपास्त करने के लिए आवेदन कर सकेगा और ऐसे आवेदन पर यथावश्यक परिवर्तन सहित नियम 2 के उपनियम (2) य (3) के प्रावधान प्रयोज्य होंगे । "

आदेश 26

कमीशन

साक्षियों की परीक्षा करने के लिए कमीशन

1. वे मामले जिनमें न्यायालय साक्षी की परीक्षा करने के लिए कमीशन निकाल सकेगा- कोई भी न्यायालय किसी भी वाद में अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर निवास करने वाले किसी ऐसे व्यक्ति की परिप्रश्नों द्वारा या अन्यथा परीक्षा करने के लिए कमीशन निकाल सकेगा जिसे न्यायालय में हाजिर होने से इस संहिता के अधीन छूट मिली हो या जो बीमारी या अंगशैथिल्य के कारण उसमें हाजिर होने में असमर्थ हो

[1][परन्तु परिप्रश्नों द्वारा परीक्षा के लिए कमीशन तब तक नहीं निकाला जाएगा जब तक कि न्यायालय ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, ऐसा करना आवश्यक न समझे ।

स्पष्टीकरण- न्यायालय इस नियम के प्रयोजन के लिए, ऐसे प्रमाणपत्र को जो किसी व्यक्ति की बीमारी या अंगशैथिल्य के साक्ष्य के रूप में किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा हस्ताक्षर किया गया तात्पर्यित है, चिकित्सा व्यवसायी को साक्षी के रूप में आहूत किए बिना स्वीकार कर सकेगा ।

उच्च न्यायालय संशोधन

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन (22.11.1980)- नियम 1 के स्थान पर निम्न नियम 1 को प्रतिस्थापित किया गया-

"1. साक्षीगण के परीक्षण के लिए कमीशन- कोई भी न्यायालय, किसी भी वाद में यदि लिखित में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से ऐसा करना न्यायहित में करना आवश्यक या समीचीन समझता है तो पूछताछ या अन्यथा किसी व्यक्ति के परीक्षण के लिए कमीशन जारी कर सकेगा ।"

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 75 द्वारा (1-2-1977 से) अन्त: स्थापित किया गया ।

2. कमीशन के लिए आदेश- साक्षी की परीक्षा करने के लिए कमीशन निकाले जाने के लिए आदेश न्यायालय या तो स्वप्रेरणा से या वाद के किसी पक्षकार के या उस साक्षी के जिसकी परीक्षा की जानी है, ऐसे आवेदन पर जो शपथपत्र द्वारा या अन्यथा समर्थित हो, किया जा सकेगा ।

3. जहां साक्षी न्यायालय की अधिकारिता के भीतर निवास करता है- जो व्यक्ति कमीशन निकालने वाले न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर निवास करता है उसकी परीक्षा करने के लिए कमीशन किसी ऐसे व्यक्ति के नाम निकाला जा सकेगा जिसे न्यायालय उसका निष्पादन करने के लिए ठीक समझे ।

उच्च न्यायालय संशोधन

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन (22.11.1980)- नियम 3 के स्थान पर निम्नानुसार नियम 3 को प्रतिस्थापित किया गया-

"3. कमीशन किनको जारी किया जाएगा- ऐसा कमीशन उच्च न्यायालय न होने वाले किसी न्यायालय को जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर ऐसा व्यक्ति निवास करता है अथवा किसी प्लीडर या अन्य व्यक्ति जिसको न्यायालय इसे निष्पादित करना उपयुक्त समझता है, जारी किया जा सकेगा और न्यायालय यह निर्देश करेगा कि क्या कमीशन इसको स्वयं को वापिस किया जाएगा या किसी अधीनस्थ न्यायालय को ।"

4. वे व्यक्ति जिनकी परीक्षा करने के लिए कमीशन निकाला जा सकेगा- (1) कोई भी न्यायालय-

(क) अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं से परे निवासी किसी भी व्यक्ति की,

(ख) किसी भी ऐसे व्यक्ति की जो ऐसी सीमाओं को उस तारीख से पहले छोड़ने वाला है जिसको न्यायालय में परीक्षा की जाने के लिए वह अपेक्षित है तथा

(ग) [1][सरकार की सेवा के किसी भी ऐसे व्यक्ति] की जिसके बारे में न्यायालय की राय है कि वह लोक सेवा का अपाय किए बिना हाजिर नहीं हो सकता,

[2][परिप्रश्नों द्वारा या अन्यथा परीक्षा करने के लिए कमीशन किसी भी वाद में निकाल सकेगा:

परन्तु जहां किसी व्यक्ति को आदेश 16 के नियम 19 के अधीन न्यायालय में स्वयं हाजिर होने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है वहां, उसका यदि साक्ष्य न्याय के हित में आवश्यक समझा जाए तो, उसकी परीक्षा के लिए कमीशन निकाला जाएगा:

परन्तु यह और कि परिप्रश्नों द्वारा ऐसे व्यक्ति की परीक्षा के लिए कमीशन तब तक नहीं निकाला जाएगा जब तक कि न्यायालय ऐसे कारणो से जो लेखबद्ध किए जाएंगे ऐसा करना आवश्यक न समझे ।]

(2) ऐसा कमीशन उच्च न्यायालय से भिन्न किसी भी ऐसे न्यायालय के नाम जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर ऐसा व्यक्ति निवास करता है या किसी भी प्लीडर या अन्य व्यक्ति के नाम, जिसे कमीशन निकालने वाला न्यायालय नियुक्त करे, निकाला जा सकेगा ।

(3) न्यायालय कोई भी कमीशन इस नियम के अधीन निकालने पर यह निदेश देगा कि कमीशन उस न्यायालय को या किसी अधीनस्थ न्यायालय को लौटाया जाएगा ।

1. भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "सरकार के किसी ऐसे सिविल या सैनिक अधिकारी" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।
2. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 75 द्वारा (1-2-1977 से) "परीक्षा करने के लिए" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।
3. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 75 द्वारा (1-2-1977 से) अन्तःस्थापित किया गया ।

उच्च न्यायालय संशोधन

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- उपनियम (1) में निम्नानुसार खंड (घ) जोडा गया है---
" (घ) कोई व्यक्ति जो युद्ध में संबद्ध होने के कारण सुविधापूर्वक रोका नहीं जा सकता है ।"

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन (22.11.1980)- नियम 4 को विलोपित किया गया ।

राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन (1.12.1973 से प्रभावी)- नियम 4 के उपरांत निम्नानुसार नियम 4 क जोडा गया-

"4-क. न्यायालय की स्थानीय सीमाओं में रहने वाले किसी व्यक्ति के परीक्षा के लिए कमीशन- (1) इन नियमों में अन्तर्निहित किसी बात के होते हुए भी, कोई भी न्यायालय, न्यायहित में अथवा मामले के शीघ्र निराकरण करने के लिए अथवा अन्य किसी कारण से किसी वाद में उसकी अधिकारिता के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति का पूछताछ पर या अन्यथा परीक्षण करने के लिए कमीशन जारी कर सकेगा, और इस प्रकार अभिलिखित की गयी साक्ष्य को साक्ष्य में पढा जाएगा ।

(2) उपनियम 1 के प्रावधान डिक्री या आदेश के निष्पादन की कार्यवाही में प्रयोज्य होंगे ।"

[1]**[4क. न्यायालय की स्थानीय सीमाओं के भीतर निवास करने वाले किसी व्यक्ति की परीक्षा के लिए कमीशन-** इन नियमों मे किसी बात के होते हुए भी, कोई न्यायालय किसी वाद में न्याय के हित में या मामले को शीघ्र निपटाने के लिए या किसी अन्य कारण से अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर निवास करने वाले किसी व्यक्ति का पूछताछ पर या अन्यथा परीक्षा के लिए कमीशन निकाल सकेगा और इस प्रकार अभिलिखित साक्ष्य को साक्ष्य में पढ़ा जाएगा ।]

5. जो साक्षी भारत के भीतर के नहीं है उसकी परीक्षा करने के लिए कमीशन या अनुरोध पत्र- जहां किसी ऐसे न्यायालय का जिसको किसी ऐसे स्थान में निवास करने वाले व्यक्ति की जो [2][भारत] के भीतर का स्थान नहीं है, परीक्षा करने का कमीशन निकालने के लिए आवेदन किया गया है, समाधान हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य आवश्यक है वहां न्यायालय ऐसा कमीशन निकाल सकेगा या अनुरोधपत्र भेज सकेगा ।

1. 1999 के अधिनियम सं. 46 की धारा 29 द्वारा (1-7-2002 से) अतःस्थापित |
2. 1951 के अधिनियम सं. 2 की धारा 3 द्वारा "राज्यों" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।

6. कमीशन के अनुसरण में न्यायालय साक्षी की परीक्षा करेगा- किसी व्यक्ति की परीक्षा करने के लिए कमीशन प्राप्त करने वाला हर न्यायालय उसके अनुसरण में उस व्यक्ति की परीक्षा करेगा या कराएगा ।

7. साक्षियों के अभिसाक्ष्य के साथ कमीशन का लौटाया जाना- जहां कमीशन का सम्यक रुप से निष्पादन कर दिया गया है वहां वह उसके अधीन लिए गए साक्ष्य सहित उस न्यायालय को जिसने उसे निकाला था, उस दशा के सिवाय लौटा दिया जाएगा जिसमें कि कमीशन निकालने वाले आदेश द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट किया गया हो और उस दशा में कमीशन ऐसे आदेश के निबन्धनों के अनुसार लौटाया जाएगा और कमीशन और उसके साथ वाली विवरणी और उसके अधीन दिया गया साक्ष्य [1][(नियम 8 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए) वाद के अभिलेख का भाग होंगे ।

उच्च न्यायालय संशोधन

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- नियम 7 में शब्दों "नियम 8 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए" को विलोपित किया गया और अंत में शब्दों "व वाद मे साक्ष्य के रुप में पढा जाएगा ।" को अंत में अंतःस्थापित किया जाएगा ।

8. अभिसाक्ष्य कब साक्ष्य में ग्रहण किया जा सकेगा-- कमीशन के अधीन लिया गया साक्ष्य वाद में साक्ष्य के तौर पर उस पक्षकार की सहमति के बिना जिसके विरुद्ध वह दिया गया है, उस दशा के सिवाय ग्रहण नहीं किया जाएगा, जिसमें कि-

(क) वह व्यक्ति जिसने साक्ष्य दिया है, न्यायालय की अधिकारिता के परे है या उसकी मृत्यु हो गई है या वह बीमारी या अंगशैथिल्य के कारण वैयक्तिक रूप से परीक्षा की जाने के लिए हाजिर होने में असमर्थ है या न्यायालय में स्वीम उपसंजाति से छूट पाया हुआ है या सरकार की सेवा में का ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में न्यायालय की राय है कि वह लोक सेवा का अपाय किए बिना हाजिर नहीं हो सकता, अथवा

(ख) न्यायालय खण्ड (क) में वर्णित परिस्थितयों में से किसी के साबित किए जाने से अभिमुक्ति स्वविवेकानुसार दे देता है और किसी व्यक्ति के साक्ष्य को वाद में साक्ष्य के तौर पर ग्रहण किया जाना, इस सबूत के होते हुए भी कि कमीशन के माध्यम द्वारा ऐसा साक्ष्य लेने का हेतु उसके ग्रहण किए जाने के समय जाता रहा है, प्राधिकृत कर देता है ।

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 75 द्वारा (1-2-1977 से) कुछ शब्दो के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

2. भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "सरकार का कोई ऐसा सिविल या सैनिक अधिकारी" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।

उच्च न्यायालय संशोधन

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन (22.11.1980 से प्रभावी)- नियम 8 को विलोपित किया गया ।

स्थानीय अन्वेषणों के लिए कमीशन

9. स्थानीय अन्वेषण करने के लिए कमीशन- किसी भी वाद में जिसमें न्यायालय विवाद में के किसी विषय के विशदीकरण के या किसी संपत्ति के बाजार-मूल्य के या किन्हीं अन्तःकालीन लाभों या नुकसानी या वार्षिक शुद्ध लाभों की रकम के अभिनिश्चयन के प्रयोजन के लिए स्थानीय अन्वेषण करना, अपेक्षणीय या उचित समझता है, न्यायालय ऐसे व्यक्ति के नाम जिसे वह ठीक समझे, ऐसा अन्वेषण करने के लिए और उस पर न्यायालय को रिपोर्ट देने के लिए उसे निदेश देते हुए कमीशन निकाल सकेगा:

परन्तु जहां राज्य सरकार ने उन व्यक्तियों के बारे में नियम बना दिए हैं जिनके नाम ऐसा कमीशन निकाला जा सकेगा वहां न्यायालय ऐसे नियमों से आबद्ध होगा ।

10. कमिश्नर के लिए प्रक्रिया–(1) कमिश्नर ऐसे स्थानीय निरीक्षण के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे और अपने द्वारा लिए गए साक्ष्य को लेखबद्ध करने के पश्चात् अपने द्वारा हस्ताक्षरित अपनी लिखित रिपोर्ट सहित ऐसे साक्ष्य को न्यायालय को लौटाएगा ।

(2) रिपोर्ट और अभिसाक्ष्य वाद में साक्ष्य होंगे । कमिश्नर की वैयक्तिक रुप से परीक्षा की जा सकेगी-कमिश्नर की रिपोर्ट और उसके द्वारा लिया गया साक्ष्य (न कि साक्ष्य रिपोर्ट के बिना) वाद में साक्ष्य होगा और अभिलेख का भाग होगा, किन्तु न्यायालय या न्यायालय की अनुज्ञा से वाद में के पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार, कमिश्नर की वैयक्तिक रूप से परीक्षा खुले न्यायालय में उन बातों में से किसी के बारे में जो जो निर्देशित की गई थी या जिनका वर्णन उसकी रिपोर्ट में है या उसकी रिपोर्ट के बारे में या उस रीति के बारे में जिसमें उसने अन्वेषण किया है, कर सकेगा ।

(3) जहां न्यायालय किसी कारण से कमिश्नर की कार्यवाहियों से अंसतुष्ट है वहां वह ऐसी अतिरिक्त जांच करने के लिए निदेश दे सकेगा जो वह ठीक समझे ।

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 75 द्वारा (1-2-1977 से अन्त: स्थापित किया गया ।

[1][वैज्ञानिक अन्वेषण, अनुसचिवीय कार्य करने और जंगम सम्पत्ति के विक्रय के लिए कमीशन

10क. वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए कमीशन–(1) जहां वाद में उद्भूत होने वाले किसी प्रश्न में कोई ऐसा वैज्ञानिक अन्वेषण अन्तर्ग्रस्त है जो न्यायालय की राय में न्यायालय के समक्ष सुविधापूर्वक नहीं किया जा सकता है वहा न्यायालय, यदि वह न्याय के हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो ऐसे व्यक्ति के नाम जिसे वह ठीक समझे, कमीशन उसे यह निदेश देते हुए निकाल सकेगा कि वह ऐसे प्रश्न

की जांच करे और उसकी रिपोर्ट न्यायालय को दे ।

(2) आदेश के नियम 10 के उपबन्ध इस नियम के अधीन नियुक्त कमिश्नर के संबंध में जहा तक हो उसे उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे नियम 9 के अधीन नियुक्त कमिश्नर के संबंध में लागू होते हैं ।

10ख. अनुसचिवीय कार्य करने के लिए कमीशन- (1) जहां वाद में उद्भूत होने वाले किसी प्रश्न में कोई ऐसा अनुसचिवीय कार्य करना अन्तर्ग्रस्त है जो न्यायालय की राय में न्यायालय के समक्ष सुविधापूर्वक नहीं किया जा सकता है, वहां न्यायालय, ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, यदि न्यायालय की यह राय हो कि न्याय के हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो, ऐसे व्यक्ति के नाम जिसे वह ठीक समझे, कमीशन उसे यह निदेश देते निकाल सकेगा कि वह उस अनुसचिवीय कार्य को करे और उसकी रिपोर्ट न्यायालय को दे ।

(2) इस आदेश के नियम 10 के उपबन्ध इस नियम के अधीन नियुक्त कमिश्नर के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे नियम 9 के अधीन नियुक्त कमिश्नर के सम्बन्ध में लागू होते हैं ।

10ग. जंगम संपत्ति के विक्रय के लिए कमीशन–(1) जहां किसी वाद में किसी ऐसी जगम संपत्ति का जो वाद के अवधारण के लम्बित रहने के दौरान न्यायालय की अभिरक्षा में है और जो सुविधापूर्वक परिरक्षित नहीं की जा सकती है विक्रय करना आवश्यक हो जाता है, वहा न्यायालय ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे यदि न्यायालय की यह राय हो कि न्याय के हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो, ऐसे व्यक्ति के नाम जिसे वह ठीक समझे, कमीशन उसे यह निदेश देते हुए निकाल सकेगा कि वह ऐसे विक्रय का सचालन करे और उसकी रिपोर्ट न्यायालय को दे ।

(2) इस आदेश के नियम 10 के उपबन्ध इस नियम के अधीन नियुक्त कमिश्नर के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे नियम 9 के अधीन नियुक्त कमिश्नर के सम्बन्ध मे लागू होते हैं ।

(3) ऐसा प्रत्येक विक्रय जहां तक हो सके डिक्री के निष्पादन में जंगम संपत्ति के विक्रय के लिए विहित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा ।

लेखाओं की परीक्षा करने के लिए कमीशन

11. लेखाओं की परीक्षा या समायोजन करने के लिए कमीशन- न्यायालय ऐसे किसी वाद भी जिसमें लेखाओं की परीक्षा या समायोजन आवश्यक है, ऐसी परीक्षा या समायोजन करने के लिए ऐसे व्यक्ति के नाम जो निदेश देते हुए जिसे वह ठीक समझे कमीशन निकाल सकेगा ।

12. न्यायालय कमिश्नर को आवश्यक अनुदेश देगा–(1) न्यायालय कमिश्नर को कार्यवाहियों का ऐसा भाग और ऐसे अनुदेश देगा जो आवश्यक हो और ऐसे अनुदेशों में यह स्पष्टतया विनिर्दिष्ट होगा कि क्या कमिश्नर केवल उन कार्यवाहियों को पारेषित करे जिन्हें वह ऐसी जांच में करता है या उस बात के बारे में अपनी राय की भी रिपोर्ट करे जो उसकी परीक्षा के लिए निर्देशित की गई है ।

(2) कार्यवाहियां और रिपोर्ट साक्ष्य होंगी । न्यायालय अतिरिक्त जांच कर सकेगा- कमिश्नर की कार्यवाहियाँ और रिपोर्ट (यदि कोई हों) वाद में साक्ष्य होंगी, किन्तु जहा न्यायालय के पास उनसे असन्तुष्ट होने के लिए कारण है वहां वह ऐसी अतिरिक्त जांच निर्दिष्ट कर सकेगा जो वह ठीक समझे ।

विभाजन करने के लिए कमीशन

13. स्थावर सम्पत्ति का विभाजन करने के लिए कमीशन- जहां विभाजन करने के लिए प्रारम्भिक डिक्री पारित की गई है वहां न्यायालय किसी भी मामले में जिसके लिए धारा 54 द्वारा उपबंध नहीं किया गया है, ऐसी डिक्री में घोषित अधिकारों के अनुसार विभाजन या पृथक् करण करने के लिए ऐसे व्यक्ति के नाम जिसे वह ठीक समझे कमीशन निकाल सकेगा ।

14. कमिश्नर की प्रक्रिया- (1) कमिश्नर ऐसी जांच करने के पश्चात् जो आवश्यक हो, सम्पत्ति को उतने अंशों में विभाजित करेगा जितने उस आदेश द्वारा निर्दिष्ट हों जिसके अधीन कमीशन निकाला गया था और ऐसे अंशों का पक्षकारों में आबंटन कर देगा और यदि उसे उक्त आदेश द्वारा ऐसा करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है तो वह अंशों के मूल्य को बराबर करने के प्रयोजन के लिए दी जाने वाली राशियां अधिनिर्णीत कर सकेगा ।

(2) तब हर एक पक्षकार का अंश नियत करके और (यदि उक्त आदेश द्वारा ऐसा करने के लिए निदेश दिया जाता है) तो हर एक अंश को माप और सीमांक न करके कमिश्नर अपनी रिपोर्ट तैयार और हस्ताक्षरित करेगा या (जहां कमीशन एक से अधिक व्यक्तियों के नाम निकाला गया था और वे परस्पर सहमत नहीं हो सके हैं वहां) कमिश्नर पृथक-पृथक रिपोर्ट तैयार और हस्ताक्षरित करेंगे । ऐसी रिपोर्ट या ऐसी रिपोर्टें कमीशन के साथ उपाबद्ध की जाएंगी और न्यायालय को पारेषित की जाएंगी और पक्षकार जो कोई आक्षेप रिपोर्ट या रिपोर्टों पर करे, न्यायालय उन्हें सुनने के पश्चात् उसे या उन्हें पुष्ट, उसमें या उनमें फेरफार या उसे या उन्हें अपास्त करेगा ।

(3) जहां न्यायालय रिपोर्ट या रिपोर्टों को पुष्ट करता है या उसमें या उनमें फेरफार करता है वहां वह उसके पुष्ट या फेरफार किए गए रूप के अनुसार डिक्री पारित करेगा किन्तु जहां न्यायालय रिपोर्ट या रिपोर्टों को अपास्त कर देता है वहा वह या तो नया कमीशन निकालेगा या ऐसा अन्य आदेश करेगा जो वह ठीक समझे ।

उच्च न्यायालय संशोधन

पटना उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन (4.3.1932)- नियम 14 के उपनियम (2) व (3) के स्थान पर निम्नानुसार (2) (3) को प्रतिस्थापित किया गया -

"(2) तब हर एक पक्षकार का अंश नियत करके और (यदि उक्त आदेश द्वारा ऐसा करने के लिए निदेश दिया जाता है) तो हर एक अंश को माप और सीमांक न करके कमिश्नर अपनी रिपोर्ट तैयार और हस्ताक्षरित करेगा या (जहां कमिश्नर एक से अधिक व्यक्तियों के नाम निकाला गया था और वे परस्पर सहमत नहीं हो सके हैं वहां) कमिश्नर पृथक-पृथक रिपोर्ट तैयार और हस्ताक्षरित करेंगे । कमिश्नर या कमिश्नरगण रिपोर्ट को उपाबद्ध करेंगे और जहां एक से अधिक हैं तो प्रत्येक रिपोर्ट प्रत्येक पक्ष को आबंटित भूखंडो व क्षेत्रों की सूची दर्शित करते हुए और जब तक कि न्यायालय द्वारा अन्यथा निर्देशित न किया गया हो तो प्रत्येक पक्षकार को आबंटित भूखंडों अथवा भूखंडों के भागों को विभिन्न रंगों में दर्शित करते हुए नक्शा भी होगा । उस दशा में जबकि भूखंड को उप-विभाजित किया गया हो तो प्रत्येक उपखंड का क्षेत्रफल व यह दर्शित करते हुए कि भूखंड को किस प्रकार विभाजित किया गया है माप भी अनुसूची व नकशे, यदि कोई हो, में दिया जाएगा । ऐसी रिपोर्ट या ऐसी रिपोर्टें सूची व नक्शे के साथ उपाबद्ध की

जाएंगी और न्यायालय को पारेषित की जाएंगी और पक्षकार जो कोई आक्षेप रिपोर्ट या रिपोर्टों पर करे, न्यायालय उन्हें सुनने के पश्चात् उसे या उन्हें पुष्ट, उसमें या उनमें फेरफार या उसे या उन्हें अपास्त करेगा ।

(3) जहां न्यायालय रिपोर्ट या रिपोर्टों को पुष्ट करता है या उसमें या उनमें फेरफार करता है वहां वह उसके पुष्ट या फेरफार किए गए रुप के अनुसार डिक्री पारित करेगा और जब अंतिम डिक्री तैयार करने में तो इसकी डिक्री में ऊपर उपनियम (2) में वर्णित सूची व नक्शे,यदि कोई हो, जो न्यायालय द्वारा पुष्ट या परिवर्तित किये गये हों को शामिल करेगा । कमिश्नर या कमिश्नरों की संपूर्ण रिपोर्ट या रिपोर्टों को साधारण तौर पर डिक्री में शामिल नहीं किया जाएगा । जब न्यायालय रिपोर्ट या रिपोर्टों को अपास्त कर देता है वहां वह या तो नया कमीशन निकालेगा या ऐसा अन्य आदेश करेगा जो वह ठीक समझे ।"

साधारण उपबन्ध

15. कमीशन के व्यय न्यायालय में जमा किए जाएंगे- न्यायालय इस आदेश के अधीन कोई कमीशन निकालने से पूर्व आदेश दे सकेगा कि ऐसी राशि (यदि कोई हो) जो वह कमीशन के व्ययों के लिए युक्तियुक्त समझे, नियत किए जाने वाले समय के भीतर न्यायालय में उस पक्षकार द्वारा जमा की जाए जिसकी प्रेरणा पर या जिसके फायदे के लिए कमीशन निकाला जाना है ।

16. कमिश्नरों की शक्तियां- इस आदेश के अधीन नियुक्त कोई भी कमिश्नर उस दशा के सिवाय जिसमें नियुक्ति के आदेश द्वारा उसे अन्यथा निदिष्ट किया गया हो,-

(क) स्वयं पक्षकारो की और ऐसे साक्षी की जिसे वे या उनमें से कोई पेश करे और ऐसे अन्य व व्यक्ति की जिसे कमिश्नर अपने को निर्देशित मामले में साक्ष्य देने के लिए बुलाना ठीक समझे, परीक्षा कर सकेगा;

(ख) जांच के विषय से सुसंगत दस्तावेजों और अन्य चीजों को मंगवा सकेगा और उनकी परीक्षा कर सकेगा;

(ग) आदेश में वर्णित किसी भी भूमि में या निर्माण के भीतर किसी युक्तियुक्त समय पर प्रवेश कर सकेगा ।

[1]**[16 क. वे प्रश्न जिन पर कमिश्नर के समक्ष आक्षेप किया जाता हैं-** (1) जहां इस आदेश के अधीन नियुक्त कमिश्नर के समक्ष कार्यवाहियों में साक्षी से पूछे गए किसी प्रश्न पर किसी पक्षकार या उसके प्लीडर द्वारा आक्षेप किया जाता है, वहां कमिश्नर प्रश्न, उत्तर, आक्षेपों को और इस प्रकार आक्षेप करने वाले, यथास्थिति, पक्षकार या प्लीडर का नाम लिखेगा :

परन्तु कमिश्नर किसी ऐसे प्रश्न का जिस पर विशेषाधिकार के आधार पर आक्षेप किया जाता है, उतर नहीं लिखेगा किन्तु वह साक्षी की परीक्षा विशेषाधिकार का प्रश्न न्यायालय द्वारा विनिश्चित कराने के लिए पक्षकार पर छोडते हुए, जारी रख सकता है और जहां न्यायालय विनिश्चय करता है कि विशेषाधिकार का कोई प्रश्न नहीं है वहां साक्षी को कमिश्नर द्वारा पुन: बुलाया जा सकता है और उसके द्वारा परीक्षा की जा सकती है या न्यायालय द्वारा उस प्रश्न की बाबत जिस पर आक्षेप विशेषाधिकार के आधार पर किया

गया था, साक्षी की परीक्षा की जा सकती है ।

(2) उपनियम (1) के अधीन लिखे गए किसी उत्तर को वाद में साक्ष्य के रुप में न्यायालय के आदेश के बिना नहीं पड़ा जाएगा ।

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 75 द्वारा (1-2-1977 से) अन्त: स्थापित किया गया ।

17. कमिश्नर के समक्ष साक्षियों की हाजिरी और उनकी परीक्षा–(1) साक्षियों को समन करने, साक्षियों की हाजिरी और साक्षियों की परीक्षा सम्बन्धी और साक्षियों के पारिश्रमिक और उन पर अधिरोपित की जाने वाली शास्तियों सम्बन्धी इस संहिता के उपबन्ध उन व्यक्तियों को लागू होंगे जिनसे साक्ष्य देने की या दस्तावेजें पेश करने की अपेक्षा इस आदेश के अधीन की गई है, चाहे वह कमीशन जिसका निष्पादन करने में उनसे ऐसी अपेक्षा की गई है, [1][भारत] की सीमाओं के भीतर स्थित न्यायालय द्वारा या [2][भारत] की सीमाओं से परे स्थित न्यायालय द्वारा निकाला गया हो और कमिश्नर के बारे में इस नियम के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि वह सिविल न्यायालय है;

[3][परन्तु जब कमिश्नर सिविल न्यायालय का न्यायाधीश नहीं है तब वह यह शास्तियां अधिरोपित करने के लिए सक्षम नहीं होगा, किन्तु ऐसे कमिश्नर के आवेदन पर ऐसी शास्तियां उस न्यायालय द्वारा जिसने कमीशन निकाला था, अधिरोपित की जा सकेगी ।

(2) कमिश्नर कोई ऐसी आदेशिका निकालने के लिए, जिसे वह साक्षी के नाम या उसके विराद्ध निकालना आवश्यक समझे, ऐसे किसी न्यायालय से (जो उच्च न्यायालय नहीं है) और जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर ऐसा साक्षी निवास करता है, आवेदन कर सकेगा और ऐसा न्यायालय स्वविवेकानुसार ऐसी आदेशिका निकाल सकेगा जो वह युक्तियुक्त और उचित समझे ।

1. 1951 के अधिनियम सं. 2 की धारा 3 द्वारा “राज्यो” के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया |
2. 1951 के अधिनियम सं. 2 की धारा 3 द्वारा “राज्यो” के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया |
3. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 76 द्वारा (1-2-1977 से) अन्तःस्थापित किया गया ।

18. पक्षकारों का कमिश्नर के समक्ष उपसंजात होना- (1) जहां कमीशन इस आदेश के अधीन निकाला जाता है वहा न्यायालय निदेश देगा कि वाद के पक्षकार कमिश्नर के समक्ष या तो स्वयं या अपने अभिकर्ताओं के या प्लीडरो के द्वारा उपसंजात हों ।

(2) जहां सभी पक्षकार या उनमें से कोई इस प्रकार उपसंजात न हो वहां कमिश्नर उनकी अनुपस्थिति में कार्यवाही कर सकेगा ।

उच्च न्यायालय संशोधन

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन (29.12.1961)- उपनियम (1) में शब्दों " और साक्षी के के परीक्षण के लिए आवेदन करने वाले पक्ष अथवा इसके विवेक में वाद के अन्य किसी पक्ष को कमिश्नर के लिए अभिवचनों व विवाद्यकों की प्रतिलिपि प्रदाय करने के संबंध में निर्देश देगा ।" को उपनियम (1) के

अंत में पूर्ण विराम को हटाते हुए प्रतिस्थापित किया गया ।

[1][**18क. निष्पादन कार्यवाहियों को आदेश का लागू होना-** इस आदेश के उपबन्ध डिक्री या आदेश के निष्पादन में कार्यवाहियों को, जहां तक हो सके, लागू होंगे ।

18ख. न्यायालय द्वारा कमीशन के लौटाए जाने के लिए समय नियत किया जाना- कमीशन निकालने वाला न्यायालय वह तारीख नियत करेगा जिसको या जिसके पूर्व कमीशन निष्पादन के पश्चात् उसको लौटाया जाएगा और इस प्रकार नियत की गई तारीख बढ़ाई नहीं जाएगी सिवाय उस दशा में जिसने न्यायालय का, ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, यह समाधान हो जाता है कि तारीख बढाने के लिए पर्याप्त हेतुक है ।

[2][विदेशी अधिकरणों की प्रेरणा पर निकाले गए कमीशन

19. वे मामले जिनमें उच्च न्यायालय साक्षी की परीक्षा करने के लिए कमीशन निकाल सकेगा- (1) यदि किसी उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि---

(क) किसी विदेश में स्थित कोई विदेशी न्यायालय अपने समक्ष की किसी कार्यवाही में किसी साक्षी का साक्ष्य अभिप्राप्त करना चाहता है,

(ख) कार्यवाही सिविल प्रकृति की है, तथा

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 75 द्वारा (1-2-1977 से) अन्तःस्थापित किया गया ।
2. 1932 के अधिनियम सं. 10 की धारा 3 द्वारा शीर्ष और नियम 19 से 22 तक अन्तःस्थापित किया गया ।

(ग) साक्षी उस उच्च न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता की सीमाओं के भीतर निवास करता है,

तो नियम 20 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए वह ऐसे साक्षी की परीक्षा करने के लिए कमीशन निकाल सकेगा ।

(2) उपनियम (1) के खण्ड क खण्ड ख और खण्ड ग में विनिर्दिष्ट बातों का साक्ष्य (क) भारत में उस विदेश के उच्चतम पंक्ति वाले कौन्सलीय आफिसर द्वारा हस्ताक्षरित और केन्द्रीय सरकार की मार्फत उच्च न्यायालय को पारेषित किए गए प्रमाणपत्र के रूप में, अथवा

(ख) विदेशी न्यायालय द्वारा निकाले गए और केन्द्रीय सरकार की मार्फत उच्च न्यायालय को पारेषित अनुरोधपत्र के रूप में, अथवा

(ग) विदेशी न्यायालय द्वारा निकाले गए और कार्यवाही के पक्षकार द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष पेश किए अनुरोधपत्र के रुप में,

हो सकेगा |

20. कमीशन निकलवाने के लिए आवेदन- उच्च न्यायालय-

(क) विदेशी न्यायालय के समक्ष की कार्यवाही के पक्षकार के आदेवन पर, अथवा

(ख) राज्य सरकार के अनुदेशों के अधीन कार्य करते हुए राज्य सरकार के विधि अधिकारी के आवेदन पर, नियम 19 के अधीन कमीशन निकाल सकेगा ।

21. कमीशन किसके नाम निकाला जा सकेगा- नियम 19 के अधीन कमीशन किसी भी ऐसे न्यायालय के नाम जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर साक्षी निवास करता है या जहां [1]*** साक्षी [2][उच्च न्यायालय की मामूली आरम्भिक सिविल अधिकारिता] की स्थानीय सीमाओं के भीतर निवास करता है वहां किसी ऐसे व्यक्ति के नाम जिसे न्यायालय कमीशन का निष्पादन करने के लिए ठीक समझे निकाला जा सकेगा ।

22. कमीशन का निकाला जाना, निष्पादन और लौटाया जाना और विदेशी न्यायालय को साक्ष्य का पारेषण- इस आदेश के नियम 6, नियम 15, [3][नियम 16क के उपनियम (1), नियम 17, नियम 18 और नियम 18ख] के उपबन्ध ऐसे कमीशनों के निकाले जाने, निष्पादन या लौटाए जाने को वहां तक लागू होंगे जहा तक कि उन्हें वे लागू हो सकते हों, और जब कि ऐसा कोई कमीशन सम्यक् रुप से निष्पादित कर दिया गया हो तब वह उसके अधीन लिए गए साक्ष्य के सहित उच्च न्यायालय को लौटाया जाएगा जो उसे विदेशी न्यायालय को पारेषित करने के लिए अनुरोधपत्र सहित केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित कर देगा ।

1. भारत शासन (भारतीय विधिअनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा “इन्डियन हाई कोर्स ऐक्ट, 1861 या भारत शासन अधिनियम, 1915 के अधीन उच्च न्यायालय स्थापित किया जाता है और" शब्दो का लोप ।
2. भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "इसकी मामूली आरम्भिक सिविल अधिकारिता" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।
3. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 76 द्वारा (1-2-1977 से) " 16, 17 और 18" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया |

आदेश 27

सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध या अपनी पदीय हैसियत में लोक अधिकारियों द्वारा या उनके विरुद्ध वाद

1. सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध वाद- [1][सरकार] के द्वारा या विरुद्ध किसी भी वाद में वादपत्र या लिखित कथन ऐसे व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा जिसे सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, इस निमित्त नियुक्त करे और किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा सत्यापित किया जाएगा जिसे सरकार इस प्रकार नियुक्त करे और जो मामलों के तथ्यों से परिचित है ।

राज्य संशोधन

उ.प्र. राज्य संशोधन (1.1.1977)- उ. प्र. अधिनियम (1976 का 57) के द्वारा आदेश के शीर्षक में अकित शब्द 'पदीय हैसियत' के उपरात शब्द "अथवा वैधानिक प्राधिकारीगण आदि" जोडे ।

2. सरकार के लिए कार्य करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति--- किसी भी न्यायिक कार्यवाही के बारे में सरकार के लिए कार्य करने के लिए पदेन या अन्यथा प्राधिकृत व्यक्ति मान्यता प्राप्त अभिकर्ता समझे जाएंगे जो सरकार की ओर से इस संहिता के अधीन उपसंजात हो सकेंगे, कार्य कर सकेंगे और आवेदन कर सकेंगे ।

1. भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "भारत के सेक्रेटरी आफ स्टेट इन काउन्सिल" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया ।

3. सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध वादों में वादपत्र- सरकार द्वारा या [1][उसके विरुद्ध] वादों में, वाद पत्र में वादी या प्रतिवादी का नाम, वर्णन और निवास का स्थान अन्तःस्थापित करने के बजाय [2][वह समुचित नाम जो धारा 79 में उपबन्धित है][3]*** अन्तःस्थापित करना पर्याप्त होगा ।

[4]**[4. आदेशिका प्राप्त करने के लिए सरकार का अभिकर्ता-** किसी भी न्यायालय में का सरकारी प्लीडर ऐसे न्यायालय द्वारा सरकार के विरुद्ध निकाली गई आदेशिकाएं लेने के प्रयोजन के लिए सरकार का अभिकर्ता होगा ।

उच्च न्यायालय संशोधन

राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन (अधिसूचना क्रमांक 11/एस.आर.ओ.97 दिनांक 27.9.97)- नियम 4 के स्थान पर निम्न नियम 4 को प्रतिस्थापित कर दिया गया-

"4. किसी भी न्यायालय में सरकारी प्लीडर अथवा इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी ऐसे न्यायालय के द्वारा सरकार के विरुद्ध निकाली गई आदेशिकाए लेने के प्रयोजन के लिए सरकार का अभिकर्ता होगा”|

इसका प्रकाशन राजस्थान राजपत्र भाग-(1ख 9-10-97 की पेज 63 पर किया गया ।)

5. सरकार की ओर से उपसंजाति के लिए दिन नियत किया जाना- न्यायालय वह दिन निगत करते समय जिस दिन वादपत्र का उत्तर [5][सरकार] द्वारा दिया जाना है, इतना युक्तियुक्त समय अनुज्ञात करेगा जितना सरकार को आवश्यक संसूचना उचित प्रणाली द्वारा भेजने के लिए और [6][सरकार][7]*** की और उपसंजात होने और उत्तर देने के लिए [8][सरकारी प्लीडर] को अनुदेश देने के लिए आवश्यक हो और उस समय को स्वविवेकानुसार बढ़ा सकेगा, [किन्तु इस प्रकार बढाया गया समय कुल मिलाकर दो मास से अधिक नहीं होगा।]

1. भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "भारत के सेक्रेटरी आफ स्टेट इन काउन्सिल के विरुद्ध" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया ।
2. भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "भारत के सेक्रेटरी आफ स्टेट इन काउन्सिल" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया ।

3. भारतीय स्वतंत्रता (केन्द्रीय अधिनियमों और अध्यादेशों का अनुकूलन) आदेश, 1948 दारा 'या, यदि वाद सेक्रेटरी आफ स्टेट के विरुद्ध है तो, "सेक्रेटरी आफ स्टेट" शब्द' शब्दों का लोप किया गया ।
4. भारत शासन (भारतीय विधिअनुकूलन आदेश, 1937 द्वारा मूल नियम के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
5. भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "भारत के सेक्रेटरी आफ स्टेट इन काउन्सिल" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
6. भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "भारत के उक्त सेक्रेटरी आफ स्टेट इन काउन्सिल" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
7. भारतीय स्वतत्रता (केन्द्रीय अधिनियमों और अध्यादेशो का अनुकूलन) आदेश, 1948 द्वारा "या सरकार" शब्दो का लोप किया गया ।
8. भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "सरकारी प्लीडर" के लिए रखे गए "क्राउन प्लीडर" के स्थान पर विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा प्रतिस्थापित ।

उच्च न्यायालय संशोधन

पटना उच्च न्यायालय दारा संशोधन (22.11.1960)–शब्द "युक्तियुक्त समय" के स्थान पर शब्द "तामील की तारीख से कम से कम 3 माह का समय" प्रतिस्थापित ।

[2][**5क. लोक अधिकारी के विरुद्ध वाद में सरकार को पक्षकार के रुप में संयोजित किया जाना-** जहां लोक अधिकारी के विरुद्ध वाद किसी ऐसे कार्य के बारे में जिसके संबंध में यह अभिकथित किया गया है कि वह उसने अपनी पदीय हैसियत में किया है, नुकसानी या अन्य अनुतोष के लिए संस्थित किया जाता है वहां सरकार को वाद में पक्षकार के रुप में संयोजित किया जाएगा ।

5ख. सरकार या लोक अधिकारी के विरुद्ध वादों में निपटारा कराने में सहायता करने के लिए न्यायालय का कर्तव्य- (1) ऐसे प्रत्येक वाद या कार्यवाही में जिसमें सरकार या अपनी पदीय हैसियत में कार्य करने वाला लोक अधिकारी पक्षकार है, न्यायालय का यह कर्तव्य होगा कि वह वाद की विषय-वस्तु के बारे में निपटारा करान में पक्षकारों की सहायता करने के लिए हर प्रयास प्रथमत: करे जहां ऐसा करना मामले की प्रकृति और परिस्थितियों से सुसंगत हो ।

(2) यदि किसी ऐसे वाद या कार्यवाही के किसी प्रक्रम में न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि पक्षकारों के बीच निपटारा होने की युक्तियुक्त सम्भावना है तो न्यायालय कार्यवाही को ऐसी अवधि के लिए जो वह ठीक समझे, स्थगित कर सकेगा जिससे कि ऐसा निपटारा कराने के लिए प्रयत्न किए जा सके ।

(3) उपनियम (2) के अधीन प्रदत्त शक्ति कार्यवाहियों को स्थगित करने के लिए न्यायालय की किसी अन्य शक्ति के अतिरिक्त है ।]

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 76 द्वारा (1.2.1977 से) अन्तःस्थापित |
2. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 76 द्वारा (1.2.1977 से) अन्तःस्थापित ।

6. सरकार के विरुद्ध वाद से संबंध रखने वाले प्रश्नों का उत्तर देने योग्य व्यक्ति की हाजिरी- न्यायालय किसी ऐसे मामले में जिसमें [1][सरकारी प्लीडर] के साथ [2][सरकार] की ओर से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो वाद सम्बन्धी किन्हीं भी तात्विक प्रश्नों का उतर देने में समर्थ हो, ऐसे व्यक्ति की हाजिरी के लिए भी निदेश दे सकेगा ।

7. समय का इसलिए बढ़ाया जाना कि लोक अधिकारी सरकार से निर्देश करके पूछ सके- (1) जहां प्रतिवादी कोई लोक अधिकारी है और समन मिलने पर वह यह उचित समझता है कि वादपत्र का उत्तर देने से पूर्व वह बात सरकार को निर्देशित की जाए वहा वह न्यायालय से आवेदन कर सकेगा कि समन में नियत समय उसके लिए इतना बढ़ा दिया जाए जितना उसे उचित प्रणाली द्वारा ऐसा निदेश करने के और उस पर आदेश प्राप्त करने के लिए आवश्यक है ।

(2) न्यायालय ऐसे आवेदन पर उस समय को उतना बढ़ा देगा जितना उसे आवश्यक प्रतीत हो ।

1. भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा " सरकारी प्लीडर" के लिए रखे गए "क्राउन प्लीडर" के स्थान पर विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "भारत के सेक्रेटरी आफ स्टेट इन काउन्सिल" के स्थान पर प्रतिस्थापित |

8. लोक अधिकारी के विरुद्ध वादों में प्रक्रिया- (1) जहां किसी लोक अधिकारी के विरुद्ध किसी वाद की प्रतिरक्षा करने का जिम्मा सरकार लेती है वहां [2][सरकारी प्लीडर] उपसंजात होने और वादपत्र का उत्तर देने का प्राधिकार दिए जाने पर न्यायालय से आवेदन करेगा और न्यायालय ऐसे आवेदन पर उसके प्राधिकार का टिप्पण सिविल वादों के रजिस्टर में प्रविष्टि कराता ।

(2) जहां उस दिन को जो प्रतिवादी के उपसंजात होने और उत्तर देने के लिए सूचना में नियत है, या उस दिन के पूर्व कोई आवेदन [2][सरकारी प्लीडर] द्वारा उपनियम (1) के अधीन नहीं किया जाए वहां मामला ऐसे चलेगा जैसे वह प्राइवेट पक्षकारों के बीच चलता हें:

परन्तु प्रतिवादी की गिरफ्तारी या उसकी सम्पत्ति की कुर्की डिक्री के निष्पादन में ही की जा सकेगी, अन्यथा नहीं ।

[3][**8क. कुछ मामलों में सरकार से या लोक अधिकारी से कोई प्रतिभूति अपेक्षित न की जाएगी-** सरकार से या जहां सरकार ने वाद की प्रतिरक्षा का जिम्मा लिया है वहां किसी ऐसे लोक अधिकारी से जिस पर किसी ऐसे कार्य के बारे में वाद लाया गया है जिसके सम्बन्ध में यह अभिकथित किया गया है कि वह उसने अपनी पदीय हैसियत में किया है आदेश 41 के नियम 5 और नियम 6 में यथावर्णित प्रतिभूति की अपेक्षा नहीं की जाएगी ।

8ख. "सरकार" और "सरकारी प्लीडर" की परिभाषाएं- इस आदेश में [4][जब तक कि अभिव्यक्त रुप से अन्यथा उपबन्धित न हो,] सरकार और [5][सरकारी प्लीडर] से क्रमश:----

1. भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "सरकारी प्लीडर" के लिए रखे गए "क्राउन प्लीडर" के स्थान पर विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "सरकारी प्लीडर" के लिए रखे गए "क्राउन प्लीडर" के स्थान पर विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया |
3. भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा नियम 8क और 8ख अन्तःस्थापित किया गया ।
4. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा अन्तःस्थापित किया गया ।
5. भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "सरकारी प्लीडर" के लिए रखे गए "क्राउन प्लीडर" के स्थान पर विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया ।

(क) ऐसे वाद के संबंध में जो [1]*** केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध है या उस सरकार की सेवा में के किसी लोक अधिकारी के विरुद्ध है केन्द्रीय सरकार और ऐसा प्लीडर अभिप्रेत है जो वह सरकार चाहे साधारणत: या विशेषत:, इस आदेश के प्रयोजनों के लिए नियुक्त करे;

[2]* * * *

(ग) ऐसे वाद के संबंध में जो राज्य सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध है या राज्य की सेवा में के लोक अधिकारी के विरुद्ध है राज्य सरकार और [3][धारा 2 के खण्ड (7) में यथापरिभाषित सरकारी प्लीडर या ऐसा अन्य प्लीडर अभिप्रेत है जो राज्य सरकार चाहे साधारणत: या विशेषत: इस आदेश के प्रयोजनों के लिए नियुक्त करे ।

आदेश 27 नियम 9
उच्च न्यायालय संशोधन

इलाहाबाद उच्च न्यायालय संशोधन (22.5.1915) - निम्नानुसार नियम 9 को जोड़ा गया-

"9. प्रत्येक मामले में जिसमें सरकारी प्लीडर पक्षकार के रुप होने वाली सरकार के लिए अपनी ओर से उपस्थित होता है अथवा सरकार की ओर से वचनविबंध नियम 8 (1) के अन्तर्गत देता है तो सरकार के अधिकारी के विरुद्ध वाद की प्रतिरक्षा में वह वकालतनामा के स्थान पर उसके द्वारा हस्ताक्षरित बिना स्टाम्प के कागज पर और यह बताते हुए कि वह किसकी ओर से उपस्थित होता है ज्ञापन प्रस्तुत करेगा । ऐसा ज्ञापन यथाशक्य निकटतम निम्नानुसार प्ररूप में होगा-

वाद का शीर्षक आदि

1. मैं क ख सरकारी प्लीडर याद में परिषद में भारत के राज्य सचिव (अथवा संयुक्त प्रान्तों की सरकार के लिए जैसा भी मामला हो,) प्रत्यर्थी (अथवा आदि) की ओर से अथवा सरकार (जिसके संबंध में 1908 के अधिनियम 5 के आदेश 27 नियमक 8 (1) के अन्तर्गत वाद की प्रतिरक्षा वचनबंध दिया गया है) प्रत्यर्थी (अथवा आदि) की ओर से उपस्थित होता हूँ |

1. भारतीय स्वतत्रता (केन्द्रीय अधिनियमों और अध्यादेशो का अनुकूलन) आदेश 1948 द्वारा

"सेक्रेटरी आफ स्टेट या" शब्दों का लोप ।

2. भारतीय स्वतंत्रता (केन्द्रीय अधिनियमो और अध्यादेशों का अनुकूलन) आदेश, 1948 द्वारा खण्ड (ख) का लोप ।
3. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा अन्त स्थापित किया गया ।

राज्य संशोधन

उत्तर प्रदेश राज्य संशोधन- नियम 9 के उपरांत निम्नानुसार अंतस्थापित किया गया-

"10. वैधानिक प्राधिकारी के दारा या उसके विरुद्ध वाद- (1) किसी विधि के द्वारा या उसके अधीन गठित कोई प्राधिकारण या निगम समय-समय पर किसी जिले में उस प्राधिकारण या निगम प्लीडर के रुप में पुकारा जाने वाले स्थायी अधिवक्ता की नियुक्ति कर सकेगा और ऐसी नियुक्ति की सूचना जिला जज और *[जैसा भी मामला हो, इलाहाबाद व लखनऊ पीठ के रजिस्ट्रार] को दे सकेगा

(2) इस प्रकार नियुक्त किया गया निगम का प्लीडर उस जिले में नियुक्त प्राधिकरण या निगम का उसके विरुद्ध आदेशिका प्राप्त करने के लिए अभिकर्ता होगा परन्तु यह बिना वकालतनामा या उपस्थिति पत्र फाइल किये बिना कार्य या प्लीड नहीं करेगा |

(इस बाबत उ.प्र. अधिनियम (1976 का 57 दिनांक 1.1.1977) एवं अधिसूचना दिनाकित 10.2.1981 अवलोकनीय है ।)

[1][आदेश 27क]

वे वाद जिनमें [2][संविधान के निर्वचन [3][या किसी कानूनी लिखत की विधिमान्यता] सम्बन्धी कोई सारभूत विधि-प्रश्न अंतर्ग्रस्त हों

1. महान्यायवादी या महाधिवक्ता को सूचना- किसी भी ऐसे वाद में जिसमें न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि [4][[5]संविधान के अनुच्छेद 147 के साथ पठित अनुच्छेद 132 के खण्ड (1) में यथानिर्दिष्ट कोई प्रश्न अन्तर्ग्रस्त है, न्यायालय उस प्रश्न का अवधारण करने के लिए तब तक अग्रसर नहीं होगा जब तक, यदि वह विधि-प्रश्न केन्द्रीय सरकार से संबंधित है तो भारत के महान्यायवादी को ओर यदि वह विधि-प्रश्न किसी राज्य सरकार से संबंधित है तो, उस राज्य के महाधिवक्ता को सूचना न दे दी गई हो ।

1. 1942 के अधिनियम सं. 23 की धारा 2 द्वारा आदेश 27क अन्त स्थापित किया गया ।
2. विधि अनुकूलन आदेश, 1960 द्वारा " भारत शासन अधिनियम 1956 या तदधीन किए गए परिषद के किसी आदेश " के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।
3. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 77 द्वारा (1.2.1977 से) अन्तःस्थापित किया गया ।
4. भारतीय स्वतंत्रता (केन्द्रीय अधिनियमों और अध्यादेशो का अनुकूलन) आदेश, 1948 द्वारा " भारत शासन अधिनियम, 1935 या तदधीन किए गए परिषद के किसी आदेश का निर्वचन सबंधी कोई सारभूत विधि-प्रश्न " के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया |
5. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा " भारत शासन अधिनियम 1935 की धारा 205 की उपधारा (1) मे " के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।

6. विधि अनुकूलन आदेश 1950 द्वारा " भारत के महाधिवक्ता " के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।
7. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 77 द्वारा (1.2.1977 से) अन्तःस्थापित किया गया ।

[7][**1क. उन वादों में प्रक्रिया जिनमें किसी कानूनी लिखत की विधिमान्यता अन्तर्ग्रस्त है-** किसी ऐसे वाद में जिसमें न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि किसी कानूनी लिखत की विधिमान्यता के संबंध में कोई ऐसा प्रश्न अन्तर्ग्रस्त है जो नियम 1 में वर्णित प्रकृति का प्रश्न नहीं है, न्यायालय,-

(क) यदि वह प्रश्न सरकार से संबंधित है तो, सरकारी प्लीडर को, अथवा

(ख) यदि प्रश्न सरकार से भिन्न किसी प्राधिकारी से संबंधित है तो, उस प्राधिकारी को जिसने कानूनी लिखत जारी की थी,

सूचना दिए बिना प्रश्न का अवधारण करने के लिए अग्रेसर नहीं होगा ।]

2. न्यायालय सरकार को पक्षकार के रुप में जोड़ सकेगा- किसी भी ऐसे वाद में जिसमें [1][[2][संविधान के अनुच्छेद 147 के साथ पठित अनुच्छेद 132 के खण्ड (1) में] यथानिर्दिष्ट कोई प्रश्न अन्तर्ग्रस्त है, यदि, यथास्थिति, [3][भारत का महान्यायवादी] या राज्य का महाधिवक्ता नियम 1 के अधीन सूचना की प्राप्ति पर या अन्यथा, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को वाद में प्रतिवादी के रुप में जोडे जाने के लिए न्यायालय से आवेदन करता है और न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि अन्तर्ग्रस्त विधि-प्रश्न के समाधानप्रद अवधारण के लिए ऐसा जोड़ा जाना आवश्यक है या वांछनीय है, तो वह वाद के किसी भी प्रक्रम में यह आदेश कर सकेगा कि वह सरकार ऐसे वाद में प्रतिवादी के रुप में जोड़ ली जाए ।

1. भारतीय स्वतत्रता (केन्द्रीय अधिनियमो और अध्यादेशो का अनुकूलन) आदेश 1948 द्वारा " भारत शासन अधिनियम 1935 या तदधीन किए गए परिषद् के किसी आदेश का निर्वचन संबंधी कोई सारभूत विधि -प्रश्न " के स्थान पर प्रतिस्थापित किया ।
2. विधि अनुकूलन आदेश 1950 द्वारा " भारत शासन अधिनियम 1935 की धारा 205 की उपधारा (1) मे " के स्थान पर प्रतिस्थापित किया ।
3. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा " भारत के महाधिवक्ता" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया ।
4. 1976 के अधिनियम सं 104 की धारा 77 द्वारा (1.2.1977 से) अन्त: स्थापित किया ।

[4][**2क. किसी कानूनी लिखत की विधिमान्यता संबंधी वाद में सरकार या अन्य प्राधिकारी को प्रतिवादी के रुप में जोड़ने की न्यायालय की शक्ति-** न्यायालय किसी ऐसे वाद में जिसमें कोई ऐसा प्रश्न जो नियम 1 क में निर्दिष्ट है, अन्तर्ग्रस्त है, कार्यवाहियों के किसी प्रक्रम में यह आदेश कर सकेगा कि सरकार या अन्य प्राधिकारी को प्रतिवादी के रुप में जोड़ा जाएगा, यदि, यथास्थित, सरकारी प्लीडर द्वारा या ऐसे प्राधिकारी की ओर से जिसने लिखत जारी की थी, मामले में उपसंजात होने वाले प्लीडर द्वारा, चाहे नियम [1](क के अधीन सूचना प्राप्त करने पर या अन्यथा, ऐसे जोड़े जाने के लिए आवेदन किया जाता है और

न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि प्रश्न के समाधानप्रद अवधारण के लिए ऐसा जोडा जाना आवश्यक है या वांछनीय है ।

[1][**3.खर्चे---** जहां सरकार या कोई अन्य प्राधिकारी वाद में प्रतिवादी के रुप में नियम 2 या नियम 2क के अधीन जोड़ा जाता है वहां महान्यायवादी, महाधिवक्ता या सरकारी प्लीडर या सरकार या अन्य प्राधिकारी उस न्यायालय में जिसने जोडे जाने का आदेश किया था, तब तक खर्चे के लिए हकदार या दायित्वाधीन नहीं होगा जब तक कि न्यायालय मामले की सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किसी विशेष कारण से अन्यथा आदेश न करे ।

4. इस आदेश का अपीलों को लागू होना- अपीलों को इस आदेश को लागू करने में "प्रतिवादी" शब्द के अन्तर्गत प्रत्यर्थी और "वाद" शब्द के अन्तर्गत अपील समझी जाएगी ।

[2][**स्पष्टीकरण--** इस आदेश में "कानूनी लिखत" से किसी अधिनियमिति के अधीन विनिर्दिष्ट रुप में बनाया गया नियम, अधिसूचना, उपविधि, आदेश, स्कीम या प्ररूप अभिप्रेत है ।

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 77 द्वारा (1.2.1977 से) नियम 3 के स्थान पर प्रतिस्थापित किया ।
2. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 77 द्वारा (1.2.1977 से) अन्तःस्थापित किया ।

आदेश 28

सैनिक [1][या नौसैनिक] या [2][वायुसैनिक] द्वारा या उनके विरुद्ध वाद

1. आफिसर, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक, जो छुटटी अभिप्राप्त नहीं कर सकते अपनी ओर से वाद लाने या प्रतिरक्षा करने के लिए किसी व्यात्न को प्राधिकृत कर सकेंगे- (1) जहां कोई ऐसा आफिसर, [3][सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक] जो [4][वैसी] हैसियत में [5][सरकार के अधीन] वस्तुत: [6][सेवा कर रहा है,] किसी वाद का पक्षकार है और स्वयं वाद के अभियोजित करने या वाद में प्रतिरक्षा करने के प्रयोजन के लिए अनुपस्थिति छुट्टी अभिप्राप्त नहीं कर सकता है वहां वह अपने बदले वाद लाने या प्रतिरक्षा करने के लिए किसी भी व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकेगा ।

(2) वह प्राधिकार लिखित होगा और उस आफिसर, [7][सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक] द्वारा (क) अपने कमान आफिसर के या यदि पक्षकार स्वयं कमान आफिसर है तो ठीक निचले अधीनस्थ आफिसर के समक्ष या (ख) जहां आफिसर [8][सैनिक, [9][नौसैनिक] या वायुसैनिक] सेना, [10][नौसेना] [11][या वायुसेना] के स्टाफ नियोजन में सेवा कर रहा है वहां उस कार्यालय के जिसमें वह नियोजित है, प्रधान या अन्य वरिष्ठ आफिसर के समक्ष, हस्ताक्षरित किया जाएगा; ऐसा कमान या अन्य आफिसर उस प्राधिकार को प्रतिहस्ताक्षरित करेगा जो न्यायालय में फाइल किया जाएगा ।

(3) प्राधिकार के इस प्रकार फाइल किए जाने पर, प्रतिहस्ताक्षर इस बात के लिए पर्याप्त सबूत होगा कि प्राधिकारी सम्यक रूप से निष्पादित किया गया था और वह ऑफिसर, [12][सैनिक, [13][नौसैनिक] या वायुसैनिक] जिसके द्वारा वह प्राधिकार दिया गया है, स्वयं वाद के अभियोजित करने या वाद में प्रतिरक्षा करने के प्रयोजन के लिए अनुपस्थिति छुटटी अभिप्राप्त नहीं कर सका ।

1. 1934 के अधिनियम सं. 35 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा अन्तःस्थापित किया |
2. 1927 के अधिनियम सं. 10 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा अन्तःस्थापित किया ।
3. "सैनिक या वायुसैनिक" शब्द 1927 के अधिनियम सं. 10 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा "या सैनिक" तथा "या कोई सैनिक" के स्थान पर प्रतिस्थापित किए गए थे तथा "नौसैनिक" शब्द 1934 के अधिनियम सं. 35 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा अन्तःस्थापित किए गए ।
4. 1934 के अधिनियम सं. 35 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा "सेना या वायुसेना" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया ।
5. भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "सरकारी सेवा में है" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया ।
6. भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "सरकारी सेवा में है" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया ।
7. "सैनिक या वायुसैनिक" शब्द 1927 के अधिनियम सं. 10 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा "या सैनिक" तथा "या कोई सैनिक" के स्थान पर प्रतिस्थापित किए गए थे तथा "नौसैनिक" शब्द 1934 के अधिनियम सं. 35 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा अन्तः स्थापित किए गए ।
8. "सैनिक या वायुसैनिक" शब्द 1927 के अधिनियम सं. 10 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा "या सैनिक" तथा "या कोई सैनिक" के स्थान पर प्रतिस्थापित किए गए थे तथा "नौसैनिक" शब्द 1934 के अधिनियम सं. 35 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा अन्तःस्थापित किया ।
9. 1934 के अधिनियम सं. 35 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा अन्तःस्थापित किया |
10. 1934 के अधिनियम सं. 35 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा अन्तःस्थापित किया ।
11. 1927 के अधिनियम सं. 10 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा अन्तःस्थापित किया ।
12. 1927 के अधिनियम सं. 10 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा "या सैनिक" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया ।
13. 1934 के अधिनियम सं. 35 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा अन्तःस्थापित किया ।

स्पष्टीकरण- इस आदेश में "कमान ऑफिसर" पद से ऐसा ऑफिसर अभिप्रेत है जो उस रेजिमेंट, कोर, [1][पोत], टुकड़ी या डिपो का तत्समय वास्तविक समापदेशन करता है जिसमें वह आफिसर, [2][सैनिक, [3][नौसैनिक] या वायुसैनिक] है ।

2. इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति स्वयं कार्य कर सकेगा या लीडर नियुक्त कर सकेगा- आफिसर, 4[सैनिक, [5][नौसैनिक] या वायुसैनिक] द्वारा उसकी अपनी ओर से वाद के अभियोजित करने या वाद में प्रतिरक्षा करने के लिए प्राधिकृत कोई भी व्यक्ति स्वयं उसे ऐसे अभियोजित कर सकेगा या उसमें ऐसे प्रतिरक्षा कर सकेगा जैसे वह आफिसर, [6][सैनिक, [7][नौसैनिक,] या वायुसैनिक करता यदि वह उपस्थित होता या वह उस आफिसर [8][सैनिक, [9][नौसैनिक] या वायुसैनिक] की ओर से वाद अभियोजित करने या वाद में प्रतिरक्षा करने के लिए प्लीडर नियुक्त कर सकेगा ।

1. 1934 के अधिनियम सं. 35 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा अतःस्थापित किया ।
2. 1927 के अधिनियम सं. 10 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा "या सैनिक" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया ।
3. 1934 के अधिनियम सं. 35 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा अंतःस्थापित किया ।
4. 1927 के अधिनियम सं. 10 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा "या किसी सैनिक" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया ।
5. 1934 के अधिनियम सं. 35 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा अतःस्थापित किया ।
6. 1927 के अधिनियम सं. 10 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा "या सैनिक" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया ।
7. 1934 के अधिनियम सं. 35 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा अतःस्थापित किया ।
8. 1927 के अधिनियम सं. 10 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा "या सैनिक" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया ।
9. 1934 के अधिनियम सं. 35 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा अंतःस्थापित किया ।

3. इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति पर या उसके प्लीडर पर की गई तामील उचित तामील होगी- किसी आफिसर, [1][सैनिक,] [2][नौसैनिक] या वायुसैनिक] द्वारा नियम 1 के अधीन प्राधिकृत किए गए किसी भी व्यक्ति पर या ऐसे व्यक्ति द्वारा पूर्वोक्त रीति से नियुक्त किसी भी प्लीडर पर तामील की गई आदेशिकाएँ वैसे ही प्रभावी होंगी मानो उनकी तामील स्वयं पक्षकार पर की गई है |

आदेश 29
निगमों द्वारा या उनके विरुद्ध वाद

1. अभिवचन पर हस्ताक्षर किया जाना और उसका सत्यापन- किसी निगम द्वारा या उसके विरुद्ध वादों में कोई भी अभिवचन उस निगम की ओर से उस निगम के सचिव या किसी निदेशक या अन्य प्रधान अधिकारी द्वारा, जो मामले के तथ्यों के बारे में अभिसाक्ष्य देने योग्य हो, हस्ताक्षरित और सत्यापित किया जा सकेगा ।

1. 1927 के अधिनियम सं. 10 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा "या किसी सैनिक" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया |
2. 1934 के अधिनियम सं. 35 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा अंतःस्थापित किया ।

2. निगम पर तामील- आदेशिका की तामील का विनियमन करने वाले किसी भी कानूनी उपबंध के

अधीन रहते हुए, जहाँ वाद किसी निगम के विरुद्ध है वहाँ समन की तामील-

(क) उस निगम के सचिव या किसी भी निदेशक या अन्य प्रधान अधिकारी पर की जा सकेगी, अथवा

(ख) उसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में या यदि कोई रजिस्ट्रीकृत कार्यालय नहीं है तो उस स्थान पर जहाँ निगम कारबार चलाता है, छोडकर या समन को ऐसे कार्यालय या स्थान के पते से निगम को सम्बोधित करके डाक द्वारा भेजकर की जा सकेगी ।

राज्य संशोधन

उ.प्र. राज्य संशोधन- उ.प्र. अधिनियम (1957 का अधिनियम संख्यांक 57) (1.1.1977) के द्वारा आदेश 29 नियम 2 के खंड (क) के उपरांत खंड (कक) के रुप में निम्न अतःस्थापित किया गया है-

"(कक) ऐसे जिले जहां कि समन जारी करने वाला न्यायालय स्थित है, के निगम के स्वयं के प्लीडर पर यदि किसी को नियुक्त किया गया है और नियुक्ति को आदेश 27 नियम 10 के अन्तर्गत जिला जज को अधिसूचित किया गया है "

3. निगम के अधिकारी की स्वीय हाजिरी अपेक्षित करने की शक्ति- वाद के किसी भी प्रक्रम में न्यायालय यह अपेक्षा कर सकेगा कि निगम का सचिव या कोई निदेशक या अन्य प्रधान अधिकारी, जो वाद से सम्बन्धित सारवान प्रश्नों का उत्तर देने योग्य है, स्वय उपसंजात हो ।

आदेश 30

फर्मों के या अपने नामों से भिन्न नामों में कारबार चलाने वाले व्यक्तियों द्वारा या उनके विरुद्ध वाद

1. भागीदारों का फर्म के नाम से वाद लाना- (1) कोई भी दो या अधिक व्यक्ति, जो भागीदारों की हैसियत में दावा करते हैं या दायी हैं और [1][भारत] में कारबार चलाते हैं, या उन पर उस फर्म के नाम से (यदि उसका कोई नाम हो) जिसके कि ऐसे व्यक्ति वाद हेतुक के प्रोदभूत होने के समय भागीदार थे, वाद ला सकेंगे या उन पर वाद लाया जा सकेगा और वाद का कोई भी पक्षकार ऐसे मामले में न्यायालय से आवेदन कर सकेगा कि उन व्यक्तियों के जो वाद-हेतुक के प्रोद्भूत होने के समय ऐसी फर्म में भागीदार थे, नामों और पतों का कथन ऐसी रीति से किया जाए और सत्यापित किया जाए जो न्यायालय निदिष्ट करे ।

(2) जहां उनकी फर्म के नाम में भागीदारों की हैसियत में वाद उपनियम (1) के अधीन कोई व्यक्ति लाते हैं या उन पर लाया जाता है वहां किसी अभिवचन या अन्य दस्तावेज की दशा में जिसका वादी या प्रतिवादी द्वारा हस्ताक्षरित, सत्यापित या प्रमाणित किया जाना इस संहिता द्वारा या इसके अधीन अपेक्षित है, यह पर्याप्त होगा कि ऐसा अभिवचनया अन्य दस्तावेज ऐसे व्यक्तियों में से किसी भी एक द्वारा हस्ताक्षरित, सत्यापित या प्रमाणित कर दी जाए ।

2. भागीदारों के नामों का प्रकट किया जाना- (1) जहां कोई वाद भागीदारों द्वारा अपनी फर्म के नाम में संस्थित किया जाता है वहां वादी या उनका प्लीडर किसी भी प्रतिवादी द्वारा या उसकी ओर से लिखित मांग की जाने पर उस फर्म को गठित करने वाले सभी व्यक्तियों के नामों और निवास के स्थानों

की लिखित घोषणा तत्क्षण करेगा जिनकी ओर से वाद संस्थित किया गया है |

1. 1951 के अधिनियम सं. 2 की धारा 3 द्वारा "राज्यों" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया ।

(2) जहां वादी या उनका प्लीडर उपनियम (1) के अधीन की गई किसी मांग को पूरा करने में असफल रहता है वहा वाद की सारी कार्यवाहियाँ उस प्रयोजन के लिए किए गए आवेदन पर ऐसे निबन्धनों पर रोकी जा सकेंगी जो न्यायालय निदिष्ट करे ।

(3) जहां भागीदारों के नाम उपनियम (1) में निदिष्ट रीति से घोषित कर दिए जाते हैं वहां वाद उसी प्रकार अग्रसर होगा और सभी दृष्टियों से वे ही परिणाम होंगे मानो वे वादियों के रुप में वादपत्र में नामित थे :

[1][परन्तु सारी कार्यवाहियां तब भी फर्म के नामों में चालू रहेंगी किन्तु उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट रीति से प्रकट किए गए भागीदारों के नाम डिक्री में प्रविष्ट किए जाएँगे ।

3. तामील- जहां व्यक्तियों पर भागीदारों के नाते उनकी फर्म की हैसियत में वाद लाया जाता है वहाँ समन की तामील न्यायालय द्वारा दिए जाने वाले निदेश के अनुसार या तो-

(क) भागीदारों में से किसी एक के या अधिक पर की जाएगी, अथवा

(ख) उस प्रधान स्थान में जिसमें [2][भारत] के भीतर भागीदारी का कारबार चलता है, किसी ऐसे व्यक्ति पर की जाएगी जिसके हाथ में वहां भागीदारी के कारबार का नियंत्रण या प्रबन्ध तामील के समय है,

और ऐसी तामील के बारे में यह समझा जाएगा कि जिस फर्म पर वाद लाया गया है उस पर वह सही तामील है, चाहे सभी भागीदार या उनमें से कोई [3][भारत] के भीतर या बाहर हो :

परन्तु ऐसी भागीदारी की दशा में जिसके बारे में वादी को वाद संस्थित करने से पहले ही यह जानकारी हो कि वह विघटित की जा चुकी है, समन की तामील [4][भारत] के भीतर के ऐसे हर व्यक्ति पर की जाएगी जिसे दायी बनाना चाहा गया है ।

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 78 द्वारा (1.2.1977 से) परन्तुक के स्थान पर प्रतिस्थापित किया ।
2. 1951 के अधिनियम सं. 2 की धारा 3 द्वारा “राज्यो" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया ।
3. 1961 के अधिनियम सं. 2 की धारा 3 द्वारा "राज्यों" के स्थान परप्रतिस्थापित किया ।
4. 1951 के अधिनियम सं. 2 की धारा 3 द्वारा "राज्यों" के स्थान परप्रतिस्थापित किया ।

4. भागीदार की मृत्यु पर वाद का अधिकार- (1) भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (1872 का 9) की धारा 45 में किसी बात के होते हुए भी, जहां फर्म के नाम में वाद पूर्वगामी उपबन्धों के अधीन दो या अधिक व्यक्ति लाते हैं या उन पर लाया जाता है और चाहे किसी वाद के संस्थित किए जाने के पूर्व या उसके लम्बित रहने के दौरान ऐसे व्यक्तियों में से किसी की मृत्यु हो जाती है वहां यह आवश्यक नहीं होगा कि मृतक के विधिक प्रतिनिधि को वाद के पक्षकार की हैसियत में संयोजित किया जाए ।

(2) उपनियम (1) की कोई भी बात ऐसे मृतक के विधिक प्रतिनिधि के किसी भी ऐसे अधिकार को

परिसीमित या अन्यथा प्रभावित नहीं करेगी जो उसका-

(क) उस वाद का पक्षकार बनाए जाने के लिए आवेदन करने के लिए हो, अथवा

(ख) किसी दावे को उत्तरजीवी या उत्तरजीवियों के विरुद्ध प्रवृत्त कराने के लिए हो ।

5. सूचना की तामील किस हैसियत में की जाएगी- जहां समन फर्म के नाम निकाला गया है और उसकी तामील नियम 3 द्वारा उपबन्धित रीति से की गई है वहाँ ऐसे ही व्यक्ति को जिस पर उसकी तामील की गई है, ऐसी तामील के समय दी गई लिखित सूचना द्वारा यह जानकारी दी जाएगी कि क्या उस पर तामील भागीदार की हैसियत में या भागीदार के कारबार का नियंत्रण या प्रबन्ध करने वाले व्यक्ति की हैसियत में या दोनों हैसियतों में की जा रही है और ऐसी सूचना देने में व्यतिक्रम होने पर उस व्यक्ति के बारे में जिस पर तामील की गई है, यह समझा जाएगा कि उस पर तामील भागीदार की हैसियत में की गई है ।

6. भागीदारों की उपसंजाति- जहां व्यक्तियों पर भागीदारों की हैसियत में उनकी फर्म के नाम में वाद लाया जाता है वहां वे स्वयं अपने-अपने नाम से व्यष्टित: उपसंजात होगे, किन्तु पश्चात्वर्ती सभी कार्यवाहियाँ तब भी फर्म के नाम से चालू रहेंगी ।

7. भागीदारों द्वारा ही उपसंजाति होगी अन्यथा नहीं- जहां समन की तामील ऐसे व्यक्ति पर जिसके हाथ में भागीदारी के कारबार का नियंत्रण या प्रबन्ध है, नियम 3 द्वारा उपबन्धित रीति से की गई है वहां जब तक कि वह उस फर्म का जिस पर वाद लाया गया है; भागीदार न हो, उसका उपसंजात होना आवश्यक नहीं होगा ।

[1]**[8. अभ्यापत्तिपूर्वक उपसंजाति-** (1) वह व्यक्ति, जिस पर समन की तामील भागीदार की हैसियत में नियम 3 के अधीन की गई है, यह प्रत्याख्यान करते हुए कि वह किसी तात्विक समय पर भागीदार था, अभ्यापत्तिपूर्वक उपसंजात हो सकेगा ।

(2) ऐसी उपसंजाति की जाने पर या तो वादी या उपसंजात होने वाला व्यक्ति वाद की सुनवाई और अंतिम निपटारे के लिए नियत तारीख के पूर्व किसी भी समय न्यायालय से इस बात का अवधारण करने के लिए आवेदन कर सकेगा कि क्या वह व्यक्ति फर्म का भागीदार था और उस हैसियत में दायित्वाधीन था ।

(3) यदि ऐसे आवेदन पर न्यायालय यह अभिनिर्धारित करता है कि वह तात्विक समय पर भागीदार था तो यह बात उस व्यक्ति को प्रतिवादी के विरुद्ध दावे के रुप में फर्म के दायित्व का प्रत्याख्यान करते हुए प्रतिरक्षा फाईल करने से प्रवारित नहीं करेगी ।

(4) किन्तु यदि न्यायालय यह अभिनिर्धारित करता है कि ऐसा व्यक्ति फर्म का भागीदार नहीं था और उस हैसियत में दायित्वाधीन नहीं था तो यह बात वादी को फर्म पर समन की अन्यथा तामील करने से और वाद आगे चलाने से प्रवारित नहीं करेगी, किन्तु उस दशा में वादी किसी ऐसी डिक्री के निष्पादन में जो फर्म के विरुद्ध पारित की जाए, फर्म के भागीदार की हैसियत में उस व्यक्ति के दायित्व का अभिकथन करने से प्रवारित हो जाएगा ।

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 78 द्वारा (1.2.1977 से) नियम 8 के स्थान पर प्रतिस्थापित किया ।

9. सहभागीदारों के बीच में वाद- यह आदेश फर्म और उसके एक या अधिक भागीदारों के बीच के वादों को और ऐसे वादों को, जो उन फर्मों के बीच हैं, जिनके एक या अधिक भागीदार सहभागीदार हैं, लागू होगा, किन्तु ऐसे वादों में कोई भी निष्पादन न्यायालय की इजाजत के बिना जारी नहीं किया जाएगा और ऐसे निष्पादन को जारी करने की इजाजत के लिए आवेदन किए जाने पर ऐसे सभी लेखाओं का लिया जाना और जांच की जानी निदिष्ट की जा सकेगी और ऐसे निदेश दिए जा सकेंगे जो न्याय संगत हो ।

[1][**10. स्वयं अपने नाम से भिन्न नाम से कारबार चलाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध वाद-** अपने नाम से भिन्न नाम या अभिनाम से कारबार चलाने वाले किसी भी व्यक्ति पर या किसी नाम से कारबार चलाने वाले हिन्दु अविभक्त कुटुम्ब पर वाद उसी नाम या अभिनाम में इस प्रकार लाया जा सकेगा मानो वह फर्म का नाम हो और इस आदेश के सभी नियम वहां तक लागू होंगे जहां तक कि उस मामले की प्रकृति से अनुज्ञात हो ।

आदेश 31

न्यासियों, निष्पादकों और प्रशासकों द्वारा या उनके विरुद्ध वाद

1. न्यासियों, आदि में निहित सम्पत्ति से समपृक्त वादों में हिताधिकारियों का प्रतिनिधित्व- किसी न्यासी, निष्पादक या प्रशासक में निहित सम्पत्ति से सम्पृक्त ऐसे सभी वादों में जिनमें कि ऐसी सम्पत्ति में फायदा पाने वाले के रूप में हितबद्ध व्यक्तियों के और किसी पर व्यक्ति के बीच प्रतिविरोध है, न्यासी, निष्पादक या प्रशासक इस प्रकार हितबद्ध व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करेगा और उन्हें वाद में पक्षकार बनाना, मामूली तौर से आवश्यक नहीं होगा, किन्तु यदि न्यायालय ठीक समझे तो वह आदेश दे सकेगा कि उन्हें या उनमें से किसी को पक्षकार बनाया जाए ।

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 78 द्वारा (1.2.1977 से) नियम 10 के स्थान पर प्रतिस्थापित किया ।

2. न्यासियों, निष्पादकों और प्रशासकों का संयोजन- जहां कोई न्यासी, निष्पादक या प्रशासक हों वहां ऐसे वाद में जो उनमें से एक या अधिक के विरुद्ध हों, वे सभी पक्षकार बनाए जाएँगे: परन्तु जिन्होंने अपने वसीयतकर्ता की बिल को साबित नहीं किया है, ऐसे निष्पादकों को और [1][भारत] से बाहर के न्यासियों, निष्पादकों और प्रशासकों को पक्षकार बनाना आवश्यक नहीं होगा ।

3. विवाहिता निष्पादिका का पति संयोजित नहीं होगा- जब तक कि न्यायालय अन्यथा निदेश न दे विवाहिता न्यासी, प्रशासिका या निष्पादिका का पति होने के नाते ही ऐसे वाद में पक्षकार न होगा जो उस स्त्री द्वारा या उसके विरुद्ध लाया गया हो ।

आदेश 32

अवयस्कों और विकृतचित्त व्यक्तियों द्वारा या उनके विरुद्ध वाद

1. **अवयस्क वाद-मित्र वारा वाद लाएगा-** अवयस्क द्वारा हर वाद उसके नाम में ऐसे व्यक्ति द्वारा संस्थित किया जाएगा जो ऐसे वाद में अवयस्क का वाद-मित्र कहलाएगा ।

[2][**स्पष्टीकरण-** इस आदेश में "अवयस्क" से वह व्यक्ति जिसने भारतीय अवयस्कता अधिनियम, 1875 (1875 का 9), की धारा 3 के अर्थ में अपनी वयस्कता प्राप्त नहीं की है, अभिप्रेत है जहां वाद उस अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (क) और खण्ड (ख) में वर्णित विषयों में से किसी विषय या किसी अन्य विषय के संबंध में हो ।]

1. 1951 के अधिनियम सं. 2 की धारा 3 द्वारा "राज्यों' के स्थान पर प्रतिस्थापित किया ।
2. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 79 द्वारा (1.2.1977 से) अंतःस्थापित किया ।

2. जहां वाद-मित्र के बिना वाद संस्थित किया जाए वहां वादपत्र फाइल से निकाल दिया जाएगा- (1) जहां अवयस्क द्वारा या उसकी ओर से वाद, वाद-मित्र के बिना संस्थित किया जाता है वहां प्रतिवादी यह आवेदन कर सकेगा कि वादपत्र फाइल से निकाल दिया जाए और खर्चे उस प्लीडर या अन्य व्यक्ति द्वारा दिए जाएँ जिसने उसे उपस्थित किया था ।

(2) ऐसे आवेदन की सूचना ऐसे व्यक्ति को दी जाएगी और उसके आक्षेप (यदि कोई हों) सुनने के पश्चात् न्यायालय उस विषय में ऐसा आदेश कर सकेगा जो वह ठीक समझे ।

[1][**2क. वाद-मित्र द्वारा प्रतिभूति का तब दिया जाना जब इस प्रकार आदिष्ट किया जाए-** (1) जहां अवयस्क की ओर से उसके वाद-मित्र द्वारा वाद संस्थित किया जाता है वहां न्यायालय वाद के किसी भी प्रक्रम में या तो स्वप्रेरणा से या किसी प्रतिवादी के आवेदन पर और ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, वाद-मित्र को यह आदेश दे सकेगा कि वह प्रतिवादी द्वारा उपगत या उपगत किए जाने संभाव्य सभी खर्चों के संदाय के लिए प्रतिभूति दे ।

(2) जहां निर्धन व्यक्ति द्वारा ऐसा वाद संस्थित किया जाता है वहां प्रतिभूति के अंतर्गत सरकार को संदेय न्यायालय फीस भी होगी ।

(3) जहां न्यायालय इस नियम के अधीन प्रतिभूति देने का निदेश देते हुए आदेश करता है वहा आदेश 25 के नियम 2 के उपबन्ध वाद को, जहां तक हो सके, लागू होंगे ।]

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 79 द्वारा (1.2.1977 से) अंत स्थापित किया ।

3. अवयस्क प्रतिवादी के लिए न्यायालय द्वारा वादार्थ संरक्षक की नियुक्ति- (1) जहां प्रतिवादी अवयस्क है वहां न्यायालय उसकी अवयस्कता के तथ्य के बारे में अपना समाधान हो जाने पर उचित व्यक्ति को ऐसे अवयस्क के लिए वादार्थ संरक्षक नियुक्त करेगा ।

(2) वादार्थ संरक्षक की नियुक्ति के लिए आदेश अवयस्क के नाम में और उसकी ओर से या वादी द्वारा किए गए आवेदन पर अभिप्राप्त किया जा सकेगा ।

(3) ऐसा आवेदन इस तथ्य को सत्यापित करने वाले शपथपत्र द्वारा समर्थित होगा कि जो बातें वाद में विवादग्रस्त हैं उनमें जो हित अवयस्क का है उस हित के प्रतिकूल कोई हित प्रस्थापित संरक्षक का नहीं है और वह ऐसे नियुक्त किए जाने के लिए ठीक व्यक्ति है ।

(4) कोई भी आदेश इस नियम के अधीन किए गए आवेदन पर तब तक के सिवाय नहीं किया जाएगा जब कि [1]*** अवयस्क के किसी ऐसे संरक्षक को जो ऐसे प्राधिकारी द्वारा नियुक्त या घोषित किया गया है जो इस निमित्त सक्षम है या जहां ऐसा संरक्षक नहीं है वहां [2][अवयस्क के पिता को या जहां पिता नहीं है वहां माता को या जहां पिता या माता नहीं हैं वहां अन्य नैसर्गिक संरक्षक को] या [3][जहां पिता, माता या अन्य नैसर्गिक संरक्षक नहीं] है वहां उस व्यक्ति को जिसकी देखरेख में अवयस्क है, सूचना दी गई है और जिस किसी व्यक्ति पर इस उपनियम के अधीन सूचना की तामील की गई है, उस व्यक्ति की ओर से किया गया कोई भी आक्षेप सुन लिया गया है ।

[4][(4क) यदि न्यायालय किसी मामले में ठीक समझे तो वह अवयस्क को भी उपनियम (4) के अधीन सूचना दे सकेगा ।

[5][(5) जो व्यक्ति अवयस्क के लिए वादार्थ संरक्षक उपनियम (1) के अधीन नियुक्त किया गया है, यदि उसकी नियुक्ति का पर्यवसान निवृत्ति, हटाए जाने या मृत्यु के कारण न हो गया हो तो, वह उस वाद में उद्भूत होने वाली सभी कार्यवाहियों के पूरे दौरान में जिनके अंतर्गत अपील न्यायालय या पुनरीक्षण न्यायालय में की गई कार्यवाहियाँ और डिक्री के निष्पादन की कार्यवाहियाँ आती हैं उसी हैसियत में बना रहेगा ।

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 79 द्वारा (1.2.1977 से) " अवयस्क की ओर" शब्दो का लोप ।
2. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 79 द्वारा (1.2.1977 से) कुछ शब्दो के स्थान पर प्रतिस्थापित किया |
3. 1976 के अधिनियम सं.104 की धारा 79 द्वारा (1.2.1977 से) कुछ शब्दो के स्थान पर प्रतिस्थापित किया ।
4. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 79 द्वारा (1.2.1977 से) अंत: स्थापित किया।
5. 1937 के अधिनियम सं. 16 की धारा 2 द्वारा अन्तःस्थापित किया ।

उच्च न्यायालय संशोधन

म. प्र. उच्च न्यायालय संशोधन- निम्नानुसार को नियम 3 के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया-

"3. (1) जहाँ प्रतिवादी अवयस्क है और न्यायालय कि उसकी अवयस्कता के तथ्य पर संतुष्टि हो जाती है तो वह ऐसे अवयस्क के लिए वाद हेतु संरक्षक होने के लिए उचित व्यक्ति की नियुक्ति करेगा ।

(2) उपनियम (1) के अंतर्गत नियुक्ति व्यक्ति अवयस्क हेतु वाद के लिए संरक्षक होगा और उसकी नियुक्ति जब तक कि सेवानिवृत्ति हटाए जाने अथवा मृत्यु होने के कारण समाप्त न हो जाए । वाद से उत्पन्न सम्पूर्ण कार्यवाहियो किसी अपीलीय अथवा पुनरीक्षण न्यायालय और डिक्री के निष्पादन की कार्यवाही को शामिल करते हुए जारी रहेगी । “(16.9.1960)

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- आदेश 32 नियम 3 के अंत में पूर्ण विराम हटाकर निम्न और जोड़ा गया है–

“और सभी संभाव्य संरक्षक बाबत सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्त या घोषित अवयस्क के संरक्षक या अवयस्क के अन्य प्राकृतिक संरक्षक को शामिल करते हुए या जहाँ कि पिता या अन्य प्राकृतिक सरक्षक नहीं है व्यक्ति जिसकी अभिरक्षा मे अवयस्क है ।"

उपनियम (4) को निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया गया है--

"(4) न्यायालय ऐसे आवेदन की सूचना अवयस्क पर और आवेदन में नामित सभी संभाव्य संरक्षकों और ऐसे अन्य व्यक्तियों को जिन्हें यह उपयुक्त मानता है पर उन्हें नियुक्ति आदि के लिए आपत्तियाँ यदि कोई हो प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए प्रस्तावित या अन्य कोई संभाव्य अवयस्क के संरक्षक को की जाएगी । उस मामले में जहाँ कोई व्यक्ति स्वंय को प्रस्तावित संरक्षक के बजाय अवयस्क का संरक्षक नियुक्त करने की इच्छा करता है वह यह सत्यापित करते हुए शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि वाद में विवादित मामले मे वह उस अवयस्क के प्रतिकूल नहीं रखता है और वह इस प्रकार नियुक्त किए जाने के लिए उपयुक्त व्यक्ति है ।

न्यायालय आपत्तियों यदि कोई हो को सुनने के उपरांत और संरक्षक के रुप में नियुक्त होने के इच्छुक सभी व्यक्तियों प्रस्तावित सर क्षक को शामिल करते हुए के संबंधित दावों पर विचार करके ऐसे व्यक्ति को अवयस्क का संरक्षक नियुक्त करेगा जिसे वह उपयुक्त माने । "

[अधिसूचना क्रमांक 43/vii - डी - 29 दिनांक 1.6.57 ।]

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 79 द्वारा (1.2.1977 से) अंतःस्थापित किया ।

[1][3क अवयस्क के विरुद्ध डिक्री का तब तक अपास्त न किया जाना जब तक कि उसके हितों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ा हो- (1) अवयस्क के विरुद्ध पारित कोई डिक्री केवल इस आधार पर अपार नहीं की जाएगी कि अवयस्क के वाद के लिए वाद-मित्र या संरक्षण वाद की विषय-वस्तु में अवयस्क के हित के प्रतिकूल कोई हित रखता है, किन्तु यह तथ्य कि वाद के लिए वाद-मित्र या संरक्षक के ऐसे प्रतिकूल हित के कारण अवयस्क के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पडा है, डिक्री अपास्त करने के लिए आधार होगा ।

(2) इस नियम की कोई बात अवयस्क को, वाद के लिए वाद-मित्र या संरक्षक की ओर से ऐसे अवचार या घोर उपेक्षा के कारण जिसके परिणामस्वरूप अवयस्क के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, विधि के अधीन उपलभ्य कोई अनुतोष अभिप्राप्त करने से प्रवारित नहीं करेगी ।]

4. कौन वाद-मित्र की हैसियत में कार्य करेगा या वादार्थ संरक्षक नियुक्त किया जा सकेगा- (1) जो व्यक्ति स्वस्थचित्त है और वयस्क है वह अवयस्क के वाद-मत्र या वादार्थ संरक्षक की हैसियत में कार्य कर सकेगा :

परन्तु यह तब जब कि ऐसे व्यक्ति का हित अवयस्क के हित के प्रतिकूल न हो और वाद मित्र की दशा में वह प्रतिवादी न हो या वादार्थ संरक्षक की दशा में वह वादी न हो ।

(2) जहां अवयस्क का ऐसा संरक्षक है जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्त या घोषित किया गया है वहां जब तक कि न्यायालय का उन कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, यह विचार न हो कि अवयस्क का इसमें कल्याण है कि दूसरे व्यक्ति को उसके वाद-मित्र की हैसियत में कार्य करने के लिए अनुज्ञात किया जाए या उसको वादार्थ संरक्षक नियुक्त किया जाए, ऐसे सरक्षक से भिन्न कोई व्यक्ति, यथास्थिति, न तो इस प्रकार कार्य करेगा और न इस प्रकार नियुक्त किया जाएगा ।

(3) कोई भी व्यक्ति अपनी [1][लिखित] सहमति के बिना वादार्थ संरक्षक नियुक्त नहीं किया जाएगा ।

(4) जहां वादार्थ संरक्षक की हैसियत में कार्य करने के लिए कोई भी अन्य व्यक्ति योग्य और रजामन्द नहीं है वहां न्यायालय अपने अधिकारियों में से किसी को ऐसा संरक्षक होने के लिए नियुक्त कर सकेगा और निदेश दे सकेगा कि ऐसे संरक्षक की हैसियत में अपने कर्तव्यों के पालन में ऐसे अधिकारी द्वारा उपगत खर्चे या तो वाद के पक्षकारों द्वारा या पक्षकारों में से किसी एक या अधिक के द्वारा न्यायालय में की किसी ऐसी निधि में से जिसमें अवयस्क हितबद्ध है [2][या अवयस्क की सम्पत्ति में से], दिए जाएंगे और ऐसे खर्चों के प्रतिसंदाय या उनके अनुज्ञात किए जाने के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो न्याय और मामले की परिस्थितियों से अपेक्षित हों ।

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 79 द्वारा (1.2.1977 से) अंतःस्थापित किया ।
2. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 79 द्वारा (1.2.1977 से) अंत : स्थापित किया ।

उच्च न्यायालय संशोधन

म.प्र. उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- निम्नानुसार नियम (4-क) जोडा गया ।

“4-क. वाद के लिए सरक्षक की नियुक्ति की प्रक्रिया-

(1) सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्त अथवा घोषित संरक्षक के सिवाए किसी भी व्यक्ति को बिना उसकी अनुमति के वाद का संरक्षक नियुक्त नहीं किया जाएगा ।

(2) अवयस्क के नाम एवं उसकी ओर से अथवा वादी द्वारा दिए जाने वाले आवेदन पर वाद के लिए सरक्षक नियुक्ति का आदेश प्राप्त किया जा सकेगा ।

(3) जब तक न्यायालय की इस तथ्य पर अन्यथा संतुष्टि नहीं हो जाती है कि प्रस्तावित संरक्षक का वाद मे विवादित विषयों मे अवयस्क के प्रतिकूल हित नहीं हैं और वह इस प्रकार नियुक्त किए जाने के लिए उपयुक्त व्यक्ति है, वह यह अपेक्षा करेगा कि ऐसा आवेदन तथ्य को सत्यापित करने वाले शपथ-पत्र के द्वारा समर्थित हो ।

(4) सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवयस्क के रुप में नियुक्त अथवा घोषित संरक्षक के सिवाए वाद के संरक्षक के रूप मे किसी व्यक्ति को नियुक्त करने के किसी आवेदन पर वाद के लिए प्रस्तावित संरक्षक को और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवयस्क के रूप में नियुक्त अथवा घोषित संरक्षक को और जहाँ ऐसा कोई संरक्षक नहीं है, तो व्यक्ति जिसकी अभिरक्षा में अवयस्क है को सूचना दिए बिना कोई आदेश नहीं किया जाएगा और ऐसी किसी आपत्ति को सुनने के उपरांत जो कि सूचना पत्र में विनिर्दिष्ट दिवस पर बताई जा सकती है । न्यायालय यदि किसी मामले में उपयुक्त समझता है तो अवयस्क को भी सूचना जारी कर सकता है 1

(6) जहाँ विनिर्दिष्ट दिवस पर अथवा उसके पूर्व ऐसा प्रस्तावित संरक्षक उपस्थित होने व वाद के लिए ऐसे सरक्षक के रूप में कार्य करने के लिए उसकी सहमति व्यक्त करने में विफल रहता है, अथवा जहाँ कि वह उपनियम 3 के अंतर्गत अनुपयुक्त अथवा निरर्हित समझा जाता है तो अन्य उपयुक्त अथवा कार्य करने के लिए इच्छुक किसी अन्य व्यक्ति की अनुपस्थिति मे इसके किसी विधिक व्यवसायी अधिकारी अथवा विधिक व्यवसायी को वाद के लिए सरक्षक होने के रूप में नियुक्त कर सकेगा । यदि वाद के लिए विधिक व्यवसायी को संरक्षक नियुक्त किया जाता है तो न्यायालय यह बताते हुए आदेश पारित करेगा कि क्या उसे स्वयं मामले का संचालन करना है अथवा इस प्रयोजन के लिए अन्य विधिक व्यवसायी को नियुक्त करना है ।

(6) ऐसे किसी मामले मे जिसमें अवयस्क प्रतिवादी है, न्यायालय यह निर्देश दे सकेगा कि वादी द्वारा न्यायालय में समुचित राशि जमा की जाए जिसमें से वाद में अवयस्क प्रतिवादी के व्ययों वाद के लिए नियुक्त विधिक व्यवसायी के व्ययो को शामिल करते हुए भुगतान किया जाएगा । वादी द्वारा इस प्रकार उपगत खर्चों को वाद मे खर्चो के सबध में पारित अंतिम आदेश के अनुसार समायोजित किया जाएगा ।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन (24.7.1926)- नियम 4 निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया गया-

“4. (1) जहां सक्षम प्राधिकारी द्वारा अथवा घोषित अवयस्क का संरक्षक है तो ऐसे सरक्षक के अलावा अन्य कोई व्यक्ति, न्यायालय की अनुमति के सिवाए, वाद-मित्र के रुप मे कार्य नहीं करेगा ।

(2) उपनियम (1) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए कोई व्यक्ति जो स्वस्थचित्त है और वयस्यत्त है, वह अवयस्क के वाद-मित्र या वादार्थ सरक्षक के रूप में कार्य कर सकता है । जब तक कि ऐसे व्यक्ति का हित अवयस्क के हित के प्रतिकूल न हो अथवा वह प्रतिवादी न हो या अन्य कारणों से न्यायालय उसे कार्य करने के लिए अनुपयुक्त न समझे |

(3) प्रत्येक वाद-मित्र इस नियम के खण्ड (5) में यथा प्रावधानित के सिवाए अवयस्क की संपदा से अवयस्क की ओर से कार्य करने के दौरान उसके द्वारा उपगत व्ययों की प्रतिपूर्ति करवाने का हकदार होगा ।

(4) न्यायालय, उसके विवेक से, अविलिखित किए जाने वाले कारणों से वाद -मित्र के विरुद्ध व्यक्तिगत तौर पर मानो वह वादी था, वाद के खर्चे अथवा धारा 85- क अथवा 95 के अंतर्गत प्रतिकर अधिनिर्णीत कर सकेगी ।

(5) खण्ड (4) के अंतर्गत अधिनिर्णीत खर्चे अथवा प्रतिकर अवयस्क की संपदा से संरक्षक द्वारा वसूल योग्य नहीं होंगे जब तक कि डिक्री में व्यक्त तौर पर ऐसा निर्देश न दिया गया हो कि वे इस प्रकार वसूल योग्य होंगे ।

" नवीन पद 4 क की स्थापना- इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा नवीन पद 4 क भी निम्न प्रकार स्थापित किया गया है-

"4- क- (1) जहाँ सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्त सरक्षक अवयस्क है, अन्य कोई व्यक्ति ऐसे संरक्षक के अलावा वाद के लिए उसका संरक्षक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक न्यायालय अभिलिखित कारणों से यह विचार नहीं करती है कि यह अवयस्क के हित कल्याण में होगा कि अन्य व्यक्ति को नियुक्त किया जाए ।

(2) जहाँ कोई संरक्षक नहीं है या जहाँ न्यायालय विचार करती है कि उसे ऐसे संरक्षक को नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए यह अवयस्क के प्राकृतिक संरक्षक को यदि वह योग्य है, नियुक्त करेगा या जहाँ ऐसा कोई संरक्षक नहीं है व्यक्ति जिसकी देख-रेख में अवयस्क है या अन्य उपयुक्त व्यक्ति जो उसकी कार्य करने की इच्छा को अधिसूचित कर चुका है या ऐसे किसी व्यक्ति के विफल होने पर न्यायालय के अधिकारी को वाद के लिए संरक्षक के रूप में नियुक्त करेगा |

स्पष्टीकरण- उपनियम के प्रयोजन के लिए न्यायालय के अधिकारों में न्यायालय के रोल पर विधि व्यवसायी शामिल होगा ।

पटना उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- पटना उच्च न्यायालय द्वारा आदेश 32 के नियम 4 के उपनियम (4) में संशोधन किया गया है । उपनियम (4) मे वर्णित इन शब्दों "जहाँ वादार्थ संरक्षक की हैसियत से कार्य करने के लिए कोई भी अन्य व्यक्ति योग्य और रजामंद नहीं है" के स्थान पर इन शब्दों को प्रतिस्थापित किया गया है "जहाँ व्यक्ति जिसको न्यायालय नियम 3 के उपानियम (4) के अंतर्गत आपत्तियों, यदि कोई हो, सुनने के उपरांत वाद के लिए संरक्षक नियुक्त करने का प्रस्ताव करता है, उसे सूचना में नियत समय के भीतर इस प्रकार नियुक्त किए जाने में उसकी सहमति को व्यक्त करने में विफल रहता है ।

5. वाद-मित्र या वादार्थ संरक्षक द्वारा अवयस्क का प्रतिनिधित्व- (1) अवयस्क की ओर से हर ऐसा आवेदन जो नियम 10 के उपनियम (2) के अधीन आवेदन से भिन्न है उसके वाद-मित्र या उसके वादार्थ संरक्षक द्वारा किया जाएगा ।

(2) जहां अवयस्क का प्रतिनिधित्व यथास्थिति, वाद-मित्र या वादार्थ संरक्षक द्वारा नहीं हुआ है वहां हर आदेश जो न्यायालय के समक्ष के वाद में या आवेदन पर किया गया है और जिससे ऐसा अवयस्क किसी प्रकार संबंधित है या जिसके द्वारा उस पर किसी प्रकार प्रभाव पड़ता है अपास्त किया जा सकेगा और उस दशा में खर्चे सहित अपास्त किया जा सकेगा जिसमें उस पक्षकार का जिसकी प्रेरणा पर ऐसा आदेश अभिप्राप्त किया गया था, प्लीडर ऐसी अवयस्कता के तथ्य को जानता था या युक्तियुक्त रुप से जान सकता था, जो खर्चा उस प्लीडर द्वारा दिया जाएगा ।

6. **अवयस्क की ओर से वाद-मित्र या वादार्थ संरक्षक को डिक्री के अधीन सम्पात्ति की प्राप्ति–**(1) वाद-मित्र या वादार्थ संरक्षक न्यायालय की इजाजत के बिना न तो-

(क) डिक्री या आदेश के पूर्व समझौते के तौर पर, और न

(ख) अवयस्क के पक्ष में डिक्री या आदेश के अधीन,

किसी भी धन या अन्य जगम सम्पत्ति को अवयस्क की ओर से प्राप्त करेगा ।

(2) जहां वाद-मित्र या वादार्थ संरक्षक अवयस्क की सम्पत्ति का संरक्षक होने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्‌वारा नियुक्त या घोषित नहीं किया गया है या ऐसे नियुक्त या घोषित किए जाने पर धन या अन्य जंगम सम्पत्ति को प्राप्त करने के लिए ऐसी किसी निर्योग्यता के अधीन है जो न्यायालय को ज्ञात है वहां, यदि न्यायालय सम्पत्ति प्राप्त करने के लिए उसे इजाजत देता है तो, वह ऐसी प्रतिभूति अपेक्षित करेगा और ऐसे निदेश देगा जिनसे न्यायालय की राय में सम्पत्ति की दुर्व्यय से पर्याप्त रुप से संरक्षा होगी और उसका उचित उपयोजन सुनिश्चित होगा :

[1][परन्तु न्यायालय वाद- मित्र या वादार्थ संरक्षक को डिक्री या आदेश के अधीन धन या अन्य जंगम सम्पत्ति प्राप्त करने की इजाजत देते समय ऐसे कारणों से जो लेखबद्‌ध किए जाएंगे, ऐसी प्रतिभूति देने से उस दशा में अभिमुक्त कर सकेगा जिसमें ऐसा वाद-मित्र या संरक्षक---

(क) हिन्दु अविभक्त कुटुम्ब का कर्ता है और डिक्री या आदेश कुटुम्ब की सम्पत्तिने या कारबार के सम्बन्ध में है; अथवा

(ख) अवयस्क का माता या पिता है ।

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 79 द्‌वारा (1.2.1977 से) अत: स्थापित किया गया ।

7. वाद-मित्र या वादार्थ संरक्षक द्‌वारा करार या समझौता- (1) कोई भी वाद-मित्र या वादार्थ संरक्षक अवयस्क की ओर से कोई करार या समझौता उस वाद के बारे में जिसमें वाद-मित्र या संरक्षक की हैसियत में वह कार्य करता है, न्यायालय की इजाजत के बिना नहीं करेगा जो इजाजत कार्यवाहियों में स्पष्ट रुप से अभिलिखित की जाएगी ।

[1][(1क) उपनियम (1) के अधीन इजाजत के लिए आवेदन के साथ, यथास्थिति, वाद- मित्र या वादार्थ संरक्षक का शपथपत्र होगा और यदि अवयस्क का प्रतिनिधित्व प्लीडर द्‌वारा किया जाता है तो, प्लीडर का इस आशय का प्रमाणपत्र भी होगा कि प्रस्थापित करार या समझौता उसकी राय में अवयस्क के फायदे के लिए है :

परन्तु शपथपत्र या प्रमाणपत्र में इस प्रकार अभिव्यक्त की गई राय, न्यायालय को यह जांच करने से प्रवारित नहीं करेगी कि क्या प्रस्थापित करार या समझौता अवयस्क के फायदे के लिए है ।

(2) न्यायालय की इस प्रकार अभिलिखित इजाजत के बिना किया गया कोई भी करार या समझौता अवयस्क से भिन्न सभी पक्षकारों के विरुद्‌ध शून्यकरणीय होगा ।

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 79 द्‌वारा (1.2.1977 से) अंतःस्थापित किया गया ।

8. वाद-मित्र की निवृत्ति- (1) जब तक कि न्यायालय द्वारा अन्यथा आदिष्ट न किया जाए वाद-मित्र अपने स्थान में रखे जाने वाले योग्य व्यक्ति को पहले उपाप्त किए बिना, और उपगत खर्चों के लिए प्रतिभूति दिए बिना निवृत्त नहीं होगा ।

(2) नए वाद-मित्र की नियुक्ति के लिए आवेदन यह दर्शित करने वाले शपथ पत्र द्वारा समर्थित होगा कि प्रस्थापित व्यक्ति ठीक है और अवयस्क के हित के प्रतिकूल उसका कोई हित नहीं है ।

9. वाद-मित्र का हटाया जाना- (1) जहां अवयस्क के वाद-मित्र का हित अवयस्क के हित के प्रतिकूल है या जहां उस प्रतिवादी से जिसका हित अवयस्क के हित के प्रतिकूल है, उसकी ऐसी संसक्ति है जिससे यह असंभाव्य हो जाता है कि अवयस्क के हित की संरक्षा वह उचित रूप से करेगा या जहां वह अपना कर्तव्य नहीं करता है या वाद के लम्बित रहने के दौरान [1][भारत] के भीतर निवास करना छोड़ देता है वहां या किसी भी अन्य पर्याप्त कारण से उसके हटाए जाने के लिए आवेदन अवयस्क की ओर से या किसी प्रतिवादी द्वारा किया जा सकेगा और यदि समनुदिष्ट हेतुक की पर्याप्तता के बारे में न्यायालय का समाधान हो जाता है तो, वह वाद-मित्र के तदनुसार हटाए जाने के लिए आदेश कर सकेगा और खर्चों के सम्बन्ध में ऐसा अन्य आदेश कर सकेगा जो वह ठीक समझे ।

(2) जहां वाद मित्र इस निमित्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्त या घोषित संरक्षक नहीं है और ऐसे नियुक्त या घोषित संरक्षक द्वारा जो यह वांछा करता है कि वह वाद-मित्र के स्थान में नियुक्त किया जाए, आवेदन किया जाता है वहा जब तक कि न्यायालय का उन कारणों से जो उसके द्वारा लेखबद्ध किए जाएंगे, यह विचार न हो कि संरक्षक को अवयस्क का वाद-मित्र नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए, वह वाद-मित्र को हटा देगा और तब वाद-मित्र होने के लिए उसके स्थान में आवेदक की नियुक्ति वाद में पहले उपगत खर्चों के सम्बन्ध में ऐसे निबन्धनों पर करेगा जो वह ठीक समझे ।

1. 1951 के अधिनिनियम सं. 2 की धारा 3 द्वारा "राज्यो" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।

10. वाद-मित्र के हटाए जाने, आदि पर कार्यवाहियों का रोका जाना- (1) अवयस्क के वाद-मित्र की निवृत्ति, हटाए जाने या मृत्यु पर आगे की कार्यवाहियां तब तक रोक रखी जाएंगी जब तक उसके स्थान में वाद-मित्र की नियुक्ति न हो जाए ।

(2) जहां ऐसे अवयस्क का प्लीडर नए वाद-मित्र के नियुक्त किए जाने के लिए युक्तियुक्त समय के भीतर कार्यवाही करने का लोप करता है वहां उस अवयस्क में या विवादग्रस्त बात में हित रखने वाला कोई भी व्यक्ति न्यायालय से आवेदन कर सकेगा कि वाद-मित्र नियुक्त किया जाए और न्यायालय ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति कर सकेगा जिसे वह ठीक समझे ।

11. वादार्थ संरक्षक की निवृत्ति, हटाया जाना या मृत्यु- (1) जहां वादार्थ संरक्षक निवृत्त होने की वाछा करता है, या अपना कर्तव्य नहीं करता या जहां अन्य पर्याप्त आधार दिखाया जाता है वहां न्यायालय ऐसे सरक्षक को निवृत्त होने के लिए अनुज्ञा दे सकेगा या उसे हटा सकेगा और खर्चों के सम्बन्ध में ऐसा

आदेश कर सकेगा जो वह ठीक समझे ।

(2) जहां वादार्थ संरक्षक वाद के लम्बित रहने के दौरान निवृत्त हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है या वह न्यायालय द्वारा हटा दिया जाता है वहा न्यायालय उसके स्थान में नया संरक्षक नियुक्त करेगा ।

उच्च न्यायालय संशोधन

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन (1.6.1957)- नियम 11 के उपनियम (1) में वर्णित शब्दो "और खर्चो के सम्बन्ध में ऐसा आदेश कर सकेगा जो वह ठीक समझे ।" को विलोपित कर दिया गया है ।

(2) इस उपनियम मे निम्न परंतुक जोड़ा गया ।

"परंतु यह कि जहाँ सरक्षक बिना युक्तियुक्त कारण के निवृत्त होने की वांछा करता है तो न्यायालय उसे सेवा निवृत्त होने की अनुज्ञा देने के दौरान यह निर्देश देगा कि वह नवीन संरक्षक नियुक्त करने में उपगत होने वाले खर्चों को भुगतान करे ।"

12. अवयस्क वादी या अवेदक द्वारा वयस्क होने पर अनुसरण की जाने वाली चर्या- (1) अवयस्क वादी या वह अवयस्क जो वाद में पक्षकार तो नहीं है किंतु जिसकी ओर से आवेदन लंबित है, वयस्क होने पर यह निर्वाचित करेगा कि वह वाद या आवेदन आगे चलाएगा या नहीं ।

(2) जहां वह वाद या आवेदन आगे चलाने का निर्वाचन करता है वहां वाद-मित्र के उन्मोचन के आदेश के लिए और स्वय अपने नाम से आगे कार्यवाही चलाने की इजाजत के लिए आवेदन करेगा ।

(3) ऐसी दशा में उस वाद या आवेदन का शीर्षक इस भांति शुद्ध किया जाएगा कि उसका रुप तत्पश्चात् निम्न प्रकार का हो जाए-

"क ख, भूतपूर्व अवयस्क अपने वाद-मित्र **ग घ,** द्वारा, किन्तु जो अब वयस्क है । "

(4) जहां वह वाद या आवेदन का परित्याग करने का निर्वाचन करता है वहां, यदि वह एकमात्र वादी या एकमात्र आवेदक है तो, वह इस आदेश के लिए आवेदन करेगा कि जो खर्चा प्रतिवादी या विरोधी पक्षकार द्वारा उपगत किया गया है या जो उसके वाद-मित्र द्वारा दिया गया है, उस खर्च के प्रति संदाय पर वाद या आवेदन खारिज कर दिया जाए ।

(5) इस नियम के अधीन कोई आवेदन एक पक्षीय किया जा सकेगा, किन्तु वाद-मित्र को उन्मोचित करने वाला और अवयस्क वादी को स्वयं अपने नाम से आगे कार्यवाही करने के लिए अनुज्ञा देने वाला कोई भी आवेदन वाद-मित्र को सूचना दिए बिना नहीं किया जाएगा ।

13. जहां अवयस्क सहवादी, वयस्क होने पर वाद का निराकरण करने की वांछा करता है- (1) जहाँ अवयस्क सहवादी, वयस्क होने पर वाद का निराकरण करने की वांछा करता है वहां वह यह आवेदन करेगा कि सहवादी की हैसियत से उसका नाम काट दिया जाए और यदि न्यायालय का यह निष्कर्ष हो कि वह आवश्यक पक्षकार नहीं है तो न्यायालय खर्चों के सम्बन्ध में या अन्यथा ऐसे निबन्धनों पर जो वह ठीक समझे, उसे वाद से खारिज कर देगा ।

(2) आवेदन की सूचना की तामील वाद-मित्र पर, किसी सहवादी पर और प्रतिवादी पर की जाएगी ।

(3) ऐसे आवेदन के सभी पक्षकारों के और वाद में कि तब तक की गई सभी या किन्हीं कार्यवाहियों के खर्चे ऐसे व्यक्तियों द्वारा दिए जाएंगे जिन्हें न्यायालय निदिष्ट करे ।

(4) जहां आवेदक वाद का आवश्यक पक्षकार है वहां न्यायालय उसे प्रतिवादी बनाए जाने का निदेश दे सकेगा ।

14. अयुक्तियुक्त या अनुचित वाद- (1) यदि अवयस्क एक-मात्र वादी है तो वह वयस्क होने पर आवेदन कर सकेगा कि उसके नाम में उसके वाद-मित्र द्वारा संस्थित वाद इस आधार पर खारिज कर दिया जाए कि वह अयुक्तियुक्त या अनुचित था ।

(2) इस आवेदन की सूचना की तामील सम्बद्ध सभी पक्षकारों पर की जाएगी और ऐसी अयुक्तियुक्तता या अनौचित्य के बारे में अपना समाधान हो जाने पर न्यायालय आवेदन को मंजूर कर सकेगा और आवेदन के सम्बन्ध में सभी पक्षकारों के खर्चों का और वाद में की गई किसी बात में हुए खर्चों को देने के लिए आदेश वादमित्र को दे सकेगा या ऐसा अन्य आदेश दे सकेगा जो वह ठीक समझे ।

[1][**15. नियम 1 से नियम 14 तक का (जिनमें नियम [2]क सम्मिलित नहीं है) विकृतचित्त वाले व्यक्तियों को लागू होना-** नियम 1 से नियम 14 तक (जिनमें नियम [2]क सम्मिलित नहीं है) ऐसे व्यक्तियां को, जहां तक हो सके, लागू होंगे जो वाद के लम्बित रहने के पूर्व या उसके दौरान विकृतचित्त के न्यायनिर्णीत किए जाते हैं और ऐसे व्यक्तियों को भी लागू होंगे जो यद्यपि ऐसे न्याय निर्णीत नहीं किए जाते हैं, किंतु जब वे वाद लाते हैं या उनके विरुद्ध वाद लाया जाता है तब वे न्यायालय द्वारा जांच किए जाने पर किसी मानसिक दौर्बल्य के कारण अपने हित की सरक्षा करने में असमर्थ पाए जाते हैं ।

[2][**16. व्यावृत्तियाँ-** (1) इस आदेश की कोई बात विदेशी राज्य के ऐसे शासक को लागू नहीं होगी जो अपने राज्य के नाम से वाद लाता है या जिसके विरुद्ध उसके राज्य के नाम से वाद लाया जाता है या केन्द्रीय सरकार के निदेश से जिसके विरुद्ध अभिकर्ता के नाम से या किसी अन्य नाम से वाद लाया जाता है ।

(2) इस आदेश की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह अवयस्कों द्वारा या उनके विरुद्ध अथवा पागलों या विकृतचित्त वाले अन्य व्यक्तियों द्वारा या उनके विरुद्ध वादों के सम्बन्ध में किसी तत्समय प्रवृत्त स्थानीय विधि के उपबंधों पर प्रभाव डालती है या किसी रूप में उन्हें अल्पीकृत करती है ।]

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 79 द्वारा (1.2.1977 से) नियम 15 के स्थान पर प्रतिस्थापित किया ।
2. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 79 द्वारा (1.2.1977 से) नियम 15 के स्थान पर प्रतिस्थापित किया ।
3. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 80 द्वारा (1.2.1977 से) आदेश 32क अंतःस्थापित किया ।

आदेश 32क
कुटुम्ब से संबंध रखने वाले विषयों से सम्बन्धित वाद

1. आदेश का लागू होना- (1) इस आदेश के उपबन्ध कुटुम्ब से संबंध रखने वाले विषयों से सम्बन्धित वादों या कार्यवाहियों को लागू होंगे ।

(2) विशिष्टतया और उपनियम (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस आदेश के उपबन्ध कुटुम्ब से संबंधित निम्नलिखित वादों या कार्यवाहियों को लागू होंगे अर्थात:-

(क) विवाह-विषयक अनुतोष के लिए कोई वाद या कार्यवाही जिसके अन्तर्गत किसी व्यक्ति के विवाह की या विवाह-विषयक प्रास्तिथि की विधिमान्यता के बारे में घोषणा के लिए वाद या कार्यवाही;

(ख) किसी व्यक्ति के धर्मजत्व के बारे में घोषणा के लिए वाद या कार्यवाही;

(ग) किसी व्यक्ति की संरक्षकता या कुटुम्ब के किसी अवयस्क या अन्य निःशक्त सदस्य की अभिरक्षा के बारे में कोई वाद या कार्यवाही;

(घ) भरणपोषण के लिए कोई वाद या कार्यवाही;

(ङः) दत्तकग्रहण की विधिमान्यता या प्रभाव के बारे में कोई वाद या कार्यवाही;

(च) विल, निर्वसीयतता और उत्तराधिकार के बारे में कुटुम्ब के किसी सदस्य द्वारा संस्थित किया गया कोई वाद या कार्यवाही;

(छ) किसी ऐसे अन्य विषय के बारे में कोई वाद या कार्यवाही जिसके सम्बन्ध में पक्षकार अपनी स्वीय विधि के अधीन है ।

(3) इस आदेश का उतना भाग जितना किसी ऐसे वाद या कार्यवाही से सम्बन्ध रखने वाली किसी विशेष विधि द्वारा उपबन्धित विषय के सम्बन्ध में है, उस वाद या कार्यवाही को लागू नहीं होगां

2. कार्यवाहियों का बंद कमरे में किया जाना- ऐसे प्रत्येक वाद या कार्यवाही में जिसे वह आदेश लागू होता है, यदि न्यायालय ऐसी वांछा करे तो, कार्यवाहियां बन्द कमरे में की जा सकेगी और यदि दोनों पक्षकारों में से कोई ऐसी वांछा करे तो कार्यवाहियां बन्द कमरे में की जाएंगी ।

3. निपटारे के लिए प्रयत्न करने का न्यायालय का कर्तव्य- (1) ऐसे प्रत्येक वाद या कार्यवाही में जिसे यह आदेश लागू होता है, न्यायालय वाद की विषय-वस्तु के बारे में निपटारा कराने में पक्षकारों की सहायता करने के लिए हर मामले में जहां ऐसा करना मामले की प्रकृति और परिस्थितियों से सुसगत सभव हो, प्रथमत: प्रयास करेगा ।

(2) यदि ऐसे किसी वाद या कार्यवाही के किसी प्रक्रम में न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि पक्षकारों के बीच निपटारे की युक्तियुक्त सम्भावना है तो न्यायालय कार्यवाही को ऐसी अवधि के लिए, जो वह ठीक समझे, स्थगित कर सकेगा कि ऐसा निपटारा करने के लिए प्रयत्न किए जा सके ।

(3) उपनियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्ति, कार्यवाहियां स्थगित करने की न्यायालय की किसी अन्य शक्ति के अतिरिक्त होगी, न कि उसके अल्पीकरण में ।

4. कल्याण विशेषज्ञ से सहायता- ऐसे प्रत्येक वाद या कार्यवाही में जिसे यह आदेश लागू होता है न्यायालय को इस आदेश के नियम 3 द्वारा अधिरोपित कृत्यों के निर्वहन में न्यायालय की सहायता के प्रयोजन के लिए ऐसे व्यक्ति की सेवाएं (विशेषकर महिला की सेवा, यदि उपलभ्य हो) चाहे वह पक्षकारों का नातेदार हो या नहीं, इसके अन्तर्गत कुटुम्ब के कल्याण की प्रोन्नति में वृत्तिक तौर पर लगा हुआ व्यक्ति भी है जिसे न्यायालय ठीक समझे, प्राप्त करने की स्वतंत्रता होगी ।

5. तथ्यों की जांच करने का कर्तव्य- ऐसे प्रत्येक वाद या कार्यवाही में जिसे यह आदेश लागू होता है, न्यायालय का यह कर्तव्य होगा कि वह वादी द्वारा अभिकथित तथ्यों की ओर प्रतिवादी द्वारा अभिकथित किन्हीं तथ्यों की जांच वहां तक करे जहां तक कि वह युक्तियुक्त रुप से कर सकता है|

6. "कुटुम्ब" का अर्थ- इस आदेश के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों में से प्रत्येक के बारे में यह समझा जाएगा कि उससे मिलकर कुटुम्ब बनता है, अर्थात:-

(क) (i) एक साथ रहने वाले पुरुष और उसकी पत्नी;

(ii) कोई बालक जो उनकी या ऐसे पुरुष की या ऐसी पत्नी की संतान हो या हों;

(iii) कोई बालक जिसका या जिनका भरणपोषण ऐसे पुरुष और पत्नी द्वारा किया जाता है,

(ख) ऐसा पुरुष, जिसकी पत्नी न हो या जो अपनी पत्नी के साथ न रहता हो, कोई बालक जो उनकी संतान हो या हों और कोई बालक जिसका भरणपोषण उसके द्वारा किया जाता है

(ग) ऐसी स्त्री, जिसका पति न हो या जो अपने पति के साथ न रहती हो, कोई बालक, जो उसकी सतान हो या हों और कोई बालक जिसका भरणपोषण उसके द्वारा किया जाता है;

(घ) कोई पुरुष या स्त्री और उस पुरुष या स्त्री का भाई, बहिन, पूर्वज या पारम्परिक वंशज जो उसके साथ रहता हो; और

(ड) इस नियम के खण्ड (क), खण्ड (ख) खण्ड (ग) या खण्ड (घ) में विनिर्दिष्ट वर्गो में से एक या अधिक का कोई समुच्चय ।

स्पष्टीकरण- शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि नियम 6 के उपबन्धों से किसी स्वीय विधि में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में "कुटुम्ब" की धारणा पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।]

आदेश 33

[1][निर्धन व्यक्तियों द्वारा वाद]

1. निर्धन व्यात्न द्वारा वाद संस्थित किए जा सकेंगे- निम्नलिखित उपबन्धों के अधीन रहते कोई भी वाद निर्धन व्यक्ति द्वारा संस्थित किया जा सकेगा ।

[3]**[स्पष्टीकरण 1-** कोई व्यक्ति निर्धन व्यक्ति तब है-

(क) जब उसके पास इतना पर्याप्त साधन (डिक्री के निष्पादन में कुर्की से छूट प्राप्त संपत्ति से और वाद की विषय-वस्तु से भिन्न) नहीं है, कि वह ऐसे वाद में वाद-पत्र के लिए विधि द्वारा विहित फीस दे

सके, अथवा

(ख) जहां ऐसी कोई फीस विहित नहीं है वहा, जब वह एक हजार रुपए के मूल्य की ऐसी सम्पत्ति का, जो डिक्री के निष्पादन में कुर्की से छूट प्राप्त सम्पत्ति। से और वाद की विषय-वस्तु से भिन्न है, हकदार नहीं है ।

स्पष्टीकरण 2- इस प्रश्न पर विचार करने में कि आवेदक निर्धन व्यक्ति है या नहीं, किसी ऐसी सम्पत्ति को ध्यान में रखा जाएगा जिसको उसने निर्धन व्यक्ति के रुप में वाद चलाने की अनुज्ञा के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् और आवेदन का विनिश्चय होने के पूर्व अर्जित किया है ।

स्पष्टीकरण 3- जहां वादी प्रतिनिधि की हैसियत में वाद लाता है वहां इस प्रश्न का अवधारण कि वह निर्धन व्यक्ति है, उन साधनों के प्रति निर्देश से किया जाएगा जो ऐसी हैसियत में उसके पास है ।]

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 81 द्वारा (1.2.1977 से) "अकिचनों दारा वाद" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।
2. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 81 द्वारा (1.2.1977 से) "अकिंचन" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया ।
3. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 81 द्वारा (1.2.1977 से) पूर्ववर्ती स्पष्टीकरण के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।

[1]**[1क. निर्धन व्यक्तियों के साधनों की जांच-** इस प्रश्न की हर जांच कि कोई व्यक्ति निर्धन व्यक्ति है या नहीं जब तक कि न्यायालय अन्यथा निदेश न दे तब तक, प्रथम बार में न्यायालय के मुख्य लिपिक वर्गीय अधिकारी द्वारा की जाएगी और न्यायालय ऐसे अधिकारी की रिपोर्ट को अपने निष्कर्ष के रुप में मान सकेगा या न्यायालय उस प्रश्न की जांच स्वंय कर सकेगा ।

2. आवेदन की विषयवस्तु- [2][निर्धन व्यक्ति] के रुप में वाद लाने की अनुज्ञा के हर आवेदन में वादों में के वादपत्रों के सम्बन्ध में अपेक्षित विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होगी, आवेदन की जगम या स्थावर सम्पत्ति की अनुसूची उस सम्पत्ति के प्राक्कलित मूल्य के सहित उससे उपाबद्ध होगी, और वह उस रीति से हस्ताक्षरित और सत्यापित होगा जो अभिवचनों के हस्ताक्षरण और सत्यापन के लिए विहित हैं ।

3. आवेदन का उपस्थापन- इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आवेदन स्वय आवेदक द्वारा न्यायालय में उपस्थापित किया जाएगा किन्तु यदि न्यायालय में उपसंजात होने से उसे छूट दे दी गई हो तो आवेदन ऐसे प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा उपस्थापित किया जा सकेगा, जो आवेदन से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सकता हो और जिसकी उसी रीति से परीक्षा की जा सकेगी जैसे उस पक्षकार की की जाती जिसका प्रतिनिधित्व वह कर रहा है, यदि वह पक्षकार स्वयं उपसंजात हुआ होता :

[1][परन्तु जहां एक से अधिक वादी है वहां, यदि आवेदन उन वादियों में से किसी एक द्वारा उपस्थापित किया जाता है तो, यह पर्याप्त होगा ।

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 81 द्वारा (1.2.1977 से) अन्त: स्थापित किया गया ।
2. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 81 द्वारा (1.2.1977 से) "अकिंचन" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया ।

उच्च न्यायालय संशोधन

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन (8.5.1957)-- नियम (3) में शब्द "किंतु यदि न्यायालयमे उपसंजात होने से उसे छूट दे दी गई हो" के उपरांत-शब्द "अथवा जेलमें निरुद्ध हो" जोडा जाएगा ।

4. आवेदक की परीक्षा- (1) जहां आवेदन उचित प्ररुप में है और सम्यक् रुप से उपस्थापित किया गया है वहां यदि न्यायालय ठीक समझे तो वह आवेदक की या जब आवेदक अभिकर्ता द्वारा उपसंजात होने के लिए अनुज्ञान है तब उसके ऐसे अभिकर्ता की परीक्षा दावे के गुणागुण और आवेदक की सम्पत्ति के बारे में कर सकेगा ।

(2) यदि आवेदन अभिकर्ता द्वारा उपस्थापित किया जाता है तो न्यायालय आदेश दे सकेगा कि आवेदक की परीक्षा कमीशन दारा की जाए- जहां आवेदन अभिकर्ता द्वारा उपस्थापित किया जाता है वहां यदि न्यायालय ठीक समझे तो वह आदेश दे सकेगा कि आवेदक की परीक्षा कमीशन द्वारा उस रीति से की जाए जैसे अनुपस्थित साक्षी की की जा सकती है ।

5. आवेदन का नामंजूर किया जाना- [2][निर्धन व्यक्ति] के रुप में वाद लाने की अनुज्ञा के लिए आवेदन न्यायालय वहां नामजूर कर देगा-

(क) जहां नियम 2 और नियम 3 में विहित रीति से उसकी विरचना नहीं की गई है और वह उपस्थापित नहीं किया गया है, अथवा

(ख) जहां आवेदक निर्धन व्यक्ति नहीं है, अथवा

(ग) जहां उसने आवेदन उपस्थापित करने के ठीक पहले वाले दो मास के भीतर कपटपूर्वक या इसलिए कि वह [1][निर्धन व्यक्ति] के रुप में वाद लाने की अनुज्ञा के लिए आवेदन कर सके, किसी संपत्ति का व्ययन कर दिया है :

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 81 द्वारा (1.2.1977 से) अन्त: स्थापित किया ।
2. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 81 द्वारा (1.2.1977 से) "अकिंचन" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया ।
3. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 81 द्वारा (.12.1977 से) "अकिंचन" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया ।

[2][परन्तु यदि आवेदक द्वारा व्ययनित संपत्ति के मूल्य को हिसाब में लेने पर भी आवेदक निर्धन

व्यक्ति के रूप में वाद लाने का हकदार हो तो किसी आवेदन को नामंजूर नहीं किया जाएगा, अथवा

(घ) जहां उसके अभिकथनों से वाद-हेतुक दर्शित नहीं होता, अथवा

(ङ.) जहां उसने प्रस्थापित वाद की विषय-वस्तु के बारे में कोई ऐसा करार किया है जिसके अधीन किसी अन्य व्यक्ति ने ऐसी विषय-वस्तु में हित अभिप्राप्त कर लिया है, [3][अथवा]

[4][(च) जहां आवेदन में आवेदक द्वारा किए गए अभिकथनों से यह दर्शित होता है कि वाद तत्समय प्रवृत किसी विधि द्वारा वर्जित है, अथवा

(छ) जहां किसी अन्य व्यक्ति ने मुकहमेबाजी के वित्तपोषण के लिए उसके साथ करार किया है ।

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 81 द्वारा (1.2.1977 से "अकिंचन" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया ।
2. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 81 द्वारा (1.2.1977 से) अन्त: स्थापित किया ।
3. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 81 द्वारा (1.2.1977 से) अन्त : स्थापित किया ।
4. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 81 द्वारा (1.2.1977 से) अन्त : स्थापित किया ।

उच्च न्यायालय संशोधन

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन (15.4.1933)- नियम (5) के अंत मे निम्न स्पष्टीकरण जोडा गया-

"स्पष्टीकरण- खण्ड (घ) के अंतर्गत कोई आवेदन मात्र इस आधार पर निरस्त नहीं किया जाएगा कि प्रस्तावित वाद किसी विधि द्वारा वर्जित होना प्रतीत होता है ।"

नियम (5-क) में निम्न शब्दों को शब्द "उपस्थापित नहीं किया गया है" के उपरांत जोडा जाएगा-
“और आवेदक न्यायालय द्वारा किसी सशोधन की अपेक्षा किए जाने पर न्यायालय द्वारा नियत किए गए समय के भीतर ऐसा करने में विफल रहता है । "

6. आवेदक की निर्धनता के बारे में साक्ष्य लेने के दिन की सूचना- जहां न्यायालय को आवेदन को नियम 5 में कथित आधारों में से किसी पर नामंजूर करने के लिए कोई कारण नहीं है वहां वह ऐसे साक्ष्य को, जो आवेदक अपनी निर्धनता के सबूत में दे लेने के लिए और ऐसे साक्ष्य की सुनवाई के लिए जो उसको ना साबित करने के लिए दिया जाए दिन नियत करेगा (जिसकी कम से कम पूरे दस दिन की सूचना विरोधी प क्षकार और सरकारी प्लीडर को दी जाएगी) ।

[1]**7. सुनवाई में प्रक्रिया-** (1) ऐसे नियत दिन को या उसके पश्चात् यथाशीघ्र सुविधा अनुसार न्यायालय दोनों पक्षकारों द्वारा पेश किए गए साक्षियों की (यदि कोई हों) परीक्षा करेगा और आवेदक या उसके अभिकर्ता की परीक्षा कर सकेगा और [2][उनके साक्ष्य का पूर्ण अधिलेख तैयार करेगा] ।

[3][(1क) उपनियम (1) के अधीन साक्षियों की परीक्षा नियम 5 के खण्ड (ख), खण्ड (ग) और खण्ड (ङ) में विनिर्दिष्ट विषयों तक ही सीमित रखी जाएगी किन्तु आवेदक या उसके अभिकर्ता की परीक्षा नियम 5 में विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी के संबंध में हो सकेगी ।

(2) न्यायालय ऐसा तर्क भी सुनेगा जिसे पक्षकार इस प्रश्न पर देना चाहे कि क्या आवेदन के या ऐसे साक्ष्य के (यदि कोई हो) जो न्यायालय ने [4][नियम 6 के अधीन या इस नियम के अधीन] लिया हो देखते ही यह प्रकट है कि आवेदक नियम 5 में विनिर्दिष्ट प्रतिषेधों में से किसी के अधीन है या नहीं है ।

(3) तब न्यायालय आवेदक को [5][निर्धन व्यक्ति] के रुप में वाद लाने के लिए अनुज्ञात करेगा या अनुज्ञा करने से इकार करेगा ।

1. इस नियम के उपबंध, जहां तक वे ज्ञापन तैयार करने से संबंधित करने से संबधित हैं | अवध के उच्च न्यायालय को लागू नही होगे, अवध कोर्टरर ऐक्ट, 1925 (1925 का सं. प्रा. अधिनियम सं. 4) की धारा 16 (2) देखिए ।
2. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 81 द्वारा (1.2.1977 से) कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित किया ।
3. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 81 द्वारा (1.2.1977 से) अन्त: स्थापित किया ।
4. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 81 द्वारा (1.2.1977 से) कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित किया ।
5. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 81 द्वारा (1.2.1977 से) "अकिंचन" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया ।

8. यदि आवेदन ग्रहण कर लिया जाए तो प्रक्रिया- जहां आवेदन मंजूर किया जाता वहां वह संख्यांकित और रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा और उस वाद में वादपत्र समझा जाएगा और अन्य सभी बातों में वह वाद मामूली रीति से संस्थित वाद के रुप में आगे चलेगा, सिवाय इसके कि वादी किसी याचिका, प्लीडर की नियुक्ति या वाद से संसक्त अन्य कार्यवाही के संबध में कोई न्यायालय- फीस [1][या आदेशिका की तामील के लिए देय फीस] देने का दायी नहीं होगा ।

9. निर्धन व्यक्ति के रुप में वाद लाने की अनुज्ञा का प्रत्याहरण- प्रतिवादी या सरकारी प्लीडर के आवेदन पर, जिसकी पूरे सात दिन की लिखित सूचना वादी को दे दी गई हो, न्यायालय यह आदेश दे सकेगा कि वादी को निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाने के लिए दी गई अनुज्ञा निम्नलिखित दशाओं में प्रत्याहृत कर ली जाए, अर्थात है---

(क) यदि वादी वाद के दौरान तंग करने वाले या अनुचित आचरण का दोषी है;

(ख) यदि यह प्रतीत होता है कि वादी के साधन ऐसे है कि [2][निर्धन व्यक्ति] के रुप में उसे वाद नहीं करते रहना चाहिए; अथवा

(ग) यदि वादी ने वाद की विषय-वस्तु के बारे में ऐसा कोई करार किया है जिसके अधीन किसी अन्य व्याकृत ने ऐसी विषय-वस्तु में कोई हित अभिप्राप्त कर लिया है ।

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 81 द्वारा (1.2.1977 से) कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित किया ।

2. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 81 द्वारा (1.2.1977 से) "अकिंचन" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया ।

[1][**9 क. जिस निर्धन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व न हो उसके लिए न्यायालय द्वारा प्लीडर नियत किया जाना-** (1) जहां किसी ऐसे व्यक्ति का जिसे निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाने की अनुज्ञा दी गई है, प्रतिनिधित्व प्लीडर द्वारा नहीं किया जाता है वहां न्यायालय उसके लिए प्लीडर तब नियत कर सकेगा जब मामले की परिस्थितियों में ऐसा किया जाना अपेक्षित हो ।

(2) उच्च न्यायालय राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से निम्नलिखित का उपबन्ध करने के लिए नियम बना सकेगा, अर्थात:-

(क) उपनियम (1) के अधीन नियत किए जाने वाले प्लीडरों के चयन की रीति;

(ख) न्यायालय द्वारा ऐसे प्लीडरों को दी जाने वाली सुविधाएं;

(ग) कोई अन्य विषय जो उपनियम (1) के उपबन्धों को प्रभावी करने के लिए नियमों द्वारा अपेक्षित हो या उपबन्धित किया जाए ।

10. जहां निर्धन व्यक्ति सफल होता है वहां खर्चे- जहां वादी वाद में सफल हो जाता है, वहां न्यायालय फीस की उस रकम की संगणना करेगा जो यदि उसे [2][निर्धन व्यक्ति] के रुप में वाद लाने के लिए अनुज्ञा न दी गई होती तो वादी द्वारा सदत्त की जाती, ऐसी रकम [3][राज्य सरकार] द्वारा उस पक्षकार से वसूलीय होगी जो उसे सदत्त करने के लिए डिक्री द्वारा आदिष्ट है और वह वाद की विषय-वस्तु पर प्रथम भार होगी ।

11. प्रक्रिया जहां निर्धन व्यक्ति असफल हो जाता है- जहां वादी वाद में असफल हो जाता है या निर्धन व्यक्ति के रुप में वाद लाने के लिए दी गई अनुज्ञा प्रत्याहृत करली गई है या जहां वाद प्रत्याहृत कर लिया जाता है या इस कारण से खारिज कर दिया जाता है कि-

(क) उपसंजात होने और उत्तर देने के लिए प्रतिवादी के नाम समन की तामील प्रतिवादी पर इस बात के परिणामस्वरुप नहीं हो पाई कि वादी ऐसी तामील के लिए प्रभार्य न्यायालय-फीस या डाक महसूल को (यदि कोई हों) देने में [1][या वादपत्र की या संक्षिप्त कथन की प्रतियाँ उपस्थित करने में] असफल रहा है, अथवा

(ख) जब वाद की सुनवाई के लिए पुकार हुई तब वादी उपसंजात नहीं हुआ,

वहां न्यायालय वादी को, या वाद में सहवादी के तौर पर जोडे गए किसी भी व्यक्ति को आदेश देगा कि वह ऐसी न्यायालय-फीस दे जो यदि वादी [2][निर्धन व्यक्ति] के रुप में वाद लाने के लिए अनुज्ञात नहीं किया गया होता तो वादी द्वारा दी जाती ।

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 81 द्वारा (1.2.1977 से) अन्त: स्थापित किया ।
2. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 81 द्वारा (1.2.1977 से) "अकिंचन" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया |
3. भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "सरकार" के लिए रखे गए

"प्रान्तीय सरकार" के स्थान पर विधि अनुकूलन आदेश 1950 द्वारा प्रतिस्थापित किया |

[3][**11क. निर्धन व्यक्ति के वाद के उपशमन पर प्रक्रिया-** जहां वाद का उपशमन वादी की या सहवादी के तौर पर जोड़े गए किसी व्यक्ति की मृत्यु की कारण हो जाता है वहा न्यायालय आदेश देगा कि न्यायालय-फीसों की वह रकम जो यदि वादी [4][निर्धन व्यक्ति] के रुप में वाद लाने के लिए अनुज्ञात नहीं किया गया होता तो वादी द्वारा दी जाती, मृत वादी की सम्पदा से राज्य सरकार द्वारा वसूलीय होगी ।]

12. राज्य सरकार न्यायालय-फीस के संदाय के लिए आवेदन कर सकेगी- [5][राज्य सरकार] को यह अधिकार होगा कि वह न्यायालय से किसी समय नियम 10, [6][नियम 11 या नियम 11क] के अधीन न्यायालय फीस के संदाय का आदेश किए जाने के लिए आवेदन करे ।

3. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 81 द्वारा (1.2.1977 से अंत : स्थापित किया |
4. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 81 द्वारा (1.2.1977 से) "अकिंचन" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया ।
3. 1942 के अधिनियम सं. 24 की धारा 2 द्वारा अन्त: स्थापित किया ।
4. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 81 द्वारा (1.2.1977 से) "अकिंचन" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया ।
5. भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "सरकार" के लिए रखे गए "प्रान्तीय सरकार" के स्थान पर विधि अनुकूलन आदेश 1950 द्वारा प्रतिस्थापित किया ।
6. भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश 1937 द्वारा "सरकार" के लिए रखे गए "प्रान्तीय सरकार" के स्थान पर विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा प्रतिस्थापित किया ।

13. राज्य सरकार का पक्षका समझा जाना- [1][राज्य सरकार] और वाद के किसी भी पक्षकार के बीच नियम 10, नियम 11, [2][नियम 11क] या नियम 12 के अधीन पैदा होने वाली सभी बातों वाद के पक्षकारों के बीच धारा 47 के अर्थ में पैदा' होने वाले प्रश्न समझी जाएगी ।

[3][**14. न्यायालय फीस रकम की वसूली-** जहां नियम 10, नियम 11 या नियम 11क के अधीन आदेश किया जाता है वहां न्यायालय डिक्री या आदेश कीएक प्रति तत्क्षण ही कलक्टर को भिजवाएगा: वसूली के किसी अन्य ढंग पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कलक्टर उसमें विनिर्दिष्ट न्यायालय-फीसों की रकम संदत्त करने के लिए दायी व्यक्ति या सम्पत्ति से ऐसी रकम को वैसे ही वसूल कर सकेगा मानो वह भू-राजस्व की बकाया हो ।

15. निर्धन व्यक्ति के रुप में वाद लाने के लिए आवेदक को अनुज्ञा देने से इंकार के कारण वैसी ही प्रकृति के पश्चात्वर्ती आवेदन का वर्जन- [4][निर्धन व्यक्ति] के रुप में वाद लाने के लिए आवेदक को अनुज्ञा देने से इंकार करने वाला आदेश, वाद लाने के उसी अधिकार के लिए उसके जरा वैसी ही प्रकृति के किसी

भी पश्चात्वर्ती आवेदन के लिए वर्जन होगा, किन्तु उसी अधिकार के सम्बन्ध में मामूली रीति से वाद संस्थित करने के लिए आवेदक स्वतन्त्र होगा: परन्तु यदि वह निर्धन व्यक्ति के रुप में वाद लाने की इजाजत के लिए अपने आवेदन का विरोध करने में राज्य सरकार! द्वारा और विरोधी पक्षकार द्वारा उपगत किए गए खर्चो का (यदि कोई हों) वाद संस्थित किए जाने के समय या उसके पश्चात् ऐसे समय के भीतर जो न्यायालय अनुज्ञात करे, सदाय नहीं करता है तो वाद पत्र नामंजूर कर दिया जाएगा।]

1. भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "सरकार" के लिए रखे गए "प्रान्तीय सरकार" के स्थान पर विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा प्रतिस्थापित किया|
2. 1942 के अधिनियम सं. 24 की धारा 2 द्वारा "या नियम 11" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया ।
3. 1942 के अधिनियम सं. 24 की धारा 2 द्वारा पूवेवर्ती नियम के स्थान पर प्रतिस्थापित किया ।
4. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 81 द्वारा (1.2.1977 से) "अकिंचन" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया |
5. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 81 द्वारा (1.2.1977 से) कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित किया ।
6. भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "सरकार" के लिए रखे गए "प्रान्तीय सरकार" के स्थान पर विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा प्रतिस्थापित किया ।

उच्च न्यायालय संशोधन

राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन (14.8.1954)- इस संशोधन के द्वाराझर्तमान नियम (15) को 15 (1) के रुप में पुर्नक्रमांकित किया गया एवं निम्नानुसार नवीन नियम 15(2) जोड़ा गया-

"15 (2) उपनियम (1) की कोई भी बात न्यायालय को नियम 5 के अंतर्गत आवेदन को निरस्त करने अथवा नियम 7 के अतर्गत आवेदन को इंकारित करने के दौरान आवेदक को न्यायालय द्वारा नियत, किए गए समय के भीतर अपेक्षित न्यायालय फीस करने के लिए आवेदक को समय प्रदान करने से प्रवारित नहीं करेगी; और ऐसे भुगतान किए जाने पर वाद को उस दिनांक को संस्थित किया जाना माना जाएगा जिस पर कि आवेदन दिया गया था |"

[15 क. न्यायालय-फीस के सदाय के लिए समय का दिया जाना- नियम 5, नियम 7 या नियम 15 की कोई बात न्यायालय को नियम 5 के अधीन आवेदन को नामंजूर या नियम 7 के अधीन आवेदन को अनुज्ञप्त करने से इन्कार करते समय इस बात से नहीं रोकेगी कि वह आवेदक को अपेक्षित न्यायालय-फीस का ऐसे समय के भीतर संदाय करने के लिए समय दे, जो न्यायालय द्वारा नियत किया जाए या समय-समय पर उसके द्वारा बढ़ाया जाए और ऐसा संदाय किए जाने पर और नियम 15 [2]*** में निर्दिष्ट खर्चों का उस समय के भीतर संदाय किए जाने पर यह समझा जाएगा कि वाद उस तारीख को संस्थित किया गया था जिस तारीख को निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाने की अनुज्ञा के लिए आवेदन उपस्थापित किया गया

था ।]

16. खर्चे- [3][निर्धन व्यक्ति] के रुप में वाद लाने की अनुज्ञा के लिए आवेदन के और निर्धनता की जांच करने के खर्चे वाद के खर्चे होंगे ।

1. 1978 के अधिनियम सं. 104 की धारा 81 द्वारा (1.2.1977 से) अन्तःस्थापित किया ।
2. 1988 के अधिनियम सं. 19 की धारा 3 और दूसरी अनुसूची द्वारा लोप ।
3. 1976 के अधनियम सं. 104 की धारा 81 द्वारा (1.2.1977 से) " अकिंचन " के स्थान पर प्रतिस्थापित किया ।

[1]**[17. निर्धन व्यक्ति द्वारा प्रतिवाद-** किसी ऐसे प्रतिवादी को जो मुजरा या प्रतिदावे का अभिवचन करने की वांछा करता है, निर्धन व्यक्ति के रुप में ऐसा दावा अभिकथित करने की अनुज्ञा दी जा सकेगी और इस आदेश में अन्तर्विष्ट नियम, जहां तक हो सके, उसे इस प्रकार लागू होंगे, मानो वह वादी हो और उसका लिखित कथन वादपत्र हो ।

उच्च न्यायालय संशोधन

इलाहाबाद उच्च न्यायालय संशोधन- नियम 17 के अंत में अंकित पूर्णविराम को हटाकर निम्न शब्दों को और बढाया गया-

"और यदि उससे पर पक्ष को सूचना जारी करनेकी अपेक्षा की जाए तो यह मानाजाएगा कि पर पक्षकोदी गई सूचना इस अधिनियम के आशय के लिए वाद पत्रहोगी ।" (1.10.0983)

18. निर्धन व्यक्तियों के लिए मुफ्त विधिक सेवाओं की व्यवस्था करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति– (1) इस आदेश के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार उन व्यक्तियों के लिए, जिन्हें निर्धन व्यक्तियों के रूप में वाद लाने की दी गई है, मुक्त विधिक सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए ऐसे अनुपूरक उपबन्ध बना सकेगी जो वह ठीक समझे ।

(2) उच्च न्यायालय उपनियम (1) में निर्दिष्ट निर्धन व्यक्तियों के लिए विधिक सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा बनाए गए अनुपूरक उपबंधों को कार्यावित करने के लिए राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से नियम बना सकेगा ऐसी नियमों के अन्तर्गत ऐसी विधिक सेवाओं की ऐसी प्रकृति तथा विस्तार और वे शर्ते भी होंगी जिनके अधीन ऐसी सेवाएं उपलब्ध की जा सकेगी तथा वे विषय होंगे जिनके बारे में और वे अभिकरण भी होंगे जिनके माध्यम से, ऐसी सेवाएं की जाएंगी ।

आदेश 34

स्थावर सम्पत्ति के बन्धकों के सम्बन्ध में वाद

1. पुरोबन्ध, विक्रय और मोचन के वादों के पक्षकार- इस संहिता के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, बन्धक प्रतिभूति में या मोचन के अधिकार में हितबद्ध सभी व्यक्ति किसी भी वाद में, जो बन्धक से सम्बधित हो, पक्षकारों के तौर पर संयोजित किए जाएंगे ।

1. 1976 के अधनियम सं. 104 की धारा 81 द्वारा (1.2.1977 से) अन्त: स्थापित किया ।

स्पष्टीकरण- पूर्विक बंधकदार को वाद का पक्षकार बनाए बिना पाश्चिक बंधकदार पुरोबंध के लिए या विक्रय के लिए वाद ला सकेगा और पाश्चिक बंधक का मोचन कराने के वाद में पूर्विक बंधकदार को संयोजित करना आवश्यक नहीं है ।

[2]**[2. पुरोबन्ध वाद में प्रारम्भिक डिक्री-** (1) पुरोरूध वाद में यदि वादी सफल हो जाता है तो न्यायालय ऐसी प्रारम्भिक डिक्री पारित करेगा जो-

(क) यह आदेश देगी कि-

(i) बन्धक पर के मूल धन और ब्याज मद्धे,

(ii) वाद के ऐसे खर्चो मद्धे, यदि कोई हों, जो उसके पक्ष में अधिनिर्णीत किए गए हों, तथा

(iii) अपनी बन्धक प्रतिभूति की बाबत उस तारीख तक उसके द्वारा उचित रुप से उपगत अन्य खर्चे, प्रभारों और व्ययों मद्धे उन पर ब्याज सहित,

जो कुछ वादी को ऐसे डिक्री की तारीख पर शोध्य है उसका लेखा लिया जाए; अथवा

(ख) ऐसी रकम घोषित करेगी जो उस तारीख पर शोध्य है, तथा

(ग) यह निदेश देगी कि-

(i) यदि प्रतिवादी ऐसे शोध्य पाई गई या शोध्य घोषित रकम न्यायालय में यथास्थिति उस तारीख से जिसको न्यायालय ने खण्ड (क) के अधीन लिए गए लेखा को पुष्ट और प्रति-हस्ताक्षरित किया है या उस तारीख से जिसको न्यायालय ने खण्ड (ख) के अधीन ऐसी रकम को घोषित किया है छह मास के भीतर की उस तारीख को जिसे न्यायालय नियत करे या उसके पूर्व जमा कर देता है और तत्पश्चात् ऐसी रकम जो नियम 10 में यथा उपबंधित पश्चात्वर्ती खर्चो प्रभारों और व्ययों की बाबत शोध्य न्यायनिर्णीत की जाए और ऐसी राशियों पर ऐसे पाश्चिक ब्याज के सहित जो नियम 11 में उपबन्धित है, न्यायालय में जमा कर देता है, तो वादी प्रतिवादी को उस व्यक्ति को जिसे प्रतिवादी नियुक्त करे बन्धक सम्पत्ति। सम्बन्धी वे सभी दस्तावेजों जो उसके कब्जे या शक्ति में है परिदत्त कर दे और यदि उससे ऐसी अपेक्षा की जाए तो वह उस बन्धक से और वादी द्वारा, या उससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा या जहां वादी व्युत्पन्न हक के आधार पर दावा करता है वहां उन द्वारा जिनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वह दावा करता है, सृष्ट बन्धक और सभी विल्लगमों से मुक्त करके वह संपति प्रतिवादी को उसके खर्चे पर प्रति अन्तरित कर दे और यदि आवश्यक हो तो प्रतिवादी का कब्जा भी सम्पत्ति पर करा दे तथा

(ii) यदि प्रारम्भिक डिक्री के अधीन या उसके द्वारा शोध्य पाई गई या शोध्य घोषित रकम का सदाय इस प्रकार नियत की गई तारीख को या उसके पूर्व नहीं किया जाता है या प्रतिवादी पश्चात्वर्ती खर्चों,

प्रभारों, व्ययों और ब्याज की बाबत् शोध्य न्यायनिर्णीत रकम को ऐसे समय के भीतर जो न्यायालय नियत करे, संदत्त करने में असफल रहता है तो वादी सम्पत्ति का मोचन कराने के सभी अधिकारों से प्रतिवादी को विवर्जित करने वाली अन्तिम डिक्री के लिए आवेदन करने का हकदार होगा ।

(2) उपनियम (1) के अधीन शोध्य पाई गई या शोध्य घोषित रकम के या पश्चात्वर्ती खर्चो, प्रभारों, व्ययों और ब्याज की बाबत शोध्य न्यायनिर्णीत रकम के संदाय के लिए नियत समय को, अन्तिम डिक्री पारित करने के पूर्व किसी भी समय न्यायालय अच्छा हेतुक दर्शित किए जाने पर और ऐसे निबन्धनों पर जो न्यायालय द्वारा नियत किए जाए, समय-समय पर बढा सकेगा ।

(3) पुरोबंध वाद में जहां पाश्चिक बन्धकदार या वे व्यक्ति जिन्हें किन्हीं ऐसे बन्धकदारों से हक व्युत्पन्न हुआ है या जो किन्हीं ऐसे बन्धकदारों के अधिकारों में प्रत्यासीन हैं, पक्षकारों के तौर पर संयोजित किए गए हैं वहां प्रारम्भिक डिक्री वाद के पक्षकारों के अपने-अपने अधिकारों और दायित्वों के न्यायनिर्णयन के लिए उपबन्ध उस रीति से और उस प्ररूप में जो परिशिष्ट घ में के, यथास्थिति, प्ररूप संख्यांक 9 या प्ररुप संख्यांक 10 में उपवर्णित हैं, ऐसे फेरफारों सहित करेगी जो उस मामले की परिस्थितियों से अपेक्षित हों ।

उच्च न्यायालय संशोधन

पटना उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन (7.1.1936) - आदेश 34 के नियम 2 (2) मे शब्द " इसकी स्वप्रेरणा से अथवा " को शब्द "न्यायालय" शब्द के उपरांत जोडा जाए ।

3. पुरोबन्ध वाद में अन्तिम डिक्री- (1) जहां बन्धक सम्पत्ति का मोचन कराने के सभी अधिकारो से प्रतिवादी के विवर्जित करने वाली अन्तिम डिक्री पारित किए जाने के पूर्व प्रतिवादी नियम 2 के उपनियम (1) के अधीन अपने द्वारा शोध्य सभी रकमें न्यायालय में जमा कर देता है वहां न्यायालय ऐसी अन्तिम डिक्री प्रतिवादी के इस निमित्त किए गए आवेदन पर पारित करेगा जो-

(क) प्रारम्भिक डिक्री में निर्दिष्ट दस्तावेजों को परिदत्त करने के लिए आदेश वादी को देगी और आवश्यक हो तो-

(ख) उक्त डिक्री में यथानिर्दिष्ट बन्धक सम्पत्ति को प्रतिवादी के खर्चे पर प्रति - अन्तरित करने के लिए आदेश वादी को देगी,

और यदि आवश्यक हो तो-

(ग) प्रतिवादी का कब्जा सम्पत्ति पर कराने के लिए भी आदेश वादी को देगी ।

(2) जहां उपनियम (1) के अनुसार संदाय नहीं किया गया है वहां वादी द्वारा इस निमित्त किए गए आवेदन पर न्यायालय यह घोषणा करने वाली कि प्रतिवादी और उससे व्युत्पन्न अधिकार के द्वारा या उसके अधीन दावा करने वाले सभी व्यक्ति बन्धक सम्पत्ति का मोचन कराने के सभी अधिकार से विवर्जित किए जाते हैं और यदि आवश्यक हो तो प्रतिवादी को यह आदेश भी देने वाली कि वह सम्पत्ति पर कब्जा वादी को दे दे, अन्तिम डिक्री पारित करेगा ।

(3) उपनियम (2) के अधीन अन्तिम डिक्री के पारित किए जाने पर वे सभी दायित्व जिनके अधीन प्रतिवादी बन्धक की बाबत है या वाद के कारण है उन्मोचित कर दिए गए समझे जाएंगे ।

4. विक्रय के लिए वाद में प्रारम्भिक डिक्री- (1) विक्रय के वाद में यदि वादी सफल हो जाता है तो, न्यायालय ऐसी प्रारम्भिक डिक्री पारित करेगा जो नियम 2 के उपनियम (1) के खण्ड (क), खण्ड (ख) और खण्ड (ग) (i) में वर्णित प्रभाव वाली होगी और यह अतिरिक्त निदेश देगा कि उसमें वर्णित रीति से संदाय करने में प्रतिवादी से व्यतिक्रम होन पर वादी यह निदेश देने वाली अंतिम डिक्री के लिए आवेदन करने का हकदार होगा कि बन्धक संपति या उसके पर्याप्त भाग का विक्रय किया जाए और विक्रय के आगम (उनमें से विक्रय के व्ययों को काटने के पश्चात्) न्यायालय में जमा क राए जाएं और जो कुछ वादी को प्रारम्भिक डिक्री के अधीन या उसके द्वारा शोध्य पाया गया या शोध्य घोषित किया गया है उसका ऐसी रकम सहित जो पश्चात्वर्ती खर्चो, प्रभारों, व्ययों और ब्याज की बाबत शोध्य न्यायनिर्णीत की गई हो, संदाय करने में उपयोजित की जाएं और यदि कुछ बाकी रहे तो उसे प्रतिवादी को या ऐसे अन्य व्यक्तियों को दे दिया जाए जो उसे प्राप्त करने के हकदार हों ।

(2) उपनियम (1) के अधीन शोध्य पाई गई शोध्य घोषित रकम की या पश्चात्वर्ती खर्चो, प्रभारों, व्ययों और ब्याज की बाबत शौध्य न्यायनिर्णीत रकम के संदाय के लिए नियत समय को, विक्रय के लिए अन्तिम डिक्री पारित करने के पूर्व किसी भी समय न्यायालय अच्छा हेतुक दर्शित किए जाने पर और ऐसे निबन्धनों पर जो न्यायालय द्वारा नियत किए जाए, समय-समय पर बढ़ा सकेगा ।

(3) पुरोबन्ध वाद के विक्रय की डिक्री पारित करने की शक्ति- पुरोबन्ध वाद में यदि वादी सफल हो जाता है तो विलक्षण बन्धक की दशा में न्यायालय वाद के किसी भी पक्षकार या बन्धक प्रतिभूति या मोचन के अधिकार में हितबद्ध किसी भी अन्य व्यक्ति की प्रेरणा पर (पुरोबन्ध की डिक्री के बदले), वैसी ही डिक्री ऐसे निबन्धनों पर पारित कर सकेगा जो वह ठीक समझे और उन निबन्धनों के अन्तर्गत विक्रय के व्ययों की पूर्ति के लिए और निबन्धनों का पालन सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय द्वारा निश्चित युक्तियुक्त रकम का न्यायालय में निक्षेप भी आता है ।

(4) जहां पाश्चिक बन्धकदार या वे व्यक्ति जिन्हें किन्हीं ऐसे बन्धकदारों से हक व्युतपन्न हुआ है या जो किन्हीं ऐसे बन्धकदारों के अधिकारों में प्रत्यासीन हैं, विक्रय के लिए वाद में या पुरोबन्ध के वाद में, जिसमें विक्रय का आदेश दिया गया है, पक्षकारों के तौर पर संयोजित किए गए हैं वहा उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रारम्भिक डिक्री वाद के पक्षकारों के अपने-अपने अधिकारों और दायित्वों के न्यायनिर्णय के लिए उपबन्ध उस रीति से और उस प्ररुप में जो परिशिष्ट घ में के, यथास्थिति, प्ररुप सख्यांक 9, प्ररुप संख्यांक 10 या प्ररुप संख्यांक 11 में उपवर्णित हैं, ऐसे फेरफारों सहित करेगी जो उस मामले की परिस्थितियों से अपेक्षित हों ।

उच्च न्यायालय संशोधन

इलाहाबाद उच्च न्यायालय दारा संशोधन (24.7.1926)-- आदेश 34 नियम 4(2) में शब्द "न्यायालय" के उपरांत इसकी स्वप्रेरणा से अथवा" शब्दों को जोड़ा जाए ।

5. विक्रय के वाद में अन्तिम डिक्री- (1) जहां नियत दिन को या उसके पूर्व या इस नियम के उपनियम (3) के अधीन पारित अन्तिम डिक्री के अनुसरण में किए गए विक्रय की पुष्टि किए जाने के पूर्व किसी भी समय प्रतिवादी नियम 4 के उपनियम (1) के अधीन अपने द्वारा शोध्य सभी रकमें न्यायालय में

जमा कर देता है वहां न्यायालय अन्तिम डिक्री या यदि ऐसी डिक्री पारित कर दी गई है तो, आदेश प्रतिवादी के इस निमित्त किए गए आवेदन पर पारित करेगा जो-

(क) प्रारम्भिक डिक्री में निर्दिष्ट दस्तावेजों को परिदत्त करने के लिए आदेश वादी को देगा, और यदि आवश्यक हो तो-

(ख) उक्त डिक्री में यथानिर्दिष्ट बन्धक सम्पत्ति को अन्तरित करने के लिए आदेश वादी को देगा, और यदि आवश्यक हो तो-

(ग) प्रतिवादी का कब्जा सम्पत्ति पर कराने के लिए भी आदेश वादी को देगा ।

(2) जहां बन्धक सम्पत्ति या उसके किसी भाग का इस नियम के उपनियम (3) के अधीन पारित डिक्री के अनुसरण में विक्रय कर दिया गया है वहां जब तक कि प्रतिवादी उपनियम (1) में वर्णित रकम के अतिरिक्तत ऐसी राशि जो क्रय धन की उस रकम के पांच प्रतिशत के बराबर हो जिसे क्रेता ने न्यायालय में जमा किया है, क्रेता को देने के लिए न्यायालय में निक्षिप्त नहीं कर देता न्यायालय इस नियम के उपनियम (1) के अधीन आदेश पारित नहीं करेगा ।

जहां ऐसा निदेश कर दिया गया है वही क्रेता क्रयधन की उस रकम के जो उसने न्यायालय में जमा की थी, पांच प्रतिशत के बराबर राशि के सहित उस रकम के प्रतिसंदाय के आदेश का हकदार होगा (3) जहां उपनियम (1) के अनुसार संदाय नहीं किया गया है वहां न्यायालय वादी द्वारा इस निमित्त किए गए आवेदन पर यह निदेश देने वाली अन्तिम डिक्री पारित करेगा कि बन्धक सम्पत्ति या उसके पर्याप्त भाग का विक्रय कर दिया जाए और विक्रय के आगमों से ऐसी रीति से बरता जाए जो नियम 4 के उपनियम (1) में उपबन्धित है ।

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 82 द्वारा (1.2.1977 से) "अन्तिम पूर्ववर्ती नियम" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया |

6. विक्रय के वाद में बन्धक पर शोध्य बाकी रकम की वसूली- [5][नियम 5] के अधीन किए गए किसी भी विक्रय के शुद्ध आगम वादी को शुद्ध रकम का संदाय करने के लिए अपर्याप्त पाए जाते हैं वहां, यदि बाकी रकम विक्रीत सम्पत्ति के अतिरिक्त प्रतिवादी से अन्यथा वैध रुप से वसूलीय है तो, न्यायालय वादी द्वारा किए गए आवेदन पर ऐसी बाकी रकम के लिए डिक्री पारित कर सकेगा ।

7. मोचन के वाद में प्रारम्भिक डिक्री- (1) मोचन के वाद में यदि वादी सफल हो जाता है तो न्यायालय ऐसी प्रारम्भिक डिक्री पारित करेगा जो-

(क) यह आदेश देगी कि-

(i) बन्धक पर के मूलधन और ब्याज मद्धे,

(ii) वाद के ऐसे खर्चों मद्धे, यदि कोई हों, जो उसके पक्ष में अधिनिर्णीत किए गए हों, तथा

(iii) अपनी बन्धक-प्रतिभूति की बाबत उस तारीख तक उसके द्वारा उचित रुप से उपगत अन्य खर्चों, प्रभारों और व्ययों मद्धे उन पर ब्याज सहित,

जो कुछ प्रतिवादी की ऐसी डिक्री की तारीख पर शोध्य है उसका लेखा लिया जाए; अथवा

(ख) ऐसी रकम घोषित करेगी जो उन तारीख पर शोध्य है; तथा

(ग) यह निदेश देगी कि-

(i) यदि वादी ऐसे शोध्य पाई गई या शोध्य घोषित रकम न्यायालय में, यथास्थिति, उस तारीख से जिसको न्यायालय ने खण्ड (क) के अधीन लिए गए लेखा को पुष्ट और प्रतिहस्ताक्षरित किया है या उस तारीख से जिसको न्यायालय ने खण्ड (ख) के अधीन ऐसी रकम को घोषित किया है, छह मास के भीतर की उस तारीख को जिसे न्यायालय नियत करे या उसके पूर्व जमा कर देता है और तत्पशचात् ऐसी रकम जो नियम 10 में यथा उपबन्धित पश्चात्वर्ती खर्चों, प्रभारों और व्ययों की बाबत शोध्य न्यायनिर्णीत की जाए और ऐसी राशियों पर ऐसे पाश्चिक ब्याज सहित जो नियम 11 में उपबन्धित है, न्यायालय में जमा कर देता है तो प्रतिवादी वादी को या उस व्यक्ति को जिसे वादी नियुक्त करे, बन्धक सम्पत्ति संबंधी वे सभी दस्तावेजें जो उसके कब्जे या शक्ति में हैं, परिदत्त कर दे और यदि उससे ऐसी अपेक्षा की जाए तो वह उस बन्धक से और प्रतिवादी द्वारा या उससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा, या जहां प्रतिवादी व्युत्पन्न हक के आधार पर दावा करता है वहा उन द्वारा जिनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वह दावा करता है, सृष्ट बन्धक और सभी विल्लंगमों से मुक्त करके सम्पत्ति वादी को उसके खर्चे पर प्रति-अन्तरित कर दे और यदि आवश्यक हो तो वादी का कब्जा भी सम्पत्ति पर करा दे; तथा

(ii) यदि प्रारम्भिक डिक्री के अधीन या उसके द्वारा शोध्य पाई गई या शोध्य घोषित रकम का संदाय इस प्रकार नियत की गई तारीख को या उसके पूर्व नहीं किया जाता है या वादी पश्चात्वर्ती खर्चों, प्रभारों, व्ययों और ब्याज की बाबत शोध्य न्यायनिर्णीत रकम को ऐसे समय के भीतर जो न्यायालय नियत करे, संदत्त करने में असफल रहता है तो प्रतिवादी-

(क) भोगबंधक, सशर्त विक्रय द्वारा बन्धक या ऐसे विलक्षण बन्धक से, जिसके निबन्धन केवल पुरोबन्ध के लिए न कि विक्रय के लिए, उपबन्ध करते हैं, भिन्न किसी बन्धक की दशा में इस अन्तिम डिक्री के लिए आवेदन करने का हकदार होगा कि बन्धक सम्पत्ति का विक्रय कर दिया जाए, अथवा

(ख) सशर्त विक्रय द्वारा बन्धक या पूर्वोक्त जैसे विलक्षण बन्धक की दशा में इस अन्तिम डिक्री के लिए आवेदन करने का हकदार होगा कि वादी सम्पत्ति का मोचन कराने के सभी अधिकारों से विवर्जित कर दिया जाए अथवा

(2) उपनियम (1) केअधीन शोध्य पाई गई या शोध्य घोषित रकम के या पश्चात्वर्ती खर्चो, प्रभारों, व्ययों और ब्याज की बाबत शोध्य न्यायनिर्णीत रकम के संदाय के लिए नियत समय को, यथास्थिति, पुरोबन्ध या विक्रय के लिए अन्तिम डिक्री पारित करने के पूर्व किसी भी समय न्यायालय अच्छा हेतुक दर्शित किए जाने पर और ऐसे निबन्धनों पर जो न्यायालय द्वारा नियत किए जाए, समय-समय पर बढ़ा सकेगा ।

8. मोचन के वाद में अन्तिम डिक्री- (1) जहां बन्धक सम्पत्ति के मोचन कराने के सभी अधिकारों से वादी को विवर्जित करने वाली अन्तिम डिक्री पारित किए जाने के पूर्व या इस नियम के उपनियम (3) के अधीन पारित अन्तिम डिक्री के अनुसरण में किए गए विक्रय के पुष्ट किए जाने के पूर्व वादी नियम 7 के उपनियम (1) के अधीन अपने द्वारा शोध्य सभी रकमें न्यायालय में जमा कर देता है वहां न्यायालय अन्तिम डिक्री या यदि ऐसी डिक्री पारित कर दी गयी है, तो आदेश वादी के इस निमित किए गए आवेदन

पर पारित करेगा, जो-

(क) प्रारम्भिक डिक्री में निर्दिष्ट दस्तावेजों को परिदत्त करने के लिए आदेश प्रतिवादी को देगा, और यदि आवश्यक हो तो-

(ख) उक्त डिक्री में यथानिर्दिष्ट बन्धक सम्पत्ति को वादी के खर्चे पर प्रति-अन्तरित करने के लिए आदेश प्रतिवादी को देगा

और यदि आवश्यक हो तो-

(ग) वादी का कब्जा सम्पत्ति पर कराने के लिए भी आदेश प्रतिवादी को देगा ।

(2) जहां बन्धक सम्पत्ति या उसके किसी भाग का इस नियम के उपनियम (3) के अधीन पारित डिक्री के अनुसरण में विक्रय कर दिया गया है वहां जब तक कि वादी उपनियम (1) में वर्णित रकम के अतिरिक्त ऐसी राशि जो क्रयधन की उस रकम के पांच प्रतिशत के बराबर हो जिसके क्रेता ने न्यायालय में जमा किया है, क्रेता को देने के लिए न्यायालय में निक्षिप्त नहीं कर देता, न्यायालय इस नियम के उपनियम (1) के अधीन आदेश पारित नहीं करेगा ।

जहां ऐसा निक्षेप कर दिया गया है वहां क्रेता क्रयधन की उस रकम के जो उसने न्यायालय में जमा की थी, पांच प्रतिशत के बराबर राशि के सहित उस रकम के प्रतिसंदाय के आदेश का हकदार होगा ।

(3) जहां उपनियम (1) के अनुसार संदाय नहीं किया गया है वहां न्यायलय, प्रतिवादी द्वारा इस निमित्त किए गए आवेदन पर,-

(क) सशर्त विक्रय दारा बन्धक की दशा में या ऐसे विलक्षण बन्धक की दशा में जो इसमें इसके पूर्व नियम 7 में निर्दिष्ट किया गया है, यह घोषणा करने वाली कि वादी और उससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले सभी व्यक्ति बन्धक सम्पत्ति का मोचन कराने के सभी अधिकार से विवर्जित किए जाते हैं और यदि आवश्यक हो तो वादी को यह आदेश भी देने वाली कि वह बन्धक सम्पत्ति पर कब्जा प्रतिवादी को दे दे, अन्तिम डिक्री पारित करेगा अथवा

(ख) ऐसे किसी अन्य बन्धक की दशा में जो भोगबन्धक नहीं है, यह अंतिम डिक्री पारित करेगा कि बन्धक सम्पत्ति या उसके पर्याप्त भाग का विक्रय किया जाए और विक्रय के आगम (उनमें से विक्रय के व्ययों को काटने के पश्चात्) न्यायालय में जमा कराए जाएं और जो कुछ प्रतिवादी को शोध्य पाया गया है उसका संदाय करने में उपयोजित किए जाएं और यदि कुछ बाकी रहे तो उसे वादी को या ऐसे अन्य व्यक्तियों को दे दिया जाए जो उसे प्राप्त करने के हकदार हों ।

1. 1929 के अधिनियम सं. 21 की धारा 5 द्वारा अन्त: स्थापित किया ।
2. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 82 द्वारा (1.2.1977) से "अन्तिम पूर्ववर्ती नियम" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया |

[1][**8 क. मोचन के वाद में बन्धक पर शोध्य बाकी रकम की वसूली-** जहां [2][नियम 8 के अधीन किए गए किसी भी विक्रय के शुद्ध आगम प्रतिवादी को शोध्य रकम का संदाय करने के लिए अपर्याप्त पाए जाते हैं वहां यदि बाकी रकम विक्रीत सम्पत्ति के अतिरिक्त वादी से अन्यथा वैध रुप से वसूलीय है तो न्यायालय [1][प्रतिवादी द्वारा निष्पादन में किए गए आवेदन पर] ऐसी बाकी रकम के लिए डिक्री पारित कर

सकेगा ।]

9. डिक्री जहां कुछ भी शोध्य नहीं पाया जाए या जहां बंधकदार को अतिसंदाय कर दिया गया हो- यदि नियम 7 में निर्दिष्ट लेखा लेने पर यह प्रतीत हो कि प्रतिवादी को कुछ भी शोध्य नहीं है या उसे अतिसंदाय कर दिया गया है तो न्यायालय इसमें इसके पूर्व किसी बात के होते हुए भी यह निदेश देने वाली डिक्री पारित करेगा कि प्रतिवादी, यदि उससे ऐसी अपेक्षा की जाए तो सम्पति को प्रति-अन्तरित करे और वादी को वह रकम दे जो उसको शोध्य पायी जाए और यदि आवश्यक हो तो वादी का कब्जा बन्धक सम्पत्ति पर करा दिया जाएगा ।

[2][**10. बन्धकदार के खर्चे जो डिक्री के पश्चात् हुए हैं--** पुरोबन्ध, विक्रय या मोचन की दशा में जो रकम बन्धकदार को दी जानी है उसका अन्तिम रुप से समायोजन करने में न्यायालय तब के सिवाय जब कि वाद में के खर्च की दशा में उसका आचरण ऐसा रहा है जो उसे उनके लिए निर्हरित कर देता है ऐसे वाद के खर्चे और अन्य खर्चे, प्रभार और व्यय, जो पुरोबन्ध, विक्रय या मोचन के लिए प्रारम्भिक डिक्री की तारीख से वास्तविक संदाय के समय तक उसके द्वारा समुचित रुप से उपगत किए गए हैं, बन्धक धन में जोड़ देगा :

[3][परन्तु जहां बन्धककर्ता बन्धक पर शोध्य रकम या ऐसी रकम जो न्यायालय की राय में सारत: कम नहीं है वाद के संस्थित किए जाने के पूर्व या के समय निविदत्त या निक्षिप्त कर देता है वहा उसे बन्धकदार को वाद के खर्चे देने का आदेश नहीं दिया जाएगा और बन्धककर्ता वाद के अपने खर्चे को बन्धकदार से वसूल करने के लिए तब तक हकदार रहेगा जब तक कि न्यायालय ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, अन्यथा निदेश न दे ।

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 82 द्वारा (1.2.1977 से) “उसके द्वारा किए गए आवेदन पर" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया ।
2. 1929 के अधिनियम सं. 21 की धारा 6 द्वारा मूल नियम 10 और 11 के स्थान पर प्रतिस्थापित किया ।
3. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 82 द्वारा (1.2.1977 से) अन्त: स्थापित किया ।

[2][**10क. अन्तःकालीन लाभ का संदाय करने के लिए बन्धकदार को निदेश देने की न्यायालय की शक्ति-** जहां पुरोबन्ध के वाद में बन्धककर्ता ने बन्धक पर शोध्य राशि या ऐसी राशि जो न्यायालय की राय में सारत: कम नहीं है, वाद के संस्थित किए जाने के पूर्व या के समय निविदत या निक्षिप्त कर दी है वहां न्यायालय बन्धकदार को यह निदेश देगा कि वह बन्धककर्ता को वाद संस्थित किए जाने से प्रारम्भ होने वाली अवधि के लिए अन्त: कालीन लाभ का संदाय करे ।

11. ब्याज का संदाय- पुरोबंध, विक्रय या मोचन के वाद में पारित किसी भी डिक्री में न्यायालय जहां ब्याज वैध रुप से वसूलीय हो, यह आदेश दे सकेगा कि बन्धकदार को निम्नलिखित ब्याज दिया जाए, अर्थात-

(क) प्रारम्भिक डिक्री के अधीन शोध्य पाई गई या शोध्य घोषित रकम जिस तारीख को या जिस तारीख के पूर्व बन्धककर्ता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जो बन्धक का मोचन करा रहा है संदत्त की जाती है, उस तारीख तक का-

(i) उस दर से, जो मूलधन पर संदेय है या जहां ऐसी दर नियत नहीं है वहां ऐसी दर से जो न्यायालय युक्तियुक्त समझे, उस मूलधन की रकम पर जो बन्धक पर शोध्य पाई गई है, या शोध्य घोषित की गई है, ब्याज,

[3]* * * *तथा

(iii) उस दर से जो पक्षकारों में करार पाई गई है या ऐसी दर के अभाव में [4][छह प्रतिशत प्रतिवर्ष से अनधिक ऐसी दर से जो न्यायालय युक्तियुक्त समझे,] उन खर्चों, प्रभारों और व्ययों मद्धे जो बन्धक-प्रतिभूति की बाबत बन्धकदार ने प्रारम्भिक डिक्री की तारीख तक उचित रुप से उपगत किए हों और जो बन्धक धन में जोड़ दिए गए हों, बन्धकदार को शोध्य न्यायनिर्णीत रकम पर ब्याज,

2. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 82 द्वारा (1.2.1977 से) अन्त : स्थापित किया ।
3. 1956 के अधिनियम सं. 66 की धारा 14 द्वारा उपखण्ड (ii) का लोप ।
4. 1956 के अधिनियम सं. 66 की धारा 14 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित किया ।

तथा

[1][(ख) ऐसी दर से जो न्यायालय युक्तियुक्त समझे, उन मूल राशियों के जो खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट हैं, उस खण्ड के अनुसार संगणित योग पर वसूली की या वास्तविक संदाय की तारीख का पाश्चिक ब्याज ।]]

12. पूर्विक बन्धक के अधीन सम्पत्ति का विक्रय- जहां कोई सम्पत्ति जिसका विक्रय इस आदेश के अधीन निर्दिष्ट किया गया है, पूर्विक बन्धक के अधीन है वहां न्यायालय पूर्विक बन्धकदार की सहमति से यह निदेश दे सकेगा कि ऐसे पूर्विक बन्धकदार को विक्रय के आगमों में वही हित देकर जो विक्रीत सम्पत्ति में उसका था, उस सम्पत्ति का उस बन्धक से मुक्त करके विक्रय किया जाए ।

1. 1966 के अधिनियम सं. 66 की धारा 14 द्वारा खण्ड (घ) के स्थान पर प्रतिस्थापित किया ।

13. आगमों का उपयोजन- (1) ऐसे आगम न्यायालय में लाए जाएंगे और निम्न प्रकार से उपयोजित किए जाएंगे,-

प्रथमत: विक्रय से आनुषंगिक या किसी प्रयतित विक्रय में उचित रुप से उपगत व्ययों का संदाय करने में;

द्वितीयत: पूर्विक बन्धक मद्धे जो कुछ पूर्विक बन्धकदार को शोध्य है उसका और उसके बारे में उचित रूप से उपगत खर्चोका संदाय करने में;

तृतीयत: जिस बन्धक के परिणामस्वरूप विक्रय निर्दिष्ट किया गया था उस मद्धे शोध्य सभी ब्याज

का और उस वाद में के जिसमें कि विक्रय का निदेश देने वाली डिक्री पारित की गई थी, खर्चों का संदाय करने में,

चतुर्थत: उस बन्धक मद्धे शोध्य मूलधन का सदाय करने में; तथा

अन्ततः, यदि कुछ अवशिष्ट रहे तो वह उस व्यक्ति को जो यह साबित कर दे कि विक्रीत सम्पत्ति में वह हितबद्ध है, या यदि ऐसे व्यक्ति एक से अधिक हैं तो ऐसे व्यक्तियों को उस सम्पति में अपने-अपने हितों के अनुसार या उनकी संयुक्त रसीद पर दे दी जाएगी ।

(2) इस नियम की या नियम 12 की किसी भी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 (1882 का 4) की धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों पर प्रभाव डालती है ।

14. बन्धक सम्पत्ति का विक्रय कराने के लिए आवश्यक विक्रय का वाद- (1) जहां बन्धकदार ने बन्धक के अधीन उद्भूत होने वाले दावे की तुष्टि में धन के संदाय के लिए डिक्री अभिप्राप्त कर ली है वहां वह बंधक के प्रवर्तन के लिए विक्रय का वाद संस्थित करके ही बन्धक सम्पत्ति का विक्रय कराने का हकदार होगा, अन्यथा नहीं और वह आदेश 2 के नियम 2 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसा वाद संस्थित कर सकेगा ।

(2) उपनियम (1) की कोई भी बात उन राज्यक्षेत्रों को लागू नहीं होगी जिन पर सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 (1882 का 4) का विस्तारण नहीं किया गया है ।

[15. हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक और भार- [2][(1)] इस आदेश के वे सभी उपबन्ध जो साधारण बन्धक को लागू हैं, सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 (1882 का 4) की धारा 58 के अर्थ में हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बन्धक को और धारा 100 के अर्थ में भार को, जाहं तक हो सके, लागू होंगे ।

[3][(2) जहां डिक्री में धन संदाय करने का आदेश दिया जाता है और उसके संदाय में व्यतिक्रम किए जाने पर उस डिक्री को स्थावर सम्पत्ति पर भारित किया जाता है वहां वह रकम उस डिक्री के निष्पादन में उस सम्पत्ति के विक्रय द्वारा वसूल की जा सकेगी ।

उच्च न्यायालय संशोधन

इलाहाबाद उच्च न्यायालय संशोधन- आदेश 34 नियम 15 को नियम 15 (1) के रुप में पड़ा जाए और निम्नानुसार को नियम 15(2) के रूप मे पढ़ा जाए-

“(2) जहाँ डिक्री धन भुगतान का आदेश देती है और भुगतान में चूक करने पर अचल सम्पत्ति पर प्रभार अधिरोपित करती है तो उस डिक्री के निष्पादन में उस सम्पत्ति के विक्रय के द्वारा राशि वसूल की जा सकेगी ।" (17.1.1953)

आदेश 35

अन्तराभिवाची

1. अन्तराभिवाची वाद में वादपत्र- हर एक अन्तरानिवाची वाद के वादपत्रों में, वादपत्रों के लिए

आवश्यक अन्य कथनों के अतिरिक्त,-

(क) यह कथन होगा कि वादी प्रभारों या खर्चोंके लिए दावा करने से भिन्न किसी हित का दावा विवाद की विषय-वस्तु में नहीं करता है;

(ख) प्रतिवादियों द्वारा पृथक्तः किए गए दावे कथित होंगे; तथा

(ग) यह कथन होगा कि वादी और प्रतिवादियों में से किसी भी प्रतिवादी के बीच कोई दुस्सन्धि नहीं है ।

1. 1929 के अधिनियम सं. 21 की धारा 7 द्वारा मूल नियम 15 के स्थान पर प्रतिस्थापित किया ।
2. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 82 द्वारा (1.2.1977 से) नियम 15 के उपनियम (1) के रुप में पुनःसख्याकित किया ।
3. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 82 द्वारा (1.2.1977 से) अन्तःस्थापित किया ।

2. दावाकृत चीज का न्यायालय में जमा किया जाना- जहां दावाकृत चीज ऐसी है कि वह न्यायालय में जमा की जा सकती है या न्यायालय की अभिरक्षा में रखी जा सकती है वहां वादी से अपेक्षा की जा सकेगी कि वह वाद में किसी भी आदेश का हकदार हो सकने के पूर्व उसे ऐसे जमा कर दे या रख दे ।

3. प्रक्रिया जहां प्रतिवादी वादी पर वाद चला रहा है- जहां अन्तराभिवाची वाद के प्रतिवादियों में से कोई प्रतिवादी, वादी पर ऐसे वाद की विषय-वस्तु की बाबत वास्तव में चला रहा है वहां वह न्यायालय जिसमें वादी के विरुद्ध वाद लम्बित है, उस न्यायालय द्वारा जिसमें अन्तराभिवाची वाद संस्थित किया गया है, इत्तिला दिए जाने पर वादी के विरुद्ध कार्यवाहियों को रोक देगा और रोके गए वाद में वादी के जो खर्चे हुए हों वे ऐसे वाद में उपबन्धित किए जा सकेंगे, किन्तु यदि और जहां तक वे उसे वाद में उपबन्धित नहीं किए जाते हैं तो और वहां तक अन्तराभिवाची वाद में उपगत उसके खर्चों में जोड़े जा सकेंगे ।

4. पहली सुनवाई में प्रक्रिया–(1) पहली सुनवाई में न्यायालय-

(क) घोषित कर सकेगा कि वादी दावावृात चीज के संबंध में प्रतिवादियों के प्रति सभी दायित्व से उन्मोचित हो गया है, उसे उसके खर्चे अधिनिर्णीत कर सकेगा और वाद में से उसे खारिज कर सकेगा, अथवा

(ख) यदि यह समझता है कि न्याय या सुविधा की दृष्टि से ऐसा करना अपेक्षित है तो वह वाद का अन्तिम निपटारा हो जाने तक सभी पक्षकारों को बनाए रख सकेगा ।

(2) जहां न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि पक्षकारों की स्वीकृतियां या अन्य साक्ष्य उसे ऐसा करने के योग्य कर देते हैं वहां वह दावाकृत चीज पर के हक का न्यायनिर्णयन कर सकेगा ।

(3) जहां पक्षकारों की स्वीकृतियां न्यायालय को ऐसे न्यायनिर्णयन करने के योग्य नहीं कर देती वहां वह निदेश दे सकेगा कि-

(क) पक्षकारों के बीच विवाद्यक या विवाद्यकों की विरचना की जाए और उनका विचारण किया

जाए, तथा

(ख) मूल वादी के बदले में या उसके अतिरिक्त किसी दावेदार को वादी बना दिया जाए और वाद का मामूली रीति से विचारण करने के लिए अग्रसर होगा ।

5. अभिकर्ता और अभिधारी अन्तराभिवाची वाद संस्थित नहीं कर सकेगा- इस आदेश की किसी भी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह अभिकर्ताओं को अपने मालिकों पर, या अभिधारियों को अपने भू-स्वामियों पर, इस प्रयोजन से वाद लाने को समर्थ करती है कि वे मालिक या भू-स्वामी ऐसे किन्हीं व्यक्तियों से जो ऐसे मालिकों या भू-स्वामियों से व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले व्यक्तियों से भिन्न हों, अन्राभिवचन करने के लिए विवश किए जाएं ।

6. वादी के खर्चो का भार- जहां वाद उचित रूप से संस्थित किया गया है वहां न्यायालय मूल वादी के खर्चो के लिए उपबन्ध दावाकृत चीज पर उसका भार डाल कर या अन्य प्रभावी तौर पर कर सकेगा ।

आदेश 36

विशेष मामला

1. न्यायालय की राय के लिए मामले का कथन करने की शक्ति- (1) जो पक्षकार तथ्य या विधि के किसी प्रश्न के विनिश्चय में हितबद्ध होने का दावा करते हैं वे ऐसा लिखित करार कर सकेंगे जिसमें ऐसे प्रश्न का मामले के रुप में कथन न्यायालय की राय के लिए होगा और यह उपबन्ध होगा कि ऐसे प्रश्न के बारे में न्यायालय के निष्कर्ष पर-

(क) वह धनराशि जो पक्षकारों द्वारा नियत की गई है या न्यायालय द्वारा अवधारित की जाए पक्षकारों में से एक के द्वारा उनमें से दूसरे को दी जाएगी; अथवा

(ख) करार में विनिर्दिष्ट कोई सम्पत्ति, चाहे वह जंगम हो या स्थावर, पक्षकारों में से एकके द्वारा उनमें से दूसरे को परिदत्त की जाएगी; अथवा

(ग) पक्षकारों में से एक या अधिक पक्षकार करार में विनिर्दिष्ट कोई दूसरा विशिष्ट कार्य करेंगे या करने से विरत रहेंगे ।

(2) इस नियम के अधीन कथित हर मामला क्रमवर्ती संख्याकित पैराओं मे बाटा जाएगा और उसमें ऐसे तथ्यों का संक्षिप्त कथन होगा और ऐसी दस्तावेजों का विनिर्देश होगा जो न्यायालय का उसके द्वारा उठाए गए प्रश्न का विनिश्चय करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों ।

2. विषय-वस्तु का मूल्य कहां कथित करना होगा- जहां करार किसी संपत्ति परिदान के लिए या किसी विशिष्ट कार्य को करने से विरत रहने के लिए है वहां जो सम्पत्ति परिदत की जाना है या जिसके प्रति विनिर्दिष्ट कार्य का निर्देश है, उसका प्राक्कलित मूल्य करार में कथित किया जाएगा ।

3. करार वाद के रुप में फाइल किया जाएगा और रजिस्टर में चढ़ाया जाएगा- (1) यदि करार इसमें इसके पूर्व अन्तर्विष्ट नियमों के अनुसार विरचित किया गया है [1][तो वह न्यायालय में आवेदन के साथ

फाइल किया जा सकेगा जिसको] ऐसा वाद ग्रहण करने की अधिकारिता हो, जिस वाद की रकम या विषय-वस्तु का मूल्य करार में की रकम या विषय-वस्तु के मूल्य के बराबर है |

(2) जब [2][आवेदन] इस प्रकार फाइल कर दिया जाता है तब वह वादी या वादियों के तौर पर हितबद्ध होने का दावा करने वाले पक्षकारों में से एक या अधिक और प्रतिवादी या प्रतिवादियों के तौर पर हितबद्ध उनमें से अन्य या अन्यों के बीच के वाद के रूप में संख्यांकित किया और रजिस्टर मे चढाया जाएगा और उस पक्षकार या उन पक्षकारों से भिन्न, जिसने या जिन्होंने [3][आवेदन] उपस्थापित किया है, करार के सभी पक्षकारों को सूचना दी जाएगी ।

4. पक्षकार न्यायालय की अधिकारिता के अधीन होंगे- जहां करार इस प्रकार फाइल कर दिया गया है वहां उसमें के पक्षकार न्यायालय की अधिकारिता के अधीन होंगे और उसमें अन्तर्विष्ट कथनों से आबद्ध होंगे ।

5. मामले की सुनवाई और निपटारा- (1) वह मामला मामूली रीति से संस्थित वाद के रुप में सुनवाई के लिए रखा जाएगा और ऐसे वाद को इस संहिता के उपबन्ध वहां तक लागू-होंगे जहां तक कि वे लागू होने योग्य हैं ।

(2) जहां पक्षकारों, की परीक्षा करने के पश्चात् ऐसा साक्ष्य लेने हो पश्चात्, जो न्यायालय ठीक समझे, न्यायालय का समाधान हो जाता है कि-

(क) करार उनके द्वारा सम्यक रूप से निष्पादित किया गया था,

(ख) उसमें कथित प्रश्न में उनका सदभावपूर्ण हित है, तथा

(ग) वह विनिश्चित किए जाने के योग्य है,

वहां न्यायालय उस पर अपना निर्णय सुनाने के लिए ऐसी रीति से अग्रसर होगा जो वह मामूली वाद में होता है और ऐसे सुनाए गए निर्णय के अनुसार डिक्री होगी ।

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 83 द्वारा (1.2.1977 से अन्त: स्थापित किया ।
2. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 83 द्वारा (1.2.1977 से) "करार" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया ।
3. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 83 द्वारा (1.2.1977 से) "उसे उपस्थापित किया है" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया ।

[1]**[6. नियम 5 के अधीन पारित डिक्री की अपील न होना-** नियम 5 के अधीन पारित डिक्री की कोई अपील नहीं होगी ।

आदेश 37
संक्षिप्तप्रक्रिया

[3]**[1. वे न्यायालय और वादों के वर्ग जिन्हें यह आदेश लागू होना है-** (1) यह आदेश निम्नलिखित न्यायालयों को लागू होगा अर्थात : -

(क) उच्च न्यायालय, नगर सिविल न्यायालय और लघुवाद न्यायालय; और

(ख) अन्य न्यायालय:

परन्तु उच्च न्यायालय खण्ड (ख) में निर्दिष्ट न्यायालयों के बारे में, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस आदेश के प्रवर्तन को वादों के केवल ऐसे प्रवर्गों तक निर्बन्धित कर सकेगा जो वह उचित समझे और इस आदेश के प्रवर्तन के अधीन लाए जाने वाले वादों के प्रवर्गों को समय - समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा मामले की परिस्थितियों में यथा अपेक्षित और निर्बन्धित कर सकेगा बढ़ा सकेगा या उसमें फेरफार कर सकेगा जो वह उचित समझे ।

(2) उपनियम (1) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए यह आदेश निम्नलिखित वादों के वर्गों को लागू होता है अर्थात्-

(क) विनिमय - पत्रों हुण्डियों और वचन - पत्रों के आधार पर वाद;

(ख) ऐसे वाद जिनमें वादी प्रतिवादी द्वारा संदेय ऋण या धन के रुप में परिनिधारित मांग को ब्याज सहित या ब्याज के बिना केवल वसूल करना चाहता है जो निन्नलिखित के आधार पर उद्भूत होताहै, अर्थात्-

(i) लिखित संविदा; अथवा

(ii) ऐसी अधिनियमिति जिसमें वसूल की जाने वाली राशि कोई नियत धनराशि है या किसी शास्ति से भिन्न ऋणस्वरूप है, अथवा

(iii) ऐसी प्रत्याभूति जिसमें केवल किसी ऋण या परिनिर्धारित मांग के बारे में मूल धन के लिए दावा किया गया है ।

[1][(iv) प्राप्तव्य के किसी समनुदेशिति द्वारा संस्थित प्राप्तव्यों की वसूली के लिए कोई वाद ।]

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 84 द्वारा (1.2.1977 से) अन्त: स्थापित किया ।
2. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 84 द्वारा (1.2.1977 से) "परक्राम्य लिखत पर" शब्दों का लोप ।
3. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 84 द्वारा (1.2.1977 से) नियम 1 के स्थान पर प्रतिस्थापित किया ।

1. 2012 के अधिनियम सं. 12 की अनुसूची द्वारा (1-2-2012 से) अंतःस्थापित किया ।

[1]**[2. संक्षिप्त वादों का संस्थित किया जाना--,** (1) यदि वादी किसी ऐसे वाद को जिसे यह आदेश लागू होता है इसके अधीन आगे चलाने की वांछा करता है तो वह वाद ऐसा वादपत्र उपस्थापित करके संस्थित किया जा सकेगा जिसमें निम्नलिखित बातें होंगी, अर्थात्: -

(क) इस आशय का विनिर्दिष्ट प्रकथन कि वाद इस आदेश के अधीन फाइल किया जाता है;

(ख) ऐसे किसी अनुतोष का दावा वादपत्र में नहीं किया गया है जो इस नियम के विस्तार के अन्तर्गत नहीं आता है; और

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 84 द्वारा (1.2.1977 से) नियम 2 के स्थान पर प्रतिस्थापित किया ।

(ग) वाद के शीर्षक में वाद के संख्यांक के ठीक नीचे निम्नलिखित अन्तर्लेखन किया गया है, अर्थात्;-

"(सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 37 के अधीन)" ।

(2) वाद का समन परिशिष्ट ख के प्ररुप संख्यांक 4 में या किसी ऐसे अन्य प्ररुप में होगा जो समय-समय पर विहित किया जाए ।

(3) प्रतिवादी उपनियम (1) में निर्दिष्ट वाद की प्रतिरक्षा तब तक नहीं करेगा जब तक कि वह उपसंजात नहीं होता है और उपसंजात होने में व्यतिक्रम होने पर वादपत्र में के अभिकथन स्वीकृत कर लिए गए समझे जाएंगे और वादी विनिर्दिष्ट दर पर यदि कोई हो, डिक्री की तारीख तक के ब्याज सहित किसी ऐसी राशि के लिए जो समन में वर्णित राशि से अधिक न हो और खर्चे की ऐसी राशि के लिए जो उच्च न्यायालय उस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा समय-समय पर अवधारित करे, डिक्री पाने का हकदार होगा और ऐसी डिक्री तत्कालनिष्पादित की जा सकेगी ।]

[1][**3. प्रतिवादी की उपसंजाति के लिए प्रक्रिया-** (1) किसी ऐसे वाद में जिसे यह आदेश लागू होता है, वादी प्रतिवादी पर वादपत्र और उसके उपाबन्धों की एक प्रति नियम 2 के अधीन समन के साथ तामील करेगा और प्रतिवादी ऐसी तामील के दस दिन के भीतर किसी भी समय स्वयं या प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकेगा और दोनों दशाओं में वह उस पर सूचनाओं की तामील के लिए पता न्यायालय में फाइल करेगा ।

(2) जब तक अन्यथा आदेश न दिया गया हो तब तक ऐसे सभी समन, सूचनाएं और अन्य न्यायिक आदेशिकाएं जो प्रतिवादी पर तामील किए जाने के लिए अपेक्षित हों उस पर सम्यक् रुप से तामील की गई तब समझी जाएंगी जब वे उस पते पर छोड़ दी गई हों जो ऐसी तामील के लिए उसके द्वारा दिया गया था ।

(3) उपसंजात होने के दिन ऐसी उपसंजाति की सूचना प्रतिवादी द्वारा वादी के प्लीडर को या यदि वादी स्वंय वाद लाता है तो स्वयं वादी को ऐसी सूचना परिदत्त करके या पहले से डाक महसूल दिए गए, पत्र द्वारा, यथास्थिति, वादी के प्लीडर के या वादी के पते पर भेजकर की जाएगी ।

(4) यदि प्रतिवादी उपसंजात होता है तो उसके पश्चात् वादी प्रतिवादी पर निर्णय के लिए समन परिशिष्ट ख के प्ररुप संख्यांक 4क में या ऐसे अन्य प्ररुप में जो समय-समय पर विहित किया जाए, तामील करेगा । ऐसा समन तामील की तारीख से दस दिन से अन्यून समय में वापस किए जाने वाला होगा और जिसका समर्थन वाद-हेतुक और दावाकृत रकम का सत्यापन करने वाले शपथपत्र द्वारा किया जाएगा और उसमें यह कथन किया गया होगा कि उसके विश्वास में वाद में इस निमित्त कोई प्रतिरक्षा नहीं है ।

(5) प्रतिवादी निर्णय के लिए ऐसे समन की तामील से दस दिन के भीतर किसी भी समय शपथपत्र द्वारा या अन्यथा ऐसे तथ्य प्रकट करते हुए जो प्रतिरक्षा करने के लिए उसे हकदार बनाने के लिए पर्याप्त समझे जाएं, ऐसे वाद की प्रतिरक्षा की इजाजत के लिए ऐसे समन के आधार पर आवेदन कर सकेगा और

उसे प्रतिरक्षा करने की इजाजत बिना शर्त या ऐसे निबंधनों पर जो न्यायालय या न्यायाधीश को न्यायसंगत प्रतीत हों मंजूर की जा सकेगी:

परन्तु प्रतिरक्षा की इजाजत तब तक नामंजूर नहीं की जाएगी जब तक न्यायालय का यह समाधान नहीं हो जाता है कि प्रतिवादी द्वारा प्रकट किए गए तथ्य यह उपदर्शित नहीं करते हैं कि उसके द्वारा कोई सारवान् प्रतिरक्षा की जानी है या प्रतिवादी द्वारा की जाने के लिए आशयित प्रतिरक्षा तुच्छ या तंग करने वाली है :

परन्तु यह और कि जहां वादी द्वारा दावाकृत रकम का कोई भाग प्रतिवादी द्वारा उससे शोध्य होना स्वीकार कर लिया जाता है तो वाद की प्रतिरक्षा की इजाजत तब तक मंजूर नहीं की जाएगी जब तक शोध्य होने के लिए इस प्रकार स्वीकार की गई रकम प्रतिवादी द्वारा न्यायालय में जमा न कर दी जाए ।

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 84 द्वारा (1.2.1977 से) नियम 3 के स्थान पर प्रतिस्थापित किया ।

(6) निर्णय के लिए ऐसे समन की सुनवाई के समय-

(क) यदि प्रतिवादी ने प्रतिरक्षा करने की इजाजत के लिए आवेदन नहीं किया है या यदि ऐसा आवेदन किया गया है और नामंजूर कर दिया गया है तो वादी तत्काल निर्णय का हकदार हो जाएगा; अथवा

(ख) यदि प्रतिवादी को पूर्ण दावे या उसके किसी भाग की प्रतिरक्षा करने की अनुज्ञा दी जाती है तो न्यायालय या न्यायाधीश उसे निदेश दे सकेगा कि वह ऐसी प्रतिभूति ऐसे समय के भीतर दें जो न्यायालय या न्यायाधीश द्वारा नियत किया जाए, और न्यायालय या न्यायाधीश द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर ऐसी प्रतिभूति देने में या ऐसे अन्य निदेशों का पालन करने में जो न्यायालय या न्यायाधीश द्वारा दिए गए हों असफल होने पर वादी तत्काल निर्णय का हकदार हो जाएगा ।

(7) न्यायालय या न्यायाधीश, प्रतिवादी द्वारा पर्याप्त कारण दर्शित किए जाने पर, प्रतिवादी को उपसजात होने या वाद की प्रतिरक्षा करने की इजाजत के लिए आवेदन करने में विलम्ब के लिए माफी दे सकेगा ।]

4. डिक्री को अपास्त करने की शक्ति- डिक्री देने के पश्चात् यदि न्यायालय को विशेष परिस्थितियों के अधीन ऐसा करना युक्तियुक्त लगे तो वह ऐसे निबन्धनों पर जो न्यायालय ठीक समझे, डिक्री को अपास्त कर सकेगा और यदि आवश्यक हो तो उसका निष्पादन रोक सकेगा या अपास्त कर सकेगा और समन पर उपजात होने और वाद में प्रतिरक्षा करने की प्रतिवादी को इजाजत दे सकेगा ।

5. विनिमय-पत्र आदि को न्यायालय के अधिकारों के पास जमा करने का आदेश देने की शक्ति- इस आदेश के अधीन किसी भी कार्यवाही में न्यायालय आदेश दे सकेगा कि वह विनिमय-पत्र, हुण्डी या वचन-पत्र, जिस पर वाद आधारित है, न्यायालय के अधिकारी के पास तत्काल जमा कर दिया जाए और यह अतिरिक्त आदेश दे सकेगा कि सभी कार्यवाहियां तब तक के लिए रोक दी जाएं जब तक वादी उनके खर्चों के लिए प्रतिभूति न दे दे ।

6. अनादृत विनिमय-पत्र या वचन-पत्र के अप्रतिग्रहण का टिप्पण करने के खर्च की वसूली- हर अनादृत विनिमय-पत्र या वचन-पत्र के धारक को ऐसे अनादरण के कारण उसके अप्रतिग्रहण या असंदाय का टिप्पण कराने में या अन्यथा उपगत व्ययों की वसूली के लिए वही उपचार होंगे जो उसे ऐसे विनिमय-पत्र या वचन-पत्र की रकम की वसूली के लिए इस आदेश के अधीन हैं ।

7. वादों में प्रकिया- इस आदेश द्वारा जैसा उपबन्धित है उसके सिवाय, इसके अधीन वादों में प्रक्रिया वही होगी जो मामूली रीति से संस्थित किए गए वादों में होती है ।

आदेश 38

निर्णय के पहले गिरफ्तारी और कुर्की

निर्णय के पहले गिरफ्तारी

1. उपसंजाति के लिए प्रतिभूति देने की मांग प्रतिवादी से कब की जा सकेगी- जहां धारा 16 के खण्ड (क) से खण्ड (घ) तक में निर्दिष्ट प्रकृति के वाद से भिन्न वाद के किसी भी प्रक्रम में न्यायालय का शपथपत्र द्वारा या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि-

(क) प्रतिवादी वादी को विलम्बित करने के या न्यायालय की किसी आदेशिका से बचने के या ऐसी किसी डिक्री के जो उसके विरुद्ध पारित की जाए निष्पादन को बाधित या विलम्बित करने के आशय से-

(i) न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं से फरार हो गया है या उन्हें छोड गया है, अथवा

(ii) न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं से फरार होने ही वाला है या उन्हें छोड़ने ही वाला है, अथवा

(iii) अपनी सम्पत्ति को या उसके किसी भाग को व्ययनित कर चुका है या न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं से हटा चुका है, अथवा

(ख) प्रतिवादी ऐसी परिस्थितियों के अधीन [1][भारत] छोड़ने वाला है, जिनसे यह युक्तियुक्त अधिसम्भाव्यता है कि वादी किसी ऐसी डिक्री के जो वाद में प्रतिवादी के विरुद्ध पारित की जाए, निष्पादन में उसके द्वारा बाधित या विलम्बित होगा या हो सकेगा

वहां न्यायालय, प्रतिवादी की गिरफतारी के लिए और न्यायालय के समक्ष उसे इसलिए लाए जाने के लिए कि वह यह हेतुक दर्शित करे कि वह अपनी उपसंजाति के लिए प्रतिभूति क्यों न दे, वारंट निकाल सकेगा :

परंतु यदि प्रतिवादी कोई ऐसी रकम जो वादी के दावे को तुष्ट करने के लिए पर्याप्त होने के तौर पर वारण्ट में विनिर्दिष्ट है, उसी अधिकारी को, जिसे वारण्ट का निष्पाद न्यस्त किया गया है, दे देता है तो वह गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और ऐसी रकम न्यायालय द्वारा तब तक जमा रखी जाएगी जब तक वाद का निपटारा न हो जाए या जब तक न्यायालय का आगे और आदेश न हो जाए ।

1. 1951 के अधिनियम सं. 2 की धारा 3 दारा "राज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया ।

2. प्रतिभूति- (1) जहां प्रतिवादी ऐसा हेतुक दर्शित करने में असफल रहता है वहा न्यायालय या तो उसे अपने विरुद्ध दावे के उत्तर के लिए पर्याप्त धन या अन्य सम्पत्ति न्यायालय में जमा करने के लिए या उस समय तक जब तक वाद लम्बित रहता है और जब तक ऐसी किसी डिक्री को जो उस वाद में उसके विरुद्ध पारित की जाए, तुष्टि नहीं की जाती, बुलाए जाने पर किसी भी समय अपनी उपसंजाति के लिए प्रतिभूति देने के लिए आदेश दे सकेगा या उस राशि की बाबत जो प्रतिवादी ने अन्तिम पूर्ववर्ती नियम के परन्तुक के अधीन जमा कर दी हो ऐसा आदेश कर सकेगा जैसा वह ठीक समझे ।

(2) प्रतिवादी की उपसंजाति के लिए हर प्रतिभू अपने को आबद्ध करेगा कि वह ऐसी उपसंजाति में व्यतिक्रम होने पर धन की ऐसी कोई राशि देगा जिसे देने के लिए प्रतिवादी वाद में आदिष्ट किया जाए ।

3. उन्मोचित किए जाने के लिए प्रतिभू के आवेदन पर प्रक्रिया- (1) प्रतिवादी की उपसंजाति के लिए प्रतिभू उस न्यायालय से जिसमें वह ऐसा प्रतिभू हुआ है, अपनी बाध्यता से उन्मोचित किए जाने के लिए किसी भी समय आवेदन कर सकेगा ।

(2) ऐसा आवेदन किए जाने पर न्यायालय प्रतिवादी को उपसंजात होने के लिए समन करेगा या यदि वह ठीक समझे तो उसकी गिरफतारी के लिए प्रथम बार ही वारण्ट निकाल सकेगा ।

(3) समन या वारण्ट के अनुसरण में प्रतिवादी को उपसंजात होने पर या उसके स्वेच्छया अभ्यर्पण करने पर न्यायालय प्रतिभू को उसकी बाध्यता से उन्मोचित करने के लिए निदेश देगा और नई प्रतिभूति लाने की अपेक्षा प्रतिवादी से करेगा ।

4. जहां प्रतिवादी प्रतिभूति देने में या नई प्रतिभूति लाने में असफल रहता है वहां प्रक्रिया- जहां प्रतिवादी नियम 2 या नियम 3 के अधीन किसी आदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है वहां न्यायालय उसे सिविल कारागार को तब तक के लिए सुपुर्द कर सकेगा जब तक वाद का विनिश्चय न हो जाए या जहां प्रतिवादी के विरुद्ध डिक्री पारित कर दी गई है वहां जब तक डिक्री तुष्ट न कर दी जाए:

परन्तु कोई भी व्यक्ति कारागार में इस नियम के अधीन किसी भी दशा में छह मास से अधिक की अवधि के लिए और यदि वाद की विषय-वस्तु की रकम या मूल्य पचास रुपए से अधिक नहीं है तो छह सप्ताह से अधिक की अवधि के लिए निरुद्ध नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह भी कि ऐसे आदेश का उसके द्वारा अनुपालन कर दिए जाने के पश्चात् कोई भी व्यक्ति इस नियम के अधीन कारागार में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा ।

निर्णय के पहले कुर्की

3. सम्पत्ति पेश करने के लिए प्रतिभूति देने की अपेक्षा प्रतिवादी से कब की जा सकेगी- (1) जहां वाद के किसी भी प्रक्रम में न्यायालय का शपथपत्र द्वारा या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि प्रतिवादी ऐसी किसी डिक्री के जो उसके विरुद्ध पारित की जाए, निष्पादन को वाधित या निलम्बित करने के आशय से---

(क) अपनी पूरी सम्पत्ति या उसके किसी भाग को व्ययनित करने ही वाली है, अथवा

(ख) अपनी पूरी सम्पत्ति या उसके किसी भाग को न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं से हटा देने ही वाला है,

वहां न्यायालय, प्रतिवादी को निदेश दे सकेगा कि उस समय के भीतर जो न्यायालय द्वारा नियत किया जाएगा या तो वह उक्त सम्पत्ति को या उसके मूल्य को या उसके ऐसे भाग को जो डिक्री को तुष्ट करने के लिए पर्याप्त हो, अपेक्षा की जाने पर पेश करने के लिए और न्यायालय के व्ययनाधीन रखने के लिए, ऐसी राशि की जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, प्रतिभूति दे या उपसंजात हो और यह हेतुक दर्शित करे कि उसे प्रतिभूति क्यों न देनी चाहिए ।

(2) जिस सम्पत्ति की कुर्की की अपेक्षा की गई है उसको और उसके प्राक्कलित मूल्य को जब तक न्यायालय अन्यथा निदिष्ट न करे, वादी विनिर्दिष्ट करेगा ।

(3) न्यायालय आदेश में यह निदेश भी दे सकेगा कि इस प्रकार विनिर्दिष्ट की गई पूरी सम्पत्ति या उसके किसी भाग की सशर्त कुर्की की जाए ।

[1](4) यदि इस नियम के उपनियम (1) के उपबंधों का अनुपालन किए बिना कुर्की का आदेश किया जाता है तो ऐसी कुर्की शून्य होगी ।

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 85 द्वारा (1.2.1977 से) अन्त: स्थापित किया ।

6. जहां हेतुक दर्शित नहीं किया जाता या प्रतिभूति नहीं दी जाती वहां कुर्की- (1) जहां प्रतिवादी न्यायालय द्वारा नियत समय के भीतर यह हेतुक दर्शित करने में असफल रहता है कि उसे प्रतिभूति क्यों नहीं देना चाहिए या अपेक्षित प्रतिभूति देने में असफल रहता है वहां न्यायालय यह आदेश दे सकेगा कि विनिर्दिष्ट सम्पत्ति या उसका ऐसा भाग जो किसी ऐसी डिक्री को तुष्ट करने के लिए पर्याप्त प्रतीत होता है जो वाद में पारित की जाए, कुर्क कर लिया जाए ।

(2) जहां प्रतिवादी ऐसा हेतुक दर्शित करता है या अपेक्षित प्रतिभूति दे देता है और विनिर्दिष्ट सम्पत्ति या उसका कोई भाग कुर्क कर लिया गया है वहां न्यायालय कुर्की का प्रत्याहरण किए जाने के लिए आदेश देगा या ऐसा अन्य आदेश देगा जो वह ठीक समझे ।

7. कुर्की करने की रीति- अभिव्यक्त रुप से जैसा उपबन्धित है उसके सिवाय, कुर्की उस रीति से की जाएगी जो डिक्री के निष्पादन में सम्पत्ति की कुर्की के लिए उपबंधित है ।

[1]**[8. निर्णय के पूर्व कुर्क की गई सम्पत्ति के दावे का न्यायनिर्णयन-** जहां कोई दावा निर्णय के पूर्व कुर्क की गई सम्पत्ति के लिए किया गया है वहां ऐसे दावे का न्यायनिर्णयन उस रीति से किया जाएगा जो धन के संदाय के लिए डिक्री के निष्पादन में कुर्क की गई सम्पत्ति के दावों के न्यायनिर्णयन के लिए इसमें इसके पूर्व उपबन्धित हैं ।

9. प्रतिभूति दे दी जाने पर या बाद खारिज कर दिए जाने पर कुर्की का हटा लिया जाना- जहां निर्णय के पूर्व कुर्की के लिए आदेश किया जाता है वहां जब प्रतिवादी अपेक्षित प्रतिभूति, उस प्रतिभूति के

सहित जो कुर्की के खर्चों के लिए दे देता है या जब वाद खारिज कर दिया जाता है तब न्यायालय कुर्की के प्रत्याहरण के लिए आदेश देगा ।

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 85 द्वारा (1.2.1977 से) नियम 8 के स्थान पर प्रतिस्थापित किया ।

10. निर्णय से पहले की गई कुर्की से न तो पर - व्यक्तियों के अधिकार प्रभावित होंगे और न विक्रय के लिए आवेदन करने से डिक्रीदार वर्जित होगा- निर्णय से पहले की गई कुर्की से न तो उन व्यक्तियों के जो वाद के प क्षकार नहीं हैं अधिकारों पर जो कुर्की के पूर्व ही विद्यमान थे प्रभाव पडेगा और न प्रतिवादी के विरुद्ध डिक्री धारण करने वाला कोई व्यक्ति ऐसी कुर्की के अधीन सम्पत्ति का विक्रय ऐसी डिक्री के निष्पादन में कराने का आवेदन करने से वर्जित होगा ।

11. निर्णय से पहले कुर्क की गई सम्पत्ति डिक्री के निष्पादन में पुन : कुर्क नहीं की जाएगी- जहां सम्पत्ति इस आदेश के उपबंधो के आधार पर की गई कुर्की के अधीन हो और वादी के पक्ष में तत्पश्चात् डिक्री पारित कर दी जाए वहां ऐसी डिक्री के निष्पादन के लिए किए गए आवेदन में उस सम्पत्ति को पुन : कुर्क करने के लिए आवेदन करना आवश्यक नहीं होगा ।

[1]**[11क. कुर्की को लागू होने वाले उपबन्ध-** (1) इस संहिता के ऐसे उपबन्ध जो डिक्री के निष्पादन में की गई कुर्की को लागू होते हैं निर्णय के पूर्व की गई ऐसी कुर्की को जहां तक हो सके लागू होंगे जो निर्णय के पश्चात् नियम 11 के उपबंधों के आधार पर जारी रहती है ।

(2) किसी ऐसे वाद में जो व्यतिक्रम के कारण खारिज कर दिया जाता है निर्णय के पूर्व की गई कुर्की केवल इस तथ्य के कारण पुन : प्रवर्तित नहीं होगी कि व्यतिक्रम के कारण वाद खारिज करने का आदेश अपास्त कर दिया गया है और वाद प्रत्याविर्तित कर दिया गया है ।

12. कृषि - उपज निर्णय के पूर्व कुर्क नहीं होगी- इस आदेश की कोई भी बात किसी कृषक के कब्जे में की किसी कृषि - उपज की कुर्की के लिए आवेदन करने को वादी को प्राधिकृत करने वाली या ऐसी उपज को कुर्क करने या पेश करने का आदेश देने को न्यायालय को सशक्त करने वाली नहीं समझी जाएगी |

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 85 दारा (1.2.1977 से) अन्त: स्थापित किया ।

13. लघुवाद न्यायालय स्थावर सम्पत्ति को कुर्क नहीं करेगा- इस आदेश की कोई भी बात स्थावर सम्पत्ति की कुर्की के लिए आदेश करने क किसी लघुवाद न्यायालय को सशक्त करने वाली नहीं समझी जाएगी ।

आदेश 39
अस्थायी व्यादेश और अन्तर्वर्ती आदेश
अस्थायी व्यादेश

1. वे दशाएं जिनमें अस्थायी व्यादेश दिया जा सकेगा- जहां किसी वाद में शपथपत्र द्वारा या अन्यथा यह साबित कर दिया जाता है कि-

(क) वाद में विवादग्रस्त किसी सम्पत्ति के बारे में यह खतरा है कि वाद को कोई भी पक्षकार उसका दुर्व्ययन करेगा, उसे नुकसान पहुंचाएगा या अन्य संक्रांत करेगा या डिक्री के निष्पादन में उसका सदोष विक्रय कर दिया जाएगा, अथवा

(ख) प्रतिवादी अपने लेनदारों को [4][कपट- वंचित] करने की दृष्टि से अपनी सम्पत्ति को हटाने या व्ययनित करनेकी धमकी देता है या आशय रखता हैं,

[3][(ग) प्रतिवादी वादी को वाद में विवादग्रस्त किसी सम्पत्ति से बेकब्जा करने की या वादी को उस सम्पत्ति के सम्बन्ध में अन्यथा क्षति पहुंचाने की धमकी देता है,]

वहां न्यायालय ऐसे कार्य को अवरुद्ध करने के लिए आदेश द्वारा अस्थायी व्यादेश दे सकेगा या सम्पत्ति को दुर्व्ययित किए जाने, नुकसान पहुंचाए जाने, अन्य संक्रांत किए जाने, विक्रय किए जाने, हटाए जाने या व्ययनित किए जाने से [4][अथवा वादी को वाद में विवादग्रस्त सम्पत्तिने से बेकब्जा करने या वादी को उस सम्पत्ति के संबंध में अन्यथा क्षति पहुंचाने से] रोकने और निवारित करने के प्रयोजन से ऐसे अन्य आदेश जो न्यायालय ठीक समझे, तब तक के लिए कर सकेगा जब तक वाद का निपटारा न हो जाए या जब तक अतिरिक्त आदेश न दे दिए जाएं ।

1. 1926 के अधिनियम सं. 1 की धारा 4 द्वारा अन्तःस्थापित किया ।
2. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 86 द्वारा "कपट -वंचित" के लिए (1.2.1977 से) प्रतिस्थापित किया ।
3. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 86 द्वारा (1-2-1977 से) अन्त: स्थापित किया ।
4. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 86 द्वारा (1-2-1977 से) अन्त : स्थापित किया ।

उच्च न्यायालय संशोधन

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन (7.12.1929 व 12.8.1944) - खण्ड (क) के शब्दों ''या डिक्री के निष्पादन में उसका संदोष विक्रय कर दिया जाएगा'' एवं अंतिम पद में शब्द ''अन्यसंक्रात किए जाने के उपरांत आने वाले शब्द ''विक्रयकिए जाने'' को जिन्हें कि पूर्व के संशोधन 7.12.1929 के द्वारा विलोपित कर दिया गया था को पुर्नस्थापित कर दिया गया ।

पटना उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन (8.10.1937) - खण्ड (क) में अंग्रेजी पाठ में आए शब्द ''...'' के स्थान पद शब्द ''...'' को प्रतिस्थापित किया गया व नियम (1) के उपरांत निम्नानुसार परंतुक जोडे गए-

परंतु ऐसा कोई अस्थाई व्यादेश नही दिया जाएगा यदि यह विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम (1877 का अधिनियम 1) की धारा 56 के प्रावधानों का उल्लंघन करे :

परंतु अन्यथा यह कि विक्रय अथवा विक्रय की पुष्टि को प्रवारित करने अथवा आधिपत्य को परिदान करने से प्रवारित करने के लिए व्यादेश उस मामले के सिवाए नहीं दिया जाएगां जहां कि आवेदक विधिपूर्वक संपत्ति पर दावा अथवा विक्रय या कुर्की कार्यवाही के लिए डिक्री का निष्पादन करने वाले न्यायालय के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत नहीं कर सकता है ओर विधिपूर्वक प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी ।

1. सिविल प्रक्रिया संहिता सशोधन अधिनियम, 1999 की धारा 30 के द्वारा उपनियम (2) अंतःस्थापित था अब सिविल प्रकिया संहिता संशोधन अधिनियम, 2002 की धारा 16 के द्वारा 1999 के संशोधन अधिनियम की धारा 30 को लुप्त किया जा चुका है ।

2. भंग की पुनरावृत्ति या जारी रखना अवरुद्ध करने के लिए व्यादेश- (1) संविदा भंग करने से या किसी भी प्रकार की अन्य क्षति करने से प्रतिवादी को अवरूद्ध करने के किसी भी वाद में, चाहे वाद में प्रतिकर का दावा किया गया हो या न किया गया हो, वादी प्रतिवादी को परिवादित संविदा भंग या क्षति करने से या कोई भी संविदा भंग करने से या तद्रुप क्षति करने से, जो उसी संविदा से उद्भूत होती हो या उसी सम्पत्ति या अधिकार से सम्बन्धित हो, अवरूद्ध करने के अस्थायी व्यादेश के लिए न्यायालय से आवेदन, वाद प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी भी समय और निर्णय के पहले या पश्चात् कर सकेगा ।

(2) न्यायालय ऐसा व्यादेश, ऐसे व्यादेश की अवधि के बारे में, लेखा रखने के बारे में, प्रतिभूति देने के बारे में ऐसे निबन्धनों पर, या अन्यथा, जो न्यायालय ठीक समझे, आदेश द्वारा दे सकेगा ।

[1]* * * *

म.प्र. राज्य संशोधन - 1984 का अधिनियम संख्यांक 29 के द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता (म.प्र. संशोधन) अधिनियम, 1984 के द्वारा जिसका प्रकाशन म.प्र. राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 14.8.1984 को पृष्ठ 2018-21 पर किया गया के द्वारा मूल अधिनियम की पहली अनुसूची के आदेश 39 में

(क) नियम 2 के उपनियम (2) में, निम्नलिखित परंतुक अंत: स्थापित किया जाए,

अर्थात :-

''परंतु -

(क) जहां विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 (1963 का सं. 47) की धारा 38 और धारा 41 के उपबंधों को दृष्टिगत रखते हुए शाश्वत व्यादेश नही दिया जा सकता, अथवा

(ख) राज्य के कामकाज के संबंध में लोक सेवा तथा पद पर नियुक्त किए गए किसी व्यक्ति के, जिसके अंतर्गत राज्य सरकार के स्वामित्व के या उसके नियंत्रणाधीन किसी भी कंपनी या निगम का कर्मचारी आता है, स्थानांतरण, निलंबन, रेंक में अवनति, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, पदच्युति, सेवा से हटाया जाना या अन्यथा सेवा समाप्ति या उससे कार्यभार लेने संबंधी किसी आदेश के प्रवर्तन को रोकने के लिए, अथवा

(ग) राज्य के कामकाज के संबंध में लोक सेवा तथा पद पर नियुक्त किए गए किसी व्यक्ति के, जिसके अंतर्गत राज्य सरकार के स्वामित्व के या उसके नियंत्रणाधीन किसी भी कंपनी या निगम का कर्मचारी आता है,विरूद्ध लंबित या की जाने के लिए आशयित किसी अनुशासनिक कार्यवाही को या किसी प्रतिकूल प्रबिष्टि के परिणाम को रोकने के लिए अथवा

(घ) किसी निर्वाचन को अवरूद्ध करने के लिए, अथवा

(ङ) सरकार द्वारा किए जाने के लिए आशयित किसी नीलाम को या किए गए किसी नीलाम के परिणाम को अवरूद्ध करने के लिए अथवा भू-राजस्व के तौर पर वसूलीय किन्ही शोध्यों की वसूली हेतु कार्यवाहियों को जब तक कि यथोचित प्रतिभूति न दी जाए, रोकने के लिए ऐसा कोई व्यादेश नहीं दिया जाएगा और इन उपबंधो के उल्लंघन में व्यादेश के लिए दिया गया कोई भी आदेश यून्य होगा ।''

उत्तर प्रदेश राज्य संशोधन (1.1.1977 व 3.10.1981) नियम 2 के उपनियम (2) में निम्न परंतुक अंत: स्थापित किया गया -

(क) जहां विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 (1963 का सं. 47) की धारा 38 और धारा 41 के उपबंधो को दृष्टिगत रखते हुए शाशवत व्यादेश नहीं दिया जा सकता, अथवा

(ख) किसी कर्मचारी शासकीय कर्मचारी को शामिल करते हुए, के स्थानांतरण, निलंन, रेंक में अवनति, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, पदच्युति, सेवा से हटाया जाना या अन्यथा सेवा समाप्ति या उससे कार्य भार लेने सबंध किसी आदेश के प्रवर्तन को रोकने के लिए, अथवा

(ग) राज्य के कर्मचारी के विरूद्ध लंबित या की जाने के लिए आशयित किसी अनुशासनिक कार्यवाही को या किसी प्रतिकूल प्रविष्टि के परिणाम को रोकने के लिए, अथवा

(घ) किसी शैक्षणिक संस्था विश्व विद्यालय अथवा सोसायटी को शामिल करते हुए के आंतरिक प्रबंध अथवा कार्य कलापों को प्रभावित करने के लिए

(ङ) किसी निर्वाचन को अवरूद्ध करने के लिए, अथवा

(च) सरकार द्वारा किए जाने के लिए आशयित किसी नीलाम को या किए गए किसी नीलाम के परिणाम को अवरूद्ध करने के लिए जब तक कि यथोचित प्रतिभूति न दी जाए ।

(छ) अथवा भू-राजस्व के तौर पर वसूलीय किन्ही शोध्यों की वसूली हेतु कार्यवाहियों को अवरूद्ध करने के लिए जब तक कि यथोचित प्रतिभूति न दी जाए, अथवा ।

(ज) ऐसे किसी मामले में जिसमें तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन विश्व विद्यालय के चांसलर को निर्देश किया जा सकता है

यह कि ठेसा कोई व्यादेश नहीं दिया जाएगा और इन प्रावधानों के उल्लंघन में दिया गया कोई व्यादेश शून्य होगा ।

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 86 द्वारा (1-2-1977 से उपनियम (3) और (4) का लोप ।

[1]**[2क. व्यादेश की अवज्ञा या भंग का परिणाम-** (1) नियम 1 या नियम 2 के अधीन दिए गए किसी व्यादेश या किए गए अन्य आदेश की अवज्ञा की दशा में जिन निबन्धनों पर व्यादेश दिया गया था या आदेश किया गया था उनमें से किसी निबन्धन के भंग की दशा में व्यादेश देने वाला या आदेश करने वाला न्यायालय या ऐसा कोई न्यायालय, जिसे वाद या कार्यवाही अन्तरति की गई है, यह आदेश दे सकेगा कि ऐसी अवज्ञा या भंग करने के दोषी व्यक्ति की सम्पत्ति कुर्क की जाए और यह भी आदेश दे सकेगा कि वह व्यक्ति तीन मास से अनधिक अवधि के लिए सिविल कारागार में तब तक निरुद्ध किया जाए जब तक

कि इस बीच में न्यायालय उसकी निर्मुक्ति के लिए निदेश न दे दे ।

(2) इस अधिनियम के अधीन की गई कोई कुर्की एक वर्ष से अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगी, जिसके खत्म होने पर यदि अवज्ञा या भंग जारी रहे तो कुर्क की गई सम्पत्ति का विक्रय किया जा सकेगा और न्यायालय आगमों में से ऐसा प्रतिकर जो वह ठीक समझे उस पक्षकार को दिलवा सकेगा जिसकी क्षति हुई हो, और यदि कु छ बाकी रहे तो उसे उसके हकदार पक्षकार हो देगा ।

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 86 द्वारा (1.2.1977 से) अन्त: स्थापित किया ।

उच्च न्यायालय संशोधन

पटना उच्च न्यायालय संशोधन - उपनियम (1) में शब्दों व अंक ''नियम2'' के उपरांत ''या धारा 151'' शब्दों व अंको को प्रतिस्थापित किया गया ।

3. व्यादेश देने से पहले न्यायालय निदेश देगा कि विरोधी पक्षकार को सूचना दे दी जाए- वहां के सिवाय जहां वह प्रतीत होता है कि व्यादेश देने का उद्देश्य विलम्ब द्वारा निष्फल हो जाएगा न्यायालय सब मामलों में व्यादेश देने से पूर्व यह निदेश देगा कि व्यादेश के आवेदन की सूचना विरोधी पक्षकार को दे दी जाए :

[1][परन्तु जहां यह प्रस्थापना की जाती है कि विरोधी पक्षकार को आवेदन की सूचना दिए बिना व्यादेश दे दिया जाए वहां न्यायालय अपनी ऐसी राय के लिए कि विलम्ब द्वारा व्यादेश देने का उद्देश्य विफल हो जाएगा, कारण अभिलिखित करेगा और आवेदक से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह-

(क) व्यादेश देने वाला आदेश किए जाने के तुरन्त पश्चात् व्यादेश के लिए आवेदन की प्रति निम्नलिखित के साथ

(i) आवेदन के समर्थन में फाइल किए गए शपथपत्र की प्रति;

(ii) वादपत्र की प्रति; और

(iii) उन दस्तावेजों की प्रतियां, जिस पर आवेदक निर्भर करता है,

विरोधी पक्षकार को दे या उसे रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजे, और

(ख) उस तारीख को जिसको ऐसा व्यादेश दिया गया है या उस दिन के ठीक अगले दिन को यह कथन करने वाला शपथपत्र फाइल करे कि पूर्वोक्त प्रतियां इस प्रकार दे दी गई है या भेज दी गई हैं ।]

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 86 द्वारा (1.2.1977 से) अन्त: स्थापित किया ।
2. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 86 द्वारा (1.2.1977 से) अन्त: स्थापित किया ।

[2]**[3क. व्यादेश के लिए आवेदन का न्यायालय द्वारा तीस दिन के भीतर निपटाया जाना-** जहां कोई व्यादेश विरोधी पक्षकार को सूचना दिए बिना दिया गया है वहां न्यायालय आवेदन को ऐसी तारीख से जिसको व्यादेश दिया गया था, तीस दिन के भीतर निपटाने का प्रयास करेगा और जहां वह ऐसा करने में असमर्थ है वहां वह ऐसी असमर्थता के लिए कारण अभिलिखित करेगा ।

उच्च न्यायालय संशोधन

इलाहाबाद उच्च न्यायालय संशोधन (3.10.1981)- इस संशोधन के द्वारा नियम 3-क को लुप्त

किया गया ।

4. व्यादेश के आदेश को प्रभावोन्यूक्त, उसमें फेरफार या उसे अपास्त किया जा सकेगा- व्यादेश के किसी भी आदेश को उस आदेश से असन्तुष्ट किसी पक्षकार द्वारा न्यायालय से किए गए आवेदन पर उस न्यायालय द्वारा प्रभावोन्यूक्त, उसमें फेरफार या उसे अपास्त किया जा सकेगा;

[1][परन्तु यदि अस्थायी व्यादेश के लिए किसी आवेदन में या ऐसे आवेदन का समर्थन करने वाले किसी शपथपत्र में किसी पक्षकार ने किसी तात्विक विशिष्टि के संबंध में जानते हुए मिथ्या या भ्रामक कथन किया है और विरोधी पक्षकार को सूचना दिए बिना व्यादेश दिया गया था तो न्यायालय व्यादेश को उस देशा में रद्द कर देगा जिसमें वह अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से यह समझता है कि न्याय के हित में ऐसा करना आवश्यक नहीं है :

परन्तु यह और कि जहां किसी पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात् व्यादेश के लिए आदेश पारित किया गया है वहां ऐसे आदेश को उस पक्षकार के आवेदन पर तब तक प्रभावोन्यूक्त, उसमें फेरफार या अपास्त नहीं किया जाएगा जब तक परिस्थितियों के बदल जाने से ऐसा प्रभावोन्यूक्त, फेरफार या अपास्त किया जाना आवश्यक न हो गया हो या जब तक न्यायालय का यह समाधान नहीं हो जाता है कि आदेश से उस पक्षकार को असम्यक् कष्ट हुआ है ।]

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 86 द्वारा (1.2.1977 से) अन्त : स्थापित किया ।

राज्य संशोधन

म. प्र. राज्य द्वारा संशोधन (14.8.1984) - नियम 4 में-

(एक) शब्द "उस न्यायालय द्वारा" के पश्चात् शब्द "अभिलिखित किए जाने वाले कारणो से या स्वप्रेरणा से" अत : स्थापित किए जाएँ;

(दो) अन्त में निम्नलिखित परंतुक अंत : स्थापित किया जाए अर्थात् : -

"परंतु यदि वाद के किसी भी प्रक्रम पर न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि वह पक्षकार जिसके पक्ष में व्यादेश या आदेश विद्यमान है कार्यवाही का किया जाना विलबित कर रहा है या न्यायालय की कार्यवाही का अन्यथा दुरुपयोग कर रहा है तो वह व्यादेश के लिए आदेश को अपास्त करेगा ।"

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा संशोधन (1.1.1977) - उत्तर प्रदेश अधिनियम (1976 का 57) के द्वारा नियम 4 में -

(एक) शब्द " उस न्यायालय द्वारा " के पश्चात् शब्द " अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से या स्वप्रेरणा से " अंत : स्थापित किए जाएँ

(दो) अन्त मे निम्नलिखित परंतुक अंत : स्थापित किया जाए अर्थात् : -

"परंतु यदि वाद के किसी भी प्रक्रम पर न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि वह पक्षकार, जिसके पक्ष मे व्यादेश या आदेश विद्यमान है कार्यवाही का किया जाना विलंबित कर रहा है या न्यायालय की कार्यवाही का अन्यथा दुरुपयोग कर रहा है तो वह व्यादेश के लिए आदेश को अपास्त करेगा ।"

5. निगम को निदिष्ट व्यादेश उसके अधिकारियों पर आबद्धकर होगा- किसी निगम को निदिष्ट व्यादेश न केवल निगम पर ही आबद्धकर होगा बल्कि निगम के उन सभी सदस्यों और अधिकारियों पर भी

आबद्धकर होगा जिनके वैयक्तिक कार्य को अवरूद्ध करनेके लिए वह चाहा गया है ।

अतंर्वर्ती आदेश

6. अन्तरिम विक्रय का आदेश देने की शक्ति- न्यायालय वाद के किसी भी पक्षकार के आवेदन पर ऐसे आदेश में नामित किसी भी व्यक्ति द्वारा और ऐसी रीति से और ऐसे निबन्धनों पर जो न्यायालय ठीक समझे किसी भी ऐसी जंगम सम्पत्ति के विक्रय का आदेश दे सकेगा जो ऐसे वाद की विषय - वस्तु है या ऐसे वाद में निर्णय के पहले कुर्क की गई है और जो शीघ्रतया और प्रकृत्या क्षयशील है या जिसकी बाबत किसी अन्य न्यायसंगत और पर्याप्त हेतुक से यह वांछनीय हो कि उसका तुरन्त विक्रय कर दिया जाए ।

7. वाद की विषय - वस्तु का निरोध परिरक्षण, निरीक्षण आदि- (1) न्यायालय वाद के किसी भी पक्षकार सकार के आवेदन पर और ऐसे निबन्धनों पर जो वह ठीक समझे -

(क) किसी भी ऐसी सम्पत्ति के जो ऐसे वाद की विषय - वस्तु है या जिसके बारे में उस वाद में कोई प्रश्न उद्भूत हो सकता हो, निरोध, सषपरिरक्षण या निरीक्षण के लिए आदेश कर सकेगा

(ख) ऐसे वाद के किसी भी अन्य पक्षकार के कब्जे में की किसी भी भूमि या भवन में पूर्वोक्त सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए प्रवेश करने को किसी भी व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकेगा, तथा

(ग) पूर्वोक्त सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए किन्हीं भी ऐसे नमूनों का लिया जाना या किसी भी ऐसे प्रेक्षण या प्रयोग का किया जाना, जो पूरी जानकारी या साक्ष्य अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो, प्राधिकृत कर सकेगा ।

(2) आदेशिका के निष्पादन-सम्बन्धी प्रवेश करने के लिए इस नियम के अधीन प्राधिकृत व्यक्तियों को यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे ।

8. ऐसे आदेशों के लिए आवेदन सूचना के पश्चात् किया जाएगा- (1) वादी द्वारा नियम 6 और नियम 7 के अधीन आदेश के लिए आवेदन वाद के संस्थित किए जाने के पश्चात् किसी भी समय [1]*** किया जा सकेगा ।

(2) प्रतिवादी द्वारा ऐसे ही आदेश के लिए आवेदन उपसजात होने के पश्चात् किसी भी [2]*** समय किया जा सकेगा ।

[3][(3) इस प्रयोजन के लिए किए गए आवेदन पर नियम 6 और नियम 7 के अधीन आदेश करने के पूर्व न्यायालय उसकी सूचना विरोधी पक्षकार को देने का निदेश वहां के सिवाय देगा जहां यह प्रतीत हो कि ऐसा आदेश करने का उद्देश्य विलम्ब के कारण निष्फल हो जाएगा ।

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 86 द्वारा (1-2-1977 से) अन्त: स्थापित किया गया ।
2. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 86 द्वारा (1-2-1977 से) "प्रतिवादी को सूचना देने के पश्चात्" शब्दो का लोप |
3. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 88 द्वारा (1-2-1977 से) "वादी को सूचना देने के

पश्चात्" शब्दो का लोप ।

9. जो भूमि वाद की विषय-वस्तु है उस पर पक्षकार का तुरन्त कब्जा कब कराया जा सकेगा- जहां सरकार को राजस्व देने वाली भूमि या विक्रय के दायित्व के अधीन भू-धृति वाद की विषय-वस्तु है वहां, यदि वह पक्षकार जो ऐसी भूमि या भू-धृति पर कब्जा रखता है, यथास्थिति, सरकारी राजस्व या भू-धृति के स्वत्वधारी को शोध्य भाटक देने में उपेक्षा करता है और परिणामत: ऐसी भूमि या भू-धृति के विक्रय के लिए आदेश दिया गया है तो उस वाद के किसी भी अन्य पक्षकार का जो ऐसी भूमि या भू-धृति में हितबद्ध होने का दावा करता है, उस भूमि या भू-धृति पर तुरन्त कब्जा विक्रय के पहले के शोध्य राजस्व या भाटक का संदाय कर दिए जाने पर (और न्यायालय के विवेकानुसार प्रतिभूति सहित या रहित) कराया जा सकेगा;

और इस प्रकार संदत्त रकम को उस पर ऐसी दर से ब्याज सहित जो न्यायालय ठीक समझे, न्यायालय अपनी डिक्री में व्यतिक्रमी के विरुद्ध अधिनिर्णीत कर सकेगा या इस प्रकार सदत्त रकम को उस पर ऐसी दर से ब्याज सहित जो न्यायालय आदेश करे, लेखाओं के किसी ऐसे समायोजन में, वाद में पारित डिक्री द्वारा निदिष्ट किया गया हो, प्रभारित कर सकेगा ।

10. न्यायालय में धन, आदि का जमा किया जाना- जहां वाद की विषय-वस्तु धन या कोई ऐसी अन्य चीज है, जिसका परिदान किया जा सकता है, और उसका कोई भी पक्षकार यह स्वीकार करता है कि वह ऐसे धन या ऐसी अन्य चीज को किसी अन्य पक्षकार के न्यासी के रुप में धारण किए हुए है या वह अन्य पक्षकार की है या अन्य पक्षकार को शोध्य है वहां न्यायालय अपने अतिरिक्त निदेश के अधीन रहते हुए यह आदेश दे सकेगा कि उसे न्यायालय में जमा किया जाए या प्रतिभूति सहित या रहित ऐसे अन्तिम नामित पक्षकार को परिदत्त किया जाए ।

आदेश 40
रिसीवरों की नियुक्ति

1. रिसीवरों की नियुक्ति--- (1) जहां न्यायालय को यह न्यायसंगत और सुविधापूर्ण प्रतीत होता है वहां न्यायालय आदेश द्वारा-

(क) किसी संपत्ति का रिसीवर चाहे डिक्री के पहले या पशचात् नियुक्त कर सकेगा;

(ख) किसी संपत्ति पर से किसी व्यक्ति का कब्जा या अभिरक्षा हटा सकेगा;

(ग) उसे रिसीवर के कब्जे, अभिरक्षा या प्रबन्ध के सुपुर्द कर सकेगा; तथा

(घ) वादों के लाने और वादों में प्रतिरक्षा करने के बारे में और संपत्ति के आपन, प्रबन्ध संरक्षण, परिरक्षण और सुधार उसके भाटकों और लाभों के संग्रहण, ऐसे भाटकों और लाभों के उपयोजन और व्ययन तथा दस्तावेजों के निष्पादन के लिए सभी ऐसी शक्तियां जो स्वयं स्वामी की हैं, या उन शक्तियों में से ऐसी शक्ति जो न्यायालय ठीक समझे, रिसीवर को प्रदत्त कर सकेगा ।

(2) इस नियम की किसी भी बात से न्यायालय को यह प्राधिकार नहीं होगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति का संपत्ति पर से, कब्जा या अभिरक्षा हटा दे जिसे हटाने का वर्तमान अधिकार वाद के किसी भी

पक्षकार को नहीं है ।

उच्च न्यायालय संशोधन

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन (10.7.1943)- नियम 1 के उपनियम (2) में शब्द" किसी ऐसे व्यक्ति" शब्द के उपरात कोमास्थापित कर शब्द जोवाद मे पक्षकार पक्ष न हो "जोड़ा गया ।

2. पारिश्रमिक- न्यायालय रिसीवर की सेवाओं के लिए पारिश्रमिक के रुप में दी जाने वाली रकम को साधारण या विशेष आदेश द्वारा नियत कर सकेगा ।

3. कर्तव्य- इस प्रकार नियुक्त किया गया हर रिसीवर---

(क) संपत्ति की बाबत वह जो कु छ प्राप्त करेगा उसका सम्यक् रुप से लेखा देने के लिए ऐसी प्रतिभूति (यदि कोई हो) देगा जो न्यायालय ठीक समझे,

(ख) अपने लेखाओं को ऐसी अवधियों पर और ऐसे प्ररूप में देगा जो न्यायालय निदिष्ट करे

(ग) अपने द्वारा शोध्य रकम ऐसे संदत्त करेगा जो न्यायालय निदिष्ट करे; तथा

(घ) अपने जानबूझकर किए गए व्यतिक्रम या अपनी घोर उपेक्षा से संपत्ति को हुई किसी हानि के लिए उत्तरदायी होगा ।

4. रिसीवर के कर्तव्यों को प्रवर्तित कराना- जहां रिसीवर-

(क) अपने लेखाओं को ऐसी अवधियों पर और ऐसे प्ररुप में जो न्यायालय निर्दिष्ट करे, देने में असफल रहता है, अथवा

(ख) अपने द्वारा शोध्य रकम ऐसे देने में असफल रहता है जो न्यायालय निदिष्ट करे, अथवा

(ग) अपने जानबूझकर किए गए व्यतिक्रम या अपनी घोर उपेक्षा से संपत्ति की हानि होने देता है,

वहां न्यायालय उसकी संपत्ति के कुर्क किए जाने के लिए निदेश दे सकेगा और ऐसी संपत्ति का विक्रय कर सकेगा और आगमों का उपयोजन उसके द्वारा शोध्य पाई गई किसी भी रकम की या उसके द्वारा की गई किसी भी हानि की प्रतिपूर्ति करने के लिए कर सकेगा और यदि कुछ बाकी रहे तो उसे रिसीवर को देगा ।

5. कलक्टर कब रिसीवर नियुक्त किया जा सकेगा- जहां संपत्ति सरकार को राजस्व देने वाली भूमि है या ऐसी भूमि है जिसके राजस्व का समनुदेशनया मोचन कर दिया गया है और न्यायालय का यह विचार है कि संबंधित व्यक्तियों के हितों की अभिवृद्धि कलक्टर के प्रबन्ध द्वारा होगी वही न्यायालय कलक्टर की सहमति से उसे ऐसी संपत्ति का रिसीवर नियुक्त कर सकेगा ।

आदेश 41
मूल डिक्रियों की अपीलें

1. अपील का प्ररुप/ज्ञापन के साथ क्या-क्या दिया जाएगा–(1) हर अपील अपीलार्थी या उसके प्लीडर द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन के रुप में की जाएगी और न्यायालय में या ऐसे अधिकारी के समक्ष जो न्यायालय इस निमित्त नियुक्त करे, उपस्थापित की जाएगी । [1][ज्ञापन के साथ निर्णय की प्रति होगी] :

[2][परन्तु जहाँ दो या दो से अधिक वादों का साथ-साथ विचारण किया गया है और उनके लिए एक ही निर्णय दिया गया है और उस निर्णय के अन्तर्गत किसी डिक्री के विरुद्ध चाहे उसी अपीलार्थी द्वारा या भिन्न अपीलार्थियों द्वारा दो या दो से अधिक अपीलें फाइल की गयी हैं वहां अपील न्यायालय एक से अधिक प्रतियां फाइल करने से अभिमुक्ति दे सकेगा ।]

1. 1999 के अधिनियम सं. 46 की धारा 31 द्वारा (1-7-2002से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
2. 1999 के अधिनियम सं. 46 की धारा 31 द्वारा (1-7-2002से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(2) ज्ञापन की अंतर्वस्तुएं- उस डिक्री पर जिसकी अपील की जाती है, आक्षेप के आधार ज्ञापन में किसी तर्क या विवरण के बिना संक्षिप्त : और सुभिन्न शीर्षकों में उपवर्णित होंगे और ऐसे आधार कम से संख्यांकित होंगे ।

[1][(3) जहां अपील धन के संदाय के लिए किसी डिक्री के निष्पादन में किए गए किसी आदेश के विरुद्ध है वहां अपीलार्थी इतने समय के भीतर जितना अपील न्यायालय अनुज्ञात करे अपील में विवादग्रस्त रकम निक्षिप्त करेगा या उसके संबंध में ऐसी प्रतिभूति देगा जो न्यायालय ठीक समझे ।

उच्च न्यायालय संशोधन

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- (1) आदेश 41 के नियम 1 के उपनियम (1) में परन्तुक के उपरात निम्न स्पष्टीकरण जोडा गया -

"स्पष्टीकरण---- उपरोक्त नियम 1 के उपनियम (1) में निर्दिष्ट जिक्रकी की प्रतिलिपि मे आदेश 20 के नियम 6- क के उपनियम (2) मे खंड (ख) में यथा प्रावधानित मानी जाने वाली डिक्री भी आएगी ।" (22-10-94)

(2) नियम 1 के उपनियम (2) में निम्नानुसार परंतुक जोड़ा गया है -

"परन्तु यह कि न्यायालय इसके अधीन कि न्यायालय द्वारा प्रदान किये गये समयक के भीतर बाद में प्रतिलिपि को फाइल कर दिया जाएगा, समुचित कारणों से अपील की गयी डिक्री की प्रतिलिपि के बिना अपील का ज्ञापन स्वीकार कर सकेगा यदि अपीलांट के अधिवक्ता यह प्रमाणित करते हैं कि प्रतिलिपि के लिए आवेदन किया गया है और अभी तक जारी नहीं की गयी है ।" (13-12-69)

(3) नियम 1 के उपनियम (3) को लुप्त किया जाएगा । (1-1-94)

पटना उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन (5-4-1961)- उपनियम (1) में निम्नानुसार परंतुक जोडा गया-

"परन्तु अन्यथा यह कि किसी विशेष या स्थानीय अधिनियम के अन्तर्गत किसी डिक्री या आदेशों से अपील में जिसको कि परिसीमा अधिनियम, 1908 के भाग 2 व भाग 3 के प्रावधान प्रयोज्य नहीं होते हैं और जिसमें ऐसी डिक्रियों अथवा आदेशों की प्रमाणित प्रतिलिपियां अपील प्रस्तुत करने के लिए विहित समय के भीतर प्रदान नहीं की गयी है, तो अपीलीय न्यायालय, न्यायालय द्वारा नियत किये गये ऐसे समय के भीतर अपील की गयी डिक्री या आदेश की प्रतिलिपि की प्रस्तुति के अध्यधीन अपील के ज्ञापन को स्वीकार कर सकेगा । "

राजस्थान उच्च न्यायालय संशोधन- परन्तु जब अपीलाधीन डिक्री बंटवारे के वाद में अंतिम डिक्री हो तो न्यायालय द्वारा डिक्री की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करने से मुक्ति प्रदान की जा सकेगी यदि अपीलांट उस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत कर देता है जिसके विरात्र अपील की गयी है ।
(अधिसूचना 6 -10- 1970)

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 87 द्वारा (1-2-1977 से) अन्तःस्थापित ।

2. आधार जो अपील में लिए जा सकेंगे- अपलार्थी, न्यायालय की इजाजत के बिना, आक्षेप के किसी भी ऐसे आधार को जो अपील के ज्ञापन में उपवर्णित नहीं है, न तो पेश करेगा और न उसके समर्थन में सुना ही जाएगा, किन्तु अपील न्यायालय अपील का विनिश्चय करने में आक्षेप के उन आधारों तक ही सीमित न रहेगा जो अपील के ज्ञापन में उपवर्णित है या जो न्यायलय की इजाजत से इस नियम के अधीन किए गए हैं :

परन्तु न्यायालय अपने विनिश्चय को, किसी अन्य आधार पर तब तक आधारित नहीं करेगा जब तक उस पक्षकार को जिस पर इसके द्वारा प्रभाव पडता है उस आधार पर मामले का प्रतिवाद करने का पर्याप्त अवसर न मिल गया हो ।

3. ज्ञापन का नामंजूर किया जाना या संशोधन–(1) जहां अपील का ज्ञापन इसमें इसके पूर्व विहित रीति से लिखा नहीं गया है वहां वह नामंजूर किया जा सकेगा या अपीलार्थी को ऐसे समय के भीतर संशोधित किए जाने के प्रयोजन से जो न्यायालय द्वारा नियत किया जाएगा, लौटाया जा सकेगा तभी और वहा ही संशोधित किया जा सकेगा ।

(2) जहां न्यायालय किसी ज्ञापन को नामंजूर करे वहां वह ऐसी नामंजूरी के कारणों को लेखबद्ध करेगा ।

(3) जहां अपील के ज्ञापन का संशोधन किया जाता है वहां न्यायाधीश या ऐसा अधिकारी जो उसने इस निमित्त नियुक्त किया हो, उस संशोधन को हस्ताक्षरित या आद्यक्षरित करेगा ।

उच्च न्यायालय संशोधन

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्‌वारा संशोधन- उपनियम(1) का अधिसूचना क्रमांक 552/VII-डी दिनांक 30-1 -1992 के द्‌वारा उपनियम (1) को लुप्त किया गया ।

[1][**3क. विलम्ब की माफी के लिए आवेदन-** (1) जब कोई अपील उसके लिए विहित परिसीमाकाल के पश्चात् उपस्थापित की जाती है, तब उसके साथ ऐसे शपथपत्र द्‌वारा समर्थित आवेदन होगा जिसमें वे तथ्य उपवर्णित होंगे जिन पर अपीलार्थी न्यायालय का यह समाधान करने के लिए निर्भर करता है कि ऐसी अवधि के भीतर अपील न करने के लिए उसके पास पर्याप्त कारण था ।

(2) यदि न्यायालय यह समझता है कि प्रत्यर्थी को सूचना जारी किए बिना आवेदन को नामंजूर करने का कोई कारण नहीं है तो उसकी सूचना प्रत्यर्थी को जारी की जाएगी और, यथास्थिति, नियम 11 या नियम 13 के अधीन अपील को निपटाने के लिए अग्रसर होने के पूर्व न्यायालय द्‌वारा उस मामले का अन्तिम रुप से विनिश्चय किया जाएगा ।

(3) जहा उपनियम (1) के अधीन कोई आवेदन किया गया है वहां न्यायालय उस डिक्री के जिसके विरुद्ध अपील फाइल किए जाने की प्रस्थापना है, निष्पादन, को रोकने के लिए आदेश उस समय तक नहीं करेगा जब तक न्यायालय नियम 11 के अधीन सुनवाई के पश्चात् अपील सुनने क विनिश्चय नहीं कर लेता है ।]

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 87 द्‌वारा (1-2-1977 से) अन्त: स्थापित किया गया ।

4. कई वादियों या प्रतिवादियों में से एक पूरी डिक्री को उलटवा सकेगा जहां वह ऐसे आधार पर दी गई है जो उन सभी के लिए सामान्य है- जहां वाद में एक से अधिक वादी या प्रतिवादी है और वह डिक्री जिसकी अपील की जाती है, किसी ऐसे आधार पर दी गई है जो सभी वादियों या सभी प्रतिवादियों के लिए सामान्य है वहां वादियों या प्रतिवादियों में से कोई भी एक पूरी डिक्री की अपील कर सकेगा और अपील न्यायालय तब उस डिक्री को, यथास्थिति, सभी वादियों के या प्रतिवादियों के पक्ष में उलट सकेगा या उसमें फेरफार कर सकेगा ।

कार्यवाहियो का और निष्पादन का रोका जाना

5. अपील न्यायालय द्‌वारा रोका जाना–(1) अपील का प्रभाव जिस डिक्री या आदेश की अपील की गई है, उसके अधीन की कार्यवाहियों को रोकना नहीं होगा किन्तु यदि अपील न्यायालय आदेश दे तो कार्यवाहियां रोकी जा सकेंगी । केवल इस कारण से कि डिक्री से अपील की गई है, डिक्री का निष्पादन नहीं हो जाएगा किन्तु अपील न्यायालय ऐसी डिक्री के निष्पादन के रोके जाने के लिए आदेश पर्याप्त हेतुक से दे सकेगा ।

[1][**स्पष्टीकरण-** डिक्री के निष्पादन को रोकने के लिए अपील न्यायालय का आदेश प्रथम बार के न्यायालय को ऐसे आदेश की संसूचना की तारीख से प्रभावी होगा, किन्तु निष्पादन को रोकने के लिए

आदेश की या उसके प्रतिकूल किसी आदेश की, अपील न्यायालय से प्राप्ति होने तक प्रथम बार का न्यायालय अपीलार्थी की उसकी वैयक्तिक जानकारी पर आधारित ऐसे शपथपत्र पर कार्यवाही करेगा जिसमें यह कथित हो कि डिक्री के निष्पादन को रोकने के लिए अपील न्यायालय द्वारा आदेश दे दिया गया है ।]

(2) जिस न्यायालय ने डिक्री पारित की थी उसके द्वारा रोका जाना- जहां किसी अपीलनीय डिक्री के निष्पादन के रोके जाने के लिए आवेदन उस समय के अवसान से पूर्व जो उसकी अपील करने के लिए अनुज्ञात है, किया जाता है वहां डिक्री पारित करने वाला न्यायालय निष्पादन के रोके जाने के लिए आदेश पर्याप्त हेतुक दर्शित किए जाने पर दे सकेगा ।

(3) निष्पादन रोके जाने के लिए कोई भी आदेश उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक उसे देने वाले न्यायालय का यह समाधान नहीं हो जाता कि-

(क) यदि वह आदेश न किया गया तो परिणाम यह हो सकता है कि निष्पादन के रोके जाने का आवेदन करने वाले पक्षकार को सारवान् हानि हो;

(ख) आवेदन अयुक्तियुक्त विलम्ब के बिना किया गया है; तथा

(ग) आवेदक ने ऐसी डिक्री या आदेश के सम्यक् रुप से पालन के लिए जो अन्त में उसके लिए आबद्धकर हो, प्रतिभूति दे दी है ।

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 87 द्वारा (1-2-1977 से) अन्त: स्थापित किया गया ।

(4) [1][उपनियम (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए] न्यायालय आवेदन की सुनवाई लम्बित रहने तक निष्पादन के रोके जाने के लिए एकपक्षीय आदेश कर सकेगा ।

[2][(5) पूर्वगामी उपनियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां अपीलार्थी नियम 1 के उपनियम (3) में विनिर्दिष्ट निक्षेप करने में या प्रतिभूति देने में असफल रहता है वहां न्यायालय डिक्री का निष्पादन रोकने वाला आदेश नहीं करेगा ।

उच्च न्यायालय संशोधन

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन (1.1.94)- नियम 5के उपनियम (5) के स्थान पर निम्न नियम 5 को प्रतिस्थापित किया गया है-

"(5) पूर्वोक्त उपनियमों में अन्तर्निहित किसी बात के होते हुए भी, जहा अपील धन भुगतान करने की डिक्री के विरुद्ध अपील है तो अपीलीय न्यायालय डिक्री के निष्पादन को स्थगित करने का आदेश का आदेश नहीं करेगा जब तक कि अपीलाट ऐसे समय के भीतर जो कि अपीलीय न्यायालय अनुज्ञात करे, अपील में विवादित राशि को जमा नहीं करता है अथवा इसके संबंध में ऐसी प्रतिभूति नहीं देता है जो कि अपीलीय न्यायालय उपयुक्त समझ सके ।"

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 87 द्वारा (1-2-1977 से) कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।

2. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 87 द्वारा (1-2-1977 से) अन्त: स्थापित किया गया ।

6. डिक्री के निष्पादन के लिए आदेश की दशा में प्रतिभूति- (1) जहां ऐसी डिक्री के निष्पादन के लिए आदेश किया गया है जिसकी अपील लम्बित है वहां डिक्री पारित करने वाला न्यायालय अपीलार्थी द्वारा पर्याप्त हेतुक दर्शित किए जाने पर किसी ऐसी सम्पत्ति के प्रत्यास्थापन के लिए जो डिक्री के निष्पादन में ली जाए या ले ली गई है या ऐसी सम्पत्ति के मूल्य को देने के लिए और अपील न्यायालय की डिक्री या आदेश के सम्यक् पालन के लिए प्रतिभूति का लिया जाना अपेक्षित करेगा या वैसे ही हेतुक के लिए यह निदेश अपील न्यायालय डिक्री पारित करने वाले न्यायालय को दे सकेगा कि वह ऐसी प्रतिभूति ले ।

(2) जहां डिक्री के निष्पादन के स्थावर सम्पत्ति के विक्रय का आदेश कर दिया गया है और डिक्री की अपील लम्बित है वहां उस न्यायालय से जिसने आदेश किया था निर्णीतऋणी के आवेदन करने पर विक्रय को प्रतिभूति देने के बारे में या अन्यथा ऐसे निबन्धनों पर जो न्यायालय ठीक समझे जब तक के लिए रोक दिया जाएगा जब तक अपील का निपटारा न हो जाए ।

1. उपरोक्त आदेश 27 का नियम 8क देखिए ।

7. [1]**[कुछ मामलों में सरकार से या लोक अधिकारी से कोई प्रतिभूति अपेक्षित न की जाए ।]-** भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश 1937 द्वारा निरसित ।

8. डिक्री के निष्पादन में किए गए आदेश की अपील में शक्तियों का प्रयोग- जहां अपील डिक्री के विरुद्ध नहीं बल्कि डिक्री के निष्पादन में किए गए आदेश के विरुद्ध की जाए या की गई है वहां नियम 5 और नियम 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किया जा सकेगा ।

अपील के ग्रहण पर प्रक्रिया

[1]**[9. अपीलों के ज्ञापन का रजिस्टर में चढ़ाया जाना-** (1) वह न्यायालय जिसकी डिक्री के विरुद्ध अपील होती है अपील के ज्ञापन को ग्रहण करेगा और उस पर उसके उपस्थापित किए जाने की तारीख पृष्ठांकित करेगा और अपील को उस प्रयोजन के लिए रखी जाने वाली पुस्तक में चढाएगा ।

(2) अपीलों का रजिस्टर ऐसी पुस्तक अपीलों का रजिस्टर कहलाएगी ।

10. अपील न्यायालय अपीलार्थी से खर्चो के लिए प्रतिभूति देने की अपेक्षा कर सकेगा- (1) अपील न्यायालय या तो प्रत्यर्थी के उपसंजात होने और उत्तर देने के लिए बुलाए जाने के पहले या तत्पश्चात् प्रत्यर्थी के आवेदन पर अपील के या मूल वाद के या दौनों के खर्चों के लिए प्रतिभूति अपीलार्थी से स्वविवेकानुसार मांग सकेगा :

जहां अपीलार्थी भारत के बाहर निवास करता है - परन्तु न्यायालय उन सभी मामलों में ऐसी प्रतिभूति की माग करेगा जिनमें अपीलार्थी [2][भारत] के बाहर निवास करता है और उसके पास अपील से

संबंधित संपत्ति से (यदि कोई हो) भिन्न [3][भारत] के भीतर कोई पर्याप्त स्थावर संपत्ति नहीं है ।

(2) जहां ऐसी प्रतिभूति ऐसे समय के भीतर न दी जाए जो न्यायालय ने आदिष्ट किया है वहां न्यायालय अपील नामंजूर कर देगा |

1. 1999 के अधिनियम सं. 46 की धारा 31 द्वारा (1-7-2002 से) नियम 9 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
2. 1951 के अधिनियम सं. 2 की धारा 3 द्वारा "राज्यों" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।
3. 1961 के अधिनियम सं. 2 की धारा 3 द्वारा "राज्यों" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।

उच्च न्यायालय संशोधन

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन (1-6-1957)- नियम 10 के उपनियम (1) के परंतुक में द्वितीय बार आने वाले शब्द "भारत" को शब्द "राज्य" से प्रतिस्थापित किया गया ।

.

11. निचले न्यायालय को सूचना भेजे बिना अपील खारिज करने की शक्ति- [1][(1) अपील न्यायालय अपीलार्थी या उसके प्लीडर को सुनने के लिए दिन नियत करने के पश्चात् और यदि वह उस दिन उपसंजात होता है तो तदनुसार उसे सुनने के पश्चात् अपील को खारिज कर सकेगा ।

1. 1999 के अधिनियम सं. 46 की धारा 31 द्वारा (1-7-2002 से) उपनियम (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2]**[11क. समय जिसके भीतर नियम 11 के अधीन सुनवाई समाप्त हो जानी चाहिए-** प्रत्येक अपील नियम 11 के अधीन यथासंभव शीघ्रता से सुनी जाएगी और ऐसी सुनवाई को उस तारीख से जिसको अपील का ज्ञापन फाइल किया गया है, साठ दिन के भीतर समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा ।]

12. अपील की सुनवाई के लिए दिन- (1) यदि अपील न्यायालय नियम 11 के अधीन अपील को खारिज न कर दे तो वह अपील की सुनवाई के लिए दिन नियत करेगा ।

[3][(2) ऐसा दिन न्यायालय के चालू कारबार को ध्यान में रखते हुए नियत किया जाएगा ।

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 87 द्वारा (1-2-1977 से) अन्त: स्थापित किया गया ।
2. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 87 द्वारा (1-2-1977 से) अन्त : स्थापित किया गया ।

3. 1999 के अधिनियम सं. 46 की धारा 31 द्वारा (1-7-2002से) उपनियम (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

14. अपील की सुनवाई के दिन की सूचना का प्रकाशन और तामील–(1) नियम 12 के अधीन नियत किए गए दिन की सूचना अपील न्याय-सदन में लगाई जाएगी और वैसी ही सूचना अपील न्यायालय द्वारा उस न्यायालय को भेजी जाएगी जिसकी डिक्री की अपील गई है और प्रत्यर्थी पर या अपील न्यायालय में उसके प्लीडर पर उसकी तामील उस रीति से की जाएगी जो उपसंजात होने और उत्तर देने के लिए समनों की प्रतिवादी पर तामील के लिए उपबंधित है और ऐसे समन को और उनकी तामील विषयक कार्यवाहियों को लागू सभी उपबध ऐसी रखना की तामील को लागू होंगे ।

(2) अपील न्यायालय स्वयं सूचना की तामील करवा सकेगा- जिस न्यायालय की डिक्री की अपील की गई है उसे सूचना भेजने के बजाय अपील न्यायालय प्रत्यर्थी पर या उसके प्लीडर पर सूचना की तामील उपर निर्दिष्ट उपबंधों के अधीन स्वयं करवा सकेगा ।

1. सिविल प्रक्रिया सहिता(संशोधन) अधिनियम, 1999 के द्वारा नियम 13 को निरसित किया गया ।

[1][(3) प्रत्यर्थी पर तामील की जाने वाली सूचना के साथ अपील के ज्ञापन की एक प्रति होगी ।

(4) उपनियम (1) में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, किसी अपील की आनुषंगिक किसी कार्यवाही की सूचना की तामील अपील न्यायालय में प्रथम बार पक्षकार बनाए गए व्यक्ति से भिन्न किसी प्रत्यर्थी पर करनी आवश्यक नहीं होगी जब तक कि प्रथम बार के न्यायालय में वह उपसंजात न हुआ हो और उसने तामील के लिए कोई पता फाइल न किया हो या वह अपील में उपसंजात न हुआ हो ।

(5) उपनियम (4) की कोई भी बात अपील मे निर्दिष्ट प्रत्यर्थी को उसका प्रतिवाद करने से वर्जित नहीं करेगी ।

उच्च न्यायालय संशोधन

म.प्र. उच्च न्यायालय संशाधेन- आदेश 41 नियम 14 का संशोधन--- उपनियम (3) के रुप मे निम्नानुसार को जोड़ा जाएगा-

"(3) अपीलीय न्यायालय इरमके विवेक के अधीन ऐसे किसी प्रत्यर्थी पर जिसके विरुद्ध वाद एक पक्षीय सुना गया था सूचनापत्र से अभिमुक्ति दे सकेगा ।" (16 -9- 1960)

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन (21 -3- 1981)--- नियम 14 के उपनियम (1) में शब्दो "उसके प्लीडर पर" के स्थान पर शब्दों " अथवा उसकी ओर से सूचना प्राप्त करने के लिए सक्षम उसके प्लीडर पर" को प्रतिस्थापित किया गया ।

आदेश 41 नियम 14 -क

पटना उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- निम्नानुसार नियम 14 -क जोड़ा गया -

"14- क-अपीलीय न्यायालय इसके विवेक परयहां के पूर्व अपेक्षित प्रत्यर्थी अथवा मृत प्रत्यर्थी के वैधानिक प्रतिनिधि पर सूचना की तामील की मुक्ति प्रदान कर सकेगा ऐसे मामलो में जहां कि प्रत्यर्थी उस न्यायालय की कार्यवाही के किसी प्रक्रम पर जिसकी डिक्री से अपील की गयी है अथवा उस न्यायालय की

डिक्री के बाद की किसी कार्यवाही में उपस्थित नहीं हुआ था और ऐसे प्रतिपक्ष या प्रत्यर्थी या उसके विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध या तो मूल प्रकरण में या अपील में कोई अनुतोष दावित नहीं किया गया है ।"

[1][15................ निरसित]

उच्च न्यायालय संशोधन

म.प्र. उच्च न्यायालय द्वारा (संशोधन)- अधिसूचना क्रमांक 3409 दिनाक 29.6.1943 के द्वारा म.प्र. में निम्नानुसार नियम 15- क समाविष्ट किया गया है-

"15क. उच्च न्यायालय में अपील एडमीशन के उपरांत आवश्यक कदम उठाने में विफलता- जहाँ, उच्च न्यायालय में अपील एडमीशन के उपरांत उच्च न्यालय के नियम अपीलांट से नियत दिनांक के पूर्व अपील चलाने के लिए कोई कदमों को उठाने की अपेक्षा करते हैं एव जहाँ, कदम उठाए जाने के लिए सूचना की सम्यकू तामील के उपरात एव दिनांक जिस पर उन्हें उठाया जाना चाहिए, अपीलाट विहित समय के भीतर, ऐसे कदमो को उठाने में विफल रहता है, न्यायालय चलाए जाने के अभाव मे अपील निरस्त करने का निर्देश दे सकेगा अथवा ऐसा अन्य आदेश पारित कर सकेगा जो कि यह उपयुक्त समझे ।"

आदेश 41 नियम 15 - क

म. प्र. उच्च न्यायालय संशोधन (16-9-1960) - नियम 15 के उपरांत निम्नानुसार नियम 15 - क को अंत : स्थापित किया गया-

"15 - क. उच्च न्यायालय में अपील के एडमीशन के उपरांत आवश्यक कदम उठाने में विफलता- जहां उच्च न्यायालय में अपील के एडमीशन के उपरांत उच्च न्यायालय के नियम यह अपेक्षा करते हों कि अपीलांट को अपील को चलाये जाने के अनुसरण में कतिपय कदमो को नियत दिनांक के पूर्व उठाना चाहिए और जहां लिये जाने वाले कदमों की जानकारी देने वाले सूचनापर की सम्यक् तामील होने और उस तारीख के पूर्व हो जाने जिस तक उनको किया जाना चाहिए यदि अपीलौट विहित अवधि के भीतर ऐसे कदमों को उठाने में विफल रहता है तो न्यायालय यह निर्देश कर सकेगा कि अपील को न चलाये जाने के कारण निरस्त कर दिया जाए या ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो कि वह उचित समझे ।

सुनवाई की प्रक्रिया

18. शुरु करने का अधिकार- (1) नियत दिन को या ऐसे किसी अन्य दिन को जिसके लिए सुनवाई स्थगित की गई हो अपीलार्थी को अपील के समर्थन में सुना जाएगा ।

(2) तब यदि न्यायालय अपील को तुरन्त खारिज न कर दे तो वह अपील के विरुद्ध प्रत्यर्थी को सुनेगा और ऐसी दशा में अपीला र्थी उत्तर देने का हकदार होगा ।

1. सिविल प्रक्रिया सहिता (संशोधन) अधिनियम, 1999 के द्वारा नियम 15 को निरसित किया गया ।

उच्च न्यायालय संशोधन

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन (22-12-1951)- नियम 16 के उप नियम (1) में आये

शब्दो " नियत दिन को या ऐसे किसी अन्य दिन को जिसके लिए सुनवाई स्थगित की गई हो " के स्थान पर शब्दों " जबअपील की सुनवाई की पुकार होती है " को प्रतिस्थापित किया गया ।

17. अपीलार्थी के व्यतिक्रम के लिए अपील का खारिज किया जाना- (1) जहां नियत दिन को या किसी अन्य दिन को जिसके लिए सुनवाई स्थगित की गई है अपीलार्थी अपील की सुनवाई के लिए पुकार होने पर उपसंजात नहीं होता है वहां न्यायालय आदेश कर सकेगा कि अपील ख़ारिज की जाए ।

[1]**[स्पष्टीकरण-** इस उपनियम की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह न्यायालय को गुणागुण के आ धार पर अपील खारिज करने के लिए सशक्त करती है ।

(2) अपील की एकपक्षीय सुनवाई- जहां अपीलार्थी उपसंजात हो और प्रत्यर्थी उपसंजात न हो वहां अपील एक प क्षीय सुनी जाएगी ।

उच्च न्यायालय संशोधन

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन (22-12-1931)- नियम 17 के उपनियम (1) में आये शब्दों " नियत दिन को या किसी अन्य दिन को जिसके लिए सुनवाई स्थगित की गई है " को विलोपित किया गया ।

[2][18. .... निरसित]

उच्च न्यायालय संशोधन

इलाहाबाद उच्च न्यायालय संशोधन- पद 1 में अंकित शब्दों "यदि नियत दिन को या ऐसे किसी अन्य दिन को जिसके लिए सुनवाई स्थगित की गई है," के स्थान पर "जब सुनवाई के लिए अपील को पुकारा जाता है"

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 87 द्वारा (1-2-1977 से) अन्त: स्थापित किया गया ।
2. सिविल प्रक्रिया सहिता संशोधन अधिनियम, 1999 के द्वारा नियम 18 को निरसित किया गया ।

19. व्यतिक्रम के लिए खारिज की गई अपील को पुन : ग्रहण करना- जहां अपील नियम 11 के उपनियम (2) या नियम 17 [2][***] के अधीन खारिज की जाती है वहां अपीलार्थी अपील न्यायालय में अपील के पुन : ग्रहण किए जाने के लिए आवेदन कर सकेगा और जहां तक साबित कर दिया जाता है कि वह अपील की सुनवाई के लिए पुकार होने पर उपसंजात होने के से या ऐसी अपेक्षित राशि निक्षिप्त करने से किसी पर्याप्त हेतुक से निवारित हो गया था वहीं न्यायालय खर्चे संबंधी या अन्यथा ऐसे निबंधनों पर जो वह ठीक समझे अपील को पुन : ग्रहण करेगा ।

उच्च न्यायालय संशोधन

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय संशोधन- शब्द "नियम 11 के उपनियम (2)" के उपरात शब्द "या

नियम 16 - क" को प्रतिस्थापित किया गया ।

20. सुनवाई को स्थगित करने और ऐसे व्यक्तियों को जो हितबद्ध प्रतीत होते हों प्रत्यर्थी बनाए जाने के लिए निर्दिष्ट करने की शक्ति- [3][(1) जहां सुनवाई में न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि कोई व्यक्ति जो उस न्यायालय में वाद में पक्षकार था जिसकी डिक्री की अपील की गई है किन्तु जो अपील में पक्षकार नहीं बनाया गया है अपील के परिणाम में हितबद्ध है वहां सुनवाई को न्यायालय अपने द्वारा नियत किए जाने वाले भविष्यवर्ती दिन के लिए स्थगित कर सकेगा और यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति प्रत्यर्थी बनाया जाए ।

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 87 द्वारा (1-2-1977 से) अन्त: स्थापित किया गया ।
2. 1999 के अधिनियम सं. 46 की धारा 31 द्वारा (1-7-2002 से) "या नियम 18" शब्दों का लोप किया गया ।
3. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 87 द्वारा (1-2-1977 से) नियम 20 को उसके उपनियम (1) के रुप मे पुन: सख्याकित किया गया ।
4. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 87 द्वारा (1-2-1977 से) अन्त: स्थापित किया गया ।

[4][(2)] अपील के लिए परिसीमाकाल की समाप्ति के पश्चात् इस नियम के अधीन कोई प्रत्यर्थी नहीं जोड़ा जाएगा जब तक कि न्यायालय, ऐसे कारणों में जो लेखबद्ध किए जाएंगे खर्चे संबंधी ऐसे निबंधनों पर जो वह ठीक समझे, वैसा करने की अनुज्ञा नहीं दे देता ।

21. उस प्रत्यथी के आवेदन पर पुन: सुनवाई जिसके विरुद्ध एकपक्षीय डिक्री की गई है- जहां अपील एकपक्षीय सुनी जाती है और प्रत्यर्थी के विरुद्ध निर्णय सुना दिया जाता है वहा वह अपील न्यायालय से अपील को पुन: सुनने के लिए आवेदन कर सकेगा और यदि वह न्यायालय का समाधान कर देता है कि सूचना की तामील सम्यक् रुप से नहीं की गई थी वह अपील की सुनवाई के लिए पुकार होने पर उपसंजात होने से पर्याप्त हेतुक से निवारित हो गया था तो न्यायालय खर्चे संबंधी या अन्यथा ऐसे निबन्धनों पर जो प्रत्यर्थी पर अधिरोपित करना वह ठीक समझे, उस अपील को पुन: सुनेगा ।

उच्च न्यायालय संशोधन

म.प्र. उच्च न्यायालय संशोधन(16.9.1960)- नियम 21 को नियम 21 (1) के रुप मे पुनर्कमाकित किया गया और निम्नानुसार उपनियम (2) अंतःस्थापित किया गया-

“(2) भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1908 के प्रावधान उपनियम(1) के अन्तर्गत आवेदनो को भी लागू होंगे 1"

22. सुनवाई में प्रत्यर्थी डिक्री के विरुद्ध ऐसे आक्षेप कर सकेगा मानो उसने पृथक् अपील की हो-

(1) कोई भी प्रत्यर्थी यद्यपि उसने डिक्री के किसी भाग के विरुद्ध अपील न की हो, [1][न केवल डिक्री का समर्थन कर सकेगा बल्कि यह कथन भी कर सकेगा कि निचले न्यायालय में उसके विरुद्ध किसी विवाद्यक की बाबत निर्णय उसके पक्ष में होना चाहिए था और डिक्री के विरुद्ध कोई ऐसा प्रत्याक्षेप भी कर सकेगा जो वह अपील द्वारा कर सकता था परन्तु यह तब जब कि उसने ऐसा आक्षेप अपील न्यायालय में उस तारीख से एक मास के भीतर जिसको उस पर या उसके प्लीडर पर अपील की सुनवाई के लिए नियत दिन की सूचना की तामील हुई थी या ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर जिसे अनुज्ञात करना अपील न्यायालय ठीक समझे फाइल कर दिया हो ।

[2]**[स्पष्टीकरण-** कोई प्रत्यर्थी जो निर्णय में उस न्यायालय के किसी ऐसे निष्कर्ष से जिस पर डिक्री आ धारित है जिसके विरुद्ध अपील की गई है इस नियम के अधीन प्रत्याक्षेप जहां तक कि वह डिक्री उस निष्कर्ष पर आधारित है इस बात के होते हुए भी फाइल कर सकेगा कि न्यायालय के किसी अन्य निष्कर्ष पर जो उस वाद के विनिश्चय के लिए पर्याप्त है विनिश्चय के कारण वह डिक्री पूर्णत: या भागत: उस प्रत्यर्थी के पक्ष में है।]

(2) आक्षेप का प्ररुप और उसको लागू होने वाले उपबंध- ऐसा प्रत्याक्षेप ज्ञापन के प्ररुप में होगा और नियम 1 के उपबंध उसे वहां तक लागू होंगे जहां तक वे अपील के ज्ञापनों के प्ररूप और अंतर्वस्तु से संबंधित हैं ।

[3][(3) ....लुप्त]

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 87 द्वारा (1-2-1977 से) कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।
2. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 87 द्वारा (1-2-1977 से) अतःस्थापित किया गया ।
3. सिविल प्रक्रिया सहिता (संशोधन) अधिनियम, 1999 के द्वारा नियम 22 का उपनियम (3) लुप्त ।

उच्च न्यायालय संशोधन

इलाहाबाद उच्च न्यायालय संशोधन- आदेश 41 के उपनियम (1) में शब्दों "अपील की सुनवाई के लिए" के स्थान पर शब्दों" अपील की सुनवाई या अपील में उपसंजाति के लिए " शब्दों को प्रतिस्थापित किया गया । (अधिसूचना दिनांक 8-8-1994)

23. मामले का अपील न्यायालय द्वारा प्रतिप्रेषण- जहां उस न्यायालय ने जिसकी डिक्री की अपील की गई है । वाद का निपटारा किसी प्रारंभिक बात पर कर दिया है और डिक्री अपील में उलट दी गई है वहां यदि अपील न्यायालय ऐसा करना ठीक समझे तो वह मामले का आदेश द्वारा प्रतिप्रेषण कर सकेगा और यह अतिरिक्त निदेश दे सकेगा कि ऐसे प्रतिप्रेषित मामले में कौन से विवाद्यक या विवाद्यकों का विचारण किया जाए और अपने निर्णय और आदेश की प्रति उस न्यायालय को जिसको डिक्री की अपील की गई है, इन निदेशों के साथ भेजेगा कि वह वाद, सिविल वादों के रजिस्टर में अपने मूल संख्यांक पर पुन: ग्रहण किया जाए और वाद के अवधारण के लिए आगे कार्यवाही की जाए, और यदि कोई साक्ष्य मूल

विचारण के दौरान में अभिलिखित कर लिया गया था तो वह सभी न्याय संगत अपवादों के अधीन रहते हुए, प्रतिप्रेषण के पश्चात् वाले विचारण के दौरान में साक्ष्य होगा ।

उच्च न्यायालय संशोधन

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन (1-6-1957)- नियम 23 में आये शब्दों "और डिक्री अपील मे उलट दी गई है" के उपरात निम्न शब्दों" या जहां अपीलीय न्यायालय अपील के अधीन होने वाली डिक्री को उलटते हुए या अपास्त करते हुए न्याय हित में मामले को प्रतिप्रेषित करना आवश्यक समझता है तो यह " को प्रतिस्थापित किया गया ।

राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन (23.12.1964 जोधपुर) - नियम 23 के स्थान पर निम्न नियम 23 को प्रतिस्थापित किया गया -

"23. मामले का अपील न्यायालय द्वारा प्रतिप्रेषण- जहां उस न्यायालय ने जिसकी डिक्री की अपील की गई है । वाद का निपटारा किसी प्रारंभिक बात पर कर दिया है । और डिक्री अपील मे उलट दी गई है । वहा यदि अपील न्यायालय ऐसा करना ठीक समझे तो वह मामले का आदेश द्वारा प्रतिप्रेषण कर सकेगा और यह अतिरिक्त निदेश दे सकेगा कि ऐसे प्रतिप्रेषित मामले में कौन से विवाद्यक या विवाद्यकों का विचारण किया जाए और अपने निर्णय और आदेश की प्रति उस न्यायालय को जिसको डिक्री की अपील की गई है, इन निदेशों के साथ भेजेगा कि वह वाद सिविल वादों के रजिस्टर मे अपने मूल संख्याक पर पुन : ग्रहण किया जाए और वाद के अवधारण के लिए आगे कार्यवाही की जाए और यदि कोई साक्ष्य मूल विचारण के दौरान में अभिलिखित कर लिया गया था तो वह सभी न्याय संगत अपवादो के अधीन रहते हुए प्रतिप्रेषण के पश्चात् वाले विचारण के दौरान में साक्ष्य होगा ।"

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 87 द्वारा (1.2.1977 से) अंत: स्थापित किया गया ।

[1]**[23क. अन्य मामलों में प्रतिप्रेषण-** जहां उस न्यायालय ने जिसकी डिक्री की अपील की गई है मामले का निपटारा किसी प्रारंभिक बात पर करने से अन्यथा कर दिया है और डिक्री अपील में उलट दी गई है और पुनर्विचारण आवश्यक समझा गया है वहाँ अपील न्यायालय की वही शक्तियाँ होंगी जो उसकी नियम 23 के अधीन हैं ।]

24. जहां अभिलेख में का साक्ष्य पर्याप्त है वहां अपील न्यायालय मामले का अंतिम रुप से अवधारण कर सकेगा- जहां अभिलेख में का साक्ष्य अपील न्यायालय द्वारा निर्णय सुनाए जाने के लिए पर्याप्त है वहां अपील न्यायालय, यदि आवश्यक हो, विवाद्यकों का पुन: स्थिरीकरण करने के पश्चात् वाद का इस बात के होते हुए भी अंतिम रुप से अवधारण कर सकेगा कि उस न्यायालय का निर्णय जिसकी डिक्री की अपील की गई है, पूर्णत: उस आधार से भिन्न आधार पर किया गया है जिस आधार पर अपील न्यायालय ने कार्यवाही की है ।

25. अपील न्यायालय कहां विवाद्यकों की विरचना कर सकेगा और उन्हें उस न्यायालय को विचारण के लिए निर्दिष्ट कर सकेगा जिसकी डिक्री की अपील की गई है- जहां उस न्यायालय ने जिसकी डिक्री की अपील की गई है, ऐसे किसी विवाद्यक की विरचना या विचारण में या किसी ऐसे तथ्य के प्रश्न

के अवधारण में लोप किया है जो अपील न्यायालय को वाद के गुणागुण पर ठीक विनिश्चय के लिए परमावश्यक प्रतीत होता है वहा यदि आवश्यक हो तो अपील न्यायालय विवाद्यकों की विरचना कर सकेगा और उन्हें उस न्यायालय को विचारण के लिए निर्दिष्ट कर सकेगा जिसकी डिक्री की अपील की गई है और ऐसी दशा में ऐसे न्यायालय को अपेक्षित साक्ष्य लेने के लिए निदेश देगा,

और ऐसा न्यायालय ऐसे विवाद्यकों के विचारण के लिए अग्रसर होगा और साक्ष्य को उस पर अपने निष्कर्षों के सहित और उनके लिए अपने कारणों के सहित [1][ऐसे समय के भीतर जो अपील न्यायालय द्वारा नियत किया जाए या उसके द्वारा समय-समय पर बढ़ाया जाए,] अपील न्यायालय को लौटा देगा ।

1. 1976 के अधिनियम सं.104 की धारा 87 द्वारा (1.2.1977 से) अंत स्थापित किया गया ।

26. निष्कर्ष और साक्ष्य का अभिलेख में सम्मिलित किया जाना । निष्कर्ष पर आक्षेप- (1) ऐसा साक्ष्य और ऐसे निष्कर्ष वाद के अभिलेख का भाग होंगे और दोनों पक्षकारों में से कोई भी ऐसे समय के भीतर जो अपील न्यायालय द्वारा नियत किया जाएगा, किसी भी निष्कर्ष, प्रति आक्षेपों का ज्ञापन उपस्थापित कर सकेगा ।

(2) अपील का अवधारण- ऐसे ज्ञापन के उपस्थापित किए जाने के लिए इस प्रकार नियत की गई अवधि के अवसान के पश्चात् अपील न्यायालय अपील का अवधारण करने के लिए अग्रसर होगा ।

[1]**[26क. प्रतिप्रेषण के आदेश मेंअगली सुनवाई का उल्लेख किया जाना-** जहां अपील न्यायालय नियम 23 या नियम 23क के अधीन मामला प्रतिप्रेषण करता है या नियम 25 के अधीन विवाद्यकों की विरचना करता है और उन्हें विचारण के लिए निर्दिष्ट करता है वहां वह उस मामले में आगे कार्यवाही के बारे में उस न्यायालय के जिसकी डिक्री की अपील की गई थी, निदेश प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए उस न्यायालय के समक्ष पक्षकारों की उपसंजाति के लिए तारीख नियत करेगा ।

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 87 द्वारा (1.2.1977 से अंत स्थापित किया गया ।

27. अपील न्यायालय में अतिरिक्त साक्ष्य का पेश किया जाना- (1) अपील के पक्षकार अपील न्यायालय में अतिरिक्त साक्ष्य चाहे वह मौखिक हो या दस्तावेजी, पेश करने के हकदार नहीं होंगे किन्तु यदि-

(क) उस न्यायालय ने जिसकी डिक्री की अपील की गई है, ऐसा साक्ष्य ग्रहण करने से इंकार कर दिया है जो ग्रहण किया जाना चाहिए था, अथवा

[1][(कक) वह पक्षकार जो अतिरिक्त साक्ष्य पेश करना चाहता है यह सिद्ध कर देता है कि वह सम्यक् तत्परता का प्रयोग करने के बावजूद ऐसे साक्ष्य की जानकारी नहीं रखता था या उसे उस समय पेश नहीं कर सकता था जब वह डिक्री पारित की गई थी जिसके विरुद्ध अपील की गई है, अथवा

(ख) अपील न्यायालय किसी दस्तावेज के पेश किए जाने की या किसी साक्षी की परीक्षा की जाने की अपेक्षा या तो स्वयं निर्णय सुनाने के समर्थ होने के लिए या किसी अन्य सारवान् हेतुक के लिए करे,

तो अपील न्यायालय ऐसे साक्ष्य का लिया जाना या दस्तावेज का पेश किया जाना या साक्षी की परीक्षा का किया जाना अनुज्ञात कर सकेगा ।

(2) जहां कहीं अतिरिक्त साक्ष्य पेश करने के लिए अपील न्यायालय अनुज्ञा दे देता है वहां न्यायालय ऐसे साक्ष्य के ग्रहण किए जाने के कारणों को लेखबद्ध करेगा ।

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 87 द्वारा (1-2-1977 से) अंत: स्थापित किया गया किया गया ।

28. अतिरिक्त साक्ष्य लेने की रीति- जहां कहीं अतिरिक्त साक्ष्य पेश करने की अनुज्ञा दी जाती है वहा अपील न्यायालय ऐसा साक्ष्य स्वयं ले सकेगा या उस न्यायालय को जिसकी डिक्री की अपील की गई है या किसी अन्य अधीनस्थ न्यायालय को ऐसा साक्ष्य लेने के लिए और उसके ले लिए जाने पर अपील न्यायालय को उसे भेजने के लिए निदेश दे सकोगा ।

29. विषय-बिन्दुओं का परिभाषित और लेखबद्ध किया जाना- जहां अतिरिक्त साक्ष्य लेने का निदेश दिया जाता है या अनुज्ञा दी जाती है वहा अपील न्यायालय उन विषय-बिन्दुओं को विनिर्दिष्ट करेगा जिन तक साक्ष्य को सीमित रखना है, और अपनी कार्यवाहियों में उन विषय- बिन्दुओं को लेखबद्ध करेगा जो इस प्रकार विनिर्दिष्ट किए गए हैं ।

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 87 द्वारा (1-2-1977 से) नियम 30 को उसकी उपधारा (1) के रुप में पुन: संख्यांकित किया गया |
1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 87 द्वारा (1-2-1977 से) अंतःस्थापित किया गया ।

अपील का निर्णय

30. निर्णय कब और कहां सुनाया जाएगा- [1][(1)] अपील न्यायालय पक्षकारों को या उनके प्लीडरों को सुनने के पश्चात् और अपील की या उस न्यायालय की जिसकी डिक्री की अपील की गई है, कार्यवाहियों के ऐसे किसी भाग का अवलोकन करने के पश्चात् जिसका अवलोकन करना आवश्यक समझा जाए खुले न्यायालय में तुरंत या किसी भविष्यवर्ती दिन को जिसकी सूचना पक्षकारों को या उनके प्लीडरों को दी जाएगी, निर्णय सुनाएगा ।

[1][(2)] जहां कोई लिखित निर्णय सुनाया जाता है वहां अवधार्य प्रश्न, उन पर विनिश्चय और अपील में पारित अंतिम आदेश को पढा जाना पर्याप्त होगा और न्यायालय के लिए संपूर्ण निर्णय को पढ़ना आवश्यक नहीं होगा, किन्तु पक्षकारों या उनके प्लीडरों को परिशीलन के लिए संपूर्ण निर्णय की प्रति निर्णय सुनाए जाने के तुरंत पश्चात् उपलब्ध कराई जाएगी ।]

31. निर्णय की अंतर्वस्तु, तारीख और हस्ताक्षर- अपील न्यायालय का निर्णय लिखित होगा और

उसमें---

(क) अवधार्य प्रश्न;

(ख) उन पर विनिश्चय;

(ग) विनिश्चय के लिए कारण; तथा

(घ) जहां वह डिक्री जिसकी अपील की गई है उलट दी जाती है या उसमें फेरफार किया जाता है वहां वह अनुतोष जिसका अपीलार्थी हकदार है, कथित होगा,

और वह न्यायाधीश द्वारा या उसमें सहमत न्यायाधीशों द्वारा उस समय जब वह सुनाया जाए, हस्ताक्षरित और दिनांकित किया जाएगा ।

उच्च न्यायालय संशोधन

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन (14 -1-1939)- नियम के अंत के पूर्ण विराम को हटाकर अर्द्धविराम को लगाये और निम्न परन्तुक जोडे-

"परन्तु यह कि जहां पीठासीन न्यायाधीश खुले न्यायालय में आशुलिपिक को श्रुत- लेखन के द्वारा उसके निर्णय को उद्घोषित करता है तो इस प्रकार उद्घोषित निर्णय की अनुलिपि को ऐसा पुनरीक्षण करने के उपरांत जो कि आवश्यक समझा जाए न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और इस पर इसके उद्घोषित होने की दिनांक होगी”**।**

राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन (23.12.1964)- वर्तमान नियम 30 को नियम 30 (1) के रूप मे पुनर्कमांकित किया गया । 30 (2) नियम 30 (2) व 30 (3) के रुप में निम्न को प्रतिस्थापित किया गया-

"(2) जहां पीठासीन न्यायाधीश खुले न्यायालय में आशुलिपिक को श्रुत- लेखन के द्वारा उसके निर्णय को उदघोषित करता है तो इस प्रकार उद्घोषित निर्णय की अनुलिपि को ऐसा पुनरीक्षण करने के उपरांत जो कि आवश्यक समझा जाए न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और इस पर इसके उद्घोषित होने की दिनांक होगी ।

(3) उन मामलो में जहां कि न्यायाधीश के द्वारा उसके हाथों से निर्णय को नहीं लिखा जाता है अपितु श्रृत लेखन के द्वारा अन्य व्यक्ति के द्वारा अक्षरश: लिखा जाता है तो उसके द्वारा निर्णय के प्रत्येक पृष्ठ को आद्यक्षरित किया गया जाएगा ।"

पटना उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन (21.9.1960)- नियम के अंत के पूर्ण विराम को हटाकर अर्द्धविराम को लगाये और निम्न परन्तुक जोडे-

"परन्तु यह कि जहा पीठासीन न्यायाधीश खुले न्यायालय मे आशुलिपिक को श्रुत-लेखन के द्वारा उसके निर्णय को उद्घोषित करता है तो इस प्रकार उद्घोषित निर्णय की अनुलिपि को ऐसा पुनरीक्षण करने के उपरांत जो कि आवश्यक समझा जाए न्यायाधीश अथवा इसमे सहमत होने वाले न्यायाधीशगण द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और इस पर इसके उदघोषित होने की दिनांक होगी । "

32. निर्णय क्या निदेश दे सकेगा- निर्णय उस डिक्री को जिसकी अपील की गई है पुष्ट करने उसमें फेरफार करने या उसे उलटने के लिए हो सकेगा या यदि अपील के पक्षकार अपील की डिक्री के प्ररूप के बारे में या अपील में किए जाने वाले आदेश के बारे में सहमत हो जाएं तो अपील न्यायालय तदनुसार डिक्री पारित कर सकेगा या आदेश कर सकेगा ।

33. अपील न्यायालय की शक्ति- अपील न्यायालय की यह शक्ति होगी कि वह कोई ऐसी डिक्री पारित करे या कोई ऐसा आदेश करे जो पारित की जानी चाहिए थी या जो किया जाना चाहिए था और ऐसा या अतिरिक्त या अन्य डिक्री या आदेश पारित करे जो मामले में अपेक्षित हो और उस शक्ति का प्रयोग न्यायालय द्वारा इस बात के होते हुए भी किया जा सकेगा कि अपील डिक्री के केवल भाग के बारे में है और यह शक्ति सभी प्रत्यर्थियों या पक्षकारों या उनमें से किसी के भी पक्ष में प्रयोग की जा सकेगी यद्यपि ऐसे प्रत्यर्थियों या पक्षकारों ने कोई भी अपील या आक्षेप फाइल न किया हो [1][और जहां प्रतीपवादों में डिक्रियां हुई हों या जहां एक वाद में दो या अधिक डिक्रियां पारित की गई हों वहां यह शक्ति सभी डिक्रियों या उनमें से किसी के बारे में प्रयोग की जा सकेगी यद्यपि ऐसी डिक्रियों के विरुद्ध अपील फाइल न की गई हो :

[2][परन्तु अपील न्यायालय धारा 35क के अधीन कोई भी आदेश किसी ऐसे आक्षेप के अनुसरण में नही करेगा जिस पर उस न्यायालय ने जिसकी डिक्री की अपील की गई है, ऐसा आदेश नहीं किया है या ऐसा आदेश करने से इन्कार किया है ।

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 87 द्वारा (1-2-1977 से) अन्त: स्थापित किया गया |
2. 1922 के अधिनियम सं. 9 की धारा 4 द्वारा अन्त: स्थापित जिसे उक्त अधिनियम की धारा 1(2) के अधीन किसी भी विनिर्दिष्ट तारीख को किसी राज्य मे राज्य सरकार द्वारा प्रवृत किया जा सकेगा । यह अधिनियम मुम्बई, बंगाल, संयुक्त प्रान्त, पंजाब, बिहार, मध्य प्रान्त असम उडीसा और तमिलनाडु में प्रवृत्त किया गया है ।

34.विसम्मति का लेखबद्ध किया जाना- जहां अपील एक से अधिक न्यायाधीशों द्वारा सुनी जाती है वहां न्यायालय के निर्णय से विसम्मत कोई भी न्यायाधीश उस विनिश्चय या आदेश का जो वह समझता है कि अपील में पारित किया जाना चाहिए, लिखित रुप में कथन करेगा और वह उसके लिए अपने कारणों का कथन कर सकेगा ।

अपील में की डिक्री

[1]**35. डिक्री की तारीख और अन्तर्वस्तु-** (1) अपील न्यायालय की डिक्री पर उस दिन की तारीख होगी जिस दिन निर्णय सुनाया गया था ।

(2) डिक्री में अपील के संख्यांक, अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के नाम और वर्णन, तथा दिया गया अनुतोष या किए गए अन्य न्यायनिर्णयन का स्पष्ट विनिर्देश अन्तर्विष्ट होंगे ।

(3) अपील में उपगत खर्चो की रकम भी और यह बात भी कि ऐसे खर्चे और वाद के खर्चे किसके

द्वारा या किस सम्पत्ति में से और किस अनुपात में दिए जाएंगे, डिक्री में कथित होंगी ।

(4) डिक्री उस न्यायाधीश या उन न्यायाधीशों द्वारा जिसने या जिन्होंने उसे पारित किया हो, हस्ताक्षरित और दिनांकित की जाएगी :

निर्णय से विसम्मत न्यायाधीश के लिए डिक्री पर हस्ताक्षर करना आवश्यक नहीं- परन्तु जहां एक से अधिक न्यायाधीश हों और उनमें मतभेद हो वहां न्यायालय के निर्णय से विसम्मत किसी भी न्यायाधीश के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह डिक्री पर हस्ताक्षर करे ।

36. पक्षकारों को निर्णय और डिक्री की प्रतियां का दिया जाना- अपील के निर्णय और डिक्री की प्रमाणित प्रतियां पक्षकारों को अपील न्यायालय से आवेदन करने पर और उनके व्यय पर दी जाएंगी ।

1. यह नियम अपक्ष के मुख्य न्यायालय की अपीली अधिकारिता के प्रयोग मे लागू नहीं होता है । देखिए अवध कोइस ऐक्ट, 1925 (1925 का यू.पी. अधिनियम सं. 4) की धारा 16(3).

37. डिक्री की प्रमाणित प्रति उस न्यायालय को भेजी जाएगी जिसकी डिक्री की अपील की गई थी- निर्णय और डिक्री की एक प्रति अपील न्यायालय द्वारा या ऐसे अधिकारी द्वारा जो वह इस निमित्त नियुक्त करे प्रमाणित की जाकर उस न्यायालय को भेजी जाएगी जिसके द्वारा वह डिक्री पारित की गई थी जिसकी अपील की गई है और वाद की मूल कार्यवाहियों के साथ फाइल की जाएगी और अपील न्यायालय के निर्णय प्रविष्टि सिविल वादों के रजिस्टर में की जाएगी ।

उच्च न्यायालय संशोधन

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- नियम 37 में दर्शित शब्दों "और याद की मूल कार्यवाहियों के साथ फाइल की जाएगी" को विलोपित किया गया और नियम के अंत में निम्न नवीन पद विरचित किया गया-

"जहां अपीलीय न्यायालय उच्च न्यायालय है तो उपरोक्त कथित प्रतिलिपियों वाद की मूल कार्यवाहियो के साथ फाइल किया जाएगा ।"

आदेश 41 नियम 38

इलाहाबाद उच्च न्यायालय दारा संशोधन (1.6.1918)- आदेश 41 में नियम 38 के रुप में निम्न नवीन नियम 38 को जोडा गया-

"38 (1) आदेश 7 नियम 19 या आदेश 8नियम 11 या बाद में परिवर्तित आदेश 7नियम 24के अन्तर्गत या आदेश 8 नियम 12के अन्तर्गत फाइल किया गया तामील का पता मूल वाद या याचिका से उत्पन्न सभी अपीलीय कार्यवाही के दौरान भी काम मे आने योग्य बना रहेगा ।

(2) अपील का प्रत्येक ज्ञापन अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिपक्षों द्वारा तामील के लिए दिये गये पतों को बताया जाएगा ।

(3) आदेश 7 के नियम 21, 22, 23, 24 यथाशक्य अपीलीय कार्यवाहियों को भी प्रयोज्य होंगे ।

पटना उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन (1.6.1918)- आदेश 41 में नियम 38 के रुप में निम्न नवीन नियम 38 को जोड़ा गया-

"38 (1) आदेश 7 नियम 19, या आदेश 8नियम 11 या बाद में परिवर्तित आदेश नियम 24 के अन्तर्गत या आदेश 8 नियम 12 के अन्तर्गत फाइल किया गया तामील का पता मूल वाद या याचिका से उत्पन्न सभी अपीलीय कार्यवाही के दौरान भी काम में आने योग्य बना रहेगा और अपीलीय न्यायालय द्वारा ऐसे पतों पर सूचना व आदेशिकाओं को जारी किया जाएगा ।

(2) अपील का प्रत्येक ज्ञापन अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिपक्षों द्वारा तामील के लिए दिये गये पतों को बताया जाएगा ।

(3) आदेश 7 के नियम 21 व 22 यथाशक्य अपीलीय कार्यवाहियों को भी प्रयोज्य होंगे ।

आदेश 41- क

इलाहाबाद उच्च न्यायालय संशोधन- आदेश 41 के बाद, आदेश 41- क के नियम 1 लगायत 11 को निम्नानुसार अंतःस्थापित किया गया ।

आदेश 42

अपीली डिक्रियों की अपीलें

1. प्रक्रिया- आदेश 41 के नियम अपीली डिक्रियों की अपीलों को, जहां तक हो सके लागू होंगे ।

उच्च न्यायालय संशोधन

इलाहाबाद उच्च न्यायालय संशोधन- नियम 1 के स्थान निम्न नियम 1 को प्रतिस्थापित किया गया- **"1 प्रक्रिया-** आदेश 41 के नियम अपीली डिक्रियों की अपीलों को जहां तक हो सके निम्न परंतुक के अधीन लागू होगे । (17-6-1916 व 22.12.1951)

अपीलीय डिक्री से अपील का प्रत्येक ज्ञापन अपील की गयी डिक्री एक प्रतिलिपि के साथ संलग्न होगा और जब तक कि न्यायालय उनमें से किसी को या सभी को मुक्त करना उपयुक्त न समझे -

(1) निर्णय की प्रतिलिपि जिस पर कि कथित डिक्री स्थापित है ।

(2) प्रथम बार के न्यायालय के निर्णय की प्रतिलिपि; और

(3) जैसा भी मामला हो, सिविल न्यायालय व राजस्व न्यायालय के निष्कर्ष की प्रतिलिपि जहां कि विवाद्यक ऐसे न्यायालय को निर्णय के लिए भेजा गया है । (14.4.1948)

राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- नियम 1 के स्थान निम्न नियम 1 को प्रतिस्थापित किया गया

"1. प्रक्रिया- आदेश 41 के नियम अपीली डिक्रियो की अपीलों को जहां तक हो सके निम्न परंतुक

के अधीन लागू होंगे ।

अपीलीय डिक्री से अपील का प्रत्येक ज्ञापन अपील की गयी डिक्री एक प्रतिलिपि के साथ संलग्र होगा और जब तक कि न्यायालय उनमें से किसी को या सभी को मुक्त करना उपयुक्त न समझे -

(1) निर्णय की प्रतिलिपि जिस पर कि कथित डिक्री स्थापित है ।

(2) प्रथम बार के न्यायालय के निर्णय की प्रतिलिपि; और

(3) जैसा भी मामला हो सिविल न्यायालय व राजस्व न्यायालय के निष्कर्ष की प्रतिलिपि जहां कि विवाद्यक ऐसे न्यायालय को निर्णय के लिए भेजा गया है ।

[1][**2. न्यायालय की यह निदेश देने की शक्ति कि उसके द्वारा बनाए गए प्रश्न पर अपील सुनी जाए-** आदेश 41 के नियम 11 के अधीन द्वितीय अपील की सुनवाई के लिए आदेश किए जाने के समय, न्यायालय धारा 100 द्वारा यथाअपेक्षित सारवान् विधि - प्रश्न बनाएगा और ऐसा करने में न्यायालय निदेश कर सकेगा कि द्वितीय अपील इस प्रकार बनाए गए प्रश्न पर सुनी जाएगी और अपीला र्थी न्यायालय की इजाजत के बिना जो धारा 100 के उपबन्धों के अनुसार दी गई हो अपील में कोई अन्य आधार निवेदित करने के लिए स्वतंत्र नहीं होगा ।

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 88 द्वारा (1-2-1977 से) अन्त: स्थापित किया गया ।

3. आदेश 41 के नियम 14 का लागू होना- आदेश 41 के नियम 14 के उपनियम (4) में प्रथम बार के न्यायालय के प्रति निर्देशों का किसी अपीली डिक्री या आदेश की अपील की दशा में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे उस न्यायालय के प्रति निर्देश हैं जिसमें मूल डिक्री या आदेश की अपील की गई थी ।

आदेश 43
आदेशों की अपीलें

1. आदेशों की अपीलें- धारा 104 के उपबन्धों के अधीन निम्नलिखित आदेशों की अपील होगी, अर्थात:-

(क) वादपत्र के उचित न्यायालय में उपस्थित किए जाने के लिए लौटाने का आदेश जो आदेश 7 के नियम 10 के अधीन दिया गया हो, [1][सिवाय उस दशा के जब आदेश 7 के नियम 10क में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण किया गया हो];

[2]* * * * * *

(ग) वाद की खारिजी को अपास्त करने के आदेश के लिए (ऐसे मामले में जिसमें अपील होती है) आवेदन को नामंजूर करने का आदेश जो आदेश 9 के नियम 9 के अधीन दिया गया हो;

(घ) एकपक्षीय पारित डिक्री को अपास्त करने के आदेश के लिए (ऐसे मामले में जिसमें अपील होती है) आवेदन के नामंजूर करने का आदेश जो आदेश 9 के नियम 13 के अधीन दिया गया हो;

[3]*   *   *   *   *   *

(च) आदेश 11 के नियम 21 के अधीन आदेश;

[4]*   *   *   *   *   *

(झ) दस्तावेज के या पृष्ठांकन के प्रारूप पर किए गए आक्षेप पर आदेश जो आदेश 21 के नियम 34 के अधीन दिया गया हो;

(ञ) विक्रय को अपास्त करने का या अपास्त करने से इंकार करने का आदेश जो आदेश 21 के नियम 72 या नियम 92 के अधीन दिया गया हो;

[5][(ञक) आवेदन को नामंजूर करने का आदेश जो आदेश 21 के नियम 106 के उपनियम (1) के अधीन किया गया हो परन्तु मूल आवेदन पर अर्थात् उस आदेश के नियम 105 के उपनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन पर आदेश अपीलनीय है;]

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 89 द्वारा (1.2.1977 से) अन्तःस्थापित किया गया ।
2. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 89 द्वारा (1.2.1977 से) खण्ड (ख), (ङ), (छ) और (ज) का लोप ।
3. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 89 द्वारा (1.2.1977 से) खण्ड (ख), (ङ), (छ) और (ज) का लोप ।
4. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 89 द्वारा (1.2.1977 से) खण्ड (ख), (ड.), (छ) और (ज) का लोप ।
5. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 89 द्वारा (1.2.1977 से अन्त:स्थापित किया गया ।

(ट) वाद के उपशमन या खारिजी को अपास्त करने से इंकार करने का आदेश जो आदेश 22 के नियम 9 के अधीन दिया गया है;

(ठ) इजाजत देने का या इजाजत देने से इंकार करने का आदेश जो आदेश 22 के नियम 10 के अधीन दिया गया हो

[1]*   *   *   *   *   *

(ढ) वाद की खारिजी को अपास्त करने के आदेश के लिए (ऐसे मामले में जिसमें अपील होती है) आवेदन को नामंजूर करने का आदेश जो आदेश 25 के नियम 2 के अधीन दिया गया हो;

[2][(ढक) निर्धन व्यक्ति के रुप में वाद लाने की अनुज्ञा के लिए आवेदन को नामंजूर करने का आदेश जो आदेश 33 के नियम 5 या नियम 7 के अधीन दिया गया हो;

[3]*   *   *   *   *   *

(त) अन्तराभिवाची वादों में आदेश जो आदेश 35 के नियम 3, नियम 4 या नियम 6 के अधीन दिया गया हो;

(थ) आदेश 38 के नियम 2, नियम 3 या नियम 6 के अधीन आदेश;

(द) आदेश 39 के नियम 1, नियम 2, [4][नियम 2क,] नियम 4 या नियम 10 के अधीन आदेश

(ध) आदेश 40 के नियम 1 या नियम 4 के अधीन आदेश;

(न) अपील को आदेश 41 के नियम 19 के अधीन पुन:ग्रहण करने या आदेश 41 के नियम 21 के अधीन पुन: सुनने से इंकार करने का आदेश;

(प) जहां अपील न्यायालय की डिक्री की अपील होती हो वहां मामले को प्रतिप्रेषित करने का आदेश जो आदेश 41 के नियम 23 [5][नियम 23क] के अधीन दिया गया हो;

[6]* * * * * *

(ब) पुनर्विलोकन के लिए आवेदन मंजूर करने का आदेश जो आदेश 47 के नियम 4 के अधीन दिया गया हो |

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 89 द्वारा (1.2.1977 से) खण्ड (ड), (ण) और (फ) का लोप ।
2. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 89 द्वारा (1.2.1977 से) अन्त: स्थापित किया गया ।
3. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 89 द्वारा (1.2.1977 से) खण्ड (ड), (ण) और (फ) का लोप ।
4. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 89 द्वारा (1.2.1977 से अन्तःस्थापित किया गया ।
5. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 89 द्वारा (1.2.1977 से) अन्त: स्थापित किया गया |
6. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 89 द्वारा (1.2.1977 से) खण्ड (ड), (ण) और (फ) का लोप ।

[1][1क. डिक्रियों के विरुद्ध अपील में के ऐसे आदेशों पर आक्षेप करने का अधिकार जिनकी अपील नहीं की जा सकती- (1) जहां इस संहिता के अधीन कोई आदेश किसी पक्षकार के विरुद्ध किया जाता है और तदुपरान्त निर्णय ऐसे पक्षकार के विरुद्ध सुनाया जाता है और डिक्री तैयार की जाती है वहा ऐसा पक्षक डिक्री के विरुद्ध अपील में यह प्रतिवाद कर सकेगा कि ऐसा आदेश नहीं किया जाना चाहिए था और निर्णय नहीं सुनाया जाना चाहिए था ।

(2) ऐसी डिक्री के विरुद्ध अपील में जो समझौता अभिलिखित करने के पश्चात् या समझौता अभिलिखित किया जाना नामंजूर करने के पश्चात् वाद में पारित की गई है, अपीलार्थी को इस आधार पर डिक्री का प्रतिवाद करने की स्वतंत्रता होगी कि समझौता अभिलिखित किया जाना चाहिए था या नहीं किया जाना चाहिए था ।

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 89 द्वारा (1.2.1977 से) अन्तःस्थापित किया गया ।

2. प्रक्रिया- आदेश 41 के नियम आदेशों की अपीलों को, जहां तक हो सके लागू होंगे ।

आदेश 44

[1][निर्धन व्यक्तियों द्वारा अपीलें]

1. [2][निर्धन व्यक्ति के रुप में] कौन अपील कर सकेगा- [3][(1)] अपील करने का हकदार कोई भी व्यक्ति जो अपील के ज्ञापन के लिए अपेक्षित फीस देने में असमर्थ है अपील के ज्ञापन के सा थ आवेदन उपस्थित कर सकेगा और सभी बातों में जिनके अन्तर्गत ऐसे आवेदन को उपस्थित

करना भी है उन उपबन्धों के जो [4][निर्धन व्यक्तियों] द्वारा वादों के सम्बन्ध में हैं वहां तक अधीन रहते हुए जहां तक ऐसे उपबन्ध लागू करने योग्य हैं, [5][निर्धन व्यक्ति] के रुप में अपील करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा :

आदेश 44 नियम 1- क

राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन(21.7.1954)- आदेश 44 नियम 1- क के रुप में निम्न नियम प्रतिस्थापित किया गया-

"1-क- जहां नियम 1 के अन्तर्गत आवेदन निरस्त कर दिया गया है तो न्यायालय आवेदन निरस्त करते समय, उसके द्वारा नियत किये गये समय के भीतर न्यायालय फीस भुगतान करने के आवेदनपत्र को मंजूर कर सकेगा और ऐसे भुगतान पर अपील ज्ञापन जिसके संबंध में ऐसी फीस भुगतानयोग्य है को समान बल व प्रभाव होगा मानों ऐसी फीस प्रथमत:भुगतान की गयी है |

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 90 द्वारा (1.2.1977 से) "अकिंचन अपीलों" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।
2. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 90 द्वारा (1.2.1977 से) "अकिंचन के रुप मे" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।
3. 1956 के अधिनियम सं. 66 की धारा 14 द्वारा नियम 1 को उसके उपनियम (1) के रुप में पुन : संख्यांकित किया गया ।
4. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 90 द्वारा (1.2.1977 से) क्रमश : "अकिंचनों" और "अकिंचन" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।
5. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 90 द्वारा (1.2.1977 से) क्रमश : "अकिंचनों" और "अकिंचन" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।
6. 1956 के अधिनियम सं. 66 की धारा 14 द्वारा परन्तुक का लोप ।
7. 1956 के अधिनियम सं. 66 की धारा 14 द्वारा अन्त : स्थापित उपनियम (2) का 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 90 द्वारा (1.2.1977 से) लोप ।

[1]**[2. न्यायालय फीस के संदाय के लिए समय दिया जाना-** जहां आवेदन को नियम 1 के अधीन नामंजूर किया जाता है वहां न्यायलय आवेदन नामंजूर करते समय आवेदक को यह अनुज्ञा दे सकेगा कि वह अपेक्षित न्यायालय फीस ऐसे समय के भीतर जो न्यायालय द्वारा नियत किया जाए या उसके द्वारा समय-समय पर बढ़ाया जाए, संदत्त करे और ऐसा संदाय कर देने पर उस अपील के ज्ञापन का जिसके संबंध में फीस संदेय है, वही बल और प्रभाव होगा मानो वह फीस प्रथम बार में संदत्त कर दी गई हो ।

3. इस प्रश्न के बारे में जांच कि आवेदक निर्धन व्यक्ति है या नहीं- (1) जहां नियम 1 में निर्दिष्ट आवेदक को उस न्यायालय में जिसकी डिक्री की अपील की गई है, निर्धन व्यक्ति के रुप वाद लाने या अपील करने के लिए अनुज्ञात किया गया था वहां, यदि आवेदक ने यह कथन करते हुए शपथ-पत्र दिया है

कि वह उस डिक्री की तारीख से जिसकी अपील की गई है, निर्धन व्यक्ति न रहने से परिविरत नहीं हुआ है तो, इस प्रश्न के बारे में कि वह निर्धन व्यक्ति है या नहीं, कोई अतिरिक्त जांच आवश्यक नहीं होगी, किन्तु यदि सरकारी प्लीडर या प्रत्यर्थी ऐसे शपथपत्र में किए गए कथन पर विवाद करता है तो पूर्वोक्त प्रश्न की जांच अपील न्यायालय द्वारा या अपील न्यायालय के आदेशों के अधीन उसी न्यायालय के अधिकारी द्वारा की जाएगी ।

(2) जहां नियम 1 में निर्दिष्ट आवेदक के बारे में यह अभिकथन किया जाता है कि वह उस डिक्री की तारीख से जिसकी अपील की गई है, निर्धन व्यक्ति हो गया है वहां इस प्रश्न की जांच की वह निर्धन है या नहीं, अपील न्यायालय द्वारा या अपील न्यायालय के आदेशों के अधीन उसी न्यायालय के अधिकारी द्वारा उस दशा में की जाएगी जिसमें अपील न्यायालय मामले की परिस्थितियों में यह आवश्यक नहीं समझता कि जांच ऐसे न्यायालय द्वारा की जानी चाहिए जिसके विनिश्चय की अपील की गई है ।]

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 90 द्वारा (1.2.1977 से) नियम 2 के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।

उच्च न्यायालय संशोधन

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन (26.4.1987)- नियम 3 के स्थान पर निम्न नियम 3 को प्रतिस्थापित किया गया-

"3. क्या आवेदक अकिंचन व्यक्ति है इस बाबत जांच- इस प्रश्न पर जांच कि क्या नियम 1 में निर्दिष्ट आवेदक अकिंचन व्यक्ति है अथवा नहीं अपीलीय न्यायालय द्वारा की जाएगी अथवा अपीलीय न्यायालय के आदेश के अधीन उस न्यायालय के अधिकारी द्वारा जब तक कि अपीलीय न्यायालय यह आवश्यक नहीं समझता है कि मामलें की परिस्थितियों में उस जांच को ऐसे न्यायालय के द्वारा किया जाना चाहिए जिसके निर्णय से अपील प्रस्तुत की गयी है :

परन्तु यह कि यदि ऐसे आवेदक को उस न्यायालय में जिसमें कि अपील प्रस्तुत की गयी है अकिंचन के रूपा में अपील को चलाने को अनुज्ञात किया जाता है तो इस प्रश्न पर कि क्या वह अकिंचन व्यक्ति है अथवा नहीं अन्यथा जाच करना आवश्यक नहीं होगा यदि आवेदक ने एक शपथपत्र यह बताते हुए कि वह अपील की गयी डिक्री की दिनांक तक अकिंचन व्यक्ति होना समाप्त नहीं हुआ है, देता है परन्तु यदि सरकारी प्लीडर या प्रत्यर्थी ऐसे शपथ - पत्र में किये गये कथन के सत्यता को विवादित करता है तो उपरोक्त कथन पर ऊपर वर्णित रीति में जांच की जाएगी ।"

आदेश 45

[1][उच्चतम न्यायालय] में अपीलें

1. "डिक्री" की परिभाषा- इस आदेश में, जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई बात विरुद्ध न हो, "डिक्री" पद के अन्तर्गत अन्तिम आदेश भी आएगा ।

2. उस न्यायालय से आवेदन जिसकी डिक्री परिवादित है- [2][(1) जो कोई [3][उच्चतम न्यायालय] में

अपील करना चाहता है वह उस न्यायालय में अर्जी द्वारा आवेदन करेगा जिसकी डिक्री परिवादित है ।

[4][(2) उपनियम (1) के अधीन हर अर्जी की सुनवाई यथासम्भव शीघ्रता में की जाएगी और आवेदन के निपटारे को उस तारीख से जिसको वह अर्जी उपनियम (1) के अधीन न्यायालय में उपस्थापित की जाती है, साठ दिन के भीतर समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा ।]

1. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "किंग-इन- काउसिल" के स्थान पर प्रतिस्थापित कि या गया ।
2. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 91 द्वारा (1.2.1977 से) नियम 2 को उसके उपनियम (1) के रुप में पुन: संख्यांकित किया गया ।
3. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "हिज मैजेस्टी इन काउन्सिल" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।
4. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 91 द्वारा (1.2.1977 से) अन्त: स्थापित किया गया ।

राज्य संशोधन

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा संशोधन- उ.प्र. अधिनियम (1976 का 57) के द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयोज्य होने के लिए उपनियम (2) के स्थान निम्न उपनियम (3) शामिल किया गया है-

"(3) उपनियम (1) में अन्तर्निहित किसी बात के होते हुए भी, जो कोई भी उच्चतम न्यायालय में अपील करने की वांछा रखता हैं उस न्यायालय से जिसकी डिक्री परिवादित है, न्यायालय द्वारा निर्णय उद्घोषित किये जाने के ठीक पूर्व या पश्चात में मौखिक तौर नियम 3 के उपनियम (1) में वर्णित प्रमाणपत्र के लिए आवेदन कर सकेगा और न्यायालय प्रमाणपत्र दे सकेगा या इंकार कर सकेगा, अथवा आवेदक को उपनियम (1) द्वारा यथा अपेक्षित याचिका फाइल करने को निर्देशित कर सकेगा :

परन्तु यह कि यदि मौखिक आवेदन को ग्रहण किया जाता है और निरस्त कर दिया जाता है तो उपनियम (1) के अन्तर्गत कोई लिखित याचिका नहीं होगी ।"

पटना उच्च न्यायालय दारा संशोधन(1.11.1978)- नियम 2 के स्थान पर निम्न नियम प्रतिस्थापित किया गया उस न्यायालय से आवेदन जिसका निर्णय डिक्री अथवा अंतिम आदेश परिवादित है-

(1) जो कोई उच्चतम न्यायालय में अपील करना चाहता है वह उस न्यायालय में अर्जी द्वारा आवेदन करेगा जिसका निर्णय, डिक्री अथवा अंतिम आदेश परिवादित है ।

(2) उपनियम (1) में अन्तर्निहित किसी बात के होते हुए भी, जो कोई भी उच्चतम न्यायालय में अपील करने की वांछा रखता है । न्यायालय द्वारा अंतिम आदेश के निर्णय उद्घोषित किये जाने के ठीक पश्चात में मौखिक तौर पर निवेदन कर सकेगा और न्यायालय पक्षकार को उच्चतम न्यायालय में अपील करने की अनुमति प्रदान कर सकेगा अथवा इंकार कर सकेगा अथवा पक्षकार को उपनियम (1) यथाअपेक्षित याचिका प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित कर सकेगा :

परन्तु यह कि यदि उपनियम (2) के अंतर्गत मौखिक आवेदन को ग्रहण किया जाता है और निरस्त कर दिया जाता है तो उपनियम (1) के अन्तर्गत कोई लिखित याचिका नहीं होगी ।"

3. मूल्य या औचित्य के बारे में प्रमाणपत्र- [1][(1) हर अर्जी में अपील के आधार कथित होंगे और ऐसे प्रमाणपत्र के लिए प्रार्थना होगी कि-

(i) मामले में सामान्य महत्व का सारवान् विधि-प्रश्न अन्तर्ग्रस्त है, तथा

(ii) न्यायालय की राय में उक्त प्रश्न का विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाना आवश्यक है ।

(2) न्यायालय ऐसी अर्जी की प्राप्ति पर निदेश देगा कि विरोधी पक्षकार पर इस सूचना की तामील की जाए कि वह यह हेतुक दर्शित करे कि उक्त प्रमाणपत्र क्यों न दे दिया जाए ।

1. 1973 के अधिनियम सं. 49 की धारा 4 द्वारा उपनियम (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।

उच्च न्यायालय संशोधन

***म. प्र.* उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन (16.9.1960)-** आदेश 45 के उपनियम (2) के नियम 2 के स्थान पर निम्न नियम 2 प्रतिस्थापित किया गया-

"(2) ऐसी याचिका प्रस्तुत होने पर न्यायालय अभिलेख भेजने के उपरांत एवं आवेदक अथवा उसके प्लीडर को सुनवाई के लिए दिवस नियत करने के उपरांत सुनने के उपरांत एवं उन्हें तदनुसार सुनकर यदि वह उस दिनांक को उपस्थित होते हैं याचिका को निरस्त कर सकता है ।

(3) जब तक कि न्यायालय उपनियम (2) के अंतर्गत याचिका को निरस्त नहीं करता है यह प्रतिपक्ष को यह कारण दर्शित करने के लिए कि क्यों न कथित प्रमाण पत्र जारी किया जाना चाहिए सूचना की तामील किए जाने के लिए निर्देशित करेगा ।"

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन (9.1.1960)- नियम 3 के उपनियम (2) के अंत मे पूर्णविराम के पूर्व इन शब्दों को प्रतिस्थापित किया गया-

"जब तक कि यह प्रमाण पत्र से इंकारित करने को उपयुक्त होना नहीं समझता है" ।

4. [वादों का समेकन]- सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम 1973 (1973 का 49) की धारा 4 द्वारा निरसित ।

5. [प्रथम बार के न्यायालय को विवाद का पुन : भेजा जाना]- सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम 1973 (1973 का 49) की धारा 4 द्वारा निरसित ।

6. प्रमाणपत्र देने से इंकार का प्रभाव- जहां ऐसा प्रमाणपत्र देने से इंकार कर दिया जाता है वहां अर्जी खारिज की जाएगी ।

7. प्रमाणपत्र दिए जाने पर अपेक्षित प्रतिभूति और निक्षेप- (1) जहां प्रमाणपत्र दे दिया जाता है वहां आवेदक परिवादित डिक्री की तारीख से [1][नब्बे दिन या हेतुक दर्शित किए जाने पर न्यायालय द्वारा अनुज्ञात की जाने वाली साठ दिन से अनधिक अतिरिक्त अवधि] के भीतर या प्रमाणपत्र दिए जाने की तारीख से छह सप्ताह की अवधि के भीतर जो भी तारीख पश्चात्वर्ती हो -

(क) प्रत्यर्थी के खर्चों के लिए प्रतिभूति [2][नकद या सरकारी प्रतिभूतियों में] देगा, तथा

(ख) वह रकम निक्षिप्त करेगा जो वाद में के पूरे अभिलेख को अनुवाद कराने अनुलिपि कराने

अनुक्रमणिका तैयार करने, [3][मुद्रण,] और उसकी शुद्ध प्रति के [4][उच्चतम न्यायालय] को पारेषण के व्ययों की पूर्ति के लिए अपेक्षित हो किन्तु निम्नलिखित के लिए रकम निक्षिप्त नहीं कराई जाएगी: -

1. 1920 के अधिनियम सं. 26 की धारा 3 द्वारा "छह मास" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।
2. 1920 के अधिनियम सं. 26 की धारा 3 द्वारा अन्त: स्थापित किया गया ।
3. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा अन्त: स्थापित किया गया ।
4. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा “हिज मैजेस्टी इन काउन्सिल" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।
5. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा “हिज मैजेस्टी इन काउन्सिल के आदेश" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।

(1) वे प्ररूपिक दस्तावेजें जिनका अपवर्जित किया जाना [5][उच्चतम न्यायालय के] तत्समय प्रवृत्त किसी भी [1][नियम] द्वारा निर्दिष्ट हो;

(2) ऐसे कागज जिन्हें पक्षकार अपवर्जित करने के लिए सहमत हो जाएं;

(3) ऐसे लेखा या लेखाओं के प्रभाग, जिन्हें न्यायालय द्वारा इस प्रयोजन के लिए सशक्त अधिकारी अनावश्यक समझे और जिनके बारे में पक्षकारों में विनिर्दिष्ट रुप में मांग नहीं की है कि वे सम्मिलित किए जाएं तथा

(4) ऐसी अन्य दस्तावेजें जिन्हें अपवर्जित करने के लिए उच्च न्यायालय निदेश दे:

[2][परन्तु न्यायालय प्रमाणपत्र देने के समय किसी ऐसे विरोधी पक्षकार को जो उपसंजात हो, सुनने के पश्चात् विशेष कष्ट के आधार पर यह आदेश दे सकेगा कि प्रतिभूति किसी अन्य रुप में दी जाए:

परन्तु यह और कि ऐसी प्रतिभूति की प्रकृति के सम्बन्ध में प्रतिवाद करने के लिए विरोधी पक्षकार को कोई भी स्थगन नहीं दिया जाएगा ।

उच्च न्यायालय संशोधन

म. प्र. उच्च न्यायालय संशोधन– (1) निम्नानुसार उपनियम (2) को प्रतिस्थापित किया गया-

"(2) पूर्वाक्त उपनियम के खंड (क) यथावर्णित प्रतिभूति शासन या लोक अधिकारी पर ऐसे कृत्य के संबंध मे याद लाया जाता है जो उसके द्वारा पदीय क्षमता से किया जाना आशयित है जहां सरकार ने वाद की प्रतिरक्षा का परिवचन दिया है |”

1. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा “हिज मैजेस्टी इन काउन्सिल के आदेश" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।
2. 1920 के अधिनियम सं. 26 की धारा 3 द्वारा जोडा गया ।
3. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा उपनियम (2) का लोप ।

(2) उपनियम (3) को निरसित करें ।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- (1) नियम 7 (1) (क) में शब्द "प्रत्यर्थी के पूर्व शब्द" उसके सिवाए जबकि सरकार आवेदक है " शब्दों को जोड़े (20.6.1936)

(2) नियम 7 (1) के प्रथम परंतुक में आए शब्दों "प्रमाणपत्र देने के समय" के स्थान पर शब्द प्रतिभूति प्रदान करने के लिए अवधि के अवसान के पूर्व किसी समय" शब्दों को प्रतिस्थापित किया गया । (4.2.1939)

आदेश 46 नियम 7 - क

म**. प्र. उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन-** नियम 7 के उपरात निम्न नियम 7- क अंत : स्थापित किया गया-

"7- क नियम 7 (1) खण्ड (क) में यथावर्णित ऐसी किसी प्रतिभूति की अपेक्षा भारत संघ अथवा राज्य सरकार या जहाँ सरकार वाद की प्रतिरक्षा का वचनबन्ध देती है किसी लोक अधिकारी से जिसके विरुद्ध उसकी पदीय क्षमता में किए गए अभिकथित कृत्य बाबत वाद प्रस्तुत किया गया है नहीं की जाएगी

8. अपील का ग्रहण और उस पर प्रक्रिया- जहां न्यायालय को समाधानप्रद रूप में ऐसी प्रतिभूति दे दी गई है और निक्षेप कर दिया गया है वहां न्यायालय-

(क) यह घोषित करेगा कि अपील ग्रहण कर ली गई है,

(ख) उसकी सूचना प्रत्यर्थी को देगा,

(ग) उक्त अभिलेख की यथापूर्वोक्त के सिवाय शुद्ध प्रति न्यायालय की मुद्रा सहित [1][उच्चतम न्यायालय] को पारेषित करेगा, तथा

(घ) दोनों में से किसी भी पक्षकार को वाद के कागजों में से किसी भी कागज की एक या अधिक अधिप्रमाणितकृत प्रतियां उनके लिए उसके द्वारा आवेदन किए जाने पर और उनकी तैयारी में उपगत युक्तियुक्त व्ययों के संदत्त किए जाने पर देगा ।

9. प्रतिभूति के प्रतिग्रहण का प्रतिसंहरण- न्यायालय अपील के ग्रहण किए जाने के पूर्व किसी भी समय हेतुक दर्शित किए जाने पर किसी ऐसी प्रतिभूति के प्रतिग्रहण का प्रतिसंहरण कर सकेगा और उसके बारे में अतिरिक्त निदेश दे सकेगा ।

1. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा “हिज मैजेस्टी इन काउसिल" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।
2. 1920 के अधिनियम सं. 26 की धारा 4 द्वारा अन्त: स्थापित किया गया ।

[2]**[9क मृत पक्षकारों की दशा में सूचना दिए जाने से अभिमुक्ति देने की शक्ति-** इन नियमों की किसी भी बात के बारे में जो विरो धी प क्षकार या प्रत्यर्थी पर किसी भी सूचना की तामील या किसी सूचना का उसे दिया जाना अपेक्षित करती है यह नहीं समझा जाएगा कि वह मृत विरोधी पक्षकार या मृत प्रत्यर्थी के विधिक प्रतिनिधि पर किसी सूचना की तामील या उसे ऐसी किसी सूचना का दिया जाना उस

दशा में भी अपेक्षित करती है जिसमें ऐसा विरोधी पक्षकार या प्रत्यर्थी उस न्यायालय में जिसकी डिक्री परिवादित है, सुनवाई के समय या उस न्यायालय की डिक्री से पश्चात्‌वर्ती किन्हीं कार्यवाहियों में उपसंजात नहीं हुआ है :

परन्तु नियम 3 के उपनियम (2) के अधीन और नियम 8 के अधीन सूचनाएं उस जिले के न्यायाधीश के न्याय-सदन में जिस जिले में वाद मूलत: लाया गया था, किसी सहज-दृश्य स्थान में लगा कर दी जाएगी और ऐसे समाचार पत्रों में जो न्यायालय निदिष्ट करे, प्रकाशन द्‌वारा दी जाएंगी ।

10. अतिरिक्त प्रतिभूति या संदाय का आदेश देने की शक्ति- जहां अपील के ग्रहण किए जाने के पश्चात्‌ किन्तु यथापूर्वोक्त के सिवाय अभिलेख की प्रति [1][उच्चतम न्यायालय] को पारेषित किए जाने के पूर्व किसी भी समय ऐसी प्रतिभूति अपर्याप्त प्रतीत हो,

अथवा यथापूर्वोक्त के सिवाय अभिलेख के अनुवाद कराने, अनुलिपि कराने, मुद्रण, अणुकमणिका तैयार करने या उसकी प्रति का पारेषण करने के प्रयोजन के लिए अतिरिक्त सदाय अपेक्षित हो,

वहां न्यायालय अपीलार्थी को आदेश दे सकेगा कि वह अन्य और पर्याप्त प्रतिभूति उस समय के भीतर दे जो न्यायालय द्‌वारा नियत किया जाएगा या उतने ही समय के भीतर वह संदाय करे जो अपेक्षित है ।

1. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्‌वारा “हिज मैजेस्टी इन काउंसिल" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।

11. आदेश का अनुपालन करने में असफलता का प्रभाव- जहां अपीलार्थी ऐसे आदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है वहां कार्यवाहियां रोक दी जाएंगी,

और अपील में [1][उच्चतम न्यायालय] के इस निमित्त आदेश के बिना आगे कार्यवाही नहीं की जाएगी और जिस डिक्री की अपील की गई है उसका निष्पादन इस बीच नहीं रोका जाएगा ।

12. निक्षेप की बाकी की वापसी- जब यथापूर्वोक्त के सिवाय अभिलेख की प्रति [2][उच्चतम न्यायालय] को पारेषित कर दी गई है तब अपीलार्थी नियम 7 के अधीन उसके द्‌वारा निक्षेप की गई रकम की बाकी को, यदि कोई हो, वापस ले सकेगा ।

13. अपील लंबित रहने तक न्यायालय की शक्तियाँ- (1) जब तक न्यायालय अन्यथा निदिष्ट न करे तब तक उस डिक्री का जिसकी अपील की गई है, बिना शर्त निष्पादन किसी अपील के ग्रहण के लिए प्रमाण पत्र के दे दिए जाने पर भी किया जाएगा ।

(2) यदि न्यायालय ठीक समझे तो वह ऐसे विशेष हेतुक से जो वाद में हितबद्‌ध किसी पक्षकार द्‌वारा दर्शित किया गया हो या न्यायालय को अन्यथा प्रतीत हुआ हो-

(क) विवादग्रस्त किसी भी जंगम सम्पत्ति को या उसके किसी भी भाग को परिबद्‌ध कर सकेगा, अथवा

(ख) प्रत्यर्थी से ऐसी प्रतिभूति लेकर जो न्यायालय किसी ऐसे आदेश के सम्यक पालन के लिए ठीक समझे जो [3][उच्चतम न्यायालय] अपील में करे, उस डिक्री का जिसकी अपील की गई है, निष्पादन अनुज्ञात कर सकेगा, अथवा

(ग) अपीलार्थी से ऐसी प्रतिभूति लेकर जो उस डिक्री के जिसकी अपील की गई है या ऐसी [4][किसी डिक्री या आदेश] के जो उच्चतम न्यायालय अपील में करे, सम्यक् पालन के लिए न्यायालय ठीक समझे उस डिक्री का जिसकी अपील की गई है, निष्पादन रोक सकेगा, अथवा

(घ) न्यायालय की सहायता मांगने वाले किसी भी पक्षकार पर ऐसी शर्तों का अधिरोपण या अपील की विषय-वस्तु के बारे में ऐसे निदेश जो न्यायालय ठीक समझे, रिसीवर की नियुक्ति द्वारा या अन्यथा कर सकेगा ।

1. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "हिज मैजेस्टी इन काउंसिल" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।
2. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "हिज मैजेस्टी इन काउंसिल" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।
3. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "हिज मैजेस्टी इन काउसिल" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।
4. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "किसी आदेश" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।
5. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "हिज मैजेस्टी इन काउसिल" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।

14. अपर्याप्त पाए जाने पर प्रतिभूति का बढ़ाया जाना- (1) जहां दोनों में से किसी भी पक्षकार द्वारा दी गई, प्रतिभूति अपील के लंबित रहने के दौरान में किसी भी समय अपर्याप्त प्रतीत हो वहा न्यायालय दूसरे पक्षकार के आवेदन पर अतिरिक्त प्रतिभूति अपेक्षित कर सकेगा ।

(2) न्यायालय द्वारा यथा अपेक्षित अतिरिक्त प्रतिभूति के दिए जाने में व्यतिक्रम होने पर-

(क) उस दशा में जिसमें मूल प्रतिभूति अपीलार्थी द्वारा दी गई थी, न्यायालय उस डिक्री का जिसकी अपील की गई है, निष्पादन प्रत्यर्थी के आवेदन पर ऐसे कर सकेगा मानो अपीलार्थी ने ऐसी प्रतिभूति न दी हो;

(ख) उस दशा में जिसमें मूल प्रतिभूति प्रत्यर्थी द्वारा दी गई थी, न्यायालय डिक्री का अतिरिक्त निष्पादन जहां तक संभव हो सके, रोक देगा और पक्षकारों को उसी स्थिति में ले आएगा जिसमें वे उस समय थे जब वह प्रतिभूति दी गई थी जो अपर्याप्त प्रतीत होती है या अपील की विषय-वस्तु की बाबत ऐसा निदेश देगा जो वह ठीक समझे ।

15. उच्चतम न्यायालय के आदेशों को प्रवृत्त कराने की प्रक्रिया- (1) जो कोई [1][उच्चतम न्यायालय] की [2][किसी डिक्री या आदेश] का निष्पादन कराना चाहता है वह उस डिक्री की जो अपील में पारित की गई थी या उस आदेश की जो अपील में किया गया था, और जिसका निष्पादन चाहा गया है, प्रमाणित प्रति के सहित अर्जी द्वारा उस न्यायालय से आवेदन करेगा जिसकी अपील [3][उच्चतम न्यायालय] में की गई थी ।

(2) ऐसा न्यायालय, [4][उच्चतम न्यायालय] की [5][डिक्री या आदेश] को उस न्यायालय को पारेषित करेगा जिसने वह पहली डिक्री जिसकी अपील की गई है, पारित की थी या ऐसे अन्य न्यायालय को पारेषित करेगा जो [6][उच्चतम न्यायालय] ऐसी [7][डिक्री या आदेश] द्वारा निदिष्ट करे और (दोनों पक्षकारों में से किसी भी पक्षकार के आवेदन पर) ऐसे निदेश देगा जो उसके निष्पादन के लिए अपेक्षित हों और वह न्यायालय जिसे उक्त डिक्री या आदेश] ऐसे पारेषित किया गया हैर तदनुसार उसका निष्पादन उस रीति से और उन उपबंधों के अनुसार करेगा जो उसकी अपनी मूल डिक्रियों के निष्पादन को लागू होते हैं ।

[9]* * * * *

[10][(4) [11][जब तक कि उच्चतम न्यायालय अन्यथा निदेश न दे उस न्यायालय की कोई भी डिक्री या आदेश इस आधार पर अप्रवर्तनीय न होगा कि किसी मृत विरोधी पक्षकार या मृत प्रत्यर्थी के विधिक प्रतिनिधि पर किसी ऐसे मामले में जिसमें ऐसा विरोधी पक्षकार या प्रत्यर्थी सुनवाई के समय उस न्यायालय में जिसकी डिक्री परिवादित है या उस न्यायालय की डिक्री की पश्चात्वर्ती किन्हीं भी कार्यवाहियों में उपसंजात नहीं हुआ था, किसी सूचना की तामील नहीं की गई थी या उसे ऐसी सूचना नहीं दी गई थी किन्तु ऐसे आदेश का वही बल और प्रभाव होगा मानो वह आदेश मृत्यु होने से पूर्व दिया गया हो ।]

1. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा “हिज मैजेस्टी इन काउसिल" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।
2. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "किसी आदेश" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।
3. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा “हिज मैजेस्टी" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।
4. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा “हिज मैजेस्टी इन कांउसिल" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।
5. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "आदेश" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।
6. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा “हिज मैजेस्टी इन कांउसिल" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।
7. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "आदेश" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।
8. विधि अनुकूलन आदेश, 1960 द्वारा "आदेश" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।
9. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा उपनियम (3) का लोप ।
10. 1920 के अधिनियम सं. 26 की धारा 5 द्वारा अतःस्थापित किया गया ।
11. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "जब तक कि हिज मैजेस्टी इन कांउसिल अन्यथा निदेश न दे, हिज मैजेस्टी इन कांउसिल का कोई आदेश" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।

उच्च न्यायालय संशोधन

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन(7.4.1928)- नियम 15(1) के स्थान पर इस संशोधन के द्वारा निम्न नियम 15(1) प्रतिस्थापित किया गया-

“(1) जो कोई-

(क) उच्चतम न्यायालय की किसी डिक्री या आदेश का निष्पादन कराना चाहता है, अथवा जहाँ

चलाए जाने के अभाव में उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील को निरस्त कर दिया गया है, वहाँ उस न्यायालय की कार्यवाही समाप्त कर खर्चों को अवधारित करते हुए आदेश जिससे उच्चतम न्यायालय को अपील प्रस्तुत की गई थी, को निष्पादित कराना चाहता है तो वह उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई डिक्री या आदेश जिसका निष्पादन चाहा जाता है या जिसको प्रभाव दिया जाना है की प्रमाणित प्रतिलिपि व भारत में उपगत सभी खर्चों का ज्ञापन जिनका उनके अनुसरण में दावा किया गया है देते हुए उक्त न्यायालय में आवेदन करेगा ।"

16. निष्पादन संबंधी आदेश की अपील- [1][उच्चतम न्यायालय] की [2][डिक्री या आदेश] का निष्पादन जो न्यायालय करता है उस न्यायालय द्वारा ऐसे निष्पादन के संबंध में किए गए आदेश उसी रीति से और उन्हीं नियमों के अधीन अपीलनीय होंगे जिस रीति से और जिसके अधीन उस न्यायालय की अपनी डिक्रियों के निष्पादन संबंधी आदेश अपीलनीय होते हैं ।

उच्च न्यायालय संशोधन

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- अधिसूचना क्रमांक 3922/(डी) 107 दिनांक 14.8.1948 के द्वारा आदेश 45 नियम 16 के उपरांत निम्न नवीन नियम 17 जोडा गया-

"17. नियम 15 के उपनियम (1) व (2) के उपबंध और नियम 16 के उपबंध उच्च न्यायालय से अपीलों में उच्चतम न्यायालय द्वारा कॉस्ट के लिए पारित डिक्री या आदेशों का निष्पादन यथा परिवर्तन लागू होंगे ।"

म.प्र. उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- अधिसूचना क्रमांक 3409 दिनांक 20.6.1943 के द्वारा आदेश नियम 16 के उपरांत नियम 17 और जोडा गया है । यह इस प्रकार है---

"17. नियम 15 के उपनियम (1) और (2) के उपबंध व नियम 16 के उपबंध, यथाशक्य परिवर्तन सहित, की गई घोषणा या आदेश के अनुसार, उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय में की गई अपील में उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित करें के आदेशों या डिक्री के निष्पादन में लागू होंगे ।"

1. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा “हिज मैजेस्टी इन काउंसिल" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।
2. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "किसी आदेश" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।

[1][17 फेडरल न्यायालय में अपील ।] - फेडरल न्यायालय अधिनियम, 1941 (1941 का 21) की धारा 2 द्वारा निरसित ।

आदेश 46
निर्देश

1. उच्च न्यायालय को प्रश्न का निर्देश- जहां ऐसे वाद या अपील की जिसमें डिक्री की अपील नहीं

होती, सुनवाई के पूर्व या सुनवाई में अथवा जहां किसी ऐसी डिक्री के निष्पादन में किसी विधि का या विधि का बल रखने वाली प्रथा का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न होता है जिसके बारे में वह न्यायालय जो वाद या अपील का विचारण कर रहा है या डिक्री का निष्पादन कर रहा है, युक्तियुक्त शंका रखता है वहा वह न्यायालय स्वप्रेरणा से या पक्षकारों में से किसी के आवेदन पर, मामले के तथ्यों का और उस विषय-बिन्दु का जिसके बारे में शंका है, कथन तैयार कर सकेगा और ऐसे कथन को उस विषय-बिन्दु के बारे में अपनी राय के सहित उच्च न्यायालय के विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट कर सकेगा ।

2. न्यायालय ऐसी डिक्री पारित कर सकेगा जो उच्च न्यायालय के विनिश्चय पर समाश्रित है- न्यायालय कार्यवाहियों को रोक सकेगा या ऐसे निर्देश के किए जाने पर भी मामले में अग्रसर हो सकेगा और उच्च न्यायालय को निर्दिष्ट किए गए विषय-बिन्दु के विनिश्चय पर समाश्रित डिक्री पारित कर सकेगा या आदेश कर सकेगा;

किन्तु किसी भी ऐसे मामले में जिसमें ऐसा निर्देश किया गया है, कोई भी डिक्री या आदेश निष्पादित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस निर्देश पर उच्च न्यायालय के निर्णय की प्रति प्राप्त न हो जाए ।

1. भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा अंतःस्थापित किया गया ।

3. उच्च न्यायालय का निर्णय पारेषित किया जाएगा और मामला तदनुसार निपटाया जाएगा- यदि पक्षकार उपसंजात हों और सुनवाई की वांछा करें तो उच्च न्यायालय उन्हें सुनने के पश्चात् इस प्रकार निर्दिष्ट किए गए विषय-बिन्दु का विनिश्चय करेगा और अपने निर्णय की रजिस्ट्रार द्वारा हस्ताक्षरित प्रति उस न्यायालय को पारेषित करेगा जिसने निर्देश किया था और ऐसा न्यायालय उसकी प्राप्ति पर उस मामले को उच्च न्यायालय के विनिश्चय के अनुरूप निपटाने के लिए अग्रसर होगा ।

4. उच्च न्यायालय को किए गए निर्देश के खर्चे- उच्च न्यायालय के विनिश्चय के लिए किए गए निर्देश के परिणामस्वरुप खर्चे (यदि कोई हों) मामले के खर्चे होंगे ।

[1]**[4क. धारा 113 के परंतुक के अधीन उच्च न्यायालय को निर्देश-** न्यायालय द्वारा धारा 113 के परंतुक के अधीन किए गए किसी भी निर्देश को नियम 2, नियम 3 और नियम 4 के उपबंध वैसे ही लागू होंगे जैसे वे नियम 1 के अधीन किए गए निर्देश को लागू होते हैं ।

5. निर्देश करने वाले न्यायालय की डिक्री को परिवर्तित करने आदि की शक्ति- जहां उच्च न्यायालय को किसी मामले का निर्देश नियम 1 के अधीन [2][या धारा 113 के परन्तुक के अधीन किया जाता है वहां उच्च न्यायालय मामले को संशोधन के लिए लौटा सकेगा और किसी ऐसी डिक्री या आदेश को परिवर्तित, रद्द या अपास्त कर सकेगा जिसे निर्देश करने वाले न्यायालय ने उस मामले में किया है या पारित किया है जिसमें से निर्देश उठा था और ऐसा आदेश कर सकेगा जो वह ठीक समझे ।

6. लघुवादों में अधिकारिता सम्बन्धी प्रश्नों को उच्च न्यायालय को निर्देशित करने की शक्ति- (1) जहां निर्णय के पूर्व किसी भी समय वह न्यायालय जिसमें वाद संस्थित किया गया है यह शंका करता है कि क्या वह वाद लघुवाद न्यायालय द्वारा संज्ञेय है या इस प्रकार संज्ञेय नहीं है वहां वह वाद की प्रकृति के बारे में शंका के लिए अपने कारणों के कथन सहित अभिलेख को उच्च न्यायालय को निवेदित कर सकेगा ।

1. 1951 के अधिनियम सं. 24 की धारा 2 द्वारा अतःस्थापित किया गया ।
2. 1951 के अधिनियम सं. 24 की धारा 2 द्वारा अतःस्थापित किया गया ।

(2) अभिलेख और कथन के प्राप्त होने पर, उच्च न्यायालय उस न्यायालय को वाद मे अग्रसर होने के लिए या वादपत्र के ऐसे अन्य न्यायालय में उपस्थित किए जाने के लिए जिसके बारे में वह अपने आदेश द्वारा घोषित करे कि वह न्यायालय वाद का संज्ञान करने के लिए स क्षम है लौटाने के लिए आदेश दे सकेगा ।

7. लघुवादों में अधिकारिता सम्बन्धी भूल के अधीन की गई कार्यवाहियों को पुनरीक्षण के लिए निवेदित करने की जिला न्यायालय की शक्ति- (1) जहां जिला न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि उसका अधीनस्थ न्यायालय यह गलत धारणा करने के कारण कि वाद लघुवाद न्यायालय द्वारा संज्ञेय है या इस प्रकार संज्ञेय नहीं है अपने में विधि द्वारा निहित की गई अधिकारिता का प्रयोग करने में असफल रहा है या इस प्रकार निहित न की गई अधिकारिता का प्रयोग कर चुका है वहां जिला न्यायालय उस बारे में कि वाद की प्रकृति की बाबत अधीनस्थ न्यायालय की राय गलत है अपने कारणों के कथन सहित अभिलेख को उच्च न्यायालय को निवेदित कर सकेगा और यदि पक्षकार द्वारा अपेक्षित किया जाए तो निवेदित करेगा ।

(2) अभिलेख और कथन की प्राप्ति पर उच्च न्यायालय मामले में ऐसा आदेश कर सकेगा जो वह ठीक समझे ।

(3) ऐसे मामले में जो उच्च न्यायालय को इस नियम के अधीन निवेदित किया गया है डिक्री की पश्चात्वर्ती किन्हीं भी कार्यवाहियों के बारे में उच्च न्यायालय ऐसा आदेश कर सकेगा जो परिस्थितियों में उसे न्यायसंगत और उचित प्रतीत हों ।

(4) जिला न्यायालय का अधिनस्थ न्यायालय ऐसी अध्यपेक्षा का अनुपालन करेगा जो जिला न्यायालय इस नियम के प्रयोजनों के लिए किसी अभिलेख या जानकारी के लिए करे ।

आदेश 46 नियम 8

इलाहाबाद उच्च न्यायालय दारा संशोधन(1.6.1918)- आदेश 46 नियम 7 के उपरांत नियम 8 के रूपमे इसे जोड़ा गया-

"8. आदेश 41 का नियम 38 यथाशक्य इस आदेश के अतर्गत कार्यवाही को प्रयोज्य होगा ।"

आदेश 47
पुनर्विलोकन

1. निर्णय के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन- (1) जो कोई व्यक्ति-

(क) किसी ऐसी डिक्री या आदेश से जिसकी अपील अनुज्ञात है किन्तु जिसकी कोई अपील नहीं की गई है,

(ख) किसी ऐसी डिक्री या आदेश से जिसकी अपील अनुज्ञात नहीं है, अथवा

(ग) लघुवाद न्यायालय द्वारा किए गए निर्देश पर विनिश्चय से,

अपने को व्यथित समझता है और जो ऐसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य के पता चलने से जो सम्यक् तत्परता के प्रयोग के पश्चात् उस समय जब डिक्री पारित की गई थी या आदेश किया गया था, उसके ज्ञान में नहीं था या उसके द्वारा पेश नहीं किया जा सकता था, या किसी भूल या गलती के कारण जो अभिलेख के देखने से ही प्रकट होती हो या किसी अन्य पर्याप्त कारण से वह चाहता है कि उसके विरुद्ध पारित डिक्री या किए गए आदेश का पुनर्विलोकन किया जाए वह उस न्यायालय से निर्णय के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन कर सकेगा जिसने वह डिक्री पारित की थी या वह आदेश किया था ।

(2) वह पक्षकार जो डिक्री या आदेश की अपील नहीं कर रहा है, निर्णय के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन इस बात के होते हुए भी कि किसी अन्य पक्षकार द्वारा की गई अपील लंबित है वहां के सिवाय कर सकेगा जहां ऐसी अपील का आधार आवेदक और अपीलार्थी दोनों के बीच सामान्य है या जहां प्रत्यर्थी होते हुए वह अपील न्यायालय में वह मामला उपस्थित कर सकता है जिसके आधार पर वह पुनर्विलोकन के लिए आवेदन करता है ।

[1][(**स्पष्टीकरण-** यह तथ्य कि किसी विधि-प्रश्न का विनिश्चय जिस पर न्यायालय का निर्णय आधारित है, किसी अन्य मामले में वरिष्ठ न्यायालय के पश्चात्वर्ती विनिश्चय द्वारा उलट दिया गया है या उपान्तरित कर दिया गया है, उस निर्णय के पुनर्विलोकन के लिए आधार नहीं होगा ।

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 92 द्वारा (1.2.1977 से) अन्त: स्थापित किया गया ।

उच्च न्यायालय संशोधन

पटना उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन (5.12.1973)-- 1958 के संशोधन द्वारा जोडे गए शब्दों "अथवा सम्यक तत्परता के बावजूद भी, न्यायालय द्वारा अनुज्ञान समय के भीतर भुगतान न करने पर" को लुप्त किया गया |

2. [पुनर्विलोकन के लिए आवेदन किसको किए जाएंगे]- सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम, 1956 (1956 का 66) की धारा 14 द्वारा निरसित ।

3. पुनर्विलोकन के आवेदनों का प्ररूप- वे उपबन्ध जो अपील करने के प्ररूप के बारे में हैं, पुनर्विलोकन के आवेदनों को यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे ।

4. आवेदन कब नामंजूर किया जाएगा- (1) जहां न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि पुनर्विलोकन के लिए पर्याप्त आधार नहीं है वहां वह आवेदन को नामंजूर कर देगा ।

(2) आवेदन कब मंजूर किया जाएगा- जहां न्यायालय की राय है कि पुनर्विलोकन के लिए आवेदन

मंजूर किया जाना चाहिए वहां वह उसे मंजूर करेगा :

परन्तु-

(क) ऐसा कोई भी आवेदन विरोधी पक्षकार को ऐसी पूर्ववर्ती सूचना दिए बिना मंजूर नहीं किया जाएगा जिससे वह उपसंजात होने और उस डिक्री या आदेश के जिसके पुनर्विलोकन के लिए आवेदन किया गया है, समर्थन में सुने जाने के लिए समर्थ हो जाएं; तथा

(ख) ऐसा कोई भी आवेदन ऐसी नई बात या साक्ष्य के पता चलने के आधार पर जिसके बारे में आवेदक अभिकथन करता है, कि वह उस समय जब डिक्री पारित की गई थी या आदेश किया गया था, उसके ज्ञान में नहीं थी या उसके द्वारा पेश नहीं किया जा सकता था, ऐसे अभिकथन के पूर्ण सबूत के बिना मंजूर नहीं किया जाएगा ।

5. दो या अधिक न्यायाधीशों से गठित न्यायालय में पुनर्विलोकन का आवेदन- जहां वह न्यायाधीश या वे न्यायाधीश या उन न्यायाधीशों में से कोई एक, जिसने या जिन्होंने वह डिक्री पारित की थी या आदेश किया था जिसके पुनर्विलोकन के लिए आवेदन किया गया है, उस न्यायालय में उस समय नियुक्त है या हैं जब कि पुनर्विलोकन के लिए आवेदन उपस्थित किया जाता है और आवेदन से अगले छह मास की अवधि तक उस डिक्री या आदेश पर विचार करने से जिसके बारे में वह आवेदन है, अनुपस्थिति या अन्य हेतुक से प्रवारित नहीं है या नहीं हैं वहां ऐसा न्यायाधीश या ऐसे न्यायाधीश या उनमें से कोई भी उस आवेदन को सुनेगा या सुनेंगे और उस न्यायालय का या के कोई भी अन्य न्यायाधीश उसे नहीं सुनेगा या नहीं सुनेंगे ।

6. आवेदन कब नामंजूर किया जाएगा- (1) जहां पुनर्विलोकन का आवेदन एक से अधिक न्यायाधीशों द्वारा सुना जाता है और न्यायालय राय में बराबर बंटा हो वहां आवेदन नामंजूर किया जाएगा ।

(2) जहां बहुमत है वहा विनिश्चय बहुमत की राय के अनुसार होगा ।

7. नामंजूरी का आदेश अपीलनीय न होगा । आवेदन की मंजूरी के आदेश पर आक्षेप- [1][(1) आवेदन को नामंजूर करने वाले न्यायालय का आदेश अपीलनीय नहीं होगा; किन्तु आवेदन मंजूर करने वाले आदेश पर आक्षेप, आवेदन मंजूर करने वाले आदेश की अपील द्वारा या वाद में अन्तिम रुप से पारित डिक्री या किए गए आदेश के अपील में, तुरन्त किया जा सकेगा ।

(2) जहां आवेदन, आवेदक के उपसंजात होने में असफल रहने के परिणामस्वरुप नामंजूर कर दिया गया है, वहां वह नामंजूर किए गए आवेदन को फाइल पर लाए जाने के आदेश के लिए आवेदन कर सकेगा और जहा न्यायालय को समाधानप्रद रुप में यह साबित कर दिया जाता है कि आवेदक उस समय जब ऐसे आवेदन की सुनवाई के लिए पुकार हुई थी, उपसंजात होने से किसी पर्याप्त हेतुक द्वारा निवारित हो गया था वहा न्यायालय खर्चों सम्बन्धी ऐसे निबन्धनों पर या अन्यथा जो वह ठीक समझे, उसके फाइल पर लाए जाने का आदेश करेगा और उसकी सुनवाई के लिए दिन नियत करेगा ।

(3) जब तक आवेदन की सूचना की तामील विरोधी पक्षकार पर न हो गई हो कोई भी आदेश उपनियम (2) के अधीन नहीं किया जाएगा ।

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 92 दारा (1.2.1977 से) उपनियम (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।

8. मंजूर किए गए आवेदन का रजिस्टर में चढ़ाया जाना और फिर से सुनवाई के लिए आदेश- यदि पुनर्विलोकन का आवेदन मंजूर कर लिया जाता है तो उसका टिप्पण रजिस्टर में किया जाएगा और न्यायालय मामले को तुरन्त फिर सुन सकेगा या फिर से सुनवाई के बारे में ऐसा आदेश कर सकेगा जो वह ठीक समझे ।

9. कुछ आवेदनों का वर्जन- पुनर्विलोकन के आवेदन पर किए गए आदेश के या पुनर्विलोकन में पारित डिक्री या किए गए आदेश के पुनर्विलोकन के लिए कोई भी आवेदन ग्रहण नहीं किया जाएगा ।

आदेश 47 नियम 10

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन- आदेश 47 के अंत में निम्न नियम 10 को अंतःस्थापित किया गया-

"10. आदेश 41 नियम 38 के प्रावधान यथाशक्य इस आदेश के अंतर्गत कार्यवाही को प्रयोज्य होंगे"

आदेश 48

प्रकीर्ण

1. आदेशिका की तामील उसे निकलवाने वाले पक्षकार के व्यय पर की जाएगी- (1) जब तक कि न्यायालय अन्यथा निर्दिष्ट न करे इस संहिता के अधीन निकाली गई हर आदेशिका की तामील उस पक्षकार के व्यय पर की जाएगी जिसकी ओर से वह निकाली गई है ।

(2) तामील के खर्चे- ऐसी तामील के लिए प्रभार्य न्यायालय-फीस उस समय के भीतर संदत्त की जाएगी जो आदेशिका के निकाले जाने के पूर्व नियत किया जाएगा ।

उच्च न्यायालय संशोधन

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन (24.7.1926)-- नियम 1 के खण्ड (1) के आरंभ मे शब्दों "आदेश 4, नियम 1(2) में यथाप्रावधानित के सिवाए" को अंतःस्थापित किया गया ।

2. आदेशों और सूचनाओं की तामील कैसे की जाएगी- उन सभी आदेशों, सूचनाओं और अन्य दस्तावेजों की तामील जिनका किसी व्यक्ति को दिया जाना या किसी व्यक्ति पर तामील किया जाना इस संहिता द्वारा अपेक्षित है, उस रीति से की जाएगी जो समन की तामील के लिए उपबन्धित है ।

3. परिशिष्टों में दिए गए प्ररुपों का उपयोग- परिशिष्टों में दिए गए प्ररूप ऐसे फेरफार सहित जो हर एक मामले में परिस्थितियों से अपेक्षित हों, उन प्रयोजनों के लिए जो उसमें वर्णित है, उपयोग में लाए जाएंगे ।

आदेश

चार्टरित उच्च न्यायालय

1. उच्च न्यायालयों की आदेशिकाओं की तामील कौन कर सकेगा- प्रतिवादियों को समन, निष्पादन-

रिटों और प्रत्यर्थियों को दी जाने वाली सूचनाओं को छोड़कर दस्तावेजों को पेश करने के लिए निकाली गई सूचना की, उन समनों की जो साक्षियों को हों और हर अन्य न्यायिक आदेशिका की जो उच्च न्यायालय की आरम्भिक सिविल अधिकारिता के और उसकी विवाह विषयक, वसीयतीय और निर्वरनीयतीय अधिकारिता के प्रयोग में निकाले गए हैं या निकाली गई हैं, तामील वादों में अटर्नियों द्वारा या उनके द्वारा नियोजित व्यक्तियों द्वारा या ऐसे अन्य व्यक्तियों द्वारा की जा सकेगी जो उच्च न्यायालय किसी नियम या आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे ।

2. चार्टरित उच्च न्यायालयों के बारे में व्यावृत्ति- इस की किसी भी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह चार्टरित उच्च न्यायालय द्वारा साक्ष्य के लिए जाने के या निर्णयों और आदेशों के अभिलिखित किए जाने के ऐसे किन्हीं भी नियमों को जो इस संहिता के प्रारम्भ पर प्रवृत्त थे, परिसीमित या अन्यथा प्रभावित करती है ।

3. नियमों का लागू होना- किसी भी चार्टरित उच्च न्यायालय को उसकी मामूली या गैर-मामूली आरम्भिक सिविल अधिकारिता का प्रयोग करने में निम्नलिखित नियम लागू होंगे, अर्थात्-

(1) आदेश 7 के नियम 10 और नियम 11 के खण्ड (ख) और खण्ड (ग);

(2) आदेश 10 का नियम 3;

(3) 16 का नियम 2;

(4) आदेश 18 के नियम 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 और 16 (जहां तक वे साक्ष्य लेने की रीति से सम्बन्धित है);

(5) आदेश 20 के नियम 1 से 8 तक के नियम; तथा

(6) आदेश 33 का नियम 7 (जहां तक वह ज्ञापन बनाने से सम्बन्धित है);

और आदेश 41 का नियम 35 उसकी अपीली अधिकारिता के प्रयोग में किसी भी ऐसे उच्च न्यायालय को लागू नहीं होगा ।

आदेश 50

प्रान्तीय लघुवाद न्यायालय

1. प्रान्तीय लघुवाद न्यायालय- इसमें इसके पश्चात् विनिर्दिष्ट उपबन्धों का विस्तार प्रान्तीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम, 1887 (1887 का 9) [1][या बरार लघुवाद न्यायालय विधि 1905 के अधीन] गठित न्यायालयों पर या [2][उक्त अधिनियम या विधि के अधीन] लघुवाद न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने वाले न्यायालयों पर [3][या [4][भारत के किसी भी भाग] में [5][जिस पर उक्त अधिनियम का विस्तार नहीं है,] समरुपी अधिकारिता का प्रयोग करने वाले न्यायालयों पर नहीं होगा अर्थात् : -

(क) इस अनुसूची का उतना भाग जितना-

(i) लघुवाद न्यायालय के संज्ञान से अपवादित वादों से या वैसे वादों की डिक्रियों के निष्पादन से,

(ii) स्थावर सम्पत्ति के विरुद्ध डिक्रियों के निष्पादन से या भागीदारी सम्पत्ति के किसी भागीदार के हित से;

(iii) विवाघकों के स्थिरीकरण से,

सम्बन्धित है; तथा

(ख) निम्नलिखित नियम और आदेश : -

आदेश 2 का नियम 1 (वाद की विरचना);

आदेश 10 का नियम 3 (पक्षकारों की परीक्षा का अभिलेख);

आदेश 15 नियम 4 के उतने भाग के सिवाय जितना निर्णय के तुरन्त सुनाएं जाने के लिए उपबन्ध करता है

आदेश 18 के नियम 5 से लेकर 12 तक के नियम (साक्ष्य);

आदेश 41 से लेकर 45 तक के आदेश (अपीलें);

आदेश 47 के नियम 2, 3, 5, 6, 7 (पुनर्विलोकन),

आदेश 51

1. 1941 के अधिनियम सं. 4 की धारा 2 और अनुसूची 3 द्वारा अन्त: स्थापित किया गया ।
2. 1941 के अधिनियम सं. 4 की धारा 2 और अनुसूची 3 द्वारा "उक्त अधिनियम के अधीन" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।
3. 1951 के अधिनियम सं. 2 की धारा 18 द्वारा अन्त: स्थापित किया गया ।
4. विधि अनुकूलन (सं. 2) आदेश, 1953 द्वारा "भाग ख राज्यों" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया |
5. विधि अनुकूलन (सं. 2) आदेश 1953 द्वारा "भाग ख राज्यों" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।

आदेश 51

राज्य संशोधन

उत्तर प्रदेश राज्य संशोधन (20.9.1972)- उत्तर प्रदेश मे इस संशोधन के द्वारा नियम 1 के खण्ड (ख) के शब्दो "निर्णय के तुरंत सुनाए जाने के लिए उपबंध करता है" के उपरांत "और नियम 5" को अंतःस्थापित किया गया ।

आदेश 51

प्रेसिडेन्सी लघुवाद न्यायालय

1. प्रेसिडेन्सी लघुवाद न्यायालय- आदेश 5 के नियम 22 और नियम 23, आदेश 21 के नियम 4 और नियम 7 और आदेश 26 के नियम 4 में और प्रेसिडेनरी लघुवाद न्यायालय अधिनियम, 1882 (1882 का 15) द्वारा तथा उपबन्धित के सिवाय, इस अनुसूची का विस्तार कलकत्ता, मद्रास और मुम्बई नगरों में स्थापित किसी भी लघुवाद न्यायालय में के किसी भी वाद या कार्यवाही पर नहीं होगा ।

उच्च न्यायालय संशोधन

आदेश 52

इलाहाबाद उच्च न्यायालय संशोधन- निम्न को आदेश 52 (1) रुप में अंतःस्थापित किया गया -

"आदेश 52 (1)- आदेश 41 का नियम 38 संहिता की 115 की कार्यवाहियों को यथाशक्य प्रयोज्य होगा ।"

(1) वादों के शीर्षक

.... के न्यायालय में **क ख** (वर्णन और निवास-स्थान भी लिखिए)............................ वादी

बनाम

ग घ (वर्णन और निवास-स्थान भी लिखिए).......... प्रतिवादी ।

(2) विशिष्ट मामलों में पक्षकारों का वर्णन

[1][यथास्थिति, भारत संघ या................ राज्य |]

.... का महाधिवक्ता

....का कलक्टर

.... राज्य ।

क ख कम्पनी, लिमिटेड, जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय............. में है ।

ग घ कम्पनी का लोक अधिकारी **क ख** ।

क ख (वर्णन और निवास-स्थान भी लिखिए) अपनी ओर से और मृत **ग घ** (वर्णन और निवास-स्थान भी लिखिए) के सब अन्य लेनदारों कीं ओर से ।

क ख (वर्णन और निवास-स्थान भी लिखिए) अपनी ओर से और.......................... कम्पनी लिमिटेड द्वारा पुरोधृत डिबेन्चरों के अन्य सब धारकों की ओर से ।

शासकीय रिसीवर ।

क ख, अवयस्क (वर्णन और निवास- स्थान भी लिखिए अपने मित्र **ग घ** द्वारा (या प्रतिपाल्य अधिकरण द्वारा) ।

क ख (वर्णन और निवास-स्थान भी लिखिए), विकृतचित्त (या दुर्बल चित्त) व्यक्ति, अपने वाद-मित्र **ग घ** द्वारा ।

क ख, में भागीदार में कारबार करने वाली फर्म ।

क ख (वर्णन और निवास-स्थान भी लिखिए) अपने नियत अटर्नी **ग घ** (वर्णन और निवास- स्थान भी लिखिए) द्वारा ।

क ख (वर्णन और निवास-स्थान भी लिखिए) ठाकुर जी का सेवायत |

क ख (वर्णन और निवास-स्थान भी लिखिए) मृतक **ग घ** का निष्पादक ।

क ख (वर्णन और निवास-स्थान भी लिखिए) मृतक **ग घ** का वारिस ।

(3) वाद पत्र

संख्यांक 1

उधार दिया गया धन

(शीर्षक)

उक्त वादी क ख यह कथन करता है कि---

1. ता0 ....को उसने प्रतिवादी को .... रुपए उधार दिए थे जो ता0 ....को प्रतिसंदेय थे ।

2. प्रतिवादियों ने................................. रूपयों के सिवाय जिनका संदाय ता0 .... को किया गया, उस रकम का संदाय नहीं किया है ।

1. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "यथास्थिति, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया या फेडरेशन ऑफ इंडिया प्रति" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[यदि वादी किसी परिसीमा विधि से छूट का दावा करता है तो लिखिए है:----]

3. वादी ता0.............................. से ता0 .... तक अवयस्क या [या उन्मत्त] था ।

4. [वे तथ्य जिनसे यह दर्शित होता है कि वाद-हेतुक कब पैदा हुआ और यह कि न्यायालय को अधिकारिता हे ।]

5. वाद की विषय वस्तु का मूल्य अधिकारिता के प्रयोजन के लिए.......................... रुपए है और न्यायालय फीस के प्रयोजन के लिए........................... रुपए है ।

6. वादी ता0 .... से प्रतिशत ब्याज सहित.................. रुपयों का दावा करता है ।

संख्यांक 2

अतिसंदत्त धन

(शीर्षक)

उक्त वादी **क ख** यह कथन करता है कि-

1. चांदी की...................... छडें.................. आने प्रति तोला परिष्कृत चांदी की दर से खरीदने के लिए वादी ने और बेचने के लिए प्रति वादी ने ता0 .... को करार किया ।

2. वादी ने उक्त छड़ों को ड: च द्वारा परखवाने के लिए उपाप्त किया; प्रतिवादी ने उस परख के लिए **ड च** को पारिश्रमिक दिया और **ङ च** ने यह घोषित किया कि हर छड में 1,500 तोले परिष्कृत चांदी है; और वादी ने प्रतिवादी को तदनुसार................ रुपयों का संदाय किया ।

3. उक्त छड़ों में से हर एक में केवल 1,200 तोले परिष्कृत चांदी थी, और जब वादी ने संदाय किया उस समय वह इस तथ्य से अनभिज्ञ था ।

4. प्रतिवादी ने इस अतिसंदन्त राशि का अभी तक प्रतिसंदाय नहीं किया है ।

[जैसा प्ररुप संख्यांक 1 के पैरा 4 और 5 में है, और वह अनुतोष जिसका दावा किया गया है|]

संख्यांक 3

नियत कीमत पर विक्रय किया गया और परिदत्त माल

(शीर्षक)

उक्त वादी **क ख** यह कथन करता है कि-

1. ता0 ....को **ड. च** ने [आटे के एक सौ बोरे या इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित माल या विविध माल प्रतिवादी को विक्रय किया और परिदत्त किया ।

2. प्रतिवादी ने उस माल के लिए................. रुपए परिदान पर [या ता0 ....को, वाद पत्र फाइल किए जाने से पहले किसी दिन देने का वचन दिया था ।

3. उसने वे रुपए अभी तक नहीं दिए हैं ।

4. **ड. च** की मृत्यु ता0.................... को हुई । अपने अंतिम विल से उसने अपने भाई अर्थात् वादी को अपना निष्पादक नियुक्त किया ।

[जैसा प्ररूप संख्यांक 1 के पैरा 4 और 5 में ।]

7. **ड. च** के निष्पादक के नाते वादी [वह अनुतोष जिसका दावा किया गया है] का दावा करता है |

संख्यांक 4

युक्तियुक्त कीमत पर विक्रय किया गया और परिदत्त माल

(शीर्षक)

उक्त वादी **क ख** यह कथन करता है कि-

1. ता0 ....को वादी ने प्रतिवादी को [घरेलू फर्नीचर की विविध वस्तुएं] विक्रय की और परिदत्त की किन्तु कीमत के बारे में कोई अभिव्यक्त करार नहीं किया गया ।

2. इस माल का युक्तियुक्त मूल्य................. रुपए था ।

3. प्रतिवादी ने इस धन का संदाय नहीं किया है ।

[जैसा प्ररुप संख्यांक 1 के पैरा 4 और 5 में है, और वह अनुतोष जिसका दावा किया गया ही |]

संख्यांक 5

प्रतिवादी की प्रार्थना पर बनाया गया, किन्तु स्वीकार न किया गया माल

(शीर्षक)

उक्त वादी **क ख** यह कथन करता है, कि---

1. ता0 .... को **ड. च** ने वादी से यह करार किया था कि वादी उसके लिए [छह मेजें और पचास कुसियाँ] बनाए और **ड: च** माल के परिदान पर उसके लिए................ रूपयों का संदाय करे ।

2. वादी ने यह माल बनाया और ता0 .... को **ड. च** को उसका परिदान करने की प्रस्थापना की, और वादी ऐसा करने के लिए तब से बराबर तैयार और रजामन्द रहा है ।

3. **ड. च** ने उस माल को स्वीकार नहीं किया है और न उसके लिए संदाय किया है ।

[जैसा प्ररुप संख्यांक 1 के पैरा 4 और 5 में है, और वह अनुतोष जिसका दावा किया गया

संख्यांक 6

[नीलाम में विक्रय किए गए माल के] पुनर्विक्रय में हुई कमी

(शीर्षक)

उक्त वादी **क ख** यह कथन करता है कि---

1. ता0 .... को वादी ने विविध [माल] इस शर्त पर नीलाम पर चढाया कि विक्रय के पश्चात् [दस दिन] भीतर क्रेता ने जिस माल के लिए संदाय नहीं किया और जिसे हटाया नहीं उस सब माल का उस क्रेता के लेखे नीलाम द्वारा पुनर्विक्रय कर दिया जाएगा, और इस शर्त की सूचना प्रतिवादी को थी ।

2. प्रतिवादी ने [चीनी के बर्तनों का एक क्रेट] उस नीलाम में....................... रुपए कीमत पर क्रय किया ।

3. प्रतिवादी को माल का परिदान करने के लिए वादी विक्रय की तारीख को और उसके पश्चात् [दस दिन] तक तैयार और रजामन्द रहा ।

4. प्रतिवादी ने जिस माल का क्रय किया उसे यह विक्रय के पश्चात् [दस दिन] के भीतर और बाद में न तो ले गया और न उसके लिए उसने संदाय किया ।

5. ता0 ....को वादी ने प्रतिवादी के लेखे उस (चीनी के बर्तनों का क्रेट] का लोक नीलाम द्वारा..................... रुपयों में पुनर्विक्रय किया ।

6. उस पुनर्विक्रय पर.................... रुपए का व्यय हुआ ।

7. ऐसे हुई................... रुपयों की कमी का संदाय प्रतिवादी ने अब तक नहीं किया है ।

[जैसा प्ररुप संख्यांक 1 के पैरा 4 और 5 में है, और वह अनुतोष जिसका दावा किया गया

संख्यांक 7

युक्तियुक्त दर पर सेवाएँ

(शीर्षक)

उक्त वादी **क ख** यह कथन करता है कि-

1. ता0 ....और ता0 .... के बीच............... में, वादी ने प्रतिवादी की प्रार्थना पर उसके लिए [विविध रेखाचित्र, रूपांकन और आरेख तैयार किए]; किन्तु इन सेवाओं के लिए दी जाने वाली राशि के बारे में कोई अभिव्यक्त करार नहीं किया गया था ।

2. इन सेवाओं का युक्तियुक्त मूल्य........................... रुपए था ।

3. प्रतिवादी ने इस धन का संदाय नहीं किया है |

[जैसा प्ररुप संख्यांक 1 के पैरा 4 और 6 में है, और वह अनुतोष जिसका दावा किया गया

संख्यांक 8
युक्तियुक्त दाम पर सेवाएँ और सामग्री
(शीर्षक)

उक्त वादी **क ख** यह कथन करता है कि-

1. ता0 ....को.......................... में वादी ने प्रतिवादी की प्रार्थना पर उसके लिए एक गृह का निर्माण किया [जो.......................... में,................ संख्यांक के गृह के नाम से ज्ञात है और उसके लिए सामग्री जुटाई, किन्तु इस काम और सामग्री के लिए दी जाने वाली रकम के बारे में कोई अभिव्यक्त करार नहीं किया गया था ।

2. किए गए काम और प्रदत्त सामग्री का युक्तियुक्त मूल्य................ रुपए था ।

3. प्रतिवादी ने इस धन का संदाय नहीं किया है ।

[जैसा प्ररुप संख्यांक 1 के पैरा 4 और 5 में है, और वह अनुतोष जिसका दावा किया गया है ।]

संख्यांक 9
उपयोग और अधिभोग
(शीर्षक)

उक्त वादी **क ख** जो मृतक **भ म** की विल का निष्पादक है, यह कथन करता है कि-

1. प्रतिवादी ने उक्त **भ म** की अनुज्ञा से [.................. गली में................. संख्यांक वाला गृह ता0 .... से ता0............................ तक अपने अधिभोग में रखा और उक्त परिसर के उपयोग के लिए संदाय के बारे में कोई करार नहीं किया गया था ।

2. उक्त परिसर के उक्त अवधि के लिए उपयोग का युक्तियुक्त मूल्य........... रुपए था ।

3. प्रतिवादी ने उस धन का संदाय नहीं किया है ।

[जैसा प्ररुप संख्यांक 1 के पैरा 4 और 5 में हे ।]

4. **भ म** के निष्पादक के नाते वादी यह दावा करता है कि...................... [वह अनुतोष जिसका दावा किया गया है ।]

संख्यांक 10
पंचाट पर
(शीर्षक)

उक्त वादी **क ख** यह कथन करता है कि-

1. वादी और प्रतिवादी में [उस मांग के जो वादी ने तेल के दस पीपों की कीमत के लिए की थी और जिसका संदाय करने से प्रतिवादी ने इंकार कर दिया था,] संबंध में मतभेद होने पर वादी और प्रतिवादी ने उस मतभेद को **ड. च** और **छ ज** के माध्यस्थम् के लिए प्रस्तुत करने का लिखित करार ता0 .... को

किया था और मूल दस्तावेज इसके साथ उपाबद्ध है ।

2. ता0 .... को मध्यस्थों ने यह पंचाट दिया कि प्रतिवादी [वादी को रुपए दे] ।

3. प्रतिवादी ने उस धन का संदाय नहीं किया है ।

[जैसा प्ररुप संख्यांक 1 के पैरा 4 और 5 में है, और वह अनुतोष जिसका दावा किया गया है ।]

संख्यांक 11

विदेशी निर्णय पर

(शीर्षक)

उक्त वादी **क ख** यह कथन करता है कि-

1. ता0 को...................... राज्य [या डोमिनियन] के................ में उस राज्य [या डोमिनियन] के.................... न्यायालय ने, उस वाद में जो वादी और प्रतिवादी के बीच उस न्यायालय में लंबित था, सम्यक रुप से न्याय निर्णीत किया था कि प्रतिवादी, वादी को........... रुपए उक्त तारीख से ब्याज सहित दे ।

2. प्रतिवादी ने उस धन का संदाय नहीं किया है ।

[जैसा प्ररुप संख्यांक 1 के पैरा 4 और 5 में है, और वह अनुतोष जिसका दावा किया गया है ।]

संख्यांक 12

भाटक के संदाय के लिए प्रतिभू के विरुद्ध

(शीर्षक)

उक्त वादी **क ख** यह कथन करता है कि-

1. ता0 .... को **ड. च** ने वादी से [................ गली में.......... संख्यांक वाला गृह]............................. रुपए वार्षिक भाटक पर, जो [प्रतिमास] संदेय था,.......................... वर्ष की अवधि के लिए भाड़े पर लिया ।

2. परिसर का पट्टा **ड. च** के नाम किए जाने के प्रतिफलस्वरूप प्रतिवादी ने भाटक के यथासमय संदाय की प्रत्याभूति देने का करार किया ।

3. .... मास के भाटक का, जिसकी रकम............. रुपए है, संदाय नहीं किया गया है ।

[यदि करार के निबंधनों द्वारा यह अपेक्षित है कि प्रतिभू को सूचना दी जाए तो लिखिए है:---]

4. ता0 .... को वादी ने प्रतिवादी को भाटक का संदाय न किए जाने की सूचना दी और उसके संदाय की मांग की ।

5. प्रतिवादी ने उसका संदाय नहीं किया है ।

[जैसा प्ररुप संख्यांक 1 के पैरा 4 और 5 में है, और वह अनुतोष जिसका दावा किया गया है ।]

संख्यांक 13
भूमि क्रय करने के करार का भंग
(शीर्षक)

उक्त वादी **क ख** यह कथन करता है कि-

1. ता0 .... को वादी और प्रतिवादी ने एक करार किया, जिसकी मूल दस्तावेज इसके साथ उपाबद्ध है ।

[या, ता0 .... को वादी और प्रतिवादी ने परस्पर करार किया कि वादी .... ग्राम में चालीस बीघा भूमि का............................... रुपए में विक्रय प्रतिवादी को करेगा और प्रतिवादी वादी से उसका क्रय करेगा ।

2. ता0 ....को वादी ने, जो तब सम्पत्ति का आत्यंतिक स्वामी तथा [और वह सम्पत्ति सब प्रकार के विल्लंगमों से मुक्त थी ऐसा प्रतिवादी को प्रतीत कराया गया था,] करार की गई धनराशि के प्रतिवादी द्वारा दिए जाने पर अंतरण की एक पर्याप्त लिखत प्रतिवादी को निविदत्त की थी [या उसने प्रतिवादी को एक पर्याप्त लिखत द्वारा अंतरित करने के लिए तैयार और रजामन्द था और अब भी तैयार और रजामन्द है और इस वाद की प्रस्थापना कर चुका है ।]

3. प्रतिवादी ने उस धन का संदाय नहीं किया है ।

[जैसा प्ररुप संख्यांक 1 के पैरा 4 और 5 में है, और वह अनुतोष जिसका दावा किया गया है ।

संख्यांक 14
विक्रय किए गए माल का परिदान न किया जाना
(शीर्षक)

उक्त वादा **क ख** यह कथन करता है कि-

1. ता0 ....को .... में वादी और प्रतिवादी ने परस्पर करार किया कि प्रतिवादी [आटे के सौ बोरों] का वादी को ता0 .... को परिदान करेगा और वादी, परिदान पर उसके लिए .... रूपयों का संदाय करेगा ।

2. [उक्त] दिन उक्त माल के परिदान पर वादी उक्त राशि का प्रतिवादी को संदाय करने के लिए तैयार और रजामन्द था और उसने वह राशि देने की प्रस्थापना की ।

3. प्रतिवादी ने माल का परिदान नहीं किया है और वादी उन लाभों से वंचित रहा है जो ऐसे परिदान से उसे प्रोद्भूत होते ।

[जैसा प्ररुप संख्यांक 1 के पैरा 4 और 5 में है, और वह अनुतोष जिसका दावा किया गया है ।

संख्यांक 15
सदोष पदच्युति
(शीर्षक)

उक्त वादी **क ख** यह कथन करता है कि---

1. ता0 .... को वादी और प्रतिवादी ने परस्पर करार किया कि वादी, प्रतिवादी की सेवा [लेखापाल के या फोरमैन के या किसी अन्य रुप में] करेगा और प्रतिवादी वादी को [एक वर्ष] की अवधि के लिए उस रुप में नियोजित रखेगा और उसकी सेवाओं के लिए उसे........... रुपए [प्रति मास] देगा ।

2. ता0 .... को वादी प्रतिवादी के सेवा में प्रविष्ट हुआ और उक्त वर्ष की शेष अवधि के दौरान ऐसी सेवा में रहने के लिए तब से बराबर तैयार और रजामन्द रहा है और अब भी है और इस बात की सूचना प्रतिवादी को सदैव रही है |

3. ता0 .... को प्रतिवादी ने वादी को सदोष सेवोन्युक्त कर दिया और उक्त रुप में सेवा करने से वादी को अनुज्ञा देने से या उसकी सेवा के लिए उसे संदाय करने से इंकार कर दिया ।

[जैसा प्ररुप संख्यांक 1 के पैरा 4 और 5 में है, और वह अनुतोष जिसका दावा किया गया है ।

संख्यांक 16

सेवा करने की संविदा का भंग

(शीर्षक)

उक्त वादी **क ख** यह कथन करता है कि-

1. ता0 .... को वादी और प्रतिवादी ने परस्पर करार किया कि वादी रुपए के [वार्षिक] वेतन पर प्रतिवादी को नियोजित करेगा और प्रतिवादी [कलाकार] के रुप में वादी की सेवा [एक वर्ष] की अवधि के लिए करेगा ।

2. वादी करार के अपने भाग का पालन करने के लिए सदैव तैयार और रजामन्द रहा है [और ता0 .... को उसने ऐसा करने की प्रस्थपना की]।

3. प्रतिवादी उक्त दिन वादी की सेवा में [प्रविष्ट हुआ] किन्तु तत्पश्चात् उसने वादी का उक्त रुप में सेवा करने से ता0 .... को इंकार कर दिया ।

[जैसा प्ररुप संख्यांक 1 के पैरा 4 और 5 में है, और वह अनुताष जिसका दावा किया गया है ।]

संख्यांक 17

त्रुटिपूर्ण कर्मकौशल के लिए निर्माणकर्ता के विरुद्ध

(शीर्षक)

उक्त वादी **क ख** यह कथन करता है कि---

1. ता0 ....को वादी और प्रतिवादी ने एक करार किया, जिसका मूल दस्तावेज इसके साथ उपाबद्ध है [या संविदा का तात्पर्य लिखिए] ।

[2. वादी ने करार के अपने भाग की सब शर्तों का सम्यक् रुप से पालन कर दिया है ।]

3. प्रतिवादी ने [करार में निर्दिष्ट गृह का निर्माण बुरे प्रकार से और अकु शलता से किया है ।] [जैसा प्ररुप संख्यांक 1 के पैरा 4 और 5 में है, और वह अनुतोष जिसका दावा किया गया है ।]

संख्यांक 18

लिपिक की विश्वस्तता के बन्धपत्र पर

(शीर्षक)

उक्त वादी **क ख** यह कथन करता है कि-

1. ता0 ....को वादी ने **च छ** को लिपिक के रुप में अपनी सेवा में नियोजित किया ।

2. उसके प्रतिफलस्वरुप प्रतिवादी ने वादी से ता0 ....को करार किया कि यदि लिपिक के रुप में **च छ** वादी के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन निष्ठापूर्वक नहीं करेगा या यदि वह उस सब धन, ऋण के साक्ष्यों या अन्य सम्पत्ति का, जो उसे वादी के उपयोग के लिए प्राप्त हुई है, लेखा वादी को देने में असफल रहेगा तो उस कारण वादी जो भी हानि उठाए उसके लिए प्रतिवादी वादी को................. रुपए से अनधिक का संदाय करेगा |

[या 2. उसके प्रतिफलस्वरूप प्रतिवादी ने उसी तारीख के अपने बन्धपत्र द्वारा वादी को............. रुपए की शास्तिक राशि देने के लिए इस शर्त पर अपने को आबद्ध किया कि यदि लिपिक और रोकडिए के रूप में **च छ** वादी के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन निष्ठापूर्वक करेगा और यदि वह उस सब धन, ऋण के साध्यों या अन्य सम्पत्ति का जिसे वह वादी के लिए किसी भी समय न्यासत: धारित करे, लेखा न्यायसंगत रुप में वादी को दे देगा तो बन्धपत्र शून्य होगा ।

[या 2. उसके प्रतिफलस्वरूप उसी तारीख को प्रतिवादी ने वादी के पक्ष में एक बन्धपत्र निष्पादित किया, जिसकी मूल दस्तावेज इसके साथ उपाबद्ध है ।]

3. ता0 .... और ता0 .... के बीच **च छ** को वादी के उपयोग के लिए धन और अन्य सम्पत्ति, जिसका मूल्य....................... रुपए है, प्राप्त हुई और इस राशि का लेखा उसने वादी को नहीं दिया है और वह अब तक शोध्य है और उसका संदाय नहीं किया गया है ।

[जैसा प्ररुप संख्यांक 1 के पैरा 4 और 5 में है, और वह अनुतोष जिसका दावा किया गया है ।

संख्यांक 19

उस अभिधारी द्वारा जिसे विशेष नुकसान हुआ है, भू-स्वामी के विरुद्ध

(शीर्षक)

उक्त वादी **क ख** यह कथन करता है कि-

1. ता0 ....को प्रतिवादी ने वादी को रजिस्ट्रीकृत लिखित द्वारा [.................गली में................. संख्यांक वाला गृह].......................... वर्ष की अवधि के लिए वादी से यह संविदा करके पट्टे पर दिया था कि वह, अर्थात वादी, और उसके विधिक प्रतिनिधि उसके कब्जे का शान्तिपूर्ण उपभोग

उक्त अवधिपर्यंत करेंगे ।

2. सब शर्तें पूरी कर दी गई और ऐसी सब आवश्यक बातें घटित हुई हैं जिनसे वादी यह वाद चलाने का हकदार हो जाता है ।

3. उक्त अवधि के दौरान में ता0 ....को **च छ** ने जो उक्त गृह का विधिपूर्ण स्वामी है, वादी को वहां से विधिपूर्वक बेदखल कर दिया और अब भी उसने उसका कब्जा वादी को देने से रोक रखा है ।

4. वादी इस बात से [उक्त स्थान में दर्जी के रुप में अपना कारबार चलाने से निवारित हो गया, यहां से हटकर दूसरी जगह जाने में उसे ....रुपए व्यय करने पडे और ऐसे हट जाने के कारण उसे **ज झ** और **ट ठ** की ग्राहकी की हानि हो गई ।]

[जैसा प्ररुप संख्यांक 1 के पैरा 4 और 5 में है, और वह अनुतोष जिसका दावा किया गया है ।]

संख्यांक 20
क्षतिपूर्ति के करार पर
(शीर्षक)

उक्त वादी **क ख** यह कथन करता है कि-

1. ता0 .... को वादी और प्रतिवादी ने जो **क ख** और **ग घ** अभिनाम से किए जाने वाले व्यापार में भागीदार हैं अपनी भागीदारी का विघटन कर दिया और परस्पर करार किया कि प्रतिवादी भागीदारी की सब सम्पत्ति ले लेगा और रखेगा, फर्म के सब ऋण चुकाएगा और फर्म की ऋणिता मद्धे वादी के विरुद्ध जो दावे किए जाएं उन सब दावों के लिए वादी की क्षतिपूर्ति करेगा ।

2. वादी ने करार के अपने भाग की सब शर्तों का सम्यक् रुप से पालन कर दिया ।

3. ता0 ....को [फर्म द्वारा **च छ** को शोध्य ऋण मद्धे एक निर्णय **च छ** द्वारा.................के उच्च न्यायालय में वादी और प्रतिवादी के विरुद्ध प्राप्त कर लिया गया और ता0 .... को वादी ने [उसकी तुष्टि] में......................... रुपए का संदाय किया ।

4. प्रतिवादी ने वादी को उस रकम का संदाय नहीं किया है ।

[जैसा प्ररुप संख्यांक 1 के पैरा 4 और 5 में है और वह अनुतोष जिसका दावा किया गया है ।]

संख्यांक 21
कपट द्वारा संपति उपाप्त करना
(शीर्षक)

उक्त वादी **क ख** यह कथन करता है कि-

1. प्रतिवादी ने वादी को इस बात के लिए उत्प्रेरित करने के प्रयोजन से कि वह प्रतिवादी का कु छ मालक बेचे ता0 .... को वादी से यह व्यपदेशन किया कि [वह अर्थात् प्रतिवादी शोधक्षम है और उसकी अपने सब दायित्वों से.......................रुपए अधिक की मालियत है]।

2. इसे वादी.........................रुपए मूल्य की [सूखी वस्तुएं] प्रतिवादी को बेचने [और उनका परिदान करने] के लिए उत्प्रेरित हो गया ।

3. उक्त व्यपदेशन मिथ्या थे **[यहां विशिष्ट मिथ्या बातों का कथन कीजिए]** और उनका ऐसा होना प्रतिवादी को तब ज्ञात था ।

4. प्रतिवादी ने माल के लिए संदाय नहीं किया है [या, यदि माल का परिदान नहीं किया गया है तो] वादी ने उस माल को तैयार करने और पोत द्वारा भेजने और उसका प्रत्यावर्तन कराने में........................ रुपए व्यय किए ।

[जैसा प्ररुप संख्यांक 1 के पैरा 4 और 5 में है, और वह अनुतोष जिसका दावा किया गया है ।]

संख्यांक 22

अन्य व्यक्ति को उधार पर दिया जाना, कपटपूर्वक उपाप्त करना

(शीर्षक)

उक्त वादी **क ख** यह कथन करता है कि-

1. ता0 .... को प्रतिवादी ने वादी से व्यपदिष्ट किया कि **च छ** शोधक्षम है और उसकी अच्छी साख है तथा उसकी अपने सब दायित्वों से................. रुपए अधिक की मालियत है [या कि **च छ** उत्तरदायित्वपूर्ण ओहदे पर है और अच्छी परिस्थितियों में है और उधार पर माल देने के लिए उसका पूरा विश्वास किया जा सकता है ।]

2. इस पर वादी **च छ** को.................रुपए मूल्य का [चावल]................ [मास के उधार पर] बेचने के लिए उत्प्रेरित हो गया ।

3. उक्त व्यपदेशन मिथ्या थे और उनका ऐसा होना प्रतिवादी को तब ज्ञात था और वे उसके द्वारा वादी से प्रवंचना और कपट करने के [या वादी से प्रवंचना करने और उसे क्षति पहुंचाने के] आशय से किए गए थे ।

4. **च छ** ने [उक्त उधार की अवधि के समाप्त होने पर उक्त माल के लिए संदाय नहीं किया, या] उसने उक्त चावल के लिए संदाय नहीं किया और वादी को उस सारे चावल की हानि हो गई है ।

[जैसा प्ररुप संख्यांक 1 के पैरा 4 और 5 में है, और वह अनुतोष जिसका दावा किया गया है ।]

संख्यांक 23

वादी की भूमि के नीचे के जल को प्रदूषित करना

(शीर्षक)

उक्त वादी **क ख** यह कथन करता है कि-

1. ....नाम से ज्ञात और.................................में स्थित कुछ भूमि और उसमे कुआं और उस कुएं का जल वादी के कब्जे में है और इसमें उल्लिखित सब समयों पर था और वादी उस कुएं के और उसके जल के उपयोग और फायदे का तथा जल के कुछ स्रोतों और धाराओं के, जो उस कुएं में बह कर आती है और उसे जल पहुंचाती हैं, कलुषित या प्रकृपित किए गए बिना बहते रहने दिए जाने का हकदार है ।

2. ता0 .... को प्रतिवादी ने कुएं और उसके जल को और जो स्त्रोत और धाराएं कुएं में बह कर आती थीं उनको दोषपूर्वक कलुषित और प्रदूषित किया ।

3. परिणामस्वरूप कुएं का जल अशुद्ध तथा घरेलू और अन्य आवश्यक प्रयोजनों के लिए अनुपयुक्त हो गया और वादी और उसका कुटुम्ब कुएं और जल के उपयोग और फायदे से वंचित हो गए ।

[जैसा प्ररुप संख्यांक 1 के पैरा 4 और 5 में है, और वह अनुतोष जिसका दावा किया गया है ।

संख्यांक 24

अपायकर विनिर्माण चलाना

(शीर्षक)

उक्त वादी **क ख** यह कथन करता है कि-

1. .... नाम से ज्ञात और.............................में स्थित कुछ भूमियाँ वादी के कब्जे में हैं और इसमें आगे उल्लिखित सब समयों पर थीं ।

2. ता0 .... से बराबर प्रतिवादी कु छ प्रगालन संकर्मों से जिन्हें प्रतिवादी चला रहा है बडी मात्रा में क्लेशकर और अस्वास्थकर घुआं तथा अन्य बाध्य और अपायकर पदार्थ दोष पूर्वक निकाल रहा है जो उक्त भूमियों के ऊपर फैल जाते हैं और जिन्होंने वायु को भ्रष्ट कर दिया है और जो भूमि तल पर जम गए हैं ।

3. वादी के उन भूमियों में उगने वाले वृक्षों, झाडियों, हरियाली और फसल को उससे नुकसान हुआ और उनके मूल्य में कमी हो गई और उन भूमियों पर वादी के ढोर और जीवंधन अस्वस्थ हो गए हैं और उनमें से बहुत से विषाक्त होकर मर गए ।

4. वादी ढोरों और भेड़ों को उन भूमियों पर वैसे चराने में असमर्थ रहा जैसे वह अन्यथा उन्हें चरा सकता था और वह अपने ढोरों, भेड़ों और कृषि- धन को वहां से हटाने के लिए विवश हो गया और भूमियों का वैसा फायदाप्रद और अच्छा उपयोग और अधिभोग करने से निवारित रहा जैसा वह अन्यथा कर सकता था ।

[जैसा प्ररूप संख्यांक 1 के पैरा 4 और 5 में है, और वह अनुतोष जिसका दावा किया गया है ।]

संख्यांक 26

मार्गाधिकार में बाधा डालना

(शीर्षक)

उक्त वादी **क ख** यह कथन करता है कि-

1. वादी का कब्जा [............. ग्राम में के एक गृह पर] है और इसमें आगे उल्लिखित समय पर था ।

2. वादी वर्ष में सब समयों पर [गृह] से लोक राजमार्ग तक अमुक खेत में होकर [यानों में या पैदल] जाने के लिए और लोक राजमार्ग से उस खेत से होकर उस गृह तक [यानों में या पैदल] लौट कर आने के लिए स्वयं और अपने सेवकों के लिए मार्गाधिकार का हकदार था ।

3. ता0 ....को प्रतिवादी ने उक्त मार्ग को दोषपूर्वक बाधित कर दिया जिससे वादी [यानों में या पैदल या किसी प्रकार से] उस रास्ते पर होकर न जा सका [और वह उसे तब से बराबर दोषपूर्वक बाधित किए हुए है]।

4. (यदि कोई विशेष नुकसान हुआ हो तो वह लिखिए ।)

[जैसा प्ररुप संख्यांक 1 के पैरा 4 और 5 में है, और वह अनुतोष जिसका दावा किया गया है ।]

संख्यांक 26

राजमार्ग में बाधा डालना

(शीर्षक)

1. प्रतिवादी ने........................ से................को जाने वाले लोक राजमार्ग में दोषपूर्वक एक खाई खोद दी है और उस पर मिट्टी और पत्थर ऐसे जमा कर दिए हैं जिससे वह बाधित हो गया है |

2. उक्त लोक राजमार्ग से विधिपूर्वक जाते हुए वादी उस बाधा के कारण उक्त मिट्टी और पत्थरों पर [या उक्त खाई में] गिर पडा और उसकी बांह टूट गई और उसे बहुत पीडा सहनी पडी और बहुत समय तक वह अपने कारबार की देखभाल नहीं कर सका और उसे अपनी चिकित्सा-परिचर्या में व्यय उपगत करना पडा ।

[जैसा प्ररुप संख्यांक 1 के पैरा 4 और 5 में है, और वह अनुतोष जिसका दावा किया गया है ।]

संख्यांक 27

जल-सरणी को मोड़ना

(शीर्षक)

उक्त वादी **क ख** यह कथन करता है कि---

1. वादी का कब्जा............................जिले के..............................ग्राम में................नाम से ज्ञात (धारा) पर स्थित मिल पर है और इसमें आगे उल्लिखित समय पर था ।

2. ऐसे कब्जे के कारण वादी अपनी मिल को चलाने के लिए उस धारा के प्रवाह का हकदार था ।

3. ता0 ....को प्रतिवादी ने धारा के किनारे को काटकर उसके जल को दोषपूर्वक मोड दिया जिससे वादी की मिल में पानी कम आने लगा ।

4. इस कारण वादी प्रतिदिन................................ से अधिक बोरे पीसने में असमर्थ रहा है जब कि जल के उक्त मोडे जाने के पूर्व व प्रतिदिन......................बोरे पीस लेता था ।

[जैसा प्ररुप संख्यांक 1 के पैरा 4 और 5 में है, और वह अनुतोष जिसका दावा किया गया है ।]

संख्यांक 28

जल का सिंचाई के लिए उपयोग करने के अधिकार में बाधा डालना

(शीर्षक)

उक्त वादी **क ख** यह कथन करता है कि---

1. वादी का कब्जा.............. इत्यादि में स्थित कुछ भूमियों पर है और इसमें आगे उल्लिखित समय पर था और वादी अमुक धारा के जल का एक भाग उक्त भूमियों की सिंचाई के लिए लेने और उपयोग में लाने का हकदार है और इसमें आगे उल्लिखित समय पर था ।

2. ता0 .... को प्रतिवादी ने उक्त धारा को दोषपूर्वक बाधित करके तथा उसे

मोडकर वादी को उक्त जल के उक्त भाग को उक्त रुप में लेने और उपयोग में लाने से रोक दिया ।

[जैसा प्ररुप संख्यांक 1 के पैरा 4 और 5 में है, और वह अनुतोष जिसका दावा किया गया है ।]

संख्यांक 29
रेल-पथ पर उपेक्षा से हुई क्षतियां
(शीर्षक)

उक्त वादी **क ख** यह कथन करता है कि--

1. ता0 ....को प्रतिवादी............................और.........................के बीच रेल द्वारा यात्रियों को ले जाने के लिए सामान्य वाहक थे ।

2. उस दिन वादी उक्त रेल-पथ पर प्रतिवादी के डिब्बों में से एक में यात्री था ।

3. जब वह ऐसा यात्री था तब................ में (या.............. के स्टेशन के निकट या........................... और...................... स्टेशनों के बीच) प्रतिवादियों के सेवकों की उपेक्षा और अकौशल के कारण उक्त रेल पर टक्कर हो गई, जिससे वादी को (अपनी टांग टूट जाने अपना सिर फट जाने इत्यादि से और यदि कोई विशेष नुकसान हुआ हो तो लिखिए) बहुत क्षति हुई और उसे अपनी चिकित्सीय-परिचर्या पर व्यय उपगत करना पडा और वह बिक्रीकर्ता के रुप में अपना पूर्ववर्ती कारबार करने से स्थायी रुप से अशक्त हो गया है ।

[जैसा प्ररुप संख्यांक 1 के पैरा 4 और 5 में है, और वह अनुतोष जिसका दावा किया गया है ।

[या इस भांति-2 उस दिन प्रतिवादियों ने ईंजन और उससे संलग्र डिब्बों की रेलगाड़ी को प्रतिवादियों की रेल की लाइन पर जिसको वादी विधिपूर्वक उस समय पार कर रहा था, अपने सेवकों के द्वारा ऐसी उपेक्षा और अकौशल से चलाया और उसका संचालन किया कि उक्त ईंजन और रेलगाड़ी आगे बढकर वादी से टकरा गई जिसके कारण......................... इत्यादि जैसा कि पैरा 3 में है ।]

संख्यांक 30
उपेक्षापूर्वक गाड़ी चलाने से हुई क्षतियां
(शीर्षक)

उक्त वादी **क ख** यह कथन करता है कि-

1. वादी जूता बनाने वाला है और अपना कारबार.................... में करता है । प्रतिवादी....................का व्यापारी है ।

2. ता0 .... को लगभग 3 बजे अपराह्न में वादी कलकत्ता नगर में चौरंगी में दक्षिण की ओर जा रहा था । उसे मिडिलटन स्ट्रीट पार करनी पड़ी जो चौरंगी से समकोण पर मिलती है । जब वह उस स्ट्रीट को पार कर रहा था, और इससे ठीक पहले कि वह उसकी दूसरी ओर वाले पथ पर पहुंचे, दो घोड़ों द्वारा खींची जाने वाली प्रतिवादी की गाड़ी, जो प्रतिवादी के सेवकों के भारसाधन और नियंत्रण में थी सहसा और किसी चेतावनी के बिना बडी तेजी से और खतरनाक गति रो मिडिलटन स्ट्रीट से चौरंगी में

उपेक्षापूर्वक मुड़ी । गाड़ी का बम वादी से टकराया और वादी नीचे गिर पडा और घोडों के पांव से कुचल गया ।

3. टक्कर लगने और गिरने और पांवों के नीचे कुचले जाने से वादी की बांह टूट गई और उसकी बगल में और पीठ पर नील पड़ गए और क्षति पहुंची और साथ ही उसे भीतरी क्षति भी हुई और उसके परिणामस्वरूप वादी चार मास तक रोगग्रस्त रहा और कष्ट भोगता रहा और कारबार की देखभाल करने में असमर्थ रहा, और उसे भारी चिकित्सीय और अन्य व्यय उपगत करने पडे तथा उसे कारबार और लाभों की बड़ी हानि सहनी पडी ।

[जैसा प्ररुप संख्यांक 1 के पैरा 4 और 5 में है, और वह अनुतोष जिसका दावा किया गया है ।

संख्यांक 31

विद्वेषपूर्ण अभियोजन के लिए

(शीर्षक)

उक्त वादी **क ख** यह कथन करता है कि-

1. ता0 .... को प्रतिवादी ने..................... से [जो उक्त नगर का मजिस्ट्रेट है या जो स्थिति हो वह लिखिए]............... के आरोप पर गिरफ्तारी का वारण्ट अभिप्राप्त किया और उसके बल पर वादी गिरफ्तार किया गया और.................... [दिनों या घण्टों के लिए] कारावासित रहा और [अपनी निर्मुक्ति के लिए उसने................ रुपयों की जमानत दी ।]

2. ऐसा करने में प्रतिवादी ने विद्वेषपूर्वक और युक्तियुक्त या अभिसम्भाव्य हेतुक के बिना कार्य किया ।

3. ता0 .... को मजिस्ट्रेट ने प्रतिवादी का परिवाद खारिज कर दिया और वादी को दोषमुक्त कर दिया |

4. अनेक व्यक्तियों ने, जिसके नाम वादी को अज्ञात हैं, गिरफ्तारी की बात सुनकर और वादी को अपराधी अनुमान करके उसके साथ कारबार करना छोड़ दिया है, या **ड. च** के लिपिक के रुप में अपने पद को वादी उक्त गिरफतारी के परिणामस्वरुप खो बैठा; या परिणामस्वरुप वादी को शरीर और मन की पीडा सहनी पडी और वह अपना कारबार करने से निवारित रहा और उसकी साख को क्षति पहुंची, उक्त कारावास से निर्मुक्त होने के लिए और उक्त परिवाद के विरुद्ध अपनी प्रतिरक्षा करने के लिए उसे व्यय उपगत करना पडा ।

[जैसा प्ररुप संख्यांक 1 के पैरा 4 और 5 में है, और वह अनुतोष जिसका दावा किया गया है ।]

संख्यांक 32
जंगम माल का सदोष निरोध
(शीर्षक)

उक्त वादी **क ख** यह कथन करता है कि-

1. ता0 .... को वादी इसके साथ उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित माल का (या माल का वर्णन कीजिए), जिसका प्राक्कलित मूल्य....................... रुपए है, स्वामी था [या वे तथ्य लिखिए जिनसे कब्जे का अधिकार दर्शित होता है ।]

2. उस दिन से इस वाद के प्रारम्भ होने तक प्रतिवादी ने उस माल को वादी से रोक रखा है ।

3. वाद आरम्भ होने से पहले अर्थात् ता0 ....को, वादी ने प्रतिवादी से माल मांगा, किन्तु उसने माल का परिदान करने से इंकार किया ।

[जैसा प्ररूप संख्यांक 1 के पैरा 4 और 5 में हे ।]

6. वादी यह दावा करता है कि-

(1) उक्त माल का परिदान कराया जाए, या यदि उसका परिदान नहीं कराया जा सकता तो............. रुपए दिलाए जाएं;

(2) उसको रोक रखे जाने के प्रतिकरस्वरुप.......................रुपए दिलाए जाएँ ।

अनुसूची
संख्यांक 33
कपटी विक्रेता और उसकी सूचना सहित अन्तरिती के विरुद्ध
(शीर्षक)

उक्त वादी **क ख** यह कथन करता है कि-

1. ता0 ....को प्रतिवादी **ग घ** ने वादी को उसे कुछ माल बेचने के लिए उत्प्रेरित करने के प्रयोजन से वादी से यह व्यपदिष्ट किया कि [वह शोधक्षम है और उसकी उसके सब दायित्वों से......................रुपए अधिक की मालियत है ।]

2. इससे वादी **ग घ** को [चाय के एक सौ बक्से] बेचने और उनका परिदान करने के लिए उत्प्रेरित हुआ । इनका प्राक्कलित मूल्य.......................... रुपए है ।

3. उक्त व्यपदेशन मिथ्या थे और **ग घ** को उनका मिथ्या होना तब ज्ञात था [या उक्त व्यपदेशन करने के समय, **ग घ** दिवालिया था और वह अपनी यह स्थिति जानता था ।

4. **ग घ** ने तत्पश्चात् उक्त माल प्रतिवादी **च छ** को किसी प्रतिफल के बिना [या **च छ** को जिसे व्यपदेशन के मिथ्या होने की सूचना थी अन्तरित कर दिया ।

[जैसा प्ररुप संख्यांक 1 के पैरा 4 और 5 में ह ।]

7. वादी यह दावा करता है कि---

(1) उक्त माल का परिदान कराया जाए, या यदि उसका परिदान नहीं कराया जा सकता

तो............. रुपए दिलाए जाएं ।

(2) उस माल को रोक रखने की प्रतिकरस्वरुप.................. रुपए दिलाए जाएं ।

संख्यांक 34

संविदा का भूल के आधार पर विखण्डन

(शीर्षक)

उक्त वादी **क ख** यह कथन करता है कि---

1. ता0 ....को प्रतिवादी ने वादी से व्यपदिष्ट किया कि अमुक भू- खण्ड, जो प्रतिवादी का है और............ में स्थित है [दस बीघे] का है ।

2. इससे वादी उसे................ रुपए की कीमत पर इस विश्वास पर खरीदने के लिए उत्प्रेरित हो गया कि उक्त व्यपदेशन सत्य है और उसने एक करार पर हस्ताक्षर किए जिसकी मूल प्रति इसके सा उपाबद्ध है । किन्तु भूमि उसे अन्तरित नहीं की गई है ।

3 ता0 ....को वादी ने प्रतिवादी को क्रयधन के भाग रुप .... रुपए दे दिए |

4. उक्त भू-खण्ड वास्तव में केवल [पांच बीघे] का है ।

[जैसा प्ररुप संख्यांक 1 के पैरा 4 और 5 में है ।]

7. वादी यह दावा करता है कि---

(1) ता0 .... से ब्याज सहित.................. रुपए दिलाए जाएं;

(2) उक्त करार लौटाया जाए और रद्द कर दिया जाए ।

संख्यांक 35

दुर्व्यय रोकने के लिए व्यादेश

(शीर्षक)

उक्त वादी **क ख** यह कथन करता है कि---

1. वादी [सम्पत्ति का वर्णन कीजिए] का आत्यन्तिक स्वामी है ।

2. प्रतिवादी का उस पर कब्जा वादी से लिए गए पट्टे के अधीन है ।

3. प्रतिवादी ने वादी की सहमति के बिना [विक्रय के प्रयोजन के लिए कई मूल्यवान वृक्ष काट डाले हैं और अन्य बहुत से काट डालने की धमकी दे रहा है] |

[जैसा प्ररुप संख्यांक 1 के पैरा 4 और 5 में है ।]

6. वादी यह दावा करता है कि प्रतिवादी को उक्त परिसर में कोई अतिरिक्त दुर्व्यय करने या करने देने से व्यादेश द्वारा अवरूद्ध किया जाए ।

[धन के रुप में प्रतिकर का भी दावा किया जा सकता है ।]

संख्यांक 36

न्यूसेंस रोकने के लिए व्यादेश

(शीर्षक)

उक्त वादी **क ख** यह कथन करता है कि-

1. वादी [कलकत्ता की....................स्ट्रीट के..................... संख्यांक वाले गृह] का आत्यन्तिक स्वामी है और इसमें आगे उल्लिखित सब समयों पर था ।

2. प्रतिवादी [उसी.......................... स्ट्रीट में एक भू-खण्ड] का आत्यन्तिक स्वामी है और उक्त सब समयों पर था ।

3. ता0 .... को प्रतिवादी ने अपने उक्त भू-खण्ड में एक वधशाला निर्मित की और उसे वह अब भी बनाए हुए है और उस दिन से आज तक वह बराबर वहां ढोर मंगवा कर उन्हें मरवा डालता है [और रक्त और ओझडी को वादी के उक्त गृह के सामने वाली गली में फिंकवा देता है ।]

[4. परिणामत: वादी उक्त गृह का परित्याग करने के लिए विवश हो गया है और उसे भाटक पर नहीं उठा सका है ।]

[जैसा प्ररुप संख्यांक 1 के पैरा 4 और 5 में हे ।]

7. वादी दावा करता है कि प्रतिवादी को और न्यूसेन्स करने या करने देने से व्यादेश द्वारा अवरुद्ध किया जाए ।

संख्यांक 37

लोक न्यूसेंस

(शीर्षक)

उक्त वादी **क ख** यह कथन करता है कि-

1. प्रतिवादी ने......................की लोक सडक पर, जो................. गली के नाम से ज्ञात है, मिट्टी और पत्थर का ढेर दोषपूर्वक ऐसे लगा दिया है कि उस सड़क पर लोगों को आने-जाने में बाधा पडती है और वह यह धमकी दे रहा है कि उसका यह आशय है कि जब तक उसे ऐसा करने से अवरुद्ध नहीं किया जाता है वह उक्त दोषपूर्ण कार्य को चालू रखेगा और उसे दुहराता रहेगा ।

[1][*2. वादी ने न्यायालय की इजाजत इस वाद को संस्थित करने के लिए अभिप्राप्त कर ली है ।

*जहां वाद महाधिवक्ता द्वारा संस्थित किया जाता है वहां पर यह लागू नहीं है ।]

[जैसा प्ररुप संख्यांक 1 के पैरा 4 और 5 में है ।]

5. वादी यह दावा करता है कि--

(1) यह घोषणा की जाए कि प्रतिवादी उक्त लोक सडक पर लोगों के आने-जाने में बाधा डालने का हकदार नहीं है;

(2) उक्त लोक सडक पर लोगों के आने-जाने में बाधा डालने से प्रतिवादी को अवरूद्ध करने वाला और पूर्वोक्त रूप से दोषपूर्वक इकटठी की गई मिटटी और पत्थरों को हटाने के लिए प्रतिवादी को निदेश देने वाला व्यादेश निकाला जाए ।

संख्यांक 38

जल-सरणी मोड़ने के विरुद्ध व्यादेश

(शीर्षक)

उक्त वादी **क ख** यह कथन करता है कि-

[जैसा प्ररुप संख्यांक 27 में है ।]

वादी दावा करता है कि पूर्वोक्त जल-सरणी को मोडने से प्रतिवादी व्यादेश द्वारा अवरुद्ध किया जाए ।

संख्यांक 39

उक्त जंगम संपत्ति। के प्रत्यावर्तन के लिए जिसके विनाश की धमकी दी जा रही है और व्यादेश के लिए

(शीर्षक)

उक्त वादी **क ख** यह कथन करता है कि-

1. वादी (अपने पितामह के रूपचित्र का, जो एक प्रसिद्ध चित्रकार द्वारा बनाया गया था) स्वामी है और इसमें आगे उल्लिखित सब समयों पर था और उस रुपचित्र की दूसरी प्रति विद्यमान नहीं है [या वे तथ्य लिखिए जिनसे यह दर्शित होता है कि सम्पत्ति इस प्रकार की है कि उसकी पूर्ति धन से नहीं की जा सकती है ।]

2. ता0 .... को उसने उसे प्रतिवादी के पास सुरक्षित रुप से रखने के लिए निक्षिप्त किया था ।

3. ता0 .... को उसने प्रतिवादी से उसे वापस मांगा और उसे भण्डार में रखने के सब युक्तियुक्त प्रभारों को देने की प्रस्थापना की ।

4. प्रतिवादी उस रुपचित्र का वादी को परिदान करने से इंकार करता है और यह धमकी दे रहा है कि यदि उससे उसका परिदान करने की अपेक्षा की गई तो वह उसे छिपा देगा या उसका व्ययन कर देगा या उसे काट देगा या क्षत कर देगा ।

5. उस [रंगचित्र] की हानि के लिए वादी को कोई धनीय प्रतिकर पर्याप्त प्रतिकर नहीं होगा ।

[जैसा प्ररूप संख्यांक 1 के पैरा 4 और 5 में है ।]

8. वादी दावा करता है कि-

(1) प्रतिवादी को उक्त [रंगचित्र] का व्ययन करने, उसे क्षत करने या छिपाने से व्यादेश द्वारा अवरुद्ध किया जाए;

(2) उसे विवश किया जाए कि उसका परिदान वादी को कर दे ।

संख्यांक 40

अन्तराभिवाची

(शीर्षक)

उक्त वादी **क ख** यह कथन करता है कि---

1. इसमें आगे उल्लिखित दावों की तारीख के पहले **ज झ** ने वादी के पास [सम्पत्ति का वर्णन कीजिए] को [सुरक्षित रुप से रखने के लिए] निक्षिप्त किया था ।

2. प्रतिवादी **ग घ** [**ज झ** से उसके अभिकथित समनुदेशन के अधीन] उसका दावा करता है ।

3. प्रतिवादी **च छ** भी [**ज झ** के ऐसे आदेश के अधीन, जिसके द्वारा वह उसे अन्तरित की गई थी] उसका दावा करता है ।

4. वादी, प्रतिवादियों के अपने- अपने अधिकारों के बारे में अनभिज्ञ है ।

6. उसका उस सम्पत्ति पर, प्रभारों और खर्चों से भिन्न, कोई दावा नहीं है और वह उसका उन व्यक्तियों को परिदान करने के लिए तैयार और रजामन्द है जिन्हें देने का न्यायालय निदेश दे ।

6. यह वाद दोनों प्रतिवादियों में से किसी के साथ दुस्सन्धि करने के बाद नहीं लाया गया है ।

[जैसा प्ररुप संख्यांक 1 के पैरा 4 और 5 में है ।]

9. वादी दावा करता है कि-

(1) प्रतिवादी को वादी के विरुद्ध उसके सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने से व्यादेश द्वारा अवरुद्ध कर दिया जाए;

(2) उनसे अपेक्षा की जाए कि वे उक्त सम्पत्ति पर अपने दावों के बारे में परस्पर अन्तराभिवचन करें |

(3) इस मुकदमे के लम्बित रहने तक उक्त सम्पत्तिने को प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति को प्राधिकृत किया जाए;

(4) उसका ऐसे [व्यक्ति] को परिदान कर देने पर वादी उसके सम्बन्ध में प्रतिवादियों में से किसी के भी प्रति सब दायित्व में उन्मोचित किया जाए ।

संख्याक 41

लेनदार द्वारा अपनी ओर से और सब लेनदारों की ओर से प्रशासन

(शीर्षक)

उक्त वादी **क ख** यह कथन करता है कि-

1. मृत **ड. च,** जो.......................... का था, अपनी मृत्यु के समय वादी के प्रति .... (यहां ऋण की प्रकृति और यदि कोई प्रतिभूति हो तो उसका उल्लेख कीजिए की राशि का ऋणी था और उसकी सम्पदा अभी तक उस ऋण से भारित है ।

2. **ड. च** की मृत्यु ता0 .... को या उसके लगभग हुई थी । उसने तारीख .... की अपनी अन्तिम विल द्वारा **ग घ** को अपना निष्पादक नियुक्त किया [या, यथास्थिति, उसने

अपनी सम्पदा न्यास के रुप वयीयत द्वारा दी, इत्यादि या वह निर्वसीचत मर गया ।

3. विल **ग घ** द्वारा साबित की गई [या प्रशासन-पत्र अनुदत्त किए गए, इत्यादि]|

4. प्रतिवादी ने **ड. च** की जंगम सम्पत्ति [और स्थावर सम्पत्ति। या स्थावर सम्पत्ति के आगमों] पर अपना कब्जा कर लिया है और वादी को उसका ऋण नहीं चुकाया है ।

[जैसा प्ररुप संख्यांक 1 के पैरा 4 और 5 में है ।]

7. वादी दावा करता है कि मृत **ड. च** की जगम [और स्थावर] सम्पत्ति का लेखा लिया जाए और न्यायालय की डिक्री के अधीन उसका प्रशासन किया जाए ।

संख्यांक 42
विनिर्दिष्ट वसीयतदार द्वारा प्रशासन
(शीर्षक)

[प्ररुप संख्यांक 41 को इस प्रकार परिवर्तित कीजिए]

[पैरा 1 छोड दीजिए और पैरा 2 इस प्रकार आरम्भ कीजिए] मृत **ड. च** की जो................ का था, मृत्यु ता0 .... को या उसके लगभग हुई । उसने ता0 .... की अपनी अन्तिम विल द्वारा **ग घ** को अपना निष्पादक नियुक्त किया और वादी को [यहां विनिर्दिष्ट वसीयत सम्पदा लिखिए वसीयत की ।

पैरा 4 के स्थान पर यह लिखिए कि-

प्रतिवादी **ड. च** की जंगम सम्पत्ति पर कब्जा रखता है और अन्य चीजों के साथ [यहां विनिर्दिष्ट वसीयत की विषय-वस्तु का नाम दीजिए] पर भी कब्जा रखता है ।

पैरा 7 के प्रारम्भ के स्थान पर यह लिखिए कि-

वादी दावा करता है कि प्रतिवादी को आदेश दिया जाए कि वह [यहां विनिर्दिष्ट वसीयत की विषय-वस्तु का नाम दीजिए] वादी को परिदत्त करे या कि, इत्यादि ।

संख्यांक 43
धनीय वसीयतदार द्वारा प्रशासन
(शीर्षक)

[प्ररुप संख्यांक 41 को इस प्रकार परिवर्तित कीजिए]

[पैरा 1 छोड दीजिए और पैरा 2 के स्थान पर यह लिखिए कि मृत] **ड. च** की, जो.................... का था, मृत्यु तारीख......................... को या उसके लगभग हुई । उसने तारीख............. की अपनी अन्तिम विल द्वारा **ग घ** को अपना निष्पादक नियुक्त किया और वादी को .... रुपए की वसीयत की ।

पैरा 4 में “उसका ऋण नहीं चुकाया है" शब्दों के स्थान पर "उसकी वसीयत सम्पदा का संदाय नहीं किया है" शब्द प्रतिस्थापित कीजिए ।

दूसरा प्ररुप
(शीर्षक)

उक्त वादी **ड. च** यह कथन करता है कि-

1. **क ख** की जो..................... में **ट क** था, तारीख................ को मृत्यु हुई ।

उसने तारीख..................... को अपनी अंतिम विल द्वारा प्रतिवादी को और **ड. ढ क** [जिसकी मृत्यु वसीयतकर्ता के जीवन काल में ही हो गई थी] अपना निष्पादक नियुक्त किया और अपनी सम्पत्ति चाहे वह जंगम थी या स्थावर, अपने निष्पादकों को इस न्यास पर कि वे उसके भाटक और आय वादी को उसके जीवनपर्यन्त देते रहें, और वादी की मृत्यु के पश्चात् और उसके ऐसे पुत्र न होने पर, जो इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ले या ऐसी पुत्री न होने पर, जो वह आयु प्राप्त कर ले या विवाह कर ले अपनी स्थावर सम्पत्ति उस व्यक्ति के पक्ष में न्यास पर, जो वसीयतकर्ता का विधिना वारिस होगा और अपनी जंगम सम्पत्ति उन व्यक्तियों के पक्ष में न्यास पर जो यदि वादी की मृत्यु के समय वसीयतकर्ता निर्वसीयत मरता और वादी के ऐसी सन्तान न होती, जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है तो वसीयतकर्ता के निकटतम कुल्य होते, वसीयत की थी ।

2. प्रतिवादी ने विल ता0 .... को साबित कर दी थी । वादी ने विवाह नहीं किया है ।

3. वसीयतकर्ता अपनी मृत्यु के समय जंगम और स्थावर सम्पत्ति का हकदार था; प्रतिवादी ने स्थावर सम्पत्ति के भाटक प्राप्त करना आरम्भ कर दिया है और जंगम सम्पत्ति अपने कब्जे में कर ली है उसने स्थावर सम्पत्ति का कुछ भाग बेच दिया है ।

[जैसा प्ररूप संख्यांक 1 के पैरा 4 और 5 में है ।]

6. वादी दावा करता है कि-

(1) **क ख** की जंगम और स्थावर सम्पत्ति का प्रशासन इस न्यायालय में किया जाए और उस प्रयोजन के लिए सब उचित निदेश दिए जाएं और लेखा लिए जाएं;

(2) ऐसा अतिरिक्त या अन्य अनुतोष दिया जाए जैसा मामले की प्रकृति से अपेक्षित हो ।

संख्यांक 44
न्यासों का निष्पादन
(शीर्षक)

उक्त वादी **क ख** यह कथन करता है कि-

1. वह ता0 .... या उसके लगभग की तारीख की व्यवस्थापन लिखत के अधीन, जो व्यवस्थापन प्रतिवादी के पिता और माता **ड. च** और **छ ज** के विवाह के अवसर पर किया गया था [या प्रतिवादी **ग घ** के और **ड. च** के अन्य लेनदारों के फायदे के लिए **ड. च** की सम्पदा और चीजवस्त के अन्तरण की लिखत के अधीन न्यासियों में से एक है ।

2. **क ख** ने उक्त न्यास का भार अपने ऊपर लिया है और उक्त लिखत द्वारा अन्तरित जंगम और स्थावर सम्पत्ति। [या उसके आगम] उसके कब्जे में हैं ।

3. **ग घ** लिखत के अधीन फायदाप्रद हित का हकदार होने का दावा करता है ।

[जैसा प्ररुप संख्यांक 1 के पैरा 4 और 5 में है ।]

6. वादी उक्त स्थावर सम्पत्ति के सब भाटकों और लाभों का [और उक्त स्थावर सम्पत्ति के या उसके भाग के विक्रय के आगमों का या जंगम सम्पत्ति का या उक्त जंगम सम्पत्ति के या उसके भाग के विक्रय के आगमों का या उक्त न्यास के निष्पादन में ऐसे न्यासी के रूप में वादी को प्रोद्भूत होने वाले लाभों का] लेखा देना चाहता है, और प्रार्थना करता है कि न्यायालय उक्त न्यास का लेखा ले और यह भी कि उक्त सम्पूर्ण न्यास सम्पदा का इस न्यायालय में प्रशासन प्रतिवादी **ग घ** के और उन सब अन्य व्यक्तियों के, जो ऐसे प्रशासन में हितबद्ध हों, फायदे के लिए **ग घ** की और इस प्रकार हितबद्ध अन्य ऐसे व्यक्तियों की, जिन्हें न्यायालय निदिष्ट करे, उपस्थिति में किया जाए या कि **ग घ** इसके प्रतिकूल अच्छा हेतुक दर्शित करें ।

[कृपया ध्यान दें- जहां वाद हिताधिकारी द्वारा है वहां वादपत्र वसीयतदार के वादपत्र के नमूने पर, आवश्यक परिवर्तन सहित, तैयार किया जाए ।

संख्यांक 45
पुरोबन्ध या विक्रय
(शीर्षक)

उक्त वादी **क ख** यह कथन करता है कि-

1. वादी प्रतिवादी की भूमियों का बन्धकदार है ।

2. बन्धक की विशिष्टियाँ निम्नलिखित हैं-

(क) (तारीख);

(ख) (बन्धककर्ता और बन्धकदार के नाम);

(ग) (प्रतिभूत राशि);

(घ) (ब्याज की दर);

(ड.) (बन्धक के अधीन सम्पत्ति);

(च) (अब शोध्य रकम);

(छ) (यदि वादी का हक अन्य से व्युत्पन्न है तो जिन अन्तरणों या न्यागमन के अधीन वह दावा करता है वे संक्षेप में लिखिए ।)

(यदि वादी सकब्जा बन्धकदार है तो यह लिखिए-)

3. वादी ने बन्धक सम्पत्ति का कब्जा ता0 .... को लिया और वह सकब्जा बन्धकदार के रुप में उस समय से लेखा देने के लिए तैयार है ।

[जैसा प्ररुप संख्यांक 1 के पैरा 4 और 5 में ह ।]

6. वादी दावा करता है कि-

(1) उसे संदाय किया जाए या उसमें व्यतिक्रम होने पर [विक्रय या] पुरोबन्ध किया जाए [और कब्जा दिलाया जाए];

[जहां आदेश 34 का नियम 6 लागू हो]

(2) यदि विक्रय के आगम वादी को शोध्य रकम के संदाय के लिए अपर्याप्त पाए जाएं, तो वादी की यह स्वतंत्रता आरक्षित रखी जाए कि वह [1][बाकी के आदेश] के लिए आवेदन कर सकेगा ।

संख्यांक 46

मोचन

(शीर्षक)

उक्त वादी **क ख** यह कथन करता है कि-

1. वादी उन भूमियों का बन्धककर्ता है जिनका बन्धकदार प्रतिवादी है ।

2. बन्धक की विशिष्टियां निम्नलिखित हैं-

(क) (तारीख);

(ख) बन्धककर्ता और बन्धकदार के नाम);

(ग) (प्रतिभूति राशि);

(घ) (ब्याज की दर);

(ड.) (बन्धक के अधीन सम्पत्ति);

(च) (यदि वादी का हक अन्य से व्युत्पन्न है तो जिन अन्तरणों या न्यागमन के अधीन वह दावा करता है वे संक्षेप में लिखिए) ।

[यदि प्रतिवादी सकब्जा बन्धकदार है तो यह लिखिए-]

3. प्रतिवादी ने बन्धक सम्पत्ति का कब्जा ले लिया है (या उसका भाटक प्राप्त कर लिया है) ।

[जैसा प्ररुप संख्यांक 1 के पैरा 4 और 5 में है ।

6. वादी उक्त सम्पत्ति के मोचन का और [1][अन्तःकालीन लाभ के साथ] उसे अपने को वापस हस्तान्तरित कराने का (और उस पर कब्जा प्राप्त करने का) दावा करता है ।

संख्यांक 47

विनिर्दिष्ट पालन (संख्यांक 1)

(शीर्षक)

उक्त वादी **क ख** यह कथन करता है कि-

1. तारीख.............. के और प्रतिवादी द्वारा हस्ताक्षरित करार द्वारा प्रतिवादी ने उसमें वर्णित और निर्दिष्ट कुछ स्थावर सम्पति रुपयों में वादी से खरीदने की (या वादी को बेचने की) संविदा की थी ।

2. वादी ने प्रतिवादी से आवेदन किया कि वह करार के अपने भाग का विनिर्दिष्ट पालन करे, किन्तु प्रतिवादी ने ऐसा नहीं किया है ।

3. वादी करार के अपने भाग का विनिर्दिष्ट पालन करने के लिए तैयार और रजामन्द रहा है और अब भी है, जिनकी सूचना प्रतिवादी को है ।

[जैसा प्ररुप संख्यांक 1 के पैरा 4 और 5 में हे ।]

6. वादी दावा करता है कि न्यायालय प्रतिवादी को करार का विनिर्दिष्ट पालन करने के लिए, और उक्त सम्पत्ति का वादी को पूरा कब्जा दिलाने के लिए सब आवश्यक कार्य करने के लिए [या उक्त सम्पत्ति का अन्तरण और कब्जा प्रतिगृहीत करने के लिए,] और वाद के खर्च देने के लिए आदेश दे ।

संख्यांक 48

विनिर्दिष्ट पालन (संख्यांक 2)

(शीर्षक)

उक्त वादी **क ख** यह कथन करता है कि-

1. ता0 .... को वादी और प्रतिवादी ने लिखित करार किया, जिसकी मूल दस्तावेज इसके साथ उपाबद्ध है ।

प्रतिवादी करार में वर्णित स्थावर सम्पत्ति का आत्यंतिक रुप से हकदार था ।

2. ता0 .... को वादी ने प्रतिवादी को..................... प्रस्तुत किए और उक्त सम्पत्ति का अन्तरण पर्याप्त लिखत द्वारा किए जाने की मांग की ।

3. ता0 .... को वादी ने ऐसा अन्तरण किए जाने की फिर मांग की [या प्रतिवादी ने उसे वादी को अन्तरित करने से इंकार कर दिया ।

4. प्रतिवादी ने कोई अन्तरण लिखत निष्पादित नहीं की है ।

5. वादी उक्त संपत्ति का क्रयधन प्रतिवादी को देने के लिए अब भी तैयार और रजामन्द है ।

[जैसा प्ररूप संख्यांक 1 के पैरा 4 और 5 में है ।]

8. वादी दावा करता है कि---

(1) प्रतिवादी (करार के निबन्धनों के अनुसार) उक्त संपत्ति वादी को पर्याप्त लिखत द्वारा अन्तरित कर दे;

(2) उस सम्पत्ति को रोक रखने के लिए उसे.................. रुपए प्रतिकर दे ।

1. 1976 के अधिनियम संख्या 104 की धारा 93 द्वारा (1.2.1977 से) "बाकी की डिक्री" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।|
1. 1976 के अधिनियम संख्या 104 की धारा 93 द्वारा (1.2.1977 से) जोड़ा गया ।

संख्यांक 49

भागीदारी

(शीर्षक)

उक्त वादी **क ख** यह कथन करता है कि-

1. वह और प्रतिवादी **ग घ** पिछले....................... वर्ष (या मास) से भागीदारी के लिखित अनुच्छेदों

के अधीन [या विलेख के अधीन या मौखिक करार के अधीन] इकदठे कारबार करते रहे हैं ।

2. ऐसे भागीदारों के रुप में वादी और प्रतिवादी के बीच ऐसे कई विवाद और मतभेद त्युत्पन्न हुए हैं जिनके कारण भागीदारी का कारबार भागीदारों के फायदाप्रद रुप में चलाना असम्भव हो गया है । [या प्रतिवादी ने भागीदारी के अनुव्छेदों के निम्नलिखित भंग किए हैं-

(1)

(2)

(3) |]

[जैसा प्ररुप संख्यांक 1 के पैरा 4 और 5 में है ।]

5. वादी दावा करता है कि-

(1) भागीदारी का विघटन किया जाए;

(2) लेखा लिया जाए;

(3) रिसीवर नियुक्त किया जाए ।

[कृपया ध्यान दें- किसी भी भागीदारी के परिसमापन के वादों में, विघटन के लिए दावा छोड दिया जाए, और उसके स्थान पर एक पैरा जोड़ दिया जाए, जिसमें भागीदारी का विघटन कर दिए जाने के तथ्य कथित हों ।]

(4) लिखित कथन

साधारण प्रतिरक्षाएँ

इंकार- प्रतिवादी इस बात से इंकार करता है कि (तथ्य लिखिए) ।

प्रतिवादी यह स्वीकार नहीं करता है कि (तथ्य लिखिए) ।

प्रतिवादी स्वीकार करता है कि.......................... किन्तु उसका कहना है कि ....|

प्रतिवादी इस बात से इंकार करता है कि वह................................. वाली प्रतिवादी की फर्म में भागीदार है ।

अभ्यापत्ति- प्रतिवादी इस बात से इंकार करता है कि उसने वादी से अभिकथित संविदा या कोई संविदा की |

प्रतिवादी इस बात से इंकार करता है कि उसने वादी से अभिकथित रुप में संविदा या कोई भी संविदा की ।

प्रतिवादी आस्तियों को स्वीकार करता है किन्तु वादी के दावे को स्वीकार नहीं करता ।

प्रतिवादी इस बात से इंकार करता है कि वादी ने वाद पत्र में वर्णित माल या उसमें से कोई भी माल प्रतिवादी को बेचा ।

परिसीमा- वाद, इण्डियन लिमिटेशन एक्ट, 1877 [1][1877 का 15] की द्वितीय अनुसूची के अनुच्छेद.............. या अनुच्छेद................... द्वारा वर्जित है ।

अधिकारिता- वाद की सुनवाई की अधिकारिता न्यायालय को इस आधार पर नहीं है कि (आधार लिखिए) ।

अभिकथित वाद हेतुक के उन्मोचन में ता0 .... को प्रतिवादी ने एक हीरे की

अंगूठी वादी को परिदन्त की थी और वादी ने उसे प्रतिगृहीत किया था ।

दिवाला- प्रतिवादी दिवालिया न्यायनिर्णीत कर दिया गया है ।

वादी वाद के संस्थित किए जाने से पहले दिवालिया न्याय निर्णीत कर दिया गया था और वाद करने का अधिकार रिसीवर में निहित हो गया था ।

अवयस्कता- प्रतिवादी अभिकथित संविदा की जाने के समय अवयस्क था ।

न्यायालय में जमा करना- प्रतिवादी ने पूरे दावे की रकम (या, यथास्थिति, दावाकृत धन के भागरुप............ रुपए) की बाबत न्यायालय में............................ रुपए जमा कर दिए हैं और उसका कहना है कि यह राशि वादी के दावे की [या उपर्युक्त भाग की] तुष्टि के लिए पर्याप्त है ।

पालन का परिहार- अभिकथित वचन के पालन का परिहार (तारीख)............ को कर दिया था ।

विखण्डन- संविदा वादी और प्रतिवादी के बीच हुए करार द्वारा विखण्डित कर दी गई थी |

पूर्व-न्याय- वादी का दावा (यहां निर्देश दीजिए) वाद की डिक्री द्वारा वर्जित है ।

विबंध- वादी (यहां वह कथन लिखिए जिसके बारे में विबन्ध का दावा है) की सत्यता से इंकार करने से इसलिए विवद्ध है कि (यहां वे तथ्य लिखिए जिन पर निर्भर इसलिए किया गया है कि उनसे विबंध का सृजन होता है) ।

वाद के संस्थित किए जाने का पश्चात्वर्ती प्रतिरक्षा का आधार- वाद के संस्थित किए जाने के पश्चात्, अर्थात् को (यहां तथ्य लिखिए) ।.................................

संख्यांक 1

विक्रय किए गए और परिदत्त माल के लिए वादों में प्रतिरक्षा

1. प्रतिवादी ने माल के लिए आदेश नहीं दिया था ।
2. माल का परिदान प्रतिवादी को नहीं किया गया था ।

2. कीमत.............................. रुपए नहीं थी ।

[या]

4. 1.

5. .... रुपए के बारे के सिवाय यही प्रतिरक्षा है जो 2. में है ।

6. 3.

7. प्रतिवादी [या प्रतिवादी के अभिकर्ता **क ख**] ने दावे की तुष्टि वाद के पूर्व वादी [या वादी के अभिकर्ता **ग घ**] को ता0 .... को संदाय करके कर दी थी ।

8. प्रतिवादी ने दावे की तुष्टि वाद के पश्चात् वादी को ता0 .... को संदाय करके कर दी थी ।

1. अब परिसीमा अधिनियम 1963, (1963 का 36) देखिए ।

संख्यांक 2

बन्धपत्रों पर वादों में प्रतिरक्षा

1. बन्धपत्र प्रतिवादी का बन्धपत्र नहीं है ।

2. प्रतिवादी ने बन्धपत्र की शर्तों के अनुसार नियत दिन पर वादी को संदाय कर दिया था ।

3. प्रतिवादी ने बन्धपत्र में वर्णित मूलधन और ब्याज का संदाय वादी को नामित दिन के पश्चात् और वाद के पूर्व कर दिया था ।

संख्यांक 3

प्रत्याभूतियों पर वादों में प्रतिरक्षा

1. मूल ऋणों ने दावे की तुष्टि वाद के पूर्व संदाय करके कर दी थी ।

2. वादी ने मूल ऋणी को एक आबद्धकर करार के अनुसरण में समय दिया था और उससे प्रतिवादी निर्मुक्त हो गया था ।

संख्यांक 4

ऋण के किसी भी वाद में प्रतिरक्षा

1. दावा किए गए धन के 200 रुपए की बाबत प्रतिवादी उस माल के लिए जो उसने वादी को बेचा और परिदत्त किया है, मृजराई का हकदार है-

विशिष्टियां निम्नलिखित हैं:

	रुपए
25 जनवरी, 1907.	150
1फरवरी, 1907.	50
	जोड़
	200

2. पूरी रकम की [या दावा किए गए धन के भागरुप ....रुपए की] बाबत प्रतिवादी ने वाद के पूर्व...................... रुपए निविदत्त किए और उन्हें न्यायालय में जमा कर दिया है ।

संख्यांक 5

उपेक्षापूर्वक गाड़ी चलाने से हुई क्षतियों के लिए वादों में प्रतिरक्षा

1. प्रतिवादी इस बात से इंकार करता है कि वादपत्र में वर्णित गाडी प्रतिवादी की गाडी थी और वह प्रतिवादी के सेवकों के भारसाधन या नियंत्रण में थी । गाड़ी ....गली, कलकत्ता के ....

की थी, जो भाडे पर घोड़ा देने के लिए अस्तबल चलाते हैं तथा जिन्हें प्रतिवादी को गाडियों और घोड़ों का प्रदाय करने के लिए प्रतिवादी ने नियोजित किया है और वह व्यक्ति जिसके भारसाधन और नियंत्रण में उक्त गाडी थी उक्त.......................... का सेवक था ।

2. प्रतिवादी यह स्वीकार नहीं करता है कि उक्त गाड़ी मिडिलटन स्ट्रीट से या तो उपेक्षापूर्वक, सहसा या चेतावनी दिए बिना या तेज या खतरनाक गति से मोडी गई ।

3. प्रतिवादी का कहना है कि युक्तियुक्त सावधानी और तत्परता बरत कर वादी उक्त गाडी को अपनी ओर आते हुए देख सकता था और उससे टक्कर बचा सकता था ।

4. प्रतिवादी वादपत्र के पैरा 3 में अंतर्विष्ट कथनों को स्वीकार नहीं करता ।

संख्यांक 6
दोषों के लिए सभी वादों में प्रतिरक्षा

1. विभिन्न कार्यों [या बातों] का जिनके संबंध में परिवाद किया गया है, प्रत्याख्यान ।

संख्यांक 7
माल के विरोध के वादों में प्रतिरक्षा

1. माल वादी की संपत्ति नहीं थी ।

2. माल उस धारणाधिकार से निरुद्ध किया गया था जिसका प्रतिवादी हकदार था । विशिष्टियां निम्नलिखित हैं-

3 मई, 1907------ दिल्ली से कलकत्ता को दावाकृत माल के वहन की बाबत-----

2 रुपए प्रति मन की दर से 45 मन की बाबत.............90 रुपए ।

संख्यांक 8
प्रतिलिप्यधिकार के अतिलंघन के वादों में प्रतिरक्षा

1. वादी लेखक [समनुदेशिती, इत्यादि] नहीं है ।
2. पुस्तक रजिस्ट्रीकृत नहीं थी ।
3. प्रतिवादी ने अतिलंघन नहीं किया ।

संख्यांक 9
व्यापार-चिन्ह के अतिलंघन के वादों में प्रतिरक्षा

1. व्यापार-चिन्ह वादी का नहीं है ।
2. अधिकथित व्यापार-चिन्ह व्यापार-चिन्ह नहीं है ।

3. प्रतिवादी ने अतिलंघन नहीं किया ।

संख्यांक 10
न्यूसेंस संबंधी वादों में प्रतिरक्षा

1. वादी के प्रकाश मार्ग प्राचीन नहीं हैं [या उसके अन्य अभिकथित चिरभोगाधिकारों का प्रत्याख्यान कीजिए ।]
2. वादी के प्रकाश में प्रतिवादी के निर्माणों से तत्वत: बाधा नहीं पहुँचेगी ।
3. प्रतिवादी इस बात का प्रत्याख्यान करता है कि वह या उसके सेवक जल को प्रदूषित करते हैं [या वह करते है जिसका परिवाद किया गया है] ।

[यदि प्रतिवादी दावा करता है कि जिस बात का परिवाद किया गया है वह करने का अधिकार उसे चिरभोग द्वारा या अन्यथा प्राप्त है तो उसे ऐसा कहना चाहिए और अपने दावे के आधारों का कथन करना चाहिए अर्थात् यह कथन करना चाहिए कि वे अधिकार चिरभोग या अनुदान द्वारा हैं या किस आधार पर हैं ।

4. वादी अतिविलम्ब का दोषी रहा है जिसकी विशिष्टियां निम्नलिखित हैं-

1870 में वादी की मिल ने काम शुरु किया ।

1871 में वादी का कब्जा हुआ ।

1883 में पहला परिवाद किया गया ।

5. नुकसानी के लिए वादी के दावे की बाबत प्रतिवादी प्रतिरक्षा के उक्त आधारों पर निर्भर करेगा और उसका यह कहना है कि परिवादित कार्यों से वादी को कोई नुकसान नहीं हुआ है । [यदि अन्य आधारों पर निर्भर किया जाता है तो उनका, जैसे भूतकालिक नुकसान के बारे में परिसीमा, इत्यादि, का कथन करना चाहिए ।]

संख्यांक 11
पुरोबन्ध के वाद में प्रतिरक्षा

1. प्रतिवादी ने बन्धक निष्पादित नहीं किया था ।

2. बन्धक वादी को अन्तरित नहीं किया गया था [यदि एक से अधिक अन्तरणों का अभिकथन किया गया है तो यह बताइए कि किस अन्तरण का प्रत्याख्यान किया जाता है]।

3. वाद इण्डियन लिमिटेशन ऐक्ट, 1877[1] (1877 का 15) की द्वितीय अनुसूची के अनुच्छेद ....द्वारा वर्जित है ।

4. निम्नलिखित संदाय किए गए हैं, अर्थात:-

	रुपए
[यहां तारीख लिखिए]	1000
[यहां तारीख लिखिए]	500

5. वादी ने ता0 .... को कब्जा लिया था और वह तब से बराबर भाटक प्राप्त करता रहा है ।

6. वादी ने ता0...............................को ऋण का निर्मोचन कर दिया था ।

7. प्रतिवादी ने अपना सब हित ता0...................की दस्तावेज द्वारा **क ख** को अन्तरित कर दिया था ।

संख्यांक 12

मोचन के वाद में प्रतिरक्षा

1. वादी का मोचन अधिकार इण्डियन लिमिटेशन ऐक्ट, 1877[2] (1877 का 15) की द्वितीय अनुसूची के अनुच्छेद.......................... द्वारा वर्जित है |

2. वादी ने सम्पत्ति में अपना सब हित **क ख** को अन्तरित कर दिया ।

3. प्रतिवादी ने ता0..............................की दस्तावेज द्वारा बन्धक ऋण में तथा बन्धक में समाविष्ट सम्पत्ति में अपना सब हित **क ख** को अन्तरित कर दिया था ।

4. प्रतिवादी ने बन्धक सम्पत्ति का कब्जा कभी नहीं लिया था और न उसका भाटक प्राप्त किया

[यदि प्रतिवादी केवल कुछ समय के लिए कब्जा स्वीकार करता है तो उसे उस समय क उल्लेख करना चाहिए और जो कुछ वह स्वीकार करता है उसके परे के कब्जे का प्रत्याख्यान करना चाहिए ।]

संख्यांक 13

विनिर्दिष्ट पालन के वाद में प्रतिरक्षा

1. प्रतिवादी ने करार नहीं किया था ।

2. **क ख** प्रतिवादी का अभिकर्ता नहीं था [यदि ऐसा अभिकथन वादी द्वारा किया गया हो] ।

3. वादी ने निम्नलिखित शर्तों का पालन नहीं किया–[शर्तें] ।

4. प्रतिवादी ने [भागिक पालन के अभिकथित कार्य] नहीं किए ।

5. उस सम्पत्ति में, जिसके बेचने का करार हुआ था, वादी का हक ऐसा नहीं है कि निम्नलिखित बातों के कारण प्रतिवादी उसे स्वीकार करने के लिए आबद्ध हो [कारण लिखिए] ।

6. करार निम्नलिखित बातों के बारे में अनिश्चित हैं [वे बातें लिखिए] ।

7. [या] वादी विलम्ब का दोषी रहा है ।

8. [या] वादी कणट या [दुर्व्यपदेशन] का दोषी रहा है ।

9. [या] करार अनुचित है ।

1. अब परीसीमा अधिनियम, 1963 (1963 का 36) देखिए ।

2. अब परीसीमा अधिनियम, 1963 (1963 का 36) देखिए ।

10. [या] करार भूल से किया गया था ।

11. (7), (8), (9), (10) [या जैसा स्थिति हो] उस की विशिष्टियां निम्नलिखित हैं ।

12. करार का विखण्डन विक्रय की शर्त संख्यांक 11 के अधीन [या परस्पर करार द्वारा] कर दिया गया था ।

[उन मामलों में, जिनमें नुकसानी का दावा किया गया है और प्रतिवादी नुकसानी की बाबत अपने दायित्व के बारे में विवाद करता है उसे करार का या अभिकथित भंगों का प्रत्याख्यान करना चाहिए, या प्रतिरक्षा के जिस दूसरे आधार पर निर्भर करने की यह आशा रखता है उसे दर्शित करना चाहिए, उदाहरणार्थ भारतीय परिसीमा अधिनियम' सहमति और तुष्टि, निर्मोचन, कपट, इत्यादि ।

संख्यांक 14

धनीय वसीयतदार द्वारा लाए गए प्रशासन वाद में प्रतिरक्षा

1. **क ख** की विल में ऋण-भार अन्तर्विष्ट था । जब उसकी मृत्यु हुई तब वह दिवालिया था । अपनी मृत्यु के समय वह कुछ स्थावर सम्पत्ति का हकदार था जिसे प्रतिवादी ने बेच दिया और जिससे, रुपए की शुद्ध राशि का आगम हुआ, और वसीयकर्ता की कुछ जगंम सम्पत्ति थी, जिस पर प्रतिवादी ने कब्जा किया और जिससे. रूपये की शुद्ध राशि का आगम आ ।

2. प्रतिवादी ने उक्त सब राशियों का और.................रुपए की राशि का जो प्रतिवादी को स्थावर सम्पत्ति के भाटकों के रुप में प्राप्त हुई, उपयोजन वसीयतकर्ता की अन्यतेष्टि और वसीयती व्ययों का और ऋणों में से कुछ का संदाय करने में किया ।

3. प्रतिवादी ने अपने लेखाओं को पूरा करके उनकी एक प्रति को ता0 .... को भेज दी थी और यह प्रस्थापना की थी कि उन लेखाओं का सत्यापन करने के लिए वादी वाउचरों को आबद्ध रुप से देख सकता है किन्तु उसने प्रतिवादी की प्रस्थापना का फायदा उठाने से इंकार कर दिया ।

4. प्रतिवादी का यह निवेदन है कि इस वाद के खर्चे वादी द्वारा दिए जाने चाहिए ।

संख्यांक 15

सत्यनिष्ठ प्ररूप में वसीयत का प्रोबेट

1. मृतक की उक्त विल और क्रोडपत्र इंडियन सक्सेशन ऐक्ट, 1865[2] (1865 का 10) (या हिन्दू विल्ज ऐक्ट, 1870[3]] (1870 का 21) के उपबन्धों के अनुसार सम्यक् रुप से निष्पादित नहीं किए गए थे ।

2. जिस समय क्रमश: उक्त विल और क्रोड का निष्पादन किया जाना तात्पर्यित है उस समय मृतक स्वस्थ चित्त, स्मृति और बोध का नहीं था ।

3. उक्त विल और क्रोडपत्र का निष्पादन वादी के (और उसके साथ कार्य करने वाले अन्य लोगों के जिनके नाम इस समय प्रतिवादी को ज्ञात नहीं हैं) असम्यक असर से अभिप्राप्त किया गया था ।

4. उक्त विल और क्रोडपत्र का निष्पादन वादी के कपट से अभिप्राप्त किया गया था । जहां तक उस कपट की प्रतिवादी को इस समय जानकारी है वह (कपट की प्रकृति लिखिए) ।

5. उक्त विल और क्रोडपत्र का निष्पादन करते समय मृतक को उसकी अन्तर्वस्तु की [या, यथास्थिति उक्त विल के अवशिष्टीय खण्ड की अन्तर्वस्तुओं की] जानकारी नहीं थी और उसने उनका अनुमोदन नहीं किया था ।

1. अब परिसीमा अधिनियम, 1963 (1963 का 36) देखिए ।

2. अब परिसीमा अधिनियम, 1963 (1963 का 36) देखिए ।

3. अब भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925(1925 का 39) देखिए ।

6. मृतक ने अपनी सही अन्तिम विल 1 जनवरी 1873 को की और उससे उसने प्रतिवादी को उसका एकमात्र निष्पादक नियुक्त किया था ।

प्रतिवादी दावा करता है कि-

(1) न्यायालय वादी द्वारा प्रतिपादित विल और क्रोडपत्र के विरुद्ध निर्णय सुनाए;

(2) न्यायालय मृतक की 1 जनवरी, 1873 की विल के विधि विहित सत्यनिष्ठ प्ररुप में प्रोबेट की डिक्री दे ।

संख्यांक 16

विशिष्टियां (आदेश 6 का नियम 6)

(वाद का शीर्षक)

विशिष्टियां----ता0 .... के आदेश के अनुसरण में परिदत्त [यहां वे बातें लिखिए जिनके बारे में विशिष्टियां देने का आदेश दिया गया है] की विशिष्टियां निम्नलिखित हैं-

[यहां आदिष्ट विशिष्टियां को यदि आवश्यक हो तो पैराओं में लिखिए ।]

परिशिष्ट ख

आदेशिका

संख्यांक 1

वाद के निपटारे के लिए समन (आदेश 5 के नियम 1 और 5)

(शीर्षक)

प्रेषिती-

....

(नाम, वर्णन और निवास-स्थान)

.... ने आपके विरुद्ध......................... के लिए वाद संस्थित किया है । आपको इस न्यायालय में तारीख.........................को दिन में................................बजे दावे का उत्तर देने के लिए उपसंजात (हाजिर) होने के लिए समन किया जाता है । आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक अनुदेश दिए गए हों और जो इस वाद से संबंधित सभी सरवान् प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके । न्यायालय में आपकी उपसंजाति के लिए जो दिन नियत किया गया है वह इस वाद के अन्तिम निपटारे के लिए नियत दिन है इसलिए आपको उस दिन अपने सब साक्षियों को या उन सब दस्तावेजों को पेश करने के लिए तैयार

रहना चाहिए जिन पर आप अपनी प्रतिरक्षा के लिए निर्भर रहना चाहते है ।

आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा ।

यह आज तारीख ....को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दिया गया है |

न्यायाधीश

कृपया ध्यान दें- 1. यदि आपको यह आशंका है कि आपके साक्षी अपनी मर्जी से हाजिर नहीं होंगे तो आप किसी साक्षी को हाजिर होने के लिए विवश करने के लिए और ऐसी कोई दस्तावेज पेश कराने के लिए, जिसे पेश करने के लिए साक्षी से अपेक्षा करने का आपको अधिकार है, समन इस न्यायालय से आवेदन करके और आवश्यक व्ययों की रकम जमा करके ले सकते हैं ।

2. यदि आप दावे को स्वीकार करते हैं तो आपको चाहिए कि वाद के खर्चे के साथ उस दावें का धन न्यायालय में जमा कर दें जिससे कि डिक्री का निष्पादन स्वयं आपके या आपकी सम्पति या दोनों के विरुद्ध न करना पड़े ।

संख्यांक 2

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए समन (आदेश 5 के नियम 1 और 5)

(शीर्षक)

प्रेषिती-

....

(नाम, वर्णन और निवास-स्थान)

.... ने आपके विरुद्ध.....................के लिए वाद संस्थित किया है । आपको इस न्यायालय में तारीख...........................को दिन में.........................बजे दावे का उत्तर देने के लिए उपसंजात (हाजिर) होने के लिए समन किया जाता है । आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक् अनुदेश दिए गए हों और जो इस वाद से संबंधित सभी सारवान् प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके । [11][आपको यह निदेश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन दाखिल करें और उस दिन ऐसी सब दस्तावेजें जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है । और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो या न हो, अपनी प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रुप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसी दस्तावेजों की, लिखित कथन के साथ उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें ।

आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा ।

यह आज ता0 ....को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है |

न्यायाधीश

कृपया ध्यान दें- 1. यदि आपको आशंका है कि आपके साक्षी अपनी मर्जी से हाजिर नहीं होंगे तो आप किसी साक्षी को हाजिर होने के लिए विवश करने के लिए और ऐसी कोई दस्तावेज पेश कराने के लिए, जिसे पेश करने के लिए साक्षी से अपेक्षा करने का आपको अधिकार है, समन इस न्यायालय से आवेदन करके और आवश्यक खर्चों की रकम जमा करके ले सकते हैं ।

2. यदि आप दावे को स्वीकार करते हैं तो आपको चाहिए कि वाद के खर्चे के साथ उस दावे का धन न्यायालय में जमा कर दें जिससे कि डिक्री का निष्पादन स्वयं आपके या आपकी सम्पत्ति या दोनों के विरुद्ध न करना पड़े ।

संख्यांक 3

स्वयं उपसंजात होने के लिए समन (आदेश 5 क नियम 3)

(शीर्षक)

प्रेषित

....

(नाम, वर्णन और निवास-स्थान)

....ने आपके विरुद्ध...................................के लिए जो वाद संस्थित किया है । आपको इस न्यायालय में तारीख.................को दिन में.............बजे दावे का उत्तर देने के लिए उपसंजात होने के लिए समन किया जाता है । आपको निदेश दिया जाता है कि आप उस दिन उन सब दस्तावेजों को पेश करें जिन पर अपनी प्रतिरक्षा के लिए निर्भर रहना चाहते हैं ।

आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका अवधारण आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा ।

यह आज तारीख........................को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है ।

न्यायाधीश

[12][**संख्यांक 4**

संक्षिप्त वाद में समन (आदेश 37 का नियम 2)

(शीर्षक)

प्रेषिती-

....

(नाम, वर्णन और निवास-स्थान)

..............................ने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 37 के अधीन आपके विरुद्ध........................ रूपयों और ब्याज के लिए वाद संस्थित किया है । आपको समन किया जाता है

कि आप इस समन की तामील होने की तारीख से दस दिन के भीतर उपसंजात (हाजिर) हों । यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो दस दिन की उक्त अवधि के बीत जाने के पश्चात् वादी को.......................रुपयों से अनधिक राशि के लिए और खर्चों की बाबत............................. रुपयों की राशि के लिए ऐसे ब्याज सहित, यदि कोई हों, जैसा न्यायालय आदिष्ट करे, डिक्री अभिप्राप्त करने का हक होगा ।

यदि आप उपसंजात होते हैं तो वादी तत्पश्चात् आपको निर्णय के लिए समन तामील करेगा जिसकी सुनवाई के समय आपको वाद की प्रतिरक्षा करने की इजाजत के लिए न्यायालय से समावेदन करने का हक होगा ।

यदि आप शपथपत्र द्वारा या अन्यथा न्यायालय का यह समाधान कर देते हैं कि वाद की प्रतिरक्षा गुणागुण के आधार पर की जा सकती है या यह युक्तियुक्त है कि आपको प्रतिरक्षा करने के लिए अनुजा दी जानी चाहिए तो प्रतिरक्षा करने की इजाजत दी जा सकेगी ।

यह आज तारीख..........................को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है ।

न्यायाधीश]

[13][संख्यांक 4क

संक्षिप्त वाद में निर्णय के लिए समन (आदेश 37 का नियम 8)

(शीर्षक)

............................में.......................के न्यायालय में 19................ का वाद संख्यांक.............

भमय   वादी

बनाम

क ख ग   प्रतिवादी

न्यायालय वादी के शपथपत्र को पढाने के उपरांत निम्नलिखित आदेश करता है, अर्थात्:-

सम्बद्ध सभी पक्षकार, यथास्थिति, न्यायालय या न्यायाधीश के समक्ष तारीख......................... को पूर्वाह्न में...........................बजे वादी के इस आवेदन की सुनवाई के लिए हाजिर हों कि वह प्रतिवादी के विरुद्ध (या यदि एक या कुछ या कई प्रतिवादी हों तो उसका या उनके नाम लिखें).............. रुपए के लिए और ब्याज तथा खर्चे के लिए इस वाद में निर्णय प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा ।

तारीख........................]

11. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 94 द्वारा (1-2-1977 से) कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित |
12. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 94 द्वारा (1-2-1977 से) प्ररुप 4 के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।
13. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 94 द्वारा (1-2-1977 से) अन्त: स्थापित किया गया ।

संख्यांक 5

उस व्यक्ति को सूचना जिसके बारे में न्यायालय समझता है कि उसे सहवादी के रूप में जोड़ा जाना चाहिए (आदेश 1 का नियम 10)

(शीर्षक)

प्रेषिती-

....

(नाम, वर्णन और निवास-स्थान)

..........................ने...........................के विरुद्ध..............................के लिए वाद संस्थित किया है और यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उक्त वाद में आपको वादी के रुप में इस लिए जोड़ा जाए कि न्यायालय उससे जुडे हुए सब प्रश्नों का प्रभावी तौर पर और पूर्व रुप से न्यायनिर्णयन कर सके और उन्हें निपटा सके ।

आपको सूचित किया जाता है कि आप ता0 ....को या उसके पूर्व इस न्यायालय को बताएं कि क्या आप इस प्रकार जोड़े जाने के लिए सहमत हैं ।

यह आज ता0 .... को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई है |

न्यायाधीश

संख्यांक 6

मृतक प्रतिवादी के विधिक प्रतिनिधि को समन (आदेश 22 का नियम 4)

(शीर्षक)

प्रेषिती-

....

.... वादी ने इस न्यायालय में ता0........................को ....प्रतिवादी के विरुद्ध वाद संस्थित किया था । प्रतिवादी की अब मृत्यु हो चुकी है और उक्त वादी ने यह अभिकथन करते हुए इस न्यायालय में आवेदन किया है कि आप उक्त...................... मृतक के विधिक प्रतिनिधि हैं और यह इच्छा प्रकट की है कि आपको उसके बदले में प्रतिवादी बनाया जाए ।

आपको समन किया जाता है कि आप उक्त वाद में प्रतिरक्षा करने के लिए ता0....................... को .... बजे पूर्वाह्न इस न्यायालय में हाजिर हों और यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका अवधारण आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा ।

यह आज ता0...................................... को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया ।

न्यायाधीश

संख्यांक 7

अन्य न्यायालय की अधिकारिता में तामील किए जाने के लिए समन के पारेषण का आदेश (आदेश 5 का नियम 21)

(शीर्षक)

यह कथन किया गया है कि.........................जो कि उक्त वाद में प्रतिवादी/ साक्षी है, आजकल.................... में निवास कर रहा है । यह आदेश दिया जाता है कि ता0 .... को लौटाया जाने वाला समन और इस कार्यवाही की दूसरी प्रति.................... .के............. .न्यायालय को उक्त प्रतिवादी/ साक्षी पर तामील किए जाने के लिए भेज दी जाए ।

समन की बाबत प्रभार्य....................की न्यायालय फीस स्टाम्पों के रुप में इस न्यायालय में वसूल कर ली गई है ।

ता0 .... 19.............

न्यायाधीश

संख्यांक 8

कैदी पर तामील किए जाने के लिए समन के पारेषण का आदेश

(आदेश 5 का नियम 25)

(शीर्षक)

प्रेषिती-

.............................की जेल का अधीक्षक ।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 3 के नियम 21 के उपबन्धों के अधीन दो प्रतियों में समन..................प्रतिवादी पर जो................ जेल में कैदी है तामील के लिए भेजा जा रहा है । आपसे अनुरोध है कि उक्त समन की एक प्रति की तामील उक्त प्रतिवादी पर करा दें और उक्त प्रतिवादी द्वारा हस्ताक्षरित मूल प्रति, आप उस पर तामील का कथन स्वयं पृष्ठांकित करके, इस न्यायालय को लौटा दें |

न्यायाधीश

संख्यांक 9

लोक सेवक या सैनिक पर तामील किए जाने के लिए समन के पारेषण का आदेश

(आदेश 5 के नियम 27 और 28)

(शीर्षक)

प्रेषिती-

....

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 3 के नियम 27 [या यथास्थिति नियम 28] के उपबन्धों के अधीन दो प्रतियों में समन...........................प्रतिवादी पर, जिसके बारे में यह कथन किया गया है कि वह आपके अधीन सेवा कर रहा है, तामील के लिए इसके साथ भेजा जा रहा है । आपसे अनुरोध है कि

उक्त समन की एक प्रति की तामील उक्त प्रतिवादी पर करा दें और उक्त प्रतिवादी द्‌वारा हस्ताक्षरित मूल प्रति, आप उस पर तामील का कथन स्वयं पृष्ठांकित करके, इस न्यायालय को लौटा दें ।

न्यायाधीश

संख्यांक 10

दूसरे न्यायालय के समन को लौटाने का प्ररुप (आदेश 5 का नियम 23)

(शीर्षक)

.... न्यायालय की उन कार्यवाहियों को पढिए जिनके द्‌वारा उस न्यायालय के........................ संख्यांक वाले वाद में......................... पर तामील के लिए........................ भेजा गया है ।

तामील करने वाले अधिकारी के उस पृष्ठांकन को पहिये जिसमें कहा गया है कि .... और उक्त का सबूत और............ की शपथ पर मेरे द्‌वारा सम्यक्‌ रुप से ले लिए जाने पर यह आदेश दिया जाता है कि............. इस कार्यवाही की एक प्रति के साथ.................... को लौटा दिया जाए ।

न्यायाधीश

कृपया ध्यान दें- यह प्ररुप समन से भिन्न ऐसी आदेशिका को भी लागू होगा जिसकी तामील उसी प्रकार से की जानी हो ।

संख्यांक 11

आदेशिका-तामीलकर्ता का शपथपत्र जो समन या सूचना की विवरणी के साथ भेजा जाएगा (आदेश 5 का नियम 18)

(शीर्षक)

............................के पुत्र......................का शपथपत्र ।

मैं.................. शपथ लेता हूं / प्रतिज्ञान करता हूं और यह कथन करता हूं कि:-

(1) मैं इस न्यायालय का एक आदेशिका-तामीलकर्ता हूं ।

(2)..............................के न्यायालय द्‌वारा उक्त न्यायालय के 19....................के.. संख्यांक वाले वाद में निकाला गया/ निकाली गईता0 .... का समन / की सूचना... पर तामील के लिए मुझे ता0 ....को प्राप्त हुआ था/ हुई थी ।

(3) उक्त.......................को मैं उस समय वैयक्तिक रूप से जानता था और मैने उक्त समन/ सूचना की तामील उस पर तारीख......................... को लगभग...............................बजे पूर्वाह्न/ अपराह्न में उसकी प्रति उसको निविदत्त करके और अ समन/सूचना पर उसके हस्तारक्षर की अपेक्षा करके की थी ।

(क)

(ख)

(क) यहां यह लिखिए कि क्या उस व्यक्ति ने जिस पर तामील की गई आदेशिका पर हस्ताक्षर किया था या हस्ताक्षर करने से इंकार किया था और उसने किसकी उपस्थिति में ऐसा किया था ।

(ख) आदेशिका-तामीलकर्ता के हस्ताक्षर ।

अथवा,

(3) उक्त........................को मैं वैयक्तिक रुप से जानता था, इसलिए ....मेरे साथ..........................को गया और उसने मुझे एक व्यक्ति दिखलाया जिसके बारे में उसने बताया कि वह उक्त.............................है और मैंने उक्त समन / सूचना की तामील उस पर तारीख............................को लगभग ....बजे पूर्वाहन /अपराहन में उसकी एक प्रति उसको निविदत्त करके और मूल समना/ सूचना पर उसके हस्ताक्षर की अपेक्षा करके की थी

(क)

(ख)

(क) यहां यह लिखिए कि क्या उस व्यक्ति ने, जिस पर तामील की गई आदेशिका पर हस्ताक्षर किया था या हस्ताक्षर करने से इन्दगर किया था ओर उसने किसकी उपस्थिति में ऐसा किया था ।

(ख) आदेशिका-तामीलकर्ता के हस्ताक्षर ।

अथवा

(3) उक्त............................को और उस गृह को, जिसमें वह मामूली तौर पर निवास करता है, मैं वैयक्तिक रुप से जानता हूं और...............................में मैं उक्त गृह गया और वहां तारीख........................ को लगभग..............बजे पूर्वाह्न/ अपराह्न में मैंने उक्त..................... को नहीं पाया ।

(क)

(ख)

(क) आदेशिका की तामील जिस रीति से की गई उसे आदेश 5 के नियम 15 और 17 के प्रति विशेष निर्देश से पूरी तरह से और यथावत् लिखिए ।

(ख) आदेशिका-तामीलकर्ता के हस्ताक्षर ।

अथवा

(3) एक व्यक्ति............................... मेरे साथ................ तक गया और मुझे वहां............................. दिखलाया, जिसके बारे में उसने कहां कि वह वही गृह है, जिसमें .... मामूली तौर पर निवास करता है । मैंने उक्त........................ को वहां नहीं पाया ।

(क)

(ख)

(क) आदेशिका की तामील जिस रीति से की गई उसे आदेश 5 के नियम 1 के प्रति विशेष निर्देश से पूरी तरह से और यथावत् लिखिए ।

(ख) आदेशिका-तामीलकर्ता के हस्ताक्षर ।

अथवा

यदि प्रतिस्थापित तामील के लिए आदेश दिया गया है तो जिस रीति से समन की तामील की गई

थी उसे प्रतिस्थापित तामील के लिए आदेश के निबन्धनों के प्रति विशेष निर्देश से पूरी तरह से और यथावत् लिखिए ।

आज ता0...................... को उक्त.................................. ने मेरे समक्ष शपथ ली/ प्रतिज्ञान किया ।

अभिसाक्षियों को शपथ दिलाने के लिए
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 139 के अधीन सशक्त ।

संख्यांक 12

प्रतिवादी को सूचना (आदेश 9 का नियम 6)

(शीर्षक)

प्रेषिती -

....

(नाम वर्णन और निवास-स्थान)

उक्त वाद की सुनवाई के लिए आज का दिन नियत किया गया था और आपके नाम समन निकाला गया था । वादी इस न्यायालय में उपसंजात हुआ है और आप उपसजांत नहीं हुए हैं । नाजिर की विवरणी से न्यायालय को समाधानप्रद रुप में यह साबित हो गया है कि उक्त समन की तामील आप पर हुई थी किन्तु वह तामील इतने पर्याप्त समय में नहीं हुई कि आप उक्त समन में नियत दिन उपसंजात होकर उत्तर दें सके । आपको सूचित किया जाता है कि वाद की सुनवाई आज स्थगित कर दी गई है और उसकी सुनवाई के लिए अब ता0 .... नियत की गई है । यदि आप उक्त तारीख को उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा ।

यह आज ता0 .... को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई है ।

न्यायाधीश

संख्यांक 13

साक्षी को समन (आदेश 16 के नियम 1 और 5)

(शीर्षक)

प्रेषिती-

....

उक्त वाद में.............................. की ओर से आपकी हाजिरी............. के लिए आपेक्षित है । आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप ता0 ....को .... बजे पूर्वान्ह इस न्यायालय के समक्ष [स्वयं] उपसंजात हों और अपने साथ............. लाएं (या इस........................... न्यायालय को भेजें) ।

आपकी यात्रा और अन्य खर्चो के और एक दिन के निर्वाह भत्ते के रुप में............... रुपए की राशि इसके साथ भेजी जाती है । यदि आप इस आदेश का अनुपालन करने में विधिपूर्ण प्रतिहेतु के बिना असफल

रहेंगे तो आपको गैर-हाजिरी के वे परिणाम भोगने होंगे जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 16 के नियम 12 में अधिकथित हैं ।

यह आज ता. .... को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया ।

न्यायाधीश

सूचना- (1) यदि आपको केवल दस्तावेज पेश करने के लिए, न कि साक्ष्य देने के लिए समन किया गया है और आप वह दस्तावेज पूर्वोक्त दिन और समय इस न्यायालय में पेश करवा देते हैं तो यह समझा जाएगा कि अपने समन का अनुपालन कर दिया है ।

(2) यदि आपको पूर्वोक्ति दिन के पश्चात् भी रोक लिया जाता है तो विनिर्दिष्ट दिन के पश्चात् की प्रतिदिन की हाजिरी के लिए आपको................. रुपए की राशि निविदत्त की जाएगी ।

संख्यांक 14

साक्षी से हाजिर होने की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा (आदेश 16 का नियम 10)

(शीर्षक)

प्रेषिती-

....

तामील करने वाले अधिकारी की शपथ पर परीक्षा करने से यह प्रतीत होता है कि साक्षी पर समन की तामील विधि द्वारा विहित प्रकार से नहीं की जा सकी । यह भी प्रतीत होता है कि उस साक्षी का साक्ष्य तात्विक है और वह समन की तामील से बचने के प्रयोजन से फरार हो गया है और सामने आने से बचता है | अत: यह उद्घोषणा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 16 के नियम 10 के अधीन निकाली जाती है और साक्षी से अपेक्षा की जाती है वह तारीख.................... को...................... बजे पूर्वाह में, और जब तक उसे प्रस्थान करने की इजाजत न दे दी जाए तब तक दिन प्रतिदिन, इस न्यायालय में हाजिर हो । यदि वह साक्षी पूर्वोक्त दिन और समय पर हाजिर होने में असफल रहता है तो उसके साथ विधि के अनुसार बरता जाएगा ।

यह आज तारीख ....को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई ।

न्यायाधीश

संख्यांक 15

साक्षी से हाजिर होने की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा (आदेश 16 का नियम 10)

(शीर्षक)

प्रेषिती-

....

तामील करने वाले अधिकारी की शपथ पर परीक्षा करने से यह प्रतीत होता है कि साक्षी पर समन की तामील सम्यक रुप से हो चुकी है । यह भी प्रतीत होता है कि उस साक्षी का साक्ष्य तात्विक है और वह उस समन के अनुपालन में हाजिर होने में असफल रहा है । अत: यह उद्घोषणा सिविल प्रक्रिया संहिता

1908 के आदेश 16 के नियम 10 के अधीन निकाली जाती है और साक्षी से अपेक्षा की जाती है कि वह तारीख............ को.......................बजे पूवाह्न में, और जब तक उसे प्रस्थान करने के लिए इजाजत न दे दी जाए तब तक दिन प्रतिदिन, इस न्यायालय में हाजिर हो । यदि वह साक्षी उक्त दिन और समय पर हाजिर होने में असफल रहता है तो उसके साथ विधि के अनुसार बरता जाएगा ।

यह आज तारीख..............................को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई है ।

न्यायाधीश

संख्यांक 16

साक्षी की संपत्ति की कुर्की का वारंट (आदेश 16 का नियम 10)

(शीर्षक)

प्रेषिती-

न्यायालय का बेलिफ ।

.... द्वारा नामित साक्षी.................. उसकी हाजिरी के लिए निकाली गई उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट अवधि के बीतने के पश्चात् इस न्यायालय में उपसंजात नहीं हुआ है अत: आपको निदेश दिया जाता है कि आप उक्त साक्षी की..............तक मूल्य की............ सम्पत्ति कुर्क करके रखें और उसकी तालिका के सहित विवरणी.................. दिन के भीतर भेज दें ।

यह आज तारीख......... .को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाक र दिया गया ।

न्यायाधीश

संख्यांक 17

साक्षी की गिरफ्तारी का वारंट (आदेश 16 का नियम 10)

(शीर्षक)

प्रेषिती-

न्यायालय का बेलिफ ।

.... पर समन की सम्यक् रुप से तामील हो चुकी है, किन्तु वह हाजिर होने में असफल रहा है (समन की तामील से बचने के प्रयोजन से फरार हो गया है और सामने आने से बचता है) । अत: आपको आदेश दिया जाता है कि आप उक्त ....को गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष लाएं ।

आपको यह भी आदेश दिया जाता है कि आप इस वारंट को वह दिन जिसको, और वह रीति, जिससे इसका निष्पादन किया गया है या वह कारण जिससे यह निष्पादित नहीं किया गया है, प्रमाणित करने वाले पूष्ठांकन के सहित तारीख.........................को या उसके पूर्व लौटा दें ।

यह आज तारीख...................................को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया ।

न्यायाधीश

संख्यांक 18

सुपुदगी का वारंट (आदेश 16 का नियम 16)

(शीर्षक)

प्रेषिती-

.... (स्थान) की जेल का भारसाधक अधिकारी ।

वादी (या प्रतिवादी) ने ऊपरनामित वाद में इस न्यायालय से आवेदन किया है कि तारीख...........................को साक्ष्य देने के लिए (या दस्तावेज पेश करने के लिए)........................की उपसंजाति के लिए प्रतिभूति ली जाए और न्यायालय ने उक्त .... से ऐसे प्रतिभूति देने की अपेक्षा की है, और वह ऐसा करने में असफल रहा है; अत: आप से अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त..................को सिविल कारागार में अपनी अभिरक्षा में और उसे इस न्यायालय के समक्ष उक्त दिन.................... बजे या ऐसे अन्य दिन या दिनों का जिसका या जिनका वाद में आदेश दिया जाए पेश करे ।

यह आज तारीख............................. को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया |

न्यायाधीश

संख्यांक 19

सुपुदर्गी का वारंट (आदेश 16 का नियम 18)

(शीर्षक)

प्रेषिती-

.... (स्थान) की जेल का भारसाधक अधिकारी ।

......................को, जिसकी हाजिरी इस न्यायालय में ऊपर लिखे हुए वाद में साक्ष्य देने के लिए (या दस्तावेज पेश करने के लिए) अपेक्षित है गिरफ्तार कर लिया गया है और इस न्यायालय के समक्ष अभिरक्षा में लाया गया है, और वादी (या प्रतिवादी) की अनुपस्थिति के कारण उक्त................... ऐसा साक्ष्य नहीं दे सकता (या ऐसे दस्तावेज पेश नहीं कर सकता) और न्यायालय ने उक्त...................से तारीख................ .को......................बजे उसकी उपसंजाति के लिए प्रतिभूति देने की अपेक्षा की थी, जिसे देने में वह असफल रहा है । अत: आप से यह अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त..................को सिविल कारागार में अपनी अभिरक्षा में ले लें और तारीख............ को............. बजे उसे इस न्यायालय के समक्ष पेश करें ।

यह आज तारीख........ .को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया ।

न्यायाधीश

परिशिष्ट ग

प्रकटीकरण, निरीक्षण और स्वीकृति

संख्यांक 1

परिप्रश्नों के परिदान के लिए आदेश (आदेश 11 का नियम 1)

.... के न्यायालय में

19..........................का सिविल वाद संख्यांक........................

क ख ....वादी,

बनाम

ग घ च छ और ज झ..प्रतिवादी ।

.............................को सुनने और...........................के उस शपथपत्र को, जो तारीख.............. को फाइल किया गया था, पढने के पश्चात् यह आदेश दिया जाता है कि ....लिखित परिप्रश्न.......................... को परिदत्त करने के लिए स्वतन्त्र है और उक्त............................. परिप्रश्न के उत्तर उस रीति में दे जो आदेश 11 के नियम 8 में विहित है और इस आवेदन के खर्चे.........................होंगे ।

संख्यांक 2

परिप्रश्न (आदेश 11 का नियम 4)

(शीर्षक, जैसा पूर्ववर्ती संख्यांक 1 में है ।)

उक्त (वादी या प्रतिवादी **ग घ**) की ओर से उक्त (प्रतिवादी **च छ** और **ज झ** या वादी) की परीक्षा करने के लिए परिप्रश्न ।

1. क्या उसने इत्यादि, इत्यादि नहीं किया ।

2. क्या.................................इत्यादि, इत्यादि नहीं है ।

.... .इत्यादि........ .इत्यादि................इत्यादि ।

[प्रतिवादी **च छ** से अपेक्षा की जाती है कि वह........................... संख्यांक वाले परिप्रश्नों का उत्तर दें ।]

[प्रतिवादी **ज झ** से अपेक्षा की जाती है कि वह .... संख्यांक वाले परिप्रश्नों का उत्तर दें ।]

संख्यांक 3

परिप्रश्नों का उत्तर (आदेश 11 का नियम 9)

(शीर्षक, जैसा पूर्ववर्ती संख्यांक 1 में है ।)

उक्त वादी द्वारा उकत प्रतिवादी **च छ** की परीक्षा करने के लिए परिप्रश्नों का उक्त प्रतिवादी **च छ** द्वारा उत्तर उक्त परिप्रश्नों के उत्तर में मैं उक्त **च छ** शपथ लेता हूं और यह कथन करता हूं कि:-

1.

2. परिप्रश्नों के उत्तर लगातार संख्यांकित पैराओं में लिखिए ।

3. मैं..................... संख्यांक वाले परिप्रश्नों का उत्तर देने में इस आधार पर आक्षेप करता हूं कि [आक्षेप के आधार पर लिखिए] ।

संख्यांक 4

दस्तावेजों की बाबत शपथपत्र के लिए आदेश (आदेश 11 का नियम 12)

(शीर्षक, जैसा पूर्ववर्ती संख्यांक 1 में है ।)

.........................को सुनने के पश्चात्, यह आदेश दिया जाता है कि.................... इस आदेश की तारीख से................................ दिन के भीतर शपथपत्र पर उत्तर दे जिसमें यह बताया गया हो कि इस वाद में प्रश्नगत बातों से सम्बद्ध कौन सी दस्तावेजें उसकी शक्ति या कब्जे में हैं या रही हैं, और इस आवेदन के खर्चे होंगे

संख्यांक 5

दस्तावेजों की बाबत शपथपत्र (आदेश 11 का नियम 13)

(शीर्षक, जैसा पूर्ववर्ती संख्यांक 1 में है ।)

मैं उक्त प्रतिवादी **ग घ** शपथ लेता हूं और यह कथन करता हूं कि-

1. इस वाद में प्रश्नगत बातों से संबंधित वे दस्तावेजें मेरे कब्जे या शक्ति में हैं जिनका उल्लेख इसकी प्रथम अनुसूची के पहले और दूसरे भाग में किया गया है ।

2. मैं इसकी प्रथम अनुसूची के दूसरे भाग में उल्लिखीत उक्त दस्तावेजों को पेश करने के बारे में आक्षेप करता हूं (आक्षेप के आधार लिखिए) ।

3. वाद में प्रश्नगत बातों से सम्बन्धित वे दस्तावेजें, जिनका उल्लेख इसकी द्वितीय अनुसूची में किया गया है, मेरे कब्जे या शक्ति में थी, किन्तु अब नहीं है ।

4. अन्तिम वर्णित दस्तावेजें मेरे कब्जे या शक्ति में अन्तिम बार (यहां समय लिखिए और यह लिखिए कि उनका क्या हुआ और वे किसके कब्जे में हैं) ।

5. मेरे सर्वोत्तम ज्ञान, जानकारी और विश्वास के अनुसार उन दस्तावेजों को छोड़कर जो इसकी उक्त प्रथम और द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित हैं, ऐसा कोई लेखा, लेखा पुस्तक, वाऊचर, रसीद, पत्र, ज्ञापन, कागज या लेख, या ऐसी किसी दस्तावेज की कोई प्रति या उद्धरण, या कोई ऐसी अन्य दस्तावेज, जो इस वाद में प्रश्नगत बातों से या उनमें से किसी से सम्बन्धित हो या जिसमें ऐसी बातों के या उनमें से किसी के सम्बन्ध में कोई प्रविष्टि की गई हो, मेरे कब्जे, अभिरक्षा या शक्ति में या मेरे प्लीडर या अभिकर्ता के कब्जे, अभिरक्षा या शक्ति में या मेरी ओर से किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे अभिरक्षा या शक्ति में न अब है और न कभी थी ।

संख्यांक 6

निरीक्षण के लिए दस्तावेजें पेश करने का आदेश (आदेश 11 का नियम 14)

(शीर्षक, जैसा पूर्ववर्ती संख्यांक 1 में है ।)

.............................को सुनने और.................................के शपथपत्र को, जो तारीख......................को फाइल किया गया था, पढ़ने के पश्चात् यह आदेश दिया जाता है कि ....युक्तियुक्त सूचना दिए जाने पर, सब युक्तियुक्त समयों पर.................. में स्थित ,........... में निम्नलिखित दस्तावेजें, अर्थात्..............................पेश करें, और ....को, ऐसे पेश की गई दस्तावेजों को निरीक्षण करने और परिशीलन करने की और उनकी अन्तर्वस्तु को लिख लेने की स्वतंत्रता होगी । यह आदेश दिया जाता है कि इस बीच में सब अतिरिक्त कार्यवाहियां रोक दी जाएं और इस आवेदन के खर्चे......................होंगे ।

संख्यांक 7

दस्तावेजों के पेश करने के लिए सूचना (आदेश 11 का नियम 10)

(शीर्षक, जैसा पूर्ववर्ती संख्यांक 1 में है ।)

आपको सूचित किया जाता है कि (वादी या प्रतिवादी) आपसे अपेक्षा करता है कि आप तारीख....... ....के अपने (वादपत्र या लिखित कथन या शपथपत्र में) निर्दिष्ट निम्नलिखित दस्तावेजों को उसके निरीक्षण के लिए पेश करें :

[यहां अपेक्षित दस्तावेजों का वर्णन कीजिए ।]

.......................का

प्लीडर भ म ।

.... के प्लीडर य को ।

संख्यांक 8

दस्तावेजों के निरीक्षण के लिए सूचना (आदेश 11 का नियम 17)

(शीर्षक, जैसा पूर्ववर्ती संख्यांक 1 में है ।)

आपको सूचित किया जाता है कि ता0..........................की अपनी सूचना में वर्णित दस्तावेजों का (उस सूचना में संख्याक........................के सामने लिखी दस्तावेजों को छोडकर) अगले बृहस्पतिवार ता0.................. को 12 बजे और 4 बजे दिन के बीच (यहां निरीक्षण का स्थान लिखिए) में निरीक्षण कर सकते हैं ।

या, (वादी या प्रतिवादी) ता0 ....को आपकी सूचना में वर्णित दस्तावेजों का आपको निरीक्षण करने देने के बारे में इस आधार पर आक्षेप करता है कि (आधार लिखिए) ।

संख्यांक 9

दस्तावेजों की स्वीकार करने के लिए सूचना (आदेश 12 का नियम 3)

(शीर्षक, जैसा पूर्ववर्ती संख्यांक 1 में है ।)

आपको सूचित किया जाता है वादी (या प्रतिवादी) इसमें आगे विनिर्दिष्ट अनके दस्तावेजों को इस वाद में साक्ष्य में देने की प्रस्थापना करता है और प्रतिवादी (या वादी) उसके प्लीडर या अभिकर्ता द्वारा .... (तारीख) को................................ (समय) के बीच................. (स्थान) में उनका निरीक्षण किया जा सकता है । प्रतिवादी (या वादी) से यह अपेक्षा की जाती है कि वह, वाद में साक्ष्य के रुप में इन सब दस्तावेजों की ग्राह्यता के बारे में सब न्यायसंगत अपवादों को छोडकर, अन्तिम वर्णित समय से अडतालीस घंटो के भीतर यह स्वीकार कर ले कि उक्त दस्तावेजों में रो ऐसी दस्तावेजें जिनके बारे में यह विनिर्दिष्ट है कि वे मूल दस्तावेजें है क्रमश: ऐसे लिखी, हस्ताक्षरित या निष्पादित की गई थी जैसे उनका क्रमश: लिखा जाना, हस्ताक्षरित किया जाना या निष्पादित किया जाना तात्पर्यिक है कि उनमें से जिनके बारे में यह विनिर्दिष्ट है कि वे प्रतियां हैं वे सही प्रतियां है और जिन दस्तावेजों के बारे में यह कथित है कि उनकी तामील की गई या उन्हें भेजा गया या परिदत्त किया गया, उनकी ऐसी तामील की गई या उन्हें ऐसे भेजा गया या परिदत्त किया गया ।

ज झ, वादी (या प्रतिवादी) का प्लीडर (या अभिकर्ता) । प्रतिवादी (या वादी) के प्लीडर (या अभिकर्ता) **च छ** को ।

(यहां दस्तावेजों का वर्णन कीजिए और हर एक दस्तावेज के बारे में यह विनिर्दिष्ट कीजिए कि वह मूल दस्तावेज है या दस्तावेज की प्रति है ।)

संख्यांक 10

तथ्यों को स्वीकार करने के लिए सूचना (आदेश 12 का निमय 5)

(शीर्षक, जैसा पूर्ववर्ती संख्यांक 1 में है ।)

आपको सूचित किया जाता है कि वादी (या प्रतिवादी) इस वाद में प्रतिवादी (या वादी) से अपेक्षा करता है कि वह इसमें आगे क्रमश: विनिर्दिष्ट अनेक तथ्यों को केवल इस वाद के प्रयोजनों के लिए स्वीकार कर ले, और प्रतिवादी (या वादी) से यह अपेक्षा की जाती है कि वह, इस वाद में साक्ष्य के रुप में तथ्यों की ग्राह्यता के बारे में सब न्यायासंगत अपवादों को छोडकर, इस सूचना की तामील से छह दिन के भीतर उक्त विभिन्न तथ्यों को स्वीकार कर ले ।

ज झ वादी (या प्रतिवादी) या प्लीडर (या अभिकर्ता)

प्रतिवादी (या वादी) के प्लीडर (या अभिकर्ता) **च छ** को ।

वे तथ्य जिनका स्वीकार किया जाना अपेक्षित है, निम्नलिखित हैं, अर्थात्:-

1. यह कि **ड** की मृत्यु पहली जनवरी, 1890 को हुई ।
2. यह कि वह निर्वसीयती मरा ।
3. यह कि ढ उसका एकमात्र धर्मज पुत्र था ।
4. यह कि **ण**, की मृत्यु पहली अप्रैल, 1896 को हुई ।
5. यह कि **ण** का विवाह कभी नहीं हुआ ।

संख्यांक 11

सूचना के अनुसरण में तथ्यों की स्वीकृति (आदेश 12 का नियम 5)

(शीर्षक, जैसा पूर्ववर्ती संख्यांक 1 में है ।)

इस वाद में प्रतिवादी (या वादी) इसमें आगे क्रमश: विनिर्दिष्ट अनेक तथ्यों को, इस वाद में साक्ष्य के रुप में किन्हीं ऐसे तथ्यों की या उनमें से किन्हीं की ग्राहयता के बारे में सब न्यायसंगत अपविादों को छोडकर, इसमें आगे यदि कोई विशेषक या परिसीमाएं विनिर्दिष्ट हैं तो उनके अधीन रहते हुए, केवल इस वाद के प्रयोजनों के लिए स्वीकार करता है :

परन्तु यह स्वीकृति केवल इस वाद के प्रयोजनों के लिए की गई है, और यह ऐसी स्वीकृति नहीं है जो प्रतिवादी (या वादी) के विरुद्ध किसी अन्य अवसर पर अथवा वादी (या प्रतिवादी या स्वीकृति की अपेक्षा करने वाले पक्षकार) से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा प्रयुक्त की जा सके ।

ड; च, प्रतिवादी (या वादी) का प्लीडर(या अभिकर्ता)

वादी (या प्रतिवादी) के प्लीडर (या अभिकर्ता) छ ज को |

स्वीकृत तथ्य	**वे विशषक या परिसीमाएं, यदि कोई हों, जिनके अधीन रहते हुए वे स्वीकार किए गए हैं |**
1. यह कि ड मृत्यु पहली जनवरी, 1980 को हुई		1.
2. यह कि वह निर्वसीयती मरा		2.
3. यह कि ढ उसका धर्मज पुत्र था		3. किन्तु यह नहीं कि वह एकमात्र धर्मज पुत्र था	
4. यह कि ण मर गया		4. किन्तु यह नहीं कि उसकी मृत्यु पहली अप्रैल, 1896 को हुई	
5. यह कि ण का विवाद कभी नहीं हुआ		5.

संख्यांक 12

पेश करने के लिए सूचना (साधारण प्ररुप) (आदेश 12 का नियम 8)

(शीर्षक, जैसा पूर्ववर्ती संख्यांक 1 में है ।)

आपको सूचित किया जाता है कि आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप सब पुस्तकें, कागज, पत्र, पत्रों की प्रतियां और अन्य लेख और दस्तावेज, जो आपकी अभिरक्षा, कब्जे या शक्ति में हैं और जिनमें इस वाद में प्रश्नास्पद बातों से सम्बन्धित कोई प्रविष्ट, ज्ञापन या कार्यवृत्त अन्तर्विष्ट है, इस वाद की पहली सुनवाई में न्यायालय के समक्ष पेश करें और न्यायालय को दिखाए और विशेष रुप से................................... ।

छ ज, वादी (या प्रतिवादी) या प्लीडर (या अभिकर्ता) |

प्रतिवादी (या वादी) के प्लीडर (या अभिकर्ता) **डः च** को ।

परिशिष्ट घ

डिक्रियां

संख्यांक 1

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 और 7)

(शीर्षक)

.... के लिए दावा ।

वादी की ओर से.. की और प्रतिवादी की ओर से.. की उपस्थिति में इस वाद के आज तारीख................ ....को.......................... .के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि................................ और इस वाद के खर्चे लेखे .... रुपए राशि, आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर.................................... प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा.............................को दी जाए ।

यह आज ता0 .... को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई ।

न्यायाधीश

वाद के खर्चे

वादी				प्रतिवादी			
	रु.	आ.	पा.	-	रु.	आ.	पा.
1. वादपत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रुपए पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह- व्यय 6. कमिश्नर की फीस. 7. आदेशिका की तामील				शतिपत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह- व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस			
जोड़				जोड़			

संख्यांक 2

सादी धन-डिक्री (धारा 34)

(शीर्षक)

.....................................के लिए दावा ।

वादी की ओर से...की और प्रतिवादी की ओर से...की उपस्थिति में इस वाद के आज तारीख...................................... को...................................के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है कि.................................को... रुपए की राशि,..............................से उक्त राशि की वसूली की तारीख तक.................प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से उस पर ब्याज सहित दे और वाद के खर्च के................................ रुपए आज की तारीख से वसूली की तारीख तक................................प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से उस पर ब्याज सहित दे ।

यह आज ता0.................... को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई ।

न्यायाधीश

वाद के खर्चे

वादी				प्रतिवादी			
1. वादपत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रुपए पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह- व्यय 6. कमिश्नर की फीस. 7. आदेशिका की तामील	रु.	आ.	पा.	शतिपत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह- व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	रु.	आ.	पा.
जोड़				जोड़			

[1][संख्यांक 3

पुरोबन्ध के लिए प्रारम्भिक डिक्री

(आदेश 34 का नियम 2-जहां लेखा

लिए जाने का निदेश दिया गया है ।)

(शीर्षक)

इस वाद के आज..................को पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि यह..................को कमिश्नर के रूप में निम्नलिखित लेखा लेने के लिए निर्देशित किया जाए-

(i) वादपत्र में वर्णित अपने बन्धक पर मूलधन और ब्याज मद्धे आज की तारीख को वादी को जो कुछ शोध्य है उसका लेखा (ऐसे ब्याज की संगणना उस पर से की जाएगी जो मूलधन पर संदेय है या जहां ऐसी दर नियत नहीं है वहां ब्याज छह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से या ऐसी दर से, जो न्यायालय युक्तियुक्त समझे, संगणित किया जाएगा);

(ii) बन्धक-सम्पत्ति की जो आय वादी द्वारा, या वादी के आदेश से या वादी के उपयोग के लिए किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, आज की तारीख तक प्राप्त की गई है, या जो तब प्राप्त हो सकती थी जब वादी ने या ऐसे व्यक्ति ने जानबूझकर व्यतिक्रम न किया होता, उस आय का लेखा;

(iii) बन्धक प्रतिभूति की बाबत (वाद के खर्चों से भिन्न) खर्चों, प्रभारों और व्ययों के लिए आज की तारीख तक वादी द्वारा जो धन राशियां उचित रुप से उपगत की गई है उन सब का, उन पर ब्याज सहित, लेखा (ऐसा ब्याज पक्षकारों के बीच करार की गई दर से या ऐसी दर के अभाव में उस दर से, जो मूलधन पर संदेय है, या ऐसी दोनों दरों के अभाव में नौ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से संगणित किया जाएगा);

(iv) बन्धक-सम्पत्ति को वादी के किसी ऐसे कार्य या लोप द्वारा, जो सम्पत्ति के लिए विनाशक या स्थायी रुप से क्षतिकर है, या उस पर किसी भी तत्समय-प्रवृत्त-विधि द्वारा या बन्धक-विलेख के निबन्धनों द्वारा अधिरोपित कर्तव्यों में से किसी का पालन करने में उसकी असफलता से जो हानि या नुकसान इस तारीख से पहले पहुंचा है, उसका लेखा ।

2. यह भी आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि उक्त खण्ड (ii) के अधीन प्राप्त या खण्ड (iv) के अधीन शोध्य न्यायनिर्णीत कोई रकम, उस पर ब्याज सहित पहले उन राशियों के प्रति समायोजित की जाएगी जिनका संदाय वादी ने खण्ड (iii) के अधीन किया है और उन राशियों में उन पर ब्याज भी सम्मिलित होगा, और यदि कुछ बाकी बचे तो उसे बन्धक- धन में जोड दिया जाएगा या, यथास्थिति, शोध्य न्यायनिर्णीत मूल राशि पर ब्याज मद्धे वादी को जो रकम शोध्य है उसको घटाने के लिए और तत्पश्चात् मूलधन को घटाने या उन्मोचित करने के लिए विकलित (डेबिट) किया जाएगा ।

3. यह भी आदेश किया जाता है कि उक्त कमिश्नर वह लेखाउसमें सभी न्यायसंगत मौके देने के पश्चात् सुविधानुसार शीघ्रता से ता0 .... को या उसके पूर्व इस न्यायालय में प्रस्तुत करेगा और कमिश्नर की ऐसी रिपोर्ट के प्राप्त होने पर वह ऐसे उपान्तरों के साथ पुष्ट और प्रतिहस्ताक्षरित की जाएगी जैसे कि वाद के पक्षकारों के ऐसे आक्षेपों पर जो वे करें विचार करने के पश्चात् आवश्यक हों ।

4. यह भी आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-

(i) प्रतिवादी ता0 .... को या उसके पूर्व या ऐसी किसी पश्चात्वर्ती तारीख को

या उसके पूर्व, जिस तक संदाय करने के लिए समय न्यायालय द्वारा बढ़ा दिया जाए, ऐसी राशि, जैसी न्यायालय शोध्य पाए, और वाद के उन खर्चों के लिए जो वादी को अधिनिर्णीत किए गए हैं.....................रुपए की राशि न्यायालय में जमा कर दें;

(ii) ऐसे जमा कर दिए जाने पर और तत्पश्चात् ऐसी तारीख के पूर्व जो न्यायालय नियत करे, ऐसी रकम जो न्यायालय वाद के ऐसे खर्चों की, और सिविल प्रक्रि या संहिता, 1908 की प्रथम अनुसूची के आदेश 34 के नियम 10 के अधीन संदेय खर्चों, प्रभारों और व्ययों की बाबत शोध्य न्यायनिर्णीत करे,नियम 11 के अधीन संदेय पाश्चिक ब्याज के सहित जमा कर दी जाने पर वादी वादपत्र में वर्णित बन्धक-सम्पत्ति सम्बन्धी व सभी दस्तावेजें जो उसके कब्जे या शक्ति में हैं, न्यायालय में लाएगा और ऐसी सब दस्तावेजें प्रतिवादी को या ऐसे व्यक्ति को जिसे वह नियुक्त करे, परिदत्त की जाएंगी, और यदि वादी से ऐसी अपेक्षा की जाए तो वह उक्त सम्पत्ति को उक्त बन्धक से मुक्त करके और वादी द्वारा, या ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा, जो उससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करता है, या ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा, जिससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वादी दावा करता है, सुष्ट सब विल्लगमों से रहित और मुक्त करके तथा इस बन्धक या इस वाद से, जो कोई दायित्व उद्भूत होते हैं, उन सब से मुक्त करके प्रति हस्तान्तरित या प्रति अन्तरित करेगा, और यदि उससे ऐसी अपेक्षा की जाए तो वह प्रतिवादी को उक्त सम्पत्ति का निर्बाध और शान्तिपूर्ण कब्जा परिदत्त करेगा ।

5. यह भी आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि पूर्वोक्त रुप में जमा करने में व्यतिक्रम होने पर वादी न्यायालय से इस अन्तिम डिक्री के लिए आवेदन कर सकेगा कि तत्पश्चात् प्रतिवादी इसके साथ उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित बन्धक-सम्पति का मोचन कराने के सब अधिकारों से पूर्णत: विवर्जित और पुरोबंधित होगा और यदि उससे ऐसी अपेक्षा की जाए तो वह वादी को उक्त सम्पत्ति का निर्बाध और शान्तिपूर्ण कब्जा परिदत्त करेगा और पक्षकार समय-समय पर न्यायालय से आवश्यकतानुसार आवेदन कर सकेंगे और न्यायालय ऐसे आवेदन पर या अन्यथा ऐसे निदेश दे सकेगा जैसे वह ठीक समझे ।

1. 1929 के अधिनियम सं. 21 की धारा 8 और अनुसूची द्वारा मूल प्ररुप 3 से 11 तक के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।

अनुसूची

बन्धक सम्पत्ति का वर्णन

संख्यांक 3क

पुरोबन्ध के लिए प्रारम्भिक डिक्री

(आदेश 34 का नियम 2--जहां न्यायालय शोध्य रकम घोषित करता है ।)

(शीर्षक)

वादी...................इत्यादि की उपस्थिति में इस वाद के आज ता0 ....को पेश होने पर यह घोषित किया जाता है कि वादपत्र में वर्णित वादी के बन्धक पर वादी को आज ता0 ....तक संगणित शोध्य रकम मूलधन मद्धे................... रुपए की राशि, उक्त मूलधन पर ब्याज मद्दे रुपए की

राशि (वाद के खर्चों से भिन्न) उन खर्चों प्रभारों और व्ययों के लिए, जो बन्धक प्रतिभूति की बाबत वादी ने उचित रुप में उपगत किए हैं, उन पर ब्याज के सहित............................रुपए की राशि और इस वाद के जो खर्चे वादी को अधिनिर्णीत किए गए हैं, उन खर्चों के लिए................ रुपए की राशि, कुल मिलाकर................ रुपए की राशि होती है ।

2. यह आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-

(i) प्रतिवादी ता0 ....को या उसके पूर्व या किसी ऐसी पश्चात्वर्ती तारीख को या उसके पूर्व, जिस तक संदाय के लिए समय न्यायालय द्वारा बढा दिया जाए......................रुपए की उक्त राशि न्यायालय में जमा कर दे ।

(ii) ऐसे जमा कर दिए जाने पर और तत्पश्चात् ऐसी तारीख के पूर्व जो न्यायालय नियत करे ऐसी रकम जो न्यायालय वाद के खर्चों की, और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की प्रथम अनुसूची के आदेश 34 के नियम 10 के अधीन संदेय खर्चों, प्रभारों और व्ययों की बाबत शोध्य न्यायनिर्णीत करे नियम 11 के अधीन संदेय पाश्चिक ब्याज के सहित जमा कर दी जाने पर वादी वाद पत्र में वर्णित बन्धक सम्पत्ति सम्बन्धी वे सभी दस्तावेजें जो उसके कब्जे या शक्ति में हैं न्यायालय में लाएगा और ऐसी सब दस्तावेजें प्रतिवादी को या ऐसे व्यक्ति को, जिसे वह नियुक्त क रे, परिदत्त की जाएंगी और यदि वादी से ऐसी अपेक्षा की जाए तो वह उक्त सम्पत्ति को बन्धक से मुक्त करके और वादी द्वारा, या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो उससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करता है या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिससे व्युत्पन्न अधिकार का दावा करता है, सृष्ट सब विल्लगमों से रहित और मुक्त करके तथा इस बन्धक या इस वाद से जो कोई दायित्व उद्भूत होते है उन सब से मुक्त करके प्रति हस्तान्तरित प्रात अन्तरित करेगा ऑर याद उससे ऐसा अपेक्षा की जाए तो वह प्रतिवादी को उक्त सम्पत्ति का निर्बाध और शांतिपूर्ण कब्जा परिदत्त करेगा ।

3. यह भी आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि पूर्वोक्त रुप में रकम जमा करने में व्यतिक्रम होने पर वादी न्यायालय से इस अन्तिम डिक्री के लिए आवेदन कर सकेगा कि तत्पश्चात् प्रतिवादी इसके साथ उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित बन्धक-सम्पत्ति का मोचन कराने के सब अधिकारों से पूर्ण रुप से विवर्जित और पुरोबंधित होगा, और यदि उससे ऐसी अपेक्षा की जाए तो वह वादी को उक्त सम्पत्ति का निर्बाध और शांतिपूर्ण कब्जा परिदत्त करेगा और पक्षकार समय-समय पर न्यायालय से अपनी अवश्यकतानुसार आवेदन कर सकेंगे ओर न्यायालय ऐसे आवेदन पर या अन्यथा ऐसे निदेश दे सकेगा जैसे वह ठीक समझे ।

अनुसूची

बन्धक सम्पत्ति का वर्णन

संख्यांक 4

पुरोबंध के लिए अन्तिम डिक्री (आदेश 34 का निमय 3)

(शीर्षक)

इस वाद में ता0 .... को पारित प्रारम्भिक डिक्री को और ता0 .... के अतिरिक्त आदेशों को (यदि कोई हों) और अन्तिम डिक्री वादी के ता0 .... के आवेदन को पढने पर और पक्षकारों को सुनने के पश्चात् और यह प्रतीत होने पर कि उक्त डिक्री और आदेशों द्वारा निदिष्ट संदाय प्रतिवादी द्वारा या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा या उक्त बन्धक का मोचन कराने के हकदार किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं किया गया है ।

यह आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि प्रतिवादी और उससे व्युत्पन्न अधिकार के द्वारा या अधीन दावा करने वाले सब व्यक्ति पूर्वोक्त प्रारम्भिक डिक्री में वर्णित सम्पत्ति के और उसमें मोचन के सब अधिकार से इसके पूर्णत: विवर्जित और पुरोबन्धित होंगे और किए जाते हैं; [1][और (यदि प्रतिवादी का उक्त बन्धक-सम्पत्ति पर कबजा है तो) प्रतिवादी उक्त बन्धक-सम्पत्ति का निर्बाध और शांतिपूर्ण कब्जा वादी को परिदत्त करेगा ।]

2. यह भी घोषित किया जाता है कि वादपत्र में वर्णित उक्त बन्धक से या इस वाद से उद्भूत जो भी दायित्व प्रतिवादी का आज तक है कि वह सब इसके द्वारा उन्मोचित और निर्वाचित किया जाता है ।

संख्यांक 5

विक्रय के लिए प्रारम्भिक डिक्री (आदेश 34 का नियम 4--जहां लेखा लिए जाने का निदेश दिया गया है ।)

(शीर्षक)

वादी................................ इत्यादि की उपस्थिति में इस वाद के आज ता0 .... को पेश होने पर, यह आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि यह.................. को कमिश्नर के रुप में निम्नलिखित लेखा लेने के लिए निर्देशित किया जाए-

(i) वादपत्र में वर्जित अपने बन्धक पर मूलधन और ब्याज मद्धे आज की तारीख को वादी को जो कुछ शोध्य है उसका लेखा (ऐसे ब्याज की संगणना उस दर से की जाएगी जो मूल धन पर संदेय है या जहां कि ऐसे दर नियत न हो वहां, ब्याज छह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से या ऐसी दर से, जो न्यायालय युक्तियुक्त समझे, संगणित किया जाएगा);

(ii) बन्धक-सम्पत्ति की जो आय वादी द्वारा, या वादी के आदेश में या वादी के उपयोग के लिए किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, आज की तारीख तक प्राप्त हुई है, का जो तब प्राप्त हो सकती थी जब वादी ने या ऐसे व्यक्ति ने जानबूझकर व्यतिक्रम न किया होता, उस आय का लेखा;

(iii) बन्धक प्रतिभूति की बाबत (वाद के खर्चों से भिन्न) खर्चों, प्रभारों और व्ययों के लिए आज की तारीख तक वादी द्वारा जो धन राशियां उचित रूप से उपगत की गई हैं उन सबका, उन पर ब्याज सहित,

लेखा (ऐसा ब्याज, पक्षकारों के बीच करार की गई दर से या ऐसी दर के अभाव में उस दर से जो मूल धन पर संदेय है, या ऐसी दोनों दरों के अभाव में नौ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से संगणित किया जाएगा);

(iv) बन्धक सम्पत्ति को वादी के किसी ऐसे कार्य या लोप द्वारा, जो सम्पति के लिए विनाशक या स्थायी रुप से क्षतिकर है, या उस पर किसी भी तत्समय-प्रवृत्त विधि द्वारा या बन्धक विलेख के निबन्धनों द्वारा अधिरोपित कर्तव्यों में किसी का पालन करने में उसकी असफलता से जो हानि या नुकसान इस तारीख से पहले पहुंचा है, उसका लेखा |

1. अनपेक्षित शब्द काट दिए जाए ।

इस तारीख से पहले पहुंचा है, उसका लेखा ।

2. यह भी आदेश किया जाता है कि उक्त खण्ड (ii) के अधीन प्राप्त या खण्ड (iv) के अधीन शोध्य न्यायनिर्णीत कोई रकम, उस पर ब्याज सहित, पहले उन किसी राशियों के प्रति समायोजित की जाएंगी जिनका संदाय वादी ने खण्ड (iii) के अधीन किया है, और उन राशियों में उन पर ब्याज भी सम्मिलित होगा, और यदि कुछ बाकी बचे तो उसे बन्धक- धन में जोड दिया जाएगा या, यथास्थिति शोध्य न्यायनिर्णीत मूल राशि पर ब्याज मद्धे वादी को जो रकम शोध्य है उसको घटाने के लिए और तत्पश्चात् मूलधन को घटाने या उन्मोचित करने के लिए विकलित (डेबिट) किया जाएगा |

3. यह भी आदेश किया जाता है कि उक्त कमिश्नर समस्त न्यायसंगत मौके देने के पश्चात् उस लेखा को सुविधानुसार शीघ्रता से ता0 ....को यह उसके पूर्व इस न्यायालय में प्रस्तुत करे और कमिश्नर की ऐसी रिपोर्ट के प्राप्त होने पर वह ऐसे उपान्तरों के साथ पुष्ट और प्रति हस्ताक्षरित की जाएगी जैसे कि वाद के पक्षकारों के ऐसे आक्षेपों पर, जो वे करें, विचार करने के पश्चात् आवश्यक हों ।

4. यह भी आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि---

(i) वादी ता0......................... को या उसके पूर्व या किसी ऐसी पश्चात्वर्ती तारीख को या उसके पूर्व, जिस तक संदाय करने के लिए समय न्यायालय द्वारा बढ़ा दिया जाए, ऐसी राशि, जैसी न्यायालय शोध्य पाए, और वाद के उन खर्चों के लिए वादी को अधिनिर्णीत किए गए हैं..........................रुपए की राशि न्यायालय में जमा करे दें;

(ii) ऐसे जमा कर दिए जाने पर और तत्पशाचात् ऐसी तारीख के पूर्व, जो न्यायालय नियत करे, ऐसी रकम, जो न्यायालय वाद के ऐसे खर्चों की और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की प्रथम अनुसूची के आदेश 34 के नियम 10 के अधीन संदेय ऐसे खर्चों, प्रभारों और व्ययों की बाबत शोध्य न्यायनिर्णीत करे, नियम 11 के अधीन संदेय पाश्चिक ब्याज के सहित जमा कर दी जाने पर, वादी वादपत्र में वर्णित बन्धक-सम्पत्ति सम्बन्धी वे सभी दस्तावेजें न्यायालय में लाएगा जो उसके कब्जे या शक्ति में है और ऐसी सब दस्तावेजें प्रतिवादी को या ऐसे व्यक्ति को, जिसे वह नियुक्त करे, परिदत्त की जाएंगी, और यदि वादी से ऐसी अपेक्षा की जाए तो वह उक्त सम्पत्ति को बन्धक से मुक्त करके और वादी द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो उससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करता है या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वादी दावा करता है, सृष्ट सब विल्लंगमों से रहित और मुक्त करके प्रति हस्तान्तरित या प्रति अन्तरित करेगा, और यदि उससे ऐसी अपेक्षा की जाए तो वह प्रतिवादी की उक्त

सम्पत्ति का निर्बाध और शान्तिपूर्ण कब्जा परिदत्त करेगा ।

5. यह भी आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि पूर्वोक्त रुप में रकम जमा करने में व्यतिक्रम होने पर वादी न्यायालय से बन्धक-सम्पत्ति के लिए अन्तिम डिक्री के लिए आवेदन कर सकेगा, और ऐसा आवेदन किए जाने पर बन्धक-सम्पत्ति के या उस के पर्याप्त भाग के विक्रय का निदेश दिया जाएगा और ऐसे विक्रय के प्रयोजनों के लिए वादी बन्धक-सम्पत्ति सम्बन्धी वे सभी दस्तावेजें जो उसके कब्जे या शाक्त में हैं, न्यायालय के समक्ष या उस अधिकार के समक्ष, जिसे वह नियुक्त करे, पेश करेगा |

6. यह भी आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि ऐसे विक्रय से वसूल हुआ धन न्यायालय में जमा किया जाएगा और (विक्रय के व्ययों को उसमें से काटकर) वह वादी को इस डिक्री के अधीन और ऐसे किन्हीं अतिरिक्त आदेशों के अधीन, जैसे इस वाद में पारित किए जाएं, संदेय रकम का संदाय करने में और ऐसी रकम का, जैसी न्यायालय वाद के ऐसे खर्चों की और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की प्रथम अनुसूची के आदेश 34 के नियम 10 के अधीन संदेय खर्चों, प्रभारों और व्ययों की बाबत वादी को शोध्य न्यायनिर्णीत करे नियम 11 के अधीन संदेय पाश्चिक ब्याज के सहित, संदाय करने में सम्यक् रुप से उपयोजित किया जाएगा और कुछ बाकी बचे तो वह प्रतिवादी को या अन्य व्यक्तियों को, जो उसे प्राप्त करने के हकदार हों, दिया जाएगा ।

7. यह भी आदेश किया जाता है कि और डिक्री दी जाती है कि यदि ऐसे विक्रय से वसूल हुआ धन वादी को पूर्वाचल रुप मे संदेय रकम के पूर्ण संदाय के लिए पर्याप्त न हो तो वादी जहां कि ऐसा उपचार उसके लिए बन्धक के निबन्धनों के अधीन प्राप्त है और किसी तत्समय (प्रवृत-विधि द्वारा वर्जित नहीं है) प्रतिवादी के विरुद्ध बाकी की रकम के लिए वैयक्तिक डिक्री के लिए आवेदन कर सकेगा; और पक्षकार समय-समय पर न्यायालय से अपनी आवश्यकतानुसार आवेदन कर सकेंगे और न्यायालय ऐसे आवेदन पर या अन्यथा ऐसे निदेश दे सकेगा जैसे वह ठीक समझे ।

अनुसूची

बन्धक-सम्पत्ति का वर्णन

संख्यांक 5क

विक्रय के लिए प्रारम्भिक डिक्री (आदेश 34 का नियम 4--जहां न्यायालय शोध्य रकम घोषित करता है |)

(शीर्षक)

वादी...................... इत्यादि की उपस्थिति में इस वाद के आज ता0 ....पेश होने पर, यह घोषित किया जाता है कि वादपत्र में वर्णित बन्धक पर वादी को आज ता0 ....तक संगणित शोध्य रकम मूलधन मद्धे.............................रुपए की राशि, उक्त मूलधन पर ब्याज मद्धे ....रुपए की राशि (वाद के खर्चों से भिन्न) उन खर्चों, प्रभारों और व्ययों के लिए, जो बन्धक प्रतिभूति की बाबत वादी ने उचित रुप में उपगत किए हैं उन पर ब्याज के सहित................................ रुपए की राशि, और इस वाद के जो खर्चे वादी को अधिनिर्णीत किए गए हैं, उन खर्चों के लिए................................ रुपए की राशि, कु ल मिलाकर,............................ रुपए की राशि होती है ।

2. यह आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-

(i) प्रतिवादी ता0 ....को या उसके पूर्व या किसी ऐसी पश्चातवर्ती तारीख को या उसके पूर्व, जिस तक संदाय के लिए समय न्यायालय द्वारा बढ़ा दिया जाए.................... रुपए की उक्त राशि न्यायालय में जमा कर दें ।

(ii) ऐसे जमा कर दिए जाने पर और तत्पश्चात् ऐसी तारीख के पूर्व, जो न्यायालय नियत करे, ऐसी रकम जो न्यायालय वाद के ऐसे खर्चों की और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की प्रथम अनुसूची के आदेश 34 के नियम 10 के अधीन संदेय खर्चों, प्रभारों और व्ययों की बाबत शोध्य न्यायनिर्णीत करे, नियम 11 के अधीन संदेय पाश्चिक ब्याज के सहित जमा कर दी जाने पर, वादी वादपत्र में वर्णित बन्धक-सम्पति सम्बन्धी वे सभी दस्तावेजें जो उसके कब्जे या शक्ति में हैं न्यायालय में लाएगा और ऐसी सब दस्तावेजें प्रतिवादी को या ऐसे व्यक्ति को, जिसे वह नियुक्त करे, परिदत्त की जाएंगी और यदि वादी से ऐसी अपेक्षा की जाए तो वह उक्त सम्पत्ति को बन्धक से मुक्त करके और वादी द्वारा या ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा, जो उससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करता है या ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा, जिससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वादी दावा करता है, सृष्ट सब विल्लगमों से रहित और मुक्त करके प्रति हस्तान्तरित या प्रति अन्तरित करेगा और यदि उससे ऐसी अपेक्षा की जाए तो वह प्रतिवादी को उक्त सम्पत्ति का निर्बाध और शांतिपूर्ण कब्जा परिदत्त करेगा ।

3. यह भी आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि पूर्वोक्त रुप में रकम जमा करने में व्यतिक्रम होने पर वादी न्यायालय से बन्धक-सम्पत्ति के विक्रय के लिए अन्तिम डिक्री के लिए आवेदन कर सकेगा और ऐसा आवेदन किए जाने पर बन्धक-सम्पत्ति के या उसके पर्याप्त भाग के विक्रय का निदेश दिया जाएगा और ऐसे विक्रय के प्रयोजनों के लिए वादी बन्धक-सम्पत्ति सम्बन्धी ऐसी सब दस्तावेजें जो उसके कब्जे या शक्ति में हैं न्यायालय के समक्ष या उस अधिकार के समक्ष, जिसे वह नियुक्त करे, पेश करेगा ।

4. यह भी आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि ऐसे विक्र य से वसूल हुआ धन न्यायालय में जमा किया जाएगा और (विक्रय के व्ययों को उसमें से काटकर) वह वादी को इस डिक्री के और किन्हीं ऐसे अतिरिक्त आदेशों के अधीन-जैसे इस वाद में पारित किए जाएं, संदेय रकम का संदाय करने में और ऐसी रकम का, जैसी न्यायालय वाद के ऐसे खर्चों की और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की प्रथम अनुसूची के आदेश 34 के नियम 10 के अधीन संदेय खर्चो, प्रभारों और व्ययों की बाबत वादी को शोध्य न्यायनिर्णीत करे नियम 11 के अधीन संदेय पाश्चिक ब्याज के सहित, संदाय करने में सम्यक् रुप से उपयोजित किया जाएगा और यदि कुछ बाकी बचे तो वह प्रतिवादी को या अन्य व्यक्तियों को, जो उसे प्राप्त करने के हकदार हों दिया जाएगा ।

6. यह भी आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि यदि ऐसे विक्रय से वसूल हुआ धन वादी को पूर्वोक्त रुप में संदेय रकम का पूर्ण संदाय करने के लिए पर्याप्त न हो तो वादी (जहां कि ऐसा उपचार उसके लिए बन्धक के निबन्धनों के अधीन अनुज्ञात है और किसी तत्समय-प्रवृत-विधि द्वारा वर्जित नहीं है) प्रतिवादी के विरुद्ध बाकी क रकम के लिए वैयक्तिक डिक्री के लिए आवेदन कर सकेगा, और पक्षकार समय-समय पर न्यायालय से अपनी आवश्यकतानुसार आवेदन कर सकेंगे और न्यायालय ऐसे आवेदन पर या अन्यथा ऐसे निदेश दे सकेगा जैसे वह ठीक समझे ।

अनुसूची

बन्धक सम्पत्ति का वर्णन

संख्यांक 6

विक्रय के लिए अन्तिम डिक्री (आदेश 34 का नियम 5)

(शीर्षक)

इस वाद में ता0 ....को पारित प्रारम्भिक डिक्री की और ता0 ....के अतिरिक्त आदेशों को (यदि कोई हों) और अन्तिम डिक्री के लिए वादी के ता0 ....के आवेदन को, पढने पर और पक्षकारों को सुनने के पश्चात् और यह प्रतीत होने पर कि उक्त डिक्री और आदेशों द्वारा निर्दिष्ट संदाय प्रतिवादी द्वारा या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा या उक्त बन्धक का मोचन कराने के हकदार किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं किया गया है;

यह आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि पूर्वोक्त प्रारम्भिक डिक्री में वर्णित बन्धक-सम्पत्ति का या उसके पर्याप्त भाग का विक्रय कर दिया जाए और ऐसे विक्रय के प्रयोजनों के लिए वादी बन्धक-सम्पत्ति सम्बन्धी वे सभी दस्तावेजें जो उसके कब्जे या शक्ति में हैं न्यायालय के समक्ष या उस अधिकारी के समक्ष, जिसे वह नियुक्त करे, पेश करेगा ।

2. यह भी आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि ऐसे विक्रय से वसूला हुआ धन न्यायालय में जमा किया जाएगा और (विक्रय के व्ययों को उसमें से काटकर) वह वादी को पूर्वोक्त प्रारम्भिक डिक्री के और किन्हीं ऐसे अतिरिक्त आदेशों के अधीन, जैसे इस वाद में पारित किए गए हों, संदेय रकम का संदाय करने में और ऐसी रकम का, जैसी न्यायालय इस आवेदन के खर्चों के सहित वाद के ऐसे खर्चों की और सिविल प्रक्रिया सहित, 1908 की प्रथम अनुसूची के आदेश 34 के नियम 10 के अधीन संदेय खर्चों, प्रभारों और व्ययों की बाबत वादी को शोध्य न्यायनिर्णीत करे नियम 11 के अधीन संदेय पाश्चिक ब्याज के सहित संदाय करने में सम्यक रुप से उपायोजित किया जाएगा और यदि कुछ बाकी बचे तो वह प्रतिवादी को या अन्य व्यक्तियों को, उसे प्राप्त करने के हकदार हों, दिया जाएगा ।

संख्यांक 7

जहां कि बन्धककर्ता द्वारा संदाय में व्यतिक्रम होने पर पुरोबन्ध के लिए डिक्री पारित की जाती है वहां मोचन के लिए प्रारंभिक डिक्री (आदेश 34 का नियम 7--जहां लेखा लिए जाने का निदेश किया गया है)

(शीर्षक)

वादी...................... इत्यादि की उपस्थिति में इस वाद के आज तारीख.......................को पेश होने पर यह आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि यह....................... को कमिश्नर के रुप में निम्नलिखित लेखा लेने के लिए निदेशित किया जाए-

(i) वादपत्र में वर्णित बन्धक पर मूलधन और ब्याज मद्धे आज की तारीख को प्रतिवादी को जो कुछ शोध्य है उसका लेखा (ऐसे ब्याज की संगणना उस दर से की जाएगी जो मूलधन पर संदेय है या जहां ऐसी दर नियत न हो वहां ब्याज छह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से या ऐसी दर से, जो न्यायालय युक्तियुक्त

समझे संगणित किया जाएगा)

(ii) बन्धक सम्पत्ति की जो आय प्रतिवादी द्वारा या प्रतिवादी के आदेश से या प्रतिवादी के उपयोग के लिए किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आज की तारीख तक प्राप्त की गई है या जो तब प्राप्त हो सकती थी जब वादी ने या ऐसे व्यक्ति ने जानबूझकर व्यतिक्रम न किया होता, उस आय का लेखा;

(iii) बन्धक प्रतिभूति की बाबत (वाद के खर्चो से भिन्न) खर्चो, प्रभारों और व्ययों के लिए आज की तारीख तक प्रतिवादी द्वारा जो धन राशियां उचित रूप से उपगत की गई हैं उन सबका, उन पर ब्याज सहित, लेखा (ऐसा ब्याज पक्षकारों के बीच करार की गई दर से या ऐसी दर के अभाव में उस दर से, जो मूलधन पर संदेय है, या ऐसी दोनों दरों के अभाव में नौ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से संगणित किया जाएगा);

(iv) बन्धक-सम्पत्ति को प्रतिवादी के ऐसे किसी कार्य या लोप द्वारा, जो सम्पत्ति के लिए विनाशक या स्थायी रुप से क्षतिकर है या उस पर किसी भी तत्समय-प्रवृत्त-विधि या बन्धक-विलेख के निबन्धनों द्वारा अधिरोपित कर्तव्यों में से किसी का पालन करने में उसकी असफलता से जो हानि या नुकसान इस तारीख से पहले पहुंचा है, उसका लेखा ।

2. यह भी आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि उक्त खण्ड (ii) के अधीन प्राप्त या खण्ड (iv) के अधीनने शोध्य न्यायनिर्णीत कोई रकम, उस पर ब्याज सहित पहले उन किन्हीं राशियों के प्रति समायोजित की जाएगी जिनका संदाय प्रतिवादी ने खण्ड (iii) के अधीन किया है और उन राशियों में उन पर ब्याज भी सम्मिलित होगा, और यदि कुछ बाकी बचे तो उसे बन्धक धन में जोड दिया जाएगा, या, यथास्थिति शोध्य न्यायनिर्णीत मूल राशि पर ब्याज मद्धे प्रतिवादी को जो रकम शोध्य है उसको घटाने के लिए और तत्पश्चात मूलधन को घटाने या उन्मोचित करने के लिए विकलित किया जाएगा ।

3. यह भी आदेश किया जाता है कि उक्त कमिश्नर वह लेखा, उसमें सभी न्यायसंगत मोक देने के पश्चात सुविधानुसार शीघ्रता से ता0 ....को या उरपके पूर्व इस न्यायालय में प्रस्तुत करेगा और कमिश्नर की ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर वह ऐसे उपान्तरों के साथ पुष्ट और प्रतिहस्ताक्षरित की जाएगी जैसे कि वाद के पक्षकारों के ऐसे आक्षेपों पर, जो वे करें, विचार करने के पश्चात् आवश्यक हों |

4. यह भी आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-

(i) वादी ता0............................ को या उसके पूर्व या किसी ऐसी पश्चातवर्ती तारीख को या उसके पूर्व, जिस तक संदाय करने के लिए समय न्यायालय द्वारा बढा दिया जाए, ऐसी राशि, जैसी न्यायालय शोध्य पाए, और वाद के उन खर्चों के लिए जो प्रतिवादी को अधिनिर्णीत किए गए हैं........................रुपए की राशि न्यायालय में जमा कर दे;

(ii) ऐसे जमा कर दिए जाने पर और तत्पश्चात् ऐसी तारीख के पूर्व, जो न्यायालय नियत करे, ऐसी रकम जो न्यायालय वाद के ऐसे खर्चो की, और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की प्रथम अनुसूची के आदेश 34 के नियम 10 के अधीन संदेय ऐसे खर्चो, प्रभारों और व्ययों की, बाबत शोध्य न्यायनिर्णीत कर, नियम 11 के अधीन संदेय पाश्चिक ब्याज के सहित जमा कर दी जाने पर, प्रतिवादी वादपत्र में वर्णित बन्धक-सम्पत्ति सम्बन्धी वे सभी दस्तावेजें जो उसके कब्जे या शक्ति में हैं न्यायालय में लाएगा और ऐसी सब दस्तावेजें वादी को या ऐसे व्यक्ति को, जिसे वह नियुक्त करे, परिदत्त की जाएंगी और यदि प्रतिवादी से ऐसी अपेक्षा की जाए तो वह उक्त सम्पत्ति को उक्त बन्धक से मुक्त करके और प्रतिवादी द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो उससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करता है या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा,

जिससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन प्रतिवादी दावा करता है, सृष्ट सब विल्लगमों से रहित, और मुक्त करके तथा इस बन्धक से या इस वाद से जो कोई दायित्व उद्भूत होते हैं उन सबसे मुक्त करके, प्रतिहस्तान्तरित या प्रति अन्तरित करेगा और यदि उससे ऐसी अपेक्षा की जाए तो वह वादी को उक्त सम्पत्ति का निर्बाध और शा।त्रपूण कब्जा परिदत्त करेगा ।

5. यह भी आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि पूर्वोक्त रुप में रकम जमा करने में व्यतिक्रम होने पर प्रतिवादी न्यायालय से इस अंतिम डिक्री के लिए आवेदन कर सकेगा कि तत्पश्चात् वादी इसके साथ उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित बंधक संपत्ति का मोचन कराने के सब अधकारों से पूर्णत: विवर्जित और पुरोबंधित होगा और यदि उससे ऐसी अपेक्षा की जाए तो वह प्रतिवादी को उक्त संपत्ति पर निर्बाध और शांतिपूर्ण कब्जा परिदत्त करेगा और पक्षकार समय-समय पर न्यायालय रो अवश्यकतानुसार आवेदन कर सके गे और न्यायालय ऐसे आवेदन पर या अन्यथा ऐसे निदेश दे सकेगा जैसे कि वह ठीक समझे ।

अनुसूची

बन्धक-सम्पत्ति का वर्णन

संख्यांक 7क

जहां कि बन्धककर्ता द्वारा संदाय में व्यतिक्रम होने पर विक्रय के लिए डिक्री पारित की जाती है वहां मोचन के लिए प्रारंभिक डिक्री (आदेश 34 का नियम 7---जहां लेखा लिए जाने का निदेश किया गया है)

(शीर्षक)

वादी................................इत्यादि की उपस्थिति में इस वाद के आज तारीख....................... को पेश होने पर यह आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि यह...................... को कमिश्नर के रुप में निम्नलिखित लेखा लेने के लिए निर्देशित किया जाए-

(i) वादपत्र में वर्णित बन्धक पर मूलधन और ब्याज मद्धे आज की तारीख को प्रतिवादी को जो कुछ शोध्य है उसका लेखा ऐसे ब्याज की संगणना उस दर से की जाएगी जो मूलधन पर संदेय है या जहां ऐसी दर नियत न हो वहां ब्याज छह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से या ऐसी अन्य दर से, जो न्यायालय युक्तियुक्त समझे, संगणित किया जाएगा);

(ii) बन्धक-संपत्ति की जो आय प्रतिवादी द्वारा या प्रतिवादी के आदेश से या प्रतिवादी के उपयोग के लिए किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आज की तारीख तक प्राप्त की गई है या जो तब प्राप्त हो सकती थी जब प्रतिवादी ने या ऐसे व्यक्ति ने जानबूझकर व्यतिक्रम न किया होता, उस आय का लेखा;

(iii) बन्धक प्रतिभूति की बाबत (वाद के खर्चों से भिन्न) खर्चों प्रभारों और व्ययों के लिए आज की तारीख तक प्रतिवादी द्वारा जो धन राशियां उचित रूप से उपगत की गई हैं उन सब का, उन पर ब्याज सहित, लेखा ऐसा ब्याज पक्षकारों के बीच करार की गई दर से या ऐसी दर के अभाव में उस दर से, जो मूलधन पर संदेय है, जो ऐसी दोनों दरों के अभाव में नौ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से, संगणित किया जाएगा);

(iv) बन्धक-सम्पति को प्रतिवादी के ऐसे किसी कार्य या लोप द्वारा, जो संपत्ति के लिए विनाशक या स्थायी रुप से क्षतिकर है, या उस पर किसी भी तत्समय-प्रवृत-विधि द्वारा या बन्धक विलेख के

निबन्धनों द्वारा अधिरोपित कर्तव्यों में से किसी का पालन करने में उसकी असफलता से जो हानि या नुकसान इस तारीख से पहले पहुंचा है, उसका लेखा ।

2. यह भी आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि उक्त खण्ड (ii) के अधीन प्राप्त या खण्ड (iv) के अधीन शोध्य न्यायनिर्णीत कोई रकम, उस पर ब्याज सहित, पहले उन किन्हीं राशियों के प्रति समायोजित की जाएगी जिनका संदाय प्रतिवादी ने खण्ड (iii) के अधीन किया है और जिन राशियो में उन पर ब्याज भी सम्मिलित होगा, और यदि कुछ बाकी बचे तो उसे बन्धक- धन में जोड दिया जाएगा या यथास्थिति, शोध्य न्यायनिर्णीत मूल राशि पर ब्याज मद्धे प्रतिवादी को जो रकम शोध्य है उसको घटाने के लिए और तत्पश्चात् मूलधन को घटाने या उन्मोचित करने के लिए विकलित (डेबिट) किया जाएगा ।

3. यह भी आदेश किया जाता है कि उक्त कमिश्नर वह लेखा, उसमें सभी न्यायसंगत मोक देने के पश्चात् सुविधानुसार शीघ्रता से ता0 ....को या उसके पूर्व इस न्यायालय में प्रस्तुत करेगा और कमिश्नर की ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर वह ऐसे उपान्तरों के साथ पुष्ट और प्रतिहस्ताक्षरित की जाएगी जैसे कि वाद के पक्षकारों के ऐसे आक्षेपों पर, जो वे करें, विचार करने के पश्चात् आवश्यक हों ।

4. यह भी आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-

(i) वादी ता0........................... को या उसके पूर्व या किसी ऐसी पश्चात्वर्ती तारीख को या उसके पूर्व, जिस तक संदाय करने के लिए समय न्यायालय द्वारा बढा दिया जाए, ऐसी राशि, जैसी न्यायालय शोध्य पाए, और वाद के उन खर्चों के लिए जो प्रतिवादी को अधिनिर्णीत किए गए हैं............. रुपए की राशि न्यायालय में जमा कर दें;

(ii) ऐसे जमा कर दिए जाने पर और तत्पश्चात् ऐसी तारीख के पूर्व, जो न्यायालय नियत करे ऐसी रकम जो न्यायालय वाद के ऐसे खर्चों की, और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की प्रथम अनुसूची के आदेश 34 के नियम 10 के अधीन संदेय ऐसे खर्चों, प्रभारों और व्ययों की बाबत शोध्य न्यायनिर्णीत करे नियम 11 के अधीन संदेय पाश्चिक ब्याज के सहित जमा कर दी जाने पर, प्रतिवाद वादपत्र में वर्णित बन्धक-सम्पत्ति सम्बन्धी वे सभी दस्तावेजें जो उसके कब्जे या शक्ति में हैं न्यायालय में लाएगा, और ऐसी सब दस्तावेजों वादी को या ऐसे व्याबत को, जिसे वह नियुक्त करें, परिदत्त की जाएंगी, और यदि प्रतिवादी से ऐसी अपेक्षा की जाए तो वह उक्त सम्पत्ति को उक्त बन्धक से मुक्त करके और प्रतिवादी द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो उससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करता है, या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन प्रतिवादी दावा करता है, सृष्ट सब विल्लगमों से रहित और मुक्त करके प्रतिहस्तान्तरित या प्रति अन्तरित करेगा और यदि उससे ऐसी अपेक्षा की जाए तो वह वादी को उक्त सम्पत्ति पर निर्बाध और शांतिपूर्ण कब्जा परिदत्त करेगा ।

5. यह भी आदेश किया जाता है और डिक्री की जाती है कि पूर्वोक्त रुप में रकम जमा करने में व्यतिक्रम होने पर प्रतिवादी न्यायालय से बन्धक-सम्पत्ति के विक्रय के लिए अन्तिम डिक्री के लिए आवेदन कर सकेगा, और ऐसा आवेदन किए जाने पर बन्धक-सम्पत्ति के या उसके पर्याप्त भाग के विक्रय का निदेश दिया जाएगा और ऐसे विक्रय के प्रयोजनों के लिए प्रतिवादी बन्धक-सम्पत्ति सम्बन्धी वे सभी दस्तावेजें जो उसके कब्जे या शक्ति में हैं न्यायालय के समझ या उस अधिकार के समक्ष, जिसे वह नियुक्त करे, पेश करेगा ।

6. यह भी आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि ऐसे विक्रय से वसूल हुआ धन

न्यायालय में जमा किया जाएगा और (विक्रय के व्ययों को उसमें से काटकर) वह प्रतिवादी को इस डिक्री के अधीन और ऐसे किन्हीं अतिरिक्त आदेशों के अधीन, जैसे इस वाद में पारित किए जाएं संदेय रकम का संदाय करने में और ऐसी रकम का जैसी न्यायालय वाद के खर्चों की ओर सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की प्रथम अनुसूची के आदेश 34 के अधीन संदेय ऐसे खर्चो, प्रभारों और व्ययों की बाबत प्रतिवादी को शोध्य न्यायनिर्णीत करे, नियम 11 के अधीन संदेय पाश्चिक ब्याज के सहित संदाय करने में सम्यक रुप से उपयोजित किया जाएगा और यदि कुछ बाकी बचे तो वह वादी को या अन्य व्यक्तियों को, जो उसे प्राप्त करने के हकदार हों, दिया जाएगा ।

7. यह भी आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि यदि ऐसे विक्रय से वसूल हुआ धन प्रतिवादी को पूर्वोक्त रुप में संदेय रकम के पूर्ण संदाय के लिए पर्याप्त न हो तो प्रतिवादी (जहां कि ऐसा उपचार उसके लिए बन्धक के निबन्धनों के अधीन प्राप्त है और किसी तत्स्यम-प्रवृत-विधि द्वारा वर्जित नहीं है) वादी के विरुद्ध बाकी की रकम के लिए वैयक्तिक डिक्री के लिए आवेदन कर सकेगा और पक्षकार समय-- समय पर न्यायालय से अवश्यकतानुसार आवेदन कर सकेंगे और न्यायालय ऐसे आवेदन पर या अन्यथा ऐसे निदेश दे सकेगा जैसे वह ठीक समझे ।

अनुसूची

बन्धक सम्पत्ति का वर्णन

संख्यांक 7ख

जहां बन्धककर्ता द्वारा संदाय में व्यक्तिक्रम करने पर पुरोबन्ध के लिए डिक्री पारित की जाती है वहां मोचन के लिए प्रारम्भिक डिक्री

(आदेश 34 का नियम 7----जहां न्यायालय शोध्य रकम घोषित करता है ।)

(शीर्षक)

वादी.......................... इत्यादि की उपस्थिति में इस वाद के आज ता0...................... को पेश होने पर, यह घोषित किया जाता है कि वादपत्र में वर्णित बन्धक पर प्रतिवादी को आज ता0 .... तक संगणित शोध्य रकम मूल धन मद्धे रुपए की राशि, उक्त मूल धन पर ब्याज मद्धे.............................रुपए की राशि (वाद के खर्चों से भिन्न) उन खर्चों, प्रभारों और व्ययों के लिए जो बन्धक प्रतिभूति की बाबत प्रतिवादी ने उचित रुप में उपगत किए हैं उन पर ब्याज के सहित,......................... रुपए की राशि, और इस वाद के जो खर्चे प्रतिवादी को अधिनिर्णीत किए गए है उन खर्चों के लिए.........................रुपए की राशि, कुल मिलाकर........................रुपए की राशि होती है ।

2. यह आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि---

(i) वादी ता0................................ को या उसके पूर्व या किसी ऐसी पश्चात्वर्ती तारीख को या उसके पूर्व, जिस तक संदाय के लिए समय न्यायालय द्वारा बढ़ा दिया जाए,.................. रुपए की उक्त राशि न्यायालय में जमा करे दे;

(ii) ऐसे जमा कर दिए जाने पर और तत्पश्चात् ऐसी तारीख से पूर्व जो न्यायालय नियत करे ऐसी रकम, जो न्यायालय वाद के ऐसे खर्चा की, और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की प्रथम अनुसूची के आदेश

34 के नियम 10 के अधीन संदेय खर्चों, प्रभारों और व्ययों की, बाबत शोध्य न्यायनिर्णीत करे, नियम 11 के अधीन संदेय पाश्चिक ब्याज के सहित, जमा कर दी जाने पर, प्रतिवादी वादपत्र में वर्णित बन्धक-सम्पत्ति सम्बन्धी ऐसी में हैं न्यायालय में लाएगा और ऐसी सब दस्तावेजें वादी को या ऐसे व्यक्ति को, जिसे वह नियुक्त करे, परिदत्त की जाएंगी, और यदि प्रतिवादी से ऐसी अपेक्षा की जाए तो वह उक्त सम्पत्ति को उक्त बन्धक से मुक्त और प्रतिवादी द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो उसमें व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करता है, या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन प्रतिवादी दावा करता है, सुष्ट सब विल्लंगमों से रहित और मुक्त करके तथा इस बन्धक या इस वाद से जो कोई दायित्व उद्भूत होते हैं उन सबसे मुक्त करके प्रतिहस्तान्तरित या प्रति अन्तरित करेगा, और यदि उससे ऐसी अपेक्षा की जाए तो वह वादी को उक्त सम्पत्ति का निर्बाध और शान्तिपूर्ण कब्जा परिदत्त करेगा ।

3. यह भी आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि पूर्वोक्त रुप में रकम जमा करने में व्यतिक्रम होने पर प्रतिवादी न्यायालय से इस अन्तिम डिक्री के लिए आवेदन कर सकेगा कि तत्पश्चात् वादी इसके साथ उपाबद्ध अनूसूची में वर्णित बन्धक सम्पत्ति का मोचन कराने के सब अधिकारों से पूर्णत: विवर्जित और पुरोबन्धित होगा और यदि उससे ऐसी अपेक्षा की जाए तो वह प्रतिवादी को उक्त संपत्ति का निर्बाध और शांतिपूर्ण कब्जा परिदत्त करेगा और पक्षकार समय-समय पर न्यायालय से अवश्यकतानुसार आवेदन कर सके गे और न्यायालय ऐसे आवेदन पर या अन्यथा ऐसे निदेश दे सकेगा जैसे वह ठीक समझे ।

अनुसूची

बन्धक सम्पत्ति का वर्णन

संख्यांक 7ग

जहां बन्धककर्ता द्वारा संदाय में व्यतिक्रम होने पर विक्रय के लिए डिक्री पारित की जाती है वहां मोचन के लिए प्रारम्भिक डिक्री

(आदेश 34 का नियम 7--- जहां न्यायालय शोध्य रकम घोषित करता है ।)

(शीर्षक)

वादी.......................... इत्यादि की उपस्थिति में इस वाद के आज ता0 ....को पेश होने पर, यह घोषित किया जाता है कि वादपत्र में वर्णित बन्धक पर प्रतिवादी को आज ता0......................... .तक संगणित शोध्य रकम मूल धन मद्धे रुपए की राशि, उक्त मूल धन पर ब्याज मद्धे.......................रुपए की राशि (वाद के खर्चों से भिन्न) उन खर्चों, प्रभारों और व्ययों के लिए, जो बन्धक प्रतिभूति की बाबत प्रतिवादी ने उचित रुप में उपगत किए हैं उन पर ब्याज सहित,.......................... रुपए की राशि और वाद के जो खर्चे प्रतिवादी को अधिनिर्णीत किए गए हैं उन खर्चों के लिए....................... रुपए की राशि, कुल मिलाकर.....................रुपए की राशि होती है ।

2. यह आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-

(i) वादी ता0 ....को या उसके पूर्व, या किसी ऐसी पश्चात्वर्ती तारीख को या उसके पूर्व जिस तक संदाय के लिए समय न्यायालय द्वारा बढा दिया जाए.........................रुपए की उक्त राशि

न्यायालय में जमा करे दे;

(ii) ऐसे जमा कर दिए जाने पर और तत्पश्चात् ऐसी तारीख के पूर्व जो न्यायालय नियत करे ऐसी रकम, जो न्यायालय वाद के ऐसे खर्चों की, और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की प्रथम अनुसूची के आदेश 34 के नियम 10 के अधीन संदेय ऐसे खर्चों, प्रभारों और व्ययों की बाबत शोध्य न्यायनिर्णीत करे नियम 11 के अधीन संदेय पाश्चिक ब्याज के सहित, जमा कर दी जाने पर प्रतिवादी वादपत्र में वर्णित बन्धक-सम्पत्ति सम्बन्धी वे सभी दस्तावेजें जो उसके कब्जे या शक्ति में हैं, न्यायालय में लाएगा और ऐसी दस्तावेजें वादी को या ऐसे व्यक्ति को, जिसे वह नियुक्त करे, परिदत्त की जाएंगी, और यदि प्रतिवादी से ऐसी अपेक्षा की जाए तो वह उक्त सम्पत्ति को उक्त बन्धक से मुक्त करके और प्रतिवादी द्वारा, या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो उससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करता हो, या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिससे छलन अधिकार के अधीन प्रतिवादी दावा करता है, सृष्ट सब विल्लगमों से रहित और मुक्त करके प्रतिहस्तान्तरित या प्रति अन्तरित करेगा, और यदि उससे ऐसी अपेक्षा की जाए तो वह वादी को उक्त सम्पत्ति पर निर्बाध और शान्तिपूर्ण कब्जा परिदत्त करेगा ।

3. यह भी आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि पूर्वोक्त रुप में रकम जमा करने में व्यतिक्रम होने पर प्रतिवादी न्यायालय से बन्धक-सम्पति के विक्रय के लिए अन्तिम डिक्री के लिए आवेदन कर सकेगा, और ऐसा आवेदन किए जाने पर बन्धक-सम्पत्ति के या उसके पर्याप्त भाग के विक्रय के लिए निदेश दिया जाएगा और ऐसे विक्रय के प्रयोजनों के लिए प्रतिवादी बन्धक-सम्पत्ति संबंधी वे सभी दस्तावेजें जो उसके कब्जे या शक्ति में है न्यायालय के समक्ष या उस अधिकारी के समक्ष, जिसे वह नियुक्त करे, पेश करेगा ।

4. यह भी आदेश दिया जाता है कि और डिक्री दी जाती है कि ऐसे विक्रय से वसूल हुआ धन न्यायालय में जमा किया जाएगा और विक्रय के व्ययों को उसमें से काटकर) वह प्रतिवादी को इस डिक्री के अधीन और ऐसे किन्हीं अतिरिक्त आदेशों के अधीन, जैसे इस वाद में पारित किए जाएं, संदेय रकम का संदाय करने में और ऐसी रकम का, जैसी न्यायालय वाद के ऐसे खर्चों की, और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की प्रथम अनुसूची के आदेश 34 के नियम 10 के अधीन संदेय ऐसे खर्चों, प्रभारों और व्ययों की, बाबत प्रतिवादी को शोध्य न्यायनिर्णीत करे, नियम 11 के अधीन संदेय पाश्चिक ब्याज के सहित संदाय करने में सम्यक् रुप से उपयोजित किया जाएगा और यदि कुछ बाकी बचे तो वह वादी को या अन्य व्यक्तियों को, जो उसे प्राप्त करने के हकदार हों, दिया जाएगा ।

5. यह भी आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि यदि ऐसे विक्रय से वसूल हुआ धन प्रतिवादी को पूर्वोक्त रूप में संदेय रकम के पूर्ण संदाय के लिए पर्याप्त न हो तो प्रतिवादी (जहां ऐसा उपचार उसके लिए बन्धक के निबन्धनों के अधीन प्राप्त है और किसी तत्समय-प्रवृत्त-विधि द्वारा वर्जित नहीं है) वादी के विरुद्ध बाकी की रकम के लिए वैयक्तिक डिक्री के लिए आवेदन कर सकेगा और पक्षकार समय-- समय पर न्यायालय से अवश्यकतानुसार आवेदन कर सकेंगे और न्यायालय ऐसे आवेदन पर या अन्यथा ऐसे निदेश दे सकेगा जैसे वह ठीक समझे ।

अनुसूची

बन्धक-सम्पत्ति का वर्णन

संख्यांक 7घ

बन्धककर्ता द्वारा संदाय में व्यतिक्रम होने पर मोचन वाद में पुरोबन्ध के लिए अन्तिम डिक्री

(आदेश 34 का नियम 8)

(शीर्षक)

इस वाद में ता0 .... को पारित प्रारंभिक डिक्री को और ता0 ....के अतिरिक्त आदेशों को (यदि कोई हों) और अंतिम डिक्री के लिए प्रतिवादी के ता0 ....के आवेदन को पढने पर और पक्षकारों को सुनने के पश्चात् और यह प्रतीत होने पर कि उक्त डिक्री और आदेशों द्वारा निर्दिष्ट संदाय वादी द्वारा या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा या उक्त बन्धक का मोचन कराने के हकदार किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं किया गया है;

यह आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि वादी और उससे व्युत्न्न अधिकार के द्वारा या अधीन दावा करने वाले सब व्यक्ति पूर्वोक्त प्रारंभिक डिक्री में वर्णित सम्पत्ति के और उसमें मोचन के सब अधिकारों से पूर्णत: विवर्जित और पुरोबन्धित हों और किए जाते हैं [1][और (यदि वादी का उक्त बन्धक-सम्पत्ति पर कब्जा है तो वादी उक्त बन्धक-सम्पति का निर्बाध और शांतिपूर्ण कब्जा प्रतिवादी को परिदत्त करेगा ।]

2. यह भी घोषित किया जाता है कि वादपत्र में वर्णित उक्त बन्धक से या इस वाद से उद्भूत जो भी दायित्व वादी का आज तक है वह सब इसके द्वारा उन्मोचित और निर्वापित किया जाता है ।

संख्यांक 7ड.

बन्धककर्ता दारा संदाय में व्यतिक्रम होने पर मोचन वाद में विक्रय के लिए अन्तिम डिक्री

(आदेश 34 का नियम 8)

(शीर्षक)

इस वाद में ता0 ....को पारित प्रारंभिक डिक्री को और ता0 ....के अतिरिक्त आदेशों को (यदि कोई हों) और अंतिम डिक्री के लिए प्रतिवादी के ता0 .... के आवेदन को पकने पर और पक्षकारों को सुनने के पश्चात् और यह प्रतीत होने पर कि उक्त डिक्री और आदेशों द्वारा निर्दिष्ट संदाय वादी द्वारा या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा या उक्त बंधक मो मोचन कराने के हकदार किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं किया गया है;

1. अनपेक्षित शब्द काट दिए जाएं ।

यह आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि पूर्वोक्त प्रारंभिक डिक्री में वर्णित बन्धक-सम्पत्ति या उसके पर्याप्त भाग का विक्रय कर दिया जाए और ऐसे विक्रय के प्रयोजनों के लिए प्रतिवादी

बन्धक-सम्पत्ति संबंधी वे सभी दस्तावेजें जो उसके कब्जे या शक्ति में हैं न्यायालय के समक्ष या उस अधिकारी के समक्ष, जिसे वह नियुक्त करे, पेश करेगा ।

2. यह भी आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि ऐसे विक्रय से वसूल हुआ धन न्यायालय में जमा किया जाएगा और (विक्रय के व्ययों को उसमें से काटकर) वह प्रतिवादी को पूर्वोक्त प्रारंभिक डिक्री के अधीन और ऐसे किन्हीं अतिरिक्त आदेशों के अधीन जैसे इस वाद में पारित किए गए हों, संदेय रकम का संदाय करने में, और ऐसी रकम का, जैसी न्यायालय इस आवेदन के खर्चों के सहित वाद के ऐसे खर्चों की और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की प्रथम अनुसूची के आदेश 34 के नियम 10 के अधीन संदेय ऐसे खर्चों, प्रभारों और व्ययों की, बाबत प्रतिवादी को शोध्य न्यायनिर्णीत करे नियम 11 के अधीन संदेय पाश्चिक ब्याज के सहित, संदाय करने में सम्यक् रुप से उपयोजित किया जाएगा और यदि कुछ बाकी बचे तो वह वादी को या अन्य व्यक्तियों, को जो उसे प्राप्त करने के हकदार हों, दिया जाएगा ।

संख्यांक 7च

पुरोबन्ध, विक्रय या मोचन के वाद में जहां बन्धककर्ता डिक्री की रकम दे दे वहां अंतिम डिक्री

(आदेश 34 का नियम 3, 5 और 8)

(शीर्षक)

यह वाद और आगे विचार के लिए आज ता0... को पेश होने पर और यह प्रतीत होने पर कि बन्धककर्ता ने या.............................ने, जो मोचन कराने का हकदार व्यक्ति है, वह सब रकम, जो ता0 ....की प्रारंभिक डिक्री के अधीन बन्धकदार को शोध्य है, ता0.........................को न्यायालय में जमा कर दी है;

यह आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-

(i) बन्धकदार पूर्वोक्त प्रारंभिक डिक्री में वर्णित सम्पत्ति का प्रतिहस्तान्तरण विलेख बन्धककर्ता [1](या यथास्थिति,.........................के जिसने सम्पत्ति का मोचन कराया है) पक्ष में निष्पादित कर दे या अपने को शोध्य रकम की अभिस्वीकृति उसके पक्ष में निष्पादित कर दे;

(ii) बन्धकदार वाद में की बन्धक-सम्पत्ति संबंधी वे सभी दस्तावेजें जो उसके कब्जे या शक्ति में है न्यायालय में लाए ।

यह भी आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि बन्धकदार द्वारा प्रतिहस्तान्तरण विलेख या अभिस्वीकृति पूर्वोक्त रीति से निष्पादित किए जाने पर,-

(i)................ रुपए की उक्त राशि बन्धकदार को न्यायालय में से दे दी जाए;

(ii) न्यायालय में लाए गए उक्त विलेख और दस्तावेजें न्यायालय में से बन्धककर्ता को [2](या संदाय करने वाले व्यक्ति को परिदत्त कर दी जाएं और यदि बन्धकदार से ऐसी अपेक्षा की जाए तो वह बन्धककर्ता [3](या संदाय करने वाले अन्य व्यक्ति) के खर्चे पर उक्त प्रतिहस्तान्तरण विलेख या अभिस्वीकृति को..............................के उपरजिस्ट्रार के कार्यालय में रजिस्ट्रीकृत करने के लिए सहमत हो; तथा

1. अनपेक्षित शब्द काट दिए जाएं ।
2. अनपेक्षित शब्द काट दिए जाएं ।
3. अनपेक्षित शब्द काट दिए जाएं ।

(iii) [1](यदि, यथास्थिति, बन्धकदार, वादी या प्रतिवाद बन्धक-सम्पति पर कब्जा रखता है तो) बन्धकदार पूर्वोक्त प्रारंभिक डिक्री में वर्णित बन्धक-सम्पति पर कब्जा बन्धककर्ता को [2](या यथापूर्वोक्त व्यक्ति को, जिसने संदाय किया है) तुरन्त परिदत कर दे ।

संख्यांक 8

बन्धक-सम्पत्ति के विक्रय के पश्चात् बाकी रकम के लिए बन्धककर्ता के विरुद्ध वैयक्तिक डिक्री

(आदेश 34 का नियम 6 और 8क

(शीर्षक)

बन्धकदार (यथास्थिति, वादी या प्रतिवादी) के आवेदन को पढने पर और वाद में ता0........................ को पारित अंतिम डिक्री को पढने पर, और न्यायालय का यह समाधान हो जाने पर कि पूर्वोक्त अंतिम डिक्री के अधीन किए गए विक्रय के शुद्ध आगम........................ रुपए थे और वे ता0 ....को न्यायालय में से आवेदक को दे दिए गए हैं और पूर्वोक्त डिक्री के अधीन अब उसकी शोध्य........................रुपए बाकी है;

और न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि उक्त रकम स्वयं बन्धककर्ता (यथास्थिति वादी या प्रतिवादी) से वैध रुप से वसूलीय है, अत: यह आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि- बन्धककर्ता (यथास्थिति, वादी या प्रतिवादी) बन्धकदार यथास्थिति, प्रतिवादी या वादी) को .... - रुपए की उक्त राशि, ता0............................. (न्यायालय में से उस संदाय की तारीख जिसके प्रति ऊपर निर्देश किया गया है) से उक्त राशि की वसूली की तारीख तक छह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से अतिरिक्त ब्याज और इस आवेदन के खर्चों के सहित, दे ।

संख्यांक 9

पुरोबन्ध या विक्रय के लिए प्रारंभिक डिक्री

[वादी... पहला बन्धकदार,

बनाम

पहला प्रतिवादी-... बन्धककर्ता,

दूसरा प्रतिवादी..दूसरा बन्धकदार ।]

(आदेश 34 के नियम 2 और 4)

(शीर्षक)

वादी........................ आदि की उपस्थिति में इस वाद के आज ता0...................को पेश होने पर, यह घोषित किया जाता है कि वादपत्र में वर्णित बन्धक पर वादी की आज ता0 ....तक संगणित शोध्य रकम मूलधन मद्धे.......................... रुपए की राशि, उक्त मूलधन पर ब्याज

मद्धे.................. रुपए की राशि (वाद के खर्चों से भिन्न) उन खर्चों, प्रभारों और व्ययों के लिए, जो बन्धक प्रतिभूति की बाबत वादी ने उपगत किए हैं, उन पर ब्याज सहित........... रुपए की राशि, और वाद के जो खर्चे वादी को अधिनिर्णीत ट्टकिए। गए हैं उन खर्चों के लिए................ -रुपए की राशि, कुल मिलाकर................ -रुपए की राशि होती है |

(यदि दूसरे प्रतिवादी को अपने बन्धक को बाबत बन्धक- धन वाद की तारीख पर संदेय हो गया है तो दूसरे प्रतिवादी को उसके बन्धक पर शोध्य रकम की बाबत भी ऐसी ही घोषणाएं लिखी जाएंगी ।)

2. यह भी घोषित किया जाता है कि वादी अपने को शोध्य रकम का संदाय दूसरे प्रतिवादी से पूर्व पाने का हकदार है | [1][या (यदि कई पश्चिक बन्धकदार हैं तो) इसके विभिन्न पक्षकार अपने को शोध्य राशियों के संदाय के लिए निम्नलिखित क्रमानुसार हकदार हैं हैं---]

3. यह आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि--

(i) (क) वादी को शोध्य.........................रुपए की उक्त राशि प्रतिवादी या उनमें से कोई एक ता0................ को या उसके पूर्व या ऐसी किसी पश्चात्वर्ती तारीख को या उसके पूर्व, जिस तक संदाय के लिए समय न्यायालय द्वारा बढा दिया गया है न्यायालय में जमा कर दे; तथा

(ख) दूसरे प्रतिवादी को शोध्य........................रुपए की उक्त राशि पहला प्रतिवादी ता0................... को या उसके पूर्व या ऐसी किसी पश्चात्वर्ती तारीख को या उसके पूर्व, जिस तक संदाय के लिए समय न्यायालय द्वारा बढा दिया गया है, न्यायालय में जमा कर दे; तथा

(ii) वादी को शोध्य घोषित राशि खण्ड (i) (क) में विहित रीति से प्रतिवादियों द्वारा या उनमें से किसी एक द्वारा जमा कर दी जाने पर और तत्पश्चात् ऐसी तारीख के पूर्व, जैसी न्यायालय नियत करे, ऐसी रकम, जैसी न्यायालय वाद के खर्चा की बाबत और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की प्रथम अनुसूची के आदेश 34 के अधीन नियम 10 के अधीन संदेय ऐसे खर्चों, प्रभारों और व्ययों की बाबत शोध्य न्यायनिर्णीत करे, नियम 11 के अधीन संदेय पाश्चिक ब्याज के सहित जमा कर दी जाने पर वादी वादपत्र में वर्णित बन्धक-सम्पत्ति सम्बन्धी वे सभी दस्तावेजें जो उसके कब्जे या शक्ति में हैं, न्यायालय में लाएगा, और ऐसी सब, दस्तावेज....................... प्रतिवादी को (जिसने राशि जमा की है) या ऐसे व्यक्ति को, जिसे वह नियुक्त करे, परिदत्त की जाएंगी, और यदि वादी से ऐसी अपेक्षा की जाए तो वह उक्त सम्पत्ति को उक्त बन्धक से मुक्त करके और वादी द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो उससे त्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करता है, या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिससे त्युत्पन्न अधिकार के अधीन वादी दावा करता है, सृष्ट सब विल्लंगमों से रहित और मुक्त करके और इस बन्धक से या इस वाद से जो कोई दायित्व उद्भूत होते हैं उन सबसे मुक्त करके प्रतिहस्तान्तरित या प्रति अन्तरित करेगा और यदि उससे ऐसी अपेक्षा की जाए तो.......................... प्रतिवादी को जिसने राशि जमा की है) उक्त सम्पत्ति का निर्बाध और शांतिपूर्ण कब्जा परिदत्त करेगा ।

(यदि पहला प्रतिवादी दूसरे प्रतिवादी को शोध्य पाई गई या घोषित रकम दे देता है तो ऐसी ही घोषणाएं. ऐसे फेरफार के सहित जैसे उसके बन्धक की प्रकृति को देखते हुए आवश्यक हों, लिखी जाएंगी ।)

4. यह भी आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि वादी को शोध्य रकम के यथापूर्वोक्त संदाय में व्यतिक्रम होने पर वादी न्यायालय से इस अंतिम डिक्री के लिए आवेदन कर सकेगा कि-

(i) [2][सशर्त विक्रय द्वारा बन्धक या विलक्षण बन्धक की दशा में जिसमें कि बन्धक विलेख में

उपबन्धित एकमात्र उपचार विक्रय नहीं बल्कि पुरोबंध है] प्रतिवादी इसके साथ उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित बन्धक-सम्पत्ति का मोचन कराने के सब अधिकारों से, संयुक्ततः और पृथकतः तथा पूर्णतः विवर्जित और पुरोबंधित होंगे और यदि उनसे अपेक्षा की जाए कि उक्त सम्पत्ति का निर्बाध और शांतिपूर्ण कब्जा वादी को परिदत्त करेंगे; अथवा

(ii) [3][किसी अन्य बन्धक की दशा में बन्धक-सम्पत्ति का या उसके पर्याप्त भाग का विक्रय कर दिया जाएगा और वादी ऐसे विक्रय के प्रयोजनों के लिए वादी बन्धक-सम्पत्ति सम्बन्धी वे सभी दस्तावेजें जो उसके कब्जे या शक्ति में हैं न्यायालय के समक्ष या उस अधिकारी के समक्ष, जिसे वह न्यायालय नियुक्त करे, पेश करेगा; तथा

1. अनपेक्षित शब्द काट दिए जाए ।
2. अनपेक्षित शब्द काट दिए जाए ।
3. अनपेक्षित शब्द काट दिए जाए ।
1. अनपेक्षित शब्द काट दिए जाए ।
2. अनपेक्षित शब्द काट दिए जाए ।

(iii) [1][उस दशा में जिसमें कि ऊपर के खण्ड 4(ii) के अधीन विक्रय का आदेश किया जाता है] ऐसे विक्रय से वसूल हुआ धन न्यायालय में जमा किया जाएगा और (उसमें से विक्रय के व्यय को काटकर) वह वादी को, इस डिक्री के अधीन और ऐसे किन्हीं अतिरिक्त आदेशों के, जैसे इस वाद में पारित किए गए हों, अधीन संदेय रकम का संदाय करने में और ऐसी किसी रकम का, जैसी न्यायालय वाद के खर्चों की ओर सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की प्रथम अनुसूची के आदेश 34 के नियम 10 के अधीन संदेय ऐसे खर्चों, प्रभारों और व्ययों की बाबत शोध्य न्यायनिर्णीत करे, नियम 11 के अधीन संदेय ऐसे पाश्चिक ब्याज के सहित, संदाय करने में सम्यक रुप से उपयोजित किया जाएगा और यदि कुछ बाकी बचे तो वह दूसरे प्रतिवादी को शोध्य रकम का संदाय करने में उपयोजित किया जाएगा और, यदि फिर भी कुछ बाकी बचे तो वह पहले प्रतिवादी को या अन्य व्यक्तियों को, जो उसे प्राप्त करने के हकदार हों, दिया जाएगा; तथा

(iv) यदि ऐसे विक्रय से वसूल हुआ धन वादी और दूसरे प्रतिवादी को शोध्य रकम के पूर्ण संदाय के लिए पर्याप्त न हो तो, यथास्थिति, वादी या दूसरा प्रतिवादी या वे दोनों (जहां ऐसा उपचार उनके अपने बन्धकों के निबन्धनों के अधीन अनुज्ञात है और किसी तत्समय-प्रवृत्त विधि द्वारा वर्जित नहीं है) पहले प्रतिवादी के विरुद्ध उस रकम के लिए, जो क्रमशः उनको शोध्य रह गई हो, वैयक्तिक डिक्री के लिए आवेदन कर सकेंगे ।

5. यह भी आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

(क) यदि दूसरा प्रतिवादी इस वाद में वह रकम न्यायालय में जमा कर देता है जिसके बारे में यह न्यायनिर्णीत किया गया है कि वह वादी को शोध्य है, किन्तु पहला प्रतिवादी उक्त रकम के संदाय में व्यतिक्रम करता है तो दूसरा प्रतिवादी न्यायालय से यह आवेदन कि वादी का बन्धक मेरे फायदे के लिए जीवित रखा जाए और (उसी रीति से जिससे कि ऊपर के खण्ड (4) के अधीन वादी आवेदन कर सकता था इस अंतिम डिक्री के लिए आवेदन कर सकेगा कि-

[2][(1)] पहला प्रतिवादी इसके साथ उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित बन्धक-सम्पत्ति के मोचन के सब अधिकारों से तत्पश्चात् पूर्णत: विवर्जित और पुरोबंधित होगा, और यदि उससे ऐसी अपेक्षा की जाए तो वह दूसरे प्रतिवादी को उक्त सम्पत्ति का निर्बाध और शांतिपूर्ण कब्जा परिदत्त करेगा; अथवा

[3][(ii)] बन्धक-सम्पत्ति का या उसके पर्याप्त भाग का विक्रय किया जाएगा और ऐसे विक्रय के प्रयोजनों के लिए दूसरा प्रतिवादी बन्धक-सम्पत्ति सम्बन्धी वे सभी दस्तावेजें जो उसके कब्जे या शक्ति में हैं, न्यायालय के समक्ष या उस अधिकारी के समक्ष, जिसे वह न्यायालय नियुक्त करे, पेश करेगा; तथा

(ख) (यदि दूसरे प्रतिवादी के आवेदन पर पुरोबन्ध के लिए ऐसी अन्तिम डिक्री पारित की जाती है तो) वादी के बन्धक से या दूसरे प्रतिवादी के बन्धक से या इस वाद से उद्भूत पहले प्रतिवादी के सब दायित्वों के बारे में यह समझा जाएगा कि वे उन्मोचित और निर्वापित कर दिए गए हैं ।

6. [4](जहांकि ऊपर के खण्ड 5 के अधीन विक्रय का आदेश दिया गया है, वहां) यह भी आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि---

(i) ऐसे विक्रय से वसूल हुआ धन न्यायालय में जमा किया जाएगा और (विक्रय के व्ययों को उसमें से काटकर) वह सबसे पहले वादी के बन्धक की बाबत दूसरे प्रतिवादी द्वारा दी गई रकम का और उससे सम्बंधित वाद के खर्चों का संदाय करने में और किसी रकम का, जैसी न्यायालय उक्त रकम पर पाश्चिक ब्याज की बाबत शोध्य न्यायनिर्णीत करे, संदाय करने में सम्यक् रुप से उपयोजित किया जाएगा और यदि कुछ बाकी बचे तो वह दूसरे प्रतिवादी को अपने बन्धक की बाबत इस डिक्री के अधीन और ऐसे किन्हीं अतिरिक्त आदेशों के, जो पारित किए जाएं, अधीन शोध्य न्यायनिर्णीत की गई रकम का संदाय करने में और ऐसी रकम का, जो न्यायालय इस वाद के ऐसे खर्चों की और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की प्रथम अनुसूची के आदेश 34 के नियम 10 के अधीन संदेय ऐसे खर्चों, प्रभारों और व्ययों की बाबत शोध्य न्याय निर्णीत करे, नियम 11 के अधीन संदेय ऐसे पाश्चिक ब्याज के सहित, संदाय करने में उपयोजित किया जाएगा, और यदि फिर भी कुछ बाकी बचे तो वह पहले प्रतिवादी को या ऐसे अन्य व्यक्तियों को, जो उसे प्राप्त करने के हकदार हों, दिया जाएगा; तथा

(ii) यदि ऐसे विक्रय से वसूल हुआ धन वादी के बन्धक या दूसरे प्रतिवादी के बन्धक की बाबत शोध्य रकम का पूर्ण संदाय करने के लिए पर्याप्त न हो तो दूसरा प्रतिवादी (जहां ऐसा उपचार उसके बन्धक के निबन्धनों के अधीन उसके लिए अनुज्ञात है और किसी तत्समय-प्रवृत्त-विधि द्वारा वर्जित नहीं है) पहले प्रतिवादी के विरुद्ध बाकी की रकम के लिए वैयक्तिक डिक्री के लिए आवेदन कर सकेगा ।

7. यह भी आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि पक्षकार समय-समय पर इस न्यायालय से आवश्यकतानुसार आवेदन कर सकेंगे और न्यायालय ऐसे आवेदन पर या अन्यथा ऐसे निदेश दे सकेगा जैसे वह ठीक समझे ।

1. अनपेक्षित शब्द काट दिए जाएं ।
2. अनपेक्षित शब्द काट दिए जाएं ।
3. अनपेक्षित शब्द काट दिए जाएं |
4. अनपेक्षित शब्द काट दिए जाएं ।

अनुसूची

बन्धक-संपत्ति का वर्णन

संख्यांक 10

पूर्विक बन्धक के मोचन के लिए और पाश्चिक बन्धक पर पुरोबन्ध या विक्रय के लिए प्रारम्भिक डिक्री

[वादी... दूसरा बन्धकदार,]

बनाम

पहला प्रतिवादी.............................. बन्धककर्ता,

दूसरा प्रतिवादी... पहला बन्धकदार ।

(आदेश 34 के नियम 2. 4 और 7)

(शीर्षक)

वादी......................... इत्यादि की उपस्थिति में इस वाद के आज.......................... को पेश होने पर, यह घोषित किया जाता है कि वाद पत्र में वर्णित बन्धक पर दूसरे प्रतिवादी को आज ता0 ....तक संगणित शोध्य रकम, मूलधन मद्धे ....रुपए की राशि, उक्त मूलधन पर ब्याज मद्धे ....रुपए की राशि, (वाद के खर्चों से भिन्न) उन खर्चों, प्रभारों और व्ययों के लिए, जो बन्धक प्रतिभूति की बाबत दूसरे प्रतिवादी ने उचित रूप में उपगत किए हैं, उन पर ब्याज के सहित रुपए की राशि, और इस वाद के जो खर्चे दूसरे प्रतिवादी को अधिनिर्णीत किए गए हैं उन खर्चों के लिए.................... रुपए की राशि कुल मिलाकर............ रुपए की राशि होती है ।

(**यदि वादी को अपने बन्धक की बाबत बन्धक- धन वाद की तारीख पर संदेय हो गया हो तो उसे पहले प्रतिवादी से शोध्य रकम की बाबत भी ऐसी ही घोषणाएँ लिखी जाएंगी)**

2. यह भी घोषित किया जाता है कि दूसरा प्रतिवादी अपने को शोध्य रकम का संदाय वादी से पूर्व पाने का हकदार है [1][या (यदि कई पाश्चिक बन्धकदार हों तो) इसके विभिन्न पक्षकार अपने को शोध्य राशियों के संदाय के निम्नलिखित क्रमानुसार हकदार है-

1. अनपेक्षित शब्द काट दिए जाएं ।

3. यह आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-

(i) (क) दूसरे प्रतिवादी को शोध्य ....रुपए की उक्त राशि वादी या पहला प्रतिवादी या उनमें से कोई एक ता0..................................... को या उसके पूर्व या ऐसी किसी पश्चात्वर्ती तारीख को या उसके पूर्व, जिस दिन तक संदाय के लिए समय न्यायालय द्वारा बढा दिया गया है, न्यायालय में जमा कर दें, तथा

(ख) वादी को शोध्य........................... रुपए की उक्त राशि पहला प्रतिवादी ता0 .... को या उसके पूर्व, या ऐसी किसी पश्चात्वर्ती तारीख को या उसके पूर्व, जिस तक संदाय

के लिए समय न्यायालय द्वारा बढा दिया गया है, न्यायालय में जमा कर दे; तथा

(ii) दूसरे प्रतिवादी को शोध्य घोषित राशि खण्ड (i) क में विहित रीति से वादी और पहले प्रतिवादी या उनमें से किसी एक द्वारा जमा कर दी जाने पर और तत्पश्चात् ऐसी तारीख के पूर्व, जो न्यायालय नियत करे, ऐसी रकम, जो न्यायालय वाद के ऐसे खर्चों की और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की प्रथम अनुसूची के आदेश 34 के नियम 10 के अधीन संदेय खर्चों, प्रभारों और व्ययों की बाबत शोध्य न्यायनिर्णीत करे, नियम 11 के अधीन संदेय पाश्चिक ब्याज के सहित, जमा कर दी जाने पर, दूसरा प्रतिवादी वाद पत्र में वर्णित बन्धक-सम्पत्ति सम्बन्धी वे सभी दस्तावेजें जो उसके कब्जे या शक्ति में है न्यायालय में लाएगा और ऐसी सब दस्तावेजें वादी या प्रतिवादी को जिसने भी राशि जमा की है) या ऐसे व्यक्ति को, जिसे वह नियुक्त करे, परिदत्त की जाएंगी और यदि दूसरे प्रतिवादी से अपेक्षा की जाए तो वह उक्त सम्पत्ति को उक्त बन्धक से मुक्त करके और दूसरे प्रतिवादी द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो उससे त्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करता है या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन प्रतिवादी दावा करता है, सृष्ट सब विल्लगमों से रहित और मुक्त करके और इस बन्धक से या इस वाद से जो कोई दायित्व उद्भूत होते हैं उन सबसे मुक्त करके प्रतिहस्तान्तरित या प्रति अन्तरित करेगा और यदि उससे अपेक्षा की जाए तो उक्त सम्पत्ति का निर्बाध और शान्तिपूर्ण कब्जा वादी या पहले प्रतिवादी को जिसने भी राशि जमा की है) परिदत्त करेगा ।

(यदि पहला प्रतिवादी वादी को शोध्य पाई गई या घोषित रकम दे देता है तो ऐसी ही घोषणाएं ऐसे फेरफार के सहित, जैसे कि उसके बन्धक की प्रकृति को देखते हुए आवश्यक हों, लिखी जाएंगी) ।

4. यह भी आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि दूसरे प्रतिवादी को शोध्य रकम के यथापूर्वोक्त संदाय में व्यतिक्रम होने पर दूसरा प्रतिवादी न्यायालय से वाद के खारिज किए जाने के लिए या इस अन्तिम डिक्री के लिए आदेश कर सकेगा कि-

(i) [1](सशर्त विक्रय द्वारा बन्धक या विलक्षण बन्धक की दशा में जिसमें कि बन्धक विलेख में उपबंधित एकमात्र उपचार विक्रय नहीं बल्कि पुरोबंध है) वादी और पहला प्रतिवादी संयुक्ततः और पृथकतः इसके साथ उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित बन्धक-सम्पत्ति के मोचन कराने के सब अधिकारों से तत्पश्चात् संयुक्ततः और पृथकतः तथा पूर्णतः विवर्जित और पुरोबंधित होंगे, और यदि उनसे ऐसी अपेक्षा की जाए तो उक्त सम्पत्ति का निर्बाध और शान्तिपूर्ण कब्जा दूसरे प्रतिवादी को परिदत्त करेगा; अथवा

(ii) [2](किसी अन्य बन्धक की दशा में) बन्धक-सम्पत्ति का या उसके पर्याप्त भाग का विक्रय कर दिया जाएगा और दूसरा प्रतिवादी ऐसे विक्रय के प्रयोजनों के लिए बन्धक-सम्पत्ति सम्बन्धी वे सभी दस्तावेजें जो उसके कब्जे या शक्ति में हैं न्यायालय के समक्ष या उस अधिकारी के समक्ष, जिसे वह न्यायालय नियुक्त करे, पेश करेगा, तथा

1. अनपेक्षित शब्द काट दिए जाए ।
2. अनपेक्षित शब्द काट दिए जाए ।

(iii) [1][उस दशा में जिसमें कि ऊपर के खण्ड 4(ii) के अधीन विक्रय का आदेश किया जाता है ऐसे विक्रय से वसूल हुआ धन न्यायालय में जमा किया जाएगा और (उसमें से विक्रय के व्ययों को काटकर) वह

दूसरे प्रतिवादी को इस डिक्री के अधीन और ऐसे किन्हीं अतिरिक्त आदेशों के, जैसे इस वाद में पारित किए जाएं, अधीन संदेय रकम का संदाय करने में और ऐसी किसी रकम का जैसी न्यायालय वाद के खर्चों की और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की प्रथम अनुसूची के आदेश 34 के नियम 10 के अधीन संदेय ऐसे खर्चों, प्रभारों और व्ययों की बाबत शोध्य न्याय निर्णीत करे, नियम 11 के अधीन संदेय पाश्चिक ब्याज के सहित, संदाय करने में सम्यक रुप से उपयोजित किया जाएगा और यदि कुछ बाकी बचे तो वह वादी को शोध्य रकम का संदाय करने में उपयोजित किया जाएगा और यदि फिर भी कुछ बाकी बचे तो वह पहले प्रतिवादी को या अन्य व्यक्तियों को, जो उसे प्राप्त करने के हकदार हों दिया जाएगा; तथा

(iv) यदि ऐसे विक्रय से वसूल हुआ धन दूसरे प्रतिवादी और वादी को शोध्य रकम के पूर्ण संदाय के लिए पर्याप्त न हो तो, यथास्थिति, दूसरा प्रतिवादी या वादी या वे दोनों (जहां कि ऐसा उपचार उनके अपने बन्धकों के निबन्धनों के अधीन अनुज्ञात है और किसी तत्समय-प्रवृत्त-विधि द्वारा वर्जित नहीं है) पहले प्रतिवादी के विरुद्ध उस रकम के लिए, जो क्रमश: उनको शोध्य रह गई हो, वैयक्तिक डिक्री के लिए आवेदन कर सकेंगे ।

5. यह भी आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि---

(क) यदि वादी इस वाद में वह रकम न्यायालय में जमा कर देता है जिसके बारे में न्यायनिर्णीत किया गया है कि वह दूसरे प्रतिवादी को शोध्य है किन्तु पहला प्रतिवादी उक्त रकम का संदाय करने में व्यतिक्रम करता है तो वादी न्यायालय से यह आवेदन कि दूसरे प्रतिवादी का बन्धक मेरे फायदे के लिए जीवित रखा जाए और [उसी रीति से जिससे कि ऊपर के खण्ड (4) के अधीन दूसरा प्रतिवादी आवेदन कर सकता था] इस अन्तिम डिक्री के लिए आवेदन कर सकेगा कि-

[2][(i) पहला प्रतिवादी इसके साथ उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित बन्धक-सम्पत्ति के मोचन के सब अधिकारों से तत्पश्चात् पूर्णत: विवर्जित और पुरोबन्धित होगा और यदि उससे ऐसी अपेक्षा की जाए तो वह वादी की उक्त सम्पत्ति का निर्बाध और शान्तिपूर्ण कब्जा परिदत्त करेगा; अथवा

[3][(ii) बन्धक-सम्पत्ति का या उसके पर्याप्त भाग का विक्रय किया जाएगा और ऐसे विक्रय के प्रयोजनों के लिए वादी बन्धक-सम्पति सम्बन्धी वे सभी दस्तावेजें जो उसके कब्जे या शक्ति में हैं न्यायालय के समक्ष या उस अधिकारी के समक्ष, जिसे वह न्यायालय नियुक्त करे, पेश करेगा;] तथा

(ख) (यदि दूसरे प्रतिवादी के आवेदन कर पुरोबंध के लिए ऐसी अतिंम डिक्री पारित की जाती है तो) वादी के बन्धक से या दूसरे प्रतिवादी के बन्धक से या इस वाद से उद्भूत पहले प्रतिवादी के सब दायित्वों के बारे में यह समझा जाएगा कि वे उन्मोचित और निर्वापित कर दिए गए हैं ।

6. (जहां कि ऊपर के खण्ड 5 के अधीन विक्रय का आदेश दिया गया है वहां) यह भी आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि---

(i) ऐसे विक्रय से वसूल हुआ धन न्यायालय में जमा किया जाएगा और (विक्रय के व्ययों को उसमें से काटकर) वह सबसे पहले दूसरे प्रतिवादी के बन्धक की बाबत वादी द्वारा दी गई रकम का, और उससे संबंधित वाद के खर्चों का संदाय करने में और ऐसी किसी रकम का, जैसी न्यायालय उक्त रकम पर पाश्चिक ब्याज की बाबत शोध्य न्यायनिर्णीत करे, संदाय करने में सम्यक रुप से उपयोजित किया जाएगा और यदि कुछ बाकी बचे तो वह वादी को अपने बन्धक की बाबत इस डिक्री के अधीन और ऐसे किन्हीं

अतिरिक्त आदेशों के जो पारित किए जाएं, अधीन शोध्य न्यायनिर्णीत की गई रकम का संदाय करने में और ऐसी रकम का, जो न्यायालय इस वाद के ऐसे खर्चों की और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की प्रथम अनुसूची के आदेश 34 के नियम 10 के अधीन संदेय ऐसे खर्चों, प्रभारों और व्ययों की बाबत शोध्य न्याय निर्णीत करे, नियम 11 के अधीन संदेय ऐसे पाश्चिक ब्याज के सहित, संदाय करने में उपयोजित किया जाएगा और यदि फिर भी कुछ बाकी बचे तो वह पहले प्रतिवादी को या ऐसे अन्य व्यक्तियों को, जो उसे प्राप्त करने के हकदार हों, संदत्त किया जाएगा; तथा

(ii) यदि ऐसे विक्रय से वसूल हुआ धन दूसरे प्रतिवादी के बन्धक या वादी के बन्धक की बाबत शोध्य रकम का पूर्ण संदाय करने के लिए पर्याप्त न हो तो दूसरा प्रतिवादी (जहां कि ऐसा उपचार उसके बन्धक के निबन्धनों के अधीन उसके लिए अनुज्ञात है और किसी तत्समय-प्रवृत्त-विधि द्वारा वर्जित नहीं है) पहले प्रतिवादी के विरुद्ध बाकी की रकम के लिए वैयक्तिक डिक्री के लिए आवेदन कर सकेगा ।

7. यह भी आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि पक्षकार समय-समय पर इस न्यायालय से आवश्यकतानुसार आवेदन कर सकेंगे और न्यायालय ऐसे आवेदन पर या अन्यथा ऐसे निदेश दे सकेगा जैसे वह ठीक समझे ।

1. अनपेक्षित शब्द काट दिए जाए ।
2. अनपेक्षित शब्द काट दिए जाए ।
3. अनपेक्षित शब्द काट दिए जाएं ।

अनुसूची

बन्धक-सम्पत्ति का वर्णन

संख्यांक 11

विक्रय के लिए प्रारम्भिक डिक्री

[वादी.............................. अनुबंधकदार या व्युत्पन्न बंधकदार;

बनाम

पहला प्रतिवादी.......................... बन्धककर्ता,

दूसरा प्रतिवादी.................... मूल बन्धकदार ।]

(आदेश 34 का नियम 4)

(शीर्षक)

वादी..................................इत्यादि की उपस्थिति में इस वाद के आज...........................को पेश होने पर, यह घोषित किया जाता है कि दूसरे प्रतिवादी को उसके बन्धक पर आज तारीख....................... तक संगणित शोध्य रकम, मूलधन मद्धे. रुपए की राशि, उक्त मूलधन पर ब्याज मद्धे ....

रुपए की राशि (वाद के खर्चों से भिन्न) उन खर्चों, प्रभारों और व्ययों के लिए जो बन्धक प्रतिभूति की बाबत हैं उन पर ब्याज राहित............................ रुपए की राशि, और वाद के जो खर्चे दूसरे प्रतिवादी को अधिनिर्णीत किए गए हैं उन खर्चों के लिए.............................. रुपए की राशि, कुल मिलाकर......................... रुपए की राशि होती है |

(वादी को उसके बन्धक की बाबत दूसरे प्रतिवादी से शोध्य रकम की बाबत ऐसी ही घोषणाएं लिखी जाएंगी ।)

2. यह आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि--

(i) दूसरे प्रतिवादी को शोध्य रुपए की उक्त राशि पहला प्रतिवादी तारीख .... को या उसके पूर्व या ऐसी किसी पश्चात्वर्ती तारीख को या उसके पूर्व, जिस दिन तक संदाय के लिए समय न्यायालय द्वारा बढ़ा दिया गया है, न्यायालय में जमा कर दे ।

(वादी को शोध्य रकम की बाबत ऐसी ही घोषणाएं लिखनी होंगी. ऐसी रकम का संदाय करने के लिए दूसरा प्रतिवादी स्वतंत्र होगा |)

(ii) दूसरे प्रतिवादी को शोध्य घोषित राशि खण्ड 2(i) में विहित रीति से पहले प्रतिवादी द्वारा जमा कर दी जाने पर और तत्पश्चात् ऐसी तारीख के पूर्व, जो न्यायालय नियत करे, ऐसी रकम जो न्यायालय वाद के ऐसे खर्चों की, और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की प्रथम अनुसूची के आदेश 34 के नियम 10 के अधीन संदेय खर्चों, प्रभारों और व्ययों की बाबत शोध्य न्यायनिर्णीत करे, नियम 11 के अधीन संदेय पाश्चिक ब्याज के सहित, जमा कर दी जाने पर वादी और दूसरा प्रतिवादी वादपत्र में वर्णित बन्धक सम्पत्ति सम्बन्धी वे सभी दस्तावेजें जो उसके कब्जे या शक्ति में है, न्यायालय में लाएगा और (उन दस्तावेजों को छोडकर जो अनुबन्धक के ही सम्बन्ध में हो) ऐसी सब दस्तावेजें पहले प्रतिवादी या ऐसे व्यक्ति को जिसे वह नियुक्त करे, परिदत्त की जाएंगी, और यदि दूसरे प्रतिवादी से अपेक्षा की जाए तो वह उक्त सम्पत्ति को उक्त बन्धक से मुक्त करके और दूसरे प्रतिवादी द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो उससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करता है, या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वह दावा करता है, सृष्ट सब विल्लगमों से रहित और मुक्त करके और इस बन्धक से या इस वाद से जो दायित्व उद्भूत होते हैं उन सबसे मुक्त करके पहले प्रतिवादी को प्रतिहस्तान्तरित या प्रति अन्तरित करेगा, और यदि उससे अपेक्षा की जाए, तो वह उक्त सम्पत्ति। का निर्बाध और शातिपूर्ण कब्जा पहले प्रतिवादी को परिदत्त करेगा; तथा

(iii) दूसरे प्रतिवादी को शोध्य रकम पहले प्रतिवादी द्वार न्यायालय में जमा की जाने पर वादी अपने को शोध्य घोषित राशि, वाद के किन्हीं पश्चात्वर्ती खर्चों के, और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की प्रथम अनुसूची के आदेश 34 के नियम 10 के अधीन संदेय ऐसे अन्य खर्चों, प्रभारों और व्ययों के नियम 11 के अधीन संदेय ऐसे पाश्चिक ब्याज सहित, अपने को दिए जाने के लिए आवेदन कर सकेगा और यदि कुछ़ बाकी बचे तो वह तब दूसरे प्रतिवादी को दिया जाएगा, और यदि न्यायालय में जमा की गई रकम वादी को शोध्य राशि के पूर्ण संदाय के लिए पर्याप्त न हो तो वादी (यदि ऐसा उपचार बन्धक के निबन्धनों द्वारा उसके लिए अनुज्ञात है और किसी तत्समय-प्रवृत्त-विधि द्वारा वर्जित नहीं है) दूसरे प्रतिवादी के विरुद्ध बाकी की रकम के लिए वैयक्तिक डिक्री के लिए आवेदन कर सकेगा |

3. यह भी आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि यदि दूसरा प्रतिवादी, वादी को शोध्य

न्यायनिर्णीत रकम इस वाद में न्यायालय में जमा कर देता है तो वादी सब दस्तावेजें न्यायालय में लाएगा इत्यादि, इत्यादि **[जैसा कि खण्ड 2 के उपखण्ड (ii) में है]**

4. यह भी आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि पहले और दूसरे प्रतिवादी द्वारा पूर्वोक्त रीति से जमा करने में व्यतिक्रम होने पर वादी न्यायालय से विक्रय की अंतिम डिक्री के लिए आवेदन कर सकेगा और ऐसा आवेदन किए जाने पर बन्धक-सम्पत्ति या उसके पर्याप्त भाग के विक्रय का निदेश दिया जाएगा और ऐसे विक्रय के प्रयोजनों के लिए वादी और दूसरा प्रतिवादी बन्धक-सम्पत्ति सम्बन्धी वे सभी दस्तावेजें जो उसके कब्जे या शक्ति में हैं न्यायालय के समक्ष या ऐसे अधिकारी के समक्ष, जिसे वह नियुक्त करे, पेश करेगा ।

5. यह भी आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि ऐसे विक्रय से वसूल हुआ धन न्यायालय में जमा किया जाएगा और (विक्रय के व्ययों को उसमें से काटकर) वह सबसे पहले वादी को उक्त खण्ड (i) में विनिर्दिष्ट शोध्य रकम का और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की प्रथम अनुसूची के आदेश 34 के नियम 10 के अधीन संदेय वाद के खर्चों और अन्य प्रभारों और व्ययों का नियम 11 के अधीन संदेय पाश्चिक ब्याज सहित, संदाय करने में सम्यक् रुप से उपयोजित किया जाएगा और यदि कुछ बाकी बचे तो वह दूसरे प्रतिवादी को शोध्य रकम का संदाय करने में उपयोजित किया जाएगा और यदि फिर भी कुछ बाकी बचे तो वह पहले प्रतिवादी को या ऐसे अन्य व्यक्तियों को जो उसे प्राप्त करने के हकदार हों, दिया जाएगा ।

6. यह भी आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि यदि ऐसे विक्रय से वसूल हुआ धन वादी को और दूसरे प्रतिवादी को संदेय रकमों का पूरा संदाय करने के लिए पर्याप्त न हो तो, (यदि ऐसा उपचार उनके अपने बन्धकों के अधीन अनुज्ञात है और किसी तत्समय-प्रवृत्त-विधि द्वारा वर्जित नहीं है) यथास्थिति, वादी या दूसरा प्रतिवादी या वे दोनों (यथास्थिति) दूसरे प्रतिवादी या पहले प्रतिवादी के विरुद्ध बाकी की रकम के लिए वैयक्तिक डिक्री के लिए आवेदन कर सकेंगे ।

7. यह भी आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि यदि दूसरा प्रतिवादी वादी को शोध्य न्यायनिर्णीत रकम इस वाद में न्यायालय में जमा कर देता है किन्तु पहला प्रतिवादी दूसरे प्रतिवादी को शोध्य रकम का संदाय करने में व्यतिक्रम करता है तो दूसरा प्रतिवादी यथास्थिति पुरोबंध या विक्रय के लिए अन्तिम डिक्री के लिए न्यायालय से आवेदन कर सकेगा- **(दूसरे प्रतिवादी के बन्धक की प्रकृति के और उसके अधीन उसे अनुज्ञात उपचारों के अनुसार घोषणाएं मामूली प्ररुप में लिखी जाएंगी ।)**

8. यह भी आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि पक्षकार न्यायालय से अवश्यकतानुसार आवेदन कर सकेंगे और ऐसे आवेदन पर या अन्यथा न्यायालय ऐसे निदेश दे सकेगा जैसे वह ठीक समझे ।

अनुसूची

बन्धक-सम्पत्ति का वर्णन

संख्यांक 12

लिखत की परिशुद्धि की डिक्री

(शीर्षक)

यह घोषित किया जाता है कि तारीख....................की.................. उस......................... के पक्षकारों के आशय को ठीक-ठीक व्यक्त नहीं करती है ।

यह डिक्री दी जाती है कि उक्त....................... की परिशुद्धि........................ करे ।

संख्यांक 13

लेनदारों से कपट करने के लिए किए गए अन्तरण को अपास्त करने की डिक्री

(शीर्षक)

यह घोषित किया जाता है कि..................... और...................... के बीच किया गया तारीख............ का................... वहां तक शून्य है जहां तक वह वादी के और प्रतिवादी के अन्य लेनदारों के, यदि कोई हों, विरुद्ध है ।

संख्यांक 14

प्राइवेट न्यूसेन्स के विरुद्ध व्यादेश

(शीर्षक)

प्रतिवादी................. उसके अभिकर्ता, सेवक और कर्मकार प्रतिवादी के भूखण्ड में जो उपाबद्ध रेखांक में ख चिन्ह से चिन्हित है ईंट पकाने या पकवाने से, जो उस निवास गृह या बाग के जिसके बारे में वादपत्र में वर्णित है कि वादी का है या वादी के अधिभोग में है, स्वामी या अधिभोगी के रुप में वादी के लिए न्यूसेन्स करने वाला हो, शाश्वतकाल के लिए अवरूद्ध रहे ।

संख्यांक 15

पुरानी ऊंचाई से अधिक ऊंचाई का निर्माण करने के विरुद्ध व्यादेश

(शीर्षक)

प्रतिवादी..................... उसके ठेकेदार, अभिकर्ता और कर्मकार.................. के अपने परिसर में उस ऊंचाई से अधिक ऊंचाई का, जो उसके अपने उक्त परिसर में पहले खड़े उन निर्माणों की थी जो हाल में ही गिरा दिए गए हैं, किसी गृह या निर्माण का बनाया जाना ऐसे या ऐसी रीति से चालू रखने में शाश्वत्काल के लिए अवरूद्ध रहें, जैसे से या जिससे वादी के उक्त परिसर की खिड़कियां, जो उसके प्राचीन प्रकाशमार्ग हैं, अंधेरी, क्षतिग्रस्त या बाधित हो जाएं ।

संख्यांक 16

प्राइवेट मार्ग के उपयोग का अवरोध करने वाला व्यादेश

(शीर्षक)

प्रतिवादी.................... उसके अभिकर्ता, सेवक और कर्मकार.................... गली के किसी भी भाग का, जिसकी तल-भूमि वादी की है, उपाबद्ध रेखांक में ख चिन्ह से चिन्हित भूमि तक ठेलों, गाडियों या अन्य यानों के जाने या वहां से आने के लिए रास्ते के रुप में या किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग करने या उपयोग करने की अनुज्ञा देने से शाश्वत्काल के लिए अवरुद्ध रहे ।

संख्यांक 17

प्रशासन-वाद में प्रारम्भिक डिक्री

(शीर्षक)

यह आदेश दिया जाता है कि निम्नलिखित लेखा लिए जाएं और जांच की जाए, अर्थात्:-

लेनदार के वाद में-

1. इसका लेखा लिया जाए कि वादी को और मृतक के अन्य सब लेनदारों को क्या शोध्य है ।

वसीयतदारों द्वारा वादों में-

2. वसीयतकर्ता की विल द्वारा दी गई वसीयत-सम्पदा का लेखा लिया जाए ।

निकटतम कुल्यों द्वारा वाद में-

3. इसकी जांच की जाए और लेखा लिया कि निर्वसीयती व्यक्ति के निकटतम कुल्य (या निकटतम कुल्यों में से एक) के रुप में वादी कितने का या कितने अंश का, यदि कोई हो, हकदार है ।

[डिक्री में पहले पैरा के पश्चात् जहां भी आवश्यक हो, लेनदार के वाद में वसीयतदारों, विधिना वारिसों और निकटतम कुल्यों के लिए जांच करने और लेखा लेने के लिए आदेश दिया जाएगा । लेनदारों से भिन्न दावेदारों के वाद में पहले पैरा के पश्चात् सब मामलों में लेनदारों की जांच करने और लेखा लेने के लिए आदेश होगा और अन्य पैराओं में से वे, जो आवश्यक हों, प्रारम्भिक प्ररुपिक शब्दों को छोडकर दिए जाएंगे । आगे यह प्ररुप वैसा ही होगा जैसा लेनदार के वाद में होता है ।]

4. अंत्येष्टि ओर वसीयती व्ययों का लेखा ।

5. मृतक की जो जंगम सम्पत्ति प्रतिवादी के हाथ में या उसके आदेश द्वारा या उसके उपयोग के लिए किसी अन्य व्यक्ति के हाथ में आई है उसका लेखा ।

6. इस बात की जांच कि मृतक की जंगम सम्पत्ति का कौन-सा भाग (यदि कोई है) परादेय है और ऐसा है जिसका व्ययन नहीं हुआ है ।

7. यह भी आदेश दिया जाता है कि प्रतिवादी आगामी तारीख................... को या उसके पूर्व न्यायालय में वे सब धनराशियां जमा कर दे जिनके बारे में यह पाया जाए कि वे उसके हाथ में आई हैं या उसके आदेश द्वारा या उसके उपयोग के लिए किसी व्यक्ति के हाथ में आई हैं ।

8. यदि वाद के उद्देश्यों को पूर्ति के लिए [1]...................... को यह आवश्यक मालूम हो कि मृतक

की जंगम सम्पत्ति के किसी भाग का विक्रय कर दिया जाए तो तदनुसार उसका विक्रय कर दिया जाए और उसके आगम न्यायालय में जमा कर दिए जाएं ।

9. **श्री च छ** वाद (या कार्यवाही) में रिसीवर हों और मृतक के सब परादेय ऋणों और परादेय जंगम संपत्ति को प्राप्त और वसूल करें और उसे..................[2] को दे दें (और अपने कर्तव्यों के सम्यक पालन के लिए...... रुपए की रकम की प्रतिभूति बन्धपत्र द्वारा दें) ।

1. यहां उचित अधिकारी का नाम लिखिए ।
2. यहां उचित अधिकारी का नाम लिखिए ।

10. यह भी आदेश दिया जाता है कि यदि मृतक की जंगम सम्पत्ति वाद के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपर्याप्त पाई जाए तो निम्नलिखित अतिरिक्त जांच की जाए और लेखा लिया जाए, अर्थात् है---

(क) इस बात की जांच कि मृतक की मृत्यु के समय उसके पास कौन-सी स्थावर सम्पत्ति। थी या कौन-सी स्थावर सम्पत्ति का वह हकदार था;

(ख) इस बात की जांच कि मृतक की स्थावर सम्पत्ति या उसके किसी भाग पर प्रभाव डालने वाले कौन-से विल्लगम (यदि कोई हों) है

(ग) यथासंभव इसका लेखा कि किन-किन विल्लगमदारों को क्या-क्या शोध्य है, और इसके अंतर्गत उन विल्लगमदार की पूर्विकताओं का विवरण होगा जो इसमें आगे निदिष्ट विक्रय के लिए अपनी सहमति दें| 11. मृतक की स्थावर सम्पत्ति का या उसके उतने भाग का विक्रय जो वाद के उद्देश्य की पूर्ति के लिए न्यायालय में पर्याप्त निधि पूरी करने के लिए आवश्यक हो, उन विल्लगमदारों के, जो विक्रय के लिए अपनी सहमति दें, विल्लगमों से मुक्त रुप में और जो ऐसी सहमति न दें उनके विल्लगमों के अधीन रहते हुए, न्यायाधीश के अनुमोदन से कर दिया जाए ।

12. यह आदेश दिया जाता है कि **ज झ** स्थावर सम्पत्ति। के विक्रय का संचालन करेगा और विक्रय की शर्तों और संविदाओं को................. [1] के अनुमोदन के अधीन रहते हुए तैयार करेगा और यदि कोई शंका या कठिनाई पैदा हो तो उसे तय करने के लिए न्यायाधीश के पास कागज भेजे जाएंगे ।

13. यह भी आदेश दिया जाता है कि इसमें इसके पूर्व निदिष्ट जाचों के प्रयोजन के लिए[2] .... समाचारपत्रों में इस न्यायालय को पद्धति के अनुसार विज्ञापन कराता या किसी ऐसी अन्य रीति से ऐसी जांच करेगा जिसकी बाबत......................... [3]यह प्रतीत हो कि उससे ऐसी जांचों का उपयोगी प्रचार अधिकतम होगा ।

14. यह आदेश दिया जाता है कि तारीख...................... के पूर्व वे जांचें कर ली जाएं और वे लेखा ले लिए जाएं जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है और वे सब कार्य पूरे कर लिए जाएं जिनके किए जाने के लिए आदेश दिया गया है, और [4]......................... जांचों और लेखाओं के परिणाम को और यह कि सब अन्य आदिष्ट कार्य पूरे कर दिए गए हैं प्रमाणित करे और अपना उस निमित्त प्रमाण-पत्र तारीख............. को पक्षकारों के निरीक्षण के लिए तैयार रखें ।

15. अन्त में यह आदेश दिया जाता है कि यह वाद (या कार्यवाही) अन्तिम डिक्री करने के लिए

तारीख...................... के लिए स्थगित रहे ।

(इस डिक्री का केवल वह भाग उपयोग में लाया जाए जो विशिष्ट मामले में लागू हो)

संख्यांक 18

वसीयतदार दारा लाए गए प्रशासन-वाद में अन्तिम डिक्री

(शीर्षक)

1. यह आदेश दिया जाता है कि प्रतिवादी.......................... वसीयतकर्ता .... की सम्पदा के लेखे उस बाकी की, जो उक्त प्रमाण-पत्र द्वारा उक्त प्रतिवादी रो शोध्य पाई गई है,.. रुपए की राशि और तारीख................................ से तारीख.................... तक.................... प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज मद्धे ....रुपए की राशि भी, कुल मिलाकर....................... रुपए की राशि न्यायालय में तारीख...................को या उसके पूर्व जमा कर दे ।

2. उक्त न्यायालय का [1].......................... इस वाद में वादी और पतिवादी के खर्चों का विनिर्धारण करे और जब उक्त खर्चे ऐसी विनिर्धारित कर दिए गए हों तब उनकी रकम न्यायालय में पूर्वोक्त रुप में जमा किए जाने के लिए आदिष्ट.................................. रुपए की उक्त राशि में से निम्नलिखित रीति से दी जाए, अर्थात्-

(क) वादी के खर्चे उसके अटर्नी (या प्लीडर) श्री.......................... को और प्रतिवादी के खर्चे उसके अटर्नी (या प्लीडर) श्री............... को दिए जाएं,

(ख) और (यदि कोई ऋण शोध्य है तो) वादी और प्रतिवादी के खर्चों के उक्त संदाय के पश्चात् उक्त राशि में से अवशिष्ट रूपयों में से उन राशियों का जो [2]............................. के प्रमाण-पत्र की..................................... अनुसूची में विभिन्न वर्णित लेनदारी को शोध्य पाई गई है, उन ऋणों पर जिन पर ब्याज लगता है पाश्चिक ब्याज के सहित संदाय कर दिया जाए और ऐसे संदाय के पश्चात्......... अनुसूची में वर्णित विभिन्न वसीयतदारों को मिलने वाली रकम पाश्चिक ब्याज के सहित (जो पूर्वोक्त रुप में सत्यापित किया जाएगा) उन्हें दे दी जाए ।

3. यदि तब कुछ अवशिष्ट रहे तो वह अवशिष्टीय वसीयतदार को दे दिया जाए ।

1. यहा उचित अधिकारी का नाम लिखिए ।
2. यहा उचित अधिकारी का नाम लिखिए ।
3. यहा उचित अधिकारी का नाम लिखिए ।
4. यहां उचित अधिकारी का नाम लिखिए |

संख्यांक 19

जहां निष्पादक वसीयत-सम्पदा के संदाय के लिए वैयक्तिक रुप से दायीं पाया गया है वहां वसीयतदार के प्रशासन-वाद में प्रारम्भिक डिक्री

(शीर्षक)

1. यह घोषित किया जाता है कि प्रतिवादी, वादी को वसीयत की गई...................... रुपए की वसीयत-सम्पदा के संदाय के लिए वैयक्तिक रुप से दायी है ।

2. यह आदेश दिया जाता है कि उक्त वसीयत-सम्पदा लेखे मूलधन और ब्याज मद्धे जो शोध्य है उसका लेखा लिया जाए ।

3. यह भी आदेश किया जाता है कि प्रतिवादी [3]...................... के प्रमाणपत्र की तारीख के पश्चात्. ....सप्ताह के भीतर वादी को वह रकम दे दे जिसे........................ नेमूलधन और ब्याज मद्धे प्रमाणित किया है ।

4. यह आदेश दिया जाता है कि प्रतिवादी को वादी उसके वाद के खर्चे दे दे और यदि पक्षकारों में खर्चों के बारे में मतभेद हो तो वे विनिर्धारित किए जाए ।

संख्यांक 20

निकटतम कुल्य दारा प्रशासन-वाद में अंतिम डिक्री

(शीर्षक)

1. उक्त न्यायालय का[4].................................का वाद में वादी और प्रतिवादी के खर्चों को विनिर्धारित करे और जब उक्त वादी के खर्चे ऐसे विनिर्धारित कर दिए जाएं तब उक्त प्रमाणपत्र द्वारा निर्वसीयती व्याहत **च छ** की वैयक्तिक सम्पदा लेखे उक्त प्रतिवादी से शोध्य पाई गई बाकी की......................... रुपए की राशि में से वादी को वे खर्चे उक्त [5].. द्वारा उक्त खर्चों के विनिर्धारण के पश्चात् एक सप्ताह के भीतर प्रतिवादी द्वारा संदत्त किए जाएं, और जब प्रतिवादी के खर्चे विनिर्धारित हो जाएं तब प्रतिवादी उनकी रकम उक्त राशि में से अपने उपयोग के लिए रखे रहे ।

2. यह आदेश दिया जाता है कि वादी और प्रतिवादी के खर्चों का संदाय पूर्वोक्त प्रकार से करने के पश्चात्...................................... रुपए की उक्त राशि की अवशिष्ट राशि प्रतिवादी द्वारा निम्नलिखित रुप से संदत्त और उपयोजित की जाए ।

(क) प्रतिवादी [1]..............................द्वारा उक्त खर्चों के पूर्वोक्त रुप में विनिर्धारण के पश्चात् एक सप्ताह के भीतर उक्त अवशिष्ट राशि का तृतीयांश वादी क ख को और उसकी पत्नी ग घ को उक्त निर्वसीयती व्यक्ति च छ की बहिन और निकटतम कुल्यों में से एक होने के नाते, संदत्त कर दे ।

(ख) प्रतिवादी उक्त निर्वसीयती व्यक्ति च छ की माता और निकटतम कुल्यों में से एक होने के नाते उक्त अवशिष्ट राशि का अन्य तृतीयांश अपने उपयोग के लिए रखे रहे ।

(ग) प्रतिवादी [2]................................. द्वारा उक्त खर्चों के पूर्वोक्त रुप से विनिर्धारण के पश्चात्

एक सप्ताह के भीतर उक्त अवशिष्ट राशि का शेष तृतीयांश उक्त निर्वसीचती व्यक्ति च छ के भाई और अन्य निकटतम कुल्य होने के नाते ज झ को संदत्त कर दे ।

1. यहां उचित अधिकारी का नाम लिखिए ।
2. यहा उचित अधिकारी का नाम लिखिए ।
3. यहा उचित अधिकारी का नाम लिखिए ।
4. यहा उचित अधिकारी का नाम लिखिए ।
5. यहां उचित अधिकारी का नाम लिखिए ।

संख्यांक 21

भागीदारी के विघटन और भागीदारी के लेखा लेने के वाद में प्रारम्भिक डिक्री

(शीर्षक)

यह घोषित किया जाता है कि भागीदारी के पक्षकारों के आनुपातिक अंश निम्नलिखित हैं :

यह घोषित किया जाता है कि यह भागीदारी तारीख........................... से विघटित हो जाएगी (या विघटित कर दी गई समक्षी जाएगी) और यह आदेश दिया जाता है कि उसका उस दिन से विघटन..................... राजपत्र, इत्यादि में विज्ञापित किया जाए ।

यह आदेश दिया जाता है कि........................ इस वाद में भागीदारी सम्पदा और चीजबस्त का रिसीवर हो और भागीदारी के सब बही-ऋणों और दावों को, जो परादेय हों, वसूले करे ।

यह आदेश दिया जाता है कि निम्नलिखित लेखा लिए जाएं, अर्थात

1. उक्त भागीदारी के वर्तमान जमा पावनों, सम्पत्ति और चीजबस्त का लेखा;

2. उक्त भागीदारी के ऋणों और दायित्वों का लेखा;

3. वादी और प्रतिवादी के बीच हुए सब लेन-देनों और संव्यवहारों का लेखा जो इस वाद में प्रदर्शित और (क) चिह्न से चिह्नांकित स्थिरीकृत लेखाओं की अंतिम मद के पश्चात् के हों और यह लेखा लेने में किन्हीं पश्चात्वर्ती स्थिरीकृत लेखाओं में हस्तक्षेप न किया जाए ।

यह आदेश दिया जाता है कि वादी और प्रतिवादी द्वारा वादपत्र में वर्णित रीति से अब तक किए जाने वाले कारबार की गुडविल और व्यापार स्टाक का विक्रय उसके परिसर पर ही कर दिया जाए और[3] .... ऐसे विक्रय के सब लाटों या इनमें से किसी के लिए आरक्षित बोली पक्षकारों में से किसी के आवेदन पर नियत कर सकेगा और दोनों पक्षकारों को विक्रय में बोली लगाने की स्वतंत्रता होगी ।

यह आदेश दिया जाता है कि तारीख.....................................के पूर्व उक्त लेखा ले लिए जाएं और वे सब कार्य पूरे कर लिए जाएं जिनका किया जाना अपेक्षित है और [4]............................ लेखाओं के परिणाम को यह कि सब अन्य कार्य पूरे कर दिए गए हैं प्रमाणित करे और अपना उस निमित्त प्रमाणपत्र तारीख.........................को पक्षकारों के निरीक्षण क लिए तैयार रखे ।

अन्त में यह आदेश दिया जाता है कि यह वाद अन्तिम डिक्री पारित करने के लिए तारीख.................. के लिए स्थगित रहे ।

1. यहा उचित अधिकारी का नाम लिखिए ।
2. यहा उचित अधिकारी का नाम लिखिए ।
3. यहा उचित अधिकारी का नाम लिखिए ।
4. यहां उचित अधिकारी का नाम लिखिए ।

संख्यांक 22

भागीदारी के विघटन और भागीदारी के लेखा लेने के वाद में अन्तिम डिक्री

(शीर्षक)

यह आदेश दिया जाता है कि......................... रुपए की जो निधि अब न्यायालय में है वह निम्नलिखित रीति से उपयोजित की जाए-

1. [1]..........................के प्रमाणपत्र में दर्ज भागीदारी द्वारा शोध्य ऋणों का, जो कुल मिलाकर...................... रुपए होते हैं संदाय करने में ।

2. इस वाद के सब पक्षकारों के खर्चों का, जो कुल मिलाकर...रुपए होते हैं, संदाय करने में ।

(ये खर्चे डिक्री के तैयार किए जाने के पूर्व अभिनिश्चित कर लिए जाने चाहिएं ।)

3. वादी को भागीदारी की आस्तियां में उसके अंश के रुप में.............................. रुपए की राशि का संदाय करने में, प्रतिवादी को भागीदारी की आस्तियां के उसके अंश के रुप में.......................... रुपए की राशि का, जो न्यायालय में अब जमा............. रुपए की उक्त राशि की अवशिष्ट राशि है, संदाय करने में

[या, और... रुपए की उक्त राशि को शेष उक्त वादी (या प्रतिवादी) को....................... रुपए की उस राशि का भागिक संदाय करने में जो भागीदारी लेखाओं की बाबत उसे शोध्य प्रमाणित की गई है, संदत्त किया जाए ।

4. और प्रतिवादी (या वादी) वादी (या प्रतिवादी) को उसे शोध्य............................रुपए की उक्त राशि की बाकी........................ रुपए की राशि जो तब भी शोध्य रह गई हो, तारीख..........................को या उसके पूर्व संदत्त करे ।

संख्यांक 23

भूमि और अन्तःकालीन लाभों की वसूली के लिए डिक्री

(शीर्षक)

इसके द्वारा निम्नलिखित डिक्री दी जाती है-

1. प्रतिवादी इसके साथ उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति पर वादी का कब्जा करा दे ।

2. प्रतिवादी उन अन्त:कालीन लाभों मद्धे, जो वाद में संस्थित किए जाने के पूर्व शोध्य हो चुके हैं...................... रुपए की राशि, वसूली की तारीख तक..........................प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से उस पर ब्याज सहित, वादी को संदत्त करे ।

या

2. उन अन्तःकालीन लाभों की रकम के बारे में जांच की जाए जो वाद के संस्थित किए जाने के पूर्व शोध्य हो चुके हैं ।

3. वाद के संस्थित किए जाने की तारीख से डिक्रीदार को कब्जा परिदत्त किए जाने तक) डिक्रीदार को न्यायालय के माध्यम से सूचना देकर निर्णीतऋणी द्वारा कब्जे के त्याग तक) डिक्री की तारीख से तीन वर्ष के अवसान तक) के अन्तःकालीन लाभों की रकम के बारे में जांच की जाए ।

1. यहां उचित अधिकारी का नाम लिखिए ।

अनूसूची

परिशिष्ट ड:

निष्पादन

संख्यांक 1

इस बात का हेतुक दर्शित करने के लिए सूचना कि संदाय या समायोजन को प्रमाणित के रुप में क्यों न अभिलिखित कर लिया जाए ।

(आदेश 21 का नियम 2)

(शीर्षक)

प्रेषिती-

उक्त वाद की डिक्री के निष्पादन में..........................ने इस न्यायालय से आवेदन किया है कि उस डिक्री के अधीन वसूलीय ....रुपए की राशि संदत्त कर दी/ सयायोजित कर ली गई है और वह प्रमाणित की गई अभिलिखित की जाए, अत: आपको यह सूचना दी जाती है कि आप इस..................... बात का हेतुक दर्शित करने के लिए कि उक्त संदाय/समायोजन/प्रमाणित के रुप में क्यों न अभिलिखित किया जाए ता0.................................. को इस न्यायालय के समक्ष उपसंजात हों ।

यह आज ता0 ....को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई है |

न्यायाधीश

संख्यांक 2

आज्ञापत्र (धारा 46)

(शीर्षक)

डिक्रीदार को सुनने के पश्चात् यह आदेश दिया जाता है कि यह आज्ञापत्र..................... के....................न्यायालय को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 46 के अधीन इस निदेश के साथ

भेजा जाए कि वह न्यायालय उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति को कुर्क कर ले और ऐसे किसी आवेदन के किए जाने तक उसे कुर्क रखे, जो डिक्री के निष्पादन के लिए डिक्रीदार द्वारा किया जाए ।

अनुसूची

ता0.................................. न्यायाधीश

संख्यांक 3

दूसरे न्यायालय को निष्पादन के लिए डिक्री भेजने का आदेश

(आदेश 21 का नियम 6)

(शीर्षक)

उक्त वाद में डिक्रीदार ने यह अभिकथन करते हुए कि............................के .... न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अन्दर निर्णीतऋणी निवास करता है या उसकी सम्पत्ति है इस न्यायालय से यह आवेदन किया है कि उक्त न्यायालय को प्रमाणपत्र उक्त वाद की डिक्री का उक्त न्यायालय द्वारा निष्पादन किए जाने के लिए भेजा जाए और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 21 के नियम 6 के अधीन प्रमाणपत्र उक्त न्यायालय को भेजना आवश्यक और उचित समझा गया है, अत: यह आदेश दिया जाता है कि..........................

डिक्री की ओर ऐसे आदेश की, जो उसके निष्पादन के लिए दिया गया हो, प्रति के सहित और तुष्टि न होने के प्रमाणपत्र के सहित इस आदेश की प्रति........................को भेजी जाए ।

ता0 ....

न्यायाधीश

संख्यांक 4

डिक्री की तुष्टि न होने का प्रमाण पत्र (आदेश 21 का नियम 6)

(शीर्षक)

यह प्रमाणित किया जाता है कि 19.......................... के .... संख्यांक वाले वाद में इस न्यायालय की उस डिक्री की, जिसकी प्रति इसके साथ संलग्न है, तुष्टि इस न्यायालय की अधिकारिता के अन्दर निष्पादन द्वारा नहीं " हुई है ।

ता0................................ न्यायाधीश

51. यदि भागिक तुष्टि हुई है तो "नहीं" शब्द काट दीजिए और यह लिखिए कि कितनी तुष्टि हुई है ।

संख्यांक 5

दूसरे न्यायलय को अंतरित डिक्री के निष्पादन का प्रमाणपत्र

(आदेश 21 का नियम 6)

(शीर्षक)

वाद का संख्यांक और उस न्यायलय काश्तकार नाम जिसने डिक्री पारित के थी	पक्षकारों के नाम	निष्पादन के लिए आवेदन की तारीख	निष्पादन मामले का संख्यांक	कौन-कौन आदेशिकएं निकाली गई और उनकी तामील किस-किस तारीख को हुई	निष्पादन खर्चे			वसूल की गई रकम			मामले का निपटारा कैसे हुआ	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6			7			8	9
					रू	आ	पा	रू	आ	पा		

भारसाधक मोहर्रिर के हस्ताक्षर **न्यायाधीश के हस्ताक्षर**

संख्यांक 6

डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन-पत्र

(आदेश 21 का नियम 11)

.... के न्यायलय में मैं **..,** डिक्रीदार, इसके द्वारा नीचे दी गई डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन करता हूँ :-

वाद संख्यांक	पक्षकारों का नाम	डिक्री की तारीख	क्या डिक्री की	यदि कोई संदाय	यदि पहले कोई आवेदन किया	डिक्री की रकम, उस पर शोध्य	यदि खर्चों मद्दे कोई रकम अधिनिर्णीत की गई है तो वह रकम	किसके विरुद्ध	वहां ढगं जिससे न्यायालय की सहायता अपेक्षित है ।
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1897 का 789	कख-वादी गघ-प्रतिवादी	11 अक्टूबर, 1897	नहीं	कोई नहीं	तारीख 4 मार्च, 1899 को आवेदन किया गया और उस पर अभिलिखित 72 रु. 4 आने वसूल हुए	314 रु. 8 आने 2 पाई मूलधन (डिक्री की तारीख से संदाय तक 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज)	डिक्री में अधिनिर्णीत किए गए तत्पश्चात उपगत रु.आ.पा 47 10 4 8 2 0 55 12 4 जोड़	प्रतिवादी गघ के विरुद्ध	[जब आशय यह हो कि जंगम संपत्ति की कुर्की और उसका विक्रय किया जाए ।] मैं प्रार्थना करता हूं कि मूलधन पर (संदाय की तारीख तक ब्याज के सहित) कुल रु. की रकम और यह निष्पादन कराने के खर्चे प्रतिवादी की उस जंगम सम्पति की, जो उपाबद्ध सूची में दर्ज है, कुर्की और विक्रय द्वारा वसूल किए जाएँ और मुझे दी जाएँ । [जब आशय यह हो कि स्थावर संपत्ति की कुर्की और उसका विक्रय किया जाए ।] मैं प्रार्थना करता हूं कि मूलधन पर (संदाय की तारीख तक ब्याज के सहित) कुल रु. की रकम और यह निष्पादन कराने के खर्चे प्रतिवादी की उस विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति की, जो इस आवेदन पात्र पाद भाग में विनिर्दिष्ट जंगम संपत्ति की, जो उपाबद्ध सूची में दर्ज है, कुर्की और विक्रय द्वारा वसूल किए जाएँ और मुझे दी जाएँ ।

मैं.. घोषणा करता हूं कि उक्त वर्णन में जो भी लिखा गया है वह मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार और जहां तक मैं उसमें विनिर्दिष्ट सम्पत्ति में प्रतिवादी के हित का अभिनिश्चय करने में समर्थ हुआ हूं, सत्य है ।

हस्ताक्षर......

डिक्रीदार

संख्यांक 7

इस बात का हेतुक दर्शित करने के लिए सूचना कि निष्पादन क्यों न किया जाए [1][(आदेश 21 का नियम 16)]

(शीर्षक)

प्रेषिती-

.... ने 19.............................. के....................... संख्यांक वाले वाद की डिक्री के निष्पादन के लिए इस न्यायालय से आवेदन यह अभिकथन करते हुए किया है कि उक्त डिक्री उसे समनुदेशन द्वारा [2][या समनुदेशन के बिना] अंतरित कर दी गई है, अतः आपको यह सूचना दी जाती है कि आप इस बात का हेतुक दर्शित करने के लिए कि निष्पादन क्यों न मंजूर किया जाए ता0 .... को इस न्यायालय के समक्ष उपसंजात हों ।

यह आज ता0............................ को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई ।

न्यायाधीश

संख्यांक 8

धन की डिक्री के निष्पादन में जंगम सम्पत्ति की कुर्की का वारण्ट

(आदेश 21 का नियम 66)

(शीर्षक)

प्रेषिती-

न्यायालय का बेलिफ ।

19......................के................... संख्याक वाले वाद में ता0..............................को

पारित इस न्यायालय की डिक्री

द्वारा..

..................को यह आदेश दिया गया था कि वह पार्श्व में दर्ज .... रुपए की राशि का संदाय वादी को करे और.........................रुपए की उक्त राशि का संदाय नहीं किया गया है, अतः आपको यह समादेश दिया जाता हे कि उक्त ....

डिक्री			
मूल ब्याज निष्पादन के खर्चे अतिरिक्त ब्याज ————————			
जोड़			

की वह जंगम सम्पत्ति, जो इससे उपाबद्ध अनुसूची में दर्ज है, या जो आपको उक्त........................ द्वारा दिखाई जाए कुर्क कर लें और जब तक कि उक्त......................... आपको............................ रुपए की उक्त राशि का इस कुर्की के खर्चों की बाबत........................ रुपए की राशि सहित संदाय न कर दे उस सम्पत्ति को इस न्यायालय के अगले आदेशों तक कुर्क रखें ।

आपको यह भी समादेश दिया जाता है कि आप इस वारण्ट को वह दिन जिसको और वह रीति, जिससे, यह निष्पादित किया गया हो या वह कारण जिससे यह निष्पादित नहीं किया गया प्रमाणित करने वाले पृष्ठांकन सहित ता0................................... को या उसके पूर्व लौटा दें ।

यह आज ता0.................... को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुहर लगाकर दिया गया ।

अनुसूची

न्यायाधीश

संख्यांक 9

डिक्री द्वारा न्याय निर्णीत विनिर्दिष्ट जंगम सम्पत्ति के अधिग्रहण के लिए वारण्ट

(आदेश 21 का नियम 31)

(शीर्षक)

प्रेषिती-

न्यायालय का बेलिफ ।

19................ के....................... संख्यांक वाले वाद में ता0........... .... को पारित इस न्यायालय की डिक्री द्वारा................... को आदेश दिया गया था कि वह इसके साथ उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट जंगम सम्पत्ति। (या जंगम सम्पत्ति में........................
अंश) वादी को परिदत्त करे और उक्त सम्पत्ति (या अंश) परिदत्त नहीं किया गया है ।

अत: आपको यह समादेश दिया जाता है कि आप उक्त जंगम सम्पत्ति को (या उक्त सम्पत्ति के................ अंश को) अभिगृहीत कर लें और उसे वादी को या ऐसे व्यक्ति को, जिसे वह इस निमित्त नियुक्त करें, परिदत्त कर दें ।

यह आज ता0 ....को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया ।

अनुसूची

न्यायाधीश

संख्यांक 10

दस्तावेज के प्रारूप के बारे में आक्षेपों का कथन करने के लिए सूचना

(आदेश 21 का नियम 34)

(शीर्षक)

प्रेषिती-

आपको यह सूचना दी जाती है कि ता0........................... को डिक्रीदार ने उक्त वाद में इस न्यायालय के समक्ष यह आवेदन उपस्थापित किया था कि न्यायालय इसमें नीचे विनिर्दिष्ट स्थावर सम्पत्ति का .... विलेख, जिसका प्रारुप इसके साथ उपाबद्ध है, आपकी ओर से निष्पादित

करे और ता0.................................... उक्त आवेदन की सुनवाई के लिए नियत है और आप उक्त दिन उपसंजात होने के लिए और उस प्रारुप के विरुद्ध आक्षेप लिखित रुप में देने के लिए स्वतंत्र है ।

संपत्ति का वर्णन

यह आज ता0.................. को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई ।

न्यायाधीश

संख्यांक 11

भूमि इत्यादि का कब्जा दिलाने का बेलिफ को वारण्ट (आदेश 21 का नियम 35)

(शीर्षक)

प्रेषिती-

न्यायालय का बेलिफ ।

इसमें आगे वर्णित सम्पत्ति जो.......................... के अधिभोग में है इस वाद के वादी .... को डिक्रीत है, अत: आपको निदेश दिया जाता है कि आप उक्त .... को उसका कब्जा दिला दें और आपको प्राधिकृत किया जाता है कि आप डिक्री से आबद्ध ऐसे किसी व्यक्ति को, जो उसे खाली करने से इंकार करे, वहां से हटा दें :

यह आज ता0................... को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया ।

अनुसूची

न्यायाधीश

संख्यांक 12

इस बात का हेतुक दर्शित करने के लिए सूचना की गिरफ्तारी का वारण्ट क्यों न निकाला जाए (आदेश 21 का नियम 37)

(शीर्षक)

प्रेषिती-

.... ने 19..................... के..................................

संख्यांक वाले वाद में डिक्री का निष्पादन आपको गिरफ्तार कराकर और कारागार में रखवा कर कराने के लिए आवेदन इस न्यायालय से किया है; अत: आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप इस बात का हेतुक दर्शित करने के लिए कि आपको उक्त डिक्री के निष्पादन में सिविल कारागार के सुपुर्द क्यों न किया जाए, ता0.......................... को इस न्यायालय के समक्ष उपसंजात हों ।

यह आज ता0 .... को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई ।

न्यायाधीश

संख्यांक 13

निष्पादन में गिरफ्तारी का वारण्ट (आदेश 21 का नियम 38)

(शीर्षक)

प्रेषित-

न्यायालय का बेलिफ ।

19.................................के संख्यांक वाले वाद में तारीख........................... की इस न्यायालय की डिक्री द्वारा............के बारे में यह न्यायनिर्णीत किया गया था कि वह पार्श्व में दर्ज................ रुपए की राशि डिक्रीदार को दे खर्चे और.................... रुपए की उक्त राशि उक्त डिक्रीदार निष्पादन के खर्च को उक्त डिक्री की तुष्टि में नहीं दी गई है; अत: आपको यह समादेश दिया जाता है कि आप उक्त जोड निर्णीतऋणी को गिरफ्तार कर लें और, जब तक उक्त निर्णीतऋणी आपको........... रुपए की उक्त

डिक्री			
मूल ब्याज खर्चे निष्पादन के खर्चे जोड़			

राशि, इस आदेशिका के निष्पादन के खर्चों के लिए...................... रुपए के सहित न दे दे, उक्त प्रतिवादी को सुविधानुसार शीघ्रता से इस न्यायालय के समक्ष लाएं ।

आपको यह और समादेश दिया जाता है कि आप इस वारण्ट को वह दिन जिसको, और वह रीति जिससे, यह निष्पादित किया गया है या वह कारण जिससे यह निष्पादित नहीं किया गया प्रमाणित करने वाले पृष्ठांकन सहित ता0 .... को या उसके पूर्व लौटा दें ।

यह आज ता0...................... को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया ।

न्यायाधीश

संख्यांक 14

निर्णीतऋणी को जेल सुपुर्द करने का वारण्ट (आदेश 21 का नियम 40)

(शीर्षक)

प्रेषिती-

....की जेल का भारसाधक अधिकारी ।

.... जो ता0 .... को इस न्यायालय द्वारा की गई और सुनाई गई उस डिक्री के जिस डिक्री द्वारा उक्त............................ को आदेश दिया गया था कि

वह................ को................ .दे, निष्पादन में वारण्ट के अधीन आज ता0............................... को इस न्यायालय के समक्ष लाया गया है और उक्त .... ने डिक्री का आज्ञानुवर्तन नहीं किया है और न न्यायालय का यह समाधान किया है कि अभिरक्षा से उन्मोचित किए जाने का हकदार है; अत: आपको[1]*** समावेश दिया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त को सिविल कारागार में ले लें और स्वीकार करें और वहां................ से अनधिक अवधि के लिए या तब तक, जब तक कि उक्त डिक्री की पूरी तुष्टि न कर दी जाए या जब तक कि उक्त........... सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 58 के निबन्धनों और उपबन्धों के अनुसार निर्मुक्त किए जाने का अन्यथा हकदार न हो जाए, उसे कारावासित रखें; और सुपुर्दगी के इस वारण्ट के अधीन उक्त

.... के परिरुद्ध रहने के दौरान उसके जीवननिर्वाह के लिए मासिक भत्ता[2]*** प्रति दिन की दर से न्यायालय नियत करता है ।

यह आज ता0................. को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया ।

न्यायाधीश

1. विधि अनुकूलन आदेश 1950 द्वारा "भारत के सम्राट के नाम में" शब्दों का लोप ।
2. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 95 द्वारा (1.2.1977 से) "आने" शब्द का लोप ।

संख्यांक 15

डिक्री के निष्पादन में कारावासित व्यक्ति की निर्मुक्ति का आदेश (धारा 58, 59)

(शीर्षक)

प्रेषिती-

....की जेल का भारसाधक अधिकारी ।

आज पारित आदेशों के अधीन आपको निदेश दिया जाता है कि आप.............................. निर्णीत-ऋणी को, तो इस समय आपकी अभिरक्षा में हु, मुक्त कर दें ।

ता0..........................

न्यायाधीश

संख्यांक 16

निष्पादन में कुर्की

जहां कुर्क की जाने वाली सम्पत्ति ऐसी जंगम सम्पत्ति है जिसका प्रतिवादी किसी अन्य व्यक्ति के धारणाधिकार या उस पर तत्काल कब्जा करने के अधिकार के अधीन रहते हुए हकदार है वहां प्रतिषेधात्मक आदेश

(आदेश 21 का नियम 46)

(शीर्षक)

प्रेषिती-

....................................19 के.......................... के संख्यांक वाले वाद में ता0..................... को............................ के विरुद्ध और .... के पक्ष में............................... रुपए के लिए पारित डिक्री की तुष्टि करने में........................ असफल रहा है, अत: यह आदेश दिया जाता है कि जब तक इस न्यायालय का अगला आदेश न हो, प्रतिवादी उक्त.......................... के कब्जे की निम्नलिखित सम्पत्ति अर्थात्.................. जिसका कि प्रतिवादी उक्त .... के किसी दावे के अधीन रहते हुए हकदार है, प्राप्त करने से प्रतिषिद्ध और अवरूद्ध होगा और उसे प्रतिषिद्ध और अवरुद्ध किया जाता है और जब तक न्यायालय का अगला आदेश न हो उक्त सम्पत्ति किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों को, चाहे वे कोई भी हों, परिदत्त करने से उक्त .... प्रतिषिद्ध और अवरुद्ध किया जाता है ।

यह आज ता0...................................... को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया ।

न्यायाधीश

[1]संख्यांक 16क

निर्णीत-ऋणी दारा आस्तियों के बारे में शपथपत्र दिया जाना

[आदेश 21 का नियम 41 (2)]

....के न्यायालय में

क ख डिक्रीदार

बनाम

ग निर्णीत-ऋणी

....का

मैं.......................................

शपथ/सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान पर निम्नलिखित रुप में कथन करता हूँ:-

1. मेरा पूरा नाम .... हैं ।

(स्पष्ट अक्षरों में)

2. मैं... में निवास करता हूं ।

[1]3. मैं विवाहित हूं

अविवाहित हूं

विधुर (विधर) हूं विधुर (विधवा) हूं

विछिन्न विवाह हूं

4. निम्नलिखित व्यक्ति मुझ पर आश्रित हैं

5. मेरे नियोजन, व्यापार या व्यवसाय.. जो मैं .... में करता हूँ ।

मैं निम्नलिखित कम्पनियों का निदेशक हूँ है--

मेरी वर्तमान वार्षिक/मासिक/सप्ताहिक आय, आय-कर देने के पश्चात् निम्नलिखित है-

(क) मेरे नियोजन, व्यापार या व्यवसाय से, ... रु0

(ख) अन्य स्त्रोतों से .... रु0

[2]7. (क) मैं उस गृह का स्वामी हूं जिसमें मैं निवास करता हूं; उसका मूल्य................... रुपए है । मैं रेट, बंधक, ब्याज इत्यादि के रुप में...................... रु0 की वार्षिक राशि देनदारियों के रुप में देता हूँ;

(ख) मैं भाटक के रुप में.............................. रुपए की वार्षिक राशि देता हूँ ।

8. मेरे पास निम्नलिखित चीजें हैं-

(क) बैंक में खाता ।

(ख) स्टाक और शेयर ।

(ग) जीवन ओर विन्यास पालिसियां । विशिष्टियां दीजिए ।

(घ) गृह सम्पत्ति ।

(ङः) अन्य सम्पत्ति |

(च) अन्य प्रतिभूतियां ।

9. मुझे निम्नलिखित ॠण शोध्य हैं-

(विशिष्टियां दीजिए)

(क)............................... से..

(ख) ....से .... रु0 (इत्यादि) मेरे समक्ष शपथ लिया गया इत्यादि ।]

संख्यांक 17

निष्पादन में कुर्की

जहां सम्मान ऐसे ॠणों के रुप में है जो परक्राम्य लिखतों से प्रतिभूत नहीं है वहां प्रतिषेधात्मक आदेश (आदेश 21 का नियम 46)

(शीर्षक)

प्रेषिती-

.... उस डिक्री की तुष्टि करने में असफल रहा है जो 19.................................. के........................... संख्यांक वाले वाद में

..........................को..........................के विरुद्ध ....
और..के पक्ष में रुपए के लिए पारित की गई थी; अत: यह आदेश दिया जाता है कि जब तक इस न्यायालय का अगला आदेश न हो आप प्रतिवादी आपसे वह ऋण जिसके बारे में यह अभिकथित है कि वह उक्त प्रतिवादी को आपके द्वारा इस समय शोध्य है अर्थात्.............................. का ऋण, प्राप्त करने से प्रतिषिद्ध और अवरूद्ध हो और किया जाता है और जब तक न्यायालय का अगला आदेश न हो उक्त ऋण या उसके किसी भाग को किसी व्यक्ति को चाहे वह कोई भी हो या उस न्यायालय में जमा कराने से अन्यथा, देने से आप उक्त (नाम)........................ प्रतिषिद्ध और अवरुद्ध रहे और किए जाते हैं ।

यह आज ता0... को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया ।

न्यायाधीश

संख्यांक 18

निष्पादन में कुर्की

जहां कि सम्पत्ति किसी निगम की पूंजी में अंशों के रुप में है वहां प्रतिषेधात्मक आदेश (आदेश 21 का नियम 46)

(शीर्षक)

प्रेषिती-

प्रतिवादी... और................................... निगम के सचिव

....|

....उस डिक्री की तुष्टि करने में असफल रहा है जो 19........................... .को................................. संख्यांक वाले वाद में............................... .का................................ .के विरुद्ध और................................. .के पक्ष में............................ रुपए के लिए पारित की गई थी; अत: यह आदेश दिया जाता है कि जब तक इस न्यायालय का अगला आदेश न हो आप, प्रतिवादी, उक्त निगम में अर्थात्.............................. .में........................... अंशों का कोई अन्तरण करने या उन पर किन्हीं लाभांशों का संदाय लेने से प्रतिषिद्ध और अवरुद्ध रहें और किए जाते हैं और आप .... उक्त निगम के सचिव, किसी ऐसे अन्तरण की अनुज्ञा देने या कोई भी ऐसा संदाय करने से प्रतिषिद्ध और अवरूद्ध किए जाते हैं ।

यह आज ता0 ....को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया ।

न्यायाधीश

संख्यांक 19

लोक अधिकारी या रेल कम्पनी या स्थानीय प्राधिकरण के सेवक के वेतन की कुर्की का आदेश (आदेश 21 का नियम 48)

(शीर्षक)

प्रेषिती-

.... उक्त मामले में निर्णीतऋणी (निर्णीत ऋणी के पद का वर्णन कीजिए) है जो अपना वेतन (या भत्ते) आपसे पा रहा है; और उक्त मामले में डिक्रीदार........................
ने डिक्री के अधीन अपने को शोध्य.......................... तक उक्त..............................के वेतन (या भत्तों) की चुकी के लिए इस न्यायालय में आवेदन किया है; अत: आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप...................... रुपए की उक्त राशि.............................. .उक्त................. के वेतन में से,............................ की मासिक किस्तों में विधारित कर लें और उक्त राशि (या मासिक किस्त) इस न्यायालय को भेज दें ।

यह आज ता0 ....को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया ।

न्यायाधीश

संख्यांक 20

परक्राम्य लिखत की कुर्की के लिए आदेश (आदेश 21 का नियम 51)

(शीर्षक)

प्रेषिती-

न्यायालय का बेलिफ ।

ता0 ....को...........................की कुर्की के लिए आदेश इस न्यायालय द्वारा पारित किया गया है, अत: आपको निदेश दिया जाता है कि आप
उक्त...
....को अभिगृहीत कर लें और इस न्यायालय में ले आएं ।

यह आज ता0 ....को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया |

न्यायाधीश

संख्यांक 21

कुर्की

जहां सम्पत्ति, न्यायालय या [1][लोक अधिकारी] की अभिरक्षा में धन या किसी प्रतिभूति क रुप में है वहां प्रतिषेधात्मक आदेश (आदेश 21 का नियम 52)

(शीर्षक)

प्रेषिती-

महोदय,

वादी ने ऐसे कुछ धन की कुर्की के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश 21 के नियम 52 के अधीन आवेदन किया है जो धन इस समय आपके पास जमा है (यहां यह लिखिए कि यह क्यों अनुमान है कि धन सम्बोधित व्यक्ति के पास जमा है, किस लेखे जमा है, (इत्यादि); अत: में आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इस न्यायालय के अगले आदेशों के अधीन रहते हुए उक्त धन को अपने पास धारित रखें । ता0...............................

भवदीय

न्यायाधीश

संख्यांक 22

डिक्री की कुर्की की उस न्यायालय को सूचना जिसने डिक्री पारित की है (आदेश 21 का नियम 53)

(शीर्षक)

प्रेषिती-

....के न्यायालय का न्यायाधीश ।

महोदय,

मुझे आपको यह जानकारी देनी है कि 19.................................के संख्यांक.................. वाले वाद में ता0 ....को........................ .द्वारा आपके न्यायालय में अभिप्राप्त की गई वह डिक्री, जिसमें वह........................... था और..................... था, ऊपर विनिर्दिष्ट वाद में ....के आवेदन पर इस न्यायालय द्वारा कुर्क कर ली गई है । अत: आपसे प्रार्थना है कि जब तक आपको इस न्यायालय से यह प्रज्ञापन प्राप्त न हो कि यह सूचना रद्द कर दी गई है या जब तक उस डिक्री के जिसके निष्पादन की अब इच्छा की गई है धारक द्वारा या निर्णीतऋणी द्वारा उक्त डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन न किया गया हो, अपने न्यायालय की उक्त डिक्री का निष्पादन रोक दें ।

ता0...

भवदीय

न्यायाधीश

संख्यांक 23

डिक्री की कुर्की की डिक्री के धारक को सूचना (आदेश 21 का नियम 33)

(शीर्षक)

प्रेषिती-

उक्त वाद में डिक्रीदार द्वारा इस न्यायालय में उस डिक्री की कुर्की के लिए आवेदन किया गया है जो आपने 19...के.................................. संख्यांक वाले वाद में....................................के न्यायालय में तारीख.................................. को अभिप्राप्त की थी और जिसमें........................ था और................................... था; अत: यह आदेश दिया जाता है कि जब तक इस न्यायालय का अगला आदेश न हो उसे किसी रीति से अन्तरित या भारित करने से आप उक्त .... .प्रतिषिद्ध और अवरूद्ध रहें और किए जाते हैं ।

यह आज ता0...................................... .को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई ।

न्यायाधीश

संख्यांक 24

निष्पादन में कुर्की

जहां सम्पत्ति स्थावर सम्पत्ति के रूप में है वहां प्रतिषेधात्मक आदेश

(आदेश 21 का नियम 54)

(शीर्षक)

प्रेषिती-

............................प्रतिवादी ।

आप उस डिक्री की तुष्टि करने में असफल रहे हैं जो 19.. के .... संख्याक वाले वाद में ता0............................. को............................. के पक्ष में .... -रुपए के लिए आपके विरुद्ध पारित की गई थी; अत : यह आदेश दिया जाता है कि जब तक इस न्यायालय का अगला आदेश न हो, इसके साथ उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति को विक्रय या दान द्वारा या अन्यथा अन्तरित या भारित करने से आप उक्त..............................प्रतिषिद्ध और अवरूद्ध रहें और किए जाते हैं और सब व्यक्ति उसे क्रय या दान द्वारा या अन्यथा प्राप्त करने से प्रतिषिद्ध रहें और किए जाते हैं ।

1. भारत (शासन विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "सरकारी अधिकारी" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।

[1][यह भी आदेश दिया जाता है कि आप विक्रय की उदघोषणा के निबंधनों को तय करने के लिए नियत तारीख की सूचना प्राप्त करने के लिए तारीख.....................को न्यायालय में हाजिर हों

यह आज ता0 ....को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया ।

न्यायाधीश

अनुसूची

संख्यांक 25

उस धन आदि का जो पर-व्यक्ति के हाथ में है संदाय वादी आदि को करने का आदेश

(आदेश 21 का नियम 56)

(शीर्षक)

प्रेषिती-

निम्नलिखित सम्पत्ति अर्थात्............................ उस डिक्री के निष्पादन में कुर्क की गई है जो 19..................के..................... संख्यांक वाले वाद में ता0 .... को........................के पक्ष में.. रुपए के लिए पारित की गई थी; अत : यह आदेश दिया जाता है कि आप उक्त .... ऐसे कुर्क की गई सम्पत्ति, जो............................ रुपए के सिक्कों और...................... के करेन्सी नोटों से मिलकर बनी है या उक्त डिक्री की तुष्टि करने के लिए उसका पर्याप्त भाग........................को दे दे ।

यह आज ता0 ....को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया ।

न्यायाधीश

संख्यांक 26

कुर्की कराने वाले लेनदार को सूचना आदेश 21 का नियम 58)

(शीर्षक)

प्रेषिती-

....ने............................ 19........................के..................... संख्यांकवाले वाद की डिक्री के निष्पादन में आपकी प्रेरणा पर..की कुर्की को उठा लेने के लिए इस न्यायालय से आवेदन किया है अत: आपको यह सूचना दी जाती है कि आप या तो स्वयं या न्यायालय के ऐसे प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक् अनुदेश मिला हुआ हो, कुर्की कराने वाले लेनदार के रुप में अपने दावे का समर्थन करने के लिए ता0 ....को इस न्यायालय के समक्ष उपसंजात हों ।

यह आज ता0 ....को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई ।

न्यायाधीश

संख्यांक 27

धन की डिक्री के निष्पादन में सम्पत्ति की कुर्की का वारण्ट

(आदेश 21 का नियम 86)

(शीर्षक)

प्रेषितीं-

न्यायालय का वेलिफ ।

आपको यह समादेश दिया जाता है कि आप 19......................के.............. संख्यांक वाले वाद में.. .के पक्ष की डिक्री के निष्पादन में ता0 ....के इस न्यायालय के वारण्ट के अधीन कुक .... सम्पत्ति का, या उक्त सम्पत्ति में से उतनी का विक्रय, जितनी से................................. रूपए की राशि वसूल हो जाए, जो राशि उक्त डिक्री और खर्चों क अब तक अतुष्ट बची रकम है;.................. दिनों की पूर्व सूचना इस न्याय-सदन में लगाकर और सम्यक् उद्घोषणा के पश्चात् नीलाम द्वारा कर दें ।

आपको यह भी समादेश दिया जाता है कि आप वह रीति, जिससे यह वारण्ट निष्पादित किया गया है या वह कारण जिससे यह निष्पादित नहीं किया गया है प्रमाणित करने वाले पृष्ठांकन सहित इस वारण्ट को तारीख............................को या उसके पूर्व लौटा दें ।

यह आज ता0 ....को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया ।

न्यायाधीश

संख्यांक 28

विक्रय उद्घोषणा तय करने के लिए नियत दिन की सूचना

(आदेश 21 का नियम 66)

(शीर्षक)

प्रेषिती-

....निर्णीत ऋणी

उक्त वाद में................................. डिक्रीदार ने..................... .के विक्रय के लिए आवेदन किया है, अत: आपको यह इत्तिला दी जाती है कि ता0 ....विक्रय की उद्घोषणा के निबन्धनों को तय करने के लिए नियत की गई है ।

यह आज ता0 ....को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई ।

न्यायाधीश

संख्यांक 29

विक्रय की उद्घोषणा (आदेश 21 का नियम 66)

(शीर्षक)

(1)........................के........................ द्वारा विनिश्चित 19............... .के............... संख्यांक वाला वाद जिसमें..........वादी था और...........प्रतिवादी था ।

यह सूचना दी जाती है कि इस न्यायालय ने उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित कुर्क सम्पत्ति का, पार्श्व में वर्णित वाद (1) में डिक्रीदार के दावे की, जो खर्चों और विक्रय की तारीख तक के ब्याज सहित.............................. रुपए की राशि का है, तुष्टि में विक्रय करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 और आदेश 21 के नियम 64 के अधीन आदेश दिया गया है ।

विक्रय लोक नीलाम द्वारा किया जाएगा और सम्पत्ति अनुसूची में विनिर्दिष्ट लाटों में विक्रय के लिए रखी जाएगी । विक्रय उक्त निर्णीतऋणियों की उस सम्पत्ति का होगा जो निम्नलिखित अनुसूची में वर्णित है; और उक्त सम्पत्ति से संलग्र दायित्व और दावे जहां तक कि उनका अभिनिश्चय किया जा सका है, वे हैं जो हर एक लाट के सामने अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं ।

जब तक मुल्तवी करने का आदेश न किया जाए यह विक्रय ता0 ....को बजे................................ में प्रारम्भ होने वाले मासिक विक्रय में..............................
द्वारा किया जाएगा । किन्तु यदि ऊपर विनिर्दिष्ट ऋण और विक्रय के खर्चे किसी लाट के लिए बोली अन्तिम होने के पूर्व निविदत्त या संदत्त कर दिए जाते हैं तो विक्रय बन्द कर दिया जाएगा ।

विक्रय में सर्वसाधारण को या तो स्वयं या सम्यक् रुप से प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा बोली लगाने के लिए निमंत्रित किया जाता है । किन्तु उपरिवर्णित निर्णीत लेनदारों द्वारा या उनके निमित्त लगाई गई कोई भी बोली स्वीकार नहीं की जाएगी और न्यायालय द्वारा पहले से दी गई अभिव्यक्त अनुज्ञा के बिना उनको किया गया विक्रय विधिमान्य न होगा । विक्रय की अतिरिक्त शर्तें निम्नलिखित हैं है---

विक्रय की शर्ते

1. निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट विशिष्टियां न्यायालय की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार लिखी गई हैं, किन्तु इस उद्घोषणा में किसी गलती, अशुद्ध कथन या लोप के लिए न्यायालय उत्तरदायी नहीं होगा ।

2. वह रकम जितनी से बोलियां बढाई जानी हैं विक्रय संचालित करने वाले अधिकारी द्वारा अवधारित की जाएगी । यदि लगाई गई बोली की रकम के बारे में या बोली लगाने वाले के बारे में कोई विवाद पैदा होता है तो वह लाट पुन: नीलाम पर चढाया जाएगा ।

3. किसी भी लाट की सबसे ऊँची बोली लगाने वाला व्यक्ति उस लाट का क्रेता घोषित किया जाएगा, परन्तु यह तब जब कि वह बोली लगाने के लिए वैध रुप से अहित हो, यह बात न्यायालय के या विक्रय करने वाले अधिकारी के विवेकाधिकार में होगी कि वह सबसे ऊंची बोली को स्वीकार करने से उस दशा में इन्कार कर दे जिसमें लगाई गई कीमत स्पष्टत: इतनी अपर्याप्त प्रतीत हो कि ऐसे इन्कार करना वांछनीय हो जाता है ।

4. विक्रय संचालित करने वाले अधिकारी के विवेकाधिकार में यह बात होगी कि ऐसे कारणों

से, जो अभिलिखित किए जाएंगे वह विक्रय को आदेश 21 के नियम 69 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए स्थगित कर दे ।

5. जंगम सम्पत्ति की दशा में हर एक लाट की कीमत विक्रय के समय या उसके इतने शीघ्र पश्चात् जितना विक्रय करने वाला अधिकारी निदिष्ट करे, दी जाएगी और संदाय में व्यतिक्रम होने पर सम्पत्ति तत्काल पुन: नीलाम पर चढाई जाएगी और उसका पुन: विक्रय किया जाएगा ।

6. स्थावर सम्पत्ति की दशा में वह व्यक्ति, जो क्रेता घोषित किया गया है उस घोषणा के पश्चात् अविलम्ब अपने क्रयधन की रकम का पच्चीस प्रतिशत संचालित करने वाले अधिकारी के पास निक्षिप्त कर देगा और ऐसा निक्षेप करने में व्यतिक्रम होने पर सम्पत्ति तत्काल पुन: नीलाम पर चढाई जाएगी और उसका पुन: विक्रय किया जाएगा ।

7. क्रे ता द्वारा क्रयधन की पूरी रकम सम्पत्ति के क्रय दिन को छोडकर सम्पत्ति के विक्रय के पश्चात् पन्द्रहवें दिन या यदि पन्द्रहवां दिन इतवार हो या अन्य अवकाश दिन हो तो पन्द्रहवें दिन के पश्चात् कार्यालय खुलने के पहले दिन न्यायालय के बन्द होने के पूर्व संदत्त की दी जाएगी ।

8. क्रयधन की बाकी रकम का संदाय अनुज्ञात अवधि के अन्दर करने में व्यतिक्रम होने पर सम्पत्ति का पुन: विक्रय, विक्रय की नई अधिसूचना निकाली जाने के पश्चात् किया जाएगा । यदि न्यायालय ठीक समझे तो निक्षेप, उसमें से विक्रय के व्ययों को काट लेने के पश्चात् सरकार के पक्ष में समपहृत कर दिया जाएगा और व्यतिक्रम करने वाले क्रेता के सम्पत्ति पर या जिस राशि के लिए वह सम्पत्ति बाद में बेची जाए उस राशि के किसी भी भाग पर सब दावे समपहृत हो जाएंगे ।

यह आज ता0 ....को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई |

न्यायाधीश

संपत्ति की अनुसूची						
लाट का संख्यांक	उस सपत्ति का वर्णन जिसका विक्रय किया जाना है और जहां एक से अधिक निर्णीत ऋणी हैं वहां उसके साथ हर एक स्वामी का नाम ।	यदि वह संपत्ति जिसका विक्रय किया जाना है, सरकार को राजस्व देने वाली संपदा या संपदा के भाग में हित है तो संपदा या संपदा के भाग पर निर्धारित राजस्व |	संपत्ति जिन विल्लंगमों के दायित्व के अधीन उनका ब्यौरा |	संपत्ति के बारे में किए गए दावे (यदि कोई है) और उनकी प्रकृति और मूल्य पर प्रभाव डालने वाली कोई अन्य ज्ञात विशिष्टियां |	[1][डिक्रीदार द्वारा यथा कथित संपत्ति का मूल्य |	निर्णीतऋणी द्वारा यथा-कथित संपत्ति का मूल्य |]

संख्यांक 30

विक्रय की उद्घोषणा की तामील कराने के लिए नाजिर को आदेश

(आदेश 21 का नियम 66)

(शीर्षक)

प्रेषिती--

न्यायालय का नाजिर ।

निर्णीतऋणी की उस सम्पत्ति के विक्रय के लिए, जो इसके साथ उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, आदेश दिया गया है और तारीख............................उक्त सम्पत्ति के विक्रय के लिए नियत की गई है; अत: विक्रय की उद्घोषणा की............................प्रतियां इस वारण्ट द्वारा आपके हवाले की जाती हैं और आपको आदेश दिया जाता है कि आप उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्तियों में से हर एक पर डोंडी पिटवा कर इस उद्घोषणा को प्रकाशित करें, उक्त उद्घोषणा की एक प्रति उक्त सम्पत्तियों में से हर एक के सहजदृश्य भाग में और तत्पश्चात् न्याय-सदन में लगाएं और फिर वे तारीखें, जिनको, और वह रीति, जिससे उद्घोषणा का प्रकाशन किया गया है, दर्शित करने वाली रिपोर्ट इस न्यायालय को भेजें ।

ता0 ....

न्यायाधीश

अनुसूची

संख्यांक 31

क्रेता के व्यतिक्रम के कारण सम्पत्ति के पुनर्विक्रय में कीमत में हुई कमी का विक्रय करने वाले अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र

(आदेश 21 का नियम 71)

(शीर्षक)

यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त वाद में की डिक्री के निष्पादन में हुए सम्पत्ति के उस पुनर्विक्रय में जो................... क्रे ता के व्यतिक्रम के परिणामस्वरुप किया गया, उक्त सम्पत्ति की कीमत में......................... रुपए की कमी रही और उस पुनर्विक्रय के सम्बन्ध में .... रुपए व्यय हुए और यह रकम कुल......................... रुपए होती है जो व्यतिक्रम करने वाले से वसूलीय है ।

ता0 ....

विक्रय करने वाला अधिकारी

संख्यांक 32

निष्पादन में बेची गई जंगम सम्पत्ति पर कब्जा रखने वाले व्यक्ति को सूचना (आदेश 21 का नियम 79)

(शीर्षक)

प्रेषिती-

............................उक्त वाद में की गई डिक्री के निष्पादन में हुए लोक विक्रय में.. का, जो अब आपके कब्जे में है क्रेता हो गया है, अत: उक्त.......................पर कब्जा उक्त..................के सिवाय किसी व्यक्ति को परिदत्त करन से आपको प्रतिषिद्ध किया जाता है ।

यह आज ता0 ....को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई ।

न्यायाधीश

संख्यांक 33

निष्पादन में बेचे गए ऋणों का संदाय क्रेता से भिन्न किसी व्यक्ति को करने के विरुद्ध प्रतिषेधात्मक आदेश (आदेश 21 का नियम 79)

(शीर्षक)

प्रेषिती.. और..

....उक्त वाद में की डिक्री के निष्पादन में हुए लोक विक्रय में उक्त ऋण का, जो आप/..........................के द्वारा आप/...........................को शोध्य है, क्रेता हो गया है, अत: यह आदेश दिया जाता है कि आप...................... उक्त ऋण का संदाय उक्त.........................के सिवाय किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को करने से प्रतिषिद्ध रहें और किए जाते है |

यह आज ता0 ....को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया ।

न्यायाधीश

संख्यांक 34

निष्पादन में बेचे गए अंशों के अन्तरण के विरुद्ध प्रतिषेधात्मक आदेश (आदेश 21 का नियम 79)

(शीर्षक)

प्रेषिती-

.... और.................................निगम के सचिव ....उक्त वाद में की डिक्री के निष्पादन में हुए लोक विक्रय में उक्त निगम के कुछ अंशों का अर्थात्............ का, जो कि आप.............. के नाम में दर्ज हैं, क्रेता हो गया है, अत: यह आदेश दिया जाता है कि आप............ उक्त अंशों को, पूर्वोक्त क्रेता उक्त...............................के सिवाय किसी व्यक्ति को

अन्तरति करने से या उन पर कोई लाभांश प्राप्त करने से और उक्त निगम के सचिव आप.................. किसी ऐसे अन्तरण के लिए अनुज्ञा देने से या पूर्वोक्त क्रेता उक्त............................के सिवाय किसी व्यक्ति को ऐसा संदाय करने से प्रतिषिद्ध रहें और किए जाते हैं ।

यह आज ता0 ....को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया ।

न्यायाधीश

संख्यांक 35

सम्पति को बंधन रखने, पट्टे पर देने या उसका विक्रय करने के लिए निर्णीतऋणी को प्राधिकृत करने के लिए प्रमाणपत्र (आदेश 21 का नियम 83)

(शीर्षक)

उक्त वाद में पारित डिक्री के निष्पादन में............................ निर्णीतऋणी की नीचे लिखी सम्पत्ति के विक्रय के लिए ता0 ....को आदेश दिया गया था और न्यायालय ने, उक्त निर्णीतऋणी के आवेदन पर, उक्त विक्रय को मुल्तवी कर दिया है जिससे कि वह उक्त सम्पत्ति या उसके किसी भाग के बन्धक, पट्टे या प्राइवेट विक्रय द्वारा डिक्री की रकम प्राप्त कर सके ।

अत: यह प्रमाणित किया जाता है कि न्यायालय ने इस प्रमाणपत्र की तारीख से......................की अवधि के भीतर प्रस्थापित बन्धक, पट्टा या विक्रय करने के लिए निर्णीतऋणी को प्राधिकृत कर दिया है, परन्तु ऐसे बन्धक, पट्टे या विक्रय के अधीन संदेय सब धन इस न्यायालय को, न कि उक्त निर्णीतऋणी को, दिए जाएंगे ।

सम्पत्ति का वर्णन

यह आज ता0 ....को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया ।

न्यायाधीश

संख्यांक 36

इस बात का हेतुक दर्शित करने के लिए सूचना कि विक्रय अपास्त क्यों न कर दिया जाए (आदेश 21 के नियम 90 और 92)

(शीर्षक)

प्रेषिती-

नीचे लिखी सम्पत्ति का विक्रय उक्त वाद में पारित डिक्री के निष्पादन में ता0 .... को किया गया था और.................. डिक्रीदार ने (या निर्णीतऋणी ने) उक्त सम्पत्ति के विक्रय को विक्रय के प्रकाशन या संचालन में निम्नलिखित तात्विक अनियमितता (या कपट) के आधार पर अपास्त करने के लिए इस न्यायालय से आवेदन किया है, अर्थात्................

अत: आपको यह सूचना दी जाती है कि यदि आपके पास कोई ऐसा हेतुकदर्शित करने को है

जिससे उक्त आवेदन मंजूर नहीं किया जाना चाहिए तो आप अपने सबूतों के सहित इस न्यायालय में ता0............................... को, जब उक्त आवेदन सुना और अवधारित किया जाएगा, उपसंजात हों ।

यह आज ता0 ....को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई ।

न्यायाधीश

सम्पत्ति का वर्णन

संख्यांक 37

इस बात का हेतुक दर्शित करने के लिए सूचना कि विक्रय अपास्त क्यों न कर दिया जाए (आदेश 21 का नियम 91 और 92)

(शीर्षक)

प्रेषिती-

उक्त वाद में पारित डिक्री के निष्पादन में ता0 ....को बेची गई नीचे लिखी सम्पत्ति के क्रेता................ ने उस सम्पत्ति का विक्रय इस आधार पर अपास्त करने के लिए इस न्यायालय से आवेदन किया है कि निर्णीतऋणी ....का उसमें कोई विक्रेय हित नहीं था ।

अत: आपको यह सूचना दी जाती है कि यदि आपके पास कोई ऐसा हेतुकदर्शित करने को है जिससे उक्त आवेदन मंजूर नहीं किया जाना चाहिए तो आप अपने सबूतों के सहित इस न्यायालय में ता0 .... को, जब उक्त आवेदन सुना और अवधारित किया जाएगा, उपसंजात हों ।

यह आज ता0 ....को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई ।

न्यायाधीश

सम्पत्ति का वर्णन

संख्यांक 38

भूमि के विक्रय का प्रमाणपत्र (आदेश 21 का नियम 94)

(शीर्षक)

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वाद में की डिक्री के निष्पादन में ता0...................... को लोक नीलाम द्वारा किए गए...........................के विक्रय में........................ क्रेता घोषित कर दिया गया है और उक्त विक्रय की पुष्टि इस न्यायालय ने सम्यक् रुप से कर दी है ।

यह आज ता0 ....को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया ।

न्यायाधीश

संख्यांक 39

निष्पादन में विक्रीत भूमि का परिदान प्रमाणित क्रेता को करने के लिए आदेश

(आदेश 21 का नियम 95)

(शीर्षक)

प्रेषिती-

न्यायालय का बेलिफ ।

19...............................के..................... संख्यांक वाले वाद में की डिक्री के निष्पादन में किए गए विक्रय में.............................का प्रमाणित क्रेता...........................हो गया है; अत: आपको आदेश दिया जाता है कि आप उक्त.................................. को, जो यथापूर्वोक्त प्रमाणित क्रेता है उसका कब्जा दिला दें ।

यह आज ता0 ....को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया ।

न्यायाधीश

संख्यांक 40

डिक्री के निष्पादन में बाधा डालने के आरोप पर उपसंजात होने और आरोप का उत्तर देने के लिए समन

(आदेश 21 का नियम 97)

(शीर्षक)

प्रेषिती-

उक्त वाद में डिक्रीदार .... ने इस न्यायालय में परिवाद किया है कि आपने कब्जे के लिए वारण्ट के निष्पादन के भारसाधक अधिकारी का प्रतिरोध किया (या उसको बाधा पहुंचाई) अत: आपको उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए ता0 .... को........................बजे पूवाह्न में इस न्यायालय में उपसंजात होने के लिए समन किया जाता है ।

यह आज ता0 ....को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया ।

न्यायाधीश

संख्यांक 41

सुपुर्दगी वारण्ट (आदेश 21 का नियम 98)

(शीर्षक)

प्रेषिती-

....की जेल का भारसाधक अधकारी ।

नीचे लिखी सम्पत्ति के लिए डिक्री इस वाद के वादी....................के पक्ष में कर दी गई है और न्यायालय का यह समाधान हो गया है कि................. उक्त को सम्पत्ति पर लब्जा अभिप्राप्त

करने से...................... किसी न्यायसंगत हेतुक के बिना प्रतिरद्ध (या बाधित) करता रहा है और अब भी प्रतिरुद्ध (या बाधित) कर रहा है, और उक्त................. ने इस न्यायालय से आवेदन किया है कि उक्त................. को सिविल कारागार को सुपुर्द किया जाए ।

अत: आपको समादेश किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त................................

...................................को सिविल कारागार में लें और प्राप्त करें और उसे वहां..............................

...................................दिनों की अवधि के लिए कैद रखें ।

यह आज ता0 ....को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया ।

न्यायाधीश

संख्यांक 42

भूमि के लोक विक्रय को रोकने के लिए कलक्टर का प्राधिकरण (धारा 72)

(शीर्षक)

प्रेषिती-

श्री............................के कलक्टर,

महोदय,

आपके.......................... संख्यांक और तारीख................. .के उस पत्र के उत्तर में, जिसमें आपने यह व्यपदिष्ट किया था कि इस वाद की डिक्री के निष्पादन में.................. भूमि का, जो आपके जिले के अन्दर स्थित है विक्रय आपत्तिजनक है मुझे आपको यह जानकारी देनी है कि उक्त डिक्री की तुष्टि के लिए उस रीति से व्यवस्था करने के लिए आपको प्राधिकृत किया जाता है जिस रीति से व्यवस्था करने की आपने सिफारिश की है ।

भवदीय

न्यायाधीश

परिशिष्ट च

अनूपूरक कार्यवाहियां

संख्यांक 1

निर्णय से पूर्व गिरफ्तारी का वारण्ट (आदेश 38 का नियम 1)

(शीर्षक)

प्रेषिती

न्यायालय का बेलिफ ।

उक्त वाद में वादी .... पार्श्व में अंकित................. रुपए की राशि का दावा करता है और उसने न्यायालय को समाधानप्रद रुप में यह साबित कर दिया है कि यह

विश्वास करने के लिए अधिसम्भाव्य हेतुक है कि...................... प्रतिवादी....................ही वाला है; अत: आपको समादेश दिया जाता है कि आप वादी के दावे की तुष्टि के लिए लिए पर्याप्त रकम के रुप में................ रुपए की राशि उक्त.............. से मांगे और प्राप्त करें और जब तक कि..रुपए की उक्त राशि उक्त .... द्वारा या उसकी ओर से आपको तत्काल परिदत्त न कर दी जाए आप उक्त............. को अपनी अभिरक्षा में ले लें और उसे इस न्यायालय के समक्ष इसलिए लाएं कि वह हेतुक दर्शित करे कि वह तब तक के लिए जब तक उक्त वाद पूर्णत: और अन्तिम रुप से निपटा न दिया जाए और जब तक ऐसी डिक्री की तुष्टि न हो जाए जो वाद में उसके विरुद्ध पारित की जाए, इस न्यायालय में स्वयं अपनी उपसंजाति के लिए.............................. रुपए की रकम की प्रतिभूति क्यों न दे ।

वह आज ता0............................ को मेरे हस्ताक्षर से न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया ।

न्यायाधीश

मूल ब्याज खर्च			
योग			

संख्यांक 2

निर्णय से पूर्व गिरफ्तार किए गए प्रतिवादी की उपसंजाति के लिए प्रतिभूति

(आदेश 38 का नियम 2)

(शीर्षक)

उक्त वाद में वादी.............. को प्रेरणा पर प्रतिवादी........... गिरफ्तार किया गया है और इस न्यायालय के समझ लाया गया है;

उक्त प्रतिवादी के इस बात का हेतुक दर्शित करने में असफल रहने पर कि अपनी उपसंजाति के लिए वह प्रतिभूति क्यों न दे न्यायालय ने ऐसी प्रतिभूति देने का उसे आदेश दिया है;

अत: मैं.................................. स्वेच्छया प्रतिभू बन गया हूं और इसके द्वारा अपने को तथा अपने वारिसों और निष्पादकों को उक्त न्यायालय के प्रति आबद्ध करता हूं कि उक्त प्रतिवादी वाद के लम्बित रहने के दौरान और ऐसी किसी डिक्री की तुष्टि होने तक, जो उक्त वाद में उसके विरुद्ध पारित की जाए, किसी भी समय बुलाए जाने पर उपसंजात होगा; और ऐसी उपसंजाति में व्यतिक्रम होने पर उस न्यायालय को उसके आदेश पर ऐसी कोई धनराशि, जो उक्त वाद में उक्त प्रतिवादी के विरुद्ध न्यायनिर्णीत की जाए, देने के लिए मैं अपने को तथा अपने वारिसों और निष्पादकों को आबद्ध करता हूं ।

मैंने आज ता0....................... को........................ में हस्ताक्षर किए ।

(हस्ताक्षरित)

1.
2.

संख्यांक 4

प्रतिभू के अपने उन्मोचन के लिए आवेदन पर प्रतिवादी को उपसंजात होने के लिए समन

(आदेश 38 का नियम 3)

(शीर्षक)

प्रेषिती-

....

....ने, जो उक्त वाद में आपकी उपसंजाति के लिए ता0 ....को प्रतिभू बना था, अपनी बाध्यता से उन्मोचित किए जाने के लिए इस न्यायालय से आवेदन किया है;

अत: आपको ता0 ....को.................... बजे पूर्वाह्न में, जब उक्त आवेदन सुना और अवधारित किया जाएगा, इस न्यायालय में स्वयं उपसंजात होने के लिए समन किया जाता है |

यह आज ता0 ....को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया । न्यायाधीश

संख्यांक 4

सुपुर्दगी का आदेश (आदेश 38 का नियम 4)

(शीर्षक)

प्रेषिती-

....

इस वाद में वादी........................ ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि प्रतिवादी............................. से, इस वाद में उसके विरुद्ध जो कोई निर्णय दिया जाए उसके बारे में उत्तरदायित्व का निर्वाह करने के लिए उसकी उपसंजाति के लिए प्रतिभूति ली जाए, और न्यायालय ने प्रतिवादी से अपेक्षा की है कि वह ऐसी प्रतिभूति दे या प्रतिभूति के बदले में पर्याप्त निक्षेप प्रस्थापित करे और वैसा करने में असफल रहा है । अत: यह आदेश दिया जाता है कि उक्त प्रतिवादी.................................... इस बात का विनिश्चिय होने तक या यदि उसके विरुद्ध निर्णय सुनाया जाए तो डिक्री की तुष्टि किए जाने तक के लिए सिविल कारागार के सुपुर्द किया जाए ।

यह आज ता0 ....को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया ।

न्यायाधीश

संख्यांक 5

डिक्री की तुष्टि के लिए प्रतिभूति की अपेक्षा करने के आदेश के सहित निर्णय से पूर्व कुर्की (आदेश 38 का नियम 5)

(शीर्षक)

प्रेषिती-

न्यायालय का बेलिफ ।

.... ने न्यायालय को समाधानप्रद रुप में यह साबित कर दिया है कि उक्त वाद में प्रतिवादी................................

अत: आपको यह समादेश दिया जाता है कि आप उक्त प्रतिवादी............................ से यह अपेक्षा करें कि वह या तो..........................को या उसके मूल्य को या उस मूल्य के ऐसे भाग को, उस डिक्री की तुष्टि के लिए पर्याप्त हो जो उसके विरुद्ध पारित की जाए उस समय जब उससे ऐसा करने की अपेक्षा की जाए इस न्यायालय में पेश करने और न्यायालय के व्ययनाधीन रखने के लिए................. रुपए की राशि की प्रतिभूति ता0 ....को या उसके पूर्व दे; या उपसंजात हो और इस बात क हेतुक दर्शित करे कि ऐसा प्रतिभूति क्यों नहीं देनी चाहिए । आपको यह आदेश भी दिया जाता है कि आप उक्त........................... को कुर्क कर लें और, जब तक न्यायालय का अगला आदेश न हो, उसे अपनी सुरक्षित अभिरक्षा में रखे और आपको यह समादेश भी दिया जाता है कि आप इस वारण्ट को वह दिन जिसको, और वह रीति जिससे, यह निष्पादित किया गया है या वह कारण, जससे यह निष्पादित नहीं किया गया, प्रमाणित करने वाले पृष्ठांकन के सहित ता0 .... को या उसके पूर्व लौटा दें ।

यह आज ता0......................... को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया । न्यायाधीश

संख्यांक 6

सम्पत्ति पेश करने के लिए प्रतिभूति (आदेश 38 का नियम 5)

(शीर्षक)

उक्त वाद में वादी....................................की प्रेरणा पर इस न्यायालय ने प्रतिवादी...................... को यह निदेश दिया है कि वह इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति को न्यायालय के समक्ष पेश करने और न्यायालय के व्ययनाधीन रखने के लिए...........................रुपए की प्रतिभूति दे,

अत: मैं............... स्वेच्छया प्रतिभू बन गया हूं और इसके द्वारा अपने को तथा अपने वारिसों और निष्पादकों को उक्त, न्यायालय के प्रति आबद्ध करता हूं कि उक्त प्रतिवादी उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति को या उसके मूल्य को या उसके ऐसे भाग को, जो डिक्री की तुष्टि के लिए पर्याप्त हो, उस समय, जबकि उससे ऐसा करने की अपेक्षा की जाए, न्यायालय के समक्ष पेश करेगा और न्यायालय के व्ययनाधीन रखेगा, और प्रतिवादी के ऐसा करने में व्यतिक्रम करने पर उक्त न्यायालय को उस न्यायालय के आदेश पर...........................रुपए की उक्त राशि से अनधिक

राशि या उक्त राशि से अनधिक राशि या उक्त राशि से अनधिक ऐसी राशि, जो उक्त न्यायालय न्यायनिर्णीत करे, देने के लिए मैं अपने के तथा अपने वारिसों को निष्पादकों को आबद्ध करता हूं ।

अनुसूची

मैंने आज ता0 ....को.............................. में हस्ताक्षर किए ।

साक्षी

(हस्ताक्षरित)

1.

2.

संख्यांक 7

प्रतिभूति देने में असफलता साबित किए जाने पर निर्णय से पूर्व कुर्की

(आदेश 38 का नियम 6)

(शीर्षक)

प्रेषिती-

न्यायालय का बेलिफ ।

इस वाद में वादी.............................. .ने इस न्यायालय से आवेदन किया है कि वह प्रतिवादी......................... से अपेक्षा करे कि प्रतिवादी ऐसी किसी डिक्री की तुष्टि के लिए प्रतिभूति दे जो इस वाद में उसके विरुद्ध पारित की जाए और न्यायालय ने ऐसी प्रतिभूति देने के लिए उक्त................ से अपेक्षा की जिसे देने में वह असफल रहा है;

अत: आपको यह समादेश दिया जाता है कि आप उक्त............................. की सम्पत्ति.........................को कुर्क कर लें और जब तक न्यायालय का अगला आदेश न हो उसे सुरक्षित अभिरक्षा में रखे । आपको यह समादेश भी दिया जाता है कि आप इस वारण्ट को, वह तारीख जिसको, और वह रीति जिससे इसका निष्पादन किया गया है या वह कारण, जिससे इसका निष्पादन नहीं किया गया, प्रमाणित करने वाले पृष्ठांकन के सहित ता0 ....को या उसके पूर्व लौटा दें ।

यह आज ता0 ....को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया |

न्यायाधीश

संख्यांक 8

अस्थायी व्यादेश (आदेश 39 का नियम 1)

(शीर्षक)

वादी **क ख** के प्लीडर या (काउन्सेल) ....द्वारा इस न्यायालय से प्रस्ताव किए जाने पर और उक्त वाद के इस मामले में (आज) फाइल की गई अर्जी को (या इस वाद में ता0 ....को फाइल किए गए वादपत्र को या उक्त वादी के ता0 ....को फाइल किए गए लिखित कथन को) पढने के पश्चात् और उसके समर्थन में........................के

और...................... के साक्ष्य को सुनने के पश्चात् (यदि सूचना के पश्चात् प्रतिवादी उपसंजात न हुआ हो तो यह भी लिखिए, और इस आवेदन की सूचना की तामील प्रतिवादी **ग घ** पर होने के बारे में..................................के साक्ष्य को भी सुनने के पश्चात् यह न्यायालय आदेश देता है कि वादी के उक्त वाद में वादपत्र में वर्णित (या वादी के लिखित कथन या अर्जी में और इस आवेदन की सुनवाई पर साक्ष्य में वर्णित ताल्लुका में हिंदूपुर के गांधी मार्ग के संख्यांक....................... .वाले गृह को गिराने या गिरा देने से और जिस सामग्री से उक्त गृह बना हुआ है उसको बेचने से तब तक के लिए, जब तक इस वाद की सुनवाई न हो जाए या जब तक न्यायालय का अगला आदेश न हो, प्रतिवादी **ग घ** को तथा उसके सेवकों, अभिकर्ताओं और कर्मकारों को अवरूद्ध करने के लिए व्यादेश मंजूर किया जाए ।

ता0.................................

न्यायाधीश

[जहां वचन-पत्र या विनिमयपत्र के परक्रामण को अवरूद्ध करने के लिए व्यादेश चाहा गया है वहां आदेश के आदेशक भाग का रुप इस प्रकार हो सकता है-]

वादी के वादपत्र (या अर्जी) में और इस प्रस्ताव की सुनवाई में दिए गए साक्ष्य में वर्णित................ के या लगभग की तारीख के प्रश्नास्पद वचनपत्र (या विनिमयपत्र को अपनी या अपने में से किसी की अभिरक्षा से बिलग करने से या पृष्ठांकित करने या समनुदिष्ट करने या परक्रामण करने से तब तक के लिए जब तक इस वाद की सुनवाई न हो जाए या जब तक न्यायालय का अगला आदेश न हो, प्रतिवादियों और................. इत्यादि को अवरुद्ध करने के लिए ।

(प्रतिलिप्यधिकार के मामलों में)

..................................नामक पुस्तक को या उसके किसी भाग को मुद्रित करने, प्रकाशित करने या बेचने से तब तक के लिए, जब तक..............................प्रतिवादी ग घ को तथा उसके सेवकों, अभिकर्ताओं या कर्मकारों को अवरुद्ध करने के लिए, इत्यादि ।

(जहां किसी पुस्तक के भाग मात्र के विषय में अवरूद्ध करना है) वादपत्र में (या अर्जी और साक्ष्य इत्यादि में) जिस पुस्तक के बारे में यह वर्णित है कि वह प्रतिवादी द्वारा प्रकाशित की गई है उस पुस्तक के इसमें आगे विनिर्दिष्ट ऐसे भागों को, अर्थात उक्त पुस्तक के उस भाग को जिसका शीर्षक.................है और उस भाग को भी जिसका शीर्षक............................है (या जो पृष्ठ...................... से पृष्ठ,.......... ......तक में, जिसके अन्तर्गत ये दोनों पृष्ठ भी आते हैं, अन्तर्विष्ट है) मुद्रित करने प्रकाशित करने, बेचने या अन्यथा व्ययनित करने से तब तक के लिए, जब तक.............. .इत्यादि प्रतिवादी **ग घ** को तथा उसके सेवकों, अभिकर्ताओं या कर्मकारों को अवरुद्ध करने के लिए ।

(पेटेण्ट के मामलों में)

वादी के वादपत्र (या अर्जी, इत्यादि या लिखित कथन, इत्यादि) में वर्णित और वादियों के या उनमें से किसी के उद्भावनों के सिद्धान्त पर कोई छिद्रित ईंटे (या यथास्थिति वादी के वादपत्र (या यथास्थिति) में वर्णित पेटेन्ट की क्रमिक अवधियों के अवशिष्ट काल के दौरान बनाने या बेचने से और उन उद्भावनों का या उनमें से किसी का भी कूटकरण, नकल या सादृष्टयता करने से या उनमें कुछ बढाने से या उनमें से कोई कमी करने से तब तक के लिए, जब तक सुनवाई न हो जाए,

इत्यादि प्रतिवादी **ग घ** को तथा उसके अभिकर्ताओं, सेवकों और कर्मकारों को अवरूद्ध करने के लिए, इत्यादि ।

(व्यापार चिहों के मामलों में)

कोई संरचना या स्याही (या यथास्थिति ऐसी बोतलों में जिन पर वादी के वादपत्र (या अर्जी, इत्यादि) में वर्णित जैसे लेबिल या अन्य ऐसे लेबिल लगे हुए हैं जो मिलती जुलती नकल के कारण या अन्यथा इस रूप में बने हैं, या ऐसे अभिव्यंजनापूर्ण हैं कि उनसे यह व्यपदिष्ट होता है कि प्रतिवादी द्वारा बेची जाने वाली संरचना या स्याही वही संरचना या स्याही (या यथास्थिति है जिसके बारे में यह वर्णित है या तात्पर्यित है कि वह वादी क ख द्वारा निर्मित स्याही है, बेचने से या विक्रय के लिए अभिदर्शित करने से या बेचने के लिए उपाप्त करने से और ऐसे व्यापार-कार्डों का उपयोग करने से, जो ऐसेबनाए गए हैं या ऐसी अभिव्यंजनापूर्ण है कि उनसे यह व्यपदिष्ट होता है कि प्रतिवादी द्वारा बेची जाने वाली या बेचे जाने के लिए प्रस्थापित कोई संरचना या स्याही वही संरचना या स्याही है जो वादी **क ख** द्वारा विनिर्मित की या बेची जाती है तब तक के लिए, जब तक कि................. .इत्यादि, प्रतिवादी **ग घ** को, उसके सेवकों, या अभिकर्ताओं या कर्मकारों को अवरुद्ध करने के लिए ।

(कारबार में किसी प्रकार से हस्तक्षेप करने से भागीदार को अवरूद्ध करने के लिए)

ख और घ की भागीदारी फर्म के नाम में कोई ऐसी संविदा करने से और कोई विनिमयपत्र, वचनपत्र या लिखित प्रतिभूति प्रतिगृहित करने, लिखने, पृष्ठांकित करने या, परक्रामित करने से और उक्त ख और घ की भागदारी फर्म के नाम में या प्रत्यय पर ऐसे कोई ऋण लेने से, कोई माल खरीदने और बेचने से और कोई मौखिक या लिखित वचन, करार या वचनबंध करने से और कोई ऐसा कार्य करने या कराने से, जिससे उक्त भागीदारी फर्म किसी रीति से किसी धन राशि के संदाय के लिए या किसी संविदा, वचन या वचनबंध या पालन प्रतिवादी **ग घ** को तथा उसके अधिकर्ताओं और सेवकों को अवरूद्ध करने के लिए, इत्यादि ।

संख्यांक [1][91]

रिसीवर की नियुक्ति (आदेश 40 का नियम 1)

(शीर्षक)

प्रेषिती...

उक्त वाद में ता0 ....को........................... के पक्ष में पारित डिक्री के निष्पादन में...................................... कुर्क कर ली गई है, अत: इस बात के अधीन रहते हुए कि आप न्यायालय को समाधानप्रद रुप में प्रतिभूति दे दें) आपको उक्त सम्पत्ति का रिसीवर, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 40 के उपबन्धों के अधीन की सब शक्तियों सहित उक्त आदेश के अधीन नियुक्त किया जाता है ।

आप से अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त सम्पत्ति की बाबत अपनी सब प्राप्तियों और व्ययों का सम्यक और उचित लेखा ता0..................................... को दे दें । इस नियुक्ति के प्राधिकार के अधीन अपनी प्राप्तियों पर आप......................... प्रतिशत की दर से पारिश्रमिक पाने के हकदार होंगे ।

यह आज ता0 ....को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया

न्यायाधीश

संख्यांक [2][10]

रिसीवर द्वारा दिया जाने वाला बन्धपत्र (आदेश 40 का नियम 3)

(शीर्षक)

यह सब को ज्ञात हो कि हम......................... और................ और .... के न्यायालय के....................... .को या उसके तत्समय पद उत्तरवर्ती को.................... रुपए देने के लिए उक्त................. के प्रति संयुक्ततः और पृथकतः आबद्ध हैं । इसका पूर्ण संदाय करने के लिए हम इस विलेख द्वारा अपने को और अपने में से हर एक को और अपने में से हर एक के बारिसों, निष्पादकों और प्रशासकों को संयुक्ततः और पृथकतः आबद्ध करते हैं ।

ता0 ....

.... ने...................................के विरुद्ध न्यायालय में.. (यहां वाद का उद्देश्य लिखिए) के प्रयोजनार्थ वादपत्र फाइल किया है;

उक्त न्यायालय के आदेश द्वारा उक्त.............................. को वादपत्र में नामित............ की स्थावर सम्पत्ति के भाटक और लाभ प्राप्त करने के लिए और उसकी परादेश जंगम सम्पत्ति ले लेने के लिए नियुक्त किया गया है;

इस बाध्यता की शर्त यह है कि यदि उक्त रुप में आबद्ध व्यक्ति......................... उस सब धनराशि और उन सब धनराशियों में से हर एक का सम्यक रुप से लेखा, जो वह उक्त....................................की स्थावर सम्पत्ति के भाटकों और लाभों की बाबत और उसकी जंगम सम्पत्ति की बाबत प्राप्त करे ऐसी अवधियों में जो न्यायालय द्वारा नियक्त की जाएं, दे देगा और वे बाकी रकमें जिनके बारे में समय-समय पर प्रमाणित किया जाए कि वे उसके द्वारा शोध्य हैं, ऐसे दे दें जैसे उक्त न्यायालय ने निदिष्ट किया है या उक्त न्यायालय इसके पश्चात् निदिष्ट करे तो यह बाध्यता शून्य होगी अन्यथा यह पूर्णतः प्रवृत रहेगी ।

उक्त रुप में आबद्ध व्यक्ति ने इस पर.............................. की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए और परिदान किया ।

1. प्ररुप का संख्याक, जो मूल रूप से गलत छप गया था और 6 था, 1914 के अधिनियम सं. 10 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा ठीक कर दिया गया था ।
2. प्ररुप का सख्यांक जो मूल रूप से गलत छप गया था और 7 था, 1914 के अधिनियम सं. 10 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा ठीक कर दिया गया था ।

परिशिष्ट छ

अपील, निर्देश और पुनर्विलोकन

संख्यांक 1

अपील का ज्ञापन (आदेश 41 का नियम 1)

(शीर्षक)

उक्त.............................. के............................ संख्यांक वाले वाद में ता0 ....की..............................की डिक्री के अपील... में के.................................. न्यायालय में करता है और जिस डिक्री की अपील की जा रही है उसके विरुद्ध आक्षेप के निम्नलिखित आधार उपवर्णित करता है, अर्थात् हैं:-

संख्यांक 2

डिक्री का निष्पादन रोकने का आदेश किए जाने पर दिया जाने वाला प्रतिभूति-बन्धपत्र (आदेश 41 का नियम 5)

(शीर्षक)

प्रेषिती-

....

डिक्री का निष्पादन रोक दिए जाने पर....................... द्वारा निष्पादित यह प्रतिभूति-बन्धपत्र निम्नलिखित का साक्ष्य है :----

....द्वारा, जो....................के संख्यांक वाले वाद में वादी है, प्रतिवादी...............................पर इस न्यायालय में वाद चलाए जाने पर और ता0 .... को वादी के पक्ष में डिक्री पारित की जाने पर और उक्त डिक्री की अपील...........................न्यायालय में प्रतिवादी द्वारा की जाने पर, उक्त अपील अब तक लंबित है |

अब वादी डिक्रीदार ने डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन किया है और प्रतिवादी ने निष्पादन रोकने की प्रार्थना करने वाला आवेदन दिया है और उसके प्रतिभूति देने के अपेक्षा की गई है । तदनुसार मैं अपनी स्वतंत्र इच्छा से.............................. रुपए की प्रतिभूति देता हूँ और उसके लिए इसके साथ उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पतियों को बंधक करता हूँ और यह प्रसंविदा करता हूँ कि यदि अपील न्यायालय द्वारा प्रथम न्यायालय की डिक्री पुष्ट कर दी जाती है या उसमें फेरफार कर दिया जाता है तो उक्त प्रतिवादी अपील न्यायालय की डिक्री के अनुसार सम्यक रूप से कार्य करेगा, और जो कुछ उसके अधीन उसके द्वारा संदेय होगा वह उसका संदाय करेगा और यदि वह ऐसा करने में असफल रहेगा तो ऐसे संदाय की कोई भी रकम इसके द्वारा बंधक की गई सम्पत्ति से वसूल कर ली जाएगी, और यदि उक्त सम्पत्तियों के विक्रय के आगम शोध्य रकम के संदाय के लिए अपर्याप्त हों तो मैं और मेरे विधिक प्रतिनिधि बाकी रकम देने के लिए वैयक्तिक रुप से दायी होंगे । इस आशय का यह प्रतिभूति-बंधपत्र में आज तारीख...........................को निष्पादित करता हूँ ।

अनुसूची

(हस्ताक्षरित)

साक्षी-

1.

2.

संख्यांक 3

अपील लम्बित रहने के दौरान दिया जाने वाला प्रतिभूति-बन्धपत्र

(आदेश 41 का नियम 6)

(शीर्षक)

प्रेषिती-

....

डिक्री का निष्पादन रोक दिए जाने पर............................... द्वारा निष्पादित यह प्रतिभूति-बन्धपत्र निम्नलिखित का साक्ष्य है-

............................द्वारा, जो 19...............................के संख्यांक वाले वाद में वादी है, प्रतिवादी..............................पर इस न्यायालय में वाद चलाए जाने पर और ता0 .... को वादी के पक्ष में डिक्री पारित की जाने पर और उक्त डिक्री की अपील...........................न्यायालय में प्रतिवादी द्वारा की जाने पर उक्त अपील अब तक लम्बित है ।

अब वादी डिक्रीदार ने उक्त डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन किया है और उससे प्रतिभूति देने की अपेक्षा की है । तदनुसार मैं अपनी स्वतन्त्र इच्छा से............................. रुपए तक की प्रतिभूति देता हूं और उसके लिए इसके साथ उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्तियों को बन्धक करता हूं और यह प्रसंविदा करता हूं कि यदि प्रथम न्यायालय की डिक्री अपील न्यायालय द्वारा उलट दी जाती है या उसमें फेरफार कर दिया जाता है तो वादी उस सम्पत्ति का प्रत्यावर्तन कर देगा जो उक्त डिक्री के निष्पादन में ली जाए या ले ली गई है और वह अपील न्यायालय की डिक्री के अनुसार सम्यक रुप से कार्य करेगा और जो कुछ उसके अधीन उसके द्वारा संदेय होगा वह उसका संदाय करेगा और यदि वे ऐसा करने में असफल रहेगा तो ऐसे संदाय की कोई भी रकम इसके द्वारा बन्धक की गई सम्पत्तियों से वसूल कर ली जाएगी और यदि उक्त सम्पत्तियों के विक्रय के आगम शोध्य रकम के संदाय के लिए अपर्याप्त हो तो मैं और मेरे विधिक प्रतिनिधि बाकी रकम देने के लिए वैयक्तिक रुप से दायी होंगे । इस आशय का यह प्रतिभूति बन्ध-पत्र मैं आज ता0 ....को निष्पादित करता हूं ।

अनुसूची

साक्षी

(हस्ताक्षरित)

1.

2.

संख्यांक 4

अपील के खर्चों के लिए प्रतिभूति (आदेश 41 का नियम 10)

(शीर्षक)

प्रेषिती-

अपील के खर्चों के लिए.................................. द्वारा निष्पादित यह प्रतिभूति-बन्धपत्र निम्नलिखित का साक्ष्य है :-

अपीलार्थी ने 19...................के............... संख्याक वाले वाद की डिक्री की अपील प्रत्यर्थी के विरुद्ध की है और अपीलार्थी से प्रतिभूति देने की अपेक्षा की गई है । तदनुसार मैं अपनी स्वतंत्र इच्छा से अपील के खर्चों के लिए प्रतिभूति देता हूं और उसके लिए इसके साथ उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्तियों को बन्धक करता हूं । मैं उक्त सम्पत्तियों को या उसके किसी भी भाग को अन्तरित नहीं करूंगा और अपीलार्थी की ओर रो कोई व्यतिक्रम किए जाने की दशा में ऐसे किसी भी आदेश का सम्यक रुप से पालन करूंगा जो अपील के खर्चों के संदाय की बाबत मेरे विरुद्ध दिया जाए । ऐसे संदाय की कोई रकम इसके द्वारा बन्धक की गई सम्पत्तियों से वसूल कर ली जाएगी और यदि उक्त सम्पत्ति के विक्रय के आगम शोध्य रकम के सदाय के लिए अपर्याप्त हों तो मैं और मेरे विधिक प्रतिनिध बाकी की रकम देने के लिए वैयक्तिक रुप से दायी होंगे । इस आशय का यह प्रतिभूति बन्धपत्र मैं आज ता0 .... को निष्पादित करता हूं ।

अनुसूची

साक्षी

(हस्ताक्षरित)

संख्यांक 5

अपील ग्रहण की जाने की निचले न्यायालय को प्रज्ञापना (आदेश 41 का नियम 13)

(शीर्षक)

प्रेषित

आपको निदेश दिया जाता है कि आप यह सूचना लें कि उक्त वाद में.................. श्री .... .ने उस डिक्री को जो आपने उस वाद में ता0 .... को पारित की थी, अपील इस न्यायालय में की है ।

आपसे प्रार्थना है कि आप समस्त साक्ष्य शीघ्रता से वाद के सब तात्विक कागज भेज दें ।

न्यायाधीश

संख्यांक 6

अपील की सुनवाई के लिए नियत दिन की प्रत्यर्थी को सूचना

(आदेश 41 के नियम 14)

(शीर्षक)

...................................के न्यायालय की

तारीख...को................ की अपील ।

प्रेषित -

.............................प्रत्यर्थी

आपको सूचना दी जाती है कि इस मामले में............................. की डिक्री की अपील............................. .द्वारा उपस्थापित की गई है और इस न्यायालय में रजिस्टर कर ली गई है और इस अपील की सुनवाई के लिए इस न्यायालय द्वारा ता0 ....नियत की गई है ।

यदि इस अपील में आपकी ओर से आप स्वयं या आपके प्लीडर या आपके लिए कार्य करने के लिए विधिना प्राधिकृत कोई व्यक्ति उपसंजात नहीं होगा तो यह आपकी अनुपस्थिति में सुनी और विनिश्चित की जाएगी ।

यह आज ता0 .... को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई ।

न्यायाधीश

संख्यांक 7

वाद के उस पक्षकार की सूचना जो अपील में पक्षकार नहीं बनाया गया है किन्तु न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी के रुप में संयोजित कर लिया गया है

(आदेश 41 का नियम 20)

(शीर्षक)

प्रेषिती-

आप......................... के न्यायालय में....................... के....................... संख्यांक वाले वाद में पक्षकार थे और............................. ने उक्त वाद में अपने विरुद्ध पारित डिक्री की अपील इस न्यायालय में की है और इस न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि आप उक्त अपील के परिणाम में हितबद्ध हैं

अत: आपको सूचना दी जाती है कि उक्त अपील में आपके प्रत्यर्थी बनाए जाने के लिए इस न्यायालय ने निदेश दिया है और इस अपील की सुनवाई ता0 ....को..................... बजे पूर्वाह्न के लिए स्थगित कर दी है । यदि उक्त दिन और उक्त समय आपकी ओर से उपसंजाति नहीं हुई तो अपील आपकी अनुपस्थिति में सुनी और विनिश्चित् की जाएगी ।

यह आज ता0 .... को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई ।

न्यायाधीश

संख्यांक 8

प्रत्यमक्षेप का ज्ञापन (आदेश 41 का नियम 22)

(शीर्षक)

.............................ने 19..................... के......................... संख्यांक वाले वाद में................ .की ता0.......................... की डिक्री की अपील............................ में के........................... न्यायालय में की है और अपील की सुनवाई के लिए नियत दिन की सूचना की

तामील............................ .पर ता0 .... को हो गई थी, अत :........................... सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 41 के नियम 22 के अधीन प्रत्याक्षेप का यह ज्ञापन फाइल करता है और उस डिक्री पर, जिसकी अपील की गई है आक्षेप के निन्मलिखित आधार उपवर्णित करता है अर्थात् है---

संख्यांक 9

अपील में डिक्री (आदेश41 का नियम 35)

(शीर्षक)

ता0 ....की..................... न्यायालय की डिक्री की अपील संख्यांक....................... 19..................................

अपील का ज्ञापन

वादी...........................

प्रतिवादी......................

उक्त.......................... उपर्युक्त वाद में...की ता0 ....की डिक्री की अपील................ न्यायालय में निम्नलिखित कारणों से करता है अर्थात् हैं---

यह अपील तारीख................................ को अपीलार्थी की ओर से...................... की और प्रत्यर्थी की ओर से.......................... की उपस्थिति में............................... के समक्ष सुनवाई के लिए आने पर यह आदेश दिया जाता है

कि ....

इस अपील के खर्चे, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है और जिनकी रकम........................ रुपए हैं .... द्वारा दिए जाने हैं । मूल वाद के खर्चे...................... द्वारा दिए जाने है ।

यह आज ता0 .... को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई ।

न्यायाधीश

अपील के खर्चे

अपीलार्थी	रकम			प्रत्यर्थी	रकम		
	रु.	आ.	पा.		रु.	आ.	पा.
1. अपील के ज्ञापन के लिए स्टाम्प 2. शक्तिपत्र के लिए स्टाम्प 3. आदेशिकाओं की तामील 4. .... रुपए पर प्लीडर की फीस				शक्तिपत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प आदेशिकाओं की तामील .... रुपए पर प्लीडर की फीस			
जोड़				जोड़			

संख्यांक 10

अकिंचन के रुप में अपील करने के लिए आवेदन (आदेश 44 का नियम 1)

(शीर्षक)

मैं उक्त..उक्त वाद की डिक्री की अपील का संलग्र ज्ञापन उपस्थापित करता हूं और आवेदन करता हूं कि मुझे अकिंचन के रुप में अपील करने की अनुज्ञा दी जाए । इसके साथ मेरी सब जंगम और स्थावर सम्पत्ति की पूरी और ठीक अनुसूची उस सम्पत्ति के प्राक्कलित मूल्य के सहित उपाबद्ध है ।

ता0 ....

(हस्ताक्षरित)

संख्यांक 11

अकिंचन के रुप में की गई अपील की सूचना (आदेश 44 के नियम 1)

(शीर्षक)

उक्त................................. .ने उक्त वाद में ता0 ....की डिक्री की अपील अकिंचन के रुप मे करने की अनुज्ञा दी जाने के लिए आवेदन किया है, और आवेदन की सुनवाई के लिए ता0 .... नियत की गई है, अत: आपको सूचना दी जाती है यदि आप इस बात का हेतुक दर्शित करना चाहते हैं कि आवेदन को अकिंचन के रुप में अपील करने की अनुज्ञा न दी जाए तो ऐसा करने का अवसर आपको पूर्वाक्त तारीख को दिया जाएगा ।

यह आज ता0 .... को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई ।

न्यायाधीश

संख्यांक 12

इस बात का हेतुक दर्शित करने के लिए सूचना कि [1][उच्चतम न्यायालय] में अपील करने के लिए प्रमाणपत्र क्यों न अनुदत्त किया जाए (आदेश 45 का नियम 3)

(शीर्षक)

प्रेषिती-

....

[2][आपको यह सूचना दी जाती है कि....................................ने इस न्यायालय में इस प्रमाणपत्र के लिए आवेदन किया है कि---

(i) इस मामले में सार्वजनिक महत्व का सारवान् विधि-प्रश्न जुडा हुआ है; और

(ii) इस न्यायालय की राय में यह आवश्यक है कि इस प्रश्न का विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाए ।]

यह दर्शित करने के लिए कि न्यायालय वह प्रमाणपत्र क्यों न दे जो मांगा गया है, आप के लिए ता0 .... .नियत की गई है ।

यह आज ता0 ....को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई ।

रजिस्ट्रार

संख्यांक 13

[3][उच्चतम न्यायालय में की गई अपील ग्रहण की जाने की प्रत्यर्थी को सूचना

(आदेश 48 का नियम 8)

(शीर्षक)

प्रेषिती-

उक्त मामले में............................ ने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 45 के नियम 7 द्वारा अपेक्षित प्रतिभूति दे दी है और निक्षेप कर दिया है;

अत: आपको यह सूचना दी जाती है कि [4][उच्चतम न्यायालय में] उक्त............... की अपील ता0 ....को ग्रहण कर ली गई है ।

यह आज ता0 ....को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई ।

रजिस्ट्रार

1. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "किंग इन काउंसिल" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।
2. 1973 के अधिनियम सं. 49 की धारा 4 द्वारा पूर्ववर्ती पैरा के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।
3. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "किंग इन काउंसिल" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।
4. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "हिज मैजेस्टी इन काउसिल" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।

संख्यांक 14

इस बात का हेतुक दर्शित करने के लिए सूचना कि पुनर्विलोकन क्यों न मंजूर किया जाए (आदेश 47 का नियम 4)

(शीर्षक)

प्रेषिती-

आपको सूचना दी जाती है कि.......................... .ने उक्त मामले में ता0........................को पारित इस न्यायालय की डिक्री के पुनर्विलोकन के लिए इस न्यायालय में आवेदन किया है । इस बात का हेतुक दर्शित करने के लिए कि इस मामले में अपनी डिक्री का पुनर्विलोकन न्यायालय क्यों न मंजूर करे आपके लिए ता0 ....नियत कर दी गई है ।

यह आज ता0 ....को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई ।

न्यायाधीश

परिशिष्ट ज

प्रकीर्ण

संख्यांक 1

विचारण किए जाने वाले विवाद्यकों की बाबत पक्षकारों का करार
(आदेश 14 का नियम 8)
(शीर्षक)

हम, जो उक्त वाद में पक्षकार हैं, अपने बीच विनिश्चित किए जाने वाले तथ्य के (या विधि के) प्रश्न की बाबत सहमत हैं और हमारे बीच विवादास्पद प्रश्न यह है कि ता0...........................के और उक्त वाद में प्रदर्श............... .के रुप में फाइल किए गए बन्धपत्र पर आधारित दावा परिसीमा कानून के परे है या नहीं है **(या जो भी प्रश्न विवादास्पद हो वह यहां लिखिए)**

अत: हम अपने को पृथकत: आबद्ध करते हैं कि इस विवाद्यक पर न्यायालय के नकारात्मक (या सकारात्मक) निष्कर्ष पर..................उक्त.......................को................ रुपए की राशि (या ऐसी राशि जैसी न्यायालय शोध्य ठहराए) स्वीकार करूंगा (या ऐसे निष्कर्ष पर मैं उक्त.................... करुंगा या करने से प्रविरत रहूंगा, इत्यादि, इत्यादि) ।

वादी

प्रतिवादी

साक्षी-

1.

2.

ता0.................................

संख्यांक 2

विचारण के लिए वाद का अन्तकरण दूसरे न्यायालय को कराने के लिए आवेदन की सूचना (धारा 24) के

.................................के जिला न्यायाधीश के न्यायालय में 19............................. का संख्यांक........................... ।

प्रेषिती-

.................................के...............................न्यायालय में अब लम्बित 19................................. के........................... ....संख्यांक वाले वाद में, जिसमें, वादी है और.............................. प्रतिवादी है ....ने विचारण के लिए वाद का अन्तरण.............................. .के.. न्यायालय को करने के लिए

ता0 ....का आवेदन इस न्यायालय में दिया है;

अत: आपको इत्तिला दी जाती है कि आवेदन की सुनवाई के लिए ता0 .... नियत की गई है और यदि आप उसके विरुद्ध कोई आक्षेप करना चाहते हैं तो उस दिन आपकी सुनवाई की जाएगी । यह आज ता0 ....को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई ।

न्यायाधीश

[1][संख्यांक 2क

वादी/प्रतिवादी द्वारा आहूत किए जाने के लिए प्रस्थापित साक्षियों की सूची

(आदेश 16 का नियम 1)

उस पक्षकार का नाम जो साक्षी को आहूत करने की प्रस्थापना करता है ।	साक्षी का नाम और पता	टिप्पणी]

संख्यांक 3

न्यायालय में जमा कर दिए जाने की सूचना (आदेश 24 का नियम 2)

(शीर्षक)

आपको यह सूचना दी जाती है कि प्रतिवादी ने......................................रुपए न्यायालय में जमा कर दिए हैं और वह कहता है कि वादी के दावे के पूर्ण संदाय के लिए यह राशि पर्याप्त है ।

वादी के प्लीडर य को ।

भ म, प्रतिवादी का प्लीडर

संख्यांक 4

हेतुक दर्शित करने के लिए सूचना (साधारण प्ररुप)

(शीर्षक)

प्रेषिती-

उक्त...................................ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है कि ....

अत: आपको चेतावनी दी जाती है कि आप उस आवेदन के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने के लिए ता0.................................. को............................पूर्वाह्न में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक् रुप से अनुदेश दिया गया हो, उपसंजात हो । यदि आप ऐसा करने में असफल रहेंगे तो उक्त आवेदन की सुनवाई और उसका निपटारा एकपक्षीय रुप से किया जाएगा ।

यह आज ता0 ....को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई ।

न्यायाधीश

1. 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 96 द्वारा (1-2-1977 से) अन्तःस्थापित किया गया ।

संख्यांक 5

वादी/ प्रतिवादी द्वारा पेश की गई दस्तावेजों की सूची (आदेश 13 नियम 1 प्रतिवादी)

(शीर्षक)

संख्यांक	दस्तावेज का वर्णन	यदि दस्तावेज पर कोई तारीख पड़ी है तो वह तारीख	पक्षकार या प्लीडर के हस्ताक्षर
1	**2**	**3**	**4**

संख्यांक 6

जो साक्षी अधिकारिता से बाहर जाने ही वाला है उसकी परीक्षा करने के लिए नियत दिन की पक्षकारों को सूचना (आदेश 18 का नियम 16)

(शीर्षक)

प्रेषिती-

.... **वादी (या प्रतिवादी)**

....ने उक्त वाद में न्यायालय से आवेदन किया है कि उक्त.......................... द्वारा अपेक्षित साक्षी...........................की परीक्षा तुरन्त कर ली जाए और न्यायालय को सामाधानप्रद रुप में यह बात दर्शित कर दी गई है कि उक्त साक्षी न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर बाहर जाने ही वाला है (या कोई अन्य अच्छा और पर्याप्त हेतुक लिखिए);

अत: आपको सूचना दी जाती है कि उक्त साक्षी...................की इस न्यायालय में परीक्षा ता0.................... को की जाएगी ।

ता0 ....

न्यायाधीश

संख्यांक 7

अनुपस्थित साक्षी की परीक्षा करने के लिए कमीशन

(आदेश 26 के नियम 4 और 18)

(शीर्षक)

प्रेषिती-

...................................का साक्ष्य को उक्त वाद में........................ द्वारा अपेक्षित है, और........ अत: आपसे निवेदन है कि आप या तो परिप्रश्नों द्वारा (या मौखिक रुप से) उस साक्षी............ का साक्ष्य ले लें और इस प्रयोजन के लिए आपको कमिश्नर नियुक्त किया जाता है । यदि पक्षकार या उनके अभिकर्ता हाजिर हों तो उनकी उपस्थिति में साक्ष्य लिया जाएगा और विनिर्दिष्ट बातों के बारे में साक्षी में प्रश्न पूछने की उन्हें स्वंतत्रता होगी, और आपसे यह भी निवेदन है कि आप ऐसा साक्ष्य उसके लिए जाने के पश्चात् तुरन्त यहां भेज दें ।

साक्षी की हाजिरी विवश कराने के लिए आदेशिका आपके आवेदन पर अधिकारिता रखने वाले किसी न्यायालय द्वारा निकाली जाएगी ।

ऊपर वर्णित के लिए आपकी फीस की बाबत......................रुपए की राशि इसके साथ भेजी जाती है

यह आज ता0 ....को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया ।

न्यायाधीश

संख्यांक 8

अनुरोध पत्र (आदेश 26 का नियम 5)

(शीर्षक)

(शीर्षक दें:--- इत्यादि, इत्यादि, के अध्यक्ष और न्यायाधीशों को, या यथास्थिति)

.... में एक वाद, जिसमें **क ख** वादी हैं और **ग घ** प्रतिवादी हैं, इस समय लम्बित है और उक्त वाद में वादी दावा करता है कि..........................

(दावे का सार)

और उक्त न्यायालय से यह व्यपदिष्ट किया गया है कि न्याय के प्रयोजनों के लिए और पक्षकारों के बीच विवादग्रस्त बातों के सम्यक अवधारण के लिए ऐसी बातों के बारे में शपथ पर साक्षी के रुप में निम्नलिखित व्यक्तियों की, अर्थात है---

..........................के **च छ**

......................के **ज झ** और

..................के **ट ठ**

की परीक्षा करना आवश्यक है और यह प्रतीत होता है कि ये साक्षी आपके माननीय न्यायालय के अधिकारिता के अन्दर निवास करते हैं ।

अत: उक्त न्यायालय के................................के रुप में मुझे............................. को अनुरोध करना है और मैं इसके द्वारा यह अनुरोध करता हूं कि पूर्वोक्त कारणों से और उक्त न्यायालय की सहायता के लिए आप उक्त.............................. के अध्यक्ष और न्यायाधीशों के रुप में या आप में से कोई एक या अधिक उक्त साक्षी को (और ऐसे अन्य साक्षियों को जिन्हें समन करने के लिए आप से उक्त वादी और प्रतिवादी के अभिकर्ता विनम्रता से लिखित प्रार्थना करें) अपने में से एक या अधिक के समक्ष या ऐसे अन्य व्यक्ति के समक्ष, जो आपके न्यायालय की प्रक्रिया के अनुसार साक्षियों की परीक्षा करने के लिए समक्ष हो, ऐसे समय और ऐसे स्थान में, जो आप नियुक्त करें, हाजिर होने के लिए समन करने की कृपा करें और इस अनुरोध-पत्र के साथ भेजे जा रहे परिप्रश्नों द्वारा (**या मौखिक रुप से**) वादी और प्रतिवादी के अभिकर्ताओं की, या उनमें से उनकी जो सम्यक सूचना दिए जाने पर ऐसी परीक्षा में उपस्थित हों, उपस्थिति में उक्त प्रश्नगत बातों के बारे में ऐसे साक्षियों की परीक्षा करवाए ।

आपसे यह भी अनुरोध है कि उक्त साक्षियों के उत्तरों को लेखबद्ध कराने की आप कृपा करें और ऐसी परीक्षा में पेश की गई सब पुस्तकों, चिट्ठियों, कागज-पत्रों और दस्तावेजों की पहचान के लिए उन्हें सम्यक् रुप से चिह्नित कराएं और ऐसी परीक्षा को अपने अधिकरण की मुद्रा द्वारा या ऐसी अन्य रीति से जो आपकी प्रक्रिया के अनुसार हो, अधिप्रमाणीकृत कराएं और अन्य साक्षियों की

परीक्षा करने के लिए ऐसी लिखित प्रार्थना के साथ, यदि कोई हो, उसे उक्त न्यायालय को लौटा दें ।

1. विधि अनूकूलन आदेश, 1950 द्वारा "विदेश कार्य के लिए हिज मैजेस्टी के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।

संख्यांक 9

स्थानीय अन्वेषण के लिए या लेखाओं की परीक्षा के लिए कमीशन

(आदेश 26 के नियम 6 और 11)

(शीर्षक)

प्रेषिती-

इस वाद के प्रयोजनों के लिए यह अपेक्षित समझा गया है कि..................के लिए कमीशन निकाला जाए; अत: आपको.......................के प्रयोजनों के लिए कमिश्नर नियुक्त किया जाता है ।

ऐसे किन्हीं साक्षियों को आपके समक्ष हाजिर करने के लिए या ऐसी किन्हीं दस्तावेजों क आपके समक्ष पेश कराने के लिए, जिनकी परीक्षा या जिनका निरीक्षण आप करना चाहें, आदेशिका, अधिकारिता रखने वाले किसी भी न्यायालय द्वारा आपके आवेदन पर निकाली जाएगी ।

उपर्युक्त के लिए आपकी फीस की बाबत.......................... रुपए की राशि इसके साथ भेजी जाती है ।

यह आज ता0 ....को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया ।

न्यायाधीश

संख्यांक 10

विभाजन करने के लिए कमीशन (आदेश 26 का नियम 11)

(शीर्षक)

प्रेषिती-

इस वाद की प्रयोजनों के लिए यह अपेक्षित समझा गया है कि इस न्यायालय की तारीख............. की डिक्री में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति का विभाजन या पृथक्करण उक्त डिक्री में घोषित अधिकारों के अनुसार करने के लिए कमीशन निकाला जाए; अत: उक्त प्रयोजन के लिए आपको कमिश्नर नियुक्त किया जाता है और आपको निदेश दिया जाता है कि आप ऐसी जांच के पश्चात् जैसी आवश्यक हो, उक्त सम्पत्ति को उक्त डिक्री में दर्ज अंशों में अपने सर्वोत्तम कौशल और निर्णय के अनुसार विभक्त कर दें, और विभिन्न पक्षकारों को ऐसे अंश आबंटित कर दें । अंशों के मूल्यों को समतुल्य करने के प्रयोजन से जो भी राशि किसी एक पक्षकार द्वारा किसी दूसरे पक्षकार को संदेय हो वह राशि अधिनिर्णीत करने के लिए आपको प्राधिकृत किया जाता है ।

ऐसे किसी साक्षी को आपके समक्ष हाजिर कराने के लिए या ऐसी किसी दस्तावेज को आपके समक्ष पेश कराने के लिए जिसकी परीक्षा या जिसका निरीक्षण आप करना चाहे, आदेशिका, अधिकारिता रखने वाले किसी भी न्यायालय द्वारा आपके आवेदन पर निकाली जाएगी ।

उपर्युक्त के लिए आपकी फीस की बाबत................................. रुपए की राशि इसके साथ भेजी जाती है ।

यह आज ता0 ....को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया ।

न्यायाधीश

[1][संख्यांक 11

प्रमाणपत्र प्राप्त नैसर्गिक या वास्तविक संरक्षक को सूचना

(आदेश 32 का नियम 3)

(शीर्षक)

प्रेषिती-

(प्रमाणपत्र प्राप्त, नैसर्गिक या वास्तविक संरक्षक)

उक्त वाद में वादी की ओर से[2] अवयस्क प्रतिवादी की ओर से[3] अवयस्क प्रतिवादी................. के लिए वादार्थ संरक्षक की नियुक्ति के लिए आवेदन किया गया है, अत: आपको (यहां न्यायालय द्वारा नियुक्त या घोषित संरक्षक या नैसर्गिक संरक्षक या जिस व्यक्ति की देख-रेख में अवयस्क है, उस व्यक्ति का नाम लिखिए) सूचना दी जाती है कि यदि आप न्यायालय के समक्ष मामले की सुनवाई के लिए नियम और उपाबद्ध समन में कथित दिन को या उसके पूर्व उपसंजात नहीं होते हैं और अवयस्क के लिए वादार्थ संरक्षक के रुप में कार्य करने के लिए अपनी सहमति अभिव्यक्त नहीं करते हैं तो न्यायालय किसी अन्य व्यक्ति को उक्त वाद के प्रयोजनों के लिए, अवयस्क के संरक्षक के रुप में कार्य करने के लिए नियुक्त करने के लिए अग्रसर होगा ।

यह आज ता0 ....को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई ।

न्यायाधीश

संख्यांक 11क

अवयस्क प्रवितादी को सूचना (आदेश 32 का नियम 3)

(शीर्षक)

प्रेषिती-

अवयस्क प्रतिवादी

उक्त वाद में वाद की ओर से, आप को अवयस्क प्रतिवादी के लिए...................... *की वादार्थ संरक्षक के रुप में नियुक्ति के लिए आवेदन उपस्थित किया गया है । अत: आपको सूचना दी जाती है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप इस आवेदन के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने के लिए इस न्यायालय में ता0..........................को.............................. बजे पूर्वाह्न में स्वयं उपसंजात हों । यदि आप ऐसा करने में असफल रहेंगे तो उक्त आवेदन की सुनवाई और उसका अवधारण एकपक्षीय रुप से किया जाएगा ।

यह आज ता0 ....को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई ।

न्यायाधीश]

*अनापेक्षित शब्द काट दिए जाएं ।

संख्यांक 12

अकिंचनता के साक्ष्य की सुनवाई के लिए नियत दिन की विरोधी पक्षकार को सूचना

(आदेश 33 का नियम 6)

(शीर्षक)

प्रेषिती-

.... ने इस न्यायालय से................................के विरुद्ध वाद सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 33 के अधीन अकिंचन के रुप में संस्थित करने की अनुज्ञा के लिए आवेदन किया है, और न्यायालय को इस आवेदन को नामंजूर करने का कोई कारण नहीं दिखाई देता है, और ऐसी किसी साक्ष्य को लेने के लिए, जो आवेदक अपनी अकिंचनता साबित करने के लिए दे और ऐसे किसी साक्ष्य को सुनने के लिए, जो उसको नासाबित करने के लिए दिया जाए ता0 .... नियत की गई अत: आपको आदेश 33 के नियम 6 के अधीन सूचना दी जाती है कि यदि आप आवेदक की अकिंचनता को, नासाबित करने के लिए कोई साक्ष्य पेश करना चाहें तो आप इस न्यायालय में उक्त ता0 ....को उपसंजात होकर ऐसा कर सकते हैं ।

यह आज ता0........................... को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई ।

न्यायाधीश

संख्यांक 13

प्रतिभू को डिक्री के अधीन उसके दायित्व की सूचना (धारा 145)

(शीर्षक)

प्रेषिती-

आप............................... किसी ऐसी डिक्री के पालन के लिए जो उक्त वाद में प्रतिवादी उक्त..................................... .के विरुद्ध पारित की जाए प्रतिभू के रुप में ता0 ....को दायी हुए थे, और........................के संदाय के लिए डिक्री उक्त प्रतिवादी के विरुद्ध ता0 ....को पारित की गई थी, तथा उक्त डिक्री को आपके विरुद्ध निष्पादित करने के लिए आवेदन किया गया है;

अत: आपको सूचना दी जाती है कि आपसे अपेक्षित है कि आप इस बात का हेतुक कि उक्त डिक्री आपके विरुद्ध निष्पादित क्यों न की जाए ता0 ....को या उसके पूर्व दर्शित करें और यदि विनिर्दिष्ट समय के अन्दर न्यायालय को समाधानप्रद रुप में पर्याप्त हेतुक दर्शित नहीं किया गया तो उक्त आवेदन के निबन्धनों के अनुसार निष्पादन के लिए आदेश तुरन्त निकाल दिया जाएगा ।

यह आज ता0 ....को मेरे हस्ताक्षर रो और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई ।

न्यायाधीश

संख्यांक 14

सिविल वादों का रजिस्टर

(आदेश 4 का नियम 2)

.............स्थित ....न्यायलय वर्ष 19.......... का सिविल वादों का रजिस्टर

		वादी			प्रतिवादी			दावा			उपसंजाति			निर्णय			अपील			निष्पादन				निष्पादन की विवरणी		
वाद पत्र उपस्थापित करने की रीति	वाद संख्यांक	नाम	वर्णन	निवास-स्थान	नाम	वर्णन	निवास-स्थान	विशिष्टियां	रकम का मूल्य	वाद हेतुक कब प्रोदभूत हुए	पक्षकारों के उपसंजात होने का दिन	वादी	प्रतिवादी	तारीख	किसके पक्ष में दिया गया	किस बात के लिए या किस रकम के लिए ये दिया गया	अपील विनिश्चय की तारीख	अपील का निर्णय	आवेदन कीतारीख	आदेश की तारीख	किसके विरुद्ध	किस बात के लिये या यदि धन के लिए है तो किस रकम के लिये	खर्चों की रकम	न्यायालय में जाम की गई रकम	गिरफ्तार किया गया	संदाय या गिरफ्तारी से भिन्न विवरणी के वृत्त और हर एक विवरणी की तारीख

संख्यांक 15

अपीलों का रजिस्टर

(आदेश 41 का नियम 9)

.... स्थित न्यायलय (या उच्च न्यायालय) वर्ष 19........ डिक्रियों की अपीलों का रजिस्टर

		अपीलार्थी			प्रत्यर्थी			डिक्री जिसकी अपील की गई है				**उपसंजाति**			**निर्णय**		
ज्ञपन की तारीख	अपील का संख्यांक	नाम	वर्णन	निवास-स्थान	नाम	वर्णन	निवास-स्थान	किस न्यायालय की है	मूल वाद का संख्यांक	विशिष्टियां	रकम का मूल्य	पक्षकारों के उपसंजात होने का दिन	अपीलार्थी	प्रत्यर्थी	तारीख	पुष्ट किया गया,उलट दिया गया या उसमें फेरफार किया गया	किस बात या रकम के लिए

अध्याय 5

निरसन और व्यावृत्ति

97. निरसन और व्यावृत्ति-- (1) इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व किसी राज्य विधान-मंडल या उच्च न्यायालय द्वारा मूल अधिनियम में किया गया कोई संशोधन या अन्तःस्थापित कोई उपबंध, वहाँ तक के सिवाय जहाँ तक कि ऐसा संशोधन या उपबंध इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों से संगत है, निरसित हो जाएगा ।

(2) इस बात के होते हुए भी इस अधिनियम के उपबंध प्रवृत हो गए हैं, या उपधारा (1) के अधीन निरसन प्रभावी हो गया है और साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 6 के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना,-

(क) इस अधिनियम की धारा 3 द्वारा मूल अधिनियम की धारा 2 के खंड (2) में किया गया संशोधन किसी ऐसी अपील पर प्रभाव नहीं डालेगा जो धारा 47 में निर्दिष्ट किसी प्रश्न के अवधारण के विरुद्ध की गई है और प्रत्येक ऐसी अपील से बरता जाएगा मानो उक्त धारा 3 प्रवृत्त नहीं हुई हो;

(ख) इस अधिनियम की धारा 7 द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम की धारा 20 के उपबंध किसी ऐसे वाद को जो उक्त धारा 7 के प्रारंभ के ठीक पूर्व लंबित था, लागू नहीं होंगे या उस पर कोई प्रभाव नहीं डालेंगे; और ऐसे हर वाद का विचारण ऐसे किया जाएगा मानो धारा 7 प्रवृत्त नहीं हुई हो;

(ग) इस अधिनियम की धारा 8 द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम की धारा 21 के उपबंध किसी ऐसे वाद को जो उक्त धारा 8 के प्रारंभ के ठीक पूर्व लंबित था, लागू नहीं होंगे या उस पर कोई प्रभाव नहीं डालेंगे और ऐसे हर वाद का विचारण ऐसे किया जाएगा मानो धारा 8 प्रवृत्त नहीं हुई हो;

(घ) इस अधिनियम की धारा 11 द्वारा यथाप्रस्थापित मूल अधिनियम की धारा 25 के उपबंध किसी ऐसे वाद, अपील या अन्य कार्यवाही को जिसमें उक्त धारा 11 के प्रारंभ के पूर्व धारा 25 के उपबंधों के अधीन कोई रिपोर्ट की गई है, लागू नहीं होंगे या उस पर कोई प्रभाव नहीं डालेंगे, और ऐसे हर वाद, अपील या अन्य कार्यवाही से ऐसे बरता जाएगा मानो उक्त धारा 11 प्रवृत नहीं हुई हो;

(ङ) इस अधिनियम की धारा 13 द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम की धारा 34 के उपबंध उस दर पर प्रभाव नहीं डालेंगे जिस दर पर ब्याज किसी ऐसे वाद में जो उक्त धारा 13 के प्रारंभ के पूर्व संस्थित किया गया था, डिक्री पर अनुज्ञात किया जा सकेगा और ऐसे वाद में पारित डिक्री पर ब्याज धारा 34 के उपबंधों के जिस रुप में वै इस अधिनियम की धारा 13 के प्रारंभ के पूर्व थे, अनुसार ऐसे आदिष्ट किया जाएगा मानो उक्त धारा 13 प्रवृत नहीं हुई हो;

(च) इस अधिनियम की धारा 14 द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम की धारा 35क के उपबंध पुनरीक्षण के किसी ऐसी कार्यवाही को जो उक्त धारा 14 के प्रारंभ के पूर्व लंबित थी, लागू नहीं होंगे या उस पर कोई प्रभाव नहीं डालेंगे; और ऐसी हर कार्यवाही से ऐसे बरता जाएगा और उसका निपटारा इस प्रकार किया जाएगा मानो उक्त धारा 14 प्रवृत नहीं हुई हो;

(छ) इस अधिनियम की धारा 23 द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम की धारा 60 के उपबंध ऐसी किसी कुर्की को जो उक्त धारा 23 के प्रारंभ के पूर्व की गई है, लागू नहीं होंगे;

(ज) इस अधिनियम की धारा 27 द्वारा मूल अधिनियम की धारा 80 का संशोधन किसी ऐसे वाद को जो उक्त धारा 27 के प्रारंभ के पूर्व संस्थित किया गया था, लागू नहीं होगा या उस पर कोई

प्रभाव नहीं डालेगा, और प्रत्येक ऐसे वाद से ऐसे बरता जाएगा मानो उक्त धारा 27 द्वारा धारा 80 का संशोधन नहीं किया गया हो;

(झ) इस अधिनियम की धारा 28 द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम की धारा 82 के उपबंध किसी ऐसी डिक्री को लागू नहीं होंगे या उस पर कोई प्रभाव नहीं डालेंगे जो, यथास्थिति भारत, संघ या किसी राज्य का लोक अधिकारी के विरुद्ध उक्त धारा 28 के प्रारंभ के पूर्व पारित की गई थी या ऐसी किसी डिक्री के निष्पादन को लागू नहीं होंगे; और ऐसे हर डिक्री या निष्पादन से ऐसे बरता जाएगा मानो उक्त धारा 28 प्रवृत्त नहीं हुई हो;

(ञ) इस अधिनियम की धारा 30 द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम की धारा 91 के उपबंध किसी ऐसे वाद, अपील या कार्यवाही को जो उक्त धारा 30 के प्रारंभ के पूर्व संस्थित या फाइल की गई थी लागू नहीं होंगे या उस पर कोई प्रभाव नहीं डालेंगे; और ऐसे हर वाद, अपील या कार्यवाही का निपटारा इस प्रकार किया जाएगा मानो उक्त्त धारा 30 प्रवृत्त नहीं हुई हो;

(ट) इस अधिनियम की धारा 31 द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम की धारा 92 के उपबंध ऐसे किसी वाद, अपील या कार्यवाही को, जो उक्त धारा 31 के प्रारंभ के पूर्व संस्थित या फाइल की गई थी लागू नहीं होंगे या उस पर कोई प्रभाव नहीं डालेंगे; और ऐसे हर वाद, अपील या कार्यवाही का निपटारा इस प्रकार किया जाएगा मानो उक्त धारा 31 प्रवृत्त नहीं हुई हो;

(ठ) इस अधिनियम की धारा 33 द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम की धारा 96 के उपबंध किसी ऐसी अपील को जो उक्त धारा 33 के प्रारंभ के पूर्व संस्थित किसी वाद में पारित डिक्री के विरुद्ध की गई है, लागू नहीं होंगे या उस पर कोई प्रभाव नहीं डालेंगे; और ऐसी हर अपील से ऐसे बरता जाएगा मानो धारा 33 प्रवृत्त नहीं हुई हो;

(ड) इस अधिनियम की धारा 37 द्वारा यथाप्रतिस्थापित मूल अधिनियम की धारा 100 के उपबंध अपीली डिक्री या आदेश की किसी ऐसी अपील को, जो उक्त धारा 37 के प्रारंभ के पूर्व आदेश 41 के नियम 11 क अधीन सुनवाई के पश्चात् ग्रहण की गई थी, लागू नहीं होंगे या उस पर कोई प्रभाव नहीं डालेंगे; और ऐसे ग्रहण की गई हर अपील से ऐसे बरता जाएगा मानो उक्त धारा 37 प्रवृत्त नहीं हुई हो;

(ढ) इस अधिनियम की धारा 38 द्वारा मूल अधिनियम में यथा अन्तःस्थापित धारा 100क किसी लेटर्स पेटेन्ट के अधीन उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के विनिश्चय के विरुद्ध किसी ऐसी अपील को जो उक्त धारा 38 के प्रारंभ के पूर्व ग्रहण की गई थी, लागू नहीं होंगी या उस पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी, और ऐसी हर अपील का निपटारा इस प्रकार किया जाएगा मानो उक्त धारा 38 प्रवृत्त नहीं हुई हो;

(ण) इस अधिनियम की धारा 43 करा मूल अधिनियम की धारा 115 रु का संशोधन पुनरीक्षण की किसी ऐसी कार्यवाही को, जो उक्त धारा 43 के प्रारंभ के पूर्व प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात् ग्रहण की गई थी लागू नहीं होगा या उस पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा; और पुनरीक्षण की ऐसी हर कार्यवाही का निपटारा इस प्रकार किया जाएगा मानो उक्त धारा 43 प्रवृत्त नहीं हुई हो;

(त) इस अधिनियम की धारा 47 द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम की धारा 141 के उपबंध किसी ऐसी कार्यवाही को जो उक्त धारा 47 के प्रारंभ के ठीक पूर्व लंबित थी, लागू नहीं होंगे या

उस पर कोई प्रभाव नहीं डालेंगे; और ऐसी हर कार्यवाही से ऐसे बरता जाएगा मानों उक्त धारा 47 प्रवृत नहीं हुई हो;

(थ) इस अधिनियम की धारा 72 द्वारा, यथास्थिति, यथासंशोधित या प्रतिस्थापित या अन्तःस्थापित पहली अनुसूची के आदेश 21 के नियम 31, 32, 48क, 57 से 59 तक, 90 और 97 से 103 तक के उपबंध निम्नलिखित को लागू नहीं होंगे या उन पर कोई प्रभाव नहीं डालेंगे है----

(i) उक्त धारा 72 के प्रारंभ के ठीक पूर्व विद्यमान कोई कुर्की, अथवा

(ii) कोई वाद जो ऐसे प्रारंभ के पूर्व पूर्वोक्त नियम 63 के अधीन कुर्क की गई सम्पत्ति में अधिकार स्थापित करने के लिए या पूर्वोक्त नियम 103 के अधीन कब्जा स्थापित करने के लिए संस्थित किया गया था, अथवा

(iii) किसी स्थावर सम्पत्ति का विक्रय अपास्त करने के लिए कोई कार्यवाही,

और ऐसी हर कुर्की, वाद या कार्यवाही इस प्रकार चालू रखी जाएगी मानो उक्त धारा 72 प्रवृत नहीं हुई हो;

(द) इस अधिनियम की धारा 73 द्वारा यथा प्रतिस्थापित पहली अनुसूची के आदेश 22 के नियम 4 के उपबंध उक्त धारा 73 के प्रारंभ के पूर्व कि ए गए किसी उपशमन आदेश को लागू नहीं होंगे;

(ध) इस अधिनियम की धारा 74 द्वारा पहली अनुसूची के आदेश 23 में किए गए संशोधन या प्रतिस्थापन किसी ऐसे वाद या कार्यवाही को जो उक्त धारा 74 के प्रारंभ के पूर्व लंबित हो, लागू नहीं होंगे;

(न) इस अधिनियम की धारा 76 द्वारा यथा अन्तःस्थापित आदेश 27 के नियम 5क और 5ख के उपबंध किसी ऐसे वाद को जो उक्त धारा 76 के प्रारंभ के ठीक पूर्व सरकार या किसी लोक अधिकारी के विरुद्ध लंबित था, लागू नहीं होंगे और ऐसे हर वाद से ऐसे बरता जाएगा मानो उक्त धारा 76 प्रवृत्त नहीं हुई हो;

(प) इस अधिनियम की धारा 77 द्वारा, यथास्थिति, यथा अन्तःस्थापित या प्रतिस्थापित आदेश 27क के नियम 1क, 2क और 3 के उपबंध किसी ऐसे वाद को जो उक्त धारा 77 के प्रारंभ के पूर्व लंबित था, लागू नहीं होंगे या उस पर कोई प्रभाव नहीं डालेंगे;

(फ) इस अधिनियम की धारा 79 द्वारा, यथास्थिति, यथासंशोधित या प्रतिस्थापित पहली अनुसूची के आदेश 32 के नियम 2क, 3क और 15 किसी ऐसे वाद को जो उक्त धारा 79 के प्रारंभ के समय लंबित था, लागू नहीं होंगे; और ऐसे हर वाद से ऐसे बरता जाएगा और उसका निपटारा इस प्रकार किया जाएगा मानो उक्त धारा 79 प्रवृत नहीं हुई हो;

(ब) इस अधिनियम की धारा 81 द्वारा यथासंशोधित पहली अनुसूची के आदेश 33 के उपबंध किसी ऐसे याद या कार्यवाही को जो उक्त धारा 81 के प्रारंभ के पूर्व अकिंचन के रुप में वाद लाने की अनुज्ञा के लिए लंबित थी, लागू नहीं होंगे या उस पर कोई प्रभाव नहीं डालेंगे और ऐसे हर वाद या कार्यवाही से ऐसे बरता जाएगा और उसका निपटारा इस प्रकार किया जाएगा मानो उक्त धारा 81 प्रवृत्त नहीं हुई हो;

(भ) इस अधिनियम की धारा 84 द्वारा यथासंशोधित पहली अनुसूची के आदेश 37 के उपबंध किसी ऐसे वाद को जो उक्त धारा 84 के प्रारंभ के पूर्व लंबित था, लागू नहीं होंगे; और ऐसे हर वाद से

ऐसे बरता जाएगा और उसका निपटारा इस प्रकार किया जाएगा मानो उक्त धारा 84 प्रवृत नहीं हुई हो;

(म) इस अधिनियम की धारा 86 द्वारा यथासंशोधित पहली अनुसूची के आदेश 39 के उपबंध कि सी ऐसे व्यादेश को जो उक्त धारा 86 के प्रारंभ के ठीक पूर्व विद्यमान था, लागू नहीं होंगे या उस पर कोई प्रभाव नहीं डालेंगे और ऐसा हर व्यादेश और ऐसे व्यादेश की अवज्ञा के लिए कार्यवाही से ऐसे बरता जाएगा मानो उक्त धारा 86 प्रवृत्त नहीं हुइ हो (य) इस अधिनियम की धारा 87 द्वारा यथासंशोधित पहली अनुसूची के आदेश 41 के उपबध किसी ऐसी अपील को जो उक्त धारा 87 के प्रारंभ के ठीक पूर्व लंबित थी, लागू नहीं होंगे या उस पर कोई प्रभाव नहीं डालेंगे; और ऐसी हर अपील का निपटारा इस प्रकार किया जाएगा मानो उक्त धारा 87 प्रवृत नहीं हुई हो;

(यक) इस अधिनियम की धारा 88 द्वारा यथासंशोधित पहली अनुसूची के आदेश 42 के उपबंध किसी ऐसी अपीली डिक्री या आदेश की किसी अपील को, जो उक्त धारा 88 के प्रारंभ के पूर्व, आदेश 41के नियम 11 के अधीन सुनवाई के पश्चात् ग्रहण की गई थी, लागू नहीं होंगे या उस पर कोई प्रभाव नहीं डालेंगे; और ऐसे ग्रहण की गई हर अपील से ऐसे बरता जाएगा मानो उक्त धारा 88 प्रवृत नहीं हुई हो ।

(यख) इस अधिनियम की धारा 89 द्वारा यथासंशोधित पहली अनुसूची के आदेश 43 के उपबंध किसी ऐसी अपील को, जो उक्त धारा 89 के प्रारंभ के ठीक पूर्व लंबित किसी आदेश के विरुद्ध की गई थी, लागू नहीं होंगे, और ऐसी हर अपील का निपटारा इस प्रकार किया जाएगा मानो उक्त धारा 89 प्रवृत नहीं हुई हो ।

(3) उपधारा (2) में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबंध ऐसे हर वाद, कार्यवाही, अपील या आवेदन को जो इस अधिनियम के आरंभ पर लंबित था अथवा ऐसे प्रारंभ के पश्चात् संस्थित या फाइल किया गया है, इस बात के होते हुए भी लागू होंगे कि जिस अधिकार या वाद हेतुक के अनुसरण में ऐसा वाद, कार्यवाही, अपील या आवेदन संस्थित या फाइल किया जाता है, वह ऐसे प्रारंभ के पूर्व अर्जित किया गया था या प्रोद्भूत हुआ था ।

*   *   *   *   *